كِتَابٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْۤا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ٥

यह बरकत वाली किताब, जिसको हमने आप पर इसलिये उतारा कि लोग इसकी आयतों में ग़ौर व फ़िक्र से काम लें और अक़लमन्द लोग नसीहत हासिल करें।

कुरान मजीद पारा 23 सूर :सुवाद रुकूअ 3 आयत 29

शरीअत या जहालत

इज़ाफ़ा शुदा

तालीफ

मौलाना मुहम्मद पालन हक़्क़ानी गुजराती रह०

नाशिर

रब्बानी बुक डिपो

1813, कटरा शेख चांद, लाल कुआं दिल्ली-6

Ph.:9811504821, 9873875484 Fax :23982786

E-mail : rbd_4books@yahoo.co.in

शरीअत या जहालत

इज़ाफ़ा शुदा

तालीफ़

मौलाना मुहम्मद पालन हक़्क़ानी गुजराती

नाशिर

रब्बानी बुक डिपो
1813, कटरा शेख चांद, लाल कुआं दिल्ली-6
9811504821, 9873875484 फेक्सः 011-23982786

ऐलान

नाम किताब	:	शरीअत या जहालत
तालीफ	:	मौलाना मुहम्मद पालन हक़्क़ानी गुजराती
तसीह	:	मौलाना मुहम्मद इमरान क़ासमी
एहतेमाम	:	फेज़ुर रहमान रब्बानी
मुआविन	:	ज़िकरूर रहमान रहमानी
कम्पोजिंग	:	लेज़र कम्प्यूटर सर्विसिज़, फोन : 3217840
प्रेस	:	शुएब प्रिंटस, चाबुक सवारान दिल्ली – 110006
इशअत	:	2015
कीमत	:	275 /-

नाशिर

1813, कटरा शेख चांद लाल कुआँ, दिल्ली-6

☎ 23220118, 23217840

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम॰

दरूद शरीफ़

अल्लाहुम-म सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिंव-व अला
आलि सयिदिना मुहम्मदिंव - व बारिक व सल्लिम

ऐ अब्रे करम ज़रा थम के बरस
इतना न बरस कि वह[1] आ न सकें।
जब वह आ जाएं तो जम के बरस,
इतना बरस कि वह जा न सकें।

|||

आमद है किस की हूरें सभी गा रही हैं आज,
अफ़्लाक पर क्यों धूम मची जा रही है आज,
अर्शे बरीं से दावते हक़ आ रही है आज,
हर लब पे मरहबा की सदा आ रही है आज।

रहमत क़सम खुदा की लुटी जा रही है आज,
पढ़ लो दरूद मोमिनो! फिर क्या कमी है आज।

ज़िक्रे ख़ुदा रसूल की महफ़िल सजी है आज,
हूरों में धूम सल्ले अला की मची है आज,
जन्नत खुदा के नूर से दुल्हन बनी है आज,
हर गुंचा व गुल के होठों पे देखो हंसी है आज।

रहमत क़सम खुदा की लुटी जा रही है आज,
पढ़ लो दरूद मोमिनो! फिर क्या कमी है आज।

1. वह से मुराद मख़्लूक़े ख़ुदा है

बन्दे खुदा के उठो चलो महि्फ़ल नबी की है,
है वक़्त कम उठो चलो महि्फ़ल नबी की है,
ज़िक्रे खुदा शरीक हो महि्फ़ल नबी की है,
दामन मुराद से भरो महि्फ़ल नबी की है।

रहमत क़सम खुदा की लुटी जा रही है आज,
पढ़ लो दरूद मोमिनो! फिर क्या कमी है आज।

क़ुरआन और हदीस को मज़बूत थाम ले,
न यहां खिलाफ़े शरअ़ हरगिज़ तू काम ले,
बन्दे खुदा तू हर घड़ी मौला का नाम ले,
तू हश्र में रसूल से कौसर का जाम ले,

रहमत क़सम खुदा की लुटी जा रही है आज,
पढ़ लो दरूद मोमिनो! फिर क्या कमी है आज।

इस बज़्म में शरीक जो रुक्ने खास व आम है,
उस का सुनो तुम मोमिनो! जन्नत मुक़ाम है,
पढ़ते रहो दरूद अगर सुबह व शाम है,
वल्लाह! उस पे आतिशे दोज़ख़ हराम है।

रहमत क़सम खुदा की लुटी जा रही है आज,
पढ़ लो दरूद मोमिनो! फिर क्या कमी है आज।

1. तौहीद मुसलमानों के लिए ईमान की जड़ है।
2. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पैरवी में मुसलमानों की कामयाबी है।
3. शरीअ़त पर अमल करना मुसलमानों के लिए अम्न है।
4. जहालत पर चलना इन्सान के लिए बर्बादी है।
5. मिल-जुल कर रहना मुसलमानों की ख़ास शान है।
6. तक़्वे से इन्सान मारफ़त तक पहुंच सकता है।
7. नफ़्सानी ख़्वाहिश आदमी को तबाह कर देती है।
8. तौबा कर लेना आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है।
9. ज़िद पर अड़े रहना इबलीस का अमल है।
10. मंज़िल तक वही पहुंचता है, जिस को हक़ की तलाश है।

– हक़्क़ानी

हवाले (उर्दू किताबें)

किताब 'शरीअत या जहालत' में जिन-जिन किताबों के ज़्यादातर हवाले दिये गये हैं, वे किताबें जहां पर छपी हैं, वहां का मुकम्मल पता नीचे दिया जा रहा है, ताकि हवाला नम्बर तलाश करने में आसानी रहे।

1. तफ़्सीर इब्ने कसीर,
   –नूर मुहम्मद कारख़ाना तिजारते कुतुब, आराम बाग़, कराची, (पाकिस्तान)
2. तफ़्सीर हक़्क़ानी,
   –शेख़ गुलाम अली एन्ड सन्स, कश्मीरी बाजार, लाहौर (पाकिस्तान)
3. सहीह बुखारी शरीफ़,
   –नूर मुहम्मद, कारखाना तिजारते कुतुब, आराम बाग, कराची, (पाकिस्तान)
4. सहीह मुस्लिम शरीफ़,
   –मक्तबा दारुल फ़ुर्क़ान, दफ़्तर आस्ताना, जामा मस्जिद, दिल्ली, (इन्डिया)
5. तिर्मिज़ी शरीफ़
   –नूर मुहम्मद, कारखाना तिजारते कुतुब, आराम बाग़ कराची (पाकिस्तान)
6. अबूदाऊद शरीफ़,
   –कुरआन महल, मुक़ाबिल मौलवी मुसाफ़िर ख़ाना, कराची (पाकिस्तान)
7. नसई शरीफ़
   – मक्तबा अय्यूबिया, ए. एम. न० 1 कराची 1, (पाकिस्तान)
8. इब्ने माज़: शरीफ़,
   –मक्तबा सऊदिया, प्रिंस रोड़, कराची (पाकिस्तान)
9. दारमी शरीफ़,
   –कुरआन महल, मुक़ाबिल मौलवी मुसाफ़िर ख़ाना, कराची (पाकिस्तान)
10. मिश्कात शरीफ़,
    –दारुल फ़ुर्क़ान, जामा मस्जिद, दिल्ली (इन्डिया)
11. मज़ाहिरे हक़,
12. फ़तावा आलमगीरी
13. ऐनुलहिदाय:,
14. ग़ायतुल अवतार,
    उर्दू तर्जुमा दुर्रे मुख़्तार,
    –नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (इन्डिया)

फेहरीसत मज़ामीन

क्या ? कहां ?

क्या ?		कहां ?
66.	बुतपरस्ती का अंजाम	493
67.	बुतपरस्ती कैसे फैली?	499
68.	क़ब्रों पर इमारतें, फूल और चिराग़	503
69.	उर्स	512
70.	क़व्वाली	515
71.	क़ब्रों की ज़ियारत मर्दों के लिए	516
72.	क़ब्रों की ज़ियारत औरतों के लिए	518
73.	मन्नत	519
74.	ग़ैर अल्लाह के नाम का जानवर हलाल नहीं	527
75.	औलियाअल्लाह रहमतुल्लाहि अलैहिम	532
76.	ईसाले सवाब और फ़ातिहा	541
77.	नमाज़ के बाद का फ़ातिहा	551
78.	नमाज़ के बाद का मुसाफ़ा	554
79.	सख़ी और बख़ील	556
80.	क़ियाम की दलीलें	568
81.	रूहे मुबारक आती है या नहीं?	579
82.	सलामी	583
83.	जनाज़े के साथ मीलाद	590
84.	मौलूद की मज्लिसें और मज्लिसों के फ़ज़ाइल	591
85.	क़साइद की मज्लिसें	594
86.	तीन शर्तें	597
87.	मां-बाप के हुक़ूक़	603
88.	मक्रूह से मुराद मक्रूहे तहरीमी है	607
89.	इस्तिंजा	608
90.	लहसुन, प्याज़ और तम्बाकू	610
91.	नुजूम (तारे)	617
92.	तस्वीर	618
93.	औरतों की शाने मुबारक	624
94.	तीजा और क़ुरआन ख़्वानी	640
95.	कफ़न पर कलिमा और क़ब्र पर अज़ान	643
96.	ख़त्ना	645
97.	मस्जिद के कुछ मसाइल	646
98.	हिदायत की हदीसें	648
99.	हिन्दुस्तान के उलेमा-ए-किराम के इज़्हारे एतमाद	661

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम०

नह्मदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम०

कुछ किताब और साहिबे किताब के बारे में

हज़रत मौलाना सैयद हबीबुर्रहमान साहब मद्द ज़िल्लहुल आली

–एडीटर 'आबेहयात', अहमदाबाद

जनाब मुहम्मद पालन हक़्क़ानी साहब की किताब 'शरीअत या जहालत' के एक के बाद एक पांच पांच हज़ार के दो गुजराती एडीशन छप कर हाथों-हाथ उठ जाने के बाद उर्दू एडीशन छापा गया। किताब के मक़्बूल होने का अन्दाज़ा केवल इसी से हो जाता है कि सिर्फ़ डेढ़ साल की मुद्दत में इसके दो एडीशन निकल जाने के बाद भी हर तरफ़ से इस की मांग पहले ही की तरह बाक़ी है और अब इसी किताब का हिन्दी एडीशन आप के हाथों में है। खुदा करे यह भी और एडीशनों की तरह ज़्यादा से ज़्यादा मक़्बूल हो।

जनाब मुहम्मद पालन हक़्क़ानी गुजरात प्रदेश के बहुत ज़्यादा मक़्बूल और सब के दिल में घर कर लेने वाले वाइज़ (उपदेशक) हैं। उनके वाज़ों ने गुजरात के हज़ारों मुसलमानों की जिस तरह काया पलटी है, शिर्क, बिदअ़त ग़ैर-इस्लामी रस्म और वहम भरी बातों की जड़ें काट कर आम व ख़ास को नमाज़-रोज़े का पाबन्द और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत की पैरवी करने वाला बनाया है, उस की मिसाल पिछले पचास साल की गुजराती तारीख़ में नहीं मिलती।

ज़ालि-क फ़ज़्लुल्लाहि युअ़्तीहि मंय्यशाउ०

(यह अल्लाह तआला की मेहरबानी है, जिसे चाहता है, देता है)

जनाब हक़्क़ानी साहब का असल वतन मालिया मियाना (सौराष्ट्र) है। आप का ताल्लुक मियाना बिरादरी से है, जो अपनी बहादुरी और हिम्मत में ज़ितनी मशहूर है, उतनी ही जहालत, वह्म परस्ती और पुरानेपन से जुड़े रहने में भी ख़ासी मशहूर हैं। हुकूमत की नज़रों में यह एक जरायम पेशा क़ौम थी। अंग्रेज़ों की हुकूमत के दौर में इस क़ौम पर क़िस्म क़िस्म की पाबंदिया लगी हुई थीं, इन को सुधारने और हुकूमत का इस क़ौम के बारे में ख़्याल बदलने के लिए मौलाना शौकत अलीमरहूम और दूसरे लीडरों ने आज से 30-35 साल पहले काफ़ी जद्दोजेहद की थी। चूंकि गुजरात और सौराष्ट्र के अक्सर डाकू और सर फिरे लोग इसी क़ौम में पैदा हुए थे, इसलिए हुकूमत की नज़रों में यह क़ौम ना-पसन्दीदा थी। जहालत का यह हाल था कि बावजूद मुसलमान होने के दीन के हुक्मों और शरीअ़त के तक़ाज़ों का उसे कोई इल्म न था।

देश आज़ाद हुआ और साथ ही इस क़ौम पर से पाबंदियां भी काफ़ी हद तक उठा ली

गयीं। जनाब हक़्क़ानी साहब इसी क़ौम के एक फ़र्द हैं। इन के वालिद पालन खुद एक मशहूर डाकू थे। डाका डालना उन का एक खानदानी पेशा था, लेकिन किसे मालूम था कि इसी डाकू की नस्ल से पैदा होने वाला बच्चा आगे चलकर उम्मते मरहूमा का बेहतरीन ख़ादिम, मुबल्लिग़ और वाइज़ होगा।

हक़्क़ानी साहब ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं, इसलिए कि जिस दौर और जिस माहौल में उन्होंने होश संभाला और पले-बढ़े, उस दौर में उनकी क़ौम से तालीम को कोई दूर का भी ताल्लुक़ न था, पर बावजूद इसके क़ुदरत को इस नव-निहाल से अपने दीन की खिदमत लेनी थी, इसलिए यों कहिए कि इत्तिफ़ाक़ के तौर पर शुरू उम्र ही में कुछ गुजराती और कुछ उर्दू की तालीम पा ली थी और यही थोड़ी सी और मह्दूद तालीम उनके हक़ में ला-मह्दूद और ज़बरदस्त नेमत साबित हुई।

बालिग़ होने के बाद मिल में मज़दूरी का काम शुरू हुआ। गुजरात वैसे भी एक इंडस्टीरियल एरिया है। कपड़े के लिए अनगिनत मिल यहां पर जगह-जगह पाए जाते हैं। यहां के मुख्य मुक़ाम अहमदबाद में तो मिलों का जाल बिछा हुआ है, चुनांचे हक़्क़ानी साहब ने अहमदाबाद की एक मिल में मेहनत-मज़दूरी से अपनी ज़िंदगी की शुरूआत की। जवानी का आलम, तबियत में ला-उबालीपन के साथ साथ क़ौम और ख़ानदान की खूबियां भी मौजूद थी। कोई रोकने-टोकने वाला न था, कोई हिदायत देने वाला और सुधारने वाला भी न था, चुनांचे धीरे धीरे वे तमाम बुरे अख़्लाक़ उनमें जमा हो गये, जो उस वक़्त और उस माहौल की ख़ास पैदावार थे। हक़्क़ानी साहब की शादी भी अपनी ही क़ौम में हुई। आगे चल कर वह शहर वांकानेर (सौराष्ट्र) आ कर रहने लगे और यहां के एक मिल में काम करने लगे। उस ज़माने में आप को क़व्वाली का बड़ा शौक़ था। ज़ुबान फ़सीह न थी, फिर भी उर्दू ग़ज़लें खूब गाते थे और महफ़िल में रंग जमा देते थे, लेकिन इस शौक़ के साथ साथ जरायम का सिलसिला भी किसी न किसी शक्ल में चल ही रहा था।

यही रिंदी और फक्कड़पन का ज़माना था कि आप को एक मज्ज़ूब (बुज़ुर्ग) से अक़ीदत पैदा हुई, अक्सर उन की ख़िदमत में हाज़िर रहते, उन्हें ख़ाना खिलाते, क़व्वालियां सुनाते, उन के कपड़े बदलवाते और जब कभी मज्ज़ूब खुशी और मुसर्रत की हालत में हों, यह उन से दर्ख़्वास्त करते कि, 'बाबा! ऐसी दुआ कर दो कि मेरा घोड़ा सब से आगे निकल जाए।' इन लफ़्ज़ों से हक़्क़ानी साहब का मतलब सिर्फ़ यह था कि क़व्वाली में उन्हें ऐसी महारत पैदा हो जाए कि कोई क़व्वाल उन की बराबरी न कर सके, मगर हक़ सुब्हानहू व तआला के नज़दीक इन लफ़्ज़ों का मतलब कुछ और ही तै पाया। धीरे-धीरे उन का दिल दीन की तरफ़ माइल होने लगा। नमाज़ से क़ुदरती तौर पर चाव पैदा हुआ। इसी के साथ दीन में ग़ौर व फ़िक्र और शरई उलूम के हासिल करने का जज़्बा करवटें लेकर जागता दिखाई दिया। आप ने उर्दू और गुजराती में दीनी किताबों को पढ़ना शुरू किया और फिर तो ज़ौक़ व शौक़ इतना बढ़ा कि मिल से जो तन्ख़ाह

मिलती, उसका बड़ा हिस्सा किताबें ख़रीदने की भेंट चढ़ जाता और जब यह शौक़ हद से आगे बढ़ा, तो बीवी के गहने भी किताबों की भेंट चढ़ गये, नौबत फ़ाक़ों तक पहुंची।

मगर इस के साथ ज़िंदगी में ऐसा इंक़िलाब आया, जो सच तो यह है कि बड़ी हैरत में डाल देने वाला था। मेरा ख़्याल है कि खुद क़ुदरत उन्हें दीन की ख़िदमत के लिए तैयार कर रही थी। वैसे भी आमतौर से देखा गया है कि जब हालात ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, तो अल्लाह तआला अपने किसी ऐसे बन्दे को खड़ा करके उससे काम लेता है, जिसके बार में किसी को वह्म व गुमान न हो। हक़्क़ानी साहब ने दीन के लिए काफ़ी तक्लीफ़ें बर्दाश्त कीं। खुद खानदान वालों की क़दामत पसन्दी और वह्म परस्ती ने दामन पकड़ लिया, दाढ़ी रखवाई, तो घर वालों ने सब से ज़्यादा मुख़ालफ़त की, शरई लिबास अपनाया, तो लोग मज़ाक़ उड़ाने लगे। सुन्नते नबवी की पाबन्दी की तो लोग इस तरह ताज्जुब की निगाह से देखने लगे, गोया कोई अजीब मख़्लूक़ उनके सामने खड़ी हो गयी हो और फिर जब उन्होंने दोस्तों और क़ौम वालों में दीन की तब्लीग़ शुरू की, तो लोगों को शिर्क व बिदअत से बचने और सुन्नते नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पैरवी पर उभारा, तो क़ौम ने आप का बाइकाट किया, गालियां दी और गांव से निकाल दिया।

मगर दुनिया ने देखा कि जिसे उस की क़ौम सिर्फ़ इस लिए निकाल देती है कि वह अल्लाह के और उसके रसूले बरहक़ सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पैरवी की तरफ़ बुलाता है, तो उसी ठुकराये हुए इन्सान को अल्लाह की रहमत अपने साए में ले लेती है। हक़्क़ानी साहब के साथ भी यही हुआ। बिरादरी ने उन्हें ठुकरा दिया, तो सौराष्ट्र और गुजरात के मुसलमानों ने उन्हें हाथों हाथ लिया। यह अब तक सिर्फ़ अपने ही इलाक़े में तब्लीग़ करते थे। अब उन्होंने बढ़ कर पूरे सौराष्ट्र में वाज़ का सिलसिला शुरू किया। मख़्लूक़े खुदा गरवीदा होने लगी। बड़े-बड़े दौलतमन्द लोग अक़ीदत से आप के चारों और मंडलाने लगे। आप को जिन-जिन किताबों की ज़रूरत थी, जो आसानी से नहीं मिल रही थीं और आप को उन किताबों के ख़रीदने की ताक़त भी न थी, ऐसी तमाम किताबें क़ुदरत की तरफ़ से मुहय्या होती चली गयीं। एक साहब ने माइक और लाउडस्पीकर भी दिला दिया, ताकि आप गांव-गांव फिर कर हक़ की तब्लीग़ अदा करें।

जब यह सिलसिला आगे बढ़ा तो मजबूरन आप को नौकरी से इस्तीफ़ा देना पड़ा। इस मुद्दत में आप ज़्यादा वक़्त किताब पढ़ने और दीन में ग़ौर व फ़िक्र करने पर लगाने लगे। क़ुदरत ने आप को ग़ज़ब का हाफ़िज़ा दिया है, जो कुछ पढ़ते, वह सीने पर अमिट हो जाता। चुनांचे क़ुरआन मजीद की सैकड़ों आयतें, सिहाहे सित्ता की सैकड़ों हदीसें, मोतबर और मुस्तनद तफ़्सीरों, के सैकडों हवाले आप को अच्छी तरह याद हो गये जब आप तक़रीर के दौरान हर मस्ले की तायीद में क़ुरआन की आयतों, हदीसों, मोतबर तफ़्सीरों 'हनफ़ी फ़िक़्ह और दूसरी किताबों के नाम, जिल्द, पारा, सफ़हा नम्बर, हदीस नम्बर, आयत नम्बर के बीसियों हवाले देते हुए दलील पेश करते हैं, तो अच्छे अच्छे उलेमा-ए-किराम भी दंग रह जाते हैं, आप के वाज़ में यह ख़ूबी

है कि पन्द्रह और बीस-बीस हज़ार का मज्मा घंटों तक यकसूई और इत्मीनान के साथ उसी तरह बैठा हुआ सुनता रहता है गोया कलामे इलाही और हदीसे नबवी ने उसे मोह लिया है। जिस मुहल्ले में दो-चार वाज़ होते हैं, वहां ख़ासा इन्क़िलाब आ जाता है। जुआ, सट्टा, शराब, बेहयाई जैसे बुरे जरायम से लोग तौबा करके मस्जिदों की ओर रुख़ करते हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि 70-70, 80-80 साल के बूढ़े मर्द, औरत जिनकी पेशानी कभी अल्लाह के सामने नहीं झुकी, वे भी नमाज़ के पाबन्द हो गए और पाबन्द भी ऐसे कि तहज्जुद तक क़ज़ा नहीं होने देते। हक़्क़ानी साहब ने सौराष्ट्र से निकल कर गुजरात में क़दम रखा और अहमदाबाद को अपना मर्कज़ बनाया, तो सिर्फ़ एक ही महीने में यह हालत हो गयी कि हर वाज़ में 25-25 हज़ार का मज्मा होने लगा, जिसमें 5-5 और 7-7 हज़ार तो सिर्फ़ औरतें ही होती थीं, चूंकि औरतों को अमल पर उभारने का ढंग हक़्क़ानी साहब को ख़ूब याद है, इसलिए औरतों में सबसे ज़्यादा सुधार हुआ। धीरे-धीरे पूरे गुजरात से हक़्क़ानी साहब के लिए मांग होने लगी और उन्होंने भी एक एक ज़िले में 15-15 और 20-20 वाज़ों का प्रोग्राम बना कर सिर्फ़ कुछ ही महीनों में गुजरात में हलचल मचा दी।

आपने शुरू ज़माने में 'शरीअत या जहालत' नाम की एक किताब लिखी थी, जिस में इख़्तिलाफ़ी मसाइल और क़ौम में जड़ पकड़े हुए ग़ैर-इस्लामी रिवाज और रस्मों की क़ुरआन मजीद, हदीसों, तफ़्सीरों और हनफ़ी फ़िक्ह की रोशनी में ऐसी दलीलों से उन की इस्लाह फ़रमायी थी कि जनता उसे आसानी से समझ लेती और उनका ज़मीर गवाही देने लगता कि यही हक़ है, लेकिन आम तौर पर देखा गया है कि जब कोई आदमी इस्लाह की तहरीक (सुधार- आन्दोलन) लेकर उठता है, तो एक न एक ख़ुदग़रज़ तब्क़ा उस की मुख़ालफ़त के लिए मैदान में आ जाता है। यही सूरत गुजरात में पेश आयी। गुजरात के लोग, ख़ासतौर से क़स्बों और देहातों में रहने वाले सादा दिल मुसलमान सालों से वह्म परस्ती के शिकार रहे हैं। उसी के साथ साथ यह भी एक हक़ीक़त है कि गुजरात के बहुत से जाहिल पीर और अपने आप कहलाने वाले मौलवी-मुल्ला जिन्हें अपनी आक़िबत की कुछ परवाह नहीं है, उन लोगों को अल्लाह और अल्लाह के रसूले बरहक़ सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का नाम लेकर हमेशा से धोखा देते आए हैं। इनके अलावा गुजरात में उलेमा-ए-हक़ और कुछ मुख्लिस और हमदर्दाने तरीक़त भी मौजूद हैं, मगर फ़ित्ना फैलाने वालों की हुल्लड़ बाज़ियों की वजह से ख़ामोशी से अपनी-अपनी जगह बैठे हुए मज़हब व मिल्लत की तामीरी ख़िदमत कर रहे थे। हक़्क़ानी साहब के ख़िलाफ़ जो तबका मैदान में आया, वह पेट का पुजारी और खुदग़रज़ था, लेकिन अल्लाह की क़ुदरत देखिए कि उस तब्क़े ने जिस क़दर हक़्क़ानी साहब और उनकी किताब के ख़िलाफ़ प्रचार किया, उतना ही हक़्क़ानी साहब और उनकी किताब की शोहरत बढ़ती गयी। उस किताब को दिल दुखाने वाली और तौहीन वाली क़रार देकर उसे ज़ब्त कराने के लिए बाक़ायदा तहरीक शुरू की। दूर-दूर से चन्देबाज़ मौलवियों को बुलाया और फ़िज़ा को बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया, मगर इसी बीच गुजरात

के दीनदार उलेमा दारुलउलूमों के मोहतमिम लोग और मुफ़्ती लोग मैदान में आए और उन्होंने एलान किया कि हक़्क़ानी साहब की किताब 'शरीअत या जहालत' क़तई तौर पर तौहीन करने वाली नहीं है। बल्कि क़ौम के हक़ में बहुत मुफ़ीद है।

गुजराती ज़ुबान में अब तक जो किताबें छपी हैं, उनमें यह किताब अपने ढंग की अकेली किताब है और फिर उस की अहमियत इस लिहाज से भी बढ़ जाती है कि किताब के लिखने वाले कोई दारुलउलूम के सनद याफ़्ता आलिम नहीं हैं। हाफ़िज़, मुहद्दिस, मुफ़स्सिर य फ़क़ीह नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद वह ऐसी किताब तैयार कर सके हैं, जिसने गुजराती मुसलमानों को हद दर्जा मुतास्सिर किया है, सैकड़ों गुमराहों को हिदायत का रास्ता दिखाया है। बयान करने का ढंग इतना सादा और सब की समझ में आने वाला है कि हर छोटा-बड़ा इससे बराबर फ़ायदा उठा सकता है।

जनाब हक़्क़ानी साहब गुजरात से निकल कर बम्बई पहुंचे तो मख़्लूके खुदा के रुजूअ़ का यह हाल था कि हर वाज़ में मज्मा कन्ट्रोल से बाहर होता था। किताब का दूसरा एडीशन बम्बई में साफ़ हो गया, उसी के साथ किताब के उर्दू एडीशन की ज़बरदस्त मांग होने लगी, उर्दू एडीशन भी आ गया, अब हिन्दी की बारी है। हिन्दी एडीशन आप के हाथ में है। अल्लाह अताला इसे भी क़ुबूल फ़रमाये और हिन्दी जानने वालों में इस्लाह का काम करे।

–सैयद हबीबुर्रहमान ग़ज़नवी
एडीटर 'आबेहयात', अहमदाबाद

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

अपनी बात

कुरआन करीम के आठवें पारे में सूर: अन्आम् के पन्द्रहवें रुकूअ में आयत न० 125 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा – सो जिस आदमी को अल्लाह तआला रास्ते पर डालना चाहते हैं, उस के सीने को इस्लाम के लिए खोल देते हैं और जिस को बे-राह रखना चाहते हैं, उसके सीने को तंग और बहुत तंग कर देते हैं।

अल्लाह पाक फ़रमाता है कि जिस को अल्लाह हिदायत देना चाहता है तो इस्लाम के लिए उस का दिल खोल देता है यानी दीने इस्लाम अपनाना उस के लिए आसान बना देता है। चुनांचे यह चीज़ निशानी है इस बात की कि उस की क़िस्मत में ख़ैर लिखी है, जैसा कि फ़रमाया, इस्लाम के लिए जिस का दिल खुल जाता है, तो खुदा की तरफ़ से उस के लिए नूर तै कर दिया जाता है।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 8, पृ० 14, सूर: अन् आम के पन्द्रहवें रुकूअ़ की तफ़्सीर में।

मेरे अज़ीज़ दोस्तों ! आप इतनी बात तो आसानी से समझ सकते हैं कि कोई आदमी उस वक़्त तक आलिम, मुफ़्ती, मौलवी, क़ारी और हाफ़िज़ नहीं बन सकता, जब तक कि वह अपनी ज़िंदगी के कई साल दीनी मदरसों में दीन का इल्म हासिल करने में न लगाये, लेकिन आपको यह सुन कर हैरत और ताज्जुब होगा कि एक मामूली मिल मज़दूर बग़ैर किसी दारुलउलूम और मदरसा में तालीम पाये सिर्फ़ अल्लाह के करम और एक अल्लाह को पहुंचे हुए मज्ज़ूब सिफ़्त बुज़ुर्ग की दुआ से इस काबिल हुआ कि अपने दीन, अपनी क़ौम और इंसानियत की ख़िद्मत कर सके। उस मर्दे खुदा जनाब अ़ली शाह बापू की दुआ का असर और अल्लाह तआला की क़ुदरत का करिश्मा देखना हो तो इस मिल मज़दूर यानी मुझ नाचीज़ की लिखी किताब **'शरीअत या जहालत'** – आप संजीदगी और दयानतदारी के साथ शुरू से लेकर आख़िर तक ध्यान से पढ़िए, आप को अच्छी तरह मालूम हो जाएगा कि दीन की तब्लीग़ का यह इतना बड़ा काम तह्रीरी और तक़रीरी तौर से मुझ जैसे कमज़ोर और ना-तवां बन्दे से किस तरह लिया और उस को क़ुबूले आम बख़्शा, इस पर अल्लाह रब्बुल इ़ज़्ज़त का हज़ार-हज़ार शुक्र है कि मौला की तौफ़ीक़ से यह सब कुछ हुआ और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मालिकुल मुल्क ! मुझे ज़िंदगी की आख़िरी सांस तक अपने दीने मतीन की ख़िदमत के लिए हिम्मत, ताक़त और तौफ़ीक़ अता फ़रमाये। आमीन!

मेरे अज़ीज़ दोस्तों ! आप इतना तो ज़रूर जान सकते हैं कि दुनिया में इन्सान का बोलना दो तरह का होता है, या तो सच होगा या झूठ। अब जो लोग सच्चे होते हैं, वे तो दुनिया

से बे-परवाह होते हैं और किसी को तक्लीफ़ देना पसन्द नहीं करते और जो लोग झूठे होते हैं, वे दुनिया तलब होते हैं और अपने नफ़्स की ख़्वाहिशों को पूरा करने के लिए झूठ भी बोलते हैं, आपस में लड़वाते भी हैं और सच्चे मुसलमानों को तक्लीफ़ भी पहुंचाते रहते हैं।

हर ज़माने में दो क़िस्म के लोग होते आए हैं और आज भी हैं और क़ियामत तक होते रहेंगे-

एक सच्चे, और दूसरे झूठे।

इन में झगड़े सिर्फ़ कुछ मस्‌अलों पर हुआ करते हैं और यही मुसीबत आज हमारे हिन्दुस्तान के अक्सर मुसलमान भाइयों में फैल गयी हैं हज़ारों मुसलमान भाई अपने आप को **सुन्नी** कहते हैं, पर अफ़सोस, जहालत और ज़िद की वजह से इस्लाम के ख़िलाफ़ अमल करते हैं और जब उन भाइयों को समझाया जाता है तो उन समझाने वालों को वह्हाबी, ग़ैर-मुक़ल्लिद और इस्लाम से ख़ारिज समझते हैं।

हिन्दुस्तान में ज़्यादातर देवबन्दी और बरेलवी गिरोहों में मस्‌अले मसाइल का इख़्तिलाफ़ चल रहा है। इन दोनों गिरोहों में कौन सा गिरोह सच्चा है, वह आम मुसलमानों के लिए समझना मुश्किल है। हां, जब देवबन्द और बरेली का जन्म भी नहीं हुआ था, अगर उस वक़्त की पुरानी किताबों को देखा जाए, तो अल-बत्ता आसानी से इन-शाअल्लाहु तआला बात समझ में आ जाएगी कि हक़ पर कौन है और ग़लती पर कौन है।

यही बात हम आप मुसलमानों को समझाना चाहते हैं, इसलिए इस किताब में जिन- जिन मस्‌-अलों पर बहस की गयी है, उन को हमने पहले की पुरानी किताबों से तह्क़ीक़ करके इस किताब में छापा है। हर मस्‌अले में जहां तक भी हो सका है, पहले क़ुरआन करीम, फिर हदीसें और फिर हनफ़ी मसलक की मोतबर व मुस्तनद किताबों से पूरी-पूरी तह्क़ीक़ करके अल्लाह तआला के फ़ज़्ल से आप साहबों की ख़िदमत में यह किताब पेश की जा रही है।

अक्सर काम ऐसे होते हैं, जो शरीअत के बिल्कुल ख़िलाफ़ होते हैं, लेकिन लोग अपनी जहालत की वजह से उसे शरीअ़त समझ कर अमल करते हैं। ऐसे ही लोगों को समझाने की नीयत से यह किताब लिखी गयी है, इस लिए इसका नाम हमने 'शरीअ़त या जहालत' रखा।

यह काम, जैसा कि मैं पहले ज़िक्र कर चुका हूं कि मेरी हस्ती से बाहर था, मगर मेरे मालिके मुख़्तार ने मेरा साथ दिया और सतरह साल की सख़्त मेहनत के बाद आज यह तह्क़ीक़ी मजमूआ़ आम मुसलमान भाइयों की ख़िदमत में पेश कर रहा हूं। उम्मीद है कि आप इस किताब को क़द्र की निगाहों से देखेंगे।

हमारे बहुत अधिक मोह्सिन सेठ ज़मीर अहमद सिद्दीक़ी साहब, ज़िला गौंडा, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और फ़िलहाल बम्बई के अन्दर कुरला में क़ियाम करते हैं, एक दिन फ़रमाया कि आप इस किताब में इज़ाफ़ा क्यों नहीं करते? हमने कहा कि इज़ाफ़ा के ख़र्चे, दोबारा किताबत वग़ैरह को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उन्होंने फ़रमाया कि आप तवक्कल अलल्लाह इज़ाफ़ा

तैयार कर लें। इन्शाअल्लाहु तआला सब कुछ हो जाएगा। हमने अल्लाह के भरोसे पर क़लम उठाया और आम मुसलमानों के लिए जो अहम एतक़ादी मस्अले हैं, जैसा कि मुर्दे ज़िंदा हैं या नहीं और अगर ज़िंदा हैं तो सुनते है या नहीं और अगर फ़र्ज़ कर लो कि मुर्दे सुनते हैं तो कुछ कर भी सकते हैं या नहीं, इस के अलावा दूसरे नये बाब भी दर्ज कर दिये हैं और जो मस्अले इस किताब में पहले से मौजूद थे, उन में कहीं-कहीं इज़ाफ़ा भी कर दिया है। इन सारी बातों का सेहरा जनाब ज़मीर अहमद सिद्दीक़ी साहब के सर है। उन्हीं के सच्चे जज़्बे और ख़ुलूस का यह नतीजा है कि आज 'शरीअत या जहालत' आप के हाथों में इज़ाफ़े के साथ मौजूद है। इस किताब में इज़ाफ़े की शुरुआत सेठ ज़मीर अहमद सिद्दीक़ी साहब से और इस भले काम में जनाब ऐनुल्लाह जाहिद अली साहब, ज़िला बस्ती (उत्तर प्रदेश) के रहने वाले है और फ़िलहाल बम्बई के अन्दर खार में क़ियाम करते हैं, वह भी शामिल हैं। इस किताब की किताबत के लिए हम बहुत परेशान थे, कोई सही कातिब हमारी मर्ज़ी के मुताबिक़ नहीं मिल रहा था, इस बारे में हमारे बहुत ही बड़े मुख़्लिस मुह्सिन जनाब बदरुज़्ज़मां साहब जो कमरहट्टी में रहते हैं, जिनका पता अनवर आर्ट प्रेस न० 6/A कनाई सेल स्ट्रीट (ज़करिया स्ट्रीट), कलकत्ता 73 है, यह सेहरा उनके सर है। उन्होंने हम को जनाब मुंशी महमूदुल हसन साहब जैसा कातिब दिया। आप का पता मुहल्ला शेख़ाना ख़ुर्द, डाकख़ाना बिहार शरीफ़ ज़िला नालंदा, पटना के रहने वाले हैं और फ़िलहाल तांती बाग़ कलकत्ता 14 में क़ियाम करते हैं, किताबत का सेहरा आप ही के सर है। यह पूरी किताब अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से आप ही के हाथ से किताबत हुई है। इस किताब की सेहत और इस्लाह का सेहरा हमारे बहुत बड़े मुख़्लिस मुह्सिन आलिम व फ़ाज़िल मौलाना ज़मीर अहमद साहब आज़मी के सर है जो क़स्बा जलालपुर, ज़िला फ़ैज़ाबाद (उत्तर प्रदेश) में क़ियाम फ़रमां हैं।

यह किताब पहली बार दिसम्बर सन् 1962 ई० में गुजराती में छपी थी, अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से लोगों में बहुत मक़बूल हुई, फिर उर्दू में भी छपने की मांग होने लगी तो गुजराती से उर्दू में तर्जुमा करने के लिए मौलाना हाफ़िज़ अब्दुल मतीन साहब (इब्ने मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब) चुने गये। मौलाना ने बड़ी ही दयानतदारी से तर्जुमा किया और कुछ जगहों पर इस्लाह भी कर दी। आप शहर जूनागढ़ (सौराष्ट्र) के रहने वाले हैं और फ़िलहाल बंगलौर में चारमीनार मस्जिद कर्नाटक स्ट्रीट में रहते है। सन् 1965, मई महीने में यह किताब उर्दू में छप गयी।

उर्दू में किताब का मैदान में आना यह मौलाना अब्दुल मतीन ही के सर सेहरा है और गुजराती से उर्दू तर्जुमा कराने में हमारे बहुत बड़े मोहसिन अब्दुल हमीद साहब और जनाब मुहम्मद अमीन साहब ने बहुत ही बड़ी हिमायत की है। ये साहिबान शहर जुनागढ़ सौराष्ट्र ही में रहते हैं और उन्होंने मौलाना हाफ़िज़ अब्दुल मतीन साहब से उर्दू में तर्जुमा करवाया, क्योंकि मौलाना अब्दुल मतीन साहब गुजराती भाषा भी जानते थे और उर्दू अरबी के तो सुब्हानल्लाह आलिम थे और दूसरा कमाल सुनिए, मौलाना हाफ़िज़ अब्दुल मतीन साहब कातिब

भी थे और आप ही के हाथ से किताबत होकर उर्दू में छप सकी और आज तक छपती रही। किताब छपाने में पैसों की इमदाद हमारे बहुत बड़े मुख़्लिस, मोह्सिन जनाब अहमद भाई इसमाईल साहब के सर है जो भड़ौच, गुजरात प्रदेश के रहने वाले हैं, फ़िलहाल बम्बई के अन्दर जोगेश्वरी में क़ियाम कर रहे हैं। यह सेहरा आप ही के सर है। इस किताब को छपे हुए काफ़ी अर्सा हो गया और अल्लाह तआला ने हमारे इल्म में इज़ाफ़ा भी कर दिया तो हमें एहसास हुआ कि इस किताब में और ज़्यादा इज़ाफ़ा किया जाए और नये सिरे से किताबत करा के आफ़सेट पर छापा जाए। बहरहाल यह किताब अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से इज़ाफ़े के साथ छप गयी।

जनाब निज़ामुद्दीन साहब (उर्फ़ मुन्ना सेठ) ने ठीक वक़्त पर इस किताब के छपवाने में काफ़ी मदद फ़रमायी है। आप (उत्तर प्रदेश) के रहने वाले हैं, फिलहाल बम्बई में रहते हैं। अल्लाह तआला आप को हर आफ़त व बला से बचाए रखे और दोनों जहान में भली-से भली नेमतों से नवाज़े। आमीन ! हारून ट्रेडिंग कम्पनी ने ठीक वक़्त पर काफ़ी मदद फ़रमायी है। अल्लाह तआला इन साहिबों को जज़ा-ए-ख़ैर दे और भली से भली नेमतें दोनों जहान में अता फ़रमाये। आमीन!

मोह्तरम मौलाना अब्दुर्रहमान साहब हैदराबादी ने भी इस किताब की चैकिंग और मदद में बहुत बड़ा हिस्सा लिया है। आप मेरे बहुत ही बड़े मोह्सिन हैं। अल्लाह तआला आप को दोनों जहान में कामियाब रखे और भली से भली नेमतें अता फ़रमाये। आमीन !

इस किताब के लिखने में और हवाला नम्बर चेकिंग करने की ख़िदमत अंजाम देने वाले हमारे मोह्सिन मौलाना मुहम्मद इसमाईल साहब के सर है। आप पोस्ट बाग़नगर, ज़िला बस्ती (यू० पी०) के रहने वाले हैं। इस किताब की मुकम्मल सेहत में बहुत बड़ा हिस्सा हमारे साथी मुहम्मद फ़ारूक़ साहब गोरखपुरी के सर है, इस किताब के छापने में और तब्लीग़ के सिलसिले में मेरी बहुत बड़ी मदद करने वाले हमारे मुख़्लिस दोस्त जनाब अब्दुर्रशीद साहब हैं, पोस्ट वहोर, तालूका महाड, ज़िला कुलावा, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। ये चार भाई हैं और ये सब हमें दिल से चाहते हैं। अल्लाह तआला इन साहिबों की हर आफ़त व बला से हिफ़ाज़त फ़रमाये और भली से भली नेमतें अता फ़रमाये। आमीन !

इस किताब की किताबत की शुरुआत बम्बई से हुई और इस के ख़त्म का सेहरा हमारे मोह्सिन अब्दुस्सलाम लोरी वाले और नूर आलम साहिबान के सर है, ये साहिबान बेलगछिया, कलकत्ता न० 37 में रहते हैं अल्लाह तआला इन साहिबों को और उन की आल व औलाद को और तमाम बेलगछिया वालों को, मर्द व औरत और बच्चों को भली से भली नेमतें दोनों जहान में अता फ़रमाये। आमीन !

वेस्ट बंगाल में हमारे आने का सेहरा तंज़ीमे नव-जवानाने हिंद, बेलगछिया, कलकत्ता 37 के सर है।

इस किताब के छपवाने और बाइंडिंग वगैरह का इन्तिजाम हमारे बहुत बड़े मुख्लिस मुहसिन मौलाना हकीम मिस्बाहुद्दीन साहब के सर है आप का पता है **रब्बानी बुक डिपो,** कटरा शेख चांद, लाल कुआँ, दिल्ली-6, आप ही के यहां से आप साहिबान को यह किताब शरीअत या जहालत भी मिल सकती है और दूसरी बहुत सी किताबें और क़ुरआन शरीफ वगैरह ताजिराना रेट पर मिल सकते हैं।

हमने क़ुरआन करीम की अरबी आयतें इस किताब में नहीं लिखी हैं, सिर्फ़ तर्जुमे पर बस किया है। अगर कोई साहब अरबी आयतें देखना चाहें तो क़ुरआन शरीफ़ में देख लें, उस के लिए हमने जहां से आयत ली है, उस का पारा, रुकूअ और आयत नम्बर भी लिख दिया है। इसी तरह जहां से हदीस ली है, उस किताब का नाम, जिल्द, बाब, पृ० (सफ़हा) नम्बर भी दे दिया है, ताकि अगर कोई मुसलमान भाई इबारत ढूंढना चाहें तो उन्हें दिक्क़त न हो। उम्मीद है कि यह किताब आम मुसलमान भाइयों-बहनों के लिए हिदायत का ज़रिया और आख़िरत में नजात का सबब बनेगी।

आख़िर में दुआ है कि ऐ अल्लाह तबारक व तआला! अपने रहम व करम से इस किताब को क़ुबूल फ़रमा और इस किताब की किताबत व तबाअत व इशाअत में मदद करने वालों के लिए दीन और दुनिया में भलाई अता फ़रमा और आख़िरत में नजात कर सबब बना। जिसने भी इस किताब में जानी, माली या ज़ुबानी मदद की है, उस के लिए भी ऐ अल्लाह! दुनिया में रंज व ग़म से नजात और जान व माल और ईमान की सलामती अता फ़रमा और आख़िरत के लिए अपनी रहमत व मग़्फ़िरत का सबब बना और मेरी कोशिशों को अपने रहम व करम से, ऐ मेरे मौला! हमारे आम मुसलमान भाइयों और बहनों के लिए हिदायत का ज़रिया बना और मेरे लिए आख़िरत की नजात का सबब बना और मेरे मां-बाप को और मेरे सब मोह्सिनों को बख़्श दे। आमीन! सुम-म आमीन या रब्बल आलमीन!

नोट - अब अलहम्दु लिल्लाह ज़बरदस्त मक़बूलियत और मांग के सबब इस किताब का हिन्दी एडीशन पेश किया जा रहा है जिसे निहायत मेहनत और तवज्जोह से अन्जाम व तकमील तक पहुंचाने का सहरा भी जनाब हकीम मिस्बाहुद्दीन साहब रह० के साहिबज़ादों (मालिकान **रब्बानी बुक डिपो,** लाल कुआँ, दिल्ली-6) के सर हैं। अल्लाह जज़ाए ख़ैर अता फरमाये कि इन साहिबों ने जदीद कम्प्यूटर ***(लेज़र कम्प्यूटर सर्विसिज)*** पर उम्दा कम्पोज़िंग करायी और छपाई के आला मअयार को बाक़ी रखा।

आप की भली दुआओं का तालिब

मुहम्मद पालन हक़्क़ानी

(गुजराती)

तारीख : 1-9-1998

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

नह्मदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम०

अल्लाह की किताब

क़ुरआन करीम के पंद्रहवें पारे में सूरः बनी इस्राईल के नवें रुकूअ में आयत न० 82 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है।

तर्जुमा – और यह क़ुरआन जो हम नाज़िल फ़रमा रहे हैं, ईमान वालों के लिए शिफ़ा और रहमत है और ज़ालिमों के लिए घाटा और नुक़्सान ही बढ़ता है।

जो लोग इस क़ुरआन को अपना रहनुमा मानते हैं और अपने को इस किताब का अमीन समझते हैं, उन के लिए तो यह क़ुरआन रहमत और शिफ़ा है और उन की तमाम ज़ेहनी, नफ़सानी, अख़्लाक़ी बीमारियों का बेहतरीन इलाज है, पर जो ज़ालिम इस क़ुरआन के हुक्म को बकवास समझ कर इसे झुठला कर इस की हिदायत से मुंह मोड़ें, इस किताब को मानते हुए भी इस की बतायी हुई हिदायतों पर अमल न करें और अपनी मनमानी ज़िंदगी जिएं , तो गोया वे अपने आप पर ज़ुल्म कर रहे हैं, यह क़ुरआन उन को उस हालत पर भी नहीं रहने देता जो इस किताब के नाज़िल होने से पहले थी या इसके जानने से पहले थी, बल्कि यह क़ुरआन उन्हें उल्टा घाटे में और नुक़्सान में ज़्यादा बढ़ा देता हैं। इस की वजह यह है कि जब तक क़ुरआन मजीद आया नहीं था या जब तक वे क़ुरआन मजीद को जानते नहीं थे, उन का घाटा सिर्फ़ जहालत का घाटा था, पर जब क़ुरआन उन के सामने आ गया और उसने हक़ व बातिल का फ़र्क़ खोल कर रख दिया, तो उन पर ख़ुदा की हुज्जत पूरी हो गयी। अब अगर वे क़ुरआन मजीद के हुक्मों को रद्द कर के गुमराही पर अड़े रहते हैं, तो इसका मतलब यह होगा कि वे अनजान नहीं हैं, बल्कि ज़ालिम हैं, हक़ को छोड़ कर बातिल की ओर झुके जा रहे हैं। यह घाटा और नुक़्सान ही नुक़्सान है और अपने आप पर ज़ुल्म करना है।

दुनिया में इस वक़्त मुसलमान ही वह ख़ुशक़िस्मत क़ौम है, जिस के पास अल्लाह का कलाम बिल्कुल महफ़ूज़, तमाम घट–बढ़ से पाक और ठीक–ठीक उन्हीं लफ़्ज़ों में मौजूद है जिन लफ़्ज़ों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर उतरा था और दुनिया में इस वक़्त मुसलमान ही वह बद–क़िस्मत क़ौम है, जो अपने पास अल्लाह का कलाम रखती है और फिर भी उसकी बरकतों और बे–हिसाब नेमतों से महरूम है। क़ुरआन पाक हमारे पास इस लिए भेजा गया था ताकि उस को पढ़ें और समझें, उस के हुक्म के मुताबिक़ अमल करें। यह क़ुरआन हमको ख़ुदा की ज़मीन पर ख़ुदा का असली ख़लीफ़ा बनाने आया था और तारीख़ गवाह है कि जिन लोगों ने उस की हिदायत के मुताबिक़ अमल किया, तो उसने उन

को दुनिया का इमाम और पेशवा बना कर दिखा दिया।

कुरआन मजीद के अठारहवें पारे में सूर: नूर के सातवें रुकूअ में आयत नं० 55 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – जो लोग तुम में से ईमान लाए और नेक काम करते रहे, उन से ख़ुदा का वायदा है कि उन को मुल्क का हाकिम बना देगा, जैसा कि उन से पहले लोगों को हाकिम बनाया था और उन के दीन को जिसे उसने उन के लिए पसन्द किया है, मज़बूत और पायदार करेगा और डर के बाद उन को अम्न बख़्शेगा, वे मेरी इबादत करेंगे (और) मेरे साथ किसी और को शरीक न बनाएंगे और जो उस के बाद कुफ़्र करे, तो ऐसे लोग फ़ासिक़ (नाफ़रमान) हैं।

अल्लाह तबारक व तआला अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से वायदा फ़रमा रहा है कि आप की उम्मत को वह ज़मीन का मालिक बना देगा, लोगों का सरदार कर देगा, मुल्क उन की वजह से आबाद होगा, अल्लाह के बन्दे उन से दिलशाद होंगे, आज ये लोगों से लर्ज़ा–तरसां हैं, कल ये बा–अम्न व बा–इत्मीनान होंगे, हुकूमत उन की होगी, सल्तनत उन के हाथें में होगी। अल–हम्दु लिल्लाह ! यही हुआ भी (––) मक्का, ख़ैबर, बहरीन, अरब प्रायद्वीप और यमन तो स्वयं आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मौजूदगी में जीत लिये गये। हिज्र के मजूसियों ने जिज़या देकर मातहती क़ुबूल कर ली। शाम (सीरिया) के कुछ हिस्सों का भी यही हाल हुआ। शाहे रूम हिरक़्ल ने तो तोहफ़े–तहाइफ़ रवाना किये।

मिस्र के वाली ने भी ख़िदमते अक़्दस में तोह्फ़े भेजे। स्कन्दरिया के बादशाह मक़ोक़स ने और अमान के शाहों ने यही किया और इस तरह अपनी इताअ़त गुज़ारी का सबूत दिया। हब्शा के बादशाह ऊस्हमा रज़ि० तो मुसलमान ही हो गये और उन के बाद हब्शा का जो बादशाह हुआ, उसने भी सरकारे दो आलम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमते अक़्दस में बड़ी अक़ीदतमंदी के साथ तोहफ़े रवाना कियें। फिर जब कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने मोह्तरम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अपनी मेहमानदारी में बुलवा लिया, आप की ख़िलाफ़त हज़रत सिद्दीक़े अक्बर रज़ियल्लाहु अन्हु ने संभाली। जज़ीरा–ए–अरब की हुकूमत मज़बूत और मुस्तक़िल बनायी, साथ ही एक भारी लश्कर सैफ़ुल्लाह ख़ालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की सिपहसालारी में फ़ारिस के शहरों की तरफ़ भेजा, जिसने वहां फ़त्हों (विजय या जीत) का सिलसिला शुरू किया। कुफ़्र के पेड़ों को जड़ से काट दिया और इस्लामी पौधे हर ओर लगा दिये। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु वग़ैरह सरदारों के मातहत शाम के मुल्कों की तरफ़ इस्लामी फ़ौज के जांबाज़ों को रवाना फ़रमाया। उन्होंने भी वहां मुहम्मदी झंडा ऊंचा किया और सलीबी निशान (झंडे) औंधे मुंह गिराये। मिस्र की तरफ़ मुजाहिदों की फ़ौज हज़रत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु की सरदारी में रवाना फ़रमायी। बसरा, दमिश्क़, अमान वग़ैरह की जीतों के बाद आप इस दुनिया से सिधारे और ख़ुदा के इल्हामी इशारे से हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे ज़बरदस्त व ज़ोरावर हाथों में इस्लामी हुकूमत की बाग–डोर

दे गये। सच तो यह है कि आसमान तले किसी नबी के बाद ऐसे पाक ख़लीफ़ाओं का दौर नहीं हुआ। आपकी तर्बियत की ताक़त, आप की सीरत की नेकी, आप के इंसाफ़ का कमाल, आप की ख़ुदातरसी की मिसाल दुनिया में आप के बाद तलाश करना बिल्कुल बेकार और बे-फ़ायदा है। तमाम मुल्क शाम, मिस्र का पूरा इलाक़ा, फ़ारिस का अक्सर हिस्सा, आप की ख़िलाफ़त के ज़माने में जीता गया। किसरा हुकूमत के टुकड़े-टुकड़े हो गये। ख़ुद किसरा को मुंह छिपाने के लिए कोई जगह न मिली। पूरी ज़िल्लत व रुसवाई के साथ भागता फिरा। क़ैसर को फ़ना कर दिया, नाम मिटा दिया, शाम की हुकूमत से हाथ खींचना पड़ा, क़ुस्तुन्तुन्या में जाकर मुंह छिपाया। इन हुकूमतों की सदियों की दौलत और जमा किये हुए अनगिनत ख़ज़ाने अल्लाह के इन बन्दों ने नेक नफ़्स और मिस्कीन ख़स्लत बन्दों पर ख़र्च किये और ख़ुदा के वायदे पूरे हुए, जो उसने हबीबे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ज़ुबानी किये थे- सलवातुल्लाहि व सलामुहू अलैहि०

फिर हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु की ख़िलाफ़त का दौर आता है और पूरब से पश्छिम की हदों तक अल्लाह का दीन फैल जाता है। ख़ुदाई फ़ौज एक तरफ़ पूरब की हदों तक और दूसरी तरफ़ पश्चिम की इंतिहाओं तक पहुंच कर दम लेती है और इस्लाम के मुजाहिद ख़ुदा की तौहीद को दुनिया के कोने-कोने और चप्पे-चप्पे में पहुंचा देते हैं उन्दुलुस, क़ब्रस कीरवान व सब्ता, यहां तक कि चीन तक आपके ज़माने में जीत लिये गये। किसरा को क़त्ल कर दिया गया, उस का मुल्क छोड़ नाम व निशान तक मिटा दिया गया और हज़ारों वर्ष के आतिशकदे (जलायी गयी आग) बुझा दिये गये और हर ऊंचे टीले से अल्लाहु अक्बर की सदा आने लगी। दूसरी तरफ़ मदायन, इराक़, ख़ुरासान, अह्वाज़ सब फ़त्ह हो गये। तुर्कों से बहुत बड़ी लड़ाई हुई। आख़िर उन का बड़ा बादशाह ख़ाक़ान ख़ाक में मिला ज़लील व रुसवा हुआ और ज़मीन के पूर्वी और पच्छिमी कोनों ने अपने ख़राज़ (टैक्स) खिलाफ़ते उस्मानी के दरबार में पहुंचाए। हक़ तो यह है कि मुजाहिदों की इन जां-बाज़ियों में जान डालने वाली चीज़ हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की तिलावते क़ुरआन की बरकत थी। आप को क़ुरआन से ऐसा लगाव था जो बयान से बाहर है। क़ुरआन को जमा करने, उस के फैलाने, उस के संभालने में जो नुमायां ख़िदमतें तीसरे ख़लीफ़ा ने अंजाम दी, यक़ीनन उस की मिसाल नहीं मिल सकती। आप के ज़माने को देखो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की इस पेशीनगोई को देखो कि आपने फ़रमाया था-

'मेरे लिए ज़मीन समेट दी गयी, यहां तक कि मैंने पूरब व पश्चिम देख लिया, बहुत जल्द मेरी उम्मत की हुकूमत वहां तक पहुंच जाएगी, जहां तक मुझे इस वक़्त दिखाई गयी है।'

मुसलमानो! रब के उस वायदे को पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की इस पेशीनगोई को देखो, फिर तारीख़ के पन्नों को पलटो और अपनी पिछली शान व अज़्मत को देखो, आओ, नज़रें डालों कि आज तक इस्लाम का परचम, अल्लाह का शुक्र है कि बुलंद है और मुसलमान उन मुजाहिदों की जीती ज़मीनों में शाहाना हैसियत से चल-फिर रहे हैं। अल्लाह और उस

के र सूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सच्चे हैं। मुसलमानो ! अफ़सोस और सैकड़ों बार अफ़सोस। उस पर जो क़ुरआन व हदीस के दायरे से बाहर निकले। हसरत और सैकड़ों बार हसरत उस पर जो अपने बाप दादों के ज़खीरों को ग़ैर के हवाले करे। अपने बाप दादों के ख़ून के क़तरों से ख़रीदी हुई चीज़ों को अपनी नालायकियों और बे-दीनियों से ग़ैर की भेंट चढ़ा दे और सुख से बैठा-लेटा रहे। अल्लाह हमें कामिल ईमान अता करे। अल्लाह हमें सच्चा ज़ौक़ दे। अल्लाह हमें इस्लाम का सिपाही बना। अल्लाह हमें अपनी फ़ौज की तौफ़ीक़ दे। ऐ अल्लाह! हमें अपना सिपाही बना ले। आमीन ! आमीन !

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 18, पृ० 76, सूरः नूर के सातवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

हमारे यहां इस के सिवा और कुछ नहीं रहा कि घर में क़ुरआन करीम को रख कर जिन्न-भूत भगाएं या उस की आयतों को लिख-लिख कर गले में बांधे या धो-धो कर घोल-घोल कर पिएं या क़ुरआन करीम की आयतों का मतलब ग़लत-सलत बयान करके अनपढ़ और भोले इंसानों को गुमराह करें या सिर्फ़ सवाब के लिए पढ़ लिया करें। अब हम इस से अपनी ज़िंदगी के मामलों में हिदायत नहीं मांगते। यह उससे नहीं पूछते कि हमारे अक़ीदे क्या होने चाहिएं, हमारे अमल कैसे होने चाहिएं, हम ज़िंदगी कैसे बसर करें, दोस्ती और दुश्मनी में किस क़ानून की पाबन्दी करें। ख़ुदा के, बन्दों के और ख़ुद अपने नफ़्स के हक़ हम पर क्या हैं और उन्हें कैसे अदा करें हमारे लिए हक़ क्या है और बातिल क्या है? हम इताअत किस की करें और ना-फ़रमानी किस की करें और ताल्लुक़ात किस से रखें और किस से ताल्लुकात न रखें? दोस्ती किससे करें और दुश्मन किस को समझे? हमारे लिए इज़्ज़त और नफ़ा किस चीज़ में हैं और ज़िल्लत, नामुरादी और नुक़सान किस में हैं? ये सारी बातें बहुत-से मुसलमानों ने क़ुरआन शरीफ़ से पूछनी छोड़ दी हैं। अब ये गुमराह और खुदग़रज़ लोगों से जेबभरू पीरों और पेटभरू मौलवियों नफ़्स परस्त मुजाविरों या खुद अपने नफ़स के शैतान से पूछते हैं और उन्हीं के कहने पर चलते हैं अब ख़ुदा और उस के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के क़ानून को छोड़ कर दूसरों के कहने पर चलने का जो अंजाम होना चाहिए, वही हुआ और हो रहा है।

क़ुरआन करीम के पन्द्रहवें पारे में सूरः बनी इस्राईल के पहले रुकूअ में आयत नं० 9 और 10 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - यक़ीनन यह क़ुरआन वह रास्ता दिखाता है जो बहुत ही सीधा है और ईमान वालों को जो नेक अमल करते हैं, इस बात की ख़ुशख़बरी देता है कि उन के लिए बहुत बड़ा बदला है और जो लोग आख़िरत पर यक़ीन नहीं रखते हैं, उनके लिए हमने दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है।

अल्लाह तबारक व तआला अपनी पाक किताब की तारीफ़ में फ़रमाता है कि यह क़ुरआन बेहतरीन राह की तरफ़ रहनुमाई करता है, ईमानदार, जो ईमान के मुताबिक़ फ़रमाने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर अमल करते हैं, उन्हें यह खुशख़बरियां सुनाता है कि उनके

लिए ख़ुदा के पास बहुत बड़ा बदला है, उन्हें अनगिनत सवाब मिलेगा और जो ईमान से खाली हैं, उन्हें यह क़ुरआन क़ियामत के दिन दर्दनाक अज़ाबों की ख़बर देता है।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा पन्द्रह, पृ० 28, सूरः बनी इस्राईल के पहले रुकूअ की तफ़्सीर में।

मेरे मोह्तरम साहब ! आप के पास अगर कोई ख़त ऐसी ज़ुबान में आए, जिस को आप जानते नहीं हैं तो आप फ़ौरन चल देगें और उस ज़ुबान को जानने वाले से उस ख़त का मतलब पूछेंगे। जब तक आप उस ख़त के मतलब को नहीं समझेंगे, आप को चैन नहीं आएगा। ये मामूली कारोबार के ख़तों के साथ आप का बर्ताव है, मगर खुदावन्दे आलम का जो ख़त आप के पास आया हुआ मौजूद है और उस में आप के लिए दीन व दुनिया के तमाम फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, उसको अपने पास यों ही रख छोड़ा है। उस का मतलब समझने के लिए कोई बेचैनी आप में पैदा नहीं हुई, क्या यह हैरत और ताज्जुब की बात नहीं है?

यह किताब तो हमें ख़ुदा और ख़ुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़ुशनूदी हासिल करवाने के लिए आयी थी, जन्नत की ख़ुशख़बरी देने आयी थी, दोज़ख़ की आग से बचाने के लिए आयी थी, क़ब्र और हश्र के अज़ाब से ख़लासी दिलाने के लिए आयी थी, दीन व दुनिया में सुर्ख़रू बनाने आयी थी, कुफ्र और शिर्क के अन्धेरे से निकालने के लिए आयी थी, बिद्अत और बुतपरस्ती के फंदे से आजाद कराने आयी थी, इस्लाम का सीधा और साफ़ रास्ता बताने आयी थी, दुनिया ए जहान का ख़लीफ़ा और इमाम बनाने आयी थी, काफ़िर, मुश्रिक, मुनाफ़िक़ और गुमराहों को हक़ का पैग़ाम सुनाने आयी थी, हर एक इंसान को हमेशा की सआदत दिलाने आयी थी।

यह क़तई ना–मुम्किन बात है कि कोई क़ौम ख़ुदा की किताब की हामिल हो और दुनिया में ज़लील व रुसवा हो, दूसरों की मह्कूम हो, पांव से रौंदी जाती हो, जूतियों से ठुकरायी जाती हो उसके गले में ग़ुलामी का फंदा हो और ग़ैरों के हाथों में उसकी बागें हों और वे उनको इस तरह हांकें, जैसे जानवर हांके जाते हैं। यह अंजाम उस वक़्त होता है,जब वह अल्लाह के कलामे पाक पर ज़ुल्म करती है।

क़ुरआन करीम के सत्ताइसवें पारे में सूरः क़मर के पहले रुकूअ में आयत नं० 17 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – हमने क़ुरआन को लोगों की नसीहत के लिए आसान कर दिया है, तो है कोई नसीहत लेने वाला।

अल्लाह तआला तो हम लोगों को नसीहत हासिल करने के लिए क़ुरआन करीम में जगह–जगह ताकीद और ऐलान कर रहा है, फिर भी हम लोग क़ुरआन पाक जैसी नेमत से मुंह फेरे रहेंगे और नसीहत नहीं लेंगे और अपने जाहिल बाप–दादा की बुरी रस्म व रिवाज को निभाते

रहेंगे, तो बद-नसीब हम ही रहेंगे।

क़ुरआन करीम के उन्नीसवें पारे में सूरः फ़ुर्क़ान के तीसरे रुकूअ में आयत नं० 30 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - रसूल कहेगा, ऐ मेरे पालनहार! मेरी उम्मत के लोगों ने इस क़ुरआन को छोड़ रखा था।

क़ियामत वाले दिन अल्लाह के सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपनी उम्मत की शिकायत जनाबे बारी में करेंगे कि ये लोग न तो क़ुरआन की तरफ़ झुकते थे और न चाव से क़ुबूलियत के साथ सुनते थे, बल्कि औरों को भी उसके सुनने से रोकते थे, इस क़ुरआन पर ईमान नहीं लाते थे, न इसे सच्चा जानते थे, न इसमें ग़ौर व फ़िक्र करते थे, न इसे समझने की कोशिश करते थे, न इस पर अमल करते थे, न इस के हुक्मों की पाबंदी करते थे न इस के मना किये हुए कामों से रुकते थे, बल्कि इस के बजाए दूसरे कामों में लगे रहते थे, जैसे शेर व अश-आर, ग़ज़लियात, बाजे-गाजे, राग और रागनियां, इसी तरह और लोगों के कलाम से दिलचस्पी लेते थे और उन कामों पर अमल करते थे।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 19, पृ० 6, सूरः फ़ुर्क़ान के तीसर रुकूअ की तफ़्सीर में।

प्यारे मुसलमानो! ज़रा सोचने का मौक़ा है। जब हज़रत मुहम्मद मुस्तुफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम क़ियामत के दिन ख़ुदा के सामने यह बात कहेंगे, तो उस वक़्त हमारे पास क्या जवाब होगा। शफ़ाअत की जगह शिकायत होगी। उस वक़्त किताबे इलाही पर अमल न करने वालों के चेहरे उतर जाएंगे और जवाब देना भारी पड़ जाएगा।

क़ुरआन करीम के उन्नीसवें पारे में सूरः शुअरा के ग्यारहवें रुकूअ में आयत नं० 216 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - (ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम!) अगर नाफ़रमानी करें तेरी तो कह दे कि तह्क़ीक़, मैं बेज़ार हूं उन कामों से जो तुम कर रहे हो।

जिन कामों के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कोई हुक्म नहीं, जिन कामों के बारे में करने या न करने पर कोई फ़त्वा नहीं, उन कामों को हम मज़हब की बुनियाद समझें और जिन कामों पर मज़हब की बुनियाद है, उनसे हम लापरवाई बरतें, तो इस का अंजाम हम ही को भुगतना पड़ेगा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इस के ज़िम्मेदार नहीं हैं।

सच्चाई और सच्ची बात कहना

क़ुरआन शरीफ़ के ग्यारहवें पारे में सूरः तौबा के पन्द्रहवें रुकूअ में आयत नं० 119 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा – ऐ ईमान वालो ! अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो।

हदीस – हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि सच्चाई नेकी की तरफ़ ले जाती है और नेकी जन्नत की तरफ़ ले जाती है और आदमी सच बोलता है, यहां तक कि उस का नाम सच्चों में लिख लिया जाता है और झूठ इंसान को फ़ुजूर और बद-कारी की तरफ़ ले जाता है और बदकारी दोज़ख़ में ले जाती है और आदमी झूठ बोलता है, यहां तक कि ख़ुदा के यहां उस का नाम झूठों में लिख लिया जाता है।

हवाला 1. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 184, हदीस 895, बाब 413, किताबुल अदब,
2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 700, हदीस 4585, ग़ीबत का बयान,
3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 94, आदाब के बयान में।

क़ुरआन शरीफ़ के पांचवें पारे में सूरः निसा के बीसवें रुकूअ में आयत नं० 135 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – ऐ ईमान वालो ! इंसाफ़ पर क़ायम रहो और ख़ुदा के लिए सच्ची गवाही दो, चाहे (इस में) तुम्हारा या तुम्हारे मां-बाप और रिश्तेदारों का नुक़्सान ही हो। अगर कोई अमीर हो या फ़क़ीर तो ख़ुदा उन का भला चाहने वाला है, तो तुम नफ़्स की ख़्वाहिशों के पीछे चल कर इंसाफ़ को न छोड़ देना, अगर तुम पेचदार गवाही दोगे (या गवाही से बचना चाहोगे) तो (याद रखो कि) ख़ुदा तुम्हारे सब कामों को जानता है।

अल्लाह तआला ईमान वालों को हुक्म दे रहा है कि वे अद्ल और इंसाफ़ पर मज़बूती से जमे रहें, उस से एक इंच इधर-उधर न सरकें, ऐसा न हो कि किसी के डर से या किसी लालच की वजह से, ख़ुशामद से या किसी पर रहम खाकर या किसी की सिफ़ारिश से, अद्ल और इंसाफ़ को छोड़ बैठें। सब मिल कर अद्ल को क़ायम रखें। एक दूसरे की इस मामले में मदद करें और मख़्लूक़े ख़ुदा में अद्ल के सिक्के जमा दें। गवाहियां अल्लाह ही की रज़ा हासिल करने के लिए दो। जो बिल्कुल सही, साफ़, सच्ची और बे लाग हो, बदलो नहीं, छिपाओ नहीं, चबाकर न बोलो, साफ़-सच्ची गवाही दो, चाहे वह तुम्हारे अपने ख़िलाफ़ हो, तुम सच कहने से न रुको और यक़ीन मानो कि अल्लाह तआला अपने फ़रमांबरदार ग़ुलामों की मुख़्लिसी (यानी छुटकारा) और निजात की बहुत-सी शक्लें निकाल देता है। कुछ इसी पर मौक़ूफ़ नहीं कि झूठी गवाही से ही उसका छुटकारा होगा, चाहे सच्ची गवाही मां-बाप के ख़िलाफ़ हो या उससे रिश्तेदारों को नुक़्सान होता हो, लेकिन तुम सच को हाथ से न जाने दो, गवाही सच्ची दे दो, इसलिए कि हक़ हर एक पर हाकिम है। गवाही के वक़्त न मालदारी का लिहाज़ करो, न ग़रीब पर रहम करो, उन की मस्लहतों को ख़ुदा तुम से बहुत बेहतर जानता है। तुम हर शक्ल और हर

हाल में सच्ची गवाही दो। देखो किसी की बुराई में आकर तुम ख़ुद अपना बुरा न कर लो, किसी की दुश्मनी में, अस्बियत और क़ौमियत में फ़ना होकर अद्ल और इंसाफ़ को हाथ से न छोड़ बैठो, बल्कि हर हाल, हर आन इंसाफ़ का, अद्ल का मुजस्समा बने रहो।

हवाला तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 5, पृ० 114 सूरः निसा के बीसवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

हज़रत हसन बसरी रह्मतुल्लाहि अलैहि० फ़रमाते हैं कि अगर सच्चों के साथी बनना चाहते हो, तो दुनिया में बे-परवाई से रहो और मुसलमानों को न सताओ और लोगों से मेल-जोल कम करो।

हवाला तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 11, पृ० 30, सूरः तौबा के पन्द्रहवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

क़ुरआन करीम से छठे पारे में सूरः माइदा के दूसरे रुकूअ में आयत नं० 8 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा – ऐ ईमान वालो ! अल्लाह के लिए पूरी पाबन्दी के साथ सच्ची और सही गवाही दिया करो। किसी क़ौम की दुश्मनी या किसी गिरोह की दुश्मनी या किसी इंसान की दुश्मनी तुम को इस बात पर मजबूर न करे कि तुम इंसाफ़ को छोड़ बैठो। इसी का नाम तक़्वा है और अल्लाह तआला से डरो। बेशक अल्लाह तआला तुम्हारे हर अमल की ख़बर रखता है।

अल्लाह तआला ईमान वालों को समझा रहा है कि देखो, इंसाफ़ को हाथ से जाने न दो, किसी क़ौम की दुश्मनी या किसी गिरोह की दुश्मनी या किसी इंसान की दुश्मनी तुम को इस बात पर मजबूर न करे कि तुम इंसाफ़ को छोड़ बैठो।

शीआ-सुन्नी की दुश्मनी, देवबन्दी और बरेलवी की दुश्मनी, मुक़ल्लिद और ग़ैर-मुक़लिल्द की दुश्मनी, हिन्दु व मुस्लिम नाम की दुश्मनी तुम को इस बात पर मजबूर न करे कि तुम इंसाफ़ को छोड़ बैठो। तुम इंसाफ़ ही करो, चाहे कुछ भी हो। इसी का नाम तक़्वा और परहेज़ागारी है।

अगर हमने ज़रा-सी ठोकर खायी या किसी की ज़र्रा बराबर भी ग़लत तरफ़दारी की, हक़ को दबा कर बातिल की तरफ़दारी की, तो याद रखो, अल्लाह तआला हमारे हर अमल को जानता है। हम दुनिया वालों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन ख़ुदा को धोखा नहीं दे सकते। इसी बात को नज़र के सामने रख कर अल्लाह तआला के वास्ते अगर ईमान वाले हो, तो सच्ची गवाही दो। अल्लाह का सवाल ईमान वालों से है बे-ईमानों से नहीं है। समझे मेरे भोले भैया कि और समझाऊं?

क़ुरआन करीम के बाईसवें पारे में सूरः अहज़ाब के नवें रुकूअ में आयत नं० 70 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा – ऐ ईमान वालो ! अल्लाह तआला से डरो और जब बात करो, सही करो।

अल्लाह तआला ईमान वालों से फ़रमा रहा है कि तुम जहां बोलो, जब भी बोलो, सच

और सही बोलो। अगर हम सच और सही बोलेंगे, तो अल्लाह तआला हम से वायदा फ़रमा रहा है।

क़ुरआन करीम के बाईसवें पारे में सूर: अह्ज़ाब के नवें रुकूअ में आयत नं० 71 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – तुम्हारे आमाल को सही कर देगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा, जो इन्सान अल्लाह और उसके रसूल के कहने पर चलेगा, वह बड़ी कामियाबी को पहुंचा।

अल्लाह तआला फ़रमा रहा है कि ऐ ईमान वालो! तुम सच बोलो तो मैं तुम्हारे आमालनामे को ठीक और सही कर दूंगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा और जो इंसान अल्लाह और उस के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कहने पर चलेगा, वह दुनिया में भी कामियाब होगा और आख़िरत में भी कामियाब होगा।

झूठ बोलना तमाम गुनाहों की जड़ है। एक झूठ छिपाने के लिए दस और झूठ बोलने पड़ते हैं और दस झूठ छिपाने के लिए एक सौ झूठ बोलने की नौबत आ जाती है, इसलिए ईमान वालों को अल्लह तआला का हुक्म है कि तुम सच बोलो, चाहे कुछ भी हो।

शरीअत या जहालत

क़ुरआन शरीफ़ के तीसरे पारे में सूर: बक़र: के सैंतीसवें रुकूअ में आयत नं० 269 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – वह जिसे चाहे हिक्मत और दानाई देता है और जो हिक्मत और समझ दिया जाए, वह बहुत सारी भलाई दिया गया। नसीहत सिर्फ़ अक़्लमंद ही हासिल करते हैं।

हिक्मत से मुराद यहां पर क़ुरआन करीम और हदीस शरीफ़ की पूरी महारत है, जिस से नासिख़, मंसूख़, मुहकम, मु–त–शाबेह, मुक़द्दम–मुअख़्ख़ार, हलाल, हराम की और मिसालों की मअरिफत हासिल हो जाए। पढ़ने को तो इसे हर बुरा भला पढ़ता है, लेकिन इस की तफ़्सीर और इस की समझ वह हिक्मत है, जिसे ख़ुदा चाहता है, इनायत फ़रमाता है कि वह असल मतलब को पा ले और बात की तह को पहुंच जाए और ज़ुबान से उसका सही मतलब अदा हो, सच्चा इल्म, सही समझ उसे अता हो, अल्लाह का डर उसके दिल में हो।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 3, पृ० 21 सूर: बक़र: के सैतीसवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

हदीस – हज़रत मुआविया रज़ि० अन्हु फ़रमाते हैं, फ़रमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि जिस आदमी के साथ ख़ुदावन्द तआला भलाई का इरादा करता है, उसको दीन की समझ अता फ़रमा देता है। (मुख़्तसर)

हवाला 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 113, हदीस 188, किताबुल इल्म।
2. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 103, हदीस 505, अब–वाबुल इल्म।

क़ुरआन करीम के इक्कीसवें पारे में सूर: रूम के चौथे रुकूअ में आयत नं० 30 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – पस तू यकसू होकर अपना मुंह दीन की तरफ़ मुतवज्जह कर दे, ख़ुदा की वह फ़ितरत जिस पर उसने लोगों को पैदा किया है। अल्लाह के बनाये को बदलना नहीं, बस सीधा दीन यही है, लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते।

मिल्लते इब्राहीम हनीफ़ पर जम जाओ। जिस दीन को अल्लाह तआला ने तुम्हारे लिए पसन्द कर लिया है और जिसे ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! आपके हाथ पर ख़ुदा–ए–करीम ने कमाल को पहुंचाया है, रब की फितरते सलीमा पर वे ही क़ायम हैं जो इस दिन इस्लाम के पाबन्द है यानी तौहीद पर हैं। रब ने तमाम इंसानों को बनाया है, रोज़े अव्वल में इसी का सब से इक़रार करा लिया गया था कि क्या मैं तुम सब का रब नहीं हूं, तो सबने इक़रार किया कि बेशक तू ही हमारा रब है। ख़ुदावन्दे करीम ने अपनी सारी मख़्लूक़ को अपने सच्चे दीन पर पैदा किया है, गो कि उसके बाद लोग यहूदियत और नस्रानीयत वग़ैरह पर चले गये। लोगो ! ख़ुदा की इस फ़ितरत को न बदलो, लोगों को राहे हक़ से न हटाओ।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 21, पृ० 29 सूर: रूम के चौथे रुकूअ की तफ़्सीर में।

हदीस – हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, हर बच्चा फ़ितरत (इस्लामिया) पर ही पैदा होता है, फिर उस के मां–बाप उस को यहूदी, ईसाई, मजूसी बना देते हैं, जैसे जानवरों को सालिम बच्चा पैदा होता है, तो क्या तुम उन में कानफटा देखते हो, (नहीं, बल्कि वे सही व सलामत होते हैं) फिर लोग उनके कान वग़ैरह चीर डालते हैं। ऐसे ही इंसानों का बच्चा फ़ितरत (इस्लामिया) पर पैदा होता है, आप ने वही आयत पढ़ी जो ऊपर है।

हवाला 1. बुख़ारी शरीफ़ जिल्द दोम, पारा 19, पृ० 554, हदीस 1878, सूर: रूम की तफ़्सीर में,
2. मुस्लिम शरीफ़ जिल्द 2, पृ० 192, हदीस 937, बाब 441, किताबुल क़द्र,
3. तिर्मिज़ी शरीफ़ जिल्द 2, पृ० 2 हदीस 6, तक़्दीर के बाब में,
4. मिश्कात शरीफ़ जिल्द 1, पृ० 96, हदीस 83, तक़्दीर के बाब में।
5. मज़ाहिरे हक़ जिल्द 1, पृ० 52, किताबुल ईमान।

मुस्नद अहमद के हवाले से लिखा है कि हज़रत अस्वद बिन सरीअ़ रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि मैं रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आया और आपके साथ मिल कर कुफ़्फ़ार से जिहाद किया, वहां हम अल्लाह के फ़ज़्ल से ग़ालिब आ गये। उस दिन लोगों ने

बहुत से काफ़िरों को क़त्ल किया, यहां तक कि छोटे-छोटे बच्चों को भी क़त्ल कर दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को जब इस बात का पता चला तो आप बहुत नाराज़ हुए और फ़रमाने लगे, यह क्या बात है कि लोग हद से आगे निकल जाते हैं, आज बच्चों को भी क़त्ल कर दिया। किसी ने कहा या रसूलल्लाह सल्लुल्लाहु अलैहि व सल्लम ! आख़िर वे भी तो मुश्रिकों की ही औलाद थे? आप ने फ़रमाया, नहीं, नहीं ! याद रखो तुम में से बेहतरीन लोग मुश्रिकों ही की तो औलाद हैं। ख़बरदार ! बच्चों को कभी क़त्ल न करना। लोगों ! छोटे बच्चों के क़त्ल से रुक जाना। हर बच्चा फ़ितरत (इस्लामिया) पर पैदा होता है, यहां तक कि अपनी ज़ुबान से बोलने लगे, फिर उसके मां बाप उसे यहूदी व नस्रानी (ईसाई) बना लेते हैं।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर पारा 21, पृ० 29, सूरः रूम के चौथे रुकूअ की तफ़्सीर में।

मेरे अज़ीज़ दोस्त ! क़ुरआन और हदीस से तो यह साबित हो रहा है कि हर बच्चा पैदा होते वक़्त मुसलमान होता है, फिर अपने मां-बाप की बुरी तालीम की वजह से यहूदी, नस्रानी या मुश्रिक बन जाता है। इसी तरह एक आदमी मुसलमान होने के बावजूद भी रस्मों की पाबन्दी या माहौल की ख़राबी या नफ़्सानी ज़िद की वजह से इस्लाम के तरीक़े से निकल जाता है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वफ़ात को क़रीब-क़रीब चौदह सौ साल होने को आते हैं, मगर अल्लाह का करम देखिए कि आज तक शरीअत नहीं बदली, बल्कि अपनी असली हालत पर क़ायम है और इन्शाअल्लाह तआला क़ियामत तक रहेगी, रहीं जहालत की रस्में, तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों ! वे बदलती रहती हैं। आप देखिए, अमरीका में कुछ रिवाज हैं तो रूस में कुछ और है, जर्मनी में कुछ और रिवाज हैं तो जापान में कुछ और हैं और हमारे हिन्दुस्तान ही को देख लो, एक ही मुल्क है, लेकिन देहातों, क़स्बों और शहरों में अलग-अलग रस्म व रिवाज हैं, यह है हमारी जहालत ।

यहां एक सवाल आपके मन में पैदा हुआ होगा कि फिर ये मुसलमान भाई रस्मों को छोड़ते क्यों नहीं? जवाब है कि जो आदमी रस्मों में पैदा हुआ और जवान भी उसी में हुआ और मरते दम तक बे-इल्मी की वजह से रस्मों की पाबन्दी करता रहा, इसी तरह कई नस्लें ख़त्म हो जाने पर वह रस्में दिल के अन्दर घर कर जाती हैं, जैसे किसी कपड़े में फूल रख देने से कुछ देर के बाद उस कपड़े में ख़ुश्बू पैदा हो जाती है, इसी तरह लोहे को कुछ देर आग में रख देने के बाद उस में आग पैदा हो जाती है। यही हालत रस्मपरस्तों की होती है, रस्मों में पैदा होने वालों में से जिसको अल्लाह तआला बचाना चाहता है, उस को बचा लेता है।

मेरी अपनी पैदाइश भी रस्म व रिवाज वाले ख़ानदान में हुई और मैं जवान भी उन्हीं में हुआ। कुछ थोड़ा-सा दीन का इल्म हासिल किया था, जिस की वजह से मैं छोटी-छोटी किताबें पढ़ने लगा और इन किताबों में क़रीब-क़रीब मेरे ख़्याल की रस्में जायज़ लिखी हुई नज़र आती थीं। इसी बीच देवबन्दी और बरेलवी आलिमों में मस्अले-मसाइल के अन्दर बड़ी घमाघमी हुई। हर एक तरफ़ से अपनी सच्चाई का सबूत देने के लिए काफ़ी परचे यानी हैंडबिल छपवा-छपवा

कर बांटे जाते थे। इस झगड़े ने मेरे दिल पर काफ़ी असर किया। दिल में यह फ़ैसला कर लिया कि किसी एक फ़िर्के की किताबें न पढ़नी चाहिएं, बल्कि वे किताबें पढ़नी चाहिएं, जो हनफ़ी मस्लक में मोतबर और मुस्तनद मानी जाती हैं और जिस वक़्त देवबन्दियत और बरेलवियत का जन्म भी नहीं हुआ था, उस वक़्त की किताबें देखना चाहिएं और अपनी ज़ात से ख़ुद तह्क़ीक़ करनी चाहिए ताकि मालूम हो जाए कि शरीअत क्या है और जहालत क्या है?

मेरी उम्मीद के मुताबिक़ अल्लाह तआला की रहमत ने मेरा साथ दिया, यानी जो किताबें हिन्दुस्तान में फ़िलहाल मिलनी मुश्किल हैं, वे अपने आप मिलने लगीं, फिर तो रात दिन मसाइल की तहक़ीक़ात में लगा रहा, मगर मेरे अज़ीज़! मैं क्या कहूं, मैंने जो भी पन्ना खोला, मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मामला निकला, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई, क्योंकि मैं अपने आप को अब तक रसूलुल्लाह सल्ललाहु अलैहि व सल्लम से मुहब्बत करने वाला ही समझता था। अब क्या किया जाए, एक तरफ़ तो शरीअत है और दूसरी तरफ़ जहालत से भरा हुआ माहौल। पस ऐसी परेशानी में मेरे मालिके मुख़्तार ने अपने रहम व करम से शरीअते मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की समझ मेरे मन में पैदा कर दी और एक जोश भी पैदा कर दिया कि हक़ का ऐलान ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को जब नुबुव्वत मिली और कलिमा-ए-हक़ का एलान किया तो उस वक़्त भी उस ज़माने का माहौल और समाज जहालत में डूबा हुआ था, मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ख़ुदा पर भरोसा करके उठे, हिदायत व तब्लीग़ का काम जारी रखा और किसी से न दबे न किसी क़िस्म का दुनियावी लालच और तमन्ना की। मुझे भी वही सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की याद आ गयी। मैंने भी ख़ुदा के भरोसे पर अह्द कर लिया कि जब तक तन में जान है मुसलमान भाइयों को समझाने की कोशिश की जाए। जब मैं अपने काम में मश्ग़ूल हुआ तो सबसे पहले वास्ता उन लोगों से पड़ा जो वर्षों से जाहिलों की इमामत करते थे और मौलवी कहलाते थे और दूसरा वास्ता उन साहिबों से पड़ा जो हर साल इन जाहिलों से नज़रानों के नाम पर काफ़ी रक़म वसूल करके अपने आप को पीर और सैयद कहते थे और उसी पर उनका गुज़ारा रहता है।

'हां, यह जो पीरज़ादे ख़ानदानी धंधा समझ कर खाने-कमाने के लिए बैअत कर लेते हैं और शरीअत से अलग रास्ता चलते हैं, यह बिल्कुल बे-असल काम है।'

हवाला – तफ़्सीरे हक़्क़ानी ,जिल्द 6, पृ० 288, सूरः फ़त्ह के पहले रुकूअ की तफ़्सीर में।

ऐसे मौलवी और पीरज़ादे गुमराह होते हैं। पहली उम्मतों में भी इसी तरह होता रहा है, जिसका बयान इन्शाअल्लाहु तआला आगे पूरी तफ़्सील से क़ुरआनी आयतों के साथ आएगा। यह मौलवी और पीर दोनों बे-इल्म और बे-अमल होते हैं। अगर किसी में इल्म होता भी है, तो उस में नफ़्सानियत आ जाती है, जिसकी वजह से वह भी जाहिलों की हां में हां मिलाता रहता है, क्योंकि उसी में उस की कमाई होती है। यह हराम की कमाई खाने वाले तो क़ियामत तक रहेंगे और क़ियामत उस वक़्त तक नहीं आएगी, जब तक लोग दीन पर अमल करना बिल्कुल न छोड़ दें और दीन धीरे-धीरे मिटते-मिटते सिर्फ़ मक्का और मदीना ही में रह जाएगा।

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि-

ईमान मदीने की तरफ़ इस तरह सिमट कर आ जाएगा, जिस तरह सांप अपने सूराख़ की तरफ़ आ जाता है।

हवाला, 1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 7, पृ० 420, हदीस 1731, फ़ज़ाइले मदीना में,

2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 108 हदीस 151, सुन्नत के बयान में,

3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 75, किताबुल ईमान।

जो इंसान अपने आप को मुसलमान कहता हो और उस के सामने कोई मस्अला आए और उस के समझने में उलझन-सी महसूस हो या किसी से बहस हो जाए या आपस में इख़्तिलाफ़ पैदा हो जाए, तो उस वक़्त उस को क्या करना चाहिए? उस का हुक्म क़ुरआन में हो रहा है-

क़ुरआन करीम के पांचवें पारे में सूर: निसा के आठवें रुकूअ में आयत न० 59 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है।

तर्जुमा .- ऐ ईमान वालो ! तुम अल्लाह का कहना मानो और रसूल का कहना मानो और तुम में जो लोग हुकूमत के लोग हैं, उनका भी, फिर अगर किसी बात में आपस में इख़्तिलाफ़ करने लगो, तो उस बात को अल्लाह और उसके रसूल के हवाले कर दो। वहां से जो हुक्म मिले, उस को बग़ैर चूं-चरा किये मान लो। अगर तुम अल्लाह पर और क़ियामत के दिन पर ईमान रखते हो (तो इतना करो)। यह काम भी अच्छा है और उन का अंजाम भी अच्छा है।

अल्लाह तआला का यह हुक्म ईमान वालों को हो रहा है, बे ईमान के लिए नहीं है, यानी आप साहिबान जिस बात में लड़-झगड़ रहे हो, जिस बात में इख़्तिलाफ़ हो गया हो, जिस बात में झगड़ा पैदा हो गया हों, जिस बात में तू-तू मैं-मैं कर रहे हो, उस बात को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तरफ़ लौटा दो, वहां से जो हुक्म मिले बग़ैर चूं-चां किये दिल व जान से मान लो, अगर अल्लाह पर और आख़िरत पर ईमान रखते हो, तो इतना करो, यह काम भी अच्छा है कि और इसका अंजाम भी अच्छा है, अगर तुम समझ सको।

हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में ही दो जमाअतें हो गयी थीं। एक जमाअत ईमान का इक़रार भी करती थी, उसके साथ साथ अल्लाह और उस के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बातों पर अमल भी करती थी और एक जमाअत ईमान का इक़रार तो करती थी, लेकिन दिल से नहीं, सिर्फ़ ज़ुबान का इक़रार था और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बातों पर अमल नहीं था, बल्कि इंकार था।

यह एक मुस्तक़िल जमाअत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में भी थी और आज भी है और क़ियामत तक रहेगी। इस जमाअत का काम क़ुरआन व हदीस के ख़िलाफ़

अमल करना और हक़ परस्तों को काफ़िर, वहहाबी कहना और ईमानदारी का दावा भी करते रहना, यह उन का मुस्तक़िल काम है। अगर ये लोग ईमानदारी का दावा न करें, तो उन का धोखा देने वाला मसलक चल ही नहीं सकता। इस फ़रेब देने वाली जमाअत का ज़िक्र अल्लाह तआला क़ुरआन करीम में फ़रमाता है, देखो-

क़ुरआन करीम के अठारहवें पारे में सूरः नूर के छठे रुकूअ में आयत न॰ 48 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है।

तर्जुमा – ये लोग जब अल्लाह और उसके रसूल सल्ल॰ की तरफ़ इस ग़रज़ से बुलाये जाते हैं कि रसूल सल्ल॰ उनके दर्मियान फ़ैसला कर देवें तो उनमें का एक गिरोह इंकार कर जाता है।

अगर उन्हें शरई फ़ैसले में अपना नफ़ा नज़र आता हो, तो लम्बे-लम्बे कलिमे पढ़ते हुए, गरदन हिलाते हुए हंसी-ख़ुशी चले आएंगे और जब मालूम हो जाए कि शरई फ़ैसला उन की तबई ख़्वाहिश के ख़िलाफ़ है, दुनियवी मफ़ाद के मुख़ालिफ़ है, तो मुड़ कर हक़ की तरफ़ देखेंगे भी नहीं, पस ऐसे लोग पुख़्ता काफ़िर हैं। इसलिए कि तीन हाल से ख़ाली नहीं-

1- या तो यह कि उन के दिलों में ही बे-ईमानी घर कर गयी है,

2- या उन्हें अल्लाह के दीन के हक़ होने में शक है,

3- या ख़ौफ़ है कि कहीं ख़ुदा व रसूल उनका हक़ न मार लें, उन पर ज़ुल्म व सितम करें और ये तीनों सूरतें कुफ़्र की हैं। अल्लाह उन में से हर एक को जानता हैं। जो जैसा बातिन में है, उस के पास वह ज़ाहिर है। असल में यही लोग फ़ाजिर हैं, ज़ालिम हैं, ख़ुदा और रसूले ख़ुदा इससे पाक हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में ऐसे काफ़िर जो ज़ाहिर में मुसलमान थे, उन्हें जब अपना मतलब क़ुरआन व हदीस में निकलता नज़र आता तो ख़िदमते नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम में अपने झगड़े पेश करते थे और जब अपना मतलब नज़र नहीं आता तो सरकारे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम में आने से साफ़ इंकार कर जाते थे।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 18, पृ॰ 74, सूरः नूर के छठे रुकूअ की तफ़्सीर में।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

जिन दो आदमियों में कोई झगड़ा हो और वह इस्लामी हुक्म के मुताबिक़ फ़ैसले की तरफ़ बुलाया जाए और वह उस से इंकार कर दे, वह ज़ालिम है और ना हक़ पर है।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कीर 18, पृ॰ 74, सूरः नूर के छठे रुकूअ की तफ़्सीर में।

क़ुरआन करीम के अठारवें पारे में सूरः नूर के सातवें रुकूअ में आयत न॰ 51, 52 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा – मुसलमानों का कहना तो यह है कि जब उन को (किसी मुक़दमे में) अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तरफ़ बुलाया जाता है, ताकि वे उन के दर्मियान

में फ़ैसला कर दें तो वह कहते हैं कि हमने सुन लिया और उस को दिल व जान से मान लिया। ऐसे ही लोग फ़लाह पाने वाले हैं। जो आदमी अल्लाह और उस के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कहना माने और अल्लाह से डरे और उस की मुख़ालफ़त से बचे, पस ऐसे ही लोग बा-मुराद होंगे।

सच्चे मोमिनों की शान बयान हो रही है कि वे अल्लाह की किताब और सुन्नते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सिवा तीसरी चीज़ को दीन में दाख़िल नहीं समझते, वे तो क़ुरआन व हदीस सुनते ही, उस की आवाज कान में पड़ते ही साफ़ कह देते हैं कि हमने सुन लिया और दिल व जान से मान लिया। यह कामियाब, बा-मुराद और निजात पाये हुए लोग हैं।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 18, पृ० 74, सूरः नूर के सातवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

अब ख़ुदा के वास्ते आप इंसाफ़ करें कि कौन-सी जमाअत हक़ पर है और कौन ग़लती पर है। हिन्दुस्तान में एक जमाअत ऐसी है जो मुसलमानों को वह्हाबी और काफ़िर कहती है, लेकिन यही जमाअत मक्का शरीफ़ के रहने वालों को और मदीना शरीफ़ के रहने वालों को भी वह्हाबी और काफ़िर कहती है।

हदीस – अम्र बिन औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, फ़रमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दीन (इस्लाम अल-बत्ता) इसी तरह सिमट आएगा, तरफ़ हिजाज़ के, जिस तरह कि सिमट आता है सांप अपने बिल की तरफ़ और दीन हिजाज़ में इस तरह जड़ पकड़ेगा, जिस तरह बकरी पहाड़ की चोटी पर जगह पकड़ लेती है और दीन शुरू में ग़रीब पैदा हुआ था और आख़िर में ऐसा ही हो जाएगा, जैसा कि पैदा हुआ था, पस ख़ुशख़बरी है ग़रीबों को, वही दुरुस्त कर देंगे उस चीज़ को, जिस को मेरे बाद लोगों ने ख़राब कर दिया होगा यानी मेरी सुन्नत को।

हवाला 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 110, हदीस 160, सुन्नत के बयान में,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 78, किताबुल ईमान।

यह पेशीनगोई कि आख़िर में जब सारी दुनिया के कोने-कोने से ईमानदारी और दीनदारी जाती रहेगी, उस वक़्त सिर्फ़ मदीने में ईमानदारी रहेगी, अब हमारी जहालत को दखिए कि हमारे जेबभरू पीर और पेट भरू मौलवी मक्का और मदीना शरीफ़ के रहने वालों को भी वह्हाबी और गुमराह कहते हैं और हमसे ऐसे-ऐसे काम कराते हैं जो वहां पर आज तक नहीं हुए हैं और इन्शाअल्लाह क़ियामत तक न होंगे।

हदीस – हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्ललाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है-

'दज्जाल मदीने की तरफ़ मुतवज्जह होगा, लेकिन ख़ुदा के हुक्म से वह मदीने के रास्तों में दाख़िल न हो सकेगा।'

(मुख़्तसर)

हवाला 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 788, हदीस 5216, क़ियामत से पहले की निशानियों का बयान,

2. मज़ाहिरे हक़ जिल्द 4, पृ० 343, क़ियामत से पहले की निशानियों का बयान।

मेरे मोह्सिन साहिबान, ज़रा सोचें कि जिस सर ज़ीमन के अन्दर दज्जाल भी न आ सकेगा, वहां पर काफ़िरों की हुकूमत होने का क्या सवाल पैदा हो सकता है, इसके बावजूद कि इस सर-ज़मीन के रहने वालों को काफ़िर, वह्हाबी, गुमराह और बद-अक़ीदा समझा जा रहा है। यह जहालत नहीं तो और फिर क्या है?

क़ुरआन करीम के दसवें पारे में सूरः तौबा के चौथे रुकूअ में आयत न० 28 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा – ऐ ईमान वालो ! मुश्रिक बिल्कुल ही नापाक हैं, वे इस साल के बाद मस्जिदे हराम के पास भी न फटकने पाएंगे। अगर तुम्हें मुफ़्लिसी का डर है तो खुदा उन्हें ग़नी कर देगा, अपने फ़ज़्ल से अगर अल्लाह चाहे। अल्लाह इल्म व हिक्मत वाला है।

इस आयते करीमा में अल्लाह तआला ने मुश्रिकों को हज के लिए आने से मना फ़रमाया। यह पेशीनगोई हर्फ़-हर्फ़ कर के पूरी हुई। आज चौदह सौ साल हो गये, लेकिन कोई काफ़िर हज को नहीं जा सका और इन्शाअल्लाहु तआला क़ियामत तक नहीं जा सकेगा, हालांकि उस वक़्त सरहदों की कोई पाबन्दी नहीं थी, लेकिन हिन्दुस्तान के जेबभरू पीर और पेटभरू मौलवी अपने-अपने मुरीदों और पैरवी करने वालों को, जो हज के लिए जाते हैं, उनको समझाते रहते हैं कि वहां के लोग म-आज़ल्लाह (अल्लाह की पनाह) वह्हाबी और काफ़िर हो चुके हैं, इसलिए उन के पीछे जमाअत से नमाज़ न पढ़ना, बल्कि अकेले तंहा पढ़ना। अगर जमाअत से नमाज़ पढ़ोगे तो तुम्हारी नमाज़ ही नहीं होगी। हद है कोई जहालत की।

जहां पर लाखों मुसलमान मिल कर नमाज़ पढ़ते हैं और दुनिया के कोने-कोने से हज को आने वाले मुसलमान हर मसलक के कंधे से कंधा मिला कर नमाज़ पढ़ते हैं, वहां पर उन लोगों को इस्लाम नज़र नहीं आता और जमाअत से नमाज़ पढ़ने से महरूम रह जाते हैं।

जो हज को जाते हैं, उन को मदीना मुबारक में आठ दिन रहने का हुक्म है, ताकि आठ दिन में चालीस नमाज़ें मस्जिदे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम में जमाअत से पढ़ लें, लेकिन यह गिरोह जो अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मोहब्बत करने वाला और आपका आशिक़ होने की बड़ी-बड़ी डींग मारता है, वहां भी जमाअत से नमाज़ नहीं पढ़ता। अब आप ही फ़ैसला करें कि हद है कोई जहालत की।

जिस सर-ज़मीन की इज़्ज़त इस्लामी दुनिया के बच्चे-बच्चे के दिल में मौजूद है और जिस सर-ज़मीन की एक एक खजूर के दाने की मुसलमानों के दिल में बड़ाई है और जिस सर ज़मीन के पानी के एक एक क़तरे को बरकत और तबर्रुक समझा जाता है, उस सर-ज़मीन के रहने

वालों को भी काफ़िर कहा जा रहा है, तो फिर हिन्दुस्तान के मुसलमानों को कैसे बख़्शा जाएगा?

यह साहिबान दावा तो करते हैं मुसलमानियत का, लेकिन न तो क़ुरआन करीम के हुक्म को मानते हैं, न तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहिव सल्लम की बात को मानते हैं, वरना जब क़ुरआन करीम ने फ़रमा दिया कि मुश्रिक हज को न आएं और आज तक कोई एक काफ़िर भी हज को नहीं जा सका, तो फिर हुकूमत काफ़िरों की वहां पर कैसे हो सकती है? अगर वहां हुकूमत काफ़िरों, इस्लाम से पलट जाने वालों की है और वहां के रहने वाले सब वह्हाबी हो गये हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि मआज़ल्लाह! क़ुरआन व हदीस दोनों झूठे साबित हुए। अल्लाह की पनाह!

हदीस – हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि खुदा के नज़दीक सब से बुरे तीन आदमी हैं–

1– हरमे मक्का में ज़ुल्म करने वाला,

2. वह आदमी, जो नाहक़ किसी का खून बहाना चाहे,

3. इस्लाम में जहालत के तरीक़ ढूंढने वाला।

हवाला – सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 28, पृ० 409, हदीस 1774, बाबुल मुर्तद,

ये लोग जहालत के तरीक़े ढूंढ़ते फिरते हैं और जहां तक हो सके, अपने मुक़्तदियों और मुरीदों को जाहिल ही रखना चाहते हैं। यही वजह है कि हर आदमी पर ज़रूरत के मुताबिक़ दीन का इल्म सीखना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ज़रूरी ठहराया है और इसीलिए फ़ुक़हा–ए किराम ने फ़र्ज़ बताया है–

'इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द व औरत पर फ़र्ज़ है।'

हवाला – फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 1, पृ० 11, मुक़दमे में। इल्म का सीखना फ़र्ज़े ऐन होता है हर आदमी पर और फ़र्ज़े ऐन इस क़दर है, जिस की तरफ़ आदमी हाजतमंद हो, अपने दीन के वास्ते और ज़रूरत से ज़्यादा सीखना फ़र्ज़ किफ़ाया है।

हवाला – ग़ायतुल अवतार, उर्दू तर्जुमा दुर्रे मुख़्तार, जिल्द 1, पृ० 16, दीबाचे में।

मगर अफ़सोस अह्ले सुन्नत वल जमाअत का दावा करने वालों में से हमने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं, जिन को कलिमा भी याद नहीं और कमाल यह है कि यही लोग दूसरों को इस्लाम से ख़ारिज समझते हैं। जहालत की भी आख़िर कोई हद है।

हदीस – हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को फ़रमाते हुए सुना है कि अल्लाह इल्म को (आख़िरी ज़माने में) इस तरह नहीं उठाएगा कि लोगों के दिल व दिमाग़ से निकाल ले, बल्कि इल्म को इस तरह उठाएगा कि उलेमा–ए–क़िराम को उठा लेगा (यानी उलेमा–ए–हक़ धीरे–धीरे कम होते जाएंगे), यहां तक कि जब कोई आलिम बाक़ी न होगा, तो लोग जाहिलों को अपना

पेशवा बना लेंगे, उन से (दीन की) बातें पूछी जाएंगी। ये इल्म के बग़ैर फ़त्वा देंगे, खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे।

हवाला 1. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 194, हदीस 950, बाबुल इल्म,
2. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 29, पृ० 519, हदीस 2167, बाबुल ऐतसाम।
3. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1. पृ० 114, हदीस 194, किताबुल इल्म,
4. इब्नेमाजा शरीफ़, पृ० 41, हदीस 54, बाबुल क़ियास,
5. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 89, किताबुल इल्म।

अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि आज दुनिया में लाखों उलेमा-ए-हक़ मौजूद हैं, फिर भी जहालत की यह हालत है कि जब कोई सही मस्अला उन भाइयों को बताया जाता है, तो फ़ौरन कह देते हैं कि हम अपनी रस्मों को नहीं छोड़ेंगे, ऐसे अल-फ़ाज़ कहने वालों के लिए उलेमा-ए-दीन का फ़त्वा सुनिए-

'अगर किसी ने दूसरे से कहा कि इस काम में शरीअत का यह हुक्म है और दूसरे ने कहा कि मैं रस्म पर चलता हूं, न कि शरीअत पर, (तो ऐसा कहना) कुफ़्र है।'

हवाला - फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 2, पृ० 848, बाबुल मुर्तद। आज हिन्दुस्तान के जाहिल मुसलमान भाइयों की तरफ़ से हक़ परस्तों को ऐसे ही जवाब मिलते हैं और रस्म व रिवाज में पैसे भी खूब बर्बाद करते हैं। उस पर उन को डांटना, धमकाना तो दूर की बात, बल्कि उनके जेबभरू मौलवी ऊपर से उन को शाबाशी देते हैं और कहते हैं, बहुत अच्छा किया। अब सुनिए उलेमा-ए-दीन का फ़त्वा-

'अगर किसी ने शरीअत के ख़िलाफ़ किया और दूसरे ने कहा, बहुत अच्छा किया, तो यह कुफ़्र है।'

हवाला - मुक़दमा ऐनुल हिदाया, जिल्द 1, पृ० 86, बाबुल अक़ाइद।

मगर जहालत की पाबन्दी का अंधापा भी कुछ ऐसा हिन्दुस्तान पर छाया हुआ है कि रस्मों की पाबन्दी को शरीअत समझते हैं और उन पर अमल न करने वालों को मुसलमान ही नहीं समझते हैं, चांहे वह कितना ही परहेज़गार और मुत्तक़ी क्यों न हो। 'किसी नें ख़िलाफ़े शरीअत गुनाहों पर चलने को कहा कि यह भी एक मज़हब की राह है, तो काफ़िर है।'

हवाला -फ़त्वा आलमगीरी, जिल्द 2, पृ० 850, बाबुल मुर्तद, ऐसी बातें जब लोगों की ज़ुबान से सुनता हूं तो मुझे ये नीचे की हदीसें बहुत याद आती हैं-

हदीस - हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मेरी मिसाल और उस की मिसाल, जो अल्लाह ने मेरे पास भेजा है, उस आदमी की तरह है कि उसने किसी कौम से आकर कहा मैंने अपनी दोनों आंखों

से देखा है कि एक फ़ौज़ दुश्मनों की आती है और मैं तुम्हें साफ़-साफ़ डराता हूं कि तुम उस से बचो! उस से बचो ! एक गिरोह ने उस का कहा, माना और रात ही रात वहां से चल दिये। वे तो बच गये और दूसरे गिरोह ने उसका कहा न माना। सुबह को वह फ़ौज़ आ पहुंची और उसने उन्हें मार डाला।

हवाला – सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 26, पृ० 322, हदीस 1398, किताबुर्रिक़ाक़।

इस मिसाल से डराया गया है कि गुनाहों से बचो और सही बात कहने वाले की बात सुनो और अमल करो, वरना हलाक हो जाओगे।

हदीस – हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मैंने सुना है कि आप फ़रमाते थे कि,

'मेरी और लोगों की मिसाल ऐसी है कि किसी ने आग रोशन की। जब उस की रोशनी फैली, तो परवाने और कीड़े-मकोड़े उस में गिरने लगे और वह आदमी उन कीड़ों को आग के पास से भगाता है। और वे नहीं भागते आख़िर वे गिर कर जल जाते हैं। ऐसे ही मैं तुम्हारी कमरों को पकड़ता हूं और तुम आग में गिरते जाते हो।'

हवाला
1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 26, पृ० 322, हदीस 1399, किताबुर्रिक़ाक़,
2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 128, हदीस 629, बाबुल फ़ज़ाइल,
3. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 107, हदीस 140, सुन्नत के बयान में,
4. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 72, किताबुल ईमान,

ये हदीसें हमने इसलिए बयान की हैं कि अगर आप अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का आशिक़ कहते हैं, तो कम से कम हदीसों की तो लाज रखें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तो समझाने में और शरीअत के बताने में कोई कसर बाक़ी नहीं रखी, मगर हाय हिन्दुस्तान की जहालत ! तूने भी हम को बर्बाद करने में कोई कसर बाक़ी नहीं रखी।

क़ुरआन मजीद के सौलहवें पारे में सूरः कह्फ़ के बारहवें रुकूअ में आयत न० 103, 104, 105, 106 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा – पूछ ले कि अगर तुम कहो तो मैं बता दूं कि आमाल के एतबार से सबसे ज़्यादा घाटे में कौन है, वह है जिस की दुनिया की ज़िन्दगी की पूरी कोशिशें बेकार हो गयीं और वह इसी गुमान में रहे कि वे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। यही वे लोग हैं, जिन्होंने अपने पालनहार की आयतों से और उस की मुलाक़ात का इन्कार किया, तो उनके तमाम आमाल रद्द हो गये। बस क़ियामत के दिन हम कोई उस का वज़न क़ायम न करेंगे। हाल यह है कि उनका बदला जहन्नम है, क्योंकि उन्होंने कुफ्र किया और मेरी आयतों और मेरे रसूलों का मज़ाक़ उड़ाया।

आयत आम है, जो भी खुदा की इबादत व इताअत इस तरीक़े से बजा लाए, जो तरीक़ा, ख़ुदा को पसन्द नहीं और फिर भी वह अपने आमाल से खुश हो और समझता हो कि मैंने

आख़िरत का तोशा-भत्ता बहुत कुछ जमा कर लिया है, मेरे नेक आमाल ख़ुदा को पसन्द हैं और मुझे उन पर अज्र व सवाब ज़रूर मिलेगा, लेकिन उसका यह गुमान ग़लत है। उसके आमाल क़ुबूल नहीं, बल्कि मर्दूद हैं (यानी क़ुबूल करने के क़ाबिल नहीं) बेकार हैं रद्द हैं।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 16, पृ० 14, सूरः कह्फ़ के बारहवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

हदीस अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, फ़रमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि मुझ से पहले किसी क़ौम में कोई नबी ख़ुदा ने ऐसा नहीं भेजा, जिसके मददगार और दोस्त उसी क़ौम में से न हों (ऐसे मददगार और दोस्त) जो उस के तरीक़े के पैरो होते और उसके हुक्मों की पूरी इताअत करते, फिर उनके बाद ऐसे ना लायक़ लोग पैदा होते हैं, जिन को ना-ख़ल्फ़ कहा जाता है। ये लोग ऐसी बात कहते हैं, जिस को ख़ुद न करते और वह काम करते, जिनका उन को हुक्म नहीं मिला था, बस जो आदमी (तुम में से) उन लोगों से अपने हाथ से जिहाद करे, वह मोमिन है और जो उन से अपनी ज़ुबान से जिहाद करे वह मोमिन है और जो उनसे अपने दिल से जिहाद करे, वह मोमिन है और उसके बाद (जो आदमी उनके ख़िलाफ़ इतना भी न कर सके, उसमें) राई बराबर भी ईमान नहीं है।

हवाला – मुस्लिम शरीफ़, ज़िल्द 1, पृ० 11, हदीस 32, बाब 18, किताबुल ईमान।

नसीहत

क़ुरआन मजीद के सातवें पारे में सूरः माइदा के चौदहवें रुकूअ़ आयत न० 105 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – ऐ ईमान वालो! तुम ख़ुद अपने आप को सीधे रास्ते पर क़ायम रखो। जब तुम ख़ुद सीधे रास्ते पर रहोगे, तो कोई गुमराह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता।

अल्लाह पाक अपने बन्दों को हुक्म देता है कि तुम अपनी ज़ात से ठीक रहो। नेकियों की हर मुम्किन कोशिश करते रहो, जिस ने अपना सुधार कर लिया, चाहे क़रीब व दूर की सारी दुनिया बिगाड़ पैदा करने वाली हो, तुम पर कोई आंच नहीं। जब बन्दा हलाल व हराम में मेरी इताअत करे तो कोई कितना ही गुमराह क्यों न हो जाए, उस को कोई नुक़्सान नहीं।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 7, पृ० 29, सूरःमाइदा के चौदहवें रुकूअ़ की तफ़्सीर में।

इससे यह न समझना चाहिए कि बुरी बातों से या रस्म व रिवाज से रोकने की कोशिश भी न करे, बल्कि जहां तक हो सके, समझाने की कोशिश करनी चाहिए।

हदीस – हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि उस ज़ात की क़सम, जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है, अगर तुम भलाई का हुक्म करते रहो और बुराई से रोकते रहो, तो बेहतर है, वरना बहुत

जल्द अल्लाह तआला तुम पर अपना अज़ाब नाज़िल फ़रमाएगा, फिर तुम दुआ भी करोगे तो क़ुबूल न होगी।

हवाला – तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 8, हदीस 35, अब वाबुल फ़ितन।

यानि फिर वह अज़ाब न टलेगा; चाहें कुछ भी हो।

हज़रत अबू सालबा ख़ुशनी रज़ियल्लाहु अन्हु से इस आयत के बारे में सवाल हुआ, तो आप ने फ़रमाया, मैंने रसूलुल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सवाल किया था, तो आप ने फ़रमाया, तुम भलाई का हुकम करते रहो, और बुराई से रोकते रहो, यहां तक कि बख़ील की पैरवी की जाए और नफ़्स की ख़्वाहिश की पैरवी की जाए और दुनिया पसन्द की पैरवी की जाए और हर आदमी की अपनी राय पर फूलना आम हो जाए, उस वक़्त तुम सिर्फ़ अपनी इस्लाह में लग जाओ और आम लोगों को छोड़ दो। याद रखो, तुम्हारे पीछे सब्र के दिन आ रहे हैं।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 7, पृ० 29, सूरः माइदा के चौदहवें रुकूअ़ की तफ़्सीर में।

आज वही ज़माना आ गया है और हमारी नज़रों के सामने ये सारी बातें हो रही हैं। फ़िलहाल अक्सर लोग ऐसे हैं, जिनमें शरीअत के अमल का कुछ भी असर नज़र नहीं आता और जहालत की रस्मों में सर से पैर तक डूबे हुए हैं। वे अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मुहब्बत करने वाले समझते हैं और जो लोग शरीअ़त के पाबन्द हैं, उनको गुमराह और बे-दीन समझते हैं, पस जो लोग शरीअ़त के पाबन्द हैं, उनके लिए यही आज़माइश और सब्र के दिन हैं।

हदीस – हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते थे कि लोगों पर एक ज़माना ऐसा आएगा, जिसमें अपने दीन पर साबित क़दम रहने वाला लोगों के दर्मियान ऐसा होगा, जैसा कि चिंगारी को अपनी मुट्ठी में दबाने वाला।

हवाला – तिर्मिज़ी, जिल्द 2, पृ० 29, हदीस नं० 127, अब-वाबुल फ़ितन।

जिस तरह मुट्ठी में चिंगारी दबाने वाला उस आग की जलन पर सब्र नहीं कर सकता, उसी तरह एक वक़्त ऐसा आएगा कि जाहिल लोगों के बीच में दीनदार और परहेज़गार आदमी गुनाहगारों और नाफ़रमानों के फ़ित्ने फैलाने की वजह से अपने दीन और परहेज़गारी पर बड़ी मुश्किल से क़ायम रह सकेगा और मुसीबतें आने के बावजूद भी जो दीन पर क़ायम रहे, उस के लिए सवाब भी बहुत बड़ा है।

हदीस – हज़रत अबू उमैया शाबानी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अबू सालबा ख़ुशनी रज़ियल्लाहु अन्हु से यों रिवायत किया है कि फ़रमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने, आपस में एक दूसरे को भलाई का हुक्म दो और बुराई से रोको। आख़िर जब देखो कि लालची और बख़ील की हुकूमत है और नफ़्स की ख़्वाहिश की पैरवी की जा रही है और दुनिया सबसे अच्छी

समझी जा रही है और हर राय वाला अपनी राय और समझ पर नाज़ व तकब्बुर कर रहा हो, तो उस वक़्त तुम सिर्फ़ अपने आप को पकड़ लो (यानि अपनी खुद की इस्लाह और दुरुस्ती में लग जाओ) और आम (लोगों) को छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे बाद ऐसे दिन आने वाले हैं, जिन पर सब्र करना (यानी मुसीबतों को झेलना और मुकाबला करना) चिंगारी को गोया मुट्ठी में रखना होगा। उस ज़माने में अमल करने वाले को उन पचास आदमियों के बराबर सवाब होगा जो तुम्हारे जैसे अमल करते हों।

हवाला 1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2,पृ० 181, हदीस 916, तफ़्सीर सूरः माइदा।
2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 736, हदीस 4888, अम्र बिल मारूफ़।
3. मज़ाहिरे हक़ जिल्द 4, पृ० 191, अम्र बिल मारूफ़।

हदीस – हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाह अन्हु फ़रमाते हैं कि हुज़ुर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि–

'जिस आदमी ने मेरी उम्मत के बिगड़ने के वक़्त मेरी सुन्नत को ज़िंदा किया, उसको एक सौ शहीदों का सवाब मिलेगा।

हवाला 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 111, हदीस 165, सुन्नतों के बयान में,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 80, किताबुल ईमान।

हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से जब इस आयत का मतलब पूछा गया, तो आपने फ़रमाया, यह वह वक़्त नहीं है। आज तो तुम्हारी बातें मान ली जाती है, लेकिन हां, एक ज़माना ऐसा भी आने वाला है कि नेक बातें कहने और भलाई का हुक्म करने वालों के साथ ज़ुल्म व ज़्यादती की जाएगी, उस वक़्त तुम सिर्फ़ अपने नफ़्स की इस्लाह में लग जाना।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 7, पृ० 30, सूरः माइदा के चौदहवें रुकूअ़ की तफ़्सीरे में।

आज वही वक़्त आ गया है, जिस की ख़बर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम दे चुके हैं। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम भी बता चुके हैं। हमारी नज़रों के सामने है कि हक़ परस्तों पर ज़ुल्म किये जा रहे हैं, उन की बातें नहीं सुनी जाती, उन को वाज़ करने की इजाज़त नहीं मिलती, उनके वाज़ में जाने से लोगों को रोका जाता है, मगर बस्ती में शराब पीने, जुआ खेलने, जिनाकारी करने, चोरी करने, रंडियों के नाच, क़व्वालियों की महफ़िलें और भांड, गवैयों के खेल-तमाशों को कोई नहीं रोकता नाटक-सिनेमा देखने वालों को, ताशे-बाजे और रेडियो बजाने वालों को और शतरंज व ताश खेलने वालों को कोई नहीं रोकता। अगर कोई रोक टोक है तो सिर्फ़ वाज़ करने पर है और वह भी कहां! अल्लाह के घर में यानी मस्जिद में बोर्ड लगा दिये जाते हैं कि यहां पर कोई साहब वाज़ न करें और कुछ जगहों पर तो नमाज़ ही नहीं पढ़ने देते। मस्जिदों में बोर्ड लगा दिये जाते हैं कि वह्हाबियों को, नज्दियों को, देवबन्दियों को, ग़ैर-मुकल्लिदों को, तब्लीग़ी जमाअ़त वालों को इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त

नहीं है। अगर किसी मस्जिद में किसी इन्सान को नमाज पढ़ने से रोक दिया जाए तो उस मस्जिद में जुमा की नमाज़ या ईद की नमाज़ नहीं होती, क्योंकि जुमा और ईद की नमाज़ के लिए इज़्ने आम होना शर्त है, यानी आम लोगों को नमाज़ के लिए आने की इजाज़त होनी चाहिए। इस पर तमाम उलेमा का इत्तिफ़ाक़ है। अब ये जेब भरू पीर और पेट भरू मौलवी इस क़िस्म की मुख़ालफ़त करके हज़ारों की नमाज़ बातिल कर देते हैं और ऊपर से अपने आप को अहले सुन्नत वल जमाअत और आशिके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम समझते हैं। हद है कोई जहालत की।

और जुमा की अदायगी के लिए एक शर्त आम इजाज़त का होना है, इसलिए कि जुमा शआइरे इस्लाम में से है, इसलिए इसका क़ायम करना इस तरह से कि लोगों के दर्मियान उस की भरपूर शोहरत हो, वाजिब है।

हवाला – शरह नक़ाया, जिल्द 1, पृ० 125, जुमा की नमाज़ के बयान में।

और इज़्ने आम जुमा की शर्तों में से है, यहां तक कि अगर वक़्त का बादशाह अपने मुताल्लिक़ लोगों समेत अपने महल में नमाज़ पढ़े और महल के दरवाज़े को खोल दे और आम लोगों को जुमा की नमाज़ के लिए इजाज़त दे दे, तो उस की नमाज़ जायज़ होगी, चाहे लोग जाएं, चाहे न जायें और अगर महल का दरवाज़ा न खुले या हर एक को जाने की इजाज़त न हो तो उस की भी नमाज़ नहीं होगी।

हवाला – अल-मब्सूत, जिल्द 2, पृ० 25, जुमा के बयान में।

ये दो इबारतें तो हनफ़ियों की किताबों में से हैं। अब मौलाना अहमद रज़ा ख़ां साहब बरेलवी के फ़त्वे सुन लें, जिन को मस्जिद में नमाज़ नहीं पढ़ने के बोर्ड लगाने वाले साहिबान अपना बड़ा और इमाम मानते हैं–

इज़्ने आम की सेहत जुमा के लिए शर्त है। इसके यह मायने कि जुमा क़ायम करने वालों की तरफ़ से उस शहर के तमाम जुमा वालों के लिए वक़्ते जुमा की इजाज़त आम हो। (कुछ लम्बी बहस के बाद आला हज़रत अपनी तह्क़ीक़ तह्रीर फ़रमाते हैं कि) मैं कहता हूं कि ये लोग सिर्फ़ ज़ुल्म की वजह से या बिला वजह या बराए तास्सुब रोकते हैं, तो बिला शुब्हा उनका जुमा बातिल कि एक आदमी की रोक भी इज़्ने आम को बातिल करने वाली है, जैसा कि शामी में है–

'अल-ला युम-नअ़ अ-ह-दन' (यानी हरगिज़ किसी एक को मना न किया जाए)

हवाला – फ़तावा रिज़्विया, जिल्द 3, पृ० 678, 379, अब-वाबुल जुमा।

अंधी तक़्लीद करने वाले किसी की भी नहीं मानते। ये लोग अल्लाह को मानते हैं, लेकिन अल्लाह का हुक्म, जो क़ुरआन करीम में है, उसको नहीं मानते। ये लोग मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को मानते हैं लेकिन अमली ज़िन्दगी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम

के हुक्म को क़ुबूल नहीं करेंगे। जिस मसलक को और जिन उलेमा को अपना 'अकाबिर' तसलीम कर चुके हैं, उनके फ़त्वों को भी नहीं मानते, ज़ुबानी दावे से मुसलमान हैं, अमली ज़िन्दगी से हज़ारों मील दूर हैं।

हदीस – हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हम लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ मस्जिद में (बैठे) थे कि एक देहाती आया और खड़ा होकर मस्जिद में पेशाब करने लगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सहाबा ने उस को झिड़का, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, उस को पेशाब करने से न रोको, छोड़ दो। चुनांचे लोगों ने उसको छोड़ दिया, यहां तक कि वह पेशाब से फ़ारिग़ हो गया। उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उस देहाती को अपने पास बुलाया और फ़रमाया।

'ये मस्जिदें हैं, इनमें पेशाब करना या नजासत डालना मुनासिब नहीं है। यह तो सिर्फ़ ज़िक्र इलाही, नमाज़ और क़ुरआन पढ़ने के लिए हैं।'

और इसके बाद एक आदमी को (पानी का डोल लाने का) हुक्म दिया। वह पानी का डोल लाया और पेशाब की जगह पर पानी को बहा दिया।

हवाला–1. मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 50, हदीस 243, बाब 99, तहारत का बयान।
2. बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1. पृ० 65, हदीस 212 पारा 1, तहारत का बयान,
3. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 144, हदीस 451, नजासतों को पाक करने का बयान,
4. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 161, तहारत का बयान।

रहमदिली देखिए कि मस्जिदे नबवी में एक आदमी पेशाब करने लगा तो उस को पेशाब करने से भी नहीं रोका गया और पूरे तौर से पेशाब करने दिया गया, फिर मस्जिद को पानी से धो डाला। आज उन ही रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुहब्बत का दावा करने वाले मस्जिदों में नमाज़ भी नहीं पढ़ने देते। आख़िर ज़ुल्म और जहालत की भी कोई हद है।

नस्रानियों (ईसाइयों) के कुछ लोग हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास मज़हब की तह्क़ीक़ात के लिए आए थे। जब उन की नमाज़ का वक़्त आ गया तो नमाज़ की जगह खोजने लगे तो हुज़ूर सल्लसल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन को मस्जिदे नबवी में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दे दी। उन्होंने पूरब की तरफ़ मुंह करके मस्जिदे नबवी में अपने तरीक़े पर नमाज़ पढ़ ली।

हवाला–1. तफ़्सीर इब्ने कसीर पारा 3, पृ० 72, सूरः आले इम्रान के छठे रुकूअ की तफ़्सीर में।
2. सीरतुन्नबी, जिल्द 2, पृ० 371।

मस्जिद में पेशाब करने वाले को इत्मीनान से पेशाब करने दिया और वह मस्जिद भी कौन-सी? मस्जिदे नबवी और पेशाब से फ़ारिग़ होने के बाद किसी ने उस पर किसी तरह का जुल्म या सख़्ती नहीं की और नस्रानियों को जो उस वक़्त दीन के सख़्त दुश्मन थे, जिनका क़िब्ला भी जुदा था। मिसाल के तौर पर हम हिन्दुस्तान वाले सूरज छिपने की तरफ़ मुंह करके नमाज़ पढ़ते हैं और कोई आदमी हमारी मस्जिदों में पूरब की तरफ़ मुंह करके नमाज़ पढ़े, इतना बड़ा फ़र्क़ था, मगर फिर भी हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का रहम और दरिया दिली तो देखिए, आपने मस्जिदे नबवी में उन लोगों को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दे दी कि जिस तरह चाहो, नमाज़ पढ़ लो।

मगर हाय हिन्दुस्तान की जहालत! आज मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने वालों पर और वाज़ करने वालों पर जुल्म कर रहे हैं, लम्बी दाढ़ियों पर हंसते हैं, लम्बे कुरतों का मज़ाक़ उड़ाते हैं। ये वही लोग हैं जो अपने आप को आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कहते हैं।

क़ुरआन शरीफ़ के पहले पारे में सूरः बक़रः के चौदहवें रुकूअ़ में आयत नं० 114 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – उस आदमी से ज़्यादा और कौन ज़ालिम होगा जो ख़ुदा की मस्जिदों में ख़ुदा का ज़िक्र करने से रोके और उन्हें वीरान करने की कोशिश करे। अगर कोई तब्लीग़ी जमाअत मस्जिद में चली जाए तो मस्जिद को धो डालते हैं और कहीं-कहीं तो तब्लीग़ी जमाअत वालों को भी धो डालते हैं और दावा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मानने का करते हैं। जहालत का यह हाल देखिए। हर मस्जिद में हर दिन पांच वक़्त अज़ान होती है और पांच वक़्त इक़ामत होती है और हर बार अज़ान में भी और इक़ामत में भी दो-दो मर्तबा यह कहा जाता है–

'हय-य अलस्सलाः, हय-य अलस्सलाः'

यानी नमाज़ के लिए आओ, नमाज़ के लिए आओ।

पूरे चौबीस घंटे में बीस मर्तबा, यह आवाज़ मस्जिद से आती है और उसी मस्जिद में कहीं-कहीं इस क़िस्म के बोर्ड लगाये हुए हैं कि यहां पर देवबन्दी, नज्दी, वह्हाबी तब्लीग़ी, अह्ले हदीस वग़ैरह नमाज़ न पढ़ें। अब इन दोनों में से एक जहालत की बात ज़रूर होगी। नमाज़ के लिए बुलाना तो शरीअ़त है और बुलाने के बाद नमाज़ नहीं पढ़ने देना यह जहालत है। आई बात समझ में मेरे भोले भैया के।

क़ुरआन करीम के इक्कीसवें पारे में सूरः अह्ज़ाब के तीसरे रुकूअ़ में आयत नं० 21 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – यक़ीनन तुम्हारे लिए रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम में उम्दा नमूना मौजूद है हर उस आदमी के लिए, जो अल्लाह की और क़ियामत के दिन की उम्मीद रखता है और अल्लाह को ख़ूब याद रखता है।

इस आयते शरीफ़ा में बहुत बड़ी दलील है इस बात की कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के तमाम क़ौल अमल और हाल इक़्तिदा, पैरवी और ताबेदारी के लायक़ हैं। यक़ीनन ये सारी चीज़ें इस काबिल हैं कि मुसलमान इन्हें अपनी ज़िन्दगी का, बड़ा हिस्सा बना लें और अपने प्यारे पैग़म्बर हबीबे ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अपने लिए बेहतरीन नमूना बना लें।

अगर तुम यतीम बच्चों वाली ज़िन्दगी जीना चाहो तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ज़िन्दगी से जियो। जवानी वाली ज़िन्दगी जीना चाहो, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जिन्दगी से जियो, मंगनी वाली व शादी वाली ज़िन्दगी जीना चाहो तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ज़िन्दगी से जियो। बाल-बच्चों वाली ज़िन्दगी जीना चाहो तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ज़िन्दगी से जियो। नमाज़ पढ़ने वाली ज़िन्दगी, सीखने और सिखाने वाली ज़िन्दगी जीना चाहो, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ज़िन्दगी से जियो। सब्र करने वाली और माफ़ करने वाली ज़िन्दगी जीना चाहो, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ज़िन्दगी से जियो। तक़्वा और परहेज़गारी करने वाली ज़िन्दगी जीना चाहो तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ज़िन्दगी से जियो। वाज़ करने वाली और फ़त्वा देने वाली ज़िन्दगी जीना चाहो तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ज़िन्दगी से जियो। जानवर चराने वाली या इंसानों की सरदारी वाली ज़िन्दगी जीना चाहो, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ज़िन्दगी से जियो। मज़दूरी और तिजारत वाली ज़िन्दगी, खेतों और बाग़ों वाली ज़िन्दगी, गोशानशीनी वाली ज़िन्दगी और ख़ानक़ाह वाली ज़िन्दगी, रोज़ा रखने वाली और हज करने वाली ज़िन्दगी, दुनिया दारी की ज़िन्दगी और आख़िरत वाली ज़िन्दगी, फ़क़ीरों और बादशाहों वाली ज़िन्दगी, सियासत और हिक्मत वाली ज़िन्दगी जीना चाहो तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ज़िन्दगी से जियो। बेहतरीन से बेहतरीन और भली से भली और प्यारी से प्यारी ज़िन्दगी जीना चाहो तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ज़िन्दगी से जियो। फ़लाह वाली ज़िन्दगी, अम्न वाली ज़िन्दगी, चैन वाली ज़िन्दगी निजात वाली ज़िन्दगी अगर जीना चाहो तो मेरे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ज़िन्दगी से जियो।

इंसान की मुहब्बत दुनिया में बटी हुई होती है, मां बाप में होती है, भाई-बहन में होती है, बीवी-बच्चों में होती है, दोस्तों में और रिश्ते-नातेदारों में होती है, कारोबार और तिजारत में होती है, लेकिन यह मुहब्बत कभी कभी सिमट कर यानी सब जगह से लौट कर किसी एक चीज़ पर भी लग जाती है, तो उस वक़्त यह इंसान किसी की बात नहीं मानता। मिसाल के तौर पर कोई इंसान किसी पर आशिक़ हो गया है, तो अब उस को वही नज़र आता है, जिस के ऊपर यह आशिक़ हो गया है, क्योंकि इन की सारी मुहब्बत, जो दुनिया में बटी हुई थी, वह सब की सब जमा होकर इसी एक तरफ़ लग गयी है। इसी तरह मेरे मोहसिन साहिबान! हमारी सारी मुहब्बत जमा कर के जब तक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर नहीं लगा देंगे,

कामियाबी नहीं मिलेगी।

हदीस – हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, फ़रमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि जिस आदमी ने पाक व हलाल खाया और सुन्नत के तरीके पर अमल किया और उस की ज़्यादतियों से लोग अम्न में रहे, वह जन्नत में दाख़िल होगा। एक आदमी ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! ऐसे लोग तो आजकल बहुत हैं? आपने फ़रमाया, और भी मेरे बाद ऐसे लोग होंगे।

हवाला 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 111, हदीस 167, सुन्नतों का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 81, किताबुल ईमान।

हदीस – हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि फ़रमाया मुझ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि ऐ मेरे बेटे ! अगर तुझ से यह मुम्किन हो तो सुबह से लेकर शाम तक इस हाल में बसर कर दे कि तेरे दिल में किसी से कीना और खोट न हो तो, तू ऐसा ही कर। फिर आपने फ़रमाया, ऐ मेरे बेटे ! यह ही मेरा तरीक़ा और सुन्नत है। तो जिस आदमी ने मेरे तरीके को पसन्द किया, उसने मुझ को दोस्त रखा और जिसने मुझ को दोस्त रखा, वह जन्नत में मेरे साथ होगा।

हवाला 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 110, हदीस 164, सुन्नतों का बयान।
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 80, किताबुल ईमान।

मेरे दोस्तों ! हम को लम्बी दाढ़ियों पर हंसना नहीं चाहिए, बल्कि हमारे ऊपर भी दाढ़ी का रखना सुन्नते मुअक्कदा है और लम्बे कुरतों का मज़ाक उड़ाने से बेहतर तो यह था कि हम भी लम्बा कुरता पहनते, क्योंकि यह भी सुन्नत है। मगर अफ़सोस, हमारी जहालत हम को कहां तक ले गयी है, उस के लिए सोचने और समझने की फ़िक्र ही नहीं करते। नमाज़ पढ़ते पढ़ते पेशानी पर जो सियाह धब्बा हो जाता है, उस को हमारे कुछ जाहिल मुसलमान भाई वह्हाबी की निशानी समझते हैं?

क़ुरआन करीम के छब्बीसवें पारे में सूरः फ़तह के चौथे रुकूअ में आयत न० 29 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – उन का निशान उनके चेहरों पर सज्दों के असर से है। ख़ुदावन्दे करीम सज्दों के निशान की तारीफ़ कर रहा है और हम अपनी जहालत से क्या समझ रहे हैं? ज़रूरी तो यह था कि हम भी नमाज़ के पाबन्द होते। उन लोगों को देख कर कुछ नसीहत हासिल करते, लेकिन हमारे पीरों और मौलवियों ने हम को कहां तक पहुंचा दिया है कि उन को देख कर गुस्से में आ जाते हैं।

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया–

दोज़ख़ की आग इंसान के तमाम जिस्म को खा जाएगी, फ़क़त सज्दे का निशान बाक़ी रहेगा, क्योंकि अल्लाह तआला ने उस को आग पर हराम कर दिया है।'

हवाला 1. इब्नेमाजा शरीफ़, पृ० 657, हदीस 4323, दोज़ख़ की कैफ़ियत के बयान में।

2. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा, 27 पृ० 339, हदीस 1486, किताबुर्रिक़ाक़।

यह है शरीअत जिस पर अल्लाह के लाल अमल कर रहे हैं और क़ियामत तक इन्शाअल्लाहु तआला अमल करते रहेंगे। रही हमारी जहालत कि हम उनको गालियां देते हैं, वे सब्र करते हैं, हम उन को ताने देते हैं और वे हमको नसीहत करते हैं, हम उनको मस्जिद से निकालते हैं और वे रो-रो कर अल्लाह से हमारी हिदायत के वास्ते दुआ मांगते हैं, हम उन को धक्के देकर गांव से या मस्जिद से बाहर निकालते हैं और वे लोग बार-बार अपना वतन और बाल बच्चों को छोड़ कर हमारी भलाई के लिए हम को समझाने आते हैं, हम उनको हिक़ारत की नज़र से देखते हैं और वे हमको भली नज़रों से देखते हैं हम उनको इस्लाम में ख़ारिज, वहहाबी और काफ़िर समझते हैं और वे हमें दीनी भाई समझते हैं।

क़ुरआन करीम के अट्ठाईसवें पारे में सूरः हश्र के तीसरे रुकूअ में आयत न० 18 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - ऐ ईमान वालो ! अल्लाह से डरो और अपनी ज़ात के लिए सोचो कि कल क़ियामत के दिन के लिए कौन-सा ज़ख़ीरा जमा कर रखा है और अल्लाह से डरो और याद रखो कि अल्लाह तआला तुम्हारे हर काम को जानता है।

अल्लाह तआला ईमान वालों से फ़रमा रहा है कि तुम अल्लाह से डरो और अपनी हालत पर नज़र करो कि कल क़ियामत के दिन निजात के लिए कौन सी दलील है। क्या हश्र के मैदान में यही कहोगे कि बारी तआला मैंने तो बहुत से मुसलमानों पर कुफ़्र का फ़त्वा लगाया था, लोगों को मस्जिद में नमाज़ तक नहीं पढ़ने देता था। अपने मुक़्तदियों और मुरीदों को ख़ूब समझाता रहता था कि देवबन्दियों को खूब गालियां दो, तब्लीग़ी जमाअत वालों को ख़ूब सताओ, अह्ले हदीस भाइयों की ख़ूब धज्जियां उड़ाओ, हश्र के मैदान में क्या यही निजात की दलील होंगी? कुरआन व हदीस को मानते हुए और जानते हुए भी यह हरकत और जहालत ?

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

'मुसलमान वह है जिस की ज़ुबान और हाथों से दूसरे मुसलमान महफ़ूज़ और सलामत रहें।'

हवाला 1. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 10, हदीस 24, बाब 12, किताबुल ईमान।

2. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 8, हदीस 9, बाबुल वह्य,

3. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 99, हदीस 488, अब-वाबुल ईमान,

4. मिश्कात शरीफ़ जिल्द 1, पृ० 82, हदीस 4, ईमान के बयान में,
5. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 26 किताबुल ईमान।

मुसलमानों! सोचने की बात है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं, मुसलमान वह है जिस की ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान भाई को तक्लीफ़ न हो। अफ़सोस! आज अपने आप को पीर और मौलवी कहलाने वाले भी मुसलमानों को सताने में कसर बाक़ी नहीं रखते, अपने मुरीदों और मुक्तदियों को बहकाते रहते हैं और वे लोग उनके कहने में आकर मुसलमानों को नमाज़ तक मस्जिद में नहीं पढ़ने देते और सताने और दुख देने में अपनी ईमानदारी और निजात समझते हैं। काश! वे लोग इस आयते करीमा को देख लेते–

क़ुरआन मजीद के तीसवें पारे में सूर: बुरूज में आयत न० 10 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – जिन्होंने मुसलमान मर्दों और औरतों को तक्लीफ़ें पहुंचायी और तौबा न की, उनके लिए जहन्नुम का अज़ाब है और वह बहुत ही बुरी जगह है।

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया–

'एक मुसलमान की दूसरे मुसलमान पर हर चीज़ हराम है, चाहे उस की जान हो या माल या आबरू हो।

हवाला–1. इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 587, हदीस 3928. बाबुल फ़ित्ना।

हदीस हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते है कि एक आदमी ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! फ़्लां औरत ज़्यादा नमाज़ पढ़ने, रोज़े रखने और ख़ैरात करने में बहुत शोहरत रखती है, लेकिन वह अपनी ज़ुबान से अपने पड़ोसियों को तक्लीफ़ पहुंचाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि वह दोज़ख़ में जाएगी। उस आदमी ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! और फ़्लां औरत है, जिस के बारे में कहा जाता है कि वह बहुत कम रोज़े रखती है, बहुत कम ख़ैरात करती है और बहुत कम नमाज़ पढ़ती हैं और वह सिर्फ़ कुछ टुकड़े क़रूत (पनीर) के ख़ुदा की राह में देती है, लेकिन अपनी ज़ुबान से, अपने पड़ोसियों को तक्लीफ़ नहीं देती। आपने फ़रमाया, वह जन्नत में जाएगी।

हवाला 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 719, हदीस 4746, शफ़्क़त व रहमत का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़ जिल्द 4, पृ० 142, शफ़्क़त व रहमत का बयान।

हदीस – हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया–

'मुसलमान मुसलमान का भाई है, न उस पर ज़ुल्म करता है और न उस को हलाकत

में पड़ा हुआ छोड़ता है और जो अपने भाई की ज़रूरत (पूरी करने) में रहेगा, खुदा उस की ज़रूरत (पूरी करने) में रहेगा।'

हवाला – सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 28, पृ० 430, हदीस 1841, किताबुल इकराह।

क़ुरआन मजीद के छब्बीसवें पारे में सूर: हुजुरात के पहले रुकूअ में आयत नं० 10 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – मुसलमान तो सब भाई-भाई हैं। पस अपने दो भाइयों के बीच (अगर झगड़ा हो गया है तो) सुलह करा दिया करो और अल्लाह से डरते रहा करो, ताकि तुम पर रहम किया जाए।

अल्लाह तआला इस आयते शरीफ़ा में मुसलमानों को हुक्म दे रहा है कि अगर कहीं आपस में लड़ाई-झगड़ा हो जाए, तो सुलह-सफ़ाई करा के मुसलमानों के दिल मिला दो। यह नहीं कि सुलह कराने के बजाए झगड़े में मिट्टी का तेल छिड़को, पेट्रोल के छींटे मारो और माचिस दिखा कर झगड़े को और बढ़ा दो। क्या इसी का नाम ईमानदारी है ? आज हम देखते हैं कि हमारे अन्दर अगर दो दिलों के दर्मियान फूट पड़ जाए या उन के बीच में रंजिश पैदा हो जाए, तो बजाए सुलह कराने के हम और खुश होते हैं और लुत्फ़ हासिल करते हैं। मुसलमानों ! सोचो, किस क़दर जहालत में डूबे जा रहे हो, ज़रा हबीबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शादे गरामी सुनो !

हदीस – हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुज़ूरे पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अपने भाई मुसलमान की मदद किया करो, चाहे वह ज़ालिम हो या मज़्लूम हो। एक आदमी ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! जब वह मज़्लूम हो तो मैं उस की मदद बेशक करूंगा, मगर जब ज़ालिम हो तो उसकी मदद कैसे करूं ? आपने फ़रमाया, उस को ज़ुल्म करने से रोक दे, यही उस की मदद है।

हवाला – सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 28, पृ० 430, हदीस 1842, किताबुल इक्राह।

हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की मज्लिस में एक साहब आए, बड़ी साफ़ सुथरी और तेज ज़ुबान से कहने लगे, सुनिये जनाब ! छ: आदमी हैं, सब क़ुरआन शरीफ़ पढ़ते हैं और जानने-बूझने वाले समझदार हैं, लेकिन हर एक दूसरे को मुश्रिक बताता है। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया, शायद तू यह चाहता है कि तुझे यह कह दूं कि जा, तू उन्हें क़त्ल कर डाल, नहीं, बल्कि मैं यह कहता हूं कि जा उन्हें नसीहत कर और बुराई से रोक और अगर तेरी बात न मानें तो अपनी राह लग।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा सातवां, पृ० 30, सूर: माइदा के चौदहवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

हदीस – हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल

सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है-

'अल्लाह तआला उस आदमी पर रहम नहीं करता, जो लोगों पर रहम नहीं करता।'

हवाला 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 714, हदीस 4701, शफ़्क़त व रहमत का बयान,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 129, शफ़्क़त व रहमत का बयान।

हिन्दुस्तान में भी आज अक्सर जगह पर यही हालत है कि एक दूसरे को मुश्रिक, काफ़िर और मुर्तद बतला रहे हैं और मज़हब की जो मोतबर किताबें हैं, उनको देखते नहीं कि इन मसअलों के बारे में क्या हुक्म है और अगर कोई हक़ परस्त हिम्मत कर के इन बातिल वालों के सामने कोई मोतबर किताब लाकर दिखाता है तो बातिल परस्त बचने की यह तर्कीब करते हैं कि ये किताबें ग़लत छप गयी हैं या यों कहेंगे कि इन किताबों का तुर्जुमा ग़लत कर दिया गया है। यह भी नहीं तो कुछ और तावीलें कर लेंगे, लेकिन सही बात को हरगिज़ नहीं मानेंगे।

मेरे इस किताब के लिखने की सिर्फ़ यही ग़रज़ है कि मुसलमान फ़िर्क़ापरस्तों से बचें और हक़ क्या है वे ख़ुद अपनी ज़ात से बड़ी-2 मोतबर किताबों से मसाइल की तह्क़ीक़ात कर लें। इसलिए इस किताब में सिवाए मोतबर किताबों के फ़िर्क़ापरस्तों की किसी किताब का हवाला नहीं दिया, लेकिन फिर भी जो गुमराही क़ुदरती तौर पर फैलने वाली है, वह तो फैल कर रहेगी, मगर हम को अपनी कोशिशों में कमी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए।

हदीस – हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है-

'अल्लाह तआला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि फ़्लां शहर को जो ऐसा और ऐसा है, उस के बाशिंदों समेत उलट दे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ऐ परवरदिगार! उस के बाशिंदों में तेरा फ़्लां बन्दा भी है, जिसने एक लम्हे के लिए भी तेरी नाफ़रमानी नहीं की है। अल्लाह तआला ने फ़रमाया उस पर और सारे बाशिंदों पर शहर को उलट दे, इसलिए कि इस आदमी का चेहरा (गुनाहगारों के गुनाहों को देख कर) एक लम्हे के लिए भी मेरी ख़ुश्नूदी के लिए बदला नहीं। (यानी उसने गुनाहगारों के गुनाहों को एक लम्हे के लिए भी बुरा न जाना।)

हवाला 1. मिश्कात शरीफ़ जिल्द 2, पृ० 738, हदीस न० 4896, अम्र बिलमारूफ़ का बयान,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 196, अम्र बिल मारूफ़ का बयान।

हदीस – हज़रत अबूदर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं, एक बार हम रसुलूल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ थे। इतने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी नज़र आसमान की तरफ़ उठायी, फिर फ़रमाया, ये वह घड़ियां हैं कि (इन के बाद) लोगों से इल्म छीन लिया जाएगा। नतीजा यह होगा कि इल्म का कोई हिस्सा उनके पास बाक़ी न रहेगा। (वे बिल्कुल जाहिल रह जाएंगे और इल्म के एक ज़र्रे पर भी उन का क़ब्ज़ा न रहेगा।) इस पर हज़रत

ज़ियाद बिन लबीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया कि हम में से इल्म कैसे जाता रहेगा, जबकि हमने क़ुरआन पढ़ लिया है (और इल्म क़ुरआन में मौजूद है)? सो खुदा की क़सम ! हम लोग खुद भी पढ़ेंगे और अपनी अपनी औरतों और बेटियों को भी पढ़ाएंगे, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, तेरी मां तुझे रोये, मैं तो तुझे मदीना के आलिमों में और अक़्लमंदों से गिनती करता था। देखो, यह तौरात और इंजील यहूदियों और ईसाइयों के पास भी मौजूद हैं, फिर इन लोगों को उन से क्या फ़ायदा हुआ ?

हवाला 1. तिर्मिज़ी शरीफ़, ज़िल्द 2, पृ० 104, हदीस 513, अब-वाबुल इल्म,
2. इब्नेमाजा शरीफ़, पृ० 608, हदीस 4044, बाबुल-फ़ित्ना।

जिस तरह तौरात और इंजील होते हुए उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की शरीअत और ईसा अलैहिस्सलाम की शरीअत की हक़ीक़त को ग़ारत कर दिया और किताबों ने उन्हें कुछ फ़ायदा न दिया उसी तरह एक ज़माना ऐसा आएगा, जिस में ख़ुद परस्त ज़िद परस्त और नफ़्स परस्त कुछ ऐसे लोग पैदा होंगे कि क़ुरआन व हदीस होते हुए भी शरीअते मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हक़ीक़त को ग़ारत कर देंगे और क़ुरआन व हदीस उनके कुछ भी काम न आएंगे।

आज यही हो रहा है, क़ुरआन करीम मौजूद है, हदीस की किताबें मौजूद हैं, हनफ़ी मसलक के फ़ुक़हा किराम की दलीलें और फ़त्वे मौजूद हैं, फिर भी कुफ़्र व शिर्क और बिदअतों में क़रीब क़रीब आम मुसलमान डूबे हुए हैं।

क़ुरआन मजीद के तेईसवें पारे में सूरः ज़ुमर के पहले रुकूअ में आयत न० 9 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – 'नसीहत वही लेते हैं, जो अक़्लमंद हैं।'

ऐ मेरे अज़ीज़ दोस्त ! अल्लाह तआला का सवाल अक़्लमंदों से हैं, बे अक़्लों से नहीं।

हिदायत तो हक़ीक़त में वही लोग हासिल करते हैं, जो अक़्लमंद होते हैं। अल्लाह तआला ने अपनी मख़्लूक़ की हिदायत के लिए और शैतान के फंदे से बचाने के लिए लगभग एक लाख चौबीस हज़ार नबी और रसूल पैदा किये और किताबें भी नाज़िल फ़रमायीं। इन के अलावा अनगिनत क़ुत्ब, अब्दाल, औलिया और उलेमा-ए-हक़ भी पैदा किये, लेकिन जिन लोंगो की क़िस्मत में हिदायत नहीं होती है, उनको जितना भी सीधा समझाया जाए, उतना ही वह उलटा समझते हैं।

क़ुरआन शरीफ़ के चौबीसवें पारे में सूरः ज़ुमर के चौथे रुकूअ में आयत न० 36 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – 'जिस को ख़ुदा गुमराह कर दे, उस को कौन हिदायत पर ला सकता है।

क़ुरआन करीम के पच्चीसवें पारे में सूरः शूरा के पांचवें रुकूअ में आयत न० 46 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – 'जिस को खुदा गुमराह कर दे, उस की हिदायत के लिए कोई दलील ही नहीं बन सकती।'

गो आदम अलैहिस्सलाम की तौबा क़ुबूल हो गयी, लेकिन इब्लीस को हिदायत नहीं हुई, गो हाबील की क़ुर्बानी क़ुबूल हो गयी, लेकिन क़ाबील को हिदायत नहीं हुई, गो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी की लहरों में बहने लगी लेकिन नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और उनके लड़के को हिदायत नहीं हुई, गो लूत अलैहिस्सलाम की क़ौम पर पत्थरों की बारिश बरसी, लेकिन लूत अलैहिस्सलाम की बीवी को हिदायत नहीं हुई, गो सालेह अलैहिस्सलाम के लिए ऊंटनी पहाड़ से पैदा हो गयी, लेकिन सालेह अलैहिस्सलाम की क़ौम को हिदायत नहीं हुई, गो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग बाग़ बन गयी, लेकिन नमरूद को हिदायत नहीं हुई, गो मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बहरे कुलज़ुम फट गया, लेकिन फ़िरऔन को हिदायत नहीं हुई, गो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इशारे से चांद के दो टुकड़े हो गये, लेकिन अबूजहल को हिदायत नहीं हुई। जिस की क़िस्मत में हिदायत नहीं होती, उसके लिए मोजिज़े और करामतें भी हिदायत की दलील नहीं बन सकते, वरना जो आदमी अपने आप को मुसलमान कहे, उस की हिदायत के लिए इस से बढ़ कर और क्या हो सकता है कि उसके सामने क़ुरआन व हदीस मय हवालों के रख दी जाए, फिर भी हिदायत न हो, तो उसकी जहालत का अन्दाज़ा आप ख़ुद ही लगा लें।

क़ुरआन करीम के अठाईसवें पारे में सूरः मुम्तहिना के दूसरे रुकूअ में आयत नं० 7 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा – अल्लाह तआला से उम्मीद है कि तुम में और उन लोगों में जिन से तुम्हारी दुश्मनी है, दोस्ती कर दे। अल्लाह तआला को बड़ी क़ुदरत है और अल्लाह तआला माफ़ करने वाला रहम करने वाला है।

अल्लाह तआला तुम में और उन में मेल-मिलाप करा दे। बुग्ज़ नफ़रत और जुदाई के बाद मुहब्बत और ताल्लुक़ पैदा कर दें। कौन-सी चीज है, जिस पर ख़ुदा क़ुदरत न रखता हो। वह अलग-अलग और बिखरी चीज़ों को जमा कर सकता है। दुश्मनी और फूट के बाद दिलों में प्रेम और मुहब्बत पैदा कर देना उसके हाथ में है।

हवाला – तफ़सीर इब्ने कसीर, पारा, 28 पृ० 44, सुरः मुम्तहिना के दूसरे रुकूअ की तफ़्सीर में।

हदीस हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, अपने दोस्त से हल्की मुहब्बत रख, मुम्किन है एक दिन वह तेरा दुश्मन हो जाए और अपने दुश्मन से हल्की दुश्मनी रख, मुम्किन है कि वह एक दिन तेरा दोस्त हो जाए।

हवाला – तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 379, हदीस 1895, एहसान के बयान में।

इस आयते करीमा और हदीस शरीफ़ का मतलब यह है कि दोस्ती और दुश्मनी में बीच का रास्ता अपनाओ, न हद से ज़्यादा दोस्ती रखो, न हद से ज़्यादा दुश्मनी करो। इतनी दलील

होने के बावजूद इन जेबभरू पीर और पेटभरू मौलवी और उनके चाहने वालों की जहालत का हाल यह है कि बात चीत करना तो दूर की बात, सलाम का जवाब तक नहीं देते, क़ुरआन व हदीस की हिदायत को भी क़ुबूल नहीं करते, ऐसे लोगों को हिदायत कैसे हो सकती है?

मेरे अज़ीज़ दोस्त ! हम को अल्लाह तआला अपने रहम व करम से हक़ के रास्ते पर लाने के लिए, शरीअते मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ऊपर जम जाने के लिए, जहालत से बचाने के लिए प्यार और मुहब्बत भरे लफ़्ज़ों में हिदायत करते हुए इर्शाद फ़रमाता है–

क़ुरआन शरीफ़ के दूसरे पारे में सूर: बक़र: के पच्चीसवें रुकूअ में आयत न० 208 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – ऐ ईमान वालो ! इस्लाम में पूरे के पूरे दाख़िल हो जाओ और शैतान के क़दम से क़दम मिला कर न चलो। वह तुम्हारा खुला दुश्मन है।

हदीस – हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि शैतान आदमी का भेड़िया हैं, जैसे बकरी का भेड़िया होता है, जो उस बकरी को उठा ले जाता है, जो रेवड़ से भाग निकली या रेवड़ से दूर चली गयी हो या रेवड़ के किनारे पर हो, और बचो तुम पहाड़ की घटियों (यानि गुमराहियों) से और जमाअत और मज्मे के साथ रहो।

हवाला 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 112, हदीस 173, सुन्नतों के बयान में,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 83, किताबुल ईमान।

मेरे अज़ीज़ दोस्तो ! मज़ा तो जब है कि इस्लाम के हर एक रुक्न पर दिल व जान से खुशी के साथ पूरी तरह अमल किया जाए और हर उस अमल को छोड़ दिया जाए जो शरीअत के ख़िलाफ़ हो।

क़ुरआन करीम के नवें पारे में सूर: अन्फ़ाल के तीसरे रुकूअ में आयत न० 24 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – ऐ ईमान वालो । तुम अल्लाह और उसके रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के हुक्म को मान लिया करो, जबकि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) तुम्हें ऐसे काम की तरफ़ बुलाते हैं, जो तुम को हमेशा की ज़िन्दगी बख़्शता है।

ऐ ईमान वालो ! तुम अल्लाह की बात मान लो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बात मान लो। ऐसी कौन सी बात है, जो तुम को गरां गुज़री है। दो तलवारें एक ही म्यान में नहीं रह सकतीं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कहने पर चलेंगे, तो शैतान की मुख़ालफ़त होगी। और अगर शैतान के कहने पर चलोगे तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुखालिफ़त होगी। अब आप किसकी पैरवी करना चाहते हैं। हुज़ूर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की या शैतान की? अल्लाह तआला ने ईमान

वालों से फ़रमाया है कि मेरे महबूब मुहम्मद सल्लसल्लाहु अलैहि व सल्लम के कहने पर चलो और शैतान के कहने पर न चलो।

कुरआन करीम के अठारहवें पारे में सूरः नूर के तीसरे रुकूअ में आयत न० 21 में अल्लाह तआला ने इर्शाद फ़रमाया है-

तर्जुमा – ऐ ईमान वालो ! शैतान के कहने पर न चलो और अगर शैतान के कहने पर चलोगे तो वह तुम से बुरी बातें और बुरे काम ही करवाएगा।

अगर हम शैतान के कहने पर चलेंगे, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जैसी भली तालीम नहीं देगा, बल्कि जहालत और गुमराही की तरफ़ ले जाएगा।

कुरआन करीम के बाईसवें पारे में सूरः फ़ातिर के पहले रुकूअ में आयत न० 6 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा – शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम भी उस के दुश्मन बन कर रहो।

हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की अदा को शैतान छुड़ाना फ़ख्र समझता है, तो फिर आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की अदा पर अमल करना फ़ख्र क्यों नहीं समझते ? दुनिया में एक तरफ़ शरीअत है, तो दूसरी तरफ़ जहालत है। अब हम शरीअत पर अमल करेंगे, तो जहालत से नजात मिलेगी और (अल्लाह पनाह में रखे) जहालत पर अमल करेंगे तो शरीअत छूट जाएगी। तीसरा रास्ता दुनिया में है ही नहीं, इसी लिए इस किताब का नाम 'शरीअत या जहालत' रखा गया है।

हदीस – हज़रत अम्र बिन मैमून ऊदी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक आदमी को नसीहत फ़रमाते हुए कहा–

पांच चीज़ों को पांच चीज़ों से पहले ग़नीमत समझ,

1. बुढ़ापे से पहले जवानी को,
2. बीमारी से पहले तन्दुरुस्ती को,
3. ग़रीबी से पहले खुशहाली को,
4. मसरूफ़ होने से पहले फ़ुर्सत को,
5. मौत से पहले जिन्दगी को।

हवाला 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 742, हदीस 4918, रिक़ाक़ के बयान में,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 205, रिक़ाक़ के बयान में।

अफ़सोस ! आज हिन्दुस्तान में रहने वाले अक्सर पीर व मौलवी साहिबान को हमने अपनी आंखों से देखा है कि वे ख़ुद शरीअत का दामन अपने हाथों से छोड़ बैठे हैं और अपने कानों से सुना है कि वे लोग अपने वाज में गालियां देते रहते हैं, लान-तान की बारिश बरसाते रहते हैं, एक दूसरे से नफ़रत दिलाने के बयान करते हैं। अब आप ही सोचें कि जिन के पीरों और

मौलवियों की यह हालत हो, तो उन के मुरीदों और मुक्तदियों की क्या हालत होगी ? इस का अन्दाज़ा आप खुद ही लगा लें।

क़ुरआन करीम के बाईसवें पारे में सूरः फ़ातिर के पहले रुकूअ में आयत न० 5 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – ऐ लोगों ! अल्लाह का वायदा हक़ है, इसलिए दुनिया की ज़िन्दगी तुम्हें धोखे में न डाल दे और न धोखेबाज शैतान तुम्हें ग़फ़लत में डाल दे।

दुनिया की ज़ाहिरी तरी वहां की सच्ची खुशी से कहीं तुम्हें महरूम न कर दे, इसी तरह शैतान मक्कार से भी होशियार रहना, उस के चलते-फिरते जादू में न फंस जाना, उस की झूठी और चिकनी बातों में आकर खुदा और रसूल के हक़ कलाम को न छोड़ बैठना।

जन्नत मुफ़्त में मिलती है

क़ुरआन करीम के सातवें पारे में सूरः अन्आम के नवें रुकूअ में आयत न० 82 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – जो लोग ईमान रखते हैं और अपने ईमान को शिर्क के साथ गड्ड–मड्ड नहीं करते, ऐसों ही के लिए अम्न है, वही राह पर चल रहे हैं।

जो लोग ईमान ले आए और अपने ईमान के साथ ज़ुल्म का पैवन्द नहीं लगाया, अम्न व इत्मीनान तो उन्हीं का हक़ है और वही हिदायत पाए हुए हैं। उन्होंने अपनी इबादत शिर्क के हिस्से से पाक रखी थी, दुनिया व आख़िरत पर उन्हीं का क़ब्ज़ा है।

हवाला – तफ़्सीर इब्ने कसीर, पारा 7, पृ० 88, सूरः अन्आम के नवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

हदीस – हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, फ़रमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने, दो बातें है जो जन्नत और दोज़ख़ को वाजिब करती हैं। एक आदमी ने पूछा, कौन-सी चीज़ें हैं, जो जन्नत और दोज़ख़ को वाजिब करती हैं ? आपने फ़रमाया–

जो आदमी शिर्क की हालत में मरे, वह दोज़ख़ में दाख़िल होगा और जो आदमी इस हाल में मरे कि खुदा के साथ किसी को शरीक न समझता हो, वह जन्नत में दाख़िल होगा।

हवाला 1. मिश्कात शरीफ़ जिल्द 1, पृ० 87, हदीस 33, किताबुल ईमान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 35 किताबुल ईमान।

तौहीद बग़ैर पैसे ख़र्च किये मिल जाती है और शिर्क बग़ैर पैसे खर्च किये नहीं मिल सकता। शिर्क हो या कुफ़्र या बिदअत या हमारे बाप दादों के बनाये हुए रस्म व रिवाज निभाने के लिए खूब पैसे खर्चो , दुनिसा भर से लड़ाई झगड़े करो, अदालतों में दर्ख़्वास्तें देते फिरो हुकूमत की खुशामदें भी करो, तक्लीफ़ें उठाओ, दुनिया भर के लोगों से तू-तू मैं-मैं भी सुनो, तब ये सारी बातें निभ सकती हैं और सही दीन पर अमल करने के लिए एक पैसे का भी खर्च नहीं

करना पड़ता।

हदीस – हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है–

जिस आदमी ने इस एतक़ाद पर वफ़ात पाई कि खुदा के सिवा कोई भी इबादत के क़ाबिल नहीं है, वह जन्नत में दाख़िल होगा।

हवाला – सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 9, हदीस 14, बाब 9, किताबुल ईमान।

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया–

मैं गवाही देता हूं कि खुदा के सिवा कोई माबूद, इबादत के क़ाबिल नहीं है और फिर यह गवाही देता हूं कि मैं खुदा का रसूल हूं। जो आदमी इन दोनों बातों का सच्चा एतक़ाद रखता हो और किसी क़िस्म का शक व शुब्हा उस को न हो, वह मरने के बाद ज़रूर जन्नत में दाख़िल होगा। (मुख़्तसर)

हवाला – मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 9, हदीस 15, बाब 9, किताबुल ईमान।

यह कलिमा जब कोई इंसान सच्चे दिल से पढ़ लेता है, तो वह मुसलमान मसझा जाता है, इस कलिमे के पढ़ने में एक पैसे का भी ख़र्च नहीं होता, कलिमा पढ़ लेने के बाद सब से पहला फ़र्ज़ नमाज़ है और नमाज़ के लिए जो हुक्म है, वह सुनिए।

क़ुरआन शरीफ़ के अठारहवें पारे में सूरः मुअमिनून के पहले रुकूअ में आयत न० 9, 10, 11 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है।

तर्जुमा – और जो आदमी नमाज़ों की पाबन्दी करते हैं, ऐसे ही लोग वारिस होने वाले हैं, जो फ़िरदौस के वारिस होंगे, वे उस में हमेशा हमेशा रहेंगे।

अब आप ईमानदारी से बताएं कि नमाज़ पढ़ने में क्या ख़र्च होता है ? एक पैसा भी ख़र्च नहीं होता और नमाज़ी जन्नत का मालिक हो जाता है और उस में हमेशा-हमेशा के लिए रहेगा, न खुदा की खुदाई ख़त्म हो और न हमारी ज़िन्दगी ख़त्म हो और न अल्लाह तआला की नेमतें ख़त्म हों। ये सारी नेमतें बग़ैर पैसे ख़र्च किये मिलती हैं।

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक देहाती ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया,ऐ अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) मुझको कोई ऐसा काम बताइए कि मैं उसे अमल में लाकर जन्नत में दाख़िल हो जाऊं। आपने फ़रमाया–

खुदा की इबादत कर, किसी को उसका शरीक क़रार न दे, फ़र्ज़ नमाज़ पढ़, फ़र्ज़ ज़कात अदा कर और रमज़ान के महीने के रोज़े रख।

(यह सुन कर) देहाती ने कहा, क़सम है उस ज़ात की, जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है, मैं इस पर न तो कुछ ज़्यादा करूंगा और न इस में कमी करूंगा, जब वह चला गया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, जो आदमी किसी जन्नती आदमी को देखने की खुशी हासिल करना चाहे, वह इस आदमी को देख ले।

हवाला 1. मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 7, हदीस 5, बाब 4, किताबुल ईमान,
2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 83, हदीस 12, किताबुल ईमान,
3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 28, किताबुल ईमान।

इस हदीस पर आप ग़ौर करें, जो बातें उस देहाती को बतायी हैं, उस में से उसने कहा, न तो मैं कम करूंगा और न तो कोई इस से ज़्यादा अमल करूंगा। इस पर खुदा की क़सम खाकर जाने लगा, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सुनने वालों को खिताब करके फ़रमाया, तुमको जन्नती देखना हो, तो इस आदमी को देख लो।

अब आप साहिबान सोंचे और समझें कि इन कामों के करने में क्या खर्च करना पड़ता हैं? एक पैसा भी खर्च नहीं आता और जन्नत मुफ़्त में मिल रही है। अल बत्ता अगर मालदार है, तो ज़कात दे और मालदार नहीं है, तो ज़कात का सवाल भी नहीं है। नमाज़ पढ़ने के लिए वुज़ू का हुक्म आया है।

क़ुरआन शरीफ़ के छठे पारे में सूरः माइदा के दूसरे रुकूअ में आयत न० 6 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है।

तर्जुमा – ऐ ईमान वालो! जब तुम नमाज़ के लिए खड़े हुआ करो, तो धो लो अपने मुंह को, धो लो अपने हाथों को कुहनियों तक और कर लो अपने सर का मसह और धो लो अपने पैरों को टखनों तक।

हदीस – हज़रत उक़्बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हम लोगों के ज़िम्मे ऊंट चराने की ख़िदमत थी, जिस दिन मेरी बारी ऊंट चराने की आयी, मैंने ऊंटों को चराया और शाम को (मामूल के मुताबिक़) वापस लाया। मैंने देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम (एक जगह) लोगों से हदीस बयान फ़रमा रहे हैं। मैंने आप की हदीस का सिर्फ़ यह जुम्ला सुना कि–

जो मुसलमान वुज़ू करे और अच्छी तरह वुज़ू करे, फिर खड़ा होकर दो रक्अत नमाज़ (तहीयतुल वुज़ू) दिल और मुंह की तवज्जोह (यानी खुशूअ व ख़ुज़ूअ) से पढ़े तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है।

मैंने (हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस इर्शाद को सुन कर) कहा, कैसी अच्छी बात है।

(यह सुन कर) एक आदमी ने जो मेरे सामने खड़ा था, कहा, इस से पहली बात और भी अच्छी थी।

मैंने आंख उठा कर देखा तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु थे। फिर उन्होंने मुझ से

फ़रमाया, 'शायद तुम अभी आए हो' यह कह कर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया, इस से पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह फ़रमाया था-

'तुम में से जो आदमी मुबालगे के साथ वुज़ू करे या पूरे तौर पर वुज़ू के हिस्सों (अंगों) को धोए हो और फिर यह कहे कि 'अशहदु अल-ला इलाह इल्लल्लाहु व अशहदु अन-न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू', उसके लिए जन्नत के आठों दरवाज़े खोल दिये जाते हैं, वह उन में से जिस के अन्दर उस का दिल चाहे, दाख़िल हो जाए।'

हवाला 1. मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 45, हदीस 200, बाब 80, तहारत का बयान,
2. तफ़्सीर इब्ने कसीर, पारा 6, पृ० 67, सूरः माइदा के दूसरे रुकूअ की तफ़्सीर में।

मेरे मोह्सिन साहिबान ! ईमानदारी से बताना, इस में क्या खर्च करना पड़ता है ? एक पैसे का भी खर्च नहीं है और जन्नत के आठों दरवाज़े वाजिब कर दिये जाते हैं। मेरे भोले भैया! जन्नत तो मुफ़्त में मिलती है और जहन्नम मुफ़्त में नहीं मिलती। जहन्नम में जाने के लिए खूब पैसे खर्चो, खूब नाचो, कूदों और रस्म व रिवाज निभाओ और कुफ्र व शिर्क करो और हक़परस्तों की मुख़ालफ़त के लिए खूब दौड़-धूप करो, रिश्वतें भी दो, जानी-माली मेहनतें भी करो और पैसे भी बर्बाद करो, तब जहन्नम मिलती है।

हदीस – हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि सुबह की नमाज़ के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को तलब फ़रमाया और कहा, तुम को किस चीज़ ने जन्नत के अन्दर मेरे आगे पहुंचाया, क्योंकि मैं जब कभी जन्नत में दाख़िल हुआ, तुम्हारी जूतियों की आवाज़ अपने आगे सुनी। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! मैंने अज़ान देने के बाद हमेशा दो रक्अत नमाज़ पढ़ी है और जब कभी मेरा वुज़ू टूटा है और मैंने वुज़ू किया है, तो इस बात को अपने ऊपर लाज़िम समझा है कि खुदा के वास्ते मुझ पर दो रक्अत ज़रूरी हैं, यानी हर वुज़ू के बाद वुज़ू किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, इन्हीं दो चीज़ों की वजह से तुम जन्नत के अन्दर मेरे आगे-आगे थे।

हवाला 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 247, हदीस 1245, नफ़्ल नमाज़ का बयान,
2. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 366, हदीस 1546, मनाक़िब का बयान,
3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 430 नफ़्ल नमाज़ का बयान।

हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु हब्शी थे, सैयद नहीं थे, रंग में काले थे, सफ़ेद नहीं थे, ग़रीब थे, मालदार नहीं थे, गुलाम थे, आज़ाद नहीं थे, अनपढ़ थे, आलिम नहीं थे, लेकिन उनके तक़्वा का हाल यह था कि मक्का की सर ज़मीन पर चलते थे और उन के पैर की आहट जन्नत में बजती थी, उनके दिल में शीआ-सुन्नी जैसा तास्सुब नहीं था, उनके दिल में देव बन्द-बरेली का झगड़ा नहीं था, उन के दिल में अह्ले हदीस और अह्ले तक़लीद का हसद नहीं था, अगर कुछ था, तो वह खुलूस था, तौहीद पर यक़ीन व ईमान था और हुक्मे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि

व सल्लम पर अमल था। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु का जो अमल था, आपका जो अक़ीदा था, आप का जो खुलूस था, उस में एक पैसे का भी खर्च नहीं। ये नेमतें मेरे भोले भैया मुफ़्त में मिलती हैं।

जिस तरह नमाज़ से पहले वुज़ू करने का हुक्म है, उसी तरह नमाज़ से 'पहले अज़ान देने का हुक्म है।

हदीस – हज़रत उक्वा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, फ़रमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि–

राज़ी होता है तेरा रब बकरियां चराने वाले से, जो बकरियां चराता हो पहाड़ की टीकरी पर और अज़ान देता है वह नमाज़ के लिए और नमाज़ पढ़ता है, पस फ़रमाता है अल्लाह तआला फ़रिश्तों और क़रीबी रूहों से कि देखो, मेरे इस बन्दे की तरफ़, अज़ान देता है और नमाज़ पढ़ता है और मुझ से डरता है, पस बख़्श दिया मैंने अपने बन्दे को और दाख़िल करूंगा मैं उस को जन्नत में।

हवाला 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 164, हदीस 612, अज़ान का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 216, अज़ान का बयान।

हदीस हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है–

जब अज़ान देने वाला 'अल्लाहु अक्बर, अल्लाहु अक्बर' कहे और उस के जवाब में तुम में से हर आदमी –अल्लाहु अक्बर, अल्लाहु अक्बर' कहे, फिर जब मुअज़्ज़िन 'अश्हदु अल–लाइला–ह इल्लल्लाह' कहे और (उस के जचवाब में) वह भी अश्हदु अल–लाइला–ह इल्लेल्लाह कहे फिर मुअज़्ज़िन अश्हदु अन्न–मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहे और (उसके जवाब में) वह भी 'अश्हदु अन–न मुहम्मदर–रसूलुल्लाह' कहे, फिर जब मुअज़्ज़िन 'हय–य अलस्सला' कहे और (उस के जवाब में) वह 'ला हौ–ल व ला क़ुव्व–त इल्ला बिल्लाह' कहे और जब मुअज़्ज़िन हय–य अलल फलाह कहें और (उसके जवाब में) वह ला हौल वला कुव्व–त इल्ला बिल्लाह कहे और जब मुअज़्ज़िन 'अल्लाहु अक्बर० अल्लाहु अक्बर०' कहे, और वह (उस के जवाब में) 'अल्लाहु अक्बर० अल्लाहु अक्बर०' कहे और जब मुअज़्ज़िन 'ला इला–ह इल्लल्लाह' कहे और (उस के जवाब में) वह 'ला इला–ह इल्लल्लाह' कहे और इन तमाम लफ़्ज़ों को सच्चे दिल से कहे वह ज़रूर जन्नत में जाएगा।'

हवाला 1. मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 61, हदीस 329,बाब 143, नमाज़ का बयान,
2. मिश्कात शरीफ़ जिल्द 1, पृ०164, हदीस 605, अज़ान के जवाब की फ़ज़ीलत,
3. मज़ाहिरे हक़ जिल्द 1, पृ० 214, अज़ान के जवाब की फ़ज़ीलत।

मेरे मोह्तरम अज़ीज़ दोस्त ! आप ही बताएं कि अज़ान के कहने में और अज़ान का जवाब देने में क्या ख़र्च करना पड़ता है? शरीअत को अल्लाह तआला ने हमारे लिए आसान कर दिया है और अपनी रहमतों को, अपनी नेमतों को और जन्नत को मुफ़्त में लुटा रहा है, कोई लेने वाला चाहिए और जहालत उस को कहते हैं, जिन को करने का न तो क़ुरआन करीम

में कोई हुक्म है और न तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने किया है और न तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने किया और न तो इमामों ने किया और न मुहद्दिसों ने किया और न ही औलियाअल्लाह में से किसी ने किया और न करने का हुक्म दिया। ऐसे काम हम क्यों करें, जिन के करने पर न तो सवाब मिलता है और न तो जन्नत मिलने का वायदा है।

कुरआन के दूसरे पारे में सूरः बकरः के तेईसवें रुकूअ में आयत नं० 183 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा – ऐ ईमान वालों ! तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किये गये, जिस तरह तुम से अगले लोगों पर फ़र्ज़ किये गये थे, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ।

अल्लाह तआला इस उम्मत के ईमानदारों को ख़िताब करके उन्हें हुक्म दे रहा है कि रोज़े रखो। रोज़े के मायने अल्लाह तआला के फ़रमान को पूरा करने की ख़ालिस नीयत के साथ खाने-पीने और जिमाअ से रुक जाने के हैं। इस से फ़ायदा यह है कि नफ़्से इंसानी पाक-साफ़ और तय्यिब व ताहिर हो जाता है, रद्दी और वाही अख़्लाक़ से इंसान बच जाता है। इस हुक्म के साथ ही फ़रमाया है कि इस हुक्म के साथ तुम तंहा नहीं हो, बल्कि तुम से अगलों को भी रोज़ों का हुक्म था। इस बयान से यह भी मक़सद है कि यह उम्मत इस फ़र्ज़ के पूरा करने में अगली उम्मतों से पीछे न रह जाए।

हवाला– तफ़्सीर इब्ने कसीर, पारा 2, पृ० 32, सूरः बकरः के तेईसवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

हदीस हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है, जो बन्दा किसी दिन खुदा की राह में (यानि ख़ुदा की खुश्नूदी के लिए) रोज़ा रखता है, खुदा उस के बदले में उसको सत्तर साल की दूरी के बराबर दोज़ख़ से दूर कर देता है।

हवाला 1. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 186, हदीस 1165, बाब 336, रोज़ोंका बयान,
2. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 327, हदीस 1524, जिहाद का बयान।

हदीस – हज़रत सह्ल रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फ़रमाया-

जन्नत में एक दरवाज़ा है उसे रय्यान कहते हैं, उस दरवाज़े से क़ियामत के दिन रोज़ेदार दाख़िल होंगे, उन के सिवा कोई नहीं दाख़िल होगा। कहा जाएगा, रोज़ेदार कहां हैं ? पस वे उठ खड़े होंगे, उन के सिवा कोई उस दरवाजे में दाख़िल न होगा। फिर जिस वक़्त वे दाख़िल हो जाएंगे, दरवाज़ा बन्द कर लिया जाएगा, ग़रज़ उस दरवाज़े से कोई दाख़िल न होगा।

हवाला 1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1. पारा 7, पृ० 424, हदीस 1751, रोज़े का बयान,
2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ०186, हदीस 1164, बाब 335, रोज़े का बयान,
3. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ०151, हदीस 683,रोज़े का बयान।

मेरे मुख़्लिस मोह्सिन किताब पढ़ने वाले ! रोज़ा रखने में क्या खर्च करना पड़ता है ?

एक पैसा भी खर्च नहीं होता और जन्नत का वायदा हो रहा है। मेरे भोले भैया! जन्नत मुफ़्त में मिलती है।

क़ुरआन करीम के बाईसवें पारे में सूरः अह्ज़ाब के नवें रुकूअ में आयत न० 70-71 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - ऐ ईमान वालो! अल्लाह से डरो और जब बात करो, सही करो, तुम्हारे आमाल को सही कर देगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। जो इंसान अल्लाह और उस के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कहने पर चलेगा, वह बड़ी कामियाबी को पहुंचा।

अल्लाह तआला अपने मोमिन बन्दों को अपने तक़्वे की हिदायत करता है। उन से फ़रमाता है कि इस तरह वे उस की इबादत करें कि गोया उसे अपनी आंखों से देख रहे हैं और बिल्कुल सीधी, ऐंच-पेंच के बग़ैर, सच्ची और भली बात बोला करें। जब वे दिल में तक़्वा, ज़ुबान पर सच्चाई अपना लेंगे तो उस के बदले में अल्लाह तआला उन्हें नेक अमल की तौफ़ीक़ देगा और उनके तमाम गुनाह माफ़ कर देगा, बल्कि आइंदा के लिए भी इस्तग़फ़ार की तौफ़ीक़ देगा। ताकि गुनाह बाक़ी न रह जाएं। ख़ुदा -रसूल के फ़रमाबंदार सच्चे कामियाब हैं, जहन्नम से दूर हौर जन्नत से सरफ़ाज़ हैं।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 22, पृ० 39, सूरः अह्ज़ाब के नवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

मेरे भाई साहब! आप बताएं कि सच बोलने में क्या खर्च करना पड़ता है, एक पैसा भी खर्च नहीं होता और जन्नत के क़रीब हो जाता है और जहन्नम के लिए झूठ बोलो और एक झूठ को छिपाने के लिए दस झूठ बोलो और झूठ बोलने की वजह से झगड़े-फ़साद होते रहते हैं और अदालत के चक्कर खाने पड़ते हैं। दुनिया भर की परेशानियां उठाओ और अपने आराम का वक़्त भी बर्बाद करो और पैसा भी खर्च करो, तब जहन्नम मिलती है।

हदीस - हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया हैं-

जो औरत पांचों वक़्त की नमाज़ पढ़े, रमज़ान के महीने के रोज़ रखे, अपनी शर्मगाह की हिफ़ाज़त करे, अपने शौहर की इताअत करे, उस को अख़्तियार है, जन्नत के जिस दरवाज़े से जाना चाहे, चली जाए।

हवाला 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 509, हदीस 3093, औरतों के हुक़ूक़ का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़ जिल्द 3, पृ० 176, औरतों के हुक़ूक़ का बयान।

मेरी मां साहिबा! ज़रा सोचो, इन कामों के करने में क्या खर्च करना पड़ता है। एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता और जन्नत के आठों दरवाज़े तेरे लिए वाजिब क़रार दे दिये गये हैं। मेरी मां साहिबा! जन्नत तो मुफ़्त में मिलती है।

जन्नत में जाने के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बहुत ही आसान तरीक़ा बता दिया है कि अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो। पांच

वक़्त की नमाज़ पढ़ो, रमज़ान के रोज़े रखो और अगर मालदार हो तो माल की ज़कात दो और पूरी ज़िन्दगी में एक बार हज करो, पस आप जन्नती हो गये और जहन्नम में जाने के लिए रस्म व रिवाज और बिदअतों पर अमल करो। दुनिया वालों से लड़ाई-झगड़ा भी करो और दौलत भी खर्च करो और दुनिया भर की परेशानियां उठाओ, तब रस्म व रिवाज और बिदअतें निभती हैं और जन्नत में जाने के लिए अल्लाह के साथ शिर्क न करो और नमाज़ पढ़ो और रोज़े रखो, जिस में एक पैसा भी खर्च नहीं होता और न किसी से झगड़ना पड़ता है और न किसी से तू-तू मैं-मैं करने की नौबत आती है।

ला इला-ह इल्लल्लाह

क़ुरआन हकीम के तेईसवें पारे में सूरः साफ़्फ़ात के दूसरे रुकूअ में आयत न० 35 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं।

हदीस - हज़रत उम्मेहानी रज़ियल्लाहु अन्हा का बयान है कि रसूले अन्वर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

'कलिमा 'ला इला-ह इल्लल्लाहु' से बढ़ कर कोई कलिमा नहीं है, इस से कोई गुनाह बाक़ी नहीं रहता।

हवाला - इब्नेमाजा शरीफ़, पृ० 566, हदीस 3795, कलिमा की फ़ज़ीलत।

जब यह कलिमा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दुनिया वालों के सामने रखा, तो ज़िद और गुस्से में आ कर और बौखला कर बातिल परस्तों ने कहा-

क़ुरआन शरीफ़ के 23 वें पारे में सूरः साफ़्फ़ात के दूसरे रुकूअ में आयत न० 36 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - और कहने लगे कि क्या हम अपने माबूदों को एक शायर और पागल के कहने पर छोड़ देंगे?

यह उस रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर टाइटिल लगाया जा रहा है, जिस को अल्लाह तआला ने सारी मख़्लूक़ में बेहतरीन से बेहतरीन बताया है। आप को जादूगर कहा गया, आप को शायर कहा गया, आप को मआज़ल्लाह ! पागल कहा गया। जब ये लफ़्ज़ उन बातिलपरस्तों ने अदा किये तो उन का जवाब ख़ुदा-ए-करीम ने इन लफ़्ज़ों में दिया-

क़ुरआन करीम के सत्ताईसवें पारे में सूरः तूर के दूसरे रुकूअ में आयत न० 29 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - आप समझाते रहिए, क्योंकि आप अल्लाह तआला के फ़ज़्ल से न तो काहिन हैं, न मजनू हैं।

हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तारीफ़ में क़ुरआन करीम भरा हुआ है। ऐसा रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) जो सारी दुनिया के लिए रहमत बना कर भेजा गया है, उन जाहिलों को पागल नज़र आ रहा था। इस की वजह यह थी कि अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को पागल न कहते, तो आप की बात माननी पड़ती और जहालत को छोड़ना पड़ता, बिल्कुल इसी तरह बातिल परस्त आज हक़ परस्तों को वह्हाबी कह कर हक़ बात को टाल रहे हैं। अगर लह्हाबी, लह्हाबी न कहें, तो उन को क़ुरआन व हदीस को मानना पड़ता है। नफ़सानियत और जहालत को दुन्या में बाहाल रख कर अपनी नफ़्सानी ख़्वाहिश पूरी करने के लिए हक़परस्तों को बुरा कहना लाज़िमी चीज़ है। अगर हक़परस्तों को बुरा न कहें, तो उन के रस्म व रिवाज निभ नहीं सकते बल्कि उन को तर्क करना पड़ेगा, लेकिन अल्लाह तआला जिन को हिदायत देना चाहते हैं, वे सीधे रास्ते पर आ जाते हैं और तमाम रस्म व रिवाज से भी तौबा कर लेते हैं।

हदीस – हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, फ़रमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने–

सुब्हानल्लाह कहना भरता है तराज़ू के आधे पलड़े को (यानी आमालनामे की तराज़ू के पलड़े को) और अल्हम्दु लिल्लाह कहना भरता है सारी तराज़ू को और 'लाइला–ह इल्लल्लाह' कहने वाले के लिए ख़ुदा तक पहुंचाने के लिए कोई परदा हायल नहीं है, वह सीधा ख़ुदा तक पहुंचता है।

हवाला
1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 381, हदीस 2188, तस्बीह, तह्मीद तहलील और तक्बीर की फ़ज़ीलत,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 280, तस्बीह, तह्मीद तह्लील और तक्बीर की फ़ज़ीलत।

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है,

क़ियामत के दिन जिन लोगों की मैं शफ़ाअत करूंगा, उन में ज़्यादा ख़ुशनसीब वह आदमी होगा, जिसने ख़ालिस दिल से 'लाइला–ह इल्लल्लाहु कहा होगा–

हवाला
1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 809, हदीस 5308, हौज़े कौसर और शफ़ाअत का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 392, हौज़े कौसर और शफ़ाअत का बयान।

हदीस – हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, फ़रमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि जिस आदमी का आख़िरी कलाम 'लाइला–ह इल्लल्लाह' होगा, वह जन्नत में दाखिल होगा।

हवाला 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 284, हदीस 1527, जांकनी के वक़्त तल्क़ीन के बयान में,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 31, जांकनी के वक़्त तल्क़ीन के बयान में।

इस कलिमा-ए-शरीफ़ को जिस वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दुनिया में फैलाया तो जिस को क़ुबूल करना था उसने क़ुबूल किया और जिस को क़ुबूल नहीं करना था, नहीं किया, मगर हम को यहां यह बताना है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के क़ल्बे मुबारक में 'ला इलाह इल्लल्लाह' कहने वाले के लिए किस क़दर मुहब्बत थी और इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का दावा करने वालों के दिल में 'लाइला-ह इल्लल्लाहु' कहने वालों के लिए कितनी मुहब्बत है? इसका फ़ैसला आप ख़ुद ही कर लीजिए।

हदीस – हज़रत अबू मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

जिसने लाइला-ह इल्लल्लाह कहा और उन माबूदों का इंकार कर दिया, जिन की ख़ुदा के सिवा इबादत की जाती है, उसने अपने माल व जान को मुझे से बचा लिया और उस के इक़रार की हक़ीक़त का हिसाब लेना ख़ुदा पर है।

हवाला – सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 8, हदीस 12, बाब 7, किताबुल ईमान।

हदीस हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रामाया कि मुझ को लोगों से उस वक़्त तक लड़ने का हुक्म दिया गया है, जब तक वे ला इला-ह इल्लल्लाह न कहें, लेकिन जब ला इला-ह इल्लल्लाह कह लें, तो उन्होंने अपनी जान व माल को मुझसे बचा लिया, मगर किसी शरई हक़ के बारे में क़िसास (यानि बदला देना) होगा और ऐसे आदमी का हिसाब अल्लाह के ज़िम्मे हैं, वही उस का हिसाब लेगा।

हवाला 1. सही बुख़ारी शरीफ़ जिल्द 3, पारा 28, पृ० 420, हदीस 1815, बाबुल मुर्तद,

2. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 94, हदीस 467, अब-वाबुल ईमान,

3. इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 586, हदीस 3921, बाबुल फ़ित्ना।

हदीस – हज़रत मिक़्दाद बिन अम्र कुन्दी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैं ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से पूछा, आप मुझे बताइए, अगर में किसी काफ़िर से लड़ूं और हम ख़ूब लड़ें और वह मेरा एक हाथ तलवार से उड़ा दे, फिर मुझ से (डर कर) एक पेड़ की पनाह ले ले और कहे कि मैं ख़ुदा पर (ईमान और) इस्लाम ले आया, उसको इस इक़रार के बाद मारूं (या नहीं) ? आपने फ़रमाया, उसको मत मारो। हज़रत मिक़्दाद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! उसने मेरा हाथ काट दिया है, फिर काटने के बाद यह कलिमा कहा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, उसे हरगिज़ न मारो। अगर तूने उसे मार दिया, तो वह तेरी जगह गिना जाएगा, जैसा कि

तू उस के मारने से पहले था और तू उस की जगह गिना जाएगा जैसे वह इस कलिमा के कहने से पहले था।

हवाला –सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 16, पृ॰ 303, हदीस 1182, किताबुल मग़ाज़ी।

हदीस – हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मुझ को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक फ़ौज़ के साथ भेजा, हम (रवाना) होकर सुबह ही सुबह कबीला जुहैना की आबादियों के क़रीब पहुंच गये। मैंने एक आदमी को जा पकड़ा, उसने फ़ौरन 'ला इला-ह इल्लल्लाह' कह दिया। मैंने उस को नेज़ा मारा और क़त्ल कर दिया। उस के बाद मेरे दिल में अफ़सोस पैदा हुआ कि तू ने यह काम अच्छा नहीं किया। वापस पहुंच कर मैं ने उसका ज़िक्र हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से किया, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि 'ला इला-ह इल्लल्लाह' कहने के बाद भी तुमने उस को मार डाला? मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम! उसने हथियारों के डर से ला इला-ह इल्लल्लाह कहा, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि तुमने उसका दिल चीर कर क्यों न देखा कि उसने यह कलिमा दिल से कहा था या हथियारों के डर से? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बार-बार मेरे सामने ये लफ़्ज़ दोहराते रहे, मेरे दिल में यह आरज़ू पैदा हुई कि काश! मैं आज ही मुसलमान हुआ होता।

हवाला
1. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ॰ 16, हदीस 78, बाब 38, किताबुल ईमान,
2. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 2 पारा 17, पृ॰ 367, हदीस 1399, किताबुल मग़ाज़ी,
3. सही मुस्लिम शरीफ़ जिल्द 1 पृ॰ 17, हदीस 79 में इतना और ज़्यादा है कि क़ियामत के दिन, ऐ उसामा! तुम उसके 'ला इला-ह इल्लल्लाह' का क्या जवाब दोगे? यह इबारत तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 9, पृ॰ 101, सूरः अनफ़ाल के पांचवें रुकूअ की तफ़्सीर में भी है।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अपने मरने वाले को ला इला-ह इल्लल्लाह की गवाही की तलक़ीन करो। मौत के वक़्त जिसने इसे कह लिया, उसके लिए जन्नत वाजिब हो गयी। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! जिसने ज़िन्दगी में कह लिया? आपने फ़रमाया, उस के लिए और ज़्यादा वाजिब हो गयी। क़सम ख़ुदा की जिस के हाथ में मेरी जान है कि ज़मीन व आसमान और उन की और उन के दर्मियान की और उन के नीचे की तमाम चीज़ें तराज़ू के एक पलड़े में रख दी जाएं और ला इला-ह इल्लल्लाह की गवाही दूसरे पलड़े में रखी जाए, वह इन सब से वज़न में बढ़ जाएगी।

हवाला – तफ़्सीर इब्ने कसीर, पारा 16, पृ॰ 52, सूरः मरयम के छठे रुकूअ की तफ़्सीर में।

हदीस – हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया–

जिस आदमी ने इस एतकाद पर वफ़ात पायी कि ख़ुदा के सिवा कोई भी इबादत के क़ाबिल नहीं है (यानि मरते वक़्त ला इला-ह इल्लल्लाह कहा तो) वह जन्नत में दाख़िल होगा।

हवाला – सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 9, हदीस 14, बाब 9, किताबुल ईमान।

मेरे अज़ीज़ दोस्त! अपनी ज़ुबान क़ाबू में रख, किसी को बुरा कहने से चुप रहना ही बेहतर है।

तेरा यह कलिमा, जो तू ने ज़ुबान से ला इला-ह इल्लल्लाह कहा है, वह तुझ को कब और किस वक़्त और किस हालत में काम आ सकता है, इस का जवाब हज़रत सय्यिदुना अब्दुल क़ादिर जीलानी रमतुल्लाहि अलैहि यानी बड़े पीर साहब फ़रमाते हैं।

जब तूने ला इला-ह इल्लल्लाह कहा कि कोई माबूद नहीं, अलावा अल्लाह के, तो (तौहीद का) दावेदार बन गया। अब कहा जाएगा, बता कोई तेरा गवाह भी है? वह गवाह क्या है ? हुक्म मानना, मना की गयी चीज़ों से बाज़ रहना, मुसीबतों पर सब्र करना और तक़्दीर के सामने गरदन झुकाना, ये इस दावे के गवाह हैं और यह भी हक़ तआला के लिए इख़्लास के बग़ैर मक़्बुल न होंगे, क्योंकि कोई क़ौल क़ुबूल नहीं होता बिला अमल के और कोई अमल मक़्बूल नहीं होता बग़ैर इख़्लास और सुन्नत की मुवाफ़क़त के।

हवाला – फ़ुयूज़े यज़दानी पृ० 31, मज्लिस 2

हज़रत सय्यिदुना अब्दुल क़ादिर जीलानी रह्मतुल्लाहि अलैहि यानी बड़े पीर साहब फ़रमाते हैं–

तुझ पर अफ़सोस है कि तेरी ज़ुबान मुसलमान है, मगर दिल मुसलमान नहीं तेरा क़ौल मुसलमान है, मगर अमल मुसलमान नहीं, तू अपनी जलवत में मुसलमान है, मगर ख़लवत में मुसलमान नहीं।

हवाला – फ़ुयूज़े यज़दानी, पृ० 36, मज्लिस 3।

मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह

सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम

क़ुरआन करीम के छब्बीसवें पारे में सूर: फ़त्ह के चौथे रुकूअ में आयत न० 29 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा –मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अल्लाह के रसूल हैं।

हदीस हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक फ़ौज नज्द की तरफ़ रवाना फ़रमायी। उस फ़ौज के लोग क़बीला बनू हनीफ़ा के एक आदमी को पकड़ लाए, जिस का नाम समामा बिन उसाल था और जो शहर यमामा के लोगों का सरदार था। लोगों ने उस को मस्जिदे नबवी के एक सतून से बांध दिया।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उस के पास तशरीफ़ लाये तो पूछा, समामा तेरा क्या हाल है? या तू क्या ख़्याल रखता है कि मैं तेरे साथ किस किस्म का सुलूक करूंगा ? समामा ने कहा, मुहम्मद! मेरे पास माल व दौलत है, अगर तुम मुझ को क़त्ल करोगे , तो एक ऐसे आदमी को क़त्ल करोगे, जो ख़ून करने की वजह से क़त्ल का हक़दार है या तुम मुझ को क़त्ल करोगे, तो ऐसे आदमी को क़त्ल करोगे, जिस का ख़ून बेकार नहीं जाएगा, (बल्कि मेरी क़ौम मेरे ख़ून का बदला लेगी) और अगर बख़्शिश करोगे, तो ऐसे आदमी पर करोगे जो शुक्र गुज़ार और क़दरदान है। (यानि उस का बदला तुम को दिया जाएगा।) अगर तुम माल के ख़्वाहिशमंद हो तो, जो मांगोगे, दिया जाएगा। (यह सुन कर) रसूलुल्लाह सल्लललाहु अलैहि व सललम ने उस को उसके हाल पर छोड़ दिया। दूसरे दिन फिर उससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने पूछा, समामा क्या हाल है ? उसने कहा, मैं फिर वही कहता हूं जो कह चुका हूं यानी अगर इनाम करोगे (यानी मुझ को छोड़ दो) तो एहसान व इक्राम करोगे क़दरदान पर और अगर क़त्ल करोगे तो कत्ल करोगे ख़ून वाले को और अगर माल के ख़्वाहिंशमंद हो, तो जिस क़दर चाहोगे दिया जाएगा। उस दिन भी रसूलुल्लाह सल्ललाहु अलैहि व सल्लम ने उस को उस के हाल पर छोड़ दिया। तीसरे दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फिर उस से पूछा, समामा! क्या बात है? उसने कहा, वही बात है, जो मैं आप से कह चुका हूं, यानी अगर बख़्शिश करोगे, तो बख़्शिश करोगे क़दरदान पर और क़त्ल करोगे तो क़त्ल करोगे ख़ून वाले को और अगर माल चाहते हो तो जिस क़दर मांगोगे, दिया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने लोगों से फ़रमाया समामा को छोड़ दो। चुनांचे उस को सतून से खोल दिया, वह मस्जिद से निकला और खूजूर के पेड़ों में चला गया, जो मस्जिद के क़रीब थे और वहां से ग़ुस्ल कर के फिर मस्जिद में आया और कहा, मैं गवाही देता हूं (यानी सच्चे दिल से इक़रार करता हूं) कि खुदा के सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं और गवाही देता हूं कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खुदा के बन्दे और खुदा के रसूल हैं–ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! ख़ुदा की क़सम ! रू–ए ज़मीन पर तुम्हारे चेहरे से ज़्यादा नफ़रत भरा हुआ मेरे नज़दीक कोई चेहरा न था, लेकिन अब आप का चेहरा सारी दुनिया के चहरों से मुझको ज़्यादा महबूब है और क़सम है खुदा की ! मेरे नज़दीक तुम्हारे दीन से ज़्यादा नफ़रत भरा कोई दीन न था, लेकिन अब आप का दीन सारे दीनों से ज़्यादा मुझ को पसन्द है और क़सम है अल्लह की, मेरे ख़्याल में तुम्हारे शहर से ज़्यादा नफ़रत भरा हुआ कोई शहर नहीं था, लेकिन अब आप का शहर मुझे सारे शहरों से ज़्यादा महबूब है। (ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम !) मैं उमरे का इरादा रखता था कि आप की फ़ौज ने मुझ को गिरफ़्तार कर लिया, अब आप मुझको क्या हुक्म देते हैं ? आप ने उसको ख़ुशख़बरी दी कि (इस्लाम क़ुबूल करने की वजह से उस के सारे गुनाह बख़्श दिये गये) और फिर हुक्म दिया कि वह उमरा कर ले, फिर जब समामा मक्का में आया, तो किसी आदमी ने उस से कहा, क्या तू बे दीन हो गया ? उसने कहा, नहीं। मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर ईमान लाया

हूं, बद दीन नहीं हुआ हूं। क़सम है खुदा की! अब यमामा से तुमको गेहूं का एक दाना भी नहीं भेजा जाएगा, जब तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इजाज़त न दें।

हवाला 1. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 46, हदीस 225, बाब 84, किताबुल जिहाद,
2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 603, हदीस 3764, कैदियों के अह्काम के बयान में,
3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 3, पृ० 418, कैदियों के अह्काम के बयान में।

यह समामा रज़ियल्लाहु अन्हु जब तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से दूर थे, आप की हर चीज़ बुरी नज़र आ रही थी, लेकिन जब क़रीब आए, तो हर चीज़ भली नज़र आने लगी।

मेरे मोह्तरम ! आप जिन लोगों को बुरा समझ रहे है, अगर उनके क़रीब जाएंगे तो इन्शाअल्लाह वे भले ही भले नज़र आएंगे।

हज़रत समामा रज़ियल्लाहु अन्हु जब मक्का जाते हैं, तो मक्का वालों ने हज़रत समामा रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि ऐ समामा! तू बे-दीन हो गया। इस से आप अन्दाजा लगा लें कि हर ज़माने में बातिल परस्तों को हक़ परस्त बे-दीन ही नज़र आते हैं और यही हालत आज हिन्दुस्तान में रहने वालों की है।

ऐ मेरे अज़ीज़ दोस्त ! सारी दुनिया में एक आदमी भी आप को ऐसा नहीं मिलेगा जो कलिमा तैबिया सच्चे दिल से यक़ीन के साथ पढ़ने के बावजूद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से दुश्मनी रखता हो, मगर सिर्फ़ मुहब्बत काम नहीं दे सकती, शरीअत पर अमल करने की भी ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के चचा अबू तालिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से बहुत मुहब्बत करते थे, लेकिन आप की लायी हुई शरीअत पर ईमान और अमल नहीं था, तो जन्नत से महरूम रह गये।

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि- मेरी कुल उम्मत जन्नत में दाख़िल होगी, मगर जो इंकार करेगा (वह जन्नत में दाख़िल न होगा), पूछा गया, वह कौन है जिसने इंकार किया? फ़रमाया, जिसने मेरी नाफ़रमानी की, उसने मेरा इंकार किया, (और वह जन्नत में दाख़िल नहीं होगा)

हवाला 1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 29, पृ० 510 हदीस 2141, किताबुल एतसाम,
2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 105, हदीस 134, सुन्नतों का बयान,.
3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 69, किताबुल ईमान।

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि फ़रमाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि-

क़सम है उस की, जिस के क़ब्ज़े में मेरी जान है कि इस उम्मत में से जो आदमी भी हो, चाहे नसरानी (ईसाई) हो, चाहे यहूदी हो, मेरी नुबूवत की ख़बर पाएगा और मेरी लायी हुई

शरीअत पर ईमान लाए बग़ैर मर जाएगा, वह यक़ीनन जहन्नमी है।

हवाला 1. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 28, हदीस 140, बाब 63, किताबुल ईमान,
2. तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 12, पृ० 4, सूरः हूद के पहले रुकूअ की तफ़सीर में।

ऊपर की हदीसें तो आपने इताअत यानी पैरवी और फ़रमांबरदारी के बारे में सुनी। आइए, अब मुहब्बत के बारे में भी हदीसें सुनिए।

हदीस – हज़रत अब्दुल्लाह बिन हिशाम रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ थे और आप हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का हाथ पकड़े हुए थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! आप मुझको सिवाए मेरी जान के हर चीज़ से ज़्यादा प्यारे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, नहीं ऐ उमर! क़सम है उस ज़ात की, जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है, जब तक तू अपनी जान से भी ज़्यादा मुझको प्यारा न समझेगा (तब तक तेरा ईमान कामिल न होगा)। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया कि हुज़ूर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) बेशक अब आप मुझे मेरी जान से भी ज़्यादा प्यारे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, हां, अब ऐ उमर! (तुम्हारा ईमान कामिल हुआ।)

हवाला –सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3; पारा 27 पृ० 351, हदीस 1538, बाबुन्नुज़ुर।

हदीस –हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया–

कोई बन्दा या कोई आदमी उस समय तक मोमिन नहीं हो सकता, जब तक मैं उसकी नज़र में उस के बाल बच्चे, माल और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब और प्यारा न हो जाऊं।

हवाला 1. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 11, हदीस 26, बाब 14, किताबुल ईमान,
2. इब्नेमाजा शरीफ़, पृ० 43, हदीस 70, राय और क़ियास का बयान।

मेरे दोस्तों! नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मुहब्बत और आप के हुक्म की ताबेदारी दोनों बातें होनी चाहिएं। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को जैसी मुहब्बत हुज़ूरे अनवर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से थी, वैसी ही मुहब्बत आप की लायी हुई शरीअत पर अमल करने से भी थी।

हदीस हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुज़ूरे पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक आदमी के हाथ में सोने की अंगूठी देखी, तो आपने (उस के हाथ से) उतार कर फेंक दी और फ़रमाया कि क्या आदमी जान बूझ कर आग का अंगारा उठा कर अपनी हथेली पर रख सकेगा? जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तशरीफ़ ले गये, तो उस आदमी से कहा गया कि अपनी अंगूठी उठा ले और उस से नफ़ा हासिल कर। उस आदमी ने कहा, जिस चीज़ को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फेंक दिया, मैं उस को कभी न उठाऊंगा।

हवाला – सही मुस्लिम शरीफ़ जिल्द 2, पृ० 101, हदीस 473, बाब 227, किताबुल्लिबास।

हदीस – हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सोने की एक अंगूठी बनवायी थी। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उस को पहनते, तो उस का नग अन्दर कर लेते और लोगों ने आपकी अंगूठी देख कर अगूंठियां बनवा लीं। एक दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मिम्बर पर बैठ कर अपनी उंगली से अंगूठी निकाली और फ़रमाया, मैं इस अगूंठी को पहना करता था और इस का नग हथेली की तरफ़ रखता था। यह फ़रमा कर आपने अगूंठी को फेंक दिया और फ़रमाया, 'खुदा की क़सम ! अब मैं इस को कभी नहीं पहनूंगा।' यह देख कर लोगों ने अपनी अपनी अगूंठियों को फेंक दिया।

हवाला – सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 101, हदीस 474, बाब 227, लिबास के बयान में।

सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन जितना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को मानते थे, उतना ही मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हुक्म को भी मानते थे और आज हमारे में ज़्यादातर मुसलमान ऐसे हैं कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को तो मानते हैं, लेकिन आप के हुक्म को नहीं मानते।

हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बैतुल मक़्दिस की तरफ़ मुंह कर के नमाज़ पढ़ते थे और यहूद व नसारा भी बैतुल मक़्दिस की तरफ़ मुंह कर के नमाज़ पढ़ते थे, तो इस हालत में यह तमीज़ करना मुश्किल था कि इन में मुसलमान कौन है और यहूदी व नसारा कौन हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तमन्ना थी कि अल्लाह तआला काबे को क़िब्ला बना दे, तो हम काबा की तरफ़ मुंह कर के नमाज़ पढ़ें, ताकि मुसलमान और यहूद व नसारा (ईसाई) दोनों में फ़र्क़ हो जाए, तो इर्शाद होता है–

क़ुरआन करीम के दूसरे पारे में सूरः बक़रः के सत्तरहवें रुकूअ में आयत न० 144 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है –

तर्जुमा –हमने तेरे मुंह (मुबारक) को आसमान की तरफ़ बार-बार उठाना देखा। अब हम तुझे उस क़िब्ले को जानिब हुक्म करेंगे, जिससे आप खुश हो जाएं, तो अपना मुंह मस्जिदुल हराम की तरफ़ फेर ले और तुम जहां कहीं भी हो, अपना मुंह उसी की तरफ़ किया करो।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, इस हाल में कि लोग मक़ामे क़ुबा में सुबह की नमाज़ में थे (और उन के मुंह बैतुल मक़्दिस की तरफ़ थे) कि एक आदमी उनके पास आया और उसने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर आज की रात एक आयत नाज़िल की गयी है और आप को हुक्म दिया गया है कि काबे की तरफ़ मुंह करके नमाज़ पढ़ें, पस (इतना सुनते ही) सब लोगों ने काबा की तरफ़ मुंह कर लिये, वरना उन के मुंह शाम की तरफ़ (यानी बैतुल मक़्दिस की तरफ़) थे, तो वे काबा की तरफ़ फिर गये।

हवाला –सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1, पारा 2, पृ० 107, हदीस 387, नमाज़ के बयान में।

यह थे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को मानने वाले, यानी सलाम फेरने तक इन्तिज़ार नहीं किया, बल्कि फ़ौरन उसी वक़्त नमाज़ की हालत में ही घूम गये और यह भी

नहीं पूछा कि कहने वाला सनद वाला है या ग़ैर-सनद वाला, देवबन्द का रहने वाला है या बरेली का, कहने वाला शीआ था या सुन्नी था या हब्शी था, मालदार था या ग़रीब था, ग़ुलाम थ या आज़ाद था, यह कुछ भी नहीं पूछा और देखा तो सिर्फ़ इतना देखा कि हुक्म किस का था।

क़ुरआन करीम के दूसरे पारे में सूर: बकर: के इक्कीसवें रुकूअ में आयत 177 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है।

तर्जुमा – सारी भलाई मश्रिक़ व मग़्रिब की तरफ़ मुंह करने में ही नहीं, बल्कि हक़ीक़तन भला वह आदमी है, जो अल्लाह तआला पर, क़ियामत के दिन पर, फ़रिश्तों पर, अल्लाह की किताब पर और नबियों पर ईमान रखने वाला हो जो उस की मुहब्बत में माल खर्च करे, रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों, मुसाफ़िरों और सवाल करने वाले को दे, ग़ुलामों को आज़ाद करे, नमाज़ की पाबन्दी और ज़कात की अदाएगी करे, जब वायदा करे, उसे पूरा करे, तंगदस्ती, दुख-दर्द और लड़ाई के वक़्त सब्र करे। यही सच्चे लोग हैं और यही परहेज़गार हैं।

मोमिनों को पहले तो हुक्म हुआ कि वह बैतुल मक़्दिस की तरफ़ मुंह कर के नमाज़ पढ़ें, फिर उन्हें काबा की तरफ़ घुमा दिया गया, जो अह्ले किताब पर और कुछ ईमान वालों पर भी बोझ गुज़रा, पस अल्लाह तआला ने उसकी हिक्मत बयान फ़रमायी कि असल मक़्सद इताअते फ़रमाने ख़ुदा है। वह जिधर मुंह करने को कहे कर लो। असल तक़्वा, असल भलाई और कामिल ईमान यही है कि मालिक के ज़ेरे फ़रमान रहे। अगर कोई मश्रिक की तरफ़ मुंह कर ले या मग़्रिब की तरफ़ मुंह फेर ले और ख़ुदा का हुक्म न हो तो वह इस तवज्जोह से ईमानदार नहीं हो जाएगा, मगर हक़ीक़त में बा-ईमान वह है, जिस में वे औसाफ़ हों, जो इस आयत में बयान हुए।

हवाला –तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 2, पृ० 24, सूर: बकर: के इक्कीसवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

मेरे अज़ीज़ दोस्त ! यह था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बात मुबारक पर अमल। अब आप भी अगर अपने आप को आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कहते हैं और हक़ीक़त में आप सच्चे आशिक़ हैं, तो ग़ुस्सा को, ज़िद को और नफ़्सानियत को छोड़ कर अपनी ईमानदारी के साथ इस किताब के एक एक मस्अले पर दिल से ग़ौर करना और फिर इंसाफ़ के साथ फ़ैसला करना कि सच क्या है ? मैं आप से दौलत नहीं मांगता, सिर्फ़ ईमानदारी के साथ इंसाफ़ मागता हूं और वह भी आप की भलाई के लिए कहता हूं कि शरीअत पर अमल करो और जहालत को छोड़ दो।

हदीस – हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैं एक दिन अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु के घर लोगों को शराब पिला रहा था, उस दिन उसके हराम होने का हुक्म उतरा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक आदमी को मुनादी करने का हुक्म फ़रमाया, वह मुनादी करता फिरता था। अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुझ से कहा, बाहर जाकर तो देख, यह कैसी आवाज़ है? मैं बहार आया ! मैंने सुना कि एक आदमी मुनादी कर रहा है, ख़बरदार हो जाओ, आज से शराब हराम कर दी गयी। मैंने यह अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा,

उन्होंने कहा, जाओ जो शराब रखी है, उसे फेंक दो। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि उस दिन मदीना शरीफ़ा की तमाम गलियों में शराब बही-बही फिर रही थी।

हवाला 1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 18, पृ० 469, हदीस 1722, सूर: माइदा की तफ़्सीर में।

2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 87, हदीस 387, बाब 185, बाबुल अश्रिब:।

मेरे मोहतरम दोस्त ! ये लोग थे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को मानने वाले। जब सुना कि आज से शराब हराम कर दी गयी है, तो जिस के हाथ में थी, उस के हाथ में ही रह गयी और जिसके होंठों पर थी, उस के होंठों पर ही रह गयी और जिसके मुंह में थी, उसके मुहं में ही रह गयी, हलक़ से नीचे न उतरी, हालांकि यह शराब उन लोगों को इतनी प्यारी थी कि उस के गीत गाये जाते थे और घर में शराब के मटकों के मटके भरे हुए थे, मगर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हुर्मत का एलान किया, तो उन तामाम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने, जिन के घरों में शराब रखी हुई थी, मटकों के मटके औंधे कर दिये और तमाम शराब फेंक दी। उस वक़्त मदीने की गलियों में शराब इस तरह बहती फिर रही थी, जैसे कि बरसात का पानी गलियों में बहता फिरता है।

क़ुरआन मजीद के सातवें पारे में सूर: माइदा के बाहरवें रुकूअ में आयत न० 90, 91, 92 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा – ऐ ईमान वालो ! शराब और जुआ और बुत और पांसे, ये सब नापाक काम और आमाल शैतान से हैं। तुम इन से बचते रहना, ताकि निजात पाओ। शैतान तो चाहता है कि शराब और जुवे की वजह से तुम्हारे अन्दर आपस में दुश्मनी और रंजिश डलवा दे और तुम्हें खुदा की याद से रोक दे नमाज़ से रोक दे, तो तुम को इन कामों से बाज़ रहना चाहिए और खुदा की फ़रमांबरदारी और रूसल सल्ल० की पैरवी करते रहो और डरते रहो और अगर मुंह फेरोगे तो जान लो कि हमारे पैग़म्बर सल्ल० के ज़िम्मे तो सिर्फ़ पैग़ाम पहुंचा देना है।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने आम शराब और जुआ और गेहूं की शराब और शतरंज और चौसर, गाने-बजाने के आले (सामान) सब हराम कर दिये हैं और सिर्फ़ मुझ पर सलाते वित्र वाजिब फ़रमायी है।

हवाला – तफ़्सीर इब्ने कसीर, पारा सातवां, पृ० 11, सूर: माइदा के बारहवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, कि शराब के दस मुताल्लक़ात, पर लानत, खुद शराब पर लानत, पीने और पिलाने वाले पर लानत बेचने वाले और खीदने वाले पर लानत, शराब निचोड़ने वाले, शराब बनाने वाले, शराब उठा कर ले जाने वाले और जिस की तरफ़ ले जा रहा हो, उस पर और शराब की क़ीमत खाने वाले, उन सब पर लानत।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 7, पृ० 12 सूरः माइदा के बारहवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

कुरआन करीम के अठारहवें पारे में सूरः नूर के नवें रुकूअ में आयत न० 63 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है।

तर्जुमा – अब जो लोग रसूल के हुक्म की मुख़ालफ़त करते हैं, उन को इस से डरना चाहिए कि उन पर कोई आफ़त आ पड़े या उन पर कोई दर्दनाक अज़ाब नाज़िल हो जाए। जो लोग रसूलुल्लाह अलैहि व सल्लम का तरीक़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शरअ़ या रसूल के हुक्म के खिलाफ़ करें, वे सज़ायाब होंगे। इंसान को अपने क़ौल व फ़ैल रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नतों और हदीसों से मिलाने चाहिएं, जो मुवाफ़िक़ हों, अच्छे हैं, जो मुवाफ़िक़ न हों, मर्दूद हैं।

हवाला –तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 18, पृ० 86, सूरः नूर के नवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

अफ़सोस, आज शराब की भट्ठियां चल रही हैं, तो मुसलमानों की और जुए के अड्डे चल रहे हैं तो मुसलमानों के और बुतपरस्ती के ठेकेदार हैं, तो मुसलमान ही और दावा करते हैं रसूल की मुहब्बत का।

कलिमा-ए-तय्यिबः

'ला इला-ह इल्लल्लाह'

(नहीं कोई माबूद सिवा-ए-अल्लाह के)

'मुहम्मदुर्र सूलुल्लाह'

(मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं)

यह वह पाक कलिमा है, जिस को सच्चे दिल से ईमानदारी के साथ जब कोई आदमी पढ़ता है, तो क्या से क्या हो जाता है। इस कलिमा-ए-पाक के पढ़ने से पहले मुश्रिक था, अब मुसलमान हो जाता है, पहले जहालत में था, अब शरीअत में आ जाता है, पहले गुमराह था, अब हिदायत पाया हुआ समझा जाता है। इस पाक कलिमे के पढ़ने वालों के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मुबारक दिल में किस क़दर इज़्ज़त थी और हमारे दिल में इस पाक कलिमे के पढ़ने वालों के लिए कितनी इज़्ज़त है, इस का आप खुद ही इन्साफ़ कर लेना।

हदीस – हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इस हाल में कि हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु सवारी पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पीछे थे, आपने फ़रमाया कि ऐ मुआज़ बिन जबल! उन्होंने अर्ज़ किया लब्बैक, या रसूलल्लाहु अलैहि व सल्लम! फिर आपने फ़रमाया, ऐ मुआज़! उन्होंने अर्ज़ किया कि लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! तीसरी मर्तबा (ऐसा ही कहा, फिर) आपने फ़रमाया, ऐ मुआज़! जो कोई अपने सच्चे दिल से इस बात की गवाही दे कि सिवाए

खुदा के कोई इबादत के लायक नहीं और मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह तआला उस पर (जहन्नम की) आग हराम कर देता है। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! क्या मैं लोगों को इसकी ख़बर कर दूं ? ताकि वे खुश हो जाएं। आपने फ़रमाया कि इस वक़्त (जब कि तुम ख़बर कर दोगे) तो लोग इसी पर भरोसा कर लेंगे (और शरीअत पर अमल नहीं करेंगे)।

मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह हदीस अपनी मौत के वक़्त गुनाह के डर से बयान कर दी, (क्योंकि हदीस को छिपाना भी गुनाह है।)

हवाला 1. सही बुखारी शरीफ़, जिल्द 1. पारा 1, पृ० 45, हदीस न० 124, किताबुल इल्म,
2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 10, हदीस 18 बाब 9, किताबुल ईमान,
3. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 85, हदीस 22, ईमान का बयान,
4. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 32, ईमान का बयान।

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! क़ियामत के दिन इन सब लोगों में से ज़्यादा बहरामन्द (यानी फ़ायदा उठाने वाला) आप की शफ़ाअत से कौन होगा? रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि बेशक मुझे ख़्याल था, ऐ अबूहुरैरह (रज़ियल्लाहु अन्हु !) कि तुम से पहले कोई यह बात मुझ से ने पूछेगा, इसलिए कि मैं ने तुम्हारी हिर्स हदीस (के मालूम करने) पर देख ली। सब के ज़्यादा बहरामन्द मेरी शफ़ाअत से क़ियामत के दिन वह आदमी होगा, जो अपने ख़ालिस दिल से या ख़लिस जी से 'ला इला-ह इल्लल्लाहु मुहम्दुर्रसूलुल्लाह' कह दे।

हवाला – सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1, पारा 1, पृ० 37, हदीस 97, किताबुल इल्म।

हदीस – हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को फ़रमाते हुए सुना, क़ियामत के दिन अल्लाह तआला मेरी उम्मत में से एक आदमी को चुन कर अलग कर देगा और उस पर निन्नान्वे दफ़्तर गुनाहों के खोल देगा। हर दफ़्दर इतनी-इतनी दूर तक होगा, जितनी दूर तक निगाह जाती होगी। फिर हक़ सुब्हानहू व तआला फ़रमाएगा, क्या इन में से तुझे किसी (गुनाह) से इंकार है? यह तेरे सामने तेरे आलामनामे हैं, इनको देख ले, क्या मेरे लिखने वाले मुहाफ़िज़ों (यानी किरामन कातिबीन) ने तुझ पर कोई ज़ुल्म किया है ? वह अर्ज़ करेगा, नहीं, ऐ परवरदिगार ! (जो कुछ लिखा है, बिल्कुल ठीक लिखा है) फिर इर्शाद होगा, अच्छा, तेरा कोई उज़्र है? वह अर्ज़ करेगा, नहीं ऐ परवरदिगार! (मेरा कोई उज़्र नहीं !) फिर फ़रमाने इलाही होगा, मेरे पास तेरी एक नेकी है और यह बिल्कुल यक़ीनी (बात) है कि आज तुझ पर कोई ज़ुल्म नहीं होगा। इतने में एक कपड़े में लिपटा हुआ एक परचा निकाला जाएगा, जिस में लिखा होगा-

'अश्हदु अल-ला इला-ह इल्लल्लाहु व अश्हदु अन-न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू०'

अल्लाह तआला उस से फ़रमायेगा कि अपनी मीज़ान के पास हाज़िर हो। वह अर्ज़ करेगा! भला इन दफ़्तरों के मुक़ाबले में इस परचे की क्या हक़ीक़त है ? अल्लाह तआला फ़रमायेगा, हां आज तुझ पर कोई ज़ुल्म न किया जाएगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि उस के तमाम दफ़्तर एक पलड़े में रखे जाएंगे और वह परचा दूसरे पलड़े में रखा जाएगा और रखते ही दफ़्तरों वाला पलड़ा ऊंचा हो जाएगा और परचे वाला पलड़ा भारी हो जाएगा और अल्लाह तआला के नाम के मुक़ाबले में कोई चीज़ भी भारी नहीं होती।

हवाला 1. तिर्मिज़ी, शरीफ़ जिल्द 2, पृ० 101, हदीस 499, किताबुल ईमान,
2. इब्नेमाजा शरीफ़ पृ० 652, हदीस 4297, परहेज़गारी का बाब,
3. तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 17, पृ० 14, सूर: अंबिया के चौथे रुकूअ की तफ़्सीर में।

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मैं शहादत (गवाही) देता हूं कि खुदा के सिवा कोई माबूद इबादत के क़ाबिल नहीं, फिर यह शहादत देता हूं कि मैं खुदा का रसूल हूं। जो आदमी इन दोनों बातों पर सच्चा एतक़ाद रखता हो और खुदा की वह्दानियत और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की रिसालत में किसी क़िस्म का शक और शुब्हा उस को न हो, वह मरने के बाद ज़रूर जन्नत में दाख़िल होगा। (मुख़्तसर)

हवाला – हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह फ़रमाते हुए सुना है कि जिस आदमी ने खुदा को अपना परवरदिगार, इस्लाम को अपना दीन और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अपना नबी मान लिया, उस ने ईमान का मज़ा चख लिया।

हवाला – सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 10 हदीस 19, बाब 9, किताबुल ईमान।

ऐ अज़ीज़ दोस्त मेरे ! ईमान के साथ-साथ शरीअत पर अमल की भी ज़रूरत होती है और जो लोग अमल से ग़फ़िल होते हैं, तो ऐसे लोगों में गुमराही और बे-दीनी फैल जाती है। शैतान के फंदे में ग़ाफ़िल लोग ही फंसते हैं।

जो लोग कलिमा पढ़ते हैं, उन से हज़रत सय्यद अब्दुल क़ादिर जीलानी रह्मतुल्लाहि अलैहि यानी बड़े पीर साहब फ़रमाते हैं–

तू दुनिया में रहने और यहां के मज़े उड़ाने के लिए नहीं पैदा हुआ, हक़ तआला की नाराज़ियों में जिस हालत में तू मुब्तला है, उस को बदल, तू ने अल्लाह की इताअत में सिर्फ़ 'ला इला-ह इल्लल्लाहु मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह' कह लेने पर क़नाअत कर ली है, हालांकि जब तक उस के साथ दूसरी चीज़ (यानी अमल को) न मिलायेगा, यह तुझ को नफ़ा न देगा। ईमान मजमूआ है क़ौल का और अमल का, ईमान न मक़्बूल होगा और न मुफ़ीद जब तक तू मासियतों और लग़्ज़िशों और हक़ तआला की मुख़ालफ़त का मुर्तकिब होगा और उस पर अड़ा रहेगा, अगर नमाज़,

रोज़ा और सदक़ा और नेकियां छोड़ेगा, तो वह्दानियत व रिसालत की सिर्फ़ गवाही क्या नफ़ा देगी?

हवाला – फ़ुयूज़े यज़दानी, पृ० 32, मज्लिस 2

क़ुरआन शरीफ़ के तीसरे पारे में सूरः आले इम्रान के नवें रुकूअ में आयत न० 85 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – जो आदमी इस्लाम के सिवा और दीन को तलाश करे, उस का वह दीन क़ुबूल न किया जाएगा और वह आख़िरत में नुक़्सान पाने वालों में होगा।

हदीस हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, जो आदमी मरते वक़्त मेरी रिसालत की गवाही और ख़ुदा की वह्दानियत का सच्चे दिल से इक़रार कर लेगा, तो अल्लाह तआला उस को बख़्श देगा।

हवाला – इब्नेमाजा शरीफ़, पृ० 566, हदीस 3794, बाबुज़्ज़िक्र।

कलिमा तय्यिबा के दो हिस्से हैं–

एक 'ला इल-ह इल्लल्लाह,' और

दूसरा – मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह।

ला इला-ह इल्लल्लाहु का मतलब यह है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह तआला ही को अपना माबूद समझो और उसी की इबादत करो। बग़ैर इबादत के अल्लाह को हम अपना माबूद किस मुंह से कह सकते हैं। इस लिए बन्दे पर माबूद की इबादत ज़रूरी है। दूसरा यह कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अपना रसूल जाने यानी 'रिसालत की गवाही दे, कि आपकी शरीअत पर अमल करे। यह आप की रिसालत की अमली गवाही है।

मुसलमान को मुसलमान समझने की हद

क़ुरआन शरीफ़ के दसवें पारे में सूरः तौबा के पहले रुकूअ में, आयत न० 5 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – अगर वे तौबा कर लें और नमाज़ के पाबन्द हो जाएं और ज़कात अदा करने लगें, जों तुम उन की राह छोड़ दो। यक़ीनन अल्लाह तआला बख़्शने वाला मेहरबान है।

अगर तौबा कर लें, नमाज़ के पाबन्द हो जाएं और जक़ात अदा करने लगें, तो बेशक उन के रास्ते छोड़ दो सताओ नहीं। हज़रत अबूबक्र रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसी जैसी आयतों से दलील ली थी कि लड़ाई इस शर्त पर हराम है कि इस्लाम में दाख़िल हो जाए और इस्लाम के वाजिबात बजा लाए। इस आयत में इस्लाम के अर्कान का तर्तीबवार ज़िक्र फ़रमाया है– आला फिर अदना– पस शहादत (गवाही) के बाद सब से बड़ा रुक्न इस्लारम में नमाज़ हैं जो अल्लाह तआला का हक़ है। नमाज़ के बाद ज़कात जिस का नफ़ा फ़क़ीरों, मुहताजों को

पहुंचता है और मख़्लूक़ का ज़बरदस्त हक़, जो इंसान के ऊपर है, वह अदा हो जाता है। यही वजह है जो अक्सर नमाज़ के साथ ही ज़कात का ज़िक्र अल्लाह तआला फ़रमाता है।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 10, पृ० 32, सूरः तौबा के पहले रुकूअ की तफ़्सीर में।

क़ुरआन शरीफ़ के दसवें पारे में, सूरः तौबा के दूसरे रुकूअ में, आयत न० 11 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – अगर वे तौबा कर लें और नमाज़ के पाबन्द हो जाएं और ज़कात देते रहें, तो ये तुम्हारे दीनी भाई हैं। अल्लाह तआला हुक्मों को खोल-खोल कर बयान कर रहा है, ताकि समझ सकें।

मेरे अज़ीज़ दोस्त! जो लोग कुफ़्र और शिर्क से तौबा कर लें और नमाज़ के भी पाबन्द हो जाएं और साथ साथ ज़कात भी देते रहें, तो वे तुम्हारे दीनी भाई हैं। हाय रे हिन्दुस्तान की जहालत। आज तो कुफ़्र व शिर्क करने वाले अपने आप को मुसलमान समझते हैं और जो लोग नमाज़ के पाबन्द हैं, शरीअत पर अमल कर रहे हैं, कुफ़्र व शिर्क और बिदअतों से बचे हुए हैं, उन को इस्लाम से ख़ारिज और वह्हाबी समझते हैं।

हदीस – हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया–

मुझे यह हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से जिहाद करूं, यहां तक कि वे इस बात की गवाही दें कि सिवाए ख़ुदा के कोई इबादत के लायक़ नहीं और इस बात की कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अल्लाह के रसूल हैं और नमाज़ पढ़ने लगें और ज़कात दें। पस जब यह करने लगें, तो मुझ से अपना ख़ून, अपना माल बचा लेंगे, सिवाए इस्लामी हक़ के (यानी क़िसास, दियत वग़ैरह ली जाएगी) बाक़ी अन्दरूनी हिसाब उसका अल्लाह के हवाले हैं।

हवाला 1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1, पारा 1, पृ० 11, हदीस 23, किताबुल वह्य,
2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 82, हदीस 10, ईमान का बयान,
3. मज़ाहिरे कह़ जिल्द 2, पृ० 27, ईमान का बयान।

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया,

जिसने अपने किसी (मुसलमान) भाई पर ज़ुल्म किया हो, तो उस से माफ़ करा ले, क्योंकि वहां (यानी क़ियामत के दिन) रुपए-अशर्फ़ियां न होंगी, इस से पहले कि उस की नेकियां उस को दिलायी जाएं और अगर उस के पास नेकियां न हों तो उस के गुनाह उस पर लादे जाएंगे।

हवाला – सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 27, पृ० 332, हदीस 1450, किताबुर्रिक़ाक़।

मेरे अज़ीज़ दोस्त! जब तेरी नेकियां उस आदमी को दिलायी जाएंगी, जिस पर तू ने ज़ुल्म किया था, उस की ग़ीबत करता था, लह्हाबी- वह्हाबी कह कर गालियां देता था। उस दिन

तुझे यह सारी बातें याद आएंगी और अगर तेरे पास नेकियां न होंगी, तो उस आदमी के गुनाह तुझ पर लाद दिये जाएंगे। तेरी हिदायत के वास्ते कलाम मजीद और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीसें भी काम न दे सकें, तो तू ही सोच कि तेरी जहालत तुझे कहां तक ले गयी है।

हदीस – हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, तुम लोग आपस में एक दूसरे से रिश्ता और दोस्ती के नाते न तोड़ा करो और न कोई एक दूसरे से भागो और न आपस में दुश्मनी रखो। (तुम) सब के सब आपस में अल्लाह के बन्दे और भाई भाई बन जाओ। मुसलमान के लिए हलाल नहीं कि वह अपने भाई से मुलाक़ात और बातें करना तीन दिन से ज़्यादा छोड़ दे।

हवाला 1. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2 पृ० 178, हदीस 852, बाब 391, आदाब का बयान,
2. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 371, हदीस 1834, बाबुल ऐतसाम।

ऐ मेरे अज़ीज़ दोस्त! यह है शरीअत, जिसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हमारे लिए छोड़ गये हैं। अब हमारी जहालत को देखिए कि बाप और बेटे में जुदाई और झगड़े दो भाइयों में जुदाई और झगड़े, शौहर और बीवी में जुदाई और झगड़े, जहां देखो, वहां पर यही बात चल रही है कि यह वह्हाबी हो गया है, यह दीन से फिर गया है। इस का अक़ीदा बिगड़ गया है। अरे नादान! अगर उस का अक़ीदा बिगड़ गया है तो तुझे तो कुछ नुक़्सान नहीं, तू बेचारे इस ग़रीब को क्यों गालियां देता है और क्यों रिश्ते–नाते तोड़ने की धमकियां देता है ?

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया–

जो आदमी अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान रखता हो, उस को चाहिये कि अपने (टूटे हुए) रिश्तों को मिलाये और जो अल्लाह पर और आख़िरत के दिन पर ईमान रखता हो, उसको चाहिए कि अच्छी बात कहे या ख़ामोश रहे।

हवाला – सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 25, पृ० 249, हदीस 1065, किताबुल आदाब।

हदीस– हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया– जो कोई हमारी (तरह) नमाज़ पढ़े और हमारे क़िब्ले की तरफ़ मुंह करे और हमारा ज़बीहा खाये, तो वही मुसलमान है, जिस के लिए अल्लाह का जिम्मा है और अल्लाह के रसूल का ज़िम्मा हैं, तो तुम अल्लाह की ख़ियानत उसके ज़िम्मे न करो।

हवाला 1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1, पारा 2, पृ० 104, हदीस 377, किताबुस्सलात,
2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1. पृ० 82, हदीस 11 ईमान का बयान,
3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 28, ईमान का बयान।

मेरे अज़ीज़ दोस्त ! अगर शरीअत पर अमल करना हो, तो मेहरबानी कर के ख़ुदा और

उस के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हुक्मों को मान लो। आप के सामने कलाम मजीद की आयतें और हदीसें मौजूद हैं और अगर आप पर नफ़्सानियत सवार है और जहालत ही पर अड़े रहने में आप को लुत्फ़ व माज़ा आता है, तो आप जानें। हमारा काम तो सिर्फ़ समझाना है, हिदायत का देना तो सिर्फ़ अल्लाह ही के अख़्तियार में हैं।

हदीस – हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया–

तमाम मुसलमानों का एक ज़िम्मा है, उन में का मामूली आदमी भी उस की पैरवी कर सकता है। पस जो आदमी किसी मुसलमान भाई की आबरूरेज़ी करे, उस पर ख़ुदा की, फ़रिश्तों की और तमाम आदमियों की लानत है, न उस की कोई नफ़्ली इबादत क़ुबूल होगी, न फ़र्ज़। (मुख़्तसर)

हवाला – सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 12, पृ० 115, हदीस 413, बाबुल जिहाद।

ऐ दोस्त ! आपने आप की फ़िक्र कर और शरीअत पर अमल करने वाला बन जा। कहीं ऐसा न हो कि दूसरों की फ़िक्र करते फिरें और आप खुद ही ग़फ़लत में रह जाएं।

सलाम का जवाब

क़ुरआन शरीफ़ के पांचवें पारे में सूर: निसा के ग्यारहवें रुकूअ में आयत न० 86 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – और जब तुम्हें सलाम किया जाए, तो तुम उस से अच्छा जवाब दो या उन ही लफ़्ज़ों को लौटा दो।

हदीस – हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि मुसलमान पर मुसलमान के छ: पसंदीदा हक़ हैं–

1. जब कोई मुसलमान मिले, तो उस को सलाम करना,
2. कोई मुसलमान दावत करे, तो उस को क़ुबूल करना,
3. किसी मुसलमान को छींक आए, तो उस का जवाब देना,
4. कोई मुसलमान बीमार हो, तो उस की मिज़ाज पुरसी करना,
5. कोई मुसलमान मर जाए, तो उस के जनाज़े के साथ जाना,
6. और हर मुसलमान के लिए उस चीज़ का पसन्द करना, जिस को खुद अपने लिए पसन्द करता हो।

हवाला 1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 118, हदीस 595, आदाब का बयान,
2. दारमी शरीफ़, पृ० 398, हदीस 2602, बाब 1045, इजाज़त का बयान–
3. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 681, हदीस 4411, किताबुल आदाब,

4. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 46, सलाम के बयान में।

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है,

सवार सलाम करे पैदल चलने वाले को और पैदल चलने वाला सलाम करे बैठे हुए को और थोड़े आदमी सलाम करें ज़्यादा आदमियों को।

हवाला 1. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 110, हदीस 520, बाब 253, किताबुलस्सलाम,

2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 680, हदीस 4401, आदाब का बयान,

3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 46, सलाम का बयान।

हदीस – हज़रत अली बिन तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि जब आदमियों की कोई जमाअत गुज़रे और उन में से एक किसी आदमी या जमाअत को सलाम कर ले तो यह सलाम सारी जमाअत की तरफ़ से काफ़ी है और इसी तरह अगर किसी जलसे में सिर्फ़ एक आदमी किसी के सलाम का जवाब दे दे तो यह सलाम सारे मज्मे की तरफ़ से काफ़ी है।

हवाला 1. मिश्कात शरीफ़ 'जिल्द 2, पृ० 682, हदीस 4416, आदाब का बयान,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 50, सलाम का बयान।

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है–

किसी मुसलमान को यह बात जायज़ नहीं कि वह अपने मुसलमान भाई से तीन दिन से ज़्यादा नाराज़ रहे और उस से मुलाक़ात न करे। जो आदमी तीन दिन से ज़्यादा नाराज़ रहा और इस बीच वह मर गया, तो वह दोजख़ में जाएगा।

हवाला 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 724, हदीस 4785, तर्के मुलाक़ात का बयान,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 155, तर्के मुलाक़ात का बयान।

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है–

किसी मुसलमान को यह बात जायज़ नहीं है कि वह तीन दिन से ज़्यादा किसी मुसलमान से नाराज़ रहे और उस से मुलाक़ात न करे। तीन दिन गुज़र जाने पर उस को चाहिए कि वह अपने मुसलमान भाई से जाकर मिले और उसको सलाम करे। अगर वह सलाम का जवाब दे दे तो (सुलह सफ़ाई) के अज्र में दोनों शरीक हैं और अगर सलाम का जवाब न दे तो जवाब न देने वाला गुनाहगार हुआ और सलाम करने वाला तर्के मुलाक़ात के गुनाह से बरी हो गया।

हवाला 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 724, हदीस 4787, तर्के मुलाक़ात का बयान,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 155, तर्के मुलाक़ात का बयान।

मेरे अज़ीज़ दोस्तों ! आपने देखा भी है कि जहालत इंसान को कहां तक ले जाती है। आज हिन्दुस्तान में अक्सर जगह पर ऐसे लोग भी हैं, जो सलाम का जवाब भी नहीं देते और सलाम करने वाले से मुंह फेर लेते हैं, अब सुनिए, इस बारे में फ़ुक़हा-ए-किराम का फ़त्वा।

'सलाम करना सुन्नत है और जवाब सलाम का वाजिब है।'

हवाला – ऐनुल हिदाया, जिल्द 4, पृ० 345, कराहत के बयान में।

'अगर सलाम का जवाब न देगा, तो गुनाहगार होगा, इस लिए कि सलाम का जवाब देना खुदा का हुक्म है।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 5, पृ० 74, सूरः निसा के ग्यारहवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

अपने आप को दीन के पेशवा कहलाने वाले भी अक्सर इस मुसीबत में मुब्तला हैं कि खुले आम वाजिब को छोड़ रहे हैं और अपने आपको आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम समझते हैं।

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्ल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया,

तुम उस वक़्त तक जन्नत में नहीं जाओगे, जब तक ईमानदार न बनोगे और ईमानदार उस वक़्त तक नहीं बनोगे , जब तक आपस में मुहब्बत नहीं करोगे। क्या मैं तुम्हें ऐसी बात न बाता दूं, जिस पर अमल करने से तुम आपस में मुहब्बत करने लगो, वह बात सलाम को रिवाज देना है।

हवाला 1. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1. पृ० 12, हदीस 36, बाब 20, किताबुल ईमान,

2. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 110, हदीस 547, अब-वाबुल आदाब,

3. इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 43, हदीस 71, राय का बयान,

4. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 680, हदीस 4400, आदाब व सलाम का बयान,

5. मज़ाहिरे हक़ जिल्द 4, पृ० 46, सलाम का बयान।

हिन्दुस्तान के कुछ मुसलमानों का अंधापा तो देखिये, न तो क़ुरआन मजीद की आयतों को मानते हैं, न हदीसों को और न हनफ़ी मस्लक की मोतबर किताबों को, फिर भी आपने आप को अह्ले सुन्नत वल जमाअत समझते हैं।

हदीस – हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि-

मुसलमान के लिए यह हलाल नहीं कि अपने भाई से मिलना-जुलना (और बात-चीत

करना) तीन दीन से ज़्यादा छोड़ दे। जब दोनों मिलें तो यह इधर मुंह फेर ले, वह उधर मुंह फेर ले। इन दोनों में अच्छा वह आदमी है जो पहले सलाम करे।

हवाला 1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 370, हदीस 1831, बाबुल ऐतसाम,
2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 178, हदीस 853, बाब 392, आदाब का बयान,
3. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 25, पृ० 270, हदीस 1160 इजाज़त लेने का बयान।

हदीस – हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है–

'अल्लाह तआला से नज़दीक तर वह आदमी है , जो पहले सलाम करे।'

हवाला 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 682, हदीस 4414, आदाब व सलाम का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 50, सलाम के बयान में।

हदीस – हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है–

'सलाम में पहल करने वाला घमंड से पाक है।'

हवाला 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2 पृ० 684, हदीस 4434, आदाब व सलाम का बयान।
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 56, सलाम के बयान में।

सलाम तो क्या ख़ाक करेंगे, जवाब भी नहीं देते। जाहिल जेब भरू पीर और ज़ालिम पेटभरू मौलवी अपने मुरीदों और मोतक़िदों को बहकाते रहते हैं कि तब्लीग़ी जमाअत वालों को या देवबन्द के आलिमों को या उन के चाहने वालों को तुम लोग सलाम करोगे या जवाब दोगे, तो काफ़िर हो जाओगे। जहालत की भी कोई हद है?

हदीस – हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया–

यहूदी जब तुम में से किसी को सलाम करते हैं, तो 'सामुन अलैकुम' कहते हैं (यानी तुम पर मौत हो) तुम जवाब में (सिर्फ़) 'व अलैकुम' कह दिया करो। (यानी तुम पर हो)

हवाला 1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 28, पृ० 421, हदीस 1818, मुर्तद के बयान में,
2. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 257, हदीस 1154, सूरः मुजादलः की तफ़्सीर में।

तिर्मिज़ी शरीफ़ की इसी रिवायत में यह लिखा है कि जब तुम को अह्ले किताब सलाम करें तो जवाब में यों कहो, 'अलै–क मा क़ुल–त' (तुझ पर हो जो तूने कहा) इस हदीस की शरह में लिखा है कि यह कलिमा उस वक़्त जब कि वह सलाम के अलावा कोई बुरा कलिमा

कहे, वरना उस के सलाम का जवाब सलाम ही से देना चाहिए, बल्कि उस से भी ज़्यादा।

कुछ उलेमा कहते हैं कि सलाम का जवाब सलाम ही से देना चाहिए और कुछ कहते हैं कि सिर्फ़ 'अलै-क' कहना चाहिए। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब।

अब देखिए हनफ़ी मस्लक के उलेमा-ए-दीन क्या फ़रमाते हैं?

'ज़िम्मियों और कुफ़्फ़ार के सलाम का जवाब देने में कोई हरज नहीं।'

हवाला – ऐनुल हिदाया, जिल्द 4, पृ० 346, कराहत का बयान।

'यहूदी या नसरानी (ईसाई) या मजूसी मुसलमान को सलाम करें तो उस का जवाब देने में हरज नहीं।'

हवाला – ग़ायतुल औतार, उर्दू तर्जुमा दुर्रे मुख़्तार जिल्द 4, पृ० 239, बाबुल हजर।

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि अल्लाह की मख़्लूक़ में से कोई भी सलाम करे, उसे जवाब दो चाहे वह मजूसी हो

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 5, पृ० 74, सूरः निसा के ग्यारहवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

क़ुरआन करीम के अठारहवें पारे में सूरः नूर के आठवें रुकूअ में आयत न० 61 में अल्लाह तआला का इर्शाद होता है।

तर्जुमा – जब तुम घरों में जाने लगो, तो अपने घर वालों को सलाम कर लिया करो, यह दुआ-ए-ख़ैर है, जो बा-बरकत और पाकीज़ा है ख़ुदा की तरफ़ से।

हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फ़रमान है कि जब तुम घरों में जाओ तो ख़ुदा का सिखाया हुआ बा-बरकत सलाम कहा करो (मैं ने तो आज़माया है कि यह सरासर बा-बरकत है) और इब्ने ताऊस रह्मतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं, तुम में से जो घर में दाख़िल हो तो घर वालों को सलाम कहे।

हवाला तफ़्सीर इब्ने कसीर, पारा 18, पृ० 84, सूरः नूर के आठवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

ऐ मेरे अज़ीज़ दोस्त ! कुछ नफ़्सपरस्त मुसलमान ऐसे भी हैं जो मुसलमान भाइयों को आपस में मिलने-जुलने से और बात-चीत करने से भी रोकते हैं। सलाम करने और सलाम का जवाब देने से भी मना करते हैं, हालांकि यही रोकन वाले दूसरी क़ौमों से, ग़ैर-मुस्लिमों से बड़े मज़े से मिलते-जुलते हैं, उन के पास उठते-बैठते भी हैं, बात-चीत भी करते हैं, कहीं-कहीं तो खाते-पीते भी देखे गये हैं, ग़रज़ यह कि दुनिया भर से यह मुसलमान याराना और दोस्ती करते फिरेंगे, लेकिन अपने मुसलमान भाइयों से इस क़दर दुश्मनी कि सलाम व कलाम और मिलने-जुलने से भी रोकते हैं, यह कोई इंसाफ़ है?

कुछ जगह, कुछ मौलवी मुसलमानों को इस क़दर डराते रहते हैं कि अगर तुम वह्हाबियों

को, देवबन्दियों को, ग़ैर-मुक़ल्लिदों को, तब्लीग़ी जमाअत वालों को सलाम करोगे या सलाम का जवाब दोगे तो तुम्हारा निकाह टूट जाएगा, जहालत की भी हद हो गयी है।

मुसलमान को काफ़िर कहने वाला ?

क़ुरआन शरीफ़ के पांचवें पारे में सूर: निसा के तेरहवें रुकूअ में आयत न॰ 94 में अल्लाह ताअला इर्शाद फ़रमाता है।

तर्जुमा – और जो तुम को सलाम अलैक (यानी तुम को सलाम करे) तो तुम उसे न कहो कि तू मुसलमान नहीं हैं।

मुह्कम बिन जुसामा का वाक़िआ यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपना एक छोटा-सा लश्कर अख़्सम की तरफ़ भेजा। जब वह लश्कर वादी अख़्सम में पहुंचा तो आमिर बिन अज़बत्त अशजअी अपनी सवारी पर सवार मय अस्बाब के चले आ रहे थे। पास पहुंच कर उन्होंने सलाम किया, तो सब तो रुक गये, लेकिन मुह्कम बिन जुमासा ने कुछ आपस की बिना पर (यानी नफ़्सानी झगड़ों की वजह से) उस पर झपट कर उन्हें क़त्ल कर डाला और असबाब लूट लिया। फिर जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास पहुंचे और आप से यह वाक़िआ बयान किया कि आमिर ने इस्लामी तरीक़े पर सलाम किया था, लेकिन जाहिलियत के ज़माने में पहली दुश्मनी की वजह से मुह्कम ने उसे तीर मार कर हलाक कर डाला। मुह्कम अपनी दोनों चादरें ओढ़े हुए आए और रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सामने बैठ गये इस उम्मीद से कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मेरे लिए दुआ-ए इस्तग़फ़ार कर देंगे, लेकिन आपने फ़रमाया, अल्लाह तुझे न बख़्शे। यहां से यह सख़्त शर्मिंदा और रोते हुए उठे। अपनी चादरों से आंसू पोंछते जाते थे। सात दिन भी न हुए थे कि वह मर गये। लोगों ने उन को दफ़्न किया, लेकिन ज़मीन ने उन की लाश बाहर फेंक दी। हुज़ूर सल्ललाहु अलैहि व सल्लम को जब यह ख़बर हुई तो आपने फ़रमाया, तुम्हारे इस साथी से निहायत ही बदतर लोगों को ज़मीन संभाल लेती हैं, लेकिन ख़ुदा का यह इरादा है कि वह तुम्हें मुसलमान की हुर्मत दिखाये, चुनांचे उन की लाश को पहाड़ पर डाल दिया गया और ऊपर पत्थर रख दिये गये।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 5, पृ॰ 84, सूर: निसा के तेरहवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जब किसी आदमी ने अपने (मुसलमान भाई) से कहा, ऐ काफ़िर ! तो (इन) दोनों में से एक ऐसा ही होगा।

हवाला
1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 25, पृ॰ 243, हदीस 1031, अदब का बयान,
2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ॰ 13, हदीस 45, किताबुल ईमान,
3. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ॰ 100, हदीस 497, ईमान का बाब,

4. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 699, हदीस 4576, ज़ुबान की हिफ़ाज़त का बयान,

5. मज़ाहिरे हक़ जिल्द 4, पृ० 92, ज़ुबान की हिफ़ाज़त का बयान।

यानी जिस को काफ़िर कहा गया है, अगर वह वाक़ई काफ़िर है, जब तो कुछ हरज नहीं और वह पक्का मुसलमान हैं, तो उस को काफ़िर कहने वाला ख़ुद काफ़िर हो जाएगा।

किसी को बुरा कहने के बारे में हज़रत सैयद अब्दुल क़ादिर जीलानी रह्मतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं- 'किसी मुसलमान को भी हक़ीर न समझो कि हक़ तआला के अस्रार उन के अन्दर बिखेर दिये गये हैं पस क्या है कि किस का दिल कब बार आवर होकर वली बन जाए।'

हवाला – फ़ुयूज़े यज़दानी, पृ० 119, मज्लिस 20

मेरे अज़ीज़ दोस्त ! अगर कोई आदमी मरते वक़्त काफ़िर होकर मरा है, तो ख़ुदा का बन्दा है और ख़ुदा उस का मालिक है, जो चाहे करे, हमें उस में कुछ दख़ल देने का अख़्तियार नहीं हैं। अगर मरने वाला पक्का मुसलमान होकर मरा है तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के क़ौल के मुताबिक़ किसी मुसलमान को काफ़िर कहने वाला ख़ुद काफ़िर है। अब मरने वाला इस्लाम पर मरा या कुफ़्र पर मरा, वह सिवाए ख़ुदा के और कोई नहीं जानता, पस किसी को काफ़िर कहने से चुप रहना ही बेहतर है।

हदीस – हज़रत अबूज़र रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया हैं, जो आदमी किसी को काफ़िर कह कर पुकारे या ख़ुदा का दुश्मन कहे और वह ऐसा न हो तो यह कलिमा कहने वाले पर लौट पड़ता है।

हवाला 1. मिश्कात शरीफ़ जिल्द 2, पृ० 700, हदीस 4578, ग़ीबत और बुराई का बयान,

2. मज़ाहिरे हक़ जिल्द 4, पृ० 92, आदाब का बयान।

हदीस – हज़रत अबूदर्दा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हें कि मैंने रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह फ़रमाते हुए सुना है कि जब बन्दा किसी चीज़ पर लानत करता है, तो वह लानत आसमान की तरफ़ जाती है और आसमान के दरवाज़े उस लानत पर बंद कर दिये जाते हैं, (यानी उस लानत को आसमान पर जाने का रास्ता नहीं दिया जाता) फिर वह लानत ज़मीन की तरफ मुतवज्जह होती है और ज़मीन के दरवाज़े भी उस पर बन्द कर दिये जाते हैं, फिर वह दाएं-बाएं जाती है (और इस जानिब भी वह रास्ता नहीं पाती) आख़िर वह उस आदमी या चीज़ की तरफ़ मुतवज्जह होती है, जिस पर लानत की गई है। अगर वह लानत की अह्ल और मुसतहिक़ हैं, तो उस पर ठहर जाती है और अगर वह लानत की अह्ल और मुसतहिक़ नहीं है, तो लानत कहने वाले पर लौट आती है।

हवाला 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 703 हदीस 4609 ग़ीबत और बुराई का बयान।

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 101, आदाब का बयान।

मुस्नद अहमद के हवाले से लिखा है कि हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु ने ज़मज़म

बिन जौश यमामी से कहा कि ऐ यमामी ! किसी आदमी से हरगिज़ यह न कहना कि ख़ुदा तुझे न बख़्शेगा या जन्नत में दाख़िल न करेगा।

यमामी रह्मतुल्लाहि अलैहि ने कहा, हज़रत ! ये बातें तो हम लोग अपने भाइयों और दोस्तों से भी ग़ुस्सा-ग़ुस्सा में कह देते हैं।

आपने फ़रमाया, ख़बरदार ! हरगिज़ न कहना, सुनो ! मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुना है, आप ने फ़रमाया, बनी इस्राईल में दो आदमी थे, जिन में से एक तो इबादत में मुस्तैद और चुस्त था और दूसरा अपनी जान पर ज़्यादती और गुनाह करने वाला था और दोनों में दोस्ताना और भाईचारा था। आबिद कभी-कभी उस दूसरे को किसी न किसी गुनाह में देखता था और कहता रहता था, ऐ आदमी! (गुनाहों से) बाज आ। वह जवाब देता, तू मुझे मेरे रब पर छोड़ दे, क्या तू मुझ पर निगहबान बना कर भेजा गया है? एक बार आबिद ने देखा कि वह फिर किसी गुनाह के काम को कर रहा है वह गुनाह उसे बहुत बड़ा गुनाह मालूम हुआ, तो कहा, अफ़सोस ! तू तौबा कर ले। उस ने वही जवाब दिया, तो आबिद ने कहा, ख़ुदा की क़सम ! ख़ुदा तुझे नहीं बख़्शेगा या जन्नत नहीं देगा। अल्लाह तआला ने उन दोनों के पास फ़रिश्ते को भेजा, जिसने उन दोनों की रूहें क़ब्ज़ कीर लीं। जब ये दोनों ख़ुदा के यहां पहुंचे, तो अल्लाह तआला ने उस गुनाहगार से फ़रमाया, जा और मेरी रह्मत की बिना पर जन्नत में दाख़िल हो जा और आबिद से फ़रमाया, क्या तुझे सही इल्म था ? (कि मैं उस को नहीं बख़्शूगां) क्या तू मेरी चीज़ (यानी रहमत) पर क़ुदरत रखता था ? इसे जहन्नुम की तरफ़ ले जाओ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि उस की क़सम, जिस के क़ब्ज़े में मेरी जान है, उसने एक कलिमा ज़ुबान से ऐसा निकाल दिया, जिस ने उस की दुनिया व आख़िरत बर्बाद कर दी।

हवाला 1. तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 5, पृ० 45, सूरः निसा के सातवें रुकूअ की तफ़्सीर में,
2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 385, हदीस 2221, तौबा के बयान में,
3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 290, तौबा के बयान में।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी हयाते तय्यिबा में ऐसे मुनाफ़िक़ों को इस्लाम से ख़ारिज़ नहीं फ़रमाया, जिन का निफ़ाक़ अल्लाह की वह्य से मालूम था।

हवाला – फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 1, पृ० 115, मुक़दमे में।

यानी ऐसे लोग, जो ज़ाहिर में मुसलमान थे, मगर दिल में ईमान नहीं लाये थे उन के बारे में गो आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को वह्य के ज़रिए मालूम हो गया था कि यह दिल में इस्लाम क़ुबूल नहीं किए हुए हैं, मगर फिर भी आप ने उन को मुसलमानों की जमाअत से ख़ारिज और अलग नहीं फ़रमाया।

मुझे इन फ़िरक़ापरस्तों पर बड़ा अफ़सोस होता है कि सच्चे मुसलमान और दीन के रहबरों

को काफ़िर कहते हैं और जो उन को काफ़िर न कहे उस को भी काफ़िर समझते हैं और जो उन के कुफ़्र में शक करे, उसे भी काफ़िर समझते हैं। जहालत की भी कोई हद है।

क़ुरआन करीम के अठारहवें पारे में सूरः नूर के दूसरे रुकूअ में आयत नं० 19 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा – जो लोग मुसलमानों में बुराई फैलाने के आरज़ूमंद रहते हैं, उन के लिए दुनिया और आख़िरत में दर्दनाक अज़ाब है। अल्लाह सब कुछ जानता है और तुम कुछ भी नहीं जानते। जो आदमी कोई ऐसी बात सुने (जिस बात की उसके पास में कोई तह्क़ीक़ नहीं हैं), उसे उस का फैलाना हराम है। जो ऐसी बुरी ख़बरों को उड़ाते-फिरते हैं (जिन से मुसलमानों में फूट पैदा हो) उन्हें दुनियावी सज़ा यानी हद भी लगेगी और आख़िरत की सज़ा यानी अज़ाबे जहन्नम भी होगा।

हवाला – तफ्सीरे इब्ने कसीर, पारा 18, पृ० 48 सुरः नूर के दूसरे रुकूअ की तफ़्सीर में।

हदीस – हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में एक आदमी था, जिस का नाम अब्दुल्लाह था और लोग उसे हिमार (यानी गधा) कहते थे। यह आदमी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को हंसाया करता था और आपने उसको शराब पीने पर मारा भी था। फिर एक दिन हुज़ूर सल्लल्ललाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में पकड़ा हुआ आया (क्योंकि उसने शराब पी थी)। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उसको फिर मारने का हुक्म दिया। हाज़िर लोगों में से एक आदमी ने कहा कि ऐ अल्लाह ! इस पर लानत कर कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में (यह शराब पिया हुआ) लाया जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि उस को लानत मत करो। क़सम ख़ुदा की, मैं जानता हूं कि यह अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मुहब्बत रखता है।

हवाला – सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 27, पृ० 383, हदीस 1381, हुदूद का बयान।

शराब पीने वाला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मुहब्बत करे, जुआ खेलने वाला जेब काटने वाला, डाढ़ी मुड़ाने वाला, रोज़े न रखने वाला, ज़कात न अदा करने वाला, बल्कि ब्याज खाने वाला, ये सब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मुहब्बत करें और एक दीन का पाबंद, शरीअत पर अमल करने वाला होने के बावजूद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मुहब्बत न करे, यह जहालत नहीं तो फिर और क्या है ?

छोटे और बड़े गुनाहों के जो आदी बन चुके हैं और बिदअत व शिर्क और कुफ़्र में सर से लेकर पैर तक डूबे हुए हैं वे भी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मुहब्बत करते हैं और शरीअत की पाबन्दी करने वाले मुसलमान क्या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को नहीं मानते होंगे, यह शैतानी फ़रेब और नफ़्सानी धोखा नहीं तो और क्या है? अक्सर बातें या अमल ऐसे होते हैं कि उन पर कुफ़्र का फ़त्वा होता है, लेकिन याद रहे कि वह फ़त्वा सिर्फ़

उस फेल पर होता है, न कि इंसान पर यानी वह काम कुफ्र का होता है, लेकिन वह काफ़िर नहीं होता।

हवाला –ऐनुल हिदाया, जिल्द 1, पृ० 79, अक़ाइद के बयान में।

हदीस – हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुरैदा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहु व सल्लम ने फ़रमाया, मेरे और इन लोगों के दर्मियान में नमाज़ का अहद है। जिस आदमी ने नमाज़ को छोड़ा, उसने कुफ्र किया।

हवाला – इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 173, हदीस 1091, तर्के नमाज़ का बयान।

हदीस – हज़रत ज़ाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ू र सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि बन्दे और कुफ्र के दर्मियान सिर्फ़ तर्के नमाज़ का फ़र्क़ है।

हवाला 1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 98, हदीस 481, ईमान का बयान,
2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 14, हदीस 63, ईमान का बयान,
3. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 153, हदीस 521, ईमान का बयान,
4. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 183, ईमान का बयान।

मेरे अज़ीज़ दोस्त ! सही हदीसों से साबित है कि नमाज़ को जान-बूझ कर छोड़ देना कुफ्र है। अल्लाह के कलाम में भी यही है।

क़ुरआन शरीफ़ के इक्कीसवें पारे में सूरः रूम के चौथे रुकूअ में आयत नं० 31 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है।

तर्जुमा – क़ायम रखो नमाज़ को और न हो जाओ शिर्क करने वालों में से।

नमाज़ पढ़ना मोमिन की आदत है और नमाज़ नहीं पढ़ना मुश्रिकों की आदत हैं, तो अल्लाह तआला फ़रमाता है कि 'तुम मोमिन बनो, मुश्रिक न बनो। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकतीं, एक ही तलवार रहेगी।इसी तरह दो आदतों में से कोई एक आदत रह सकती है, या तो नमाज़ पढ़ कर मोमिन बने या तो नमाज़ को छोड़ कर मुश्रिक बने।

हदीस – हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया,

शिर्क और इस्लाम में सिर्फ़ नमाज़ का फ़र्क़ है, इसलिए जिस आदमी ने नमाज़ को छोड़ दिया उसने शिर्क किया।

हवाला –इब्ने माज़ा शरीफ़, पृ० 173, हदीस 1092, तर्के नमाज़ के बयान में।

हदीस – हज़रत बरीदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, फ़रमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि हमारे और मुनाफ़िक़ों के दर्मियान जो अह्द है, वह नमाज़ है, पस जिसने नमाज़ को छोड़ दिया, वह काफ़िर हुआ।

हवाला 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 153, हदीस 525, नमाज़ के बयान में,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 184, नमाज़ के बयान में।

हदीस – हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान हैं, रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, मुसलमान और काफ़िर के दर्मियान में नमाज़ से फ़र्क़ होता है।

हवाला – इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 173, हदीस 1090, तर्के नमाज़ के बयान में।

मगर आज हज़ारों मुसलमान ऐसे मौजूद हैं, जो नमाज़ नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हम उन्हें काफ़िर नहीं कहते, क्योंकि उन की आख़िरत का हाल ख़ुदा जानता है, हमें क्या मालूम कि वह जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में।

हदीस – हज़रत साबित बिन जह्हाक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि–

बन्दे पर उस चीज़ में नज़्र नहीं, जिसका वह मालिक नहीं और मोमिन को काफ़िर कहा, वह भी उस के क़ातिल की तरह है और जिसने किसी चीज़ से खुदकुशी की, अल्लाह तआला क़ियामत के दिन उस को उसी चीज़ से अज़ाब देगा, जिस से उसने ख़ुदकशी की होगी।

हवाला – तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 100, हदीस 496, अबवाबुल ईमान।

किसी को काफ़िर कहने के मसाइल में मुख़्तार यह है कि कहने वाले ने अगर उस को बुरा कहने की नीयत से (काफ़िर) कहा और उसे काफ़िर एतक़ाद नहीं किया है, तो (कहने वाला) काफ़िर नहीं है और उस को काफ़िर एतक़ाद कर के अपने एतक़ाद के साथ उस को (काफ़िर) कहा, तो (कहने लगा) ख़ुद काफ़िर है।

हवाला – फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 2, पृ० 855, मुर्तद का बाब।

निन्नान्वे एहतमाल कुफ्र के हों और एक एहतमाल ऐसा हो कि जिससे कुफ़्र की नफ़ी होती है, तो मुफ़्ती और क़ाज़ी के लिए यही बेहतर है कि उसी एहतमाल पर अमल करे, जिससे कुफ्र लाज़िम नहीं आता।

हवाला – ऐनुल हिदाया, जिल्द 1, पृ० 77, मुक़दमे में।

हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व. सल्लम ने फ़रमाया–

इंसान के इस्लाम की अच्छाई और बेहतरी में यह बात भी दाख़िल है कि वह फ़ुज़ूल (बातें को) और लग़्व यानी बेकार चीज़ों को छोड़ दे।

हवाला – तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 39, हदीस 179, जु हद का बयान।

हमारे हिन्दुस्तान में कुछ जगह पर ऐसी जहालत फैली हुई है कि अपने दीन की अच्छाई इसी में समझते है कि दूसरों को काफ़िर कहें और लोगों की ज़ुबान से काफ़िर कहलाएं। गालियां

और ताने दें, दूसरों का मज़ाक़ उड़ाएं उनकी बेइज़्ज़ती करें उन की आबरू उतारें उन पर लोगों को हंसाएं। उन को मस्जिद में नमाज़ न पढ़ने दें, उन के वाज़ बन्द कराएं, बग़ैरह-वग़ैरह।

काफ़िर को भी काफ़िर कहना मकरूह है

कुरआन शरीफ़ के दूसरे पारे में सूर: बकर: के उन्नीसवें रुकूअ में आयत न० 161 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा– जो काफ़िर अपने कुफ़्र ही में मर जाएं, उन पर ख़ुदा की, फ़रिश्तों की और तमाम लोगों की लानत है।

जो लोग कुफ़्र करें और तौबा नसीब न हो और कुफ़्र ही की हालत में मर जाएं, उन पर ख़ुदा की, फ़रिश्तों की और तमाम लोगों की लानत है। यह लानत उन पर चिपक जाती है और क़ियामत तक साथ रहती है और फिर दोज़ख़ की आग में ले जाएगी और अज़ाब में हमेशा-हमेशा साथ रहेगी, न तो अज़ाब में कमी होगी और न उस से पनाह मिलेगी, बल्कि हमेशा के लिए सख़्त से सख़्त अज़ाब होते रहेंगे।

हवाला– तफ़्सीर इब्ने कसीर, पारा 2, पृ० 15, सूर: बकर: के उन्नीसवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

हज़रत क़तादा रह्मतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं कि क़ियामत के दिन काफ़िर को ठहराया जाएगा, फिर उस पर अल्लाह तआला लानत करेगा, फिर फ़रिश्ते, फिर तमाम लोग।

हवाला– तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 2, पृ० 16, सूर: बकर: के उन्नीसवें रुकूअ की तफ्सीर में।

काफ़िरों पर लानत भेजने के मस्अले में किसी का भी इख़्तिलाफ़ नहीं है, मगर किसी मुतअय्यन काफ़िर (यानी किसी एक का नाम लेकर) लानत भेजने के बारे में उलेमा-ए-किराम का एक गिरोह कहता है कि यह जायज़ नहीं है, इसलिए कि उस के मरने की ख़बर किसी को नहीं (कि मुसलमान होकर मरेगा या काफ़िर होकर मरेगा)।

हवाला– तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 2, पृ० 16 सूर: बक़र: के उन्नीसवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

किसी काफ़िर को ऐ काफ़िर! या ऐ फ़ासिक़! ऐ मुश्रिक! कहना मक्रूह है, अगर उसको बोझ हो (यानि बुरा लगे)।

हवाला – ऐनुल हिदाया, जिल्द 4, पृ० 286, कराहत का बाब।

मक्रूह से मुराद मक्रूहे तह्रीमी है, जिस का बयान इन्शाअल्लाहुतआला आगे आएगा।

हमारे हनफ़ी मसलक में काफ़िर को भी 'ऐ काफ़िर!' कहना मना है, तो फिर एक मुसलमान को काफ़िर कहना और लोगों से कहलवाना कैसे जायज़ होगा! बड़े शर्म की बात है कि हमारे ज़माने में कुछ लोग फ़साद, बुग़्ज़, अ़नाद, और फ़िर्क़ापरस्ती के झगड़ों में मुब्तला हो गये हैं, अपनी पेट भराई के लिए दूसरों को लह्हाबी, वह्हाबी, बिदअती, गुमराह, काफ़िर ग़ैर-मुक़ल्लिद

वग़ैरह-वग़ैरह कहते फिरते हैं। ऐसे लोग नफ़्सपरस्त होते हैं। उन को मज़हब का और मुसलमानों की बर्बादी का कुछ ख़्याल नहीं होता और जहां पर उन के वाज़ होते हैं, वहां पर सिवाए आग लगाने के और लोगों को लड़ाने के आलावा कुछ भी नसीहत नहीं होती, उन की दी हुई बुरी तालीम की वजह से उन के जाहिल मुरीद और जाहिल मुक़्तदी बर सरे आम यानी खुल्लमखुल्ला हक़परस्तों को फ़ासिक़, फ़ाजिर, काफ़िर मुर्तद, गुमराह, बे दीन, वह्हाबी, खुर्रा, फिरा हुआ कह कर इस्लाम से ख़ारिज कर देने को दीनी काम और आख़िरत के लिए निजात का ज़रिआ समझते हैं। अल्लाह तआला इन नफ़्सपरस्तों को हिदायत दे दे और अगर इन लोगों की क़िस्मत में हिदयत नहीं हैं, तो अल्लाह तआला से मेरी दिली दुआ है कि उम्मतें मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को उन के फ़ित्नों से बचाए। आमीन!

क़ुरआन करीम के सातवें पारे में सूर: अन्आम के तेरहवें रुकूअ में आयत न० 108 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है।

तर्जुमा – जिन लोगों को ये मुश्रिक ख़ुदा के सिवा पुकारते हैं (या पूजते हैं) उन को बुरा न कहना कि यह भी कहीं ख़ुदा को बे-समझे-बूझे बुरा न कह बैठें।

सुब्हानल्लाह ! अल्लाह तआला की मस्लहत को कोई क्या समझ सकता है, ख़ुद खुदावन्दे करीम उन को बुरा कहने से मना फ़रमा रहा है, जो ख़ुदा के मुक़ाबले में पूजे जा रहे हैं। वजह इस की यह बतायी कि तुम लोग उन को बुरा न कहो, इस लिए कि हो सकता है कि वह अपने मज़हबी तास्सुब में आकर (मआज़ल्लाहु) कहीं ख़ुदा को बुरा न कह बैठें। दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि अगर तुम उन्हें बुरा न कहोगे तो मुम्किन है कि वे तुम्हारी बात सुनें और उन की हिदायत का कोई ज़रिया बन जाए और सब बात नहीं सुनेंगे, तो हमेशा के लिए हिदायत से महरूम रह जाएंगे, तो गोया उनकी गुमराही की दलील खुद हम ही बने। जब बुतों को बुरा कहना मना है। तो किसी मुसलमान को काफ़िर कहना और कहलवाना कहां कि ईमानदारी है?

हदीस हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उहद के दिन फ़रमाया, इलाही ! अबू सुफ़ियान पर लानत भेज! इलाही हारिस बिन हिशाम पर लानत भेज, इलाही ! सफ़वान बिन उमैया पर लानत भेज।

हवाला – तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 166, हदीस 863, सूर: आले इम्रान की तफ़्सीर में।

यह बात उहद की लड़ाई के दिन की है। उस दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को चोट भी लग गयी थी, दांत मुबारक भी शहीद हो गया था। उस वक़्त इन तीन आदमियों का नाम लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने लानत की, तो उसी वक़्त अल्लाह तआला ने यह आयत नाज़िल फ़रमायी-

क़ुरआन मजीद के चौथे पारे में सूर: आले इम्रान के तेरहवें रुकूअ में आयत न० 128 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा – ऐ पैग़म्बर ! तुम्हारे अख़्तियार में कुछ नहीं, ख़ुदा चाहे तो उन की तौबा क़ुबूल

कर ले, चाहे तो अज़ाब करे, क्योंकि वे ज़ालिम हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अल्लाह तआला ने लानत करने से रोक दिया।

क़ुरआन शरीफ़ के सत्तरहवें पारे में सूरः अंबिया के सातवें रुकूअ में आयत न० 107 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – और हमनें (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम !) आप को सारे आलम के लिए रहमत बना कर भेजा है।

ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! आप तो सारे जहान के लिए रहमत बना कर भेजे गये हैं, आप को मुनासिब नहीं कि किसी पर लानत भेजें, क्योंकि अगर मैं चाहूं तो उन की तौबा क़ुबूल कर लूं और चाहूं तो अज़ाब करूं, क्योंकि ये लोग झूठे हैं, ज़ुल्म कर रहे हैं, सच्चों का सामना करते हैं, लड़ते हैं और आप को तक्लीफ़ पहंचाते हैं।

हवाला – तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 166, हदीस 863 की शरह में और सूरः आले इम्रान की आयत न० 128 की तफ़्सीर में लिखा है कि जिन-जिन लोगों पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने नाम ले-ले कर लानत फ़रमायी थी, वे सब के सब मुसलमान हो गये और उन का इस्लाम अच्छा हुआ यानी पक्के मुसलमान और मोमिन होकर दुनिया से रहलत फ़रमायी।

ये तीनों आदमी मुश्रिक थे और मक्का के मुश्रिकों के सरदार थे, दीन के दुश्मन थे, हक़परस्तों से लड़ रहे थे, बातिलपरस्तों का साथ दे रहे थे, उहद की लड़ाई वाले दिन लड़ाई में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का दांत मुबारक शहीद हो गया था, इस के अलावा और भी ज़ख़्म लगे हुए थे। उस वक़्त अल्लाह तआला ने ऊपर आने वाली आयतें नाज़िल फ़रमायीं।

अल्लाह तआला ने अपने हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को लानत करने से रोक दिया, तो फिर हमारी और आप की क्या हस्ती है कि एक दूसरे को दुनियावी झगड़ों की वजह से मज़हब को आड़ बना कर काफ़िर कहते फिरें। बेहतर यही है कि ऐसी बातों से रुक जाएं और तौबा कर लें।

क़ुरआन करीम के छब्बीसवें पारे में सूरः हुजुरात के दूसरे रुकूअ में आयत नं० 11 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – ऐ ईमान वालों! न मर्दों को मर्दों पर हंसना चाहिए, क्या ख़बर कि (जिस पर हंसते हैं) वे उन (हंसने वालों) से ख़ुदा के नज़दीक बेहतर हों और न औरतों को औरतों पर हंसना चाहिए, क्या ख़बर कि वे उनसे बेहतर हों, न एक दूसरे को ताना दो और न एक दूसरे को बुरे लक़ब से पुकारो, ईमान के बाद गुनाहगारी बुरी बात है और जो तौबा न करें, वही लोग ज़ालिम हैं।

हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अल्लाह तआला लानत करने से रोक देने के बाद अब ईमान वालों की तरफ़ मुख़ातब होकर ताकीद फ़रमा रहा है कि मर्दों को मर्दों

पर नहीं हंसना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जिन पर हंसा जा रहा है, वे हंसने वालों से अल्लाह के नज़दीक अच्छे हों और औरतें दूसरी औरतों पर भी न हंसे। हो सकता है कि हंसने वाली औरतों से वे औरतें अच्छी हों, जिन पर हंसा जा रहा है और न किसी क़िस्म का टाइटिल लगाओ और न किसी को बुरे नाम से बुलाओ, क्योंकि ईमान लाने के बाद ये बातें आप को ज़ेबा नहीं देतीं। अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को भी हमने लानत करने से रोक दिया और आप साहिबान हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर ईमान ला चुके हैं, इसलिए आप को भी ज़ेबा नहीं देता कि किसी दूसरे पर लान-तान करें या बुरे अलक़ाब से पुकारें और अगर इस हिदायत को नहीं मानोगे, तो फिर तुम्हारी गिनती ज़ालिमों में होगी, ईमानदारों में नहीं। ईमानदारी तो उस वक़्त मानी जाएगी, जब हमारी हिदायत को मान लो।

एक दूसरे को ताना देने से और टाइटिल लगाने से मना फ़रमाया है, इसलिए कि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हम जिनको ग़लत समझ रहे हैं, वे सही तरीक़े पर होते हैं और ग़लत समझने वाले ख़ुद ही ग़लती पर होते हैं और उन को पता तक नहीं होता। मिसाल के तौर पर हमारे हिन्दुस्तान में एक जमाअत ने एक ज़माअत को कहा वह्हाबी। अब जिन को वह्हावी कहा गया था, उन्होंने जवाब में कहा कि यह तो बहुत ही अच्छा नाम है- 'ला इला-ह इल्लल्लाहु सुब्हानल वह्हाब' (अल्लाह का नाम ही वह्हाब है) तो हम तो अल्लाह वाले हैं और हमें अल्लाह वाला कहा जा रहा है। इन लफ़्ज़ों से जिन को वह्हाबी कहा गया था, वे साहिबान चिड़े नहीं, तो चिड़ाने वाली जमाअत ने वह्हाबी कहना छोड़ दिया और 24 नम्बर कहने लगे, क्योंकि वह्हाबी के अदद 24 होते हैं-

व=6, ह=5, अ=1, ब=2, य=10

वह्हाबी में पांच हुरूफ़ हैं और इन पांच हुरूफ़ की संख्या 24 होती है, लेकिन अब इस इत्तिफ़ाक़ को क्या करें कि कलिमा-ए-पाक के हुरूफ़ भी 24 हैं।

ला इला-ह इल्लल्लाहु मुहम्मदर्रसूलुल्लाह=24

ला इला-ह में 12 हुरूफ़ है और मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह में भी 12 हुरूफ़ है और साल की गिनती के लिए अल्लाह तआला ने महीने भी बारह बनाये हैं और महीनों की गिनती के लिए अल्लाह तआला ने रात और दिन बनाये हैं, अब रात के घंटे भी बारह हैं और दिन के घंटे भी बारह बनाये हैं। रात व दिन दोनों मिलाएं तो चौबीस घंटे होते हैं, जिन को चौबीस साअतें और चौबीस क्लाकें भी कहते हैं। मेरे मोह्तरम! चौबीस के दायरे से आप बाहर निकल ही नहीं सकते। चौबीस के दायरे में रह कर चौबीस की मुख़ालफ़त करना जहालत नहीं तो फिर और क्या है?

ऐ अज़ीज़ दोस्त! अल्लाह तआला जिस को चाहे हिदायत दे, जिस को चाहे गुमराह करे, हमको कुछ भी अख़्तियार नहीं हैं। अगर हम ख़ुद हक़ पर हैं, तो हमारा काम है दूसरों को नसीहत करना, बेचारे ग़रीब, अनपढ़ और भोले-भाले मुसलमान को आपस में लड़ाना,

गालियां, देना और दूसरों से दिलवाना यह हमारा काम नहीं है।

हदीस – हज़रत आइशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फ़रमाती हैं कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि तमाम आदमियों में सब से ज़्यादा नफ़रत और अदावत अल्लाह तआला को उस आदमी से हैं, जो बड़ा झगड़ालू हो।

हवाला 1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 160, हदीस 835, सूरः बकरः की तफ़्सीर में,
2. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1, पारा 9, पृ० 552, हदीस 2267, किसास का बयान।

मेरे दोस्तो ! झगड़ना बन्द कर दो। यह जो हिन्दुस्तान में कुछ लोगों की तरफ़ से कुफ़्रबाज़ी के फ़त्वों की मशीनगन चल रही हैं वे तो कुछ भी नहीं हैं बल्कि असल बात उन लोगों की नफ़्सानियत है और पेट भराई के धंधे हैं,

'अगर किसी यहूदी या मजूसी से कहा कि 'ऐ काफ़िर !' तो गुनाहगार होगा, अगर उस पर (इस का कहना) गरां गुज़रे।'

हवाला – फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 4, पृ० 314, कराहत का बयान।

मेरे अज़ीज़ दोस्त ! काफ़िर का लफ़्ज़ ऐसा बुरा है कि अगर काफ़िर को ऐ काफ़िर कह कर बुलाया जाए, तो यक़ीनन उसे भी बुरा मालूम होगा, इसलिए किसी काफ़िर को भी काफ़िर कहना मकरूह है, क्योंकि किसी भी इंसान के मरते दम की ख़बर तो अल्लाह ही को है कि वह ईमान पर मरा है या कुफ़्र पर मरा है।

ये सारी आयाते शरीफ़ा और अहादीसे करीमा, मोतबर किताबों के फ़त्वे आप के सामने हैं, अब आप ख़ुद ही इंसाफ़ से फ़ैसला करें कि एक मुसलमान को काफ़िर कहना और लोगों से जबरन किसी को काफ़िर कहलवाना और जो काफ़िर न कहे, उस को भी काफ़िर समझना किस क़दर जहालत है।

बुरा गुमान और ग़ीबत

क़ुरआन करीम के 26 वें पारें में सूरः हुजुरात के दूसरे रुकूअ में आयत न० 12 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – ऐ ईमान वालों ! बहुत बद-गुमानियों से बचो, यक़ीन मानो कि कुछ बद-गुमानियां गुनाह हैं और भेद न टटोला करो और न तुम में से कोई किसी की ग़ीबत किया करे। क्या तुम में से कोई भी अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसन्द करेगा, तुमको इससे घिन आए और अल्लाह से डरते रहो। बेशक अल्लाह तौबा क़ुबूल करने वाला मेहरबान है।

अल्लाह तआला अपने मोमिन बन्दों को बद-गुमानियों से और तोहमत धरने से और अपनों

और ग़ैरों को डराने से और ख़ामख़ाह की दहशत दिल में रख लेने से रोकता है और फ़रमाता है कि कभी-कभी अक्सर इस क़िस्म के गुमान बिल्कुल गुनाह होते हैं, पस तुम्हें इस में पूरी एहतियात चाहिए।

हवाला –तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 26, पृ० 82, सूर: हुजुरात के दूसरे रुकूअ की तफ़्सीर में।

क़ुरआन करीम के पन्द्रहवें पारे में सूर: बनी इस्राईल के चौथे रुकूअ में, आयत न० 36 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – जिस बात की तुझे ख़बर ही न हो, उस के पीछे मत पड़, क्योंकि कान और आंख और दिल इन में से हर एक से पूछ-गछ की जाने वाली है।

यानी जिस बात का इल्म न हो, उस में ज़ुबान न हिलाओ। बिना जाने किसी को ऐब न निकालो और बोहतान बाज़ी न करो, झूठी गवाहियां न देते फिरो, बिना देखे न कह दिया करो कि मैंने देखा, न बिना सूने सुनना बयान करो, न बे-इल्मी पर अपना जानना बयान करो, क्योंकि इन तमाम बातों की जवाबदही ख़ुदा के यहां, होगी। ग़रज़ वह्म व ख़्याल और गुमान के तौर पर कुछ कहने को मना हो रहा है।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 15, पृ० 44, सूर: बनी इस्राईल के चौथे रुकूअ की तफ़्सीर में।

ऐ वे लोगों, जिन की ज़ुबानें तो ईमान ला चुकी हैं, लेकिन दिल ईमानदार नहीं हुए ! तुम मुसलमानों की ग़ीबतें करना छोड़ दो और उन के ऐबों की कुरेद न किया करो। याद रखो, अगर तुमने उनके ऐब टटोले, तो अल्लाह तआला तुम्हारी पोशीदगियों को ज़ाहिर कर देगा, यहां तक कि तुम अपने घराने वालों में भी बदनाम और रुसवा हो जाओगे।

हवाला – तफ़्सीर इब्ने कसीर, पारा 26, पृ० 84, सूर: हुजुरात के दूसरे रुकूअ की तफ़्सीर में।

हदीस – हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है, बदगुमानी से अपने आप को बचाओ, इस लिए कि बदगुमानी सब से बुरी झूठी बात है और किसी का हाल या कोई ख़बर मालूम करने की कोशिश न करो, जासूसी न करो और किसी के सौदे को न बिगाड़ो (यानी चीज़ के लेने का इरादा न हो और ख़ामख़ाह किसी के सौदे पर सौदा करने लगो) और आपस में हसद न करो, आपस में बुग्ज़ न रखो, एक दूसरे की ग़ीबत न करो और ख़ुदा के सारे (मुसलमान) बन्दे आपस में भाई-भाई बन कर रहो और एक रिवायत यह भी है कि आपस में लालच न करो।

हवाला 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 723, हदीस 4779, तर्के मुलाक़ात का बयान,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 152, तर्के मुलाक़ात का बयान,

3. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 25, पृ० 236, हदीस, 999, आदाब का बयान,

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सहाबा रज़ि० से पूछा, तुम जानते हो, ग़ीबत क्या है? सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह और उस के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खूब जानते हैं। आपने फ़रमाया कि ज़िक्र करना अपने मुसलमान भाई का ऐसी बातों के साथ जो उस को बुरी मालूम हों (ग़ीबत है)। पूछा गया, अगर मेरे भाई के अन्दर वह बुराई मौजूद हो, जिस का मैंने ज़िक्र किया है, तब भी उस को ग़ीबत कहा जाएगा? आपने फ़रमाया अगर उस के अन्दर वह बुराई मौजूद हो, जिस का तू ने ज़िक्र किया है तो तूने उस की ग़ीबत की और अगर वह बुराई उस में मौजूद न हो तो फिर तू ने उस पर बोहतान लगाया।

हवाला 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 8, पृ० 701, हदीस 4589, ग़ीबत का बयान,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 95 ग़ीबत का बयान।

बुरा गुमान इंसान को कहां ले जाता है, इस पर आप ग़ौर करें। इब्लीस इबादत के ज़रिए से फ़रिश्तों के ज़ुमरे में आ गया था और उस का नाम अज़ाज़ील अलैहिस्सलाम था। जब उसने आदम अलैहिस्सलाम को हक़ीर समझा, तो फ़रिश्तों के ज़ुमरे से ख़ारिज कर दिया गया और लानत का तौक़ उस के गले में पड़ गया और इब्लीस का लक़ब लग गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, जिन के इंसाफ़ की धूम रहती दुनिया तक रहेगी, उन को शहीद कराने वाला यही गुमान था। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, जिन से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की दो साहबज़ादियां ब्याही गयी थीं और जीते जी जिन के लिए जन्नत की बशारत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दी थी, उन को शहीद कराने वाला यही गुमान था और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, जिन के फ़ज़ाइल व मनाक़िब को कौन नहीं जानता है उन को भी शहीद कराने वाला यही गुमान था। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को ज़हर देकर शहादत का जाम पिलाने वाला यही गुमान था। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और आप के साथियों को कर्बला की लड़ाई में शहीद कराने वाला यही गुमान था। जब एक इंसान दूसरे किसी इंसान को हक़ीर और बुरा समझने लगता है, तो वह खुद कितनी तबाही तक पहुंच जाता है, इस का अन्दाज़ा आप खुद ही लगा लेंगे। इसी लिए अल्लाह तआला ने ईमान वालों से फ़रमाया कि आप साहिबान गुमान से बचो और किसी की इज़्ज़त लेने के लिए चालें न चलो और ग़ीबतें न करो।

क़ुरआन करीम के तीसवें पारे में सूर: हुमज: की पहली आयत में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा - बड़ी ख़राबी है हर ऐसे आदमी की जो ऐब टटोलने वाला और ग़ीबत करने वाला हो।

हदीस – हज़रत अबू सईद और हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है, ग़ीबत ज़िना से बदतर है। सहाबा रज़ि० ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! ग़ीबत ज़िना से क्योंकर बुरी हो सकती है ? आप ने फ़रमाया, आदमी ज़िना करता है, फिर तौबा करता है और खुदावन्द तआला उस की तौबा क़ुबूल फ़रमा लेता है और एक रिवायत में ये लफ़्ज़ हैं कि फिर ज़ानी तौबा करता है और अल्लाह तआला उस को बख़्श देता है, लेकिन ग़ीबत करने वाले को खुदा नहीं बख़्शता, जब तक कि वह आदमी उस को माफ़ न कर दे, जिस की उसने ग़ीबत की है।

हवाला 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 705, हदीस 4630, ग़ीबत का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 107, ग़ीबत का बयान।

हदीस – हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाहु के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है, अल्लाह तआला जब मुझ को ऊपर ले गया (यानी मेराज में), तो वहां मैंने ऐसे लोगों को देखा जिन के नाख़ून तांबे के थे और उन नाख़ूनों से अपने चेहरों और सीनों को खरोंच लेते हैं। मैंने पूछा जिब्रील अलैहिस्सलाम से, ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा, ये वह लोग हैं, जो लोगों का गोश्त खाते हैं, (यानी ग़ीबत करते हैं) और उनकी आबरू के पीछे पड़े रहते हैं।

हवाला 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 725, हदीस 4796, तर्के मुलाक़ात में,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 158, तर्के मुलाक़ात में।

हदीस – हज़रत मस्तूर रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फ़रमाया, जो आदमी किसी मुसलमान की बुराई और ग़ीबत कर के एक लुक़्मा खाये (यानी इस ज़रिए से रोज़ी हासिल करे) अल्लाह उसको उस लुक़्मे की तरह दोज़ख़ की आग खिलाऐगा। (मुख़्तसर)

हवाला 1 मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 725, हदीस 4797, तर्के मुलाक़ात में,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 158, तर्के मुलाक़ात में।

हदीस – हज़रत उक़्बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है, जो आदमी किसी आदमी में कोई ऐब देखे और फिर वह उस को छिपा ले, तो उस को उस का सवाब उस आदमी के बराबर होगा, जिसने ज़िंदा दफ़्न की हुई लड़की को बचा लिया।

हवाला 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 718, हदीस, 4738, शफ़्क़त व रहमत का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 139, शफ़्क़त व रहमत का बयान।

हदीस – हज़रत अस्मा बिन्त यज़ीद रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, अल्लाह के रसूल

सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया हैं, जो आदमी किसी को अपने मुसलमान भाई का गोश्त खाने यानी ग़ीबत करने से ग़ायबाना यानी उस की ग़ैर हाज़िरी में रोके तो खुदा पर उस का हक़ है कि उसको दोज़ख़ की आग से आज़ाद कर दे।

हवाला 1.मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 718, हदीस 4735, शफ़्क़त व रहमत का बयान, 2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 139, शफ़्क़त व रहमत का बयान,

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया हैं, पीर और जुमेरात के दिन जन्नत के दरवाज़े खोले जाते हैं और हर बन्दे की बख़्शिश की जाती है, बशर्ते कि वह खुदा के साथ किसी को शरीक न करता हो और सिर्फ़ वे लोग इस बख़्शिश से महरूम रह जाते हैं, जो किसी मुसलमान से कीना और अदाव रखते हैं और फ़रिश्तों से कहा जाता है कि इन लोगों को दो दिन की मोहलत दे दो, ताकि वे आपस में सूलह कर लें।

हवाला 1.मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 723, हदीस 4780, तर्के मुलाक़ात में, 2. मज़ाहिरे हक़, ज़िल्द 4, पृ० 153 आदाब में।

हदीस – हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह फ़रमाते हुए सुना है, जो आदमी ख़ुदा की हदों में सिफ़ारिश करके रोक बने (यानी अल्लाह की हदों के लागू करने में अपनी सिफ़ारिश से रोक बने) उसने अल्लाह से ज़िद की और जो आदमी किसी ना हक़ या झूठी बात में झगड़ा करे और वह उस के हक़ होने को जानता हो, वह हमेशा खुदा के अज़ाब में रहता है, जब तक उस से बाज़ न आ जाए और जो आदमी किसी मुसलमान के बारे में ऐसी बात कहे, जो उस में नहीं पायी जाती, वह उस वक़्त तक दोज़ख़ियों की पीप और कीचड़ और खून में रहेगा, जब तक उस से तौबा न कर ले।

हवाला 1.मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 560, हदीस 3427, सज़ा की सिफ़ारिश का बयान, 2. मज़ाहिरे हक़ जिल्द 3, पृ० 321, किताबुल हुदूद।

हदीस – हज़रत अबुहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है, तुम जानते हो, मुफ़्लिस कौन है? सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया हम में तो मुफ़्लिस वह आदमी है, जिस के पास न तो दिरहम (रुपया-पैसा) हो और न सामान व असबाब। आपने फ़रमाया, मेरी उम्मत में से क़ियामत के दिन मुफ़्लिस वह आदमी होगा जो दुनिया से नमाज़, रोज़ा और ज़कात वग़ैरह हर क़िस्म की इबादतें लेकर आएगा और साथ ही किसी को गाली देने, किसी पर तोहमत लगाने, किसी का माल खा जाने, किसी को ना हक़ मार डालने और किसी को ना हक़ मारने के गुनाह भी लाएगा। फिर एक मज़्लूम को उन नेकियों में से दिया जाएगा और दूसरे मज़्लूम को उन नेकियों में से दिया जाएगा

और जब उस की ये नेकियां ख़त्म हो जाएंगी और लोगों के हक़ बाक़ी रह जाएंगे, तो उन हक़दारों की बुराइयां और गुनाह उस पर डाल दिये जाएंगे और फिर उस को दोज़ख़ में डाल दिया जाएगा।

हवाला 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 733, हदीस 4871, ज़ुल्म व सितम का बयान, 2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 183, आदाब का बयान।

ख़ात्मे की ख़बर ख़ुदा ही को है

क़ुरआन शरीफ़ के चौथे पारे में सूर: आले इम्रान के तेरहवें रुकूअ में आयत न० 129 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है, वह सब अल्लाह का है। वह जिसे चाहे बख़्श दे और जिसे चाहे अज़ाब करे। अल्लाह पाक बख़्शने वाला बड़ा मेहरबान है।

मेरे अज़ीज़ दोस्त ! ज़मीन व आसमान में जो कुछ भी है, सब का ख़ालिक़ व मालिक और रोज़ी देने वाला अल्लाह तआला है, हमें किसी बात में कुछ अख़्तियार नहीं है, वह जिस को चाहे अज़ाब करे और जिसको चाहे बख़्श दे, हमें तो सिर्फ़ इतना हुक्म मिला है कि कोई मुसलमान भाई शरीअत के ख़िलाफ़ काम करता हो, तो उस को नर्मी से, इख़्लास से, प्यार से, मुहब्बत से समझाने की कोशिश करनी चाहिए। वह मान ले तो अच्छा हैं, अगर न माने तो उस के हक़ में अल्लाह तआला से हिदायत की दुआ मांगनी चाहिए। उस को काफ़िर, फ़ाजिर, फ़ासिक़, मुनाफ़िक़, लह्हाबी, वह्हाबी, गुमराह, ख़ुर्रा, फिरा हुआ कहने से या गालियां और ताने देने से कोई इंसान हिदायत पर नहीं आ सकता और हमें ऐसा करना और दूसरे लोगों से कराना जायज़ भी नहीं है इसलिए कि उस आदमी का हक़ीक़ी इल्म हमें नहीं है कि वह मरते वक़्त ईमानदार होकर मरेगा या काफ़िर होकर मरेगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बुरे काम करते रहते हैं और मरते वक़्त अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से ईमानदार होकर मरते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अच्छे काम करते हैं और मरते वक़्त काफ़िर होकर मरते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक अपने रहम व करम से हम को हमारे आम मुसलमान भाइयों और बहनों को बुरी मौत से बचा कर ईमान के साथ दुनिया से उठाये। (आमीन)

हदीस – हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कसरत से यह फ़रमाते थे, 'ऐ दिलों के फेरने वाले! मेरे दिल को अपने दीन पर मज़बूरी से क़ायम रख। मैं ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! हम आप पर ईमान लाये और आप जो कुछ (ख़ुदा की तरफ़ से) लाये, उस पर भी ईमान लाये तो हम लोगों के बारे में (दीन से फिर जाने का) आप अंदेशा रखते हैं? आपने फ़रमाया, हां क्योंकि (सब लोगों के) दिल अल्लाह तआला की दो उंगलियों के दर्मियान हैं। अल्लाह तआला उन

को जैसे चाहता है, फेर देता है।

हवाला – तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 2 हदीस 9, तक़्दीर का बयान।

हदीस – हज़रत सह्ल बिन साद साअ़िदी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से और मुश्रिकों से मुक़ाबला हुआ और दोनों तरफ़ वालों ने खूब लड़ाई की। फिर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपनी फ़ौज में लौट कर आए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथियों में से एक आदमी था, जो काफ़िरों का कोई भागा हुआ आदमी भी न छोड़ता था, उस के पीछे जाता और उसे अपनी तलवार से मार देता, तो सह्ल रज़ि० ने कहा कि आज हमारी तरफ़ से कोई आदमी ऐसा नहीं लड़ा जैसा फ़लां आदमी लड़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, आगाह रहो। वह आदमी जहन्नम वालों में से हैं। हाज़िर लोगों में से एक आदमी ने कहा कि मैं उस के साथ रहूंगा। चुनांचे वह उस के साथ रहा, जहां कहीं वह खड़ा हुआ, वहीं यह भी खड़ा रहा और जब वह दौड़ा, तो यह भी उस के साथ दौड़ा। सह्ल रज़ि० कहते हैं, फिर यह आदमी सख़्त घायल हो गया, तो उसने मरने में जल्दी की और अपनी तलवार का क़ब्ज़ा ज़मीन पर टिका कर और उस की नोक अपने सीने के बीच में रख दी, फिर अपनी तलवार पर झुक पड़ा और अपने आप को क़त्ल कर डाला, (यानी खुदकुशी कर ली) पस वह आदमी रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आया और कहने लगा, मैं गवाही देता हूं कि आप खुदा के रसूल हैं। हज़रत ने फ़रमाया, क्या हुआ? उस ने अर्ज़ किया, जिस के बारे में आप ने अभी फ़रमाया कि यह जहन्नमियों में से है और लोगों ने उसको बहुत सख़्त जाना था। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें इत्मीनान कराये देता हूं। चुनांचे मैं उस की निगरानी में निकला। आख़िर में वह आदमी सख़्त घायल हो गया, फिर उस ने मरने में जल्दी की और अपनी तलवार से आत्महत्या कर ली। पस रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उस वक़्त फ़रमाया कि एक आदमी जाहिर में दोज़ख़ वालों के काम करता है, हालांकि वह अख़िरकार जन्नत वालों में से होता है और एक आदमी ज़ाहिर में जन्नत वालों के काम करता है, हालांकि वह आख़िरकार दोज़ख़ वालों में से होता है।

हवाला 1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 11, पृ० 45, हदीस 155, जिहाद का बयान,

2. सही मुस्लिम शरीफ़ जिल्द 2, पृ० 20, हदीस 97, बाब 43, किताबुल ईमान।

हदीस – हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हम से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया और वह सादिक़ व मस्दूक़ थे कि तुममें से हर आदमी की पैदाइश उस की मां के पेट में पूरी की जाती है। चालीस दिन तक नुत्फ़ा रहता है, फिर उतने ही ज़माने तक बंधा हुआ ख़ून रहता है, फिर उतने ही दिनों तक गोश्त का लोथड़ा रहता है, फिर अल्लाह फ़रिश्ता भेजता है और उसे चार बातों (के लिखने) का

हुक्म देता है कि उस का अमल, उसकी रोज़ी और उस की उम्र लिख दे और (यह लिख दे कि) नेक है, या बुरा, फिर उस में रूह फूंक दी जाती है, पस बेशक तुम में से कोई आदमी (ऐसे) अमल करता है कि उसके और जन्नत के दर्मियान में सिर्फ़ एक गज़ (की दूरी) रह जाती है, फिर उस पर लिखा हुआ ग़ालिब आ जाता है और दोज़ख़ियों के अमल करने लगता है और कोई आदमी (ऐसे) अमल करता है कि उस के और दोज़ख़ के दर्मियान में सिर्फ़ एक गज़ (बाक़ी) रह जाता है, फिर उस पर ख़ुदा का लिखा हुआ ग़ालिब आ जाता है और वह जन्नत वालों के काम करने लगता है।

हवाला 1.सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 13, पृ० 123, हदीस 439, पैदाइश का बाब।

2. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 2, हदीस 5, तक़्दीर का बयान।

3. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 94, हदीस 75, तक़्दीर का बयान।

4. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 49, ईमान का बयान।

इब्ने अबी हातिम के हवाले से लिखा है कि रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया।

'बन्दा हज़ारों, फिर हज़ारों वर्ष तक ख़ुदा के यहां मोमिन लिखा रहता है, लेकिन मरता है इस हाल में कि ख़ुदा उस पर नाराज़ होता है और बन्दा ख़ुदा के यहां हज़ारों साल तक काफिर लिखा रहता है फिर मरते वक़्त ख़ुदा-ए-तआला उस से ख़ुश हो जाता है।

हवाला– तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 29, पृ० 14, सूरः कलम के पहले रुकूअ की तफ़्सीर में।

ऐ अज़ीज़ दोस्त मेरे ! इन हदीसों को नज़र में रख कर हमें चुप रहना ही बेहतर है ! अपनी नज़रों से अगर हम किसी को काफ़िर समझें तो यह हमारी नफ़्सानियत और जहालत है, क्योंकि किसी के मरते वक़्त की ख़बर हम को नहीं हैं कि वह मरने वाला ईमान पर मरा है या कुफ़्र पर।

अच्छे अख़्लाक़

क़ुरआन करीम के उन्तीसवें पारे में सूरः क़लम के पहले रुकूअ में आयत न० 4 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा– 'और बेशक आप बहुत बड़े (उम्दा) अख़्लाक़ पर हैं।' हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इर्शाद फ़रमाते हैं मैं बेहतरीन अख़्लाक़ और पाक-साफ़ आदतों को पूरा करने के लिए आया हूं।

हवाला– तफ्सीर इब्ने कसीर, पारा 29, पृ० 12, सूरः क़लम के पहले रुकूअ की तफ़्सीर में।

हदीस – हज़रत अबूदर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु व सल्लम को यह फ़रमाते हुए सुना है कि-जितनी चीज़ें (क़ियामत के दिन) तराज़ू में रखी जाएंगी, उनमें से एक चीज़ भी अच्छे अख़्लाक़ से भारी नहीं (होगी) और अच्छे अख़्लाक़ वाला इस के ज़रिए रोज़ेदारों और नमाज़ी के दर्जे तक पहुंच जाता है।

हवाला – तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 380, हदीस 1901, एहसान का बाब।

हदीस – हज़रत नवास बिन सम्आन रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से नेकी और गुनाह का हाल मालूम किया। आपने फ़रमाया, नेकी अच्छे अख़्लाक़ का नाम है और गुनाह वह है, जो तेरे दिल में खटक पैदा करे और तू इस मामलें को बुरा समझे कि लोग उसे जान जाएं।

हवाला 1.मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 728, हदीस 4823, हुस्ने खुल्क़ का बयान,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 168, हुस्ने खुल्क़ का बयान।

हदीस – हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है-

क्या मैं उस आदमी को बता दूं, जिस पर दोज़ख़ की आग हराम हो। यह वह आदमी है जो नर्म मिज़ाज़, नर्म तबियत और नर्म खू हो।

हवाला 1.मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 729, हदीस 4833, अख़्लाक़ की फ़ज़ीलत का बयान,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 170, हया और हुस्ने खुल्क़ का बयान।

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हूज़ूर रसूले अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, मोमिन नेक, भोला और बुज़ुर्ग होता हैं और फ़ाजिर चालाक, बख़ील और बुरे अख़्लाक़ का मालिक होता है।

हवाला 1.मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 729, हदीस 4834, अख़्लाक़ की फ़ज़ीलत का बयान,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 170, हुस्ने खुल्क़ का बयान।

हदीस – हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है-

जिस आदमी को नर्मी में से हिस्सा दिया गया, उस को दुनिया व आख़िरत की भलाई दी गयी और जिस आदमी को नर्मी से महरूम रखा गया, उसको दुनिया व आख़िरत की भलाई से महरूम रखा गया।

हवाला 1.मिशकात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 728, हदीस 4826, अख़्लाक़ का बयान।

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 168, अख़्लाक़ का बयान।

हदीस – हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फ़रमाती हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह फ़रमाते हुए सुना, मोमिन (कामिल) अपने अच्छे अख़्लाक़ के ज़रिए रात को इबादत करने वाले और दिन को हमेशा रोज़ा रखने वाले आदमी का दर्जा हासिल कर लेता है।

हवाला 1.मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 728, हदीस 4831, अख़्लाक़ का बयान।
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 169, अख़्लाक़ का बयान।

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है-

तुम जानते हो, जन्नत में आदमी को अक्सर कौन सी चीज़ दाख़िल करती है, वह चीज़ अल्लाह से डरना और अच्छा अख़्लाक़ है और तुम जानते हो, दोज़ख़ में लोगों को अक्सर कौन सी चीज़ ले जाती है, वह दो चीज़ें हैं, मुंह और शर्मगाह।

हवाला 1.मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 701, हदीस 4593, ग़ीबत का बयान।
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 97, आदाब का बयान।

हदीस – हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया,

अबूज़र ! मैं तुझ को दो ऐसी बातें बताऊं जो निहायत सुबुक और हल्की हैं, लेकिन आमाल के तराज़ू में बहुत भारी है। अबूज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, हां, जरूर बताइए। आपने फ़रमाया, लम्बी ख़ामोशी और अच्छा अख़्लाक़। क़सम है उस ज़ात की, जिस के क़ब्ज़े में मेरी जान है इन दो आदतों से बेहतर मख़्लूक़ के लिए कोई काम नहीं।

हवाला 1.मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 704, हदीस 4624, ज़ुबान की हिफ़ाज़त का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 106, आदाब का बयान।

हदीस – हज़रत अबू सालबा ख़ुशनी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है-

क़ियामत के दिन मुझ को सब से ज़्यादा अज़ीज़ व महबूब और मुझ से क़रीब तर वे लोग होंगे जो तुम में ज़्यादा अच्छे अख़्लाक़ वाले हैं और ग़ैर महबूब और ग़ैर अज़ीज़ और मुझसे बहुत दूर वे लोग होंगे जो बद-अख़्लाक़ हैं (और बद अख़्लाक़ वे हैं) जो ज़्यादा बातें बनाने वाले, बे-एहतियाती से बेकार बातें करने वाले और तकब्बुर करने वाले हैं।

हवाला 1.मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 698, हदीस 4560, बयान व शेअ्र का बयान,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 88, बयान व शेअ्र का बयान।

हदीस - हज़रत नोमान बिन बशीर रज़ियललाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि-

तू मोमिनों को आपस में रहम करने, मुहब्बत रखने और मेहरबानी करने में ऐसा पाएगा जैसा कि बदन है कि जब बदन का कोई अंग दुखता है, तो सारे बदन के अंग उस के दुख में शरीक हो जाते हैं और जागने और तपने में सारा जिस्म शरीक रहता है।

हवाला 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 715, हदीस 4707, मख़्लूके़ ख़ुदा पर शफ़क़त का बयान,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 130, मख़लूके़ ख़ुदा पर शफ़क़त का बयान।

हदीस - हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है-

क़सम है उस ज़ात की, जिस के क़ब्ज़े में मेरी जान है कि बन्दा उस वक़्त तक कामिल मोमिन नहीं होता जब तक कि अपने (मुसलमान) भाई के लिए भी उस चीज़ को पसन्द न करे जिस को वह अपने लिए पसन्द करता है, यानी दीन व दुनिया की भलाई में से जिन चीज़ों को अपने लिए पसन्द करता है, सारे मुसलमानों के लिए भी उन को पसन्द करे।

हवाला 1.मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 716, हदीस 4715, मख़्लूके़ ख़ुदा पर शफ़क़त का बयान,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 133, मख़्लूके़ ख़ुदा पर शफ़क़त का बयान।

हदीस - हज़रत अनस रज़ियल्ललाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है-

जो आदमी मेरी उम्मत में से किसी आदमी की (दीनी या दुनियावी) ज़रूरत को पूरा करे और उस से उस का मंशा उस आदमी को खुश करना हो, तो उसने मुझ को खुश किया और जिस ने मुझ को खुश किया उसने अल्लाह को खुश किया और जिसने अल्लाह को खुश किया, अल्लाह उसको जन्नत में दाख़िल करेगा।

हवाला 1.मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 719, हदीस 4750, मख़्लूके़ ख़ुदा पर शफ़क़त का बयान।

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 143, मख़्लूके़ ख़ुदा पर शफ़क़त का बयान।

तौबा

क़ुरआन शरीफ़ के पांचवें पारे में सूरः निसा के सोलहवें रुकूअ में, आयत न० 110 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – जो आदमी कोई बुरा काम कर बैठे या अपने हक़ में ज़ुल्म करे, फिर ख़ुदा से बख़्शिश मांगे, तो अल्लाह तआला को बड़ी रहमत वाला, बड़ी मग़्फ़िरत वाला पाएगा।

हदीस – हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है–

क्या कोई आदमी पानी पर इस तरह चल सकता है कि उस के पांव तर न हों? सहाबा रज़ि० ने अर्ज़ किया, नहीं, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! आपने फ़रमाया, यही हाल दुनियादार का है कि गुनाहों से बचा नहीं रहता।

हवाला 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 745, हदीस 4949, रिक़ाक़ का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 216, रिक़ाक़ का बयान।

हदीस – हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने, गुनाह से तौबा करने वाला आदमी ऐसा (पाक व साफ़) हो जाता है, जैसे उसने कभी गुनाह ही नहीं किया।

हवाला 1.मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 388, हदीस 2237, इस्तग़्फ़ार व तौबा का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 294, इस्तग़्फ़ार व तौबा का बयान।

हदीस हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अल्लाह तआला की यह हिकायत बयान फ़रमायी कि एक आदमी ने गुनाह किया और और कहा, ऐ अल्लाह! मेरे गुनाह बख़्श दे तो ख़ुदावन्द तआला फ़रमाता है, मेरे बन्दे ने एक गुनाह किया और वह जानता है, उसका एक परवरदिगार है, जो गुनाहों को बख़्श देता है और गुनाहों पर पकड़ भी करता है, मैंने अपने उस बंदे को बख़्श दिया। इसी तरह तीन बार कहा।

(मुख़्तसर)

हवाला 1.सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 205, हदीस 1024, बाब 477, तौबा का बयान,
2. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 30 पृ० 574, हदीस 2352, तौहीद का बयान।

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुना है, आप फ़रमाते थे, ख़ुदा की क़सम ! मैं एक दिन में सत्तर बार से ज़्यादा (यानी हर वक़्त) अल्लाह तआला से तौबा और इस्तग़्फ़ार करता हूं।

हवाला 1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 26, पृ० 286, हदीस 1230, दुआ का बयान,
2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 382, हदीस 2198, तौबा का बयान।
3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 283, तौबा का बयान।

कुरआन शरीफ़ के सोलहवें पारे में सूर: मरयम के चौथे रुकूअ में आयत न० 60 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - हां, जिसने तौबा की और ईमान लाया और नेक अमल किये तो ऐसे लोग जन्नत में दाखिल होंगे और उनका ज़रा भी नुक़्सान न किया जाएगा।

हदीस - हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

तुम से पहले लोगों (यानी बनी इस्राईल) में एक आदमी था, जिसने निन्नान्वे आदमियों को क़त्ल किया था। उसने लोगों से पूछा कि दुनिया में सबसे बड़ा आलिम कौन है ? उसको एक राहिब का पता दिया गया। वह आदमी उस आबिद (इबादत गुज़ार) के पास पहुंचा और उस से कहा कि मैंने निन्नान्वे को क़त्ल किया है, क्या मेरी तौबा क़ुबूल हो सकती है ? उस आबिद ने जवाब में कहा कि नहीं (हो सकती)। यह सुन कर उसने आबिद को भी मार डाला और पूरी सौ की तायदाद कर ली। उस के बाद उसने पूछा कि दुनिया में सब से बड़ा आलिम कौन है? उस को एक आलिम का पता दिया गया उसने उस के पास पहुंच कर कहा मैंने सो आदमियों को कत्ल कर दिया है। क्या मरी तौबा क़ुबूल हो सकती है ? उस आलिम ने कहा हां ! (हो सकती है) तुम्हारे और तुम्हारी तौबा के दर्मियान कोई चीज़ भी रोक नहीं बन सकती। तुम फ़्लां बस्ती में जाओ, वहां तुम को कुछ लोग खुदा की इबादत करते हुए मिलेंगे, तुम भी उनके साथ खुदा की इबादत करो और अपनी बस्ती में वापस आ जाओ। चुनांचे वह आदमी उस बस्ती की तरफ़ रवाना हो गया। अभी आधा रास्ता भी तै न हुआ था कि मौत ने उसको पकड़ लिया। उसकी मौत के बाद रहमत के फ़रिश्तों ने कहा, यह आदमी तौबा कर के खुदा की तरफ़ मुतवज्जह होकर आया है, (इसके लिए इसकी रूह (आत्मा) को हम ले जाएंगे)। अज़ाब के फ़रिश्तों ने कहा, इस आदमी ने कभी कोई नेक काम नहीं किया (इसलिए इसकी रूह को हम लेकर जाएंगे) । आख़िर एक फ़रिश्ता आदमी की शक्ल में (उन के झगड़े का फ़ैसला करने) आया और रहमत और अज़ाब के फ़रिश्तों ने उसको अपना हकम (फ़ैसला करने वाला) मुक़र्रर कर लिया। उसने कहा कि दोनों तरफ़ की ज़मीनों को नापो, जिधर का रास्ता उस आदमी के क़रीब हो, उस को उसी की जानिब गिन लो (यानी अगर वह जगह इस आदमी के क़रीब है, जहां से यह चला है तो यह गुनाहगार है, इसलिए कि नेकी कि जगह इस से दूर है। अगर वह जगह क़रीब है, जिधर वह जा रहा था, तो फिर यह गुनाहगार नहीं हैं, इसलिए कि गुनाह की जगह से दूर और नेकी की जगह से क़रीब पहुंच गया) चुनांचे ज़मीन को नापा गया, तो उस जगह को क़रीब पाया गया, जिधर को वह जा रहा था और रहमत के फ़रिश्तों

ने उस की रूह को अपने क़ब्ज़े में कर लिया। जब उस आदमी को मौत ने पकड़ लिया था, तो वह सीने के बल (यानी घसिटते हुए) कुछ आगे बढ़ गया था, ताकि वह उस जगह के क़रीब हो जाए जहां वह जा रहा था।

और एक रिवायत में है कि जब ज़मीन को नापा गया तो इबादत गुज़ार लोगों की आबादी का फ़ासला सिर्फ़ एक बालिश्त क़रीब था, इस लिए उसको नेक लोगों की आबादी में गिन लिया गया और एक रिवायत है कि जब उस आदमी को बीच रास्ते में मौत आ गयी तो खुदा ने ज़मीन को हुक्म दिया कि वह ज़मीन, जिधर से वह आ रहा था, दूर हो जाए और वह ज़मीन, जिधर वह जा रहा था, क़रीब हो जाए।

हवाला 1.मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 207, हदीस न० 1029, बाब 480, तौबा का बयान,
2. बुख़ारी शरीफ़ जिल्द 2, पारा 14, पृ० 185, हदीस न० 681, बनी इस्राईल का बयान,
3. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 383, हदीस 2202, तौबा का बयान
4. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 285, तौबा का बयान।

ऐ मेरे अज़ीज़ दोस्त ! देखा तौबा का फल कि उस के ज़िन्दगी भर के गुनाह बख़्श दिए गये। वह डाकू था, लुटेरा था, क़ातिल था, सब कुछ था, लेकिन दिल में नदामत आयी और दिल के साथ अपने मालिक की तरफ़ झुक पड़ा तो रहमते खुदावन्दी ने उस को अपने दामन में ले लिया। खुदा की रहमत तो बन्दे से बहुत क़रीब रहती है, लेकिन हम उस से दूर भाग रहे हैं। यह है हमारी जहालत।

क़ुरआन शरीफ़ के चौबीसवें पारे में सूर: ज़ुमर के छठे रुकूअ में आयत न० 53 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा –मेरी जानिब से कह दो कि ऐ मेरे बन्दो ! जिन्होंने अपनी जानों पर ज़ुल्म व ज़्यादती की है, तुम अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद न हो जाओ। यक़ीनन अल्लाह तआला (तुम्हारे) सारे गुनाहों को बख़्श देता है। वाक़ई वह बड़ी बख़्शिश और बड़ी रहमत वाला है।

इस आयत में तमाम ना फ़रमानों को, चाहे वे मुश्रिक व काफ़िर हों। तौबा की दावत दी गयी है और बताया गया है कि खुदा की ज़ात ग़फ़ूर (माफ़ करने वाली) रहीम (रहम करने वाली) है। वह हर तौबा करने वाले की तौबा क़ुबूल करता है। हर झुकने वाले की तरफ़ मुतवज्जह होता हैं। तौबा करने वाले के अगले गुनाह भी माफ़ फ़रमा देता है, चाहे वे कैसे ही हों, कभी के हों।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 24, पृ० 10, सूर: ज़ुमर के छठे रुकूअ की तफ़्सीर में।

हदीस – हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि फ़रमाया रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने,

शैतान ने अपने परवरदिगार से अर्ज़ किया, क़सम है तेरी इज़्ज़त की, ऐ परवरदिगार! मैं

हमेशा तेरे बन्दों को गुमराह करता रहूंगा, जब तक उन की रूहें उनके जिस्मों में हैं। परवरदिगार बुज़ुर्ग व बरतर ने फ़रमाया और क़सम है मुझ को अपनी इ़ज़्ज़त और अपने जलाल की और अपने बुलन्द मर्तबे की, जब तक मेरे बंदे मुझ से बख़्शिश मांगते रहेंगे, मैं हमेशा उन को बख़्शता रहूंगा।

हवाला 1.मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 385, हदीस न० 2218, तौबा का बयान।

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 289, तौबा का बयान।

3. तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 4, पृ० 27 सूरः आले इम्रान के चौदहवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

क़ुरआन करीम के पचीसवें पारे में सूरः शूरा के तीसरे रुकूअ में, आयत न० 25 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा– वही तो खुदा है जो अपने बंदों की तौबा क़ुबूल कर लेता है और गुनाहों से दरगुज़र करता है और जो कुछ तुम कर रहे हो, सब जानता है।

अल्लाह तआला अपना एहसान और अपना करम बयान फ़रमा रहा है कि वह अपने बंदों पर इस क़दर मेहरबान है कि बद से बद गुनाहगार भी जब अपनी बद-किरदारी से बाज़ आ जाता है और खुलूस के साथ उस के सामने झुक जाता है और सच्चे दिल से तौबा कर लेता है, तो वह अपने रहम व करम से उस पर परदा डालता है और उस के गुनाह माफ़ कर देता है और अपनी मेहरबानी उस के शामिले हाल कर देता है।

हवाला –तफ़्सीर इब्ने कसीर, पारा 25, पृ० 16, सूरः शूरा के तीसरे रुकूअ की तफ़्सीर में।

हदीस – हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी वफ़ात के वक़्त बयान दिया कि मैंने एक हदीस छिपा रखी थी, वह सुनाता हूं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया–

अगर तुम लोग गुनाह न करते तो अल्लाह तआला एक और मख़्लूक़ पैदा करता जो गुनाह करती और अल्लाह तआला उस को बख़्श देता।

हवाला 1.मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 204, हदीस न० 1017, बाब 474, तौबा का बयान,

2. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 332, हदीस न० 1387, दुआ का बयान,

3. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 383, हदीस 2203, तौबा का बयान,

4. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 286, तौबा का बयान।

इंसान से गुनाह तो हो ही जाते हैं, लेकिन गुनाह के बाद फ़ौरन तौबा कर लेना और आगे ऐसा गुनाह न करना, यह है अक़्लमंदी की बात।

क़ुरआन करीम के चौथे पारे में सूर: आले इम्रान के चौदहवें रुकूअ में, आयत न० 135 में अल्लाह तआला फ़रमाता है–

तर्जुमा – जो लोग अपनी जान पर ज़ुल्म कर बैठते हैं, फिर फ़ौरन ही अल्लाह का ज़िक्र और इस्तग़्फ़ार करने लग जाते हैं, वे जानते हैं कि अल्लाह के सिवा माफ़ करने वाला है भी कौन और वे जान बूझ कर अपने गुनाहों पर अड़े नहीं रहते।

ज़रा सा भी गुनाह हो गया, लग़्ज़िश खा गये, तो फ़ौरन अल्लाह को याद कर लिया और जान बूझ कर अपने गुनाहों पर अड़े नहीं रहते कि शराब पीना है तो पीना है, जुआ खेलना है तो खेलते ही रहना है, चोरी करना है तो करनी है, झूठ बोलना है तो बोलना है, शिर्क व कुफ़्र और बिदअतें करनी हैं तो करनी हैं, नमाज़ नहीं पढ़नी तो नहीं पढ़नी, रोज़ा नहीं रखना तो नहीं रखना, दाढ़ी मुंडवानी है तो मुंडवानी है, शतरंज, ताश और जुआ खेलना है तो,खेलना ही है, हज को नहीं जाना तो नहीं जाना, ज़कात नहीं देनी तो नहीं देनी, ब्याज खाना तो खाते ही रहना है, बल्कि जान-बूझ कर, इरादा कर के अपने गुना हों पर अड़े नहीं रहते ऐसे लोगों के लिए फ़रमाया है–

क़ुरआन करीम के चौथे पारे में सूर: आले इम्रान के चौदहवें रुकूअ में आयत न० 136 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – यही वे लोग हैं, जिनके लिए अल्लाह तआला के यहां मग्फ़िरत है और जन्नतें हैं जिन के नीचे नहरें बहती हैं, जिन में वे हमेशा रहेंगे। नेक कामों के करने वालों का सवाब बहुत ही अच्छा है।

हदीस – हज़रत अनस रज़ि० कहते हैं कि फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि जब कोई बंदा खुदा से तौबा करता है, तो वह अपने बंदे की तौबा से बहुत खुश होता है और इस क़दर खुश होता है कि इतना खुश तुम में से वह आदमी भी नहीं होगा, जो अपनी सवारी पर एक चटयल मैदान में जा रहा हो, फिर वह सवारी गुम हो गयी हो और उस पर उस का खाना और पानी भी हो और वह (काफ़ी तलाश करने के बाद) ना-उम्मीद होकर एक पेड़ के पास आया हो और उस के साए में लेट गया हो। पस वह इसी मायूसी की हालत में ख़ामोश व दुखी पड़ा हो कि यकायक उस की सवारी उस के पास आ खड़ी हो, उस ने उस की रस्सी पकड़ ली हो और खुशी की ज़्यादती की वजह से उसके मुंह से ये ग़लत लफ़्ज़ निकल गये हों, ऐ अल्लाह। तू मेरा बंदा है और मैं तेरा परवरदिगार !

हवाला 1. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 203, हदीस 1016, बाब 474, तौबा का बयान,
2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 383, हदीस 2207, तौबा का बयान,
3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 286, तौबा का बयान।

जिस तरह उस को सवारी मिलने पर ख़ुशी हासिल हुई और ज़ुबान से उलटे लफ़्ज़ निकल गये क्या उसकी ख़ुशी का अन्दाज़ा हम लगा सकते हैं? इसी तरह जब तौबा करने वाला तौबा करता है, तो अल्लाह तआला भी ऐसे ही ख़ुश होते हैं कि मेरा बन्दा जानता है कि उस का कोई बख़्शने वाला है।

क़ुरआन करीम के चौदहवें पारे में सूरः नहल के पन्द्रहवें रुकूअ में, आयत न० 119 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है।

तर्जुमा – आप का रब ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने जहालत की वजह से बुरा काम किया और उस के बाद तौबा कर ली और (आगे के लिए) अपने आमाल दुरुस्त कर लिए, तो अल्लाह तआला (इस तौबा के बाद) बड़ी मग़्फ़िरत करने वाला और बड़ी रहमत वाला है।

कोई इंसान अगर अपनी ख़ताओं पर दयानतदारी से नज़र डालेगा, तो इन्शाअल्लाहु तआला वह दुसरों को हक़ीर नहीं समझेगा और तौबा करने वालों के लिए तो अल्लाह की रहमत का बहुत बड़ा और फैला मैदान मौजूद है। है कोई तौबा करने वाला।

क़ुरआन करीम के आठवें पारे में सूरः अन्-आम के चौहदवें रुकूअ में आयत न० 120 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तुर्जमा – तुम ज़ाहिरी गुनाह को भी छोड़ों और बातिनी गुनाह को भी छोड़ो, बिला शुब्हा जो लोग गुनाह कर रहे हैं, उन को किये की बहुत जल्द सज़ा मिलेगी।

मेरे रब ने हर क़िस्म की ख़्वाहिश हराम कर दी है, चाहे वे एलानिया हों या छिपे तौर पर हों। फ़रमाया कि जो लोग गुनाह के काम करते हैं, ज़रूर उनको अपने अमल का बदला दिया जाएगा, चाहे वे ज़ाहिर हो या छिपे हुए।

हवाला तफ्सीरे इब्ने क़सीर, पारा 8, पृ० 6, सूरः आन-आम के चौदहवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

कुछ गुनाह वह होते हैं जो इंसान करता है और किसी से नहीं डरता, बल्कि ललकार कर कहता है, किसी में हिम्मत हो तो हम को रोक ले और कुछ गुनाह ऐसे होते हैं कि इंसान इंसान से शर्माता है कि अगर कोई देख लेगा तो क्या होगा, हालांकि उस को ख़ुदा से शर्माना चाहिए था। दुनिया में कोई देखे न देखे, लेकिन ख़ुदा तो देख ही रहा है। इन दोनों क़िस्म के गुनाहों से तौबा कर लो, इन्हें भी छोड़ दो उन्हें भी छोड़ दो।

हज़रत सैयद अब्दुल क़ादिर जीलानी रह्मतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं– 'जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि जब कोई बंदा अपने दरवाज़े को बन्द करता है और परदे डाल लेता है और मख़्लूक़ से छिप कर अकेले में हक़ तआला की ना-फ़रमानियां करता है, तो हक़ तआला फ़रमाता है, ऐ इब्ने आदम! तू ने अपनी तरफ़ देखने वालों में सब से ज़्यादा मुझ को कमतर समझा।

हवाला – फ़ुयूज़े यज़दानी, पृ० 66, मज्लिस 9।

क़ुरआन करीम के चौथे पारे में सूरः निसा के तीसरे रुकूअ में आयत न० 17-18 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – तौबा जिस का क़ुबूल करना अल्लाह तआला के ज़िम्मे है, वह तो उन ही की है जो हिमाक़त से कोई गुनाह कर बैठते हैं, फिर क़रीब ही वक़्त में तौबा कर लेते हैं, सो ऐसों पर तो अल्लाह तआला तवज्जोह फ़रमाते हैं और अल्लाह तआला ख़ूब जानते हैं हिक्मत वाले हैं और ऐसे लोगों की तौबा नहीं, जो गुनाह करते रहते हैं, यहां तक कि जब उनमें से किसी के सामने मौत ही आ खड़ी हुई तो कहने लगा कि मैं अब तौबा करता हूं और न उन लोगों की (तौबा क़ुबूल करते हैं) जिन को कुफ़्र की हालत पर मौत आ जाती है। उन लोगों के लिए हमने एक दर्दनाक सज़ा तैयार कर रखी है।

जो भी मोमिन बंदा अपनी मौत से महीने भर पहले तौबा कर ले, उस की तौबा अल्लाह तआला क़ुबूल फ़रमा लेता है, यहां तक कि उस के बाद भी, बल्कि मौत से एक दिन पहले भी, बल्कि एक साअत पहले जो भी इख़्लास और सच्चाई के साथ अपने रब की तरफ़ झुके, अल्लाह तआला उसे क़ुबूल फ़रमाता है।

हवाला– तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 4, पृ० 91, सेरः निसा के तीसरे रुकूअ की तफ़्सीर में।

जब ज़िंदगी से मायूस हो जाए, फ़रिश्तों को देख ले और रूह बदन से निकल कर हलक़ तक पहुंच जाए, सीने में घुटने लगे, हलक़ में अटके, ग़रग़रा शुरू हो तो उसकी तौबा क़ुबूल नहीं होती, इसी लिए इस के बाद फ़रमाया कि मरते दम तक जो गुनाहों पर अड़ा रहे और मौत देख कर कहने लगे कि अब मैं तौबा करता हूं तो ऐसे आदमी की तौबा क़ुबूल नहीं होती।

हवाला– तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा न० 4, पृ० 91, सूरः निसा के तीसरे रुकूअ की तफ़्सीर में।

मरते वक़्त तो फ़िरऔन ने भी तौबा की थी, लेकिन अल्लाह तआला में क़ुबूल नहीं की।

क़ुरआन करीम के ग्यारहवें पारे में सूरः यूनुस के नवें रुकूअ में आयत नं० 90 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – हमने बनी इस्राईल को दरिया से पार कर दिया, फिर उन के पीछे-पीछे फ़िरऔन मय अपने लश्कर के ज़ुल्म और ज़्यादती के इरादे से चला, यहां तक कि जब डूबने लगा, तो कहने लगा, मैं ईमान लाता हूं कि उसके अलावा कि जिस पर बनी इस्राईल ईमान लाये हैं कोई माबूद नहीं और मैं मुसलमानों में दाख़िल होता हूं।

जब उन्होंने हमारा अज़ाब देख लिया तो बोल उठे कि हम एक ख़ुदा पर ईमान लाये और कुफ़्र व शिर्क से बाज़ आये, लेकिन हमारा अज़ाब देख चुकने के बाद ईमान नफ़ा बख़्श नहीं।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 11, पृ० 78, सूरः यूनुस के नवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

जब फ़िरऔन कलिमा पढ़ने लगा और ईमान का इक़रार किया और अपनी खताओं से, अपनी लग़्ज़िशों से, अपने गुनाहों से, अपने काले, करतूतों से बाज़ आने के लिए तौबा का इज़्हार किया, तो अल्लाह तआला ने जवाब दिया-

क़ुरआन करीम के ग्यारहवें पारे में सूरः यूनुस के नवें रुकूअ में आयत न० 91 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा – जवाब दिया गया कि अब ईमान लाता है, पहले से सरकशी करता रहा और फ़सादियों में दाख़िल रहा।

अल्लाह पाक ने फ़िरऔन के जवाब में कहा कि, अब ईमान लाता है और अब तक ना-फ़रमान और काफ़िर बना हुआ था और फ़ित्ने मचा रहा था और लोगों को गुमराह कर रहा था।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 11, पृ० 78, सूरः यूनुस के नवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

क़ुरआन मजीद के उन्नीसवें पारे में सूरः फ़ुर्क़ान के छठे रुकूअ में, आयत न० 70 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा – जिसने तौबा की और ईमान लाए और अच्छे काम किये तो ऐसे लोगों के गुनाहों को अल्लाह तआला नेकियों से बदल देगा और ख़ुदा तो बख़्शने वाला बड़ा मेहरबान है।

इस आयत की तफ़्सीर में हसन बसरी रह० फ़रमाते हैं, गुनाह के बदले सवाब के काम करने लगे, शिर्क के बदले तौहीद पर जम गये, बद कारी के बदले पाकदामनी हासिल हुई, कुफ़्र के बदले इस्लाम मिला। एक मायने तो इस आयत के यह हुए। दूसरे मायने यह हैं कि ख़ुलूस के साथ उन की जो तौबी थी, उस से ख़ुश होकर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उन के गुनाहों को नेकियों से बदल दिया। यह इस लिए कि तौबा के बाद जब कभी उन्हें गुनाह याद आते थे, तो उन्हें शर्मिंदगी होती थी। यह ग़मगीन हो जाते थे, शर्माने लगते थे और इस्तग़्फ़ार करते थे। इस वजह से उन के गुनाह ताअत से बदल दिये गये हैं, गो वह उन के आमालनामे में गुनाह के तौर पर लिखे हुए थे, लेकिन क़ियामत के दिन वह सब नेकियां बन गये।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 19, पृ० 20, सूरः फ़ुर्क़ान के छटे रुकूअ की तफ़्सीर में।

मेरे अज़ीज़ दोस्त! रहमते खुदावंदी के तो ख़ज़ानों के मुहाने खुले हुए हैं, लेने वाला चाहिए, तौबा करने वाला चाहिए। आज तक जितने भी गुनाह किये हों, सब नेकियों से बदल दिये जाएंगे, नमाज़ें छोड़ कर जितने गुनाह कमाये, जुआ खेल कर जितनी बुराई कमायी, शराब व कबाब में परवरदिगार की जितनी नाफ़रमानी हासिल की और भी जितने काले करतूत किये, तौबा कर ले, सब नेकियों से बदल जाएंगे, यानी दुनिया में किये हुए गुनाहों की जगह नेकियों की तौफ़ीक़ मिलेगी और आख़िरत में उनके बदले नेकियों का सवाब मिलेगा, जितने उर्स और क़व्वाली में गुनाह कमाये, वे सब तौबा करने से नेकियों में बदल दिये जाएंगे, जितना मुसलमानों को सता

कर, उन्हें मार पीट कर, उन्हें गालियां देकर, उन्हें ताने दे देकर उन का मज़ाक उड़ा कर, उन्हें इस्लाम से ख़ारिज़ बता कर, उन्हें काफ़िर व फ़ाजिर कह कर उन्हें फ़ासिक़ व मुनाफ़िक़ बतलाकर उन्हें वह्हाबी, लह्हाबी, बेईमान, बे दीन, ग़ैर-मुक़ल्लिद, ख़ुर्रा, फिरा हुआ के ख़िताब देकर परवरदिगार का गुस्सा कमाया है और तौबा कर के और माफ़ करा कर सही दीन पर आ जाओ, वह गुस्सा ग़फ़ूरुर्रहीम की रज़ामंदी और रहमत में बदल जाएगा। क़ुरआन व हदीस से मुंह मोड़ कर अंबिया, औलिय, ग़ौस, क़ुत्ब, अब्दाल और उलेमा-ए-हक़ के रास्ते को छोड़कर जितनी भी रस्में और बिदअतें कर के ढोल-ताशे, ताबूद बना कर जेबभरू पीरों को और पेटभरू मौलवियों को अपना पेशवा बना कर जितने भी कुफ़्र व शिर्क और जहालत के बद-तरीन गुनाह किये हैं वे सब तौबा कर के शरीअते मुहम्मदिया पर आ जाने के बाद नेकियों में बदल जाएंगे। मुख़्तसर यह कि बन्दा अगर अपने गुनाहों में सर से पांव तक डूबा हुआ हो और चाहे दिन की रोशनी में खुले हुए और रात के अंधेरों में छिपे हुए गुनाहों की तायदाद ज़मीन से आसमान तक या पूरब से पच्छिम तक फैली हुई हो और उस हालत में भी अपनी जहालत छोड़ कर तौबा कर के शरीअत पर आ जाए तो यक़ीनन परवरदिगार अपनी अनगिनत रहमतों के साथ उस की तरफ़ मुतवज्जह होने के लिए हर वक़्त तैयार है। अगर फिर भी ऐ मेरे अज़ीज़! तौबा की तौफ़ीक़ नसीब न हो तो इस से बड़ी नाकामी और इस से बड़ी बद-क़िस्मती और जहालत क्या हो सकती है?

हदीस – हज़रत अबूज़र रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि-

मैं जानता हूं उस आदमी को, जो सब के बाद जन्नत में जाएगा और सब से आख़िर में दोज़ख़ से निकाला जाएगा। वह आदमी वह है, जो क़ियामत के दिन खुदा के दरबार में लाया जाएगा और हुक्म होगा कि उस के सग़ीरा यानी छोटे छोटे गुनाह उस के सामने पेश करो और उसके कबीरा यानी बड़े-बड़े गुनाह अलग (छिपा कर) रखो। चुनांचे सग़ीरा गुनाह उस के सामने पेश किये जाएंगे, और पूछा जाएगा, फ़्लां दिन तू ने ऐसा ऐसा किया था और फ़्लां दिन तू ने ये काम किये थे ? वह इंकार नहीं कर सकेगा और कहेगा, हां, (मैं ने ये गुनाह किये थे), लेकिन कबीरा गुनाहों से डर रहा होगा। फिर उस से कहा जाएगा, तेरे हर गुनाह के बदले में एक नेकी है। यह सुन कर वह अर्ज़ करेगा, परवरदिगार! मैंने कुछ और (गुनाह के बड़े-बड़े) काम भी किये थे, जिन को मैं यहां नहीं देख रहा। (पहले तो ज़ाहिर होने से डर रहा था और अब इस नीयत से कह रहा है कि शायद उन गुनाहों के बदले में भी नेकियां मिल जाएं तो अच्छा है) इस बात को बयान करते हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम भी हंस पड़े।

हवाला 1.सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 39, हदीस 171, बाब 69, किताबुल ईमान,

2. शमाइले तिर्मिज़ी, पृ० 170, हदीस 4, हुज़ूर सल्ल० के हंसने का बयान,

3. तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 19, पृ० 20, सूरः फ़ुर्क़ान के छठे रुकूअ की तफ़्सीर में।

हमारे गुनाह अगर समुद्र की मोजों के बराबर होंगे, तब भी बख़्श देगा और इतनी ही नेकियां देगा और अगर समुद्र के झागों के बराबर भी गुनाह होंगे, तब भी अल्लाह तआला बख़्श देगा और उतनी ही नेकियां देगा और अगर पेड़ों के पत्तों के बराबर भी गुनाह होंगे, तब भी बख़्श देगा और उतनी ही नेकियां देगा और अगर आसमान के सितारों के बराबर गुनाह होंगे, तब भी बख़्श देगा और उतनी ही नेकियां देगा और अगर बारिश की बूंदों के बराबर गुनाह होंगे, तब भी बख़्श देगा और उतनी ही नेकियां देगा। सुब्हानल्लाह ! अल्लाह पाक की रहीमी और करीमी को देखिए कि गुनाह तो माफ़ किये ही जा रहे है और उसके अलावा उतनी ही नेकियां दी जा रही हैं।

क़ुरआन करीम के सोलहवें पारे में, सूरः ताहा के चौथे रुकूअ में, आयत न० 82 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – जो तौबा करे और ईमान ले आए और नेक अमल करे, फिर सीधे रास्ते पर चले, उस को मैं बख़्श देने वाला हूं।

हदीस – हज़रत नवास बिन समुआन रज़ियल्लहु अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से नेकी और गुनाह के बारे में पूछा। आपने फ़रमाया, कि नेकी अच्छे अख़्लाक़ का नाम है और गुनाह वह है जो तेरे दिल में खटक पैदा करे और जिस पर लोगों की अगाही को तू पसन्द न करे।

हवाला – तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 51, हदीस न० 251, ज़ुह्द का बयान।

मेरे मोह्तरम दोस्त ! नेकी वह है जो दिल में इत्मीनान पैदा करे और गुनाह वह है जो दिल में खटक पैदा करे। अब तू अपने दिल से ईमानदारी के साथ पूछ ले कि जो काम तू कर रहा है, वह कैसा है। अगर दिल में इत्मीनान पैदा करता है, जब तो ठीक है और अगर खटक पैदा करता है, तो तौबा कर ले।

आज मुसलमानों पर दुनिया के दरवाज़े एक–एक कर के बन्द होते जा रहे हैं, सिर्फ़ एक ही दरवाज़ा ग़फ़ूर्रहीम का हमारे लिए हर वक़्त खुला है। है कोई बन्दा अपने मालिक मेहरबान की तरफ़ आने वाला?

क़ुरआन करीम के पांचवें पारे में सूरः निसा के 21 वें रुकूअ में आयत न० 146 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – लेकिन जो लोग तौबा कर लें और इस्लाह कर लें और अल्लाह तआला पर पूरा यक़ीन रखें और अपने दीन को ख़ालिस अल्लाह ही के लिए किया करें, तो ये लोग मोमिनों के साथ होंगे और मोमिनों को बहुत जल्द अल्लाह तआला बड़े बदले अता फ़रमाएंगे।

जो तौबा कर लें, नादिम हो जाएं और सच्चे दिल से निफ़ाक़ से हट जाएं और रब से अपने इस गुनाह की माफ़ी चाहें, फिर अपने आमाल में इख़्लास पैदा करें, सिर्फ़ अल्लाह की खुशी और मौला की मर्ज़ी के लिए नेक आमाल पर कमर कस लें, दिखावे को इख़्लास से बदल दें, खुदा के दीन को मज़बूती से थाम लें, तो बेशक अल्लाह तआला उनकी तौबा क़ुबूल फ़रमा लेगा और उन्हें सच्चे मोमिनों में दाख़िल करेगा और बड़े सवाब और बड़ा अज्र इनायत फ़रमाएगा।

हवाला तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 5, पृ० 120, सूरः निसा के इक्कीसवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

अगर तुम अपने आमाल को संवार लो और खुदा पर और उस के रसूल सल्ल० पर सच्चे दिल से ईमान लाओ तो कोई वजह नहीं जो खुदा तुम्हें अज़ाब करे। वह तो छोटी-छोटी नेकियों की भी क़द्रदानी करने वाला है। जो उस का शुक्र करे, उस की इज़्ज़त बढ़ाता है, वह पूरे और सही इल्म वाला है, जानता है किस का अमल इख़्लास वाला और क़ुबूलियत और क़द्र के लायक़ है। उसे मालूम है कि किस दिल में मज़बूत ईमान है और कौन-सा दिल ईमान से खाली है। जो इख़्लास और ईमान वाले हैं, उन्हें भरपूर अमल और कामिल बदला अल्लाह तआला इनायत फ़रमाएगा।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 5, पृ० 120, सूरः निसा के इक्कीसवें रुकूअ की तफ़्सीरे में।

क़ुरआन करीम के अठाईसवें पारे में, सूरः तहरीम के दूसरे रुकूअ में आयत न० 8 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – ऐ ईमान वालो! तुम अल्लाह के सामने सच्ची ख़ालिस तौबा करो। मुम्किन है कि तुम्हारा पालनहार तुम्हारे गुनाह दूर कर दे और तुम्हें ऐसी जन्नतों में पहुंचा दे जिन के नीचे नहरें जारी हैं। जिस दिन अल्लाह तआला नबी को और ईमानदारों को जो उन के साथ हैं, रुसवा न करेगा, उन का नूर उन के सामनें और उन के दाएं दौड़ रहा होगा। ये दुआएं करते हुए (चलेंगे और कहेंगे) ऐ हमारे रब! हमें और नूर अता फ़रमा और हमें बख़्श दे। यक़ीनन तू हर चीज़ पर क़ुदरत रखता है।

फ़रमान है कि ख़ालिस तौबा करने वाले क़तई तौर पर अपने गुनाहों को माफ़ करवा लेंगे और हरी-भरी जन्नतों में जाएंगे। फिर इर्शाद है, क़ियामत के दिन अल्लाह तआला अपने नबी और उन के ईमानदार साथियों को हरगिज़ शर्मिंदा न करेगा, उन्हें खुदा की तरफ़ से नूर आता होगा, जो उन के आगे-आगे और दायीं तरफ़ होगा और सब अंधेरे में होंगे और ये रोशनी में होंगे।

हवाला – तफ़्सीर इब्ने कसीर, पारा 28, पृ० 101, सूरः तह्रीम के दूसरे रुकूअ की तफ़्सीर में।

बेहतरीन उम्मत

जिस तरह नबी करीम सल्लललाहु अलैहि व सल्लम की मुबारक शान तमाम नबियों में सब से ऊंची और अफ़ज़ल है, इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की उम्मत की शान तमाम नबियों की उम्मतों से ऊंची और अफ़ज़ल है।

क़ुरआन मजीद के चौथे पारे में सूरः आले इम्रान के ग्यारहवें रुकूअ में आयत न० 104 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – और तुम में एक जमाअत ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को नेकी की तरफ़ बुलाए और अच्छे काम करने का हुक्म दे और बुरे कामों से मना करे। यही लोग हैं जो निजात पाने वाले हैं।

हदीस – हज़रत मुग़ीरह बिन शोबा रज़िल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया,

मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा ग़ालिब रहेगा, यहां तक कि क़ियामत आ जाएगी और वह ग़ालिब ही रहेगा।

हवाला 1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 29, पृ० 521, हदीस 2171, बाबे ऐतसाम,
2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 80, हदीस 345, वाब, 162, किताबुल इमारः

क़ुरआन शरीफ़ के चौथे पारे में सूरः आले इम्रान के बारहवें रुकूअ में आयत न० 110 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा– तुम बेहतरीन उम्मत हो, जो लोगों के लिए ही पैदा की गयी हो, तुम नेक बातों का हुक्म करते हो और बुरी बातों से रोकते हो और अल्लाह तआला पर ईमान रखते हो।

हदीस – हज़रत अबू उमामा बाहली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया–

मेरे मालिक ने मुझ से वायदा किया है कि मेरी उम्मत के सत्तर हज़ार आदमी बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाख़िल होंगे और उन में से हर हज़ार के साथ सत्तर हज़ार आदमी होंगे, इन के आलावा मेरे मालिक की तीन मुट्ठियां होंगी, (जो हश्र के मैदान में से भर कर जन्नत में डाल दी जाएंगी।)

हवाला 1.तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 62, हदीस 301 अबवाबुल क़ियामत वर्रिक़ाक़,
2. इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 650, हदीस 4283, परहेज़गारी का बयान।

मुस्नद अहमद के हवाले से लिखा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि–

मुझे मेरे रब ने सत्तर हज़ार आदमियों को मेरी उम्मत में से बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाख़िल होने की खुशख़बरी दी है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह सुन कर फ़रमाया,

हुज़ूर सल्ल० ! कुछ और ज़्यादा तलब करते (तो फिर) ? आपने फ़रमाया, मैंने अपने रब से सवाल किया, तो मुझे खुशख़बरी मिली कि हर हज़ार के साथ सत्तर हज़ार होंगे। फ़ारूक़े आज़म रज़ि० ने कहा, हुज़ूर ! और बरकत की दुआ करते, (तो फिर) ? आपने फ़रमाया, मैंने फिर दुआ की, तो हर-हर आदमी के साथ सत्तर हज़ार का वायदा हुआ। हज़रत उमर रज़ि० ने फिर गुज़ारिश की कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! और कुछ मांगते (तो फिर) ? आपने फ़रमाया, मांगा तो मुझे इतनी ज़्यादती और मिली और फिर दोनों हाथ फैला कर बताया कि इस तरह।

हदीस की रिवायत करने वाले कहते हैं, इस तरह जब खुदा समेटे तो खुदा ही जानता है कि किस क़दर मख़्लूक़ इस में आएगी।

हवाला – तफ़्सीर इब्ने कसीर, पारा 4, पृ० 13, सूरः आले इम्रान के बारहवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

हदीस – हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि रसूले अन्वर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि–

जब क़ियामत का दिन होगा तो किसी नबी के साथ एक मोमिन आदमी होगा, किसी के साथ दो ही आदमी होंगे, किसी के साथ तीन, किसी के साथ ज़्यादा, किसी के साथ इस से कम, किसी नबी के साथ कोई नहीं होगा। उन से पूछा जाएगा, तुमने अपनी क़ौम को तब्लीग़ कर दी थी ? वे अर्ज़ करेंगे, जी हां, कर दी थी, तब उन की क़ौम को बुलाया जाएगा और उन से पूछा जाएगा, (क्या इन नबियों ने तुम को मेरा पैग़ाम पहुंचाया था ?) वे लोग इससे इंकार कर देंगे, तब अल्लाह तआला (नबियों से) फ़रमाएगा, तुम्हारा गवाह कौन है ? वे नबी अर्ज़ करेंगे, उम्मते मुहम्मदी ! उस वक़्त मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की उम्मत को बुलाया जाएगा और उन से पूछा जाएगा कि फ़्लां-फ़्लां नबी ने अपनी उम्मत को तब्लीग़ कर दी थी? ये अर्ज़ करेंगे, जी हां, कर दी थी। उन से सवाल होगा कि तुम को कैसे मालूम हुआ ? वे अर्ज़ करेंगे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि तमाम नबियों ने अपनी क़ौमों को तब्लीग़ कर दी थी और हमने अपने पैग़म्बर के लाये हुए की तस्दीक़ कर ली थी।

हवाला 1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 13, पृ० 144, हदीस 562, पैदाइश का बयान
2. इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 650, हदीस न० 4281, परहेज़गारी का बयान।

क़ुरआन शरीफ़ के दूसरे पारे में सूरः बकरः के सत्तरहवें रुकूअ में, आयत न० 143 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – हमने इसी तरह तुम्हें आदिल यानी इंसाफ़ करने वाली उम्मत बनाया है, ताकि तुम लोगों पर गवाह हो जाओ और रसूल तुम पर गवाह हो जाएं।

सुब्हानल्लाह ! यह शान है हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की उम्मत की, जो भलाई का हुक्म करते हैं और बुराई से रोकने वाले हैं। उन की गवाही से नबियों की तस्दीक़ होगी। अब इस से अन्दाज़ा लगा लीजिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शान का क्या मर्तबा होगा।

इब्ने अबी हातिम के हवाले से लिखा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, मैं और मेरी उम्मत क़ियामत के दिन एक ऊंचे टीले पर होंगे और तमाम मख़्लूक़ में नुमायां होंगे और सब को देख रहे होंगे, जिस-जिस नबी की क़ौम ने उसे झुठलाया है, हम अल्लाह के दरबार में गवाही देंगे कि इन तमाम नबियों ने रिसालत का हक़ अदा किया था।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा न० 2, पृ० 4, सूरः बकरः के सत्तरहवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

यह मर्तबा और आलीशान मक़ाम है हबीबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की उम्मत का कि नबियों (अलैहिमुस्सलाम) के दर्मियान ये लोग गवाह बन कर खड़े होंगे, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि ये वही लोग होंगे, जिन्होंने लोगों को बुराई से रोक कर जहालत से निकाला और नेकी व भलाई का हुक्म देकर शरीअत पर ला खड़ा किया।

मेरे अज़ीज़ ! यह एक बहुत ही कड़वी हक़ीक़त है कि आज उम्मतें मुहम्मदिया के अक्सर लोग तरह तरह की बुराईयों में फंस कर इस आलीशान मर्तबे को ठुकरा रहे हैं आम जाहिल लोगों की बात तो अलग रही, जो ख़ास-ख़ास लोग हैं, वे भी बुरी से बुरी जहालतों के शिकार हैं। आप के सामने हैं कि जेबभरू पीर और उन के मुरीद कैसे-कैसे काले करतूत फैला रहे हैं। आप आंखों से देख रहे हैं कि पेटभरू मौलवियों और उनके मुक़्तदियों के कैसे गोरख-धंधे चला रखे हैं। आप देख रहे हैं कि गुमराह सूफ़ियों ने कैसी दीन के अन्दर तूफ़ाने बद-तमीज़ी फैला रखी है। आप देख रहे हैं कि नाम के दरवेशों, जाहिल फ़क़ीरों, कोर बातिन सज्जादा-नशीनों और दाम के गुलाम मुफ़्तियों ने किस तरह अपनी दुकानें जमा रखी हैं। क्या ऐसे फ़सादी लोग क़ियामत के दिन खड़े होकर नबियों (अलैहि मुंस्सल्लांम) का फ़ैसला कराएंगे। हरगिज़ नहीं! हरगिज़ नहीं!

यह उम्मत, दुनिया पर सच्चाई और इन्साफ का सिक्का जमाने आई थी, यह उम्मत दुनिया की अदावत और दुश्मनी ख़त्म कर के सबको भाई-भाई बनाने आयी थी। यह उम्मत ख़ुदा की तौहीद की शैदा बन कर तमाम कुफ़्र व शिर्क और बिद्अतों की गन्दगी को ख़त्म करने आयी थी। यह उम्मत रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुहब्बत में डूब कर आप की शरीअत पर मर मिटने के लिए आयी थी, यही उम्मत अगर झूठी और बे-इंसाफ़ बन जाए, यही उम्मत अगर लोगों में अदावत और दुश्मनी पैदा करने लगे, यही उम्मत अगर शरीअत से हट कर जहालत पर आ जाए, तो फिर दुनिया की इस्लाह कौन-सी उम्मत करेगी ?

हदीस – हज़रत सुलेमान बिन बुरैदा रज़ियल्लाहु अन्हु अपने बाप से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया,

कियामत के दिन जन्नतियों की एक सौ बीस सफ़ें होंगी, जिन में से अस्सी सफ़ें मेरी उम्मत के लोगों की होंगी और बाक़ी दूसरी उम्मतों की चालीस सफ़ें होंगी।

हवाला – इब्ने माजा शरीफ़ पृ० 650, हदीस 4285, परहेज़गारी का बयान।

तब्लीग़

क़ुरआन करीम के दसवें पारे में सूरः तौबा के छठे रुकूअ में, आयत न० 38 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है।

तर्जुमा – ऐ ईमान वालो ! तुम्हें क्या हो गया है कि जब तुम से कहा जाता है कि चलो खुदा की राह में, तो तुम ज़मीन पकड़ लेते हो, क्या तुम आख़िरत के बदले दुनिया की ज़िन्दगी ही पर रीझ गये हो। सुनो दुनिया की ज़िन्दगी आख़िरत के मुक़ाबले में तो कुछ यों ही-सी है।

जब तुम्हें राहे खुदा में जिहाद की तरफ़ बुलाया जाता है, तो तुम क्यों ज़मीन में धंसने लगते हो ? क्या दुनिया की इन फ़ानी चीज़ों पर खुश होकर आख़िरत की नेमतों को भुला बैठे हो, सुनो दुनिया की तो आख़िरत के मुक़ाबले में कोई हस्ती ही नहीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने कलिमें की उंगली की तरफ़ इशारा कर के फ़रमाया, इस उंगली को कोई समुद्र में डुबो कर निकाले, उस पर जितना पानी समुद्र के मुक़ाबले में है, उतना ही मुक़ाबला दुनिया का आख़िरत से है।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 10, पृ० 61, सूरः तौबा के छठे रुकूअ की तफ़्सीर में।

हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से किसी ने पूछा कि मैं ने सुना है, आप हदीस बयान फ़रमाते हैं कि अल्लाह तआला एक नेकी के बदले एक लाख का सवाब देता है, आपने फ़रमाया, बल्कि मैंने दो लाख का फ़रमान भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुना है। फिर आपने इस आयत के इस जुम्ले की तिलावत करके फ़रमाया कि दुनिया जो गुज़र गयी और जो बाक़ी है, वह सब आख़िरत के मुक़ाबले में बहुत ही कम है।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर पारा 10, पृ० 61, सूरः तौबा के छठे रुकूअ की तफ़्सीर में।

ईमान वालों से अल्लाह तआला फ़रमा रहा है कि अल्लाह के रास्ते में घर से बाहर निकलो, अपने घरों को छोड़ो, अपने बाल-बच्चों की मुहब्बत को अल्लाह की रज़ामंदी के लिए क़ुर्बान कर दो। दुनिया के ऐश व इशरत कुछ दिनों के लिए छोड़ दो। अल्लाह की राह में निकलने पर जो मुश्किलें और परेशानियां आएं।, वह अल्लाह की मुहब्बत के लिए सह लो।

आख़िरत में जो-जो नेमतें मिलने वाली हैं, उन पर दुनिया की नेमतों को तर्जीह न दो और याद रखो कि सारी दुनिया की नेमतें अगर किसी इंसान को मिल जाएं, तो वे आख़िरत की नेमतों के मुक़ाबले में एक ज़र्रे बराबर भी नहीं हैं।

अल्लाह की राह में निकलना यानी अल्लाह की राह में जिहाद करना एक तो वह जिहाद था जो सहाबा किराम और ताबईन व तब्अ ताबिऊीन कर चुके। हमारे अन्दर वह ताक़त नहीं है तो अल्लाह के रास्ते से भटके हुए इंसानों को सही रास्ते पर लगा देने के लिए घर-बार छोड़ना और दर बदर की ठोकरें खाना भी एक क़िस्म का जिहाद है।

हदीस- हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि, मुझ से पहले किसी क़ौम में कोई नबी खुदा ने ऐसा नहीं भेजा, जिसके मददगार और दोस्त उसी क़ौम में से न हों, (ऐसे मददगार और दोस्त) जो उस के तरीक़े के पीछे चलने वाले होते हैं और उसके हुक्मों की पूरी इताअत करते हैं, फिर उन के बाद ऐसे नालायक़ लोग पैदा हुए, जिन को ना-ख़लक़ कहा जाता। ये लोग ऐसी बात कहते, जिसको खुद न करते और वे काम करते, जिन का उन को हुक्म नहीं मिला था, पस जो आदमी (तुम में से) उन लोगों से अपने हाथ से जिहाद करे, वह मोमिन है और जो उन से अपनी ज़ुबान से जिहाद करे, वह मोमिन है और जो उनसे अपने दिल से जिहाद करे, वह मोमिन है और इस के बाद जो आदमी उन के ख़िलाफ़ इतना भी न कर सके, (उस में) राई बराबर भी ईमान नहीं है।

हवाला- मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 11, हदीस 32, बाब 18, किताबुल ईमान।

हिन्दुस्तान के बहुत-से मुसलमान तब्लीग़ के नाम से चिड़ते हैं, हालांकि तब्लीग़ खुद भी करते हैं और चिढ़ते भी हैं, किसी इंसान को बुराई से रुक जाने के लिए कहना उसी का नाम तो तब्लीग़ है, फिर क्यों चिड़ते हो? दुनिया में जितने भी रसूल और नबी अलैहिमुस्सलाम आए, वे सब के सब तब्लीग़ ही करने आए थे। असल में जमाअत के साथ निकलने को वह तब्लीग़ समझता है और जो अकेला आदमी काम करे, उस को तब्लीग़ नहीं समझता।

मेरे मोहतरम ! तब्लीग़ में दो बातें होती हैं, दीन का सीखना या दीन का सिखाना।

अगर दीन की बातों को, दीन के अरकानों को, दीन के हुक्मों को आप नहीं जानते हैं, तो आप अपने घर को छोड़ दें, बाल-बच्चों की मुहब्बत माल व दौलत की मुहब्बत को छोड़ दें और दीन की बातें सीखने के लिए निकलें और अगर आप जानते हैं, तो दूसरे मुसलमान भाई जो दीन से ग़ाफ़िल हैं, उन को सिखाने और समझाने के लिए घर को छोड़-छाड़ कर बाहर निकलें। अब दीन सीखना भी नहीं और सिखाना भी नहीं और सिखाने वालों को सिखाने देना भी नहीं, यह जहालत नहीं तो और क्या है? यह दीन की मुख़ालफ़त नहीं तो और क्या है ? यह ज़िद नहीं तो और क्या है? दीन का काम करना भी नहीं और दूसरों को करने देना भी नहीं, यह नफ़सानियत और शैतानियत नहीं तो और क्या है?

आख़िरत में जो-जो नेमतें मिलने वाली हैं, उन पर दुनिया की नेमतों को तर्जीह न दो और याद रखो कि सारी दुनिया की नेमतें अगर किसी इंसान को मिल जाएं, तो वे आख़िरत की नेमतों के मुक़ाबले में एक ज़र्रे बराबर भी नहीं हैं।

अल्लाह की राह में निकलना यानी अल्लाह की राह में जिहाद करना एक तो वह जिहाद था जो सहाबा किराम और ताबईन व तब्अ ताबिईन कर चुके। हमारे अन्दर वह ताक़त नहीं है तो अल्लाह के रास्ते से भटके हुए इंसानों को सही रास्ते पर लगा देने के लिए घर-बार छोड़ना और दर बदर की ठोकरें खाना भी एक क़िस्म का जिहाद है।

हदीस- हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि, मुझ से पहले किसी क़ौम में कोई नबी खुदा ने ऐसा नहीं भेजा, जिसके मददगार और दोस्त उसी क़ौम में से न हों, (ऐसे मददगार और दोस्त) जो उस के तरीक़े के पीछे चलने वाले होते हैं और उसके हुक्मों की पूरी इताअत करते हैं, फिर उन के बाद ऐसे नालायक़ लोग पैदा हुए, जिन को ना-ख़ल्क़ कहा जाता। ये लोग ऐसी बात कहते, जिसको खुद न करते और वे काम करते, जिन का उन को हुक्म नहीं मिला था, पस जो आदमी (तुम में से) उन लोगों से अपने हाथ से जिहाद करे, वह मोमिन है और जो उन से अपनी ज़ुबान से जिहाद करे, वह मोमिन है और जो उनसे अपने दिल से जिहाद करे, वह मोमिन है और इस के बाद जो आदमी उन के ख़िलाफ़ इतना भी न कर सके, (उस में) राई बराबर भी ईमान नहीं है।

हवाला- मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 11, हदीस 32, बाब 18, किताबुल ईमान।

हिन्दुस्तान के बहुत-से मुसलमान तब्लीग़ के नाम से चिड़ते हैं, हालांकि तब्लीग़ खुद भी करते हैं और चिढ़ते भी हैं, किसी इंसान को बुराई से रुक जाने के लिए कहना उसी का नाम तो तब्लीग़ है, फिर क्यों चिड़ते हो? दुनिया में जितने भी रसूल और नबी अलैहिमुस्सलाम आए, वे सब के सब तब्लीग़ ही करने आए थे। असल में जमाअत के साथ निकलने को वह तब्लीग़ समझता है और जो अकेला आदमी काम करे, उस को तब्लीग़ नहीं समझता।

मेरे मोहतरम ! तब्लीग़ में दो बातें होती हैं, दीन का सीखना या दीन का सिखाना।

अगर दीन की बातों को, दीन के अरकानों को, दीन के हुक्मों को आप नहीं जानते हैं, तो आप अपने घर को छोड़ दें, बाल-बच्चों की मुहब्बत माल व दौलत की मुहब्बत को छोड़ दें और दीन की बातें सीखने के लिए निकलें और अगर आप जानते हैं, तो दूसरे मुसलमान भाई जो दीन से ग़ाफ़िल हैं, उन को सिखाने और समझाने के लिए घर को छोड़-छाड़ कर बाहर निकलें। अब दीन सीखना भी नहीं और सिखाना भी नहीं और सिखाने वालों को सिखाने देना भी नहीं, यह जहालत नहीं तो और क्या है? यह दीन की मुख़ालफ़त नहीं तो और क्या है ? यह ज़िद नहीं तो और क्या है? दीन का काम करना भी नहीं और दूसरों को करने देना भी नहीं, यह नफ़्सानियत और शैतानियत नहीं तो और क्या है?

कुरआन हकीम के दसवें पारे में, सूरः तौबा के छठे रुकूअ में आयत न॰ 39 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा- अगर तुम (अल्लाह की राह में) नहीं निकलोगे तो अल्लाह तआला तुम को सख़्त सज़ा देगा और तुम्हारे बदले दूसरी क़ौम को पैदा कर देगा (और उनसे अपना काम लेगा) और तुम अल्लाह (के दीन) को कुछ भी नुक़्सान न पहुंचा सकोगे और अल्लाह को हर चीज़ पर पूरी क़ुदरत है।

इस आयते करीमा में दो बातें बतायी जा रही हैं-

1. एक बात तो यह कि अगर हम दीन की सही मेहनत नहीं करेंगे, तो अल्लाह तआला हम को अज़ाब में मुब्तला कर देगा।

2. दूसरी बात यह बतायी जा रही है कि दीन को फैलाने में, दीन के सही अर्कान बताने में मख़्लूक़े खुदा तक शरीअत को पहुंचाने में अगर हम सुस्त रहेंगे या काहिली बरतेंगे या ला परवाही करेंगे तो अल्लाह तआला हमारी जगह पर दूसरी क़ौम को पैदा कर देगा।

अब आप पहली बात पर ग़ौर करें-

आज हमारी आपस की ना-इत्तिफ़ाक़ियां खुदा का अज़ाब नहीं तो और क्या है? शीआ और सुन्नी के झगड़े, देवबन्दी और बरेलवी के झगड़े, अह्ले हदीस और अह्ले तक़्लीद के झगड़े, ये अज़ाबे खुदावन्दी नहीं तो और क्या है ? हालांकि इन सब के नज़दीक अल्लाह एक ही है, ये सब साहिबान एक ही रसूल का कलिमा पढ़ते हैं, क़ुरआन करीम आसमानी किताब है, काबा अल्लाह तआला का घर है, क़ियामत पर यक़ीन है, सज़ा और जज़ा मिलने वाली है, यह सब कुछ मानते हुए भी एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं। कोई किसी पर रहम खाने को तैयार नहीं है-ये सब अज़ाबे खुदावन्दी नहीं है तो और क्या है? फिर भी मुसलमानों की आंखें नहीं खुलतीं, इतना होने के बावजूद अल्लाह की राह में तब्लीग़ के लिए निकलना तो दूर की बात, बल्कि उलटा तब्लीग़ के लिए निकलने वालों को काफ़िर, वह्हाबी और इस्लाम से ख़ारिज कहा जा रहा है। यह जहालत नहीं तो और क्या है ? आप तारीख़ उठा कर देखे कि जितना नुक़्सान मुसलमानों को मुसलमानों से हुआ है और हो रहा है, उतना किसी दूसरी क़ौम से नुक़्सान नहीं हुआ। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को दीन के कामों से रोक कर उसको बे-इज़्ज़त और रुसवा और ज़लील करने की तमाम कोशिशें कर के अपने दिल में फूलता है और अपनी कामियाबी समझता है। यह जहालत नहीं तो मेरे मोह्तरम! और क्या है ?

दूसरी बात अल्लाह तआला ने यह फ़रमायी है कि हम दीन का काम करने के लिए दूसरों को पैदा कर देंगे।

अल्लाह तआला फ़रमाता है कि अपने दिल में फूलना नहीं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु

अलैहि व सल्लम के मददगार हैं। अगर तुम दुरुस्त न रहे तो खुदा तुम्हें बर्बाद कर के अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथी औरों को पैदा कर देगा, जो तुम जैसे न होंगे। तुम अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यह नहीं कि तुम न जाओ तो मुजाहिद जिहाद कर ही न कर सकें। अल्लाह में सब क़ुदरतें हैं, वह तुम्हारे बग़ैर भी दुश्मनों पर अपने ग़ुलामों को ग़ालिब कर सकता है।

हवाला- तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 10, पृ० 61, सूरः तौबा के छठे रुकूअ की तफ़्सीर में।

अगर हम अल्लाह के दीन की हिमायत नहीं करेंगे, तो अल्लाह तआला दूसरों को पैदा करेगा, वे दीन की मेहनत करेंगे, हम उन से जलते हैं, तो जलते ही रहेंगे। अल्लाह तआला को इस की कोई परवाह नहीं है। अगर सैयदज़ादे होते हुए गुमराहों की सरदारी करेंगे, तो अल्लाह तआला डाकुओं को हिदायत देकर उन से दीन का काम लेगा। अगर हम इल्म रखते हुए भी गुमराही की तरफ़ मख़्लूक़े खुदा को घसीटते गये तो अल्लाह तआला अनपढ़ों को हिदायत देकर उन से दीन का काम ले लेगा, अगर हम मालदार होते हुए गुमराहों की मदद करेंगे और हक़परस्तों की मुख़ालफ़त में दौलत को खर्च करेंगे तो अल्लाह तआला ग़रीबों से काम ले लेगा। अल्लाह तआला तो हर चीज़ पर क़ुदरत रखता है। वह तो हवा से, पानी से, अलग से, परिन्दों से, मच्छरों से, जिससे चाहेगा, काम ले लेगा।

क़ुरआन करीम के छठे पारे में सूरः माइदा के आठवें रुकूअ में आयत न० 54 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा- ऐ ईमान वालो ! तुम में से जो आदमी अपने दीन से फिर जाए तो अल्लाह तआला बहुत जल्दी ऐसी क़ौम को लायेगा, जो खुदा की महबूब होगी और वह भी खुदा से मुहब्बत रखती होगी, नर्म दिल होंगे मुसलमानों पर और सख़्त और तेज़ होंगे कुफ़्फ़ार पर, खुदा की राह में जिहाद करते रहेंगे और किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह भी नहीं करेंगे। यह अल्लाह की मेहरबानी है, जिसे चाहे दे, खुदा बड़ी वुस-अत वाला और ज़बरदस्त इल्म वाला है।

सच्चे मुसलमान अल्लाह के रास्ते में जिहाद से मुंह नहीं मोड़ते, न पीठ दिखाते हैं, न थकते हैं न बुज़दिली और न आराम तलबी करते हैं न किसी की मरव्वत में आते हैं, न किसी की मलामत का खौफ़ करते हैं। वे तो बराबर अल्लाह की इताअत में उसके दुश्मनों से लड़ाई करने में, भलाई का हुक्म करने में और बुराइयों से रोकन में लगे रहते हैं।

हवाला- तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 6, पृ० 112, सूरः माइदा के आठवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

मेरे अज़ीज़ दोस्त ! आप ईमानदारी से सोचें और अल्लाह के वास्ते इंसाफ़ करें कि फ़िलहाल हिन्दुस्तान में अल्लाह तआला ने जिस जमाअज को तब्लीग़ के लिए पसन्द कर लिया है, वह बढ़ते-बढ़ते आज कितनी तरक़्क़ी पर काम कर रही है और उस की मुख़ालफ़त करने वाले सर

'मैं इस का ज़्यादा हक़दार था कि तू मुझ से डरता।'

हवाला- तफ्सीरे इब्ने कसीर पारा 6, पृ॰ 112 सूरः माइदा के आठवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

क़ुरआन करीम के इक्कीसवें पारे में सूरः अन्कबूत के सातवें रुकूअ में आयत न॰ 69 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा- जो लोग हमारी राह में तक्लीफ़ें बर्दाश्त करते हैं, हम उन्हें अपनी राहें ज़रूर दिखा देंगे, यक़ीनन अल्लाह तआला नेकों के साथ है।

अल्लाह की राह में तक्लीफ़ों को बर्दाश्त करने वालों से मुराद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और आप के सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम और आपके हुक्म मानने वाले लोग हैं, जो क़ियामत तक होंगे, फ़रमाता है कि हम इन कोशिश और खोज करने वालों की रहनुमाई करेंगे। दुनिया और दीन में उन्हें रास्ते दिखाते रहेंगे।

हवाला- तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 21, पृ॰ 14, सूरः अंकबूत के सातवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

जो इंसान अल्लाह की राह में तक्लीफ़ें बर्दाश्त करता है, उस के लिए अल्लाह तआला रास्ते खोल देते हैं। दीन की समझदारी के रास्ते, तरक़्क़ी के रास्ते, इज़्ज़त के रास्ते, रोज़ी के रास्ते, हर तरह की बरकत के रास्ते यानी रहमत के दरवाज़े उस के लिए खोल दिये जाते हैं।

इस वक़्त जो इज़्ज़त व शराफ़त और तरक़्क़ी अल्लाह तआला ने तब्लीग़ी जमाअत को बख़्शी है, उस की नज़ीर इस ज़माने में मिलनी मुश्किल है। तब्लीग़ी जमाअत का जहां भी इज्तिमाअ होता है, वहां लाखों की तायदाद में आदमी आ जाते हैं, हालांकि न कोई अख़बार में ख़बर छापी जाती है और न कोई इश्तिहार छपाये जाते हैं, लाखों आदमियों का इज्तिमाअ होने के बावजूद न कोई झगड़ा होता है, न कोई चोरी होती है, न कोई शिकायत या फ़रियाद होती है, तीन दिन और तीन रातें कुल बहत्तर घंटे इज्तिमाअ चलता है और हर तरह का इंतिज़ाम ऐसा होता है कि अक़्ल हैरान रह जाती है, जितने इंसान इज्तिमाअ में आतें हैं, यह मालूम होता है कि ये सब के सब एक ही मां के जने हुए भाई हैं। ये रब के इनाम नहीं तो फिर और क्या हैं? मक़्बूलियत की निशानी नहीं तो और क्या है?

क़ुरआन करीम के तेरहवें पारे में, सूरः रअद के दूसरे रुकूअ में आयत न॰ 11 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा- किसी क़ौम की हालत अल्लाह तआला नहीं बदलता, जब तक वह खुद उसे न बदलें, जो उन के दिलों में है। अल्लाह तआला जब किसी क़ौम की सजा का इरादा कर लेता है, तो बदला नहीं करता और उस के अलावा कोई भी उन का कारसाज़ नहीं होता।

इब्ने अबी हातिम के हवाले से लिखा है कि बनी इस्राईल के नबियों में से एक की तरफ़ खुदा की वह्य हुई कि अपनी क़ौम से कह दें कि जिस बस्ती वाले और जिस घर वाले खुदा की इताअत-गुज़ारी करते-करते खुदा की नाफ़रमानी करने लगते हैं, तो अल्लाह तआला उन की

राहत की चीजों को उन से दूर करके उन्हें वे चीज़ें पहुंचता है जो उन्हें तक्लीफें देने वाली हों।

हवाला- तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 13, पृ० 32, सूर: रअ़द के दूसरे रुकूअ की तफ़्सीरमें। अल्लाह तआला फ़रमाता है जिस बस्ती के जिस घर के लोग मेरी ना फ़रमानियों में पड़े हों, फिर उन्हें छोड़ कर मेरी फ़रमाबरदारी में लग जाएं तो मैं भी अपने अज़ाब और दुख उन से हटा कर अपनी रहमत और सुख उन्हें अता फ़रमाता हूं।

हवाला- तफ़्सीर इब्ने कसीर, पारा 13, पृ० 33, सूर: रअद के दूसरे रुकूअ की तफ़्सीर में। जो कौम अपनी हालत बदलना नहीं चाहती, अल्लाह तआला उन की हालत को नहीं बदलते। जो कौम या जो इंसान बुरे कामों का आदी हो जाए और उसी पर जमा रहे, तौबा का इरादा ही न करे, तो अल्लाह तआला की क्या ग़रज़ पड़ी है कि ला-महाला उसे हिदायत दे ही दे। अल्लाह तआला की ग़रज़ हमको है, हमारी ग़रज़ अल्लाह तआला को नहीं है। हर मुसलमान को चाहिए कि जान से, माल से, दीन में मेहनत करे और सही तरीक़े पर करे।

क़ुरआन करीम के छब्बीसवें पारे में सूर: मुहम्मद के पहले रुकूअ में आयत न० 7 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है।

तर्जुमा- ऐ ईमान वालो ! अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे, तो वह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें साबित क़दम रखेगा। अल्लाह तआला का सवाल ईमान वालों से है, बे-ईमानों से नहीं। फ़रमाता है कि तुम मेरे दीन की मदद करोगे, तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। मदरसों की मदद, मस्जिदों की मदद, अल्लाह के दीन में मेहनत करने वालों की मदद, यतीमों की, मिस्कीनों की, मुहताजों की, ग़रीबों की, फ़कीरों की, मुसाफ़िरों की हम मदद करेंगे, तो अल्लाह तआला भी हमारी मदद करेगा और हम को साबित क़दम रखेगा, दुश्मनों के मुक़ाबले में भी और जब मरने का वक़्त आएगा, उस वक़्त शैतान ईमान लेने के लिए जो जो चालें चलेगा, उस वक़्त भी अल्लाह तआला हमारी मदद फ़रमायेगा और हम को साबित क़दम रखेगा और हमारा ख़ात्मा बिल ख़ैर होगा। आयी बात समझ में मेरे भोले भैया के।

क़ुरआन करीम के उन्नीसवें पारे में सूर: शुअरा के पहले रुकूअ में आयत न० 3 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा- शायद आप उन के ईमान न लाने पर (रंज करते करते) अपनी जान दे देंगे।

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दिल में तमाम लोगों का दर्द था। आप को यही चिन्ता रहती थी कि सारी दुनिया अल्लाह की रहमत की हक़दार बन कर जन्नत में

दाख़िल हो जाए और अल्लाह की सारी मख़्लूक़ अल्लाह के ग़ज़ब से बच जाए और जहन्नम यों ही ख़ाली और कोरी पड़ी रहे। इस पर अल्लाह तआला ने वह्य उतारी, दुनिया में जहालत ख़त्म हो जाए, इंसान नेक और एक होकर एक ख़ुदा की इबादत करें और अल्लाह की अज़ाब से बच जाएं इस पर यह आयते करीमा उतरती है-

क़ुरआन शरीफ़ के बारहवें पारे में सूरः हूद के दसवें रुकूअ में आयत न०118 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा- अगर आप का पालनहार चाहता तो सब लोगों को एक ही गिरोह में कर देता, लेकिन वे हमेशा इख़्तिलाफ़ करते ही रहेंगे। अल्लाह तआला मख़्लूक़ के हालात और उन के काम की हिक्मत को अच्छी तरह जानते हैं कि उस के बहुत से बंदे हक़ को सुन कर जहां उसे क़ुबूल करेंगे, वहां बहुत से लोग हक़ बात को अपनी नफ़्सानी ख़्वाहिश से रद्द भी कर देंगे और अल्लाह के पसंदीदा गिरोह और जमाअत से कट कर अलग-अलग अपनी टोलियां और गिरोह बना लेंगे। ऐसी हालत में मोमिनों का और हठधर्मों का एक प्लेटफार्म पर जमा होना मुश्किल है।

क़ुरआन करीम के ग्यारहवें पारे में सूरः यूनुस के दूसरे रुकूअ में, आयत न० 19 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा- और तमाम लोग एक ही तरीक़े पर थे। फिर उन्होंने इख़्लाफ़ पैदा कर लिया और अगर एक बात न होती, जो आपके पालनहार की ओर से पहले तै हो चुकी है (यानी क़ियामत) तो जिस-जिस बात में ये लोग इख़्तिलाफ़ कर रहें हैं उन का फ़ैसला कर दिया जाता। दुनिया के अन्दर एक ही दीन था, एक ही ख़ुदा की इबादत होती थी। बाद में लोग इख़्लाफ़ पैदा कर के गिरोह दर गिरोह और पार्टी दर पार्टी होते गये। अगर अल्लाह तआला की ओर से एक बात तै न होती यानी क़ियामत, तो आज ही यह फ़ैसला हो जाता कि हक़ पर कौन है और जहालत पर कौन है।

क़ुरआन करीम के पचीसवें पारे में सूरः शूरा के दूसरे रुकूअ में, आयत न० 14 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा- इल्मे हक़ आ जाने के बावजूद ये लोग ज़िद की वजह से गिरोह दर गिरोह होते जा रहे हैं। फूट की वजह यह नहीं थी कि अल्लाह तआला ने नबी नहीं भेजे थे या किताबें नहीं उतारी थीं, इस वजह से लोग सीधा रास्ता न जान सके और अपने अपने मज़हब मदरसे, और ज़िन्दगी के निज़ाम ख़ुद ईजाद कर बैठे, बल्कि यह फूट उन में अल्लाह की ओर से हक़ का इल्म आ जाने के बाद ज़िद की वजह से हुई है, इसलिए अल्लाह तआला इस का ज़िम्मेदार नहीं है बल्कि वे लोग ख़ुद इस के ज़िम्मेदार हैं, जिन्होंने दीन के साफ़-साफ़ उसूलों और शरीअत के खुले हुक्मों से हट कर नये-नये मज़हब और तरीक़े या मसलक बनाये हैं।

इस फूट डालने के पीछे कोई भला या नेक जज़्बा नहीं है, बल्कि ये लोग अपनी निराली ऊंची शान दिखाने की ख़्वाहिश की वजह से अलग होते हैं, अपना अलग झंडा ऊंचा करने की

चिन्ता में हैं, आपस की ज़िद्दमज़िद्दा में एक दूसरे को हराने की कोशिश जो की है, वह माल व मरतबे की तलब का नतीजा है। मक्कार और नफ़्स परस्त लोगों ने देखा कि अल्लाह के बन्दे अगर सीधे और साफ़ सुथरे दीन के रास्ते पर चलते रहेंगे, तो एक खुदा होगा जिस के आगे झुकेंगे, एक रसूल होगा जिस को लोग पेशवा और रहनुमा मानेंगे, एक किताब होगी जिसकी ओर लोग रुजू करेंगे और एक साफ़ अक़ीदा होगा। इस निज़ाम में उन की अपनी ज़ात के लिए कोई नुमायां जगह नहीं हो सकती, जिस की वजह से उनकी मुजावरी या पीरी या गद्दी चल सके और उन की ख़ानक़ाहें आबाद हो सकें और लोग उनकी आवभगत करें। और उन के आगे सर भी झुकाएं और हाथ- पैर भी चूमें-चाटें या धो-धो कर पिएं। फ़िर्क़ाबन्दी की असल वजह यही थी, जो नये-नये अक़ीदे और इबादत के नये-नये तरीक़े, नयी-नयी रस्में और ज़िन्दगी के नये-नये निज़ाम ईजाद किये गए, उन्हें लोगों ने अल्लाह की मख़्लूक़ के एक बड़े हिस्से को दीन की साफ़ और सुथरी राह से हटा कर मुख़्तलिफ़ राहों में बांट कर गुमराह कर दिया।

हदीस- हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्ललाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि यहूदियों के इकहत्तर या बहत्तर फ़िर्क़े हो गए और ईसाई भी इसी तरह, लेकिन मेरी उम्मत तिहत्तर फ़िर्क़ों में बंट जाएगी।

हवाला- तिर्मिज़ी शरीफ़, ज़िल्द 2, पृ० 102, हदीस 500 अबवाबुल ईमान। पेशीनगोई 1400 साल पहले की है कि मेरी उम्मत के तिहत्तर फ़िर्क़े होंगे। वह तो हुए और होते रहेंगे।

क़ुरआन करीम के सतरहवें पारे में सूर: अंबिया के छठे रुकूअ में आयत न० 93 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा- उन लोगों ने अपने दीन के अन्दर इख़्तिलाफ़ पैदा कर लिया, सब हमारे ही पास वापस आने वाले हैं। बांट दिया अगली उम्मतों ने अपने दीन का काम आपस में यानी फ़िर्क़े-फ़िर्क़े हो गए जैसे यहूदी और ईसाई। वे एक दूसरे को काफ़िर जानते थे। ये सब फ़िर्क़े हमारी तरफ़ फिरने वाले हैं और हम उन्हें उन के कामों के मुताबिक़ बदला देंगे।

हवाला- तफ़्सीरे क़ादरी,जिल्द 2, पृ० 67।

क़ुरआन मजीद के इक्कीसवें पारे में सूर: रूम के चौथे रुकूअ में आयत न० 32 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तुर्जमा- जिन लोगों ने अपने दीन को टुकड़े-टुकड़े कर लिया और बहुत से गिरोह हो गए। हर गिरोह अपने उस तरीक़े पर नाज़ करता है जो उसके पास है।

हर फ़िर्क़ा अपने आप को हक़ पर समझता है और दूसरों को गुमराह, मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक फ़िर्क़े को जन्नत में जाने की ख़ुशख़बरी दी, बाक़ी फ़िर्क़ों को दोज़ख़ी बताया है। अब आप ही सोचें कि अपने आप को दोज़ख़ी कौन कहेगा?

क़ुरआन करीम के सातवें पारे में सूरः अनआम के तेरहवें रुकूअ में आयत न० 108 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा- हमने इसी तरह हर तरीक़े वालों को उन का अमल अच्छा कर के दिखाया है, फिर अपने पालनहार ही के पास उन को जाना है और वहां उन्हें मालूम हो जाएगा जो कुछ किया करते थे।

अक्सर लोग खुल्लमखुल्ला कुफ़्र व शिर्क और बुतपरस्ती करते हैं, वे भी अपने आप को जन्नती समझ कर करते हैं। अगर वे लोग समझते कि यह काम बुरा है, दोज़ख़ में ले जाने वाला है। तौहीद के ख़िलाफ़ है तो हरगिज़ नहीं करते, लेकिन यह सब अन्धी तक़्लीद हो रही है, खुद कुछ सोचते-समझते नहीं, सिर्फ़ लोगों की देखा-देखी करते हैं या लोगों के कहने-सुनने पर चलते हैं। अब आइए हम बताते हैं, अल्लाह तआला के फ़ज़्ल से कि जन्नती फ़िर्क़ा कौन-सा है।

हदीस- हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि फ़रमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि मेरी उम्मत पर एक ऐसा ही ज़माना आएगा, जैसा कि बनी इस्राईल पर आया था, बिल्कुल ठीक और दुरुस्त, जैसी कि दोनों जूतियां बराबर और ठीक होती हैं, यहां तक कि बनी इस्राईल में से अगर किसी ने अपनी मां से एलानियां बद-फ़ेली की होगी, तो मरी उम्मत में भी ऐसे लोग होंगे जो ऐसा करेंगे (मतलब यह है कि जो गुमराहियां और ख़राबियां यहूदियों में हुई हैं, वही मेरी उम्मत में भी होंगी और मुसलमान उन के क़दम-ब-क़दम चलेंगे।) चुनांचे देख लीजिए कि जो ख़राबियां यहूदियों में थी, वे सब मुसलमानों में मौजूद हैं, (बल्कि उन से भी ज़्यादा) और बनी इस्राईल की क़ौम बहत्तर फ़िर्क़ों में बंट गयी थी और मेरी उम्मत में तिहत्तर फ़िर्क़े होंगे, जिन में से सिर्फ़ एक फ़िर्क़ा जन्नती होगा, बाक़ी सब दोज़ख़ में जाएंगे। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! जन्नती फ़िर्क़ा कौन सा होगा ? आपने फ़रमाया, वही जिस पर मैं हूं और मेरे साथी (रज़ियल्लाहु अन्हुम)।

हवाला- 1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 102, हदीस 501, अब-वाबुल ईमान।
2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 110, हदीस 161, सुन्नतों का बयान।
3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 79, किताबुल ईमान।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के फ़रमाने के मुताबिक़ फ़िर्क़े तो हो गए और हो रहे हैं, उन तमाम फ़िर्क़ों में सही फ़िर्क़ा जन्नत में जाने वाला कौन-सा है, यह आम और अनपढ़ मुसलमानों के लिए समझना मुश्किल है, उस की जानकारी हम को जो किताबों से मिली है और जो अक़्ल भी तस्लीम करती है, वह यह है-

अल्लाह का कलाम अल्लाह की बड़ी नेमत है और वह अक्सर सुन्नियों ही को याद होता है। राफ़िज़ी महरूम हैं और हज़ारों में किसी को याद भी हुआ तो वे बहुत नादिर हैं। अन

नादिर कलमअ़-दूम (यानी अगर किसी को याद भी है तो बहुत ही थोड़ा सा याद होगा, पूरा क़ुरआन करीम याद नहीं होगा।)

हवाला- मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 79, किताबुल ईमान।

अल्लाह तआला ने अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सदक़े में एक नेमत ऐसी दे रखी है कि सारी दुनिया के मज़हब वालों को नीचा देखना पड़ता है। पूरी दुनिया में जितने भी मज़हब हैं, उन सब के पास अपने-अपने मज़हब की किताबें मौजूद हैं, चाहे छोटी हों या बड़ी, लेकिन दुनिया के किसी मज़हब वाले को अपने मज़हब की किताब पूरी की पूरी ज़ुबानी याद नहीं हैं, चाहे वह छोटी से छोटी क्यों न हो, वह एक-एक हर्फ़ करके याद नहीं हो सकती और क़ुरआन करीम लाखों मुसलमानों को एक-एक हर्फ़ करके ज़ुबानी याद है।

और जो गिरोह इस्लाम में हक़परस्ती से हट जाएगा, उसमें भी आपको क़ुरआन के हाफ़िज़ नहीं मिलेंगे। शीआ साहिबान करोड़ों की तायदाद में हैं, उन की हुकूमतें भी दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन उनकी जमाअत में एक भी क़ुरआन का हाफ़िज़ नहीं मिलेगा और जो हक़ीक़त में सच्चे और सही अह्ले सुन्नत वल जमाअत हैं उनकी जमाअत में आप को हज़ारों क़ुरआन के हाफ़िज़ मिलेंगे और जो मां की गोद से अंधे पैदा हुए हैं, वे भी हाफ़िज़ हैं और इस क़िस्म के हाफ़िज़ हैं कि मदरसों में जो हिफ़्ज़ कराने का दर्जा होता है, उस में कुछ जगहों पर अंधे ही पढ़ाते हैं यानी आंख वाले अगर क़ुरआन को हिफ़्ज करना चाहें तो अन्धे के मदरसे में दाख़िला लेना पड़ता है। यह हक़परस्ती और फ़ज़्ले रब्बी की दलील नहीं तो और क्या है?

जिन जिन को वह्हाबी और काफ़िर समझा जा रहा है, उन में भी सैंकड़ों नहीं, बल्कि हज़ारों क़ुरआन के हाफ़िज़ मौजूद हैं और हर गिरोह से इस गिरोह में क़ुरआन के हाफिज़ माशाअल्लाह ज़्यादा हैं, फिर भी उन को इस्लाम से ख़ारिज और वह्हाबी समझा जा रहा है। यह जहालत या ज़िद और नफ़्सपरस्ती नहीं है तो और क्या है?

जलन रखने वाले लोग जो एक दूसरे पर झूठी तोहमतें लगा कर जलन और कीना की आग में जले जा रहे हैं और अल्लाह की मख़्लूक़ को गुमराह भी कर रहे हैं और आपस में लड़ा भी रहे हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह तआला उन लोगों को अक़्ल और तौबा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाये और उन लोगों की क़िस्मत में हिदायत नहीं हैं तो उन के फंदों में जो भोले और अनपढ़ लोग फंसे हुए हैं, अल्लाह पाक उनको हिदायत अता फ़रमाये। (आमीन)

क़ुरआन करीम कहने को तो एक है, इस के पारे तीस हैं, इस की सूरतें एक सौ चौदह हैं, इस के रुकूअ पांच सौ अठावन हैं, इस की आयतें छ: हज़ार छ: सौ छियासठ हैं, इस के लफ़्ज़ सत्तर हज़ार चार सौ उन्तालीस हैं और इसके हुरूफ़ तीन लाख इक्कीस हज़ार एक सौ अस्सी हैं।

हवाला- तफ़्सीरे इब्ने कसीर, जिल्द 1, पृ० 9।

यों तो हर गिरोह अपने आप को सुन्नत वल जमाअत कहता है, लेकिन जिस गिरोह

में जितने ज़्यादा क़ुरआन के हाफ़िज़ होंगे, उतना ही वह गिरोह अक़ीदे में सही और हक़ पर समझा जाएगा।

इस उम्मत की मुबारक शान देखिए कि सात-सात साल और आठ-आठ साल के बच्चे और बच्चियां भी क़ुरआन की हाफ़िज़ हैं और उनको तो जाने दो, ये बच्चे तो आंख वाले हैं और आंखों से देख कर क़ुरआन करीम को हिफ़्ज़ कर लेते हैं, लेकिन जो मां के पेट से अन्धे पैदा होते हैं, जिन की जन्म से ही आंखें नहीं हैं और अन्धे हैं, वे भी क़ुरआन के हाफ़िज़ हैं; इस से बढ़ कर हक़परस्ती की दलील और क्या हो सकती है। जब रमज़ान के महीने में इस क़ुरआन करीम को हाफ़िज़ साहब तरावीह में पढ़ते हैं, तो ख़ुदा की क़ुदरत का नज़ारा-ए-अजीब नज़र आता है, हज़ारों हर्फ़ों की हेर-फेर होती है, मसलन ज़े कहीं हैं, तो ज़्वे कहीं हैं, हमज़ा कहीं है, तो अेन कहीं है, ते कहीं है, तो त्वे कहीं है।

इस के अलावा हज़ारों जगह पर ज़बर कहीं है तो कहीं ज़ेर है और कहीं पेश है और कहीं दो ज़बर हैं, तो कहीं दो ज़ेर और कहीं दो पेश हैं। इस के अलावा जज़्म, तश्दीद, मद अलिफ़ वग़ैरह हजारों हेर-फेर होती रहती है, लेकिन हाफ़िज़ लोग पानी की बाढ़ और आंधी-तूफ़ान की तरह पढ़ते चले जाते हैं और कहीं झिझक तक महसूस नहीं करते। इत्तिफ़ाक़ से किसी हाफ़िज़ साहब से भूल-चूक हो गयी, यानी तअ-लमून की जगह यअ़लमून पढ़ दिया या यअ़-लमून को तअ़-लमून पढ़ दिया, तो उसी वक़्त दूसरे हाफ़िज़ उस को आगे बढ़ने से रोक लेंगे। इतनी तेज़ी से पढ़ने के बावजूद पढ़ने वाला हरफ़ में ग़लती करके आगे नहीं बढ़ सकता और लक़ुमा देने के बाद वह वापस लौटेगा और सही कर के फिर आगे बढ़ेगा। यह फ़ज़्ले रब्बी और हक़परस्ती की दलील नहीं, तो फिर और क्या है ? यही बात है कि क़ुरआन करीम को उतरे लगभग 1400 वर्ष पूरे हो गये हैं, लेकिन आज तक किसी हर्फ़ में तब्दीली नहीं हुई है। हर देश में हज़ारों की तायदाद में क़ुरआन के हाफ़िज़ हैं और अल्लाह तआला की दी हुई पेशीनगोई हर्फ़-हर्फ़ के पूरी हो रही है।

क़ुरआन मजीद के चौदहवें पारे में सूरः हिज्र के पहले रुकूअ में आयत न० 9 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा हमने क़ुरआन को उतारा है और हम ही उस की हिफ़ाज़त करने वाले (और निगहबान) हैं

इस पेशीगोई के तहत इस क़ुरआन करीम में कोई कमी-बेशी नहीं कर सकता जैसा और किताबों में होता रहा है कि बावजूद किसी मुख़ालिफ़ के न होने के भी उन की किताबों में कमी बेशी होती रही है और इस क़ुरआन करीम में मुख़ालिफ़ों की कोशिश के बावजूद यह बात नहीं हो सकी और क़ियामत तक इन्शाअल्लाह नहीं हो सकेगी।

क़ुरआन करीम जो एलान सारी दुनिया के लिए कर रहा है, वह सुनिये-

क़ुरआन करीम के पन्द्रहवें पारे में सूरः बनी इस्राईल के दसवें रुकूअ में आयत न० 88 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है।

तर्जुमा- आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) फ़रमा दीजिए कि अगर तमाम इंसान और सब जिन्स इस बात के लिए जमा हो जाएं कि ऐसा क़ुरआन बना लाएं, तब भी ऐसा न ला सकेंगे अगरचे एक दूसरे के मददगार भी बन जाएं।

क़ुरआन करीम के बारहवें पारे में सूरः हूद के दूसरे रुकूअ में आयत न० 13 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा- क्या ये यों कहते हैं कि आपने इस को (अपनी ओर से) खुद बना लिया है, आप (जवाब में) फ़रमा दीजिये कि (अगर यह मेरा बनाया हुआ है) तो तुम भी इस जैसी दस सूरतें बना कर ले आओ और अपनी मदद के लिए जिन-जिन ग़ैर अल्लाह को बुला सको, बुला लो, अगर तुम सच्चे हो।

क़ुरआन करीम के ग्यारहवें पारे में सूरः यूनुस के चौथे रुकूअ में आयत न० 38 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है।

तुर्जमा- क्या ये लोग यह कहते हैं कि आपने इस को बना लिया है, आप कह दीजिये कि तो फिर तुम उस जैसी एक ही सूरः बना लाओ और (अकेले नहीं, बल्कि) जिन-जिन ग़ैर-अल्लाह को (मदद के लिए) बुला सको, बुला लो, अगर तुम सच्चे हो।

अगर तुम को इस के अल्लाह की ओर से होने में ज़रा भी शक हो और यह ग़लत ख़्याल तुम्हारे मन में बैठा हो कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इसे आप बनाया है, तो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम भी तुम्हारे ही जैसे इन्सान हैं। अगर वह ऐसे क़ुरआन बना सकते हैं तो तुम में का सबसे क़ाबिल कोई आदमी क्यों नहीं बना सकता ? चुनांचे अपने दावे को साबित करने के लिए इस जैसी बस एक ही सूरः पेश करो जो क़ुरआन जैसा अदब और मायने पेश करती हो। मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) तो अकेले थे, अब तुम दुनिया भर के इन्सान और जिन्नात सभी कोशिश कर देखो। इस तरह अल्लाह तआला गोया उन्हें चैलेन्ज करता है कि अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो कि यह मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का अपना गढ़ा हुआ है तो आओ इस चैलेन्ज को क़ुबूल करो, अकेले नहीं, बल्कि सैंकड़ों-हज़ारों मिल कर, इस के बाद एक दूसरा इस से भी ज़बरदस्त दावा है कि यह सुन रखो कि तुम कभी इस पर क़ादिर न हो सकोगे यह बात भी हम अभी से कहे देते हैं कि तमाम इन्सान और जिन्नात भी अगर जमा हो जाएं कि ऐसा ही कोई क़ुरआन बना सकें, तो हरगिज़ नहीं बना सकते, चाहे अपने लिए कितने ही मददगार क्यों न बना लें। फिर इस दावे को दस सूरतों तक भी महदूद कर के कहा गया, जिस का ज़िक्र पहले सूरः हूद में है कि क्या वे कहते हैं कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने इस को बना लिया है। अच्छा तो फिर इस जैसी दस ही सूरतें तुम बना कर ले आओ, पूरा क़ुरआन न सही, इतना ही सही। खुदा को तुमने छोड़ दिया, तो दूसरे सब की तुम मदद ले सकते हो, सच्चे हो तो सामने आओ, लेकिन नहीं आते, फिर इस से भी नीचे उतर कर इर्शाद होता है कि अगर इस को मुहम्मद (सल्लल्लाहु

अलैहि व सल्लम) ने बना लिया है, तो ज़्यादा नहीं एक ही सूरः पेश करो। सूरः बकरः (जो मदीने में) उतरी थी उस में भी यही एक सूरः का चैलेन्ज़ है और यह बतला दिया गया है कि तुम को ऐसा करने पर क़ुदरत नहीं है तो सुनो। अगर तुमने ऐसी आयतें पेश नहीं कीं और पेश कर भी कहां सकते हो, तो फिर दोज़ख़ के अज़ाब से बचो। हालांकि अदब अरब की घुट्टी में पड़ा हुआ था और उन का ख़ास कमाल समझा जाता था। उन के शेअ्र और वे क़सीदे, जो काबे के दरवाज़े पर लटका दिये गये थे उन के अदब के कमाल का सबूत हैं। लेकिन अल्लाह ने जो क़ुरआन पेश कर दिया, कोई उस के अदब को छू भी नहीं सका। चुनोचें उस के अदब और मिठास और थोड़े में कमाल दर्जे के मायने को पहना हुआ देख कर जो ईमान ले आया, वह ले आया, क्योंकि इन्हीं अदब के माहिरों में ऐसी समझ और बुझ वाले भी थे, जिन्होंने क़ुरआन के अदब का लोहा मान लिया और सिर झुका दिया। मान लिया कि यह हो सकता है तो खुदा ही का कलाम हो सकता है।

हवाला- तफ़्सीर इब्ने कसीर, पारा 11, पृ० 58-59। सूरः यूनुस के चौथे रुकूअ की तफ़्सीर में।

यों तो क़ुरआन करीम में कमाल ही कमाल है, जिनमें से एक कमाल यह भी है कि इसे पढ़ने से जी भरता ही नहीं है ! दुनिया में जितनी भी किताबें हैं, उन में से कोई भी किताब दो-चार बार पढ़ लेने के बाद जी भर जाता है और इस क़ुरआन करीम को एक इन्सान सैंकड़ों बार पढ़ लेता है लेकिन फिर भी उस का दिल नहीं भरता, हर साल रमज़ानुल मुबारक में क़रीब-क़रीब हर मस्जिद में ख़त्मे क़ुरआन का इन्तिज़ाम किया जाता है और हर साल क़ुरआन शरीफ़ पढ़ा जाता है, न तो पढ़ने वालों का दिल भरता है और न सुनने वालों का दिल भरता है। दुनिया में जितना क़ुरआन पढ़ा जाता हैं, उतनी दुनिया में दूसरी कोई किताब नहीं पढ़ी जाती। यह खुला हुआ मोजिज़ा नहीं है तो फिर और क्या ? लेकिन फिर भी जिसकी क़िस्मत में हिदायत नहीं है, उस को हिदायत मिलती ही नहीं है, चाहे मोजिज़ा हो या करामत।

क़ुरआन करीम के पांचवें पारे में सूरः निसा के सतरहवें रुकूअ में, आयत न० 115 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा- हिदायत मालूम हो जाने के बाद जो इन्सान रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की मुख़ालफ़त करे और मोमिनों की जमाअत से अलग चले तो हम उस को उधर ही जाने देते हैं जिधर वह जा रहा है और उस का ठिकाना जहन्नम है और वह बहुत बुरी जगह है।

जो आदमी भी शरीअत से अलग चले, शरअ़ का हुक्म एक ओर हो और उस के चलने का रुख़ दूसरी ओर हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के फ़रमान के तरीक़े की मुख़ालफ़त करे और मोमिनों की जमाअत से अलग चले तो हम उस को उधर ही जाने देते हैं जिधर वह जा रहा है और उसका ठिकाना जहन्नम है और वह बहुत बुरी जगह है।

हवाला- तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 5, पृ० 101, सूरः निसा के सतरहवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

सुन्नत से मुराद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पैरवी है। (यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु

अलैहि व सल्लम ने जो काम किये हैं और करने के लिए फ़रमाया, उस को सुन्नत कहते हैं) और वल जमाअत से मुराद आप की हिदायत के मुताबिक़ अमल करने वाले सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अज-मईन हैं और यही अह्ले सुन्नत वल जमाअत है। (मुख़्तसर)

हवाला- फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 1, पृ० 121, मुक़दमे के बयान में।

अह्ले सुन्नत वल जमाअत की चार जमाअतें मशहूर हैं-

1. एक हनफ़ी,
2. दूसरी मालिकी,
3. तीसरी शाफ़ई,
4. चौथी, हंबली।

इमाम अबूहनीफ़ा रह० की पैदाइश सन् 80 हि० में हुई वफ़ात 150 हि० में हुई।

इमाम मालिक रह० की पैदाइश सन् 95 हि० में हुई और वफ़ात सन् 199 हि० में हुई,

इमाम शाफ़ाई रह० की पैदाइश सन् 150 हि० में हुई और वफ़ात 204 हि० में हुई,

इमाम अहमद बिन हंबल रह० की पैदाइश सन् 164 हि० में हुई और वफ़ात सन् 241 हि० में हुई,

हवाला- न० 558 का क़ुरआन शरीफ़ 55 खूबी वाला, पृ० 26 पर लिखा है-

पैदाइश और वफ़ात की तारीख़ों में कुछ इख़्तिलाफ़ भी है। ये चारों इमाम मशहूर हैं और चारों हक़ पर हैं अगरचे मस्अलों के इज्तिहाद और अमलियात में इन चारों इमामों के अन्दर बहुत कुछ इख़्तिलाफ़ है। अगर वे हदीसें यहां पर बयान कर दी जाएं, तो इन्शाअल्लाह ग़ैर मुनासिब नहीं होगा। पढ़ने वालों के समझने और समझाने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। अब सुनिये ये हदीसें जिन में इख़्तिलाफ़ है-

हदीस- हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुगफ़्फ़ल रज़ियल्लाहु अन्हु के साहबज़ादे कहते हैं कि मेरे वालिद ने मुझे नमाज़ में बिस्मिल्लाह को ऊंची आवाज़ में पढ़ते सुना तो बोले कि बेटा, यह तो बिद्अत है और बिद्अत से बचो। फिर कहा कि मैं ने असहाबे नबी से ज़्यादा किसी को बिद्अत से दुश्मनी और नफ़रत करते नहीं देखा। साथ ही फ़रमाया, मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत उमर फ़ारूक रज़ि० और हज़रत उस्मान ग़नी रज़ि० के साथ नमाज़ पढ़ी है, मगर किसी को बिस्मिल्लाह कहते नहीं सुना। इस लिए तुम को भी बिस्मिल्लाह ज़ोर से न कहनी चाहिए। जब तुम नमाज़ पढ़ो तो अल-हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल रज़ियल्लाहु अन्हु की यह हदीस हसन है और अक्सर आलिमों का इसी पर अमल है। चारों खुलफ़ा-ए-राशिदीन वग़ैरह सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम और अक्सर ताबईन इसी के क़ायल हैं। सुफ़ियान सोरी रह० इमाम इब्ने मुबारक रह० इमाम अहमद रह० और इमाम इसहाक़ रह० भी इसी के क़ायल हैं, यानी ये सब इस बात के क़ायल हैं कि बिस्मिल्लाह धीरे से पढ़ी जाए।

हवाला- 1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 56,, हदीस 217, नमाज़ का बयान।

2. नसई शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 234, नमाज़ का बयान,

3. दारमी शरीफ़, पृ० 204, हदीस 1228, बाब न० 210।

हदीस- हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपनी नमाज़ बिस्मिल्लाह से शुरू फ़रमाते थे। इस हदीस की सनदें कुछ मज़बूत नहीं। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम जैसे हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत इब्ने ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु और अक्सर ताबईन इसी के क़ायल हैं कि बिस्मिल्लाह (अल'हम्दु शरीफ़ और सूरः की तरह) ऊंची आवाज़ से पढ़नी चाहिए। इमाम शाफ़ई रह०, इस्माईल बिन हम्माद रह० और अबू ख़ालिद कूफ़ी रह० भी इसी के क़ायल हैं।

हवाला- तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 53, हदीस 218, नमाज़ का बयान।

हनफ़ी मसलक में नमाज़ के अन्दर सूरः फ़ातिहा से पहले 'बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम' धीरे से पढ़ना सुन्नत है और शाफ़ई मसलक में नमाज़ के भीतर सूरः फ़ातिहा से पहले 'बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम' ऊंची आवाज़ से मढ़ना सुन्नत है।

हदीस- हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को देखा है कि जब आप नमाज़ में खड़े होते तो अपने दोनों हाथों को उठाते, यहां तक कि वे दोनों हाथ आप के कंधों के बराबर हो जाते और जब आप रुकूअ के लिए तक्बीर कहते, यही (उस वक़्त भी) करते और यही जब आप (रुकूअ से) अपना सर उठाते (उस वक़्त भी) करते और 'समिअल्लाहु लिमन हमिदह' कहते और सज्दे में आप यह (अमल) न करते थे।

हवाला- 1. बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1. पारा 3, पृ० 172, हदीस न० 687, नमाज़ का बयान।
2. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 54, हदीस न० 227, नमाज़ का बयान।
3. नसई शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 265, नमाज़ का बयान,
4. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 180, हदीस न० 735, नमाज़ का बयान।
5. मज़ाहिरे हक़ जिल्द 1, पृ० 256, नमाज़ का बयान।

हदीस- हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने (एक बार लोगों से) फ़रमाया, (आओ) मैं तुम लोगों के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नमाज़ पढ़ूं (यानी तुम्हें अमली तौर पर दिखा दूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हाथ उठाने के बारे में क्या करते थे) फिर आपने नमाज़ पढ़ी और सिर्फ़ पहली बार हाथ उठाया, उस के बाद नहीं उठाया। इस बाब में हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु से भी रिवायत है। हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु की यह हदीस हसन है। कई सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम और ताबईन इसी के क़ायल हैं और हज़रत सुफ़ियान सोरी रह० व कूफ़े वालों का यही क़ौल है।

हवाला- 1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 55, हदीस न० 228रु नमाज़ का बयान।
2. अबूदाऊद शरीफ़, जिल्द 1, पारा 5, पृ० 298, हदीस न० 743, बाब 269,
3. नसई शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 259, नमाज़ का बयान,
4. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 182, हदीस 750, नमाज़ का बयान,
5. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 264, नमाज़ का बयान।

यह है इख़्तिलाफ़। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नमाज़ में बार-बार हाथ उठाते थे, यानी रफ़अे यदैन करते थे और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने नमाज़ की नीयत करने के बाद नमाज़ शुरू करते वक़्त सिर्फ़ एक बार हाथ उठाया है, बार-बार नहीं उठाया है, यानी रफ़अे यदैन नहीं किया है। जानना चाहिए कि यह इख़्तिलाफ़ सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का है, इमामों का नहीं है। ये वे हज़रात हैं, जिन का फ़त्वा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुबारक ज़िन्दगी में भी चलता था। मसलके हनफ़ी में रफ़अ-ए-यदैन न करने की रिवायत पर अमल है।

हदीस- हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, उस आदमी की नमाज़ नहीं होती जो सूरः फ़ातिहा न पढ़े।

हवाला- 1. बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1, पारा 3, पृ० 175, हदीस 707, नमाज़ का बयान,
2. मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 63, हदीस 339, बाब 147, नमाज़ का बयान,
3. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 53, हदीस न० 220, नमाज़ का बयान,
4. नसई शरीफ़ जिल्द 1, पृ० 236, नमाज़ का बयान,
5. इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 142, हदीस 847, नमाज़ का बयान,
6. दारमी शरीफ़, पृ० 204, हदीस 1230, बाब 212, नमाज़ का बयान,
7. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 185, हदीस न० 761, नमाज़ का बयान,
8. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 269, नमाज़ का बयान।

अकेले आदमी के लिए नमाज़ की हर रक्अत में सूरः फ़ातिहा का पढ़ना वाजिब है, सिर्फ़ फ़र्ज़ नमाज़ में पहले क़अ्दा के बाद की जो रक्अतें हैं, उन में सूरः फ़ातिहा का पढ़ना सुन्नत है। इन के अलावा हर रक्अत में सूरः फ़ातिहा का पढ़ना वाजिब है, चाहे फ़र्ज़ नमाज़ हो या वाजिब हो, चाहे सुन्नतें हो या नफ़्लें हों और यही हुक्म इमामत करने वाले के लिए है, यानी इमामत करने वाला इमाम भी हर रक्अत में सूरः फ़ातिहा पढ़ेगा। इस में किसी का भी इख़्तिलाफ़ नहीं है, अल-बत्ता इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ने वाले मुक़्तदी जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ते वक़्त सूरः फ़ातिहा पढ़ें या न पढ़ें, इस में इख़्तिलाफ़ है।

हदीस- हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सुबह की नमाज़ पढ़ी, आप की किरात भारी हो गयी। जब आप नमाज़ में फ़ारिग़ हुए तो फ़रमाया कि मैं तुम्हें देखता हूं कि तुम लोग इमाम के पीछे पढ़ते हो (यानी क़ुरआन पढ़ते हो) हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि हम लोगों ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! ख़ुदा की क़सम ! हम पढ़ते हैं। फ़रमाया कि ऐसा मत करो मगर हां, उम्मुल क़ुरआन (यानी सूरः फ़ातिहा तो पढ़ लिया करो और कुछ न पढ़ा करो) , क्योंकि जिसने सूरः फ़ातिहा नहीं पढ़ी, उस की नमाज़ नहीं। इस बाब में हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस हसन है। दूसरे रिवायत करने वालों ने हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु से यों रिवायत की है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, 'जिसने सूरः फ़ातिहा नहीं पढ़ी, उस की नमाज़ नहीं।' इस बारे में यह रिवायत पहली रिवायत से ज़्यादा सही है। इमाम के पीछे क़ुरआन पढ़ने में ज़्यादातर उलेमा का इस हदीस पर अमल है, जिनमें सहाबा व ताबिईन दाख़िल हैं। इमाम मालिक बिन अनस रह०, इमाम इब्ने मुबारक रह०,इमाम शाफ़ई रह० इमाम अहमद रह० और इमाम इसहाक़ रह० का भी यही क़ौल है कि इमाम के पीछे (सूरः फ़ातिहा) पढ़ना चाहिए।

हवाला- 1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 65, हदीस न० 274, नमाज़ का बयान,

2. अबूदाऊद शरीफ़, जिल्द 1, पारा 5, पृ० 321, हदीस 814, बाब 287।

3. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 188, हदीस 790, नमाज़ का बयान।

4. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 279, नमाज़ का बयान।

इमाम के पीछे सूरः फ़ातिहा पढ़ने वालों के लिए यह हदीस है और जो लोग इमाम के पीछे सूरः फ़ातिहा पढ़ने के क़ायल नहीं हैं, वे नीचे लिखी हुई हदीसों से दलील पकड़ते हैं। हम इन्शाअल्लाह हर चीज़ ईमानदारी से बयान करेंगे, ख़ियानत नहीं करेंगे, क्योंकि मरना हमें भी है, हमको अल्लाह की मेहरबानी से किसी जमाअत से कोई तास्सुब नहीं है और न किसी को रुसवा करना मक़्सूद है, सिर्फ़ हक़ बात ही मख़्लूके ख़ुदा तक पहुंचाना मक़्सूद है, ताकि कम पढ़े-लिखे लोग एक दूसरे पर तान करने से बचें।

हदीस- हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ऐसी नमाज़ से फ़ारिग़ हुए जिस में क़िरात ऊंची आवाज़ से की जाती है। आपने फ़रमाया, 'क्या तुम में से अभी किसी ने क़ुरआन पढ़ा है ?' इस पर एक आदमी ने कहा कि, हां, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! (मैंने पढ़ा है) फ़रमाया, मैं भी तो कहता था कि (क्या वजह है) मुझ से क़ुरआन छिना जाता है ? रिवायत करने वाले कहते

हैं कि इसके बाद लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पीछे जेहरी नमाज़ में (जिस में क़िरात ऊंची आवाज़ से की जाए) क़ुरआन पढ़ना छोड़ दिया। इस बारे में हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत इम्रान बिन हसी रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से भी रिवायत है। यह हदीस हसन सही है।

हवाला- 1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 65, हदीस न० 275, नमाज़ का बयान,
2. मुअत्ता इमाम मालिक, पृ० 78, हदीस न० 187, बाब 120,
3. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 188, हदीस 791, नमाज़ का बयान,
4. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 279, नमाज़ का बयान।

हदीस- हज़रत अबू मूसा अशअ़री रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि जब तुम नमाज़ पढ़ो (जमाअत से), तो अपनी सफ़ों को सीधा करो, फिर तुम में से एक आदमी तुम्हारा इमाम हो और जब वह अल्लाहु अक्बर कहे, तो तुम भी अल्लाहु अक्बर कहो और जब इमाम 'ग़ैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन' कहे तो तुम भी 'आमीन' कहो, तुम्हारी दुआ खुदा क़ुबूल कर लेगा। फिर वह जब अल्लाहु अक्बर कहे और रुकूअ करे, तो तुम भी 'अल्लाहु अक्बर' कहो और रुकूअ करो और इमाम तुम से पहले रुकूअ करता है और तुम से पहले सर उठाता है। चुनांचे रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि इमाम का पहले सर उठाना बदला है पहले रुकूअ करने का और जब इमाम 'समिअल्लाहु लिमन हमिदह' कहे, तो तुम भी 'अल्लाहुम-म रब्बना ल-कल हम्दु' कहो, अल्लाह तुम्हारी तारीफ़ सुनता है (मुस्लिम) और मुस्लिम की रिवायत में ये लफ़्ज़ हैं कि 'जब इमाम क़िरात करे, तो तुम ख़ामोश रहो।'

हवाला- 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 185, हदीस न० 765, नमाज़ का बयान।
2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 65, हदीस न० 351, बाब 152, नमाज़ का बयान,
3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 271।

हज़रत अबू मूसा अशअ़री रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, 'जब इमाम पढ़े तो तुम ख़ामोशी के साथ सुनो।

हवाला- इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 144, हदीस न० 857, क़िरात के वक़्त ख़ामोश रहने का बयान।

हदीस- हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, इमाम इस लिए मुक़र्रर किया गया है कि उस की पैरवी की जाए। जब इमाम तक्बीर कहे, तुम भी तक्बीर कहो और जब वह पढ़े, तो तुम चुप रहो। जब वह कहे, 'ग़ैरिलमग़ज़ूबि अलैहिम व लज़्ज़ाल्लीन०', तुम कहो 'आमीन' जब वह रुकूअ करे, तो तुम भी

रुकूअ करो। जब वह कहे 'समिअल्लाहु लिमन हमिदहं तो तुम कहो 'रब्बना ल-कल हम्दु', जब वह सज्दा करे, तो तुम भी सज्दा करो और जब वह बैठ कर नमाज़ पढ़े तो तुम भी बैठ कर नमाज़ पढ़ो। (यानी तशह्हुद)

हवाला- इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 143, हदीस 856, क़िरात के वक़्त ख़ामोश रहने का बयान।

हदीस- हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से जिस वक़्त सवाल किया जाता कि क्या इमाम के पीछे आप लोगों में से कोई क़िरात करता था ? आप जवाब देते कि जब तुम में से कोई नमाज़ पढ़े तो उस को इमाम का पढ़ना काफ़ी होता है (यानि इमाम की क़िराअत् मुक़्तदी की क़िराअत् होती है) और जब तुम तन्हा नमाज़ पढ़ो तो फिर क़िरात करनी चाहिए। नाफ़ेअ कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इमामा के पीछे नहीं पढ़ा करते थे।

हवाला- मुअत्ता इमाम मालिक; पृ० 79, हदीस न० 188, बाब 121, नमाज़ का बयान।

हदीस- हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, जब कोई आदमी इमाम के पीछे हो, तो इमाम की क़िरात उस आदमी का पढ़ना ही समझा जाएगा।

हवाला- इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 144, हदीस 860, नमाज़ का बयान।

जो लोग इमाम के पीछे सूरः फ़ातिहा नहीं पढ़ते, वे इन हदीसों पर अमल करते हैं। अब कोई आदमी अगर ऐसे लोगों पर तान करता है, तो उसका यह ताना करना, सहाबा के अमल पर तान करना होगा और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के बारे में यह तो सोचा ही नहीं जा सकता कि उन्होंने बग़ैर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सललम से सुने या बग़ैर देखे किसी अमल को अपना लिया होगा या बयान कर दिया होगा। इसी लिए हनफ़ी मसलक का अमल इमाम के पीछे सूरः फ़ातिहा न पढ़ने पर है और हनफ़ियों को नहीं पढ़ना चाहिए।

हक़ीक़त में सही बात यह है कि इमाम के पीछे सूरः फ़ातिहा पढ़ने वालों की भी नमाज़ हो जाती है और जो इमाम के पीछे सूरः फ़ातिहा नहीं पढ़ते, उन की नमाज़ भी हो जाती है, लेकिन कुछ लोग कम-अक़्ल होते हैं और वे अपनी ना-समझी की वजह से या नादानी की वजह से उम्मत में झगड़े खड़े करते रहते हैं और अल्लाह के बंदों को एक नहीं होने देते।

एक बात यह भी याद रखने के क़ाबिल है कि कुछ आदमी ऐसे मुतास्सिब होते हैं कि एक-दूसरे के पीछे नमाज़ तक नहीं पढ़ते, यह भी जहालत है। इन दोनों जमाअतों में से किसी जमाअत के इमाम के पीछे कोई साहब नमाज पढ़ लें, तो उन की नमाज़ हो जाएगी।

हदीस- वाइल बिन हजर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं ने अल्लाह के रसूल सल्ल ल्लाहु अलैहि व सल्लम को 'ग़ैरिल मग़्ज़ूबि अलैहिम व लज़्ज़ाल्लीन०' के बाद 'आमीन' ऊंची आवाज़ से कहते सुना है।

हवाला- 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 187, हदीस 783, क़िरात का बयान।

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 276 ।

जानना चाहिए कि फ़ातिहा पढ़ने के बाद आमीन कहनी सुन्नत है, सब इस पर मुत्तफ़िक़ हैं, चाहे अकेला हो या इमाम या मुक़्तदी, अगरचे इमाम आमीन न कहे और उस का पुकार कर कहना सुन्नत है। इमाम शाफ़ई रह० और इमाम अहमद रह० के नज़दीक और इमाम अबू हनीफ़ा रह० के नज़दीक पुकार कर न कहे। वह कहते हैं कि हदीसें पुकार कर कहने के बारे में यह बताती हैं कि यह सिखाने के लिए शुरू में था फिर जब कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम सीख लिए, चुपके कहने लगे। चुनांचे इब्ने हुमाम रह० ने रिवायत की अहमद रह० और अबू यअ़ली रह० और तबरानी रह० और दार क़ुत्नी रह० और हाकिम रह० ने शोबा की हदीस से और उन्होंने अल्क़मा बिन वाइल से नक़ल किया, उसने अपने बाप से रिवायत किया कि उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ नमाज़ पढ़ी, पस जब 'ग़ैरिल मग़्ज़ूबि अलैहिम व लज़्ज़ाल्लीन०' पर पहुचें, आमीन कही और चुपके से कही और उन्होंने पैरवी की है हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु की कि वह चुपके से कहते थे और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से नक़ल किया गया है कि उन्होंने कहा कि चार चीजें हैं कि इमाम उस में ज़ोर से न बोले-अऊज़ु और बिस्मिल्लाह और सुब्हा-न कल्लाहुम-म और आमीन असल दुआ में चुपके पढ़ना है वास्ते क़ौल अल्लाह तआला के 'उदअू रब्बकुम तज़र्रुअंव-व ख़ुफ़य:' यानी दुआ करो अपने पालनहार से गिड़गिड़ा कर और चुपके। (पारा 8, सूर: आराफ़, रुकूअ 7, आयत 55) और इस में शक नहीं कि आमीन दुआ है, पस उस को चुपके चुपके कहने ही को तर्जीह दी जाएगी और आमीन क़ुरआन से नहीं है सब के नज़दीक, पस यह इस लायक़ नहीं है कि क़ुरआन की आवाज़ के साथ कोई और आवाज़ हो, जैसे कि इस का लिखना जायज़ नहीं मुस्हफ़ में। वल्लाहु अअ़् लम।

हवाला- मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 276, क़िरात का बयान।

क़ुरआन करीम के नवें पारे में सूर: आराफ़ के 24 वें रुकूअ में आयत नं० 205 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा- और ऐ आदमी ! अपने पालनहार को याद किया कर अपने दिल में आजिज़ी के साथ और डर के साथ और ज़ोर की आवाज़ के मुक़ाबले में कम आवाज़ के साथ सुबह और शाम और ग़ाफ़िल लोगों में मत गिना जाना।

आमीन ऊंची आवाज़ से कहना भी सुन्नत से साबित है और धीरे कहना भी सुन्नत से साबित है। जो लोग आमीन को धीरे से कहना ज़्यादा पसन्द करते हैं, इन की जमाअत में अगर कोई ऊंची आवाज़ से कहने वाला शरीक हो जाए तो आमीन को ऊंची आवाज़ से सुन्नत समझ कर कहे। दूसरों को चिढ़ाने की नीयत से न कहे, क्योंकि चिढ़ाने के लिए सुन्नत को अमल में लाना या सुन्नत से चिढ़ना दोनों में गुनाह है, बल्कि कुछ हालात में तो कुफ़्र का भी अंदेशा है, क्योंकि चिढ़ना किसी चीज़ से हिक़ारत पैदा करता है और दीन की ज़रूरी बातों का इंकार

या उस को हक़ीर जानना कुफ़्र है और ऐसी सुन्नत, जो अपने सबूत के लिहाज़ से दीन की ज़रूरतों में गिनी जाए, उस को हक़ीर समझना कुफ़्र है।

'अगर किसी ने सुन्नत को हक़ीर जाना, तो काफ़िर हुआ।'

हवाला-1. ऐनुल हिदाया, जिल्द 1, पृ॰ 541, नवाफ़िल का बयान।
2. फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 1, पृ॰ 156, नवाफ़िल का बयान।
3. ग़ायतुल अवतार उर्दू तर्जुमा दुर्रे मुख़्तार, जिल्द 1, पृ॰ 316, नवाफ़िल का बयान।

इमाम अबू हनीफ़ा रह॰ ने जब अपने बेटे हम्माद रह॰ को इल्मे कलाम में मुनाज़रा करते देखा, तो उस को मना फ़रमाया। पस हम्माद रह॰ ने अर्ज़ किया कि मैं ने आप को इल्मे कलाम में मुनाज़रा करते देखा है और आप मुझे मना फ़रमाते हैं, तो फ़रमाया कि हम मुनाज़रा किया करते इस सुकून से कि गोया हमारे सिरों पर चिड़ियां हैं, इस डर से कि हमारे मुक़ाबले वाला डगमगा न जाए और तुम इस नीयत से मुनाज़रा करते हो कि तुम्हारे मुक़ाबले वाला फ़िसल जाए और जिसने अपने मुक़ाबले वाले की लग़्ज़िश चाही तो उस का कुफ़्र चाहा और जिस ने उस का कफ़्र चाहा तो खुद काफ़िर हुआ।

हवाला ऐनुल हिदाया, जिल्द 1, पृ॰ 53, अक़ाइद का बयान।

हज़रत तलहा बिन अब्दुल्लाह बिन औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक जनाज़े पर नमाज़ पढ़ी, तो उस में सूरः फ़ातिहा भी पढ़ी। मैं ने उन से इस के बारे में पूछा तो फ़रमाया कि यह सुन्नत है। या (फ़रमाया) कमाले सुन्नत है यह हदीस हसन व सही है और कुछ इल्म वाले सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम व ताबईन रह॰ के नज़दीक इसी पर अमल है। उन्होंने यह अख़्तियार किया है कि पहली तक्बीर के बाद सूरः फ़ातिहा पढ़ी जाए। इमाम शाफ़ई रह॰, इमाम अहमद रह॰ और इमाम इसहाक़ रह॰ का यही क़ौल है। कुछ उलेमा कहते हैं कि जनाज़े की नमाज़ में उस को न पढ़ना चाहिए। यह (जनाज़े की नमाज़ की दुआ है जिस में) तो अल्लाह की हम्द व सना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर दरूद भेजना है और मय्यत के लिए दुआ करना है। सुफ़ियान सोरी रह॰ और दूसरे कूफ़ा वालों का यही क़ौल है।

हवाला-1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ॰ 198, हदीस 932, नमाज़े जनाज़ा का बयान,
2. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1, पारा 5, पृ॰ 297, हदीस 1236, नमाज़े जनाज़ा का बयान,
3. अबू दाऊद शरीफ़, जिल्द 2, पारा 20, पृ॰ 573, हदीस न॰ 1441, बाब 601, बयाने जनाज़ा,
4. इब्ने माजा शरीफ़, पृ॰ 232, हदीस 1515, बाब 601, बयाने जनाज़ा,

5. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 291, हदीस 1559, बाब 601, बयाने जनाज़ा,
6. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 51, बाब 601, बयाने जनाज़ा,

हदीस - अबू इब्राहीम अशहली रज़ियल्लाहु अन्हु अपने वालिद से बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब जनाज़े की नमाज़ पढ़ते तो फ़रमाते-

'अल्लाहुम-मग़्फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व ग़ाइबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना' (ऐ अल्लाह! हमारे ज़िंदों, हमारे मुर्दों, हमारे हाज़िर, हमारे ग़ायब, हमारे छोटे, हमारे बड़े, हमारे मर्दों और हमारी औरतों को बख़्श दे) यह्या रावी कहते हैं कि हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से ऐसी ही हदीस रिवायत की है, मगर इस में ये लफ़्ज़ बढ़ा दिये हैं-

अल्लाहुम-म मन अह्यैतहू मिन्ना फ़अह्यिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहू मिन्ना फ़-त-वफ़्फ़हू अलल ईमान० (ऐ अल्लाह! तू हम में से जिस को ज़िंदा रखे तो उस को इस्लाम पर ज़िंदा रख और जिसे मौत दे तो उसे ईमान पर मौत दे।) इस बारे में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत आइशा सिद्दिक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत औफ़ बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से भी रिवायत है कि हज़रत अबू इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद की हदीस हसन व सही है। हिशाम और अली बिन मुबारक ने यह हदीस यह्या बिन अबी कसीर से, उन्होंने हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु से और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मुर्सलन रिवायत की है, मैं ने इमाम बुख़ारी रह० को यह कहते सुना है कि इस बाब में तमाम रिवायतों में से ज़्यादा सही रिवायत वह है जो यह्या बिन अबी कसीर रह० ने अबू इब्राहीम अशहली रह० और उनके वालिद से रिवायत की है।

हवाला -1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 198, हदीस 929, नमाज़े जनाज़ा का बयान,
2. अबूदाऊद शरीफ़, जिल्द 2, पारा 20, पृ० 574, हदीस 1444, बाब 602, नमाज़े नजाज़ा का बयान,
3. इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 232, हदीस 1518, नमाज़े जनाज़ा का बयान,
4. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 293, हदीस 1579, नमाज़े जनाज़ा का बयान,
5. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 52, नमाज़े जनाज़ा का बयान,

हनफ़ी मसलक का अमल इसी हदीस पर है।

हदीस - हज़रत कसीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु अपने दादा (उमर बिन औफ़ मुज़नी रज़ियल्लाहु अन्हु) से बयान करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दोनों ईदों में पहली रक्अत में क़ुरआन पढ़ने से पहले सात बार और दूसरी रक्अत में भी क़ुरआन पढ़ने से पहले पांच बार अल्लाहु अकबर कहा, इस बारे में हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से भी रिवायत है, यह हदीस हसन है। इस बारे

में यह रिवायत सबसे अच्छी है कसीर के दादा का नाम उमर बिन औफ़ मुज़नी रज़ियल्लाहु अन्हु है। कुछ सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम और ताबईन रह० का इसी पर अमल है। रिवायत है कि मदीने में हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसी तरह नमाज़ पढ़ी। मदीने वालों का यही क़ौल है। इमाम मालिक बिन अनस रह०, इमाम शाफ़ई रह०, इमाम अहमद रह० और इमाम इसहाक़ रह० इसी के क़ायल हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से दोनों ईदों की तक्बीरों के बारे में रिवायत है कि आपने फ़रमाया, (दोनों ईदों की नमाज़ में कुल) नौ तक्बीरें हैं। पहली रक्अत में क़िरात से पहले पांच तस्बीरें और दूसरी रकूअत में अल-हम्दु और सूरः के बाद रुकूअ की तक्बीर समेत चार तक्बीरें हैं। कई सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के मुतअल्लिक़ यही रिवायत है और कूफ़ा वालों का और सुफ़ियान सोरी रह० का यही क़ौल है।

हवाला-1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 108, हदीस 478, ईदैन के बारे में,
2. अबू दाऊद शरीफ़, जिल्द 1, पारा 6, पृ० 431, हदीस 1138, बाब 402, ईदैन के बारे में,
3. इब्ने माज़ा शरीफ़, पृ० 203, हदीस 1295, बाब ईदैन के बारे में,
4. दारमी शरीफ़, पृ० 255, हदीस 1595, बाब 396, ईदैन के बारे में,
5. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 260, हदीस 1351, ईदैन के बारे में,
6. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 475, ईदैन के बारे में।

हदीस - 1. हज़रत सईद बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु और हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से मालूम किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ईदुल फ़ित्र और ईदे क़ुर्बा की नमाज़ों में किस तरह तक्बीरें कहते थे, अबूमूसा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि आप चार तक्बीरें कहते थे, जिस तरह जनाज़े की नमाज़ में कही जाती हैं और अबू हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस की तस्दीक़ की है।

हवाला-1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 261, हदीस 1353, ईद का बयान,
2. अबूदाऊद शरीफ़, जिल्द 1, पारा 6, पृ० 432, हदीस 1140, बाब 402,
3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 475, ईद का बयान।

इस हदीस को बयान करने वाले भी सहाबी हैं और इस की तस्दीक़ करने वाले भी सहाबी हैं, यानी जिस तरह जनाज़े में चार तक्बीरें कही जाती हैं, इसी तरह ईदैन में चार-चार तक्बीरें हर रक्अत में कहते हैं। पहली रक्अत में चार तक्बीरें क़िरात से पहले तक्बीरें तह्रीमा समेत और दूसरी रक्अत में चार तक्बीरें क़िरात के बाद तक्बीरे रुकूअ समेत यही मज़हब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ियल्लाहु अन्हु का है।

हवाला - मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 475, ईदैन का बयान,

हनफ़ियों का अमल इसी हदीस पर है। पहली रक्अत में भी चार तक्बीरें हैं और दूसरी रक्अत में भी चार तक्बीरें हैं। पहली रक्अत में पहली तक्बीर कहने के बाद हाथ बांध कर 'सुब्हानकल्ला-हुम-म' पूरी पढ़ कर तीन तक्बीरें कहने के बाद 'अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम०' पढ़े, उस के बाद 'बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम०' पढ़े, फिर क़िरात शुरू करेंगे और दूसरी रक्अत में क़िरात के बाद तीन तक्बीरें कहेंगे, उस के बाद चौथी तक्बीर रुकूअ में जाते वक़्त कहेंगे। ये कुल आठ तक्बीरें हो गयीं।

हदीस - हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हमें मूछों को छोटा करने और दाढ़ी को बढ़ाने का हुक्म फ़रमाया है।

हवाला -1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 121, हदीस नं० 623, आदाब का बयान।
2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1 पृ० 47, हदीस 218, बाब 88, तहारत का बयान।

हदीस - हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, मुश्रिकों के ख़िलाफ़ करना चाहिए और दाढ़ियों को बढ़ाओ और मूछें कतरवाओ और हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब हज करते या उमरा करते तो दाढ़ी को मुट्ठी में पकड़ते, जितनी मुट्ठी से ज़्यादा होती कतरवा देते।

हवाला -1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 24, पृ० 207, हदीस न० 832, नाख़ुन काटने का बयान।
2. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 121, हदीस 621, आदाब का बयान।

तिर्मिज़ी शरीफ़ में इतने लफ़्ज ज़्यादा हैं। साथ ही हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु भी मुट्ठी में पकड़ कर बाक़ी दाढ़ी कतरवाते थे और अबूदाऊद शरीफ़ जिल्द 3, पारा 26, पृ० 294, हदीस 796 की शरह में लिखा है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वे अपनी दाढ़ियां एक मुट्ठी के बराबर रखते थे और इस से ज़्यादा कतरवा डालते थे। इमाम मालिक रह० से सवाल हुआ कि अगर दाढ़ी लंबी हो जाए तो ? उन्होंने कहा कि कतरवाना चाहिए। तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है कि आं-हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम भी मुबारक दाढ़ी में से कतरवा लिया करते थे लम्बाई और चौड़ाई में से, ताकि गोल हो जाए।

दाढ़ी की लम्बाई कम से कम एक मुट्ठी होना सुन्नत हैं और एक मुट्ठी से कम करना सुन्नत के ख़िलाफ़ है, 'सुन्नत यह है कि मर्द अपनी दाढ़ी को मुट्ठी में पकड़े, जितना मुट्ठी से बाहर हो काट डाले।'

हवाला- 1. ग़ायतुल अवतार उर्दू तर्जुमा दुर्रे मुख़्तार, जिल्द 4, पृ० 235, बाबुल हज़र।
2. फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 4, पृ० 329, किताबुल कराहत।

3. ऐनुल हिदाया, जिल्द 4, पृ० 299, किताबुल कराहत।

जैसे एक बहुत बड़ी नदी है, जिस में बहुत साफ़, पाक और उमदा मीठा पानी भरा हुआ है। इस नदी के मुख़्तलिफ़ किनारों पर मुख़्तलिफ़ लोग अल्लाह के बन्दों को पानी भर-भर कर पिला रहे हैं। चारों ओर अल्लाह के बन्दों की भीड़ है और इस नदी पर पानी पीने के लिए लोग गिरोह के गिरोह चले आ रहे हैं। पानी पिलाने वाले शीशे के गिलास में पानी भर-भर कर पिला रहे हैं। इन गिलासों के रंग मुख़्तलिफ़ हैं, किसी का रंग हरा है, किसी का लाल है, किसी का पीला, किसी का आसमानी है; पीने वालों को महसूस हो रहा है कि पानी का रंग अलग-अलग है, हालांकि यह रंग कांच के गिलासों का है, वरना पानी तो एक ही है और एक ही नदी से पिलाया जा रहा है, पिलाने वाले सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम और इमाम साहिबान रह्मतुल्लाहि अलैहिम और मुहद्दिसीन रह्मतुल्लाहि अलैहिम हैं और पीने वाले उम्मती हैं, जो नदी के हर किनारे से पिये जा रहे हैं। इन में से किसी को हक़ नहीं कि दूसरे किनारे पर पीने वाले को नीचा समझे, क्योंकि पानी एक ही नदी का है, पीने वाला जिस ओर से भी पियेगा इन्शाअल्लाह यक़ीनी तौर पर सेराब होगा।

अब जो भाई जिस इमाम की पैरवी करता है, उस को उसी इमाम के मसलक पर अमल करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए इमामों की तक़्लीद वाजिब है, मगर इतना याद रखना चाहिए कि कभी इस इमाम की, कभी उस इमाम की तक़्लीद करना ठीक नहीं है। किसी एक इमाम की तक़्लीद अख़्तियार करे, फिर उन के बताये हुए मस्अलों पर अमल करे। जो लोग इमामों के इख़्तिलाफ़ी मस्अलों को नहीं जानते, वही लोग भारत में लड़-झगड़ रहे हैं और जानने के बावजूद भी जो लड़ रहे हैं, वे नफ़्सानियत में पड़ गए हैं और जो लोग कहते हैं कि इमामों की तक़्लीद हराम है, वे भी ग़लती पर हैं, क्योंकि फ़िलहाल दुनिया में बग़ैर तक़्लीद के चारा नहीं, क्योंकि सब इन्सानों को इतना इल्म नहीं होता कि हर कोई अपना मस्अला क़ुरआन व हदीस से निकाल सके। इसके अलावा फ़र्ज, वाजिब, सुन्नते मुअक्कदा, सुन्नते ग़ैर मुअक्कदा के लफ़्ज़ कहां से लाओगे ? और फ़र्ज छूटेगा तो हराम का दर्जा रखता है और वाजिब व सुन्नते मुअक्कदा छूटेगा तो मक्रूहे तहरीमी का दर्जा रखते हैं और सुन्नते ग़ैर मुअक्कदा छूटेगी तो मकरूहे तन्ज़ीही का दर्जा रखती हैं, ये सारी तर्तीबें तक़्लीद ही में तो हैं, बग़ैर तक़्लीद के ये सारी नेमतें आप कहां से लाएगें ? इस के अलावा नमाज़ का ख़राब होना, मक्रूह होना और सज्दा सह्व कहां-कहां और कौन-कौन से कामों के छोड़ने से ज़रूरी होता है, ये सारी तर्तीबें हम कहां से लाएंगे, अगर इन मस्अलों की हदीसें नहीं हैं, तो नमाज़ी नमाज़ में कहीं ठोकर खा गया, तो अब क्या करे ? सह्व का सज्दा करे या न करे, इन मस्अलों में तक़्लीद ज़रूरी है या नहीं ?

मेरे नज़दीक इन्साफ़ और दयानतदारी की बात अगर पूछो, तो यह है कि इस ज़माने में जिन की अमली ज़िंदगी है, वे अह्ले हदीस भी हैं और अह्ले तक़्लीद भी हैं और सही मयनों

में वही सुन्नत वल जमाअत हैं और जिन की अमली ज़िंदगी नहीं है, वे न अह्ले हदीस हैं, न अह्ले तक़्लीद हैं और न ये सुन्नत वल जमाअत हैं। किसी की बात मान लेना उसी का नाम तक़्लीद है। इमाम बुख़ारी रह० की बात मान लेना या किसी भी मुहद्दिस की या किसी बुज़ुर्ग की बात मान लेने को तक़्लीद कहते हैं। अगर किसी इन्सान ने किसी इन्सान की बात मान ली और वह बात क़ुरआन व हदीस से टकराती नहीं, बल्कि क़ुरआन करीम की किसी न किसी आयत से या हदीस से उस का सबूत मिलता है, तो वह तक़्लीद हराम नहीं है, बल्कि जायज़ और ज़रूरी है, क्योंकि असल में वह बात क़ुरआन व हदीस से बताई गयी है या क़ुरआन व हदीस से निकाली गयी है, इसलिए वह तक़्लीद हराम नहीं होगी। अलबत्ता जो बात क़ुरआन व हदीस से टकराती हो या इस बात का क़ुरआन व हदीस में कोई इशारा तक भी न हो, तो ऐसी तक़्लीद हराम होगी, चाहे वह किसी की भी हो।

हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रह० के दो जानशीं हज़रत इमाम मुहम्मद रह० और हज़रत इमाम अबू यूसुफ़ रह०, ये दोनों हज़रात बड़े पाए के बुज़ुर्ग थे और दोनों हज़रात अबू हनीफ़ा रह० की तक़्लीद में थे। अगर वाक़ई तक़्लीद ग़लत होती तो ये हज़रात तक़्लीद को क्यों क़ुबूल करते? इन बुज़ुर्गों की लिखी हुई किताबें, 1. जामेअ़ सग़ीर 2. जामिअ़ कबीर, 3. सियरे सग़ीर, 4. सियरे कबीर, 5. ज़ियादात, 6. मब्सूत, 7. मुहीत आज भी मौजूद हैं।

मशहूर साहिबे सिलसिला बुज़ुर्ग फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रह० (वफ़ात सन 187 हि०) फ़िक़्ह और हदीस में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रह० के शागिर्द थे, उन की बुज़ुर्गी का अन्दाज़ा सिर्फ़ इस बात से किया जा सकता है कि हज़रत इमाम शाफ़ई रह० उन के शागिर्द हैं।

शेख़ इब्राहीम बिन अदहम बलख़ी रह०, (वफ़ात 161 हि०) बहुत मशहूर बुज़ुर्ग हैं। यह इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रह० के फ़िक़्ह में शागिर्द हैं। बादशाही छोड़ कर फ़क़ीरी अपना ली थी। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रह० से ख़िलाफ़त पायी थी।

शेख़ अली मख़्दूम हुज्वेरी रह०, (वफ़ात 465 हि०) जो दातागंज बख़्श के नाम से जाने जाते हैं, उन की एक किताब 'कश्फ़ुल महजूब' बहुत ज़्यादा मशहूर और मक़्बूल है। आप हनफ़ी हैं और अपनी इसी किताब में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रह० की बड़ी तारीफ़ फ़रमायी हैं।

हज़रत ख़्वाजा मुहम्मद अब्दुल बाक़ी नक़्शबन्दी रह० जो ख़्वाजा बाक़ी बिल्लाह के लक़ब से मशहूर हैं, नक़्श बन्दी सिलसिला आप ही से चला है और आप की बुज़ुर्गी का अन्दाज़ा इस बात से होता है कि हज़रत मुजद्दिद अल्फ़े सानी आपसे मुरीद हुए और ख़लीफ़ा हुए, यह भी हनफ़ी थे।

हज़रत मुजद्दिद अल्फ़े सानी रह०, हज़रत शाह निज़ामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही रह० और न मालूम कितने औलिया अल्लाह हनफ़ी गुज़रे हैं। अगर वाक़ई तक़्लीद ग़लत होती, तो ये हज़रात उस को क़ुबूल क्यों करते।

शाफ़ओ़ी मसलक में हज़रत इमाम ग़ज़ाली रह०, जो बहुत बड़े पाए के बुज़ुर्ग हैं, जिनकी किताब 'एह्याउल उलूम', उर्दू तर्जुमा 'मज़ाकुल आरफ़ीन', जो चार जिल्दों में मौजूद है, इस के अलावा दूसरी किताब 'अक्सीरे हिदायत' उर्दू तर्जुमा 'कीमिया-ए-सआदत' भारत में मशहूर व मारूफ़ हैं, वह शाफ़ओ़ी मसलक के थे।

हंबली मसलक में हज़रत सैयद अब्दुल क़ादिर जीलानी रह०, जो बड़े पीर के नाम से मशहूर हैं, आप ने तीन किताबें लिखी हैं-

1. ग़न्यतुत्तालिबीन, 2. ख़ुत्बा-ए-ग़ैसिया, 3. फ़ुतूहुल ग़ैब, जो आज भी भारत में मिल रही हैं, वे खुद हंबली मसलक के थे, अगर तक़्लीद ग़लत होती, तो ऐसे बुज़ुर्ग तक़्लीद को क्यों क़ुबूल करते। हज़रत इमाम इब्ने कसीर मशहूर बुज़ुर्ग हैं। आप की लिखी हुई किताब 'तफ़्सीरे इब्ने कसीर' सारी दुनिया में मक़्बूल है। आप भी शाफ़ओ़ी मसलक के थे। अगर तक़्लीद ग़लत होती, तो ऐसी बड़ी-बड़ी हस्तियां तक़्लीद को क्यों क़ुबूल करतीं। तक़्लीद जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है। बच्चा मां की गोद में होता है और वह बच्चा जब समझने और बोलने लगता है, तो मां उस बच्चे को समझाती है कि यह तेरा बाप है, मां जिसकी तरफ़ इशारा कर देती है, बच्चा उसी को बाप मान लेता है, हालांकि उस के पास क़ुरआन व हदीस की कोई दलील नहीं है कि यही उस का बाप है, सिर्फ़ मां के कहने पर वह उस को बाप समझ रहा है।

दुनिया में बहुत से इंसान ऐसे भी हैं, जो इज्तिहाद और क़ियास को नहीं समझते और उन के दिल व दिमाग़ में यह बात घूमती रहती है कि क़ुरआन व हदीस के मौजूद होते हुए इज्तिहाद और क़ियास की क्या ज़रूरत है। इन साहिबों के लिए हम एक मस्अला बयान कर देते हैं ताकि आम लोगों की समझ में आ जाए कि इज्तिहाद और क़ियास किसे कहते हैं और कैसे होता है और यह कि इज्तिहाद हर एक के बस की बात नहीं है।

एक मर्द था, वह अपने घर गया तो उस की बीवी किसी वजह से अपने शौहर से नाराज़ थी, इसलिए बोल नहीं रही थी। मर्द ने बार-बार बात करने की कोशिश की, लेकिन वह नाराज़गी की वजह से नहीं बोली। इधर मर्द को भी गुस्सा आ गया। मर्द ने कहा, खुदा की क़सम ! अगर तू मुझ से नहीं बोलेगी तो मैं भी तुझ से नहीं बोलूंगा। मर्द की यह बात सुन कर औरत भी ग़ुस्से में आ गयी। उसने भी क़सम खायी कि अगर तू मुझ से नहीं बोलेगा, तो ख़ुदा की क़सम! मैं भी तुझ से नहीं बोलूंगी। आमने सामने दोनों ने क़सम खा ली। अब दोनों में से कोई किसी से नहीं बोलता। अगर कोई बोले तो उस को क़सम का कफ़्फ़ारा अदा करना पड़े। क़सम का कफ़्फ़ारा दस मिस्कीनों को खाना या कपड़ा देना या एक ग़ुलाम आज़ाद करना और अगर यह न हो सके तो तीन दिन लगातार रोज़े रखना है। कुछ दिनों तक दोनों का मामला गुम-सुम चला। मर्द ने कई आलिमों से पूछा, तो जिन से भी पूछता था, वे यही कहते थे कि क़सम का कफ़्फ़ारा अदा कर दो। इत्तिफ़ाक़ से इमाम आज़म रह० से उसने यही मस्अला पूछा, तो आपने जवाब में कहा कि तू अपनी बीवी से जाकर बोल, तेरे ऊपर कफ़्फ़ारा नहीं है। वह मर्द

ख़ुश हो गया और बीवी से बोलने लगा। यह बात बहुत जल्द शहर में फैल गयी। आलिम लोग जमा हो गये और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रह० को बुलवाया गया। लोगों ने कहना शुरू किया कि आप हदीसों के ख़िलाफ़ फ़त्वा देते हैं। इमाम आज़म ने फ़रमाया कि हमने किस को हदीस के ख़िलाफ़ फ़त्वा दिया। उन लोगों ने उस आदमी को बुलाया और कहा कि इस आदमी ने अपनी बीवी से न बोलने की क़सम खायी थी और आप ने बग़ैर कफ़्फ़ारा के बोलना जायज़ कर दिया, तो इमाम आज़म रह० ने उस आदमी से कहा कि तुम अपना पूरा पूरा वाक़िआ बयान करो। उसने कहा कि जब मैं घर पर गया तो मेरी बीवी मुझ से बोल नहीं रही थी, तो मैंने क़सम खा ली कि ख़ुदा की क़सम! जब तक तू मुझ से नहीं बोलेगी, मैं तुझ से नहीं बोलूंगा। यह बात सुन कर औरत ने भी क़सम खा ली कि ख़ुदा की क़सम! अगर तू मुझ से नहीं बोलेगा, तो मैं भी तुझ से न बोलूंगी। इस बात को सुन कर इमाम अबू हनीफा रह० ने फ़रमाया कि मर्द पर क़सम का कफ़्फ़ारा नहीं है। यह सुन कर आलिम लोग फिर बिगड़ गए कि क़सम का कफ़्फ़ारा कैसे नहीं है, जबकि दोनों ने क़सम खायी है और हदीस में क़सम तोड़ने का कफ़्फ़ारा मौजूद है। इमाम साहब ने फ़रमाया कि बात को समझने की कोशिश करो। मर्द जब घर पर गया, तो उस की औरत उस से नहीं बोल रही थी तो मर्द ने क़सम खायी, तू मुझ से नहीं बोलेगी, तो ख़ुदा की क़सम, मैं भी तुझ से नहीं बोलूंगा। मर्द की क़सम बंध गयी। अब मर्द के सामने औरत क़सम खा रही है कि तू मुझ से नहीं बोलेगा, तो ख़ुदा की क़सम! मैं भी तुझ से नहीं बोलूंगी। औरत क़सम खा रही है, मगर बोल रही है। जब मर्द के सामने औरत बोल रही है, मर्द की क़सम उतर गयी और औरत की क़सम बंध गई। अब अगर मर्द अपनी औरत से बोलेगा तो औरत की क़सम उतर जाएगी। न मर्द पर क़सम का कफ़्फ़ारा होगा, न औरत पर। हदीस की मुख़ालफ़त भी नहीं हुई और मस्अला भी हल हो गया। समझे मेरे भैया। इसी को कहते हैं इज्तिहाद और क़ियास। कोई मस्अला पेश आ गया कि वह क़ुरआन व हदीस में साफ़-साफ़ नहीं है, तो उस के लिए इज्तिहाद करने की इजाज़त हदीसों से साबित है। लेकिन यह हक़ हर एक इंसान को हासिल नहीं, बल्कि जो क़ुरआन व हदीस पर पूरी-पूरी नज़र रखता हो, उसे इज्तिहाद करने की इजाज़त है। इज्तिहाद करने वाले में अगर नफ़्सानियत नहीं है, तो इज्तिहाद में भूल हो जाए, तब भी उस को एक सवाब मिलेगा और इमामों ने तो अपनी सफ़ाई भी पेश कर दी है।

इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रह० ने फ़रमाया कि 'किसी को यह हलाल नहीं है कि हमारा क़ौल अख़्तियार करे, जब तक उस को क़ुरआन करीम और सुन्नत शरीफ़ या इज्माओ उम्मत या क़ियासे जली से मालूम न कर ले।'

हवाला फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 1, पृ० 121, मुकदमे में।

इमाम शाफ़ई रह० ने फ़रमाया कि, 'जब हदीस सही मिल जाए और मेरा क़ौल ख़िलाफ़ पड़े, तो मेरे क़ौल को दीवार से मार दो और हदीसे ज़ाबित पर अमल करो।

हवाला फ़तावा अलमगीरी, जिल्द 1, पृ० 121, मुक़दमे में।

हक़ीक़त में जो इमामों में इख़्तिलाफ़ है, वे इमाम साहिबान के नहीं, बल्कि सहाबा किराम रिज़्वानुल्लाहि अलैहिम अज-मईन के इख़्तिलाफ़ हैं।

हदीस - हज़रत अ़िरबाज़ बिन सारिया रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि तुम में से जो ज़िंदा रहेगा, वह बहुत इख़्तिलाफ़ पाएगा, पस नयी बातों में बचते रहना, क्योंकि यही गुमराही है, तो तुम में से जो आदमी यह ज़माना पाए, तो मेरी सुन्नत और मेरे हिदायत पाये हुए खुलफ़ा-ए-राशिदीन की सुन्नतों को मज़बूत पकड़े। लोगों ! इस सुन्नत को दांतों से मज़बूत पकड़ लो। (मुख़्तसर)

हवाला- 1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 108, हदीस 535, अब-वाबुल अ़िल्म।
2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 109, हदीस 156, किताबुस्सुन्न:।
3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 77, किताबुल ईमान।

इस बरकत वाली जमाअत यानी सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की जमाअत के लिए ख़ुद खुदावन्द करीम फ़रमा रहा है।

क़ुरआन करीम के ग्यारहवें पारे में सूर: तौबा के तेरहवें रुकूअ़ में आयत न० 100 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - वे मुहाजिर और अंसार जिन्होंने सब से पहले ईमान की दावत पर लब्बैक कहने में पहल की (और बाक़ी उम्मत में) जितने लोग इख़्लास के साथ उन की पैरवी करेंगे, अल्लाह उन सब से राज़ी हुआ और वे सब अल्लाह से राज़ी हुए और अल्लाह ने उन के लिए ऐसे बाग़ तैयार कर रखे हैं, जिन के नीचे नहरें जारी होंगी, जिन में हमेशा-हमेशा रहेंगे। यह बहुत बड़ी कामियाबी है।

हदीस - हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को फ़रमाते सुना है कि, 'मैंने अपने परवरदिगार से अपनी वफ़ात के बाद सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के बीच इख़्तिलाफ़ के बारे में पूछा (यानी यह कि उन के बीच जो इख़्तिलाफ़ पैदा होगा उस में क्या मस्लहत है?) अल्लाह तआला ने मुझ को वह्य के ज़रिए बताया कि ऐ मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम!) तेरे साथी मेरे नज़दीक ऐसे हैं, जैसे आसमान पर सितारे। कुछ इन में मज़बूत हैं, यानी उन में ज़्यादा रोशनी है, कुछ ऐसे हैं कि उन में रोशनी कम है, लेकिन बहरहाल सब रोशन हैं। पस जिस आदमी ने उन के इख़्तिलाफ़ में से कुछ लिया, मेरे नज़दीक वह हिदायत पर है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि मेरे साथी सितारों की तरह हैं, इन में से जिन की भी पैरवी करोगे, हिदायत पाओगे।

हवाला- 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 897, हदीस 5732, मनाक़िब के बयान में,

2. मज़ाहिरे हक़, ततिम्मा जिल्द 4, पृ० 90, मनाक़िब के बयान में,

हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह के महबूब थे, जिस तरह अल्लाह तआला को हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम महबूब थे, इसी तरह आप की हर अदा अल्लाह तआला को महबूब थी, तो अल्लाह तआला ने इमामों में इख़्तिलाफ़ पैदा करवा के अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हर अदा पर अमल करवा दिया। यह इख़्तिलाफ़ नहीं है, बल्कि अल्लाह की रहमत है, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी हर सुन्नत पर अमल करवा दिया। अल्लाह तआला ने अपनी मेहरबानी से हम लोगों पर यह बहुत ही बड़ा एहसान फ़रमाया है। अब सुनिए वे हदीसें, जिन से इज्तिहाद की इजाज़त साबित होती है।

हदीस – हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन को यमन की तरफ़ (क़ाज़ी बना कर) भेजा तो पूछा कि तुम वहां जाकर फ़ैसला किस तरह करोगे? उन्होंने अर्ज़ किया, जो कुछ अल्लाह की किताब में है, उस के मुताबिक फ़ैसला करूंगा। आपने फ़रमाया, अगर वह अल्लाह की किताब में न हो, तो (यानी तुम जिस बात का फ़ैसला करना चाहो, वह बात क़ुरआन शरीफ़ में न पाओ, तो फिर क्या करोगे ?) उन्होंने अर्ज़ किया, तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत से (फ़ैसला करूंगा)। आपने फ़रमाया, अगर सुन्नत में भी न पाओ तो (फिर क्या करोगे ?) उन्होंने कहा कि अपनी राय से इज्तिहाद करूंगा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, अल्लाह की हम्द, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के क़ासिद को (सही तरीक़ा-ए-अमल की) तौफ़ीक़ दी।

हवाला- 1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द, 1 पृ० 266, हदीस 1227, बाबुल अह्काम,

2. अबूदाऊद शरीफ़, जिल्द 3, पारा 23, पृ० 94, हदीस 196, बाब 71।

हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, जब हाकिम फ़ैसला करे और इज्तिहाद करे (यानी सोच-विचार कर सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करे) और सही फ़ैसला करे तो उस के लिए दो सवाब हैं और फ़ैसला किया और उस में ग़लती की, तो उस के लिए एक बदला है (यानी सोच-विचार के बाद भी ग़लती हो जाए तो एक सवाब है।)

हवाला- 1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 266, हदीस 1226, बाबुल अह्काम,

2. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 30, पृ० 529, हदीस 2207, किताबुल एतिसाम।

हदीस- हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, इल्म (अमल करने के क़ाबिल) तीन हैं, इन के अलावा

तमाम इल्म ग़ैर-ज़रूरी हैं (यानी बेकार हैं)-

1. अल्लाह की किताब, 2. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत, 3. इज्तिहादी एहकाम।

हवाला- इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 41, हदीस 56, बाबुर्राए वल क़ियास।

हदीस- हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, हुज़ूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया, शैतान पर एक फ़क़ीह आलिम हज़ार आबिदों से ज़्यादा भारी है।

हवाला- 1. इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 65, हदीस 223, इल्म के बयान में,

2. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 109, हदीस 540, इल्म के बयान में,

3. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 116, हदीस 204, इल्म के बयान में,

4. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 93, किताबुल इल्म।

शैतान जब लोगों पर दरवाजे ख़्वाहिशे नफ़्सानी के खोलता है, आलिम पहचान लेता है और उन को दफ़ा करने का उपाय बताता है, जबकि निरा आबिद ऐसा नहीं कर सकता इसलिए कि वह अक्सर इबादत में लगा होता है और शैतान के जाल में फंसा होता है, लेकिन जानता नहीं।

हवाला- मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 93, किताबुल इल्म।

इन बुज़ुर्गों ने इज्तिहाद से जो दीन की ख़िदमत की है वह क़द्र के क़ाबिल है अल्लाह पाक इन मामामें पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फ़रमाये। इन लोगों ने एक-एक आयत और एक-एक हदीस से सैंकड़ों मस्अले बयान कर दिये हैं। इन इमामों के अलावा अल्लाह ने मुहद्दिसीन की जमाअत पैदा की, जिन्होंने हदीसों को जमा करने में अपनी ज़िन्दगियां खत्म कर दी हैं और इस उम्मत पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर मुहद्दिसीन की जमाअत पैदा न होती, तो हो सकता था कि हम गुमराह हो जाते, लेकिन अल्लाह तआला ने अपने रहम व करम से ऐसे-ऐसे असबाब बनाये कि जिनको हक़ की खोज है, क़ियामत तक गुमराह नहीं हो सकते। अल्लाह पाक इन मुहद्दिसीन की जमाअत पर करोड़ों रह्मतें नाज़िल फ़रमाये। आमीन।

जिन लोगों को हक़ की खोज ही नहीं और आंखें बन्द कर के बिदअतों और रस्मों पर अमल किये जा रहे हैं, उन का दुनिया में कोई इलाज ही नहीं और कुछ लोग हक़ को समझने और जानने के बावजूद भी हक़ की मुख़ालफ़त कर रहे हैं और मख़्लूके खुदा को गुमराह भी कर रहे हैं और उम्मत को आपस में लड़ा रहे हैं, वे नफ़्सानियत में पड़ गये हैं, उन का भी दुनिया में कोई इलाज ही नहीं।

जमाअते अह्ले हदीस का चारों इमामों से इख़्तिलाफ़

इन चार मसलकों के अलावा एक पांचवीं जमाअत भी है, जो अपने आप को अह्ले हदीस कहती है। यों तो हर जमाअत में कुछ न कुछ लोग तंग नज़र होते हैं और वे दूसरों पर नुक्ता-चीनी करते रहते हैं। इसी तरह इन अह्ले हदीस साहिबान की जमाअत में भी नुक्ता-चीनी करने वाले हैं। इन का एतराज़ यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में हनफ़ी, मालिकी, शाफ़ई और हंबली, ये सब मसलक कहां थे? ये सब नये फ़िर्के हैं और बाद में बने हैं। बहरहाल कुछ लोग तो इन मसलक वालों को गुमराह समझते हैं और उन के पीछे नमाज़ तक नहीं पढ़ते और एतराज़ करने वाले लोग अपने-आप को अह्ले हदीस कहते हैं। हालांकि कुछ अह्ले हदीस की लड़कियां तक़्लीद वालों के घर में हैं और तक़्लीद वालों की लड़कियां अह्ले हदीस के घर में हैं। अगर वे वाक़ई एक दूसरे को गुमराह या बिदअती समझते हैं तो एक-दूसरे की लड़की लेते क्यों हैं? बहरहाल ईमानदारी से देखा जाए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में हनफ़ी, मालिकी, शाफ़ई और हंबली मसलक नहीं थे, तो मसलके अह्ले हदीस भी कहां था, इस में तो हम सब के सब बराबर हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में क्या था और कौन-सा मसलक था, उस का क़ुरआन करीम इन लफ़्ज़ों में बयान करता हैं।

क़ुरआन करीम के छठे पारे में, सूरः माइदा के पहले रुकूअ में, आयत न० 3 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा- आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को पूरा कर दिया और तुम पर अपना इनाम भरपूर कर दिया और तुम्हारे लिए इस्लाम के दीन होने पर रज़ामंद हो गया।

क़ुरआन करीम के तीसरे पारे में सूरः आले इम्रान के नवें रुकूअ में, आयत न० 85 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा- जो आदमी इस्लाम के सिवा और दीन खोजे, उस का वह दीन क़ुबूल न किया जाएगा और वह आख़िरत में नुक़्सान पाने वालों में होगा।

मुस्नद अहमद रह० के हवाले से लिखा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं, क़ियामत के दिन आमाल आएंगे। नमाज़ आकर कहेगी कि ऐ ख़ुदा! मैं नमाज़ हूं। अल्लाह तआला फ़रमाएगा, तू अच्छी चीज़ है। सदक़ा आएगा और कहेगा, पालनहार! मैं सदक़ा हूं। जवाब मिलेगा, तू भी ख़ैर पर है। रोज़ा आकर कहेगा, मैं रोज़ा हूं। अल्लाह तआला फ़रमाएगा, तू भी बेहतरी पर है। फिर इसी तरह और भी अमल आते जाएंगे और सब को यही जवाब

मिलता रहेगा, फिर इस्लाम आएगा और कहेगा, ऐ अल्लाह ! तू सलाम है और मैं इस्लाम हूं। अल्लाह तआला फ़रमाएगा, तू ख़ैर पर है, आज तेरी ही वजह से मैं पकड़ूंगा, और तेरी ही वहज से मैं इनाम दूंगा।

हवाला- तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा न० 3, पृ० 86, सूरः आले इम्रान के नवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में सिर्फ़ दीने इस्लाम था, न कोई हनफ़ी था, न कोई मालिकी था और न कोई शाफ़ई और न हंबली था और न अह्ले हदीस का मसलक था। इस एतराज़ में तो मेरे भोले भैया, हम सभी आ जाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जिन-जिन बादशाहों को ख़त लिखे हैं, उन को इस्लाम की दावत दी है, फिर एक दूसरे पर एतराज़ करना जहालत नहीं तो और क्या है ?

ये पांचवीं जामअत वाले जो अपने आप को अह्ले हदीस कहते हैं, कुछ मसअलों में इन चारों इमामों से अलग हैं। चारों मसलक वाले तरावीह की बीस रक्अत पढ़ते हैं, लेकिन ये लोग तरावीह की सिर्फ़ आठ रक्अत पढ़ते हैं। चारों मसलक वाले दोनों हाथ से मुसाफ़ा करते हैं, ये साहिबान एक हाथ से करते हैं। चारों मसलक वाले जुमा के ख़ुत्बे से आधा घंटा पहले जो अज़ान देते हैं, वह अज़ान हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने से शुरू हुई है, इस पर चारों मसलक वालों का अमल है, ये लोग उस पर अमल नहीं करते। चारों इमामों के नज़दीक एक मज्लिस की तीन तलाक़ें तीन ही समझी जाती हैं, लेकिन ये लोग तीन को तीन नहीं, बल्कि एक मानते हैं। चारों मसलक वाले फ़िक़्ह को मानते हैं और अह्ले हदीस नहीं मानते, बल्कि फ़िक़्ह को फ़ित्ना कहते हैं और हर बात के लिए हदीस की मांग करते हैं। इन बातों में जम्हूर उलेमा-ए-किराम का फ़त्वा एक ओर है और इन साहिबों का अमल दूसरी तरफ़ है। बहरहाल वे अमल चाहे जिस तरह करें, इस पर हमें कोई एतराज़ नहीं। ताज्जुब की बात तो यह है कि इन अह्ले हदीस लोगों को जम्हूर उलेमा किराम पर एतराज़ है, यह जहालत नहीं तो और क्या है।

अब हम इन बातों को एक-एक करके मय् हवालों के बयान करते हैं, पहले तरावीह के मस्अले को लीजिए-

हदीस- हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नमाज़ रमज़ान में किस तरह होती थी ? उन्होंने कहा कि आप रमज़ान में और ग़ैर रमज़ान में ग्यारह रक्अत से ज़्यादा नमाज़ न पढ़ते थे, चार रक्अत पढ़ते थे, मगर उन की लम्बाई की हालत न पूछ। फिर चार रक्अत नमाज़ पढ़ते थे और तू उन की ख़ूबी और उन की लम्बाई की हालत न पूछ फिर तीन रक्अत (वित्र) पढ़ते थे। मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! क्या आप वित्र पढ़ने से पहले सो रहते हैं? आपने फ़रमाया

कि ऐ आइशा! मेरी आंखें सो जाती हैं और मेरा दिल नहीं सोता।

हवाला- 1. सही बुख़ारी, जिल्द 1, पारा 5, पृ० 255, हदीस 1065, तहज्जुद का बयान।

2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 119, हदीस 725, बाब 247, रात की नमाज़ का बयान।

3. अबूदाऊद शरीफ़, जिल्द 1, पारा 8, पृ० 502, हदीस 1327, बाब 459, तहज्जुद की नमाज़।

इस हदीस को इमाम बुख़ारी रह० ने तहज्जुद के बयान में लिया है और इमाम मुस्लिम रह० ने रात की नमाज़ के बयान में लिया है और इमाम अबूदाऊद रह० ने तहज्जुद के बयान में लिया है, अलबत्ता इसी हदीस को इमाम बुख़ारी रह० ने तरावीह के बयान में भी लिया है। हवाला यह है, बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1, पारा 8, पृ० 448, हदीस 1857, तरावीह के बयान में। अब इस हदीस पर ज़रा ग़ौर करें, हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फ़रमा रही हैं कि रमज़ान शरीफ़ में भी ग्यारह रक्अत पढ़ते थे और ग़ैर रमज़ान में भी ग्यारह रक्अत पढ़ते थे। इस में दो बातें हैं, रमज़ान और ग़ैर-रमज़ान, तरावीह का कोई ज़िक्र नहीं है और न ज़माअत से पढ़ने का ज़िक्र है। अब इस बात पर ग़ौर करें कि रमज़ान में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ग्यारह रक्अत पढ़ते थे, तो यह ग्यारह रक्अत कौन-सी नमाज़ होती थी। अगर हम इस से तरावीह मुराद लेते हैं, तो आठ रक्अत तरावीह और तीन रकअत वित्र, ये कुल ग्यारह रक्अतें हो गयीं और अगर तहज्जुद की नमाज़ मुराद ली जाए, तो आठ रक्अत तहज्जुद की नमाज़ और तीन वित्र, यह कुल ग्यारह रक्अतें हो गयीं। इन दो नमाज़ों में से आप एक ही नमाज़ साबित कर सकते हैं, दोनों नमाज़ें साबित नहीं हो सकतीं। अगर तरावीह मुराद लेते हैं तो तहज्जुद साबित नहीं होती और अगर तहज्जुद मुराद लेते हैं, तो तरावीह की नमाज़ साबित नहीं होती, अब आप इन ग्यारह रक्अत नमाज़ से कौन-सी नमाज़ मुराद लेंगे?

तहज्जुद की नमाज़ रमज़ानुल मुबारक में भी पढ़ी जाती है और ग़ैर-रमज़ान में भी पढ़ी जाती है। तरावीह ग़ैर-रमज़ान में नहीं पढ़ी जाती। इस हदीस से तो साफ़ साबित हो जाता है कि रमज़ान में भी ग्यारह रक्अत पढ़ते थे और ग़ैर-रमज़ान में भी ग्यारह रक्अत पढ़ते थे। यह बात तहज्जुद की हो रही है। तरावीह का इस हदीस में कोई ज़िक्र नहीं हैं।

हदीस- हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इशा की नमाज़ पढ़ी, उस के बाद (तहज्जुद के वक़्त उठ कर) आठ रकअतें और दो रक-अतें बैठ कर पढ़ीं और दो रक-अतें फ़ज्र की अज़ान और इक़ामत के दर्मियान में पढ़ीं, उनको कभी छोड़ते न थे।

हवाला- सही बुख़ारी शरीफ, जिल्द 1, पारा 5, पृ० 258, हदीस 1075, तहज्जुद के बयान में।

यह हदीस अबू सलमा वाली हदीस की तस्दीक कर रही है। इन ग्यारह रक्अतों को आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कभी छोड़ते न थे, कभी छोड़ना नहीं, यह तहज्जुद की बात हो रही है, तरावीह की नहीं। तरावीह सिर्फ़ रमज़ानुल मुबारक में पढ़ी जाती है और तहज्जुद रमज़ानुल मुबारक में भी पढ़ी जाती है और ग़ैर-रमज़ान में भी पढ़ी जाती है, क्योंकि तहज्जुद की नमाज़ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ऊपर फ़र्ज़ थी, इसलिए इस को छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है, इस के [illegible] वा सुबह की दो सुन्नतें भी नहीं छोड़ते थे। इन ग्यारह रक्अतों से तरावीह की नमाज़ कहां साबित होती है।

इस हदीस से अगर तरावीह मान ली जाए, तो गोया मआज़ल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम रमज़ानुल मुबारक में तहज्जुद नहीं पढ़ते थे, हालांकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का हुक्म क़ुरआन करीम दे रहा है।

क़ुरआन करीम के उन्तीसवें पारे में सूरः मुज़्ज़म्मिल के पहले रुकूअ में आयत न० 1, 2, 3 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा– ऐ कपड़ा ओढ़ने वाले! रात को खड़े रहा करो, मगर कम, आधी रात या उस से किसी क़दर कम कर दो या उस से कुछ बढ़ा दो।

अल्लाह तआला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को हुक्म देता है कि रातों के वक़्त कपड़े लपेट कर सो रहने को छोड़ दें और तहज्जुद की नमाज़ के क़ियाम को अपना लें।

हवाला– तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 29, पृ० 52, सूरः मुज़्ज़म्मिल के पहले रुकूअ की तफ़्सीर में।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पूरी उम्र इस हुक्म को पूरा करते रहे, तहज्जुद की नमाज़ सिर्फ़ आप पर वाजिब थी, यानी उम्मत पर वाजिब नहीं है।

हवाला– तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 29, पृ० 52, सूरः मुज़्ज़म्मिल के पहले रुकूअ की तफ़्सीर में।

कुछ उलेमा कहते हैं, शब-बेदारी आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर वाजिब व फ़र्ज़ थी, न कि उम्मत पर।

हवाला– तफ़्सीरे हक़्क़ानी, पारा 29, पृ० 247, सूरः मुज़्ज़म्मिल के पहले रुकूअ की तफ़्सीर में।

इज्तिहाद करने वाले उलेमा में इख़्तिलाफ़ है कि क़ियामुल्लैल यानी तहज्जुद क्या आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर फ़र्ज़ थी या कि नफ़्ल थी और मज़बूत शरई दलीलें सबूत यह देती हैं कि आप पर फ़र्ज़ थी।

हवाला– तफ़्सीर मवाहिबुर्रहमान, पारा 29, पृ० 179, सूरः मुज़्ज़म्मिल के पहले रुकूअ की तफ़्सीर में।

'नाफ़िल:' के मायने डिक्शनरी में 'ज़्यादा' हैं और पांच वक़्त की फ़र्ज़ नमाज़ों के ऊपर यह नमाज़ आप के लिए ज़्यादा फ़र्ज़ थी और आप की ख़ुसूसियत से मालूम हुआ कि उम्मतियों

पर फ़र्ज़ नहीं है।

हवाला तफ़्सीर मवाहिबुर्रहमान, पारा 29, पृ० 179, सूरः मुज़्ज़म्मिल के पहले रुकूअ की तफ़्सीर में।

जिन-जिन उलेमा-ए-किराम ने तफ़्सीरें लिखी हैं, उन सब की यही राय और फ़त्वा है कि तहज्जुद की नमाज़ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर फ़र्ज़ थी और किसी तफ़्सीर में यह नहीं लिखा कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर ग्यारह महीने तो तहज्जुद की नमाज़ फ़र्ज़ थी और रमज़ान शरीफ़ में यह नमाज़ आप पर फ़र्ज़ नहीं थी, बल्कि नफ़्ल थी या तरावीह की गिनती में थी, इस के अलावा किसी हदीस में भी यह नहीं मिलता कि यह तहज्जुद की नमाज़ रमज़ानुल मुबारक में आप पर फ़र्ज़ नहीं थी।

क़ुरआन करीम के पन्द्रहवें पारे में सूरः बनी इस्राईल के नवें रुकूअ में, आयत न० 79 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा- और किसी क़दर रात के हिस्से में तहज्जुद पढ़ा कीजिए, जो आप के लिए ज़्यादा चीज़ है। उम्मीद है कि आप का रब आप को मक़ामे महमूद में जगह देगा।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर तहज्जुद की नमाज़ फ़र्ज़ थी।

हवाला- तफ़्सीरे हक़्क़ानी, पारा 15, पृ० 95, सूरः बनी इस्राईल के नवें रुकूअ की तफ़्सीर में-

'कुछ तो कहते हैं, तहज्जुद की नमाज़ औरों के बर खिलाफ़ सिर्फ़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर फ़र्ज़ थी।'

हवाला- तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 15, पृ० 61, सूरः बनी इस्राईल के नवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

'तहज्जुद की नमाज़ एक ज़्यादा फ़र्ज़ है और दूसरे फ़र्ज़ों पर यह फ़रीज़ा आप ही पर है। अक्सर उलेमा का क़ौल है कि तहज्जुद आप पर वाजिब थी।

हवाला- जामिउल बयान, पारा 15, पृ० 235, सूरः बनी इस्राईल के नवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

'पांचों फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा यह एक ज़्यादा फ़र्ज़ ख़ास आप पर है, न कि आप की उम्मत पर।'

हवाला- जलालैन शरीफ, पारा 15, पृ० 235, सूरः बनी इस्राईल के नवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

बेशक तहज्जुद की नमाज़ एक ज़्यादा फ़र्ज़ है, जो ख़ास कर आप के दर्जों की बुलंदी के लिए अल्लाह तआला ने आप पर फ़र्ज़ किया है, न कि आप के अलावा पर, क्योंकि और तमाम उम्मत के लिए तहज्जुद की नमाज़ नफ़्ल है।

हवाला- मदारिकुत्तंज़ील, पारा 15, पृ० 308, सूरः बनी इस्राईल के नवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

'तहज्जुद की नमाज़ फ़र्ज़ थी, ख़ास कर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर और तमाम उम्मत पर नफ़्ल है।'

हवाला- अक्लील अला मदारिकित्तंज़ील, पारा 15, पृ० 158 सूर: बनी इस्राईल के नवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

'तहज्जुद पांचों फ़र्ज़ों के अलावा ज़्यादा फ़र्ज़ है आप पर, ख़ास कर आप की फ़ज़ीलत और बुज़ुर्गी बढ़ाने के लिए।'

हवाला- बैज़ावी शरीफ़, पारा 15, पृ० 708, सूर: बनी इस्राईल के नवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

'फ़र्ज़ किया तहज्जुद की नमाज़ को आप पर अल्लाह तआला ने आप की फ़ज़ीलत व बुज़ुर्गी बढ़ाने के लिए।'

हवाला- मआलिमुत्तंज़ील, पारा 15, पृ० 533, सूर: बनी इस्राईल के नवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

'तहज्जुद की नमाज़ ज़ायद इबादत है और खास कर आप ही पर अल्लाह तआला ने फ़र्ज़ किया है, न कि ग़ैर पर, इसलिए कि औरों के लिए तहज्जुद की नमाज़ नफ़्ल है।'

हवाला- तफ़्सीरे कश्शाफ़, पारा 15, पृ० 781, सूर: बनी इस्राईल के नवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

हदीस- हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा फ़रमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इशा से सुबह तक ग्यारह रक्अतें पढ़ते थे और हर दो रक्अत में सलाम फेरते थे और एक रक्अत वित्र पढ़ते थे और जब मुअज़्ज़िन अज़ान से फ़ारिग़ होता था तो दो रक्अतें हलकी पढ़ते थे फ़िर लेटते थे यहां तक कि आप के पास मुअज़्ज़िन आता था, तो आप उस के साथ जाते थे।

हवाला- 1. दारमी शरीफ़, पृ० 234, हदीस 1438, बाब 324।
2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 119, हदीस 723, बाब 247, रात की नमाज़ के बयान में।
3. अबूदाऊद शरीफ़, जिल्द 1, पारा 8, पृ० 500, हदीस 1322, बाब 468, तहज्जुद की नमाज़।
4. इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 213, हदीस 1375, रात में कितनी रक्अतें पढ़ना चाहिए।

इस हदीस में इर्शाद हो रहा है कि शाम से लेकर सुबह की अज़ान तक पूरी रात में कुल ग्यारह रक्अत नमाज़ पढ़ते थे। यह तहज्जुद का बयान है, तरावीह का इस में नाम नहीं है और रमज़ानुल मुबारक का भी ज़िक्र नहीं है।

हदीस- हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद जुहनी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने एक दिन अपने मन में कहा कि आज रात को मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नमाज़ को ग़ौर से देखूंगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दो हल्की रक्अतें पढ़ीं और फिर दो लंबी रक्अतें पढ़ीं, फिर दो रक्अतें इन दो लंबी रक्अतों से कम लंबी पढ़ीं, फिर दो रक्अतें उन से कम पढ़ीं,

फिर दो रक्अतें उन से कम पढ़ीं, फिर दो रक्अतें उन से कम पढ़ीं। फिर वित्र पढ़ा और ये सब तेरह रक्अतें होती हैं।

हवाला- 1. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 124, हदीस 726, बाब 250, रात की नमाज़,

2. अबूदाऊद शरीफ़, जिल्द 1, पारा 8, पृ० 511, हदीस 1352, बाब 468, तहज्जुद की नमाज़।

3. इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 213, हदीस 1378, रात में कितनी रक्अतें पढ़नी चाहिए।

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि वह एक रात उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में रहे और वह उन की ख़ाला थीं, (आप फ़रमाते हैं) मैं मस्नद के अर्ज़ में लेट गया और रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और आप की बीवी उस की लंबाई में लेट गये। पस आप सो रहे, यहां तक कि आधी रात हो गयी या क़रीब इस के। फिर आप अपने चेहरे से नींद को मलते हुए जागे, उस के बाद आले इम्रान की दस आयतें आपने पढ़ीं, फिर रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एक लटकी हुई मशक की तरफ़ मुतवज्जह हुए और वुज़ू किया, ख़ूब अच्छी तरह, बाद उस के नमाज़ पढ़ने खड़े हो गये तो मैंने भी ऐसा ही किया और आप के पहलू में खड़ा हो गया। पस आपने अपना दाहिना हाथ मेरे सिर पर रखा और मेरे कान को पकड़ कर मोड़ने लगे। (ग़रज़ यह कि मुझ को अपने बायीं तरफ़ खींच लिया) फिर आप ने दो रक्अत नमाज़ पढ़ी, उस के बाद फिर दो रक्अत पढ़ीं, उस के बाद फिर दो रक्अत पढ़ी, उस के बाद फिर दो रक्अत पढ़ी, उस के बाद फिर दो रक्अत पढ़ी, उस के बाद वित्र पढ़े और लेट रहे, यहां तक कि मुअज़्ज़िन अज़ान देकर आप की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। आप उठ खड़े हुए और दो रक्अत पढ़ी, फिर बाहर तश्रीफ़ ले गये और सुबह की नमाज़ पढ़ीं

हवाला- 1. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 124, हदीस 761, बाब 250, हुज़ूर की नमाज़ और दुआ,

2. अबूदाऊद शरीफ़, जिल्द 1, पारा 8, पृ० 507, हदीस 1339, बाब 468, तहज्जुद की रक्अतें।

3. नसई शरीफ़, जिन्द 1, पृ० 415, 'जब रात को उठे, तो पहले क्या कहे' के बयान में,

4. इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 213, हदीस 1379, रात में कितनी रक्अतें पढ़ना चाहिए।

हदीस हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम रात को तेरह रक्अतें पढ़ते थे, फिर जब अज़ान सुनते, सुबह

की दो रक्अतें हल्की पढ़ते थे।

हवाला- अबूदाऊद शरीफ़, जिल्द 1, पारा 8, पृ० 501, हदीस 1225, बाब 468, तहज्जुद की रक्अतों के बयान में।

असल में यह नमाज़ तरावीह की नमाज़ नहीं है, बल्कि रात की नमाज़े तहज्जुद का बयान हो रहा है। बयान करने वाले लोग तरावीह का बयान नहीं कर रहे हैं बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम रात को कितनी रक्अत नमाज़ पढ़ते थे और कैसे पढ़ते थे, वह अदा बयान कर रहे हैं। इन हदीसों में न तो रमज़ानुल मुबारक का बयान है और न तरावीह का बयान है।

हदीस - हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से नक़ल किया जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तहज्जुद की नमाज़ तेरह रक्अत पढ़ते थे। (मुख़्तसर)

हवाला- दारमी शरीफ़, पृ० 252, हदीस 1571, बाब 386,

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी कैस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैंने हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम वित्र की कितनी रक्अतें पढ़ते थे। उन्होंने कहा, कभी सात रक्अतें पढ़ते थे, कभी नौ रक्अतें, कभी ग्यारह रक्अतें और कभी तेरह रक्अतें, लेकिन सात से कम नहीं पढ़ते थे और तेरह से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे और फ़र्ज़ की दो सुन्नतों को कभी नाग़ा नहीं करते थे।

हवाला- अबू दाऊद शरीफ़, जिल्द 1, पारा 8, पृ० 510, हदीस 1348, तहज्जुद की रक्अतों का बयान।

हदीस - हज़रत मस्रूक़ रज़ियल्लाहु अन्हू कहते हैं कि मैंने हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की रात की नमाज़ के बारे में मालूम किया, तो उन्होंने कहा, (कभी आप) सात रक्अतें पढ़ते थे और कभी नौ और गयारह अलावा फ़ज्र की सुन्नत की दो रक्अतों के।

हवाला- सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1, पारा 5, पृ: 254, हदीस नं० 1057, तहज्जुद का बयान।

ये जितनी हदीसें हैं, वे सब की सब तहज्जुद के बारे में हैं, चाहे सात रकअत वाली हो या आठ रक्अत वाली हो या नौ रक्अत वाली हो, या ग्यारह रक्अत वाली हो या तेरह रक्अत वाली हदीस हो, ये सब तहज्जुद के बारे में हैं। तरावीह का इस में कोई ज़िक्र नहीं है और न रमजानुल मुबारक का इस में कोई ज़िक्र है। तरावीह की नमाज़ इशा की नमाज़ के बाद पढ़ी जाती है और तहज्जुद की नमाज़ रात को सोने के बाद उठ कर पढ़ी जाती है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह नमाज़ सोने के बाद उठ कर पढ़ी है।

हदीस - हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा ज़ौजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम

से रिवायत है कि रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम आधी रात को एक रात बाहर तश्रीफ़ लाए और आपने मस्जिद में नमाज़ पढ़ी और कुछ लोगों ने भी आप के पीछे नमाज़ पढ़ी, फिर सुबह को लोगों ने इस का चर्चा किया और मस्जिद में ज़्यादा लोग जमा हो गये और सबने आप के साथ नमाज़ पढ़ी और फिर सुबह को लोगों ने और ज़्यादा चर्चा किया, तो मस्जिद में तीसरी रात को और ज़्यादा लोग जमा हो गये, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बाहर तश्रीफ़ लाये और नमाज़ पढ़ी और लोगों ने भी आप के साथ नमाज़ पढ़ी और फिर जब चौथी रात हुई, तो मस्जिद लोगों पर तंग हो गई, (इसलिए आप रात को बाहर तश्रीफ़ न लाये) यहां तक कि आप सुबह की नमाज़ के लिए ही तश्रीफ़ लाये। पस जब आप फ़ज्र की नमाज़ पढ़ चुके तो लोगों की तरफ मुतवज्जह हुए और तशह्हुद के बाद फ़रमाया अम्मा बअ़द, मुझ पर तुम्हारा यहां मौजूद होना छिपा हुआ न था, मगर मुझे यह डर हुआ कि कहीं तुम पर यह नमाज़ फ़र्ज़ न हो जाए और तुम उस के अदा करने से आजिज़ आ जाओ। पस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वफ़ात हो गई और यही हाल रहा।

हवाला– 1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1, पारा 8, पृ० 448, हदीस 1856, तरावीह का बयान,
2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 123, हदीस 758, क़ियामे रमज़ान या तरावीह का बयान,
3. अबू दाऊद शरीफ, जिल्द 1, पारा 8, पृ० 514, हदीस 1359, बाब 471, रमज़ान का बयान,
4. नसई शरीफ, जिल्द 1, पृ० 140, रमज़ान की रातों में नमाज़ पढ़ने का बयान।

इस हदीस में तीन रात जमाअत से नमाज़ पढ़ना साबित है। रमज़ानुल मुबारक का या तरावीह का इस में कोई ज़िक्र नहीं है, अल-बत्ता इमाम बुख़ारी रह० ने इस हदीस को तहज्जुद के बयान में भी लिया है। हवाला यह है, बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1, पारा 5, पृ० 252, हदीस 1047, तहज्जुद का बयान। इस हदीस में इतने लफ़्ज ज़्यादा हैं कि यह वाक़िआ रमज़ान का है। इस हदीस से तरावीह की नमाज़ मान ली जाए, तो तीन रात से ज़्यादा जमाअत से नमाज़ पढ़ना साबित नहीं है।

इस हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तीन रात लगातार नमाज़ जमाअत से पढ़ाई है और चार किताबों के हवाले हैं और ये चारों किताबें सिहाहे सित्ता की किताबें हैं। अह्ले हदीस इन हदीसों पर अमल नहीं करते? और पूरे महीने जमाअत से नमाज़े तरावीह क्यों पढ़ते-पढ़ाते हैं? इस हदीस से अगर तरावीह साबित करना है, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने आधी रात के बाद जमाअत से नमाज़ पढ़ाई है। आप साहिबान शुरू रात ही में नमाज़ क्यों पढ़ लेते हैं?

हदीस – हज़रत अबूज़र रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि हमने आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ रोज़ा रखा तो आपने हम लोगों को नमाज़ (यानी तरावीह) नहीं

पढ़ाई, यहां तक कि जब महीने (रमज़ान) के सात दिन रह गये, तो आप हम लोगों के साथ खड़े हुए (यानी) नमाज़ में, यहां तक कि तिहाई रात गुज़र गई। फिर दूसरी रात खड़े न हुए बल्कि पांचवीं रात को खड़े हुए (यानी एक रात नाग़ा कर के दूसरी रात, जबकि पांच दिन रमज़ान के बाक़ी रहे, तो हमारे साथ नमाज़ पढ़ी,) यहां तक कि आधी रात गुज़र गयी। हम लोगों ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! काश, हमारी इस बाक़ी रात में भी हमें नफ़्ल पढ़ा देते (तो बेहतर होता यानी आधी रात के बाद भी पढ़ते) आपने फ़रमाया कि जो इमाम के साथ खड़ा हो, यहां तक कि वह नमाज़ से फ़ारिग़ हुआ (यानी इमाम के साथ नमाज़ में खड़ा रहा) उस के लिए तमाम रात का खड़ा होना लिखा जाता है, फिर आपने नमाज़ नहीं पढ़ी (अगली रात फिर नाग़ा कर दी) यहां तक कि जब तीन दिन बाक़ी रह गये, तो उस रात आपने अपने घर वालों को भी बुलाया और हमारे साथ इतनी देर खड़े रहे कि हमें फ़्लाह (सहरी) छूट जाने का डर हुआ। रिवायत करने वाले कहते हैं कि मैंने हज़रत अबूज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि यह फ़्लाह क्या चीज़ हैं? कहने लगे सेहरी खाना। यह हदीस हसन व सही है।

हवाला- 1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 158, हदीस 721, तरावीह का बयान,
2. अबू दाऊद शरीफ़, जिल्द 1, पारा 8, पृ० 515, हदीस 1361, बाब 471, रमज़ान के हुक्मों का बयान,
3. नसई शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 410, रमज़ान की रातों का बयान।

इस हदीस से साबित होता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने रमज़ानुल मुबारक के आख़िरी हफ़्ते में तीन रात तरावीह जमाअत से पढ़ाई है, लेकिन एक-एक रात दर्मियान में छोड़ कर पढ़ाई है और तीन किताबों के हवाले मौजूद हैं और ये तीनों किताबें सिहाहे सित्ता की किताबें हैं। इस हदीस पर अह्ले हदीस अमल क्यों नहीं करते और हर साल पूरा महीना तरावीह को जमाअत के साथ क्यों पढ़ते है?

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ तीन रात नमाज़े तरावीह जमाअत से पढ़ने वाले सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम में से कोई नहीं कहता कि हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ तीन रात तरावीह की नमाज़ जमाअत के साथ इतनी रक्अत या इतनी रक्अत पढ़ी है। जब किसी सहाबी से रक्अतों के बारे में फ़ैसला नहीं है, तो फिर अह्ले हदीस ने आठ रक्अत जमाअत से पढ़ने का फ़ैसला कैसे कर लिया और कौन-सी सही हदीस से किया?

अगर आप लोग वाक़ई अह्ले हदीस हैं और सही हदीसों पर अमल करना चाहते हैं, तो आप को एक साल हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत पर अमल करना चाहिए, यानी सिर्फ़ तीन रात तरावीह की नमाज़ जमाअत में पढ़नी चाहिए और आधी रात के बाद पढ़नी चाहिए और एक साल हज़रत अबूज़र रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत पर अमल करना चाहिए यानी रमज़ानुल मुबारक के आख़िरी हफ़्ते में तीन रात तरावीह की नमाज़ पढ़नी

चाहिए और बीच में एक-एक रात छोड़ कर पढ़नी चाहिए और एक साल रमज़ानुल मुबारक में तरावीह की नमाज़ जमाअत से बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए, ताकि हर हदीस पर अमल हो जाए।

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जो आदमी रमज़ान में ईमान की हालत में सवाब समझ कर रात की नमाज़ पढ़े, उस के पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। ज़ोहरी रह० कहते हैं कि रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वफ़ात हो गयी और यही हालत रही, फिर हज़रत अबू बक्र रज़ियल्ललाहु अन्हु की ख़िलाफ़त में और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की शुरू ख़िलाफ़त में इसी पर अमल रहा। जोहरी रह० उर्व: बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु से, वह अब्दुर्रहमान बिन अब्दुलक़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं कि वह कहते थे, मैं एक रात रमज़ान में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ मस्जिद गया, तो क्या देखता हूं कि लोगों की जमाअतें अलग-अलग हैं। कोई आदमी अकेले नमाज़ पढ़ रहा है, किसी के पीछे कुछ लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि मैं समझता हूं कि अगर इन लोगों को एक क़ारी पर जमा कर दूं, तो बहुत मुनासिब हो, फिर इस राय को पक्का कर लिया और फ़िर सब को उबई बिन कअब् रज़ियल्लाहु अन्हु के पीछे जमा कर दिया। फिर मैं एक दूसरी रात हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ मस्जिद गया, तो मैंने देखा कि लोग अपने क़ारी के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने (यह देख कर) कहा कि क्या अच्छी बिदअत है और जिस चीज़ से ग़ाफ़िल होकर तुम सो रहते हो, वह इस से अफ़ज़ल है जिस का तुम एहतिमाम करते हो। मुराद आप की रात का आख़िर था, और लोग रात के शुरू में इबादत किया करते थे।

हवाला - 1. सही बुख़ारी शरीफ़ जिल्द 1, पारा 8, पृ० 447, हदीस 1855, तरावीह की नमाज़ का बयान,
2. मुअत्ता इमाम मालिक, पृ० 140, हदीस 358, बाब 222, तरावीह की नमाज़ का बयान,
3. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 243, हदीस 1222, नमाज़ का बयान।
4. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 420, नमाज़ का बयान।

इस हदीस में तरावीह को जमाअत से पढ़ने का सबूत हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मिलता है, लेकिन रकअतों के बारे में कोई फ़ैसला कर देने वाली बात नहीं है।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तरावीह की नमाज़ जमाअत से इस लिए नहीं पढ़ायी कि कहीं यह नमाज़ उम्मत पर फ़र्ज़ न हो जाए और जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो अब फ़र्ज़ होनें का जो ख़तरा था, वह ख़त्म हो गया और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तरावीह की नमाज़ जमाअत से वित्र के साथ शुरू करवा दी।

हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा वाली रिवायत में भी रक्अतों के बारे में कोई आख़िरी बात नहीं है। हज़रत अबूज़र रज़ियल्लाहु अन्हा वाली रिवायतों में भी रक्अतों के बारे में कोई आख़िरी बात नहीं है और जोहरी रह० वाली रिवायत में भी रक्अतों के बारे में कोई आख़िरी बात नहीं। फिर अह्ले हदीस आठ रक्अत तरावीह जो जमाअत से पढ़ते हैं वह कौन-सी सिहाहे सित्ता की किताब की हदीस है ?

जब आठ रक्अत तरावीह जामअत से पढ़ने के लिए सिहाहे सित्ता की किताबों में कोई हदीस नहीं है, तो फिर बीस रक्अत तरावीह जमाअत से पढ़ने वालों पर आप को एतराज़ करने का क्या हक् है?

इस हदीस में जो बिदअत का लफ़्ज है, उस से बिदअती लोगों ने धोखा खाया, (और बहुत सी) बिदअतें अल्लाह की मख़्लूक़ में जारी करवा दीं और उन के गुमान में यही रहा कि हम जिस बिदअत को अच्छी समझें, वह बिदअते हसना है। हमारी निकाली हुई बिदअत अच्छी है और अल्लाह तआला के नज़दीक मक्बूल है, इस की क्या दलील है? यही क़ियास हराम है, क्योंकि क़ुरआन व हदीस से टकराता है। बिदअत का पूरा बयान इन्शाअल्लाह तआला आगे आ रहा है।

सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अलैहिम अज-मईन की पैरवी के लिए हदीसें मौजूद हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मेरी सुन्नत और मेरे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की सुन्नतों को मज़बूती से पकड़ लो और क़ुरआन करीम का भी ऐलान है कि अमली ज़िंदगी में जो भी इस भली जमाअत की पैरवी करेंगे, हम उन को बख़्श देंगे।

क़ुरआन शरीफ़ के ग्यारहवें पारे में, सूर: तौबा के तेरहवें रुकूअ में, आयत न० 100 में अल्लाह तआला ने इर्शाद फ़रमाया है-

तर्जुमा- वे मुहाजिर और अन्सार, जिन्होंने सब से पहले ईमान की दावत को क़ुबूल करने में पहल की (और बाक़ी उम्मत में) जितने लोग ख़ुलूस के साथ उन की पैरवी करेंगे, अल्लाह तआला उन सबसे राज़ी हुआ और वे सब अल्लाह से राज़ी हुए और अल्लाह तआला ने उन के लिए ऐसे बाग़ तैयार कर रखे हैं, जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, जिनमें हमेशा-हमेशा रहेंगे। यह बहुत बड़ी कामियाबी है।

हदीस - हज़रत इरवाज़ बिन सारिया रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने फ़रमाया कि तुममें से जो ज़िन्दा रहेगा, वह बहुत इख़्तिलाफ़ पायेगा, पस नयी बातों से बचते रहना, क्योंकि यही गुमराही है, तो तुम में से जो आदमी यह ज़माना पाये तो मेरी सुन्नत और मेरे हिदायत पाये हुए ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन रज़ियल्लाहु अन्हुम की सुन्नतों को मज़बूत पकड़ ले। लोगो ! इस सुन्नत को दांतों से मज़बूत पकड़ लो। (मुख़्तसर)

हवाला- 1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 108, हदीस 535, अब-वाबुल इल्म,

2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 109, हदीस 156, किताबुस्सुन्न:

3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 77, किताबुल ईमान।

तरावीह के बारे में, ईमानदारी की बात यह मालूम होती है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में और हज़रत अबूबक्र रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के शुरू ख़िलाफ़त में रमज़ानुल मुबारक में तरावीह की नमाज़ की रक्अतों की कोई गिनती नहीं थी, जिस की जितनी मर्ज़ी होती थी, उतनी ही रक्अतें पढ़ लिया करता था, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तरफ से कोई हुक्म नहीं था कि इतनी या उतनी रक्अतें पढ़ो। हुक्म सिर्फ़ इतना था कि जितनी भी हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करो, तो जिस को जितनी हिम्मत और शौक़ होता था, वह उतनी ही रक्अतें पढ़ लिया करता था। तरावीह की जमाअत पूरे महीने की पाबन्दी के साथ न तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में पढ़ी गयी है और न हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में पढ़ी गयी। यह अमल हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में शुरू हुआ और आज तक सारी दुनिया के मुसलमान पाबंदी के साथ उस पर अमल कर रहे हैं, चाहे बीस रक्अत तरावीह पढ़ने वाले हों या आठ रक्अत पढ़ने वाले हों।

अह्ले हदीस हर साल भारत में कहीं न कहीं इश्तिहार छपाते हैं या अख़बारों में देते हैं कि बीस रक्अत तरावीह कोई हदीस से साबित कर दे, तो हम उस को इतना या इतना इनाम देंगे।

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम रमज़ान के महीने में बग़ैर जमाअत बीस रक्अत नमाज़ पढ़ा करते थे।

हवाला- किताबुस्सु-ननुल कुबरा (बैहक़ी), जिल्द 2, पृ० 296, किताबुस्सलात।

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम रमज़ान में बीस रक्अत पढ़ा करते थे और वित्र की नमाज़ भी।

हवाला- मुअत्ता इमाम मुहम्मद के हाशिए पर पृ० 411, मंकूल अज़ इब्ने अबी शैबा, अब्द बिन हमीद, बग़वी, बैहक़ी, तबरानी।

हदीस - हज़रत मुक्सिम रह० कहते हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम रमज़ानुल मुबारक में बीस रक्अत और वित्र पढ़ा करते थे।

हवाला- मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा रह० जिल्द 2, पृ० 393, किताबुस्सलात, बाब रमज़ान में कितनी रक्अतें पढ़नी चाहिए।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बीवी उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा के भांजे थे, जिस की वजह से आप

से पर्दा नहीं किया जाता था। अक्सर रात को हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा के यहां रात गुज़ारते थे। वह जितना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की रात की इबादत को जानते थे, उतना दूसरे कम ही जानकार हो सकते थे।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को इस बात की खोज भी रहती थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम किस तरह रात को इबादत करते हैं। यह हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु वह हस्ती हैं, जिनका फ़त्वा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ज़िंदगी में भी चलता था।

लीजिए बीस रक्अत तरावीह का सबूत मिल गया। अब वह इनाम, जिस का आप हर साल एलान करते हैं, हमें दिया जाए और अपने वायदे को पूरा किया जाए, क्योंकि आप ईमान वाले हैं और ईमान वालों को वायदा पूरा करने के लिए क़ुरआन करीम हुक्म कर रहा है।

क़ुरआन करीम के छठे पारे में सूरः मायदा के पहले रुकूअ में, आयत न० 1 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा- ऐ ईमान वालों ! अपने वायदों को पूरा करो।

लेकिन हम जानते हैं कि आप इनाम देने में यह बहाना करेंगे कि ये रिवायतें सिहाहे सित्ता की नहीं हैं, तो हम आप से सवाल करते हैं कि आप जो आठ रक्अत तरावीह जमाअत से पढ़ते हैं, वही सिहाहे सित्ता की किताबों से हम को बतला दीजिए। हम आप से इनाम का वायदा तो नहीं करते, लेकिन इन्शा अल्लाह आप के बहुत शुक्रगुज़ार होंगे और दिल से दुआएं देंगे।

हदीस - हज़रत साइब बिन यज़ीद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उबई बिन कअब् रज़ियल्लाहु अन्हु और तमीम दारमी रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया कि वे लोगों को ग्यारह रक्अतें पढ़ाएं और उस ज़माने में क़ारी नमाज़ में वे सूरतें पढ़ता था, जो सौ आयातों से ज़्यादा होती थीं, यहां तक कि हम क़ियाम लम्बे होने से मजबूर होते थे कि डंडे का सहारा लें और हम उस नमाज़ से फ़ारिग़ होकर फ़ज्र के क़रीब वापस होते थे।

हवाला- 1. मुअत्ता इमाम मालिक, पृ० 142, बयान 362, बाब 223।

2. किताबुस्सुन-निल कुबरा (बैहक़ी) जिल्द 2, पृ० 496, किताबुस्सलात।

साइब बिन यज़ीद रज़ियल्लाहु अन्हु से जो रिवायत है, इस हदीस से यह पता नहीं चलता कि यह हुक्म एक दिन के लिए था या दो चार दिन के लिए था या पूरे महीने के लिए था? या हर साल पूरी ज़िंदगी के लिए था? तहज्जुद के लिए था या तरावीह के लिए था? जब इस बात की कोई तफ़सील इस हदीस में नहीं है, तो अह्ले हदीस सहिबों ने क़ियामत तक आठ ही रक्अत तरावीह पढ़ने का फ़ैसला कैसे कर लिया और कौन-सी सही हदीस की रोशनी में किया?

हदीस – साइब बिन यज़ीद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने रमज़ानुल मुबारक के महिने में सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम और ताबईने अ़िज़ाम रह० को बीस रक्अत तरावीह और एक रक्अत वित्र पढ़ाने के लिए हज़रत उबई बिन कअब् रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु अन्हु को मुकर्रर फ़रमाया था। ये लोग दो-दो सौ आयतों वाली सूरतें पढ़ा करते थे और फ़ज्र होने से कुछ पहले वापस लौटते थे।

हवाला– मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक बिन हुमाम, जिल्द 4, पृ० 260, रमज़ान में क़ियाम का बाब। (बैरूत में छपी)

हदीस – दूसरी रिवायत में है कि हज़रत साइब बिन यज़ीद रज़ियल्लाहु अन्हु ख़ुद बयान करते हैं कि हम लोग ख़िलाफ़ते फ़ारूक़ी में तरावीह पढ़ कर फ़ज्र होने से कुछ पहले वापस होते थे और फ़ारूक़ी ख़िलाफ़त में तेईस रक्अत तरावीह पढ़ी जाती थी।
(बीस रक्अत तरावीह और तीन रक्अत वित्र।)

हवाला– मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक बिन हुमाम, जिल्द 4, पृ० 261, रमज़ान में क़ियाम का बाब। (बैरूत में छपी)

साइब बिन यज़ीद रज़ियल्लाहु अन्हु की किस रिवायत पर आप अमल करेंगे? ग्यारह रक्अत वाली रिवायत पर या तेईस रक्अत वाली रिवायत पर? ग्यारह रक्अत वाली रिवायत में न तो तरावीह का ज़िक्र है और न रमज़ान का ज़िक्र है और तेईस रक्अत वाली रिवायत में रमज़ानुल मुबारक का भी ज़िक्र है और तरावीह का भी ज़िक्र है, साथ ही तेईस रक्अत वाली रिवायत की तस्दीक़ दूसरी अनगिनत रिवायतें भी कर रही हैं।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने पूरे महीने में सिर्फ़ तीन रात जमाअत से तरावीह पढ़ी है, जो सही हदीसों से साबित है। पूरा महीना जमाअत से तरावीह का पढ़ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का न अमल है और न हुक्म। यह अमल और हुक्म हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का है। फिर सही हदीसों को छोड़ कर अह्ले हदीस हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के क़ौल पर क्यों अमल करते हैं?

अगर हम सिहाहे सित्ता की किताबों से हट कर दलील लेते हैं, तो आप इन को बिदअत क़रार देते हैं और आप लोग सिहाहे सित्ता की किताबों से हट कर किसी और किताब से दलील लें तो इस को सुन्नते मुअक्कदा समझते हैं। यह कौन-सा इंसाफ़ है?

हदीस – हज़रत कअब् बिन अम्र यमानी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने गरदन का मसह फ़रमाया सर के मसह के साथ।

हवाला– 1. कबीरी मनीयतुल मुसल्ली की शरह, जिल्द 1, पृ० 21, वुज़ू का बयान,

2. शरहे नक़ाया, जिल्द 1, पृ० 9, वुज़ू का बयान,

यह ऊपर वाली हदीस तबरानी के हवाले से लिखी है, उस को तो अह्ले हदीस बिदअत बतलाते हैं और खुद किसी के क़ौल पर अमल करें, तो उस को सुन्नत समझें।

गरदन का मसह हनफ़ीया के नज़दीक मुस्तहब है और अह्ले हदीस इस को बिदअत कहते हैं, हालांकि गरदन के मसह की दलील हदीस से मिल रही है।

वुज़ू में गरदन का मसह मुसतहब है और वह दोनों हाथों के पीछे से करना चाहिए।

हवाला- फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 1, पृ० 9, तहारत का बयान।

मुअत्ता इमाम मालिक और बैहक़ी की रिवायत है कि 'साइब बिन यज़ीद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ग्यारह रकअत जमाअत से पढ़ने का हुक्म दिया, इसको अह्ले हदीसों ने दिल व जान से क़ुबूल कर लिया और सुन्नते मुअक्कदा क़रार दे दिया और सही मुस्लिम शरीफ़ में और अबूदाऊद शरीफ़ में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं कि आपने एक मज्लिस की तीन तलाक़ को तीन समझा, उस को क्यों नहीं मानते? यह नफ़्सानियत और ज़िद नहीं तो और क्या है?'

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मुबारक दौर में हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की ख़िलाफ़त में और दो साल तक हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की ख़िलाफ़त में एक साथ तीन तलाक़ें देने को एक तलाक़ ख़्याल किया जाता था। उस के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, जिस काम में लोगों को देर करनी चाहिए थी, वे उस में जल्दी करने लगे हैं (यानी हर हैज़ के बाद एक-एक तलाक़ देनी चाहिए थी, लोग एक साथ तीन तलाक़ देने लगे हैं) तो हम क्यों न इस को लागू कर दें? चुनांचे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने लागू कर दिया (यानी शरीअत के हुक्म के मुताबिक़ तीन तलाक़ एक साथ देने पर तीनों के पड़ जाने का एलान फ़रमा दिया।)

हवाला- 1. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 240, हदीस 1500, बाब 477, किताबुत्तलाक़,

2. अबूदाऊद शरीफ़, जिल्द 2, पारा 13, पृ० 177, हदीस 432, बाब 138,

इस रिवायत से मालूम होता है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सहाबा के मज्में में तीन तलाक़ों को लागू करने का एलान फ़रमाया था, लेकिन न उस वक़्त, न उस के बाद कभी सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम में से किसी ने इस से इख़्तिलाफ़ ज़ाहिर किया। अब क्या यह सोचा जा सकता है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सुन्नत के ख़िलाफ़ किसी काम का फ़ैसला कर सकते थे? और सारे सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम उस पर ख़ामोशी अपना सकते थे?

यह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वह हस्ती हैं, जिनकी सच्चाई और हक़परस्ती की तस्दीक़

व ताईद बार-बार क़ुरआन करीम कर चुका है।

हदीस - हज़रत आमिर शाबी रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि मैंने हज़रत फ़ातमा बिन्त क़ैस रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा कि तुम अपने तलाक़ का वाक़िआ बयान करो। उन्होंने कहा कि जब मेरा शौहर यमन को जाने लगा, तो उसने मुझ को तीन तलाक़ें दे दीं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उस को जायज़ रखा।

हवाला- 1. इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 309, हदीस 2047, एक ही बार तीन तलाक़ें देने का बयान,

2. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 233, हदीस 1083, अबवाबुत्तलाक़।

हज़रत फ़ातमा बिन्त क़ैस रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आयी और मैंने बयान किया कि मैं आले खालिद की बेटी हूं और फ़्लां की बीवी हूं और उसने मुझ को तलाक़ कहला भेजी है और मैं उस के लोगों से नफ़्क़ा (रोटी-कपड़ा) और रहने के लिए घर मांगती हूं, वे इंकार करते हैं। मर्द की तरफ़ के लोगों ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! इस के ख़ाविंद ने इस को तीन तलाक़ें कहला भेजा हैं। आपने फ़रमाया, नफ़्क़ा यानी खर्च और रहने की जगह उस औरत को मिलती है, जिस औरत से मर्द रुजूअ़ कर सके (और तीन तलाक़ के बाद रुजूअ़ नहीं कर सकता) तो नफ़्क़ा भी नहीं मिलेगा।

हवाला- नसई शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 354, तीन तलाक़ का बयान,

हदीस - हज़रत फ़ातमा बिन्त क़ैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, जिस औरत को तीन तलाक़ें दी गयी हों, उस को मर्द की तरफ़ से न घर दिया जाए, न नफ़्क़ा।

हवाला- नसई शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 345, तीन तलाक़ का बयान,

हदीस - तलाक़ देना हो तो इद्दत तक के लिए तलाक़ दो यानी एक ही वक़्त में तीन तलाक़ देकर हमेशा के लिए अलगाव के लिए तलाक़ न दे बैठो, बल्कि एक या हद से हद दो तलाक़ें देकर इद्दत तक इन्तज़ार करो, ताकि इस मुद्दत में हर वक़्त तुम्हारे लिए रुजूअ़ की गुंजाइश बाक़ी रहे और अगर कोई तीन तलाक़ें देगा तो तीन ही पड़ेंगी और उस पर वह औरत हराम हो जाएगी।

हदीस - हज़रत महमूद बिन लबीद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, ख़बर दी गयी हुज़ूर सल्लमल्लाहु अलैहि व सल्लम को किसी आदमी की कि उसने तलाक़ दी अपनी औरत को तीन तलाक़ एक ही वक़्त में। यह सुन कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खड़े हो गए और गुस्से में फ़रमाने लगे, क्या अल्लाह की किताब से खेल होता है? हालांकि मैं अभी तुम में मौजूद हूं। यह बात सुन कर एक आदमी खड़ा हुआ और कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल

सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! मैं उस को क़त्ल कर डालू?

हवाला- 1. नसई शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 352, इकट्ठी तीन तलाक देने पर ग़ुस्से का बयान,
2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 513, हदीस 3129, तलाक़ का बयान।
3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 3, पृ० 188, तलाक़ का बयान,

इमाम अबू हनीफ़ा रह० के नज़दीक तीन तलाकें इकट्ठी देनी हराम व बिदअ़त हैं। चुनांचे इस हदीस से भी मालूम होता है कि तीन तलाकें इकट्ठी देना हराम है। इसलिए कि आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नहीं ख़फ़ा होते थे, मगर साथ करने गुनाह के और इमाम शाफ़ई रह० के नज़दीक तीन तलाकें इकट्ठी देना बेहतर नहीं है और फ़ायदा अलग-अलग तलाकें देने में यह है कि शायद बाद तलाक के अल्लाह तआला ख़ाविंद के दिल को फेर दे, बीवी की तरफ़ और वह रुजूअ़ कर ले और इख़्तिलाफ़ किया है उलेमा ने उस आदमी के हक़ में कि कहे अपनी बीवी को तुझको तीन तलाक है पस कहा मालिक रह० और शाफ़ई रह० और अबू हनीफ़ा रह० और अहमद रह० और अक्सर उलेमा ने कि तीन तलाकें पड़ती हैं।

हवाला- मज़ाहिरे हक़, जिल्द 3, पृ० 188, तलाक़ का बयान।

कोई इंसान अपनी जहालत से या ग़ुस्से की वजह से एक ही महफ़िल में एक ही साथ तीन लताकें देगा, तो तीनों पड़ जाएंगी और वह औरत उस के क़ब्जे से बाहर हो जाएगी और मर्द गुनाहगार होगा, इसलिए कि अल्लाह तआला ने जो आसानी उस को दी थी, उस का उस ने इस्तेमाल नहीं किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ग़ुस्से में आने की वजह यही थी। अगर तीन तलाकें देने पर एक ही तलाक़ पड़ती हो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ग़ुस्से में हरगिज़ न आते।

हदीस - मालिक रह० कहते हैं, उन को मालूम हुआ कि एक आदमी ने अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि मैंने अपनी बीवी को सौ तलाकें दी हैं। आप मेरे बारे में क्या हुक्म देते हैं? हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, तेरी तीन तलाकें पड़ गयीं और तेरी बीवी तुझ से अलग हो गयी और सत्तान्वे तलाकों से तूने अल्लाह की आयतों का मज़ाक उड़ाया।

हवाला- 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 513, हदीस 3130, तलाक़ का बयान।
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 3, पृ० 188, तलाक़ का बयान।

हदीस - एक रिवायत में है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, जब कोई इस क़िस्म का तलाक़ का मस्अला पूछता, तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते, अगर तू ने अपनी बीवी को एक या दो तलाकें दी हैं, तो आं-हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उस के बारे में मुझ को यह हुक्म दिया है (यानी उस को वापस अपने पास रख सकता है) और अगर तू ने तीन तलाकें दे दी हैं तो वह औरत तुझ पर हराम

हो गयी है और तूने औरत को तलाक़ देने के मामले में ख़ुदा के हुक्म की नाफ़रमानी की है।

हवाला- सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 240, हदीस 1499, बाब 276, किताबुत्तलाक़।

साइब बिन यज़ीद रज़ियल्लाहु अन्हु से रुत्बे और इल्म में, साथ ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की क़ुर्बत की वजह से भी हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बहुत बढ़े हुए हैं और हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के साहबज़ादे होते हैं और मुअत्ता इमाम मालिक और बैहक़ी से सही मुस्लिम शरीफ़ और अबू दाऊद शरीफ़ का रुत्बा दर्जे में कहीं ज़्यादा है, फिर यह कौन-सी ईमानदारी है कि साइब बिन यज़ीद रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत ग्यारह रक्अत वाली जो मुअत्ता इमाम मालिक और बैहक़ी में है, उस को तो क़ुबूल कर लिया जाए और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत, जो मुस्लिम शरीफ़ और अबू दाऊद शरीफ़ में तीन तलाक़ों को तीन ही मानने के बारे में है, उस को रद्द कर दिया जाए, यह हठधर्मी नहीं तो और क्या है।

हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ये तीनों वे लोग हैं, जिन का फ़त्वा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की मुबारक ज़िंदगी में चलता था।

बड़े रंज और अफ़सोस की बात है कि अह्ले हदीस हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के क़ौल और फ़ेल पर अमल करें, तो उस को सुन्नत समझें और अगर हम लोग हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के क़ौल और फ़ेल पर अमल करें, तो उस पर एतराज़ करें या बिद्अत समझें, यह ज़िद नहीं तो और क्या है?

आठ रक्अत तरावीह जमाअत के साथ पूरा महीना पाबंदी के साथ पढ़ना और हर साल पढ़ते रहना उस के लिए कोई हदीस नहीं है, बल्कि सिर्फ़ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का क़ौल है और उस क़ौल में यह पता नहीं चलता कि यह हुक्म कितने दिनों के लिए था, उसको तो अह्ले हदीस ने दिल व जान से मान लिया और क़ियामत तक के लिए मान लिया और हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में दूसरी अज़ान की जो शुरूआत हुई है और आज चौदह सौ साल हुए, बराबर होती आ रही है और आज भी मदीना तय्यबा और मक्का मुअज़्ज़मा में हो रही है, जिन को चारों मसलक वालों ने मान लिया, हज़ारों में नहीं, बल्कि लाखों मस्जिदों में हर जुमें को दूसरी अज़ान हो रही है, उस को अह्ले हदीस क्यों नहीं मानते?

क़ुरआन करीम की सूरतों की मौजूदा तर्तीब जो इस वक़्त मौजूद है, वह हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में दी गयी है, उस को तो अह्ले हदीस ने मान लिया, हालांकि उस के बारे में कोई हदीस नहीं है और हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में

जुमा की दूसरी अज़ान की शुरूआत हुई, उस को क्यों नहीं मानते? क्या इसी का नाम इंसाफ़ है कि एक बात को तो बग़ैर हदीस की दलील के मान लिया जाए और दूसरी बात के लिए हदीस की मांग की जाए, यह कौन सी दयानतदारी है?

तरावीह की बीस रक्अतों के बारे में सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के इज्माअ और उम्मत के इज्माअ को नज़रअन्दाज़ कर के सबूत के लिए हदीस की मांग करना अगर सही है, तो फिर हम पूछेंगे कि क़ुरआन करीम की सूरतों की मौजूदा तर्तीब किसी हदीस में है तो हमें बतलाई जाए और अगर नहीं है तो अह्ले हदीस ने इस को कैसे मान लिया?

अह्ले हदीस हर बात के लिए हदीस की मांग करते हैं और क़ुरआन करीम के पारे और एराब और सूरतों की जो मौजूदा तर्तीब किताबी शक्ल में मौजूद है, वह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में दी गयी है और एराब तो हज्जाज बिन यूसुफ़ ने लगवाए हैं, उसके लिए न तो सही हदीस है और न तो कमज़ोर हदीस है, फिर अह्ले हदीस ने क़ुरआन करीम की तर्तीब को किताबी शक्ल में कैसे मान लिया और कौन-सी हदीस की रोशनी के तहत मान लिया।

इन सवालों का जवाब आप हदीसों से दें, अक्ली दलीलों से न दें, क्योंकि आप अह्ले हदीस होने के दावेदार हैं और तक्लीद को मानते नहीं हैं। हर एक के जवाब में एक-एक हदीस से जवाब दें और अगर हदीसें नहीं हैं, तो ज़िद से तौबा कर लें और नफ़्सानियत को छोड़ दें।

हम को समझाने के लिए फ़िक्ह की किताबों का आप सहारा बिल्कुल न लें, क्योंकि आप जिस चीज़ को मानते नहीं, उस चीज़ का सहारा लेना आप की शान के ख़िलाफ़ है। इस लिए आप हम को हदीसों ही से समझाएं और सही हदीसों से समझाएं।

हम लोग तक्लीद वाले हैं। हम जिन-जिन बुज़ुर्गों को मानते हैं, उन्होंने जिन-जिन बातों को हमें दलीलों से समझाया है, हमने मान लिया, लेकिन आप लोग अपने आप को अह्ले हदीस कहते हैं और हम आप से हदीसों से ही समझना चाहते हैं। आप मेहरबानी कर के हम को हदीसों से ही समझाएं, क़ियासी या अक़्ली दलीलों से न समझाएं और हमारा मसलक भी हम को यही नसीहत करता है।

'जब कोई हदीस सही मिल जाए और मज़हब उस के ख़िलाफ़ हो तो उस हदीस पर अमल किया जाएगा और यही मज़हब क़रार दिया जाएगा और उस पर अमल करने से हनफ़ी मज़हब होने से तक्लीद करने वाला बाहर नहीं हो जाएगा, क्योंकि इमाम आज़म रह० से सही रिवायत आयी है कि जब कोई हदीस सही मिल जाए, तो वही मेरा मज़हब है।

हवाला- फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 1, पृ० 120, मुक़दमे में।

मुअत्ता इमाम मालिक और बैहक़ी ने साइब बिन यज़ीद रज़ियल्लाहु अन्हु से जो ग्यारह रक्अत हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की है, वह तो अह्ले हदीस साहिबों के लिए

ताकीदी सुन्नत हो गयी और इसी मुअत्ता इमाम मालिक और बैहक़ी ने यज़ीद बिन रोमान रह० से रिवायत की कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में लोग रमज़ान में तेईस रक्अतें पढ़ा करते थे। बीस रक्अत तरावीह और तीन वित्र, जिन पर जम्हूर उलेमा-ए-किराम अमल कर रहे हैं, उसको तो बिद्अत समझें या एतराज़ करें, यह ज़िद नहीं तो और क्या है?

हवाला बाब 224, रमज़ान की तेईस लम्बी क़िरात वाली रक्अतें।

इमाम मालिक रह० यज़ीद बिन रोमान रह० से रिवायत करते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में लोग रमज़ान में तेईस रक्अतें पढ़ा करते थे।

हवाला- 1. मुअत्ता इमाम मालिक, पृ० 142, बयान 363, बाब 224,
2. किताबुस्सुननिल कुबरा (बैहक़ी), जिल्द 2, पृ० 497, किताबुस्सलात, रमज़ान में तरावीह की रक्अतों की तायदाद का बयान।

तरावीह की बीस रक्अतें और वित्र की तीन रक्अतें ये दोनों मिल कर तेईस होती हैं, ग्यारह महीनों में वित्र की जमाअत नहीं होती। वित्र की जमाअत सिर्फ़ रमज़ानुल मुबारक में तरावीह की जमाअत के साथ होती है। इस लिए वित्र को मिला कर तेईस रक्अतों का बयान हो रहा है।

हदीस - हज़रत उबई बिन कअब् रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन को हुक्म फ़रमाया कि रमज़ान की रात में लोगों को तरावीह पढ़ाएं और यह भी इर्शाद फ़रमाया कि आम लोग दिन को रोज़ा रखते हैं और क़ुरआन की क़िरात को नहीं जानते, अगर तुम उन को रमज़ान की रात में तरावीह में क़ुरआन सुनाओ तो बहुत अच्छा होगा। हज़रत उबई बिन कअब् ने अर्ज़ किया, ऐ अमीरुल मोमिनीन ! यह ऐसा अमल है, जो इस से पहले नहीं था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इर्शाद फ़रमाया, हां मैं यह बात जानता हूं, लेकिन यह अमल बहुत अच्छा होगा, फिर हज़रत उबई बिन कअब् रज़ियल्लाहु अन्हु ने लोगों को बीस रक्अत तरावीह पढ़ाई।

हवाला- कंज़ुल उम्माल, जिल्द 8, पृ० 409, हदीस 23471 ।

हदीस - यजीद बिन ख़सीफ़ा रह० कहते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की ख़िलाफ़त में रमज़ान की तरावीह बीस रकअत पढ़ा करते थे और लगभग दो-दो सौ आयतों वाली सूरतें पढ़ा करते थे और हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु की ख़िलाफ़त के दौर में लंबी क़िरात की वजह से अपने डंडे का सहारा ले लिया करते थे।

हवाला- किताबुस्सुननिल कुबरा (बैहक़ी), जिल्द 2, पृ० 497, किताबुस्सलात, बाब रमज़ान में तरावीह की रक्अत की तायदाद का बयान।

हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने रमज़ान में क़ारियों को तलब फ़रमाया और हुक्म दिया

कि इन में से एक लोगों को बीस रक्अत नमाज़ पढ़ाए।

हवाला- किताबुस्सुननिल कुबरा (बैहक़ी), जिल्द 2, पृ० 497, किताबुस्सलात, बाब रमज़ान में तरावीह की रक्अतों की तायदाद का बयान।

शतीर बिन शक्ल, जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के तरफदारों में से थे, रमजान के महीने में लोगों को बीस रक्अतें तरावीह और तीन रकअत वित्र पढ़ाया करते थे।

हवाला- अस्सु-न-नुल कुबरा (बैहक़ी), जिल्द 2, पृ० 497, किताबुस्सलात, बाब रमज़ान में तरावीह की रक्अतों का बयान।

हज़रत अबुल हसनात रह० कहते हैं कि हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक आदमी को हुक्म दिया कि वह लोगों को पांच तर्वीहा से बीस रक्अत नमाज़ पढ़ाए।

हवाला- किताबुस्सुननिल कुबरा (बैहक़ी), जिल्द 2, पृ० 497, किताबुस्सलात, बाब रमजान में तरावीह की रकअतों का बयान।

ज़ैद बिन अली रह० अपने बाप अली ज़ैनुल आबदीन रज़ियल्लाहु अन्हु से बयान करते हैं और वह अपने बाप इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से और वह अपने बाप हज़रत अली बिन अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु से नकल करते है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस आदमी को हुक्म दिया था, जो रमज़ान के महीने में लोगों को तरावीह पढ़ाया करता था कि वह लोगों को बीस रक्अत तरावीह पढ़ाये और हर दो रक्अत के बाद सलाम फेर दे और हर चार रक्अत के बाद रुके, ताकि ज़रूरत वाला अपनी ज़रूरत से फ़ारिग़ हो जाए और वुज़ू करने वाला वुज़ू कर ले और यह भी हुक्म दिया कि तरावीह के बाद लोगों को वित्र की नमाज़ पढ़ाए।

हवाला- किताब मुस्नद इमाम ज़ैद, पृ० 158, बाब अल-क़ियाम फ़ी शह्रे रमज़ान, इब्ने तैमिया रह० का फ़त्वा।

हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में उबई बिन कअब् रज़ियल्लाहु अन्हु लोगों को बीस रक्अत तरावीह पढ़ाते थे और उस के बाद वित्र की नमाज़।

हवाला- फ़त्वा इब्ने तैमिया रह० न० 1, पृ० 148, प्रिंट मिस्र अरबी।

हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने रमज़ान में क़ारियों को तलब फ़रमाया और हुक्म दिया, इन में से एक लोगों को बीस रक्अत नमाज़ पढ़ाए।

हवाला- मिन्हाजुस्सुन्नः इब्ने तैमिया, जिल्द 4, पृ० 224, प्रिंट मिस्र अरबी।

अल्लामा इब्ने तैमिया रह० ने रिवायत नकल की है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु दुआ किया करते थे, ऐ अल्लाह ! उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की क़ब्र को नूर से भर दे, जैसा कि उन्होंने हमारी मस्जिदों को तरावीह की नमाज़ से मुनव्वर कर दिया।

हवाला- हाशिया मुअत्ता इमाम मालिक, पृ० 140 ।

हज़रत इस्माईल बिन अब्दुल मलिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हज़रत सईद बिन जुबैर रह० (मशहूर ताबई) रमज़ानुल मुबारक में हम को तरावीह में क़ुरआन पाक क़िराते हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, क़िराते हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु के मुताबिक़ सुनाया करते थे और पांच तर्वीहा (बीस रक्अतें) तरावीह पढ़ते थे।

हवाला- मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़ बिन हुमाम रह० जिल्द 4, पृ० 266, क़ियामे रमज़ान का बयान, प्रिंट बैरूत।

यह्या बिन सईद रह० कहते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक आदमी को हुक्म फ़रमाया कि वह लोगों को बीस रक्अत तरावीह पढ़ाए।

हवाला - मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा, जिल्द 2, पृ० 392, किताबुस्सलात, रमज़ान में कितनी रक्अत पढ़नी चाहिए।

नाफ़ेअ़ बिन उमर रह० कहते हैं कि इब्ने अबी मुलीका रज़ियल्लाहु अन्हु रमज़ान में हम लोगों को बीस रक्अत पढ़ाते थे।

हवाला - मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा, जिल्द 2, पृ० 392, किताबुस्सलात, रमज़ान में कितनी रक्अत पढ़नी चाहिए।

हसन बिन अब्दुल अज़ीज़ रह० कहते हैं कि हज़रत उबई बिन कअब रज़ियल्लाहु अन्हु रमज़ान में लोगों को शहर मदीना में बीस रक्अत तरावीह और तीन रक्अत वित्र पढ़ाया करते थे।

हवाला - मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा, जिल्द 2, पृ० 392, किताबुस्सलात, रमज़ान में कितनी रक्अत पढ़नी चाहिए।

अबू इसहाक़ रह० कहते हैं कि हारिस रह० रमज़ान की रात में लोगों को बीस रक्अत तरावीह और तीन रक्अतें वित्र पढ़ाया करते थे और वित्र में रुकूअ से पहले क़ुनूत पढ़ा करते थे।

हवाला - मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा, जिल्द 2, पृ० 392, किताबुस्सलात, रमज़ान में कितनी रक्अत पढ़नी चाहिए।

शतीर बिन शकल, जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के तरफ़दारों में से थे, रमज़ान के महीने में लोगों को बीस रक्अत तरावीह और तीन रक्अत वित्र पढ़ाया करते थे।

हवाला - मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा, जिल्द 2, पृ० 392, किताबुस्सलात, रमज़ास में कितनी रक्अत पढ़नी चाहिए।

हज़रत अबुल हसनात रह० कहते हैं कि हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक आदमी को हुक्म दिया कि वह लोगों को पांच तरवीहा से बीस रक्अत नमाज़ पढ़ाये।

हवाला - मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा, जिल्द 2, पृ० 392, किताबुस्सलात, रमज़ान में कितनी रक्अत पढ़नी चाहिए।

हज़रत दाऊद बिन क़ैस रह० कहते हैं, मैंने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रह० की ख़िलाफ़त के ज़माने में और हज़रत अब्बान बिन उस्मान रह० की ख़िलाफ़त के ज़माने में मदीना तैयिबा के अन्दर लोगों को बीस रक्अत तरावीह और तीन रक्अत वित्र पढ़ते देखा है।

हवाला – मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा, जिल्द 2, पृ० 393, किताबुस्सलात, रमज़ान के महिने में कितनी रक्अत पढ़नी चाहिए।

हज़रत अबुल बख़्तरी रह० रमज़ानुल मुबारक में पांच तरवीहा (बीस रक्अत) और तीन रक्अत वित्र पढ़ा करते थे।

हवाला – मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा, जिल्द 2, पृ० 393, किताबुस्सलात, रमज़ान में कितनी रक्अत पढ़नी चाहिए।

हज़रत अता रह० फ़रमाते हैं कि मैं ने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन और ताबईन रह० को रमज़ान में 23 रक्अत तरावीह वित्र के साथ पढ़ते देखा है।

हवाला – मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा, जिल्द 2, पृ० 393, किताबुस्सलात, रमज़ान में कितनी रक्अत पढ़नी चाहिए।

सईद बिन उबैद रह० कहते हैं कि हज़रत अली बिन रबीआ रह० रमज़ानुल मुबारक में लोगों को पांच तर्वीहा (बीस रक्अत) तरावीह और तीन रक्अत वित्र पढ़ाया करते थे।

हवाला – मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा, जिल्द 2, पृ० 393, किताबुस्सलात, रमज़ान में कितनी रक्अत पढ़नी चाहिए।

हदीस – अबुल हसनात रह० कहते हैं कि हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक आदमी को हुक्म दिया कि वह रमज़ान में लोगों को पांच तरवीहों में बीस रक्अत नमाज़ पढ़ाये।

हवाला – कंज़ुल उम्माल, जिल्द 8, पृ० 409, हदीस 23474, (हल्ब प्रिंट)

अब ऐसी रिवायतें, जिन में ज़िक्र हो कि आठ रक्अत तरावीह और तीन वित्र हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जमाअत से या बग़ैर जमाअत के पढ़ी हैं और आप के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी इसी तरह पाबंदी के साथ पढ़ी हैं और अलग-अलग रिवायत करने वालों से रिवायत हो और उस में बिल्कुल साफ़ लफ़्ज़ हों, जिस तरह बीस रक्अत के लफ़्ज़ तरावीह के उन्वान से मौजूद हैं, तो मेहरबानी कर के वे इबारतें, चाहे सिहाहे सित्ता की किताबों से हों या ग़ैर-सिहाहे सित्ता की किताबों से, हमें लिख भेजें, हम आप का एहसान मानेंगे।

बीस रक्अत तरावीह और तीन वित्र की दलील हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मिल रही है और जमाअत के साथ पढ़ने की दलील हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने से मिल रही है और हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु

के दौर से भी मिल रही है और अलग-अलग रिवायत करने वालों से मिल रही है और आज भी मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा दोनों जगह बीस रक्अत तरावीह तीन वित्र के साथ पढ़ी जा रही है, उस पर अमल नहीं करना, बल्कि उल्टा एतराज़ करना यह हठधर्मी नहीं तो और क्या है?

इसी तेईस रक्अत पर अमल हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में होता रहा, उस के बाद हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु ख़लीफ़ा हुए और आप के ज़माने में उसी 23 रक्अत पर अमल होता रहा, इस के बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़माना आया। तब भी इसी तेईस रक्अत तरावीह पर अमल होता रहा और आज लगभग चौदह सौ साल हो चुके, मदीना तैयिबा में इसी तेईस रक्अत तरावीह पर बराबर अमल हो रहा है और मक्का मुअज़्ज़मा में भी 23 रक्अत तरावीह पर ही अमल हो रहा है। इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई और इमाम हंबल रह०, ये चारों इमाम और इन चारों इमामों के मानने वाले करोड़ों की तायदाद में मख़्लूके ख़ुदा सारी दुनिया में वित्र को मिला कर 23 रक्अत तरावीह पढ़ रहे हैं और अह्ले हदीस जो तायदाद में गिने-चुने हैं, वे आठ रक्अत तरावीह पढ़ रहे है।

ताज्जुब और हैरत की बात तो यह है कि इन आठ रक्अत तरावीह पढ़ने वालों को बीस रक्अत तरावीह पढ़ने वालों पर एतराज है। इस एतराज़ में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु भी आ जाते हैं और मदीना वाले और मक्का वाले भी आ जाते हैं और जम्हूर उलेमा किराम और करोड़ों मुसलमान भी आ जाते हैं। मेरे मोह्तरम किताब पढ़ने वाले! ईमानदारी से बता, यह ज़िद नहीं तो और क्या है ?

रमज़ानुल मुबारक के क़ियाम (यानी तरावीह) के बारे में उलेमा किराम का इख़्तिलाफ़ है। कुछ लोगों की राय यह है कि वित्र के साथ (यानी वित्रों को शामिल कर के) इक्तालीस रक्अतें पढ़ें। मदीने वालों का यही क़ौल है और मदीने में उन का इसी पर अमल है और उलेमा की ज़्यादा तायदाद बीस रक्अतों की क़ायल है, क्योंकि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से ऐसी रिवायतें नकल की गयी हैं, इमाम सूफ़ियान सोरी रह० और इमाम इब्ने मुबारक रह० का यही क़ौल है। इमाम शाफ़ई रह० फ़रमाते हैं कि इस बारे में मैंने अपने शहर मक्का में लोगों को इसी तरह बीस रक्अतें पढ़ते पाया। इमाम अहमद रह० फ़रमाते हैं कि इस बारे में मुख़्तलिफ़ क़िस्म की रिवायतें हैं और उन्होंने इस बात का फ़ैसला नहीं किया कि इन मुख़्तलिफ़ रिवायतों में कौन सी रिवायत एतमाद और भरोसे के लायक़ और अमल के लायक़ हैं। इमाम इसहाक़ रह० फ़रमाते हैं कि हम इक्तालीस रक्अत को अख़्तियार करते हैं, जैसा कि हज़रत उबई बिन कअब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है (रहा यह सवाल कि यह नमाज़ जमाअत से पढ़नी चाहिए या अलग-अलग, तो इस के बारे में वह रिवायत है कि) इमाम इब्ने मुबारक रह०, इमाम अहमद रह० और इमाम इसहाक़ रह० रमज़ान शरीफ़

में (यानी तरावीह में) नमाज़ जमाअत से पढ़ना पसन्द और अख़्तियार करते हैं। (तरावीह की नमाज़ जमाअत से पढ़ना सब के नज़दीक सुन्नत है।)

हवाला - तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 158, हदीस नं० 721, की शरह में तरावीह का बयान।

बहुत से उलेमा ने लिखा है कि तरावीह के मस्नून होने पर अह्ले सुन्नत वल जमाअत का इत्तिफ़ाक़ (इज्माअ) है और अह्ले क़िबला में से राफ़िज़ियों के सिवा कोई फ़िर्क़ा भी इस का इंकार नहीं करता। चारों इमाम रह० यानी इमामे आज़म रह०, इमाम मालिक रह०, इमाम शाफ़ई रह० और इमाम अहमद बिन हंबल रह० सब की फ़िक्ह की किताबें में इस की तशरीह है कि तरावीह की बीस रक्अतें सुन्नते मुअक्कदा हैं, अल-बत्ता इमाम मालिक रह० के नज़दीक मशहूर क़ौल के मुताबिक़ 36 रक्अतें हैं। हंबली फ़िक्ह की मशहूर किताब 'मुग़्नी' में लिखा है कि इमाम अहमद रह० के नज़दीक तर्जीह वाला क़ौल 20 रक्अतों का है और यही मज़हब है सुफ़ियान सोरी रह० और इमाम शाफ़ई रह० का, अल-बत्ता इमाम मालिक रह० के नज़दीक 36 रक्अतें हैं।

इमाम मालिक से नक़्ल किया गया है कि मेरे पास बादशाह का क़ासिद आया कि तरावीह की रक्अतों में कमी की इजाज़त दे दी जाए, मैंने इन्कार कर दिया। इमाम मालिक रह० के शागिर्द कहते हैं कि मदीना तैयिबा में 39 रक्अतें पढ़ी जातीं थीं, यानी छत्तीस तरावीह और तीन वित्र।

औजज़ुल मसालिक में यह बहस तफ़्सील से है। मेरे उस्तादों का इर्शाद है कि मदीना में 36 रक्अतें जो पढ़ी जाती थीं, उन में बीस तरावीह होती थीं, लेकिन हर तरवीहा में उतनी देर ठहरना मुस्तहब है, जितनी देर में चार रक्अत पढ़े, इस लिए वे लोग हर तरवीहा में चार रक्अत नफ़्ल पढ़ लेते थे, इस लिए यह सोलह रक्अत चार बीच के तरवीहों की बढ़ गयीं। बहरहाल यह मालकिया का मसलक है, बाक़ी तीन इमामों के नज़दीक तर्जीह का क़ौल बीस रक्अत ही का है।

हवाला - ख़साइले नबवी, तर्जुमा शमाइले तिर्मिज़ी, पृ० 226, हदीस 10, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की इबादत के ज़िक्र का बयान।

हज़रत दाऊद बिन क़ैस रह० कहते हैं कि मैंने हज़रत उमर बिन अब्दल अज़ीज़ रह० और हज़रत अब्बान बिन उस्मान रह० की ख़िलाफ़त के दौर में मदीना तैयिबा में लोगों को छत्तीस रक्अतें और तीन रक्अत वित्र पढ़ते देखा।

हवाला - मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा रह०, जिल्द 2, पृ० 393, किताबुस्सलात, रमज़ान में कितनी रक्अत पढ़नी चाहिए।

हज़रत दाऊद बिन क़ैस रह० कहते हैं कि अब्बान बिन उस्मान रह० और उमर बिन अब्दुल

अज़ीज़ रह० की ख़िलाफ़त के दौर में मदीना तैयिबा के लोग छत्तीस रक्अत तरावीह और तीन रक्अत वित्र पढ़ा करते थे और मक्का मुकर्रमा में 23 रक्अतें पढ़ा करते थे।

हवाला- फ़त्हुल बारी, शर्हुल बुख़ारी, जिल्द 4, पृ० 220, किताबुस्सलात (अत-तरावीह)।

उम्दतुल क़ारी शरहुल बुख़ारी के मुसन्निफ़ अल्लामा ऐनी रह० ने फ़रमाया कि मक्का वाले हर दो तरवीहा के बीच काबे का तवाफ़ कर के दो रक्अत तवाफ़ की नमाज़ पढ़ा करते थे और पांचवीं तरवीहा के बाद तवाफ़ नहीं करते थे। मदीना तैयिबा के रहने वाले मक्का वालों से बराबरी करने के लिए हर तरवीहे के बाद चार रक्अत नफ़्ल पढ़ा करते थे, इस तरह बीस रक्अत तरावीह के साथ सोलह रक्अतें नफ़्ल ज़्यादा हो गई

हवाला- उम्दतुल क़ारी, शरहुल बुख़ारी, जिल्द 3, पृ० 598।

मुतर्जिम कहता है कि रक्अतों की तायदाद, जबकि अम्रे तौक़ीफ़ी है, तो यक़ीनी तौर पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का बीस पर जमा करना और उबई बिन कअब् रज़ियल्लाहु अन्हु और दूसरे सहाबा रिज़्वानुल्लाहि अलैहिम अज-मईन का क़ुबूल करना इस के बग़ैर न होगा कि यह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से पाया गया है।

हवाला- ऐनुल हिदाया, जिल्द 1, पृ० 563, किताबुस्सलात।

'तरावीह के बयान में और वे पांच तरवीहा होते हैं, हर तरवीहा में चार रक्अतें दो सलामों से होती हैं।

हवाला- फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 1, पृ० 160, नफ़्लों का बयान।

बीस रक्अतों में हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नते क़ौली और फ़ेली और ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन की सुन्नत और मुसलमानों का इत्तिफ़ाक़, ये सब जमा हैं और अगर उसने आठ पर बस की, तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इर्शाद और सुन्नते ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन और मुसलमानों की जमाअत से मुख़ालफ़त ज़रूरी हैं और कम से कम दर्जा इस का बुरा होना है, इसी लिए हज़रत हसन रह० ने इमाम अबू हनीफ़ा से रिवायत किया कि तरावीह का छोड़ना जायज़ नहीं और सदर शहीद रह० ने कहा कि यही सही है। ऐनी रह० ने कहा कि बीस रक्अत हमारा और शाफ़ई रह० और अहमद रह० का मज़हब है और क़ाज़ी रह० ने उस को जम्हूर उलेमा का क़ौल नकल किया है। इब्ने क़ुदामा हंबली ने कहा कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक को हुक्म दिया, जिसने रमज़ान में बीस रक्अतें पढ़ायीं और कहा कि यह इज्माअ् के क़ायम मक़ाम है।

हवाला- ऐनुल हिदाया, जिल्द 1, पृ० 563, किताबुस्सलात।

मेरे मोहतरम पढ़ने वाले! अब आप ही ईमानदारी से बताएं कि ज़्यादा एहतियात किस में हैं, आठ रक्अत तरावीह पढ़ने में या बीस रक्अत तरावीह पढ़ने में?

मुसाफ़े के बयान में

हदीस – हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तशह्हुद सिखाया और मेरा हाथ अपने दोनों हाथों के बीच में लेकर मुसाफ़ा किया।

हवाला – सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 25, पृ० 276, हदीस 1187, इजाज़त लेने का बयान।

'बाब दोनों हाथों' से मुसाफ़ा करने के बयान में और हम्माद बिन ज़ैद रह० ने अब्दुल्लाह बिन मुबारक रह० से दोनों हाथों से मुसाफ़ा किया।

हवाला – सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 25, पृ० 277, इजाज़त लेने का बयान।

इस हदीस में जो मुसाफ़ा का ज़िक्र है और दोनों हाथों से मुसाफ़ा करने के बयान में है, उस को अह्ले हदीस क्यों नहीं मानते, हालांकि इमाम बुख़ारी रह० नु मुसाफ़ा का बाब बांधा है और उसके बाद मुसाफ़े की हदीस को बयान फ़रमाया है। इस के बाद दूसरा बाब दोनों हाथों से मुसाफ़ा करने के बयान में बांधा है। यह किताब हदीसों की तमाम किताबों पर बड़ाई रखती है और इमाम बुख़ारी रह० तमाम हदीस बयान करने वालों में मुमताज़ हैं फिर भी दोनों हाथ से मुसाफ़ा न करना ज़िद नहीं तो और क्या है?

हदीस – हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों के बीच में लेकर जैसे मुझे क़ुरआन की सूरः सिखाया करते थे, यह अत्तहीयात सिखायी–

अत्तहीयातु लिल्लाहि वस्स-ल-वातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलै-क अय्युहन्नबीयु व रह्मतुल्लाहि व ब-र-कातुहू अस्सलामु अलैना व अला अिबादिल्लाहिस्सालिहीन अश्शहदु अल्ला-लाइला-ह इल्लल्लाहु व अश्हदु अन-न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू०

बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 25, पृ० 277, हदीस 1190, इजाज़त का बयान।

इमाम बुख़ारी रह० ने पहले मुसाफ़ा का बाब बांधा है, इस के बाद मुसाफ़ा की हदीसें बयान की हैं, जिन में एक हदीस दो हाथ के मुसाफ़ा की भी है। इस के बाद फिर दो हाथ के मुसाफ़े का बाब बांधा है और दो हाथ से मुसाफ़ा करने वाले बुज़ुर्गों का नाम मुबारक भी लिख दिया है, इस के बाद दो हाथ से मुसाफ़ा करने की हदीस तफ़्सील से बयान कर दी है, इससे बढ़ कर दो हाथ से मुसाफ़ा की और क्या तफ़सील हो सकती है?

मुसाफ़े का बाब बांधने के बाद फिर दो हाथ से मुसाफ़ा करने का बाब बांधने की कोई ज़रूरत ही नहीं रहती, लेकिन इमाम बुख़ारी रह० की यह निहायत ही दयानतदारी है कि आपने

इसी हदीस का मतलब समझाने के लिए दो हाथ से मुसाफ़ा करने का बाब भी बांध दिया, ताकि मख़्लूके ख़ुदा समझ ले कि मुसाफ़ा एक हाथ से नहीं, बल्कि दोनों हाथों से है।

इस हदीस से तशह्हुद का सिखाना भी साबित है और दो हाथ से मुसाफ़ा करना भी साबित है। यही वजह है कि इमाम बुख़ारी रह० ने दो हाथ से मुसाफ़ा करने का बाब बांधने के बाद इस हदीस को बयान फ़रमाया है और अगर इस हदीसे मुबारक से सिर्फ़ तशह्हुद ही सीखना मुराद होता, तो इस हदीस मुबारक को नमाज़ के बाब ही में लाया जाता, मुसाफ़ा के बाब में नहीं, दो हाथों से मुसाफ़ा करने के बाब में इस हदीसे मुबारक को लाना ही मुसाफ़े की दलील है, समझे मेरे भोले भैया।

हमने किताबों से तह्क़ीक़ करने में कोई कमी नहीं की है। सिहाहे सित्ता की जो किताबें हैं, उन में से किसी किताब में भी नहीं देखा कि किसी मुहद्दिस ने एक हाथ से मुसाफ़ा करने का बाब बांधा हो और बाब बांधने के बाद एक हाथ से मुसाफ़ा करने की हदीस भी बयान की हो, अल-बत्ता एक हाथ से बैअ़त करने की हदीसें मिलती हैं और वह किताबुल बैअ़त के बाब में हैं, न कि मुसाफ़ा के बाब में, बैअ़त एक हाथ से होती है और मुसाफ़ा दोनों हाथों से होता है, बैअ़त हर रोज़ नहीं होती और न बार-बार होती है और मुसाफ़ा रोज़ाना होता है और एक दिन में कई-कई बार भी हो सकता है।

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मेरे हाथ को अपने दोनों हाथों के बीच में लेकर मुसाफ़ा किया। दोनों हाथों से मुसाफ़ा करने की इस से ज़्यादा क्या खुली दलील मिल सकती है।

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत बयान फ़रमा रहे हैं कि आपने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों के बीच में लेकर मुसाफ़ किया। आप किसी से दोनों हाथों से मुसाफ़ा करेंगे, तो सामने वाले इंसान का एक हाथ आप के दोनों हाथों के बीच में होगा और सामने वाले इंसान के दोनों हाथों के बीच में आप का एक हाथ होगा और अगर एक हाथ से मुसाफ़ा करेंगे तो इस में ग़ैर-क़ौमों की मुशाबहत होगी।

हदीस – हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, जो आदमी किसी क़ौम की शक्ल अख़्तियार कर ले, वह गोया उसी क़ौम में से है।

हवाला 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 649, हदीस 4128, लिबास का बयान।
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 3, पृ० 536, लिबास का बयान।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ग़ैर-क़ौमों की शक्ल अपनाने को सख़्ती से मना फ़रमाया है और दुनिया की जितनी भी क़ौमें हैं, वे सब की सब क़रीब-क़रीब एक ही हाथ से मुसाफ़ा करती हैं, फिर हम एक हाथ से मुसाफ़ा क्यों करें, जबकि हम को दो हाथ से मुसाफ़ा

करने की दलील मिल रही है।

मदीना तैयिबा में भी दोनों हाथों से मुसाफ़ा होता है और मक्का मुआज़्ज़मा में भी दोनों हाथों से मुसाफ़ा होता है, जहां से दीन सारी दुनिया में फैला है। इन मुबारक जगहों पर दोनों हाथों से मुसाफ़ा होता है। अगर इमाम बुख़ारी रह० की वह रिवायत (अल्लाह की पनाह) ग़लत है, तो इस का मतलब यह होगा कि ये तमाम लोगा जो दोनों हाथों से मुसाफ़ा करते हैं, इस मसअले को समझ नहीं सके और न इमाम बुख़ारी रह० समझ सके, अल्लाह की पनाह।

एक हाथ से मुसाफ़ा करने वाले अह्ले हदीस नमाज़ में सूरः फ़ातिहा पढ़ने और रफ़ा-ए-यदैन करने और तरावीह की दलील सही बुख़ारी से लेंगे और मुसाफ़ा के बारे में सही बुख़ारी से हट कर दूसरी किताबों का सहारा लेंगे, यह हठधर्मी नहीं तो और क्या है?

इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई रह०, इमाम हंबल रह० और इन चारों इमामों के मानने वाले मुसलमान करोड़ों की तायदाद में दोनों हाथों से मुसाफ़ा करते हैं और अह्ले हदीस एक हाथ से मुसाफ़ा करते हैं। ऐ किताब पढ़ने वाले मुह्सिन साहब ! अब आप ही बताएं कि हक़ पर कौन है और ज़िद पर कौन है !

हलाला

क़ुरआन शरीफ़ के दूसरे पारे में सूरः बक़रा के 29 वें रुकूअ में आयत न० 230 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - अगर उस को तलाक़ दे दिया (यानी तीन तलाक़ें, तो) अब उस के लिए हलाल नहीं, जब कि वह औरत उस के सिवा दूसरे से निकाह न कर ले, फिर अगर वह भी तलाक़ दे दे, तो इन दोनों में मेल-जोल कर लेने में कोई गुनाह नहीं, बशर्ते कि यह जान लें कि अल्लाह की हदों को क़ायम रख सकेंगे, ये हैं अल्लाह की हदें, जिन्हें वह जानने वालों के लिए बयान फ़रमा रहा है।

अगर दूसरा शौहर निकाह और वती (सोहबत) के बाद तलाक़ दे दे, तो पहले ख़ाविंद पर फिर उसी औरत से निकाह कर लेने में कोई गुनाह नहीं और यह भी जान लें कि वह दूसरा निकाह सिर्फ़ धोखा और मकर व फ़रेब का न था, बल्कि सच्चाई थी।

हवाला- तफ़्सीर इब्ने कसीर, पारा 2, पृ० 103, सूरः बक़रः के 29 वें रुकूअ की तफ़्सीर में।

हदीस - हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि रिफ़ाआ क़रज़ी की बीवी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया, मैं रिफ़ाआ के निकाह में थी, उसने मुझ को तीन तलाक़ें दे दीं। फिर मैं ने अब्दुर्रहमान बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु से निकाह कर लिया और नहीं है उस के पास (यानी उस का ख़ास अंग) मगर फुंदने की तरह। आपने पूछा, क्या तू फिर रिफ़ाआ के पास जाना चाहती है? उसने

कहा, हां। आपने फ़रमाया, तू उस वक़्त तक रिफ़ाआ से निकाह नहीं कर सकती, जब तक कि अब्दुर्रहमान तेरा मज़ा न चख ले और तू उस से मज़ा न पा ले।

हवाला- मिश्कात शरीफ़ जिल्द 2 पृ० 514 हदीस 3132, तीन तलाक़ों का बयान।

जब तक कि दूसरा शौहर सोहबत न करे, पहले शौहर से निकाह करना हलाल नहीं और यह हदीस मशहूर है, इस पर दलील बनती है कि बीच हलाल होने, औरत के पहले ख़ाविंद के लिए सिर्फ़ निकाह का होना काफ़ी नहीं, बल्कि सोहबत का होना ज़रूरी है और सोहबत करने में अंग का दाख़िल होना काफ़ी है, मनी का गिरना शर्त नहीं।

हवाला- मज़ाहिरे हक़, जिल्द 3, पृ० 189, किताबुन्निकाह।

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हलाला करने वाले और हलाला कराने वाले दोनों पर लानत फ़रमायी है, (यानी एक आदमी ने अपनी बीवी को तीन तलाक़ें दीं, फिर उस ने एक आदमी से कहा कि तू इस से निकाह कर के इस को मेरे लिए हलाल कर दे। इन दोनों आदमियों पर आपने लानत फ़रमायी है।)

हवाला- मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 514, हदीस न० 3133, तलाक़ का बयान।

अगर शर्त हो हलाल करने की जबानी इस तरह कि कहे मर्द उस तलाक़ दी हुई औरत को कि मैं निकाह करता हूं तुझ से इसलिए कि हलाल करूं तुझ को तेरे तलाक़ देने वाले ख़ाविंद के लिए या कहे औरत कि मैं तुझ से निकाह करती हूं इस लिए कि हलाल होऊं मैं अपने ख़ाविंद के लिए, तो यह मक्रूहे तह्रीमी है।

हवाला - मज़ाहिरे हक़, जिल्द 3, पृ० 189, किताबुन्निकाह।

हलाला कराने वाले और हलाला करने वाले इन दोनों आदमियों पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने लानत फ़रमायी है, ताकि लोग तलाक़ देने में जल्दबाज़ी न करें, बल्कि सोचें-समझें और सोच-समझ कर तलाक़ दें, क्योंकि तलाक़ देना बहुत ही बुरी बात है। अगर तलाक़ दना ही है तो एक तलाक़ दे और एक महीना ठहर जाए। इस के बाद दूसरी तलाक़ दे और एक महीना ठहर जाए। हो सकता है कि इस दर्मियान में अल्लाह तआला सुलह की शक्ल पैदा कर दे और दोनों मियां-बीवी के दिल मिल जाएं, क्योंकि दो तलाक़ें देने के बाद भी बीवी को शरीअत के क़ानून के मुताबिक़ अपने पास रख सकता है, लेकिन अगर इद्दत गुज़र चुकी हो, तो निकाह दोबारा पढ़ाना पड़ेगा और अगर तीन तलाक़ें एक ही साथ में दे दी हैं या अलग-अलग कर के दी हैं, तो अब यह औरत मर्द के क़ब्ज़े से निकल जाएगी और उस के लिए हराम हो जाएगी। अब यह मर्द जिसने अपनी बीवी को तीन तलाक़ें दी हैं, अगर औरत को फिर से अपने पास रखना चाहे, तो उस के लिए हलाला शर्त हैं। बग़ैर हलाला के नहीं रख सकता और अगर बग़ैर हलाला के अपने पास उस औरत को रख लेगा तो गुनाहगार

होगा।

हलाला इस को कहते हैं कि तलाक़ देने के बाद जब तीन हैज़ (माहवारी) गुज़र जाए तो उस औरत से कोई दूसरा मर्द निकाह कर ले और उस को अपने पास रखे, हफ़्ता दो हफ़्ता या महीना दो महीना या एक या दो दिन अपने पास रखे और उस औरत से हमबिस्तर भी हो, जब तक हमबिस्तर यानी उस औरत से वती नहीं करेगा, हलाला नहीं होगा, इस के बाद उस औरत को तलाक़ दे दे और वह औरत तीन हैज़ और अगर हैज़ वाली न हो तो तीन महीने घर पर बैठी रहे और अगर हमल है तो बच्चा पैदा होने के बाद उस पहले शौहर से निकाह पढ़ा ले, इसी को हलाला कहते हैं। अगर ज़िना से हमल है तो निकाह हो जाएगा, लेकिन वती जायज़ नहीं।

बेहतर यह है कि बच्चा पैदा हो जाए और निफ़ास की मुद्दत भी ख़त्म हो जाऐ, उस के बाद निकाह पढ़ाए, क्योंकि निकाह पढ़ा लेने के बाद जब औरत उस के पास रहेगी, तो इंसान सब्र नहीं कर सकता और अगर कोई मजबूरी है और निकाह पढ़ाना ही है तो निकाह के बाद उस औरत को अपने पास न रखे, बल्कि उस को अपने मैंके ही में रहने दे या ख़ुद कहीं बाहर गांव चला जाए और जब निफ़ास की मुद्दत भी ख़त्म हो जाए तो बीवी को अपने पास बुलाये या ख़ुद बीवी के पास चला जाए। जिस से हमल है अगर उसी से निकाह हो जाए तो हमबिस्तरी जायज़ है।

समझदार इंसान तो ऐसी हरकत को कभी पसन्द नहीं करेगा कि उस की औरत से कोई दूसरा इंसान हमबिस्तर हो और बाद में उस औरत को वह अपने पास फिर से रखे। इसी को कहते हैं हलाला। इस हलाले में दो बातें हैं-

1. पहली बात तो यह है कि हलाला के लिए किसी मर्द को दोस्तों में से या रिश्तेदारों में से तैयार किया जाता है कि भाई ! तू इस औरत से निकाह पढ़ा ले और बाद में तलाक़ दे दे, ताकि मेरे लिए हलाल हो जाए, तो कुछ जगह ऐसे लोग मिल जाते हैं और उस औरत से निकाह पढ़ा लेते हैं और फ़ौरन ही तलाक़ भी दे देते हैं या एक रात अपने घर पर उस औरत को रख लेते हैं, लेकिन उस औरत को हाथ भी नहीं लगाते कि दोस्त की बीवी है, कौन उस से हमबिस्तर होगा और सुबह को तलाक़ दे देते हैं। तो यह हलाला नहीं हुआ। हलाला के लिए हमबिस्तर होना शर्त है। जब हमबिस्तर नहीं होगा, हलाला सही नहीं होगा। चाहे वह अपने पास उस औरत को एक महीना रखने के बाद भी तलाक़ देगा, जब भी हलाला नहीं होगा और अगर हमबिस्तर होने के बाद तलाक़ दी है, तो हलाला सही हो जाएगा, लेकिन इन दोनों पर यानी हलाला कराने वाले पर और हलाला करने वाले पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने लानत फ़रमायी है, क्योंकि उन लोगों ने पहले ही से तलाक़ दिलवाने का वायदा करा लिया है और अगर कोई इंसान वायदा करा लेने के बाद तलाक़ न दे, तो उस के लिए वह बीवी हमेशा के लिए हलाल रहेगी, क्योंकि कभी-कभी ऐसा हो जाता है, जिन से हलाला कराया जाता है,

वह मर्द उस औरत को भा जाता है और मर्द को औरत पसन्द आ जाती है, फिर वह काहे को तलाक़ दे। अब पहले वाला मर्द हमेशा को रोता रहे, अलबत्ता निकाह पढ़ाने वाले पर वायदाख़िलाफ़ी का जुर्म रहेगा, मगर लानत से बच जाएगा।

2. दूसरी बात यह है कि एक मर्द ने अपनी औरत को तीन तलाक़ दे दी हैं और इद्दत के बाद उस औरत ने किसी दूसरे मर्द से निकाह कर लिया, अब कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद क़ुदरती तौर से इन मियां-बीवी में ना-इत्तिफ़ाक़ी हो गयी और उसने तलाक़ दे दी या क़िस्मत से उस का शौहर मर गया तो अब यह औरत इद्दत गुज़रने के बाद पहले वाले मर्द के लिए हलाल हो गयी, अगर वह निकाह करना चाहे, तो उस औरत से फिर से निकाह कर ले, इस मामले में लानत का हक़दार नहीं बनेगा, क्योंकि उस को उसने तलाक़ देने के लिए कहा नहीं था, बल्कि उस मर्द ने उस औरत को किसी वजह से तलाक़ दी है।

कहीं-कहीं यह भी सुनने में आया है कि एक मुक़ल्लिद ने अपनी बीवी को तीन तलाक़ें दे दी हैं, फिर बग़ैर हलाला किये अपने पास रखना चाहता है, तो चूंकि चारों मसलक में जायज़ नहीं है, इसलिए कहीं-कहीं अह्ले हदीस लोग उस मुक़ल्लिद को समझाते हैं कि तुम ग़ैर-मुक़ल्लिद हो जाओ, तो तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगी, तो ना-समझ और कम इल्म वाले मसलक को बदल देते हैं और उस औरत को बुला लेते हैं और यह समझते हैं कि यह औरत उन के मसलक बदलने से हलाल हो गयी, यह बिल्कुल ग़लत है, नफ़्सानी फ़रेब और शैतानी धोखा है। अल्लाह के वास्ते आप इतना तो सोचें कि आपने तलाक़ तक़्लीद के दायरे में दी है, अब तलाक़ देने के बाद ग़ैर-मुक़ल्लिद होने से क्या फ़ायदा? हालांकि आप तक़्लीद में रहें या ग़ैर-मुक़ल्लिद हो जाएं, तीन तलाक़ देने से तीन ही पड़ जाती हैं, जिन का तफ़्सीली बयान 'जमाअते अह्ले हदीस का चारों इमामों से इख़्तिलाफ़' के बाब में हम कर चुके हैं, अब कोई न माने इस का दुनिया में कोई इलाज ही नहीं।

औरतों को तलाक़ देने के जो अख़्तियार मर्दों को दिये गये हैं, उन को अक़्लमंदी से इस्तेमाल किया जाए, तो घर बिगड़ने से बच सकता है, तलाक़ देकर पछताने की नौबत नहीं आ सकती और मेल पैदा होने का ज़्यादा से ज़्यादा मौक़ा बाक़ी रहता है और अगर आख़िर में अलगाव हो भी जाए तो दोबारा निकाह पढ़ा सकता है, लेकिन अगर कोई आदमी नासमझी में अपने अख़्तियारों को ग़लत तरीक़े से इस्तेमाल कर बैठे, तो वह अपने ऊपर ख़ुद ज़ुल्म करेगा और शरीअत ने उस के लिए जितने रास्ते जायज़ कर रखे थे, वह सब के सब खो बैठेगा। यह बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे एक बाप अपने बेटे को तीन सौ रुपये दे और कहे कि यह तुम्हारी मिल्कियत है, इन को तुम अपनी मर्ज़ी से ख़र्च करने के मुख़्तार हो। अब वह लड़का चाहे तीन महीने में ख़र्च कर डाले या एक मिनट में ख़र्च कर डाले, बहरहाल रक़म तो ख़र्च हो ही जाएगी।

हदीस - हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि शैतान अपना तख़्त पानी (यानी समुद्र) पर बिछाता है और उस पर

बैठ कर अपनी फ़ौजों को हुक्म देता है कि आदमियों में जा कर उन को गुमराह करें और फ़िल्ने में डालें। शैतान की इस जमाअत का छोटा-सा शैतान वह है जो इंतिहा दर्जे का फ़िल्ना पैदा करने वाला हो इनमें से एक शैतान अपने सरदार के पास आकर कहता है कि मैंने ऐसा-ऐसा किया है, यानी ऐसे-ऐसे काम किये। सरदार (शैताने आज़म) कहता है, तू ने कुछ नहीं किया। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि एक और शैतान आता है और कहता है कि मैंने इंसान का पीछा उस वक़्त तक नहीं छोड़ा, जब तक कि उस के और उस की बीवी के बीच जुदाई न डाल दी। आंहजरत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस के बाद फ़रमाया कि (शैताने आज़म) यह सुन कर उस को अपने क़रीब जगह देता है और कहता है, तू ने बहुत अच्छा काम किया। आमश रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मुझ को यह ख़्याल है कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये लफ़्ज कहे हैं 'कि (यह सुन कर शैतान उस को गले से लगा लेता है।')

हवाला - 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 92, हदीस 64, वस्वसे का बयान।

हदीस - हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है, हलाल चीज़ों में ख़ुदा के नज़दीक सब से बुरी चीज़ तलाक़ है।

हवाला - 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 512, हदीस 3118, तलाक़ का बयान,

हदीस - हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है, जो औरत बे-वजह अपने शौहर से तलाक़ चाहे, उस पर जन्नत की गंध हराम है।

हवाला - 1. इब्ने माजा शरीफ़ पृ० 314, हदीस 2078, तलाक़ का बयान।

2. दारमी शरीफ़, पृ० 344, हदीस 2245, बाब 765, तलाक़ का बयान।

पांच बातों का इल्मे ग़ैब

क़ुरआन शरीफ़ के इक्कीसवें पारे में सूरः लुक़्मान के चौथे रुकूअ में, आयत न० 34 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

अल्लाह ही के पास क़ियामत का इल्म है। वही बारिश बरसाता है, और मां के पेट में जो है उसे जानता है और कोई भी नहीं जानता है कि कल क्या कुछ करेगा और न किसी को यह मालूम है कि किस ज़मीन में मरेगा। याद रखो कि अल्लाह ही पूरे इल्म वाला और सही ख़बर वाला है।

हदीस - हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि पांच चीज़ें हैं, जिन को ख़ुदा के सिवा कोई नहीं जानता-

1. जो रहम के अन्दर है (यानी मां के पेट में लड़का है या लड़की) उस को सिवाए ख़ुदा के कोई नहीं जानता।

2. और कल जो कुछ होगा (यानी कल क्या होने वाला है?) उसको सिवाए ख़ुदा के कोई नहीं जानता।

3. और यह कोई नहीं जानता कि बारिश कब होगी?

4. यह कोई नहीं जानता, वह कौन सी जगह मरेगा?

5. और यह सिवाए ख़ुदा के और कोई नहीं जानता कि क़ियामत कब आएगी?

हवाला- 1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 30, पृ० 537, हदीस 2232, तौहीद का बयान।

2. तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 21, पृ० 58, सूर: लुक़्मान के चौथे रुकूअ की तफ़्सीर में।

मेरे प्यारे दोस्त ! अब इल्मे ग़ैब के मस्अलों का बयान हो रहा है, मेहरबानी करके, बग़ैर ग़ुस्सा और ज़िद के इत्मीनान के साथ, दिल के ख़ुलूस से ख़ूब ग़ौर व फ़िक्र और समझदारी के साथ पढ़ना। इन्शाअल्लाहु तआला उम्मीद है कि पूरी हक़ीक़त आप की समझ में आ जाएगी। आपने क़ुरआन करीम में पढ़ लिया कि पांच बातों का इल्मे ग़ैब अल्लाह तआला के सिवा और किसी को नहीं है और सही बुख़ारी शरीफ़ की हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम भी यही फ़रमाते हैं कि इन पांच बातों का इल्म सिवाए ख़ुदा के और किसी को भी नहीं है, फिर भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बहुत-सी बातें आज तक जो हो चुकीं और क़ियामत तक जो होने वाली हैं, वह बता दी हैं और बहुत से अल्लाह के लाल दुनिया में थे और फ़िलहाल भी मौजूद हैं और इन्शाअल्लाहु तआला क़ियामत तक रहेंगे कि कुछ होने वाली बात कह देते हैं।

इल्मे ग़ैब दो क़िस्म का है-एक ज़ाती, दूसरा अताई।

अब जो ज़ाती है, वह सिवाए अल्लाह तआला के और किसी को भी नहीं है वही एक ग़ैब का इल्म रखने वाला है, सिवाए उस के और कोई भी ग़ैब का जानकार नहीं है और जो अताई है वह इत्तिलाअ अलल ग़ैब है, यानी अल्लाह तआला की तरफ़ से बताया हुआ इल्म।

किसी नबी या वली या फ़रिश्ते को हम तो क्या बल्कि धरती पर कोई भी ग़ैब का आलिम नहीं कहेगा और हुज़ूरे पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को भी कोई ग़ैब का आलिम नहीं कहता, क्योंकि यह इल्म आप को बताया गया है, सिखाया गया है। जिस वक़्त जितनी ज़रूरत पड़ी, उतना ही अल्लाह पाक ने बता दिया। अल्लाह तआला के जो ख़ास और मख़्सूस बन्दे हैं, उन को अल्लाह तआला किस तरह से ग़ैब की बातें बताता है, उस का ख़ुलासा क़ुरआन करीम में मौजूद है-

क़ुरआन मजीद के पच्चीसवें पारे में, सूर: शूरा के पांचवें रुकूअ में, आयत न० 51 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – किसी इन्सान का यह मरतबा नहीं कि अल्लाह तआला उस से आमने-सामने बात करे (बल्कि तीन तरह से बात होती है) या तो इल्हाम से, या पर्दे के पीछे से या फ़रिश्ते के ज़रिए से, वह ख़ुदा के हुक्म से ख़ुदा को जो मंजूर होता है, पहुंचा देता है, वह बड़ा ही आलीशान और हिक्मत वाला है।

1. अल्लाह तआला किसी से आमने-सामने बात नहीं करते, बल्कि तीन तरह से बात करते हैं–

1. इल्हाम के ज़रिए से दिल में, कोई बात डाल देना या सपने में कोई बात ज़ाहिर कर देना।

2. परदे के पीछे से। मतलब यह है कि इन्सान एक आवाज़ सुने, मगर बोलने वाला उसे नज़र न आए, जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हुआ कि तूर पर्वत पर एक पेड़ में से आवाज़ तो आ रही है, लेकिन बोलने वाला नज़र नहीं आता।

3. वह्य के ज़रिये, वह्य उस को कहते हैं, जो अल्लाह की तरफ़ से फ़रिश्ता ख़बर लेकर आये।

क़ुरआन करीम के बारहवें पारे में, सूर: हूद के चौथे रुकूअ में, आयत न० 49 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – ये ख़बरें ग़ैब की ख़बरों में से हैं, जिन की वह्य हम तेरी तरफ़ करते हैं। उन्हें इस से पहले न तो तू जानता था और न तेरी क़ौम।

नूह अलैहिस्सलाम के क़िस्से और इसी क़िस्म के गुज़रे हुए वाक़िए वे हैं, जो आप के सामने नहीं हुए, लेकिन वह्य के ज़रिए से हम आप को इन की ख़बर कर रहे हैं और आप लोगों के सामने वे हक़ीक़त इस तरह बयान कर रहे हैं कि गोया उन के होने के वक़्त आप वहां पर मौजूद थे, हालांकि इस से पहले न तो आप को इन बातों की ख़बर थी और न आप की क़ौम में से कोई जानता था।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 12, पृ० 20, सूर: हूद के चौथे रुकूअ की तफ़्सीर में।

जब किसी नबी या वली को कोई बात मालूम करानी हो या कुछ दिखाना हो, तो अल्लाह तआला उसके दिल और आंखों के सामने से पर्दा हटा लेता है, तो वे सारी चीज़ें उस को नजर आने लगती हैं, जितनी अल्लाह तआला बतलाता जाता है, जैसे हम अहमदाबाद में हैं और अल्लाह तआला हम को बम्बई दिखाना चाहता है या हम बम्बई में हैं और कलकत्ता दिखाना चाहे, तो उस के दर्मियान में जितनी भी चीज़ें होती हैं, वे अल्लाह के हुक्म से बीच से हट जाती हैं और वह शहर ऐसा नज़र आता है, गोया हमारे सामने मौजूद है।

हदीस – हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, जब मुझे क़ुरैश ने झुठलाया (और कहा कि आप का मेराज का दावा सही नहीं है और अगर सही है तो बैतुलमक़्दिस के हालात बता दो), तो मैं हजर (हतीम) में खड़ा हो गया। (खाना काबा के पास एक-आधे दायरे की नीची दीवार है, उसे हतीम या हजर कहते हैं, वहां पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खड़े हो गये) अल्लाह तआला ने बैतुलमक़्दिस को मेरे सामने जाहिर कर दिया।) मैं बैतुलमक़्दिस को देख-देख कर उस की निशानियां बताने लगा। उस वक़्त ऐसा मालूम होता था कि गोया मैं बैतुलमक़्दिस को देख रहा हूं।

हवाला– 1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 204, हदीस 991, सूर: बनी इस्राईल की तफ़्सीर।
2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 864, हदीस 5586, मेराज का बयान।
3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 536, मेराज का बयान।

अब वह्य का जो मामला था, वह तो हमारे सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वफ़ात से ख़त्म हो गया। रहीं दो बातें, तो उन के ज़रिए से आज भी अल्लाह तआला अपने प्यारे बंदों को जो बातें बतलाना चाहता है, वह बतला देता है, मगर जानकार तो सिवाए ख़ुदा के और कोई भी नहीं।

आयते करीमा में अल्लाह पाक ने जो फ़रमाया है कि किसी इंसान का यह मक़ाम नहीं कि वह अल्लाह तआला से आमने-सामने बातचीत करे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मेराज वाली रात में अल्लाह तआला को देखा है या नहीं, इस बात में सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का इख़्तिलाफ़ है। कुछ कहते हैं कि देखा है और अक्सर कहते हैं कि नहीं देखा।

हदीस – हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की मुलाक़ात हज़रत कअब् रज़ियल्लाहु अन्हु से हुई और उन्हें पहचान कर उन से एक सवाल किया, जो उन पर बहुत भारी गुज़रा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया, हमें बनू हाशिम ने यह ख़बर दी है, तो हज़रत कअब् रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया, अल्लाह तआला ने अपना दीदार और अपना कलाम हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दर्मियान बांट दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दो बार बातें कीं और आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को दो बार अपना दीदार दिखाया। एक बार हज़रत मस्रूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास गये और पूछा कि क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने रब को देखा है? आपने फ़रमाया, तू ने तो ऐसी बात कह दी, जिस से मेरे रौंगटे खड़े हो गये। मैंने कहा, उम्मुलमोमिनीन! क़ुरआन करीम फ़रमाता है, आपने अपने रब की निशानियां देखीं? आपने फ़रमाया, कहां जा रहे हो, सुनो? इस से मुराद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का देखना है, जो तुम से कहें कि मुहम्मद

सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने रब को देखा या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ख़ुदा के किसी फ़रमान को छिपा लिया या आप इन पांच बातों में से कोई बात जानते थे, यानी क़ियामत कब होगी? बारिश कब और कितनी बरसेगी? मां के पेट में नर है या मादा? कौन कल को क्या करेगा? कौन कहां मरेगा? उसने बड़ी झूठ बात कही और ख़ुदा पर बोहतान बांधा। बात यह है कि आपने जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा था। दो बार ख़ुदा के इस अमीन को आपने उनकी असली शक्ल में देखा है-

1. एक तो सिद्‌रतुल मुन्तहा के पास, और
2. एक बार जिहाद में।

उन के छ: सौ पर थे और आसमान के कुल किनारे उन्होंने भर रखे थे।

हवाला- 1. तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 27, पृ० 24, सूरः नज्म के पहले रुकूअ की तफ़्सीर में।
2. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 251, हदीस 1132, तफ़ासीर में।

इल्मे ग़ैब की दलीलें

हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और फ़रिश्तों के इल्मे ग़ैब की दलील सुनिये-

क़ुरआन मजीद के पहले पारे में, सूरः बक़रः के चौथे रुकूअ में, आयत न० 31-32-33 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा- अल्लाह तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम सिखा कर उन चीज़ों को फ़रिश्तों के सामने पेश किया और फ़रमाया, अगर तुम सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ। उन सब ने कहा, ऐ अल्लाह ! तेरी ज़ात पाक है, हमें तो सिर्फ़ इतना ही इल्म है, जितना तू ने हमें सिखा रखा है। पूरे इल्म व हिक्मत वाला तो तू ही है। अल्लाह तआला ने आदम अलैहिस्सलाम से फ़रमाया, तुम उनके नाम बता दो। जब उन्होंने उन के नाम बता दिये तो फ़रमाया, क्या मैं ने तुम्हें (पहले ही से) न कहा था कि ज़मीन व आसमान का ग़ैब मैं ही जानता हूं।

हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इन्सान, जानवर, ज़मीन, समुन्दर और पहाड़ वग़ैरह के नाम बता कर उन फ़रिश्तों के पास भेजा, जो इब्लीस के साथी थे और उन से फ़रमाया कि अगर तुम इस बात में सच्चे हो कि मैं ज़मीन में ख़लीफ़ा न बनाऊं, तो मुझे जरा इन चीज़ों के नाम बता दो। जब उन फ़रिश्तों ने देखा कि हमारी अगली बात से ख़ुदावन्दे आलम नाराज़ हैं, तो वे कहने लगे कि ऐ अल्लाह ! तू इस बात से पाक है कि तेरे सिवा और कोई ग़ैब को जाने। हमारी तौबा है और इक़रार है कि हम ग़ैब के जानने वाले नहीं। हम तो सिर्फ़ वही जान सकते हैं जो तू हमे सिखला दे, जैसे तूने इन चीज़ों के नाम सिर्फ़ आदम अलैहिस्सलाम

को ही सिखाये हैं। अब अल्लाह तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फ़रमाया कि तुम उन्हें तमाम चीजों के नाम बता दो, चुनांचे उन्होंने बता दिए, तो फ़रमाया, ऐ फ़रिश्तो! क्या मैंने तुम से नहीं कहा था कि आसमान व ज़मीन के ग़ैब को जानने वाला सिर्फ़ मैं अकेला ही हूं और कोई नहीं।

हवाला- तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 1, पृ० 98, सूरः बक़रः के चौथे रुकूअ की तफ़्सीर में।

मेरे अज़ीज दोस्त ! जो बात अल्लाह तआला के बतलाने से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जानते थे, वह बात फ़रिश्ते नहीं जानते थे, क्योंकि फ़रिश्तों को भी इल्मे ग़ैब नहीं था।

आसमानी फ़रिश्ते भी नहीं जानते कि ज़मीन पर अल्लाह तआला क्या कुछ करना चाहता है, जब तक उन को मालूम न करा दिया जाए।

हवाला- तफ़्सीर इब्ने कसीर, पारा 15 पृ० 3, सूरः बनी इस्राईल के पहले रुकूअ की तफ़्सीर में।

बद्र की लड़ाई में एक सहाबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को लड़ाई की मस्लहतों के हिसाब से राय देते हैं, तो उसी वक़्त एक फ़रिश्ता अल्लाह की तरफ़ से अपने हबीब रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में यह हुक्म पहुंचाता है कि इस सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु की राय ठीक है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत जिब्रील से पूछा, आप उसको पहचानते है ! हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि आसमान के तमाम फ़रिश्तों को मैं नहीं पहचानता, हां, मैं इतना कह सकता हूं कि यह है फ़रिश्ता, शैतान नहीं है फिर उसी राय पर अमल हुआ।

हवाला- तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 9, पृ० 81, सूरः अन्फ़ाल के दूसरे रुकूअ की तफ़्सीर में।

अल्लाह तआला के बग़ैर बताए किसी को कुछ भी मालूम नहीं हो सकता। अब आइए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इल्मे ग़ैब देखिए।

क़ुरआन करीम के आठवें पारे में, सूरः आराफ़ के दूसरे रुकूअ में, आयत नं० 19, 20, 21 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता हैं।

तर्जुमा ऐ आदम ! तू और तेरी बीवी जन्नत में रहो-सहो और जहां से चाहो, खाओ-पियो, मगर उस पेड़ के करीब भी न जाना, वरना ज़ालिमों में से हो जाओगे। लेकिन शैतान ने उन्हें वस्वसा डाला, ताकि उन पर वे चीज़ें खोल दे जो उन पर पोशीदा कर दी गयी थीं (यानी शर्मगाहें)। कहने लगा कि तुम्हारे परवरदिगार ने जो इस पेड़ से तुम्हें रोक दिया है, यह सिर्फ़ इसलिए कि कहीं ऐसा न हो कि तुम फ़रिश्ते बन जाओ या हमेशा रहने वाले बन जाओ। उनके सामने क़समें खा-खा कर उन्हें यक़ीन दिलाने लगा कि मैं तो तुम्हारा हमदर्द और खैरख़्वाह हूं।

इब्लीस को जन्नत से निकाल कर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहस्सलाम

को जन्नत में पहुंचा दिया गया था और एक पेड़ के अलावा उन को सारी जन्नत की चीज़ें खाने की इजाज़त दे दी गयी थी। शैतान को इसमें बड़ी ही जलन हुई, उन की नेमतों को देख कर लईन जल गया और ठान ली कि जिस तरह हो, इन्हें बहका कर ख़ुदा के हुक्म के ख़िलाफ़ काम करा दूं। चुनांचे झूठ-मूठ उनसे कहने लगा, देखो, यह पेड़ वह है, जिस के खाने से तुम फ़रिश्ते बन जाओगे और हमेशा की ज़िन्दगी इस जन्नत में रहोगे। अपना एतबार जमाने के लिए क़समें खाने लगा कि देखो, मेरी बात को सच्ची मानो, मैं तुम्हारा ख़ैरख़्वाह हूं, तुमसे पहले मैं यहां रह चुका हूं। हर एक चीज़ की ख़ासियत को मैं जानता हूं। तुम उसे खालो, बस फिर यहीं रहोगे, बल्कि फ़रिश्ते बन जाओगे। इस ख़बीस के बहकाने में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आ गये।

देखा मेरे अज़ीज़ दोस्त ! यह है ग़ैब के मालूम होने की हक़ीक़त कि अल्लाह तआला जब मालूम कराना चाहे तो मालूम हो जाता है। अगर अल्लाह पाक मालूम कराना न चाहे, तो कुछ भी मालूम नहीं हो सकता। अगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मालूम होता कि यह शैतान मुझे बहका रहा है, तो क्यां वह इस पेड़ से खाते, हरगिज़ न खाते, मगर उन को इल्मे ग़ैब न था।

अब सुनिये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इल्मे ग़ैब?

क़ुरआन शरीफ़ के बारहवें पारे में, सूरः हूद के सातवें रुकूअ में, आयत नं० 69, 70 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - हमारे भेजे हुए फ़रिश्ते इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) के पास ख़ुशख़बरी लेकर आए और सलाम किया। उन्होंने भी सलाम का जवाब दिया और बग़ैर किसी देर के बछड़े का मांस ले आए। अब जो देखा कि उन के तो हाथ भी उसे नहीं लगते (यानी खाते नहीं) तो उन्हें अन्जान देखकर दिल में उन से डरने लगे। उन्होंने कहा डरो नहीं, हम तो लूत की क़ौम की तरफ भेजे हुए आए हैं।

हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास वे फ़रिश्ते इंसानी शक्ल में मेहमान के तौर पर आए हैं जो लूत की क़ौम की हलाकत की ख़बर और हज़रत इब्राहीम के बेटा (यानी लड़का पैदा होने की) खुशख़बरी लेकर अल्लाह की ओर से आए हैं, वे आकर सलाम करते हैं। आप जवाब में सलाम कहते हैं। सलाम के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके सामने मेहमानी पेश करते हैं। बछड़े का मांस, जिसे गर्म पत्थरों पर सेंक लिया गया था, लाते हैं। जब देखा कि उन मेहमानों के हाथ तो बढ़ते ही नहीं यानी खाना खाते ही नहीं, उस वक़्त उनसे कुछ बद-गुमान से हो गये और कुछ दिल में ख़ौफ़ खाने लगे।

हवाला- तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 12, पृ० 24, सूरः हूद के सातवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

देखा मेरे दोस्त ! हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों को पहचान न सके और आप

के यहां हज़रत सारा रज़ियल्लाहु अन्हा के पेट से औलाद पैदा होगी, इस की भी आप को ख़बर न थी, क्योंकि आप को ग़ैब का इल्म न था।

अब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का इल्मे ग़ैब सुनिये।

क़ुरआन शरीफ़ के बारहवें पारे में, सूर: हूद के सातवें रुकूअ में, आयत न० 77-78 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा- जब हमारे भेजे हुए फ़रिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो वह उनकी वजह से बहुत ग़मगीन हो गया। और दिल ही दिल में कहने लगा कि बड़ी मुसीबत का दिन है, उसकी क़ौम दोड़ती हुई उसके पास आ पहुंची, वह तो पहले से ही बद-कारियों में फंसी हुई थी।

हज़रत क़तादा रहमतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं, हज़रत लूत अलैहिस्साम अपनी ज़मीन में थे कि फ़रिश्ते इन्सान की शक्ल में आए और उनके मेहमान बने। शर्मा-शर्मी में इन्कार तो न कर सके और उन्हें लेकर घर चले। रास्ते में सिर्फ़ इस नीयत से, कि ये अब भी वापस चले जाएं, उनसे कहा, वल्लाह ! यहां के लोगों से ज़्यादा बुरे और ख़बीस लोग कहीं भी न होंगे, (क्योंकि वह क़ौम लिवातत में पड़ी हुई थी) कुछ दूर जाकर फिर यही कहा, फ़रिश्तों को ख़ुदा का हुक्म भी यही था कि जब तक उन का नबी उन की बुराई बयान न करे, उन्हें हलाक न करना (क्योंकि ये फ़रिश्ते लूत की क़ौम की बद-कारियों की वजह से उन को हलाक करने आए थे)

हवाला- तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 12, पृ० 26, सूर: हूद के सातवें रुकूअ की तफ़सीर में।

देखा मेरे दोस्त ! हज़रत लूत अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों को पहचान न सके, क्योंक आपको इल्मे ग़ैब नहीं था।

अब सुनिये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का इल्मे ग़ैब !

क़ुरआन मजीद के तेईसवें पारे में सूर: स्वाद के दूसरे रुकूअ में आयत नं० 21-22 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा- क्या तुझे झगड़ा करने वालों की भी ख़बर हुई, जबकि वह दीवार फांद कर इबादत की जगह आ गये। जब यह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, तो ये उनसे डर गये।

तिब्यान के हवाले से लिखा है कि जिब्रील और मीकाईल अलैहिस्सलाम दो झगड़ने वालों की शक्ल में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए और हर एक के साथ फ़रिश्तों का एक-एक गिरोह था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दिन तक़सीम कर रखे थे। एक दिन इबादत करते, एक दिन फ़ैसला करते, एक दिन ..ाज़ करते, एक दिन अपने ख़ास काम करते, इबादत के दिन बालाख़ाने पर जाते यानी ऊपर की मंज़िल पर जाते और पासबान (यानी

चौकीदार) उसके आस-पास खड़े होकर लोगों को ऊपर जाने से मना करते। उस दिन फ़रिश्ते आदमियों की शक्ल में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के घर में आए और उनके इबादतखाने पर चढ़ गये। जब अन्दर हज़रत दाऊद अलहिस्सलाम के सामने आए तो वे उन से डर गये, इसलिए कि वे बग़ैर इजाज़त ऊपर चले गये थे। फ़रिश्ते बोले कि न डरो ऐ दाऊद अलैहिस्सलाम! हम दो गिरोह हैं झगड़ने वाले! एक दूसरे पर हमने ज़ुल्म किया है। आप हमारा फ़ैसला कर दें।

हवाला - तफ़्सीरे क़ादरी, जिल्द 2, पृ० 331,

देखा मेरे अज़ीज़ दोस्त! हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों को पहचान नहीं सके, क्योंकि आप को इल्मे ग़ैब नहीं था।

अब सुनिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इलमे ग़ैब!

क़ुरआन करीम के उन्नीसवें पारे में, सूरः नम्ल के दूसरे रुकूअ में, आयत न० 20, 21, 22 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - आप ने परिंदों की देख-भाल की और फ़रमाने लगे कि यह क्या बात है कि मैं हुदहुद को नहीं देखता। क्या वाक़ई वह ग़ैर हाज़िर है? यक़ीनन मैं उसे सख़्त सज़ा दूंगा या उसे जिब्ह कर डालूंगा या मेरे सामने कोई मुनासिब वजह बयान करे। कुछ ज़्यादा देर न गुजरी थी कि हुदहुद ने आकर कहा, मैं एक ऐसी चीज़ की ख़बर लाया हूं कि तुझे उस की ख़बर ही न थी। मैं सबा की एक सच्ची ख़बर लाया हूं।

हुद हुद नाम का एक परिंदा था, जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फ़ौज में रहता था। एक समय वह नज़र नहीं आया तो सुलेमान अलैहिस्सलामने फ़रमया कि वह कहां गया और क्यों हाजिर नहीं हुआ? इतने में हुदहुद परिंदा भी आ गया और कहने लगा कि ऐसी ख़बर लाया हूं कि जिस की आप को भी ख़बर नहीं हैं, यानी एक औरत एक जगह पर बादशाही कर रहीं थी और बहुत बड़ी सलतनत उसके ताबेअ़ थी, जिस की ख़बर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नहीं थी।

देखा मेरे अज़ीज़ दोस्त! हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कितने बड़े बादशाह और पैग़म्बर भी थे, लेकिन हुदहुद कहां गया, उस की ख़बर आप को नहीं थी और एक बहुत बड़ी सल्तनत दुनिया ही में थी, जिस पर एक औरत हुकमत कर रही थी, उस की भी ख़बर आपको नहीं थी, क्योंकि इल्मे ग़ैब आप को नहीं था?

अब सुनिये हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का इल्मे ग़ैब?

क़ुरआन शरीफ़ के तेरहवें पारे में, सूरः यूसुफ़ के ग्यारहवें रुकूअ में आयत न० 94 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - जब यह क़ाफ़िला जुदा हुआ तो उनके वालिद ने कहा, मुझे तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ख़ुश्बू आ रही है, अगर तुम मुझे कम अक़्ल न समझो।

मेरे अज़ीज़ दोस्त ! यह तो आम मुसलमान जानते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यानी हज़रत यूसुफ़ को उनके भाइयों ने बाप से जुदा कर दिया था, जिनकी जुदाई में कोई कहता है, अस्सी साल, कोई कहता है, तिरप्पन साल, कोई कहता है अठारह साल जुदा रहे बहरहाल बाप-बेटे में जुदाई उनके सगे भाइयों ने डाल दी थी।

मेरे अज़ीज़ दोस्तों ! अब आप ही सोचें कि ज़मीन पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से ज़्यादा ख़ुदा का कोई महबूब बन्दा उस वक़्त न था, मगर फिर भी एक मुद्दत तक यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की याद में रो-रो कर आंखें जाती रहीं, लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का पता न चला कि कहां है और क्या कर रहे हैं? ज़िंदा है या नहीं ? और जब अल्लाह तआला को मालूम कराना था तो, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपना कुरता बाप की ख़िदमत में भेजते हैं। जब यह क़ाफ़िला मिस्त्र से कन्आन् की तरफ़ रवाना हुआ तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों से कहा कि मुझे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ख़ुश्बू आती है। इस को कहते हैं इत्तिलाअ्-अललग़ैब, मगर ग़ैब का जानकार तो सिवाए ख़ुदा के कोई भी नहीं है। अगर मेरा मालिक मुख़्तार चाहे तो सातों आसमान के ऊपर या सातों ज़मीन के नीचे क्या हो रहा है, उस की भी ख़बर हो सकती है और अगर अल्लाह तआला ख़बर देना न चाहे तो सर के ऊपर या पैर के नीचे क्या हो रहा है, उस की भी ख़बर नहीं हो सकती। अगर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इलमे ग़ैब होता तो क्यों वर्षों तक रो-रोकर अपनी आंखें खोते, मगर बात यह थी कि आप को इल्मे ग़ैब नहीं था।

अब सुनिये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इल्मे ग़ैब।

क़ुरआन शरीफ़ के उन्नीसवें पारे में, सूरः नम्ल के पहले रुकूअ में, आयत न० 7 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - याद करो, जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों से कहा, मैं ने आग देखी है, मैं वहां से या तो कोई ख़बर लेकर या आग का कोई सुलगता हुआ अंगारा लेकर अभी तुम्हारे पास आ जाऊंगा, ताकि तुम सेंक-ताप लो।

देखा मेरे अज़ीज़ दोस्त ! हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आग समझ कर और आग लेने की नीयत से तूर पहाड़ पर जा रहे हैं। आप को यह तो ख़बर न थी कि मुझे वहां पर जाने से पैग़म्बरी मिल जाएगी।

क़ुरआन मजीद के उन्नीसवें पारे में, सूरः नम्ल के पहले रुकूअ में, आयत न० 10 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - तू अपनी लाठी डाल दे, मूसा (अलैहिस्सलाम) ने जब (लाठी ज़मीन पर डाल दी तो) उसे हिलता-डोलता देखा, इस तरह कि गोया वह एक बहुत बड़ा सांप है, तो मुंह मोड़े हुए पीठ फेर कर भागे और पलट कर भी न देखा, ऐ मूसा ! ख़ौफ़ न कर, मेरे दरबार

में पैग़म्बर डरा नहीं करते।

जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आग लेने की नीयत से तूर पहाड़ पर जा पहुंचे, तो अल्लाह तआला ने फ़रमाया, ऐ मूसा! लाठी अपने हाथ से ज़मीन पर डाल दो, ताकि तुम अपनी आंखों से देख लो कि अल्लाह तआला फ़ाइ़िले मुख़्तार है, वह हर चीज़ पर क़ुदरत रखता है, मूसा अलैहिस्सलाम ने इर्शाद सुनते ही लाठी ज़मीन पर डाल दी, उस वक़्त वह फनफनाता हुआ सांप बन गयी और बहुत बड़े जिस्म का सांप, बड़ी डरावनी सूरत का और इस मोटापे पर तेज़ चलने वाला जीता-जागता, चलता-फिरता, ज़बरदस्त अज़दहा देख कर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम डर गये और दहशत के मारे ठहर न सके और मुंह मोड़ कर पीठ फेर कर भागने लगे, ऐसे कि मुड़ कर भी न देखा। उसी वक़्त अल्लाह तआला ने उन्हें आवाज़ दी। ऐ मूसा! डरो नहीं, मैं तो तुम्हें अपना चुना हुआ रसूल और इज़्ज़त वाला पैग़म्बर बनाना चाहता हूं।

हवाला- तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 19, पृ० 61, सूरः नम्ल के पहले रुकूअ की तफ़्सीर में।

मेरे अज़ीज़ दोस्त! यह तो थी पैग़म्बरी मिलने से पहले की बात। अब आइये पैग़म्बरी मिलने के बाद की बात बताऊं मेरे भैया को।

क़ुरआन मजीद के सोलहवें पारे में, सूरः ताहा के तीसरे रुकूअ में, आयत न० 65, 66, 67, 68, 69 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा- कहने लगे कि ऐ मूसा! या तो तू पहले डाल या हम पहले डालते हैं, जवाब दिया कि नहीं, तुम ही पहले डालो। अब तो मूसा (अलैहिस्सलाम) को यह ख़्याल गुज़रने लगा कि उन की रस्सियां और लकड़ियां, उन के जादू की वजह से दौड़-भाग रही हैं, तो मूसा (अलैहिस्सलाम) अपने दिल ही दिल में डरने लगे। हम ने फ़रमाया, बिल्कुल डरो मत, तू ही ग़ालिब रहेगा। तेरे दाहिने हाथ में, जो है, उसे डाल दे कि उनकी तमाम कारीगरी को खा जाएगा।

जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अब बतलाओ, तुम अपना वार पहले करते हो या हम पहले करें। इस के जवाब में ख़ुदा के पैग़म्बर ने फ़रमाया कि तुम ही पहले अपने दिल की भड़ास निकाल लो, ताकि दुनिया देख ले कि तुम ने क्या किया और फिर ख़ुदा ने तुम्हारे किये को किस तरह मिटा दिया। उसी वक़्त उन्होंने अपनी रस्सियां और लकड़ियां मैदान में डाल दीं। कुछ ऐसा मालूम होने लगा, गोया सांप बन कर चल-फिर रही हैं और मैदान में दौड़-भाग रही हैं। उनकी फेंकी हुई लकड़ियों और रस्सियों से अब सारे का सारा मैदान भरपूर हो गया। वे आपस में गुड्ड-मुड्ड होकर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे होने लगे। इस मंज़र ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को डरा दिया कि कहीं ऐसा न हो कि लोग उनके करतब के क़ायल हो जाएं और इस झूठे जाल में फंस जाएं। उसी वक़्त अल्लाह तआला ने वह्य उतारी कि अपने दाहिने हाथ की लकड़ी को मैदान में डाल दे, डर मत। आप ने हुक्मबरदारी की।

ख़ुदा के हुक्म से यह लकड़ी जबरदस्त और बे-मिसाल अज़दहा बन गयी, जिस के पैर भी थे और सर भी था, केंचुलियां और दांत भी थे, सब को हड़प कर लिया, इन सब पर हक़ ज़ाहिर हो गया।

हवाला- तफ़्सीरें इब्ने कसीर, पारा 16, पृ० 78, सूर: ताहा के तीसरे रुकूअ की तफ़्सीर में।

मूसा अलैहिस्सलाम को हराने की नीयत से फ़िरऔन ने जादूगरों की एक बहुत बड़ी टीम को बुलाया था। उस वक़्त का यह क़िस्सा है, जो तफ़्सीरों में ज़्यादा तफ़्सील से लिखा है।

देखा मेरे अज़ीज़ दोस्त! हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में डर पैदा हो गया, क्योंकि आप को इल्मे ग़ैब नहीं था। उसी वक़्त अल्लाह तआला ने वह्य से ख़बर कर दी। इसी को कहते हैं, इत्तिला अलल ग़ैब (ग़ैब की इत्तिला मिल जाना)।

हदीस- हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, नौफ़ुल बकाली का यह ख़्याल है कि बनू इस्राईल के पैग़म्बर मूसा अलैहिस्सलाम वह मूसा अलैहिस्सलाम न थे, जो हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम के साथ रहे थे। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ख़ुदा का दुश्मन झूठ कहता है। मैंने उबई बिन कअब् रज़ियल्लाहु अन्हु से सुना है, वह कहते थे कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह फ़रमाते हुए सुना है कि एक बार मूसा अलैहिस्सलाम बनी इस्राईल के बीच वाज़ करने खड़े हुए। आप से पूछा गया कि लोगों में सब से बड़ा आलिम कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं सब से बड़ा आलिम हूं। उस पर ख़ुदा की तरफ़ से तंबीह हुई, इसलिए कि उन्होंने इल्म को ख़ुदा की तरफ़ मंसूब नहीं किया था। ख़ुदा ने उनकी तरफ़ वह्य भेजी और बताया कि मेरा एक बन्दा मजमअुल बहरैन यानी दो दरियाओं के मिलने की जगह पर है, वह तुमसे ज़्यादा आलिम है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ऐ परवरदिगार! मैं क्यों कर उस से मिल सकता हूं। मूसा अलैहिस्सलाम को बताया गया कि जंबील में एक मछली रख लो। जहां पर मछली गुम हो जाए, वह बन्दा उसी जगह पर होगा। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम रवाना हो गये और आप के साथ एक जवान यूशअ़ बिन नून भी साथ हो लिए और ज़ंबील में एक मछली डाल ली। दोनों बराबर चलते रहे, यहां तक कि दोनों एक बड़े पत्थर के पास पहुंचे और सो गये। मछली ज़ंबील में तड़पी और ज़ंबील से निकल कर दरिया में चली गयी और जिस जगह पानी में मछली गिरी थी, ख़ुदा ने वहां के पानी का बहाव रोक दिया और उस जगह पानी के अन्दर ताक़ बन गया और मछली के लिए वहां पर एक सुरंग सी बन गयी। मूसा अलैहिस्सलाम और वह जवान सोकर उठे और यह कैफ़ियत देखी तो हैरान रह गये और इसके बाद वे दोनों रवाना हो गये और दिन के बाक़ी हिस्से में और रात भर चलते रहे। मुसा अलैहिस्सलाम का साथी उन से मछली के निकल जाने का ज़िक्र करना भूल गया था। जब सुबह हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने नवजवान से सुबह का खाना तलब किया और कहा कि

इस सफ़र में हम को सख़्त तक्लीफ़ हुई है (यानी हम थक गये हैं) हमारा खाना लाओ, ताकि खाना खा कर ताज़ा दम हो लें। हालांकि वाक़िआ यह था कि मूसा अलैहिस्सलाम उस जगह तक बिल्कुल न थके थे, जहां उन को जाने का हुक्म मिला था और उससे आगे अढ़कर उन पर थकान हो गयी थी। यूशअ़ ने कहा कि जब हम पत्थर के पास ठहरे थे, तो आप से मैं मछली का ज़िक्र करना भूल गया था और शैतान ही ने मुझे इस का ज़िक्र करने से भुला दिया। वहां मछली ज़ंबील से निकल कर चली गयी और दरिया में उसने अज़ीब तरीक़े से अपना रास्ता बना लिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा उसी जगह की तो तलाश में थे। चुनांचे दोनों क़दम के निशानों पर चल कर वापस हुए और पत्थर पर पहुंचे, जहां उन्होंने एक आदमी को देखा, जो कम्बल ओढ़े हुए था। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको सलाम किया। हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने उन से पूछा, यह तुम्हारी ज़मीन में सलाम का रिवाज़ कहां है? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं मूसा हूं। ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, बनी इस्राईल वाले मूसा हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हां (मैं वही मूसा हूं)। ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम को ख़ुदा ने जो इल्म दिया है, तुम उस पर क़ायम रहो और मैं (तुम्हारे) उस इल्म को नहीं जानता हूं और जो इल्म ख़ुदा ने मुझे सिखाया है मैं उस पर क़ायम हूं, इस इल्म को तुम नहीं जानते हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जो इल्म ख़ुदा ने आप को दिया है, अगर उसमें से सही तौर पर आप कुछ मुझको सिखा दें, तो मैं आप के साथ चलना क़ुबूल कर सकता हूं। ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम मेरे साथ रह कर सब्र न कर सकोगे और जिस इल्म को नहीं जानते हो, उस पर सब्र भी क्योंकर कर सकते हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्शाअल्लाह! आप मुझ को सब्र करने वाला पाएंगे और किसी मामले में आप मुझ को नाफ़रमान न पाएंगे। ख़िज़्र अलहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, तो जब तक मैं ख़ुद किसी बात को न बताऊं, तुम मुझसे कुछ दर्याफ़्त न करना। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, बेहतर है।

चुनांचे मूसा और ख़िज़्र अलैहिस्सलाम दोनों दरिया के किनारे-किनारे रवाना हुए। एक जगह दोनों के क़रीब से एक नाव निकली, तो उन्होंने नाव वालों से कहा, तुम हम को सवार कर लो। नाव के आदमी ने ख़िज़्र अलैहिस्सलाम को पहचान लिया और दोनों को बग़ैर किराए के किश्ती पर बिठा लिया। उसके बाद ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने नाव के एक तख़्ते की तरफ़ तवज्जोह की और उसे नाव में से उखाड़ लिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इन लोगों ने तो हमें बग़ैर किराए के बिठा लिया और आप ने इनकी नाव को तोड़ कर सब को डुबोने का सामान कर दिया। यह बात आपने बहुत ही अजीब की। ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने तुम से पहले ही कह दिया था कि तुम मेरे साथ रह कर सब्र न कर सकोगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, यह भूल पकड़ के क़ाबिल नहीं। आप भूल पर मेरी पकड़ न करें और अपने साथ चलने के बारे में मुझको मुश्किलों में न डालें।

फिर नाव से उतर कर दोनों रवाना हुए। दोनों दरिया के किनारे-किनारे जा रहे थे कि

एक लड़का मिला, जो बच्चों के साथ खेल रहा था। ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने उस लड़के का सर पकड़ा और मरोड़ कर उखाड़ डाला और वह मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आपने एक मासूम बच्चे को मार डाला, यह बहुत ही बुरा काम किया। ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने तुम से पहले ही कहा था कि तुम मेरे साथ रह कर सब्र व ज़ब्त से काम न ले सकोगे। ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने अब की बार सख़्ती से मूसा अलैहिस्सलाम से ये लफ़्ज कहे थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर इसके बाद मैं आप से कुछ पूछूं, तो आप मुझ को अपने साथ चलने से मना करके अलग कर दीजिएगा। आप ने तो मेरे उज़्र को क़ुबूल करने में इंतिहा कर दी हैं।

इसके बाद दोनों फिर रवाना हुए और एक गांव में पहुंचे। गांव वालों से खाना तलब किया। गांव वालों ने मेहमानदारी से इन्कार कर दिया। वहां दोनों को एक दीवार दिखायी दी जो झुकी हुई थी और गिरने के क़रीब थी। ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से दीवार को सीधा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने यह देखकर कहा, हम ऐसे लोगों के पास आए कि जिन्होंने हमारी मेहमानी नहीं की और हमें खाना नहीं खिलाया। अगर आप चाहते तो उनसे दीवार ठीक करने का मुआवज़ा तो ले सकते थे। हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने कहा, अब यहीं से मेरे और तुम्हारे दर्मियान जुदाई है। मैं उन तमाम बातों से तुम को आगाह किये देता हूं, जिन पर तुम से सब्र न हो सका।

वह नाव ग़रीब लोगों की थी और उस नाव पर उन ग़रीब लोगों का गुज़ारा था, तो उस नाव को ऐबदार इस लिए बना दिया कि आगे एक ज़ालिम बादशाह था, जो हर अच्छी और नयी नाव को छीन लेता था और इस ख़राबी को देख कर इस नाव को नहीं लेगा और उस लड़के को इस लिए मार दिया कि वह लड़का काफ़िर था और उसके मां-बाप नेक थे और उस लड़के के बदले में अल्लाह तआला उनको नेक लड़की देगा और इस मकान को इस लिए सीधा कर दिया कि यह मकान यतीम बच्चों का था और इस मकान की दीवारों में एक ख़ज़ाना था। अगर यह मकान गिर जाता तो उन यतीम बच्चों का माल दूसरे लोग ले जाते (यि वह राज़ थे जो मूसा अलैहिस्सलाम के इल्म से बाहर थे।)

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह वाक़िआ बयान करके फ़रमाया, अल्लाह तआला मूसा अलैहिस्सलाम पर रहम फ़रमाए। अगर उन्होंने और सब्र किया होता तो उन की कुछ और ख़बरें हम को मालूम हो जातीं। मूसा और ख़िज़्र अलैहिस्सलाम जब नाव पर जा रहे थे, तो एक चिड़िया नाव के एक किनारे पर आकर बैठ गयी थी और दरिया में से अपनी चोंच में पानी भर लिया। ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने यह देख कर मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि मेरे और तुम्हारे इल्म ने ख़ुदा के इल्म में से इतनी भी कमी नहीं की, जितनी कि इस चिड़िया ने दरिया में से एक चोंच भर पानी उठा कर दरिया में कमी की है।

हवाला- 1. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 140, हदीस न० 701, बाब 332, किताबुल फ़ज़ाइल,

2. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1, पारा 1, पृ० 42, हदीस न० 199, इल्म का बयान,

3. तिर्मिज़ी शरीफ, जिल्द 2, पृ० 208, हदीस न० 1007, सूरः कह्फ़ की तफ़्सीर में।

4. तफ़्सीर इब्ने कसीर, पारा 15, पृ० 108, सूरः कह्फ़ के नवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

आपने जो हदीस पढ़ी, इसी तरह का मज़्मून कुछ कमी व बेशी के साथ क़ुरआन शरीफ़ में भी मौजूद है, जिसका हवाला हम देते हैं-

क़ुरआन शरीफ़, पारा न० 15, सूरः कह्फ़ का नवां, दसवां रुकूअ, आयत न० 60 से आयत न० 82 तक।

देखा मेरे अज़ीज़ दोस्त! जो इल्म मूसा अलैहिस्सलाम को था, वह इल्म ख़िज़्र अलैहिस्सलाम को नहीं था और जो इल्म ख़िज़्र अलैहिस्सलाम को था, वह इल्म मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं था और मख़्लूक़ का इल्म अल्लाह तआला के इल्म के सामने दरिया में से एक चिड़िया के चोंच भरने की मिक़्दार से भी कम है।

हदीस - हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फ़रमाया-

बनी इस्राईल नंगे नहाया करते थे, एक दूसरे की तरफ़ देखते जाते थे और मूसा अलैहिस्सलाम तंहा ग़ुस्ल किया करते थे, तो बनी इस्राईल ने कहा कि वल्लाह! मूसा अलैहिस्सलाम को हम लोगों के साथ ग़ुस्ल करने से सिवाए इसके कुछ रोक नहीं है कि वह फ़त्क (यानी फ़ोता बढ़ने की बीमारी) में मुब्तला हैं। इत्तिफ़ाक़ से एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ग़ुस्ल करने लगे, और लिबास पत्थर पर रख दिया, वह पत्थर उनका कपड़ा ले कर भागा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी उसके पीछे यह कहते हुए भागे कि ऐ पत्थर! मेरे कपड़े दे दे, यहां तक कि बनी इस्राईल ने मूसा अलैहिस्सलाभ की तरफ़ देख लिया और कहा कि वल्लाह! मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ भी बीमारी नहीं है और (पत्थर ठहर गया)। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना कपड़ा ले लिया और पत्थर को मारने लगे। हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि ख़ुदा की क़सम! हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मार से उस पत्थर पर छः या सात निशान (अब तक) बाक़ी हैं।

हवाला- 1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1, पारा 2, पृ० 76, हदीस न० 267, ग़ुस्ल का बयान।

2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ॰ 56, हदीस न॰ 289, बाब 121, ग़ुस्ल का बयान।

3. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ॰ 234, हदीस 1078, सूरः अह्ज़ाब की तफ़्सीर में।

ऐ अज़ीज़ दोस्त मेरे ! अगर मूसा अलैहिस्सलाम को इल्मे ग़ैब होता तो हर गिज़ हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम के पास इल्म सीखने के लिए न जाते और न उस पत्थर पर कपड़े रखते, मगर बात यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम को इल्मे ग़ैब नहीं था।

अब सुनिये जिन्नों का इल्मे ग़ैब ?

क़ुरआन शरीफ़ के बाईसवें पारे में, सूरः सबा के दूसरे रुकूअ में, आयत न॰ 14, में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है।

तर्जुमा - जब हम ने उन पर मौत का हुक्म जारी कर दिया तो किसी चीज़ ने उनके मरने का पता न बताया, मगर घुन (एक क़िस्म का कीड़ा होता है, जो लकड़ी को खा जाता है) के कीड़े ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के असा (डंडे) को खा लिया। जब वह गिर पड़े, तब जिन्नों को हक़ीक़त मालूम हुई कि अगर वह ग़ैब जानते होते, तो वे इस ज़िल्लत की मुसीबत में न फंसे रहते।

हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत का बयान हो रहा है और यह भी कि जो जिन्न उनके फ़रमान के मुताबिक़ काम-काज़ कर रहे थे, उन्हें उन की मौत की ख़बर कैसे मालूम हुई। वह वफ़ात के बाद भी लकड़ी टेके हुए खड़े थे और ये जिन्न उनको ज़िंदा समझते हुए अपने सख़्त से सख़्त कामों में लगे हुए थे।

मुजाहिद वग़ैरह फ़रमाते हैं कि लगभग एक साल इसी तरह गुज़र गया। जिस लकड़ी के सहारे सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े थे, उसे जब दीमक चांट गयी और वह खोखली हो गयी, तो आप गिर गये। अब जिन्नों और इन्सानों को आप की मौत का पता चला। तब तो न सिर्फ़ इन्सानों को बल्कि ख़ुद जिन्नों को भी यक़ीन हो गया कि उनमें से कोई भी इल्में ग़ैब नहीं जानता।

हवाला- तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 22, पृ॰ 46, सूरः सबा के दूसरे रुकूअ की तफ़्सीर में।

हिन्दुस्तान के कुछ जाहिल लोग इल्मे ग़ैब के लिए लड़-झगड़ रहे हैं, हालांकि इल्मे ग़ैब न फ़रिश्तों को है, न रसूलों को है, न सहाबियों को है, न इमामों को है, न मुहद्दिसों को है, न औलियाओं को है, न जिन्नों को है, न शैतानों को है। इल्मे ग़ैब सिवाए ख़ुदावन्द करीम के और किसी को भी नहीं है। समझे मेरे भोले भैया !

तंबीहात

तंबीह 1. क़ुरआन शरीफ़ के तीसवें पारे में सूरः आला में आयत न० 6 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – हम तुम्हें पढ़वा देंगे, फिर तुम नहीं भूलोगे।

जिब्रीह अलैहिस्सलाम वह्य सुना कर फ़ारिग़ नहीं होते थे कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम भूल जाने के डर से शुरू का हिस्सा दोहराने लगते थे। इसी वजह से अल्लाह तआला ने अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह इत्मीनान दिलाया कि वह्य उतरने के वक़्त आप ख़ामोशी से सुनते रहें, हम आप को उसे पढ़वा देंगे और वह हमेशा के लिए आप को याद हो जाएंगी, इस बात का कोई अंदेशा न करें कि इस का कोई लफ़्ज़ भी आप भूल जाएंगे।

क़ुरआन करीम के उन्तीसवें पारे में सूरः क़ियामः के पहले रुकूअ में, आयत न० 16, 17, 18, 19 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – ऐ नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम !) इस वह्य को जल्दी-जल्दी याद करने के लिए अपनी ज़ुबान को हरकत न दें, इस को याद करवा देना और पढ़वा देना हमारे ज़िम्मे है। इसलिए जब हम उसे पढ़ें उस वक़्त आप पढ़ने को ग़ौर से सुनते रहें, फिर उसका मतलब समझा देना भी हमारे ही ज़िम्मे है।

नुबुव्वत के शुरू के दौर में, जबकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम वहय लेकर आते और सुनाते तो आप को यह अन्देशा लगा रहता था कि जिब्रील अलैहिस्सलाम जो कलामे इलाही आपको सुना रहे हैं, वह ठीक-ठीक आप को याद रह सकेगा या नहीं, इस लिए आप वह्य सुनने के साथ-साथ उसे याद करने की कोशिश करने लगते थे। चुनांचे कलाम के सिलसिले को तोड़ कर आप को हिदायत फ़रमायी गयी कि आप वह्य के उतरने के वक़्त वह्य के लफ़्ज़ों को याद करने की कोशिश न करें, बल्कि ग़ौर से सुनें। उसे याद करा देना और बाद में ठीक-ठीक पढ़वा देना हमारे ज़िम्मे है। आप इत्मीनान रखें कि इस कलामे पाक का एक लफ़्ज भी आप न भूलेंगे, न कभी उसे याद करने में ग़लती करेंगे।

क़ुरआन शरीफ़ के सोलहवें पारे में सूरः ताहा के छठे रुकूअ में आयत 114 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! क़ुरआन शरीफ़ पढ़ने में जल्दी न किया करो, जब तक कि आप की तरफ उस की वह्य तक्मील को न पहुंचे और दुआ करो कि ऐ पालनहार ! मुझे और ज़्यादा इल्म अता कर।

फ़रिश्ते की क़िरात चुपके से सुनिये, जब वह पढ़ चुके, फिर आप पढ़िए और मुझसे अपने

इल्म की ज़्यादती की दुआ किया कीजिए, चुनांचे आप ने दुआ की और ख़ुदा ने क़ुबूल की और अल्लाह तआला ने आप को इतना इल्म दिया कि सारी मख़्लूक़ में किसी को इतना इल्म न मिला और न मिलेगा।

तंबीह 2 – क़ुरआन करीम के तीसवें पारे में सूरः अ-ब-स के पहले रुकूअ में, आयत न० 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – तुर्शरू होकर मुंह मोड़ लिया सिर्फ़ इसलिए कि आप के पास अन्धा आ गया। आप को क्या ख़बर, शायद वह सुधर जाए या नसीहत पर ध्यान दे और नसीहत करना उसके लिए नफ़ा बख़्श हो और जो आदमी बे-परवाई बरतता है (दीन से) उस की तरफ़ तो आप तवज्जोह करते हैं, हालांकि वह न सुधरे तो आप पर कोई ज़िम्मेदारी नहीं और जो ख़ुद आप के पास दौड़ा हुआ आता है और डर रहा है, उससे आप बे-रुख़ी बरतते हैं। (आप आइंदा) हरगिज़ ऐसा न कीजिए। क़ुरआन एक नसीहत की चीज़ है, सो जिस का जी चाहे, उसको क़ुबूल करे।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एक बार क़ुरैश के सरदारों को इस्लामी तालीम दे रहे थे, और मश्ग़ूलियत के साथ उनकी तरफ़ मुतवज्जह थे, दिल में ख़्याल था कि शायद अल्लाह तआला इन लोगों को इस्लाम नसीब करे। अचानक हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ियल्लहु अन्हु जो अन्धे थे, आपके पास आ गये। पुराने मुसलमान थे आम तौर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमते अक़्दस में हाज़िर हुआ करते थे, और दीने इस्लाम के हुक्म सीखा करते थे। आज भी आदत के मुताबिक़ आते ही सवाल कर दिये। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अपनी तरफ़ मुतवज्जह करना चाहा, लेकिन आप एक अहम दीनी काम में लगे हुए थे और क़ुरैश के सरदारों को समझा रहे थे, इसलिए हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ़ तवज्जोह न हुई, बल्कि ज़रा दिल को नागवार हुआ और पेशानी मुबारक पर बल पड़ गये। इस पर ऊपर लिखी आयतें उतरीं कि आप की बड़ी शान और ऊंचे अख़्लाक़ के लायक़ यह बात नहीं थी कि इस अन्धे से, जो आप के दीन के शौक़ में दौड़ता हुआ आता है और ख़ुदा से डरता भी है, आप उस से मुंह फेर लें और उन लोगों की तरफ़ ध्यान देते रहें जो सरकश और घमंडी और मग़रूर हैं। इसके बाद से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु की बड़ी इज़्ज़त व ताज़ीम किया करते थे।

हवाला– तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 3., पृ० 15, सूरः अ-ब-स के पहले रुकूअ की तफ़्सीर में।

तंबीह 3 – *क़ुरआन करीम के दसवें पारे में, सूरः अंफ़ाल के नवें रुकूअ में आयत न० 67-68 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–*

तर्जुमा – नबी के हाथ में क़ैदी नहीं चाहिएं, जब तक कि मुल्क में अच्छी तरह ख़ूंरेज़ी

की लड़ाई न हो जाए, तुम दुनिया के माल चाहते हो और अल्लाह का इरादा आख़िरत का है। अल्लाह है ज़ोरावर और बाहिक्मत, अगर पहले ही से अल्लाह तआला की तरफ़ से बात न लिखी हुई होती, तो जो कुछ तुमने लिया है, इस बारे में तुम्हें कोई बड़ी सज़ा होती।

मुस्नद अहमद में लिखा है कि बद्र के क़ैदियों के बारे से रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से मश्विरा लिया कि अल्लाह तआला ने उन्हें तुम्हारे क़ब्ज़े में दे दिया है, बतलाओ कि क्या इरादा है? हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने खड़े होकर अर्ज़ किया कि उनकी गरदनें उड़ा दी जाएं। आप ने उनसे मुंह फेर लिया और फिर वही फ़रमाया, अब की बार हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने खड़े होकर अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! हमारी राय में तो आप उनकी ख़ता से दर गुज़र फ़रमा लीजिए और उन्हें फ़िदया लेकर आज़ाद कर दीजिए। अब आप के मुबारक चेहरे से ग़म के निशान जाते रहे, आम माफ़ी का एलान कर दिया और फ़िदया लेकर आज़ाद कर दिया। इसी वाक़िए पर ऊपर की आयतें उतरीं।

हवाला- तफ़्सीर इब्ने कसीर, पारा 10, पृ० 20, सूरः अंफ़ाल के नवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

तंबीह 4 *.क़ुरआन करीम के दसवें पारे में, सूरः तौबा के छठे रुकूअ में, आयत न० 42 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है।*

तर्जुमा - अगर जल्द वसूल होने वाला माल व असबाब होता और हल्का-सा सफ़र होता, तो ज़रूर ये तेरे पीछे हो लेते, लेकिन उन पर तो यह सफ़र कठिन हो गया। अब तो ये अल्लाह की क़समें खाने लगे कि अगर हम में क़ुव्वत या ताक़त होती तो हम यक़ीनन आपके साथ निकल चलते। ये अपने आपको हलाकत में डाल रहे हैं, अल्लाह तआला इन्हें ख़ूब जानता है कि ये झूठे हैं।

जो लोग तबूक की लड़ाई में जाने से रह गये थे और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आ-आ कर अपने झूठे-झूठे बनावटी उज़्र पेश करने लगे थे, उनके बारे में अल्लाह तआला इस आयते करीमा में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को बा-ख़बर कर रहा है कि ये बनावटी उज़्र करने वाले झूठे हैं। असल में इनमें कोई मजबूरी नहीं थी। अगर कोई आसान ग़नीमत और क़रीब का सफ़र होता, तो ये लालची साथ हो लेते। अल्लाह तआला फ़रमाते हैं कि ये लोग बिल्कुल झूठे हैं, हम इन्हें अच्छी तरह जानते हैं।

हवाला- तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 10, पृ० 64, सूरः तौबा के छठे रुकूअ की तफ़्सीर में।

क़ुरआन करीम के दसवें पारे में, सूरः तौबा के सातवें रुकूअ में, आयत न० 43, 44, 45 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - अल्लाह तआला तुझे माफ़ करे, तूने क्यों उन्हें इजाज़त दे दी बग़ैर इसके कि तेरे सामने सच्चे लोग खुल जाते और आप झूठे लोगों को भी जान लेते। अल्लाह पर और

क़ियामत के दिन पर ईमान व यक़ीन रखने वाले तो माली व जानी जिहाद से रुक जाने की कभी भी तुझ से इजाज़त नहीं मांगेंगे, अल्लाह तआला परहेज़गारों को ख़ूब जानता है। यह इजाज़त तुझ से वहीं मांगते हैं, जिन्हेंन तो अल्लाह तआला पर ईमान है और न क़ियामत के दिन पर ईमान व यक़ीन है। उन के दिल शक में पड़े हुए हैं और वे अपने शक ही में घूम रहे हैं।

सुब्हानल्लाह ! अल्लाह तआला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कैसी प्यार भरी बातें कर रहे हैं, सख़्त बात सुनाने से पहले ही माफ़ी का एलान सुनाया जा रहा है। अल्लाह तआला फ़रमाता है कि अगर उन्हें ज़ाहिरी तमीज़ हो जाती, इताअत गुज़ार होते, तो हाज़िर हो जाते। नाफ़रमान बावजूद इजाज़त न मिलने के भी न निकलते, क्योंकि उन्होंने तो तै कर लिया था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कहें या न कहें, हम तो जिहाद में जाने वाले नहीं। इसी लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके बाद की आयत में फ़रमाया कि यह मुम्किन ही नहीं कि सच्चे ईमानदार लोग अल्लाह की राह में जिहाद से रुकने की इजाज़त आप से तलब करें। वे तो जिहाद को अल्लाह से क़ुर्ब हासिल करने का ज़रिया मान कर अपनी जान व माल के फ़िदा करने के आरज़ूमन्द रहते हैं, अल्लाह तआला भी उस तक़्वे वाली जमाअत को ख़ूब अच्छी तरह जानता है। ये बग़ैर-उज़्र शरई बहाने बना कर जिहाद से रुक जाने की इजाज़त तलब करने वाले तो बे-ईमान लोग हैं, जिन्हें आख़िरत के घर के बदले की कोई उम्मीद ही नहीं, इन के दिल आज तक तेरी शरीअत से शक व शुबहा ही में हैं, ये हैरान व परेशान हैं, एक क़दम इनका आगे बढ़ता है, तो दूसरा पीछे हटता है। इन में साबित क़दमी और जमाव नहीं, ये हलाक होने वाले हैं, ये न इधर हैं, न उधर, ये ख़ुदा के गुमराह किये हुए हैं, तू इनके संवारने का कोई रास्ता न पायेगा।

हवाला- तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 10, पृ० 65, सूरः तौबा के छठे रुकूअ की तफ़्सीर में।

तंबीह 5 – *क़ुरआन करीम के दसवें पारे में सूरः तौबा के दसवें रुकूअ में, आयत न० 80, में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–*

तर्जुमा- आप उनके लिए इस्तग़फ़ार करें या न करें, अगर आप सत्तर मर्तबा भी उनके लिए इस्तग़फ़ार करेंगे, तब भी अल्लाह तआला हर गिज़ उन्हें नहीं बख़्शेगा, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह से और उसके रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से कुफ़्र किया है, ऐसे फ़ासिक़ लोगों को अल्लाह तआला हिदायत नहीं देता।

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन उबई (मुनाफ़िक़) जब मर गया, तो उसका बेटा रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आया और कहने लगा कि आप मुझे अपना मुबारक कुरता दे दीजिए और उसके लिए इस्तग़फ़ार कीजिए। पस आपने उनको अपना मुबारक कुरता दे दिया और फ़रमाया कि जब

जनाज़ा तैयार हो जाए तो मुझे इत्तिला दे देना, मैं उसकी नमाज़ पढ़ा दूंगा। चुनांचे उन्होंने आपको इत्तिला दी। पस जब आपने चाहा कि उस की नमाज़ पढ़ें, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हटा लिया और अर्ज़ किया कि क्या मुनाफ़िक़ों पर नमाज़ पढ़ने से अल्लाह तआला ने आप को मना नहीं फ़रमाया? आपने फ़रमाया, मुझे दोनों बातों का अख़्तियार दिया गया है, पस आपने उसकी नमाज़ पढ़ी।

हवाला- 1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1, पारा 5, पृ० 282, हदीस 1177, जनाज़े की नमाज़ का बयान।

2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 217, हदीस 1037, बाब 485, मुनाफ़िक़ों के हुक्म,

तफ़्सीरे इब्ने कसीर में लिखा है कि हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप का दामन थाम लिया, और अर्ज़ किया, हुज़ूर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम)! आप उसके जनाज़े की नमाज़ पढ़ाएंगे, हालांकि अल्लाह ने उससे मना फ़रमाया है? आपने फ़रमाया, सुनो! अल्लाह तआला ने मुझे अख़्तियार दिया है। फ़रमाया है, तू उनके लिए इस्तग़्फ़ार कर या न कर, अगर तू उनके लिए सत्तर बार भी इस्तग़्फ़ार करेगा, तो भी अल्लाह तआला उन्हें न बख़्शेगा, तो मैं सत्तर बार से भी ज़्यादा इस्तग़्फ़ार करूंगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! यह मुनाफ़िक़ था, लेकिन फिर भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उसके जनाज़े की नमाज़ पढ़ायी, इस पर यह आयते करीमा उतरी।

हवाला- तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 10, पृ० 89, सूरः तौबा के ग्यारहवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

क़ुरआन करीम के दसवें पारे में, सूरः तौबा के ग्यारहवें रुकूअ में, आयत न० 84 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा- इनमें से कोई मर जाये तो आप उसके जनाज़े की नमाज़ हरगिज़ न पढ़िए और न उस की क़ब्र पर खड़े हुआ कीजिये। (ये लोग) अल्लाह और उसके रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के इंकारी हैं और उसी हालत पर मरे हैं।

हुक्म होता है कि ऐ नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम)! आप मुनाफ़िक़ों से बे-ताल्लुक़ हो जाएं, उनमें से कोई मर जाए तो आप उसके जनाज़े की नमाज़ न पढ़ें और न उसकी क़ब्र पर जा कर उसके लिए इस्तग़्फ़ार की दुआ करें, इसलिए कि ये कुफ़्र व फ़िस्क़ पर ही ज़िंदा रहे और उस पर ही मरे हैं। यह हुक्म आम है, गो इस आयत का शाने नुज़ूल ख़ास अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल के बारे में है, जो मुनाफ़िक़ों का सरदार था। इसके बाद आख़िरी दम तक न तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने किसी मुनाफ़िक़ के जनाज़े की नमाज़ पढ़ी

और न किसी मुनाफ़िक़ की क़ब्र पर आ कर दुआ की।

हवाला- तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 10, पृ० 89, सूर: तौबा के ग्यारहवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

तंबीह 6 – हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फ़रमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हज़रत ज़ैनब बिन्त जह्श रज़ियल्लाहु अन्हा के पास देर तक ठहरते थे और शहद पिया करते थे। मैंने और हज़रत हफ़्सा रज़ियल्लाहु अन्हा ने यह मश्विरा किया कि हम दोनों में से, जिस के पास हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तशरीफ़ लाएं, तो वह यही कहे कि आप के मुंह से मग़ाफ़ीर (एक बदबूदार चीज़) की गंध आती है, क्या आप ने मग़ाफ़ीर खाया है? फिर इन दोनों में से एक के पास हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तशरीफ़ ले गये, तो उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से वहीं बात कही। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, नहीं, मैंने तो ज़ैनब बिन्त जह्श रज़ियल्लाहु अन्हा के पास शहद खाया (पिया) है और अब मैं कभी न पियूंगा। (इस पर ये आयतें उतरीं, जो नीचे लिखी जा रही हैं।)

हवाला- 1. बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 27, पृ० 364, हदीस न० 1592, नज़्र का बयान,

2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 512, हदीस 3116, खुलअ़ और तलाक़ का बयान,

3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 3, पृ० 184, खुलअ़ और तलाक़ का बयान,

4. तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 28, पृ० 95, सूर: तह्रीम के पहले रुकूअ की तफ़्सीर में।

क़ुरआन करीम के अठाईसवें पारे में, सूर: तह्रीम के पहले रुकूअ में, आयत न० 1 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा- ऐ नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम)! जिस चीज़ को अल्लाह तआला ने आप के लिए हलाल कर दिया है, उस को आप क्यों हराम करते हैं, क्या आप बीवियों की रज़ामंदी हासिल करना चाहते हैं? अल्लाह तआला बख़्शने वाला और रहम करने वाला है।

तंबीह 7 – हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उहुद के दिन फ़रमाया कि इलाही! सुफ़ियान पर लानत भेज, इलाही! हारिस बिन हिशाम पर लानत भेज, इलाही! सफ़वान बिन उमैया पर लानत भेज। (इस पर यह आयत उतरी।)

हवाला- तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 166, हदीस 863, सूर: आले इम्रान की तफ़्सीर में।

क़ुरआन शरीफ़ के चौथे पारे में, सूर: आले इम्रान के तेरहवें रुकूअ में, आयत न० 128-129 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - ऐ नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ! आप के अख़्तियार में कुछ भी नहीं। ख़ुदा चाहे तो उन की तौबा क़ुबूल कर ले और चाहे तो अज़ाब कर दे, क्योंकि ये ज़ालिम हैं। आसमानों और जमीन में जो कुछ है, सब अल्लाह ही का है। वह जिसे चाहे बख़्श दे, जिसे चाहे अज़ाब दे। अल्लाह बख़्शने वाला मेहरबान है।

तिर्मिज़ी शरीफ़ की हदीस की शरह, में जो ऊपर गुज़र चुकी है और इस आयत की तफ़्सीर में लिखा है कि वे तीनों मुसलमान हो गये, जिनके नाम लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने लानत भेजी थी और उनका इस्लाम अच्छा हुआ और ये तीनों साहिबान दीन के पहलवान साबित हुए।

तंबीह 8 – हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने चचा अबू तालिब से फ़रमाया, आप 'ला इला-ह इल्लल्लाह' कह लीजिए, ताकि क़ियामत के दिन उस की गवाही दे सकूं (और आप की बख़्शिश और निजात हो)। उन्होंने कहा, मुझे क़ुरैश ताना देंगे कि वह डर से अपने बाप-दादा के मज़हब को छोड़ कर मुसलमान हो गये। अगर यह आर न दिलवाते तो कलिमा पढ़ कर आप की आंखें ठंडी कर देता (यानी मुसलमान हो जाता) इस पर अल्लाह तआला ने यह आयत उतारी, (जो नीचे दर्ज है)

हवाला- 1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 224, हदीस 1045, सूरः क़सस की तफ़्सीर में,
2. तफ़्सीर इब्ने कसीर, पारा 2., पृ० 36, सूरः क़सस के छठे रुकूअ की तफ़्सीर में।

क़ुरआन शरीफ़ के बीसवें पारे में, सूरः क़सस के छठे रुकूअ में, आयत न० 56 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - तू जिसे चाहे, हिदायत नहीं दे सकता, बल्कि अल्लाह जिसे चाहे हिदायत देता है। हिदायत क़ुबूल करने वालों को अल्लाह ख़ूब जानता है।

ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! किसी को हिदायत पर ला खड़ा करना आप के बस की बात नहीं। आपके ज़िम्मे तो सिर्फ़ पैग़ामे ख़ुदा का पहुंचा देना है, उसी को अदा करते रहिए, हिदायत का मालिक ख़ुदा है। वह अपनी हिक्मत के साथ जिसे चाहता है, हिदायत क़ुबूल करने की तौफ़ीक़ बख़्शता है। ख़ुदा ही के इल्म में है कि हिदायत का हक़दार कौन है और गुमराही का हक़दार कौन है।

हवाला- तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 20, पृ० 35, सूरः क़सस के छठे रुकूअ की तफ़्सीर में।

तंबीह 9 – हज़रत सईद बिन मुसय्यिब रज़ियल्लाहु अन्हु अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि उन्होंने कहा कि जब अबूतालिब की वफ़ात, क़रीब हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तशरीफ़ लाये, पस आप ने उनके पास अबूजहल बिन हिशाम और अब्दुल्लाह बिन उमैया बिन मुग़ीत को पाया हज़रत मुसय्यिब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के

रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अबू तालिब से फ़रमाया कि ऐ चचा ! 'ला इला-ह इल्लल्लाहु' कह लो। मैं तुम्हारे लिए अल्लाह के यहां इस की गवाही दूंगा। अबू जहल और अब्दुल्लाह बिन उमैया ने कहा कि ऐ अबूतालिब! क्या तुम अब्दुल मुत्तलिब के तरीके से फिरे जाते हो? फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बराबर उन को कलिमा शरीफ़ की दावत देते रहे और वे दोनों वही बात कहते रहे, यहां तक कि अबू तालिब ने सब से आख़िरी बात जो उन से की, उसमें यह कहा कि वह अब्दुल मुत्तलिब के तरीके पर हैं और उन्होंने 'ला इला-ह इलल्लाहु' कहने से इन्कार कर दिया, (फ़िर वह मर गये) तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि हां मैं ख़ुदा की क़सम ! तुम्हारे लिए उस वक़्त तक इस्तग़फ़ार करूंगा, जब तक मुझको अल्लाह की ओर से रोक न दिया जाए। चुनांचे आप इस्तग़फ़ार करने लगे, (जिस पर अल्लाह तआला ने यह आयत उतारी)।

हवाला- 1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1, पारा 5, पृ० 303, हदीस 1259, जनाज़े की नमाज़ का बयान,

2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 8, हदीस 13, बाब 8, किताबुल ईमान।

क़ुरआन करीम के ग्यारहवें पारे में, सूरः तौबा के चौदहवें रुकूअ में, आयत न० 113 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा- नबी को और ईमानदार लोगों को जायज़ ही नहीं कि मुश्रिक लोगों के लिए मग़्फ़िरत की दुआ करें, अगरचे वे रिश्तेदार ही हों, जब उन्हें मालूम हो गया कि वे जहन्नमी हैं।

तंबीह 10- हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जब नुबुव्वत का दावा किया और लोग धीरे-धीरे मुसलमान होने लगे, तो मक्का वालों ने आपका इम्तिहान लेने के लिए मश्विरा किया तो यह बात तै हुई कि मदीने के यहूदी आलिमों से कुछ सवाल ऐसे पूछ कर ले आओ, जिनका जवाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम न दे सकें। चुनांचे क़ुरैशियों में से नज़्र बिन हारिस और उक़बा बिन मुअीत को मदीने के यहूदी उलेमा के पास भेजा गया कि तुम जाकर मुहम्मद के कुल हालात बयान करो। उनके पास अगले अंबिया का इल्म है। उनसे पूछो, उन की राय आप के बारे में क्या है? ये दानों मदीने गये। मदीने के यहूदी उलेमा से मिले। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हालात व औसाफ़ बयान किये। आप की तालीम का ज़िक्र किया और कहा कि तुम को इल्म हो तो बताओ कि उनके बारे में क्या ख़्याल है? उन्होंने कहा कि देखो, हम तुम्हें एक फ़ैसला कर देने वाली बात बताते हैं, तुम जा कर उनसे तीन सवाल करो, अगर जवाब दे सकें, तो उनके सच्चे होने में कोई शक नहीं, बेशक वह ख़ुदा के रसूल और पैग़म्बर हैं। अगर जवाब न दे सकें, तो उनके झूठा होने में भी कोई शक नहीं (फिर तुम जो चाहो, करो) उनसे पूछो कि अगले ज़माने में जो नव-जवान चले गये थे, उनका वाक़िआ बयान करो, वह एक अजीब वाक़िआ है और उस आदमी की हालत मालूम करो, जिस

ने सारी धरती का गश्त लगाया था, पूरब और पच्छिम हो आया था और रूह के बारे में मालूम करो। अगर वह बतला दें, तो उन्हें नबी मान कर उनकी इताअत करो। अगर न बता सकें, तो वह झूठे हैं, जो चाहो करो।

ये दोनों वहां से वापस आए और क़ुरैशियों से कहा, लो भाई! उन्होंने आख़िरी फ़ैसला कर देने वाली बात बतला दी है। अब चलो मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से सवाल करें। चुनांचे सब के सब आपके पास आए और तीनों सवाल किये। आप ने फ़रमाया, कल आओ, मैं तुम्हें जवाब दूंगा, लेकिन आप इन्शाअल्लाह कहना भूल गये। पन्द्रह दिन बीत गये, न तो आप पर वह्य आयी और न अल्लाह तआला की तरफ़ से उन बातों का जवाब मालूम कराया गया। मक्के वालों में हलचल मच गयी और कहने लगे, लीजिए साहब! कल का वायदा था और आज पन्द्रह दिन हो गये। इधर आप को दोहरा ग़म सताने लगा। एक तो क़ुरैशियों को जवाब न मिलने पर उनकी बातें सुनने का और दूसरा वह्य के बन्द हो जाने का। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम सूरः कह्फ़ लेकर नाज़िल हुए। उसमें इन्शाअल्लाह न कहने पर आप को तंबीह की गयी। उन नव-जवानों का क़िस्सा बयान किया गया और पूरब से पच्छिम तक जाने वाले का ज़िक्र किया गया।

हवाला- तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 15, पृ० 83, सूरः कहफ़ के पहले रुकूअ की तफ़्सीर में।

हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम क़ुरैशियों को जवाब देते वक़्त इन्शाअल्लाह कहना भूल गये थे, तो पन्द्रह दिन तक वह्य नहीं आयी थी, जिस की वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जवाब न दे सके और जवाब न मिलने पर मक्का में एक शोर बरपा हो गया था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को ग़ैब का इल्म होता, तो क्यों इस क़दर हैरान व परेशान होते और इन्शाअल्लाह कहना क्यों भूल जाते, जिस पर अल्लाह तआला ने यह आयत नाज़िल फ़रमायी।

क़ुरआन करीम के पन्द्रहवें पारे में, सूरः कह्फ़ के चौथे रुकूअ में, आयत न० 23-24 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - हरगिज़, हर गिज़ किसी काम के लिए यों न कहना कि मैं इसे कल करूंगा, मगर साथ ही इन्शाअल्लाह कह लेना।

ऊपर की इन तमाम इबारतों से यह बात साफ़ हो गयी कि ख़ुदा के अलावा न तो किसी को अख़्तियारे कुल है और न किसी को ग़ैब का इल्म है। अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अख़्तियारें कुल या इल्में ग़ैब होता, तो इतनी बातें अल्लाह की तरफ़ से सुनने की नौबत नहीं आती। इल्मे ग़ैब का मतलब ग़ैब की बात का किसी के बताये बग़ैर ख़ुद से जानना है और यह अल्लाह तआला की सिफ़्त है और जो ग़ैब की बात अल्लाह तआला के बताने

से मा'लूम हो उस को ग़ैब की इत्तिलाअ कहा जाता है। हक़ीक़त में जितनी होने वाली बातें जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को बता दी हैं, वह ग़ैब न रहा, बल्कि जो बातें न बताई हों, उस को ग़ैब कहते हैं। आई बात समझ में मेरे भोले भैया के।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इल्मे ग़ैब

मेरे प्यारे दोस्त ! ज़रा समझदारी और नर्मी के साथ इस बाब को ख़ूब ग़ौर से पढ़ना।

आज हिन्दुस्तान में शायद ही कोई ऐसा शहर या देहात होगा, जहां इल्मे ग़ैब के मस्अले पर झगड़े न होते हों। हम आपके सामने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक की बातें रखते आ रहे हैं और यह भी आपको बतला चुके हैं कि फ़रिश्तों को या नबियों को या वलियों को जो कुछ ग़ैब की बातें बतायी गयीं, वह ग़ैब की इत्तिला हैं और ग़ैब का आलिम ख़ुदा के सिवा और कोई भी नहीं है। हमारा अक़ीदा और ईमान है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को तमाम ज़मीन व आसमान के रहने वालों से ज्यादा इल्म व इज़्ज़त अल्लाह तआला ने दी है और अल्लाह के बाद सब से बड़ी हस्ती और सब से बड़ा मर्तबा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का ही है, मगर ग़ैब का आलिम सिवाए अल्लाह तआला के और कोई भी नहीं।

क़ुरआन अज़ीम के नवें पारे में, सूरः आराफ़ के तेईसवें रुकूअ में, आयत न० 188 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा कह दो कि अगर मैं ग़ैब जानता होता, तो मैं अपना बहुत-सा फ़ायदा कर लेता और कोई नुक्सान मुझे न पहुंचता। मैं तो सिर्फ़ डराने वाला और खुशख़बरी सुनाने वाला हूं उन लोगों को, जो ईमान लाए हैं।

अल्लाह तआला अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुबारक ज़ुबान से कहलवा रहा है कि आप साफ़-साफ़ कह दो कि ग़ैब की किसी बात का इल्म मुझे नहीं है, मैं तो सिर्फ़ वही जानता हूं जो अल्लाह तआला मुझे मालूम कराये। अगर मुझे ग़ैब की ख़बर होती, तो मैं अपने लिए बहुत भलाइयां समेट लेता।

हवाला– तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 9, पृ० 57, सूरः आराफ़ के तेईसवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

ऐ मेरे दोस्त ! अब सुनिये वे हदीसें, जिन से ज़ाहिर है कि जब अल्लाह तआला ने कोई नई बात बताई तो मालूम हो गयी और जब न बताया, तो मालूम न हुआ।

हदीस– उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि

उन्होंने कहा, सबसे पहले जो वह्य अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर शुरू हुई, वे अच्छे सपने थे। पस जो सपने आप देखते थे, वह सुबह की रोशनी की मिसाल ज़ाहिर हो जाते थे (फिर अल्लाह तआला की तरफ़ से) ख़लवत की मुहब्बत आप को दी गयी और आप हिरा के ग़ार में ख़लवत फ़रमाया करते थे और आप वहां तहन्नुस किया करते थे (यानी कई-कई रात लगातार इबादत किया करते थे) बग़ैर इसके कि अपने घर वालों के पास लौट कर आएं और आप इस लिए ज़ादेराह (रास्ते का ख़र्च) लेकर जाया करते थे, (यानी खाना-पीना कुछ दिनों का साथ ले जाते थे) फिर जब वह ख़त्म हो जाता, तो हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास लौट कर आते थे और उसी क़दर फिर ज़ादेराह (रास्ते का खर्च) ले जाते, यहां तक कि आप के पास वह्य आ गयी और आप ग़ारे हिरा में थे यानी अल्लाह की तरफ़ से आप के पास फ़रिश्ता आया और उस फ़रिश्ते ने आप से कहा, पढ़ो। आप ने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। आप फ़रमाते हैं कि फिर फ़रिश्ते ने मुझे पकड़ लिया और मुझे ज़ोर से दबाया यहां तक कि मुझे तक्लीफ हुई फिर मुझे छोड़ दिया और कहा कि पढ़िए तो मैंने कहा कि में पढ़ा हुआ नहीं हूं आप फ़रमाते हैं कि फ़रिश्ते ने मुझे फिर पकड़ लिया और तीसरी बार भी मुझे ज़ोर से दबाया, फिर मुझ से कहा-

'इक़रअ बिस्मि रब्बि-क' (अपने परवरदिगार के नाम की बरकत से पढ़ो, जिस ने हर चीज़ को पैदा किया, इन्सान को जमे हुए ख़ून से पैदा किया और यक़ीन कर लो कि तुम्हारा परवरदिगार बड़ा बुर्जुग है।')

पस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का दिल इस वाक़िए की वजह से हिलने लगा और आप हज़रत ख़दीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आए और घर वालों से कहा कि मुझे कम्बल उढ़ा दो। उन लोगों ने आप को कम्बल उढ़ा दिया, यहां तक कि जब आप के दिल से ख़ौफ़ जाता रहा, तो आप ने हज़रत ख़दीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा से सब हाल, जो ग़ारे हिरा में गुज़रा था, बयान कर के फ़रमाया, बिला शुबहा, मुझे अपनी जान का खौफ़ है। हज़रत ख़दीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा बोलीं कि आपको इस क़िस्म का ख़्याल हरगिज़ न करना चाहिए। ख़ुदा की क़सम! अल्लाह तआला आप को कभी परेशान नहीं करेगा। यक़ीनन आप रिश्तेदारों का ख़्याल करते हैं और ख़ुदा की राह में मदद करते हैं। फिर हज़रत ख़दीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा आप को ले चलीं और वरक़ा बिन नौफ़ुल, (अपने चचा के बेटे) के पास लायीं। यह वह आदमी था, जो जाहिलियत के दिनों में ईसाई हो गया था और इब्रानी किताब लिखा करता था। जिस क़दर अल्लाह को मंज़ूर होता था, इन्जील को इब्रानी में लिखा करता था और बड़ा-बूढ़ा आदमी था कि आंखों की रोशनी जा चुकी थी, तो उससे हज़रत ख़दीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि ऐ मेरे भाई! अपने भतीजे (नबी सल्ल०) से उन का हाल सुनो, वरक़ा बोले, ऐ मेरे भतीजे! तुम क्या देखते हो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जो कुछ देखा था, उन से बयान कर दिया, तो वरक़ा

ने आप से कहा कि यह वह फ़रिश्ता है, जिसे अल्लाह तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर उतारा था। ऐ काश ! मैं उस वक़्त तक ज़िंदा रहता, जब कि आप की क़ौम आप को (मक्का से) निकालेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह सुनकर ताज्जुब से फ़रमाया कि क्या लोग मुझे निकालेंगे? वरका ने कहा, हां। जिस आदमी ने आप जैसी बात बयान की, उससे हमेशा दुश्मनी की गयी है और अगर मुझे आप की नुबुव्वत का ज़माना मिल गया तो मैं बहुत ज़ोरदार आपकी मदद करूंगा, मगर कुछ ही दिनों में वरका की वफ़ात हो गयी और वह्य का आना कुछ दिनों के लिए बन्द हो गया।

हवाला- सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1, पारा 1, पृ० 1, हदीस 3, वह्य का बयान।

क़ुरआन करीम के उन्तीसवें पारे में सूरः मुद्दस्सिर के पहले रुकूअ में, आयत न० 1, 2, 3 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा- ऐ कपड़ा ओढ़ने वाले ! खड़े हो जा और आगाह कर दे और अपने रब ही की बड़ाई बयान कर।

ऐ मेरे प्यारे दोस्त ! ये थीं नुबुव्वत के वक़्त की परेशानियां। अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इल्मे ग़ैब होता तो क्यों कपड़ा ओढ़ते, क्यों घर में छिपते, क्यों आप को दह्शत मालूम होती, क्यों आप वरका का मश्विरा लेते, क्यों आप फ़रिश्ते से डरते, ये सारी बातें इल्मे ग़ैब न होने की वजह से थीं। अब आइए, नुबुव्वत मिलने के बाद की हदीसें सुनाऊं। ख़ूब ग़ौर से सुन लो और याद भी रखो, फिर अपने ईमान को तराज़ू से तोलना कि सही है या नहीं।

हदीस - हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जिस ज़माने में मौता की लड़ाई हो रही थी, इस ज़माने में (एक दिन) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने (हम लोगों से) फ़रमाया कि इस वक़्त ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने झंडा लिया और शहीद कर दिये गये, फिर जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने झंडा लिया और वह शहीद कर दिए गये अब्दुल्लाह बिन रवाहा ने झन्डा लिया और वह शहीद कर दिये गये और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की आंखें उस वक़्त आंसुओं की ज़्यादती से बह रही थीं, फिर ख़ालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बग़ैर सरदारी के झंडा लिया और उनके हाथों पर लड़ाई फ़त्ह हो गयी।

हवाला- सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1, पारा 5, पृ० 278, हदीस 1156, जनाज़े की नमाज़ का बयान।

ऐ मेरे अज़ीज़ ! इस को कहते हैं इत्तिला अलल ग़ैब कि सैंकड़ों मील पर लड़ाई हो रही है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मदीने में बैठे-बैठे ख़बर दे रहे हैं। अब सुनिये बे-ख़बरी की हदीस !

हदीस - हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हम अस्फ़ान से लौटते

वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ थे और रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपनी ऊंटनी पर सवार थे और हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा बिन्त हुय्यि को आप ने पीछे बिठा लिया था। फिर आप की ऊंटनी का पैर फिसल गया तो आप दोनों (ऊंटनी पर से) गिर पड़े। पस हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु जल्दी से (अपने ऊंट पर से) कूद पड़े और उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! अल्लाह आप पर मुझे फ़िदा करे। (कहीं आप को चोट तो नहीं लगी)। आप ने फ़रमाया, तुम औरत की ख़बर लो, पस हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने मुंह पर कपड़ा डाल लिया और हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा के पास गये और उन पर चादर डाल दी और सवारी को दुरुस्त किया, फिर दोनों सवार हो गये।

हवाला - सही बुखारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 12, पृ० 89, हदीस न० 324, किताबुल जिहाद।

मेरे अजीज़ दोस्त ! यह सोचने की जगह है, अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इल्मे ग़ैब होता तो ऊंटनी के फिसलने से पहले ही आप उतर जाते या कम से कम ऊंटनी का पैर फिसलने से पहले ऊंटनी को संभाल लेते या उसका पैर फिसलने ही न देते, मगर मेरे अज़ीज़! इल्मे ग़ैब सिवाए ख़ुदा के और किसी को भी नहीं।

हदीस - हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक दिन रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, जब सूरज ढल गया, बाहर तशरीफ़ लाये और आप ने ज़ुहर की नमाज़ पढ़ी, फिर आप मिम्बर पर खड़े हो गये और आपने क़ियामत का ज़िक्र फ़रमाया और बयान फ़रमाया कि उस में बड़े-बड़े हादसे होंगे, इस के बाद आपने फ़रमाया, जो आदमी कुछ पूछना चाहे, पूछे। तुम मुझ से जो बात पूछोगे, मैं तुम्हें बता दूंगा, जब तक मैं अपनी इस जगह पर हूं, तो लोगों ने रोने की कसरत की और आप ने इस क़ौल की कसरत की कि मुझसे पूछो। फिर अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफ़ा सहमी रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए और उन्होंने पूछा कि मेरा बाप कौन है? आप ने फ़रमाया, तेरा बाप हुज़ैफ़ा है। फिर आप बार-बार फ़रमाने लगे कि मुझसे पूछो, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु घुटनों के बल बैठ गये और कहने लगे कि हम अल्लाह से राज़ी हैं, जो हमारा परवरदिगार हैं और इस्लाम से जो हमारा दीन है और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से जो हमारे नबी हैं, पस आप ख़ामोश हो गये। इस के बाद फ़रमाया कि जन्नत और दोज़ख मेरे सामने अभी इस दीवार के कोनें में पेश की गयी हैं। ऐसी उम्दा चीज़ (जैसी जन्नत है) और ऐसी बुरी चीज़ (जैसी जहन्नम है) कभी नहीं देखी।

हवाला - सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1, पारा 3, पृ० 134, हदीस 505, नमाज़ का बयान।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, जो पूछना है, पूछो, लेकिन साथ ही साथ यह भी फ़रमा दिया कि जब तक मैं यहां पर हूं यानी इस जगह पर खड़ा हूं, उस वक़्त तक जो पूछना चाहो पूछ लो। इसी का नाम इत्तिला अ़लल ग़ैब है, क्योंकि ऐसा नहीं फ़रमाया कि जब चाहो तब पूछ लो। अब सुनिए दूसरी हदीस।

हदीस – हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हम एक लड़ाई में थे। मैंने अब्दुल्लाह बिन उबई को अपने कानों से यह कहते हुए सुना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथियों को ख़र्चा और ख़ैरात न दो, यहां तक कि वे उनका साथ छोड़ दें और देखो चलने दो। इज़्ज़त वाला ज़लील को निकाल देगा (यानी हम इन्हें मदीने से निकाल देंगे)। मैंने यह बात अपने चचा या हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से कह दी। उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कह दी। आपने मुझे बुलाया। मैंने जो बात सुनी थी, कह दी। फिर आप ने अब्दुल्लाह बिन उबई और उसके साथियों के पास आदमी भेजा (कि पूछो उस ने ऐसा कहा या नहीं।) उन्होंने हलफ़ उठा लिया (यानी क़समें खाने लगे) और इन्कार कर दिया तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुझे झूठा कहा और उन की बात को सच माना। मुझे ऐसा रंज हुआ कि कभी न हुआ था। मैं अपने घर में बैठ रहा। मेरे चचा ने मुझसे पूछा कि क्या वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तुझे झूठा क़रार दिया और तुझ पर ग़ुस्सा हो गये। उस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर यह आयते शरीफ़ा नाज़िल हुई, (यानी सूरः मुनाफ़िक़ून) तो आप ने मुझे बुलवाया और वह आयत सुनायी और फ़रमाया, ऐ ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु! अल्लाह ने तेरी तसदीक़ की, तू सच्चा है।

हवाला– 1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 20, पृ० 617, हदीस 2003, सूरः मुनाफ़िक़ून की तफ़्सीर में।
2. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 262, हदीस 1165, सूरः मुनाफ़िक़ून की तफ़्सीर में,
3. तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 28, पृ० 73, सूरः मुनाफ़िक़ून के पहले रुकूअ की तफ़्सीर में।

क़ुरआन शरीफ़ के अठाईसवें पारे में, सूरः मुनाफ़िक़ून के पहले रुकूअ में, आयत 1, 2 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा– तेरे पास जब मुनाफ़िक़ आते हैं तो कहते हैं कि हम इस बात के क़ायल हैं कि बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह जानता है कि यक़ीनन तू उसका रसूल है। अल्लाह तआला गवाही देता है कि ये मुनाफ़िक़ बिल्कुल झूठे हैं। उन्होंने अपनी क़समों को ढाल बना रखा है। पस अल्लाह की राह से रुक गये। बेशक बुरा है वह काम जो ये कर रहे हैं।

इसी सूरः में इसी रुकूअ की आयतें न० 7 व न० 8 में अल्लाह तआला और ज़्यादा खुलासा करते हुए इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा– यही वे हैं, जो कहते हैं कि जो लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास हैं, उन्हें कुछ न दो, यहां तक कि वे इधर-उधर चले जाएं। आसमान व ज़मीन के कुल ख़ज़ाने अल्लाह ही की मिल्कियत हैं, लेकिन ये मुनाफ़िक़, बे-समझ हैं ये कहते हैं कि अगर हम लोग लौट कर मदीना जाएंगे तो हर इज़्ज़त वाला वहां से ज़िल्लत वाले को निकाल

देगा। सुनो! इज़्ज़त तो सिर्फ़ अल्लाह तआला के लिए है और उसके रसूल के लिए और ईमानदारों के लिए है, लेकिन ये मुनाफ़िक़ बेइल्म हैं।

देखा मेरे अज़ीज़ दोस्त! हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु को झुठलाया, हालांकि वे सच्चे थे और मुनाफ़िक़ों की बातों को सच मान लिया, हालांकि वे झूठे थे। यह सब क्यों हुआ, इसलिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इल्मे ग़ैब नहीं था। अगर होता तो क्या हुज़ूर सल्लल्लाहू अलैहि व सल्लम सच्चे को झूठा और झूठे को सच्चा समझते? हर गिज़ नहीं! यह नहीं हो सकता कि एक बात जानते हुए भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम झूठों की तस्दीक़ करें, मगर बात यह थी कि मुनाफ़िक़ों की क़समों पर हुज़ूर सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम को यक़ीन व एतबार आ गया कि ये लोग झूठे नहीं हैं, इसलिए उन मुनाफ़िक़ों की बात सच मान ली, तो उसी वक़्त अल्लाह तआला ने वह्य नाज़िल फ़रमायी और मुनाफ़िक़ों का झूठ और हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु की सच्चाई की अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इतला दी और इसी को कहते हैं इत्तिला अलल ग़ैब। आयी बात समझ में? या और आयतें और हदीसें सुनाऊं मेरे भैया को ?

हदीस- हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने नमाज़ पढ़ी, बाद में मिंबर पर बैठ गये और नमाज़ के और रुकूअ के बारे में फ़रमाया कि मैं यक़ीनन तुम्हें पीछे से भी ऐसा ही देखता हूं, जैसा तुम्हें (आगे से) मैं देखता हूं।

हवाला- 1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1, पारा 2, पृ० 109, हदीस 401, किताबुस्सलात,
2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 71, हदीस 379, बाब 163, नमाज़ का बयान।
3. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 215, हदीस 1013, सफ़ों को बराबर करने का बयान।

इस हदीस से भी इल्मे ग़ैब साबित नहीं होता, बल्कि एक ख़ास कश्फ़ है, जिसका बयान हम ऊपर कर चुके हैं। अब देखिए दूसरी हदीस ऊपर वाली हदीस के जवाब में।

हदीस- हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उत्बा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास गया और मैंने कहा कि आप मुझ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बीमारी की कैफ़ियत नहीं बयान करतीं। उन्होंने कहा, अच्छा, (सुनो, बात कहती हूं।) अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बीमार हुए, फिर आप ने फ़रमाया कि मेरे लिए तश्त में पानी रख दो, (मैं नहाऊंगा)। हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि हम लोगों ने ऐसा ही किया। पस आप ने ग़ुस्ल फ़रमाया, फिर खड़ा होना चाहा, मगर आप बेहोश हो गये। इस के बाद होश आया, तो फिर फ़रमाया कि लोग नमाज़ पढ़ चुके? इसी तरह तीन मर्तबा फ़रमाया। (मुख़्तसर)

हवाला – सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1, पारा 3, पृ० 162, हदीस 642, अज़ान का बयान।

यह हदीस बहुत बड़ी है। हम ने सिर्फ़ इस हदीस का मज़्मून समझाने की ग़रज से मुख़्तसर लिखी है। हम को यह बताना था कि अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इल्मे ग़ैब होता, तो बार-बार क्यों पूछते कि लोगों ने नमाज़ पढ़ ली है या नहीं?

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते थे, जो मुझे इल्म है, वह तुम्हें होता, तो तुम बहुत ही कम हंसते और बहुत ज़्यादा रोते।

हवाला – 1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 26, पृ० 322, हदीस 1401, रिक़ाक़ का बयान,

2. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 38, हदीस 175, जिहाद का बयान।

इस में कोई शक नहीं कि जो इल्म व इज़्ज़त अल्लाह तआला ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को दी है, वह किसी इन्सान को तो क्या किसी फ़रिश्ते को भी नसीब नहीं है, मगर इससे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को आलिमुलग़ैब समझना जहालत है।

क़ुरआन करीम के पांचवें पारे में सूरः निसा के सतरहवें रुकूअ में, आयत न० 113 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – 'और तुझे वह सिखाया है, जिसे तू नहीं जानता था। अल्लाह तआला का तुझ पर बड़ा भारी फ़ज़्ल है।'

'वह्य नाज़िल होने से पहले आप जो न जानते थे, उसका इल्म परवरदिगार ने आप को बज़रिया वह्य करा दिया।'

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 5, पृ० 100, सूरः निसा के सतरहवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

हदीस – हज़रत आइशा सद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपने मरज़े वफ़ात में बार-बार पूछा करते थे, मैं आज कहां रहूंगा, मैं कल कहां रहूंगा, (यानी हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की बारी का इन्तिज़ार करते थे)। फिर जब मेरा दिन आया तो अल्लाह ने आप को मेरे पहलू और सीने के दर्मियान में क़ब्ज फ़रमाया (यानी आप का इन्तिक़ाल हुआ) और मेरे ही घर में दफ़्न किये गये।

हवाला – सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1, पारा 6, पृ० 313, हदीस 1288, नमाज़ का बयान।

अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इल्मे ग़ैब होता, तो क्यों पूछते? क्या एक बेहतरीन हस्ती जो सारी दुनिया व जहान के लिए सच्चाई व दयानत का मुजस्समा और रहमत का पैकर बनाकर भेजी गयी हो, वह जानने के बावजूद न जानना ज़ाहिर करती और ख़बर होते हुए भी बार-बार पूछेगी कि कल मैं कहां रहूंगा? यह खुला झूठ है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शाने मुबारक पर एक क़िस्म का बोहतान है। मुसलमानों को ऐसे लफ़्ज़

कहने से रुक जाना चाहिए।

हदीस- हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, ज़ौजा अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ियल्लाहु अन्हु कहती हैं कि मैं ईदगाह में थी, तो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को देखा कि आप ने (औरतों से) फ़रमाया कि तुम लोग सद्का दो। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा (अपना माल अपने शौहर) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु और उन यतीम बच्चों पर, जो उनकी तबियत में थे, खर्च किया करती थीं, तो उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मालूम करो कि मेरे लिए यह काफ़ी है कि मैं (अपना माल) तुम पर और अपनी तर्बियत में पल रहे यतीमों पर खर्च करूं, तो उन्होंने कहा, तुम ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से पूछो। चुनांचे मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास गयी, तो मैंने दरवाजे पर एक अन्सारिया औरत को देखा कि वह भी मेरी जैसी ज़रूरत से आयी थी। पस हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु हमारे पास से निकले तो हमने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मालूम करो कि क्या मेरे लिए यह काफ़ी है कि मैं (अपना माल) अपने शौहर और यतीम बच्चों पर, जो मेरी तर्बियत में हैं, ख़र्च करूं? और हमने (हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु से) कह दिया कि तुम हमारी खबर न करना कि फ़्ला-फ़्लां औरतें हैं। (मगर जब हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप से जाकर यह पूछा) तो आप ने फ़रमाया, ये दोनों औरतें कौन-कौन सी हैं? हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा। आप ने पूछा कि कौन-सी ज़ैनब? हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी। आप ने फ़रमाया, हां (काफी है) बल्कि उसको दोहरा सवाब मिलेगा। क़राबत का हक़ अदा करने का सवाब और ख़ैरात देने का सवाब।

हवाला- 1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1, पारा 6, पृ० 332, हदीस 1361, किताबुज़्ज़कात,
2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 162, हदीस 1006, बाब 288, किताबुज़्ज़कात।

मेरे प्यारे दोस्त ! हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इल्मे ग़ैब होता, तो क्यों पूछते कि कौन-सी औरत और कौन-सी ज़ैनब ? क्या नबी और रसूल इसी लिए दुनिया में भेजे जाते हैं कि एक बात को जानते हुए भी ला-इल्मी ज़ाहिर करें। यह किसी तरह से भी सही नहीं है, फिर यह कैसे हो सकता है कि जानने के बावजूद आप पूछें कि कौन-सी औरत और कौन-सी ज़ैनब ? मगर बात यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को ग़ैब का इल्म नहीं था।

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक हब्शी मर्द या हब्शी औरत मस्जिद में झाड़ू देती थी। जब वह मर गयी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने उसके बारे में लोगों से पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया कि वह तो मर गयी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि तुम ने मुझे ख़बर क्यों न दी? (अच्छा अब)

मुझे उसकी क़ब्र बता दो। चुनांचे लोगों ने क़ब्र बतायी, फिर आपने उस पर नमाज़ (जनाज़ा) पढ़ी।

हवाला- 1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1, पारा 2, पृ० 118, हदीस 436, किताबुस्सलात,
2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 292, हदीस 1564, जनाज़े का बयान,
3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 47।

हदीस - हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हा बिन्त अबी तालिब कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास (फ़त्हे मक्का) के साल गयी, तो मैंने आपको ग़ुस्ल करते हुए पाया और आप की बेटी हज़रत फ़ातमा ज़ोहरा रज़ियल्ललाहु अन्हा आप पर परदा किए हुए थीं, उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि मैंने आपको सलाम किया, तो आप ने फ़रमाया कि यह कौन है ? मैंने अर्ज़ किया कि मैं हूं उम्मे हानी बिन्त अबी तालिब। आप ने फ़रमाया, मरहबा उम्मे हानी।

हवाला- 1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1, पारा 2, पृ० 96, हदीस 343, किताबुस्सलात,
2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 116, हदीस 699, बाब 243, मुसाफ़िर की नमाज़ का बयान,
3. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 117, हदीस 593, अब-वाबुल आदाब,
4. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 606, हदीस न० 3777, अम्न का बयान,
5. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 3, पृ० 425, अम्न का बयान।

मेरे प्यारे दोस्त ! अगर अल्लाह तआला कोई बात बतलाना न चाहे, तो दीवार और पर्दे के पीछे की बात तो क्या, बल्कि पैर के नीचे क्या चीज़ है और सर के ऊपर क्या हो रहा है, इस की भी ख़बर नहीं हो सकती, क्योंकि आलिमुल ग़ैब सिवाए ख़ुदा के कोई भी नहीं और यही तमाम सलफ़े सालिहीन और जम्हूर उलेमा-ए-उम्मत का अक़ीदा है, जिस का बयान इन्शाअल्लाह आगे आएगा और अगर अल्लाह तआला कोई बात बतलाना चाहता है, तो सातवीं ज़मीन के नीचे और सातों आसमान के ऊपर क्या हैं और क्या हो रहा है, वह भी मालूम हो जाता है, इसी को कहते हैं इत्तिला अलल ग़ैब और इल्मे ग़ैब सिवाए ख़ुदा के और किसी को नहीं है।

अब दिल लगा कर ग़ौर से सुनो। कुछ आयतें और कुछ हदीसें सुनाता हूं मेरे भैया को।

क़ुरआन करीम के बीसवें पारे में, सूरः नम्ल के पांचवें रुकूअ में, आयत न० 65 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा- आप कह दीजिए कि जितनी मख़्लूक़ात आसमानों और ज़मीन में मौजूद हैं, कोई भी ग़ैब की बात नहीं जानता सिवाए ख़ुदा के।

सुनो, ख़ुदाई फ़ैसला हो चुका है कि आसमान और ज़मीन की तमाम मख़्लूक़ ग़ैब से बे-ख़बर है।

हवाला- तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 20, पृ० 2, सूरः नम्ल के पांचवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

हदीस- हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फ़रमाती हैं कि जो कोई तुम से कहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इल्म ग़ैब जानते थे, तो वह झूठा है। (यह कह कर इसी आयत की तिलावत की, जो ऊपर लिखी है।) (मुख़्तसर)

हवाला- 1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 30, पृ० 537, हदीस 2233, तौहिद का बयान।

2. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 184, हदीस न० 926, सूरः अन-आम की तफ़्सीर में।

हदीस- हज़रत ख़ालिद बिन ज़क्वान, रुबय्यिअ़ बिन्त मुअ़व्वज़ रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत करते हैं कि रुबय्यिअ़ कहती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मेरे पास उस सुबह को जो शबे ज़ुफ़ाफ़ थी, तशरीफ़ लाये और मेरे पास जैसे तू बैठा है, उसी तरह बैठ गये और लड़कियां दफ़ बजाकर मर्सिए अपने बापों, बद्र में मारे गये लोगों के पढ़ रहीं थीं, यहां तक कि एक लड़की ने उनमें से यह कहा, हम में ऐसे नबी हैं, जो जानते हैं कि कल क्या होगा। आप ने फ़रमाया, इस तरह मत कहो, वही कहो जो तुम (पहले) कह रही थीं।

हवाला- 1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 16, पृ० 300, हदीस 1167, किताबुल मग़ाज़ी,

2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 494, हदीस 2984, किताबुन्निकाह,

3. अबूदाऊद शरीफ़, जिल्द 3, पारा 31, पृ० 569, हदीस 1491, बाब 474 ।

इस हदीस में लड़कियों ने इशारा ग़ैब का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तरफ़ किया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने लड़कियों को ऐसा कहने से रोक दिया, क्योंकि यह बात आप को नागवार मालूम हुई (यानी पसन्द नहीं आयी) इसलिए कि ग़ैब कोई नहीं जानता, सिवाए अल्लाह के, मगर जो कुछ अल्लाह तआला चाहता है, मालूम करा देता है, अपने रसूलों को ग़ैब की बातों में से।

हवाला- मज़ाहिरे हक़, जिल्द 3, पृ० 126, निकाह का बयान

मगर हाय हिन्दुस्तान की जहालत, न तो क़ुरआन करीम की आयतों को मानते हैं और न तो हदीसों को और न फ़ुक़हा-ए-किराम की किताबों को। अगर मानते हैं तो सिर्फ़ नफ़्स परस्तों की बातें को।

क़ुरआन शरीफ़ के बारहवें पारे में, सूरः हूद के तीसरे रुकूअ में, आयत न० 31 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा- और मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के (तमाम) ख़ज़ाने हैं और

न मैं ग़ैब की बातों को जानता हूं।

आप फ़रमाते हैं कि मैं सिर्फ़ रसूल हूं, अल्लाह वह्दहू ला शरीक की इबादत और तौहीद की तरफ़ उसके फ़रमान के मुताबिक़ तुम सब को बुलाता हूं। इससे मेरी मुराद तुम से माल समेटना नहीं है। हर बड़े-छोटे के लिए मेरी दावत आम है। जो क़ुबूल करेगा, निजात पाएगा। ख़ुदा के ख़ज़ाने के हेर-फेर करने की मुझ में क़ुदरत नहीं और ग़ैब भी नहीं जानता, मगर जो बात मुझे अल्लाह मालूम करा दे, वह मालूम हो जाती है।

हवाला- तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 12, पृ 12, सूरः हूद के तीसरे रुकूअ की तफ़्सीर में।

मेरे प्यारे दोस्त! इल्मे ग़ैब की यही हालत है, जितना अल्लाह तआला बतलाना चाहता है, वह बतला देता है, इस को कहते हैं इत्तिला अलल ग़ैब, मगर आलिमुल ग़ैब ख़ुदा के सिवा कोई भी नहीं हैं।

क़ुरआन शरीफ़ के चौथे पारे में सूरः आले इम्रान के अठारहवें रुकूअ में आयत 179 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा- और न ख़ुदा ऐसा है कि तुम्हें ग़ैब से आगाह कर दे, मगर अल्लाह अपने रसूलों में से जिसे चाहे पसन्द कर लेता है।

ख़ुदा का फ़रमान है कि ग़ैब को तुम नहीं जान सकते। हां, वह ऐसे असबाब पैदा कर देता है कि मोमिन और मुनाफ़िक़ में साफ़ फ़र्क़ हो जाए, लेकिन अल्लाह तआला अपने रसूलों में से, जिसे चाहे पसन्द कर लेता है।

हवाला- तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 4, पृ० 54, सूरः आले इम्रान के अठारहवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

इस आयते शरीफ़ा से कुल इल्मे ग़ैब साबित नहीं होता, बल्कि जितना अल्लाह चाहे, उस की इत्तिला कर देता हैं।

क़ुरआन मजीद के उन्तीसवें पारे में, सूरः जिन्न के दूसरे रुकूअ में, आयत 26, 27 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा- वह ग़ैब का जानने वाला है और अपने ग़ैब पर किसी को खबरदार नहीं करता सिवाए उस पैग़म्बर के, जिसे वह पसन्द कर ले, लेकिन उसके भी आगे-पीछे पहरेदार मुक़र्रर कर देता है।

इस आयते करीमा में दलील है इस बात की कि अक्सर जाहिलों में यह जो मशहूर है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ज़मीन के अन्दर की चीज़ों का भी इल्म रखते थे, वह बिल्कुल ग़लत है। इस रिवायत की कोई असल नहीं सिर्फ़ झूठ है और बिल्कुल बे-असल है। हम ने तो इसे किसी किताब में नहीं देखा, हां, इस के ख़िलाफ़ साफ़ साबित है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से क़ियामत के क़ायम होने का वक़्त पूछा जाता है और आप उसके ठीक

वक्त से ला-इल्मी ज़ाहिर करते हैं। एक ऐराबी की शक्ल में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने भी आ कर जब क़ियामत के बारे में सवाल किया था, तो आप ने साफ़ फ़रमा दिया कि इस का इल्म न पूछने वाले को है और न उसे है जिस से पूछा जाता है।

हवाला- तफ़्सीर इब्ने कसीर, पारा 29, पृ० 50, सूरः जिन्न के दूसरे रुकूअ की तफ़सीर में।

क़ुरआन शरीफ़ के नवें पारे में, सूरः आराफ़ के तेइसवें रुकूअ में, आयत न० 187 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा- तुझ से क़ियामत के बारे में सवाल करते हैं कि उस का क़ायम होना कब है? तू जवाब दे कि इस का इल्म तो सिर्फ़ मेरे परवरदिगार के पास ही है। वही इस के मुकर्ररा वक्त पर ज़ाहिर कर देगा, वह तो ज़मीन व आसमान में बोझ हो रही है। वह तुम्हारे पास अचानक ही आ जाएगी। इस तरह तुझ से पूछ रहे हैं कि गोया तू उसको जानता है। साफ़-साफ़ कह दे कि उस का इल्म अल्लाह ही के पास है, लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते।

हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी जब ऐराबी की शक्ल में यानी (देहाती इन्सान) की शक्ल में मसाइल की तलब में आप के पास बैठकर आप से क़ियामत के बारे में पूछने लगे, तो आप ने साफ़ जवाब दिया कि इस का इल्म न तुझे है, न मुझे है।

हवाला- 1. सही बुख़री शरीफ़, जिल्द 1, पारा 1, पृ० 18, हदीस 48, किताबुलईमान,
2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 5, हदीस 1, बाब 1, किताबुल ईमान,
3. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 95, हदीस 471, अब-वाबुल ईमान,
4. इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 608, हदीस 4039, किताबुल फ़ितन।

हदीस- हज़रत सहल बिन सअ्द रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा है कि मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी दोनों उंगलियों (यानी बीच वाली और शहादत की उंगली) से यों इशारा करके फ़रमाया कि मैं और क़ियामत इस तरह भेजे गये हैं।

हवाला- 1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 20, पृ० 638, हदीस 2039, सूरः नाज़िआत की तफ़्सीर।
2. सही मुस्लिम, शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 247, हदीस 1184, बाब 510, फ़ित्नों का बयान,
3. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 18, हदीस 81, अब-वाबुल फ़ितन,
4. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 796, हदीस 5246, क़ियामत का बयान।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहिं व सललम ने फ़रमाया कि मैं और क़ियामत इस तरह आए हैं और आपने दोनों उंगलियां जोड़ कर बतलाया (यानी शहादत की उंगली और बीच की उंगली) लेकिन इसके बावजूद आपको क़ियामत का इल्म न था (कि कब आएगी)? इस के बारे में जब

भी किसी ने सवाल किया, तो अल्लाह तआला की तरफ से हुक्म मिला कि जवाब दो मैं नहीं जानता, इस का इल्म तो सिर्फ ख़ुदा ही को है, लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते।

क़ुरआन मजीद के तीसवें पारे में, सूर: नाज़िआत के दूसरे रुकूअ में, आयत न० 42, 43, 44 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है।–

तर्जुमा– लोग तुझ से क़ियामत के क़ायम होने का वक़्त मालूम कर रहे हैं। तुझे, इसके बयान करने से क्या ताल्लुक़? इस के इल्म की इन्तिहा तो ख़ुदा की जानिब है।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अल्लाह तआला फ़रमाता है कि लोग क़ियामत के बारे में आप से सवाल कर रहे हैं कि वह कब आएगी। तुम कह दो कि न मुझे इसका इल्म है, न मख़्लूक़ में से किसी और को। सिर्फ़ ख़ुदा ही जानता है कि क़ियामत कब आएगी और सिवाए ख़ुदा के इस का सही वक़्त किसी को भी मालूम नहीं।

हवाला– तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 30, पृ० 14, सूर: नाज़िआत के दूसरे रुकूअ की तफ़्सीर में।

कुछ जाहिल कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जानते थे, मगर बताया नहीं, यह बिल्कुल ग़लत है और झूठ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सललम पर एक क़िस्म का झूठा बोहतान लगाते है। अक्सर जाहिल फ़क़ीर और जाहिल सूफ़ी जो कहते हैं कि क़ुरआन शरीफ़ के चालीस पारे नाज़िल हुए थे, मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दस पारे किसी को नहीं सिखाये, यह भी बिल्कुल ग़लत और झूठ है, जिस का बयान इन–शाअल्लाहु तआला आगे आएगा।

क़ुरआन शरीफ़ के सातवें पारे में सूर: अन्–आम के सातवें रुकूअ में आयत न० 59 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है।–

तर्जुमा– ग़ैब की कुंजियां सिर्फ़ उसी के पास हैं, जिन्हें उस के सिवा और कोई नहीं जानता, वह तरी और खुश्की की हर चीज़ का इल्म रखता है। जो पत्ता (पेड़) से गिरता है, उस का भी उसे इल्म है। ज़मीन के अंधेरों में कोई दाना और कोई तरी–खुश्की ऐसी नहीं जो खुली किताब में न हो।

अल्लाह का इल्म तमाम मौजूदात को घेरे हुए है, यानी जो चीज़ कि खुश्क ज़मीन और जंगल में हो, समुन्दर, दरियाओं में कोई चीज़ उस के इल्म के बाहर नहीं आसमान और ज़मीन का एक ज़र्रा भी उस पर पोशीदा नहीं, किसी को कुछ दिखाई दे या न दे, मगर अल्लाह तआला पर कुछ भी पोशीदा नहीं। वह सब की हरकतों को जानता है, जामदात की हरकतों, यहां तक कि पत्तों का झड़ना भी उस के इल्म से बाहर नहीं है।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 7, पृ० 67, सूर: अन–आम के सातवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

हदीस – हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि

व सल्लम का क़ायदा यह था कि जब आप किसी सफ़र पर जाने का इरादा करते, तो अपनी बीवियों में से क़ुरआ डालते और जिस का नाम निकल आता, उस को अपने साथ ले चलते। चुनांचे एक बार किसी लड़ाई में जाने के लिए हमारे बीच क़ुरआ डाला। मेरा नाम निकल आया और मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ रवाना हुई। यह वाक़िआ पर्दे का हुक्म नाज़िल होने के बाद का है। मैं एक हौदज में सवार थी। जब कहीं ठहरना होता तो होदज उतार लिया जाता था, फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम लड़ाई से वापस हुए। जब मदीने के क़रीब पहुंचे, तो मामूल के मुताबिक़ एक रात को पड़ाव से कूच का हुक्म हुआ। कूच का ऐलान होते ही मैं उठी और फ़ौज के बाहर निकल कर हाजत पूरी की और फिर अपने ठहरने की जगह पर वापस चली आयी। वहां मैं ने सीने को छूकर देखा, तो मेरा हार जो फ़लफ़ा नामी जगह के पोथ का था, गायब था। ख़ुदा जाने कहां टूट कर गिर गया। मैं उस की खोज में चल दी और देर तक उसको खोजती रही। इधर वह, जो मेरा हौदज ऊंट पर बांधा करते थे, आए और हौदज को उठाया और उसे ऊंट पर रख दिया, जिस पर मैं सवार हुआ करती थी। उन का ख़्याल यह था कि मैं हौदज के भीतर हूं। उस ज़माने में औरतें नाज़ुक अन्दाम हुआ करती थीं, गोश्त और चर्बी की कमी की वजह से मोटी न होती थीं और थोड़ा खाना खाती थीं। इस वजह से लोगों को हौदज में वजन महसूस न हुआ, जब कि उन्होंने उस को उठाया और ऊंट पर रख कर बांधा, फिर उस ज़माने में मैं एक नव-उम्र लड़की थी, इस वजह से होदज़ में उन को वज़न का अन्दाज़ा न हो सका। ग़रज यह कि (हौदज बांध कर) उन्हों ने ऊंट को उठाया और चल दिये और फ़ौज़ के चले जाने के बाद मुझे हार मिल गया। मैं अपने ठहरने की जगह पर वापस आयी तो वहां न कोई पुकारने वाला था और न कोई जवाब देने वाला। आख़िर मैं उसी जगह पर चली गयी, जहां ठहरी हुई थी और मैंने ख़्याल कर लिया कि जब लोग मुझ को न पाएंगे, तो लौट कर यहीं पर आएंगे। मैं अपनी जगह पर बैठी हुई थी कि नींद का ख़ुमार आंखों में पैदा हुआ और मैं सो गयी।

सफ़वान बिन मुअ़त्तल सलमी फ़ौज से पीछे शबबाश हो गया था। रात को वहां से चल कर सुबह को मेरे ठहरने की जगह पर पहुंचा और सोये हुए इंसान की स्याही देखी। वह मेरे क़रीब आया और मुझ को देखते ही पहचान लिया, इस लिए कि पर्दे का हुक्म उतरने से पहले उसने मुझ को देखा था, उसने मुझ को पहचान कर-

-इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन०'

(हम सब अल्लाह के लिए हैं और हम सब को उसी की ओर पलट कर जाना है)

पढ़ा। मैं उसकी आवाज़ सुन कर जाग गयी और दोपट्टा में मुंह छिपा लिया और ख़ुदा की क़सम ! मैं ने उस से एक लफ़्ज भी नहीं कहा और न उस की ज़ुबान से।

'इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन०'

के सिवा कोई कलिमा सुना।

ग़रज यह कि उसने अपनी ऊंटनी को बिठा लिया और मैं उस के हाथ का सहारा लेकर ऊंटनी पर सवार हो गयी और वह ऊंटनी की महार पकड़ कर (यानी नकेल की रस्सी पकड़ कर) रवाना हुए, यहां तक कि हम फ़ौज में पहुंच गये, जब कि कड़ी गर्मी के वक्त फ़ौज वाले एक जगह पर उतर पड़े थे।

(मेरे इस वाक़िए में) जिन लोगों को हलाक होना था, हलाक हो गये। (यानी मुझ पर तोहमत और बोहतान लगा कर जिन लोगों की क़िस्मत में हलाक होना था, हलाक हो गये।) इस मामले में सब से ज़्यादा झूठ गढ़ने का ज़िम्मेदार (मदीने का मशहूर मुनाफ़िक़) अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल था।

हम मदीन में पहुंचे और पहुंचते ही मैं बीमार पड़ गयी और एक महीने तक बीमार रही। जिन लोगों ने बोहतान बांधा था, उन के बयान और क़ौल पर लोग ग़ौर करते रहे, लेकिन मुझ को उस की कोई ख़बर न थी। अल-बत्ता बीमारी के ज़माने में जिस बात ने मुझे शक में डाल दिया था, वह यह थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मेरी बीमारी के ज़माने में जिस मेहरबानी के साथ मुझ से पेश आया करते थे, वह मेहरबानी इस बीमारी में नज़र न आती थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब मेरे पास तशरीफ़ लाते, तो सलाम के बाद पूछते, तुम कैसी हो? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस रवैए से मुझ को शक होता था, लेकिन किसी बुराई का एहसास मुझ को न होता था।

मुख़्तसर यह कि (बीमारी से आराम हो जाने के बाद) कमज़ोरी ही की हालत में एक बार उम्मे मिस्तह (मिस्तह की मां) के साथ मैं हाजत पूरी करने के लिए बाहर निकली और यह वाक़िआ घरों के क़रीब पाख़ाने बनाने से पहले का है। उस वक़्त हमारी हालत पाख़ाने के लिए जंगलों में जाने के बारे में बिल्कुल (शुरू के) अरबों की-सी थी और हम घरों के क़रीब पाख़ाने बनाने में तक्लीफ़ महसूस करते थे। उम्मे मिस्तह फ़राग़त के बाद घर लौटीं। रास्ते में उम्मे मिस्तह अपनी चादर में उलझ कर गिर पड़ीं और उन्होंने कहा, मिस्तह हलाक हो और बर्बाद हो।

मैं ने कहा, तुमने बुरी बात कही। तुम ऐसे आदमी को बुरा-भला कहती हो, जो बद्र की लड़ाई में शरीक हो चुके हैं?

उम्मे मिस्तह ने कहा, अनजान और भोली लड़की! तुमने सुना नहीं, उसने क्या कहा है?

मैंने पूछा, उसने क्या कहा ?

हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ियसल्लाहु अन्हा कहती हैं कि मुझ को उम्मे मिस्तह ने बोहतान लगाने वालों की बातें सुनायीं और उन को सुन कर मेरी बीमारी में इस बीमारी का दौरा और ज़्यादा हो गया। जब में घर वापस आयी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तशरीफ़ लाये और मुझ को सलाम कर के पूछा, तुम कैसी हो?

मैंने अर्ज़ किया, अगर आप मुझ को मेरे मां-बाप के घर जाने की इजाज़त दे दें, तो बेहतर है। मेरा मंशा इस से यह था कि मैं अपने मां-बाप के घर जा कर उन से इस ख़बर की तसदीक करूं।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुझ को इजाज़त दे दी और मैंने अपने मां-बाप के घर जा कर अपनी मां से कहा, अम्मां ! लोग क्या कह रहे हैं?

मेरी मां ने कहा बेटी ! ग़म न कर, ख़ुदा की क़सम ! जो औरत चमकदार (यानी हसीन व जमील) होती है और उस का शौहर उस से मुहब्बत करता है और उस की सौतें भी होती हैं, तो ऐसा बहुत कम होता है कि उस की सौतें उस पर तरह-तरह के इलज़ाम न लगायें। मैंने कहा, लोग इस क़िस्म की बातें कर रहे हैं ?

हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का बयान है कि उस रात को मैं सारी रात रोती रही, यहां तक कि सुबह हो गयी। न आंसू थमते थे और न नींद आती थी। सुबह को भी मैं बराबर रोती रही।

इधर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जब यह देखा कि वह्य आने में देर हो गयी है, (यानी एक महीने तक वह्य नहीं आयी थी) तो अपनी बीवी को (यानी मुझ को) तलाक़ देने के मामले में मश्विरा करने के लिए अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु और उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया और उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने इल्म की बुनियाद पर हुज़ूर सल्लल्लहु अलैहि व सल्लम की बीवी की पाकदामनी को बयान किया और उस मुहब्बत को ज़ाहिर किया, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अपनी बीवियों से है। चुनांचे उन्होंने अर्ज़ किया-

ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! वह (यानी आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा) आप की बीवी हैं और हम उन के बारे में भलाई के सिवा और कुछ नहीं जानते।'

और अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, 'ख़ुदावन्दे तआला ने आप के लिए तंगी नहीं रखी, उस के सिवा और बहुत-सी औरतें हैं। अगर आप लौंडी से मालूम करेंगे तो वह आप से सच-सच बयान कर देगी।

चुनांचे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के मश्विरे के मुताबिक़ हुज़ुर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत बरीरह रज़ियल्लाहु अन्हा लौंडी को तलब फ़रमाया और बरीरह रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा-

'बरीरह (रज़ियल्लाहु अन्हा !) तुमने आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा में कोई ऐसी बात देखी है, जिस से तुम को शक पैदा हुआ हो ?'

बरीरह रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ किया, 'क़सम है उस ज़ात की, जिस ने आप को हक़ के साथ भेजा है, मैंने हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा में कभी कोई ऐसी बात नहीं देखी, जिससे

उन पर कोई ऐब लगाया जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा यह कहा जा सकता है कि वह एक नव-जवान लड़की हैं, जो घर का गुंधा हुआ आटा छोड़ कर सो जाती हैं आक्सर बकरी का बच्चा आ कर उस को खा जाता है।'

हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का बयान है कि उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मिम्बर पर तशरीफ़ ले गये और अब्दुल्ललाह बिन उबई बिन सलूल के बारे में उज़्र तलब किया। (यानी यह फ़रमाया कि अब्दुल्लाह बिन उबई ने मेरी बीवी के मुताल्लिक़ तोहमत लगा कर मुझ को तक्लीफ़ पहुंचायी है, उस के ना-मुनासिब काम पर अगर बदला लिया जाए, तो कौन मेरी मदद करेगा?) हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मिंबर पर खड़े होकर फ़रमाया, मुसलमानों! जिस आदमी की तरफ़ से मुझको अपने घर वालों के मामले में तक्लीफ़ पहुंचायी गयी है, उस की तरफ़ से कौन उज़्र कर सकता है? (यानी इस बोहतान के बारे में कौन जवाब दे सकता है?) ख़ुदा की क़सम! मैंने अपनी बीवी में भलाई के सिवा और कोई बात नहीं पायी। और लोगों ने जिस आदमी का मेरे सामने ज़िक्र किया है, मैं ने उस में भी भलाई के सिवा और कोई बात नहीं देखी। वह आदमी मेरे घर में सिर्फ़ मेरे ही साथ जाया करता था।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सललम के इर्शाद को सुन कर हज़रत सअ़द बिन मुआज अन्सारी रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हो गए और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! मैं उस आदमी के बारे में यह अर्ज़ करता हूं कि अगर वह क़बीला औस से ताल्लुक़ रखता है, तो हम उस की गरदन उड़ा देंगे और अगर उस का ताल्लुक़ हमारे ख़ज़रजी भाइयों से है, तो उस के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हम को जो हुक्म फ़र्माएंगे, हम उस के ऊपर अमल करेंगे।

सअ़द बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु के लफ़्ज़ों को सुन कर सअ़द बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हो गये जो ख़ज़रज क़बीले के सरदार थे और एक निहायत नेक और दीनदार आदमी थे, लेकिन उस वक़्त क़ौमी जज़्बे और ग़ुरूर ने उभार दिया था। उन्होंने सअ़द बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, (अगर वह आदमी ख़ज़रज क़बीले से हुआ तो) ख़ुदा की क़सम! तुम उस को क़त्ल नहीं कर सकोगे और न तुम में इतनी ताक़त है कि उस को क़त्ल कर सको। (सअ़द बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु के इन जोरदार लफ़्ज़ों को सुन कर) सअ़द बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु के चचेरे भाई उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सअ़द बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा-

'ख़ुदा की क़सम! तुमने झूठ कहा, हम ज़रूर उस को क़त्ल कर देंगे, तू मुनाफ़िक़ है और मुनाफ़िक़ों की तरफ़ से झगड़ा करता है।'

मुख़्तसर यह कि औस और ख़ज़रज क़बीले के लोगों में जोश पैदा हो गया और वे लोग

लड़ने पर तैयार हो गये। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बदस्तूर मिंबर पर तश्रीफ़ फ़रमा थे और लोगों के जोश को ठंडा कर रहे थे, यहां तक कि उन का जोश ठंडा हो गया और वे खामोश हो गये। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम भी खामोश हो गये।

हज़रत आइशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा का बयान है कि वह दिन भी मुझ को बराबर रोते हुए गुज़रा और एक लम्हे के लिए भी आंसू न थमते थे और न नींद आती थी। फिर दूसरी रात भी मैं बराबर रोती रही, न आंसू थमते और न आंखों में नींद आती। रोते-रोते मेरी यह हालत हो गयी कि मेरे मां-बाप ने यह ख़्याल क़ायम कर लिया कि रोते-रोते इस का जिगर फट जाएगा। मेरे मां-बाप बैठे हुए थे और मैं रो रही थी कि एक अन्सारिया औरत ने मेरे पास आने की इजाज़त तलब की। मैं ने इजाज़त दे दी। वह भी मेरे पास बैठ कर रोने लगी।

हम इसी हालत में थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तश्रीफ़ लाये और सलाम किया, फिर बैठ गये। जब से यह बोहतान का वाकिआ हुआ था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मेरे पास न बैठते थे। एक महीना गुज़र गया था और मेरे बारे में कोई वह्य नाज़िल न हुई थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बैठ कर तशह्हुद पढ़ी और फिर फ़रमाया-

'हम्द व सलात के बाद ! ऐ आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा !) तुम को मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे बारे में मुझ को ऐसी-ऐसी ख़बरें पहुंची हैं, अगर तुम इन बातों से पाक हो, तो अल्लाह तआला तुम्हारी पाकदामनी को ज़ाहिर कर देगा और अगर तुमने (वाक़ई) गुनाह किया है, तो तुम ख़ुदा से मग़्फ़िरत तलब करो और तौबा करो, इस लिए कि जब बन्दा अपने गुनाह का एतराफ़ कर के तौबा करता है, तो अल्लाह तआला उस की तौबा क़ुबूल फ़रमा लेता है।

इधर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ये लफ़्ज़ ख़त्म हुए और उधर मेरे आंसू गिर कर सूख गये, यहां तक कि आंसू की एक बूंद भी मुझ को (निकलती हुई) महसूस नहीं हुई। मैंने अपने बाप से कहा, तुम मेरी तरफ़ से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इर्शाद का जवाब दो। मेरे बाप ने कहा कि ख़ुदा की क़सम ! मैं नहीं जानता कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को क्या जवाब दूं ? फिर मैंने अपनी मां से कहा कि तुम मेरी तरफ़ से जवाब दो। मेरी मां ने कहा कि ख़ुदा की क़सम! मैं नहीं जानती कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से क्या अर्ज़ करूं ?

मैं उस ज़माने में नवजवान लड़की थी, कुछ ज़्यादा क़ुरआन मजीद भी न पढ़ा था, मैंने अपने मां-बाप से कहा, ख़ुदा की क़सम ! मैं इस बात को खूब समझती हूं कि तुम ने इस बात को सुना है और वह तुम्हारे दिलों में जगह पकड़ चुकी है और तुम उस को सच ख़्याल करते हो। अगर मैं तुम से कहूं कि मैं गुनाह से पाक और पाकदामन हूं और अल्लाह ही ख़ूब जानता है कि मैं हक़ीक़त में पाक हूं, तो तुम मेरी बात को दुरुस्त न समझोगे और मुझ को सच्ची

क़रार न दोगे और अगर मैं तुम्हारे सामने किसी बात का एतराफ़ कर लूं और अल्लाह ही ख़ूब जानता है कि मैं (उस से) पाक व साफ़ हूं तो तुम ज़रूर मेरे एतराफ़ की तहदीक करोगे। ख़ुदा की क़सम ! मैं अपने और तुम्हारे मामले में इस मिसाल से बेहतर कोई मिसाल नहीं पाती, जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बाप (हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम) ने कही थी (यानी मैं सब्रे जमील अख़्तियार करता हूं और अल्लाह ही मेरा मददगार है) यह कह कर मैंने मुंह फ़ेर लिया और बिस्तर पर जा कर लेट रही। ख़ुदा की क़सम ! मैं उस वक़्त यह यक़ीन रखती थी कि मैं पाकदामन हूं और अल्लाह तआला मुझ को ज़रूर (इस इल्ज़ाम से जो मुझ पर लगाया गया है) बरी कर देगा, लेकिन ख़ुदा की क़सम ! यह बात मेरे वहम व गुमान में भी न थी कि मेरी शान में वह्य नाज़िल होगी और वह वह्य जिस की तिलावत की जाएगी। मैं अपने आप को इतना हक़ीर समझती थी कि मुझ को इस का ख़्याल भी न हो सकता था कि अल्लाह तआला मेरे बारे में वह्य मत्लू (तिलावत की ज़ाने वाली वह्य) नाज़िल फ़रमायेगा और मेरे मुताल्लिक अपने इर्शाद से इज़्ज़त बख़्शेगा, अल-बत्ता मेरा ख़्याल सिर्फ़ यह था और मैं सिर्फ़ यह उम्मीद रखती थी कि अल्लाह तआला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को ख़्वाब दिखायेगा, जिसके ज़रिए ख़ुदा की तरफ़ से मेरी बरीयत हो जाएगी।

हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का बयान है कि ख़ुदा की क़सम ! अभी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उस जगह से जुदा न हुए थे, जहां तश्रीफ़ फ़रमा रहे थे और न घर वालों में से कोई आदमी बाहर गया था कि अल्लाह तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर वह्य नाज़िल फ़रमायी और वह्य नाज़िल होते वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर इंतिहा दर्जे की सख़्ती और शिद्दत होती थी, यहां तक कि सख़्त सर्दी के दिनों में वह्य के बोझ से मोतियों की तरह पसीने के क़तरे टपकने लगते थे। यही हालत आप पर उस वक़्त छा गयी, जब यह हालत दूर हुई जो हुज़ूर सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुसकुराते हुए सब से पहले यह जुम्ला इर्शाद फ़रमाया-

'आइशा ! खुश हो जाओ, अल्लाह तआला ने तुम को बरी कर दिया।'

यह सुन कर मेरी मां ने कहा-

'आइशा ! उठ कर हुज़ूर सललल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास जाओ।'

मैंने कहा, ख़ुदा की क़सम ! मैं किसी का शुक्रिया अदा नहीं करूंगी। हां, सिर्फ़ उस बुज़ुर्ग व बरतर ज़ात की हम्द व सना करूंगी, जिसने मेरी सच्चाई का हुक्म नाज़िल फ़रमाया है।

हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का बयान है कि अल्लाह तआला ने मेरी सच्चाई के बारे में दस आयतें नाज़िल फ़रमाई हैं। (वि दस आयतें क़ुरआन शरीफ़ के अठारहवें पारे में सूरः नूर के दूसरे रुकूअ में आयत 11 से लेकर 20 तक हैं।)

हवाला– 1. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 212, हदीस 1034, बाब 483, तौबा के बयान में,

2. सही बुख़ारी, जिल्द 2, पारा 16, पृ० 336, हदीस 1290, किताबुल मग़ाज़ी,

3. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 220, हदीस 1037, सूरः नूर की तफ़्सीर में।

देखा मेरे अज़ीज़ दोस्त ! सारा मदीना हैरान व परेशान था। एक महीने तक किसी को भी इल्मे ग़ैब नहीं था। जब अल्लाह तआला ने वह्य भेजी और दस आयतें नाज़िल फ़रमायीं, तब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन को हक़ बात मालूम हुई, वरना बात इतनी गर्म होती चली जा रही थी कि आपस में ख़ून या लड़ाई होने की नौबत आ गयी थी। अगर इन में से कोई भी इल्मे ग़ैब जानता होता, तो आपस में लड़ने के लिए हरगिज़ तैयार न होते और अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इल्मे ग़ैब होता, तो क्यों हज़रत अली और हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु अन्हुम की सलाह लेते और लौंडी बरीरह रज़ियल्लाहु अन्हा से क्यों पूछते और हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से आप नाराज़ी क्यों ज़ाहिर करते, आप उन को तौबा के लिए क्यों फ़रमाते ? तौबा तो वह करे, जिसने गुनाह किया हो और हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा इस गुनाह से पाक थीं। मगर बात असल यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ग़ैब के जानकार नहीं थे। अगर ग़ैब के जानकार होते, तो यहां तक नौबत इस बात की न आती, क्योंकि जब क़ाफ़िला रवाना हुआ, उसी वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को मालूम हो जाता कि हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का हार गुम हो गया है और वह हार की तलाश में गयी हैं, इसलिए क़ाफ़िला वालों को थोड़ी देर के लिए रुक जाने का हुक्म फ़रमाते, मगर मेरे अज़ीज़ दोस्त ! ये सारी बातें इल्मे ग़ैब न होने की वजह से, हुई हैं।

क़ुरआन करीम के सातवें पारे में, सूरः माइदा के पन्द्रहवें रुकूअ में आयत न० 109 में, अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – जिस दिन अल्लाह तआला रसूलों को जमा कर के मालूम करेगा कि तुम क्या जवाब दिये गये ? वे कहेंगे, ऐ ख़ुदा ! हमें कुछ मालूम नहीं। बेशक तू तमाम छिपी हुई बातों को अच्छी तरह जानने वाला है।

रसूलों से क़ियामत के दिन सवाल होगा कि तुम्हारी उम्मतों ने तुम्हें माना या नहीं। रसूलों का यह जवाब कि हमें कुछ ख़बर नहीं, यह हाल उस दिन दह्शत की वजह से होगा, घबराहट की वजह से कुछ जवाब न दे सकेंगे। यह वह वक़्त होगा कि अक़्ल जाती रहेगी। फिर दूसरी मंजिल में हर नबी अपनी-अपनी उम्मत पर गवाही देगा, गो अंबिया जानते थे कि किस-किस ने हमारी नुबुव्वत हमारे ज़माने में क़ुबूल की, लेकिन चूंकि वह ज़ाहिर के देखने वाले

थे और खुदाबन्दे आलम बातिन में भी देखने वाला है, इसलिए उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें हक़ीक़ी इल्म बिल्कुल नहीं। तेरे इल्म के मुक़ाबले में तो हमारा इल्म सिर्फ ला-इल्मी है, हक़ीक़ी आलिम तो सिर्फ तू ही है।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 7, पृ० 37, सूरः माइदा के पन्द्रहवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

मेरे प्यारे दोस्तो ! इन हदीसों और आयतों से मालूम हुआ कि जनाबे रसूले करीम अलैहित्तहीयतु वत्तस्लीम को इतना ही इल्म था, जितना अल्लाह तआला ने आपको बताया था, लेकिन जहां पर ख़ुदा की तरफ से आपको इत्तिला नहीं दी गयी, वहां पर आपको अपने आस-पास और क़रीब की होने वाली बातों तक का इल्म न था। जब यह बात ज़ाहिर हो चुकी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम आलिमुल ग़ैब न थे। आलिमुलग़ैब सिर्फ अल्लाह, इज़्ज़त वाला है, तो अब जाहिल वाइज़ों और बेदीन लोगों ने गुमराह करने के लिए जहालत का दूसरा दरवाज़ा खोला और कहते हैं कि ज़िंदगी में तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को कुल इल्म ग़ैब नहीं था, वफ़ात के वक़्त कुल इल्म ग़ैब और अख़्तियार दिये गये थे, हालांकि यह बात भी बिल्कुल झूठ, बिल्कुल ग़लत और बे-बुनियाद है। आंखों के अन्धे, जेब के बन्दे, पेट के पुजारी, नफ़्स के ग़ुलाम और शरीअत के दुश्मन उम्मते मुहम्मदिया को गुमराह करने के लिए नयी-नयी चालें चलते हैं और नयी-नयी बातें गढ़ते हैं, हालांकि ख़ुद रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनकी इस बात को भी काट कर रख दिया है। सुनिये हदीस मेरे भोले भैया !

हदीस - सहल बिन सअद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है, मैं हौज़े कौसर पर तुम्हारा मीरे सामान हूंगा। जो आदमी मेरे पास से गुजरेगा, पानी पियेगा, और जो आदमी पानी पियेगा, वह कभी प्यासा न होगा। अल-बत्ता मेरे पास बहुत-सी क़ौमें आएंगी, मैं उन को पहचान लूंगा और वह मुझको पहचान लेंगी। फिर मेरे और उनके दर्मियान कोई चीज़ रोक बनाकर खड़ी की जाएगी। मैं कहूंगा, ये लोग तो मेरे हैं या मेरे तरीक़े में हैं। उसके जवाब में बताया जाएगा कि तुमको मालूम नहीं, इन्होंने तुम्हारे बाद क्या-क्या नयी-नयी बातें पैदा की हैं। (यह सुन कर) मैं कहूंगा, वे लोग दूर हों मुझ से और दूर हों ख़ुदा की रहमत से, जिन्होंने मेरे दीन में मेरे बाद तब्दीली कर डाली हैं।

हवाला- 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 807, हदीस 5305, हौज़े कौसर का बयान,
2. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 27, पृ० 341, हदीस 1494, किताबुल हौज़,
3. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 46, हदीस 211, बाब 85, तहारत का बयान,

4. इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 653, हदीस 4303, ज़ोह्द का बयान।
5. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 386, हौज़ का बयान,
6. तफ़्सीरे मुवाहिबुर्रहमान, पारा 30, पृ० 779, सूरः कौसर की तफ़्सीर में,
7. तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 30, पृ० 112, सूरः कौसर की तफ़्सीर में।

तू सुन्नत वल जमाअत का दावा इस लिए करता है कि जी भर कर क़ुरआन मजीद को ठुकराये, जी भर कर हदीसों का इन्कार करे। आप ने ख़ुद ही फ़ैसला फ़रमा दिया, यानी न आपको अख़्तियार रहा कि जी चाहते हुए भी अपनी उम्मत के उन लोगों को हौज़े कौसर के पानी से सैराब कर सकें और न आप को यह मालूम कि मेरी वफ़ात के बाद उन लोगों ने शरीअत की क्या हालत बना रखी थी। फिर आप को वफ़ात के बाद इल्मे ग़ैब और अख़्तियारात कहां मिले?

क़ुरआन शरीफ़ के बारहवें पारे में, सूरः हूद के दसवें रुकूअ में, आयत न० 123 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता हैं।

तर्जुमा - 'ज़मीन और आसमानों का इल्मे ग़ैब अल्लाह ही को है।'

ऐ मेरे प्यारे दोस्त ! अगर इतना समझाने पर भी आप की समझ में न आए, तो आप ख़ुद ही सोच लें कि आप को जहालत ने किस क़दर जाहिल बना दिया है। क़ुरआन हकीम को खोल-खोल कर बयान कर दिया, हदीसों को वाज़ेह तौर पर समझा दिया, तफ़्सीर को भी आपके सामने रख दिया, इतना समझाने पर भी आप की समझ में नहीं आता तो इसके लिए जितना भी अफ़सोस किया जाए कम हैं।

सहाबा-ए-किराम (रज़ियल्लाहु अन्हुम) का इल्मे ग़ैब

हदीस - हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि जब उहुद के दिन मुश्रिक भागे तो इब्लीस चिल्लाया कि ऐ ख़ुदा के बन्दो ! अपने पीछे वालों की (और पीछे भी मुसलमान ही थे)। पस आगे वाले मुसलमान (पीछे वाले मुसलमानों पर) टूट पड़े और वे और पीछे वाले आपस में लड़ने लगे, पस हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने नज़र की, तो अपने बाप यमान रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा, तो कहने लगे कि ऐ ख़ुदा के बन्दो ! मेरे बाप, मेरे बाप ! मगर ख़ुदा की क़सम ! वह न रुके, यहां तक कि उन्होंने उनके बाप को क़त्ल कर दिया, तो हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह तुम्हें बख़्शे। उर्वः रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, फिर बराबर हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को रंज रहा, यहां तक कि वह अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से मिल गये।

हवाला - सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 13, पृ० 136, हदीस 518, पैदाइश का बयान।

देखा मेरे दोस्त ! सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को भी इल्मे ग़ैब न था। अगर इल्मे ग़ैब होता तो, हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के बाप यमान रज़ियल्लाहु अन्हु को बावजूद मना करने के क्यों क़त्ल करते और अगर इससे भी ज़्यादा ख़ुलासा देखना हो, तो देख लो।

हदीस – हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की चहीती बीवी कहती हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वफ़ात हुई, तो हज़रत अबूबक्र रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घोड़े पर सवार होकर अपने मकान सुख से आये, यहां तक कि उतरे और मस्जिद में गये, मगर किसी से बात नहीं कि, यहां तक कि मेरे पास आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास गये और आपको हियरा की एक चादर ओढ़ा दी गयी थी। पस उन्होंने आप का चेहरा खोला, फिर आप पर झुक पड़े और आपका बोसा लिया, इसके बाद रोये और कहा कि मेरा बाप आप पर फ़िदा हो। या अल्लाह के नबी ! अल्लाह तआला दो मौतें आप पर जमा न फ़रमावेगा, लेकिन वह मौत जो अल्लाह ने आपके लिए लिखी थी, वह आप को हासिल हो चुकी।

हवाला – सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1, पारा 5, पृ० 277, हदीस 1151, जनाज़े का बयान।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की वफ़ात के वक़्त हज़रत अबूबक्र सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु हाज़िर नहीं थे। अगर वह जानते होते कि इस वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वफ़ात होने वाली है, तो क्या वह बाहर जाते ? उनकी ग़ैर हाज़िरी रहती ? हर गिज़ नहीं, मगर बात यह थी कि आप को इल्मे ग़ैब नहीं था और ऐसा भी होता है कि कभी अल्लाह तआला कोई बात या वाक़िआ जो नामालूम हो, मालूम करा देता है, तो यह सहाबी की करामत गिनी जाएगी। अब इसके बारे में एक हदीस सुनिए-

हदीस – हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक फ़ौज (नहावंद की तरफ) भेजी और उस पर हज़रत सारिया रज़ियल्लाहु अन्हु को अमीर मुकर्रर किया। एक दिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु (मस्जिदे नबवी में जुमा का) ख़ुत्बा पढ़ रहे थे कि यकायक आप ने ऊंची आवाज़ से कहा, सारिया ! पहाड़ की तरफ़! इस वाक़िए के कुछ दिनों बाद फ़ौज से एक क़ासिद आया और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन ! हमारे दुश्मन ने हम पर हमला किया और हम को हराया, यकायक हमने एक पुकारने वाले की आवाज़ सुनी, जो कह रहा था, ऐ सारिया! पहाड़ की तरफ ! चुनांचे हम ने पहाड़ को अपनी ओट क़रार दिया और फिर अल्लाह तआला ने दुश्मनों को हरा दिया।

हवाला – 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 885, हदीस 5671, करामतों का बयान,
2. तर्जुमानुस्सुन्नः, जिल्द 4, पृ० 339, हदीस 1538, करामतों का बयान,
3. मज़ाहिरे हक़, ततिम्मा, ज़िल्द 4, पृ० 53, करामतों का बयान।

देखा मेरे अज़ीज़ दोस्त ! सैकड़ों मील पर लड़ाई हो रही है और मस्जिदे नबवी के मिंबर पर खड़े-खड़े ख़ुत्बे के दौरान में आप ने आवाज़ दे दी कि सारिया ! पहाड़ की तरफ हो जाओ और वह आवाज़ अल्लाह पाक ने उस फ़ौज वालों को सुना दी। इसे कहते हैं करामतें। इस में चार करामतें हैं–

1. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की नज़र का पहुंचना मदीने से लड़ाई के मैदान तक,
2. आवाज़ का पहुंचना मदीने से लड़ाई के मैदान तक,
3. आप की आवाज़ तमाम फ़ौज वालों को सुनायी देना,
4. आवाज़ की बुनियाद पर जीत जाना मुसलमानों का।

अब सुनिये बे-ख़बरी का मामला –

हज़रत अम्र बिन मैमून रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं–

जिस दिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हुए; मैं खड़ा हुआ था। मेरे और उनके बीच सिवाए हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के कोई न था और वह जब दो सफ़ों के दर्मियान गुज़रते थे, तो कहते थे, बराबर करो, यहां तक कि जब सफ़ों में कुछ ख़लल न देखते तो आगे बढ़ते थे और तकबीर कहते थे और अक्सर सूरः यूसुफ़ या सूरः नह्ल या इसी जैसी कोई और सूरः पहली रक्अत में पढ़ते थे, ताकि लोग जमा हो जाएं। पस जैसे ही उन्होंने तकबीर कही कि मैंने उन्हें यह कहते हुए सुना कि –

'क-त-लनी और अ-क-ल निल कल्बु' (मुझे कुत्ते ने काट लिया।),

जबकि उसने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को घायल किया। फिर वह ग़ुलाम दोधारी छुरी लिए हुए भागा। दाहिने-बाएं, जिस पर उस का गुज़र होता, उसे वह मारता था, यहां तक कि उसने तेरह आदमियों को घायल किया, उन में से सात मर गये, फिर जब इस बात को एक आदमी ने मुसलमानों में से देखा, तो उसने अपना बारान कोट उस पर डाल दिया।

पस जब उस ग़ुलाम को यह ख़्याल हुआ कि वह पकड़ लिया जाएगा, तो उसने अपने आप को ज़िब्ह कर डाला और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अनहु ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु का हाथ पकड़ कर उन्हें आगे कर दिया।

पस जो आदमी (उस वक़्त) हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के क़रीब था, वह उन बातों को देख रहा था, जो मैंने देखीं और जो लोग मस्जिद के किनारे में थे, उन्हें कुछ मालूम नहीं हुआ, सिवाए इसके कि उन्होंने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की आवाज़ नहीं पायी और वह यह कहते थे कि सुब्हानल्लाह।

फिर उन लोगों को हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने बहुत हल्की नमाज़

पढ़ा दी। फिर जब लोग नमाज़ से फ़ारिग़ हुए, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ऐ इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ! देखो, तो मुझे किस ने क़त्ल किया है?

पस वह थोड़ी देर तक इधर-उधर देखते रहे, उसके बाद आये और उन्होंने कहा कि मुग़ीरह के गुलाम ने। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, उस कारीगर ने ?

इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हां !

तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह उसे ग़ारत करे। मैं ने उसे एक अच्छी बात का हुक्म दिया था। अल्लाह का शुक्र है कि उस ने मेरी मौत किसी ऐसे आदमी के हाथ पर नहीं की, जो इस्लाम का दावा करता हो।

हवाला- सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 14, पृ० 230, हदीस 889, मनाक़िब का बयान।

देखो मेरे दोस्त ! यह वही हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, जिनकी नज़र और आवाज़ सैंकड़ों मील पहुंची थी और इस वक़्त यह भी पता नहीं कि मुझे किस ने मारा। एक आदमी ख़ुद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के मारने के लिए आपके पीछे नमाज़ियों की सफ़ में ख़ंजर लिए खड़ा है और आप को पता तक नहीं,कि कोई मुझे मारने के लिए आया है, बल्कि पूछते हैं कि मुझे किस ने मारा ?

सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम कोई मामूली हस्तियां नहीं थीं। उन सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अज-मईन से करामतें भी साबित हुई हैं और उनके मर्तबे के मुताबिक़ हमारे फ़ुक्हा-ए-किराम रहमतुललाहि अलैहिम फ़रमाते हैं-

'अदना (मामूली) सहाबी के मर्तबे को कभी आला (ऊंचे) दर्जे का वली नहीं पहुंच सकता'।

हवाला- फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 1, पृ० 35, मुक़दमे में।

इस बात को नज़रों में रखिए कि जब अंबिया किराम और सहाबा अ़िज़ाम को भी इल्मे ग़ैब नहीं था, तो वलियों, पीरों, ख़्वाजगान रह० या और दूसरे किसी को भी आलिमुल ग़ैब समझना ख़ुली जहालत नहीं तो और क्या है।

ख़ूब याद रखो मेरे भैया ! नबी अलैहिस्सलाम का मोजिज़ा हो या किसी सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु या वली रहमतुल्लाहि अलैहि की करामत वह नबी अलैहिस्सलाम और सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु और वली रहमतुल्लाहि अलैहि के क़ब्ज़े की चीज़ नहीं है कि ज़ब चाहें, जेसे चाहें, उसे दिखा दें। मोजिज़ा हो या करामत, यह ख़ालिस ख़ुदा का काम है, जिस का ज़हूर नबी अलैहिस्सलाम या वली रहमतुल्लाहि अलैहि के ज़रिए होता है।

अंबिया अलैहिमुस्सलाम के मोजिज़ों को और औलियाअल्लाह रह० की करामतों को जाहिल लोग उनकी अख़्तियारी चीज़ समझते हैं यानी ये साहिबान जब चाहें दिखला सकते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि यह अल्लाह तआला का उन पर ख़ास फ़ज़्ल होता है, जब अल्लाह तआला चाहता हैं, उनसे ज़ाहिर कराता है।

इल्मे ग़ैब के बारे में हनफियों का अक़ीदा

अल्लाह तआला जैसी कोई चीज़ नहीं और वही सुनने वाला और देखने वाला है। इससे मालूम हुआ कि 'सुनने वाला और देखने वाला' जिस तरह अल्लाह की सिफ़्त है, उसमें किसी मख़्लूक़ की मुशाबहत बिल्कुल नहीं है। पस जिस ने अल्लाह की सिफ़्त को किसी मख़्लूक़ की सिफ़त से मिलाया, तो वह अल्लाह तआला से काफ़िर हुआ और उसकी तौहिद बातिल हुई।

हवाला- ऐनुल हिदाया, जिल्द 1, पृ० 4, अक़ीदों का बयान।

'तमाम बन्दों के उलूम ख़ुदा के इल्म के मुक़ाबले में ऐसे हैं, जैसे समुद्र के मुक़ाबले में एक बूंद।'

हवाला- तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 21, पृ० 55, सूरः लुक्मान के तीसरे रुकूअ की तफ़्सीर में।

ग़ैब कोई नहीं जानता सिवाए अल्लाह के, मगर हां, जो कुछ अल्लाह तआला चाहता है, वह मालूम करा देता है, अपने रसूलों को ग़ैब की बातों में से।'

हवाला- मज़ाहिरे हक़, जिल्द 3, पृ० 126, बाब ऐलानुन्निकाह।

कुल इल्मे ग़ैब सिवाए ख़ुदा के और किसी को भी नहीं। इस में से जितना जिसको चाहता है, बतला देता है, चाहे नबी हो या वली, चाहे क़ुत्ब हो या अब्दाल या फ़रिश्ता हो, सब को मालूम वही होता है, जो कुछ अल्लाह बता दे, बग़ैर बताए किसी को कुछ भी नहीं मालूम हो सकता।

ज़ाहिर है कि अंबिया अलैहिमुस्सलम को ग़ैब का इल्म नहीं था, मगर उसी क़दर कि अल्लाह तआला ने उन के अलग-अलग वक़्तों में उस पर इत्तिला दे दी। (यानी अल्लाह तआला ने चाहा, तो ख़बर दे दी) और उलेमा-ए-हनफ़ीया ने साफ़ कर दिया कि जो कोई दावा करे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ग़ैब जानते थे, तो वह काफ़िर है।

हवाला- ऐनुलहिदाया, जिल्द 1, पृ० 60, अक़ाइद का बयान।

'रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिए इल्मे ग़ैब साबित करना कुफ़्र है, क्योंकि इल्मे ग़ैब ख़ास अल्लाह ही को है।'

हवाला- ग़ायतुल अवतार, उर्दू तर्जुमा दुर्रे मुख़्तार, जिल्द 2, पृ० 11, मुहर्रमात की फ़स्ल किताबुन्निकाह !

'इस्लाम के अक़ीदे में ग़ैब का इल्म ख़ुदा के सिवा किसी को नहीं।'

हवाला- सीरतुन्नबी, जिल्द 4, पृ० 67।

क़ुरआन शरीफ़ में अल्लाह तआला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ज़ुबाने मुबारक से कहलवा दिया कि आप कह दें कि मैं इल्मे ग़ैब नहीं जानता और हदीसे करीमा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मैं इल्मे ग़ैब नहीं जानता और हनफ़ी मसलक के उलेमा-ए-दीन ने फ़रमाया कि जो आदमी भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिए इल्मे ग़ैब साबित करे वह काफ़िर है। इतने-इतने सबूत होते हुए भी जेब भरू पीर और पेट भरू मौलवी अपनी जहालत और नफ़्सानियत पर अड़े हुए हैं, ख़ुद भी तबाह और बर्बाद हो रहे हैं और भोले अनपढ़ मुसलमानों को भी अक़ीदे की आड़ बनाकर तबाह व बर्बाद कर रहे हैं। हमारा मज़्बह किताबी है, रिवाजी नहीं है और न ज़ुबानी है, जो कुछ होगा, किताबों में लिखा होगा, समझे मेरे भोले भैया !

हम ने क़ुरआन व हदीस और हनफ़ी फ़िक्ह के हवालों से दलीलों का ढेर लगा दिया है। अब जो उस को न माने, उस को चाहिए कि क़ुरआन व हदीस से एक ही हवाला ऐसा पेश कर दे, जिस में आंहुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बारे में यह दावा खुले लफ़्ज़ों में हो कि-

'मुझे इल्मे ग़ैब है' 'या मैं आलिमुलग़ैब हूं।'

मेरे प्यारे दोस्त ! ऐसी-ऐसी ठोस दलीलें क़ुरआन पाक की आयतों और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के फ़रमान और फ़ुक़्हा-ए-किराम रह-म-हुमुल्लाहु तआला के फ़त्वों से खुल्लम-खुल्ला दी गयी हैं। अगर ऐसे ठोस सबूत और मज़बूत दलीलों को भी ये शरीअत के दुश्मन और अपनी आख़िरत बर्बाद करने वाले न मानें, तो फिर रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की छोटी-छोटी बातों और सुन्नतों को क्या मानेंगे ? और कमाल की बात तो यह है कि इन लोगों के पास कोई सबूत नहीं, फिर भी दलीलों के सामने सीना ठोंक कर आते हैं और एक ही झटके में क़ुरआन व हदीस और फ़ुक़्हा-ए-हनफ़ीया के फ़ैसलों को ठुकरा देते हैं। फिर आख़िर मुसलमान होकर किस चीज़ को मानेंगे ? ख़ूब अच्छी तरह याद रखो कि अह्ले सुन्नत वल जमाअत उसी को कहते हैं, जिसका ईमान और अमल क़ुरआन व हदीस ही पर हो।

हुज़ूर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कुछ भी नहीं छिपाया

क़ुरआन शरीफ़ के छठे पारे में, सूरः माइदा के दसवें रुकूअ में, आयत न० 67 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है।

तर्जुमा– ऐ रसूल ! पहुंचा दे जो कुछ तेरी तरफ़ तेरे रब की तरफ़ से उतारा गया हो। अगर तू ने ऐसा न किया, तो तूने ख़ुदा की रिसालत का हक़ अदा नहीं किया।

अपने हबीबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को रसूल के प्यारे लफ़्जों से आवाज़ देकर अल्लाह तआला हुक्म फ़रमाता है कि अल्लाह के कुल हुक्म लोगों को पहुंचा दो।

हवाला– तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 6, पृ० 119, सूरः माइदा के दसवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

अगर तूने मेरे फ़रमान बन्दों तक न पहुंचाए, तो तूने रिसालत का हक़ अदा नहीं किया। फिर उसकी सज़ा जो है, वह ज़ाहिर है। अगर एक आयत भी छिपा ली, तो रिसालत तोड़ दी।

हवाला– तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 6, पृ० 120, सूरः माइदा के दसवें रुकूअ की तफ़्सीरे में।

अब आप ही सोंचें कि यह जो जाहिल सूफ़ी और जाहिल फ़क़ीर वग़ैरह कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर अल्लाह तआला ने चालीस पारे क़ुरआन शरीफ़ के नाज़िल फ़रमाये थे, मगर उसमें दस पारे आप ने किसी को नहीं बतलाये। ये जाहिल लोग अपने आप को आशिक़ाने रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) कहने के बावजूद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर एक झूठा बोहतान लगाते हैं। ऐसे लोगों का अमल हमेशा के लिए शरीअत से अलग रहा है, खुद भी गुमराह हैं। और लोगों को भी गुमराह करते रहे हैं।

हदीस – हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि जो आदमी यह कहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अल्लाह के हुक्मों में से कुछ छिपा लिया है, तो वह झूठा है, इसलिए कि अल्लाह तआला इस आयत में अहकाम की तब्लीग़ की ताकीद करता है और नबी हमेशा अल्लाह के हुक्म के मुवाफ़िक़ किया करते हैं।

हवाला– 1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 18, पृ० 467, हदीस 1715, सूरः माइदा की तफ़्सीर।

2. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 184, हदीस 926, सूरः माइदा की तफ़्सीर।

यह नहीं हो सकता कि नबी ख़ुदा की उतारी हुई किसी चीज़ को छिपा ले और उम्मत

तक उसे न पहुंचाये।

हवाला- तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 4, पृ० 42, सूरः आले इम्रान के सतरहवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से किसी ने कहा कि लोगों में यह चर्चा हो रहा है कि तुम्हें कुछ बातें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एसी बता दी हैं जो और लोगों से छिपायी थीं, तो आपने यही आयत पढ़ी और फ़रमाया, क़सम ख़ुदा की, हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने किसी ऐसी मख़्सूस चीज़ का वारिस नहीं बनाया।

हवाला- तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 6, पृ० 120, सूरः माइदा के दसवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

किस क़दर जाहिल और बद-अक़ीदा लोग हैं, अगर अंबिया अलैहिमुस्सलाम ही हक़ को छिपाएं तो फ़िर हक़ कौन ज़ाहिर करेगा। ज़रा देखो तो सही कि नूह की क़ौम कितनी घमंडी थी, और नमरूद कैसा ज़ालिम था और फ़िरऔन कैसे घमंड वाला था। इन लोगों की कसरत ताक़त और शौकत किस क़दर फैली हुई थी,

बावजूद इसके हज़रत नूह, हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने एलान के साथ हक़ को ज़ाहिर कर दिया।

हवाला- ऐनुल हिदाया, जिल्द 1, पृ० 68, अक़ाइद का बयान।

हदीस - रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि हर नबी पर ख़ुदा की तरफ से फ़र्ज होता है कि अपनी उम्मत को तमाम नेकियां जो वह जानता है सिखा दे और तमाम बुराइयों से जो उसकी निगाह में हैं, आगाह कर दे।

हवाला- तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 5, पृ० 53, सूरः निसा के आठवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

अब आप ही इन्साफ़ करें कि जो कुछ लोग यह कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को क़ियामत का इल्म था, लेकिन आपने किसी को बताया नहीं, अल्लाह की पनाह, क़ुरआन व हदीस और मज़हबे इस्लाम की शान के ख़िलाफ़ बातें बना-बना कर ख़ुद भी गुमराह होते हैं और लोगों को भी गुमराह करते हैं और ऊपर से अपने आप को आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम भी कहते हैं। बड़े अफ़सोस की बात है। ख़ुदा जाने, इन लोगों की अक़्ल कहां ग़ारत हो गयी है। कुछ तो इल्म रखने के बावजूद गुमराह होते जा रहे हैं। हमारी दिली दुआ है कि आम मुसलमानों को अल्लाह पाक अपने रहम व करम से ऐसे गुमराहों की तक़्लीद से बचाये। (आमीन)

वह्य के बग़ैर अह्काम नहीं बताये

क़ुरआन शरीफ़ के सातवें पारे में सूर: अन्-आम के पांचवें रुकूअ में, आयत न० 50 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - 'मैं तो सिर्फ़ उसी की ताबेअ़दारी करता हूं, जो मेरी तरफ वह्य की जाती है।'

हदीस - 'हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

ऐ जिब्रील अलैहिस्सलाम ! तुमको किस ने मना किया है कि तुम जितनी बार मेरे पास आते हो, उससे और ज़्यादा आओ।'

तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम यह आयत लेकर नाज़िल हुए कि 'मैं अल्लाह के हुक्म के बग़ैर नहीं आता।'

हवाला- सही बुखारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 19, पृ० 525, हदीस 1834, सूर: मरयम की तफ्सीर में।

क़ुरआन मजीद के सोलहवें पारे में, सूर: मरयम के चौथे रुकूअ, में आयत न० 64 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - 'हम तेरे रब के हुक्म के बग़ैर उतर नहीं सकते।'

हदीस - हज़रत आइशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि हारिस बिन हिशाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से पूछा कि आपके पास वह्य किस तरह आती है?

आप ने फ़रमाया कि हर वह्य में फ़रिश्ता आता है। कभी घंटी की जैसी आवाज़ में। फिर जब वह्य ख़त्म हो जाती है, तो जो कुछ वह कहता है, उसे मैं याद कर लेता हूं और वह वह्य मुझ पर बहुत सख़्त है। और कभी वह फ़रिश्ता इन्सान की शक्ल में मेरे पास आता है और मुझसे बातें करता है। पस जो कुछ वह कहता है, मैं उसे याद कर लेता हूं।

हवाला- सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 13, पृ० 125, हदीस 446, पैदाइश का बयान।

मेरे अज़ीज़ दोस्त ! हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से जब उन बातों का सवाल किया जाता था, जिन को आप नहीं जानते थे, तो आप वह्य नाज़िल होने से पहले यों फ़रमाते थे

कि मैं नहीं जानता या जवाब नहीं देते थे, राय और क़ियास से कुछ नहीं फ़रमाते थे।

हदीस- हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं बीमार हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु मेरे पूछने को तशरीफ़ लाये। जब आप आये, तब मैं बेहोश था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने वुज़ू किया और बचा हुआ पानी मेरे ऊपर छिड़का। मैं होश में आ गया और मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! मैं अपने माल में किस तरह हुक्म लगांऊ और इस का क्या करूं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुझको जवाब न दिया, यहां तक कि आयते मीरास आप पर नाज़िल हुई।

हवाला- सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 29, पृ० 520, हदीस 2169, ऐतसाम का बयान।

कुरआन शरीफ़ के इक्कीसवें पारे में, सूरः अहज़ाब के पहले रुकूअ में, आयत न० 2 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा- जो कुछ तेरी जानिब तेरे रब की तरफ़ से वह्य की जाती है, उसकी ताबेदारी करता रह यक़ीन मानो कि अल्लाह तआला तुम्हारे हर एक अमल से बा-ख़बर है।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने किसी को कुछ भी नहीं बताया है जब तक अल्लाह तआला की तरफ़ से वह्य न आ जाती, उस वक़्त तक शरीअ़त का कोई हुक्म नहीं बताते थे।

आबिद के लिए एक माबूद का होना और उसकी इबादत के तरीक़ों का मालूम होना ज़रूरी है, इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और तामाम मुसलमान सिर्फ़ अल्लाह ही की इबादत करते हैं और उसी तरीक़े से करते हैं, जो वह्य के ज़रिए मालूम हुआ, इसलिए कि इस्लाम, अल्लाह की ख़ालिस इबादत का और रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़ास रिसालत मान लेने का नाम है ?

न तो अल्लाह तआला की इबादत में कोई दूसरा शरीक हो सकता है और न रसूले अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की रिसालत के सिवा किसी दूसरे तरीक़े को माना जा सकता है यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के तरीक़े के सिवा कोई सही तरीक़ा नहीं।

हवाला- तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 30, पृ० 115, सूरः काफ़िरून की तफ़्सीर में।

मैं इन्सान हूं

क़ुरआन शरीफ़ के पन्द्रहवें पारे में, सूरः बनी इस्राईल के दसवें रुकूअ में, आयत न० 93 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा– तो जवाब दे कि मेरा परवरदिगार पाक है। मैं तो सिर्फ़ एक इन्सान हूं, जो रसूल बनाया गया हूं।

क्यों मेरे अज़ीज़ दोस्त ! हिन्दुस्तान के अक्सर मुसलमानों की जहालत देखिए। अगर कोई कह दे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इन्सान थे, तो उस को वह्हाबी और इस्लाम से ख़ारिज समझते हैं और बोलना–चालना और सलाम व कलाम भी उससे हराम समझते हैं और ख़ुदावन्दे करीम ने अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुबारक ज़ुबान से कहलवा दिया कि आप साफ़–साफ़ ऐलान के साथ लोगों से कह दें कि बिला शक व शुबहा मैं एक इन्सान हूं और अल्लाह की तरफ़ से तमाम जहान के लिए रसूल बना कर भेजा गया हूं।

क़ुरआन शरीफ़ के सातवें पारे में, सूरः अन्–आम के पांचवें रुकूअ में, आयत न० 50 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा– और मैं फ़रिश्ता नहीं हूं।

आइए, अब आप क्या फ़ैसला करते हैं ? अल्लाह तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुबारक ज़ुबान से कहलवा दिया कि आप साफ़–साफ़ एलान कर दें कि मैं फ़रिश्ता नहीं हूं। अब अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इन्सान नहीं थे, तो फिर क्या थे ? आप का ताल्लुक कौन–सी मख़्लूक़ से शुमार करते हो ?

'जिन्नात में से कोई नबी नहीं हुआ।'

हवाला– तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 8, पृ० 17, सूरः अन–आम के सोलहवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

अब आप क्या फ़ैसला करते हैं ? अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रिश्तों में से नहीं थे और जिन्नात में से कोई नबी नहीं हुआ, तो फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इन्सान नहीं थे, तो आख़िर क्या थे, कुछ होंगे भी तो ? हमारा तो यह ईमान और अक़ीदा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इन्सानों में से ही थे।

हदीस – हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने नमाज़ पढ़ायी और उस में कुछ ज़्यादती या कमी हो गयी। जब आप ने सलाम फेरा, तो आप से अर्ज़ किया गया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! क्या नमाज़ में कोई तब्दीली हुई है ?

आपने पूछा, क्या हुआ ?

सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया कि आपने इतनी-इतनी नमाज़ पढ़ी हैं। रिवायत करने वाले का बयान है कि यह सुन कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने क़दमों का रुख़ क़िब्ले की तरफ़ फ़ेर दिया और क़िब्ला रुख़ होकर दो सज्दे किये और फिर सलाम फेर कर हमारी तरफ़ मुतवज्जह हुए और फ़रमाया-

अगर नमाज़ में कोई तब्दीली हुई होती, तो मैं उससे तुम को ख़बरदार कर देता। मैं तो एक इन्सान हूं और जिस तरह तुम भूलते हो, मैं भी भूलता हूं। जब मैं कुछ भूल जाया करूं, तो तुम मुझको बता दिया करो और तुम में से जब किसी को नमाज़ के अन्दर शक हो जाए तो वह सही राय क़ायम करके नमाज़ पूरी करे और उसके बाद दो सज्दे करे।

हवाला- 1. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 91, हदीस 527, बाब 203, मस्जिदों का बयान।

2. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1, पारा 2, पृ० 106, हदीस 385, क़िब्ले का बयान,

3. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 206, हदीस 945, सज्दा-ए-सह्व का बयान,

4. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 327, सज्दा-ए-सह्व का बयान।

सुब्हानल्लाह ! हुज़ूर सल्लाल्लाहु अलैहि व सल्लम की भूल दुनिया आलम के मुसलमानों के लिये रहमत की दलील बन गयी। अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नमाज़ में न भूलते, तो हम को सह्व का सज्दा नहीं मिलता और शैतान अस्र से मग़रिब तक हमारा पीछा ही नहीं छोड़ता। नमाज़ में शैतान हम को बार-बार भुला देता और हम को बार-बार नमाज़ दोहरानी पड़ती। अब हम को सह्व का सज्दा मिल गया, अगर शैतान नमाज़ में भुला दे तो सही राय क़ायम करके दो सह्व के सज्दे कर लें, नमाज़ सही हो जाएगी और शैतान रोता-चीख़ता हुआ भागता है हाय अफ़सोस! आदमज़ाद को सह्व के सज्दे का हुक्म हुआ, उस ने कर लिया और मैं ने अल्लाह का हुक्म नहीं माना और सज्दा नहीं किया।

हदीस- हज़रत राफ़ेअ़ बिन ख़दीज रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मदीने में तश्रीफ़ लाये हैं, उस वक़्त मदीना के लोग खजूरों के पेड़ों में ताबीर करते थे। (खजूरों के पेड़ों में नर व मादा दोनों क़िस्म के पेड़ होते हैं। मदीने वाले नर खजूर का फूल मादा खजूर पर झाड़ते थे और उनका ख़्याल था कि इस अमल से खजूरें ज़्यादा फलेंगी, इसी को ताबीर कहते हैं) अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने (लोगों को ताबीर करते देख कर) फ़रमाया, तुम यह क्या करते हो ?

लोगों ने अर्ज़ किया, हम ऐसा ही करते रहे हैं।

फ़रमाया, अगर तुम ऐसा न करो, तो शायद बेहतर हो।

आप का यह इर्शाद सुन कर लोगों ने इस अमल को तर्क कर दिया और उस साल फल कम आया।

चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से इस का ज़िक्र किया गया। आप ने फ़रमाया कि मैं भी एक आदमी हूं। पस मैं जब तुम को दीनी हुक्म दूं तो तुम उसको क़ुबूल करो और जब अपनी अक़्ल से तुम को कोई बात बताऊं, तो तुम समझ लो कि मैं भी एक आदमी हूं।

हवाला- 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 106, हदीस 138, सुन्नतों का बयान,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 71, किताबुल ईमान।

क़ुरआन शरीफ़ के पन्द्रहवें पारे में, सूर: बनी इस्राईल के ग्यारहवें रुकूअ में, आयत न० 94, 95 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - लोगों के पास हिदायत पहुंच चुकने के बाद ईमान से रोकने वाली सिर्फ़ यही चीज़ रही है कि उन्होंने कहा कि अल्लाह ने एक इन्सान को ही रसूल बना कर भेजा है, तू जवाब दे कि अगर ज़मीन पर फ़रिश्ते चलते-फिरते और रहते-बसते तो हम भी उनके पास किसी आसमानी फ़रिश्ते को रसूल बना कर भेजते।

मेरे अज़ीज़ दोस्त ! अगले ज़माने में यही हालत थी कि अक्सर लोग यही एतराज कर के गुमराह हुए कि क्या इन्सान नबी हो सकता है। इसके जवाब में अल्लाह तआला अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुबारक ज़ुबान से कहलवा रहा है कि आप कह दें कि अगर ज़मीन पर फ़रिश्ते रहते-सहते, चलते-फिरते और बसते होते, तो हम भी किसी फ़रिश्ते को रसूल बना कर भेजते। मगर ज़मीन पर इन्सान रहते-सहते, चलते-फिरते और बसते हैं, इसलिए हम इन्सान को ही नबी बनाकर भेजते हैं और आप से पहले भी हम ने नबियों को इन्सानों में से ही भेजा है।

क़ुरआन शरीफ़ के चौदहवें पारे में, सूर: नहल के छठे रुकूअ में, आयत न० 43 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा- तुम से पहले भी हम इन्सानों को ही (नबी बनाकर) भेजते रहे, जिनकी जानिब वह्य उतारा करते थे। पस अगर तुम नहीं जानते हो तो याद रखने वालों से पूछ लो।

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि जब अल्लाह तआला ने हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को रसूल बना कर भेजा तो अरबों ने साफ़ इन्कार कर दिया और कहा कि ख़ुदा की शान इससे बहुत ऊंची और ऊपर है कि वह किसी इन्सान को अपना रसूल बनाये।

हवाला- तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 14, पृ० 35, सूर: नह्ल के छठे रुकूअ की तफ़्सीर में।

अल्लाह तआला फ़रमा रहा है, हम ने तुझ से पहले भी जितने रसूल भेजे हैं सब ही इन्सान थे, जिन पर हमारी वह्य आती थी। पहली आसमानी किताब वालों से पूछ लो कि इन्सान थे

या फ़रिश्ते, अगर वे भी इन्सान ही थे, तो फिर ज़िद करना बेकार है।

हवाला- तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 14, पृ० 35, सूरः नह्ल के छठे रुकूअ की तफ़्सीर में।

'रसूल सब इन्सान ही होते हैं।'

हवाला- तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 8, पृ० 17, सूरः अन्-आम के सोलहवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

कुरआन शरीफ़ के अठारहवें पारे में, सूरः फ़ुर्कान के पहले रुकूअ में, आयत न० 7 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है।

तर्जुमा- 'कहने लगे कि यह कैसा रसूल है कि खाना खाता है और बाज़ारों में चलता-फिरता है। इस बेवक़ूफ़ी को देखिए कि रसूल की रिसालत के इन्कार का सबब यह बयान करते हैं कि यह खाने-पीने का मुहताज क्यों है और बाज़ारों में तिजारत और लेन-देन के लिए आता-जाता क्यों है ?

हवाला- तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 18, पृ० 91, सूरः फ़ुरकान के पहले रुकूअ की तफ़्सीर में,

यह उन जाहिलों का एतराज़ है, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नुबूवत और शरीअत का इन्कार करने के लिए बहाने बनाया करते थे, तो उसके जवाब में अल्लाह तआला का फ़रमान सुनिए-

कुरआन शरीफ़ के अठारहवें पारे में, सूरः फ़ुर्कान के दूसरे रुकूअ में, आयत न० 20 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा- हमने तुझ से पहले जितने भी रसूल भेजे, वे सब के सब खाना भी खाते थे और बाज़ारों में भी चलते-फिरते थे।

अगले सब पैग़म्बर भी इंसानी ज़रूरतें रखते थे, खाना-पीना उन के साथ भी लगा हुआ था, व्यापार, तिजारत व रोज़ी कमाना वे भी किया करते थे, ये चीज़ें नुबूवत के ख़िलाफ़ नहीं हैं।

हवाला- तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 18, पृ० 95, सूरः फ़ुर्कान के दूसरे रुकूअ की तफ़्सीर में।

'मैं फ़रिश्ता नहीं हूं कि न खाऊं, न पिऊं, मैं तो इंसान हूं, उस की वह्य और इल्हाम का पाबन्द हूं।

हवाला- तफ़्सीरे हक़्क़ानी, जिल्द 4, पृ० 78, सूरः अन्-आम के छठे रुकूअ की तफ़्सीर में।

हदीस - हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपनी जूती गांठ लेते और अपना नया या पुराना कपड़ा सी लेते, उस में पैबन्द लगा लेते और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपने घर में काम करते जैसे कि एक तुम्हारा (आदमी) अपने घर में काम करता है और हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा

ने कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपने कपड़ों में जुएं देखते थे।

हवाला- मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 494, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अख़्लाक़ के बयान में।

हदीस- हज़रत उमरह रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि किसी ने हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम दौलतकदे यानी (मकान) पर क्या किया करते थे ? उन्होंने फ़रमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम आदमियों में से एक आदमी थे। अपने कपड़ों में खुद ही जूं तलाश कर लेते थे और ख़ुद ही बकरी का दूध दूह लेते थे और अपने काम ख़ुद ही कर लेते थे।

हवाला- शमाइले तिर्मिज़ी, पृ० 295, हदीस 13, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तवाज़ोअ का बयान।

हदीस - हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपनी जूतियां ख़ुद गांठ लेते थे, कपड़ा ख़ुद सी लेते थे और अपने घर में काम उसी तरह करते थे, जिस तरह तुम अपने घरों में काम करते हो और हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने यह कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम आदमियों में से एक आदमी ही थे, अपने कपड़े की जुएं खुद देख लेते थे और अपनी बकरी का दूध दूह लेते थे और अपनी ख़िदमत खुद कर लेते थे।

हवाला- मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 850, हदीस 5543, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अख़्लाक़ का बयान।

इन हदीसों में जो जुओं के बारे में इर्शाद है, उस से हमें कोई वह्म नहीं, जूं किस की थी और कहां से आयी थी, वह तो अल्लाह ही बेहतर जाने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का बैठना, उठना फ़क़ीरों और मिस्कीनों के साथ ज़्यादा था। दूसरी बात यह है कि मदीना वाले खेतों और बाग़ों वाले लोग थे और जहां पर खेती-बाड़ी होती है, वहां यानी देहात व क़स्बा के माहौल में अक्सर जुएं हो जाती है और एक दूसरे पर भी चढ़ जाती हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर भी मुम्किन है दूसरों की चढ़ गयी हों और आप को अपने कपड़े देखने पड़ते हों या मुम्किन है बग़ैर जूं के खाली यों ही देखते हों, क्योंकि कभी-कभी यों मालूम होता है कि जूं काट रही है और जब उस जगह पर देखा जाता है तो कुछ भी नहीं होता या किसी तिनके या बाल वग़ैरह का ज़रा-सा टुकड़ा होता है और देखने वाले को ऐसा मालूम होता है कि ये जूं देख रहे हैं।

हदीस- हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने न तो कोई ऐसा अंबर सूंघा, न मुश्क और न कोई और चीज़, जिस में हुज़ूर सललल्लाहु अलैहि व सल्लम के जिस्म की ख़ुश्बू से ज़्यादा खुश्बू पायी गयी हो और न मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मुबारक हाथ से ज़्यादा नर्म दीबा और हरीर देखा (यानी रेशम और मखमल)।

हवाला- 1. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 133, हदीस 660, बाब 315, फ़ज़ाइल का बयान,

2. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1, पारा 8, पृ० 441, हदीस 1822, रोज़ों का बयान,

3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 494 ।

उलेमा-ए-दीन का फ़त्वा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मुबारक बदन में या कपड़ों में जूं नहीं पड़ती थी, क्योंकि जूं उस को पड़ती है, जिस के पसीने में बदबू आती है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पसीने में मुश्क व अंबर से भी ज़्यादा अच्छी ख़ुश्बू आती थी।

बहरहाल यह हदीस बयान करने से हमारा मक़्सद सिर्फ़ इतना है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम इंसान थे या नहीं। अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इंसान नहीं थे, तो फिर जूता सी लेना, कपड़ा सी लेना और बकरी का दूध दूह लेना, ये सब काम इंसान के हैं या और किसी के ?

इसके अलावा अल्लाह के लाल सच्चे आशिक़ाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जो सुन्नतों पर अमल करते आये हैं और अमल कर रहे हैं और क़ियामत तक अमल करते रहेंगे, वे कहां से आयी हैं ? खाने और पीने की सुन्नतें, उठने और बैठने की, चलने-फिरने और बोलने की सुन्नतें, सोने और जागने की सुन्नतें; बीवी-बच्चों से प्यार और उन के साथ रहने सहने की सुन्नतें, दोस्त-बिरादर और हर रिश्तेदार से सुलूक करने की सुन्नतें, पेशाब और पाख़ाना की सुन्नतें, सलाम व कलाम की सुन्नतें, कपड़े पहनने और उतारने की सुन्नतें, हजामत वग़ैरह की सुन्नतें, इन के अलावा वुज़ू, नमाज़, रोज़ा, हज, उमरा और सफ़र की सुन्नतें, ये सब कहां से आयीं? हम जो सुन्नत वल जमाअत का दावा करते हैं, यह कौन-सी सुन्नत और किस की सुन्नत है। अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इंसान नहीं थे तो फिर ये सब सुन्नतें कहां से लाये और किस ने सिखायी हैं?

क़ुरआन शरीफ़ के सोलहवें पारे में, सूरः कह्फ़ के बारहवें रुकूअ में, आयत न० 110 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है।

तर्जुमा- 'एलान कर दे कि मैं तो तुम जैसा ही इंसान हूं।'

यहां तक तो आपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इंसान होने के सबूत में आयतें और हदीसें सुनीं, अब जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की इंसानियत का इंकार करते हैं और जिस हदीस से दलील लेते हैं, वह हदीस और उस का जवाब भी सुन लीजिए-

हदीस- हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि रसूले ख़ुदा सल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को विसाल (यानी सौमे विसाल) से उन पर रहम खा कर मना फ़रमा दिया, तो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया कि आप तो

विसाल करते हैं? आपने फ़रमाया कि मैं तुम जैसा नहीं हूं। मेरा परवरदिगार मुझे खिलाता-पिलाता है।

हवाला – सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1, पारा 8, पृ० 439, हदीस 1813, रोज़े का बयान।

विसाल कहते हैं, लगातार सेहरी और इफ़्तार के बग़ैर रोज़ा रखने को। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम विसाल करते थे और आप को देख कर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम भी करने लगे, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन को ऐसा करने से मना फ़रमा दिया, तो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया कि आप तो विसाल करते हैं ? तो आपने फ़रमाया कि मैं तुम जैसा नहीं हूं।

मैं तुम जैसा नहीं हूं कहने का मतलब यह नहीं है कि मैं इंसान ही नहीं हूं, बल्कि इस से मुराद यह है कि मुझे तो अल्लाह तआला की तरफ़ से खिलाया-पिलाया जाता है और तुम्हें कौन खिलायेगा पिलायेगा, इसलिए मर्तबे के लिहाज़ से तुम जैसा नहीं हूं।

क़ुरआन शरीफ़ के बाइसवें पारे में, सूरः अह्ज़ाब के चौथे रुकूअ में, आयत न० 32 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – 'ऐ नबी की बीवियों ! तुम दूसरी औरतों की तरह नहीं हो।'

मेरे अज़ीज़ दोस्त ! कुछ अक़्लमंदी और समझदारी से काम लेना। वह तो हदीस थी और यह तो आयत है और अल्लाह तआला फ़रमा रहा है कि तुम दूसरी औरतों की तरह नहीं हो। अब आप ही इंसाफ़ करें कि वे औरतें नहीं थीं, तो फिर और कौन थी ? और क्या थीं तुम दूसरी औरतों की तरह नहीं हो, इसका मतलब यह नहीं कि वे औरतें ही नहीं थी, बल्कि इस का मतलब यह है कि तक़्वा परहेज़गारी और मर्तबे में तुम दूसरी औरतों से अफ़्ज़ल हो और यही मतलब उस हदीस का है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मैं तुम जैसा नहीं हूं। तो इस से मुराद यह नहीं है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इंसान नहीं थे, बल्कि इस से मुराद यह है कि तक़्वा, परहेज़गारी, नुबूवत व रिसालत के बुलंद मर्तबों के लिहाज़ से तुम जैसा नहीं हूं और आप के मर्तबे के बारे में आयतें और हदीसें आगे आएंगी। इन्शाअल्लाहु तआला।

क़ुरआन मजीद के तेरहवें पारे में, सूरः रअ्द के छठे रुकूअ में आयत न० 38 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा –'और तुझ से पहले भी हम बहुत-से रसूल भेज चुके हैं और हमने उन सब को बीवी-बच्चों वाला बनाया था।'

अल्लाह तआला की तरफ़ से इर्शाद हो रहा है कि जैसे आप बावजूद इंसान होने के रसूले ख़ुदा हैं, इसी तरह आप से पहले के तमाम रसूल भी इंसान ही थे, खाना खाते थे, बाज़ारों में चलते-फिरते थे और बीवी-बच्चों वाले थे।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 13, पृ० 50, सूरः रअ्द के छठे रुकूअ की तफ़्सीर में।

अब इस आयते शरीफ़ा से कोई इंकार नहीं कर सकता कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इंसान नहीं थे क्योंकि आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम आज भी मौजूद हैं और इन्शाअल्लाह क़ियामत तक रहेंगी। इसके अलावा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाप-दादा, पर दादा, मां, नानी, पर नानी और चाचा-चाची यानी हर रिश्तेदार मौजूद था, फिर क्यों इंकार कर रहे हो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इंसान नहीं थे।

यह है हिन्दुस्तान के मुसलमान भाइयों की खुली हुई जहालत।

क़ुरआन शरीफ़ के पन्द्रहवें पारे में, सूरः बनी इस्राईल के सातवें रुकूअ में, आयत न० 70, में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – यक़ीनन हमने औलादे आदम को बड़ी इ़ज़्ज़त दी और उन्हें खुश्की और तरी की सवारियां दीं और उन्हें पाकीज़ा चीज़ों की रोज़ियां दीं और अपनी बहुत-सी मख़्लूक़ पर उन्हें फ़ज़ीलत अता फ़रमायी।

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है–

'मोमिन ख़ुदा की नज़र में कुछ फ़रिश्तों से बुज़ुर्ग व बरतर है।'

हवाला–1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 837, हदीस 5457, मख़्लूक़ात की पैदाइश का बयान,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 462, मख़्लूक़ात की पैदाइश का बयान।

क़ुरआन करीम के तीसवें पारे में सूरः बय्यिनः में आयत न० 7-8 में, अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – बेशक जो लोग ईमान लाये और नेक अमल किये, ये लोग बेहतरीन ख़लाइक़ हैं, इन का बदला इन के रब के पास हमेशा वाली जन्नतें हैं, जिन के नीचे नहरें बह रही हैं, जिन में हमेशा-हमेशा रहेंगे। अल्लाह तआला उन से ख़ुश रहेगा और ये उससे। यह है उस के लिए जो अपने परवरदिगार से डरे।

अपने नेक बन्दों के अंजाम की ख़बर देता है, जिन के दिलों में ईमान है और जो अपने जिस्मों से सुन्नत के पूरा करने में लगे रहते हैं। ये सारी मख़्लूक़ से बेहतर और बुज़ुर्ग हैं।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 30, पृ० 92, सूरः बय्यिनः की तफ़्सीर में।

इस आयत से हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उलेमा-ए-किराम की एक जमाअत ने दलील ली है कि ईमान वाले इंसान फ़रिश्तों से भी अफ़्ज़ल हैं। फिर इर्शाद होता है उन का नेक बदला उन के रब के पास हमेशा वाली जन्नतों की शक्ल में है, जिनके कोने-कोने पर पाक-साफ़ पानी की नहरें बह रही हैं, जिनमें हमेशा-हमेशा की ज़िंदगी के साथ रहेंगे, न

वहां से निकाले जाएंगे, न वे नेमतें उन से जुदा हों, न कम हों, न और कोई खटका है और न ग़म, फिर इन सब से बढ़-चढ़ कर नेमत व रहमत यह है कि रब की रज़ा और मौला की मर्ज़ी उन्हें हासिल हो गयी है और उन्हें इस क़दर नेमतें जनाब बारी तआला ने अता फ़रमायी हैं कि ये भी दिल से राज़ी हो ग हैं, फिर इर्शाद होता है कि यह बेहतरीन बदला, यह भरपूर जज़ा और सब से बड़ा अज्र दुनिया में ख़ुदा से डरते रहने के बदले में है। हर वह आदमी जिस के दिल में डर हो, जिस की इख़्लास में इस्लाम हो, जो जानता हो कि ख़ुदा की इस पर नज़रें हैं, बल्कि इबादत के वक़्त इस मशग़ूली और दिलचस्पी से इबादत कर रहा हो कि गोया वह ख़ुद अपनी आंखों से अपने ख़ालिक़, मालिक और सच्चे रब और हक़ीक़ी ख़ुदा को देख रहा है।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 30, पृ० 92, सूरः बय्यिनः की तफ़्सीर में।

क़ुरआन करीम के तीसवें पारे में, सूरः वत्तीन में, आयत न० 4 में, अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – 'यक़ीनन हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा किया।'

इन आयतों से दलील ली है कि इंसान फ़रिश्तों से अफ़्ज़ल है।

हज़रत ज़ैद बिन असलम रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि फ़रिश्तों ने कहा, ऐ अल्लाह! तू ने आदम की औलाद को दुनिया दे रखी है, वे खाते-पीते हैं और मौज-मज़े करते हैं, तो तू उस के बदले में हमें आख़िरत में ही अता फ़रमा, क्योंकि हम उस दुनिया से महरूम हैं। इस के जवाब में अल्लाह तआला ने फ़रमाया कि मुझे अपनी इज़्ज़त व जलाल की क़सम ! उस की नेक औलाद को, जिसे मैंने अपने हाथ से बनाया है, उस के बराबर हरगिज़ न करूंगा, जिसे मैंने 'कुन' के कलिमा से पैदा किया है।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 15, पृ० 57, सूरः बनी इस्राईल के सातवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि–

ऐ अल्लाह ! मैंने तुझ से एक अह्द (वचन) लिया है यानी मैं तुझसे एक दरख़्वास्त करता हूं, उम्मीद है कि तू उस के ख़िलाफ़ न करेगा यानी उस को तू ज़रूर क़ुबूल कर लेगा। मैं एक आदमी ही हूं, (जिस से ग़लती मुम्किन है।) पस जिस मोमिन को मैंने तक्लीफ़ दी हो, जिस मोमिन को मैंने बुरा कहा हो, जिस मोमिन को मैंने लानत की हो, जिस मोमिन को मैंने मारा हो, तो इन सब चीज़ों को उस के हक़ में रहमत बना दे और इन को उन के सारे गुनाहों से पाकी का सबब क़रार दे और अपनी क़ुरबत का ज़रिया बना कि वे उसके ज़रिए क़ियामत के दिन तेरे क़रीब हो जाएं।

हवाला –1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 368, हदीस 2103, दुआ का बयान।

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 240, दुआ का बयान।

आप को एक मिसाल देकर समझाता हूं, उम्मीद है कि इन्शाअल्लाहु तआला आप की समझ में बात आ जाएगी। आप जानते हैं कि पत्थर तो पत्थर ही होते हैं, मगर हीरा पत्थर ही में से बनता है, सिवाए पत्थर के और किसी चीज़ में से नहीं बनता। सोना-चांदी, तांबा, पीतल और लोहा वग़ैरह से नहीं बनता। यही मिसाल तमाम नबियों और रसूलों की है कि नबी जो होते हैं, वे इंसानों ही में से होते हैं, फ़रिश्तों या जिन्नों में से कोई भी आज तक इंसानों के लिए नबी या रसूल बन कर नहीं आया। आयी बात समझ में मेरे भैया के।

दुनिया में जितनी भी घास होती है, वह सब घास ही कहलाती है। एक तो वह घास है, जो पांच रुपए की एक मन मिलती है और ज़ाफ़रान भी तो घास ही है, लेकिन एक तोला सौ रुपए देने के बाद भी सही नहीं मिल रहा है, हालांकि यह भी घास है और पांच रुपए मन वाली भी घास ही है, तो जिस तरह पत्थरों में हीरों को बड़ाई हासिल है और घासों में जिस तरह ज़ाफ़रान को बड़ाई हासिल है, इसी तरह रसूलों और नबियों को इंसानों पर बड़ाई हासिल है।

अल्लाहुम-म सल्लि अला मुहम्मदिंव-व आलिही व अस्हाबिही अजमइ न०।

या साहिबल जमालि व या सय्यिदल बशर

मिन वज्हि-कल मुनीरु ल-क़द नव्वरल क़-मर,

ला यम्किनुस्सनाउ कमा का-न हक़्क़ हूं

बाद अज खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख़्तसर।

हुज़ूर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की शाने मुबारक

हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शाने मुबारक के लिए इतना ही कह देना काफ़ी है कि ख़ुदा के बाद अगर कोई हस्ती उसकी कुल मख़्लूक़ात और तमाम कायनात में बुलंद व बाला है तो हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बरकतों भरी ज़ात है। बड़े-बड़े नबियों और रसूलों तक से अल्लाह ने यह साफ़ फ़रमा दिया कि तुम्हारी नुबूवत और शरीअत उस वक़्त मंसूख (ख़त्म) है। जब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम दुनिया में रसूल बन कर तश्रीफ़ ले आएं और तुम को उन की शरीअत का पाबन्द, उन का मददगार और उनका उम्मती बन कर रहना पड़ेगा और इस बात पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम नबियों को जमा करके मीसाक़ के दिन अह्द (वचन) ले लिया।

क़ुरआन मजीद के तीसरे पारे में, सूरः आले इम्रान के नवें रुकूअ में, आयत न० 81 में, अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है।

तर्जुमा – जब अल्लाह तआला ने नबियों का अह्द लिया कि जब मैं तुम्हें किताब व हिक्मत दूं, फिर तुम्हारे पास वह रसूल आए, जो तुम्हारे पास की चीज़ को सच बताये, तो तुम्हें उस पर ईमान लाना और उस की मदद करना ज़रूरी है। फ़रमाया कि क्या तुम इस के इक़रारी हो ? और इस पर मेरा ज़िम्मा ले रहे हो ?

सब ने कहा, हमें इकरार है।

फ़रमाया, तो अब गवाह रहो और ख़ुद मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में से हूं।

हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि अल्लाह तआला ने हर नबी से अह्द लिया कि उस की जिंदगी में अगर अल्लाह तआला अपने नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को भेजे तो उस पर फ़र्ज़ है कि वह आप पर ईमान लाये और आप की इम्दाद करे और अपनी उम्मत को भी यही तल्क़ीन कर दे कि वे भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर ईमान लाये और आप की ताबेदारी में लग जाए।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 3, पृ० 84, सूरः आले इम्रान के नवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

यह है वह ऊंचा मक़ाम और बड़ा मर्तबा, जो अल्लाह तआला ने अपने हबीबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इनायत फ़रमाया है। यह है वह शान व मर्तबा, जो क़ुरआन मजीद बता रहा है कि रसूलों और नबियों की मुक़द्दस जमाअत भी इक़रार करती है कि अगर ख़ातमुल अंबिया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हमारे ज़माने में तशरीफ़ लाये, तो हम अपनी शरीअत छोड़ कर आप की शरीअत पर चलेंगे और अपनी नुबूवत को ख़त्म समझ कर आप की इताअत में लग कर आप के उम्मती बन जाएंगे। बेशक आप नबियों के इमाम और सरदार हैं, जिन का ज़िक्र हर नबी ने अपने ज़माने में किया।

हमारे रसूल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ख़ातमुल अंबिया हैं और इमामे आज़म हैं। जिस ज़माने में भी आपकी नुबूवत होती, आप की इताअत वाजिब होती और तमाम नबियों की ताबेदारी पर, जो उस वक़्त हो, आप की फ़रमांबरदारी मुक़द्दम रहती। यही वजह थी कि मेराज वाली रात को बैतुल मक़्दिस में तमाम नबियों के इमाम आप ही बनाये गये। इसी तरह हश्र के मैदान में अल्लाह तआला को फ़ैसले के लिए लाने में शफ़ीअ़ (शिफ़ाअत कराने वाले) आप ही होंगे। यही वह मक़ामे महमूद है, जो आप के सिवा और किसी के लायक़ नहीं। तमाम नबी और कुल रसूल उस दिन इस काम से मुंह फेर लेंगे। आख़िर में आप ही ख़ुसूसियत के साथ उस मकाम में खड़े होंगे। अल्लाह तआला अपने दरूद और सलाम आप पर हमेशा-हमेशा भेजता रहे क़ियामत के दिन तक। आमीन !

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 3, पृ० 85, सूरः आले इम्रान के नवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व

सल्लम ने फ़रमाया कि मैं क़ियामत के दिन आदम अलैहिस्सलाम की औलाद का सरदार बनूंगा। सबसे पहले मेरी क़ब्र शक़ होगी, सब से पहले मैं शफ़ाअत करूंगा और सब से पहले मेरी शफ़ाअत क़ुबूल की जाएगी।

हवाला – सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 126, बाब 296, हदीस 620, फ़ज़ाइल का बयान।

देखा मेरे अज़ीज़! हमारी खुशनसीबी के क्या कहने! हम ऐसे बरगुज़ीदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की उम्मत हैं, जिन की ताबेदारी करने और जिन की उम्मत में शामिल होने के लिए बड़े-बड़े नबियों और रसूलों तक ने खुशी से इकरार किया और इस इकरार में अपनी सआदतमंदी समझी, लेकिन हमारी बद-बख़्ती और जहालत का भी कोई ठिकाना नहीं। रह्मतुल्लिल् आलमीन हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शरीअत से हम दूर हो गये, यहां तक कि अगर आंहुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की कोई सही बात हमें सुनायी जाती है, तो वह हमें ना-गवार मालूम होती है और यह सब कुछ उन नादान पीरों और जाहिल मौलवियों की वजह से हो रहा है, जो आज उम्मते मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की आंखों में धूल झोंक कर गुमराही का बाज़ार गर्म किये हुए हैं।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शाने मुबारक देखनी हो तो क़ुरआन मजीद खोल कर देखो कि सिर्फ़ नबियों ने ही अपनी उम्मतों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शान नहीं बतायी, बल्कि उन पर जो किताबें नाज़िल हुई हैं, उन में भी अल्लाह तआला ने अपने मोहतरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की पहचान करा दी और बता दिया कि आप की इताअत वाजिब है।

क़ुरआन मजीद के नवें पारे में, सूर: आराफ़ के उन्नीसवें रुकूअ में, आयत न० 157 में, अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – जो लोग ऐसे रसूल नबी उम्मी की पैरवी करते हैं, जिन को वे लोग अपने पास तौरेत और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं।

जो लोग नबी उम्मी की पैरवी करते हैं और मुसलमान हो जाते हैं, उन्हें उस पेशीनगोई का इल्म है, जो उन की किताबों तौरात व इंजील में नबी उम्मी से मुताल्लिक़ लिखी हुई हैं। नबियों की किताबों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सिफ़त (खूबी) का ज़िक्र किया हुआ है, जिन्होंने अपनी-अपनी उम्मत को आप के नबी बनाये जाने की खुशख़बरी दी है और उन का मज़हब अख़्तियार करने की हिदायत की है, उन के उलेमा और राहिब इस चीज़ को जानते हैं।

मुस्नद अहमद में है कि एक बदवी (देहाती) ने बयान किया है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में दूध बेचने के लिए मदीने में गया। बेचने से फ़ारिग़ होने के

बाद मैंने कहा, चलो, उन से भी (यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से मिल लूं और उन से कुछ बातें सुनूं। मैंने देखा कि आप अबूबक्र और उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के साथ जा रहे हैं, मैं भी पीछे हो लिया। ये तीनों एक यहूदी के घर पहुंचे, जो तौरेत जानता था। उस का लड़का क़रीबुल मौत था, नवजवान और ख़ूबसूरत। वह उस के पास बैठा हुआ नफ़्स की ताज़ियत के लिए तौरेत पढ़ रहा था। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उस यहूदी से बातें करने लगे और फ़रमाया कि तुम्हें तौरेत नाज़िल करने वाले की क़सम है। सच बताओ, इस तौरेत में मेरा ज़िक्र और मेरे पैग़म्बर बनाये जाने की ख़बर भी है या नहीं ? उस यहूदी ने सिर हिला कर कहा, नहीं। तो उस का क़रीबुल मौत नवजवान लड़का बोल उठा कि तौरेत नाज़िल करने वाले की क़सम ! कि हम अपनी किताबों में आप के पैग़म्बर बनाये जाने की ख़बर पाते हैं और मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। जब वह मर गया तो आप ने फ़रमाया कि वह मुसलमान है। यहूदियों को यहां से हटा दो, फिर आप ने उस के कफ़न और नमाज़ का इन्तिज़ाम किया।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 9, पृ० 29, सूरः आराफ़ के उन्नीसवें रुकूअ में तफ़्सीर में।

हदीस – हज़रत अता बिन यसार रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु से मिला और पूछा कि तौरेत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जो सिफ़तें (ख़ूबियां) ज़िक्र की गयी हैं, उन से मुझ को आगाह करो। अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हां, (मैं तुम को आगाह करता हूं)। ख़ुदा की क़सम ! तौरेत में आप की कुछ वहीं सिफ़तें बयान की गयी हैं, जो क़ुरआन मजीद में पायी जाती हैं, यानी ऐ नबी ! हमने तुझको (उम्मत पर) शाहिद बना कर भेजा है और ख़ुशख़बरी देने वाला (सवाब की) और डराने वाला (अज़ाब से) और उम्मियों की पनाह ! तू मेरा बन्दा और मेरा रसूल है। मैंने तेरा नाम मुतवक्किल रखा है, न तो तू बुरी तबियत का है, न सख़्ती करने वाला और न बाज़ारों में शोर मचाने वाला और वह बुराई को बुराई के साथ दूर नहीं करता, बल्कि दरगुज़र करता है और मग़्फ़िरत की दुआ करता है और अल्लाह उस की रूह को उस वक़्त तक क़ब्ज न करेगा, जब तक कि गुमराह क़ौम को उस के ज़रिए सीधे रास्ते पर न लाये, इस तरह से कि वे लोग इसको मान लेंगे कि ख़ुदा के सिवा कोई माबूद इबादत के लायक़ नहीं है और उस वक़्त तक उस की रूह ख़ुदा क़ब्ज न करेगा, जब तक अंधी आंखों, बहरे कानों, बे-हिस दिलों को इस कलिमे के ज़रिए ठीक न कर दे।

हवाला –1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 840, हदीस 5475, फ़ज़ाइले सय्यिदिल मुर्सलीन,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 470, फ़जाइले सय्यिदिल मुर्सलीन।

देखा मेरे अज़ीज़ दोस्त ! यह शाने मुबारक है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की कि नबियों ने भी ख़ुशख़बरी दी और उन पर उतरी हुई किताबों ने भी हमारे रसूल सल्लल्लाहु

अलैहि व सल्लम की सिफ़तें बयान कीं, लेकिन ये यहूदी उस वक़्त आप का इंकार कर बैठे, जब आप रसूल बन कर दुनिया में तशरीफ़ लाये। यहूदी और ईसाई आप की नुबुवत से पहले अपनी किताबों में लिखी हुई सिफ़तें मक्का और मदीना वालों को बताते थे और कई यहूदी आलिम और मजूसी तो मदीना तैयिबा में अपने बोरिए और बिस्तर जमाए हुए इन्तिज़ार कर रहे थे कि अल्लाह के आख़िरी पैग़म्बर बनाये जाने का ज़माना क़रीब है और मदीना तैयिबा में आप हिजरत करके तशरीफ़ लाएंगे, लेकिन जब आप तशरीफ़ लाये तो उन्होंने सिर्फ़ इस वजह से इंकार कर दिया कि यहूदी और ईसाई होकर मुहम्मदे अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर ईमान क्यों लाएं। हममें से अगर आप होते तो हम ईमान लाते और यह कह कर उन बातों को भी छिपा गये, जिन को वे अपनी किताबों में से बयान किया करते थे।

क़ुरआन करीम के पहले पारे में सूरः बक़रः के ग्यारहवें रुकूअ में, आयत न० 89 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा –'जिस के पहले ये ख़ुद उस के साथ कुफ़्र पर जीत चाहते थे, तो आ जाने के बावजूद और पहचान लेने के बावजूद फिर कुफ़्र करने लगे। अल्लाह की लानत हो इन काफ़िरों पर।'

जब कभी यहूदियों और अरब के मुश्रिकों के बीच लड़ाई हुई तो यहूदी कहा करते थे कि बहुत जल्द ख़ुदा की सच्ची किताब लेकर ख़ुदा के एक बहुत बड़े पैग़म्बर आने वाले हैं। हम उन के साथ होकर तुम्हें ऐसा क़त्ल व ग़ारत करेंगे कि तुम्हारा नाम व निशान मिटा देंगे। अल्लाह तआला से दुआएं किया करते थे कि ऐ ख़ुदा ! तू उस नबी को जल्द भेज, जिस की सिफ़तें हम तौरेत में पाते हैं, ताकि हम उन पर ईमान ला कर उनके साथ होकर अपना बाज़ू मज़बूत करके तेरे दुश्मनों से बदला लें। मुश्रिकों से कहा करते थे कि उस नबी का ज़माना अब बिल्कुल क़रीब आ गया है, लेकिन जिस वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पैग़म्बर बनाये गये, तमाम निशानियां आप में देख लीं, पहचान लिया, दिल से क़ायल हो गये, मगर चूंकि आप अरबों में से थे, इस लिए हसद कर के आप की नुबूवत का इंकार कर दिया और अल्लाह तआला की लानत में आ गये, बल्कि वे मुश्रिक, जो मदीना में थे और जो उन से यह सुनते चले आते थे, उन्हें ईमान नसीब हुआ और आख़िर में वे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ हो कर यहूदियों पर ग़ालिब आ गये।

एक बार हज़रत मुआज़ बिन जबल, हज़रत बश्र बिन बरा, और हज़रत दाऊद बिन सलमा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने मदीना के इन यहूदियों से कहा भी कि तुम तो हमारी शिर्क की हालत में हम से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नुबूवत का ज़िक्र किया करते थे, जो-जो सिफ़तें तुम हज़रत के बयान किया करते थे, वे तमाम सिफ़तें आप में मौजूद हैं, फिर तुम ख़ुद क्यों ईमान नहीं लाते ? आप का साथ क्यों नहीं देते ?

तो सलाम बिन मुश्किम ने जवाब दिया कि हम इन्हें नहीं कहते थे। इसी का ज़िक्र इस आयत में है कि पहले से मानते थे, इंतिजार में थे, लेकिन आने के बाद हसद और तकब्बुर

से अपनी रियासत के खोये जाने के ख़्याल से साफ़ इंकार कर बैठे।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 1, पृ० 142, सूरः बकरः के ग्यारहवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

मेरे अज़ीज़ दोस्त ! ये थे यहूदी कि जो आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर सब से पहले ईमान लाने का दावा करते थे, आप का साथ देने की डींगें मारते थे, आप की मुहब्बत और इश्क़ का दावा करते थे, लेकिन जब पैग़म्बरे-ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अल्लाह तआला ने नुबूवत देकर भेजा, तो ये लोग पीछे हट गये। उन की मुहब्बत के दावे, उन के ईमान लाने के दावे, उन के इश्क़े रसूल के दावे सब धरे के धरे रह गये और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उन के सामने तशरीफ़ लाये, तो उन यहूदियों ने साफ़ इंकार कर दिया।

ऐ मेरे भोले-भाले अज़ीज़ दोस्त ! ज़रा आंखें खोल कर हिन्दुस्तान के मुसलमानों को देखो, तो आप को अच्छी तरह मालूम हो जाएगा कि इन यहूदियों के नक़्शे क़दम पर चलने वाले आज अक्सर मुसलमान ही हैं। इश्क़े रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का दावा करने वाले मुसलमान, आप के बालों पर जान देने वाले मुसलमान, आप के क़दम के निशान को पूजने वाले मुसलमान ऐसे मिलेंगे कि अगर शरीअते मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की कोई सही बात किसी अल्लाह वाले से सुनते हैं तो इस तरह भाग खड़े होते हैं, जिस तरह जंगली जानवर जान छुड़ा कर भाग खड़े होते हैं और इस तरह शरीअत की ठोस बातों का इंकार कर देते हैं, जिस तरह यहूदियों ने इंकार किया था।

मेरे अज़ीज़ दोस्त ! ऐसे जाली तरीक़ों से और झूठे दावों से रह्मतुल्लिल् आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शान नहीं बढ़ती, बल्कि आप की तौहीन होती है और पैग़म्बरे ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ऐसे जाली तरीक़ो और झूठे दावों से शाने मुबारक बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शाने मुबारक को इस क़दर बढ़ाया और इतना शर्फ़ अता फ़रमाया कि इस से पहले और बाद में आदम की औलाद के अन्दर किसी को भी नहीं दिया।

क़ुरआन शरीफ़ के तीसवें पारे में, सूरः अलम नश्रह में, आयत न० 4 में, अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – 'और हम ने तेरा ज़िक्र बुलन्द किया।'

अबू नईम के हवाले से लिखा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, ऐ अल्लाह ! मुझ से पहले जितने नबी हुए हैं, उन सब की तूने तक्रीम की, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख़लील बनाया, मूसा अलैहिस्सलाम को कलीम बनाया, दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए पहाड़ों को उन के मातहत बनाया, सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवाओं को ताबेअ़ किया और शैतानों को भी, ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ पर मुर्दे ज़िंदा कराये हैं, पस मेरे लिए

क्या किया है। अल्लाह तआला ने फ़रमाया, क्या मैं ने तुझे इन सब से अफ़ज़ल चीज़ नहीं दी कि मेरे ज़िक्र के साथ ही तेरा ज़िक्र किया जाता है। अपने नाम के साथ अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का नाम भी मिला लिया, जबकि मुअज़्ज़िन पांचों वक़्त-

'अशहदु अल-ला-इला-इल्लल्लाहु' के साथ

'अशहदु अन-न मुहम्मदर-रसूलुल्लाह' कहता है, आप की इज़्ज़त व जलाल के इज़्हार के लिए अपने नाम से आप का नाम निकाला। देखो वह अर्श वाला महमूद है और आप मुहम्मद हैं, सल्लललाहु अलैहि व सल्लम!

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 30, पृ० 75, सूरः अलम नशरह की तफ़्सीर में।

मेरे अज़ीज़ दोस्त! यह है आप की शाने मुबारक कि आज सैंकड़ों वर्ष हो रहे हैं, दुनिया आलम की करोड़ों मस्जिदों में, अनगिनत लोग अपनी अज़ानों में, नमाज़ों में, आप का कलिमा बुलंद करते चले आ रहे हैं और इस तरह से अल्लाह पाक बराबर एलान करता चला आ रहा है कि तुम्हारे लिए अमल का नमूना और इताअत के क़ाबिल हमारे बंदों में सिर्फ़ एक ही ज़ात है, यानी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ज़ाते मुबारक।

मगर हाय हिन्दुस्तान के मुसलमानों की जहालत, कि किसी ने आपको छोड़ कर अपने 'हज़रत' को पकड़ लिया, किसी ने आप को छोड़ कर अपने 'नादान पीर' को पकड़ लिया, किसी ने आप को छोड़ कर 'जाहिल मौलवियों' को पकड़ लिया और किसी ने 'ख़्वाजा' को पकड़ लिया और किसी ने किसी दरवेश को पकड़ा और किसी ने किसी 'वली' और 'सूफ़ी' को पकड़ा। अगर न पकड़ा तो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को न पकड़ा और छोड़ा तो सिर्फ़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को छोड़ा।

मेरे भैया! यही सब से बड़ी बद-क़िस्मती है, बल्कि सब से बड़ी गुमराही है। ज़रा कान खोल कर सुन कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शरीअत से ज़रा-सा भी हटना और दूसरे की तरफ़ झुकना एकदम गुमराही है। लो, ध्यान से सुनो, यकीन के साथ कहता हूं कि यही एक बात हमारी हिदायत का ज़रिया बन जाएगी, इन्शाअल्लाहु तआला।

हदीस – हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि (एक बार) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास तौरेत का नुस्ख़ा लाये और अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! यह तौरेत का नुस्ख़ा है। आप ख़ामोश रहे। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पढ़ना शुरू किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के चेहरे का रंग बदलने लगा। हज़रत अबुबक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह देख कर कहा, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु! तुमको गुम करें गुम करने वालियां, क्या तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के चेहरे (की तब्दीली) को नहीं देखते? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप के चेहरे पर नज़र डाली और कहा, पनाह मांगता हूं मैं अल्लाह

की अल्लाह और उस के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ग़ुस्से से। राज़ी हैं हम अल्लाह के रब होने पर और दीने इस्लाम पर और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नुबूवत पर। पस फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने, क़सम है उस ज़ात की, जिस के क़ब्जे में मेरी जान है, अगर मौजूद होते तुम में मूसा अलैहिस्सलाम और तुम उन की फ़रमांबरदारी क़ुबूल कर लेते और मुझ को छोड़ देते (तो इस का नतीजा यह होता कि) तुम सीधी राह से भटक कर गुमराह हो जाते। अगर मूसा (अलैहिस्सलाम) ज़िंदा होते और मेरी नुबूवत के ज़माने को पा लेते तो (यक़ीनन) मेरी पैरवी करते।

हवाला –1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 113, हदीस 182, अल्लाह की किताब और रसूल की सुन्नत का बयान,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 81, किताबुल ईमान।

मेरे दोस्त ! हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अल्लाह तआला ने आलमगीर हैसियत दी है और सारे जहान का पेशवा बना कर आप को भेजा है। सारे जहान की इताअतगुजारी सिर्फ़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिए ही होनी चाहिए, क्योंकि आप रह्मतुल्लिल आलमीन हैं, सारे जहान के लिए रहमत, पूरी दुनिया कि लिए नबी बना कर भेजे गये हैं।

क़ुरआन मजीद के सतरहवें पारे में, सूरः अंबिया के सातवें रुकूअ में, आयत न० 107 में, अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – 'हमने तुझे तमाम जहान वालों के लिए रहमत ही बना कर भेजा है।'

हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि ऐ हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ! एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने ख़ुत्बे में फ़रमाया कि जिस को ग़ुस्से में मैं ने बुरा-भला कह दिया हो, या उस पर लानत की हो, तो समझ लो कि मैं भी तुम जैसा एक इंसान हूं। तुम्हारी तरह मुझे भी ग़ुस्सा आ जाता है, हां, अल-बत्ता मैं रह्मतुल्लिल आलमीन हूं, तो मेरी दुआ है कि ख़ुदा मेरे उन लफ़्ज़ों को भी उन लोगों के लिए रहमत बना दे।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 17, पृ० 40, सूरः अंबिया के सातवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

अल्लाहुम-म सल्लि अला मुहम्मदिंव-व आलिही व असहाबिही व बारिक व सल्लिम०

ब-ल-ग़ल उला बिकमालिही०

क-श-फ़द्-दुजा बिजमालिही०

ह-स-नत जमीउ ख़िसालिही०

सल्लू अलैहि व आलिही०

फ़ज़ाइले सहाबा-ए-किराम
रज़ियल्लाहु अन्हुम अज-मईन

क़ुरआन करीम के ग्यारहवें पारे में, सूर: तौबा के तेरहवें रुकूअ में, आयत न० 100 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – वे मुहाजिर और अंसार, जिन्होंने सब से पहले ईमान की दावत पर लब्बैक कहने में पहल की (और बाक़ी उम्मत में) जितने लोग इख़्लास के साथ उन की पैरवी करेंगे, अल्लाह उन सब से राज़ी हुआ और वे सब अल्लाह से राज़ी हुए और अल्लाह तआला ने उन के लिए ऐसे बाग़ तैयार कर रखे हैं, जिन के नीचे नहरें जारी होंगी, जिन में हमेशा-हमेशा रहेंगे, यह बहुत बड़ी कामियाबी है।

हदीस – हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है, मेरे सहाबा (साथियों) को बुरा न कहो, इस लिए कि अगर तुम में से कोई उहुद के पहाड़ के बराबर सोना (अल्लाह की राह में) ख़र्च करे तो सहाबी के एक मुद्द या आधे मुद्द के सवाब के बराबर भी उस का सवाब न होगा।

(मुद्द एक पैमाना है, जिस में सेर भर जौ आते हैं)

हवाला–1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 895, हदीस 5722, सहाबा के मनाक़िब का बयान,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 82, सहाबा के मनाक़िब का बयान।

हदीस – हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, नबी करीम सल्ललाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है, उस मुसलमान को आग (यानी दोज़ख़ की आग) न छूएगी, जिस ने मुझ को देखा हो या उस आदमी को देखा हो, जिसने मुझ को देखा हो।

हवाला–1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 896, हदीस 5727, सहाबा के मनाक़िब का बयान,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 88, सहाबा के मनाक़िब का बयान।

हदीस – हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है, अगर मैं किसी को अपना ख़ालिस दोस्त बनाता, तो अबूबक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) को बनाता, लेकिन अबूबक्र मेरे भाई हैं और मेरे सहाबी हैं और अल-बत्ता तुम्हारे दोस्त (यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को ख़ुदा ने अपना ख़लील (दोस्त) बनाया है।

हवाला–1. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 142, हदीस 703, बाब 333, फ़ज़ाइलुस्सहाबा रज़ि०,

2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 897, हदीस 5734, मनाक़िबे हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु,
3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 92, फ़ज़ाइलुस्सहाबा रज़ि०

हदीस – हज़रत मुहम्मद ज़ुबैर बिन मुत्इम रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में एक औरत हाज़िर हुई और किसी मामले में बातें कीं। आपने उस से फ़रमाया, फिर किसी वक़्त आना, उस औरत ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! यह बता दीजिए, अगर मैं आऊं और आपको न पाऊं (यानी आप इंतिक़ाल फ़रमा जाएं, तो क्या करूं ?) आपने फ़रमाया, अगर तू मुझ को न पाये, तो अबू बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) के पास चली जाना।

हवाला –1. सही बुख़री शरीफ़, जिल्द 2, पारा 14, पृ० 220, हदीस 851, मनाक़िबे अबूबक्र रज़ियल्लाहु अन्हु,
2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 142, हदीस 706, बाब 333, मनाक़िबे हज़रत अबूबक्र रज़ियल्लाहु अन्हु,
3. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 898, हदीस 5736, मनाक़िबे हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु,
4. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 92, मनाक़िबे हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु।

हदीस – हज़रत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुझ को एक फ़ौज का अमीर मुक़र्रर कर के ज़ातुस्सलासिल की जगह पर भेजा, फिर जब मैं आप की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो मैंने पूछा, आप को सब से ज़्यादा किस से मुहब्बत है फ़रमाया, आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से। फिर मैं ने पूछा और मर्दों में किस से ज्यादा मुहब्बत है ? फ़रमाया, आइशा रज़ि० के वालिद से। मैंने अर्ज़ किया, फिर किस से ? फ़रमाया उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से।

हज़रत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि इसी तरह आप ने कुछ आदमियों को गिना और फिर मैं इस ख़्याल से ख़ामोश हो गया कि कहीं मेरा नाम बिल्कुल आख़िर में न आए।

हवाला –1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 14, पृ० 220, हदीस 854, फ़ज़ाइलें अबूबक्र रज़ियल्लाहु अन्हु,
2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 898, हदीस 5737, फ़ज़ाइले अबूबक्र रज़ियल्लाहु अन्हु,
3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 93, फ़ज़ाइले अबूबक्र रज़ियल्लाहु अन्हु।

हदीस – हज़रत मुहम्मद हनफ़ीया रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने अपने वालिद (हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु) से मालूम किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाद कौन आदमी सब से बेहतर है ? तो उन्होंने फ़रमाया, अबूबक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु)। मैंने पूछा, अबूबक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) के बाद कौन आदमी बेहतर है, फ़रमाया, उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु)। हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) के बाद मैं ने इस ख़्याल से न पूछा कि कहीं वह हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम न ले लें, बल्कि मैं ने सवाल का तरीक़ा बदल दिया और यह पूछा कि फिर आप बेहतर हैं ? उन्होंने फ़रमाया, मैं तो सिर्फ़ एक मर्दे मुसलमान हूं।

हवाला –1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 898, हदीस 5738, मनाक़िबे हज़रत अबू बक्र रज़ियल्लाहु अन्हु,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 93, मनाक़िबे हज़रत अबू बक्र रज़ियल्लाहु अन्हु।

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है, जिस किसी ने हम को कुछ दिया है, हमने उस को उस का बदला दे दिया है, सिवाए अबूबक्र रज़ियल्लाहु अन्हु के कि उन्होंने हमारे साथ ऐसी नेकी और बख़्शिश की है, जिस का बदला क़ियामत के दिन ख़ुदा ही देगा और किसी आदमी के माल ने मुझ को इतना फ़ायदा नहीं पहुंचाया, जितना अबूबक्र के माल ने पहुंचाया है। अगर मैं किसी को अपना ख़लील व ख़ालिस दोस्त बनाना चाहता तो अबूबक्र को अपना दोस्त बनाता। याद रखो, तुम्हारे दोस्त (यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ख़ुदा के ख़लील हैं।

हवाला –1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 898, हदीस 5740, मनाक़िबे अबूबक्र रज़ियल्लाहु अन्हु,
2. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 361, हदी 1518, मनाक़िबे अबूबक्र रज़ियल्लाहु अन्हु,
3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 94, मनाक़िबे अबू बक्र रज़ियल्लाहु अन्हु।

हदीस – हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अबू बक्र रज़ियल्लाहु अन्हु हमारे सरदार हैं और हम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सब से ज़्यादा महबूब हैं।

हवाला –1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 898, हदीस 5741, मनाक़िबे हज़रत अबू बक्र रज़ियल्लाहु अन्हु,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 94, मनाक़िबे हज़रत अबूबक्र रज़ियल्लाहु अन्हु।

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है, (एक दिन) हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। (यह वाक़िआ मेराज की रात का है) और मुझ को जन्नत का वह दरवाजा दिखाया, जिस से मेरी उम्मत जन्नत के अन्दर दाखिल होगी। हज़रत अबूबक्र

सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! काश, मैं भी आप के साथ होता कि उस दरवाज़े को देख लेता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, अबूबक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) ! आगाह हो कि मेरी उम्मत में से सब से पहला आदमी तू होगा, जो जन्नत में दाखिल होगा।

हवाला –1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 899, हदीस 5746, मनाक़िबे अबू बक्र सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 96, मनाक़िबे हज़रत अबू बक्र सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु।

हदीस – हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक दिन उनके सामने हज़रत अबू बक्र सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़िक्र किया गया। वह इस ज़िक्र को सुन कर रो पड़े और कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने सिर्फ़ एक दिन और एक रात के अन्दर जो अमल किए हैं, काश ! उस दिन और रात के अमल की तरह उनकी सारी जिंदगी के अमल होते (यानी उनके एक दिन और एक रात के अमल के बराबर उन की सारी जिंदगी के अमल होते।)

उन की एक रात का अमल तो यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ हिजरत की रात को रवाना होकर ग़ारे सौर पर पहुंचे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अर्ज़ किया, ख़ुदा की कसम ! आप उस वक़्त तक ग़ार में क़दम न रखें, जब तक मैं उसके अन्दर दाख़िल होकर यह न देख लूं कि इसमें कोई (तक्लीफ़ देने वाली) चीज़ तो नहीं हैं। अगर कोई चीज़ होगी तो उसका नुक़्सान मुझे पहुंचेगा और आप महफ़ूज रहेंगे। चुनांचे हज़रत अबूबक्र सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ग़ार के अन्दर दाखिल हुए और उसको साफ़ किया। फिर अबूबक्र सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को ग़ार के अन्दर तीन सुराख़ नज़र आए। एक में तो उन्होंने अपने तहबंद में से चीथड़ा फाड़कर भर दिया और दो सुराखों में उन्होंने अपनी एड़ियां दाख़िल कर दीं और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अर्ज़ किया, अन्दर तशरीफ़ लाइएं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ग़ार के अन्दर आ गये और अबूबक्र सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की गोद में सर रख कर सो गये। इस हालत में सूराख के अन्दर से सांप ने अबूबक्र रज़ियल्लाहु अन्हु के पांव में काट लिया, लेकिन वह इसी तरह बैठे रहे और इस ख़्याल से हरकत न की कि कहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की आंख न खुल जाए, लेकिन तक्लीफ़ की ज़्यादती की वजह से उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मुबारक चेहरे पर पड़े। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की आंख खुल गयी और आप ने पूछा–

— 'अबूबक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु !) क्या हुआ ?'

उन्होंने अर्ज़ किया, मेरे मां-बाप आप पर क़ुर्बान हों, मुझ को काटा गया (यानी सांप ने मुझको काट लिया है।)

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपना लुआबे मुबारक उनके पांव के घाव पर लगा दिया और उनकी तक्लीफ़ जाती रही।

इस वाक़िए के बहुत दिनों के बाद सांप के ज़हर ने फिर रुजूअ किया और यही ज़हर आपकी मौत की वजह बना (यानी उसी ज़हर से मौत वाक़ेअ हुई)।

और अबूबक्र सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का एक दिन का अमल यह है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने वफ़ात पायी।

तो अरब के कुछ लोग मुर्तद हो गये और उन्होंने कहा कि हम ज़कात अदा न करेंगे। अबूबक्र सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अगर लोग मुझ को ऊंट की रस्सी देने से भी इन्कार करेंगे (यानी जो शरई तौर पर उन पर वाजिब होगी) तो उन पर जिहाद करूंगा।

मैंने कहा, ऐ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ख़लीफ़ा! लोगों से उलफ त व मुरव्वत करो और नर्मी और अख़्लाक से काम लो।

अबूबक्र सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, जाहिलियत के दौर में तो तुम बड़े सख़्त और ग़ज़बनाक थे, क्या इस्लाम में दाख़िल होकर ज़लील व ख़्वार (यानी नामर्द व पस्त हिम्मत हो गये), वह्य का सिलसिला ख़त्म हो गया है और दीन मुकम्मल हो चुका है, क्या कमाल पर पहुंचने के बाद वह मेरी ज़िंदगी में कमज़ोर व नाक़िस हो सकता है। (हरगिज़ नहीं।)

हवाला–1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 899, हदीस 5747, मनाक़िबे अबूबक्र सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 97, मनाक़िबे अबूबक्र सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु।

हदीस – हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िरी की इजाज़त चाही। उस वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास क़ुरैश की कुछ औरतें (यानी पाक बीवियां) बैठी हुई बातें कर रही थीं और ज़ोर-ज़ोर से बातें कर रही थीं, जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इजाज़त चाही (और उन औरतों ने उनकी आवाज सुनी) वे औरतें उठ खड़ी हुई और परदे की तरफ़ दौड़ीं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अन्दर आये और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को मुस्कराते देखकर कहा, अल्लाह तआला आप के दांतों को हमेशा हंसाए।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, इन औरतों की हालत पर मुझको ताज्जुब है। (मेरे पास बैठी हुई शोर मचा रही थीं) तुम्हारी आवाज़ सुनते ही पर्दे में चली गयीं। हज़रत

उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको ख़िताब करके कहा, ऐ अपनी जान की दुश्मन औरतो ! मुझ से डरती हो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहिं व सल्लम से नहीं डरतीं ?

उन्होंने कहा, हां (तुम से इसलिए डरते हैं कि) तुम आदत के सख़्त और सख़्ती से पेश आने वाले हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से फ़रमाया, ख़त्ताब के बेटे ! और कोई बात करो, (उन को छोड़ो) क़सम है उस ज़ात की, जिस के हाथ में मेरी जान है, जब तुम रास्ते पर चलते हो, तो शैतान तुम से नहीं मिलता, बल्कि जिस राह पर तुम चलते हो, उसको छोड़ कर दूसरे रास्ते पर चलता है।

हवाला –1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 900, हदीस 5749 बाब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के मनाक़िब,

2. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 14, पृ० 225, हदीस 872, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के मनाक़िब,

3. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 144, बाब 334, हदीस 715, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के मनाक़िब,

4. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 98, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के मनाक़िब।

हदीस – हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है–

जब मैं जन्नत में गया (यानी शबे मेराज में) तो अचानक मेरी मुलाक़ात हज़रत अबू तल्हा रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी (मीसा रज़ियल्लाहु अन्हा से हुई) और मैंने क़दमों की चाप सुनी। मैंने पूछा, यह किस के क़दमों की आवाज़ है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया कि यह हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के क़दमों की आवाज़ है। फिर मैंने एक महल देखा, जिस के आंगन में एक नव-जवान औरत बैठी थी। मैंने पूछा, यह महल किस का है? जन्नतियों ने कहा, उमर बिन ख़त्ताब का है। मैंने चाहा कि अन्दर दाख़िल हो कर महल को देखूं, लेकिन फिर तुम्हारी ग़ैरत मुझ को याद आ गयी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! मेरे मां-बाप आप पर क़ुर्बान ! क्या मैं आप के दाख़िल होने पर ग़ैरत करूंगा ?

हवाला –1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 14, पृ० 225, हदीस 868, मनाक़िबे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु,

2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 144, हदीस 714, बाब 334, मनाक़िबे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु,

3. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 900, हदीस 5750, मनाक़िबे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु,

4. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 99, मनाक़िबे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु।

हदीस – हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, मैं सो रहा था कि देखता क्या हूं, लोगों को मेरे सामने लाया जा रहा है और मुझ को दिखाया जा रहा है। ये सब लोग कुरते पहने हुए थे, जिनमें से कुछ के कुरते इतने छोटे थे जो सीने तक पहुंचते थे और कुछ के उससे नीचे। फिर मेरे सामने उमर बिन ख़त्ताब को लाया गया जो इतना लम्बा कुरता पहने हुए थे कि ज़मीन पर घसीटते हुए चलते थे। लोगों ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! इस ख़्वाब की ताबीर आप ने क्या क़रार दी ? फ़रमाया, दीन।

हवाला –1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 14, पृ० 227, हदीस 880, मनाक़िबे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु,

2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 143, बाब 334, हदीस 711, मनाक़िबे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु,

3. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 900, हदीस 5751, मनाक़िबे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु।

हदीस – हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह फ़रमाते सुना है–

मैं सो रहा था कि मैंने अपने आप को एक कुएं पर देखा, जिस पर डोल पड़ा हुआ था। मैंने उस डोल से जिस क़दर ख़ुदा ने चाहा, पानी खींचा। फिर हज़रत अबूबक्र रज़ियल्लाहु अन्हु ने डोल लिया और कुएं से एक या दो डोल पानी खींचा और अबूबक्र रज़ियल्लाहु अन्हु के डोल खींचने में सुस्ती व कमज़ोरी पायी जाती थी और ख़ुदावन्द ताअला अबूबक्र रज़ियल्लाहु अन्हु की सुस्ती व कमज़ोरी को माफ़ फ़रमाये। फिर वह डोल चर्स बन गया और उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस को ले लिया और मैंने किसी जवान और मज़बूत और ताक़तवर आदमी को ऐसा न पाया, जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की तरह उस चर्स को खींचता हो, यहां तक कि लोगों ने अपने ऊंटों को पेट भरकर पानी पिलाया और पानी के ज़्यादा हो जाने की वजह से उस जगह को ऊंटों के बैठने की जगह बना लिया और इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत में ये लफ़्ज़ हैं कि फिर उस डोल को अबूबक्र रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथों से उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ले लिया और डोल उनके हाथों में पहुंचकर चर्स बन गया। मैंने किसी नव-जवान और ताक़तवर आदमी को नहीं देखा जो (चर्स खीचने में) उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की तरह काम करता हो, यहां तक कि (उन्होंने) लोगों का पानी से जी भर दिया और पानी काफ़ी हो जाने की वजह से उस जगह को लोगों ने ऊंटों के बैठने की जगह बना लिया।

हवाला –1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 14, पृ० 225, हदीस 871, बाब मनाक़िबे

हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु,

2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 143, बाब 334, हदीस 713, बाब मनाक़िबे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु,

3. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 901, हदीस 5753, बाब मनाक़िबे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु,

4. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 100, मनाक़िबे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु।

– हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हम लोग इस बात को गुमान से परे नहीं समझते थे कि सकीनत (तमानियत) हज़रत उमर रज़ियल्ललाहु अन्हु की ज़ुबान पर होती है। (यानी वह जो बात कहते हैं, उससे सुकून व इत्मीनान हासिल हो जाता है।)

हवाला –1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 901, हदीस 5755, मनाक़िबे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 101, मनाक़िबे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु।

हदीस – हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह दुआ फ़रमायी थी कि ऐ अल्लाह ! इस्लाम को इज़्ज़त व अज़्मत नसीब फ़रमा अबू जह्ल बिन हिशाम के ज़रिए या उमर बिन ख़त्ताब के ज़रिए।

इस दुआ के बाद सुबह को हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए और इस्लाम क़ुबूल कर लिया और इस के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एलानिया नमाज़ पढ़ी।

हवाला –1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 901, हदीस 5756, मनाक़िबे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु,

2. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 365, हदीस 1538, अब-वाबुल मनाक़िब,

3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 101, अब-वाबुल मनाक़िब।

हदीस – हज़रत उक़्बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है, अगर मेरे बाद कोई नबी होता, तो उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) होता।

हवाला –1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 366, हदीस 1543, मनाक़िबे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु,

2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 901, हदीस 5758, मनाक़िबे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु,

3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 103, मनाक़िबे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु।

हदीस – हज़रत असलम रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुछ हालात मुझसे मालूम किये। चुनांचे मैंने अर्ज़ किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वफ़ात के बाद मैं ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से ज़्यादा किसी को नेक कामों की कोशिश करने वाला और नेक काम करने वाला नहीं देखा, यहां तक कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आख़िर उम्र को पहुंचे।

हवाला –1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 903, हदीस 5764, मनाक़िबे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 106, मनाक़िबे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु।

हदीस – हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं लोगों के दर्मियान था कि लोगों ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए भली दुआ की (यानी उनकी वफ़ात के दिन) उस वक़्त हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की मैयत को नहलाने के लिए तख़्त पर रखा गया था, फिर मैं खड़ा हुआ था कि एक आदमी मेरे पीछे आया और अपनी कुहनी मेरे मोंढे पर रख कर कहना शुरू किया, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ! ख़ुदा तुम पर रहम फ़रमाये। मुझ को उम्मीद है कि अल्लाह तआला तुम को तुम्हारे दोनों दोस्तों हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और हज़रत अबूबक्र रज़ियल्लाहु अन्हु के पास पहुंचा देगा (यानी तीनों को एक जगह कर देगा), इसलिए कि मैं ने अक्सर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह फ़रमाते सुना है कि मैं था और हज़रत अबूबक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और मैं गया और अबुबक्र रज़ियल्लाहु अन्हु और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और मैं दाख़िल हुआ और 'अबूबक्र' (रज़ियल्लाहु अन्हु) और उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) और मैं निकला और अबूबक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) और उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) (यानी आप अपने हर काम और हर फ़ेल में उन को शरीक रखते थे) मैंने पीछे मुड़ कर देखा, तो वह कहने वाले अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु थे।

हवाला –1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 904, हदीस 5767, अबूबक्र रज़ि० व उमर रज़ि० के मुश्तरक फ़ज़ाइल,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 109, अबूबक्र व उमर रज़ि० के मुश्तरक फ़ज़ाइल।

हदीस – हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है–

बहिश्त के अन्दर जन्नती इल्लीयीन (ऊंचे रुत्बे की जगह) को इस तरह देखेंगे, जिस तरह तुम आसमान के किनारे रोशन सितारे को देखते हो और अबूबक्र व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा इल्लीयीन वालों में से हैं (यानी जन्नत के अन्दर वे मक़ाम इल्लीयीन में आएंगे), बल्कि वे इस दर्जे से भी बढ़ गये हैं।

हवाला –1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 904, हदीस 5768, मनाक़िबे अबूबक्र व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 109, मनाक़िबे अबूबक्र व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा।

हदीस – हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है,

जन्नत के अन्दर अगले-पिछले जिस क़दर अधेड़ उम्र के लोग होंगे, उन सब के सरदार हज़रत अबूबक्र व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा हैं, सिवाए नबियों और रसूलों के (कि उन के सरदार न होंगे)

हवाला –1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 362, हदीस 1520, मुनाक़िबे हज़रत अबूबक्र व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा,
2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 904, हदीस 5769, मुनाक़िबे हज़रत अबूबक्र व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा,
3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 109, मनाक़िबे हज़रत अबूबक्र व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा,

हदीस – हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है–

मैं नहीं जानता कि कब तक मैं तुम्हारे दर्मियान रहूं, पस तुम मेरे बाद हज़रत अबूबक्र व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की बात मानो और पैरवी करो।

हवाला –1. तिर्मिज़ी, शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 362, हदीस 1520, मनाक़िबे हज़रत अबूबक्र व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा,
2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 904, हदीस 5770, मनाक़िबे हज़रत अबूबक्र व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा,
3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 109, मनाक़िबे हज़रत अबूबक्र व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा।

हदीस – हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब मस्जिद में तशरीफ़ लाते तो सिवाए हज़रत अबूबक्र व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के कोई आदमी सर नहीं उठा सकता था। ये दोनों आप की तरफ़ देख कर मुस्कराते थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उन की तरफ़ देख कर मुस्कराते थे।

हवाला –1. तिर्मिज़ी, शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 363, हदीस न० 1525, मनाक़िबे हज़रत अबूबक्र व उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा,

2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 905, हदीस 5771, मनाक़िबे हज़रत अबूबक्र व उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा,
3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 110, मनाक़िबे हज़रत अबूबक्र व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा।

हदीस – हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हुजरा शरीफ़ से निकल कर मस्जिद में इस तरह तशरीफ़ लाये कि हज़रत अबूबक्र व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा आप के दाएं-बाएं थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम दोनों के हाथ अपने हाथों में पकड़े हुए थे और फ़रमाया, क़ियामत के दिन हम इसी तरह उठाए जाएंगे।

हवाला –1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 363, हदीस 1528, अब–वाबुल मनाक़िब,
2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 905, हदीस 5773, हज़रत अबूबक्र व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा,
3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 110, हज़रत अबूबक्र व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा,

हदीस – हज़रत अब्दुल्लाह बिन हन्तब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत अबूबक्र व उमर रज़ियल्लाहु अम्हुमा को देख कर फ़रमाया–

ये दोनों (मुसलमानों के लिए) कान और आंख जैसे हैं।

हवाला –1. तिर्मिज़ी, शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 363, हदीस 1528, अब–वाबुल मनाक़िब,
2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 9C5, हदीस 5773, हज़रत अबूबक्र व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा,
3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 110, हज़रत अबूबक्र व उमर रज़ियल्लाहु अहुन्मा।

हदीस – हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़, रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अर्ज़ किया, मैंने ख़्वाब में देखा कि गोया एक तराज़ू आसमान से उतरी है, उस तराज़ू में आपको और हज़रत अबूबक्र रज़ियल्लाहु अन्हु को तौला गया, तो आपका वजन ज़्यादा रहा, फिर हज़रत अबूबक्र और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा को तौला गया, तो हज़रत अबूबक्र सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का वज़न ज़्यादा रहा, फिर हज़रत उमर और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हुमा को तौला गया, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का वज़न ज़्यादा रहा, फिर तराज़ू को उठा लिया गया। इस ख़्वाब को सुन कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ग़मगीन हो गये, यानी इस ख़्वाब ने आप को रंजीदा और ग़मगीन बना दिया। फिर आपने फ़रमाया, तूने जो देखा है, यह नुबुव्वत की ख़िलाफ़त है, यानी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तक नुबूवत की ख़िलाफ़त है, उस के बाद अल्लाह तआला जिस को चाहेगा, मुल्क अता फ़रमायेगा।

हवाला –1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 905, हदीस 5775, हज़रत अबूबक्र व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के मनाक़िब,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 110, हज़रत अबूबक्र व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के मनाक़िब।

हदीस – हज़रत इब्ने मस्ऊद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक दिन फ़रमाया कि तुम्हारे पास एक आदमी जन्नतियों में से आएगा, पस हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु आए। फिर आपने फ़रमाया, तुम्हारे पास एक आदमी जन्नतियों में से आएगा, पस उमर रज़ि० आए।

हवाला –1. तिर्मिज़ी शरीफ, जिल्द 2, पृ० 368, हदीस 1551, अबवाबुल मनाक़िब,

2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 905, हदीस 5776, हज़रत अबूबक्र व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के मनाक़िब,

3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 111, हज़रत अबूबक्र व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के मनाक़िब।

हदीस – हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि–

एक चांदनी रात में, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का मुबारक सर मुबारक मेरी गोद में था, मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! क्या किसी की इतनी नेकियां भी हैं, जितने आसमान पर सितारे। आपने फ़रमाया, हां, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की इतनी ही नेकियां हैं।'

फिर मैंने पूछा और हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की नेकियों का क्या हाल है?

आपने फ़रमाया, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की सारी उम्र की नेकियां हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की एक नेकी के बराबर है।

हवाला –1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 905, हदीस न० 5777, हज़रत अबूबक्र व उमर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हुमा के मनाक़िब।

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 111, हज़रत अबूबक्र व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के मनाक़िब।

हदीस – हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि–

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपने घर में अपनी रानें या पिंडुलियां खोले पड़े थे कि हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने हाज़िरी की इजाज़त चाही, आप ने उन को बुला लिया और उसी तरह लेटे रहे, फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इजाज़त चाही। आप ने उन को बुला लिया और इसी तरह लेटे रहे, फिर हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु ने इजाज़त तलब की। आप उठकर बैठ गये और कपड़ों को दुरुस्त कर लिया (यानी रान

या पिंडलियां ढक लीं) फिर जब वे लोग चले गये, तो हज़रत आइशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा। हज़रत अबूबक्र सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु आये तो आपने हरकत न की और इसी तरह लेटे रहे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा आए, तो आपने हरकत न की और पड़े रहे, फिर जब हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु आए तो आप उठ कर बैठ गये और कपड़ों को दुरुस्त कर लिया, (इस की क्या वजह है ?) आप ने फ़रमाया, क्या मैं उस आदमी से हया न करूं, जिस से फ़रिश्ते हया करते हैं।

हवाला –1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 372, हदीस 1567, मनाक़िबे हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु,

2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 905, हदीस 5778, मनाक़िबे हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु,

3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 112, मनाक़िबे हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु।

हदीस – हज़रत अब्दुर्रहमान बिन समुरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु जैशे अशरा की तैयारी के ज़माने में एक हज़ार दीनार अपने कुरते की आस्तीन में भर कर लाए और उनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की गोद में डाल दिया। मैंने देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उन दीनारों को अपनी गोद में उलट-पलट कर देखते जाते थे और फ़रमाते जाते थे। आज के बाद हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु कोई बुरा अमल करेंगे (यानी कोई गुनाह) तो वह उन को नुक़्सान न पहुंचाएगा। दो बार आप ने ये लफ़्ज फ़रमाये।

हवाला –1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 906, हदीस 5781, मनाक़िबे हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 112, मनाक़िबे हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु।

हदीस – हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बैअ़ते रिज़्वान का हुक्म दिया, उस वक़्त हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के क़ासिद की हैसियत से मक्का मुकर्रमा गये हुए थे, लोगों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हाथ पर मौत की बैअ़त कर ली। (जब सब बैअ़त कर चुके) तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु ख़ुदा और ख़ुदा के रसूल के काम पर गये हुए हैं, फिर अपना एक हाथ दूसरे हाथ पर मारा। (यानी हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ से बैअ़त की) पस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का हाथ हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए बेहतर था, उन हाथों से जिन्होंने अपने हाथों से अपने लिए बैअ़त की थी।

हवाला –1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 370, हदीस 1559, अब-वाबुल मनाक़िब,

2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 906, हदीस 5782, मनाक़िबे हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु,

3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 114, मनाक़िबे हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु।

हदीस – हज़रत मुर्रह बिन कअ़ब् रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को फ़ित्नों का ज़िक्र फ़रमाते हुए सुना और उन को बहुत क़रीब बताया। आप यह फ़रमा रहे थे कि एक आदमी सर पर कपड़ा डाले उधर से गुज़रा। आपने उस को देख कर फ़रमाया, यह आदमी उन दिनों सीधे रास्ते पर होगा।

मुर्रह बिन कअ़ब् रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ये लफ़्ज़ सुन कर मैं उठा और उसकी तरफ़ गया, देखा तो वह हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु थे। फिर मैंने हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु का मुंह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तरफ़ किया और पूछा, क्या यह आदमी उन फ़ित्नों में सीधे रास्ते पर होगा ? आपने फ़रमाया, हां,

हवाला –1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 371, हदीस 1561, अब-वाबुल मनाक़िब,

2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 907, हदीस 5784, मनाक़िबे हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु,

3. इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 49, हदीस 115, मनाक़िबे हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु,

4. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 115, मनाक़िबे हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु।

हदीस – हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़ित्ने का ज़िक्र फ़रमाया और इर्शाद किया कि उस फ़ित्ने में यह आदमी ज़ुल्म से क़त्ल किया जाएगा। यह कह कर आपने हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ़ इशारा फ़रमाया–

हवाला –1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 371, हदीस 1564, अब-वाबुल मनाक़िब,

2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 907, हदीस 5786, मनाक़िबे हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु,

3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 116, मनाक़िबे हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु।

हदीस – हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु

अलैहि व सल्लम और आप के साथ हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन उहद पहाड़ पर चढ़े। उहद हरकत करने लगा (यानी खुशी के जोश में झूमने लगा)। आपने उहद पर एक ठोकर लगायी और फ़रमाया, उहद ! ठहर जा, तेरे ऊपर एक नबी हैं, और सिद्दीक़ हैं और दो शहीद हैं।

हवाला –1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 14, पृ० 230, हदीस 888, मनाक़िबे हज़रत उस्मान व उमर रज़ियललाहु अन्हुमा,

2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 909, हदीस 5791, मनाक़िबे हज़रत अबूबक्र व उमर व उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हुम अज-मईन,

3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 118, मनाक़िबे हज़रत अबूबक्र व उमर व उस्मान रज़ियललाहु अन्हुम अज-मईन।

हदीस – हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं मदीना के एक बाग़ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ था कि एक आदमी आया और उस बाग़ का दरवाज़ा खुलवाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, दरवाजा खोल दो और आने वाले आदमी को जन्नत की खुशख़बरी दो। मैंने दरवाज़ा खोला, देखा तो वह हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु थे, मैंने उन को जन्नत की खुशख़बरी दी, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, ने फ़रमाया था। इस पर हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने ख़ुदा की हम्द व सना की और शुक्र अदा किया।

फिर एक और आदमी आया और दरवाज़ा खुलवाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, दरवाज़ा खोल दो और आने वाले को जन्नत की खुशख़बरी दे दो। चुनांचे मैंने दरवाज़ा खोला, देखा, तो वह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु थे। मैंने उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की खुशख़बरी से आगाह किया। उन्होंने ख़ुदा की हम्द व सना की और शुक्र अदा किया।

फिर एक और आदमी ने दरवाजा खुलवाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, दरवाज़ा खोल दो और उन मुसीबतों पर, जो इस आने वाले आदमी को पहुंचेगी, उस को जन्नत की ख़ुशखबरी दो। मैंने दरवाज़ा खोला, देखा, तो वह हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु थे। मैंने उन को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इर्शाद से आगाह किया। उन्होंने ख़ुदा की हम्द व सना की, शुक्र अदा किया और फिर कहा, अल्लाह से उन मुसीबतों पर मदद तलब की जाती है।

हवाला –1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 14, पृ० 228, हदीस 884, मनाक़िबे उमर व उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हुमा,

2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 145, बाब 335, हदीस 720, फ़ज़ाइले

हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु,

3. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 3, पृ० 909, हदीस 5792, फ़ज़ाइले हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु,

4. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 119, फ़ज़ाइले हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु।

हदीस – हज़रत सअ़द बिन अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में फ़रमाया, तू मेरे लिए ऐसा ही है जैसा मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हारून अलैहिस्सलाम थे। अल-बत्ता इतना फ़र्क़ है कि मेरे बाद कोई नबी न होगा (यानी जिस तरह हारून अलैहिस्सलाम पैग़म्बर थे, तू पैग़म्बर नहीं हो सकता) इस लिए कि मेरे बाद कोई नबी न होगा।

हवाला –1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 910, हदीस 5795, मनाक़िबे हज़रत अली कर्रमल्लाहु वज्हहू,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 120,

हदीस – हज़रत ज़रीन बिन जैश रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा है कि क़सम है उस ज़ात की, जिसने दाने को फाड़ा (यानी उगाया) और जानदार को पैदा किया कि नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुझ को यह हुक्म दिया और यह वसीयत की कि मुझसे यानी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से सिर्फ़ वह आदमी मुहब्बत रखेगा, जो मोमिन होगा और मुझ से वह आदमी बुग़्ज़ व अदावत रखेगा जो मुनाफ़िक़ होगा।

हवाला –1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 910, हदीस 5796, फ़ज़ाइले हज़रत अली कर्रमल्लाहु वज्हहू,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 121, फ़ज़ाइले हज़रत अली कर्रमल्लाहु वज्हहू।

हदीस – हज़रत सह्ल बिन सअ़द रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ख़ैबर के दिन फ़रमाया–

कल मैं यह झंडा एक ऐसे आदमी को दूंगा, जिस के हाथों से अल्लाह तआला ख़ैबर के क़िले को जितायेगा और वह आदमी अल्लाह और उस के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मुहब्बत रखेगा और अल्लाह और अल्लाह का रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) उस से मुहब्बत करेगा। जब सुबह हुई तो तमाम लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में यह उम्मीद लेकर हाज़िर हुए कि वह झंडा उन्हीं को मिलेगा। (जब सब लोग जमा हो गये तो) आपने पूछा, हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु कहां हैं ?

लोगों ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! उन की आंखें दुखती हैं।

आपने फ़रमाया, कोई जा कर उन को बुला लाये।

चुनांचे उन को बुला कर लाया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन की आंखों पर लुआबे देहन लगाया और वे अच्छी हो गयीं, गोया दुखती ही न थीं। फिर आपने उनको झंडा अता फ़रमाया।

हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! मैं उन लोगों से (यानी दुश्मनों से) उस वक़्त तक लडूं, जब तक वे हमारी तरह (मुसलमान) न हो जाएं ?

आपने फ़रमाया जाओ और अपनी फ़ितरी नर्मी और धीमे पन से काम लो। जब तुम लड़ाई के मैदान में पहुंच जाओ, तो पहले दुश्मनों को इस्लाम की दावत दो (यानी इस्लाम की तरफ बुलाओ) और फिर बतलाओ कि इस्लाम क़ुबूल करने के बाद उन पर ख़ुदा का क्या हक़ है। ख़ुदा की क़सम ! अगर तुम्हारी तहरीक व तब्लीग़ से अल्लाह तआला ने एक आदमी को भी हिदायत दे दी, तो तुम्हारे लिए लाल ऊंटों से भी बहुत बेहतर होगा ?

हवाला –1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 14, पृ० 233, हदीस 890, फ़ज़ाइले हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु,
2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 146, बाब 336, हदीस 722, फ़ज़ाइले हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु,
3. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 910, हदीस 5797, फ़ज़ाइले हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु,
4. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 121, फ़जाइले हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु।

हदीस – हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अज-मईन के बीच भाईचारा क़ायम कर दिया था (यानी दो-दो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को भाई-भाई बना दिया था) फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु आए, इस हाल में कि उन की आंखों से आंसू जारी थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अर्ज़ किया, आपने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के बीच भाईचारा क़ायम किया, और मुझ को किसी का भाई न बनाया (यानी मेरे साथ किसी का भाईचारा न क़ायम कराया)। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, दुनिया और आख़िरत दोनों में तू मेरा भाई हैं।

हवाला –1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 375, हदीस 1577, अब-वाब मनाक़िबे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु,
2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 910, हदीस 5801, अब-वाब मनाक़िबे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु,
3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 123, अब-वाब मनाक़िबे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु।

हदीस – हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है–

मैं हिक्मत का घर हूं और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु हिक्मत के घर का दरवाज़ा हैं।

हवाला –1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 375, हदीस 1580, अब–वाबुल मनाक़िब हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु,
2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 911, हदीस 5804, अब–वाबुल मनाक़िब हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु,
3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 123, अब–वाबुल मनाक़िब हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु।

हदीस – हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है,

हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से मुनाफ़िक़ मुहब्बत नहीं रखता और मोमिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से बुग्ज़ व अदावत नहीं रखता।

हवाला –1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 374, हदीस 1574, अब–वाबुल मनाक़िब,
2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 911, हदीस 5808, मनाक़िबे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु,
3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 125, मनाक़िबे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु।

हदीस – हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है–

जिस आदमी ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बुरा कहा, गोया मुझ को बुरा कहा।

हवाला –1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 911, हदीस 5809, फ़ज़ाइले हज़रत अली कर्रमल्लाहु वज्हहू,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 125, फ़ज़ाइले हज़रत अली कर्रमल्लाहु वज्हहू।

हदीस – हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मुझ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया–

तुझ में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से एक मुशाबहत है। यहूदियों ने उन को बुरा समझा, यहां तक कि उनकी वालिदा मोहतरमा पर ज़िना की तोहमत लगायी और नसारा (ईसाइयों) ने उन को इतना पसंदीदा महबूब क़रार दिया कि उन को उस दर्जे पर पहुंचा दिया, जो उन के लिए साबित नहीं है (यानी ख़ुदा का बेटा)। इस के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मेरे मामले में (यानी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के मामले में) दो आदमी (यानी दो जमाअतें) हलाक होंगी (यानी गुमराही में पड़ जाएंगी)–

1. एक तो वह जो हद से ज़्यादा (मुझ से मुहब्बत रखने वाला होगा) और मुझ में वे खूबियां बतायेगा, जो मुझ में न होंगी।

2. दूसरे वह जो मेरा दुश्मन होगा और मुझ से दुश्मनी उस को इस बात पर तैयार कर देगी कि वह मुझ पर बोहतान बांधेगा।

हवाला –1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 911, हदीस 5810, फ़ज़ाइले हज़रत अली कर्रमल्लाहु वज्हहू,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 125, फ़ज़ाइले हज़रत अली कर्रमल्लाहु वज्हहू।

दुनिया में जितनी जमाअतें हैं, उन में से आप को कोई ज़माअत ऐसी नहीं मिलेगी कि जो अल्लाह तआला से मुहब्बत न करती हों हर जमाअत, हर क़ौम और हर इंसान ने ख़ुदावंद करीम को राज़ी करने के लिए कुछ न कुछ तरीक़े बना रखे हैं, गो वे तरीक़े अल्लाह को पसन्द हों या न हों, लेकिन अपने-अपने बनाये हुए तरीक़ों पर जान-तोड़ मेहनत करते हैं और जान व माल क़ुर्बान करना गर्व समझते हैं। शायद ही कोई क़ौम और जमाअत या इंसान दुनिया में ऐसा होगा जो ख़ुदावंद करीम के वजूद का इंकार करता हो, वरना सब की तमन्ना और मंशा यही है कि अल्लाह तआला हमसे राज़ी हो जाए, हर क़ौम और हर जमाअ़त के पेशवा, जो मज़हब के रहनुमा समझे जाते हैं, उनका यही कहना और समझाना है कि तुम लोग पैदा करने वाले ख़ालिक़ व मालिक और रोज़ी देने वाले से डरो और उसके नाम पर जान व माल क़ुर्बान करो ताकि वह तुम से मुहब्बत करे। कोई क़ौम, कोई जमाअत, कोई इंसान अल्लाह तआला से मुहब्बत में उस वक़्त तक कामियाब नहीं हो सकती, जब तक कि खुद ख़ुदा उस से मुहब्बत न करे। अब हम सब मिल कर इस बात की तह्क़ीक़ करें कि अल्लाह तआला किस क़ौम से, किस जमाअत से, किस इंसान से मुहब्बत करता है, पहले क़ुरआन करीम, फिर अहादीसे करीमा से तहक़ीक़ करेंगे कि अल्लाह तआला किस से मुहब्बत करता है।

क़ुरआन करीम के तीसरे पारे में सूरः आले इम्रान के चौथे रुकूअ में आयत न० 31 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – कह दो कि अगर तुम ख़ुदा से मुहब्बत रखते हो तो मेरी ताबेदारी करो, तो खुदा खुद तुमसे मुहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा। अल्लाह तो बड़ा बख़्शने वाला मेहरबान है।

इस आयते करीमा ने फ़ैसला कर दिया कि जो आदमी ख़ुदा की मुहब्बत का दावा करे

और उसके अमल और अक़ीदे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के फ़रमान के मुताबिक़ न हों और तरीक़ा-ए-मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर न चल रहा हो, तो वह अपने इस दावे में झूठा है। सही हदीसों में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं, जो आदमी कोई ऐसा अमल करे, जिस पर हमारा हुक्म न हो, वह मर्दूद है।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 3, पृ० 59, सूरः आले इम्रान के चौथे रुकूअ की तफ़्सीर में।

सुनो मेरे अज़ीज़ दोस्तो ! अल्लाह पाक ने फ़रमा दिया कि हम तो उस क़ौम से, उस जमाअत से, उस इंसान से मुहब्बत करते हैं, जो हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कहने पर चले, आप की बात माने, आप के हुक्म को मान लें, आप के फ़रमान को तस्लीम कर लें। अल्लाह तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुबारक ज़ुबान से एलान करवा दिया कि पूरब से पच्छिम तक और उत्तर से दक्खिन तक तमाम रहने-बसने वाले जिन्नों और इंसानों को साफ़ लफ़्ज़ों में आप कह दें कि अल्लाह तआला उस से मुहब्बत करेगा, जो मेरे कहने पर चलेगा। अल्लाह तआला ने तमाम जिन्नों और इंसानों पर यह शर्त लगा दी कि मेरी मुहब्बत के दावे में तुम लोग उस वक़्त सच्चे समझे जाओगे, जब मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के फ़रमान को दिल व जान से बग़ैर चूं व चरा मान लोगे।

हदीस – हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एक छोहारे के पेड़ से तकिया लगाये खड़े होते थे, तो एक अंसारी औरत ने या किसी मर्द ने अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! हम आप के लिए मिंबर क्यों न बना दें ? आप ने फ़रमाया, अगर चाहो (बना दो)।

चुनांचे उन लोगों ने आप के लिए मिंबर बना दिया। फिर जब जुमा का दिन हुआ, तो आप मिंबर की तरफ़ तशरीफ़ ले गये, वह पेड़ चीख़ने लगा, जिस तरह लड़का चीखता है, पस नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मिंबर से उतरे और उसको लिपटा लिया। वह ऐसी आवाज़ से रोने लगा जैसे वह लड़का रोये, जो चुप किया जाता हो। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, वह उस ज़िक्र की याद में रोने लगा, जो उसके पास होता था।

हवाला –1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 14, पृ० 205, हदीस 788, नुबूवत की निशानियों के बयान में,

2. तिर्मिज़ी शरीफ़ जिल्द 2, पृ० 355, हदीस 1484, मनाक़िबे के बयान में,

3. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 873, हदीस 5620, मोजिज़ों के बयान में,

4. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 24, मोजिज़ों के बयान में।

हदीस – हज़रत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है, मैं मक्का के उस पत्थर को जानता हूं, जो मेरे नबी होने से पहले मुझ को सलाम किया करता था।

हवाला –1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 856, हदीस 5572, नुबूवत की अलामतों के बयान में,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 512, नुबूवत की अलामतों के बयान में।

सलाम उसको किया जाता है, जिस से प्यार होता है। हुज़ूर नबी करीम सल्ललाहु अलैहि व सल्लम से कुल कायनात प्यार करती है, लेकिन हमारा सिर्फ़ प्यार काम नहीं देगा, अमल भी करना होगा।

क़ुरआन मजीद के अठारहवें पारे में, सूर: नूर के सातवें रुकूअ में, आयत न० 54 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – 'हिदायत तो तुम्हें उस वक़्त मिलेगी, जब रसूल के कहने पर चलोगे।

अब कोई फ़क़ीर, कोई सूफ़ी, कोई पीर, कोई मुजाविर, कोई मौलवी, कोई हाफ़िज, कोई क़ारी, कोई मुफ़्ती, कोई सैयद, कोई शेख़ उस वक़्त तक कामियाब नहीं हो सकता, जब तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुबारक बात को दिल व जान से न मान ले।

क़ुरआन करीम के उन्नीसवें पारे में, सूर: शुअरा के छठे रुकूअ में, आयत न० 110 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा –'अल्लाह से डरो और मेरे रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के कहने पर चलो।'

ख़ुदाई फ़ैसला हो चुका है कि अल्लाह से डरो और मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के फ़रमान के मुताबिक़ चलो, एक इंच भी आगे-पीछे न हटो।

क़ुरआन करीम के पांचवें पारे में, सूर: निसा के ग्यारहवें रुकूअ में, आयत न० 80 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – जिस आदमी ने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की इताअत की, उसने ख़ुदा की इताअत की।

अल्लाह तआला का इर्शाद है कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इताअत गुज़ार सही मानों में मेरा इताअतगुज़ार है। आप का ना-फ़रमान मेरा ना-फ़रमान है। सुब्हानल्लाह! जो रुत्बा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम को मिला, वह किसी नबी या फ़रिश्ते को नहीं मिला।

हदीस – हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया,

जिसने मेरी फ़रमांबरदारी की, उसने ख़ुदा की फ़रमांबरदारी की और जिस ने मेरी नाफ़रमानी की, उसने ख़ुदा की नाफ़रमानी की। (मुख़्तसर)

हवाला –1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 12, पृ० 59, हदीस 208, जिहाद का बयान,
2. तफ़्सीरें इब्ने कसीर, पारा 5, पृ० 70, सूरः निसा के ग्यारहवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

अल्लाह पाक से मुहब्बत का दावा उस वक़्त क़ाबिले क़ुबूल समझा जाएगा, जब कि अल्लाह तआला की बात को दिल व जान से मान ले और अल्लाह पाक की बात यह है कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बात मान लो। अब जो कोई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बात को मान लेगा, उसके लिए कामियाबी ही कामियाबी है और जो कोई इंकार करेगा, तो उस के लिए ख़ुदावन्दे करीम ही का फ़त्वा सुन लो।

क़ुरआन करीम के तीसरे पारे में, सूरः आले इम्रान के चौथे रुकूअ में, आयत न० 32 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – कह दो कि ख़ुदा और उसके रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के हुक्म को मान लो, अगर ये मुंह फेर लें तो बेशक अल्लाह ऐसे काफ़िरों से मुहब्बत नहीं करता।

अल्लाह तआला ऐसे इंसान से प्यार नहीं करता, जो उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बात को ठुकरा दे या इंकार कर दे या आप की बात पर दूसरों को तर्जीह दे।

क़ुरआन करीम के पांचवें पारे में, सूरः निसा के नवें रुकूअ में, आयत न० 69 में, अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है।

तर्जुमा – और जो भी ख़ुदा और रसूल की फ़रमांबरदारी करेगा, वह उन लोगों के साथ होगा, जिन पर अल्लाह तआला ने इनाम किया है, यानी नबी और सिद्दीक़ और शहीद और सालिहीन (यानि भले लोग) (के साथ होगा)। ये बेहतरीन दोस्त होंगे। यह फ़ज़्ल ख़ुदा की तरफ़ से है और अल्लाह बस है जानने वाला।

इब्ने मर्दूया के हवाले से लिखा है कि एक आदमी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आया और कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! मैं आप को अपनी जान से अपने घर वालों से और अपने बच्चों से ज़्यादा महबूब रखता हूं। मैं घर में होता हूं, लेकिन ज़ियारत का शौक़ मुझे बे-क़रार कर देता है, सब्र नहीं हो सकता, दौड़ता-भागता आता हूं और दीदार करके चला जाता हूं, लेकिन जब मुझे आप की और अपनी मौत याद आती है और इस का यक़ीन है कि आप जन्नत में नबियों के साथ बड़े ऊंचे दर्जे में होंगे, तो डर लगता है कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दीदार से महरूम हो जाऊंगा। आप ने कोई जवाब नहीं दिया, इतने में यह आयते करीमा नाज़िल हुई।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 5, पृ० 60, सूरः निसा के नवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

मुस्नद अहमद के हवाले से लिखा है कि एक आदमी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कहा, मैं अल्लाह को एक जानता हूं और आपके रसूल होने की गवाही देता हूं, पांच वक़्त

की नमाज़ पढ़ता हूं, अपने माल की ज़कात देता हूं और रमजान के रोज़े रखता हूं, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जो मरते दम तक इसी पर रहेगा, वह क़ियामत के दिन नबियों, सिद्दीक़ों और शहीदों के साथ इस तरह जन्नत में रहेगा, फिर आपने अपनी दोनों उंगलियां उठा कर इशारा करके बताया, लेकिन शर्त यह है कि मां–बाप का ना-फ़रमान न हो।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 5, पृ० 60, सूरः निसा के नवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

हदीस – हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि एक देहाती ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! मुझ को कोई ऐसा काम बताइये कि मैं उस पर अमल करूं और जन्नत में दाखिल हो जाऊं।

आप ने फ़रमाया, खुदा की इबादत कर, किसी को उस का शरीक न बना, फ़र्ज़ नमाज़ पढ़, ज़कात अदा कर और रमज़ान के महीने के रोज़े रख। (यह सुन कर) देहाती ने कहा, क़सम है उस ज़ात की, जिस के क़ब्जे में मेरी जान है, इसमें से मैं कम न करूंगा और न इसमें कुछ बढ़ाऊंगा।

जब वह चला गया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जो आदमी किसी जन्नती को देखना चाहे, तो इस को देख ले।

हवाला – सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 7, हदीस 5, बाब 4, किताबुल ईमान,

वे मुसलमान सोचें और समझें, जो रस्म व रिवाज में तो जान देना बडाई समझते हैं और नमाज़ रोज़े से तो ऐसे भागते हैं, जैसे बाज़ से परिंदे भागते हैं।

क़ुरआन करीम के उन्तीसवें पारे में, सूरः मुद्दस्सिर के दूसरे रुकूअ में, आयत न० 49-50-51 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – उन्हें क्या हो गया है कि नसीहत से मुंह मोड़ रहे हैं, गोया के बिदके हुए गधे हैं जो शेर से भागते हैं।

कौन–सी वजह है कि यह काफ़िर तेरी नसीहत और दावत से मुंह फेर रहे हैं और क़ुरआन व हदीस से इस तरह भागते हैं, जैसे जंगली गधे शिकारी शेर से भागते हैं।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 29, पृ० 69, सूरः मुद्दस्सिर के दूसरे रुकूअ की तफ़्सीर में।

मेरे अज़ीज़ दोस्तों ! जो आदमी भी अल्लाह और उसके रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की फ़रमांबरदारी करेगा और अमली ज़िंदगी बना लेगा, तो उसके लिए इस क़िस्म के मर्तबे अता फ़रमाने का वायदा है कि वह जन्नती है। इतना ही नहीं, बल्कि जन्नत में नबियों, सिद्दीक़ों और शहीदों और सालिहीन (भले) लोगों का साथ नसीब होगा और सब से बड़ी दौलत अल्लाह की रज़ा नसीब होगी और अल्लाह तआला की रज़ा के मुक़ाबले में सारी नेमतें बेकार हैं।

हदीस – हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि इस्लाम की बुनियाद पांच चीजों पर रखी गयी है-

1. इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अल्लाह के बन्दे और रसूल हैं,

2. नमाज़ पढ़ना, 3. ज़कात देना,

4. हज करना, 5. रमज़ान के रोज़े रखना।

हवाला –1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 81, हदीस 2, किताबुल ईमान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 25, किताबुल ईमान।

ख़त्मे नुबूवत

क़ुरआन करीम के बाईसवें पारे में, सूर: अहज़ाब के पांचवें रुकूअ में आयत न० 40 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा – आप ख़ुदा के रसूल हैं और तमाम नबियों के ख़त्म करने वाले हैं।

अल्लाह तआला की इस ज़बरदस्त रहमत पर उस का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने अपने रहम व करम से ऐसे बड़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को हमारी तरफ़ भेजा और उन्हें ख़त्मुलमुर्सलीन और ख़ातमुन्नबीयीन बनाया और यकसूई वाला, सह्ल, सच्चा और आसान दीन आप के हाथों कमाल को पहुंचाया। अल्लाह ने अपनी किताब में और प्यारे रसूल सल्ल० ने अपनी सही हदीसों में यह ख़बर दे दी कि आप के बाद कोई नबी नहीं। पस जो आदमी भी आप के बाद नुबूवत या रिसालत का दावा करे, वह झूठा, बोहतान बांधने वाला, दज्जाल, गुमराह और गुमराह करने वाला है, गो वह शौबदे दिखाये और जादूगरी करे और बड़े कमालात और अक्ल को हैरान कर देने वाली चीज़ें पेश करे और तरह-तरह की नैरंगियां दिखाये, लेकिन अक्लमन्द जानते हैं कि यह सब फ़रेब, धोखा और मक्कारी है।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 22, पृ० 14, सूर: अह्ज़ाब के पांचवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

आप अल्लाह के रसूल और ख़ातमुन्नबीयीन हैं, जैसे फ़रमाया, ख़ुदा ख़ूब जानता है जहां अपनी रिसालत रखता है। यह आयत नस्स (दलील) है इस बात पर कि आप के बाद कोई नबी नहीं, और जब नबी ही नहीं, तो रसूल कहां ? कोई नबी, रसूल आप के बाद नहीं आने का। रिसालत तो नुबूवत से भी ख़ास चीज़ है, हर रसूल नबी है, लेकिन हर नबी रसूल नहीं।

हवाला – तफ़्सीरें इब्ने कसीर, पारा 22, पृ० 13, सूर: अह्ज़ाब के पांचवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

क़ुरआन व सुन्नत के बाद तीसरे दर्जे में सब से अहम हैसियत सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अज-मईन के इज्माअ़ की है। यह बात तमाम भरोसे की तारीख़ी रिवायतों से साबित

है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वफ़ात के फ़ौरन बाद ही, जिन लोगों ने नुबूवत का दावा किया और जिन लोगों ने उन की नुबूवत मान ली, उन सब के ख़िलाफ़ सहाबा-ए-किराम रिज़्वानुल्लाहि तआला अलैहिम अज-मईन ने एक राय होकर लड़ाई लड़ी थी।

पहली सदी से आज तक पूरी इस्लामी दुनिया एक राय होकर 'ख़ात्मुन्नबीयीन' के मायने 'आख़िरी नबी' ही समझती रही है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाद नुबूवत के दरवाज़े को हमेशा-हमेशा के लिए बन्द मान लेना, हर ज़माने में तमाम मुसलमानों का एक राय वाला अक़ीदा रहा है और इसी मामले में मुसलमानों के बीच कभी कोई इख़्तिलाफ़ नहीं रहा कि जो आदमी मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाद रसूल या नबी होने का दावा करे, वह और जो उसके दावे को माने, वह इस्लाम के दायरे से निकला हुआ है।

पहली बात यह है कि नुबूवत का मामला एक बड़ा ही नाज़ुक मामला है। क़ुरआन मजीद के मुताबिक यह इस्लाम के उन बुनियादी अक़ीदों में से है, जिनके मानने या न मानने पर आदमी का कुफ़्र व ईमान ठहरा हुआ है। एक आदमी नबी हो और आदमी उस को न माने, तो काफ़िर और वह नबी न हो और आदमी उसको मान ले, तो काफ़िर। ऐसे एक नाज़ुक मामले में तो अल्लाह से किसी बे-एहतियाती की किसी दर्जे में भी उम्मीद नहीं की जा सकती। अगर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाद कोई नबी आने वाला होता, तो अल्लाह तआला ख़ुद क़ुरआन पाक में साफ़-साफ़ बता देता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़रिए से इसका खुला-खुला एलान कराता और हुज़ूर सल्ललाहु अलैहि व सल्लम दुनिया से कभी तशरीफ़ न ले जाते, जब तक अपनी उम्मत को अच्छी तरह ख़बरदार न कर देते कि मेरे बाद भी नबी आएंगे और तुम्हें उनको मानना होगा। आख़िर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को हमारे दीन व ईमान से क्या दुश्मनी थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाद नुबूवत का दरवाज़ा तो खुला होता और कोई नबी आने वाला भी होता, जिस पर ईमान लाए बग़ैर मुसलनमान न हो सकते, मगर हम को न सिर्फ़ यह कि इससे बे-ख़बर रखा जाता, बल्कि इसके उलट अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम दोनों ऐसी बातें फ़रमा देते, जिनसे तेरह सौ वर्ष तक सारी उम्मत यही समझती रही और आज भी समझ रही है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाद कोई नबी आने वाला नहीं है।

सही मुस्लिम शरीफ़ में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, मुझे तमाम नबियों पर छः फ़ज़ीलतें दी गयी हैं-

1. मुझे जामेअ़ कलिमे अता फ़रमाये गये हैं,
2. रोब से मेरी मदद की गयी,
3. मेरे लिए ग़नीमतों के माल हलाल किये गये हैं,
4. मेरे लिए सारी ज़मीन मस्जिद और तहूर (पाक) बनायी गयी,

5. मैं सारी मख़्लूक़ की तरफ़ नबी बना कर भेजा गया हूं, और
6. मेरे साथ नबियों को ख़त्म किया गया है।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 22, पृ० 13, सूर: अह्ज़ाब के पांचवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

क़ुरआन करीम के छब्बीसवें पारे में, सूर: फ़त्ह के चौथे रुकूअ में, आयत न० 28, में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – अल्लाह की ज़ात वह है, जिसने अपने रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को हिदायत और सच्चा दीन देकर भेजा, ताकि उस को हर दीन पर ग़ालिब फ़रमा दे और अल्लाह की गवाही काफ़ी है।

इस आयते शरीफ़ा में दीने मुहम्मदी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का दुनिया के तमाम दीनों पर क़ियामत तक ग़ालिब रहने को बयान किया गया है। दीने इस्लाम को तमाम दीनों पर ग़ालिब होना दलील और बुरहान ही के एतबार से हो सकता है, तो अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि हुज़ूरे पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाद कोई दूसरा नबी भी 'भेजा गया' हो, तो ज़ाहिर है कि उसका दीन भी हक़ ही होगा, क्योंकि नबी बहरहाल 'दीने हक़' ही लेकर आता है। इस शक्ल में उस नबी के दीन पर 'दीने मुहम्मदी' सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ग़लबे का क्या मतलब होगा ? क्या हक़ पर हक़ ग़ालिब होता हैं ? इससे साफ़ पता चलता है कि क़ियामत तक के लिए 'दीने हक़' इस्लाम में दायर हो चुका है और इस का मिस्दाक़ सिर्फ़ 'दीने मुहम्मदी' (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) है। अल्लाह की रज़ा उसी पर अमल करने से हासिल हो सकती है।

क़ुरआन करीम के चौथे पारे में, सूर: आले इम्रान के बारहवें रुकूअ में आयत न० 110 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – तुम लोग बेहतरीन उम्मत हो, जो लोगों के लिए छांट लिए गये हो। तुम नेक कामों का हुक्म देते हो और बुराइयों से मना करते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो।

इस आयते मुक़द्दसा में उम्मते मुहम्मदिया (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को 'ख़ैरुलउमम (उम्मतों में सबसे बेहतर) की सनद दी गयी है, जिस से यह बात साफ़ हो जाती है कि इस उम्मत को ख़ैरुल अंबिया (नबियों में सबसे बेहतर) सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अलावा किसी दूसरे नबी के इन्तिज़ार की जरूरत नहीं है। अब काम इस उम्मत का सिर्फ़ यह है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तालीम दूसरों तक पहुंचाएं। अगर आंहुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाद दूसरे नबी का भेजा जाना मान लिया जाए, तो फिर आंहुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की उम्मत ख़ैरुल उमम कैसे हो सकती है ?

हदीस – हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं–

मेरी मिसाल नबियों में ऐसी है, जैसे किसी आदमी ने एक बहुत अच्छा और पूरा मकान बनाया, लेकिन उस में एक ईंट की जगह छोड़ दी, जहां कुछ न रखा। लोग उसे चारों तरफ से देखते-भालते और उस की बनावट से खुश होते, लेकिन कहते, क्या अच्छा होता कि इस ईंट की जगह भर ली जाती, पस मैं नबियों में उसी ईंट की जगह हूं।

हवाला –1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 14, पृ० 197, हदीस 741, किताबुल मनाकिबे ख़ातमुन्नबिय्यीन,

2. सही मुस्लिम शरीफ, जिल्द 2, पृ० 129, हदीस 630, बाब 301, किताबुल फ़ज़ाइल, बाब ख़ातमुन्नबिय्यीन,

3. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 351, हदीस 1471, बरिवायत उबई बिन कअ़ब, किताबुल मनाक़िब,

4. तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 22, पृ० 13, सूरः अहज़ाब के पांचवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियललाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया,

बनी इस्राईल की कियादत अंबिया किया करते थे। जब कोई नबी मर जाता, तो दूसरा नबी उसका जानशीन होता, मगर मेरे बाद कोई नबी न होगा, बल्कि ख़लीफ़ा हज़रात होंगे।

हवाला – सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 13, पृ० 180, हदीस 666, किताबुल मनाकिब।

हदीस – हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया–

रिसालत और नुबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया। मेरे बाद अब न कोई रसूल है, न नबी।

हवाला – तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 31, हदीस 139, किताबुर्रुअया, बाब ज़िहाबुन्नुबूवत।

हदीस – हज़रत उत्बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया,

मेरे बाद अगर कोई नबी होता, तो उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु होते।

हवाला – तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 366, हदीस 1543, किताबुल मनाक़िब।

हदीस – हज़रत सअ़द बिन अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से फ़रमाया–

मेरे साथ तुम्हारी निस्बत वही है, जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हारून अलैहिस्सलाम की थी, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं है।

हवाला –1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 14, पृ० 235, हदीस 895, किताब फ़ज़ाइलुस्सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम,
2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 146, हदीस 721, बाब 336, किताब फ़ज़ाइलुस्सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम।

हदीस – हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु तआला अनहु फ़रमाते है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया–

क़ियामत उस समय तक क़ायम न होगी, जब तक मेरी उम्मत के बहुत से क़बीले मुश्रिकों से न मिल जाएं और जब तक बुतों को न पूजने लगें और मेरी उम्मत में बहुत जल्द तीस कज़्ज़ाब (झूठे) होंगे और उन में से हर एक दावा करेगा कि वह नबी है, हालांकि मैं ख़ात्मुन्नबिय्यीन हूं। मेरे बाद कोई नबी नहीं।

हवाला –1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 18, हदीस 86, अबवाबुल फ़ितन,
2. अबूदाऊद शरीफ़, जिल्द 3, पारा 26, पृ० 311, हदीस 849, किताबुल फ़ितन,
3. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 774, हदीस 5144, किताबुल फ़ितन,
4. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 203, किताबुल फ़ितन।

इमाम ग़ज़ाली रह्मतुल्लाहि अलैहि ने 'किताबुल इक्तिसाद' में लिखा है कि अल्लाह तआला का इर्शाद है।

'व ला किर-रसूलल्लाहि व ख़ा-त-मन्नबिय्यीन,' (आयत)

नस्से सरीह मुहकम है कि आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाद कोई पैग़म्बर नहीं होगा और यही अहादीसे मुतवातिरा से साबित है और इसी पर सलफ़ व ख़लफ़ तमाम उम्मत का इजमाए क़तई है और होशियार रहो कि कुछ दज्जालियों ने यह अक़ीदा फैलाया है कि आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाद रसूल, अज़्म वाला नहीं होगा और ख़ाली पैग़म्बर हो सकता है। इमाम ग़ज़ाली रह्मतुल्लाहि अलैहि ने फ़रमाया कि यह आदमी काफ़िर है, जिसने क़ुरआन, हदीस व इज्माअ़ के ख़िलाफ़ ईमान वालों को धोखा देना चाहा और उसने जो बात कही, साफ़ झूठ है।

हवाला – तफ़्सीरे मुवाहिबुर्रहमान, पारा 22, पृ० 47, सूरः अह्ज़ाब के छठे रुकूअ की तफ़्सीर में।

'और अगर कहा कि मैं नबी हूं या तेरा नबी हूं, तो उस की तक्फ़ीर की जाएगी।'

हवाला – फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 2, पृ० 843, मुर्तद का बयान।

रसूल या नबी के बाद दूसरा रसूल या नबी कब भेजा जाता है? जिस रसूल या नबी का ज़माना चल रहा हो, उस नबी के मानने वालों ने दीन में रद्दोबदल कर दिया हो, या नाज़िल की हुई किताब में घट-बढ़ कर डाली हो या किसी नबी या रसूल की शरीअ़त की मुक़र्रर की

हुई मीआद पूरी हो गयी हो या एक नबी या रसूल किसी ख़ास क़ौम के लिए हो। सब के लिए न हो, तब दूसरे नबी या रसूल को भेज कर बिगड़े हुए दीन की तर्तीब सही कर दी जाती है और घट-बढ़ की हुई किताब की भी इस्लाह कर दी जाती है या पिछली शरीअत की जगह दूसरी शरीअत नाज़िल कर दी जाती है। अल्लाह तआला का करोड़-करोड़ बार एहसान है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गयी हैं–

क़ुरआन करीम के चौदहवें पारे में, सूर: हिज्र के पहले रुकूअ में, आयत न० 9 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – हम ने ही क़ुरआन को नाज़िल किया है और हम ही उस की हिफ़ाज़त करने वाले और निगहबान हैं।

अब इस क़ुरआन में कोई कमी-बेशी नहीं कर सकता, जैसा कि और किताबों में होता रहता है, हालांकि उन किताबों का कोई मुख़ालिफ़ नहीं है, फिर भी रद्दोबदल होता रहता है और क़ुरआन करीम में मुख़लिफ़ों की कोशिशों के बावजूद भी कोई रद्दोबदल नहीं कर सका, क्योंकि उसकी हिफ़ाजत का ज़िम्मा खुद ख़ुदा ने अपने ऊपर ले लिया है। अल्लाह तआला ने आपने रहम व करम से ऐसा इन्तिज़ाम फ़रमाया कि हर मुल्क में सैंकड़ों नहीं, हज़ारों की तायदाद में क़ुरआन के हाफ़िज़ पैदा कर दिये, जिन का बयान सुन्नत वल ज़माअत में हम तफ़्सील से कर चुके हैं, अब न इस में कोई घटा-बढ़ा सकता है और न कोई प्रेस वाला ग़लत छाप सकता है। इस क़ुरआन करीम में न तो रद्दोबदल हुआ और न क़ियामत तक हो सकता है। इसी तरह अल्लाह तआला ने दीन को भी मुकम्मल और पूरा किया है।

क़ुरआन करीम के छठे पारे में, सूर: मायदा के पहले रुकूअ में, आयत न० 3 पर अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – आज के दिन तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मैंने पूरा कर दिया और मैं ने तुम पर अपना इनाम भरपूर कर दिया और मैंने इस्लाम को तुम्हारा दीन बनने के लिए पसन्द कर लिया।

यानी क़ियामत तक यही दीन रहेगा। इस दीन को मन्सूख़ कर के कोई दूसरा दीन अब तज्वीज़ नहीं किया जाएगा जब दीन मुकम्मल और कामिल हो गया और इस दीन में क़ियामत तक रद्दोबदल भी नहीं होगी, तो अब इस उम्मत को दूसरे रसूल या नबी की जरूरत ही नहीं रही। यह अल्लाह तआला का इस उम्मत पर बड़ा करम व एहसान है।

जितने भी दुनिया में रसूल या नबी भेजे जाते हैं, उन की हिफ़ाज़त बचपन ही से अल्लाह के ज़िम्मे होती है और दुनिया की तमाम मख़्लूक से उन की ज़िंदगी बेहतरीन होती है और सारी दुनिया के लिए हिदायत और नसीहत का ज़रिया होती है।

हदीस – हज़रत जाबिर बिन समूरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि मैंने हुज़ूरे

अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुहरे नुबूवत को आप के दोनों मोंढ़ों के दर्मियान देखा, जो लाल रसोली जैसी थी और मिक़्दार में कबूतर के अंडे जैसी थी।

हवाला – शिमाइले तिर्मिज़ी, पृ० 23, हदीस 2, मुहरे नुबूवत का बयान।

मुहर उस वक़्त लगायी जाती है, जबकि काम पूरा हो चुका हो। अब उस में न तो कुछ निकाला जा सकता है और न उस में कुछ डाला जा सकता है।

पहली सदी से आज तक पूरी इस्लामी दुनिया एक राय होकर 'ख़ातमुन्नबिय्यीन,' के मायने 'आख़िरी नबी' ही समझती रही है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाद नुबूवत के दरवाज़े को हमेशा-हमेशा के लिए बन्द तस्लीम करना हर ज़माने में तमाम मुसलमानों का मुत्तफ़िक़ा अक़ीदा रहा है और इस मामले में मुसलमानों में कभी कोई इख़्तिलाफ़ नहीं रहा कि जो आदमी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाद रसूल या नबी होने का दावा करे और जो उस के दावे को माने, वह इस्लाम के दायरे से ख़ारिज है।

मेरे अज़ीज़ दोस्तो! हदीसों से मालूम होता है कि हजरत ईसा अला नबीयिना अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़ियामत के क़रीब दोबारा दुनिया में तशरीफ लाएंगे और हुज़ूरे पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की उम्मत में शमिल होकर अपनी बरकतों से फैज़ पहुंचाएगें।

हदीस – हजरत अबूहुरैरह रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया –

उस ज़ात की क़सम, जिस के क़ब्ज़े में मेरी जान है, क़रीब है कि तुम में मरयम के बेटे (हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम) फ़ैसला करने वाले और इंसाफ़ करने वाले बन कर आएंगे। वे नाज़िल होकर सलीब को तोड़ देंगे, ख़िंज़ीर (सुअर) को क़त्ल करेंगे, जिज़्या रोक देंगे और माल (की नहरें) बहा देंगे, इस क़दर कि कोई क़ुबूल न करेगा।

हवाला – तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 21, हदीस 100, अबवाबुल फ़ितन, बाब 46 ।

इसी बात को लेकर दज्जाली फ़ित्ना व फ़रेब में फंसे लोग भोले-भाले कम इल्म मुसलमानों को इस हालत से 'खत्मे-नुबूवत' के मसअले में शुब्हा पैदा कर के अपनी चाल और मक्कारी के जाल में फांसते हैं।

तो इसका जवाब अच्छी तरह ज़ेहन में बिठा लीजिए ताकि कोई धोखेबाज़ आप को धोखा न दे सके। सुनिए, 'ख़त्में नुबूवत' का मतलब यह है कि हुज़ूरे पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाद किसी नबी की 'बेअसत' नहीं हो सकती, यानी आंहुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ख़ात्मुनबिय्यीन के बाद कोई 'नया नबी' नहीं आ सकता। बेअसत का मतलब यह है कि अल्लाह तआला किसी बन्दे को नुबूवत अता फ़रमा कर उस को मख़्लूक़ की हिदायत का काम सुपुर्द फ़रमा दे।

लेकिन जो आदमी नुबूवत से सरफ़राज़ हो चुका है, उस को दोबारा दुनिया में भेज देने को 'बेअसत' नहीं कहा जा सकता। हज़रत ईसा अला नबीयिना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की

बेअसत आंहुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से पहले हो चुकी है। वह बनी इस्राईल में अपना काम अंजाम देकर ज़िंदा आसमान पर उठा लिये गये। उन्हें न मौत आयीं और न उन्हें शहीद किया जा सका। इस का बयान क़ुरआन शरीफ़ में साफ़-साफ़ आ चुका है।

क़ुरआन करीम के छठे पारे में, सूरः निसा के बाइसवें रुकूअ में, आयत न० 157, 158 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा – और उन के इस कहने की वजह से कि हमने मसीह ईसा बिन मरयम को, जो कि रसूल हैं अल्लाह तआला के, क़त्ल कर दिया, हालांकि उन्होंने न उन को क़त्ल किया और न उन को सूली पर चढ़ाया, लेकिन उन को शुब्हा हो गया और जो लोग उनके बारे में इख़्तिलाफ़ करते हैं, वे ग़लत ख़्याल में हैं, उन के पास इस पर कोई दलील नहीं, सिवाए क़ियासी बातों पर अमल करने के और उन्होंने उन को यक़ीनी बात है कि क़त्ल नहीं किया, बल्कि उन को अल्लाह तआला ने अपनी तरफ़ उठा लिया और अल्लाह बड़े ज़बरदस्त हिक्मत वाले हैं।

अब अगर वह दोबारा आसमान से दुनिया में तश्रीफ़ लाएं, तो यह हरगिज़ ख़त्मे नुबूवत के ख़िलाफ़ नहीं हो सकता। इस को एक मिसाल से समझिए-

एक बादशाह किसी आदमी को गवर्नरी में दाख़िल कर के किसी सूबे का गवर्नर मुक़र्रर कर देता है। वह अपनी मुक़र्ररा मुद्दत पूरी करके रिटायर्ड होकर किसी दूसरे मुल्क में या सूबे में चला जाता है। कुछ दिनों बाद वह उसी सूबे से फिर आता है, मगर गवर्नर की हैसियत से नहीं, बल्कि किसी ख़ुसूसी काम के लिए बादशाह उस को भेज देता है। अब उसकी इस दोबारा आमद से क्या मौजूदा गवर्नर के ओह्दे और एज़ाज में कोई फ़र्क़ पैदा हो जाएगा ? क्या कोई मूर्ख यह कह सकता है कि इस वक़्त इस सूबे में दो गवर्नर हैं ?

इसी तरह समझिए कि हज़रत ईसा अला नबीयिना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़ियामत के क़रीब तश्रीफ़ लाने से आंहुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के 'मंसबे ख़त्मे नुबूवत' में ज़र्रा बराबर भी फ़र्क़ नहीं आ सकता।

याद रखिए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का यह दोबारा आना नबी की हैसियत से न होगा बल्कि ख़ात्मुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के एक उम्मती की हैसियत से होगा। वह अपनी किताब इंजील शरीफ़ पर भी अमल न फ़रमाएंगे, बल्कि उस के बजाए क़ुरआन मजीद पर ही अमल करेंगे।

हदीसों से मालूम होता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के तश्रीफ़ लाने का एक अहम मक़्सद 'मसीह दज्जाल' को क़त्ल कर के उम्मते मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को उस के शर और फ़ित्ने से बचाए रखना है।

हदीस – हज़रत नवास बिन सम्आन किलाबी रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

–फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को ढूंढेगे, आख़िर लुद के दरवाज़े पर उसे पाएंगे और क़त्ल कर देंगे। (लुद मौजूदा मुल्क इस्राईल का हवाई अड्डा है) मुख़्तसर।

हवाला – तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 23, हदीस 107, बाब 50, अब–वाबुल फ़ितन।

हदीस – हज़रत मज्मा बिन जारिया अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को फ़रमाते सुना है कि इब्ने मरयम अलैहिस्सलाम लुद के दरवाज़े पर दज्जाल को क़त्ल कर देंगे।

हवाला – तिर्मिज़ी, शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 25, हदीस 111, बाब 53, अब–वाबुल फ़ितन।

क़ुरआन व सुन्नत के बाद तीसरे दर्जे में सब से अहम हैसियत सहाबा किराम रिज़्वानुल्लाहि तआला अलैहिम अज–मईन के इज्माअ़ की है। यह बात तमाम भरोसे की तारीख़ी रिवायतों से साबित है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वफ़ात के फ़ौरन बाद जिन लोगों ने नुबूवत का दावा किया और जिन लोगों ने उन की नुबूवत तस्लीम की, उन सब के ख़िलाफ़ सहाबा किराम रिज़्वानुल्लाहि तआला अलैहिम अज–मईन ने मिल कर जंग की थी और पहली सदी से लेकर आज तक हर ज़माने के और पूरी इस्लामी दुनिया के हर मुल्क के उलेमा–ए–किराम इस अक़ीदे पर एक राय हैं कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाद कोई आदमी न नबी हो सकता है, न रसूल हो सकता है और यह कि जो भी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाद नबी या रसूल होने का दावा करे, वह काफ़िर है और जो कोई उस की नुबूवत या रिसालत को मान ले, वह भी काफ़िर, इस्लामी मिल्लत से निकला हुआ है।

आगाह रहो, हुज़ूरे पुरनूर ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाद किसी नबी की बेअसत मानना खुला कुफ़्र है। एक फ़िर्क़ा इसी कुफ़्र की तब्लीग़ करता है। उस की चिकनी–चुपड़ी बातों में हरगिज़ न आना। अल्लाह तआला तमाम मुसलमानों को बचाए रखे, दज्जाल के फ़ित्ने से भी और बनावटी नबियों की धोखाबाज़ी से भी। (आमीन)

हयातुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम

हदीस – हज़रत औस बिन औस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया है,

तुम्हारे दिनों में सबसे अफ़ज़ल जुमा का दिन है। उसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, उसी दिन उन का इंतिकाल हुआ, उसी दिन सूर फूंका जाएगा, उसी दिन बेहोशी छायेगी, इस लिए इस दिन मुझ पर दरूद ज़्यादा भेजा करो, क्योंकि तुम्हारे दरूद मेरे सामने पेश किये जाते हैं। लोगों ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! हमारे दरूद आप पर किस तरह पेश किये जाते हैं, जब कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का मुबारक

जिस्म बचा हुआ न होगा। आपने फ़रमाया कि अल्लाह जल्ल शानुहू ने नबियों के जिस्मों को ज़मीन पर हराम कर दिया है।

हवाला–1. अबूदाऊद शरीफ़, जिल्द 1, पारा 6, पृ० 398, हदीस 1034, बाब 358,
2. इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 174, हदीस 1097, नमाज़ का बाब।

हज़रात ! अंबिया अलैहिमुस्सलाम की क़ब्र में जिंदगी हक है। देखिए अल्लामा सख़ावी रह्मतुल्लाहि अलैहि लिखते हैं कि हम ईमान लाते हैं और तस्दीक करते हैं कि आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपनी क़ब्र शरीफ़ में ज़िंदा हैं और आप को रिज़्क़ दिया जाता है और आपके मुबारक जिस्म को मिट्टी नहीं खाती। इसी पर उम्मत का इज्माअ़ है।

हवाला – अल-क़ौलुल बदीअ़ पृ० 125 ।

हाफ़िज़ इब्ने क़य्यिम रह्मतुल्लाहि अलैहि लिखते हैं कि हज़राते अंबिया अलैहिमुस्सलाम की रूहों के साथ आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुबारक रूह रफीके आला में है। इस के साथ आप की मुबारक रूह का बदन शरीफ़ के साथ ऐसा जोड़ और ताल्लुक है, जिस की वजह से आप सलाम करने वाले का जवाब देते हैं।

हवाला – ज़ादुल मआ़द, जिल्द 2, पृ० 49, इसरा व मेराज का बाब।

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया–

जो आदमी मेरी क़ब्र के पास मुझ पर दरूद पढ़ता है, मैं उस को सुनता हूं और जो आदमी दरूद भेजे मुझ पर दूर से, पहुंचाया जाता है वह मेरे पास।

हवाला –1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 197, हदीस 868, दरूद शरीफ़ का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 302।

अब यहां सवाल यह पैदा होता है कि क़ुरआन पाक की इस आयत का क्या जवाब होगा।

क़ुरआन पाक के तेईसवें पारे में, सूर: ज़ुमर के दूसरे रुकूअ में, आयत न० 30 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – बेशक तुझे भी मरना है, और वे भी मर जाएंगे।

इस आयते शरीफ़ा से आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का मरना साबित होता है और ऊपर ज़िक्र किये हुए हवालों से मालूम होता है कि हज़राते अंबिया अलैहिमुस्सलाम अपनी-अपनी क़ब्रों में ज़िंदा हैं, तो ये दोनों बातें एक साथ कैसे सही साबित हो सकती हैं।

तो जवाब यह है कि मौत से मुराद यह है कि रूह का जिस्म से वह ताल्लुक, जो इस दुनिया में है, ख़त्म हो जाए। देखो, इस दुनिया में रूह का ताल्लुक जिस्म से ऐसा है कि इस

में सांस लेने की ज़रूरत है। अगर बाहर की हवा फेफड़ों को न मिले तो आदमी मर जाता है। इसी तरह खाने-पीने की भी ज़रूरत है, उस के बग़ैर ज़िंदा भी नहीं रह सकता। फिर जो खाना-पानी अन्दर गया, उस का हज़म होना भी ज़रूरी है। अगर अन्दर जाकर जम जाए तो भी ज़िंदा रहना मुश्किल है।

इस से मालूम हुआ कि दुनिया की जिंदगी में रूह का जिस्म से तांल्लुक कमज़ोर है, क्योंकि इस ताल्लुक के क़ायम रहने के लिए दूसरी चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब समझिए कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम की रूहों का उन के जिस्मों से, वह दुनियावी ताल्लुक, जिस का अभी ज़िक्र हुआ है, कब्र में चूंकि नहीं रहता, इसलिए इस की ताबीर मौत से की जा सकती है, जैसा कि क़ुरआन करीम की सूरः जुमर की आयत 30 में है।

मगर मेरे अज़ीज़ ! अंबिया-ए-किराम अलैहिमुस्सलाम की रूहों के मरने के बाद उन के उन्हीं जिस्मों से, जिन के साथ वे इस दुनिया में जिंदा थे, एक दूसरी ख़ास क़िस्म का ताल्लुक हो जाता है और यह ताल्लुक वफ़ात से पहले वाले ताल्लुक से कहीं ज़्यादा क़वी और मज़बूत होता है, क्योंकि दुनियावी ज़िंदगी में रूह का जिस्म से जाना-पहचाना ताल्लुक दुनिया की हालत की मुनासबत से होता है, जिस में सांस लेने और खाने-पीने की ज़रूरत होती है और ज़ाहिर है कि ऐसा ताल्लुक उस ताल्लुक के लिहाज से कमज़ोर कहा जाएगा, जिस में खाने-पीने और सांस लेने की भी ज़रूरत नहीं होती, इसलिए यह कहना दुरुस्त है कि अंबिया-ए-किराम अलैहिमुस्सलाम को मरने के बाद दुनियावी जिंदगी से मज़बूत हक़ीक़ी जिस्मानी ज़िंदगी हासिल होती है।

यों तो हर नबी अपनी-अपनी क़ब्रों में ज़िंदा हैं, क्योंकि उन के मुबारक जिस्म को अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन पर खाना या बिगाड़ना या सड़ाना हराम कर दिया है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को, जो ख़ास ज़िंदगी का शर्फ़ हासिल है, उस की एक दलील यह भी है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शरीअत क़ियामत तक क़ायम व दाइम रहेगी और बाक़ी अंबिया अलैहिमुस्सलाम की शरीअतें मंसूख़ हो गयी हैं।

भाई हम कहते हैं या हम को कहा है

मेरे अज़ीज़ दोस्तो ! आज हिन्दुस्तान में किसी-किसी जगह पर इस बात पर झगड़े चल रहे हैं कि फ़्लां लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अपने बड़े भाई के बराबर समझते है, यह कोई कहने जैसी बात है।

मेरे दोस्तो ! यह बात अक़्ल के ख़िलाफ़ है कि कोई आदमी मुसलमान होकर ऐसा कलिमा भी ज़ुबान से निकाले। मगर बात यह है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी मेहरबानी और रहमदिली से हम पर यह करम किया है कि आप खुद हमें भाई कहते

हैं। अब अगर यह हदीस कोई हक़परस्त आलिम अपने वाज़ में बयान करते हैं तो फ़ित्ना पैदा करने वाले लोग फ़ौरन फ़ित्ना पैदा कर देते हैं और हवा ऐसी फैलाते हैं कि देखो, देखो, ये मौलवी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को भाई कहता है और अपने भाई के बराबर समझता है। इस का अक़ीदा ख़राब मालूम होता है। यह वह्हाबी, देवबन्दी या तब्लीग़ी मालूम होता है। इस का वाज़ सुनना हराम है, इस से जो आदमी मुहब्बत रखे, उस से भी सलाम-कलाम हराम। जहालत की भी कोई हद है ?

मेरे अज़ीज़ दोस्तो ! ये नफ़्स परस्त और फ़ित्ना पैदा करने वाले कितना उलटा समझाते हैं और हमारे कुछ मुसलमान भाई उन की बातों को सच मान लेते हैं और ख़ुद अपनी अक़्ल से नहीं सोचते, न कुछ तह्क़ीक़ात करते हैं कि यह जो कुछ कहता है, वह आख़िर सच्चा है या झूठा।

हदीस – हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से उमरा करने की इजाज़त तलब की। आपने इजाज़त दे दी और फ़रमाया, ऐ मेरे छोटे भाई ! अपनी दुआ में मुझ को भी शामिल रखना, भूल न जाना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह एक बात ऐसी फ़रमायी, जो मुझ को सारी दुनिया के मुक़ाबले में पसन्द है।

हवाला–1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 370, हदीस 2125, दुआ का बयान,

2. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 337, हदीस 1411, दुआ का बयान,

3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 244, ज़िक्र का बयान।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु से फ़रमाया, तुम हमारे भाई और दोस्त हो।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 21, पृ० 75, सूरः अह्ज़ाब के पहले रुकूअ की तफ़्सीर में।

हदीस – हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम, सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फ़रमाया कि अगर मैं अपनी उम्मत में से किसी को ख़लील बनाता, तो बेशक अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) को ख़लील बनाता, मगर वह मेरे भाई और मेरे साथ उठने-बैठने वाले हैं।

हवाला – सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 14, पृ० 219, हदीस 849, फ़ज़ाइले सहाबा का बयान।

हदीस – हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि सफ़र में सुबह के वक़्त एक बार क़ाफ़िले में वुज़ू के लिए पानी न था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने

तलाश कराया तो एक आदमी के पास सिर्फ़ एक बर्तन में थोड़ा-सा पानी निकला। आपने उस में उंगलियां डाल दीं तो वह बर्तन फ़ुव्वारे की तरह जोश मारने लगा। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया कि पुकारो सब को आकर वुज़ू कर लें। सैंकड़ों सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने वुज़ू किया और खूब पेट भर कर पानी पिया। जब नमाज़ से फ़ारिग़ हुए, तो आपने लोगों से पूछा कि तमाम मख़्लूक़ात में से किस का ईमान अजीबतर है ? लोगों ने कहा, कि फ़रिश्तों का। तो आपने फ़रमाया कि उनके ईमान में क्या ताज्जुब है ? वे तो बारगाहे इलाही में हाज़िर हैं, उसके हुक्मों की पाबन्दी करते हैं, वे क्यों कर ईमान न लाते ?

लोगों ने अर्ज़ किया कि आप के सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम का, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, मेरे सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम सैंकड़ों मोजिज़े देखते हैं, उनके ईमान में क्या ताज्जुब। अल-बत्ता अजीब ईमान उन का होगा, जो मेरे बाद पैदा होंगे और मेरा नाम सुन कर सच्चे दिल से ईमान लाएंगे। वह मेरे भाई हैं और तुम सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम)।

हवाला – तफ़्सीरे हक़्क़ानी, जिल्द 2, पृ० 81, सूरः बकरः के पहले रुकूअ की तफ़्सीर में।

हदीस – हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मक़बरा (जन्नतुल बक़ीअ) में तशरीफ़ ले गये। पस फ़रमाया, आप ने सलामती हो तुम पर ऐ मोमिनों की क़ौम की जमाअत ! और हम भी तुम्हारे पास इन्शाअल्लाह आने वाले हैं और तमन्ना रखता हूं इस की कि देखें हम अपने भाइयों को। (यह सुन कर) सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! हम आप के भाई नहीं हैं ? आप ने फ़रमाया, तुम मेरे दोस्त हो और मेरे भाई वे हैं, जो अभी (दुनिया में) नहीं आए। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! आप क़ियामत में उन लोगों को क्यों कर पहचानेंगे जो अभी तक आप की उम्मत में नहीं आए ? आप ने फ़रमाया, मुझको बतलाओ कि अगर एक आदमी के पास सफ़ेद पेशानी और सफ़ेद हाथ-पांव के घोड़े हों और वे निहायत सियाह घोड़ों के अन्दर मिले हुए हों, तो क्या वह अपने घोड़ों को पहचान न लेगा ? सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, हां, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! आप ने फ़रमाया, वह क़ियामत में वुज़ू के असर से सफ़ेद पेशानी और सफ़ेद हाथ-पांव के साथ आएंगे और मैं हौज़े कौसर पर उन का मीरे सामां हूंगा।

हवाला –1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 124, हदीस 276, तहारत का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 113, तहारत का बयान।

हक़ को पहचान ले और बातिल को छोड़ दे। दीन पर अमल कर, बिदअतों को छोड़ दे, क्योंकि इंसान दुनिया भर के रस्म व रिवाज करता है और बड़े शौक़ से करता है, पैसे भी

बर्बाद करता है, जिस्मानी मेहनतें भी करता है, लेकिन नमाज़ नहीं पढ़ता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मिसाल दे कर समझाया कि नमाज़ पढ़ने वाले वुज़ू करते होंगे और वुज़ू की वजह से उन के चेहरे, उनके हाथ, उनके पैर चांद की तरह चमक रहे होंगे, उसी चमक की वजह से मैं उन की पहचान लूंगा कि ये मेरे उम्मती हैं और जो लोग नमाज़ नहीं पढ़ते हैं, उनके चेहरे, उनके हाथ, उनके पैर काले रंग के होंगे। अब आप साहिबान ही फ़ैसला कर लो कि क़ियामत के दिन कौन-से गिरोह में रहना चाहते हैं, काले मुंह वाले गिरोह में या सफ़ेद मुंह वाले गिरोह में। अगर सफ़ेद मुंह वाले गिरोह में रहना चाहते हैं, तो आज ही से नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें।

हदीस – हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है, तुम पूरा वुज़ू करने की वजह से क़ियामत के दिन रोशन पेशानी और चमकदार हाथ-पांव वाले होगे।

हवाला – सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 46, हदीस 210, बाब 85, तहारत के बयान में।

हदीस – हज़रत अब्दुल्लाह बिन बिस्र रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि क़ियामत के दिन मेरी उम्मत सज्दों की वजह से रोशन चेहरे वाली होगी और वुज़ू की वजह से उसके हाथ-पांव चमकते होंगे।

हवाला – तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 121, हदीस 541, नमाज़ के बयान में।

क़ुरआन करीम के चौथे पारे में, सूरः आले इम्रान के ग्यारहवें रुकूअ में, आयत न० 106, 107 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – जिस दिन कुछ चेहरे सफ़ेद होंगे और कुछ काले, काले चेहरे वालों (से कहा जाएगा) कि तुमने ईमान लाने के बाद कुफ़्र क्यों किया, अब अपने कुफ़्र का अज़ाब चखो और सफ़ेद चेहरे वाले अल्लाह की रहमत में दाख़िल होंगे और उसमें हमेशा रहेंगे।

क़ियामत के दिन सफ़ेद चेहरे होंगे और सियाह मुंह भी होंगे।

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का फ़रमान है कि अह्ले सुन्नत वल जमाअत के मुंह सफ़ेद नूरानी होंगे और अह्ले बिदअ़त वल जमाअत के मुंह काले होंगे।

हज़रत हसन बसरी रह्मतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं, ये काले मुंह वाले मुनाफ़िक़ होंगे, जिन से कहा जाएगा कि तुमने ईमान के बाद कुफ़्र क्यों किया, अब उसका मज़ा चखो और सफ़ेद मुंह वाले रहमते खुदा में हमेशा-हमेशा रहेंगे।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 4, पृ० 11, सूरः आले इम्रान के ग्यारहवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

हदीस – हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि एक बार हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एक मक़बरे में आए तो आप ने फ़रमाया–

अस्सलामु अलैकुम दा–र क़ौमिम मोमिनीन व इन्ना इन्शाअल्लाहु बिकुम ल–लाहिक़ून॰

कि मुझको यह आरज़ू होती है कि मैं काश, अपने भाइयों को देख लेता (क्योंकि वे लोग मेरे बाद आने वाले हैं) लोगों ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! क्या हम आपके भाई नहीं हैं? आप ने फ़रमाया, मेरे भाई वे लोग हैं, जो मेरी वफ़ात के बाद होंगे। मैं तुम लोगों के वास्ते हौज़े क़ौसर पर पेश खेमा हूंगा। लोगों ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! जो लोग आप की उम्मत में से अभी पैदा नहीं हुए हैं या जिन को आप ने नहीं देखा है आप उन को किस तरह पहचान लेंगे ?

आप ने फ़रमाया, देखो जिस घोड़े की पेशानी और पांव सफ़ेद हों, अगर उसको बिल्कुल काले मुश्की घोड़े के साथ मिला दिया जाए, तो वह अपने घोड़े को पहचानेगा या नहीं ? लोगों ने अर्ज़ किया, जी हां, जरूर पहचान लेगा। आपने फ़रमाया, बस इसी तरह मेरी उम्मत के लोग क़ियामत के दिन वुज़ू की वजह से रोशन पेशानी और रोशन पा होकर आएंगे। आप ने (फिर) फ़रमाया कि मैं हौज़े कौसर पर तुम्हारा पेशख़ेमा हूंगा। उसके बाद फ़रमाया कि कुछ लोग मेरी उम्मत के मेरे हौज़े कोसर पर से अलग कर दिए जाएंगे, जिस तरह गुमशुदा ऊंट हंका दिया जाता है मैं उन को देख कर कहूंगा, इधर आओ। मुझको जवाब मिलेगा, तुम को इन लोगों की हालत नहीं मालूम कि इन्होंने तुम्हारे बाद क्या–क्या बातें निकालीं और तुम्हारे बाद दीन से फिर गये थे ! उस वक़्त अफ़सोस से मैं कहूंगा, जुदाई ही है, जुदाई है।

हवाला – इब्ने माजा शरीफ़, पृ॰ 653, हदीस 4303, हौज़े कौसर के बयान में।

मेरे अज़ीज़ दोस्त ! खुश होने की जगह है कि हम ग़रीब गुनाहगारों को किस क़दर प्यार और मुहब्बत भरे लफ़्ज़ों से भाई कहा है। हम को भी चाहिए कि दुनिया की तमाम रस्मों और रिवाजों को छोड़ कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बतायी हुई शरीअत पर अमल करें, झगड़ों और फ़ित्नों से क्या फ़ायदा। सच्चा आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तो वह है जो आप की बातों को दिल व जान से मान ले।

हमारी हज़ार जानें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर क़ुर्बान और हम को अल्लाह तआला ने जो कुछ माल व औलाद दे रखी है, वे भी क़ुर्बान कर दें, फिर भी हमारी तरफ़ से उस भाई के प्यार भरे लफ़्ज़ों का शुक्रिया अदा नहीं हो सकता।

अंगूठे चूमें या दरूद शरीफ़ पढ़ें ?

क़ुरआन शरीफ़ के बाईसवें पारे में, सूरः अह्ज़ाब के सातवें रुकूअ में, आयत न० 56 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – अल्लाह तआला और उसके फ़रिश्ते उसके नबी पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो ! तुम भी उन पर दरूद भेजो और अच्छी तरह सलाम भी भेजते रहो।

मेरे अज़ीज़ दोस्त ! अपनी ईमानदारी से फ़ैसला करना इस बात का कि जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का मुबारक नाम सुने तो क्या करना चाहिए ? अपने हाथ के दोनों अंगूठे चूम कर आंखों पर रखना चाहिए या दरूद शरीफ़ पढ़ना चाहिए ? आयते शरीफ़ा में तो दरूद पढ़ने के लिए अल्लाह तआला अपने ईमान वाले बन्दों को ताकीद कर रहा है और हिन्दुस्तान के कुछ मुसलमान भाई हुज़ूर सल्ल० का मुबारक नाम सुनते हैं, तो अपने दोनों हाथ के अंगूठे चूम कर अपनी आंखों पर लगाते हैं और जो इस तरह न करे, उसको मुसलमान ही नहीं समझते, बल्कि वह्हाबी और इस्लाम से ख़ारिज समझते हैं। यह है हमारे हिन्दुस्तान के मुसलमान भाइयों की जहालत इस मुसीबत में सिर्फ़ जाहिल लोग ही नहीं, बल्कि अपने आप को पीर और मौलवी कहलवाने वाले भी मुब्तला हैं।

अब सुनिये हदीसें। मेरे दोस्त को पहले वह हदीस सुनाऊं, जिस हदीस से अंगूठे चूमने का सबूत लेते हैं।

हदीस – एक दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बीसवें मुहर्रम को, जुमा के दिन नमाज़ से पहले मस्जिद में तशरीफ़ लाये और सतून से मिल कर बैठे और हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु अज़ान देने लगे, जब 'अश्हदु अन–न मुहम्मदर्रसूलुल्लाह' पर पहुंचे तो हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दोनों हाथों के अंगूठे अपनी दोनों आंखों पर फेरे और कहा–

–क़ुर्–त ऐनी बि–क या रसूलल्लाह०' (मेरी आंखों की ठंडक, ऐ अल्लाह के रसूल! आप ही से है।)

जब अज़ान हो गयी तो हुज़ूर रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, ऐ अबूबक्र ! जो कोई यों कहे और करे शौक़ और मुहब्बत में, जिस तरह तुमने कहा और किया, तो बख़्शेगा अल्लाह तआला उस के नये–पुराने सोच–समझ कर किये गये, या ग़लती से किये गये, छिपे या खुले गुनाह और मैं शफ़ीअ हूं बख़्शवाने वाला उस के गुनाहों का।

हवाला – तफ़्रीहुल अज़्किया फ़ी अह्वालिल अंबिया, जिल्द 2, पृ० 121, अज़ान का बयान।

मेरे अज़ीज़ दोस्त ! यह है वह हदीस अंगूठे चूमने की। इस हदीस पर आजकल इस क़दर जोर दिया जाता है कि अंगूठे न चूमने वाले को मुसलमान ही नहीं समझते, इस दहशत से कुछ

ग़रीब जाहिल अनपढ़ भाइयों को हमने अपनी आंखों से देखा है कि वह अज़ान देते-देते, जब 'अश्हदु अन-न मुहम्मदर-रसूलुल्लाह' कहते हैं, तो तुरन्त बड़ी फुर्ती से अपने दोनों कानों में से उंगलियां निकाल कर अपने दोनों हाथ के अंगूठे चूम कर आंखों पर लगा लेते हैं, फिर फ़ौरन ही बड़ी तेजी के साथ चालू अज़ान में उंगलियां अपने कानों में डाल लेते हैं। हैं कोई हद जहालत की। उस बेचारे ग़रीब के दिल में फ़ित्नाख़ोरों ने ऐसी दहशत बिठा दी है कि अगर मैं अंगूठे चूम कर आंखों पर न लगाऊं तो मैं इस्लाम से निकल जाऊंगा। हाय रे हिन्दुस्तान की जहालत!

मेरे अज़ीज़ दोस्त! ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ने देखा होगा कि किसी वाज़ या मज्लिस में यही फ़साद फ़ैलाने वाले लोग ख़ुद भी कभी-कभी अंगूठे चूम कर अपनी आंखों पर नहीं लगाते, फिर आप क्यों इतना डरते हैं? मेरे दोस्त! यह एक देखा-देखी बात चली है, किसी ने पूरी तह्क़ीक़ नहीं की। आपने नहीं देखा और अगर न देखा तो देख लेना कि बात करने वाले या मज्लिस पढ़ने वाले अपने हाथ के अंगूठे चूम कर आंखों में लगाएंगे। जब तो क़रीब-क़रीब सब उन की देखा-देखी अपने-अपने अंगूठे चूम कर आंखों में लगाएंगे और अगर कोई ऐसा मौलवी वाज़ करता है कि जो अपने अंगूठे चूमता भी नहीं और आंखों पर लगाता भी नहीं, तो सारी की सारी मज्लिस वाले अंगूठे चूमने और आंखों पर लगाने से रुक जाएंगे। जो चालू अज़ान में अपने कानों से उंगलियां निकाल कर अंगूठा चूमने वाले हैं, वे भी इस मज्लिस में रुक जाते हैं, क्योंकि वाज़ करने वाले मौलवी साहब अंगूठे नहीं चूमते, इस लिए दूसरे भी नहीं चूमते।

मेरे भाई! इसी को कहते है बग़ैर तह्क़ीक़ की हुई रस्म! अब सुनिए सही बात इस बारे में क्या है ?

मेरे दोस्त! मैं किसी फ़िर्क़े की तरफ से आपको जवाब नहीं दे रहा हूं और आप दिल में यह विचार भी न करना कि मैं किसी फ़िर्क़े की तरफ से आप को समझा रहा हूं। मैं ख़ुदा की क़सम खा कर कहता हूं कि मैं हनफ़ी मसलक को मानने वाला हूं और जो बात मैं आप के सामने कर रहा हूं, उस की हक़ीकत हनफी मसलक में क्या है, वह आप के सामने पेश कर रहा हूं। अब सुन लीजिए इस की हक़ीक़त। जो हदीस अंगूठे चूम कर आंखों पर लगाने की आपने पढ़ी, उस को उलेमा-ए-हनफ़ीया ज़ईफ़ कहते हैं और कुछ कहते हैं कि यह हदीस बनावटी है। इस बात को नज़र में रख कर इस हदीस को क़ुबूल नहीं किया और जो सही किताबें हैं, जैसे सही बुख़ारी शरीफ़, सही मुस्लिम शरीफ़, तिर्मिज़ी शरीफ़, अबूदाऊद शरीफ़, नसई शरीफ़, इब्ने माजा शरीफ़, जिन पर हमारे हनफ़ी मसलक का अमल है, उन में यह हदीस नहीं है। इस हदीस को मुहद्दिसीन रहिमहुमुल्लाहु तआला ने अपनी किताबों में नहीं लिखा, बल्कि इस हदीस को सवानेह उमरी (जीवनी), तसव्वुफ़, और वाज़ करने वालों ने कुछ ग़ैर-मोतबर किताबों में लिखा है।

अब हमारे लिए सोचने की बात यह है कि हमारे उलेमा-ए-दीन और फ़ुकहा-ए-किराम

ने इस हदीस को नहीं लिखा और न क़ुबूल किया और हदीसें लिखने वाले मुहद्दिसीन किराम ने भी सिहाहे सित्ता वग़ैरह के अन्दर इस हदीस को अपनी किताबों में न लिखा और न क़ुबूल किया, तो फिर अंगूठे चूमने-चाटने के लिए लड़ाई-झगड़ा करना या कराना और लोगों को अंगूठे चूमने पर मजबूर करना और अंगूठे न चूमने वालों को हक़ीर नज़रों से देखना या इस्लाम से ख़ारिज समझना इस्लाम के बिल्कुल ख़िलाफ़ है।

अंगूठे चूम कर आंखों पर लगाना सुन्नत या वाजिब या फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि आप इस को दर्जा भी देंगे तो मुस्तहब, मुस्तहसन या मुबाह के सिवा कुछ भी नहीं दे सकते और जिस मुबाह का यह हाल हो कि सुन्नत, वाजिब और फ़र्ज़ तो आम तौर से छोड़े जा रहे हों, लेकिन उस मुबाह को छोड़ना सुन्नत, वाजिब और फ़र्ज़ से भी ज़्यादा बुरा समझते हों, तो उस वक़्त उस मुबाह पर अमल करने के लिए हमारे उलेमा-ए-हनफ़ीया का फ़त्वा सुनिये-

'जिस मुबाह को सुन्नत या वाजिब समझ लिया जाए, वह मकरूह है।'

हवाला – फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 1, पृ० 191, तिलावत के सज्दे का बयान।

मकरूह से मुराद मकरूहे तहरीमी है, जिस का बयान इन्शाअल्लाहु तआला आगे आएगा।

मेरे अज़ीज़ दोस्त ! जो लोग अंगूठे चूमने वाले हैं, उन लोगों में ज़्यादातर को हमने अपनी आंखों से देखा है और आप को यक़ीन न हो, तो आप खुद देख लेना कि ये अंगूठे चूमने वाले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत से कोसों दूर होते हैं और जो मौलवी या पीर कहलाते हैं, उन में से भी कुछ लोगों का यह हाल है कि वाजिब और फ़र्ज़ का भी ठिकाना नहीं होता। जिन मौलवी और पीर साहिबान का यह हाल हो, उन के मुरीद और उन के पीछे चलने वालों का क्या हाल होगा, इस का अन्दाजा आप खुद ही लगा लें।

अंगूठे चूम कर आंखों पर लगाने की जो हदीस है, वह बनावटी है, लेकिन सही हदीसों पर कुछ सोच-विचार नहीं करते, जिन से दरूद शरीफ़ का पढ़ना साबित होता है, क्योंकि एक तो यह आयते करीमा है, जो आपने ऊपर पढ़ ली है। अब सुनिए वे हदीसें, जिन से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का मुबारक नाम सुनते वक़्त आप पर दरूद का पढ़ना वाजिब साबित हुआ।

हदीस – हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, वह आदमी बख़ील (कंजूस) है, जिस के सामने मेरा ज़िक्र किया जाए (यानी नाम लिया जाए) और वह (सुनने वाला) मुझ पर दरूद न भेजे।

हवाला – तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 333, हदीस 1394, दुआ का बयान।

हदीस – हज़रत इब्ने मस्ऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

एक क़ौम मेरी उम्मत में होगी, जिस को क़ियामत में अल्लाह तआला हुक्म देगा कि

जन्नत में जाओ। वे लोग हैरान होंगे कि अब जन्नत का रास्ता कौन बताये ? लोगों ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, वे कौन लोग होंगे? आपने फ़रमाया, जिन के सामने मेरा ज़िक्र किया गया (यानी नाम लिया गया) और ग़फ़लत और भूल की वजह से उन्होंने मुझ पर दरूद नहीं भेजा।

हवाला – दुर्रतुन्नासिहीन, जिल्द 2, पृ० 58,

हदीस – उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि मैं सेहरी के वक़्त कोई चीज़ सी रही थी, अचानक मेरे हाथ से सूई गिर पड़ी और चिराग़ भी बुझ गया और रात अंधेरी थी। पस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मेरे पास आए और उन के मुबारक चेहरे से घर रोशन हो गया, फिर मुझे सुई मिल गयी। फिर मैं ने पूछा कि या हज़रत ! आप का चेहरा क्या ही नूरानी है! हज़रत ने फ़रमाया, हैफ़ ! सद हैफ़! उस पर जो मुझे क़ियामत के दिन न देखेगा। मैंने पूछा या हज़रत ! वह कौन है? हज़रत ने फ़रमाया कि जिस के पास मेरा नाम लिया जाए और वह सुनने वाला मुझ पर दरूद न भेजे।

हवाला – तज़्किरतुल वाइज़ीन, पृ० 71, दरूद का बयान,

हदीस (1) जिस के सामने मेरा ज़िक्र हो और वह मुझ पर दरूद न भेजे, तो वह बद-बख़्त है।

हदीस (2) हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि यह सितम की बात है कि मैं आदमी के पास ज़िक्र किया जाऊं और वह मुझ पर दरूद न पढ़े।

हदीस (3) शामी के हवाले से हदीसे क़ुदसी लिखी है कि फ़रमाया अल्लाह तआला ने अपने रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से कि दूर हो मेरी रहमत से, जिस के पास तेरा ज़िक्र हुआ और वह तुझ पर दरूद न भेजे। (इन तीनों हदीसों का हवाला यह है।)

हवाला – ग़ायतुल औतार, उर्दू तर्जुमा दुर्रे मुख़्तार, जिल्द 1, पृ० 242, नमाज़ का बयान।

मेरे अज़ीज़ दोस्त ! आप ही ईमानदारी से इंसाफ़ करें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का मुबारक नाम सुना जाए, तो क्या अंगूठे चूम कर आंखों पर रखें या दरूद पढ़ें ?

हदीस – हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि इंसान को बख़ीली के लिए यह काफ़ी है कि मेरा नाम सुन कर दरूद न पढ़े।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 22, पृ० 31, सूरः अह्ज़ाब के सातवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

हदीस – हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जो आदमी मुझ पर दरूद पढ़ेगा, वह जन्नत का रास्ता न भूलेगा।

हवाला – इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 151, हदीस 922, नमाज़ का बयान।

हज़रत इब्ने मज़्हर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आप पर दरूद भेजने का अच्छा तरीक़ा, जिस को जम्हूर उलेमा ने अख़्तियार किया है, वह यह है कि मज्लिस में जितनी बार भी आप

का नाम सुने तो आप पर दरूद पढ़ना वाजिब है। अगर एक मज्लिस में हज़ार बार भी आप का नाम सुने क्योंकि आपने फ़रमाया है कि जिस के पास मेरा ज़िक्र हो और वह नाम सुनने वाला मुझ पर दरूद न भेजेगा, तो वह दोज़ख में दाख़िल होगा और अल्लाह उस को दूर फेंकेगा और वह आदमी अपने नफ़्स को मलामत करेगा।

हवाला – दुर्रतुन्नासिहीन, जिल्द 1, पृ० 85।

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, उस आदमी की नाक धूल में सने, जिस के सामने मेरा ज़िक्र आये (यानी नाम लिया जाए),लेकिन वह (नाम सुनने वाला) मुझ पर दरूद न भेजे और उस आदमी की नाक धूल में सने जिस की ज़िंदगी में रमज़ानुल मुबारक आए, फिर उससे पहले (यानी रमज़ान ख़त्म होने से पहले) उसे बख़्शा न जाए और रमज़ान ख़त्म हो जाए और उस आदमी की नाक धूल में सने, जिस के सामने उस के मां-बाप पर बुढ़ापा आया, लेकिन दोनों ने उस को जन्नत में दाख़िल न किया (यानी वह अपनी मां या बूढ़े बाप की ख़िदमत करके जन्नत हासिल न कर सका।

हवाला –1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 333, हदीस 1393, दुआ का बयान,
2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 196, 861, दरूद का बयान,
3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 299, दरूद का बयान।

इस हदीस की शरह में हमारे हनफ़ी मस्लक के फ़ुकहा-ए-किराम फ़रमाते हैं।

धूल में सने (ख़ाक आलूद हो) यानी ख़्वार और हलाक हो वह आदमी कि ज़िक्र किया जाऊं मैं यानी नाम लिया जाए मेरा उस के सामने और वह दरूद न भेजे मुझ पर। ज़ाहिर इस हदीस का यह है कि हर बार मज्लिस में जब मुबारक नाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का लिया जाए तो दरूद भेजना वाजिब होता है, इस लिए कि छोड़ने पर धमकी आयी है।

हवाला – मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 300, दरूद का बयान।

मेरे भैया ! मज़हबी अमल तो किताबों पर होना चाहिए, किसी की ज़ुबान पर नहीं। कम से कम हदीसों की तो लाज रखो। तुम अपने आपको सुन्नी कहते हो, तो अह्ले सुन्नत वल जमाअत के उलेमा-ए-दीन व फ़ुकहा-ए-किराम के फ़त्वों की तो शर्म रखो। कहां तक जहालत में डूबे रहोगे ? शरीअत का भी तो कुछ ख़्याल करो।

इज्माअ है कि तमाम उम्र में एक बार दरूद शरीफ़ का पढ़ना फ़र्ज और हर बार जब ज़िक्र हो, तो अलस्सहीह वाजिब है।

हवाला – ऐनुल हिदाया, जिल्द 1, पृ० 399, नमाज़ का बयान।

दरूद पढ़ना फ़र्ज़ है उम्र भर में एक बार और वाजिब है जितनी बार कि मुबारक नाम का ज़िक्र हो, मज़हबे सहीहा से।

हवाला – ग़ायतुल अवतार, उर्दू तर्जुमा दुर्रे मुख़्तार, जिल्द 1, पृ० 242, नमाज़ का बयान।

अगर सुनने वाले ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का मुबारक नाम सुनते वक़्त दरूद न भेजा, तो दरूद भेजना उसकी गरदन पर क़र्ज़ रहा।

हवाला – फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 4, पृ० 262, कराहत का बयान।

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का मुबारक नाम सुनते वक़्त दरूद शरीफ़ पढ़ना वाजिब है, नहीं पढ़ेगा तो क़र्ज़ होगा उस पर।

हवाला – ऐनुल हिदाया, जिल्द 4, पृ० 317, कराहत का बयान।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का मुबारक नाम सुनते वक़्त दरूद शरीफ़ पढ़ना हमारे हनफ़ी मसलक के उलेमा-ए-दीन वाजिब बताते हैं। एक मज्लिस में जितनी बार भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का मुबारक नाम सुने, उतने ही बार दरूद शरीफ़ पढ़ना वाजिब है। इस का तो कुछ ख़्याल करो। इस के अलावा जो दरूद शरीफ़ पढ़ने की फ़ज़ीलत आयी है, उस से क्यों महरूम रहते हो और लोगों को महरूम रख कर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नाराज़गी की वजह क्यों बनते हो ?

हदीस – हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि क़ियामत के दिन मुझ से सब से ज़्यादा नज़दीक वह आदमी होगा, जो मुझ पर सब से ज़्यादा दरूद भेजता है।

हवाला –1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 99, हदीस 432, जुमे का बयान,
2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 196, हदीस न० 857, दरूद के बयान में,
3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 298, दरूद के बयान में।

मेरे अज़ीज़ दोस्त ! ज़्यादातर हदीसें दरूद शरीफ़ पढ़ने की फ़ज़ीलत में हैं और इस क़िस्म की भी हदीसें हैं कि दरूद शरीफ़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तक पहुंचाये जाते हैं-

हदीस – हज़रत औस बिन औस रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि तुम्हारे दरूद मेरे सामने पेश किये जाते हैं। (मुख़्तसर)

हवाला –1. अबूदाऊद शरीफ़, जिल्द 1, पारा 6, पृ० 398, हदीस 1034, बाब 358,
2. इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 174, हदीस 1097, नमाज़ का बयान।

मेरे अज़ीज़ दोस्त ! वह इंसान कितना खुशनसीब है जिस का नाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सामने पेश किया जाए कि फ़्लां-फ़्लां आप के उम्मती ने आप पर दरूद का तोहफ़ा भेजा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की रूहे मुबारक इस मुबारक तोहफ़े से कितनी ख़ुश होती होगी। इस रुत्बे को हासिल करने के लिए आज ही तैयार हो जा। अंगूठे चूमने-चाटने छोड़ दे, क्योंकि अल्लाह तआला भी दरूद शरीफ़ पढ़ने को कहता है। फिर भी अगर हम न मानें, न समझें, तो यह हमारी सरासर जहालत और ज़िद है, क्योंकि शरीअत का अमल तो उस पर होना चाहिए जो क़ुरआन व हदीस और फ़िक़्ह की किताबों से साबित है।

दरूद शरीफ़ की फ़ज़ीलत

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

हदीस – हज़रत अब्दुर्रह्मान बिन अबी लैला रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मुलाक़ात की मुझसे कअ़ब बिन उजरा ने और कहा कि क्या मैं तुझको वह चीज़ हदिया न दूं, जिसको मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुना है? मैंने कहा, हां, हमको वह हदिया ज़रूर दें। उन्होंने कहा कि हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मालूम किया था कि ऐ अल्लाह के रसूल सललल्लाहु अलैहि व सल्लम ! आप पर और अह्ले बैत पर हम किस तरह दरूद भेजें? ख़ुदावन्द तआ़ला ने सलाम भेजने का तरीक़ा तो हमको सिखा दिया है। आपने फ़रमाया, इस तरह कहो–

अल्लाहुम-म सल्लि अला मुहम्मदिंव-व अला आलि मुहम्मदिन क-मा सल्लै-त अला इब्राही-म व अला आलि इब्राही-म इन-न-क हमीदुम मजीद०

अल्लाहुम-म बारिक अला मुहम्मदिंव-व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारक-त अला इब्राहि-म व अला आलि इब्राही-म इन-न-क हमीदुम मजीद०

हवाला –1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 195, हदीस 853, दरूद शरीफ़ की फ़ज़ीलत,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 297, दरूद शरीफ़ की फ़ज़ीलत।

हदीस – हज़रत उबई बिन कअ़ब् रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! मैं आप पर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद भेजता हूं। आप यह बताइए कि मैं इसके लिए कितना वक़्त मुक़र्रर करूं। (अपने आमाल और वज़ीफ़ों में से)? आपने फ़रमाया, जिस क़दर तू चाहे। अगर ज़्यादती करेगा तो तेरे लिए बेहतर होगा। मैंने अर्ज़ किया, आधा मुक़र्रर कर दूं? फ़रमाया, जिस क़दर तू चाहे। अगर ज़्यादती करेगा तो तेरे लिए बेहतर होगा। मैंने कहा, दो तिहाई मुक़र्रर कर दूं। आपने फ़रमाया, जिस क़दर तू चाहे। अगर ज़्यादा करेगा तो तेरे लिए बेहतर होगा। मैंने अर्ज़ किया, अपनी दुआ का सारा वक़्त मुक़र्रर कर दूं या रसूलल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम)! आपने फ़रमाया, यह काफ़ी होगा और तेरे दीन व दुनिया के मक़्सदों को पूरा करेगा और तेरे गुनाह दूर किये जाएंगे।

हवाला –1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 196, हदीस 863, दरूद का बयान,
2. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 65, हदीस 320, रिक़ाक़ का बयान,
3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 300, दरूद का बयान।

हदीस – हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एक दिन तश्रीफ़ लाये। उस वक़्त आप का चेहरा बश्शाश था। आपने फ़रमाया–

मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और फ़रमाया कि आपके परवरदिगार ने फ़रमाया है कि ऐ मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम!) क्या तुझ को यह पसन्द नहीं कि तेरी उम्मत में से कोई आदमी तुझ पर दरूद भेजे और मैं दस बार उस पर रहमत उतारूं और तेरी उम्मत में से कोई तुझे पर सलाम भेजे और मैं उस पर दस बार सलाम भेजूं।

हवाला–1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 196, हदीस 862, दरूद शरीफ़ का बयान,
2. दारमी शरीफ़, पृ० 416, हदीस 2739, बाब 1167,
3. नसई शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 320, दरूद शरीफ़ के बयान में,
4. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 300, दरूद शरीफ़ के बयान में।

हदीस – हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि–

जो आदमी मुझ पर एक बार दरूद शरीफ़ भेजेगा, अल्लाह उस पर दस बार रहमत नाज़िल करेगा, उस के दस गुनाहों को माफ़ करेगा और दस दर्जे बुलन्द फ़मायेगा।

हवाला–1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 196, हदीस न० 856, दरूद शरीफ़ का बयान,
2. नसई शरीफ़ जिल्द 1, पृ० 320, दरूद शरीफ़ कर बयान,
3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 298, दरूद शरीफ़ का बयान।

हदीस – हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जो आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर एक बार दरूद शरीफ़ भेजेगा, अल्लाह और उसके फ़रिश्ते उस पर सत्तर बार दरूद भेजते हैं।

हवाला–1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 197, हदीस 869, दरूद शरीफ़ का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 302, दरूद शरीफ़ का बयान।

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने–

जो आदमी मेरी क़ब्र के पास मुझ पर दरूद पढ़ता है, मैं उस को सुनता हूं और जो आदमी दरूद भेजे मुझ पर दूर से, पहुंचाया जाता है वह मेरे पास।

हवाला–1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 197, हदीस न० 868, दरूद शरीफ़ का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 302, दरूद शरीफ़ का बयान।

यानी पास वाले का दरूद खुद सुनता हूं बिला वास्ता और दूर वाले का दरूद मलाइका सय्याहीन (यानी दुनिया में घूमने-फिरने वाले फ़रिश्ते) पहुंचाते हैं और जवाब सलाम का बहरसूरत देता हूं। इस से मालूम हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर दरूद व सलाम भेजने की क्या बुज़ुर्गी है और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर सलाम भेजने वाले को क्या बड़ाई मिलती है? अगर तमाम उम्र के सलामों का एक जवाब आवे तो सआदत है, कहां यह

कि हर सलाम का जवाब आए।

हवाला – मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 302, दरूद शरीफ़ का बयान।

हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मुबारक रोज़े पर, जो ज़ियारत के लिए जाते हैं, उन लोगों के दरूद व सलाम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ख़ुद से सुनते हैं और जो बहुत दूरी से दरूद व सलाम पढ़े जाते हैं, वे फ़रिश्तों के ज़रिए पहुंचाये जाते हैं।

इन तमाम हदीसों को पढ़ने के बाद हाज़िर व नाज़िर का मसअला और मीलाद में खड़े होकर सलाम पढ़ने का झगड़ा ही ख़त्म हो जाता है। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमा दिया कि फ़रिश्तों के ज़रिए से सलाम पहुंचाया जाता है, तो अब मामूली से मामूली इंसान भी इंकार नहीं कर सकता। हालांकि हम हाज़िर व नाज़िर मीलाद में खड़े होकर सलामी पढ़ने का आगे तफ़्सील से बयान करेंगे, इन्शाअल्लाहु तआला।

या रसूल, या ग़ौस कि या अल्लाह ?

मेरे अज़ीज़ दोस्त ! आप यह न समझना कि हमारे दिल में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुहब्बत नहीं है या हम औलिया अल्लाह रह० को नहीं मानते। इस को अपने वहम में भी न लाना, क्योंकि शैतान इंसानों को बहकाने के लिए ऐसे ही झूठे ख़्याल दिल में पैदा करके बहकाता है, तो बराए मेहरबानी ग़ुस्से को थोड़ी देर के लिए क़ाबू में रख कर ख़ुदा के वास्ते इस बाब को पूरा पढ़ कर ज़रा ग़ौर करना, फिर ईमानदारी से इंसाफ़ करना कि ख़ुदा को छोड़ कर हमारे कुछ मुसलमान भाई उठते-बैठते, चलते-फिरते और लेटते वक़्त कोई तो या रसूलल्लाह, कोई या ग़ौस, या मुश्किल कुशा, या अली, या हुसैन, कोई याद अव्वल शाह, या ग़ैबन शाह, कोई या मीरान शाह, कोई या दातार, कोई या ख़्वाजा, जो भी नाम अपने-अपने गांव या शहर या माहौल में मशहूर होते हैं, उनके नाम ये लोग इसी तरह कहते रहते हैं और कोई तहक़ीक़ नहीं करता कि शरीअत का क्या हुक्म है? इस क़िस्म के लोग जहालत में ऐसे फंसे हैं कि या अल्लाह, या ख़ुदा कहने वालों को इस्लाम से ख़ारिज या वह्हावी और ग़ैर मुक़ल्लिद समझते हैं।

अब आइये, इसके बारे में क़ुरआन करीम और हदीसों से क्या साबित है और हमारे उलेमा-ए-दीन और फ़ुक़हा-ए-किराम का इसके बारे में क्या फ़त्वा है?

क़ुरआन करीम के नवें पारे में, सूरः आराफ़ के बाईसवें रुकूअ में, आयत न० 180, में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – और अच्छे-अच्छे नाम अल्लाह ही के लिए हैं, तो इन नामों से अल्लाह ही को मौसूम किया करो और ऐसे लोगों से ताल्लुक़ भी न रखो, जो उसके नाम में टेढ़ पैदा करते

हैं। उन लोगों को उन के किये की सज़ा ज़रूर मिलेगी।

हदीस – हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि ख़ुदा के निन्नान्वे नाम हैं। जो आदमी उन को याद करेगा, जन्नत में जाएगा और अल्लाह तआला वित्र है और वित्र ही को पसन्द करता है (अल्लाह एक है और एक का अदद ताक़ है। वित्र के मायने ताक़ है, इसलिए अल्लाह तआला वित्र को पसन्द करता है।)

हवाला–1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 26, पृ० 308, हदीस 1329, दुआ का बयान,
2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 195, हदीस 955, बाब 448, दुआ का बयान,
3. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 376, हदीस 2162, किताबुल अस्मा,
4. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 257, किताबुल अस्मा।

क़ुरआन करीम के दूसरे पारे में, सूर: बक़र: के अठारहवें रुकूअ में, आयत न० 152 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा, तुम मेरी शुक्रगुज़ारी करो और कुफ़्र न करो।

सुब्हानल्लाह ! अल्लाह पाक इस ख़ाकी पुतले से वायदा फ़रमा रहा है कि तुम मुझे याद करोगे, तो मैं तुम को याद करूंगा।

हदीस – हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि खुदावन्द तआला फ़रमाता है कि मेरा बन्दा मेरे बारे में जो गुमान रखता है, मैं उसके लिए ऐसा ही हूं, जब वह मुझको याद करता है, तो मैं उसके साथ होता हूं, वह दिल में मुझ को याद करता है, तो मैं भी उस को दिल में याद करता हूं, और लोगों में मुझ को याद करता है तो मैं उन से बेहतर मख़्लूक़ में (यानी फ़रिश्तों की जमाअत में) उस का ज़िक्र करता हूं। वह मेरी तरफ़ एक बालिश्त बढ़ता है, तो मैं उसकी तरफ़ एक हाथ बढ़ता हूं। वह मेरी तरफ़ एक हाथ बढ़ता है, तो मैं दो हाथ बढ़ता हूं। वह धीरे-धीरे मेरी तरफ़ आता है, तो मैं दौड़ कर उसकी तरफ़ जाता हूं।

हवाला–1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 30, पृ० 542, हदीस 2255, तौहीद का बयान,
2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 194, हदीस 953, बाब 447, दुआ का बयान,
3. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 371, हदीस 2140, ज़िक्रे इलाही का बयान,
4. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 248, ज़िक्रे इलाही का बयान।

क़ुरआन मजीद के दसवें पारे में, सूरः अन्फ़ाल के छठे रुकूअ में, आयत न० 45 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – ऐ ईमान वालो! जब तुम किसी फ़ौज से भिड़ जाओ, तो साबित क़दम रहो और अल्लाह को ख़ूब कसरत से याद करो, ताकि तुम्हें कामियाबी हासिल हो।

इस आयत में अल्लाह तआला ने दुश्मनों के मुक़ाबले के वक़्त लड़ाई के मैदान में साबित क़दम रहने और सब्र करने का हुक्म दिया कि नामर्दी, बुज़दिली, भागना और डर और ख़ौफ़ न बरत्तो, अल्लाह को याद करो, उसे न भूलो, उससे फ़रियाद करो, उसी से दुआएं करो, उसी पर भरोसा रखो, उसी से मदद तलब करो, यही कामियाबी है, उस वक़्त भी ख़ुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की इताअत को हाथ से न जाने दो। वह जो फ़रमाएं, करो, जिससे रोकें, रुक जाओ। आपस में झगड़े और इख़्तिलाफ़ न फैलाओ, वरना ज़लील हो जाओगे, बुज़दिली जम जाएगी, हवा उखड़ जाएगी, ताक़त और तेज़ी जाती रहेगी, इक़बाल व तरक़्क़ी रुक जाएगी, देखो सब्र का दामन न छोड़ो और यक़ीन रखो कि सब्र वालों के साथ ख़ुदा होता है। हज़रात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम इन हुक्मों में ऐसे उतरे कि उनकी मिसाल अगलों में भी नहीं, पिछले वालों का तो ज़िक्र ही क्या। यही बहादुरी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की यही इताअत, यही सब्र व इसतक़लाल था, जिसकी वजह से ख़ुदा की मदद शमिल रही और बहुत ही कम मुद्दत में बावजूद तायदाद व असवाब की कमी के पूरब व पच्छिम को जीत लिया, न सिर्फ़ लोगों के मुल्कों ही के मालिक बने, बल्कि उनके दिलों को भी जीत कर ख़ुदा की ओर लगा दिया। रूमियों और फ़ारसियों, तुर्कों और सक़ालिया को, बरबरियों और हब्शियों को, सूडानियों और क़िब्तियों को, ग़रज़ दुनिया के कुल गोरों और कालों को दबा लिया। अल्लाह के कलिमे को बुलन्द किया, दीने हक़ को फैलाया और इस्लामी हुकूमतों को दुनिया के कोनों-कोनों में जमा दिया, अल्लाह उनसे खुश रहे और उन्हें भी खुश रखे। ख़्याल करो कि तीस साल में नक़्शा बदल दिया, तारीख का वरक़ पलट दिया। अल्लाह तआला हमारा भी उन्हीं की जमाअत में हश्र करे। वह करीम व वह्हाब है। आमीन!

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 10, पृ० 10, सूरः अन्फ़ाल के छठे रुकूअ की तफ़्सीर में।

मेरे अज़ीज़ दोस्त! यह था वह जमाना और इस ज़माने के अक्सर मुसलमानों को देखिए लड़ने आएंगे, तो मुसलमानों से और नारे लगाएंगे, तो ख़ुदा को छोड़कर दूसरों के नाम के।

हदीस – हज़रत अबूदर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया–

क्या मैं तुम को यह न बता दूं कि कौन-सा अमल है जो तुम्हारे तमाम आमाल में तुम्हारे मालिक यानी अल्लाह के नज़दीक अच्छा और सब आमाल से पाक है और तुम्हारे दर्जों में सब अमलों से ज़्यादा बुलंद है और तुम्हारे लिए (अल्लाह की राह में) सोना-चांदी ख़र्च करने

से भी बेहतर है और तुम्हारे लिए इससे अच्छा है कि तुम अपने दुश्मनों से (लड़ाई) लड़ो और लोगों की तुम गरदनें काटो और वे तुम्हारी गरदनें काटें। लोगों ने अर्ज़ किया, ज़रूर बताइए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, वह अल्लाह का ज़िक्र है।

हवाला–1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 286, हदीस 1229, दुआ का बयान,
2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 374, हदीस 2145, ज़िक्रुल्लाह का बयान,
3. इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 565, हदीस 3788, जिक्रुल्लाह का बयान,
4. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 253, ज़िक्रुल्लाह का बयान।

हदीस – हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि हर चीज़ की सफ़ाई है और दिल की सफ़ाई ख़ुदा का ज़िक्र है और कोई चीज़ ख़ुदा के अज़ाब से बचाने वाली ज़िक्रे इलाही से बेहतर नहीं है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, क्या ख़ुदा की राह में जिहाद करना भी नहीं? आप ने फ़रमाया, नहीं! अगरचे जिहाद करने वाले की तलवार लड़ते-लड़ते टूट जाए।

हवाला–1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 376, हदीस 2161, ज़िक्रे इलाही का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 257, ज़िक्रे इलाही का बयान।

हज़रत क़तादा रह्मतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं कि पूरी मश्ग़ूलियत के वक़्त यानी जब तलवारें चलती हों, तब भी अल्लाह तआला ने अपना ज़िक्र फ़र्ज़ रखा है।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 10, पृ० 9, सूरः अन्फ़ाल के दसवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

हज़रत हश्शाम बिन आस उमवी रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि मैं और एक साहब रूम के बादशाह हिरक़्ल को इस्लाम की दावत देने के लिए रवाना हुए। (बहुत लम्बी बात के बाद) आप फ़रमाते हैं कि हम शाही महल के पास पंहुचे। यहां पर हम ने अपनी सवारियां बिठायीं। बादशाह दरीचे में से हम को देख रहा था। हमारी ज़ुबानों से बे-साख़्ता-

'ला इला-ह इल्लल्लाहु अल्लाहु अक्बर' (अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और अल्लाह ही सबसे बड़ा है)

निकल गया। ख़ुदा ख़ूब जानता है कि उसी वक़्त शाहे रूम का महल थर-थरा उठा, जिस तरह किसी झोंपड़े को तेज़ हवा का झोंका हिला देता है।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 9, पृ० 29, सूरः आराफ़ के उन्नीसवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

मेरे अज़ीज़ दोस्त! यह था मुसलमानों का नारा, जो दुश्मनों के दिल तो क्या महलों तक को हिला देता था। जंगलों में, पहाड़ों में, शहरों में, समुद्रों में, ख़ुश्की में, जहां भी सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम पहुंचे, यही एक नारा 'अल्लाहु अकबर' बुलंद करते हुए लोगों के शहर, और उनके क़िले क्या, बल्कि उनके दिलों को भी फ़तह कर लिया। अफ़सोस है, हिन्दुस्तान के कुछ मुसलमानों की जहालत पर कि अल्लाह के नाम को छोड़ कर दूसरे के नाम की पुकारें

लगाते हैं और समझाने वालों को वह्हाबी और इस्लाम से ख़ारिज समझते हैं।

कहीं-कहीं तो जेब भरू पीर और पेट भरू मौलवी अपने मुरीदों और मुक़्तदियों से इस क़िस्म के नारे लगवाते रहते हैं कि ग़ौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। इस क़िस्म के नारे लगाते हैं और कहीं-कहीं तो हर साल जुलूस निकाला जाता है और उसमें इस क़िस्म के नारे लगाने का बड़ा एहतिमाम किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाता है। इस क़िस्म का नारा लगाने की ज़रूरत उस वक़्त समझी जाती है, जबकि कोई कहता हो कि तुम लोग ग़ौस का दामन छोड़ दो। पूरे हिन्दुस्तान में हमने कहीं भी नहीं सुना कि कोई आदमी यों कह रहा हो कि जिन के हाथ में ग़ौसे पाक रह्मतुल्लाहि अलैहि का दामन हो वे छोड़ दें। जब कोई कहता ही नहीं है, तो फिर इस क़िस्म के नारे लगाने का क्या मतलब ?

अगर वाक़ई किसी के हाथ में हज़रत ग़ौसे पाक रह्मतुल्लाहि अलैहि का दामन हैं तो कौन ऐसा बद-नसीब इंसान है कि किसी के हाथ से दामन छुड़ा दे, लेकिन दामन हाथ में है ही नहीं, तो छोड़ने का सवाल ही कब पैदा होता है, मेरे भैया!

जो लोग इस क़िस्म के नारे लगाते रहते हैं, अगर वाक़ई उनके हाथ में हज़रत ग़ौस पाक रह्मतुल्लाहि अलैहि का दामन होता तो वे लोग हंबली मसलक के होते, क्योंकि हज़रत ग़ौस पाक रह्मतुल्लाहि अलैहि हंबली मसलक के थे, हनफ़ी मसलक के नहीं थे। अब जो लोग नारे लगवाते हैं और जो लोग नारे लगाते हैं, सब के सब हनफ़ी मसलक के हैं, फिर उनके हाथ में दामन कैसे रहेगा?

नारा लगाने वालों में से क़रीब-क़रीब सभी जाहिल और अनपढ़ होते हैं। शराबी, जुआरी, बे-नमाज़ी और नारा लगाते हैं कि ग़ौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। क्या ग़ौस पाक का दामन पकड़ने वाला भी शराब पिएगा, क्या जुआ खेलेगा, क्या नमाज़ को छोड़ देगा ? हर गिज़ नहीं।

असल में बात यह है कि जेब भरू पीर और पेट भरू मौलवी हमारे भोलेपन का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं और इस क़िस्म के हम से नारे लगवा कर हम को बेवक़ूफ़ बना रहे हैं। हक़ीक़त में दामन न इनके हाथ में है, न उनके हाथ में है, दोनों दामन पकड़ने से महरूम हैं और नारा लगाते हैं कि ग़ौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, जहालत की भी कोई हद है।

हज़रत ग़ौसे पाक रह्मतुल्लाहि अलैहि हंबली मसलक के हैं तो इमाम हंबल रह्मतुल्लाहि अलैहि का नमाज़ न पढ़ने वालों के लिए फ़त्वा सुनिए।

जो आदमी नमाज़ को फ़र्ज़ नहीं मानता और उसे तर्क करता हैं, वह काफ़िर है, उसे क़त्ल करना वाजिब है। किसी मसलक वाले को इससे इख़्तिलाफ़ नहीं।

हवाला – गुन्यतुत्तालिबीन, पृ० 543, नमाज़ की शान के बयान में।

हज़रत ग़ौसुल आज़म शेख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी रह्मतुल्लाहि अलैहि जो बड़े पीर साहब के नाम से मशहूर हैं, वह बे-नमाज़ी के लिए क्या फ़रमाते हैं, जरा इस को भी सुन लीजिए-

जो आदमी नमाज़ को फ़र्ज़ जानता है मगर सुस्ती और ग़फ़लत की वजह से उसे अदा नहीं करता, उसे नमाज़ के लिए बुलाया जाए। अगर बुलाने पर हाज़िर न हो और नमाज़ का वक़्त तंग हो जाए, तो वह काफ़िर है। अगर उसे लगातार तीन दिन तक बुलाया जाए, फिर भी न आए, तो उसे तलवार से क़त्ल करना जायज़ है। ऐसा आदमी इन दोनों हालतों में मुर्तद है, मुसलमानों को ऐसे आदमी का माल लूट लेना जायज़ है, उसे बैतुलमाल में दाख़िल कर लें, उस के जनाज़े पर नमाज़ न पढ़ें, न ही उसे मुसलमानों के क़ब्रस्तान में दफ़न होने दें।

हवाला – ग़ुन्यतुत्तालिबीन, पृ० 543, नमाज़ की शान के बयान में।

यह है उस बुज़ुर्ग हस्ती का फ़त्वा, जिन का ये नारा लगाते हैं कि ग़ौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, दामन भी पकड़ना है और नमाज़ भी नहीं पढ़नी है। ये दोनों बातें कैसे निभ सकती हैं। अगर दामन पकड़ना है तो तमाम बुराइयों को छोड़ दो और नमाज़ के पाबन्द बन जाओ, सिर्फ़ नारा लगाने से दामन हाथ में नहीं रहेगा। समझे मेरे भोले भैया !

हदीस – हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने, अल्लाह तआला फ़रमाता है–

मैं अपने बन्दे के साथ हूं, जबकि वह मुझ को याद करता है और उस के दोनों होंठ मेरे ज़िक्र से हरकत करते है।

हवाला –1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 375, हदीस 2160, ज़िक्रे इलाही के बयान में,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 256, ज़िक्रे इलाही के बयान में।

क़ुरआन करीम के छब्बीसवें पारे में, सूरः क़ाफ़ के दूसरे रुकूअ में, आयत न० 16 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – और हम उस की रगे जां से भी ज़्यादा उससे क़रीब हैं।

इतने क़रीब वाले को छोड़ कर दूर वालों को पुकारना और उनके नाम के नारे लगाना, हाजतरवा और मुश्किल कुशा समझना, जहालत नहीं तो और क्या है ?

अल्लाह तआला बयान फ़रमा रहा है कि वही इंसान का पैदा करने वाला है और उसका इल्म तमाम चीज़ों को घेरे हुए है, यहां तक कि इंसान के दिल में जो भले-बुरे ख़्यालात पैदा होते हैं, उन्हें भी जानता है और हम उस की रगे जां से भी ज़्यादा उसके नज़दीक हैं।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 26, पृ० 95, सूरः क़ाफ़ के दूसरे रुकूअ की तफ़्सीर में।

क़ुरआन शरीफ़ के तेरहवें पारे में सूरः रअद के चौथे रुकूअ में आयत न० 28 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – जो लोग ईमान ले आए, उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से इत्मीनान हासिल करते हैं। याद रखो अल्लाह के ज़िक्र ही से दिलों को तसल्ली होती है।

जो अल्लाह की तरफ झुके, उससे मदद चाहे, उस की तरफ आजिज़ी करे, वह हिदायत पाने वाला हो जाता है। जिनके दिल में ईमान जम गया, जिनके दिल अल्लाह की तरफ झुकते हैं, अल्लाह के ज़िक्र से इत्मीनान हासिल करते हैं, राजी व खुश हो जाते हैं और अल्लाह का ज़िक्र दिल के इत्मीनान की चीज़ भी है। ईमानदारों, नेक लोगों के लिए खुशी और नेक फ़ाली और आंखों की ठंडक अल्लाह का ज़िक्र है, उनका अंजाम अच्छा है, ये मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं, ये भलाई को समेटने वाले हैं। इनका अल्लाह की तरफ लौटना बेहतर होगा।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 13, पृ० 42, सूरः रअ़द के चौथे रुकूअ की तफ़्सीर में।

मुस्नद अहमद के हवाले से लिखा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से एक आदमी ने पूछा, कि कौन-सा मुजाहिद अफ़्जल है? आपने फ़रमाया, सब से ज़्यादा ख़ुदा का ज़िक्र करने वाला।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 22, पृ० 8, सूरः अह्जाब के पांचवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

मेरे अज़ीज़ दोस्त! हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अलैहिम अजमईन, ताबिअ़ीन, मुहद्दिसीने किराम, इमामाने दीन, बुज़ुर्गाने उम्मत, औलियाअल्लाह, पीराने पीर, ख़्वाजा साहब, निज़ामुद्दीन औलिया, साबिर पिया, मीरान शाह, दावल शाह, हाजी मलंग शाह, दातार बापू, ग़ैबन शाह, कमाल शाह, जमाल शाह, जलाल शाह, ज़ाहिर शाह, बातिन शाह, रोशन शाह रहिमहुमुल्लाहु तआला, कोई भी हो, तमाम सलफ़े सालिहीन का यही तरीक़ा था कि उठते-बैठते, चलते-फिरते, खाते-पीते, हर वक़्त अल्लाह ही का ज़िक्र करते थे, अल्लाह ही का नाम उनकी ज़ुबानों से बुलंद होता था, अन्दर-बाहर, गली-बाजार, बस्ती-शहर, आबादी, जंगल, मस्जिद, खानकाह और इबादतगाह भी उनके ख़ुदाई नारों से गूंजती थी और हम उन महबूब और बन्दगाने खुदा की राह तो छोड़ बैठे और ख़ुदा के बजाए खुद उन बुज़ुर्गों के नाम के नारे लगाने लगे। बताइए, यह जहालत किस क़दर घटा टोप है। इस जहालत पर ले जाने वाले यही जेब भरू पीर और उनके मुरीद और पेट भरू मौलवी और उन के मुक़्तदी ही तो हैं, समझे मेरे भोले भैया!

मुस्नद अहमद के हवाले से लिखा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि जो लोग अल्लाह का जलाल, उसकी तस्बीह, उस की हम्द, उस की बड़ाई, उस की वह्दानियत का ज़िक्र करते रहते हैं, उन के लिए ये ज़िक्र के कलिमात अर्श के आस-पास ख़ुदा के सामने उन का ज़िक्र करते रहते हैं। क्या तुम नहीं चाहते कि कोई न कोई तुम्हारा ज़िक्र भी तुम्हारे रब के सामने करता रहे?

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 26, पृ० 28, सूरः फ़त्ह के दूसरे रुकूअ की तफ़्सीर में।

लड़ाई के अन्दर हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु की उंगलियां कट जाती हैं, तो उस वक़्त उनकी ज़ुबान से 'हिस' निकल गया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अगर

तुम बिस्मिल्लाह कह देते या अल्लाह का नाम ले देते, तो तुम्हें फ़रिश्ते उठा लेते और आसमान की बुलन्दी की तरफ़ ले चलते और लोग देखते रहते।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 4, पृ० 36, सूरः आले इम्रान के सोलहवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तआला से सवाल किया कि तुझे अपने तमाम बन्दों से ज़्यादा प्यारा कौन है ? जवाब मिला कि जो हर वक़्त मेरी याद में रहे और मुझे न भूले।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 15, पृ० 111, सूरः कह्फ़ के नवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

ऐ अज़ीज़ मेरे ! आज मुसलमान भाइयों ने अल्लाह को खुश करना छोड़ दिया और हक़परस्तों को जलाने के लिए अल्लाह के सिवा दूसरों के नाम उनको सुना-सुना कर ज़ोर-ज़ोर से पुकारते हैं, मगर यह नहीं सोचते कि ऐसी पुकारें लगाने का आख़िर अंजाम क्या होगा ?

हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फ़रमाती हैं कि जहन्नम में से एक गरदन निकलेगी क़ियामत के दिन और घेरेगी और सख़्त ग़ैज़ व ग़ज़ब में होगी और कहेगी कि मैं तीन क़िस्म के लोगों के लिए भेजी गयी हूं-

1. एक तो वे लोग, हैं, जो अल्लाह के सिवा दूसरों को पुकारते रहते हैं,
2. दूसरे वे लोग, जो हिसाब के दिन पर ईमान नहीं लाते, और,
3. तीसरे हर सरकश, ज़िद्दी, घमंडी पर, फिर तो वह उन्हें समेट लेगी और चुन-चुन कर अपने पेट में डाल लेगी।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 17, पृ० 43, सूरः हज के पहले रुकूअ की तफ़्सीर में।

क़ुरआन करीम के पन्द्रहवें पारे में, सूरः बनी इस्राईल के पांचवें रुकूअ में, आयत न० 44 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा – सातों आसमान और ज़मीन, और जो भी उन में है, उसकी तस्बीह कर रहे हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं हैं, जो उसे पाकीज़गी और तारीफ़ के साथ याद न करती हो, लेकिन तुम उनकी तस्बीह बयान करने को समझ नहीं सकते, वह बड़ा हलीम और बड़ा ग़फ़ूर है।

सातों आसमान और ज़मीन और उन में बसने या रहने वाली कुल मख़्लूक़, उस की क़ुद्दूसियत, तस्बीह, ताज़ीम, जलालत, बुज़ुर्गी, बड़ाई, पाकीज़गी और तारीफ़ बयान करती है और जो मुश्रिकीन, निकम्मे और बातिल औसाफ़ जाते ख़ुदा के लिए मानते हैं, उन से तमाम मख़्लूक़ बराअत का इज़्हार करती है और उसकी यकताई और रबूबियत में उसे वाहिद और ला शरीक मानती है। हर हस्ती ख़ुदा की तौहिद की ज़िंदा गवाही है, इन नालायक़ लोगों की बातों से मख़्लूक़ तक्लीफ़ में है। क़रीब है कि आसमान फट जाए, जमीन धंस जाए और पहाड़ टूट जाएं।

हवाला – तफ्सीरे इब्ने कसीर, पारा 15, पृ० 46, सूरः बनी इस्राईल के पांचवें रुकूअ की तफ्सीर में।

ऐ अज़ीज़ दोस्त मेरे! ज़मीन व आसमान और जो कुछ उनमें है, सबके सब अल्लाह की तस्बीह और पाकीज़गी बयान करते हैं और इंसानों में से जब कोई अल्लाह के सिवा दूसरे की तस्बीह पढ़ता है यानि नारे लगाता है, तो खुद ख़ुदा और ख़ुदा की बनायी हुई, तमाम चीज़ें उस इंसान से नाराज हो जाती हैं।

कुरआन करीम के बाईसवें, पारे में, सूरः अह्ज़ाब के छठे रुकूअ में आयत न० 41 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – ऐ ईमान वालो ! तुम अल्लाह को ज़्यादा से ज़्यादा याद करते रहो।

अल्लाह को ज़्यादा से ज़्यादा याद करने का मतलब यह है कि आदमी की ज़ुबान पर हर वक़्त ज़िंदगी के हर मामले में किसी न किसी तरह ख़ुदा का नाम आता रहे। यह कैफ़ियत इंसान पर उस वक़्त तक नहीं होती, जब तक उस के दिल में ख़ुदा का डर बस कर न रह गया हो। इंसान के शऊर से गुज़र कर उस के तहतश-शऊर और ला शऊर तक में जब यह ख़्याल गहरा उतर जाता है, तभी उस का यह हाल होता है कि जो काम और जो बात भी वह करेगा, उस में ख़ुदा का नाम ज़रूर आएगा। खाएगा तो बिस्मिल्लाह कह कर खाएगा, फ़ारिग़ होगा तो अल-हम्दु लिल्लाह कहेगा, सोएगा तो अल्लाह की याद कर के और उठेगा तो अल्लाह का नाम लेते हुए, बात-चीत में बार-बार उस की ज़ुबान से बिस्मिल्लाह, अल-हम्दु लिल्लाह, इन्शाअल्लाह, माशाअल्लाह और इसी तरह के दूसरे कलिमात निकलते रहेंगे। अपने हर मामले में अल्लाह से मदद मांगेगा, हर नेमत मिलने पर उसका शुक्र अदा करेगा, हर आफ़त आने पर उस की रहमत का तलबगार होगा, हर मुश्किल में उस से रुजुअ करेगा, हर बुराई का मौका आने पर उस से डरेगा, हर क़ुसूर सरज़द हो जाने पर उससे माफ़ी चाहेगा, हर ज़रूरत पेश आने पर उससे दुआ मांगेगा, ग़रज उठते-बैठते और दुनिया के सारे काम-काज करते हुए उसका वज़ीफ़ा, ख़ुदा ही का ज़िक्र होगा। यह चीज़ हकीकत में इस्लामी ज़िंदगी की जान है। दूसरी जितनी इबादतें हैं, उन के लिए बहरहाल कोई वक़्त होता है, जब वे अदा की जाती हैं और उन्हें अदा कर चुकने के बाद आदमी फ़ारिग़ हो जाता है, लेकिन यह वह इबादत है जो हर वक़्त जारी रहती है और यही इंसान की ज़िंदगी का मुस्तकिल रिश्ता अल्लाह और उस की बन्दगी के साथ जोड़े रखती है, खुद इबादतों और तमाम दीनी कामों में भी जान इसी चीज़ से पड़ती है कि आदमी का दिल सिर्फ़ उन ख़ास आमाल के वक़्त ही नहीं, बल्कि हर वक़्त ख़ुदा की तरफ़ झुका रहे और उसकी ज़ुबान हमेशा उस ज़िक्र से तर रहे।

ऐ अज़ीज़ दोस्त मेरे ! अल्लाह तआला अपने ईमानदार बन्दों को इर्शाद फ़रमा रहा है कि तुम मुझे खूब याद करते रहो, एक आन भी मेरी याद से ग़ाफ़िल न रहो और अल्लाह तआला को याद करने पर जो इनाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बयान फ़रमाये हैं, उन को

सुनिये–

हदीस – हज़रत अबूज़र रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि–

क्या मैं तुम को वह कलिमा बता दूं जो ख़ुदा के नज़दीक सब से ज़्यादा प्यारा और महबूब है? मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! ज़रूर बतला दीजिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, ख़ुदा के नज़दीक सब से ज़्यादा प्यारा कलिमा 'सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही' है।

हवाला – सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 201, हदीस 1004, बाब 467, दुआ का बयान।

मेरे अज़ीज़ ! हिन्दुस्तान की जहालत ने कुछ मुसलमानों को किस क़दर जाहिल बना दिया है कि अपने आप को आशिके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कहते हैं और दावा मुहब्बत का करते हैं और जो काम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने किये और करने का हुक्म फ़रमाया, उसको नहीं करते हैं और जेब भरू पीर और पेट भरू मौलवियों के कहने पर चलते हैं। शरीअत को छोड़ कर अपनी नफ़्सानियत पर चलते हैं और कुछ सोचते नहीं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खुद भी बैठते, लेटते, चलते-फिरते ख़ुदा-ए-वाहिद (एक अकेले खुदा) ही को याद करते थे।

क़ुरआन शरीफ़ के उन्तीसवें पारे में, सूरः जिन्न के दूसरे रुकूअ में, आयत न० 20 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – तू कह दे कि मैं तो सिर्फ़ अपने रब ही को पुकारता हूं और उस के साथ किसी को शरीक नहीं करता।

अल्लाह तआला अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ज़ुबाने मुबारक से कहलवा रहा है कि कह दो कि मैं तो सिर्फ़ अकेले अल्लाह ही को पुकारता हूं।

हदीस – हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हर हाल में अल्लाह के ज़िक्र (याद) में लगे रहते थे।

हवाला – 1. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 60, हदीस 317, बाब 134, हुज़ूर सल्ल० का हर हाल में ज़िक्रे इलाही करना,
2. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 288, हदीस 1236, दुआ का बयान।

हदीस – हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास बैठे थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया–

क्या तुम में से कोई आदमी हज़ार नेकियां हासिल नहीं कर सकता? हाज़िर लोगों में से एक आदमी ने कहा, हम में से कौन एक हज़ार नेकियां हासिल कर सकता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, एक सौ बार सुब्हानल्लाह पढ़ो, तुम्हारे लिए एक हज़ार नेकियां

लिखी जाएंगी और एक हज़ार गुनाह दूर किये जाएंगे।

हवाला –1. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 197, हदीस 972, बाब 456, ज़िक्र का बाब,

2. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 312, हदीस 1314, दुआ का बयान,
3. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 379, हदीस न० 2174, तस्बीह व तह्मीद का बयान,
4. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 275, तस्बीह व तह्मीद का बयान।

– हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जिसने 'सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही' एक दिन भी एक सौ बार पढ़ा, तो उस के तमाम गुनाह मिटाये जाएंगे, अगरचे दरिया के झागों के बराबर हों।

हवाला –1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 26, पृ० 306, हदीस न० 1324, दुआ का बयान,

2. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 312, हदीस न० 1317, दुआ आ बयान,
3. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 378, हदीस 2171, ख़ुदा–ए–तआला के नामों का बयान,
4. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 275, तस्बीह व तह्मीद का बयान।

क़ुरआन शरीफ़ के चौबीसवें पारे में सूरः मुअ्मिन के दूसरे रुकूअ में आयत न० 20 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – और ख़ुदा के सिवा जिन को ये लोग पुकारते हैं, वे किसी तरह का भी फ़ैसला नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ही सब कुछ सुनने वाला है'।

जो लोग अल्लाह के सिवा दूसरों को पुकारते हैं, चाहे वे बुत और तस्वीरें हों या और कुछ हों, किसी चीज़ के मालिक नहीं, उन की हुकूमत ही नहीं, तो हुक्म और फ़ैसले करेंगे ही क्या? अल्लाह अपनी मख़्लूक़ की बातों को सुनता है और उन के हालात को देख रहा है। जिसे चाहे राह दिखाता है, जिसे चाहे गुमराह करता है। उस का इस में भी पूरा अद्ल और इंसाफ़ है।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 24, पृ० 36, सूरः मुअ्मिन के दूसरे रुकूअ की तफ़्सीर में।

मेरे प्यारे दोस्त! यह न समझना कि ये आयतें तो उन लोगों के लिए उतरी हैं, जो अल्लाह तआला को नहीं मानते थे, या जानते नहीं थे। अगर यह ख़्याल आप के दिल में आए, तो ग़लत है, इस को दिल से निकाल देना। ये आयतें, जिन के बारे में उतरी हैं, वे भी ख़ुदा को बराबर मानते थे और यह भी जानते थे कि ख़ुदा के हुक्म के सिवा कोई कुछ भी नहीं कर सकता? मगर फिर भी ताज़ीम व तक़र्रुब में दूसरों को ऐसे ही समझते और मानते थे, जिस तरह आज

हिन्दुस्तान के कुछ मुसलमान भाई वलियों को मानते हैं, जिन का बयान तफ़्सील के साथ हम इन्शाअल्लाह आगे करेंगे।

क़ुरआन शरीफ़ के पच्चीसवें पारे में सूरः ज़ुख़रुफ़ के चौथे रुकूअ में, आयत न॰ 36-37 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - और जो आदमी अल्लाह की याद से ग़फ़लत करे, हम उस पर एक शैतान मुक़र्रर कर देते हैं, वही उस का साथी रहता है और वे शैतान उन को सीधे रास्ते से रोकते रहते हैं और वे समझते हैं कि हम सीधे रास्ते पर हैं।

ऐ मेरे अज़ीज़ दोस्त ! अल्लाह तआला की तरफ़ से इर्शाद हो रहा है कि जो आदमी उस रहीम व करीम के ज़िक्र से ग़फ़लत और बे-परवाई करे, उस पर शैतान मुसल्लत कर दिया जाता है।

एक तो है शैतान का मुसल्लत होना। अगर शैतान हम पर मुसल्लत हो जाए, तो अल्लाह तआला उस को हटा सकते हैं और दूसरी बात है अल्लाह की तरफ़ से मुसल्लत करना अगर अल्लाह की तरफ़ से किसी इंसान पर शैतान मुसल्लत कर दिया गया तो अब उस को कोई नहीं हटा सकता।

हदीस - हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने, जो आदमी ज़िक्रे इलाही करता है और जो आदमी ज़िक्र इलाही नहीं करता, वह ज़िंदा और मुर्दा के मानिंद हैं।

हवाला -1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ॰ 371, हदीस न॰ 2139, अल्लाह के ज़िक्र का बयान,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ॰ 248, अल्लाह के ज़िक्र का बयान।

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह के सिवा किसी कलाम की कसरत न करो, क्योंकि अल्लाह के ज़िक्र के सिवा कलाम की कसरत दिल को सख़्त कर देती है और अल्लाह से ज़्यादा दूर वह है जो सख़्त दिल है।

हवाला - तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ॰ 55, हदीस न॰ 275, ज़ोह्द का बयान।

क़ुरआन शरीफ़ के चौदहवें पारे में, सूरः नह्ल के चौदहवें रुकूअ में, आयत न॰ 104 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - जो लोग अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं रखते, उन्हें अल्लाह की तरफ़ से भी रहनुमाई नहीं होती और उन के लिए दर्दनाक अज़ाब है।

जो अल्लाह के ज़िक्र से मुंह मोड़े, ख़ुदा की किताब से ग़फ़्लत करे, ख़ुदा की बातों यानी

आयतों पर ईमान लाने का इरादा ही न करे, ऐसे लोगों को ख़ुदा भी दूर डाल देता है। उन्हें दीने हक़ की तौफ़ीक़ ही नहीं होती और आख़िरत में सख्त दर्दनाक अज़ाब में फंसेंगे।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 14, पृ० 58, सूरः नह्ल के चौदहवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

ऐ अज़ीज़ दोस्त मेरे! अब आइए आख़िरी नसीहत में आप को आयतें और हदीसें और फ़ुक्हा-ए-किराम का फ़त्वा सुना दूं, फिर आप अपनी मर्ज़ी के मुख़्तार हैं, चाहे शरीअत पर अमल करें, चाहे अपनी जहालत पर, चाहे अपने जेब भरू पीर और पेट भरू मौलवियों के कहने पर।

क़ुरआन शरीफ़ के चौथे पारे में, सूरः आले-इम्रान के बीसवें रुकूअ में, आयत न० 191 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है।

तर्जुमा – जो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं खड़े और बैठे और अपनी करवटों पर लेटे हुए।

मेरे अज़ीज़ दोस्त! अल्लाह तआला अपने अक़्लमंद बन्दों की ख़ूबी बयान कर रहा है कि वे उठते-बैठते और लेटते अल्लाह का नाम लिया करते हैं और हमारी जहालत देखिए कि ख़ुदावन्दे करीम के बताये हुए क़ानून के खिलाफ़ उठते-बैठते और लेटते, या रसूलल्लाह, या ग़ौस, या मुश्किलकुशा, या हुसैन, या ख़्वाजा या दातार, या ग़ैबन शाह, या दावल शाह या मीरान शाह वग़ैरह-वग़ैरह के नाम लेते हैं। ऐ अज़ीज़! अपने दिल में यह ख़्याल भी न लाना कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की या औलिया अल्लाह की हमारे दिल में मुहब्बत नहीं है। अगर इन बुज़ुर्गों की मुहब्बत मेरे दिल में न होती, तो मुझे आप साहिबों को समझाने की कोई ज़रूरत ही न पड़ती, लेकिन मुझे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुहब्बत ही मजबूर कर रही है, क्योंकि आपने हदीस में फ़रमाया है।

हदीस – हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को फ़रमाते हुए सुना कि अललाह तआला उस आदमी को शादकाम और कामियाब रखे, जिसने हम से हदीसें सुन कर याद कर लीं और जिस तरह उन्हें सुना था, उसी तरह दूसरों तक पहुंचा दिया, क्योंकि बहुत-से लोग जिन के पास हदीसें पहुंचायी जाती हैं, वे पहुंचाने वाले से बेहतर अक़्लमंद और समझदार होते हैं।

हवाला – तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 105, हदीस न० 517, इल्म का बयान।

इस हदीस को नज़रों में रख कर अल्लाह की रहमत के सहारे पर आप को क़ुरआन करीम की आयतें और हदीसें सुना-सुना कर समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि शायद आप की समझ में शरीअत की बातें आ जाएं और आप जहालत से बच जाएं। इस नीयत से ये सारी मेहनतें और कोशिशें हो रही हैं।

मुस्नद अहमद के हवाले से लिखा है कि किसी आदमी ने आप से कहा, ऐ मुहम्मद! ऐ हमारे सरदार और सरदार के लड़के! ऐ हम सबसे बेहतर और बेहतर के लड़के! तो आपने

फ़रमाया, लोगों! अपनी बात का खुद ख़्याल कर लिया करो। तुम्हें शैतान इधर-उधर न कर दे। मैं मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह हूं, मैं ख़ुदा का बंदा और उस का रसूल हूं। क़सम ख़ुदा की, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे मेरे मर्तबे से बढ़ा दो।

हवाला–1. तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 6, पृ० 26, सूरः निसा के तेईसवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

2. सीरतुन्नबी सल्ल०, जिल्द 4, पृ० 424 ।

मेरे अज़ीज़ दोस्त ! ख़ूब सोच कि कहने वाले ने कोई खोटी या बुरी बात तो नहीं कही थी, फिर भी उस को रोक दिया गया, क्योंकि अगली उम्मतों की गुमराही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की आंखों के सामने फिर रही थी। उन में इसी तरह धीरे-धीरे गुमराही फैली थी, जैसा कि आजकल हिन्दुस्तान में फैल रही है।

जो लोग गुमराह हुए और हो रहे हैं, उन में से अक्सर नबियों और वलियों की मुहब्बत ही में हुए हैं, शैतान उन को ऐसी पट्टी पढ़ाता है कि वह इन बुज़ुर्गों को अल्लाह के रुत्बे और मर्तबे के बराबर समझने लगते हैं, जैसे इल्म में, क़ुदरत में और तसर्रुफ़ वग़ैरह में।

एक आदमी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से आ कर कहा कि जो ख़ुदा चाहे और जो तुम चाहो, वह होगा, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि तूने मुझे अल्लाह का शरीक बना दिया, बल्कि यों कह कि अकेला अल्लाह चाहे वह होगा।

हवाला–1. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 41, किताबुल ईमान, बाबुल कबाइर,

2. तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 1, पृ० 75, सूरः बक़रः के तीसरे रुकूअ की तफ़्सीर में।

इसी तरह मक्का वाले भी गुमराह हुए, क्योंकि वे जिन-जिन को उठते-बैठते और लेटते पुकारते थे, वे भी किसी न किसी ज़माने के बुज़ुर्ग थे, जिन को नफ़ा और नुक्सान में मददगार और हाज़िर व नाज़िर समझ कर पुकारते थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम सिर्फ़ एक अकेले अल्लाह ही को पुकारते थे।

मक्का के इन मुश्रिकों को एक अल्लाह का पुकारना बहुत बुरा लगता था और बिल्कुल यही हालत आज हमारे हिन्दुस्तान के जाहिल मुसलमान भाइयों की है।

शिर्क का असली नुक़्सान यह है कि ख़ुदा से इंसान को जिस दर्जे का ताल्लुक, जिस किस्म का इज्ज़ व नियाज़, जिस मर्तबे की मुहब्बत, जिस दर्जे की इल्तिजा चाहिए है, उस का रुख दूसरी तरफ़ बदल जाता है। हज़ारों-लाखों आदमी हैं, जो अच्छी तरह जानते हैं कि देवता कायनात और ज़मीन व आसमान के पैदा करने वाले नहीं हैं, फिर भी वे हर क़िस्म की ज़रूरतें और मुरादें उन्हीं देवताओं और माबूदों से मांगते हैं, उन्हीं को हाजत रवा जानते हैं, उठते-बैठते

उन्हीं का नाम लेते हैं, उन्हीं पर नज़्र व नियाज़ चढ़ाते हैं, मतलब यह है कि सीधा उन का जो ताल्लुक होता है, उन्हीं माबूदों से होता है, खुद मुसलमानों में हज़ारों-लाखों आदमियों का तर्ज़े अमल अंबिया व सुलहा बल्कि मज़ारात की निसबत इस के क़रीब-क़रीब है। इस वजह से सब से मुक़द्दम मामला यह है कि माबूदों की निसबत इस क़िस्म का ख़्याल न पैदा होने पाए, बल्कि साफ़-साफ़ बता दिया जाए कि ख़ुदा के आगे किसी की कुछ नहीं चल सकती और उस की मर्ज़ी में कोई हाथ नहीं डाल सकता।

हवाला – सीरतुन्नबी, जिल्द 4, पृ० 425 ।

क़ुरआन करीम के चौबीसवें पारे में, सूरः मोमिन के दूसरे रुकूअ में, आयत न० 11-12 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा – वे लोग कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार! आप ने हम को दो बार मुर्दा रखा और दो बार ज़िंदगी दी, सो हम अपनी ख़ताओं का इकरार करते हैं। तो क्या (यहां से) निकलने की कोई शक्ल है? (जवाब मिलेगा कि) यह अज़ाब तुम्हें इसलिए है कि जब सिर्फ़ अकेले ख़ुदा का नाम लिया जाता था, तो तुम इंकार करते थे और उसके साथ किसी को शरीक किया जाता था, तो तुम मान लेते थे। सो (इस पर) यह फ़ैसला अल्लाह का है जो आलीशान और बड़े रुत्बे वाला है।

अल्लाह तआला की कामिल क़ुदरत को बयान किया कि अल्लाह तआला! हम मुर्दा थे, तू ने हमें ज़िंदा कर दिया, फिर मार डाला, फिर ज़िंदा कर दिया पस तू हर उस चीज़ पर जिसे तू चाहे क़ादिर है, हमें अपने गुनाहों का इक़रार है, यक़ीनन हम ने अपनी जानों पर ज़ुल्म व ज़्यादती की, अब बचाव की कोई शक्ल बना दे, यानी हमें दुनिया की तरफ़ फिर लौटा दे, जो यक़ीनन तेरे बस में है, हम वहां जा कर अपने पहले अमल के ख़िलाफ़ अमल करेंगे, अब अगर हम वही काम करें, तो बेशक हम ज़ालिम हैं। उन्हें जवाब दिया जाएगा कि अब दुनिया में जाने की कोई राह नहीं, इसलिए कि अगर दोबारा चले भी जाओगे, तो फिर भी वहीं करोगे जिस से मना किये जाओगे, तुम ने अपने दिल ही टेढ़े कर लिए हैं, तुम अब भी हक़ को क़ुबूल न करोगे बल्कि उस के ख़िलाफ़ ही करोगे, तुम्हारी तो यह हालत थी कि जहां एक ख़ुदा का ज़िक्र आया और तुम्हारे दिल में कुफ़्र समाया, हां उसके साथ किसी को शरीक किया जाए, तो तुम्हें यक़ीन व ईमान आ जाता था, यही हालत फिर तुम्हारी हो जाएगी, दुनिया में अगर दोबारा गये, तो दोबारा यही करोगे, पस हक़ीक़ी हाकिम, जिस के हुक्म में कोई ज़ुल्म न हो, सरासर अदल व इंसाफ़ ही हो, वह अल्लाह तआला ही है, जिसे चाहे हिदायत दे, जिसे चाहे न दे, जिस पर चाहे रहम करे, जिसे चाहे अज़ाब करे, उस के हुक्म व अद्ल में कोई उस का शरीक नहीं। वह ख़ुदा अपनी क़ुदरतें लोगों पर ज़ाहिर करता है, ज़मीन व आसमान में उस की तौहीद की अनगिनत निशानियां मौजूद हैं, जिससे साफ़ ज़ाहिर है कि सब को पैदा

करने वाला, सब का मालिक, सब का पालने वाला और हिफ़ाज़त करने वाला वही है, वह आसमान से रोज़ी यानी बारिश नाज़िल फ़रमाता है, जिस से हर किस्म के अनाज की खेतियां और तरह-तरह के अजीब-अजीब मज़े के अलग-अलग रंग-रूप और शक्ल व बनावट के मेवे और फल-फूल पैदा होते हैं, हालांकि पानी एक, जमीन एक, पस इस से भी उस की शान ज़ाहिर है। सच तो यह है कि इबरत व नसीहत, फ़िक्र व ग़ौर की तौफ़ीक़ उन्हीं को होती है, जो ख़ुदा की तरफ़ रग़बत व रुजूअ़ करने वाले हों।

हवाला – तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 24, पृ० 33, सूरः मुअ्मिन के दूसरे रुकूअ की तफ़सीर में।

उन लोगों की हालत बयान हो रही है कि जो अल्लाह के साथ दूसरों को हर जगह पर हाज़िर व नाज़िर और नफ़ा व नुक़्सान में मददगार समझ कर पुकारते थे। उन से क़ियामत के दिन अल्लाह तआला पूछेगा कि तुम ने मेरा शरीक क्यों किया ! मैंने तो इस को क़ुरआन शरीफ़ में और अपने हबीब रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ज़ुबानी भी तुमको समझा दिया था, वे लोग जवाब में कहेंगे कि फिर दोबारा हम को दुनिया में भेज, अब हम शिर्क नहीं करेंगे, तो अल्लाह तआला कहेगा कि तुम्हारी तो यह हालत थी कि जब किसी ने जहां एक अकेले ख़ुदा का नाम लिया, तो तुम्हारे दिल में कुफ़्र समाया और अगर कोई शिर्क करता, तो तुम्हें यकीन आ जाता कि यह सच्चा है।

मेरे प्यारे दोस्त ! यही हालत आज हमारे हिन्दुस्तान के जाहिल मुसलमान भाइयों की है और इस बला व मुसीबत में अपने आप को पीर और मौलवी कहलाने वाले भी मुब्तला हैं, यानी जब कोई मुसलमान भाई उठते-बैठते या अल्लाह, या ख़ुदा या उसका और कोई नाम लेता है, तो फ़ौरन उस पर वह्हाबी या ग़ैर-मुकल्लिद का टाइटिल लगा देते हैं और जो या रसूल, या ग़ौस या ख़्वाजा, या मुश्किल कुशा, या हुसैन, या दातार, या ग़ैबन शाह, या दावल शाह, या मलंगशाह, या कलियर शाह, बहरहाल ख़ुदा को छोड़ कर किसी नबी या किसी वली का नाम उठते-बैठते ले लिया करे, उसी को सुन्नी समझते हैं, इस जहालत की भी कोई हद है।

क़ुरआन शरीफ़ के चौबीसवें पारे में, सूरः मुअ्मिन के दूसरे रुकूअ की आयत न० 14 में, अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है।

तर्जुमा – तुम अल्लाह ही को ख़ालिस एतक़ाद करके पुकारो, गो काफ़िर लोग बुरा मानें।

मेरे प्यारे दोस्त ! जो इंसान उठते-बैठते ख़ुदा के सिवा दूसरों को पुकारते हैं, वे लोग जब बीमार हो जाते हैं, और हर इलाज से वे ला-इलाज हो जाते हैं इलाज कराने से, मन्नतें मानने से यानी जब ग़ौसे पाक, ख़्वाजा साहब, ग़ैबन शाह, दावल शाह, पीरान शाह, मलंग शाह वग़ैरह-वग़ैरह सब से ना-उम्मीद हो जाते हैं, उस वक़्त यहीं लोग इन तमाम को यानी जिन-जिन को पुकारते हैं, सब को भूल जाते हैं और एक अल्लाह ही याद आने लगता है। चारपाई पर

जब मायूस हो कर पड़ जाते हैं और उठने-बैठने से भी लाचार हो जाते हैं, उस वक़्त वही ख़ुदा याद आता है, जिसने तमाम नबियों और वलियों को पैदा किया और उन की मुश्किलें भी हल कीं और उनकी परेशानियां भी दूर कीं और जब वे बीमार हुए तो उन को शिफ़ा भी बख़्शी वही ख़ुदा उस वक़्त याद आ जाता है तब वह अल्लाह को पुकारते हैं।

क़ुरआन शरीफ़, के ग्यारहवें पारे में, सूरः यूनुस के दूसरे रुकूअ् में, अयात न० 12 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – जब इंसान को कोई तक्लीफ़ पहुंचती है, तो हम को पुकारने लगता है, लेटे भी, बैठे भी, और खड़े भी। फिर जब हम उस की तक्लीफ़ हटा देते हैं, तो फिर अपनी पहली हालत पर आ जाता है कि गोया जो तक्लीफ़ उस को पहुंची थी, उस के हटाने के लिए उस ने हम को पुकारा ही न था।

यानी जब इंसान को कोई तक्लीफ़ पहुंचती है, तो उस वक़्त बड़ी लम्बी-लम्बी दुआएं करने लगता है, हर वक़्त उठते-बैठते-लेटते अल्लाह ही से अपनी तक्लीफ़ दूर करने की इल्तिजाएं करता रहता है और जब दुआ क़ुबूल हुई और तक्लीफ़ दूर हुई, तो ऐसा मालूम होता है गोया वह बीमार ही न हुआ था और दुआ भी न मांगी थी और उसी पहली हालत पर आ जाता है जैसा कि पहले ग़फ़लत में था।

क़ुरआन शरीफ़ के पांचवें पारे में, सूरः निसा के पन्द्रहवें रुकूअ में, आयत न० 103 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – जब तुम नमाज़ अदा कर चुको, तो उठते-बैठते और लेटते अल्लाह का ज़िक्र करते रहो।

हदीस – हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि जो आदमी बैठा किसी मज्लिस में (या किसी और जगह) और नहीं ज़िक्र किया अल्लाह का वहां पर, तो उसका वहां बैठना अल्लाह की तरफ़ से, इस पर अफ़सोस और घाटा होगा। और जो आदमी लेटा अपने बिस्तर पर और नहीं ज़िक्र किया अल्लाह का तो उस पर अल्लाह की तरफ़ से अफ़सोस और टोटा होगा।

हवाला –1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 374, हदीस 2148, अल्लाह के ज़िक्र में,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 254, अल्लाह के ज़िक्र में।

यानी हर हाल में उठते-बैठते, सोते और जागते और दिन व रात अल्लाह के ज़िक्र में लगा रहना चाहिए और जो वक़्त ज़िक्र से खाली होगा, हसरत और नदामत की वजह बनेगा क़ियामत में।

हवाला – मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 254, अल्लाह का ज़िक्र।

हदीस – हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुस्र रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं–

एक देहाती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ करने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! इस्लाम में नेक आमाल का तरीक़ा बहुत कसरत से हो गया है, इसलिए मेरे वास्ते ऐसा अमल बता दीजिए, जिस को मैं हर वक़्त (उठते-बैठते-लेटते) करता रहूं। आप ने फ़रमाया, अपनी ज़ुबान हमेशा अल्लाह तआला के ज़िक्र से तर रख।

हवाला – इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 565, हदीस 3791, ज़िक्रे इलाही का बयान।

कुछ बातें शिर्क की तफ़्सीरे अज़ीज़ी के हवाले से लिखी हैं, उन में से एक यह भी है कि जो लोग सिवाए ख़ुदा के औरों (यानी ग़ैरों) को इबादत में बराबर ख़ुदा का करते हैं, वे यह हैं। बीच ज़िक्र के औरों को बराबर ख़ुदा का करते हैं और नाम औरों का मानिंद नाम ख़ुदा के तक़र्रुब के तरीक़े के ज़िक्र करते हैं, जैसे उठने-बैठने में खुदा के नाम की तरह औरों का नाम लेते हैं। (यह शिर्क है)

हवाला – मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 41, किताबुल ईमान बाबुल कबाइर।

अब जो अल्लाह के सिवा दूसरों को उठते-बैठते, लेटते पुकारते हैं, वे जिस को भी पुकारें, चाहे किसी नबी या वली या ग़ौस या क़ुत्ब को वे उसे हर जगह हाज़िर व नाज़िर देखने और सुनने और मदद करने वाला समझ कर पुकारते है, यह शिर्क है।

मालूम हुआ कि सुनने वाला और देखने वाला, जिस तरह अल्लाह की सिफ़त है, उसमें किसी मख़्लूक़ की मुशाबहत बिल्कुल नहीं। पस जिसने अल्लाह तआला की किसी सिफ़त को किसी मख़्लूक़ की सिफ़त से मिलाया, तो वह अल्लाह तआला से काफ़िर हुआ।

हवाला – ऐनुल हिदाया, जिल्द 1, पृ० 4, अक़ाइद का बयान।

हज़रत शाह वलिय्युउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रह्मतुल्लाहि अलैहि ने लिखा है–

'शिर्क शरअ़ में इस को कहते हैं कि जो सिफ़तें ख़ास बारी तआला की हैं, वह उसके ग़ैर में साबित करे यानी जैसा इल्म अल्लाह तआला को हर चीज़ का है और का इल्म भी ऐसा ही जाने और जैसे अल्लाह को क़ादिर जानता है हर चीज़ पर, वैसा और को भी जाने, जैसे वह तसर्रुफ़ रखता है आलम में अपने इरादे के साथ वैसे और को भी जाने।

हवाला – मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 41, किताबुल ईमान बाबुल कबाइर व अ़लामातिन्निफ़ाक़।

क़ुरआन शरीफ़ के दूसरे पारे में, सूर: बक़र: के बीसवें रुकूअ़ में, आयत न० 165 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ख़ुदा के शरीक औरों को ठहरा कर उन से ऐसी मुहब्बत करते हैं जैसी ख़ुदा से ईमानदार अल्लाह की मुहब्बत में बहुत सख़्त होते हैं।

इस आयत में मुश्रिकों का दुनियावी और उख़्वी हाल बयान हो रहा है। यह ख़ुदा का शरीक मुक़र्रर करते हैं, उस जैसा औरों को ठहराते हैं और फिर उन की मुहब्बत अपने दिल में ऐसी जमाते हैं जैसी ख़ुदा की होनी चाहिए, हालांकि वह माबूदे बरहक़ सिर्फ़ एक ही है, वह शरीक और साझी से पाक है।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 2, पृ० 18, सूर: बक़र: के बीसवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

क़ुरआन करीम के तीसरें पारे में, सूर: बक़र: के चौंतीसवें रुकूअ में, आयत न० 257, अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है।

तर्जुमा – ईमान वालों का कारसाज़ अल्लाह तआला ख़ुद है। वह उन्हें अंधेरे से रोशनी की तरफ़ ले जाता है और काफ़िरों के औलिया शयातीन हैं, वे उन्हें रोशनी से निकाल कर अंधेरे की तरफ़ ले जाते हैं। ये लाग जहन्नमी हैं, हमेशा उसी में पड़े रहेंगे।

अल्लाह तआला ख़बर देता है कि उस की रज़ामन्दी के तलबगार को वह सलामती की रहनुमाई करता है और शक व शुब्हे के, कुफ़्र व शिर्क के अंधेरों से निकाल कर हक़ के नूर की साफ़ रोशनी में ला खड़ा करता है कुफ़्फ़ार के वली शयातीन हैं, जो जहालत व गुमराही को कुफ़्र व शिर्क से सजा कर के उन्हें ईमान से और तौहीद से रोकते हैं और यों हक़ के नूर से हटा कर ना-हक़ की अंधेरियों में झोंक देते हैं। यही काफ़िर हैं और ये हमेशा दोज़ख़ में ही पड़े रहेंगे।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 3, पृ० 11, सूर: बक़र: के चौंतीसवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

हज़रत साय्यिदिना अब्दुल क़ादिर जीलानी रह्मतुल्लाहि अलैहि यानी बड़े पीर साहिब फ़रमाते हैं–

ऐ ग़ाफ़िल! उसी को चाह, जो तुझे चाहता है, उसी को तलब कर, जो तुझे तलब करता है उसी से मुहब्बत कर जो तुझ से मुहब्बत करता है और उसी का मुश्ताक़ बन जो तेरा मुश्ताक़ है, क्या तूने हक़ तआला का यह इर्शाद नहीं सुना कि अल्लाह उनसे मुहब्बत करता है और वे अल्लाह से मुहब्बत करते हैं ?

हवाला – फ़ुयूज़ेयज़दानी, पृ० 203, मज्लिस 37।

ईमानदार अल्लाह तआला की मुहब्बत में बहुत सख़्त होते हैं, उनके दिल अल्लाह की बड़ाई और तौहीदे रब्बानी से मामूर होते हैं। वे ख़ुदा के सिवा न दूसरे की ऐसी मुहब्बत करें, न किसी और की तरफ़ इल्तिजा करें, न दूसरों की तरफ़ झुकें, न उस की पाक ज़ात के साथ किसी को शरीक करें।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 2, पृ० 18, सूर: बक़र: के बीसवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

नारा-ए-तकबीर

मोमिन की तक़रीर अल्लाहु अक्बर,
मोमिन की तहरीर अल्लाहु अक्बर,
मोमिन की शमशीर अल्लाहु अक्बर,
कलिमे की तफ़्सीर अल्लाहु अक्बर।
नारा-ए-तक्बीर अल्लाहु अक्बर।।

ईमान की जान अल्लाहु अक्बर,
इस्लाम की आन अल्लाहु अक्बर,
क़ुरआं का फ़रमान अल्लाहु अक्बर।
क़ौले मुसलमान अल्लाहु अक्बर।
नारा-ए-तक्बीर अल्लाहु अक्बर।।

आग़ाज़ व अंजाम अल्लाहु अक्बर,
इन-आम व इक-राम अल्लाहु अक्बर,
पैग़ामे इस्लाम अल्लाहु अक्बर,
सब से बड़ा नाम अल्लाहु अक्बर।
नारा-ए-तक्बीर अल्लाहु अक्बर।।

गूंजा यह नारा जंग व जदल में,
गूंजा यह नारा दश्त व जबल में
गूंजा यही मैदाने अमल में,
गूंजा यह नारा क़स्त्र व महल में।
नारा-ए-तक्बीर अल्लाहु अक्बर।।

सिद्दीक़ व फ़ारूक़, उस्मान व हैदर,
हज़रत बिलाल व सलमान व बूज़र,
ख़ालिद व तारिक़, शब्बीर व शब्बर,
नारा यही था सब की ज़ुबां पर।
नारा-ए-तक्बीर अल्लाहु अक्बर।।

सौम व सलात व बांग व अज़ां में,
जिन्न व बशर में, कर्रो बयां में,
फ़र्श व फ़लक में, हूर व ख़बां में,
गूंज रहा है कौन व मकां में।

नारा-ए-तक्बीर अल्लाहु अक्बर।।

आब व हवा में, मौज व सबा में,
सौत व सदा में, लहन व निदा में,
सुब्ह व मसा में, नूर व ज़िया में,
गूंजा है अजमल सारी फ़िज़ा में।

नारा-ए-तक्बीर अल्लाहु अक्बर।।

हाज़िर व नाज़िर

क़ुरआन करीम के पांचवें पारे में, सूरः निसा के छठे रुकूअ में, आयत न० 41, 42 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा– उस वक़्त क्या हाल होगा, जब हम हर एक उम्मत में से एक-एक गवाह को हाज़िर करेंगे और (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) आप को उन लोगों पर गवाही देने के लिए हाज़िर करेंगे। उस दिन जिन लोगों ने कुफ़्र किया होगा और रसूल सल्ल० का कहना नहीं माना होगा, वे इस बात की आरज़ू करेंगे कि काश ! ज़मीन फट जाती और वे उसमें समा जाते, वहां ये (लोग) अपनी कोई बात अल्लाह से छिपा नहीं सकेंगे।

हदीस – हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुझ से फ़रमाया कि मुझे क़ुरआन पढ़ कर सुनाओ। मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! क़ुरआन तो आप ही पर उतरा है और मैं आप को सुनाऊं ? आपने फ़रमाया कि मुझे दूसरे से सुनना अच्छा मालूम होता है, तो मैंने सूरः निसा पढ़ कर सुनायी और जब मैं इस आयत पर पहुंचा (जो ऊपर लिख दी गयी है) तो आपने फ़रमाया, बस-बस और आप की आंखों से आंसू जारी थे।

हवाला–1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 18, पृ० 456, हदीस 1685, सूरः निसा की तफ़्सीर में।

2. तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 5, पृ० 30, सूरः निसा के छठे रुकूअ की तफ़्सीर में।

क़ुरआन करीम के चौदहवें पारे में, सूरः नह्ल के बारहवें रुकूअ में, आयत न० 89 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा – और जिस दिन हम हर एक उम्मत में एक-एक गवाह, जो उन्हीं में का होगा, उन के मुक़ाबले में क़ायम कर देंगे और उन लोगों के मुक़ाबले में आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को गवाह बना कर लाएंगे।

क़ुरआन करीम के बाईसवें पारे में, सूरः अह्ज़ाब के छठे रुकूअ में, आयत न० 45, 46, 47 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा – ऐ नबी ! यक़ीनन हमने ही तुझे रसूल बना कर भेजा है, गवाहियां देने वाला, ख़ुशख़बरियां सुनाने वाला, आगाह करने वाला और अल्लाह के हुक्म से उस की तरफ़ बुलाने वाला और रोशन चिराग़, तू मोमिनों को ख़ुशख़बरी सुनादे कि उन के लिए ख़ुदा की तरफ़ से बहुत बड़ा फ़ज़्ल है।

तबरानी में यह भी है कि आपने फ़रमाया, मुझ पर यह उतरा है कि ऐ नबी! हमने तुझे तेरी उम्मत पर गवाह बना कर जन्नत की ख़ुशख़बरी देने वाला बना कर और जहन्नम से डराने वाला बना कर और अल्लाह के हुक्म से उस की तौहीद की शहादत की तरफ़ लोगों को बुलाने वाला बना कर और रोशन चिराग़ क़ुरआन के साथ बना कर भेजा है।

हवाला– तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 22, पृ० 17, सूरः अह्ज़ाब के छठे रुकूअ की तफ़्सीर में।

ऐ पैग़म्बर ! बेशक भेजा हमने तुझे गवाह, उम्मत की तस्दीक़ और तक्ज़ीब पर और ख़ुशख़बरी देने वाला हमारी रहमत की और डराने वाला अज़ाब से।

हवाला – तफ़्सीरे क़ादरी, जिल्द 3, पारा 22, पृ० 266, सूरः अह्ज़ाव के छठे रुकूअ की तफ़्सीर में।

ए नबी हमने तुझ को भेजा है इस शान से कि तू शाहिद है। (फ़) यानी अपनी उम्मत पर तौहीदे इलाही अज़्ज़ व जल्ल की गवाही देने वाला है और आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की उम्मत तमाम पैग़म्बरों के वास्ते शहादत (गवाही) देने वाली है।

हवाला–तफ़्सीरे मुवाहिबुर्रहमान, पारा 22, पृ० 54, सूरः अह्ज़ाव के छठे रुकूअ की तफ़्सीर में।

क़ुरआन करीम के दूसरे पारे में, सूरः बक़रः के सतहरवें रुकूअ में आयत न० 143 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा – हमने इसी तरह तुम्हें इंसाफ़ करने वाली उम्मत बनाया है, ताकि तुम लोगों पर गवाह हो जाओं और रसूल तुम पर गवाह हो जाएं।

मुस्नद अहमद के हवाले से लिखा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं, नूह अलैहिस्सलाम को क़ियामत के दिन बुलाया जाएगा और उन से पूछा जाएगा

कि क्या तुमने मेरा पैग़ाम मेरे बन्दों को पहुंचा दिया था। वह कहेंगे कि हां, ऐ अल्लाह! पहुंचा दिया था। उन की उम्मत को बुलाया जाएगा और उन से पूछ-ताछ होगी कि क्या नूह अलैहिस्सलाम ने मेरी बातें तुम्हें पहुंचायी थीं, वे साफ़ इंकार करेंगे और कहेंगे कि हमारे पास कोई डराने वाला नहीं आया। नूह अलैहिस्सलाम से कहा जाएगा कि तुम्हारी उम्मत इंकार करती है, तुम गवाह पेश करो। ये कहेंगे कि हां, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और आप की उम्मत मेरी गवाह हैं।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 2, पृ० 3, सूरः बक़रः के सतरहवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

इब्ने मर्दूया और इब्ने अबी हातिम से लिखा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया–

मैं और मेरी उम्मत क़ियामत के दिन एक ऊंचे टीले पर होंगे, तमाम मख़्लूक़ में नुमायां होंगे और सब को देख रहे होंगे, उस दिन तमाम दुनिया तमन्ना करेगी कि काश, वे भी हम में से होते । जिस-जिस नबी की क़ौम ने उसे झुठलाया है, हम रब्बुल आलमीन के दरबार में शहादत देंगे कि इन तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने रिसालत का हक़ अदा किया था।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 2, पृ० 4, सूरः बक़रः के सतरहवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

क़ुरआन करीम के चौबीसवें पारे में, सूरः ज़ुमर के सातवें रुकूअ में, आयत न० 69, में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – ज़मीन अपने पालनहार के नूर से जगमगा उठेगी नामा-ए-आमाल हाज़िर किये जाएंगे। नबियों और गवाहों को लाया जाएगा और लोगों के दर्मियान हक़ फ़ैसले किये जाएंगे और ज़ुल्म न किये जाएंगे।

क़ियामत के दिन, जबकि अल्लाह तबारक व तआला अपनी मख़्लूक़ के फ़ैसले के लिए तजल्ली फ़रमायेगा, उस वक़्त उस के नूर से सारी ज़मीन जगमगा उठेगी। आमालनामे लाए जाएंगे। नबियों को पेश किया जाएगा जो गवाही देंगे कि उन्होंने अपनी उम्मतों को तब्लीग़ कर दी थी और बन्दों के नेक व बद आमाल की हिफ़ाजत करने वाले फ़रिश्ते लाये जाएंगे और अद्ल व इंसाफ़ के साथ मख़्लूक़ के फ़ैसले किये जाएंगे और किसी पर किसी क़िस्म का ज़ुल्म व सितम न किया जाएगा।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 24, पृ० 19, सूरः ज़ुमर के सातवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

इन तमाम इबारतों से मालूम हुआ कि क़ियामत के दिन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की गवाही अपने आप में उस गवाही से अलग न होगी, जिस के अदा करने के लिए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की उम्मत को दूसरी उम्मतों पर गवाही देने के लिए गवाह के तौर पर बुलाया जाएगा।

मेरे अज़ीज़ दोस्त ! गवाह के लिए यह ज़रूरी नहीं कि गवाह अपनी आंखों से खुद असल

वाक़िआ देखे और मुआयना करे, बल्कि किसी सिका और मोतबर के बतलाने पर और किसी माक़ूल वजह से इल्म होने पर भी गवाही जायज़ है और अगर बग़ैर मुआयना और देखे गवाही और शहादत दुरुस्त न हो तो उम्मते मुहम्मदिया पहली उम्मतों पर किस तरह गवाही देगी? इस उम्मत ने न हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना पाया, न हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, न हज़रत याकूब अलैहिस्सलम का, न हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का, न हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, न हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, मगर क़ुरआन मजीद में अल्लाह तआला का इर्शाद है कि इस उम्मत को दूसरी उम्मतों पर गवाह बनाया गया, अगर गवाही के लिए मुआयना और वाक़िए में हाज़िर होना और देखना ज़रूरी होता, तो यह उम्मत पहली उम्मतों पर हरगिज़ गवाह न बन सकती। अगर यह गवाही आमाल की हो, तो इन सब का हाज़िर व नाज़िर होना लाज़िम आता है और अगर यह गवाही सिर्फ़ इस बात की गवाही देने के लिए बुलाये जाएंगे कि ख़ल्क़ तक उस के ख़ालिक़ का पैग़ाम पहुंचाया है, तो ज़रूर ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम भी इसी ग़रज के लिए बुलाये जाएंगे।

मेरे प्यारे दोस्त! उम्मते मुहम्मदिया की गवाही सिर्फ़ इस वजह से होगी, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस उम्मत के पास क़तई और यक़ीनी ख़बर पहुंचा दी है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और इसी तरह दूसरे नबियों ने अपनी-अपनी उम्मतों को तब्लीग़ की है।

नसब, मौत, निकाह, जिमाअ और क़ाजी की तक़र्रुरी की गवाही बिला देखे दुरुस्त है, जबकि किसी मोतबर आदमी ने ख़बर दी हो।

हवाला – क़ुदूरी, पृ० 213, किताबुश्शहादत।

जो चीज़ तवातुर की वजह से मशहूर हो जाए या किसी मोतबर आदमी ने ख़बर दी हो, तो गवाह को उस की गवाही देना जायज़ है।

हवाला – हिदाया, जिल्द 3, पृ० 145, किताबुश्शहादत।

ग़रज यह कि शाहिद और गवाह के लिए हर वक़्त हर वाक़िए में मौजूद होना गवाही के लिए ज़रूरी नहीं है। क़ुरआन करीम, हदीस शरीफ़ और फ़िक्ह हनफ़ी से यह बात साबित हो चुकी, मगर जहालत तो देखिए कि अब भी यही कहे जा रहे हैं कि गवाही के लिए देखना और मौजूद रहना और हाज़िर व नाज़िर होना ज़रूरी है। कुछ हद है इस जहालत की।

हर मुअज़्ज़िन अपनी अज़ान में शहादत का कलिमा पढ़ता है। हर मोमिन शहादत के कलिमे–

अश्हदु अल-लाइला-ह इल्लल्लाहु व अश्हदु अन-न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू०

पढ़ता है, तो क्या उसने अल्लाह को देखा है? और क्या उसने जिब्रील अलैहिस्सलाम

को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर, वह्य लाते हुए देखा है? अगर नहीं देखा है, तो बताओ यह गवाही कैसे सही होगी ? और या फिर हर कलिमा गो और मुअज़्ज़िन को हाज़िर व नाज़िर मानो।

और इस मज़्मून की ताईद वह हदीस करती है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हौज़े कौसर पर पानी पिला रहे होंगे और कुछ लोग आएंगे, आप उन को पहचान भी लेंगे, बावजूद इस के आप से दूर और अलग कर दिये जाएंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाएंगे, ये तो मेरे उम्मती हैं। जवाब मिलेगा कि आप को मालूम नहीं। इन लोगों ने आप की वफ़ात के बाद आप के दीन में नयी-नयी रस्में यानी बिदअतें पैदा की हैं।

तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाएंगे, मुझ से दूर हो जाओ और ख़ुदा की रहमत से भी दूर हो जाओ।

इस हदीस को इल्मे ग़ैब के बयान की आख़िरी बहस में हम सात किताबों के हवाले से लिख चुके हैं। इस मज़्मून को इस कसरत से सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अज-मईन ने बयान किया है कि इसमें किसी को शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है।

इस बात से यह साबित होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपनी उम्मत के एक-एक आदमी और उस की एक-एक हरकत के गवाह क़तअन नहीं हैं। रही वह हदीस, जिस में यह ज़िक्र आया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सामने आप की उम्मत के आमाल पेश किये जाते हैं, तो वह किसी तरह भी इस मज़्मून को रद्द नहीं कर सकती, इसलिए कि इसका मतलब सिर्फ़ इतना है कि अल्लाह तआला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को उम्मत के हालात से बा-ख़बर करता है। इसका यह मतलब कब है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हर आदमी के कामों को अपनी आंखों से देख रहे हैं।

कुछ लोगों ने इस गवाही से यह मतलब लिया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम आख़िरत में लोगों के आमाल पर गवाही देंगे और इस से वे दलील पकड़ते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तमाम लोगों के आमाल को देख रहे हैं, वरना बे-देखे गवाही कैसे देंगे।

क़ुरआन करीम के मुताबिक़ यह तावील बिल्कुल ग़लत है। क़ुरआन मजीद हमें बताता है कि लोगों के आमाल पर गवाही क़ायम करने के लिए तो अल्लाह ने एक दूसरा ही इन्तिज़ाम किया है। इस ग़रज़ के लिए उस के फ़रिश्ते हर आदमी का आमालनामा तैयार कर रहे हैं।

क़ुरआन करीम के छब्बीसवें पारे में, सूरः क़ाफ़ के दूसरे रुकूअ में, आयत न० 17-18 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा – दो कातिब उस के दाएं और बाएं बैठे हुए हर चीज़ को लिख रहे है। कोई लफ़्ज़ उसकी ज़ुबान से नहीं निकलता, मगर यह कि उस के पास निगहबान यानी लिखने वाले

तैयार हैं।

यानी एक तरफ़ तो हम ख़ुद सीधे-सीधे इंसान की हरकतें, उसके ख़्याल वग़ैरह जानते हैं और दूसरी तरफ़ हर इंसान पर दो फ़रिश्तें तैनात हैं, जो उस की एक-एक बात को नोट कर रहे हैं और उस का कोई क़ौल और फ़ेल ऐसा नहीं, जो लिखा न जाता हो।

जिस वक़्त अल्लाह तआला की अदालत में इंसान को पेश किया जाएगा, उस वक़्त अल्लाह तआला को ख़ुद भी इल्म होगा कि कौन क्या कर के आया है और उस के अलावा दो फ़रिश्ते गवाही देने के लिए आएंगे और उसके आमाल का दस्तावेज सबूत के लिए ला कर रख देंगे। इसके अलावा अल्लाह तआला ने और भी इन्तिज़ाम किये हैं।

क़ुरआन करीम के तेईसवें पारे में, सूर: यासीन के चौथे रुकूअ में, आयत न० 65 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा – आज हम उन के मुंह को बन्द कर देंगे और हाथ उन के बोलेंगे और पैर गवाही देंगे कि ये दुनिया में क्या कुछ करते थे।

क़ुरआन करीम के अठारहवें पारे में, सूर: नूर के तीसरे रुकूअ, में आयत न० 24 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा – जिस दिन उनके ख़िलाफ़ उनकी ज़ुबानें गवाही देंगी और उन के हाथ और उन के पैर भी (गवाही देंगे) उन कामों की, जो ये लोग करते थे।

क़ुरआन करीम के चौबीसवें पारे में, सूर: सज्द: के तीसरे रुकूअ में, आयत न० 20-21 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा – यहां तक कि जब बिल्कुल जहन्नम के पास आ जाएंगे, तो उन पर उन के कान और उन की आंखें और उन की खालें उन के आमाल की गवाही देंगी। ये अपनी खालों से कहेंगे कि तुमने हमारे ख़िलाफ़ क्यों गवाही दी ? वे जवाब देंगी, हमें उस ख़ुदा-ए-तआला ने बोलने की ताकत अता फ़रमायी, जिसने हर चीज़ को बोलने की ताक़त बख़्शी है।

क़ियामत के दिन हर एक इंसान के आमाल की गवाही के लिए अल्लाह तआला ने यह इंतिज़ाम कर रखा है, उसके हाथ, उसके कान, उसकी आंखें, उस के पैर, उस की ज़ुबान, उस की चमड़ी, ग़रज यह कि हर चीज़, जो कुछ जितना भी किया होगा, सब का सब बयान कर देंगी। सूर: यासीन में फ़रमाया है कि मुंह को बन्द कर देंगे और सूर: नूर में फ़रमाया कि ज़ुबानें भी बोलनें लगेंगी, तो इस का मतलब यह है कि उस को अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल नहीं रहेगा। वह इंसान जो चाहेगा, वह अपनी ज़ुबान से नहीं बोल पाएगा, बल्कि जो हक़ होगा, वही ज़ुबान बोलेगी।

दुनिया में साईसदां फ़िल्म की पट्टी को बुलवा सकते हैं, टेपरिकार्ड को बुलवा सकते हैं, रेडियो और टेलिविज़न को बुलवा सकते हैं, जब ये आले बोलते हैं तो कोई फ़र्क़ नहीं महसूस

होता, बल्कि ऐसा मालूम होता है कि ख़ुद ही इंसान बोल रहा है, हालांकि उस में इंसान नहीं होता, बल्कि उसकी आवाज़ उस में उतार ली जाती है। अल्लाह के बनाये हुए इंसान जब आवाज़ को मशीनों के ज़रिए जब चाहें, तब बुलवा सकते हैं, तो ख़ुदावन्दे करीम तो क़ादिरे मुत्लक़ हैं, जिस तरह ज़ुबान को बुलवा सकता है, इसी तरह हर अंग हश्र के मैदान में बोलने लगेगा।

हाज़िर व नाज़िर सिवाए ख़ुदा के और कोई भी नहीं है, जिन के लिए आयतें, हदीसें और फ़िक़्ह की दलीलें हम अपने भोले भैया को सुनाते हैं। उम्मीद है कि इन्शाअल्लाह बात समझ में आ जाएगी।

क़ुरआन करीम के दूसरे पारे में, सूर: अंबिया के तेईसवें रुकूअ में, आयत न० 186 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – जब मेरे बन्दे मेरे बारे में आपसे सवाल करते हैं तो आप कह दें कि मैं बहुत ही क़रीब हूं, हर पुकारने वाले की पुकार को, जब वह मुझे पुकारता है, क़ुबूल करता हूं। पस लोगों को भी चाहिए कि मेरी बात मान लिया करें और मुझ पर ईमान रखें। यही उनकी भलाई का ज़रीया है।

हदीस – एक देहाती ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! क्या हमारा पालनहार क़रीब है? अगर क़रीब हो तो हम उस से कानाफूसियां करें और अगर दूर हो तो हम ऊंची आवाज़ों से उसे पुकारें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खामोश रहे। इस पर यह आयते करीमा नाज़िल हुई।

हवाला– तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 2, पृ० 38, सूर: बक़र: के तेईसवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तआला फ़रमाता है कि जब तक मेरा बन्दा मेरा ज़िक्र करता रहता है उस के होंठ हरकत में होते हैं, मैं उस के क़रीब होता हूं।

हवाला–1. इबने माजा शरीफ़, पृ० 565, हदीस 3790, अल्लाह के ज़िक्र में,

2. तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 2, पृ० 38, सूर: बक़र: के तेईसवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

क़ुरआन करीम के छब्बीसवें पारे में, सूर: क़ाफ़ के दूसरे रुकूअ में, आयत न० 16 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – हमने इंसान को पैदा किया है और हम उस के दिल में जो ख़्याल आता है, उस को भी जानते हैं और हम उस की रगे जां से भी क़रीबतर हैं।

हमारी क़ुदरत और हमारे इल्म ने इंसान को इस तरह घेर रखा है कि उस की रगे गरदन भी इस कदर क़रीब नहीं, जितना कि हम उस से क़रीब हैं। उस की बात सुनने के लिए हमें

कहीं से चल कर नहीं आना पड़ता। उस के दिल में आने वाले ख़्यालों तक को बराहे रास्त जानते हैं।

क़ुरआन करीम के बाईसवें पारे में, सूर: फ़ातिर के चौथे रुकूअ, में आयत नं० 38 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा – बेशक अल्लाह तआला आसमानों और ज़मीनों की हर छिपी चीज़ को जानता है। वह तो तुम्हारे सीने के छिपे हुए भेद तक जानता है।

अल्लाह तआला सातों आसमानें और सातों ज़मीन और उनमें जो कुछ भी है, जानता है। जंगल हो या बस्ती, समुन्दर हो या बयाबान, आंधी हो या बरसात, दिन हो या रात, हर वक़्त हर घड़ी हर जगह हाज़िर व नाज़िर है। रात की घंघोर अंधेरी में चलती हुई चींटी और मकड़ी और उड़ते हुए मच्छर को देखता है और उन के दुख और राहत को अच्छी तरह बग़ैर बताए जानता है। किसी को कुछ दिखायी दे या न दे, लेकिन अल्लाह तआला से कुछ भी पोशीदा नहीं और यह सिफ़त ख़ुदा के सिवा और किसी में नहीं है।

क़ुरआन करीम के सत्ताईसवें पारे में, सूर: हदीद के पहले रुकूअ में, आयत नं० 4 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा – वह ख़ूब जानता है उस चीज़ को जो ज़मीन में जाए या उस से निकले और जो आसमान से नीचे आए और जो कुछ उस में चढ़ कर जाए। जहां कहीं तुम हो, वह तुम्हारे साथ है और जो तुम कर रहे हो, अल्लाह देख रहा हैं।

अल्लाह तआला से कोई चीज़ छिपी नहीं है। वह जानता है कि आसमान से बारिश की कितनी बूंदें गिरीं, कुल कितनी वर्षा हुई, कितना पानी ज़मीन ने पिया, कितना पानी नदी, नालों, कुओं में रुका और कितना समुद्र में गया और दुनिया वालों ने ज़मीन में कितने दाने डाले हैं और हर-हर दाने में क्या-क्या फल और कितने मिक़्दार का अनाज पैदा हुआ है। वह ज़मीन से निकलने वाले पौधे या पेड़ या सब्ज़ी या घास या धान हर एक की मिक़्दार को जानता है। ज़मीन से निकलने वाली कोंपल और पेड़ों से झड़ने वाला पत्ता कोई ऐसा नहीं है, जिसको अल्लाह तआला जानता न हो। हमारी हर एक सांस को और हमारे दिल की धड़कनों को वह बग़ैर किसी के बताये जानता है। कौन कहां पैदा हुआ और कहां मरेगा और कहां बीमार है या तन्दुरुस्त है, हर एक से अल्लाह तआला बा-ख़बर है, इसी तरह चरिंद-परिंद, कीड़े-मकोड़े, मक्खी और मच्छर की रोज़ी का इन्तिज़ाम हर जगह पर कर रहा है और इन सब बातों का इल्म किसी के बताए बग़ैर रखता है, ऐसा ख़ुदा जिस का नाम आलिमुल ग़ैब है और जिस का निज़ाम हमारी अक़्ल से बाहर हो, उस जैसा और कौन हो सकता है मेरे भोले भैया! तौबा कर ले और जहालत को छोड़ दे, सिवाए ख़ुदा के और कोई भी हाज़िर व नाज़िर नहीं है।

क़ुरआन करीम के अठाईसवें पारे में, सूर: मुजादल: के दूसरे रुकूअ में, आयत नं० 7 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा – क्या तुम को ख़बर नहीं है कि ज़मीन और आसमानों की हर चीज़ का इल्म अल्लाह तआला को है। तीन आदमियों का मश्विरा नहीं होता, मगर अल्लाह उसमें चौथा होता है और न पांच का मगर उसमें छठा (अल्लाह) होता है और न इससे कम और न ज़्यादा, मगर उसमें (अल्लाह) होता है। जहां भी वे हों (वहां अल्लाह होता है), फिर क़ियामत के दिन उन्हें उन के आमाल बता दिये जाएंगे (जो कुछ वे कर रहे थे) बेशक अल्लाह तआला हर चीज़ को जानता हैं।

ऐसी सिफ़त, ऐसी शान अल्लाह तआला के सिवा और किसी में समझना और बताना या साबित करना जहालत नहीं है, तो फिर और क्या है ?

हदीस – हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि ख़ुदा के फ़रिश्ते ज़मीन पर सफ़र करते रहते हैं, वे मेरी उम्मत के दरूद व सलाम मेरे पास पहुंचाते हैं।

हवाला –1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 196, हदीस 858, दरूद का बयान,
2. दारमी शरीफ़, पृ० 416, हदीस 2740, बाब 1167,
3. नसई शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 316, दरूद का बयान,
4. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 298, दरूद का बयान।

आओ, आओ ! रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इश्क़ का दावा करने वालो! हम जिस रसूले अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुहब्बत का दम भरते हैं, जिस रसूले अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिए जान को जान और माल को माल नहीं समझते, उस रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़त्वा है और आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अपनी मुबारक ज़ुबान से फ़रमा रहे हैं कि ख़ुदावंदे करीम के बहुत-से फ़रिश्ते दुनिया में घूमते-फिरते हैं और मेरी उम्मत के दरूद व सलाम मुझ तक पहुंचाते रहते हैं। यह तो फ़रमान है आक़ा-ए-नामदार, ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का और चार किताबों के हवाले आपके सामने हैं।

और जेब भरू पीर और पैट भरू मौलवी कहते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हाज़िर व नाज़िर हैं तो इन जाहिल जेबभरू पीर और पेटभरू मौलवियों के क़ौल के मुताबिक़ मआज़ल्लाह ! हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का क़ौल झूठा हुआ। अल्लाह की पनाह ! किस क़दर जहालत है। न तो क़ुरआन की बातें मानते हैं न हदीसों की बातें मानते हैं और न हनफ़ी मसलक की किताबों की बात मानते हैं। अब सुनिए। फ़िक़्ह का फ़त्वा!

एक आदमी ने एक औरत से निकाह किया, मगर गवाह हाज़िर न हुए। उसने कहा कि ख़ुदा व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को गवाह किया या कहा ख़ुदा और फ़रिश्तों को गवाह किया तो काफ़िर हुआ और अगर उस ने कहा कि दाएं हाथ के फ़रिश्ते और बाएं हाथ

के फ़रिश्ते को गवाह किया तो काफ़िर नहीं हुआ।

हवाला –1. फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 2, पृ० 843, मुर्तद का बयान,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 3, पृ० 283, मुर्तद का बयान।

देखा मेरे अज़ीज़ दोस्त ! अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को हर जगह हाज़िर व नाज़िर समझने वालों को हमारे उलेमा-ए-दीन काफ़िर कहते हैं, क्योंकि ख़ुदावंदे करीम तो हर जगह हाज़िर व नाज़िर है और मौजूद है और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हर जगह हाज़िर व नाज़िर नहीं हैं, क्योंकि यह सिफ़त ख़ास अल्लाह तआला की है और अल्लाह तआला की सिफ़त में बन्दे को मिलाना कुफ़्र हैं, चाहे वह नबी हो या वली हो और जो फ़रिश्ते हैं, वे ख़ुदा के हुक्म के बग़ैर किसी भी जगह पर न तो आ सकते हैं और न जा सकते हैं, इसलिए फ़रिश्तों को भी हर जगह हाज़िर व नाज़िर समझने वाले पर हमारे उलेमा-ए-दीन ने कुफ़्र का फ़तवा लगाया है। अब रही दाएं और बाएं बाज़ू पर रहने वाले फ़रिश्तों को गवाह बनाने वाली बात, तो वे दोनों फ़रिश्ते अल्लाह तआला के हुक्म से इंसान के साथ रहते हैं, न यह कि वे कायनात में हर जगह हाज़िर न नाज़िर हैं। तो अब अगर इन दोनों फ़रिश्तों को गवाह बना लिया तो काफ़िर तो नहीं हुआ, मगर इतना याद रहे कि इन फ़रिश्तों को गवाह बनाने से निकाह नहीं होगा।

मदद किससे मागें ?

ख़ातमुल अंबिया, हबीबे ख़ुदा हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उस वक़्त दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं, जबकि रसूलों की दी हुई तालीम मिट चुकी है, उनकी राहें बे-निशान हो चुकी हैं, दुनिया तौहीद को भुला चुकी है, जगह-जगह मख़्लूक़ परस्ती हो रही है। सूरज, चांद, सितारे, आग, पानी, बुत बग़ैरह की पूजा की जा रही है। ख़ुदा का दीन बदल चुका है, कुफ़्र की तारीकी छा चुकी है, दुनियां का कोना-कोना, चप्पा-चंप्पा सरकशी और ज़्यादती से भर गया है, अद्ल और इंसाफ़ बिल्कुल मिट चुका है, इंसानियत भी फ़ना हो चुकी है, जहालत और कम समझी का दौर-दौरा है, सिवाए कुछ लोगों के ख़ुदा का नाम लेवा ज़मीन पर कोई नहीं रहा। पस मालूम हुआ कि आपकी जलालत और इज़्ज़त ख़ुदा के पास बहुत बड़ी थी और आपने जो ख़ुदाई रिसालत अदा की, वह कोई मामूली रिसालत नहीं थी।

मेरे अज़ीज़ दोस्त ! तमाम अंबिया अलैहिमुस्लातु वस्सलाम इसी लिए भेजे गये थे कि लोगों को तालीम दें और सिखाएं कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो, अल्लाह ही की इबादत करो और अल्लाह ही से मदद मांगो और इंसान पैदा भी इसीलिए किया गया है, मगर इंसान अपनी नफ़्सानियत और जहालत की वजह से भूल जाता है या ज़िद में आ कर जानते हुए भी उलटा करने लगता है।

अल्लाह तआला अपने कलाम मजीद के अन्दर सूर: फ़ातिहा यानी अलहम्दु शरीफ़ में इर्शाद फ़रमाता है–

'इय्या-क नअ्-बुदु व इय्या-क नस्तअ़ीन०'

(हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं)

कामिल इताअत और पूरे दीन का हासिल सिर्फ़ यही दो बातें हैं।

हज़रत क़तादा रह्मतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं कि खुदावंदे तबारक व तआला का हुक्म है कि तुम उसी की ख़ालिस इबादत करो और अपने तमाम कामों में उसी से मदद मांगो।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 1, पृ० 34, सूर: फ़ातिहा की तफ़्सीर में।

मेरे अज़ीज़ दोस्त ! आज वे लोग सोचें और समझें, जो नमाज़ में रोज़ाना पांचों वक़्त कई मर्तबा अल्लाह के सामने नमाज़ पढ़ते हुए इस बात का इक़रार करते हैं–

इय्या-क नअ़बुदु व इय्या-क नस्तअ़ीन०'

(हम ख़ास तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं।)

यह आयते करीमा नमाज़ में बार-बार पढ़ते हैं, यह इक़रार भी कर रहे हैं और जब नमाज़ पढ़ ली तो अल्लाह ही के घर में उसी मुसल्ले पर से जब उठते हैं तो अल्लाह को छोड़ कर दूसरों को हाज़िर व नाज़िर और नफ़ा व नुक़्सान में मददगार समझ कर उसी वक़्त उन के नाम का नारा लगा कर उठते हैं।

मेरे अज़ीज़ दोस्त ! आप ही इंसाफ़ करें, कोई हद भी है इस जहालत की ! कहां तक रोना रोयें हम हिन्दुस्तान के मुसलमान भाइयों की जहालत का।

क़ुरआन मजीद के चौबीसवें पारे में, सूर: मुअ्मिन के छठे रुकूअ में, आयत न० 51 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – यक़ीनन हम अपने पैग़म्बरों की और जो लोग ईमान लायें हैं, उन की दुनियावी ज़िंदगी में भी मदद करते हैं और जिस दिन गवाह खड़े होंगे।

आयत में रसूलों की मदद करने का ख़ुदा का वायदा है। फिर हम देखते हैं कि कुछ नबियों को उन की क़ौमों ने क़त्ल कर दिया, जैसे हज़रत यह्या, हज़रत ज़करिया, हज़र शअ़या सलवातुल्लाहि अलैहिम व सलामुहू और कुछ अंबिया अलैहिमुस्सलाम को अपना वतन छोड़ना पड़ा, जैसे हज़रत इब्राहीम ख़लीलुल्लाह अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कि इन्हें अल्लाह तआला ने आसमान की तरफ़ हिजरत करायी। फिर क्या कोई नहीं कह सकता कि यह वायदा पूरा क्यों न हुआ ? इस के दो जवाब हैं–

1. एक तो यह कि यहां गो आम ख़बर है, लेकिन मुराद कुछ से है और यह लुग़त में

आम तौर से पाया जाता है कि मुत्लक़ ज़िक्र हो और मुराद ख़ास लोग हों,

2. दूसरे यह कि मदद करने से मुराद बदला लेना हो।

पस कोई नबी अलैहिस्सलाम ऐसा नहीं गुज़रा, जिसे तक्लीफ़, पहुंचाने वालों से क़ुदरत ने ज़बरदस्त बदला न लिया हो। चुनांचे हज़रत यह्या, हज़रत ज़करिया, हज़रत शअ़या अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के क़ातिलों पर ख़ुदा ने उन के दुश्मनों को मुसल्लत कर दिया और उन्होंने उन्हें ज़ेर व ज़बर कर डाला, उनके ख़ून की नदियां बहा दीं और उन्हें निहायत ज़िल्लत के साथ मौत के घाट उतारा, नमरूद मर्दूद का मशहूर वाक़िआ दुनिया को मालूम है कि क़ुदरत ने उसे कैसी पकड़ में पकड़ा।

हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिन यहूदियों ने सूली देने की कोशिश की थी, उन पर जनाबे बारी अज़ीज़ व हकीम ने रूमियों को ग़ालिब कर दिया और उन के हाथों उनकी सख़्त ज़िल्लत व रुसवाई हुई और अभी जब क़ियामत के क़रीब आप उतरेंगे, तब दज्जाल के साथ उन यहूदियों को, जो उसके लश्करी होंगे, क़त्ल करेंगे और इमामे आदिल और हाकिम बा-इंसाफ़ बन कर तशरीफ़ लाएंगे, सलीब को तोड़ेंगे, सुअर को क़त्ल करेंगे और ज़िज़्या वातिल कर देंगे, अलावा इस्लाम के और कुछ क़ुबूल न फ़रमाएंगे। यह है अल्लाह तआला की शानदार मदद और यही क़ुदरत का दस्तूर है जो पहले से अब तक जारी है कि वह अपने मोमिन बन्दों की दुनियावी मदद भी फ़रमाता है और उन के दुश्मनों से खुद इन्तिक़ाम लेकर उन की आंखें ठंडी करना है।

हवाला – तफ़्सीरें इब्ने कसीर, पारा 24, पृ० 50, सूरः मुअ्मिन के छठे रुकूअ की तफ़्सीर में।

क़ुरआन शरीफ़ के चौथे पारे में, सूरः आले इम्रान के सतरहवें रुकूअ में, आयत न० 16 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे, तो तुम पर कोई ग़ालिब नहीं आ सकता और अगर वह तुम्हें छोड़ दें, तो उसके बाद कौन है, जो तुम्हारी मदद करे ?

मेरे अज़ीज़ दोस्त ! मदद सिर्फ़ अल्लाह ही की होती है और अगर अल्लाह तआला हमारी मदद न करे, तो दुनिया में कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता।

अब आइए, आप को वे हदीसें और आयतें सुनाऊं, जिन को पढ़ने और सुनने से ईमान ताज़ा हो जाता है और तौहीद में पक्का बन जाता है। कैसी-कैसी मुश्किलों में अल्लाह तआला ने मदद की है और ऐसी-ऐसी सख़्त मुसीबतों में भी ख़ुदा के बन्दों ने तौहीद को हाथ से जाने न दिया और हम को सबक़ दे गये। हमारे ही लिए नहीं, बल्कि, सारे जहान के लिए नमूना बन गये, मगर जो अक़्लमंद थे, ईमान वाले थे, समझ वाले थे, उन्होंने बुज़ुर्गाने दीन के अमल को हाथ में ले लिया, और अमल कर के बता दिया। बाक़ी तो अपनी-अपनी ज़िद और नफ़्सानियत

ही पर अड़े हुए हैं।

कुरआन हकीम के सतरहवें पारे में, सूर: अंबिया के छठे रुकूअ में, आयत न० 87 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - मछली वाले (हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम) को याद कर, जबकि वह गुस्से में चल दिया और ख़्याल किया कि हम उसे तंग न पकड़ेंगे, तो फिर वह अंधेरियों के अन्दर से पुकार उठे, ऐ ख़ुदा! तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है। बेशक मैं ज़ालिमों में हो गया।

पैग़म्बर हज़रत यूनुस बिन मता अलैहिस्सलाम थे। उन्हें मूसल के इलाक़े की बस्ती नैनवा की तरफ़ नबी बना कर ख़ुदा तआला ने भेजा था। आपने ख़ुदा के दीन की दावत दी, लेकिन क़ौम ईमान न लायी। आप वहां से नाराज़ होकर चल दिये और उन लोगों से कहने लगे कि तीन दिन में तुम पर ख़ुदा का अज़ाब आ जाएगा। जब उन्हें इस बात की तह्क़ीक़ हो गयी और उन्होंने जान लिया कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम झूठे नहीं होते, तो यह सब के सब छोटे-बड़े मय जानवरों और मवेशियों के जंगल में निकल खड़े हुए, बच्चों को माओं से जुदा कर दिया और बिलक-बिलक कर निहायत गिरया व ज़ारी से जनाबे बारी में नाला व फ़रियाद शुरू कर दी। इधर उनकी आह व पुकार उठी, उधर जानवरों की भयानक आवाज़। ख़ुदा की रहमत जोश में आ गयी और अज़ाब उठा लिया गया।

और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम यहां से चल कर एक नाव में सवार हुए। आगे जा कर तूफ़ान की निशानियां ज़ाहिर होने लगीं। क़रीब था कि नाव डूब जाए। मश्विरा यह था कि किसी एक आदमी को नदी में डाल देना चाहिए कि वज़न कम हो जाए। क़ुरआ डाला गया और क़ुरआ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का निकला, लेकिन किसी ने आप को नदी में डालना पसन्द न किया, दोबारा क़ुरआ डाला गया तो आप ही का नाम निकला। चुनांचे अब की बार हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ख़ुद खड़े हो गये। कपड़े उतार कर नदी में कूद पड़े। समुन्दर में से एक मछली पानी काटती हुई ख़ुदा के हुक्म से आयी और आप को लुक़्मा कर गयी, लेकिन ख़ुदा के हुक्म से न आप की हड्डी तोड़ी और न आप के जिस्म को कुछ नुक्सान पहुंचाया। आप उस के लिए खाना न थे, बल्कि उस का पेट आपके लिए क़ैदखाना था। इसी वजह से आप की निसबत मछली की तरफ़ गयी, यानी ज़ुन्नून (मछली वाले) कहा गया। आप का ग़ज़ब व ग़ुस्सा आप की क़ौम पर था और ख़्याल यह था कि ख़ुदा आप को तंग न पकड़ेगा, फिर इन अंधेरियों में फंस कर अब यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा। समुद्र के तले का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा, फिर रात का अंधेरा, ये सब अंधेरे जमा थे। आपने समुद्र की कंकरियों की तस्बीह सुनी और ख़ुद आपने भी तस्बीह शुरू कर दी। आप पहले तो मछली के पेट में जा कर समझे कि मैं मर गया हूं, फिर पैर को हिलाया, तो वह हिला। यक़ीन हुआ कि मैं ज़िंदा हूं। वहीं सज्दे में गिर पड़े और कहने लगे, ऐ अल्लाह! मैंने तेरे लिए इस जगह

को मस्जिद बनाया, जिस को इस से पहले किसी ने सज्दे की जगह न बनायी होगी और यह दुआ पढ़ने लगे।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 17, पृ० 30, सूरः अंबिया के छठे रुकूअ की तफ़्सीर में।

क़ुरआन करीम के सतरहवें पारे में, सूरः अंबिया के छठे रुकूअ में, आयत न० 87 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

(ला इला-ह इल्ला अन-त सुब्हा-न-क इन्नी कुन्तु मिन-ज़्ज़ालिमीन०)

तर्जुमा – ऐ अल्लाह ! तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तू पाक है, बेशक मैं ज़ालिमों में हो गया।

जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तआला को मदद के लिए पुकारा तो अल्लाह तआला की तरफ़ से मदद भी आ पहुंची।

क़ुरआन करीम के सतरहवें पारे में, सूरः अंबिया के छठे रुकूअ में, आयत न० 88 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता हैं–

तर्जुमा – तो हमने उस की पुकार सुन ली और उसे ग़म से निजात दे दी। हम ईमान वालों को इसी तरह बचा लिया करते हैं।

देखा मेरे अज़ीज़ दोस्त ! अल्लाह तआला ख़ुद फ़रमा रहा है कि मैं ईमान वालों को इसी तरह बचा लेता हूं, चाहे समुद्र की तह में हों या नदी के तूफ़ान में, या आग के अलाव में हों या मछली के पेट में हों? उसी वक़्त मछली को हुक्म होता है कि ऐ मछली ! मेरे यूनुस को अपने पेट और समुन्दर से बाहर निकाल दे और यही हुआ भी। अगर यूनुस अलैहिस्सलाम ख़ुदा की मदद न मांगते, उस को न पुकारते, उस की तस्बीह न पढ़ते, तो इस का अंजाम क्या होता, वह भी सुन ले।

क़ुरआन करीम के तेईसवें पारे में, सूरः साफ़्फ़ात के पांचवें रुकूअ में, आयत न० 143-144 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – अगर वह तस्बीह करने वालों में से न होते तो क़ियामत तक उसी मछली के पेट में पड़े रहते।

ऐ मेरे दोस्त ! इस से बढ़ कर अब आपको तौहीद के लिए और क्या सबूत चाहिए। ख़ुदावंदे आलम फ़रमा रहा है कि अगर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मेरी तस्बीह न पढ़ते, मुझ से मदद न मांगते, मुझे अपनी मुसीबत में याद न करते तो क़ियामत तक उसी मछली के पेट में क़ैद रहते, क्योंकि ख़ुदा के सिवा और कोई मुसीबत में उन का मददगार न था।

क़ुरआन शरीफ़ के ग्यारहवें पारे में, सूरः तौबा के चौदहवें रुकूअ में, आयत न० 116 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – अल्लाह की ही सल्तनत है, आसमानों और ज़मीनों में, वही जिलाता है और मारता है और ख़ुदा के सिवा तुम्हारा कोई भी दोस्त और मददगार नहीं हैं।

क़ुरआन करीम के सोलहवें पारे में, सूरः मरयम के तीसरे रुकूअ में, आयत न० 41, 42, 43, 44, 45 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – इस किताब में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़िआ भी बयान कर दो। वह हमारे सच्चे नबियों में से थे। जब (इब्राहीम अलैहिस्सलाम) ने अपने बाप से कहा कि ऐ अब्बा जान ! आप ऐसों को क्यों पूज रहे हैं, जो न सुनें, न देखें और न आप के कुछ काम आ सकें ? ऐ मेरे अब्बा ! मेरे पास ऐसा इल्म आया है जो आप के पास नहीं है। आप मेरे कहने पर चलिए, मैं आप को सीधे रास्ते पर चला दूंगा। ऐ मेरे अब्बा ! आप शैतान की परस्तिश न कीजिए। शैतान तो ख़ुदा-ए-रहमान का बड़ा दुश्मन है। ऐ अब्बा ! मैं डर रहा हूं कि आप पर कोई अज़ाब न आ जाए और आप शैतान के साथी समझे जाएं।

मेरे दोस्त ! दुनिया जानती है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप आज़र बुत बनाता भी था और बेचता भी था और बुतों को पूजता भी था। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को समझाया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत ही सख़्त जवाब मिला, हालांकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तआला ने अपना ख़ास और मख़्सूस बन्दा बना लिया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कोई वहहाबी तो नहीं थे या देवबन्द से तालीम हासिल करके तो आए नहीं थे, बल्कि अल्लाह तआला की तरफ से सच्चे नबी और ख़लील बनाये गये थे। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के समझाने पर आप को क्या जवाब मिलता है, वह सुनिए–

क़ुरआन करीम के सोलहवें पारे में, सूरः मरयम के तीसरे रुकूअ में, आयत न० 46 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – उस ने जवाब में कहा, ऐ इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ! क्या तू हमारे माबूदों को (और हमारे मज़हब को) बुरा कहता है, तू मुझ से दूर हो जा, (मुझे अपना मुंह न दिखा,) वरना मैं तुझे संगसार करा दूंगा।

यह था इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने बाप का जवाब। उस वक़्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर क्या गुज़री होगी, इस का अन्दाज़ा आप लगा सकते हैं ! यही हाल आजकल हमारे नादान मुसलमान भाइयों का है। जब उन को तौहीद या सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर अमल करने के लिए समझाया जाता है, क़ब्रपरस्ती, ताज़ियापरस्ती और रस्मपरस्ती को छोड़ने के लिए कहा जाता है, तो उन समझाने वालों को भी वैसा ही जवाब मिलता है, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मिला था। यहां भी समझाने वालों पर गाली-गलोज और लान-तान करने लगते हैं। मार-पीट तक की नौबत का मामला आ जाता है और कहीं-कहीं तो शहीद भी कर दिये गये हैं। हक़परस्तों को धुत्कार दिया जाता है, उनको मस्जिदों से निकाल दिया

जाता है, उन के वाज़ व इज्तिमाअ में रोड़े डाले जाते हैं, जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हक़ कहने पर, बातिल की मुख़ालफ़त करने पर जलाने का मश्विरा हुआ था।

हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए मश्विरा हुआ कि यह हमारे मज़हब और माबूदों को बुरा कहता है, उसको आग में जला देना चाहिए। बात तै हो गयी, लकड़ियां जमा करने लगे, यहां तक कि जो औरतें बीमार हो जाती थीं वह भी मन्नत मानती थीं की मुझे आराम हो जाएगा तो एक गट्ठा लकड़ी का (इब्राहीम अलैहिस्सलाम के) जलाने के लिए लाऊंगी। इस तरह बहुत कुछ लकड़ियां जमा करके आग सुलगायी गयी।

लिखते हैं, कि इतनी बड़ी आग कभी किसी ने धरती पर नहीं जलायी थी।

यह आग एक हक़परस्त, तौहीदपरस्त, सच्ची राह दिखाने वाले अल्लाह के लाल के लिए लोगों ने जलायी थी। आज तो सिर्फ़ मस्जिद ही से निकालते हैं या वाज़ ही बन्द कराते हैं, इतनी-सी बात पर आप घबरा जाते हैं। आप के लिए किसी ने आग तो नहीं जलायी?

बहरहाल जब वह आग बराबर रोशन हो गयी तो इस क़दर भड़क रही थी कि कोई परिंदा भी ऊपर से उड़ कर नहीं जा सकता था। इस आग में डालने के लिए जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बांधने लगे तो उस वक़्त और जब आग में डाले गये तो उस वक़्त आप की मुबारक ज़ुबान पर यह कलिमा था-

क़ुरआन करीम के चौथे पारे में, सूर: आले इम्रान के अठारहवें रुकूअ में, आयत न० 173 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा- हमारे लिए अल्लाह तआला काफ़ी है और वह बहुत ही अच्छा कारसाज है।

हदीस- हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो आप की ज़ुबान पर आख़िरी कलिमा यही था कि हमारे लिए अल्लाह तआला काफ़ी है।

हवाला- सही बुख़ारी शरीफ़, ज़िल्द 2, पारा 18, पृ० 447, हदीस 1667, सूर: आले इम्रान की तफ़्सीर में।

मेरे अज़ीज़ दोस्त! यह था इम्तिहान ईमान वालों का और यह थी कसौटी। अब अल्लाह तआला की रहमत को देखिए, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग की तरफ फेंक दिया गया तो, जो बड़े-बड़े फ़रिश्ते हैं, वह तैयार खड़े थे कि न जाने अल्लाह किस को, कब और क्या हुक्म करता है? यानी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तैयार खड़े थे कि अगर अल्लाह तआला मुझे हुक्म दे तो मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में गिरने से पहले ही बीच रास्ते में से आसमान की तरफ उठा लूं या आग को समुन्दर में डाल दूं। इसी तरह हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम भी तैयार खड़े थे कि अगर मुझ को अल्लाह तआला हुक्म करे तो मैं बरसात को इस आग पर ऐसा उमड़ दूं कि एक आन की आंन में आग बुझ जाए। इसी तरह हवा का

फ़रिश्ता भी तैयार खड़ा था कि अगर मुझे हुक्म मिले तो एक पल में आंख झपकने के साथ सारी आग को उड़ा कर ले जाऊं, मगर सब के सब मजबूर थे। ख़ुदा के हुक्म के सिवा कोई कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे फ़रिश्ता हो, या नबी हो या वली, या क़ुतुब या अब्दाल या ग़ौस हो, बहरहाल अल्लाह तआला जब किसी को बचाना चाहे तो वह किसी की मदद का मुहताज नहीं है कि उस का कोई काम करे तब हो सके।

अल्लाह तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना मक़्बूल बन्दा समझ कर अपने रहम व करम से अपने दरबार में क़ुबूल कर लिया था, भला वह आग उन को क्या जला सकती थी?

क़ुरआन शरीफ़ के सतरहवें पारे में, सूरः अंबिया के पांचवें रुकूअ में, आयत 96 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – हम ने फ़रमाया कि आग! तू ठंडी हो जा और सलामती की जगह बन जा, इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) के लिए।

याद रख अगर तूने मेरे हक़परस्त, तौहीद का एलान करने वाले इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक बाल भी जलाया तो तुझे वह सज़ा करूंगा, जो किसी को न की होगी।

मेरे अज़ीज़ दोस्त! सातों आसमान और सातों ज़मीन के अन्दर जो कुछ भी हैं, वह सब अल्लाह तआला की क़ुदरत के क़ब्ज़े में है। वह कहे कि हो जा तो फ़ौरन ही हो जाए और अगर वह कहे कि मिट जा तो फ़ौरन ही मिट जाएं अल्लाह तआला का हुक्म सुनते ही आग फ़ौरन मिस्ल एक बाग़ के बन गयी।

इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आग में चालीस या पचास दिन रहे। फ़रमाया करते थे, मुझे उस ज़माने में जो राहत व आराम हासिल था, वैसा उससे निकलने के बाद हासिल नहीं हुआ। क्या अच्छा होता कि मेरी सारी ज़िंदगी उसी में निकलती।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 17, पृ० 20, सूरः अंबिया के पांचवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में सुनिए। आप फ़िरऔन के पास जाते हैं और ख़ुदा के हुक्म के मुताबिक़ उस को समझाते हैं कि घमंड, सरकशी, ज़िद, नफ़्सरस्ती और ख़ुदाई का दावा न कर, तू भी उसी ख़ुदा का बन्दा है, उसी की मदद का मुहताज है, पर वह नहीं माना, अपने घमंड और ज़िद पर अड़ा रहा, समझाने से नहीं समझा, मनवाने से नहीं माना, तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तआला का हुक्म होता है कि अपनी उम्मत को लेकर यहां से चले जाओ। रात को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के तमाम छोटों, बड़ों, बूढ़ों और औरतों को लेकर रवाना हो गये।

जब यह ख़बर फ़िरऔन को हुई, तो उसके बदन में आग लग गयी, क्योंकि वह बनी इस्राईल से ग़ुलामी के काम कराता था। अब अगर वे सब चले जाएं, तो फिर उस की और उसकी

क़ौम की ग़ुलामी कौन करे, इस लिए हुक्म दिया कि पूरी फ़ौज तैयार होकर मेरे पास हाज़िर हो जाए। तमाम फ़ौज को जमा करके बड़ी शान व शौकत के साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा किया। जब सुबह की कुछ निशानिशं नज़र आयीं, तो मूसा अलैहिस्सलाम के सामने एक दरिया आ गया, जिस की वजह से उनको वहां रुक जाना पड़ा और पीछे से फ़िरऔन भी अपनी फ़ौज ले कर आ पहुंचा।

क़ुरआन मजीद के उन्नीसवें पारे में, सूर: शुअरा के चौथे रुकूअ में, आयत न० 61 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – जब दोनों जमाअतों ने एक दूसरे को देख लिया।

फ़िरऔन की तमाम फ़ौज को आता देख कर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मती घबरा गये, उस वक़्त बे-साख़्ता उनकी ज़ुबान से ये लफ़्ज निकले जो इसी आयत में इर्शाद फ़रमाए।

तर्जुमा – मूसा (अलैहिस्सलाम) के साथी कहने लगे कि बस अब हम तो पकड़ लिये गये।

बेचारे ग़रीबों की आह निकल गयी, क्योंकि ख़ुद तो बे-सर व सामान थे, तायदाद भी ज़्यादा न थी और उस में भी बूढ़े, बच्चे और औरतें सब थे, इसलिए उन की ज़ुबान से निकल गया कि ऐ मूसा ! हम तो पकड़ लिए गये और अब तो हलाक हो जाएंगे। अब न जाने ये ज़ालिम हम पर क्या-क्या ज़ुल्म व सितम करेगा।

मेरे अज़ीज़ दोस्त ! यह था इम्तिहान का वक़्त। कौन-सी अक़्ल थी जो हैरान न रह जाए। कौन-सा दिल था, जो कांप न जाए। कौन-सा क़दम था जो डगमगा न जाए, कौन-सी आंखें और कान ऐसे थे जो ख़ता न कर जाएं, पर यह थे अल्लाह के ख़ास लाल, जो हम को तौहीद का सबक देने के लिए आए थे। अब सुनिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जवाब।

क़ुरआन शरीफ़, के उन्नीसवें पारे में, सूर: शुअरा के चौथे रुकूअ में, आयत 62 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, हर गिज़ ऐसा नहीं हो सकता। यक़ीन मानो मेरे साथ मेरा ख़ुदा है, मुझे अभी-अभी रास्ता दिखा देगा।

क़ुरआन शरीफ़ के उन्नीसवें पारे में, सूर: शुअरा के चौथे रुकूअ में, आयत न० 63 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – हम ने मूसा (अलैहिस्सलाम) पर वह्य भेजी कि दरिया पर अपनी लाठी मार दे, मूसा (अलैहिस्सलाम) ने लाठी मार दी, तो उसी वक़्त दरिया फट गया और मिस्ल पहाड़ों के खड़ा हो गया।

देखा मेरे दोस्त ! इस को कहते हैं तोहीद ! ऐसी सख़्त घड़ी कि एक तरफ़ तो समुन्दर

में तूफ़ान आ रहा है, पानी की मौजें पहाड़ों की तरह इधर की उधर, उधर की इधर हो रही हैं और पीछे से फ़िरऔन पूरी तैयारी के साथ धंसा चला आ रहा है, बचने का कोई रास्त नज़र नहीं आता। उस वक़्त भी मूसा अलैहिस्सलाम ने तौहीद को नहीं छोड़ा, तो अल्लाह की ग़ैबी मदद ऐसी होती है कि अक़्ल हैरान रह जाती है। तौहीद पर ईमान रखने वालों, तौहीद को अमली जामा पहनाने वालों की अल्लाह तआला मदद कैसी करता है और किस तरह करता है। इस को भी आपने समझ लिया।

क्यों न हो, यह हमें तौहीद सिखाने आये थे। अल्लाह की ज़ात पर किस तरह भरोसा रखना चाहिए इसका हमें सबक़ देने आए थे, उन का भरोसा सिर्फ़ रब ही पर होता है, न उसके सिवाए किसी से उम्मीदें रखें, न उस के सिवा उन का कोई मक़्सद होता है, न उसके सिवा वह किसी से पनाह चाहें, न उसके सिवा वह किसी से मुरादें मांगें, न किसी और की तरफ़ झुकें। वे जानते थे कि क़ुदरत वाला वही है, वह जो चाहता है वही होता है। उसकी चाहत में कोई रुकावट नहीं डाल सकता और जो वह नहीं चाहता, वह हरगिज़ नहीं हो सकता। तमाम मुल्क में उसी का हुक्म चल रहा है। कायनात के एक-एक ज़र्रे पर उसी की हुक्मरानी है। तमाम मख़्लूकात पर उसी की नज़र है। सब का पैदा करने वाला वही एक ख़ुदा है और सब का मालिक भी सिर्फ़ वही है, वही रोज़ी देने वाला है। रोज़ी का फैलाव और तंगी भी उसी के हाथ में हैं। बीमारियों को दूर करने वाला, दुख-सुख में काम आने वाला वही है। मौत व ज़िंदगी का मालिक वही रब्बुल आलमीन है। वह अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, न उस के हुक्म को कोई टाल सकता है, वह सब के अमलों को देख रहा है, सब उसी की तरफ़ जाने वाले हैं और वह जल्द हिसाब लेने वाला हैं।

हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसी वक़्त लाठी मारी तो समुन्दर ने बीच में से रास्ता दे दियां मूसा अलैहिस्सलाम और आप के उम्मती पार हो गये और फ़िरऔन और उसके साथी उस दरिया में घुसे तो अल्लाह तआला ने समुन्दर को हुक्म दिया कि मिल जा। वह मिल गया और इस तरह फ़िरऔन को और उसकी फ़ौज को हलाक कर दिया और मूसा अलैहिस्सलाम और आप के साथियों को अल्लाह ने बचा लिया।

अब आइए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अगर आप उम्मती हैं अपने आप को आशिक़े रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) कहते हैं, तो सुन लीजिये, आप क्या फ़रमाते हैं-

हदीस – हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत अबूबक्र रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं कि उन्होंने कहा कि मैं ग़ार में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ था। फिर मैंने अपना सर उठाया, तो मैंने कुछ लोगों के पैर देखे। मैंने अर्ज़ किया कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! अगर इनमें से कोई आदमी अपनी नज़र नीची करेगा, तो हमें देख लेगा। आप ने फ़रमाया, ऐ अबूबक्र ! चुप रहो, (हम) दो आदमी (ऐसे हैं), जिन का तीसरा अल्लाह है।

हवाला –1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 15, पृ० 282, हदीस 1093, हिजरत का

बयान,

2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 142, हदीस 702, बाब 333, फ़ज़ाइले सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम का बयान,
3. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 192, हदीस 953, सूर: तौबा की तफ़्सीर में,
4. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 864, हदीस 5587, मोजिज़ों का बयान,
5. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 1, मोजिज़ों का बयान।

जब मक्का वालों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से दुश्मनी करने में कोई कसर बाक़ी नहीं रखी, यहां तक कि क़त्ल कर देने का भी मश्विरा हो गया, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपने सच्चे साथी हज़रत अबूबक्र सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को साथ लेकर बिल्कुल अकेले मक्का शरीफ़ से निकल कर ख़ुदा के हुक्म से मदीना शरीफ़ की तरफ़ हिजरत कर गये। तीन दिन इस हिक्मत से ग़ार में गुज़ारे कि ढूंढने वाले मायूस होकर वापस चले जाएं, तो यहां से निकल कर मदीना तय्यिबा का रास्ता लें। हज़रत सिद्दीक़े अक्बर रज़ियल्लाहु अन्हु लम्हा ब-लम्हा घबरा रहे थे कि किसी को कहीं पता न चल जाए। उस वक़्त रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जो लफ़्ज़ अपनी मुबारक ज़ुबान से अदा फ़रमाये थे, उन्हें हमारी हिदायत के लिए अल्लाह तआला अपने मुक़द्दस कलामे पाक में बयान फ़रमाता है-

क़ुरआन मजीद के दसवें पारे में, सूर: तौबा के छठे रुकूअ में, आयत न० 40 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता हैं-

तर्जुमा – दो में से दूसरा, जब कि वे दोनों ग़ार में थे, जब यह अपने साथी से कह रहा था कि ग़म न कर, अल्लाह हमारे साथ है।

हदीस – हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि मैं एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पीछे-पीछे था कि आप ने फ़रमाया –

लड़के ! मैं तुझे कुछ बातें सिखाता हूं, तू उन की हिफ़ाज़त कर, अल्लाह तआला तेरी हिफ़ज़त करेगा। अल्लाह तआला (के हुक्म) की हिफ़ाज़त कर, तू अल्लाह को अपने सामने पायेगा और जो कुछ मांगना हो, अल्लाह ही से मांग, अगर मदद तलब करनी हो, तो अल्लाह ही से मदद तलब कर और जान ले कि अगर सारी मख़्लूक़ इस बात पर जमा हो जाए कि तुझे कुछ नफ़ा पहुंचाना चाहे, तो ये तुझे उतना ही नफ़ा पहुंचा सकते हैं, जितना अल्लाह ने तेरे लिए लिख दिया है और अगर सब मिल कर तुझे नुक़्सान पहुंचाना चाहें तो उतना ही नुक़्सान पहुंचा सकेंगे जितना कि अल्लाह तआला ने लिख दिया है। कलम उठा लिए गये और किताबें सूख गयीं।

हवाला –1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 77, हदीस 378, क़ियामत का बयान,

2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 757, हदीस 5043, तवक्कुल का बयान,

3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 256, तवक्कुल का बयान।

इस हदीस की शरह क़ुत्ब गौस समदानी हज़रत सैयद अब्दुल क़ादिर जीलानी रह्मतुल्लाहि अलैहि 'फ़ुतूहुल ग़ैब' में फ़रमाते हैं कि लायक़ है हर मोमिन को कि करे इस हदीस को आईना अपने दिल का, पस अमल करे उस पर तमाम हरकात व सकनात अपने में, ताकि सालिम रहे दुनिया व आख़िरत में और पावे इज़्ज़त दोनों जहां में अल्लाह तआला की रहमत की वजह से।

हवाला – मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 257, तवक्कुल का बयान।

यह है हज़रत ग़ौसे पाक रह्मतुल्लाहि अलैहि का फ़त्वा, मगर आज हमारी जहालत ने हम को ऐसा जाहिल बना दिया है कि न तो क़ुरआन करीम की आयतों पर अमल, न हदीसों की परवा और न फ़ुक़्हा-ए-किराम के फ़त्वों का लिहाज़।

क़ुरआन शरीफ़ के चौथे पारे में, सूरः आले इम्रान के सतरहवें रुकूअ में, आयत न० 160 में, अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है:

तर्जुमा – ईमान वालों को ख़ुदा ही पर भरोसा रखना चाहिए।

हज़रत सय्यिदिना अब्दुल क़ादिर जीलानी रह्मतुल्लाहि अलैहि यानी बड़े पीर साहब फ़रमाते हैं–

साहिबो! पैरवी करो, बिदअ़ती मत बनो, मुवाफ़क़त करो, मुख़ालफ़त न करो, ताबेअ़दार बनो, नाफ़रमान न बनो, मुख़्लिस बनो, मुश्रिक मत बनो। हक़ तआला के तौहीद के मानने वाले बनो और उस के दरवाजे से मत टलो, उसी से मांगो और किसी से न मांगो, उसी से मदद चाहो और ग़ैर से मदद न चाहो, उसी पर भरोसा करो और किसी दूसरे पर भरोसा मत करो।

हवाला – फ़ुयूज़े यज़दानी, पृ० 253, मज्लिस 47।

मेरे अज़ीज़ दोस्त! ईमान वालों को तो अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। पर सैंकड़ों बार अफ़सोस है उन मुसलमानों पर, जो ख़ुदा को छोड़ कर दूसरों पर भरोसा रखते हैं। नफ़ा और नुक़्सान के लिए दूसरों की तरफ़ नज़रें जमाये हुए, उम्मीदें लगाये हुए, आस बांधे बैठे रहते हैं। क्या इसी का नाम तौहीद है?

एक वह ज़माना था कि तौहीद का डंका मुसलमानों ने सारे ज़माने में बजा दिया और आज यह ज़माना है कि सुन्नत वल जमाअत का दावा करने वाले, अपने आप को आशिक़ाने, रसूल समझने वाले, कुछ मुसलमान भाई तो क्या बल्कि अपने आप को पीर मौलवी, सूफ़ी और दरवेश कहलाने वाले भी तौहीद का जनाज़ा निकाल चुके हैं और दूसरों को भी उन्हीं अक़ीदों पर मजबूर करते हैं, जिन पर अमल करके तबाह व बर्बाद हुए हैं। उन के दिमाग़ और अक्ल में इतनी-सी बात भी नहीं बैठती कि तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम जब दुनिया में भेजे गये थे, वे सब के सब तौहीद सिखाने के लिए और दूसरों को छोड़कर ख़ुदा ही की ज़ात पर भरोसा रखवाने के लिये आये थे, मगर हाय हिन्दुस्तान की जहालत! तेरा सत्यानास हो! तूने हमारे

अक्सर मुसलमान भाइयों के ईमान को तो मलियामेट ही कर दिया है।

क़ुरआन करीम के चौदहवें पारे में, सूरः नहल के सातवें रुकूअ में, आयत न० 53-54, में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा – तुम्हारे पास जितनी भी नेमतें हैं, सब उसी की दी हुई हैं। अब भी जब तुम्हें कोई मुसीबत आ जाये, तो उस की तरफ़ नाला व फ़रियाद करते हो और जहां उस ने वह मुसीबत तुम से हटा ली कि तुम में से कुछ लोग अपने रब के साथ शरीक करने लग जाते हैं।

अल्लाह वाहिद के सिवा कोई भी इबादत का हक़दार नहीं। वह ला शरीक है। वह हर चीज़ का पैदा करने वाला है, मालिक है, उसी की इबादत ख़ालिस, हमेशा करनी वाजिब है। और उसके सिवा दूसरों की इबादत के तरीक़े अख़्तियार न करना चाहिये, आसमान और ज़मीन की तमाम मख़्लूक ख़ुशी या नाखुशी में उसी की मातहत है, सब का लौटना उसी की तरफ़ है, खुलूस के साथ उसी की इबादत करो, उस के साथ दूसरों को शरीक करने से बचो, दीने ख़ालिस अल्लाह का ही है, आसमान व ज़मीन की हर चीज़ का मालिक तंहा वही है, नफ़ा और नुक़्सान उसी के अख़्तियार में है, जो कुछ उसके बन्दों के हाथ में है, सब उसी की तरफ़ से है, रोज़ी, नेमत, आफ़ियत और आराम उसी की तरफ़ से है। उसी के फ़ज़्ल और एहसान बन्दों पर हैं और अब भी इन नेमतों के पा लेने के बाद भी तुम ऐसे ही उसके मुहताज हो, मुसीबतें अब भी सर पर शायद आ जाएं, सख़्ती के वक़्त वही याद आता है और गिड़-गिड़ा कर पूरी आजिज़ी के साथ कठिन वक़्त में उसकी तरफ़ झुकते हो, खुद मक्का के मुश्रिकों का भी यही हाल था कि जब समुन्दर में फंस जाते और हवा के झोंके किश्ती को पत्ते की तरह झकोले देने लगते, तो अपने ठाकुरों, देवताओं, बुतों, पीरों, फ़क़ीरों वग़ैरह-वग़ैरह सब को भूल जाते और ख़ालिस खुदा से लौ लगा कर खुलूसे दिल से अल्लाह तआला से बचाव और निजात तलब करते, लेकिन किनारे पर किश्ती के पार लगते ही अपने पुराने खुदा सब याद आ जाते और हक़ीक़ी माबूद के साथ फिर उन की पूजा-पाठ शुरू हो जाती।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 14, पृ० 38, सूरः नह्ल के सातवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

हज़रत सय्यिदिना अब्दुल क़ादिर जीलानी रह्मतुल्लाहि अलैहि यानी बड़े पीर साहब फ़रमाते हैं-

ऐ मुख़ातब ! मैं तुझको मख़्लूक के पास देख रहा हूं, न कि ख़ालिक के पास, तू नफ़्स और मख़्लूक का हक़ तो अदा करता हैं और हक़ तआला का हक़ साक़ित करता है, उसकी नेमतों पर दूसरों का शुक्रिया अदा करता है। ये नेमतें, जिन में तू ग़र्क़ है, तुझ को किस ने दी हैं? क्या ख़ुदा के सिवा किसी दूसरे ने दी हैं, जो तू उस का शुक्रिया अदा करता है और उस को पूज रहा है।

हवाला – फ़ुयूज़े यज़दानी, पृ० 231, मज्लिस 43 ।

अरब के मुश्रिक हिन्दुओं जैसा अक़ीदा रखते थे। जिस तरह हिन्दू यह भी कहते हैं कि ईश्वर जो चाहता है, करता है, उस के ख़िलाफ़ कोई कुछ भी कर नहीं सकता, मगर फिर भी सैंकड़ों माबूद बना रखे हैं, कहीं देवी पूजी जाती है, कोई हनुमान को मानता है, कोई महादेव के लिंग को पूजता है, कोई लक्ष्मण की मूर्ति पर जल चढ़ाता है और फिर हर मुल्क में हर एक क़ौम का जुदा ही माबूद है। आग, पानी, पेड़, सूरज, सितारे कोई चीज़ भी नहीं छोड़ी कि जिस को न पूजते हों। यही हाजत रवा जान कर उन को पुकारना, उन की नज़्र व नियाज़ करना उनकी इबादत है और यह भी कहते हैं कि उन में ईश्वर की माया है। यह भी बड़ी क़ुदरत रखते हैं, यही हाल अरब के मुश्रिकों का था। अफ़सोस हिन्दुस्तान के जाहिल मुसलमानों में भी हिन्दुओं की सोहबत का असर आ गया। ये भी अपने बुज़ुर्गों के साथ क़रीब-क़रीब यही बर्ताव करने लगे। ये इस को तवस्सुल कहते हैं और ग़ैर-क़ौमें अपने बुज़ुर्गों से ऐसे ही मामले करें, तो उस को शिर्क क़रार देते हैं, काम एक ही है।

हवाला – तफ़्सीरे हक़्क़ानी, जिल्द 5, पृ० 225, सूरः मुअ्मिन के पांचवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

तफ़्सीरे हक़्क़ानी के इन लफ़्ज़ों पर ग़ौर किया जाए कि काम एक ही है, चाहे हम अपने बुज़ुर्गों के साथ करें या वे अपने बुज़ुर्गों के साथ करें, जैसे

1. हिन्दू लोग हर साल अपने बुज़ुर्गों की विलादत और शहादत मनाते हैं, तो कुछ मुसलमान भी अपने बुज़ुर्गों की विलादत, शहादत और शादी रचाते-मनाते हैं।

2. हिन्दू लोग जहां चाहें मन्दिर बना लेते हैं, तो कुछ मुसलमान भी जहां चाहें मज़ार या छल्ला या ताज़िया बना लेते हैं।

3. हिन्दू लोग अपने देवी-देवता का हर साल मेला करते हैं और उसमें मर्द-औरत ख़लत-मलत होकर घूमते-फिरते रहते हैं, तो कुछ मुसलमान भी मज़ारों पर उर्स करते हैं और उसमें मर्द-औरत ख़लत-मलत होकर घूमते-फिरते हैं और परदे का कोई एहतिमाम नहीं होता।

4. हिन्दू लोग अपने देवी-देवताओं की मूर्तियों को हर साल नहलाते हैं और इस नहाये हुए पानी को पवित्र समझते हैं, तो कुछ मुसलमान भी अपने बुज़ुर्गों की क़ब्रों को हर साल नहलाते हैं और नहाने के पानी को तबर्रुक या बरकत वाला समझते हैं।

हालांकि शरीअ़त में ग़ुस्ल (नहाना) पूरे इन्सानी जिस्म को शरीअ़त के मुत्ताबिक़ धोने को कहा जाता है, तो क़ब्र के धोने को ग़ुस्ल कहना शरीअ़त में इज़ाफ़ा नहीं तो और क्या है?

ग़ुस्ल का पानी या तो नापाक है, जैसे नजासत (नापाकी) के ग़ुस्ल में, या तो पाक है, मगर इस्तेमाल के क़ाबिल नहीं, जैसे मुस्तहब ग़ुस्ल में, यह है ग़ुस्ल के पानी का शरई हुक्म, मगर शरीअ़त पर इज़ाफ़ा करने वालों ने क़ब्र धोये हुए पानी को अल्लाह के हुक्म से बढ़ा कर न सिर्फ़ इस्तेमाल के क़ाबिल बल्कि तबर्रुक भी बना दिया। यह शरीअ़त में दूसरा इज़ाफ़ा हुआ।

5. हिन्दू लोग मूर्तियों को नहलाने के बाद हर साल उस को नये कपड़े पहनाते हैं और कपड़े पहनाने के बाद फूलों के हार भी पहनाते हैं, तो कुछ मुसलमान भी मज़ारों को ग़ुस्ल देने के बाद हर साल कपड़े की नयी चादर चढ़ाते हैं। चादर चढ़ाने के बाद फूलों की चादर भी चढ़ाते हैं या उस पर फूल बिखेरते हैं।

6. हिन्दू लोग मूर्तियों के पाए को चूमते हैं और सज्दा भी करते हैं, तो मुसलमान लोग भी दरगाह शरीफ़ को चूमते हैं और सज्दा भी करते हैं।

7. हिन्दू लोग देवी-देवता को प्रसाद चढ़ाते हैं और इस प्रसाद को मख़्लूके ख़ुदा को खिलाते हैं या लोगों में तक़्सीम कर देते हैं, तो कुछ मुसलमान भी बुज़ुर्गों को नज़्र व नियाज चढ़ाते हैं और वे मख़्लूके खुदा को खिलाते हैं या बांट देते हैं।

9. हिन्दू लोग देवी-देवता को सहायता करने वाला समझते हैं, तो कुछ मुसलमान भी बुज़ुर्गों को हाजत रवा और मुश्किल कुशा समझते हैं।

10. हिन्दू लोग देवी-देवता को हर जगह और हर वक़्त हाज़िर व नाज़िर समझते हैं, तो कुछ मुसलमान भी बुज़ुर्गों को हर जगह और हर वक़्त हाज़िर व नाज़िर समझते हैं।

11. हिन्दू लोग मूर्तियों के सामने चिराग़ जलाते हैं और गोगुल जला कर उस के धुएं की ख़ुश्बू देते हैं, तो कुछ मुसलमान भी दरगाहों पर चिराग़ भी जलाते हैं और लोबान की ६ ूनी भी देते हैं या अगरबत्ती जलाते हैं।

12. हिन्दु लोग देवी देवताओं के सामने तबले-हारमोनियम वग़ैरह बजाते हैं, और नाचते भी हैं यानी कीर्तन या भजन वग़ैरह करते हैं तो कुछ मुसलमान भी मज़ारों के सामने ढोलक हारमोनियम बजा कर खूब क़व्वलियां करते हैं।

13. हिन्दु लोग देवी-देवताओं की मूर्तियों के बनाने में और मंदिरों के बनाने और सजाने में लाखों रुपए खर्च करते हैं और उसको पुण्य समझते हैं, तो कुछ मूसलमान लोग भी दरगाहों और ताज़ियों को बनाने और सजाने में लाखों रुपए खर्च करते हैं और उसको सवाब और निजात का ज़रिया समझते हैं।

14. हिन्दु लोग हर मन्दिर की हिफ़ाज़त के लिए एक पुजारी रखते हैं और उस को देवता-देवी का महन्त या गद्दीनशीन कहते हैं, तो कुछ मुसलमान भी दरगाह शरीफ़ की हिफ़ाज़त के लिए मुजाविर रखते हैं और उस को दरगाह शरीफ़ का सज्जादा नशीन या गद्दीनशीन कहते हैं।

15. हिन्दु लोग मन्दिरों में जूतियों को साथ लेकर जाना पाप समझते हैं या पुजारी किसी को अन्दर जूतियां हाथ में लेकर आने नहीं देता, तो कुछ मुसलमान भी जूतियों को हाथ में लेकर दरगाह शरीफ़ पर जाना गुनाह समझते हैं और वहां का सज्जादा नशीन किसी इंसान को जूते हाथ में लेकर दरगाह शरीफ़ पर फ़ातिहा पढ़ने के लिए जाने नहीं देगा और बड़ी सख़्ती के साथ रोका जाता है, हांलाकि मस्जिद में आप अपनी जूतियां हाथ में लेकर जा सकते हैं।

16. कुछ हिन्दुओं के शरीर में माता या देवी-देवता आते हैं, उस वक़्त वे बे-काबू हो कर सर हिलाते हैं और झूमते हैं तो कुछ मुसलमानों के ऊपर सवारी आती है किसी वली की या किसी इमाम वग़ैरह की ये भी बे-क़ाबू होकर फिर सर हिलाते हैं और नाचने लगते हैं।

17. हिन्दु लोग हर साल रामलीला करते हैं और इस में क़िस्म क़िस्म के भेस बना कर नाचते-कूदते हैं और गाते-बजाते भी हैं, तो कुछ मुसलमान भी ताज़ियों में लगूंर, चीता और भालू वग़ैरह बनते हैं, फिर खूब नाचते-कूदते हैं और ढोल-ताशे, शहनाइयां भी बजाते हैं और मर्सिया वग़ैरह गाते हैं।

18. हिन्दु लोग अपने अज़ीज़ों के मरने के बाद तीजा, दसवां सोलहवां करते हैं, तो कुछ मुसलमान अपने अज़ीज़ों के मरने के बाद तीज़ा, दसवां और बीसवां करते हैं।

19. हिन्दु लोग तन्हाई में आंखें बन्द कर के ध्यान खींचते हैं, जिनमें भगवान का या देवी-देवता का या अपने गुरु का ध्यान जमाते हैं, यानी उन की शबीह (चित्र) को अपने सामने लाते हैं, तो कुछ मुसलमान भी तंहाई में आंखें बन्द करके अपने पीर का या मशाइख़ का तसव्वुर जमाते और उसको अपनी तवज्जोह का क़िब्ला बनाते हैं और कुछ तो पीर की तस्वीर को भी सज्दा करते हैं।

20. हिन्दु लोग अपने देवी देवता के नाम का जानवर पालते हैं और उस जानवर को उन्हीं के नाम पर छोड़ देते हैं या उनके स्थानों पर ले जा कर उसकी भेंट चढ़ाते हैं, इस नीयत से कि देवी-देवता का क़ुर्ब हासिल हो, तो कुछ मुसलमान भी बुज़ुर्गों के नाम का जानवर पालते हैं और उन्हीं के नाम पर छोड़ देते हैं, या मज़ारों पर लेजा कर ज़िब्ह करते हैं ताकि उनको बुज़ुर्गों का क़ुर्ब हासिल हो।

21. हिन्दु लोग अपने-अपने त्यौहारों में देवी-देवता की मूर्ति बना कर खूब सजाते हैं, उनके सामने खूब नाचते हैं, खेल-तमाशे करते हैं, साज़ वग़ैरह बजाते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद उस मूर्ति को कंधों पर या लारियों पर उठा कर चलते हैं, शहर और क़स्बे के बाज़ार, गली और कूचों में फिराते हैं, उस वक़्त भी उस मूर्ति के सामने नाचते-कूदते, खेल-तमाशे करते हुए साज़ वग़ैरह बजाते हुए खूब धूम-धाम से लेकर चलते हैं और शाम के वक़्त उस मूर्ति को दरिया में या किसी नहर में या किसी तालाब में डुबो देते हैं, तो कुछ मुसलमान भी ताज़िया बनाते हैं और उन को खूब सजाते हैं, फिर उस के सामने कुछ दिन नाचते-कूदते हैं, खेल-तमाशे करते हैं, ढोल-ताशे और शहनाइयां खूब बजाते हैं, फिर दसवीं मुहर्रम को, गली-कूचों में फिराते हैं, उस वक़्त भी ताज़िए के आगे-आगे खूब नाचते हैं, मर्सिए गाते हैं, खेल-तमाशे करते हैं, ढोल-ताशे शहनाइयां बजाते हैं, फिर शाम को उस ताज़िए को दरिया में या नहर में या किसी तालाब में डुबो देते हैं, दफ़्न नहीं करते और जनाज़े की नमाज़ भी नहीं पढ़ते असल बात यह है कि हम हिन्दुस्तानी मुसलमान हैं और हिन्दुओं में से मुसलमान

हुए हैं, तो देखने में तो मुसलमान हैं, लेकिन पुरानी जो आदत थी, वह नहीं गयी, सिर्फ़ रुख़ बदला है। हिन्दु लोग अपने बुज़ुर्गों के साथ करते हैं और मुसलमान अपने बुज़ुर्गों के साथ करते हैं, हालांकि शरीअ़त इन कामों की किसी को भी इजाज़त नहीं देती।

क़ुरआन शरीफ़ के पन्द्रहवें पारे में सूरः बनी इस्राराईल के सातवें रुकूअ में आयत न० 67 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – समुन्दर में मुसीबत पहुंचते ही जिन्हें पुकारते थे, उन सब को भूल जाते हैं, सिर्फ़ वही खुदा बाक़ी रह जाता है, फिर जब वह तुम्हें खुश्की की तरफ़ बचा लाता है, तो मुहं फेर लेते हो। इंसान बड़ा ही ना शुक्रा है।

अल्लाह तबारक व ताआला का इर्शाद हो रहा है कि बन्दे मुसीबत के वक़्त तो खुलूसे दिल के साथ अपने परवरदिगार की तरफ़ झुकते हैं, उसी से दिली दुआएं करते हैं। और जंहा वह मुसीबत खुदा ने टाल दी कि ये आंखें फेर लेते हैं। मक्का की जीत के वक़्त, जबकि अबू जह्ल का लड़का इक्रिमा हब्शा जाने के इरादे से भागा और नाव में बैठ कर चला तो इत्तिफ़ाक़ से नाव तूफ़ान में फंस गयी। हवा के झोंके उसे पत्ते की तरह हिलाने लगे, उस वक़्त नाव में जितने कुफ़्फ़ार थे, सब के सब एक दूसरे से कहने लगे कि इस वक़्त सिवाए अल्लाह तआला के और कोई कुछ काम नहीं आयेगा, उसी को पुकारो।

इक्रिमा के दिल में उसी वक़्त ख़्याल आया कि जब तरी में सिर्फ़ वही अकेला अल्लाह काम आ सकता है तो ज़ाहिर है कि खुश्की में भी वही काम आ सकता है। ऐ अल्लाह! मैं नज़्र मानता हूं कि अगर तूने मुझे इस आफ़त से बचा लिया तो मैं सीधा जा कर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हाथ में हाथ दे दूंगा और यक़ीनन वह मुझ पर मेहरबानी और रहम व करम फ़रमाएंगे। चुनांचे समुन्दर से पार होते ही वह सीधे रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए और इस्लाम क़ुबूल किया। फिर तो इस्लाम के पहलवान साबित हुए। रज़ियल्लाहु अन्हु !

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 15, पृ० 56, सूरः बनी इस्राईल के सातवें रुकूअ में तफ़्सीर में।

ऐ दोस्त मेरे ! आप यह न समझना कि उस ज़माने में, जबकि क़ुरआन करीम नाज़िल हो रहा था, कोई अल्लाह तआला को मानने वाला ही न था। यह ख़्याल आप का बिल्कुल ग़लत है। उस ज़माने में भी अल्लाह तआला को बराबर मानते थे, फिर भी शिर्क व कुफ़्र करते थे।

मुश्रिक दो क़िस्म के थे, बल्कि अब भी हैं–

1. एक तो वे जो पत्थर या और चीज़ों की मूर्तियों को पूजते थे, और
2. दूसरे वे जो बुज़ुर्गों को पूजते थे।

हवाला – तफ़्सीरे, हक़्क़ानी जिल्द 5, पृ० 34, सूरः नह्ल के दसवें रुकूअ की तफ़्सीर में। अक्सर उम्मतें ख़ालिक़ के वजूद की क़ायल थीं (और वे इस बात को मानते थे कि खुदा

के सिवा और कोई कुछ भी नहीं कर सकता) फिर भी औरों की इबादत उन्हें वास्ता देकर वसीला जान कर खुदा से नज़दीक करने वाले और नफ़ा देने वाले समझ कर करती थी।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 13, पृ० 59, सूरः इब्राहीम के दूसरे रुकूअ की तफ़्सीर में।

अफ़सोस ! आज हिन्दुस्तान के कुछ जाहिल मुसलमान भाइयों की भी यही हालत है जो अगले काफ़िरों और मुश्रिकों की थी।

क़ुरआन शरीफ़ के छठे पारे में सूरः माइदा के दसवें रुकूअ में आयत न० 76 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – कह दे कि क्या तुम अल्लाह के सिवा उन की इबादत करते हो, जो न तुम्हारे नुक़सान के मालिक और न किसी नफ़ा के। अल्लाह ही खूब सुनने वाला और पूरी तरह जानने वाला है।

खुदा के सिवा जिनकी इबादत की जाती है, उससे मना किया जा रहा है कि उन तमाम लोगों से कह दो कि वह तुम्हारे दुख को मिटाने की और नफ़ा पहुंचाने की कुछ भी ताक़त नहीं रखते। आख़िर तुम क्यों उन्हें पूजते हो और पुकारते हो ? तमाम बातों का सुनने वाला, तमाम चीज़ों को जानने वाला सिवाए अल्लाह तआला के और कौन है? तुम लोग उस से हट कर कहां भागे जा रहे हो ? बे-क़ुदरत चीज़ों के पीछे पड़ जाना कौन-सी अक़्लमंदी है !

ऐ अह्ले किताब ! हक़ की पैरवी की हदों से आगे न बढ़ों, जिस की इ़ज़्ज़त करने का जितना हुक्म हो उतनी ही उस की इ़ज़्ज़त करो। इंसानों को जिन्हें खुदा ने नुबूव्वत दी है, नुबूवत के दर्जे से खुदाई के दर्जे तक न पहुंचाओ, जैसे कि तुम जनाबे मसीह के बारे में ग़लती कर रहे हो और इसकी कोई वजह नहीं,अलावा इसके कि तुम अपने गुमराह-पीरों, मुर्शिदों, उम्मतों और इमामों के पीछे लग गए हो। वे तो खुद ही गुमराह हैं, बल्कि गुमराह करने वाले हैं। इस्तिक़ामत और अदल के रास्ते छोड़े हुए उन्हें जमाना गुज़र गया है। उन को तो गुमराही और बिदअतों में मुब्तला हुए एक समय हो गया।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 6, पृ० 125, सूरः के दसवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

क़ुरआन शरीफ़ के तेरहवें पारे में सूरः यूनुस के बारहवें रुकूअ में आयत न०106 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – इन में से अक्सर लोग बावजूद खुदा पर ईमान रखते हुए भी मुश्रिक हैं।

अल्लाह तआला फ़रमा रहा है कि खुदा पर ईमान फिर शिर्क से दस्तबरदारी नहीं। आसमान व ज़मीन पहाड़ और पेड़ों का, इंसानों और जिन्नों का और तमाम कायनात का खुदावंदे करीम को मालिके मुख़्तार मानते हैं, लेकिन फिर भी उस का शरीक ठहराते हैं।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 13, पृ० 19, सूरः यूसुफ़ के बारहवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

जिस क़दर मुश्रिक गिरोह हैं, वे जो ग़ैर-अल्लाह को पूजते हैं (यानी अल्लाह के सिवा जिस को पूजते या पुकारते हैं) ज़रूर उन को ज़िंदा और निगहबान समझते हैं। अल्लाह तआला के कारख़ाने में नफ़ा और नुक़्सान का मालिक व मुख़्तार भी जानते हैं। अरब के मुश्रिक बुतों को, अवहि ग़ैर-मरईया (यानी अनदेखी रूहें, जिन्न, भूत-प्रेत वग़ैरह) को और ईरानी लोग अनासिर और सितारों को, कुछ फ़रिश्तों और खुदा के बरगुज़ीदा बन्दों को पूजते पुकारते हैं, उन की नज़्र व नियाज़ करते हैं, इस एतकाद से कि वे कारसाज़ हैं (यानी मदद कर सकते हैं) हमारे काम बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। ऐसा अक़ीदा रखना इस्लाम मज़हब में कुफ़्र है।

हवाला – तफ़्सीर हक़्क़ानी, जिल्द 3, पृ० 93, सुरः आले इम्रान के पहले रुकूअ की तफ़्सीर में।

हदीस – हज़रत इम्रान बिन हसीन रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मेरे बाप से फ़रमाया कि तुम आजकल कितने माबूदों को पूजते हो?

उन्होंने जवाब दिया कि सात माबूदों को, जिन में से छः ज़मीन में हैं और एक आसमान पर।

हूज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, फिर तुम उन में से उम्मीद और डर किस से रखते हो ?

मेरे वालिद ने जवाब दिया कि आसमान वाले से। (मुख़्तार)

हवाला – तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 316, हदीस 1334, दुआ का बयान।

क़ुरआन मजीद के नवें पारे में सूरः आराफ़ के चौबीसवें रुकूअ में आयत न० 197 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है।

तर्जुमा – और तुम जिन लोगों की खुदा को छोड़ कर इबादतें करते हो, वे तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं कर सकते हैं और न वे अपनी मदद कर सकते हैं।

जिन को तुम पूजते हो, न वे तुम्हें कुछ मदद दे सकते हैं और न वे खुद की कुछ मदद कर सकते हैं। ईसाइयों के क़ौल के मुताबिक़ मसीह को यहूदियों ने सूली दी और वे कुछ न कर सके। इसी तरह और बुज़ुर्ग जिन को तुम पूजते हो, मौत और बीमारी से निजात न पा सके। (वे तुम्हारी क्या मदद करेंगे ?)

हवाला – तफ़्सीरे हक़्क़ानी, जिल्द 4, पृ० 179, सूरः आराफ़ के चौबीसवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

इस आयते करीमा में दो बातें बतायी जा रही हैं-

1. एक तो यह है कि तुम लोग खुदा को छोड़ कर जिन-जिन को पूज रहे हो और नज़्र

व नियाज़ चढ़ा रहे हो और उन के नाम के नारे लगा रहे हो, इस उम्मीद पर कि ये हमारी मदद करेंगे, वे नबी हों या वली, जिन्न हों या फ़रिश्ते या खुदा की मख़्लूक़ में से कोई भी हो, वे तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं कर सकते।

2. दूसरी बात यह बतायी जा रही है कि वे खुद अपनी मदद नहीं कर सकते, वे तुम्हारी मदद क्या करेंगे ?

अब पहली बात को समझें-

हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हाबील को न बचा सके और क़ाबील ने उसको मार डाला। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को न बचा सके; वह बाढ़ में डूब गया।

हज़रत लूत अहिस्सलाम अपनी बीवी को न बचा सके, वह हलाक हो गयी।

हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को न बचा सके, वह भी बाढ़ में डूब गयी।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपने साहबज़ादे हज़रत इब्राहीम को न बचा सके। वह आप की गोद ही में वफ़ात पा गये।

इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने आप के चाहने वालों को और मासूम बच्चों को भी शहीद कर दिया गया, लेकिन वह उन को बचा न सके।

दूसरी बात यह है कि वह खुद अपनी मदद भी नहीं कर सकते, वह आप की क्या मदद करेंगे ?

इब्लीस के गले में लानत का तौक़ डाल दिया गया, लेकिन वह खुद अपनी मदद नहीं कर सका।

हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन वह खुद अपनी मदद नहीं कर सके।

हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया, लेकिन वह खुद अपनी मदद नहीं कर सके।

हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहरे क़ुल्ज़ुम (लाल सागर) के किनारे खड़े रहे, लेकिन वह खुद अपनी मदद नहीं कर सके।

हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में डाल दिया गया, लेकिन वह खुद अपनी मदद नहीं कर सके।

हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तीन दिन तक ग़ार में छिपे पड़े रहे, लेकिन वह खुद अपनी मदद नहीं कर सके।

हज़रत अमीरे हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हो गये, लेकिन अपनी मदद नहीं कर सके।

हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को एक गुलाम ने शहीद कर दिया लेकिन वह खुद अपनी मदद नहीं कर सके।

हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु को भूखा-प्यासा शहीद कर दिया गया, लेकिन वह खुद अपनी मदद नहीं कर सके।

हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया गया, लेकिन वह खुद अपनी मदद नहीं कर सके।

हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु को ज़हर देकर शहीद कर दिया गया, लेकिन वह खुद अपनी मदद नहीं कर सके।

हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को करबला के मैदान में मय ख़ानदान के शहीद कर दिया गया, लेकिन वह न तो अपनी मदद कर सके, न ही वह दूसरों की मदद कर सके। इन मामलों में ये बुज़ुर्ग हस्तियां अपनी ज़िन्दगी में न तो दूसरों की मदद कर सकीं, न तो अपने आप की मदद कर सकीं। नबी, वली, पीर,ग़ौस, क़ुत्ब, जिन्न, फ़रिश्ता कोई भी खुदा की दी हुई क़ुदरत के दायरे से बाहर किसी की मदद नहीं कर सकता। जब वे अपनी ज़िदगियों में इस बारे में मदद के मुख़्तार नहीं थे, तो फिर वफ़ात के बाद हमारी मदद कैसे कर सकते हैं। अगर वफ़ात के बाद भी मदद कर सकते तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की और हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु की और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़रूर मदद करते और करबला की लड़ाई में तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु और तमाम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अज-मईन जो दुनिया से गुज़र चुके थे, सारे के सारे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मदद को आ जाते लेकिन कोई कुछ मदद नहीं कर सका, तो फिर जलाल शाह और कमाल शाह, ज़ाहिर शाह और बातिन शाह, रोशन शाह और अन्धेर शाह ग़ैबन शाह और दावल शाह, यतीम शाह और अमीर शाह, पत्ते शाह और मटके शाह, छोटा पीर और बड़ा पीर तुम्हारी मदद क्या करेंगे ?

ज़रा सोचो भी तो जब नबी अक्रम सल्लललाहु अलैहि व सल्लम और सहाबा किराम रिज्वानुल्लाहि अलैहिम अज-मईन भी नहीं मदद कर सकते, तो फिर औलिया अल्लाह को हाज़िर व नाज़िर और मुस्तक़िल मददगार समझना खुला शिर्क नहीं तो और क्या ? जो कुछ भी मांगना हो, खुदा ही से मांगों, क्यों अपना ईमान खोते हो?

क़ुरआन करीम के नवें पारे में सूर: आराफ़ के चौबीसवें रुकूअ में, आयत न० 192 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – और वे उन को किसी क़िस्म की मदद नहीं दे सकते और वे खुद अपनी ही मदद नहीं कर सकते।

हदीस – हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया–

'तुम में से हर एक अपनी तमाम हाजतें अपने पवरदिगार से मांगे, यहां तक कि जूतियों का तस्मा टूट जाए, तो वह भी अल्लाह से ही मांगे।

हवाला – 1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 349, हदीस 1461, अब-वाबुद्-दुआ,
2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 370, हदीस 2128, दुआ का बयान,
3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 245, दुआ का बयान।

हदीस – हज़रत साबित बुनानी रज़ियललाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि–

तुम में से हर आदमी अल्लाह ही से अपनी हाजत मांगे, यहां तक कि नमक भी उसी से मांगे।

हवाला – तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 349, हदीस 1462, दुआ का बयान।

क़ुरआन शरीफ़ के सोलहवें पारे में सूरः कह्फ़ के बारहवें रुकूअ में आयत न० 102 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – सो क्या फिर इन काफ़िरों का ख़्याल है कि मुझ को छोड़ कर मेरे बन्दों को अपना कारसाज़ यानी मददगार समझते हैं। हम ने काफ़िरों की मेहमानी के लिए दोज़ख़ को तैयार कर रखा है। हमने वहां उन के लिए बजाए निजात के जहन्नम तैयार कर रखी है। यह उन की मेहमानी और ज़ियाफ़त है। दुनिया में जो कुछ इन माबूदों की इबादत में कोशिशें की थीं, माल खर्च किये थे, उस बातिल तरीक़े को ग़ालिब करने के लिए अह्ले हक़ से लड़ते थे, हक़ के मिटाने में माल व जान ख़र्च करते थे और उस को दुनिया व आख़िरत की कामियाबी समझते थे।

हवाला – तफ़्सीरे हक़्क़ानी, जिल्द 5, पृ० 144, सूरः कह्फ़ का बारहवां रुकूअ।

हज़रत सैयद अब्दुल क़ादिर जीलानी साहब रह्मतुल्लाहि अलैहि यानी बड़े पीर साहब फ़रमाते हैं–

जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत है, आप ने फ़रमाया है कि–

'मलऊन है वह आदमी, जिस का भरोसा अपनी जैसी मख़्लूक़ पर हो।'

कितनी कसरत से हैं वे लोग जो इस लानत में दाख़िल हुए। बहुतेरी मख़्लूक़ में से एक-आध ही होगा जो हक़ तआला पर भरोसा रखता होगा और जिसने हक़ तआला पर भरोसा किया तो बेशक उसने मज़बूत कड़ा थाम लिया और जिसने अपनी जैसी (कमज़ोर मुहताज) मख़्लूक़ पर भरोसा किया, उस की मिसाल ऐसी है जैसे कोई आदमी मुट्ठी में पानी बन्द कर के (समझे कि पानी पर क़ब्ज़ा कर लिया और) अपना हाथ खोले तो उस में कुछ भी नज़र न आए, तुझ पर अफ़सोस मख़्लूक़ तेरी हाज़तें एक-दो दिन पूरी कर देगी तीन दिन पूरी कर देगी महिना

भर पूरी कर देगी साल-दो साल पूरी कर दूगी, आख़िरकार तंग आ जाएगी (और घबरा कर रुख़ बदल देगी) तो हक़ तआला की सोहबत अख़्तियार कर और उसी पर अपनी हाज़तें पेश कर कि दुनिया हो या आख़िरत, न वह तुझ से कभी तंग आएगा और न घबराएगा-

हवाला - फ़ुयूज़े यज़दानी, पृ० 243, मज्लिस 45।

क़ुरआन शरीफ़ के पच्चीसवें पारे में सूरः शूरा के चौथे रुकूअ में आयत न० 31 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - ख़ुदा के सिवा और कोई तुम्हारा हामी और मददगार नहीं है।

बला को दफ़ा करने के लिए औरों को पुकारते हैं या हासिल करने मुनाफ़ा में औरों की तरफ़ रुजूअ करते हैं। (यह शिर्क है)

हवाला - मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 41, किताबुल ईमान, कबीरा गुनाहों का बयान।

जिसने गुमान किया कि भलाई या बुराई ग़ैर की तरफ़ से होती है, वह अल्लाह तआला से काफ़िर हुआ और उस की तौहीद बातिल हुई।

हवाला - ऐनुल हिदाया, जिल्द 1, पृ० 10, अक़ाइद का बयान।

क़ुरआन करीम के तीसरे पारे में सूरः आले इम्रान के सातवें रुकूअ में आयत न० 68 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - अल्लाह तआला ईमान वालों का हामी है (और मददगार)।

क़ुरआन करीम के इक्कीसवें पारे में सूरः रूम के पांचवें रुकूअ में आयत न० 47 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - हम पर मोमिनों की मदद लाज़िम है।

बहुत ही सच है अल्लामा हाली रह० ने

करें ग़ैर गर बुत की पूजा तो काफ़िर,
जो ठहराए बेटा, ख़ुदा का तो काफ़िर,
झुकें आग पर बहरे सज्दा तो काफ़िर,
कवाकिब में मानें करिश्मा तो काफ़िर,

मगर मोमिन पर कुशादा है राहें,
परस्तिश करें शौक़ से जिस की चाहें।

नबी को जो चाहें ख़ुदा कर दिखाएं,
इमामों का रुत्बा नबी से बढ़ाएं,

मज़ारों पे दिन-रात नज़्रें चढ़ाए,
शहीदों से जा-जा के मांगें दुआएं।

न तौहीद में कुछ ख़लल इस से आए,
न इस्लाम बिगड़े, न ईमान जाए।

वह दीं जिस से तौहीद फैली जहां में,
हुआ जल्वा गर हक़ ज़मीन व जहां में,
रहा शिर्क बाक़ी न वह्म व गुमां में,
वह बदला गया आके हिन्दूस्तां में।

हमेशा से था जिसपे इस्लाम नाज़ां,
वह दौलत भी खो बैठे आख़िर मुसलमां।

नफ़ा और नुक़्सान का ग़ैर अल्लाह को अख़्तियार नहीं

अब आइए मेरे अज़ीज़ दोस्त ! दूसरी आयतें और हदीसें सुनाऊं, जिन के सुनने और पढ़ने से इंसान का ईमान मज़बूत और तौहीद पक्की हो जाती है, मगर ज़रा ठंडे दिल से इत्मीनान के साथ बग़ैर ग़ुस्सा और ज़िद के पढ़ने की मेहरबानी करना। अगर ग़ुस्सा करोगे तो मेरा इन्शाअल्लाह कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आप ख़ुद ही समझने और संभलने से महरूम रह जाओगे।

क़ुरआन शरीफ़ के बारहवें पारे में सूर: हूद के चौथे रुकूअ में आयत न० 42-43 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तुर्जमा – और वह किश्ती उन्हें लेकर मौजों में पहाड़ों की तरफ़ जा रही थी, नूह अलैहिस्सलाम ने अपने लड़के को, जो एक किनारे पर खड़ा था, पुकार कर कहा कि प्यारे बेटे ! हमारे साथ सवार हो जा और काफ़िरों में न रह। उसने जवाब दिया कि मैं तो किसी बड़े पहाड़ की तरफ़ पनाह में आ जाऊंगा, ज़ो मुझे बचा लेगा।

नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज अल्लाह के हुक्म से बचाने वाला कोई नहीं हैं, सिर्फ़ वही बचेंगे, जिन पर ख़ुदा का रहम होगा। अचानक बीच में मौज रोक बन गई और वह डूबने वालों में से हो गया।

जब नूह अलैहिस्सलाम नाव पर सवार होकर समुन्दर में चलते हैं, उस वक़्त उनका एक बेटा था। नाम उसका कनआन लिखते हैं। वह जाहिलों की सोहबत में रहता था। नूह

अलैहिस्सलाम का लख़्ते जिगर और नूरे नज़र था। बेटे को इस हालत में देख कर कि वह किनारे पर खड़ा है, बाप की मोहब्बत जोश में आ गयी और अपने बेटे को समझाने लगे-

ऐ बेटा! मेरे साथ नाव पर सवार हो जा और मेरे कहने को मान ले और जाहिल काफ़िरों की मुहब्बत को छोड़ दे, तो कनआन ने जवाब दिया कि मुझे तुम्हारी किश्ती की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तो किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा। उस पहाड़ की ऊंचाई की वजह से मैं बच जाऊंगा। नूह अलैहिस्सलाम ने समझाया कि आज अल्लाह का हुक्म ऐसा ही है कि कोई बच नहीं सकता। बेहतर यही है कि तू किश्ती में आ जा, मगर वह न माना फिर क्या हुआ, वह सुनिए-

क़ुरआन शरीफ़ के बारहवें पारे में सूरः हूद के चौथे रुकूअ में, आयत न० 45-46 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तुर्जमा - नूह (अलैहिस्सलाम) ने अपने परवरदिगार को पुकारा और कहने लगा, मेरे रब! मेरा बेटा तो मेरे घर वालों में से है। यक़ीनन तेरा वायदा बिल्कुल सच्चा है और तू तमाम हाकिमों से बेहतर हाकिम है। अल्लाह तआला ने फ़रमाया, ऐ नूह! यक़ीनन वह तेरे घराने के लोगों में नहीं है। उस के काम बिल्कुल ही ना शाइस्ता हैं। तुझे हर गिज़ उस चीज़ को न मांगनी चाहिए, जिस का तूझे बिल्कुल इल्म न हो। मैं तुझे नसीहत करता हूं कि तू नादानों में से अपनी गिनती कराने से रुक जाए।

मेरे प्यारे दोस्त! आपने देखा कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को बचाने के लिए दुआ की लेकिन कुबूल न हुई और तंबीह की गयी और कन!आन बाढ़ में डूब कर हलाक हो गया। आप देखते रहे, लेकिन बचा न सके, क्योंकि अख़्तियार नहीं था। अगर नूह अलैहिस्सलाम का कुछ अख़्तियार होता या बस चलता, तो वह अपने बेटे को हरगिज़ कुफ़्र की तरफ़ न जाने देते और न बाढ़ में डूबने देते, मगर अख़्तियार सिर्फ़ इतना था कि अल्लाह तआला से दुआ करें, वह अपने रहम व करम से कुबूल कर लें, तो उसकी मेहरबानी है और अगर कुबूल न करें तो उस के अख़्तियार की बात है। बहरहाल वह आख़री हथियार जो दुआ का नूह अलैहिस्सलाम के पास था। वह भी अल्लाह के दरबार में आज़मा चुके, लेकिन कामियाब न हुए, बल्कि धमकाये जा रहे हैं कि ऐ नूह! अब के अगर दुआ मांगी या जुबान हिलाई या हाथ उठाये तो तेरी गिनती नादानों में हो जाएगी।

यह सुन कर नूह अलैहिस्सलाम थर्रा उठे और मारे डर के कहने लगे-

क़ुरआन करीम के बारहवें पारे में सूरः हूद के चौथे रुकूअ में आयत न० 47 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - नूह (अलैहिस्सलाम) ने कहा, परवरदिगार! मैं तुझ से पनाह मांगता हूं कि ऐसी चीज़ का तुझ से सवाल करूं, जिस की मुझे हक़ीक़त मालूम नहीं और अगर तू मुझे नहीं बख़्शेगा और मुझ पर रहम नहीं करेगा, तो मैं तबाह हो जाऊंगा।

बेटे की हक़ीक़त तो भूल गये, अब अपनी फ़िक्र होने लगी।

क़ुरआन शरीफ़ के अठाईसवें पारे में सूर: मुम्तहिन: के पहले रुकूअ में, आयत न० 4 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – लेकिन हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) की इतनी बात तो अपने बाप से हुई थी कि मैं तुम्हारे लिए इस्तग़्फ़ार ज़रूर करूंगा और तुम्हारे लिए मुझे खुदा के सामने किसी चीज़ का अख़्तियार कुछ भी नहीं है।

मेरे प्यारे दोस्त ! दुनिया जानती है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप बुत परस्त बुततराश और बुत-फ़रोश था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बहुत समझाया, मगर न समझा। आख़िर एक हथियार जो आप के पास था, उसको आपने आज़माया यानी अल्लाह तआला से आपने अपने बाप के लिए दुआ की तो अल्लाह तआला की तरफ़ से हुक्म होता है–

क़ुरआन शरीफ़ के ग्यारहवें पारे में, सूर: तौबा के चौदहवें रुकूअ में, आयत न० 114 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता हैं–

तर्जुमा – इब्राहीम अलैहि० का अपने वालिद के लिए इस्तग़फ़ार तो सिर्फ़ इस वायदे की वजह से था जो उससे वह कर चुका था। फिर जब उस पर खुल गया कि वह ख़ुदा का दुश्मन है तो वह उसी वक़्त उस से बेज़ार हो गया। इब्राहीम तो बड़ा ही नर्म दिल, बुर्दबार था।

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फ़रमाया–

क़ियामत के दिन इब्राहीम अपने बाप आज़र से मिलेंगे और आज़र के चेहरे पर उस वक़्त स्याही और ग़ुबार होगा, तो उस से इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहेंगे, क्या मैंने तुम से न कहा था कि तुम मेरी ना-फ़रमानी न करो। तो उन का बाप कहेगा कि अब से मैं तुम्हारी नाफ़रमानी न करूंगा। पस इब्राहीम अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे, ऐ परवरदिगार ! तू ने मुझसे फ़रमाया था कि तुझे रुसवा न करूंगा, जिस दिन लोग जमा किये जाएंगे (यानी क़ियामत के दिन) पस अब कौन-सी रुसवाई मेरे बाप की ज़िल्लत से ज़्यादा होगी। अल्लाह तआला फ़रमायेगा, मैंने तो ज़न्नत काफ़िरों पर हराम कर दी है। फिर कहा जाएगा कि ऐ इब्राहीम ! तुम्हारे पैरों के नीचे क्या चीज़ है ? वह देखेंगे, तो एक गुफ़्तार (यानी बिज्जू) ख़ून में लिथड़ा हुआ पाएंगे। पस उस के पैर पकड़ लिए जाएंगे और वह दोज़ख में डाल दिया जाएगा।

हवाला – 1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 13, पृ० 149, हदीस 572, अंबिया की पैदाइश का बयान,

2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 4, पृ० 801, हदीस 5275, हश्र का बयान,

3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 372, हश्र का बयान।

मेरे प्यारे दोस्त ! देखा! अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अख़्तियार चलता, तो अपने

बाप को दोज़ख में जाने देते ? हरगिज़ नहीं। लेकिन अख़्तियार सिर्फ़ दुआ करने का था, वह कर चुके, मगर क़ुबूल न हुई।

कुछ लोग कहते हैं कि आज़र इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप नहीं था, बल्कि इब्राहीम के चाचा का नाम आज़र था। ये लाग बग़ैर तहक़ीक़ के जो दिल में आये, वह कह देते हैं। आपने ऊपर की हदीस सही बुख़ारी शरीफ़ की पढ़ ली है। अब ज़रा कलाम मजीद को भी देख लें कि आज़र इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप का नाम था या चाचा का।

क़ुरआन करीम के सातवें पारे में सूरः अन्-आम के नवें रुकूअ में आयत न॰ 74 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – और वह वक़्त भी याद करने के क़ाबिल है, जब इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने अपने बाप आज़र से फ़रमाया कि क्या तू बुतों को माबूद क़रार देता है ? बेशक मैं तुझे और तेरी सारी क़ौम को खुली ग़लती में देखता हूं।

क़ुरआन शरीफ़ के अठाईसवें पारे में सूरः तह्रीम के दूसरे रुकूअ में, आयत न॰ 10 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – अल्लाह तआला काफ़िरों के लिए नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का हाल बयान फ़रमाता है। वे दोनों हमारे ख़ास बन्दों में से दो बंदों के निकाह में थीं, सो उन औरतों ने उन दोनों बन्दों की ख़्यानत की। वे दोनों बन्दे अल्लाह के मुक़ाबले में उन को ज़रा भी काम न आ सके और उन दोनों औरतों को हुक्म हो गया कि जाने वालों के साथ तुम दोनों भी जहन्नुम में चली जाओ।

अल्लाह तआला मिसाल देकर समझा रहा है कि काफ़िरों का मुसलमानों से मिलना-जुलना, ख़लत-मलत, उन्हें उन के कुफ़्र की वजह से ख़ुदा के यहां कुछ भी नफ़ा नहीं दे सकता । देखो, दो पैग़म्बरों की औरतें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की, जो हर वक़्त उन नबियों की सोहबत में रहने वाली और दिन-रात साथ उठने-बैठने वाली और साथ ही खाने-पीने, बल्कि सोने-जागने वाली थीं, लेकिन चूंकि ईमान व अमल में उन के साथ न थी और अपने कुफ़्र पर क़ायम थीं, पस पैग़म्बरों की आठ पहर की सोहबत उन्हें कुछ काम न आयी, हालांकि वे नबी थे, उन्हें आख़िरत का नफ़ा कुछ भी न पहुंचा सके और न आख़िरत के नुक़्सान से बचा सके, बल्कि उन औरतों को भी जहन्नमियों के साथ जहन्नम में जाने का हुक्म दे दिया गया।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 28, पृ॰ 102, सूरः तह्रीम के दूसरे रुकूअ की तफ़्सीर में।

क़ुरआन करीम के अठाईसवें पारे में, सूरः तहरीम के दूसरे रुकूअ में आयत न॰ 11 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – अल्लाह तआला ईमान वालों के लिए फ़िरऔन की बीवी (हज़रत आसिया

रज़ियल्लाहु अन्हा) का हाल बयान फ़रमा रहा है, जबकि उसने कहा कि ऐ मेरे पालनहार! मेरा मकान जन्नत में अपने पड़ौस में बना और मुझे फ़िरऔन से और उस के अमल से बचा और ज़ालिमों के ज़ुल्म से बचा।

अल्लाह तआला हमारी हिदायत के लिए और नसीहत के लिए फ़िरऔन की बीवी हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा का हाल बयान फ़रमा रहा है कि मुसलमानों का काफ़िरों के साथ ख़लत-मलत रहने से ईमान वालों को कोई नुक़्सान नहीं और काफ़िरों को ईमान वालों के साथ रहने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा फ़िरऔन की बीवी थीं लेकिन फ़िरऔन को जहन्नम से नहीं बचा सकीं। फ़िरऔन जहन्नम में होगा और उसकी बीवी जन्नत में होंगी।

ऐ मेरे दोस्त! वे लोग सोंचे जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुहब्बत का दावा करते हैं और शरीअ़त के ख़िलाफ़ कुफ़्र व बिदअ़त और शिर्क में सर से लेकर पांव तक डूबे हुए हैं और समझने से नहीं समझते, मनवाने से नहीं मानते और जो उनकी रहनुमाई करे, उन्हें समझाए, उसी को इस्लाम से ख़ारिज, वह्हाबी और अपना दुश्मन समझते हैं, इस क़दर ज़ुल्म करने के बावजूद बख़्शे जाने की उम्मीद रखते हैं।

मेरे प्यारे दोस्त! अक्सर हमारे मुसलमान भाइयों की जहालत का मैं क्या बयान करूं। इनकी जहालत के बारे में जितना भी रोना रोया जाए, वह कम है, अल्लाह ही उनकी हिदायत का मुख़्तार व मालिक है। अगर वह हिदायत देने का कोई सबब या वजह बना दे, जब तो कोई बात नहीं। जाहिल से जाहिल भी हिदायत पर आ सकता है, वरना इन अज़ीज़ों की तो यह हालत है कि अपनी ज़िद में, अपने घमंड में, अपनी रौ में सलाम का जवाब भी नहीं देते हैं ऐसे ज़िद्दी इन्सानों को किस तरह समझाया जाए और अगर कोई दोस्त इन को समझा फुसला कर किसी हक़परस्त को वाज़ में ले भी आया तो ये जाहिल हज़रात साफ़-साफ़ कह देते हैं कि यह मौलवी क़ुरआन शरीफ़ की आयतों का ग़लत तर्जुमा बयान करता है। यह हदीसों के नम्बर झूठे देता है, यह फ़िक़्ह की किताबों के हवाले ग़लत बयान करता है। अब आइए, इस बात का आख़िरी मज़्मून मेरे भैया को समझा दूं।

क़ुरआन शरीफ़ के सातवें पारे में सूरः अन-आम के दूसरे रुकूअ में आयत न० 17 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा – अगर अल्लाह तुझे कोई नुक़्सान पहुंचाना चाहे, तो उस को हटाने वाला सिवाए ख़ुदा के कोई नहीं और अगर वह तुझे नफ़ा पहुंचाना चाहे तो वह तमाम चीज़ों पर क़ादिर है। अल्लाह तआला ख़बर दे रहा है कि नफ़ा और नुक़्सान का मालिक मैं ही हूं। वह अपनी मख़्लूक़ में जो चाहे हेर-फेर कर सकता है। उस के हुक्मों को कोई टाल नहीं सकता। उसके फ़ैसलों को कोई रद्द नहीं कर सकता।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि खुदाया ! जिसे तू दे, उसे कोई रोक नहीं सकता और तू जिस से रोक ले, उसे कोई दे नहीं सकता।

हवाला --तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 7, पृ 51, सूरः अन्आम के दूसरे रुकूअ की तफ़सीर में।

क़ुरआन पाक के ग्यारहवें पारे में, सूरः यूनुस के पांचवें रुकूअ में आयत न० 49 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा – तू कह दे कि मैं तो अपनी जान के नफ़े और नुक़्सान का अख़्तियार नहीं रखता, मगर जो अल्लाह चाहे।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुबारक ज़ुबान से कहलवाया जा रहा है कि आप कह दें कि मेरे अख़्तियार में कोई बात नहीं। जो बात मुझे बतला दी जाए, मैं तो वही जानता हूं, किसी चीज़ की मुझ में क़ुदरत नहीं, यहां तक कि खुद अपने नफ़ा और नुक़्सान का भी मालिक नहीं हूं।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 11, पृ० 62, सूरः यूनुस के पांचवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

क़ुरआन शरीफ़ के उन्तीसवें पारे में सूरः जिन्न के दूसरे रुकूअ में आयत न० 21 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा – यह कह दे कि मुझे तुम्हारे किसी नफ़े और नुक़्सान का अख़्तियार नहीं है।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुबारक ज़ुबान से कहलवाया जा रहा है कि आप कह दें कि तुम्हारे नफ़े और तुम्हारे नुक़्सान का मैं मालिक नहीं हूं।

ऐ मुसलमानों ! ज़रा सोचने का मक़ाम है कि अल्लाह तआला अपने प्यारे रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ज़ुबाने मुबारक से पहले तो, यह कहलवा रहा है कि अल्लाह तआला नफ़े और नुक़सान का मालिक है जिसे चाहे नफ़ा पहुंचाए, जिसे चाहे नुक़्सान। इसमें किसी को कुछ भी अख़्तियार नहीं है।

दूसरी बार यह कहलवा दिया कि मैं अपनी जान के लिए भी नफ़ा और नुक़्सान का मालिक नहीं हूं। तीसरी बार यह कहलवा दिया कि आप कह दें कि मैं तुम्हारे नफ़े और नुक़्सान में कुछ अख़्तियार नहीं रखता। पस मस्अला साफ़-साफ़ क़ुरआन की आयतों से मालूम हो गया है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नफ़ा और नुक़्सान में कुछ अख़्तियार नहीं रखते, तो फिर ग़ौस, क़ुत्ब, अब्दाल और औलिया-ए-किराम की तो क्या मजाल कि किसी की मदद कर सकें।

हज़रत सय्यिदिना अब्दुल क़ादिर जीलानी रह्मतुल्लाहि अलैहि यानी बड़े पीर साहब फ़रमाते हैं-

'क्या तुझे मालूम नहीं कि कोई नहीं अता करने वाला और न मना करने वाला और न नुक़्सान पहुंचाने वाला और न नफ़ा देने वाला और न आगे बढ़ाने वाला और न पीछे हटाने

वाला मगर अल्लाह अज़्-ज़ व जल्ल। पस अगर तू कहे कि यह तो मुझे मालूम है, तो मैं कहूंगा यह क्योंकर हो सकता है कि तुझ को मालूम हो और फिर ग़ैर को उस पर मुक़द्दम रखे। तुझ पर अफ़सोस है, तू अपनी दुनिया के सबब अपनी आख़िरत को कैसा बिगाड़ रहा है ?'

हवाला – फ़ुयूज़े यज़दानी, पृ० 66, मज्लिस 9।

हज़रत सय्यिदिना अब्दुल क़ादिर जीलानी रह्मतुल्लाहि अलैहि यानी बड़े पीर साहब फ़रमाते हैं–

'हर वह आदमी जो नफ़ा और नुक़्सान को ग़ैर-अल्लाह की तरफ़ से समझे, वह अल्लाह का बन्दा नहीं है, वह उसी का बन्दा है, जिस की तरफ़ से नफ़ा-नुक़्सान को समझा ।

हवाला – फ़ुयूज़े यज़दानी, पृ० 140, मज्लिस 23।

क़ुरआन करीम के उन्नीसवें पारे में सूरः शुअ़रा के ग्यारहवें रुकूअ में, आयत न० 214 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – अपने क़रीबी रिश्तेदारों को डरा दे।

हुक्म हो रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! अपने क़रीबी रिश्तेदारों को डरा दे। कोई यह न समझे कि हम आले नबी हैं या नबी के ख़ान्दान से हैं, या सोहबते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हासिल कर चुके हैं या ख़ादिमे रसूल बन चुके हैं यानी ईमान व अमल से अगर कोई इंसान हट गया, तो फिर उसको रिश्ता और नाता और नसब कुछ भी काम नहीं आ सकता।

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जब अल्लाह तआला ने यह आयत उतारी (जो आपने ऊपर पढ़ी) तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खड़े हो गये और आपने फ़रमाया, ऐ गिरोहे कुरैश ! तुम अपनी जानों को बचाओ। मैं खुदा (के अज़ाब) से कुछ भी नहीं बचा सकता। ऐ अब्दे मुनाफ़ की औलाद! मैं तुम्हें खुदा (के अज़ाब) से कुछ भी नहीं बचा सकता। ऐ अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब! मैं तुम्हें खुदा (के अज़ाब) से कुछ भी नहीं बचा सकता और ऐ सफ़िय्या (खुदा के रसूल की फूफी) ! मैं तुम्हें खुदा (के अज़ाब) से कुछ भी नहीं बचा सकता और ऐ फ़ातिमा बिन्ते मुहम्मद ! तुम मुझ से मेरा माल जिस क़दर चाहो, ले लो, मगर मैं खुदा (के अज़ाब) से तुम्हें कुछ भी नहीं बचा सकता।

हवाला – 1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 11, पृ० 14 हदीस 24, वसीयत का बयान,
2. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 223, हदीस 1042, सूरः शुअ़रा की तफ़्सीर।

अब वे साहिबान सोचें, जो कहते हैं कि हम ईमान वाले हैं। हम फ़्लां की औलाद हैं, हम फ़्लां के उम्मती हैं, हम फ़्लां के मुरीद हैं, हम फ़्लां के दामनगीर हैं और अमली ज़िन्दगी से हज़ारों मील दूर है।

मेरे अज़ीज़ दोस्त ! सोचने और समझने जैसी बातें हैं, ग़ुस्सा या मज़ाक़ में उड़ाने जैसी

बातें नहीं हैं। आप इन बातों पर अमल करें या न करें, वह तो आप की मर्ज़ी की बात है, मगर मरने के बाद और क़ियामत में इन्शाअल्लाह ये बातें आप को यक़ीनन याद आएंगी, फिर उस वक़्त पछताना और न पछताना बराबर होगा। अब भी वक़्त है, कुछ भी नहीं बिगड़ा। बराए मेहरबानी कुफ़्र व शिर्क और बिद्अत, रस्म व रिवाज और जहालत व ज़िद से तौबा कर ले और शरीअत का आमिल बन जा।

क़ुरआन शरीफ़ के तीसरे पारे में सूरः बक़रः के चालीसवें रुकूअ में आयत न० 286 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तुर्जमा – जो नेकी, करे वह उसके लिए है और जो बुराई करे, वह उस पर है।

अपनी-अपनी करनी, अपनी-अपनी भरनी। आमाल नेक करोगे, जज़ा पाओगे, बुरे आमाल करोगे, तो सज़ा पाओगे।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 3, पृ० 40, सूरः बक़रः के चालीसवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

क़ुरआन शरीफ़ के पन्द्ररहवें पारे में सूरः बनी इस्राईल के दूसरे रुकूअ में आयत न० 15 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तुर्जमा – कोई आदमी किसी (के गुनाह) का बोझ नहीं उठाएगा।

क़ुरआन शरीफ़ के बाईसवें पारे में सूरः फ़ातिर के तीसरे रुकूअ में, आयत न० 18 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है।

तर्जुमा – कोई भी किसी दूसरे का गुनाह नहीं उठायेगा और अगर गुनाह में दबा हुआ दूसरे को अपने गुनाह उठाने के लिए कहेगा, तो वह इंकार कर देगा, चाहे वह रिश्तेदार ही क्यों न हो।

अल्लाह तआला फ़रमा रहा है कि एक इंसान अपने गुनाहों का बोझ दूसरे को उठाने के लिए कहेगा, तो वह इंकार कर देगा और कहेगा कि मेरे ऊपर जो गुनाहों का बोझ है, वह क्या कम है कि हम तेरे गुनाह उठा लें। चाहे मां हो या बाप हो या बीवी हो या भाई हो या बेटा हो या दोस्त हो, या रिश्ते-नाते वाला हो, हर इंसान को अपनी-अपनी पड़ी होगी।

कुछ जगह पर जाहिल जेबभरू पीर और पेटभरू मौलवी अपने-अपने मुरीदों और मुक़्तदियों को समझाते रहते हैं कि बेटा ! हम हैं आप को क़ियामत का क्या ग़म है ? आप हमारे मुरीद हो जाएं, हम आप को ले जाएंगे, मगर कहां ले जाएंगे जन्नत में या जहन्नम में ?

अल्लाह तआला के दरबार में बड़े-बड़े अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम भी परेशान होंगे, तो फिर रस्मपरस्त पीरों की और रिवाजी मौलवियों की और शिकम परवर मुजाविरों की तो हक़ीक़त ही क्या ?

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने चचा (अबू तालिब) से फ़रमाया, लाइला-ह इल्लल्लाहु कह लीजिए, ताकि क़ियामत के दिन मैं उसकी गवाही दे सकूं (और आप की बख़्शिश व निजात हो सके) उन्होंने कहा कि मुझे क़ुरैश के लोग ताना देंगे कि उस ने डर से ऐसा किया (यानी अपने आबाई और असली पुराने बाप-दादा के मज़हब को छोड़ कर मुसलमान हो गया) अगर ये शर्म न दिलाते तो इस से मैं आप की आंखें ठंडी कर देता (यानी मुसलमान हो जाता)।

हवाला – तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 224, हदीस 1045, सूरः क़सस की तफ़्सीर।

जिस वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपने चचा को समझा रहे थे, उस वक़्त यह आयत शरीफ़ा नाज़िल हुई।

क़ुरआन करीम के बीसवें पारे में सूरः क़सस के छठे रुकूअ में, आयत न० 56 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – तू जिसे चाहे हिदायत नहीं कर सकता, बल्कि अल्लाह तआला जिसे चाहे हिदायत करता है हिदायत वालों को वही खूब जानने वाला है।

हदीस – हज़रत सईद बिन मुसय्यिब रह्मतुल्लाहि अलैहि अपने वालिद से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा कि जब अबू तालिब की वफ़ात क़रीब हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उन के पास तश्रीफ़ लाये। पस आपने उन के पास अबू जह्ल बिन हिशाम और अब्दुल्लाह बिन अबी उमैया बिन मुग़ीरह को पाया। हज़रत सईद रह्मतुल्लाहि अलैहि के वालिद कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अबू तालिब से फ़रमाया कि ऐ चचा! लाइला-ह इल्लल्लाहु कह दो। मैं तुम्हारे लिए अल्लाह के यहां इस की गवाही दूंगा। अबू जह्ल और अब्दुल्लाह बिन अबी उमैया ने कहा कि ऐ अबू तालिब! अब्दुल मुत्तलिब के तरीक़े से फिर जाते हो, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बार-बार कलिमा शरीफ़ पर उन को दावत देते रहे और वे दोनों वही बात कहते रहे, यहां तक कि अबू तालिब ने सब से आख़िरी बात जो उन से की, उस में यह कहा कि वह अब्दुल मुत्तलिब के तरीक़े पर हैं और उन्होंने ला इला-ह इल्लल्लाह कहने से इंकार कर दिया। (फिर वह मर गये) तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि हां, मैं खुदा की क़सम! तुम्हारे लिए इस्तग़्फ़ार करूंगा, जब तक कि मुझ को उस से मना न किया जाए।

हवाला – 1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1, पारा 5, पृ० 303, हदीस 1259, जनाज़े का बयान,

2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 8, हदीस 13, बाब 8, किताबुल ईमान,

3. तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 11, पृ० 20, सूरः तौबा के चौदहवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

हदीस – हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुना कि आप के सामने आप के चचा अबू तालिब का ज़िक्र किया गया, तो आपने फ़रमाया कि उम्मीद है कि क़ियामत के दिन उन्हें मेरी शफ़ाअत कुछ फ़ायदा दे जाएगी और वह आग के दर्मियानी दर्जे में कर दिये जाएंगे कि आग उन के टख़नों तक पहुंचेगी, मगर इससे उन का दिमाग़ उबलने लगेगा।

हवाला – सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 15, पृ० 268, हदीस 1060, जाहिलियत का बयान।

हदीस – हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया हैं, दोज़ख़ियों में सब से हल्का अज़ाब अबू तालिब को होगा। उन को आग की जूतियां पहनायी जाएंगी, जिस से उन का दिमाग़ खौलने लगेगा।

हवाला – 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 826, हदीस 5394, दोज़ख़ियों के हाल का बयान,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 433, दोज़ख़ियों के हाल का बयान।

हदीस – हज़रत नौमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रममाया है कि–

दोज़ख़ियों में सब से हल्का अज़ाब जिस को दिया जाएगा, उस को आग की जूतियां पहनायी जाएंगी, जिनके ऊपर आग के तस्मे होंगे और इन दोनों चीज़ों से उस का दिमाग़ खौलने लगेगा, जिस तरह देग जोश खाती है। वह आदमी उस अज़ाब को सख़्ततर ख़्याल करेगा, हालांकि वह सब से हल्का अज़ाब होगा,

हवाला – 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 826, हदीस 5393, दोज़ख़ियों के हाल का बयान,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 433, दोज़ख़ियों के हाल का बयान।

सुना मेरे अज़ीज़ दोस्त! यह थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सगे चचा जो आप का हर तरह का साथ देते थे। जब तक अबू तालिब ज़िंदा थे, आप को कोई कुछ भी तक्लीफ़ न दे सका और जब वह वफ़ात पा गये तो आपको मक्का वालों ने ऐसी तक्लीफ़ें दीं कि मक्का छोड़ कर मदीना तैयिबा की तरफ़ हिजरत कर के जाना पड़ा। इतनी मुहब्बत होने के बावजूद भी वह जहन्नम में होंगे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उन को जहन्नम के अज़ाब से बचा न सकेंगे।

ऐ अज़ीज़! इस किताब के पढ़ने वाले! कुछ सोच और समझने की कोशिश कर। बग़ैर ईमान व अमल के नाते और रिश्तेदारी क़ियामत के दिन कुछ भी काम न आएगी। अब तो

आप की समझ में यह बात आयी या नहीं। अगर अल्लाह के सिवा किसी और को अख़्तियार होता, तो हज़रत अली कर्रमल्लाह वजहहू का बाप हरगिज़ जहन्नम में न होता। अब भी अगर आप की समझ में कुछ कसर रह गयी हो, तो और सुन लें। अल्लाह तआला हक़ बात को ज़ाहिर करने में दीन के दुश्मनों से ज़रा भी नहीं डरता। मैंने तो ख़ुदा के फ़ज़्ल से दिल में ठान ली है कि जब तक जान में जान है, इन्शाअल्लाहु तआला हक़ बात का एलान करता ही रहूंगा। हिदायत का दार व मदार तो अल्लाह के हाथ है, जिसको चाहे दे, जिस को चाहे न दे। अब सुन लो आख़िरी बातें, कानों के पर्दे हटा कर सुन लो, दिल से अंधेरियों को दूर कर के नफ़्सानियत को मिटा कर सुन लो। जब अबू तालिब की वफ़ात हो गयी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह फ़रमाया था कि जब तक मुझे अल्लाह तआला की तरफ़ से मना न किया जाए, मैं अल्लाह तआला से उनके लिए दुआ करता रहूंगा। यही एक चीज़ नबियों और वालियों के पास होती है। अब किसी की दुआ को क़ुबूल करना या न करना अल्लाह ही की मर्ज़ी और अख़्तियार की बात है। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने चचा अबू तालिब के लिए दुआ और इस्तग़्फ़ार करना शुरू किया तो आप पर यह आयते शरीफ़ा नाज़िल हुई है।

क़ुरआन शरीफ़ के ग्यारहवें पारे में सूरः तौबा के चौदहवें रुकूअ में आयत न० 113 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा – नबी को और ईमान वालों को यह लायक़ ही नहीं कि मुश्रिकों के लिए दुआ-ए-इस्तग़्फ़ार करें, गो वे क़राबतदार ही क्यों न हों, इस के बाद कि उन पर ज़ाहिर हो चुका है कि वे दोज़ख़ी हैं।

अल्लाह तआला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को भी रोक दिया और ईमान वालों को भी रोक दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के चचा अबू तालिब गुज़र गये और आप उनके लिए दुआ-ए-मग़्फ़िरत मांगने लगे, तो जिन-जिन सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के बड़े-बड़े कुफ़्र की हालत में मर गये थे, वे उन के लिए भी दुआ-ए-मग़्फ़िरत मांगने लगे, क्योंकि नबी का अमल उम्मत के लिए सुन्नत होता हैं। जब यह रिवाज आम हो गया तो अल्लाह तआला ने यह आयत नाज़िल फ़रमायी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को ख़ामोश और चुप हो जाने का हुक्म फ़रमा दिया और सब को ख़ामोश हो जाना पड़ा। समझे मेरे भोले भैया ! कि अभी और सुनाएं।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलयहि व सल्लम तबूक की लड़ाई से वापस हुए और उमरा की नीयत बांधी और जब अस्फ़ान से उतरे तो आपने अपने साथ के सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से फ़रमाया,

उक़्बा में ठहरो, मैं अभी आया।

वहां से उतर कर आप अपनी मां की क़ब्र पर गये। अल्लाह तआला से देर तक मुनाजात करते रहे, फिर फूट-फूट कर रोना शुरू कर दिया। आप के रोने से सब लोग रोने लगे और वह समझे कि आपकी उम्मत के बारे में कोई नयी बात पैदा हुई, जिस से आप इस क़दर रो रहे हैं।

उन्हें रोता देख कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम वापस हुए और मालूम किया कि तुम लोग क्यों रो रहे हो ?

उन्होंने जवाब दिया कि आप को रोते देख कर और यह समझ कर कि शायद आप की उम्मत के बारे में कोई ऐसा नया हुक्म उतरा, जो ताक़त से बाहर है।

आपने फ़रमाया, सुनो, बात यह है कि यहां मेरी मां की क़ब्र है। मैंने अपने पालनहार से क़ियामत के दिन अपनी मां की शफ़अत की इजाज़त तलब की, लेकिन अल्लाह तआला ने अता नहीं फ़रमायी, तो मेरा दिल भर आया और मैं रोने लगा। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और मुझ से फ़रमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इस्तग़्फ़ार अपने बाप के लिए सिर्फ़ एक वायदे से था, जिस का वायदा हो चुका था, लेकिन जब उस पर खुल गया कि उस का बाप खुदा का दुश्मन है, तो वह फ़ौरन बेज़ार हो गये। बस, आप भी अपनी मां से उसी तरह बेज़ार हो जाइए, जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेज़ार हो गये।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 11, पृ० 21, सूरः तौबा के तेरहवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी मां की क़ब्र की ज़ियारत की। आप रोये और जो लोग आप के साथ थे, वे भी रोये। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, मैं ने अपनी मां के लिए मग़्फ़िरत की दुआ की इजाज़त अपने परवरदिगार से तलब की थी। इस की मुझ को इजाज़त नहीं दी गयी। मैंने क़ब्र की ज़ियारत की इजाज़त तलब की, तो उस की इजाज़त मुझ को मिल गयी। तुम लोग क़ब्रों की ज़ियारत किया करो, इससे मौत याद आती है।

हवाला – 1. सही मुस्लिम शरीफ, जिल्द 1, पृ० 158, हदीस 982, बाब 279, जनाज़े का बयान,

2. अबूदाऊद शरीफ़, जिल्द 2, पारा 21, पृ० 586, हदीस 1477, बाब 622,

3. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 305, हदीस 1663, क़ब्र की ज़ियारत का बयान,

4. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 79, क़ब्र की ज़ियारत का बयान।

कुछ लोग यह कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मां-बाप दोनों जिन्दा

किये गये। फिर ईमान लाये, इसी तरह अबू तालिब की बात करते हैं। अगर ये बातें सही सनद से साबित हो जाएं, तो कोई ताज्जुब नहीं कि अल्लाह तआला जो करना चाहे, कर सकता है।

इन हदीसों को बयान करने से हमारा मक्सद यह है कि कुछ लोग अपने पीरों और मौलवियों के कहने और बहकाने से चलते-फिरते, उठते-बैठते और मज्लिसों में भी इस क़िस्म के नारे लगाते फिरते हैं- या रसूलल्लाह ! अलमदद, या ग़ौस अल-मदद, या ख़्वाजा ! अल-मदद, या ग़ैबनशाह! अल मदद, या मीरान शाह ! अल-मदद या दावलशाह ! अल-मदद या दातार ! अल-मदद, या मलंग शाह ! अल-मदद, या हुसैन! अल-मदद, या अली ! अल-मदद वग़ैरह-वग़ैरह !

दुनिया व आख़िरत में सिवाए खुदा के और कोई भी हामी और मददगार नहीं हैं। ज़रा होश में आ कर समझदारी से काम लीजिए। आप इतना तो ख़्याल कीजिए कि आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में होंगे, और उन का उड़का क़ाबील जहन्नम में होगा और नूह अलैहिस्सलाम जन्नत में होंगे और उन का बेटा जहन्नम में होगा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम जन्नत में होंगे और उनका बाप आज़र जहन्नम में होगा और नूह अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम जन्नत में होंगे और उन दोनों की बीवियां जहन्नम में होंगी। फ़िरऔन की बीवी जन्नत में होंगी और फ़िरऔन जहन्नम में होगा। हज़रत अिक्रिमा रज़ियल्लाहु अन्हु जन्नत में होंगे और उन का बाप अबू जह्ल जहन्नम में होगा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जन्नत में होंगे और आप की ख़ैर-ख़्वाही करने वाला चचा अबू तालिब जहन्नम में होंगे।

ज़रा होश में आ जा मर्दे मुजाहिद और खूब सोच कि जिन की गोद और नस्ल से ग़ौस, क़ुत्ब, अब्दाल, औलिया, इमाम, मस्त, मज्ज़ूब वग़ैरह पैदा हुए, वह और खुद हज़रत अली शेरे खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु जन्नत में होंगे और उनका सगा बाप अबू तालिब जहन्नम में होगा। हज़रत अली शेरे खुदा खुद अपने बाप को जहन्नम से न बचा सकेंगे, तो फिर तुम को ग़ौस, क़ुत्ब या औलिया जहन्नम से किस तरह बचाएंगे ? बग़ैर ईमान व अमल के नाते रिश्ते और मुहब्बत, आख़िरत में कुछ भी काम न आएगी। ज़िद करना छोड़ दे और फ़ौरन लब्बैक कह कर तौहीद के झंडे को हाथ में ले ले इन्शाअल्लाहु तआला दुनिया और आख़िरत की कामियाबी मिल जाएगी।

क़ुरआन शरीफ़ के बीसवें पारे में, सूरः क़सस के सातवें रुकूअ में, आयत न० 68 में अल्लाह तआला इशार्द फ़रमाता है-

तर्जुमा - और तेरा पालनहार जो चाहता है, पैदा करता है और जिस (हुक्म को चाहता है) पसंद करता है, उन लोगों को तज्वीज़ (अह्काम) का कोई हक़ हासिल नहीं। अल्लाह तआला उन के शिर्क से पाक और बरतर है।

सारी मख़्लूक़ का ख़ालिक़ , तमाम अख़्तियारों वाला अल्लाह ही है, न इस में कोई उस से झगड़ने वाला, न उसका शरीक, न साझी, जो चाहे पैदा करे, जिसे चाहे अपना ख़ास बन्दा बना ले, जो वह चाहता है, होता है और जो नहीं चाहता, हो ही नहीं सकता। तमाम मामले सब ख़ैर व शर उसी के हाथ में हैं, सब की बाज़गश्त उसी की ओर है, किसी को कोई अख़्तियार नहीं।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 20, पृ० 40, सूरः क़सस के सातवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

हज़रत सय्यिदिना अब्दुल क़ादिर जीलानी रह्मतुल्लाहि अलैहि यानी बड़े पीर साहब फ़रमाते हैं– ऐ रिया के बुत की परिस्तिश करने वाले ! तू हक़ तआला के क़ुर्ब की बू भी न सूंघ सकेगा, न दुनिया में, न आख़िरत में। ऐ मख़्लूक़ को शरीके खुदा समझने वाले और दिल से उन पर मुतवज्जह होने वाले ! मख़्लूक़ से ऐराज़ कर कि उनकी तरफ़ से नुक़्सान है, न फ़ायदा और न बख़्शिश है, न महरूमियत अपने क़ल्ब के साथ छिपे हुए शिर्क के होते हुए तौहीदे हक़ का मुद्दई मत बन कि इस से तेरे हाथ कुछ भी न आएगा।

हवाला – फ़ुयूज़े यज़दानी, पृ० 211, मज्लिस 38।

और जिसने यह गुमान किया कि अल्लाह ने बन्दे को अपनी कोई हुकूमत या क़ुदरत मुंतकिल कर दी है, तो उसने कुफ़्र किया।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 8, पृ० 74, सूरः आराफ़ के सातवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

क़ुरआन शरीफ़ के बाईसवें पारे में सूरः फ़ातिर के पहले रुकूअ में आयत न० 2 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – अल्लाह तआला अपनी जिस रहमत को लोगों के लिए खोल दे उसे बन्द करने वाला कोई नहीं और जिसे वह रोक दे, उसे उस के सिवा भेजने वाला कोई नहीं, वह ग़ालिब और हिक्मत वाला है।

अल्लाह तआला का चाहा हुआ सब कुछ होकर रहता है, बे उस की चाहत के कुछ भी नहीं होता। जो वह दे, उसे कोई रोकने वाला नहीं और जिसे वह रोक ले, उसे कोई देने वाला नहीं।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 22, पृ० 69 सूरः फ़ातिर के पहले रुकूअ की तफ़्सीर में।

मोजिज़े और करामतें भी अल्लाह ही के अख़्तियार में हैं

मेरे अज़ीज़ दोस्त ! नबियों के मोजिज़े और वलियों की करामतें हक़ हैं, लेकिन जेबभरू पीर और पेटभरू मौलवियों से आप ये बातें सुन कर यह न समझ लें कि नबी या वली जो चाहें वह कर सकते हैं। जिसे चाहें, नफ़ा पहुंचाए और जिसे चाहें नुक़्सान पहुंचाए। यह अक़ीदा कहीं आपको तबाह व बर्बाद न कर दे। इसी अक़ीदे ने अक्सर पहली उम्मतों को भी हलाक कर दिया और इसी अक़ीदे ने आज हिन्दुस्तानी मुसलमानों के ईमान का मलिया मेट कर दिया है, जिस को हम दो बाबों में पूरी तफ़्सील के साथ समझा चुके हैं और इन जेबभरू पीर और पेटभरू मौलवियों को इन बातों के सिवा और कुछ वाज़ आते ही नहीं।

क़ुरआन शरीफ़ के तेरहवें पारे में सूरः रअद के छठे रुकूअ में आयत न० 38 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – किसी रसूल से नहीं हो सकता कि कोई मोजिज़ा बग़ैर ख़ुदा की इजाज़त के ले आए।

अल्लाह तआला फ़रमाता है कि मोजिज़े ज़ाहिर करना किसी नबी के बस की बात नहीं। यह तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के क़ब्ज़े की चीज़ है। वह जो चाहता है, करता है, जो इरादा करता है, हुक्म देता है, सो वह हो जाता है।

हवाला – तफ़्सीर इब्ने कसीर, पारा 13, पृ० 50, सूरः रअद के छठे रुकूअ की तफ़्सीर में।

क़ुरआन शरीफ़ के तेरहवें पारे में सूरः इब्राहीम के दूसरे रुकूअ में आयत न० 11 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – बग़ैर हुक्मे ख़ुदा हमारी मजाल नहीं कि हम कोई मोजिज़ा तुम्हें ला दिखलाएं। ख़ुदा के पैग़म्बरों से लोग बार-बार मोजिज़े तलब करते हैं, इसके जवाब में फ़रमाया जाता है कि जो चीज़ तुम हमारे हाथों देखना चाहते हो, उसके बारे में भी सुन लो कि वह हमारे बस की बात नहीं है। हां, हम अल्लाह तआला से तलब करेंगे, अगर हमारी दुआ क़ुबूल हुई, तो बेशक हम दिखा देंगे।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 13, पृ० 59, सूरः इब्राहीम के दूसरे रुकूअ की तफ़्सीर में।

यह ख़्याल रहे कि कुछ औलिया अल्लाह रह० के हाथों जो करामतें ज़ाहिर हो जाती हैं और कभी-कभी चीज़ें तब्दील हो जाती हैं, उनका हमें इंकार नहीं। वह ख़ुदा की तरफ़ से उन पर एक ख़ास फ़ज़्ल होता है और वह भी उन के बस का नहीं होता, न उन के क़ब्ज़े का होता है, न वह कोई कारीगरी होती है न फ़न। वह सिर्फ़ ख़ुदा के फ़रमान का नतीजा है।

अल्लाह तआला अपने फ़रमांबरदार और नेक बन्दों के हाथों अपनी मख़्लूक़ को दिखा देता है।

हवाला– तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 20, पृ० 43, सूरः क़सस के आठवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

मेरे भोले भैया ! अल्लाह के हुक्म के बिना न कोई फ़रिश्ता आ सकता है और न कोई फ़रिश्ता कहीं जा सकता है, न अंबिया अलैहिमुस्सलाम कोई मोजिज़ा दिखला सकते हैं और न औलिया उल्लाह रहमतुल्लाहि अलैहिम से करामतें सरज़द हो सकती हैं। यह बस कुछ अल्लाह के फ़ज़्ल से होता है। जब कोई बन्दा अल्लाह का मक़्बूल हो जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उन से ऐसी बातें या काम ज़ाहिर करवा देता है, जो इंसान को हैरत में डाल देते हैं। वह खुद उस के अख़्तियार की बात नहीं होती, वह अल्लाह की तरफ़ से उन पर इनाम होता है।

इस्लाम और साइन्स

क़ुरआन करीम के चौदहवें पारे में सूरः नहल के पहले रुकूअ में आयत न० 8 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – और घोड़े और ख़च्चर और गधे भी पैदा किये, ताकि तुम उन पर सवार हो और साथ ही ज़ीनत के लिए भी और वह ऐसी-ऐसी चीज़ें बनाता है, जिन की तुम को ख़बर भी नहीं। अल्लाह तबारक व तआला अपनी कामिल क़ुदरत का बयान फ़रमा रहा है कि हम ऐसी -ऐसी चीज़ें बनाते हैं, जिन की तुम को ख़बर नहीं। आज साइकिल जो है, वह सवारी है। मोटर बस, मोटर साइकिल, ट्रेन, जहाज़ और राकेट इन सब की सवारियों में गिनती है। गो बनाने वाले इंसान हैं, लेकिन बनवाने वाला खुदा है। जब तक अल्लाह तआला दिल व दिमाग़ में बात न डाले, इंसान कुछ बना ही नहीं सकता। आज से चौदह सौ साल पहले सवारी में घोड़े, ख़च्चर, गधे और ऊंट ही माने जाते थे, लेकिन आज अल्लाह तआला ने ऐसी-ऐसी सवारियां बना दी हैं कि हज़ार साल पहले किसी के वह्म व गुमान में भी नहीं आ सकता था, लेकिन आज जो सवारियां बनी हैं, उसी पर मस!अला ख़त्म नहीं है। आने वाले ज़माने में खुदा ही जानता है कि वह कैसी-कैसी सवारियां और भी दुनिया वालों के हाथों से बनवाएगा, जिस का इल्म उसी को है, गो कैसी ही सवारियां बनें और कितनी ही तेज़ रफ़्तार बनें, बहरहाल क़ियामत तक जो-जो और जैसी-जैसी सवारियां दुनिया वालों के हाथों से अल्लाह तआला बनवायेगा उस की तसदीक़ क़ुरआन करीम चौदह सौ साल पहले ही कर चुका है, लेकिन हम अपनी कम-इल्मी की वजह से साइंस वालों की तारीफ़ के पुल बांध देते हैं और क़ुरआन करीम की जो अहमियत है, उस को भूल बैठे हैं।

साइंस की हम भी क़द्र करते हैं, लेकिन जितना साइंस आगे बढ़ा उतना ही ख़तरा बढ़ा। जिस मंज़िल तक पहुंचने में हफ़्तों और महीनों लग जाते थे, वहां पर घंटों में पहुंच जाते हैं।

सफ़र में बड़ी आसानी हो गयी है। लेकिन इसी के साथ साथ ख़तरात भी बढ़ गये। किसी मोटर का ऐक्सीडेंट हो गया तो पांच या छः आदमी मर गये। कोई बस अगर खड में गिर गयी या नहर में चली गयी या दरिया में गिर गयी तो उस में चालीस या पचास आदमी मर गये। रेलवे ट्रेन अगर कहीं टकरा गयी या पटरी से उतर गयी या कहीं का पुल टूट गया और दरिया में गिर गयी, तो सैकड़ों आदमी मर गए। प्लेन टूटा या दरिया में गिरा तो दो ढाई सौ आदमी मर गये और जब ये सवारियां नहीं थी, तो इंसान घोड़े, खच्चर, गधे पर सवार होकर जाया करते थे। कहीं रास्ते में कोई हादसा आ भी गया तो या सवार गिर जाता, हाथ-पैर में चोट लगती या एक दो आदमी मर जाते।

क़ुरआन करीम के सतरहवें पारे में सूर: अंबिया के छठे रुकूअ में आयत न॰ 81 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा – हमने तेज़ और ज़ोरदार हवाओं को सुलेमान (अलैहिस्सलाम) के ताबेअ कर दिया जो उस के फ़रमान के मुताबिक़ उस ज़मीन की तरफ़ चलती थीं जहां हमने बरकत दे रखी थी।

क़ुरआन करीम के तेईसवें पारे में, सूर: स्वाद के तीसरे रुकूअ में आयत न॰ 36 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है।

तर्जुमा – हमने उसके लिए हवा को ताबेअ़ कर दिया, जो उसके हुक्म से नर्मी के साथ चलती थी, जिधर वह चाहता था।

हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवा में नर्मी पैदा कर दी गयी, जिधर वह चाहते थे, उधर आपको आसानी के साथ ले जाती थी।

क़ुरआन करीम के बाईसवें पारे, में सूर: सबा के दूसरे रुकूअ में आयत न॰ 12 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा – हमने सुलेमान (अलैहिस्सलाम) के लिये हवा को ताबेअ़ कर दिया कि सुबह की मंज़िल उसकी महीने भर की होती थी और शाम की मंज़िल भी।

हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर जो नेमतें उतारी गयी थीं उनका बयान हो रहा है कि उनके लिये हवा को ताबए फ़रमान बना दिया। महीने भर की राह सुबह ही सुबह तै हो जाती और इतनी ही दूरी का सफ़र शाम को हो जाता, जैसे दमिश्क़ से तख़्त मय फ़ौज व असबाब के उड़ाया और थोड़ी देर में इस्तख़र पहुंचा दिया, जो तेज़ सवार के लिए भी महीने भर का सफ़र था। इसी तरह शाम को वहां से तख़्त उड़ा और शाम ही को काबुल पहुंच गया।

हवाला –तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 22, पृ॰ 47, सूर: सबा के दूसरे रुकूअ की तफ़्सीर में।

हवाई जहाज़ तो अब बने, लेकिन क़ुरआन करीम की तस्दीक़ तो देखिए कि अल्लाह तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवा को हवाई जहाज़ बना दिया था और मय फौज व असबाब के जहां हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चाहते थे, वहां महीनों के रास्तों को हवा के ज़रिए तै करके घंटों में पहुंच जाते थे। उसकी चर्चा करना मुसलमान भूल गये और साइंस की तरफ़ रुझान बढ़ गया।

क़ुरआन करीम के पन्द्रहवें पारे में, सूरः बनी इस्राईल के पहले रुकूअ में, आयत न० 1 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – पाक है वह खुदा, जो अपने बन्दे को रात ही रात में मस्जिदे हराम से मस्जिदे अक़्सा तक ले गया, जिसके आस-पास हमने बरकत दे रखी है, इसलिए कि हम उसे अपनी क़ुदरत के कुछ नमूने दिखाएं यक़ीनन अल्लाह ही खूब सुनने-देखने वाला है।

अल्लाह अपनी ज़ाते पाक की इज़्ज़त व अज़्मत और अपनी पाकीज़गी व क़ुदरत बयान फ़रमाता है कि वह हर चीज़ पर क़ुदरत रखने वाला है, उसकी सी क़ुदरत किसी में नहीं। वही इबादतों के लायक़ और सिर्फ़ वही सारी मख़्लूक़ की परवरिश करने वाला है। वह अपने बन्दे यानी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को एक ही रात के एक हिस्से में मक्का शरीफ़ की मस्जिद से बैतुलमक़्दिस की मस्जिद तक ले गया, जो हज़रत इब्राहीम ख़लीलुल्लाह के ज़माने से अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का मर्कज़ रहा। इसीलिए तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम वहीं आपके पास जमा किये गये और आपने वहीं उन्हीं की जगह उन सब की इमामत की, जो दलील है इस बात की कि इमामे आज़म और रईसे मुक़द्दम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ही हैं।

(स-ल-वातुल्लाहि व सलामुन अलैहि अलैहिम अज-मईन०)

तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 15, पृ० 2, सूरः बनी इस्राईल के पहले रुकूअ की तफ़्सीर में।

यह मेराज वाली रात का बयान हो रहा है कि रात के एक हिस्से में मक्का मुकर्रमा से बैतुलमक़्दिस तक, जो महीनों का रास्ता था, मिनटों में अल्लाह तआला ने तै करवा दिया। यह तो क़ुरआन करीम के लफ़्ज़ हैं और हदीसों में लिखा है कि यही सवारी सातों आसमान तक गयी। उस से आगे अल्लाह तआला ने जहां तक चाहा, अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को ले गया और वहां से जब लौट कर मक्का मुअज़्ज़मा में आये हैं तो वही रात चल रही थी। वह कौन-सा राकेट था? लेकिन हम अपनी कम इल्मी की वजह से क़ुरआन करीम की क़द्र भी नहीं पहचान पाये। अल्लाह तआला ने दीने इस्लाम को सारी ख़ूबियों से भर दिया है। अब जो मुसलमान इन नेमतों से महरूम हैं और जानकारी तक नहीं रखता तो यह उसकी खुद की कमी है इस्लाम तो हर कमालात से मालामाल है।

हदीस – हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एक साथ चले। (बैतुल्लाह के अन्दर जाकर) आपने मुझ से फ़रमाया, बैठ जाओ और आप मेरे कंधो पर चढ़ गये। मैं आपको लेकर उठने लगा, तो आपने मुझे कमज़ोर महसूस किया, इसलिए उतर गये और खुद बैठ गये और मुझ से फ़रमाया, मेरे मोंढो पर चढ़ जा। मैं आपके मोंढो पर चढ़ गया।

हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आप मुझ को लेकर उठे। उस वक़्त मैं महसूस करने लगा कि मैं अगर चाहूं तो आसमान के किनारों को पा लूं यहां तक कि मैं बैतुल्लाह पर चढ़ गया, और उसपर पीतल और तांबे की मूर्तियां बनी रखी थीं मैं उनको अपने दाएं-बाएं, सामनें और पीछे से उठाने लगा, यहां तक कि मैंने सब उठा लीं । अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुझसे फ़रमाया इनको फेंक दे। (चुनांचे मैंने ऐसा ही किया) वह शीशे की तरह गिरकर चूर चूर हो गयी। फिर मैं उतरा और मैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम साथ-साथ जल्दी-जल्दी चले और घरों की दीवारों से छिपते-छिपते वापस आ गये कि कहीं ऐसा न हो कि कोई हमें देख ले।

तर्जुमानुस्सुन्नः, जिल्द 4 पृ० 467, हदीस 1670।

तश्रीह – रसूलुस्सक़्लैन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जान खुलासा-ए-कायनात कही जाती है और यक़ीनन आप अफ़्ज़लुर्रुसुल और खातमुन्नबिय्यीन थे इसलिए अगर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप के कंधों पर चढ़ कर यह महसूस किया कि वह आसमान के किनारों को पा सकते हैं तो इसमें हैरत की कौन सी बात है? आख़िर हज़रत इब्राहीम ख़लीलुल्लाह और हज़रत इस्माईल जबीहुल्लाह (अलैहिमुस्सलाम) जिस पत्थर पर चढ़ कर खाना-ए-काबा की तामीर कर रहे थे वह भी जितनी ज़रूरत होती, खुद ब खुद ऊंचा हो जाता था लेकिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु तो इंसान थे और तमाम मख़्लूक़ात और तमाम इन्सानों से अफ़्ज़ल के मुक़द्दस कंधों पर चढ़े हुए थे इसलिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को जो मंज़र बुतों से सफ़ाई के मौक़े पर नज़र आया वह नज़र आना ही चाहिये था। आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का तौहीद का जज़्बा देखिये कि खुद अपने मुबारक कंधों पर आदमी को चढ़ा कर उसकी सफ़ाई फ़रमा रहे थे और उसमें क़तई तौर पर कोई बे-इज़्ज़ती महसूस नहीं कर रहे थे।

तर्जुमानुस्सुन्नः, जिल्द4, पृ० 467, तश्रीह 1670।

यह कौन सा राकेट था? हज़रत अली रज़ियल्लाहु अनहु हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मुबारक कंधे पर खड़े हैं और आसमान के किनारों को पकड़ने की बातें कर रहे हैं। राकेट-प्लेन वग़ैरह मशीन के मुहताज हैं। अगर कोई पुर्ज़ा खराब हो गया या टूट गया तो राकेट हो या प्लेन सब बेकार और उन पर सवार होने वालों को मौत का सामना करना पड़ता है और अल्लाह की दी हुई नेमत, जिसमें न मशीन ख़राब होने का खतरा और

न पुर्ज़ा टूटने की फ़िक्र।

हदीस – हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया–

जब कुरैश ने झुठलाया (और कहा कि आप का मेराज का दावा सही नहीं। अगर सही है तो बैतुलमक़्दिस के हालात बतलाओ) तो मैं हजर यानी (हतीम) में खड़ा हो गया। (ख़ाना-ए-काबा के पास एक आधे दायरे की नीची दीवार है उसको हतीम या हजर कहते हैं) अल्लाह तआला ने बैतुलमक़्दिस को मेरे सामने ज़ाहिर कर दिया। मैं बैतुलमक़्दिस को देखकर उसकी निशानियां बताने लगा, उस वक़्त ऐसा महसूस होता था कि गोया मैं बैतुलमक्दिस को देख रहा हूं।

हवाला–तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 204, हदीस 991, सूरः बनी इस्राईल की तफ़्सीर में।

यह है टेलीविज़न, जिसकी आज से चौदह सौ साल पहले ही से इस्लाम उसकी खबर दे चुका है। उसको तो मुसलमान भूल गये और दुनिया का बनाया हुआ टेलीविज़न याद रहा।

कुरआन करीम के सत्ताईसवें पारे में सूरः क़मर के पहले रुकूअ में आयत न० 1, 2, 3 में अल्लात तआला इर्शाद फ़रमाता है।

तर्जुमा क़ियामत क़रीब आ गयी और चांद फट गया। ये अगर कोई मोजिज़ा देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं कि ज़ोरदार चलता हुआ जादू है। उन्होंने झुठलाया और अपनी ख़्वाहिशों की पैरवी की। हर काम ठहरे हुए वक़्त पर मुक़र्रर हैं।

मुस्नद अहमद में है एक टुकड़ा एक पहाड़ पर दूसरा दूसरे पहाड़ पर। इसे देखकर भी जिनकी क़िस्मत में ईमान न था, बोल पड़े कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने हमारी आंखों पर जादू कर दिया है, लेकिन समझदारों ने कहा कि अगर मान लिया जाए कि हम पर जादू कर दिया है तो तमाम दुनिया के लोगों पर तो नहीं कर सकता।

तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 27, पृ० 41, सूरः क़मर के पहले रुकूअ की तफ़्सीर में।

कुफ़्फ़ार के मज्मे ने यह तै किया था कि अगर बाहर के लोग आकर यही कहें तो हुज़ूर सल्ल० की सच्चाई में कोई शक नहीं। अब जो बाहर से आया, जब कभी आया जिस तरफ़ से आया हर एक ने इसकी गवाही दी कि हां हमने अपनी आंखों से (चांद को फटते) देखा है।

तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 27, पृ० 42, सूरः क़मर के पहले रुकूअ की तफ़्सीर में।

चांद पर जाना अहमियत रखता है या चांद का दो टुकड़े होना अहमियत रखता है लेकिन मुसलमान अपनी कहानी भलू गये और दूसरों की याद रही।

हदीस – हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में चांद दो टुकड़े हो गया तो अल्लाह के

रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हमसे फ़रमाया कि गवाह रहो।

हवाला –1. सही बुखारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 20, पृ० 602, हदीस 1967, तफ़ासीर में,
2. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 252, हदीस 1141, तफ़ासीर में।

हज़रत जुबैर बिन मुत्अिम रज़ियल्लाहु अनहु फ़रमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में चांद फट गया, यहां तक कि उसके दो टुकड़े हो गये। एक टुकड़ा पहाड़ के इस तरफ़ और एक उस तरफ़ हो गया। यह देख कर कुफ़्फ़ार ने कहा, मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने हम पर जादू कर दिया। उनमें से कुछ ने कहा कि अगर हम पर जादू किया तो ऐसा नहीं कर सकते कि सब लोगों पर जादू करें।

हवाला – तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 253, हदीस 1143 तफ़ासीर में।

कुछ मुल्क वाले चांद फटने के मोजिज़े को नहीं मानते और कुछ मुल्क वाले मानते हैं इसकी वजह यह है कि कुछ मुल्कों में दिन होता है और उसी वक़्त कुछ मुल्कों में रात होती है। जहां दिन होता है वहां चांद का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता और जहां-जहां, जिन-जिन मुल्कों में रात थी वहां चांद फटने का मोजिज़ा देखा गया। इतना बड़ा मोजिज़ा होने के बावजूद मक्का के मुश्रिक ईमान नहीं लाये, ज़िद इंसान को कहां ले जाती है।

इस्लाम की अमली ज़िन्दगी इंसान को किस दर्जे तक पहुंचा देती है, इसका अन्दाज़ा इस हदीस से लगाइए।

हदीस 1 – हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने (एक दिन) सुबह के वक़्त हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को बुला कर फ़रमाया–

'बिलाल! (रज़ियल्लाहु अन्हु) तुम किस वजह से मुझ से पहले बहिश्त में पहुंच गये? जब भी मैं जन्नत में दाख़िल हुआ, तो अपने आगे तुम्हारी आहट ज़रूर सुनी। चुनांचे मैं पिछली रात जन्नत में दाख़िल हुआ तो अपने आगे तुम्हारी आहट फिर सुनी, फिर मैं एक चौकोर महल के पास आया, जो सोने का था और जो बहुत बुलंद था और उसके ऊपर कंगुरे थे। मैंने पूछा, यह महल किसका है? उन्होंने कहा, एक अरबी नवजवान का है। मैंने कहा, अरबी तो मैं भी हूं लेकिन यह महल किस (अरबी) का है? उन्होंने कहा, क़ुरैश के एक नवजवान का है। मैंने कहा, क़ुरैशी मैं भी हूं। यह महल (आख़िर) किस (क़ुरैशी) का है? उन्होंने कहा, 'अल्लाह के रूसल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के उम्मती का।' मैंने कहा, मुहम्मद तो मैं ही हूं। फिर यह महल किसका है? उन्होंने कहा, उमर बिन ख़त्ताब रज़ियलल्लाहु अन्हु का।

हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! मैंने जब भी अज़ान कही, तो दो रकअत नमाज़ पढ़ी और जब भी मैं बे वुज़ू हुआ तो (फ़ौरन दूसरा) वुज़ू किया। और मैंने समझ लिया कि मेरे ज़िम्मे अल्लाह की दो रक्अतें ज़रूरी हैं।

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- 'इन्हीं दो रक्अतों से तुम्हें यह दर्जा मिला है (कि तुम मुझसे पहले जन्नत में पहुंच गये।)

हवाला - तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 366, हदीस 1546, मनाक़िब के बयान में।

हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पढ़े लिखे नहीं थे अनपढ़ थे गोरे नहीं थे काले थे लेकिन इस्लाम की अमली ज़िन्दगी ने आप को इस दर्जे तक पहुंचा दिया कि मक्का की सर ज़मीन पर चलते थे और आप के पैरों की आहट जन्नत में सुनायी देती थी।

अब आप ईमानदारी से फ़ैसला करें कि अल्लाह के नज़दीक किसकी अहमियत ज़्यादा है? चांद पर जाने वालों की या जन्नत में पैर की आवाज़ सुनायी देने वाले की, लेकिन आज मुसलमानों की ज़ुबान से जा बजा चांद पर जाने वालों की तारीफ़ें होती रहती हैं और जन्नत वालों का चर्चा ही ख़त्म हो गया क्योंकि जो खुद अमली ज़िन्दगी से महरूम हैं वे अमली ज़िन्दगी वालों की क़द्र क्या जानें।

क़ुरआन करीम के तीसवें पारे में सूरः फ़ील में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - क्या तूने न देखा कि तेरे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उनके मक्र को बेकार नहीं कर दिया? और उन पर परिंदों के झुरमुट भेज दिये जो उन्हें मिट्टी और पत्थर की कंकरियां मार रहे थे बस उन्हें खाये हुए भूसे की तरह कर दिया।

अबरहा ने अपना क़ासिद ज़ाता हमीरी मक्का वालों के पास भेजा कि मक्का के सबसे बड़े सरदार को मेरे पास लाओ और यह भी एलान कर दो कि मैं मक्का वालों से लड़ने को नहीं आया। मेरा इरादा सिर्फ़ बैतुल्लाह को गिराने का है, हां अगर मक्का वाले उसको बचाने के दरपे हुए तो ला महाला मुझे उनसे लड़ाई करनी पड़ेगी। ज़ाता जब मक्का में आया और लोगों से मिला जुला तो मालूम हुआ कि यहां का बड़ा सरदार अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम है। यह अब्दुल मुत्तलिब से मिला और शाही पैग़ाम पहुंचाया, जिसके जवाब में अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, वल्लाह! न हमारा इरादा उससे लड़ने का है, न हममें इतनी ताक़त है। यह खुदा का हुर्मत वाला घर है, उसके ख़लील हज़रत इब्राहीम की ज़िन्दा यादगार है। खुदा अगर चाहेगा तो अपने घर की आप हिफ़ाज़त करेगा, वरना हम में तो हिम्मत व क़ुव्वत नहीं।

ज़ाता ने कहा, अच्छा तो आप मेरे साथ बादशाह तक चले चलिए।

अब्दुल मुत्तलिब साथ हो लिए। बादशाह ने जब उन्हें देखा तो हैबत में आ गया। अब्दुल मुत्तलिब गोरे-चट्टे, सुडोल और मज़बूत क़ुवा वाले हसीन व जमील इंसान थे देखते ही अबरहा तख़्त से नीचे उतर आया और फ़र्श पर अब्दुल मुत्तलिब के साथ बैठ गया और अपने तर्जुमान से कहा कि इनसे पूछो क्या चाहता है?

अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मेरे दो सौ ऊंट, जो बादशाह ने ले लिए हैं, उन्हें वापस कर दिया जाए।

बादशाह ने कहा इनसे कह दे कि पहली नज़र में तो तेरा रौब मुझ पर पड़ा था और मेरे दिल में तेरी इज़्ज़त बैठ गयी थी लेकिन पहले ही कलाम में तूने सब कुछ खो दी। अपने दो सौ ऊंट की तो तुझे फ़िक्र है और अपनी क़ौम के दीन की तुझे फ़िक्र नहीं। मैं तो तुम लोगों का इबादत खाना तोड़ने और उसे ख़ाक में मिलाने के लिए आया हूं।

अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि सुन बादशाह! ऊंट तो मेरे हैं इसलिए उन्हें बचाने की कोशिश में मैं हूं और ख़ाना-ए-काबा खुदा का है, वह खुद उसे बचा लेगा।

इस पर यह सरकश कहने लगा कि खुदा भी आज उसे मेरे हाथ से नहीं बचा सकता।

अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बेहतर है वह जाने और तू जाने।

अब्दुल मुत्तलिब तो अपने ऊंट लेकर चल दिये और आकर क़ुरैश को हुक्म दिया कि मक्के को बिल्कुल ख़ाली कर दो, पहाड़ों में चले जाओ।

अब अब्दुल मुत्तलिब अपने साथ क़ुरैश के चुनीदा लोगों को लेकर बैतुल्लाह में आया और बैतुल्लाह के दरवाज़े का कुंडा थाम कर और रो-रो कर और गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगनी शुरू की कि अल्लाह तआला अबरहा और उसके ख़ूंख्वार लश्कर से अपने पाक और इज़्ज़त वाले घर को बचा ले। अब्दुल मुत्तलिब ने उस वक़्त यह दुआ भरे शेअ्र पढ़े-

ला हम-म इन्नल मर-अ-यम
नअु रिहलहू फ़म-नअ् रिहालक

ल यग़्लि बन-न सलीबुहुम
व महालुहुम अ-ब-दम-महा-लक

तर्जुमा – हम बे-फ़िक्र हैं। हम जानते हैं कि हर घर वाला अपने घर का बचाव आप करता है। ऐ खुदा! तू भी अपने घर को अपने दुश्मनों से बचा। यह तो हरगिज़ नहीं हो सकता कि उनकी सलीब और उनकी डोलें तेरी डोलों पर ग़ालिब आ जाएं।

अब अब्दुल मुत्तलिब ने बैतुल्लाह के दरवाज़े का कुंडा हाथ से छोड़ दिया और अपने तमाम साथियों को लेकर आस-पास के पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ गया। दूसरी सुबह अबरहा के लश्कर में मक्का में जाने की तैयारियां होने लगीं। अपना ख़ास हाथी जिसका नाम महमूद था उसे तैयार किया। लश्कर में कमरबन्दी हो चुकी और मक्का शरीफ़ की तरफ़ मुंह उठा कर चलने की तैयारी की, उसी वक़्त फ़ुज़ैल बिन हबीब, जो उससे रास्ते में लड़ा था और अब क़ैदी के तौर पर उसके साथ था वह आगे बढ़ा और शाही हाथी को पकड़ लिया और कहा, महमूद बैठ जा और जहां से आया है वहीं ख़ैरियत के साथ चला जा तू अल्लाह तआला के मोहतरम शहर में है।

यह कह कर कान छोड़ दिया और भाग कर क़रीब की पहाड़ी में जा छिपा।

महमूद हाथी यह सुनते ही बैठ गया।

अब हज़ारों जतन फ़ीलवान कर रहे थे लश्करी भी कोशिश करते करते थक गये लेकिन हाथी अपनी जगह से हिलता ही नहीं। सर पर अंकुश मार रहे हैं इधर उधर से भाले और बरछे मार रहे हैं आंखों में डाल रहे हैं, ग़रज़ तमाम जतन कर लिए, लेकिन हाथी जुंबिश भी नहीं करता, फिर इम्तिहान के तौर पर उसका मुंह यमन की तरफ़ कर के चलाना चाहा तो झट से खड़ा होकर दौड़ता हुआ चल दिया। शाम की तरफ़ चलाना चाहा तो भी पूरी ताक़त से आगे बढ़ गया। पूरब की तरफ़ ले जाना चाहा तो भी भागा-भागा गया, फिर मक्का शरीफ़ की तरफ़ मुंह करके आगे बढ़ाना चाहा तो वहीं बैठ गया। उन्होंने फिर उसे मारना-पीटना शुरू किया कि देखा कि एक घटा टोप परिंदों का झुरमुट बादल की तरह समुन्दर के किनारे की तरफ़ से उमड़ा चला आ रहा है। अभी पूरी तरह देखने भी नहीं पाये थे कि वे जानवर सर पर आ गये। चारों तरफ़ से लश्कर को घेर लिया। उनमें हर एक की चोंच में एक मसूर या माश के दाने के बराबर कंकरी थी और दोनों पंजों में दो कंकरियां थीं। ये उन पर फेंकने लगे, जिस जिस पर कंकरी आ पड़ी वह वहीं हलाक हो गया अब तो उस लश्कर में भगदड़ पड़ गयी। हर एक फ़ुज़ैल-फ़ुज़ैल कहने लगा क्योंकि उसे उन लोगों ने अपना रहबर और रास्ता बताने वाला समझ रखा था। फ़ुज़ैल तो हाथी को कह कर पहाड़ पर चढ़ गया था और दूसरे मक्का वाले उन लोगों की यह दुर्गत अपनी आंखों से देख रहे थे।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 30, पृ० 105, सूरः फ़ील की तफ़्सीर में।

क़ुरआन करीम से बम साबित है, ऊपर से गिराओ और नीचे वालों को मारो। यही तरीक़ा तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले अमल में आ चुका है जिसकी गवाही क़ुरआन करीम दे रहा है इसमें एक बात और भी ग़ौर के क़ाबिल है यानी मक्का के मुश्रिक खुदा को मानते हुए तीन सौ साठ बुत खुदा के घर में रखकर उनकी पूजा-पाठ भी कर रहे थे। उन बुतों को क़ादिरे मुत्लक़ समझकर नहीं पूजते थे, बल्कि वास्ता, वसीला और तवस्सुल समझकर पूज रहे थे, लेकिन जब ठीक वक़्त आया तो सब को भूल गये और हक़ीक़ी खुदा की तरफ़ मुतवज्जह हुए और अल्लाह तआला ने अपने घर की हिमायत की बिना पर उनकी मदद फ़रमायी। उस दिन के बाद से एक साल तक जितनी शायरी होती रही, उनमें शिर्क का शायबा तक नहीं मिला।

क़ुरआन करीम के तेरहवें पारे में सूरः यूसुफ़ के बारहवें रुकूअ में आयत न० 105, 106, 107 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – आसमानों और ज़मीन में बहुत सी निशानियां हैं जिनसे यह मुंह मोड़े गुज़र जाते हैं उनमें से अक्सर लोग बावजूद खुदा पर ईमान रखने के भी मुश्रिक ही हैं। क्या ये इस बात से बे-खौफ़ हो गये हैं कि उन के पास ख़ुदा के अज़ाबों में से कोई आम अज़ाब आ जाए

या उन पर अचानक क़यामत टूट पड़े और वे सिर्फ़ बेख़बर ही हों। बयान हो रहा है कि क़ुदरत की बहुत सी निशानियां वहदानियत की बहुत सी शहादतें दिन रात उन के सामने हैं फिर भी अक्सर लोग निहायत बेपरवाही और हल्केपन से उनमें कभी ग़ौर व फ़िक्र नहीं करते। क्या यह इतना बड़ा लम्बा आसमान क्या यह इस क़दर फैली हुई ज़मीन, क्या ये खेतियां और सब्ज़ियां, ये हलचल बरपा करने वाले समुन्दर और ये ज़ोर से चलने वाली हवाएं ये मुख़्तलिफ़ क़िस्म के रंगा रंग मेवे, ये अलग-अलग ग़ल्ले और क़ुदरत की अनगिनत निशानियां एक अक़्लमंद को इस क़दर भी काम नहीं आ सकतीं कि वह उनसे अपने खुदा की जो अहद है जो समद है जो फ़र्द है जो वाहिद है जो ला शरीक है जो क़ादिर व क़य्यूम है जो बाक़ी और काफ़ी है ज़ात को पहचान लें और उसके नामों और सिफ़तों के क़ायल हो जाएं बल्कि उनमें अक्सरियत की ज़ेहनियत तो यहां तक बिगड़ चुकी है कि खुदा पर ईमान है फिर भी शिर्क से दस्तबरदारी नहीं। आसमान ज़मीन, पहाड़ व दरख़्त का और इंसान और जिन्न का ख़ालिक़ अल्लाह को मानते हैं लेकिन फिर भी उसके सिवा दूसरों को उसके साथ उसका शरीक ठहराते हैं ये मुश्रिक हज को आते हैं एहराम बांध कर लब्बैक पुकारते हुए कहते हैं कि ऐ खुदा! तेरा कोई शरीक नहीं। जो भी शरीक हैं उनका खुद का मालिक भी तू है और उनकी मिल्कियत का मालिक भी तू ही है

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 13, पृ० 19, सूरः यूसुफ़ के बारहवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

हिन्दुस्तान के हज़ारों मुसलमान हज के लिए जाते हैं और वहां जाकर इन कलिमात को बार-बार पढ़ते हैं।

हदीस – हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के तलबिया के लफ़्ज़ ये थे-

'लब्बैक अल्लाहुम-म लब्बै-क ला शरी-क लक लब्बै-क इन्नल हम-द वननिअ्-म-त-ल-क वल-मुल-क ला शरी-क ल-क०

तुर्जमा ऐ अल्लाह! मैं तेरी ख़िदमत में हाज़िर हूं हाज़िर हूं हाज़िर हूं। तेरा कोई शरीक नहीं मैं तेरी खिदमत में हाज़िर हूं हर क़िस्म की हम्द व नात तेरे ही लिए है और मुल्क व हुकूमत में तेरा कोई शरीक नहीं।

हवाला – सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 192, हदीस 1206, बाब 351, हज का बयान।

इन लफ़्ज़ों को हाजी साहिबान बार-बार अपनी ज़ुबानों से अदा रकते हैं लेकिन कुछ हाजी लोग हिन्दुस्तान में आकर वही पहली रफ़्तार जो बेढंगी थी, दूसरों को हाजतरवा और मुश्किल कुशा समझते हैं।

हदीस – हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक फौज (नहावंद की तरफ़) भेजी और उस पर हज़रत सारिया रज़ियल्लाहु

अन्हु को अमीर मुक़र्रर किया एक दिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु (मस्जिदे नबवी में जुमा का) खुत्बा पढ़ रहे थे कि यकायक आपने ऊंची आवाज़ से कहा-

सारिया! पहाड़ की तरफ़!

इस वाक़िआ के कुछ दिनों बाद फौज की तरफ़ से एक क़ासिद आया और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया अमीरुल मोमिनीन! हमारे दुश्मन ने हम पर हमला किया और हमको हरा दिया। यकायक हमने एक पुकारने वाले की आवाज़ सुनी जो कह रहा था-

'सारिया! पहाड़ की तरफ़'

चुनांचे हमने पहाड़ को अपनी पुश्तपनाह क़रार दिया और फिर अल्लाह तआला ने दुश्मनों को हरा दिया।

हवाला-1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 885, हदीस 5671, करामतों का बयान,
2. तर्जुमानुस्सुन्नः, जिल्द 4 पृ० 339, बयान 1538, करामतों का बयान,
3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 53, करामतों का बयान।

ऊपर के बयान में चार करामतें हैं-

1. नज़र का पहुंचना मदीना तैयिबा से, 2. आवाज़ का पहुंचना मदीना तैयिबा से, 3. आवाज़ का सारे लश्कर को सुनायी देना, 4. आवाज़ की वजह से लश्कर का फ़त्ह पाना।

मेरे भोले भैया! यह हुआ वायरलैस! आजकल लड़ाई के मौक़े पर वायरलैस का इस्तेमाल होता है जो बैट्री और पुर्ज़ों का मुहताज होता है। इस्लाम ने इसको चौदह सौ साल पहले ईजाद कर दिया है जिसमें न बैट्री की ज़रूरत है न पुर्ज़ों की लेकिन आज हम इस वायरलैस को इस्तेमाल करने के काबिल न रहे इसलिए अल्लाह तआला ने इस नेमत को हमसे छीन लिया।

हदीस - हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब मस्जिद में (जुमा के दिन) खुत्बा पढ़ते तो खजूर के उस तने पर जो सतून के तौर पर मस्जिद में खड़ा था, कमर लगा लेते। फिर जब मिम्बर तैयार हो गया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उस पर खुत्बा पढ़ते होते तो वह सतून, जिससे कमर लगा कर आप खुतबा पढ़ा करते थे चिल्लाता (यानी नबी सल्ल० के फ़िराक़ में) और क़रीब था कि वह (फ़िराक़ की तक्लीफ़ की तेज़ी से) फट जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मिम्बर से उतरे, सतून को हाथों से पकड़ा और फिर सीने से लगाया फिर उस सतून ने बच्चों की तरह रोना और नाला करना शुरू किया हां उन बच्चों की तरह, जिन को तसल्ली देकर ख़ामोश किया जाता है यहां तक कि उस सतून को सुकून हासिल हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, यह सतून इसलिए रोया कि जो बयान वह सुना करता था उसको उसने न सुना, वह उससे महरूम हो गया।

हवाला – 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 873, हदीस 5620, मोजिज़ों का बयान,
2. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 14, पृ० 205, हदीस 788, नुबुव्वत की अलामतों का बयान,
3. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 355, हदीस 1484, अब–वाबुल मनाक़िब,
4. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 24, मोजिज़ों का बयान।

हदीस – हज़रत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है मैं मक्का के उस पत्थर को जानता हूं जो मेरे नबी होने से पहले मुझको सलाम किया करता था।

हवाला – 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 856, हदीस 5572, नुबुवत की अलामतें,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 512, नुबुवत की अलामतें।

लकड़ी के तने से आवाज़ का आना और पत्थरों का सलाम करना क्या यह साइंस वाले कर सकते हैं? साइंस वालों ने रेडियों और टेप रिकार्ड बनाया, जो बैट्री और पुर्ज़ों का मुहताज है।

इसमें एक बात और ग़ौर करने की है कि एक लकड़ी का तना हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर सका और हम लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पैरवी की परवाह नहीं करते और इस लापरवाही का नतीजा हश्र के मैदान में अगर जुदाई का आ गया यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कह दिया कि मैं तुम को नहीं जानता तो हमारा हश्र क्या होगा? इसपर हर एक मुसलमान को ग़ौर करने की ज़रूरत है।

हज़रत मुआविया बिन हरमल रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हर्रा मक़ाम में आग ज़ाहिर हुई तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तमीमदारी के पास आकर हुक्म फ़रमाया कि देखो, यह आग लग रही है। इसकी तरफ़ जाकर इस को हटा दो।

उन्होंने अर्ज़ किया, ऐ अमीरुल मोमिनीन! मेरी हस्ती क्या है और मैं इस क़ाबिल कहां हूं। वह इसरार फ़रमाते ही रहे आख़िर उनके साथ–साथ उठकर चल दिये और मैं भी साथ–साथ हो लिया और वे दोनों आग की तरफ़ बढ़ते रहे तो तमीमदारी इस आग को धक्के दे रहे थे। आख़िर वह आग एक घाटी में जा घुसी और तमीमदारी थे कि उसके पीछे लगे रहे। इस पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि जो आदमी किसी बात को अपनी आंखों से देख ले वह उसके बराबर नहीं हो सकता जो ख़ुद मुशाहदा न करे।

ये कलिमात तीन बार फ़रमाए।

हवाला – तर्जुमानुस्सुन्नः जिल्द 4, पृ० 344, बयान 1544।

साइंस वाले आग को अपने हाथों से धक्के मार कर हटा सकते हैं? या बुझा सकते हैं? अलबत्ता उन्होंने आग बुझाने के लिए फ़ायर ब्रिगेड यानी आग बुझाने वाली गाड़ियों का इन्तिज़ाम किया।

हदीस – हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं उसैद बिन हुज़ैर रज़ि० और इबाद बिन बिश्र रज़ियल्लाहु अन्हु एक दिन बड़ी रात तक अपनी किसी ज़रूरत के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से बातें करते रहे। यह रात बहुत तारीक थी फिर दोनों अपने घरों को रवाना हुए दोनों के हाथों में लाठियां थीं। इन दोनों में से एक की लाठी रोशन हो गयी और दोनों को रास्ता साफ़ नज़र आने लगा, फिर जब दोनों का रास्ता अलग-अलग हुआ तो दूसरे की भी लाठी रोशन हो गयी और हर आदमी अपनी लाठी की रोशनी में घर पहुंच गया।

हवाला – 1.सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 15, पृ० 252, हदीस 986, मनाक़िब का बयान,

2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 883, हदीस 5661, करामतों का बयान,
3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 48, करामतों का बयान,
4. तर्जुमानुस्सुन्नः, जिल्द 4, पृ० 371, हदीस 1565, करामतों का बयान।

क्या किसी साइंस वाले की लाठी में रात को रोशनी पैदा हो सकती है, अलबत्ता इन लोगों ने बिजली और टार्च का इन्तिज़ाम किया, टार्च में सेल डालो, बटन दबाओ, तब रोशनी पैदा होगी और अगर बल्ब ख़राब हो गया या सेल ख़त्म हो गये तो अंधेरी रातों में ठोकरें खाओ। रूहानी पावर तो इस्लाम के दायरे में अमल करने ही से पैदा होता है मेरे भैया!

हदीस – हज़रत अब्दुर्रहमान बिन मआज़ तीमी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मिना के मैदान में हमें खुत्बा दिया। उसके सुनने के लिए हमारे कान खोल दिये गये और एक रिवायत में है कि अल्लाह तआला ने हमारे कानों को सुनने के लिए इस तरह खोल दिया कि अपनी अपनी मंज़िलों में थे और वहीं सुन रहे थे।

हवाला – तर्जुमानुस्सुन्नः जिल्द 4, पृ० 431, हदीस 1634।

तश्रीह – आवाज़ पहुंचने का बड़ी हद तक दारोमदार ज़ाहिरी वजहों में, दूर व नज़्द्रीक, हवा के मुख़ालिफ़ मुवाफ़िक़ होने में और खुद आवाज़ की पस्ती व बुलंदी पर है बाक़ी अंबिया-ए-किराम, रुसूले अ़िज़ाम की जहां और खुसूसियतें हैं एक खुसूसियत यह भी है कि उनकी आवाज़ में सबसे ज़्यादा तासीर और क़ुव्वत होती है और इस हदीस से मालूम होता है कि फैलाव भी मुम्ताज़ होता है। सहाबा किराम रिज़्वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन का अंदाज़े बयान बता रहा है कि यह बात खर्क़े आदत के तौर पर थी जो जहां था आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का खुत्बा इस तरह सुन रहा था गोया यहीं खड़े आप खुत्बा दे रहे हैं।

हवाला – तर्जुमानुस्सुन्नः, जिल्द 4, पृ० 431।

तारीख़ बताती है कि उम्मत के मुम्ताज़ लोग भी कभी-कभी इस नेमत से नवाज़े गए

हैं अब नयी ईजादात ने इस मसअले को हल कर दिया है और किसी के लिए अचम्भे की बात नहीं, गो दोनों में ज़मीन व आसमान का फ़र्क़ है कि एक आलों और मशीनों का मुहताज है (यानी लाउडस्पीकर) और दूसरी आवाज़ किसी आले की क़तअन मुहताज नहीं और न ज़ाहिरी आलों को वहां कोई दख़ल है।

हवाला – तर्जुमानुस्सुन्न:, जिल्द 4, पृ० 432।

हदीस – हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि सफ़र में सुबह के वक़्त एक बार क़ाफ़िले में वुज़ू के लिए पानी न था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तलाश करवाया तो एक आदमी के पास सिर्फ़ एक बर्तन में थोड़ा सा पानी निकला। आपने उसमें उंगलियां डाल दीं तो वह बर्तन फ़ुव्वारे की तरह जोश मारने लगा। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया कि पुकारो सबको कि आकर वुज़ू कर लें। सैकड़ों सहाबा किराम रिज़्वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने वुज़ू किया और पेट भर कर पानी पिया। जब नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो आपने लोगों से पूछा कि तमाम मख़्लूक़ात में से किस का ईमान अजीबतर है।

लोगों ने कहा कि फ़रिश्तों का

तो आपने फ़रमाया कि उनके ईमान में क्या ताज्जुब है? वे तो बारगाहे इलाही में हाज़िर हैं उसके हुक्मों को मानते हैं वे क्योंकर ईमान न लाते?

लोगों ने फिर अर्ज़ किया कि आप के सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन का?

तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया मेरे सहाबा रज़ि० सैंकड़ों मोजिज़े देखते हैं उनके ईमान में क्या ताज्जुब? अलबत्ता अजब ईमान उनका होगा जो मेरे बाद पैदा होंगे और मेरा नाम सुन कर सच्चे दिल से मेरे ऊपर ईमान लाएंगे। वे मेरे भाई हैं और तुम सहाबा (रिज़्वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन)

हवाला – तफ़्सीरे हक़्क़ानी, जिल्द 2, पृ० 81, सूर: बक़र: के पहले रुकूअ की तफ़्सीर में।

है कोई साइंस वाला, जो अपनी उंगलियों से या उंगलियों के पोरों से पानी के धारे बरसा दे अलबत्ता इन लोगों ने नल की स्कीम बनायी और पानी जमा करने के लिए बड़े बड़े डेम (तालाब) बनवाये, लेकिन जब यह डेम फटता है या ज़्यादा पानी हो जाने के बाद डेम की हिफ़ाज़त के लिए कि डेम टूटने न पाये, इस वजह से डेम के रास्ते पानी निकलने के लिए खोल दिये जाते हैं तो सैंकड़ों जानदार बह जाते हैं और फ़स्लों में लाखों का नुक़्सान हो जाता है।

जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ख़ादिम हज़रत सफ़ीना रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हम एक बार समुन्दर के सफ़र में एक नाव में बैठे। इत्तिफ़ाक़ से वह नाव टूट गयी और मैं उस नाव के एक तख़्ते पर बैठ गया। उस तख़्ते ने मुझको ले जाकर ख़ुश्की की एक झाड़ी के क़रीब डाल दिया, जिसमें शेर भी था। उसे देखकर तो मुझे डर लगने लगा, मगर मैंने शेर से कहा ऐ अबुल हारिस! मैं सफ़ीना हूं सफ़ीना जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि

व सल्लम का ख़ादिम। यह सुनकर उसने अपना सर झुका दिया और उसने आगे बढ़ते हुए अपना कंधा हिलाया, गोया वह मुझे रास्ता दिखा रहा था यहां तक कि उसने मुझे रास्ते पर पहुंचा दिया। जब वह मुझे रास्ते तक पहुंचा चुका तो वह एक बार गरजा, तो मैं समझ गया कि वह मुझे रुख़्सत कर रहा है।

हवाला – 1.तर्जुमानुस्सुन्न: जिल्द 4, पृ० 363, बयान 1559,
2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 884, बयान 5666, करामतों का बयान,
3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 50, करामतों का बयान।

अगले ज़माने में बादशाह अपनी हिफ़ाज़त के लिए बड़े-बड़े क़िले बनवाते थे और हर मुल्क वाला अपने मुल्क की हिफ़ाज़त के लिए कोई एटम बम कोई नेपा बम, कोई हाइड्रोजन बम बनाता है और इस्लाम के दायरे में आने वाले की हिफ़ाज़त अल्लाह तआला दरिंदों से करवाता है बल्कि वह दरिंदा उसका रहबर बनकर उसको रास्ता भी दिखाता है और रुख़्सती के वक़्त सलाम भी अर्ज़ कर रहा है। यह सिफ़त साइंस वालों को कहां मिल सकती है, अलबत्ता मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के गुलामों के हिस्से में आयी है।

क़ुरआन करीम के तीसरे पारे में सूर: बक़र: के पैंतीसवें रुकूअ में आयत न० 258 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा – क्या तूने उसे नहीं देखा कि जो सल्तनत पाकर इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) से उसके रब के बारे में झगड़ रहा था। जब इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने कहा कि मेरा रब तो वह है जो जिलाता और मारता है। वह कहने लगा कि मैं जिलाता और मारता हूं। इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने कहा अल्लाह तआला सूरज को पूरब की तरफ़ से लेकर आता है, तू उसे पच्छिम की तरफ़ से ले आ अब तो वह काफ़िर हैरान रह गया और अल्लाह तआला ज़ालिमों को हिदायत नहीं देता।

इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद का बयान हो रहा है। नमरूद को अल्लाह तआला ने बहुत बड़ी बादशाही दे रखी थी और वह खुदाई का दावा करने लगा था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जाकर उसको समझाया कि तू खुदाई का दावा छोड़ दे और तू भी खुदा का बन्दा है। खुदा की इबादत में झुक जा।

तो जवाब में नमरूद ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि ऐसा कौन सा काम है जो खुदा कर सकता है और मैं नहीं कर सकता?

तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा खुदा जिलाता भी है और मारता भी है।

तो जवाब में नमरूद ने कहा यह तो मैं भी कर सकता हूं दो मुजरिमों को बुलाया जो क़त्ल किये जाने वाले थे। एक मुजरिम को क़त्ल कर दिया, एक मुजरिम को छोड़ दिया और कहा कि देखो हमने भी एक को जिला दिया एक को मार दिया हालांकि अल्लाह तआला का

मारना-जिलाना और है लेकिन वह इस तरह तावील करके निकल गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी समझ गये कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, ज़रा टेढ़ी करनी पड़ेगी।

इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि मेरा रब पूरब की तरफ़ से सूरज को निकालता है और पच्छिम की तरफ़ डुबोता है। अगर तू खुदा है तो पच्छिम की तरफ़ से सूरज निकाल। इस पर नमरूद ला जवाब हो गया। कोई जवाब नहीं बन पाया। पहले सवाल की तो तावील कर गया, दूसरे सवाल की तो तावील भी नहीं कर सका, हालांकि यह मांग खुदाई का दावा करने पर तलब की गयी थी लेकिन जवाब तक नहीं बन सका। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शान को देखिए।

हदीस – हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सह्बा नामी ज़गह में ज़ुहर की नमाज़ पढ़ी और अस्र की नमाज़ से फ़ारिग़ होकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया। (हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अभी तक अस्र की नमाज़ नहीं पढ़ी थी) जब तशरीफ़ लाये तो आपने उनकी गोद में अपना मुबारक सर रखा (और आप की आंख लग गयी) हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपको जगाना पसन्द नहीं किया यहां तक कि सूरज डूबने के क़रीब हो गया (और अस्र की नमाज़ का वक़्त निकल गया) जब आपकी आंख खुली तो आपने देखा कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की अस्र की नमाज़ का वक़्त जाता रहा तो आपने दुआ फ़रमायी ऐ अल्लाह! तेरा बन्दा हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) तेरे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की ख़िदमत में था (और उसकी अस्र की नमाज़ जाती रही) तो तू सूरज को फिर पूरब की तरफ़ लौटा दे।

हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि सूरज इतना लौट आया कि उसकी धूप पहाड़ों पर फिर पड़ने लगी। इसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उठे और वुज़ू फ़रमा कर अस्र की नमाज़ अदा फ़रमायी। इसके बाद सूरज डूबा।

हवाला – तर्जुमानुस्सुन्नः, जिल्द 4, पृ० 153, हदीस 1338, मोजिज़े का बयान।

है किसी साइंस वाले की ताक़त कि डूबे हुए सूरज को वापस लौटा ले। यह शान अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब हुज़ूर नबी करीम मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को बख़्शी है।

वसीला

मेरे प्यारे दोस्त! हनफ़ी मसलक में वसीला से दुआ मांगना मुजायक़ा नहीं, मगर इस में भी बहुत कुछ ग़लतफ़हमियां हो गयी हैं जिनको समझना और सीखना ज़रूरी है।

जो लोग औलिया अल्लाह रह्मतुल्लाहि अलैहिम से तवस्सुल को साबित करने के लिए वसीला वाली आयत से दलील पकड़ते हैं कि देखो, क़ुरआन शरीफ़ में वसीला पकड़ने को साफ़

तौर से कहा गया है और वहहावी लोग इसका इंकार करते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त! यह बात बिल्कुल धोखे की है।

क़ुरआन करीम के छठे पारे में सूरः माइदा के छठे रुकूअ में आयत न० 35 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – ऐ ईमान वालो! अल्लाह से डरो और अल्लाह तआला का क़ुर्ब ढूंडो और अल्लाह की राह में जिहाद करो। उम्मीद है कि तुम कामियाब हो जाओगे।

इस आयते करीमा में तीन बातों का हुक्म है–

पहला, अल्लाह से डरो,

दूसरा, अल्लाह की तरफ़ वसीला ढूंडो,

तीसरा, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो।

क़ुरआन करीम में जहां अल्लाह तआला ने ईमान वालों को खि़ताब फ़रमा कर किसी चीज़ का हुक्म फ़रमाया है तो वहां अगर कोई क़रीना या दलीले वजूब (फ़र्ज़) के खिलाफ़ नहीं, तो वह चीज़, जिसका हुक्म दिया गया है फ़र्ज़ और वाजिब ज़रूर होगी। यह उसूले फ़िक्ह का माना हुआ मसअला है।

हमारे नज़दीक यानी हनफ़ियों के नज़दीक हुक्म की हक़ीक़त वजूब है, (न कि मुस्तहब और मुबाह होना) जब तक उसके खि़लाफ़ कोई क़रीना और दलील न हो।

हवाला – नुरुल अन्वार, असल अव्वल, पृ० 27, अम्र का बयान।

अब देखना और समझना यह है कि वसीला वाली आयत में हुक्म 2 में वसीला ढूंडने को जो कहा गया है उससे क्या मुराद है?

मेरे प्यारे दोस्त! आयते शरीफ़ा में तीन बातों का हुक्म दिया गया है इसमें से पहली और तीसरी चीज़ तो बिना किसी इख़्तिलाफ़ के सबके नज़दीक ज़रूरी और वाजिब है यानी अल्लाह से डरना और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना।

अब रहा बीच का हुक्म यानी वसीला पकड़ना तो जब इसी आयते शरीफ़ा में पहली और तीसरी चीज़ वाजिब और ज़रूरी हुई तो बीच वाली चीज़ वाजिब क्यों न होगी? बिला शुब्हा वह भी वाजिब होगी अब देखना यह है कि वसीले का वह कौन सा मतलब है जो वाजिब है?

अगर वसीले का वही मतलब मुराद हो जो जेबभरू पीर और पेटभरू मौलवी लेते हैं यानी अपनी हाजतों को पूरा करने में औलिया अल्लाह से इस्तिआनत और मददतलबी और उनका तवस्सुल तो ज़रूरी होगा कि यह भी वाजिब हो क्योंकि हुक्म के बावजूद वाजिब होने का इंकार हनफ़ी फ़िक्ह के उसूल के खि़लाफ़ है जिसका हवाला अभी गुज़र चुका।

इसके अलावा यह बात बहुत भोंडी होगी कि अगला और पिछला हुक्म तो वाजिब हो और बीच का न वाजिब हो, न सुन्नत, बल्कि मुस्तहब भी न हो।

अब आइए, फ़िक़्हे हनफ़ी में देखें कि औलिया अल्लाह रह्मतुल्लाहि अलैहिम से मदद और तवस्सुल क्या दर्जा रखता है?

सलफ़े सालिहीन का क़ुरूने सलासा में यह दस्तूर रहा है कि जो हज़रात अपने ज़माने में नेक और वलिय्युल्लाह मालूम हुए उनको लोग अपनी दुआ की क़ुबूलियत के वास्ते तक्लीफ़ देते रहे और उनसे दुआ करने की ख़्वास्तगारी करते रहे। इसी बुनियाद पर अगर अब भी कोई नके या वलीयुल्लाह मालूम हो और लोग उससे दुआ कराएं या अपनी दुआ की क़ुबूलियत में वसीला ठहराएं, जैसा कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को लोगों ने पेशवा करके अपनी ज़रूरत तलब की थी सबके नज़दीक जायज़ होगा और उससे किसी हनफ़ी फ़क़ीह का इख़्तिलाफ़ नहीं है।

रहा बाद विसाल (यानी वफ़ात के बाद) उनसे दुआ कराने या अपनी हाजत रवाई के वास्ते किसी तरह तक्लीफ़ देने का तो यह दस्तूर 'क़ुरूने सलासा मश्हूद लहा बिल ख़ैर' (यानी वे तीन ज़माने, जिनके सरापा ख़ैर होने की गवाही दी गयी है) और मुज्तहिदों के ज़माने में नहीं पाया गया।

इसकी बुनियाद पर हमारे हनफ़ी फ़ुक़्हा इसमें मुख़्तलिफ़ हैं। अक्सर जायज़ न होने के क़ायल हैं जानना चाहिये कि यही मज़हब अक्सर फ़ुक़्हा का क़ाबिले फ़त्वा हमारे ज़माने के लिए है क्योंकि इसमें एहतियात है।

हवाला – मजमूअतुल फ़तावा (मौलाना अब्दुल हई फ़रंगी महल्ली) पृ० 349, 395।

वसीला से दुआ मांगना न तो शरीअत में फ़र्ज़ है न वाजिब और न सुन्नत यहां तक कि हमारे हनफ़ी फ़ुक़्हा के नज़दीक मुस्तहब भी नहीं है। इसपर ज़्यादा से ज़्यादा जो कहा जा सकता है वह यह है कि वसीले से दुआ करना सिर्फ़ जायज़ है तो एक मुबाह दर्जे की चीज़ जिससे बड़े-बड़े फ़ित्नों के दरवाज़े खुल रहे हैं क्या इसको करना बेहतर है या उससे बचना बेहतर है? बजाए उसको छोड़ने के उसपर और ज़िद करना और बहस व मुबाहसा करना जहालत नहीं है तो फिर और क्या है?

अब जो लोग अह्ले क़ुबूर से मदद चाहते या दुआ कराने में औलिया अल्लाह रह्मतुल्लाहि अलैहिम से तवस्सुल को साबित करने के लिए वसीला वाली आयत पढ़कर अपना रंग जमाते हैं और उलेमा-ए-हक़ को गुमराह बताते हैं और अपने आपको पक्का सुन्नी हनफ़ी जताते हैं वे क़ुरआन शरीफ़ के मतलब में तह्रीफ़ करते हैं और मनमानी तफ़्सीर करते हैं जिसकी वईद हदीस शरीफ़ में आयी हुई है।

क्योंकि आयते शरीफ़ा में अगर वसीला का मतलब वही हो जो वे लोग लेते हैं तो अह्ले क़ुबूर से मदद चाहना और औलिया अल्लाह रह्मतुल्लाहि अलैहिम से वसीला पकड़ना वाजिब होना चाहिए ताकि आयत में बयान होने वाली तीनों बातों में बराबर का हुक्म हो यानी जैसे

अल्लाह तआला से डरना और अल्लाह तआला के रास्ते में जिहाद करना वाजिब है इसी तरह अह्ले क़ुबूर से मदद हासिल करना भी वाजिब है हालांकि आपने देख लिया कि हनफ़ी फ़ुक़हा सिर्फ़ जायज़ कहते हैं। इससे मालूम हो गया कि आयते शरीफ़ा में जिस वसीले का ज़िक्र है इससे वह मतलब हरगिज़ नहीं लिया जा सकता जो ये बनास्पती सुन्नी हनफ़ी मुराद लेते हैं या तो ये लोग आयते शरीफ़ा के मायने और मतलब को नहीं जानते हैं या फिर जानबूझ कर भोली-भाली जनता को धोखा देकर अपनी दुकान चमकाते हैं।

अब हम हवाले के साथ आयते शरीफ़ा की वह तफ़्सीर बयान करते हैं, जो तमाम मुफ़स्सिरीने किराम ने ज़िक्र की है और वही सही तफ़्सीर है। इससे मालूम हो जाएगा कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम और उलेमा-ए-रब्बानी वसीला का क्या मतलब इस आयते शरीफ़ा से लेते हैं?

इस आयत में अल्लाह तआला ने अपने मोमिन बन्दों को तक़्वा का हुक्म फ़रमाया है और जब तक़्वा अल्लाह तआला की इताअत के साथ मिला हुआ हो तो उससे मुराद हराम चीज़ों से रुकना और रोकी गयी चीज़ों को छोड़ना होता है। इसके बाद अल्लाह तआला ने 'वब्तग़ू इलैहिल वसील-त (अल्लाह की तरफ़ वसीला ढूंडो) फ़रमाया है तो इसके बारे में सुफ़ियान सोरी रह्मतुल्लाहि इलैहि रिवायत करते हैं तलहा रह्मतुल्लाहि अलैहि से और तलहा रह० रिवायत करते हैं अता से और अता रह० रिवायत करते हैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से कि-

'वसीला के मायने क़ुर्ब और नज़दीकी के हैं।'

और यही बात कही है अबू वाइल रह्मतुल्लाहि अलैहि और हसन रह्मतुल्लाहि और क़तादा रह्मतुल्लाहि अलैहि और अब्दुल्लाह बिन कसीर रह्मतुल्लाहि अलैहि और सुद्दी रह्मतुल्लाहि अलैहि और इब्ने ज़ैद रह्मतुल्लाहि अलैहि और उनके अलावा मुफ़स्सिरीने किराम ने और हज़रत क़तादा रह्मतुल्लाहि अलैहि ने फ़रमाया कि आयत का मतलब यह है कि अल्लाह तआला से नज़दीकी हासिल करो, फ़रमांबरदारी और पसंदीदा अमल से।

आयते शरीफ़ा का यह मतलब तमाम मुफ़स्सिरीन का मुत्तफ़क़ा है, इसमें कोई इख़्तिलाफ़ नहीं है।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 6, पृ० 93, सूरः माइदा के छठे रुकूअ की तफ़्सीर में।

'वबतग़ू इलैहिल वसील-त' (अल्लाह की तरफ़ वसीला ढूंडो)

यानी फ़रमांबरदारियों का काम करना और गुनाहों को छोड़ना, जिन के ज़रिए अल्लाह से नज़दीकी हो और उसके सवाब तक रसाई हो। वसीले का लफ़्ज़ 'व-स-ल' से बना है, जिसका मतलब नज़दीक होना और क़ुर्ब हासिल करना है।

हवाला – तफ़्सीरे बैजावी शरीफ़, पारा 6, पृ० 233, सूरः माइदा की तफ़्सीर में।

उसकी तरफ़ वसीला ढूंडो यानी अल्लाह की इताअत जो तुमको उससे करीब कर दे।

हवाला – तफ़्सीरे जलालैन शरीफ़, पारा 6, पृ० 99, सूरः माइदा की तफ़्सीर में।

मेरे प्यारे दोस्त! अब आया आप की समझ में?

तमाम मुफ़स्सिरीन बिला इख़्तिलाफ़ इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि आयते शरीफ़ा में वसीला से मुराद कुर्ब व नज़दीकी है या वे आमाल जिन से कुर्बे इलाही हासिल हो। यही बात अपनी-अपनी इबारतों में तमाम मुफ़स्सिरीन बयान फ़रमाते हैं।

और वह मतलब जो जेबभरू पीर और पेटभरू मौलवी और उनके चेले बयान करते फिरते हैं यानी औलिया अल्लाह रह्मतुल्लाहि अलैहिम से मांगना और हर काम में उनसे मदद चाहना और मिसाल दिया करते हैं कि अगर बादशाह से कुछ लेना है तो पहले उसके मातहत मुसाहिबों और हाकिमों के पास जाना होगा, तब ही काम बनेगा। इसी तरह खुदा का मामला भी है तो यह बात इंतिहाई गुमराह करने वाली और इस्लामी शरीअत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है।

मेरे प्यारे दोस्त! वसीला का एक मतलब तो वही है जो आयते वसीला में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और क़तादा रह्मतुल्लाहि अलैहि से नक़ल किया गया है और एक वसीला वह है जो अज़ान के बाद पढ़ी जाने वाली दुआ में है इससे मुराद जन्नत में एक ऊंचा दर्जा है जो आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सललम के लिए मख़्सूस है।

हदीस 1 – हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जिसने अज़ान सुनने के बाद यह दुआ मांगी–

अल्लाहुम-म रब-ब हाज़िहिद-दअ्-वति त्ताम्मति वस्सलातिल क़ाइमति आति मुहम्म-द-निल-वसील-त वल-फ़ज़ी-ल-त वब-असहु मक़ामम-मह्मू-द-निल-लज़ी व अत्तहू०

तर्जुमा – ऐ अल्लाह! इस मुकम्मल पुकार और क़ायम रहने वाली नमाज़ के मालिक! मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को वसीला और फ़ज़ीलत अता कर और मक़ामे महमूद में भेज, जिसका तूने वायदा किया।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं–

जिसने यह दुआ मांगी, उसके लिए मेरी शफ़ाअत वाजिब हो गयी।

हवाला – तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 46, हदीस 189, नमाज़ का बयान।

इस हदीस में अज़ान की दुआ के अन्दर जो वसीले का लफ़्ज़ है उससे भी किसी नबी या वली रह्मतुल्लाहि अलैहि का वसीला मुराद नहीं है, बल्कि इस वसीले से मुराद या तो जन्नत की वह जगह है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ही के लिए ख़ास है या तो फिर उस जगह का नाम है जहां पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खड़े होकर तमाम उम्मतियों की शफ़ाअत करेंगे।

हदीस – तबरानी के हवाले से लिखा है कि तुम अल्लाह से दुआ करो कि खुदा मुझे

वसीला अता फ़रमाए जो आदमी मेरे लिए दुनिया में दुआ करेगा मैं उसपर गवाह या सिफ़ारशी क़ियामत के दिन बन जाऊंगा।

और हदीस में है, 'वसीले से बड़ा कोई दर्जा जन्नत में नहीं है।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 6, पृ० 93, सूरः माइदा के छठे रुकूअ की तफ़्सीर में।

आयते शरीफ़ का सही मतलब अब बयान किया जाता है।

अल्लाह तआला फ़रमाता है–

ऐ ईमान वालो! अल्लाह से डरते रहो।'

'यानी गुनाह के काम न किया करो, और

'वसीला ढूंढो अल्लाह की तरफ़'

यानी पसंदीदा और नेक अमलों से और गुनाह के कामों को छोड़ने से खुदा का क़ुर्ब और नज़दीकी तलब करो।

यह बात इसलिए कही जा रही है कि जब पहले फ़रमाया कि अल्लाह से डरते रहो तो अब यह बताया जा रहा है कि अल्लाह से डरना ऐसा नहीं जैसा आदमी सांप, बिच्छू, शेर, भेड़िया से डर कर दूर भागता है, बल्कि खुदा से डरना ऐसा होना चाहिए कि उसकी नाखुशी से डर कर उसका क़ुर्ब और वसीला हासिल करने की कोशिश हो। ख़ौफ और डर की पहली सूरत नफ़रत की वज़ह से होती है और यह दूसरी सूरत मुहब्बत की वजह से होती है। इसी लिए जब डरने वाली बात पहले कही गयी तो उसके बाद अल्लाह तआला से क़ुर्ब तलब करने का हुक्म हुआ और अल्लाह तआला का क़ुर्ब पसन्दीदा अमल ही से हो सकता है।

उसके बाद इस आयत में तीसरा हुक्म है कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो, यानी वे ताक़तें जो तुम्हें खुदा के रास्ते से हटा देने वाली हों, उनका डट कर मुक़ाबला करो, वे चाहे कुफ़्फ़ार व मुश्रिक हों या तुम्हारा अपना नफ़्स हो या शैतान हो। यह है सही रिवायतों के मुताबिक़ इस आयत की तफ़्सीर।

हज़रत क़तादा रह्मतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं कि खुदा की इताअत और उसकी मर्ज़ी के आमाल से उससे क़रीब होते जाओ। इन इमामों ने वसीले का मतलब इस आयत से जो लिया है उसपर सब मुफ़स्सिरों का इत्तिफ़ाक़ है। इसमें किसी एक का भी इख़्तिलाफ़ नहीं है।

इमाम इब्ने जरीर रह्मतुल्लाहि अलैहि ने इस पर एक अरबी शेर भी कहा है जिसमें वसीले का मतलब क़ुर्बत और नज़दीकी लिया गया है।

हवाला –1. तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 6, पृ० 93, सूरः माइदा के छठे रुकूअ की तफ़्सीर में।

2. तफ़्सीरे मुवाहिबुर्रहमान, पारा 6, पृ० 113, सूरः माइदा के छठे रुकूअ की तफ़्सीर में।

वसीले का सही मतलब जान व माल से अल्लाह की राह में मेहनत करना है, इसी का नाम वसीला है।

क़ुरआन करीम के छब्बीसवें पारे में सूर: हुजरात के दूसरे रुकूअ में आयत न० 15 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – मोमिन तो वे लोग हैं जो अल्लाह और उसके (रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) पर ईमान रखते हैं और उसमें शक व शुब्हा नहीं करते और अपनी जान व माल से अल्लाह की राह में मेहनत करते हैं। यही लोग सच्चे हैं।

वसीले का यही मतलब है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर सच्चे दिल से और सच्ची नीयत से ईमान ले आए और इसमें कोई शक व शुब्हा किसी तरह का भी न रखे। इसके बाद अल्लाह की बतायी हुई नेक राह में अपनी जान व माल खर्च करे। यही लोग हैं सच्चे, जो ईमान के दावे में सही उतरे।

क़ुरआन करीम के अठाईसवें पारे में सूर: सफ़्फ़ के दूसरे रुकूअ में आयत न० 10 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – ऐ ईमान वालो! क्या मैं तुम्हें वह तिजारत बताऊं जो तुम्हें दर्दनाक अज़ाब से बचा ले।

ईमान वालों से अल्लाह तआला मुख़ातिब होकर फ़रमा रहा है कि हम तुम्हें एक तिजारत बतला दें, जो तुमको दर्दनाक अज़ाब से बचा ले। दुनिया में जो तिजारतें चल रही हैं मिसाल के तौर पर एक का लिया, दो का दिया दो का लिया, तीन का दिया, यह तो आप सब जानते हैं, लेकिन एक मख़्सूस तिजारत जो दुनिया वालों की तिजारत से बिल्कुल अलग है और दुनिया व आख़िरत दोनों जहान में फ़ायदा ही फ़ायदा वाली है, हम तुमको बताते हैं वह यह है–

क़ुरआन शरीफ़ के अठाईसवें पारे में सूर: सफ़्फ़ के दूसरे रुकूअ में आयत न० 11 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – अल्लाह तआला पर और रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) पर ईमान ले आओ और अल्लाह की राह में अपनी जान व माल से जिहाद करो। यह काम भी अच्छा है और इसका अंजाम भी अच्छा है, अगर तुम समझो।

एक जिहाद तो वह था जो सहाबा किराम रिज़्वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन और ताबईन रह्मतुल्लाहि अलैहिम व तबअ़ ताबईन रह्मतुल्लाहि अलैहिम कर चुके हैं। आज हममें वह ताक़त नहीं है जो अगले साहिबान कर चुके हैं लेकिन कम से कम अल्लाह की राह में जो जिहाद किया जा सके करना चाहिए। आजकल अल्लाह के रास्ते में मेहनत करना, अल्लाह की इबादत करना जिस्मानी जिहाद है। ज़ुबानी जिहाद यह है भली बातों का हुक्म करना और बुरे काम या रस्म व रिवाज या बुरी बातों से मख़्लूक़े ख़ुदा को बचाने की मेहनत करना और

माली जिहाद यह है कि अल्लाह के दीन में सही रास्ते पर अपना माल लगाते रहना, ऐसे लोगों के लिए वायदा है–

क़ुरआन करीम के अठाईसवें पारे में सूरः सफ़्फ़ के दूसरे रकूअ में आयत न० 12 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ़ फ़रमा देगा और तुम्हें जन्नत में दाख़िल कर देगा जिसमें नहरें चल रही हैं और वह तुम्हें हमेशा के बाग़ में दाख़िल करेगा। यह बहुत ही बड़ी कामियाबी है।

समझ में बात आई मेरे भैया! कि इस आयते करीमा में जो वसीला है वह यही वसीला है कि इंसान की पूरी ज़िन्दगी की पूंजी और अपनी जान अल्लाह की राह में लग जाए तो अल्लाह का वायदा है कि वे लोग जन्नत के ऊंचे बाग़ों यानी बेहतरीन मकानों में रहेंगे–

क़ुरआन करीम के ग्यारहवें पारे में सूरः तौबा के चौदहवें रुकूअ में आयत न० 111 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – बेशक अल्लाह तआला ने मुसलमानों से उनकी जानें और उनके माल इस बात के बदले में ख़रीद लिए हैं कि उनको जन्नत मिलेगी।

जो सच्चे और पक्के ईमान वाले हैं, उनसे अल्लाह का सौदा हो चुका है। अल्लाह तआला ने जन्नत के बदले में मोमिनों की जानें और उनके माल ख़रीद लिए हैं, यही है सही वसीला।

जहालत की वजह से या बे ख़बरी से या भूल से या रस्मी तौर पर जो लोग दरगाहों या ख़ानक़ाहों पर या ताज़ियों पर जाते हैं और वहां पर नियाज़, नज़्र करते हैं और जाहिल मुजाविर कहीं-कहीं तो सज्दे करवाते हैं और जाहिल, अनपढ़ और भोले लोगों को समझाते हैं कि क़ियामत के दिन ये तुम्हारी निजात के लिए वसीला बनेंगे या तुम्हें अल्लाह के क़रीब कर देंगे। यही अक़ीदा मक्का के मुश्रिकों का था इसी अक़ीदे की बुनियाद पर बुतपरस्ती फैलती चली गयी और आज इसी अक़ीदे पर क़ब्रें पूजी जा रही हैं। इसी अक़ीदे पर छल्ले और ख़ानक़ाहें निभ रही हैं इसी अक़ीदे पर ताज़िए सजाए जा रहे हैं इसी अक़ीदे पर चर्च और गिरजे बनाये जा रहे हैं। और इसी अक़ीदे पर देव, देवियां पूजी जा रही हैं और इसी अक़ीदे पर मज़ारों पर नियाज़ व नज़्र चढ़ायी जा रही हैं। इसी अक़ीदे ने अगले लोगों को भी तबाह व बर्बाद किया और आज भी इसी अक़ीदे पर लोग तबाह व बर्बाद हो रहे हैं।

क़ुरआन करीम के ग्यारहवें पारे में सूरः यूनुस के दूसरे रुकूअ में आयत न० 18 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – ये लोग अल्लाह को छोड़ कर ऐसी चीज़ों की इबादत करते हैं जो न उनको नुक़्सान पहुंचा सकते हैं और न नफ़ा पहुंचा सकते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के पास ये हमारी सिफ़ारिश करेंगे।

अल्लाह तआला उनके ग़लत अक़ीदों की तर्दीद कर रहा है कि खुदा को छोड़कर तुम जिन जिन को पूज रहे हो वे किसी नफ़ा के मालिक नहीं और किसी नुक़्सान के भी मालिक नहीं और न तुम्हारी सिफ़ारिश कर सकते हैं न शफ़ाअत, न अल्लाह के दरबार में तुम्हारे लिए वसीला बन सकते हैं।

क़ुरआन करीम के तेईसवें पारे में सूर: ज़ुमर के पहले रुकूअ में आयत न० 3 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – और ज़िन लोगों ने खुदा के सिवा औलिया बना रखे हैं, वे कहते हैं कि हम उनकी इबादत सिर्फ़ इसलिए करते हैं कि ये बुज़ुर्ग अल्लाह के नज़दीकी मर्तबे तक हमारी पहुंच कर देंगे।

अल्लाह तआला फ़रमा रहा है कि ये लोग मुझे छोड़ कर मेरी मख़्लूक़ को पूज रहे हैं या पुकार रहे हैं। ये सिर्फ़ यही समझ कर पूज रहे हैं कि ये बुज़ुर्ग हमें अल्लाह के क़रीब करवा देंगे और अल्लाह के दरबार में हमारे लिए सिफ़ारिशी या वसीला बनेंगे। पक्के मज़ार बनाने वाले, मज़ारों पर बड़े-बड़े गुंबद बनाने वाले, ख़ानक़ाहें और छल्ले सजाने वाले और ताज़िया सजाने वाले सब यही समझ कर जुटे पड़े हैं कि ये बुज़ुर्ग अल्लाह के दरबार में और हश्र के मैदान में हमारी निजात के लिए सिफ़ारिश करेंगे और हमारी फ़लाह के लिए वसीला बनेंगे।

क़ुरआन करीम के पन्द्रहवें पारे में सूर: बनी इस्राईल के छठे रुकूअ में आयत न० 57 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – जिनको ये लोग पुकारते हैं वे खुद अपने रब की नज़दीकी हासिल करने का वसीला तलाश करते हैं कि कौन उस अल्लाह के क़रीबतर हो जाए और वे उसकी रहमत के उम्मीदवार हैं और उसके अज़ाब से डर रहे हैं।

ये लफ़्ज़ खुद गवाही दे रहे हैं कि मुश्रिकों के जिन-जिन माबूदों और फ़रियादरसों का यहां ज़िक्र हो रहा है, उनसे मुराद पत्थर के बुत नहीं हैं बल्कि या तो फ़रिश्ते हैं या गुज़रे हुए ज़माने के बरगुज़ीदा इंसान हैं।

मतलब इस आयते करीमा का साफ़-साफ यह है कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम हों या औलिया रह्मतुल्लाहि अलैहिम, या फ़रिश्ते किसी की भी यह ताक़त नहीं है कि तुम्हारी मदद को पहुंचे। तुम हाजत रवाई के लिए उनको वसीला बना रहे हो और उनका हाल यह है कि वे खुद अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं और अल्लाह तआला का ज़्यादा तक़र्रुब हासिल करने के लिए वसीला ढूंड रहे हैं।

मक्का के कुफ़्फ़ार कहते थे और दुनिया भर के मुश्रिक़ चाहे वे अंबिया अलैहिमुस्सलाम को पूज रहे हैं या औलिया अल्लाह रह्मतुललाहि अलैहिम को, चाहे वे पत्थर के बुत पूज रहे हों या लकड़ी और काग़ज़ के ताज़िए बना कर उन्हें पूज रहे हों, वे सबके सब यानी दुनिया

भर के शिर्क करने वाले यही कहते हैं कि हम दूसरी हस्तियों की इबादत उनको मालिक समझकर नहीं करते हैं मालिक तो हम अल्लाह ही को मानते हैं और असल माबूद उसी को समझते हैं लेकिन अल्लाह तआला की बारगाह बहुत ऊंची है, वहां तक हमारी पहुंच नहीं हो सकती, तो हम इन बुज़ुर्ग हस्तियों को इसलिए वसीला बनाते हैं ताकि ये हमारी दुआएं और इल्तिजाएं अल्लाह तआला तक पहुंचा दें अब आप ही सोचें कि यह जहालत नहीं तो और फिर क्या है?

वसीले के बारे में यह बयान वह है जो क़ुरआन में आया है अब हदीसों में इसका बयान सुनिये।

हदीस – हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है–

तीन आदमी चले जा रहे थे कि अचानक बारिश होने लगी, तो वे पहाड़ के एक ग़ार में घुस गये। पहाड़ से ग़ार के मुंह पर एक पत्थर आ पड़ा और ग़ार को बंद कर दिया। निकलने का रास्ता न रहा, तीनों में से हर एक ने दूसरे से कहा कि अपने उन नेक कामों पर नज़र डालो, जो खास तौर पर खुदा के लिए किया हो और उस अमल के वसीले से खुदा से दुआ मांगो। उम्मीद है कि अल्लाह तआला इस पत्थर या इस मुसीबत को दूर कर दे।

उनमें से एक ने कहा, ऐ अल्लाह! मेरे मां–बाप बहुत बूढ़े थे और मेरे कई छोटे बच्चे थे और मैं बकरियां चराया करता था ताकि उनका दूध उन सब को पिलाऊं। जब शाम हो जाती तो मैं घर आता, दूध दुहता और सबसे पहले अपने मां–बाप को पिलाता, फिर बच्चों को देता।

एक दिन ऐसा इत्तिफ़ाक़ हुआ कि चरागाह के पेड़ मुझ को दूर ले गये, यानी बकरियों को चराता–चराता मैं दूर निकल गया और वक़्त पर मैं घर वापस न आ सका, यहां तक कि शाम हो गयी। जब घर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे मां–बाप दोनों सो गये। मैंने मामूल के मुताबिक़ दूध दुहा, फिर दूध का बरतन लेकर बाप के पास पहुंचा और उनके सिरहाने खड़ा हो गया। मुझको उनका जगाना भी बुरा मालूम हुआ और यह भी कि मां–बाप से पहले बच्चों को दूध पिला दूं। बच्चे मेरे पांव के पास भूख से पड़े रोते और चिल्लाते रहे और मैं दूध लिए खड़ा रहा। सुबह तक यही हाल रहा, यानी दूध लिये खड़ा रहा, बच्चे रोते रहे और मां–बाप पड़े सोते रहे।

ऐ अल्लाह! अगर तू जानता है कि मैंने यह काम सिर्फ़ तेरी रज़ामन्दी और खुश्नूदी के लिया किया है तो तू इस पत्थर को इतना खोल दे कि हम आसमान देख सकें। चुनांचे खुदावन्द तआला ने पत्थर इतना हटा दिया कि आसमान नज़र आने लगा।

दूसरे आदमी ने कहा–

ऐ अल्लाह! मेरे चचा की एक बेटी थी मैं उससे ग़ैर मामूली मुहब्बत रखता था ऐसी मुहब्बत,

जैसी कि मर्द औरतों से करते हैं। मैंने उससे जिमाअ़ की ख़्वाहिश ज़ाहिर की। उसने ज़ाहिर किया कि जब तक सौ दीनार न दो, ऐसा नहीं हो सकता।

मैंने कोशिश शुरू की और सौ दीनार जमा कर लिए और इन दीनारों को लेकर मैं उसके पास पहुंचा फिर जब मैं उसकी दोनों टांगों के दर्मियान बैठा जिमाअ़ के लिए, तो उसने कहा कि ऐ ख़ुदा के बन्दे! ख़ुदा से डर और मुहर को न तोड़ यानी कुंवारेपन को बर्बाद न कर।

मैं ख़ुदा के डर से फ़ौरन उठ खड़ा हुआ, यानी उससे जिमाअ़ नहीं किया।

ऐ अल्लाह! अगर तेरे नज़दीक मेरा यह काम सिर्फ़ तेरी रज़ामंदी और ख़ुश्नूदी के लिए था तो तू इस पत्थर को हटा दे और हमारे लिए रास्ता खोल दे।

ख़ुदावंद तआला ने पत्थर को थोड़ा और हटा दिया।

तीसरे आदमी ने कहा, ऐ अल्लाह! मैंने एक आदमी को मज़दूरी पर लगाया था एक फ़र्क़ (पैमाना) चावल के मुआवज़े पर। जब वह आदमी अपना काम पूरा कर चुका तो कहा, मेरी मज़दूरी मुझको दिलवाइए। मैं उसकी मज़दूरी देने लगा तो वह उसको छोड़कर चला गया और फिर अपना हक़ लेने की तरफ़ तवज्जोह न की। मैंने उसकी मज़दूरी के चावलों से खेती शुरू की और बराबर खेती करता रहा, यहां तक कि उन चावलों की क़ीमत से मैंने बहुत से बैल और उनके चरवाहे जमा कर लिए।

उसके बाद वह मज़दूर मेरे पास आया और कहा, ख़ुदा से डर और मुझ पर ज़ुल्म न कर और मेरा हक़ मेरे हवाले कर दे।

मैंने कहा, इन बैलों और चरवाहों को ले जा (कि यह तेरा हक़ है)।

उसने कहा कि ख़ुदा से डर और मुझसे मज़ाक़ न कर।

मैंने कहा, मैं तुझ से मज़ाक़ नहीं करता। इन बैलों और इन चरवाहों को ले जा।

चुनांचे उसने उन सबको जमा किया और लेकर चला गया।

ऐ अल्लाह! अगर तेरे नज़दीक मेरा यह काम सिर्फ़ तेरी ख़ुश्नूदी और रज़ामंदी के लिए था तो तू पत्थर को हटा दे।

चुनांचे ख़ुदावंद तआला ने पत्थर को हटा दिया और रास्ता खोल दिया।

हवाला –1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 24, पृ० 218, हदीस न० 909, आदाब का बयान,

2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 202, हदीस न० 1014, बाब 472, तौबा का बयान,

3. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 712, हदीस न० 4692, एहसान का बयान,

4. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 126, एहसान का बयान।

यह है वह हदीस, जिसको वसीले की दलील में लेते हैं। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह नहीं फ़रमाया कि तुम लोग इसी तरह दुआएं मांगना, बल्कि एक कहानी या वाक़िए के तौर पर यह बात फ़रमायी कि बनी इस्राईल में एक क़िस्सा ऐसा हुआ था। बहरहाल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ज़ुबाने मुबारक से निकलने वाले लफ़्ज़ दर्जा ज़रूर रखते हैं और उन पर उलेमा का फ़त्वा होता है।

और इस हदीस से मालूम हुआ कि मुस्तहब है वसीला पकड़ना नेक कामों के साथ, सख़्ती व परेशानी की हालत में, इसलिए कि अल्लाह तआला ने दुआ उनकी क़ुबूल की इससे और आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उसकी उस क़ौम से बीच मारज़े सना और ज़िक्रे फ़ज़ाइल (यानी तारीफ़ और फ़ज़ीलत के तौर पर) के ख़बर दी और इस्तिहबाब न हो तो जवाज़ तो यक़ीनी है।

हवाला – मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 127, भलाई और सिला रहमी का बयान।

मक्रूह है कि आदमी अपनी दुआ में कहे बहक़्क़े फ़्लां यानी बहक़्क़े फ़्लां बुज़ुर्ग मेरी दुआ क़ुबूल फ़रमा या कहे या इलाही! बहक़्क़े अंबिया या बहक़्क़े रसूल मेरी दुआ क़ुबूल फ़रमा। इसी तहर अगर कहे कि इलाही! बहक़्क़े बैतुल्लाह मेरी दुआ क़ुबूल कर, तो भी मक्रूह है इस वास्ते कि मख़्लूक़ का हक़ मालिके अज़्ज़ व जल्ल पर नहीं है और हक़ यह होता है कि बग़ैर उसको अदा किये छुटकारा न हो तो ज़ाहिर है कि किसी मख़्लूक़ का हक़ अल्लाह तबारक व तआला पर नहीं है। इससे मालूम हुआ कि कुछ लोग मुनाजात में ये अशआर पढ़ा करते हैं–

इलाही! बहक़्क़े मुहम्मद रसूल,
दुआ मुझ गुनाहगार की कर क़ुबूल।

यह मक्रूह है और इसमें किसी का इख़्तिलाफ़ नहीं। हां, अंबिया अलैहिमुस्सलाम और औलियाअल्लाह रह्मतुल्लाहि अलैहिम के वसीले से दुआ करना मुज़ायक़ा नहीं।

हवाला – ऐनुल हिदाया, जिल्द 4, पृ० 326, कराहत का बयान।

बहक़ से मुराद हक़ वाजिब लिया जाए, तो मकरूहे तहरीमी है और अगर बहक़ से मुराद वास्ता या वसीला या तवस्सुल या बरकत लिया जाए, तो मकरूह नहीं है बल्कि मुबाह है लेकिन आम लोग इस बात को समझ नहीं सकते हैं इसलिए एहतियात ही बेहतर है क्योंकि हिन्दुस्तान में मज़ारों पर जितना शिर्क व कुफ़्र या बिदअतें हो रही हैं, वह क़रीब–क़रीब वसीले ही के बहाने से हो रही हैं। शैतान को वसीले के बहाने से जितने गुमराह करने के रास्ते मिले हैं, इतना आसान तरीक़ा उसको कोई नहीं मिला है तो उम्मत को शिर्क व कुफ़्र से बचाने के लिए कोई मुस्तहब दर्जे की चीज़ और छोड़नी भी पड़े तो यह ना मुनासिब बात नहीं होगी। फिर कुछ आलिम साहिबान वसीला के लिए इतनी हुज्जत व सख़्ती क्यों करते हैं। यह हमारी समझ में नहीं आता।

जिस मुबाह को सुन्नत या वाजिब समझ लिया जावे, वह मकरूह है।

हवाला – फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 1, पृ० 191, तिलावत के सज्दे का बयान।

जब इंसानों के दिल में फ़र्ज़, वाजिब और सुन्नतों की अहमियत न रहे, बल्कि मुबाह, मुस्तहब या मुस्तह्सन को फ़र्ज़, वाजिब और सुन्नतों पर भी तर्जीह दी जाने लगे तो उस वक़्त उस मुबाह, मुस्तहब, या मुस्तह्सन पर अमल करना मकरूहे तह्रीमी होगा।

इमाम अबू हनीफ़ा व साहिबैन र-ह-महुमुल्लाहु तआला ने कहा कि मकरूह है कि आदमी यों कहे कि मैं तुझ से दुआ करता हूं बहक़्क़े फ़्लां या बहक़्क़े अंबिया व रूसुल या बहक़्क़े बैतुल-हराम व मानिंद इसके ,इस वास्ते कि किसी का अल्लाह तआला पर कुछ हक़ नहीं है।

हवाला – ऐनुल हिदाया, जिल्द 1, पृ० 41, अक़ाइद का बयान।

अब आप अपने आप तह्क़ीक़ कर लेना। हमने तो तह्क़ीक़ करने के बाद ही किताब लिखी है जो लोग मज़ारों पर ख़ानक़ाहों पर, आस्तानों पर छल्लों पर और ताज़ियों पर जाने वाले लोग हैं उनमें से बहुत ही कम आपको नमाज़ रोज़े के पाबन्द मिलेंगे।

किसी मज़ार पर जाकर या अपने घर ही में से उनके हक़ में बाद फ़ातिहा व मसनून दुआएं या ख़ानाकाबा या मस्जिद या दूसरी मुक़द्दस जगहें या क़ुरआन की तिलावत की बरकत से या या फलां जिन्दा बुजुर्ग के नेक आमाल की बरकत से ए! बारी तआला! फलां काम पूरा कर दे तो यह जायज़ है क्योंकि सवाल में ख़िताब खुदा से हो और इन सबका ज़िक्र बरकत की वजह से किया गया हो।

वसीले का दर्जा सिर्फ़ इतना है कि इस तरह से दुआ मांगी जाए जो तरीक़ा ऊपर बताया गया है तो इसमें कोई हरज नहीं है। यह इतना सा दर्जा वह रंग लाया कि दुनिया में कुफ़्र व शिर्क व बिदअत के जितने भी रास्ते खुले हैं वे क़रीब-क़रीब वसीले के बहाने से ही खुले हैं हालांकि दुआ के वक़्त किसी क़िस्म के वास्ते या वसीले की ज़रूरत नहीं है और न शरअ़ शरीफ़ में इसका कोई हुक्म ही है और न खुदा को इसकी ज़रूरत है क्योंकि वह हर वक़्त बग़ैर वसीले के सुनता और देखता है लेकिन अगर ऐसा किया गया तो हरज भी नहीं है।

दुआ मक़बूल होने के लिए हमें जो वसीला मिला है, वह यह है-

हदीस – हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि-

दुआ उस वक़्त तक आसमान और ज़मीन के बीच लटकती रहती है और उसमें से कोई चीज़ ऊपर नहीं चढ़ती, जब तक कि तू दरूद न भेजे अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर।

हवाला –1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 99, हदीस 434, वित्र का बयान,

2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 197, हदीस 872, दरूद का बयान,

3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 303, दरूद का बयान।

दुआ मांगने से पहले और दुआ मांगने के बाद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर दरूद शरीफ़ पढ़ लिया करें, तो इन्शाअल्लाह यक़ीनन दुआ क़ुबूल होगी। यह हमारा आज़माया हुआ है और हश्र के मैदान में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से नज़दीकी हासिल करने के लिए भी यही दरूद शरीफ़ है।

हदीस – हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि–

क़ियामत के दिन मुझसे सबसे ज़्यादा नज़दीक वह आदमी होगा जो मुझ पर सब से ज़्यादा दरूद भेजता है।

हवाला –1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द, 1, पृ० 99 हदीस 432, वित्र का बयान,

2. मिश्कात शरीफ़ जिल्द 1, पृ० 196, हदीस 857, दरूद शरीफ़ की फ़ज़ीलत,

3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 298, दरूद शरीफ़ की फ़ज़ीलत।

मुर्दे ज़िन्दा हैं या नहीं?

क़ुरआन करीम के चौदहवें पारे में सूर: नह्ल के दूसरे रुकूअ में, आयत न० 20-21 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – जिन-जिन को ये लोग खुदा को छोड़ कर पुकारते हैं (पूजते हैं) वे किसी चीज़ के पैदा करने वाले नहीं है बल्कि खुद पैदा किये हुए हैं वे तो मर चुके हैं, ज़िन्दा भी नहीं हैं और यह भी ख़बर नहीं है कि (दोबारा) कब ज़िन्दा किये जाएंगे।

इस आयते करीमा में कई बातें हैं जो ग़ौर करने के क़ाबिल हैं–

1. पहली बात तो यह है कि खुदा को छोड़कर जिन-जिन हस्तियों को पूज रहे हैं या पुकार रहे हैं वे चाहे नबी हों या वली फ़रिश्ते हों या जिन्न या शैतान हों या खुदा की मख़्लूक़ में से कोई भी हो, वे किसी चीज़ के न तो पैदा करने वाले हैं न मालिक हैं।

2. दूसरी बात यह है कि वे खुद पैदा किये गये हैं उन्होंने कोई चीज़ नहीं बनायी। ज़मीन, आसमान, चांद, सूरज, सितारे, खुश्की-तरी, हवा, पानी, आग यानी कुल कायनात को अल्लाह ही ने पैदा किया है बल्कि जिनको ये लोग पूज रहे हैं चाहे वे किसी मख़्लूक़ में से हों सबको पैदा करने वाला अल्लाह ही है। फिर अल्लाह को छोड़ कर दूसरों को हाजतरवा समझ कर पुकारना या पूजना या उनके नाम की नियाज़ व नज़्र करना जहालत नहीं तो और क्या है?

3. तीसरी बात यह है कि वे मर चुके हैं। अब मरने का जो सवाल है, वह जानदार मख़्लूक़ पर ही आता है, लकड़ी, पत्थर, सोना, चांदी, पीतल, लोहा, मिट्टी की मूर्तियां वग़ैरह बना कर पूजते हैं उन पर मौत का कोई सवाल ही नहीं आता। मरने का जो सवाल है वह जानदार

मख़्लूक के साथ ताल्लुक रखता है अब ये जिन-जिन को पूज रहे हैं या पुकार रहे हैं चाहे मूर्ति की शक्ल बनाकर या मज़ार की शक्ल बना कर पूजें या पुकारें वे किसी न किसी ज़माने में अल्लाह के नेक, चुने हुए और सालेह बन्दे थे। जिस ज़माने में वे ज़िन्दा थे रंज व ग़म भुगत चुके और ऐश व आराम भी जितना क़िस्मत में था कर चुके वे अल्लाह की इताअत और फ़रमांबरदारी में बाग़-बाग़ थे और अल्लाह के ग़ज़ब व अज़ाब से हर वक़्त डरते थे और तुम लोग खुदा को छोड़कर उन बुज़ुर्गों के पीछे पड़ गये हो। यह तुम्हारी जहालत है शरीअत नहीं है।

किसी नबी, किसी वली ने यह नहीं कहा कि हमारा मज़ार या छल्ला या क़ब्र या ताज़िया या मूर्ति बनाकर उसकी आवभगत करना, उसके नाम के चढ़ावे चढ़ाना या नियाज़ व नज़्र करना और हर साल मेले लगाना यह सब हमने अपनी जहालत से बना रखा है। शरीअत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है और

4. चौथी बात यह है कि वे ज़िन्दा भी नहीं है और

5. पांचवीं बात यह है कि वे दोबारा (यानी क़ियामत के दिन) कब ज़िन्दा किये जाएंगे, यह भी उनको ख़बर नहीं है।

अब चौथी बात जो है वह बहस के क़ाबिल है यानी वे हमारी तरह ज़िन्दा भी नहीं हैं कि आप उनके पास जाकर चीख़ व पुकार करें और अपनी हाजतें मांगें या अपनी फ़रियादें पेश करें।

अब आपके दिल में एक बात खटक रही होगी कि हमने सुना है अल्लाह तआला ने क़ुरआन में फ़रमाया है-

'जो अल्लाह की राह में मर जाएं उनको मुर्दा न कहो, बल्कि वे ज़िन्दा हैं।'

अब इस आयते करीमा को भी सुन लें। इन्शाअल्लाहु तआला हम अमानतदारी से बयान करेंगे, ख़ियानत नहीं करेंगे, हमको मर कर अल्लाह को जवाब देना है।

क़ुरआन करीम के चौथे पारे में सूर: आले इम्रान के सतरहवें रुकूअ में आयत न॰ 169 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं, उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वे ज़िन्दा हैं और अपने रब के पास रोज़ी पाते हैं।

अब रोज़ी किस क़िस्म की होगी और खाने के क्या असबाब और क्या तरीक़े होंगे, वह हमारी अक़्ल से बाहर की बात है।

क़ुरआन शरीफ़ के दूसरे पारे में सूर: बक़र: के उन्नीसवें रुकूअ में आयत न॰ 154 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है।

तर्जुमा - जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं, उन्हें मुर्दा न कहो, बल्कि वे ज़िन्दा हैं लेकिन तुम उनकी ज़िन्दगी को समझ नहीं सकते।

मेरे मोहतरम ! जब अल्लाह तआला ने फ़रमा दिया कि तुम उनकी ज़िन्दगी को समझ नहीं सकते, तो अब बहस ही ख़त्म हो गयी। हमारी ज़िन्दगी अलग है और उन साहिबों की ज़िन्दगी अलग है।

हदीस – हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमया–

शहीदों की रूहें सब्ज़ परिंदों के जिस्म में हैं। उनके लिए अर्शे इलाही के नीचे क़ंदीलें लटकायी गयी हैं। वे जन्नत में सैर करती हैं और फिर क़ंदीलों में चली आती हैं, परवरदिगार उनकी तरफ़ झांकता है और फ़रमाता है कि तुमको किसी चीज़ की ख़्वाहिश है।

वे कहते हैं कि हम किस चीज़ की ख़्वाहिश करें? हमारा जहां जी चाहता है, हम जन्नत में सैर करते हैं। तीन बार अल्लाह तआला पूछता है। जब रूहें यह देखती हैं कि हमसे बार-बार पूछा जाता है तो वे कहती हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार हमको हमारे जिस्मों में लौटा दे ताकि हम फिर एक बार तेरी राह में जिहाद करें और मारे जाएं।

जब अल्लाह तआला देखता है कि इन रूहों को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, तो उनको उसी हाल में छोड़ दिया जाता है।

हवाला –1. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 75, हदीस 327, बाब 144, बाबुल इमारत,
2. तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 2, पृ० 11, सूरः बक़रः के उन्नीसवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

मुसनद अहमद के हवाले से लिखा है, 'मोमिन की रूह एक परिंदा है, जो जन्नती पेड़ों पर रहती है और क़ियामत के दिन वह अपने जिस्म की तरफ़ लौट आएंगी।'

इस बात से मालूम होता है कि हर मोमिन की रूह वहां ज़िन्दा है, लेकिन शहीदों की रूह को एक तरह की शराफ़त, करामत, इज़्ज़त और अज़्मत हासिल है।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने, कसीर, पारा 2, पृ०11 सूरः बक़रः के उन्नीसवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

इस दुनिया की ज़िन्दगी अलग और आख़िरत की ज़िन्दगी अलग है। अंबिया अलैहिमुस्सलाम और शुहदा-ए-किराम और औलिया-ए-अिज़ाम और नेक मोमिन मर्द और औरतें ज़िन्दा हैं।

हदीस – हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि–

जब तुम में से कोई मरता है तो क़ब्र के अन्दर सुबह व शाम उसका ठिकाना दिखाया जाता है यानी जन्नती को जन्नत और दोज़ख़ी को दोज़ख़ दिखायी जाती है और उससे कहा जाता है कि यह है तेरा ठिकाना, तू इस का इन्तिज़ार कर, उस वक़्त तक कि ख़ुदा तुझ को क़ियामत के दिन उठा कर वहां भेजे।

हवाला –1. सही बुखारी शरीफ़, जिल्द 1, पारा 5, पृ० 308, हदीस 1278, बाब क़ब्र का अज़ाब।

2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 231, हदीस 1103, बाब 501, बाब जन्नत,

3. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 102, हदीस 118, बाब जन्नत,

4. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 63, बाब जन्नत।

क़ुरआन करीम के सोलहवें पारे में सूर: ताहा के तीसरे रुकूअ में, आयत न० 74 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – जो भी गुनाहगार बन कर खुदा के पास जाएगा उसके लिए दोज़ख है उसमें न मरेगा न जिएगा।

मरेगा इसलिए नहीं कि उसमें मौत नहीं है और जिएगा इसलिए नहीं कि उसमें जीने का मज़ा और लज़्ज़त नहीं। इसलिए अल्लाह तआला ने ऐसे जीने को न जीना फ़रमाया है।

नमरूद, फिरऔन, हामान, शद्दाद, क़ारून और अबू जह्ल की रूहें भी ज़िन्दा हैं ये लोग पीटे जा रहें हैं और मोमिनों की रूहें राहत व आराम में हैं रूहें जिन्दा तो भोले भैया! दोनों की हैं।

हदीस – हज़रत अबूसईद रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमा रहे हैं कि फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नें–

काफ़िर के ऊपर उस की क़ब्र में निन्नानवे अज़दहे मुक़र्रर किये जाते हैं जो उसको काटते और डसते हैं क़ियामत तक और वे अज़दहे ऐसे हैं कि अगर उनमें से एक ज़मीन पर फुंकार मार दे, तो ज़मीन सब्ज़ा पैदा करने से महरूम हो जाए।

हवाला –1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 104, हदीस 125, क़ब्र के अज़ाब का बयान,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 67 क़ब्र के अज़ाब का बयान।

अल्लाह तआला दुनिया की ज़िन्दगी और आख़िरत की ज़िन्दगी को किस अन्दाज़ से समझाता है इसपर ज़रा ग़ौर से ध्यान कीजिए–

क़ुरआन करीम के बाईसवें पारे में सूर: फ़ातिर के तीसरे रुकूअ में आयत न० 19, 20, 21, 22 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – अंधा और आंख वाला बराबर नहीं और अंधेरा और रोशनी, (ये भी बराबर नहीं) और छांव और धूप (ये भी बराबर नहीं) और ज़िन्दे और मुर्दे (यह भी बराबर नहीं)

सुब्हानल्लाह! अल्लाह तआला कितनी बेहतरीन दलील से समझा रहा है। एक अंधा हो और एक आंख वाला, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, बल्कि इसमें बहुत फ़र्क़ है। इसी तरह रात की अंधेरी और रोशनी जहां सैंकड़ों क़ंदीलें या बत्तियां जलती हों ये दोनों बराबर नहीं हो सकतीं, बल्कि इसमें भी बहुत फ़र्क़ है। इसी तरह बेहतरीन घनी-घनी छावों और गर्मी के मौसम

की चिलचिलाती धूप ये दोनों बराबर हो सकती हैं ? नहीं हो सकतीं और इसमें भी बहुत फ़र्क़ है। इसी तरह ज़िन्दा और मुर्दा ये दोनों बराबर हो सकते हैं ? बिल्कुल नहीं हो सकते। मेरे भैया! इनमें बहुत बड़ा फ़र्क़ है।

इस बात को क़ुबूल कर लिया जाए कि मुर्दे ज़िन्दा हैं तो अब यह सवाल पैदा होगा कि मुर्दे सुनते भी हैं या नहीं, इस बात की भी सफ़ाई हो जानी चाहिए क्योंकि कुछ मुसलमान मर्द भी और औरतें भी मज़ारों पर जा-जा कर उन मज़ार वालों से फ़रियाद करते रहते हैं कि हमारी मुश्किल आसान कर दीजिए या अल्लाह तआला से करवा दीजिए या हमारे हक़ में दुआ-ए-ख़ैर कर दीजिए वग़ैरह-वग़ैरह।

ये जाहिल लोग क़ब्रों के पास खड़े रह कर हाथ जोड़ कर इस तरह गिड़गिड़ाते रहते हैं कि गोया वह साहिबे क़ब्र उनको देख रहे हैं और उनकी आह व पुकार को सुन रहे हैं और उनकी परेशानियों को मिटाने पर क़ादिर हैं।

मुर्दे सुनते हैं या नहीं?

क़ुरआन करीम के बीसवें पारे में सूर: नम्ल के छठे रुकूअ में आयत न० 80 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा – तू मुर्दों को नहीं सुना सकता और उन बहरों को भी नहीं सुना सकता, जो पीठ फेर कर जा रहे हों।

क़ुरआन करीम के इक्कीसवें पारे में सूर: रूम के पांचवें रुकूअ में आयत न० 52 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा – ऐ नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते और न उन बहरों को सुना सकते हो जो पीठ फेर कर जा रहे हों।

हदीस – हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि-

मुर्दा जब अपनी क़ब्र में रख दिया जाता है और उसके साथी (उसको दफ़न करके) वापस होने लगते हैं (तो वह मुर्दा) उनके जूतों की आवाज़ सुनता है। (मुख़्तसर)

हवाला – सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1, पारा 5, पृ० 297, हदीस 1239, जनाज़े का बयान।

हदीस – हज़रत उर्व: हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बद्र के कुएं पर खड़े होकर कहा-

क्या तुमने अपने रब का वायदा हक़ पाया?

फिर आपने फ़रमाया, ये काफ़िर इस वक़्त जो कुछ मैं कहता हूं, सुनते हैं।

किसी ने हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा, उन्होंने जवाब दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सिर्फ़ यह कहा था अब काफ़िर जान लेंगे कि मेरा कहना सच था।

फिर हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने वही आयत पढ़ी, जो आगे गुज़र चुकी।

हवाला – 1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 16, पृ० 295, हदीस 1149, किताबुल मग़ाज़ी।

2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 152, हदीस 934, बाब 279, जनाज़े की नमाज़ का बयान।

इस हदीस में हमारी बात की तसदीक़ हो गयी। हम आगे लिख चुके हैं कि काफ़िर की रूहें भी ज़िन्दा हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बद्र की लड़ाई वाले दिन में जिन-जिन को मुख़ातिब होकर फ़रमाया था, वे कोई वली या दीन के बुज़ुर्ग नहीं थे, बल्कि काफ़िर थे।

क़ुरआन करीम के बाईसवें पारे में सूर: फ़ातिर के तीसरे रुकूअ में आयत न० 22 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – आप उन लोगों को नहीं सुना सकते, जो क़ब्रों में हैं। यहां पर सोचने और समझने की बात यह है कि जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मुर्दों को नहीं सुना सकते, तो फिर हमारी और आपकी बात ही क्या। यहां पर एक बात में ज़रा तआरुज़ और टकराव मालूम होता है वह यह कि हदीस में आया है कि मुर्दे जूतियों की आवाज़ सुनते हैं और क़ुरआन यह कहता है कि आप मुर्दों को नहीं सुना सकते, अब इसका जवाब हमको आयते करीमा से ही मिल जाए तो फिर शक व शुब्हा ही ख़त्म हो जाए।

क़ुरआन करीम के बाईसवें पारे में सूर: फ़ातिर के तीसरे रुकूअ में आयत न० 22 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – अल्लाह तआला जिनको चाहता है सुनवा देता है। लीजिए साहब! अल्लाह पाक जिसको चाहता है सुनवा देता है। अल्लाह तआला तो हर चीज़ पर क़ुदरत रखता है जिसको चाहे सुनवा दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग को हुक्म कर दिया कि तू बाग़ की शक्ल में हो जा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए मछली को हुक्म कर दिया कि यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने पेट से और समुद्र से बाहर निकाल दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बहरे क़ुलज़ुम (लाल सागर) को हुक्म कर दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम के लिए तू फटजा और जाने के लिए रास्ता दे दे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लिए पानी को हुक्म कर दिया कि नूह अलैहिस्सलाम और उनकी नाव को न डुबोये। अल्लाह तआला तो जिससे जो चाहे करवा सकता है।

हवा को, पानी को, आग को, पत्थर को, ज़मीन को, आसमान को, चांद-सूरज और सितारों को, वह तो मुख़्तारे कुल है जिनको चाहे सुना दे, लेकिन किसी इंसान की कोई ताक़त नहीं है कि वह किसी मुर्दे को अपनी आवाज़ सुना दे।

क़ुरआन मजीद के छब्बीसवें पारे में सूर: अह्क़ाफ़ के पहले रुकूअ में आयत न० 5 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - उससे बढ़कर गुमराह कौन हो सकता है जो खुदा को छोड़कर ऐसों को पुकार रहा है जो क़ियामत के दिन तक जवाब न दे सकें। (अरे जवाब देना तो दूर की बात) उनकी पुकार को सुनते ही नहीं (तो जवाब क्या देंगे?)

जवाब से मुराद हाजतमंदों की हाजतें और मुरादें हैं न कि सलाम का जवाब। ये जाहिल लोग, जो खुदा को छोड़ कर दूसरों से बेटा-बेटी और हाजतरवाई के नियाज़ व नज़्र वग़ैरह चढ़ाते रहते हैं उनका बयान हो रहा है कि वे तुम्हारी पुकार को सुनते ही नहीं तो हाजतरवाई का कोई सवाल ही नहीं रहता।

क़ुरआन करीम की और हदीस की दोनों की इबारतों को सामने रख कर हमारे हनफ़ी मसलक का फ़त्वा सुनिये।

फ़त्वा

इमाम अबू हनीफ़ा रह्मतुललाहि अलैहि व असहाब व सब मशाइख़ के नज़दीक बिल-इत्तिफ़ाक़ किसी को क़ुदरत नहीं कि अपनी आवाज़ किसी मय्यत को सुना दे लेकिन जब अल्लाह तआला चाहे, तो मुर्दा सुनता है और अल्लाह तआला का चाहना, सलाम और दुआ वग़ैरह हमको शरअ़ से मालूम हुआ, पस अपने अटकल से हम किसी चीज़ को बढ़ा नहीं सकते और आख़िरत की ज़िन्दगी का क़ियास दुनियावी ज़िन्दगी पर बिल्कुल ग़लत है और इस पर फ़ुक़्हा और उलेमा-ए-उम्मत मुत्तफ़िक़ हैं।

हवाला - ऐनुल हिदाया, जिल्द 1, पृ० 732, मय्यत की सिफ़त का बयान।

फ़त्हुल क़दीर में ज़िक्र किया गया है कि मय्यत को समाअत नहीं (यानी मुर्दा सुनता नहीं) तो फ़ह्म भी नहीं (यानी समझता भी नहीं) और मौत के बाद मय्यत की क़ब्र की ज़ियारत होती है, न मय्यत की और यह जो सही बुख़ारी में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बद्र की लड़ाई के मक़्तूलों की लाशों को कुएं में डलवा कर उनसे फ़रमया कि जो तुम्हारे रब ने वायदा किया था यानी कुफ़्फ़ार की हार का, उसको तुमने सच पाया?

हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, ऐ अललाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) आप मुर्दों से बात करते हैं?

तो आपने फ़रमाया क़सम है उस पाक ज़ात की, जिस के क़ाबू में मेरी जान है तुम उनसे ज़्यादा नहीं सुनते।

इसका एक जवाब यह है कि इस हदीस के मुक़ाबले में बुख़ारी शरीफ़ की दूसरी हदीस शाहिद है कि हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इस रिवायत को क़ुरआन मजीद की दो आयतों से रद्द किया है-

पहली आयत यह है-

'व मा अन्-त बि मुसमिअ़िन मन फ़िल क़ुबूर० (यानी तू सुना नहीं सकता उनको जो क़ब्रों में हैं) और

दूसरी आयत यह है-

'फ़ इन्न-क ला तुस्मिउल मौता' (यानी पस बेशक तू सुना नहीं सकता मुर्दों को) और

दूसरा जवाब यह है कि कलाम ज़र्बुल मसल था (यानी कहावत के तौर पर यह जुम्ला इस्तेमाल किया आपने) ज़िन्दों की नसीहत के वास्ते।

चुनांचे हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से नक़ल किया गया है कि क़ब्रस्तान में जाकर फ़रमाया कि-

तुम्हारी औरतों के निकाह हो गये और तुम्हारे माल बंट गये और तुम्हारे मकानों में और लोग रहते हैं यह ख़बर है तुम्हारी हमारे पास, सो हमारी खबर तुम्हारे पास क्या है? और

तीसरा जवाब यह है कि यह मुर्दों से बोलना और उनका सुनना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की खुसूसियत थी मोजिज़े की वजह से (यानी मुर्दों से बात करना और इस मौक़े पर मुर्दों का सुनना यह आप की खुसूसियत और आप का मोजिज़ा था) ताकि काफ़िरों की हसरत ज़्यादा हो और जो सही मुस्लिम में हदीस मर्फ़ूअ़ है कि मय्यत जूतियों की आवाज़ सुनती है जब लोग दफ़न कर के वापस होते हैं तो इसका जवाब यह है कि दफ़न के शुरू का यह सुनना और समझना (यानी दफ़न के बाद यह जूते की चाल सुनना) मुक़द्दमा (शुरुआत) है मुन्किर-नकीर के सवाल व जवाब का। इस खुसूसियत की यह वजह है ताकि हदीस और क़ुरआन की आयतों में इत्तिफ़ाक़ हो जाए और तआ़रुज (टकराव) बाक़ी न रहे। इस वास्ते कि दोनों आयतें मुर्दे के न सुनने की ख़बर देती हैं। इन्तिहा कलामुल फ़त्ह (यानी फ़त्हुल क़दीर की इबारत ख़त्म हुई)

अन्नहरुल फ़ाइक़ में कहा है कि तीसरा जवाब बहुत अच्छा है यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कलाम करना और मुर्दों का सुनना मोजिज़े के तौर पर था तो इससे मुर्दे का आम तौर से सुनना साबित नहीं (यानि आम मुर्दों का सुनना साबित नहीं) चुनांचे मोजिज़े के तौर पर हज़रत से पेड़-पत्थर ने भी कलाम किया है हालांकि पेड़-पत्थर बोलते नहीं।

यानि यह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का मोजिज़ा था कि आप से पेड़ और पत्थर ने भी बात की, हलांकि पेड़ और पत्थर से कलाम बे महल है।

और सही मुस्लिम शरीफ़ की रिवायत के जवाब को ताक़त दूसरी हदीस से मिल सकती है कि जब मुन्किर नकीर क़ब्र में मोमिन से माक़ूल जवाब सुन लेते हैं तो उससे कहते हैं-

'नम क–नौमतिल उरूस' (यानी अब आराम से सो जा, जैसे दुल्हन सोती है)

ज़ाहिरी तौर पर यह हदीस इस बात की दलील है कि मोमिन पूरी दुनिया से ग़ाफ़िल हो जाता है जैसे सोने वाला आदमी ग़ाफ़िल हो जाता है और कलाम नहीं सुनता।

बहरहाल हम लोग अह्ले तक़लीद हैं इज्तिहाद की ताक़त नहीं रखते, फिर जिन फ़ुक़्हा-ए-किराम के मुक़ल्लिद हैं उनके यहां नुसूस से जब साबित हुआ कि मुर्दे को फ़ह्म व सिमाअ नहीं (यानी वह समझ और सुन नहीं सकते) तो इसमें ज़्यादा बातें करना और छान-बीन करना बे-मौक़ा है।

हवाला – ग़ायतुल अवतार, उर्दू तर्जुमा दुर्रे मुख़्तार, जिल्द 2, पृ० 391, बाबुल यमीन फ़िज़्ज़र्बि वल क़त्लि।

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि–

जब मय्यत को क़ब्र में रखा जाता है तो उसके पास काले रंग के केरी आंखों वाले दो फ़रिश्ते आते हैं। एक का नाम मुन्किर, दूसरे का नाम नकीर होता है वे दोनों उस मरने वाले से कहते हैं कि–

तुम इस आदमी (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के बारे में क्या कहते हो?

यह आदमी वही बात कहता है जो (दुनिया में) कहा करता था कि यह अल्लाह के बन्दे और उसके रसूल हैं। मैं गवाही देता हूं कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक मुहम्मद उसके बन्दे और रसूल हैं।

वे दोनों कहते हैं कि हां हम जानते हैं कि तुम यों ही कहते थे। फिर उसके लिए (क़ब्र को) सत्तर हाथ लंबा और सत्तर हाथ चौड़ा कर दिया जाता है और उसमें नूर की रोशनी कर दी जाती है। फिर उससे कहा जाता है कि सो रहो, जिस तरह दुल्हन सोती है।

(मुख़्तसर)

हवाला – तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 207, हदीस 975, क़ब्र के अज़ाब का बयान।

मुर्दे कुछ कर भी सकते हैं या नहीं?

क़ुरआन करीम के बाईसवें पारे में सूर: फ़ातिर के दूसरे रुकूअ में आयत न० 14 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – अगर तुम उन्हें पुकारो तो वे तुम्हारी पुकार सुनते ही नहीं और अगर (मान लो) सुन भी लें, तो तुम्हारा कहा न कर सकें और क़ियामत के दिन तुम्हारे इस शिर्क का साफ़ इन्कार कर देंगे। अल्लाह तआला से बढ़ कर और कौन सही ख़बर दे सकता है?

ऊपर के बयान में सुनने और न सुनने की बहस चल रही थी। अगर इस बात को कुछ

देर के लिए तसलीम और क़ुबूल भी कर लिया जाए कि मुर्दे सुनते हैं तो फिर दूसरी बहस छिड़ जाएगी कि अगर सुनते हैं तो कुछ कर भी सकते हैं या नहीं?

इसके जवाब में खुद खुदावंद करीम फ़रमा रहा है कि एक तो वे तुम्हारी पुकार को सुनते ही नहीं हैं और अगर मान लिया जाए कि सुन भी लें, तो तुम्हारा कहा कर नहीं सकते बल्कि क़ियामत के दिन तुम्हारी इन हरकतों का वे इंकार कर देंगे और कहेंगे कि हमने कब कहा था कि हमारा पुख़्ता मज़ार बनाना हमने कब कहा था कि हमारी क़ब्र पर बड़े-बड़े गुंबद और कुब्बे बनाना, हमने कब कहा था कि हमारी क़ब्रों को चूमना चाटना, हमने कब कहा था कि हमारे नाम का उर्स करना, हमने कब कहा था कि हमारी क़ब्रों पर औरतों के जिन्न और भूत उतरवाना, हमने कब कहा था कि हमारी क़ब्रों पर ढोल-ताशे, नक़्क़ारे बजवाना, हमने कब कहा था कि हमारी क़ब्रों पर सैंकड़ों फ़ानूस या बत्तियां जलाना, हमने कब कहा था कि हमारी क़ब्रों को धो-धो कर बरकत के तौर पर उसका पानी पीना, हमने कब कहा था कि हमारी क़ब्रों पर फूल की चादरें चढ़ाना, हमने कब कहा था कि हमारी क़ब्रों पर मख़मली और रेशमी चादरें चढ़ाना, हमने कब कहा था कि हमारी क़ब्रों पर चढ़ावे चढ़ाना, हमने कब कहा था कि हमारे नाम की नज़्र व नियाज करना, हमने कब कहा था कि हमसे मुरादें मांगना, हमने कब कहा था कि हमारी क़ब्रों पर लोबान की धूनी या अगरबत्ती जलाना, हमने कब कहा था कि हमारी क़ब्रों की मुजावरी करना, हमने कब कहा था कि हमारी क़ब्रों पर क़व्वाली या नाच कराना, हमने कब कहा था कि खुदा को छोड़ कर हमको हाजतरवा समझना ये सारी की सारी बातें हश्र के मैदान में खुल कर सामने आने वाली हैं। जिन-जिन हस्तियों को ये जाहिल अपनी जहालत से हाजतरवा समझ कर पुकार रहे हैं वे सब क़ियामत के दिन पुकारने वालों के मुख़ालिफ़ बन कर सामने खड़े रहेंगे और अल्लाह तआला से इंसाफ़ की मांग करेंगे कि ऐ अल्लाह तआला! हम बे-क़ुसूर हैं। हमने इनमें से किसी को भी नहीं कहा कि हमारी क़ब्रों पर या छल्ले पर या ताज़िया पर आकर तुम लोग हमसे हाजतें मांगना और शिर्क व कुफ़्र या बिदअतें करना और करवाना। हम बिल्कुल बे-क़ुसूर हैं। इन लोगों ने जहालत की वजह से यह सब कुछ किया है। हमें इसका इल्म तक नहीं कि क़ौन-कौन और कैसी-कैसी नाजायज़ हरकतें हमारी क़ब्रों पर करवायी गयी हैं। उस वक़्त जवाब देना भारी पड़ जाएगा। आज ही तौबा कर लो, अल्लाह तआला से बढ़ कर सही और सच्ची ख़बर देने वाला और कौन हो सकता है!

क़ुरआन करीम के बाईसवें पारे में सूरः फ़ातिर के दूसरे रुकूअ में आयत न० 13 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – जिन्हें तुम खुदा के सिवा पुकारते हो वह तो खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं।

दे तो वह सकता है जो मालिक हो, यहां तो अल्लाह तआला खुद फ़रमा रहा है कि तुम जिनको हाजतरवा समझ कर पुकारते हो चाहे वे नबी हों या वली हों या फ़रिश्ते या जिन्न

या शैतान, चांद हो या सूरज, आग हो या पानी या हवा, बहरहाल दुनिया में से कोई भी हो और किसी मख़्लूक़ में से हो, अल्लाह तआला फ़रमाता है कि खजूर की गुठली पर जो एक सफ़ेद पतली सी झिल्ली होती है वे उस पतली झिल्ली के भी मालिक नहीं है, वे तुम को क्या दे सकते हैं?

क़ुरआन करीम के सतरहवें पारे में सूर: हज के दसवें रुकूअ में आयत न॰ 73 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा – ऐ लोगों! अल्लाह तआला एक मिसाल बयान फ़रमाता है, उसको कान लगा कर सुन लो। खुदा के सिवा तुम जिन-जिन को पुकारते हो, वे एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते, अगरचे सारे के सारे जमा हो जाएं (अरे मक्खी तो नहीं बना सकते, बल्कि) मक्खी अगर उनसे कोई चीज़ लेकर भागे तो छुड़ा भी नहीं सकते। मदद मांगने वाले भी कमज़ोर और जिनसे मदद मांगी जा रही है वे भी कमज़ोर।

अल्लाह तआला एक मिसाल देकर इनको समझा रहा है कि तुम जिन-जिन को हाजतरवा समझ कर पुकारते हो नारे लगा रहे हो सर को झुका कर अदब से खड़े रह कर दुआएं मांग रहे हो अगर वे सारे के सारे पूरी दुनिया के तमाम नबी, तमाम वली, तमाम इमाम, तमाम फ़क़ीर, तमाम दरवेश, तमाम फ़रिश्ते, तमाम जिन्न, तमाम शैतान सबके सब जमा होकर इस बात पर इत्तिफ़ाक़ कर लें कि एक मक्खी बनानी है तो ये लोग एक मक्खी तक भी नहीं बना सकते। अरे मक्खी बनाना तो बहुत ही बड़ी बात है। उन्हें जो हलवा, मलीदा, शर्बत, खिचड़ा या नज़्र व नियाज़ आप चढ़ा रहे हैं उनमें से अगर मक्खी कुछ लेकर भागे, तो वह मक्खी से छुड़ा भी नहीं सकते। वे तुम्हारी क्या मदद करेंगे? इन बातों में ये दोनों गये गुजरे हैं न तो मांगने वालों को मिल सकता है और न वे दे सकते हैं जिनसे मांगा जा रहा है।

इतनी साफ़ और रोशन दलील क़ुरआन करीम के अन्दर होने के बावजूद ये चर्च क्यों पूजे जा रहे हैं? ये रिगजे क्यों निभाये जा रहे हैं? ये मन्दिर क्यों बनाये जा रहे हैं? ये दरगाहे क्यों साजायी जा रही हैं? ये ताज़िए क्यों पूजे ज़ा रहे हैं? ये छल्ले क्यों निभाये जा रहे हैं? इसका जवाब भी क़ुरआन करीम ही से सुन लें।

क़ुरआन शरीफ़ के तेईसवें पारे में सूर: यासीन के पांचवें रुकूअ में आयत न॰ 74-75 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा – अल्लाह तआला के सिवा दूसरों को माबूद बनाये हुए हैं इस नीयत से कि उनकी मदद की जाए, यक़ीनन ये उनकी मदद कुछ भी नहीं कर सकते, बल्कि ये मुश्रिक लोग उलटे उनके लिए हाज़िरबाश लश्करी बने हुए हैं।

बातिल अक़ीदों की तर्दीद हो रही है। जिन-जिन को ये लोग पूज रहे हैं या पुकार रहे हैं नज़्र व नियाज़ और चढ़ावे चढ़ा रहे हैं चाहे वे पैग़म्बर हों या वली,, इमाम हों या शहीद

या फ़रिश्ते या जिन्न या शैतान हों, इन सब की यह समझ कर आवभगत कर रहे हैं कि वे उनकी नुसरत और मदद करेंगे, उनकी रोज़ियों में बरकत देंगे और उनके ज़रिए खुदा से तक़र्रुब हासिल होगा।

अल्लाह तआला फ़रमाता है कि वे उनकी कुछ भी मदद नहीं करते वे तो खुद अपनी ही मदद नहीं कर सकते, तुम्हारी क्या मदद करेंगे, अगर ये मुजाविर और पुजारी न होते तो कोई आकर उनको तोड़-फोड़ कर चला जाता तो उसका भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये तो बोल-चाल पर भी क़ादिर नहीं, किसी चीज़ के मालिक नहीं, किसी काम या किसी बात का उन्हें कुछ अख़्तियार भी नहीं फिर भी ये जाहिल लोग उनके सामने सर झुकाये, हाथ जोड़े हुए इस अदब से खड़े होते हैं कि गोया ये माबूद अपने आबिद को देख रहे हैं हालांकि ये माबूद न किसी नफ़ा के मालिक हैं और न किसी नुक़्सान के मालिक हैं। फिर भी ये आबिद लोग इन पर मरे जा रहे हैं यहां तक कि इन माबूदों के ख़िलाफ़ कोई बात और कोई आवाज़ सुनना भी गवारा नहीं कर सकते और ग़ुस्से से बे-क़ाबू होकर मारने या मरने पर तैयार हो जाते हैं। जब ये झूठे, बातिल और बेकार हैं तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये सारी खूबियां और सारे करिश्में इन मुजाविरों और पुजारी लोगों के हैं। यही लोग उन्हें पुजवा रहे हैं। अगर ये पुजारी और मुजाविर लोग न होते तो इन झूठे माबूदों की खुदाई एक दिन भी न चल सकती। यही लोग अपने माबूदों को खूब सजाते-बनवाते और मुख़्तलिफ़ रंग व रोग़न और पालिश करवाते हैं वग़ैरह-वग़ैरह। भोले और अनपढ़ लोगों के सामने उनकी तारीफ़ के पुल बांध देते हैं।

जैसे कहते हैं इन पीर साहब ने सितारों को नीचे उतार लिया था इन मस्त बाबा ने इस पहाड़ के टुकड़े कर डाले थे, इस देव ने यहां पर दरिया बहा दिया था, इस देवी ने पानी को दूध बना दिया था।

इस तरह झूठे बंडल मार-मार कर खुद भी गुमराह होते हैं और दूसरों को भी गुमराह करते हैं और इन झूठे माबूदों की खुदाई को निभाए जा रहे हैं लेकिन हश्र के मैदान में ये सब के सब माबूद अपने इबादत गुज़ारों के मुख़ालिफ़ हो जाएंगे, मुजाविरों और पूजा-पाठ करने वालों के दुश्मन बन जाएंगे और कहेंगे कि हमको तुम्हारी मुजावरी और पूजा-पाठ और इबादतों की ख़बर तक नहीं कि तुम लोगों ने हमारे पीछे क्या कुछ किया और क्या करवाया है।

क़ुरआन करीम के ग्यारहवें पारे में सूरः यूनुस के तीसरे रुकूअ में आयत न० 28, 29, 30 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा :- और वह दिन भी ज़िक्र के क़ाबिल है जिस दिन हम इन सब को जमा करेंगे फिर मुश्रिकों से कहेंगे कि तुम और तुम्हारे शरीक अपनी जगह ठहरो, फिर हम उनमें आपस में फूट डालेंगे और उनके वे शरीक कहेंगे कि तुम हमारी इबादत नहीं करते थे। सो हमारे तुम्हारे दर्मियान खुदा काफ़ी गवाह है कि हमको तुम्हारी इबादत की भी ख़बर न थी। इस जगह पर हर आदमी अपने अगले किये हुए कामों का इम्तिहान कर लेगा और ये लोग अल्लाह की तरफ़

जो उनका हक़ीक़ी मालिक है, लौटाए जाएंगे और जो कुछ माबूद गढ़ रखे थे सब उनसे ग़ायब हो जायेंगे।

अल्लाह तआला का क़ौल है कि जिन्न और इंसान, नेक व बद सब ही को हम क़ियामत के दिन ला हाज़िर करेंगे, कोई भी नहीं छोड़ा जाएगा और मुश्रिकों से कहेंगे कि तुम और तुम्हारे शरीक अपनी-अपनी जगह ठहरे रहो और मोमिनों से अलग-थलग रहो।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 11, पृ० 55, सूरः यूनुस के तीसरे रुकूअ की तफ़्सीर में।

अल्लाह तआला फ़रमाएगा, ऐ मुश्रिको! तुम और तुम्हारे शरीक, जिनकी तुम इबादत करने लगे थे सब अपनी-अपनी जगह अलग-अलग रहो। पहले के शरीकों ने इस बात से इंकार कर दिया होगा कि वे उनसे अपनी इबादत कराते थे। अल्लाह तआला फ़रमाता है कि जिन बुज़ुर्गों की ये पैरवी करते थे और इसी वजह से उन्हें खुदा का शरीक समझ कर शरीक बना लिया था, अब यही शरीक उनसे बेज़ारी ज़ाहिर करेंगे।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 11, पृ० 55, सूरः यूनुस के तीसरे रुकूअ की तफ़्सीर में।

उससे बढ़कर और कौन गुमराह होगा जो ऐसे शरीकों को पुकारता है जो क़ियामत तक उसकी पुकार का जवाब नहीं दे सकते और उसकी दुआ को सुन ही नहीं सकते और जब लोग क़ियामत में उठाए जाएंगे तो वे खुद अपनी परिस्तश करने वालों के दुश्मन होंगे और कहेंगे कि हमें तो उनकी परस्तिश का कोई इल्म नहीं, तुम हमारी इबादत करते होंगे लेकिन हम जानते तक नहीं और इसका खुदा गवाह है हमने तो तुम्हें कभी कहा ही नहीं था की हमारी परस्तिश करो। इस तरह मुशरिकों का मुंह बंद कर दिया गया है कि जो न सुनते हैं न देखते हैं न किसी काम आ सकते हैं उन्हें तुमने क्यों पूजा था?

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 11, पृ० 55, सूरः यूनुस के तीसरे रुकूअ की तफ़्सीर में।

चुनांचे वह फ़ैसला कर के जन्नतियों को जन्नत में और दोज़ख़ियों को दोज़ख़ की तरफ़ भेजेगा। अब उन गुमराहों ने अपनी तरफ़ से जो झूठमूठ माबूद बना रखे थे सब हवा की तरह उड़ जाएंगे।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 11, पृ० 56, सूरः यूनुस के तीसरे रुकूअ की तफ़्सीर में।

क़ुरआन करीम के चौदहवें पारे में सूरः नह्ल के बारहवें रुकूअ में आयत 88 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – जिन्होंने कुफ़्र किया और (कुफ़्र करवा कर) राहे खुदा से रोका, हम उन्हें अज़ाबों पर अज़ाब बढ़ाते जाएंगे, उस फ़साद के बदले में जो ये दुनिया में करते थे।

अज़ाब के ऊपर अज़ाब होगा–एक अज़ाब तो कुफ़्र करने का और दूसरा अज़ाब मख़्लूके खुदा से कुफ़्र करवाने का उस वक़्त पता चलेगा कि ताज़िए और क़ब्रें देवताओं और देवियों को पूजने और पुजवाने में क्या क्या और कैसी-कैसी सज़ाएं और अज़ाब भुगतना पड़ेगा।

पुजवानेवालों से पूछो तो?

क़ुरआन करीम के पच्चीसवें पारे में सूर: जुख़्रूफ़ के सातवें रुकूअ में आयत न० 87 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – और अगर तुम इनसे पूछो कि उनको किसने पैदा किया है तो ये खुद कहेंगे कि अल्लाह ने। फिर ये कहां उलटे जा रहे हैं?

इन पीर परस्तों से, या बुतपरस्तों से या ताज़िया परस्तों से कोई पूछे कि तुम को किसने पैदा किया है तो जवाब में कहेंगे, अल्लाह तआला ने। अफ़सोस और सद अफ़सोस है उस इंसान पर जो हक़ीक़ी खुदा को जानते हुए भी दूसरों को हाजतरवा समझता है।

क़ुरआन करीम के अठारहवें पारे में सूर: मुअमिनून के पांचवें रुकूअ में आयत न० 84, 85 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – इनसे पूछो अगर तुम जानते हो तो बताओ यह ज़मीन और उसकी सारी आबादी किसकी है? (तो) ये ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह तआला की। कहो फिर तुम क्यों नहीं समझते?

ज़मीन और ज़मीन के अन्दर या ऊपर जो कुछ है जितना है इनसे पूछो कि किसका है और किसने बनाया है? कौन इसका मालिक है? कौन इसका रखवाला है? ज़मीन के ऊपर दरिया किसने बनाये? ज़मीन के अन्दर समुन्दर किसने बनाये? ज़मीन में से चश्मों के ज़रिए पानी किस ने अता किये, वह चाहे तो ज़मीन से आग के शोले निकलें वह चाहे तो ज़मीन से पेट्रोल निकले, वह चाहे तो ज़मीन से ख़ज़ाने निकाल दे वह चाहे तो ज़मीन में ज़लज़ला लाकर लाखों-करोड़ों का नुक़सान कर दे और हज़ारों लाखों की जानें ले ले वह चाहे तो जहां मिट्टी है वहां रेत लाकर डाल दे जहां रेत है वहां मिट्टी डाल दे, वह चाहे तो खुश्क ज़मीन को पानी की जगह बना दे पानी की जगह को खुश्की बना दे वह कौन है?

इन मज़ारों, ताज़ियों और आस्तानों के पूजने और पुजवाने वालों से पूछो कि कौन है वह जो ज़मीन की सारी की सारी आबादी का मालिक है, तो उसकी ज़ुबान से बे-साख़्ता यही लफ़्ज़ निकलेगा कि अल्लाह। दूसरा लफ़्ज़ निकल ही नहीं सकता, चाहे वह मुजाविर हो या पुजारी हो, पूजने वाला हो या पुजवाने वाला, सारे के सारे एक ही ज़ुबान से कह उठेंगे कि अल्लाह तआला, तो फिर आप साहिबान क्यों नहीं सोचते और समझते? खुदा को छोड़कर खुदा की बनायी हुई चीज़ों को पूजना, उनको हाजतरवा समझना जहालत नहीं तो फिर और क्या है।

क़ुरआन करीम के अठारहवें पारे में सूर: मुअमिनून के पांचवें रुकूअ में आयत न० 86, 87 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – इनसे पूछो कि अगर तुम जानते हो तो बताओ सातो आसमान और अर्शे अज़ीम का मालिक कौन है? ये लोग जवाब में कहेंगे, अल्लाह इनसे कहो कि फिर तुम क्यों नहीं डरते?

इन गिरजाओं को निभाने वाले, इन मन्दिरों को पूजने वाले, इन दरगाहों को सजाने वाले, इन ताज़ियों को आबाद करने वालों से पूछो तो सही कि सातों आसमान का और अर्शे अज़ीम का मालिक हौन है? तो उनकी ज़ुबान से बे-साख़्ता यही लफ़्ज़ निकलेगा कि अल्लाह। फिर ख़ुदा से क्यों नहीं डरते? ख़ुदा को छोड़ कर दूसरों को क्यों पुजवाते हो? ख़ुदावंदे करीम को एक मानते हुए शिर्क करना या करवाना जहालत नहीं तो फिर और क्या है?

क़ुरआन करीम के अठारहवें पारे में सूरः मुअमिनून के पांचवें रुकूअ में आयत नं० 88, 89, 90 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा – इनसे पूछो कि तमाम चीज़ों का अख़्तियार किसके हाथ में है और वह कौन है जो पनाह देता है और उसके मुक़ाबले में कोई पनाह नहीं दे सकता, तो जवाब यही होगा कि अल्लाह। कह दे कि फिर किसने तुम पर जादू किया है? हक़ आ चुका अब जो कोई न माने, वह झूठा है।

इनसे पूछो कि वह कौन है जो सबको पनाह देता है और उसकी दी हुई पनाह को कोई तोड़ नहीं सकता उसके मुक़ाबले में कोई पनाह दे भी नहीं सकता यानी ऐसा बड़ा बादशाहे हक़ीक़ी, तमाम मुल्क का मालिक, क़ादिरे मुत्लक़, हाकिमे कुल है उसका इरादा कोई बदल नहीं सकता, उसका हुक्म कोई टाल नहीं सकता, उससे कोई पूछ-ताछ कर नहीं सकता, उसकी मर्ज़ी के बग़ैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, वह सब की पूछ-ताछ करे, लेकिन किसी की मजाल नहीं कि उससे कोई सवाल कर सके, उसकी अज़्मत उसकी किब्रियाई, उस का ग़ल्बा, उसका दबाव, उसकी क़ुदरत, उसकी हिक्मत उसका अद्ल व इंसाफ़ बे-मिस्ल है। मख़्लूक़ सबकी सब उसके सामने आजिज़, पस्त और लाचार है वह रब सारी मख़्लूक़ से पूछ-ताछ करने वाला है वह है कौन? ज़रा इनसे पूछो तो जवाब यही होगा कि अल्लाह!

क़ुरआन करीम के इक्कीसवें पारे में सूरः अन्कबूत के छठे रुकूअ में आयत नं० 61 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा – इनसे पूछो तो कि ज़मीन व आसमान का पैदा करने वाला कौन है और सूरज व चांद को काम में लगाने वाला कौन है? तो उनका जवाब यही होगा कि अल्लाह तो फिर किधर उलटे जा रहे हो?

दुनिया-ए-आलम में आप किसी भी इंसान से पूछें कि कुल कायनात का ख़ालिक व मालिक और राज़िक़ कौन है तो जवाब मिलेगा, अल्लाह!

इस बात को मानते हैं कि हर चीज़ का मालिक अल्लाह, हर चीज़ का ख़ालिक़ अल्लाह

और कुल कायनात का राज़िक़ अल्लाह है फिर उसको छोड़कर दूसरों की इबादत क्यों करते हैं? और उसके सिवा दूसरों पर तवक्कुल क्यों करते हैं? जबकि मुल्क का मालिक तंहा वही है तो इबादत के लायक़ भी वही तंहा है।

क़ुरआन करीम के तीसरे पारे में सूरः आले इम्रान के तीसरे रुकूअ में आयत न० 26, 27, में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – कहो, ऐ खुदा! मुल्क के मालिक! तू जिसे चाहे हुकूमत दे दे और जिस से चाहे छीन ले जिसे चाहे इज़्ज़त दे जिसको चाहे ज़लील कर दे। हर भलाई तेरे अख़्तियार में है तू हर चीज़ पर क़ादिर है तू ही रात को दिन में दाख़िल करता है और दिन को रात में ले जाता है तू ही बे-जान से जानदार पैदा करता है और तू ही जानदार से बेजान को पैदा करता है तू ही जिसको चाहता है अनगिनत रोज़ी देता है।

अल्लाह तआला फ़रमाता है ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम आप अपने रब की ताज़ीम के तौर पर उसका शुक्रिया बजा लाने के लिए और उसे अपने तमाम काम सौंप देने के लिए और उस पाक ज़ात पर पूरा भरोसा करते हुए इन लफ़्ज़ों में उसकी बड़ाइयां बयान कीजिए।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 3, पृ० 56, सूरः आले इम्रान के तीसरे रुकूअ की तफ़्सीर में।

ज़मीन व आसमान पर चांद और सूरज पर पूरा-पूरा क़ब्ज़ा तेरा है और तमामतर तसर्रुफ़ तेरा ही है। जाड़े को गर्मी से और गर्मी को जाड़े से बदलना तेरा ही काम है, बहार और खज़ां पर भी तू ही क़ादिर है ज़िन्दा से मुर्दे को और मुर्दे से ज़िन्दा को निकालने वाला तू ही है खजूर को गुठली से और गुठली को खजूर से तू ही पैदा करता है मोमिन को काफ़िर के यहां और काफ़िर को मोमिन के यहां तू ही पैदा करता है। मुर्ग़ी से अंडे और अंडे से मुर्ग़ी तू ही पैदा करता है तू जिसको चाहे बे-हिसाब माल व दौलत दे दे जिसको चाहे फ़क़ीर बना दे, तेरा हर काम हिक्मत से भरा हुआ होता है।

इन पूजने वालों और पुजवाने वालों से पूछो तो यह सब काम किसकी मर्ज़ी से होते हैं तो जवाब मिलेगा कि अल्लाह के हुक्म से होते हैं तो फिर जिन जिन को आप पूज रहे हैं या पुजवा रहे हैं उन्होंने क्या किया ज़रा हम को भी तो समझा दो।

क़ुरआन करीम के ग्यारहवें पारे में सूरः यूनुस के चौथे रुकूअ में आयत न० 31 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – इनसे पूछो तो वह कौन है जो तुम को आसमान और ज़मीन से रोज़ी देता है वह कौन है जो तुम्हारे कानों और आंखों पर पूरा अख़्तियार रखता है वह कौन है जो जानदार को बेजान से निकालता है और बे जान को जानदार से निकालता है वह कौन है जो तमाम कामों की तदबीर करता है तो जवाब में यही कहेंगे कि अल्लाह! तो इनसे कहो कि फिर तुम

खुदा से क्यों नहीं डरते?

अल्लाह तआला खुद सवाल कर रहा है कि इन पेट के पुजारियों से पूछो खुदा की मख़्लूक़ को पूजने और पुजवाने वालों से पूछो, नज़्र व नियाज़, हलवा, मलीदा, शरबत और खिचड़ा खाने और खिलाने वालों से पूछो कि आसमान से पानी कौन बरसाता है? तो जवाब में कहेंगे कि अल्लाह! अल्लाह तआला अगर बारिश का बरसाना बन्द कर दे तो दूसरा कोई है जो इस बारिश को बरसा दे। कोई जलाल शाह या कमाल शाह या ज़ाहिर शाह या बातिन शाह या रोशन शाह या अंधेरे शाह, ग़ैबन शाह या दावल शाह या यतीम शाह, या अमीर शाह, मटके शाह, या पत्ते शाह, छोटा पीर या बड़ा पीर या फ़रिश्ता या जिन्न या शैतान या खुदा की मख़्लूक़ में से कोई है जो बारिश को बरसा दे? जब बारिश बन्द हो जाती है तो मुसलमान जगह-जगह अज़ानें देना और शहर या क़स्बा या देहात को छोड़कर जंगलों में नमाज़ें पढ़ कर खुदा से गिड़गिड़ा-गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगने लगते हैं और ग़ैर-मुस्लिम लोग रामधुन करने लगते हैं उस वक़्त मुसलमान या ग़ैर-मुस्लिम, जिन-जिन को पुकारते और पूजते हैं उन सब को भूल जाते हैं और एक अकेला खुदा ही याद आने लगता है उस वक़्त पीर पैग़म्बर सब को भूल जाते हैं और जब बारिश बेहतरीन तरीक़े से हो जाए तो नज़्र व नियाज़ हलवा-मलीदा खुदा को छोड़कर दूसरों को चढ़ाते हैं इससे बढ़कर जहालत किस चीज़ का नाम है?

पूछो कि ज़मीन से रोज़ी कौन देता है? और पेड़ फल-फूल मेवे वग़ैरह ज़मीन से कौन उगाता है? तो जवाब में कहेंगे कि अल्लाह! तो फिर जिनकी आप आह भर रहे हैं जिनकी आप दुहाइयां दे रहे हैं जिनकी पूजा-पाठ कर रहे हैं जिनके आस्तानों की हिफ़ाज़त के लिए जान और माल की बाज़ी लगा रहे हैं उन्होंने क्या बनाया है? तो गुस्से में आकर और जुनून में झुंझला कर कहेंगे कि यह वह्हावी मालूम होता है यह बे-ईमान मालूम होता है। इस का अक़ीदा ख़राब हो गया है यह औलियां अल्लाह का मुन्किर मालूम होता है अब आप ही सोचें कि जहालत की कोई हद है!

अल्लाह तआला फ़रमाता है कि इन अक़्ल के अंधों से पूछो कि तुम्हारे कानों पर कौन कंट्रोल किये हुए है ? अगर समाअत (सुनने की ताक़त) छीन ली जाए तो दूसरा कोई दे सकता है?

और तुम्हारी आंखों की रोशनी किस के अख़्तियार में है ? अगर वह अंधा कर दे तो दूसरा कोई रोशनी दे सकता है?

और वह कौन है जो मुर्दे को ज़िन्दा से और ज़िन्दा को मुर्दे से पैदा करता है?

और तमाम जहान का इन्तिज़ाम किसके हाथ में है ?

सूरज का निकलना और डूबना चांद का छिपना और चमकना, जिन में एक सिकेंड का भी फ़र्क़ नहीं होता जो हज़ारों साल से बराबर ही तर्तीब से चले आ रहे हैं और न जाने कब तक इसी तरह चलते रहेंगे, ये सारे कारोबार और ये सारे इन्तिज़ाम किसके बस में है?

वक़्त पर बारिश का होना, वक़्त पर गर्मी का आना, वक़्त पर सर्दी का पड़ना, इन सारी

चीज़ों का मुख़्तारे कुल कौन है? तो जवाब में यही कहेंगे कि अल्लाह! ये सारे निज़ाम अल्लाह ही के हाथ में हैं तो फिर देहातों में, क़स्बों में, शहरों में, जंगलों में, पहाड़ों में, नदियों में कोई मंदिर की शक्ल बनवा कर, कोई गिरजों की शक्ल बनवा कर, कोई दरगाहों की शक्ल बनवा कर कोई ताज़िए की शक्ल बनवा कर पूज रहे हैं और भोले अनपढ़ इंसानों को गुमराह कर रहे हैं और ख़ुद भी गुमराह हो रहे हैं।

इनसे पूछो तो सही, जिनको आप लोग पुजवा रहे हैं उनके हाथ में कौन सा अख़्तियार है? ज़रा हमें भी तो समझाओ और अगर नहीं समझा सकते हो तो कम से कम तौबा कर लो, क्यों ख़ामख़ाह जहालत में फंस कर अपनी आख़िरत बर्बाद करते हो? और दूसरों के ईमान का मलियामेट करते हो?

क़ुरआन करीम के इक्कीसवें पारे में, सूर: अन्कबूत के छठे रुकूअ में आयत न० 63 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – इनसे पूछो तो किसने आसमान से पानी बरसाया? और किसने मुर्दा ज़मीन को ज़िन्दा कर दिया?

वे जवाब में यही कहेंगे कि अल्लाह!

कहो, अल–हम्दु लिल्लाह! मगर अक्सर लोग समझते ही नहीं।

अल्लाह तआला सवाल कर रहा है कि इनसे पूछो कि आसमान से पानी कौन बरसाता है और उस पानी के ज़रिए से मुर्दा और ख़ुश्क ज़मीन को ज़िन्दा कौन करता है? तो जवाब में कहेंगे कि अल्लाह !

इस जवाब पर अल्लाह तआला फ़रमाता है कि कहो, अलहम्दु लिल्लाह! यानी अल्लाह का शुक्र है कि इस बात का यक़ीन करते हैं कि अल्लाह के सिवा और कोई कुछ भी नहीं कर सकता।

फिर आयत के आख़िर में अल्लाह तआला फ़रमाता है कि अक्सर लोगों में अक्ल ही नहीं।

इसका मतलब यह नहीं है कि अक़्ल ही नहीं, बल्कि मतलब यह है कि अक़्ल तो है मगर अक़्ल का इस्तेमाल नहीं करते, वरना हर बात और हर काम पर अल्लाह के एक होने की तस्दीक़ करें और फिर भी शिर्क करें, यह हो नहीं सकता। अल्लाह को क़ादिरे मुत्लक़ मानते हुए भी शिर्क कर रहे हैं इसकी यही वजह है कि अक्ल से काम नहीं लेते बल्कि जहालत से काम लेते हैं।

क़ुरआन करीम के दूसरे पारे में सूर: बक़र: के बीसवें रुकूअ में, आयत न० 165 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ख़ुदा के शरीक औरों को ठहरा कर उनसे ऐसी मुहब्बत करते हैं जैसी ख़ुदा से, ईमानदार, अल्लाह की मुहब्बत में बहुत सख़्त होते हैं।

इस आयत में मुशिरकों का दुनियावी और उख़्रवी हाल बयान हो रहा है, ये खुदा का शरीक मुक़र्रर करते हैं उस जैसा औरों को ठहराते हैं और फिर उसकी मुहब्बत अपने दिल में ऐसी जमाते हैं जैसी खुदा की होनी चाहिए हालांकि वह माबूदे बरहक़ सिर्फ़ एक ही है वह शरीक और साझी से पाक है।

हवाला – तफ्सीरे इब्ने कसीर, पारा 2, पृ० 18 सूरः बक़रः के बीसवें रुकूअ की तफ़सीर में।

शिर्क

क़ुरआन करीम के पांचवें पारे में सूरः निसा के सातवें रुकूअ में, आयत न० 48 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – यक़ीनन अल्लाह तआला शिर्क करने वालों को नहीं बख़्शेगा, इसके अलावा जिसको चाहेगा, बख़्श देगा। अल्लाह तआला के साथ शिर्क करना बहुत ही बड़ा गुनाह है।

शिर्क करने वालों से दुनिया और आख़िरत दोनों की भलाई छूट जाती है और वे राहे हक़ से दूर जा पड़ता है वह अपने नफ़्स को और अपने दोनों जहान को बर्बाद कर लेता है।

क़ुरआन शरीफ़ के पांचवें पारे में सूरः निसा के अठारहवें रुकूअ में आयत न० 116 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा –यक़ीनन अल्लाह तआला शिर्क करने वालों को नहीं बख़्शेगा। इसके अलावा जिसको चाहेगा, बख़्श देगा। अल्लाह तआला के साथ शिर्क करने वाला बहुत दूर की गुमराही में जा पड़ा।

शिर्क इतना बड़ा गुनाह है कि बख़्शने के क़ाबिल है ही नहीं और वह गुमराही में इतना दूर चला गया है कि उसका वापस आना ही मुश्किल है।

क़ुरआन पाक के सातवें पारे में सूरः अनआम के नवें रुकूअ में आयत न० 88 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – जो लोग ईमान लाकर अपने ईमान को शिर्क से ख़लत मलत नहीं करते, उन्हीं लोगों के लिए अम्न है और हक़ीक़त में राह पाये हुए वही लोग हैं।

अल्लाह तआला फ़रमाता है कि जो लोग सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करें और खुलूस के साथ दीनदारी करें, रब के साथ किसी को शरीक न करें, ईमान वाले, सीधे रास्ते वाले यही लोग हैं।

हदीस – हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हज़रत रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया–

क़ियामत के दिन दोज़ख़ियों में सबसे कम अज़ाब वाले से अल्लाह तआला फ़रमायेगा कि अगर ज़मीन की कुल चीज़ें तेरी हों तो उन सबको देकर तू छुटकारा लेगा?

वह कहेगा हां लूंगा?

अल्लाह तआला फ़रमायेगा मैंने तुझ से बहुत ही हल्की चीज़ चाही थी कि तू शिर्क न करना मगर तूने इंकार किया और शिर्क ही किया।

हवाला–1. सही बुख़ारी, जिल्द 3, पारा 27, पृ० 336, हदीस 1471, किताबुर्रिक़ाक़,
2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 827, हदीस 5396, दोज़ख़ का बयान,
3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 434, दोज़ख़ और दोज़ख़ियों का हाल।

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि शिर्क और जादू से बचो, जो हलाक करने वाले हैं।

हवाला – सही बुखारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 24, पृ० 184, हदीस 710, किताबुत्तिब़।

हदीस – हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनसे फ़रमाया कि–

ऐ मुआज़! तुम जानते हो कि खुदा का बन्दों पर क्या हक़ है?

उन्होंने अर्ज़ किया कि अल्लाह और उस के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ही खूब जानते हैं?

आपने फ़रमाया, हक़ यह है कि बन्दे उसकी इबादत करें और उस के साथ किसी को शरीक़ न करें। और फ़रमाया–

तुम जानते हो कि बन्दों का ख़ुदा पर क्या हक़ है ?

उन्होंने कहा कि अल्लाह और उस के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ही ख़ूब जानते हैं?

फ़रमाया कि उन को अज़ाब न करे।

हवाला 1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 30, पृ० 535, हदीस न० 2226, तौहीद का बयान,
2. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 102, हदीस 503, अब–वाबुल ईमान,
3. इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 651, हदीस 4292, क़ियामत के दिन खुदा की रहमत का बयान।

हदीस – हज़रत अबूज़र रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि–

मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आये और उन्होंने मुझको बशारत दी कि जो इस हाल में मर गया कि खुदा के साथ उसने शरीक न किया हो, तो उसके वास्ते जन्नत है।

मैंने कहा, अगरचे उसने चोरी की हो और ज़िना किया हो?

उन्होंने कहा, हां! अगरचे चोरी की हो और ज़िना किया हो।

हवाला –1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 30, पृ० 570, हदीस, 2333, तौहीद का बयान,

2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 16, हदीस 75, बाब 37, किताबुल ईमान,

3. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 103, हदीस 504, किताबुल ईमान।

ऐ मेरे प्यारे दोस्त! हिनदुस्तान के अक्सर मुसलमानों पर जहालत कुछ ऐसी छायी हुई कि बिदअतों पर अमल करें तो दीन की पाबन्दी समझते हैं और कुफ़्र करें तो सवाब समझते हैं और शिर्क करें तो निजात का ज़रिया समझते हैं कोई हद है जहालत की?

हदीस – हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया–

जो आदमी इस हाल में मर जाए कि वह अल्लाह के साथ शिर्क करता हो तो वह दोज़ख़ में दाख़िल होगा।

मैंने अर्ज़ किया कि जो आदमी इस हाल में मरे कि अल्लाह के साथ शिर्क न करता हो तो?

आपने फ़रमाया, वह जन्नत में दाख़िल होगा।

हवाला –1. सही बुख़ारी शरीफ़ जिल्द 1, पारा 5, पृ० 276, हदीस 1148, जनाइज़ का बयान,

2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 16, हदीस 74, बाब, 37, किताबुल ईमान।

हदीस – हज़रत औफ़ बिन मालिक अशजअ़ी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि–

मेरे परवरदिगार के पास से एक आने वाला आया और मुझे अख़्तियार दिया कि दो सूरतों में से कोई एक सूरत क़ुबूल कर लीजिए–

एक तो यह कि आप की आधी उम्मत जन्नत में दाखिल हो,

दूसरी शफ़ाअत, मैंने शफ़ाअत को अख़्तियार कर लिया, (मगर याद रहे) मेरी शफ़ाअत का हक़दार वह है जो ऐसी हालत में मरा हो कि उसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक न किया हो।

हवाला – तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 62, हदीस 304, क़ियामत का बयान।

क़ुरआन शरीफ़ के तेईसवें पारे में सूर: ज़ुमर के दूसरे रुकूअ में आयत न० 17–18 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – जिन लोगों ने ख़ुदा के सिवा दूसरों की इबादत से परहेज किया और पूरी तरह दिल लगाकर अल्लाह की तरफ़ मुतवज्जह रहे, वे ख़ुशख़बरी के हक़दार हैं। पस मेरे बन्दों को ख़ुशख़बरी सुना दे, जो बात को कान लगा कर सुनते हैं फिर जो बेहतरीन बात हो उस

पर अमल करते हैं। यही हैं जिन्हें अल्लाह तआला ने हिदायत की है और यही अक्लमंद भी हैं।

अल्लाह तआला फ़रमाता है कि जो लोग अल्लाह के सिवा सबसे बेज़ारी और खुदा की फ़रमांबरदारी करें, उनके लिए दोनों जहान में खुशीयां हैं बात समझ कर, सुनकर जब वह अच्छी हो उस पर अमल करने वाले मुबारकबाद के हक़दार हैं।

हवाला – तफ़सीरे इब्ने, कसीर, पारा 23, पृ० 81, सूरः जुमर के दूसरे रुकूअ की तफ़सीर में।

हदीस – हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह फ़रमाते सुना है कि–

अल्लाह तआला फ़रमाता है कि जब तक तू मुझसे दुआ करता रहेगा, उम्मीदें रखता रहेगा, मैं तुझे बख्शता रहूंगा, चाहे जिस क़दर तुझमें गुनाह हों मैं परवाह नहीं करता। ऐ आदम के बेटे! अगर तेरे गुनाह आसमान तक पहुंच जाएं और तू मुझसे बख़्शिश चाहे, तो भी मैं बख्श दूंगा। मैं परवाह नहीं करता। ऐ आदम के बेटे! अगर तू ज़मीन के बराबर भी गुनाह लाएगा और मुझसे इस हाल में मिलेगा कि तूने (दुनिया में) किसी को मेरा शरीक न किया होगा तो मैं तुझे उसके बराबर मग़्फ़िरत (बख़्शिश) दूंगा।

हवाला –1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 332, हदीस 1388, दुआ का बयान,
2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 384, हदीस 2211, तौबा का बयान,
3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 288, तौबा का बयान।

मेरे प्यारे दोस्त! आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपने हाथों की उंगलियों में अंगूठियां पहनते हैं कोई एक अंगूठी, कोई दो, कोई तीन, कोई इससे भी ज़्यादा अंगूठियां पहनते हैं और उन अंगूठियों में पत्थर के छोटे–छोटे टुकड़े लगे होते हैं जिनको अक्सर लोग तो बे समझे बूझे शौक़िया पहनते हैं और कुछ लोग इस नीयत से पहनते हैं और गले में लटकाते हैं कि यह कारामद है यानी उसको अंगूठी में डलवा कर उंगली में पहनने से या चांदी में मंढ़वा कर गले में लटकाने से नफ़ा होता है और नुक्सान से इंसान बच जाता है।

इन पत्थरों के नाम भी लेते हैं कि यह पत्थर सुलेमानी हैं या यह पत्थर याक़ूत है या यह पत्थर नीलम है या ज़मुर्रुद है या यह लाल है या कुहरबा है या यह अक़ीक़ है या यह सनीअ़ है वग़ैरह। नफ़ा होने और नुक्सान से बचने की नीयत से इन पत्थर के टुकड़ों में तासीर समझ कर कितने मुफ़्ती, मौलवी, फ़क़ीर, सूफ़ी, मस्त, मलंग, पीरज़ादे, दरवेश, सज्जादानशीन और मुजाविर वग़ैरह के हाथों की अंगूठियों में ये पत्थर होते हैं और कुछ लोग अपने गलों में यह पत्थर पहने हुए होते हैं।

मुस्तक़िल तासीर का एतक़ाद करके जो लोग पहनते हों तो यह हराम है बल्कि एक तरह का शिर्क है और अगर यह एतक़ाद नहीं है तो इसकी इजाज़त है मगर एक ही अंगूठी हो और चांदी की हो और उसमें एक ही नगीना हो।

इसी तरह कुछ लोग लोहे की या तांबे की अंगूठी भी पहनते हैं और उससे नफ़ा या तन्दुरुस्ती की उम्मीद रखते हैं तो यह नाजायज़ है और इस अक़ीदे से पहनना कुफ़्र है। अगर कोई बीमारी है तो इलाज करवाओ इलाज कराना जायज़ है।

हदीस – हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया,

हर मरज़ की दवा है, जब दवा मरज़ के मुवाफ़िक़ हो जाती है तो मरीज़ खुदा के हुक्म से अच्छा हो जाता है।

हवाला–1. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 116, हदीस 559, बाब 276, किताबुस्सलाम,
2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 666, हदीस 4290, बाब तिब्ब और मंतरों का बयान।

इसी तरह औरतें अपने-अपने बच्चों के गले में या पांवों में पत्थर या लोहे या तांबे के कड़े या और कुछ पहना देती हैं क़ुरआनी तावीज़ और मशरूअ दुआओं के अलावा लड़के के गले या पैर में नफ़ा या तन्दुरुस्ती की नीयत से बांधना शिर्क है।

हदीस – हज़रत ईसा बिन हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं अब्दुल्लाह बिन हकीम के पास गया उनका जिस्म (बीमारी से) सुर्ख़ था। मैंने कहा कि तुम तावीज़ क्यों नहीं बांधते?

उन्होंने कहा हम खुदा के ज़रिए उससे पनाह चाहते हैं (इसलिए कि) अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है जो आदमी कोई चीज़ लटकाये या बांधे वह उसी के हवाले कर दिया जाता है।

हवाला–1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 669, हदीस 4331, तिब्ब और मंतरों के बयान में,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 14, किताबुत्तिब्ब के बयान में।

कुछ आलिम साहिबान क़ुरआनी तावीज़ या दुआएं वग़ैरह लिख कर गले में या हाथ के बाज़ू वग़ैरह में बरकत के लिए बांधना जायज़ बताते हैं, लेकिन इस तावीज़ या दुआ वग़ैरह को तांबे या पीतल वग़ैरह की डिबिया में डालकर बांधते हैं यह सबके नज़दीक नाजायज़ और मना है चाहे मर्द हो या औरत क्योंकि तांबा पीतल और लोहा अपने आप में पहनना मना है तो तावीज़ उसमें डालने से जायज़ नहीं हो सकता और चांदी या सोने की डिबिया में डाल कर औरत पहन सकती है मर्द नहीं पहन सकता, इसलिए कि चांदी या सोने का पहनना औरत के लिए जायज़ है और मर्द के लिए सिवाए चांदी की अंगूठी के जायज़ नहीं और सोना तो मर्द के लिए बिल्कुल ही हराम है चाहे अंगूठी हो या और कोई ज़ेवर हो। अगर तावीज़ वग़ैरह पहनना ही है तो उसको मोमजामा करके पहन सकता है।

कुछ पैरों के अंगूठों में या उंगलियों में तांबे या पीतल का तार बांधते हैं कि उसके बांधने से तन्दुरुस्ती रहती है और बीमारी से निजात मिलती है। यह भी एक क़िस्म का शिर्क और हराम है। कुछ पढ़े-लिखे भी पहनते हैं बल्कि कुछ आलिमों को भी हमने इस क़िस्म के तांबे

के तार हाथ की उंगलियों में या पैर की उंगलियों में पहने हुए देखा हैं और कहीं-कहीं नवजवान लड़कों को हाथ में लोहे के कड़े, कंगन की तरह पहने हुए देखे हैं। ये साहिबान शौक़िया पहनते हैं सिख साहिबान के धर्म में कड़े का पहनना लाज़मी हैं उनकी देखा देखी मुसलमान लड़के भी पहनते हैं यह हराम है।

कुछ मर्द या औरतें हाथ या पैर में लोहे या पीतल या तांबे का कड़ा पहनते हैं और कहते हैं कि यह तो ख़्वाजा ग़रीब नवाज़ की दरगाह से मेरा भाई लाया था या मेरा बाप लाया था या मीरां दातार से मेरी फूफी या मेरी बहन लायी थी और उसको बा बरकत समझ कर पहनते हैं यह भी जहालत है।

हदीस – हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक चांदी की अंगूठी बनवायी, उसका नगीना हथेली की जानिब में रहता था उसमें मुहम्मद रसूलुल्लाह खुदा हुआ था।

हवाला – शमाइले तिर्मिज़ी, पृ० 82, हदीस 6।

आप लोगों ने कुछ आदमियों के हाथ में अंगूठी देखी होंगी। हमने भी कुछ लोगों के हाथ में देखी हैं और जब पढ़े लिखे आदमियों के हाथ में अंगूठी देखते हैं और शरीअत के ख़िलाफ़ पहने हुए देखते हैं तो उस वक़्त हमें बहुत रंज होता है ये लोग सुन्नत समझ कर पहनते हैं और अमल मकरूहात पर करते हैं और उनके अमल को देखकर दूसरे लोग भी इसी पर अमल करते हैं।

मिसाल के तौर पर किसी आलिम ने अंगूठी पहनी है और उसको मसअला मालूम नहीं, ऐसे ही बग़ैर तह्क़ीक़ के पहन ली है तो अब इस आलिम साहब के जितने भी शागिर्द होंगे या चाहने वाले होंगे, वे इस आलिम साहब से अंगूठी के बारे में मसअला पूछेंगे नहीं बल्कि देखा-देखी ये लोग भी अंगूठी पहन लेंगे।

इसी तरह पीर साहब ने या सज्जादा नशीन ने या मुजाविर ने अंगूठी पहनी हो, तो इन लोगों की देखा देखी दूसरे लोग भी अंगूठी पहन लेते हैं।

जब अंगूठी पहने, तो चाहिए कि उसका नगीना अपनी हथेली की तरफ़ रखे, ऊपर की तरफ़ न रखे और औरत ऊपर की तरफ़ रखेंगी, इसलिए कि औरतें ज़ीनत के वास्ते पहनती हैं और मर्द मुहर लगाने के वास्ते पहनता है।

हवाला –1. फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 4, पृ० 295, कराहत का बयान,
2. ऐनुल हिदाया जिल्द 4, पृ० 233, कराहत का बयान।

आप लोग जिसके हाथ में अंगूठी देखेंगे, चाहे वह मौलवी हो या फ़क़ीर, सूफ़ी हो या दरवेश, मुर्शिद हो या सज्जादानशीन या मुजाविर हो,उसकी अंगूठी का नगीना हथेली की तरफ़ नहीं होगा, बल्कि हथेली के पीछे नगीना होगा। आप जिसको भी इस तरह अंगूठी पहने हुए देखें तो समझ लें कि उसे मसअला याद ही नहीं है, बल्कि देखा देखी उसने अंगूठी पहन ली है।

बादशाह और क़ाज़ी और वक़्फ़ माल के मुतवल्ली के अलावा दूसरों को अंगूठी का छोड़ना अफ़्ज़ल है।

हवाला – ग़यातुल अवतार उर्दू तरजुमा दुर्रे मुख़्तार जिल्द 4, पृ० 207, बाबुल ख़तर।

अंगूठी के मसअले को आम तौर से लोग जानते नहीं हैं, रिवाजी तौर पर पहनते हैं और अगर किसी ने इत्तिफ़ाक़ से पूछ लिया कि अंगूठी का पहनना कैसा है तो ये अंगूठी पहनने वाले जवाब में कहते हैं कि सुन्नत हैं हालांकि अंगूठी का पहनना सुन्नत नहीं है अगर अंगूठी का पहनना सुन्नत होता तो तमाम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के हाथों में अंगूठी होती।

हदीस – हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सोने की एक अंगूठी बनवाई थी जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उसको पहनते तो उसका नगीना अन्दर कर लेते और लोगों ने आप की अंगूठी देखकर अंगूठियां बनवा लीं।

एक दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मिम्बर पर बैठ कर अपनी उंगली से अंगूठी निकाल ली और फ़रमाया–

मैं इस अंगूठी को पहना करता था और इसका नगीना हथेली की तरफ़ रखता था।

यह फ़रमा कर आपने अंगूठी को फेंक दिया और फिर फ़रमाया– ख़ुदा की क़सम! अब मैं इसको कभी न पहनूंगा।

यह देखकर लोगों ने अपनी-अपनी अंगूठियों को फेंक दिया।

हवाला – सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 101, हदीस 474, बाब 227, किताबुल्लिबास।

हदीस – हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक आदमी के हाथ में सोने की अंगूठी देखी। आपने उसको उतार कर फेंक दिया और फ़रमाया–

क्या तुममें से कोई आदमी आग का अंगारा उठाकर अपनी हथेली पर रख सकेगा।

जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम चले गये तो उस आदमी से कहा गया–

अपनी अंगूठी उठा ले और इससे नफ़ा हासिल कर।

उसने कहा जिसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फेंक दिया, मैं उसको कभी न उठाऊंगा।

हवाला – सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 101, हदीस 473, बाब 227, किताबुल्लिबास।

हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अजमी शाहों को रिसालत का पैग़ाम पहुंचाने के लिए ख़त लिखना चाहा तो आपसे अर्ज़ किया गया कि वे लोग ख़त नहीं लेते हैं मगर सर बमुहर तो आपने चांदी की अंगूठी बनवायी (जिसका नगीना हब्शी तरीक़े का था) इसमें 'मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह' नक़्श फ़रमाया। पस यह अंगूठी आपके हाथ में रही, यहां तक कि वफ़ात फ़रमायी।

फ़िर हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में रही, यहां तक कि वफ़ात फ़रमायी।

फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में रही, यहां तक कि वफ़ात फ़रमायी।

फिर हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में रही, यहां तक कि ख़िलाफ़त के आख़िरी दिनों में आपके हाथ से बीरे अरीस में गिरी, पस आपने तमामा उसको तलाश करने का हुक्म दिया, मगर हाथ नहीं आई।

हवाला – ऐनुल हिदाया, जिल्द 4, पृ० 230, किताबुल कराहत।

बहरहाल हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अंगूठी उस वक़्त बनवायी थी जब मुहर लगाने की ज़रूरत पड़ी। अगर मुहर लगाने की ज़रूरत न होती तो आप अंगूठी बनवाते ही नहीं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हाथ में अंगूठी नहीं थी। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गये और हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को ख़िलाफ़त मिली तो जो अंगूठी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मुहर लगाने के लिए पहनते थे वह अंगूठी हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पहन ली। जब आप वफ़ात पा गये तो वह अंगूठी हज़रत उमर रजियल्लाहु अन्हु ने पहन ली। जब आप भी शहीद हो गये तो वह अंगूठी हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पहन ली और आप ही के हाथ से वह अंगूठी बीरे अरीस में गिर गयी। बहुतेरा तलाश किया, लेकिन वह अंगूठी नहीं मिली। बहरहाल अंगूठी पहनना सुन्नत नहीं है लेकिन अगर अंगूठी पहन ली तो मना नहीं है और पहन लेने के बाद अंगूठी का नगीना हथेली की तरफ़ रख लेना सुन्नत है।

इस मसअले से कुछ पढ़े लिखे लोग भी ग़ाफ़िल हैं इसी वजह से फ़ुकहा-ए-किराम ने तीन क़िस्म के आदमियों को अंगूठी पहनने के लिए इजाज़त दी है इसलिए कि इन तीनों को मुहर लगाने की ज़रूरत पड़ती है। इनके अलावा दूसरों को अंगूठी का छोड़ना अफ़ज़ल है। इस ज़माने में शायद ही कोई अंगूठी को मुहर लगाने की ज़रूरत से पहनता हो। आज तो लगभग शौक़ ही से लोग पहन लेते हैं। अगर सुन्नत समझ कर पहनते तो उनको मसअला याद होता।

जिन तीन आदमियों का नाम ऊपर लिखा गया उनके अलावा अगर दूसरे लोग भी अंगूठी पहनें तो जायज़ है मना नहीं है लेकिन अंगूठी का नगीना हथेली की तरफ़ होना चाहिए और अंगूठी एक होनी चाहिए दो नहीं।

अंगूठी का छोड़ना इसलिए अफ़ज़ल बताया है कि अगर ग़ुस्ल करने के वक़्त अंगूठी के नीचे एक बाल के बराबर सूखा रह गया तो ग़ुस्ल सही नहीं होगा। इसी तरह वुज़ू करने में अगर एक बाल के बराबर सूखा रह गया तो वुज़ू नहीं होगा और जब वुज़ू नहीं होगा तो नमाज़ भी नहीं होगी, इसलिए अंगूठी का छोड़ देना ही अफ़ज़ल है।

हदीस – हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु अनहु फ़रमाते हैं कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु

अलैहि व सल्लम की ख़िदमते अक़्दस में हाज़िर हुआ और वह लोहे की अंगूठी पहने हुए था।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, क्या बात है? मैं तुमको दोज़ख़ वालों का ज़ेवर पहने हुए देखता हूं यानी तुम जो लोहे की अंगूठी पहने हो यह दोज़ख़ियों का ज़ेवर है, (क्योंकि उन्हें लोहे के तौक़ और ज़ंज़ीरे पहनायी जाएंगी।)

इसके बाद फिर वह आदमी आया। इस बार वह पीतल की अंगूठी पहने हुए था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, क्या बात है, मैं तुम में बुतों की बू पाता हूं ? (इस के बाद) तीसरी बार आया, इस बार वह सोने की अंगूठी पहने हुए था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, क्या बात है, मैं तुम्हें दोज़ख़ वालों का ज़ेवर पहने हुए देखता हूं। उसने पूछा कि मैं किस चीज़ की अंगूठी बनाऊं? आपने फ़रमाया, चांदी की और उसे मिस्क़ाल भर से कम रखो।

हवाला –1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 350, हदीस 1684, किताबुल्लिबास,
2. अबूदाऊद शरीफ़, जिल्द 3, पारा 26, पृ० 301, हदीस 821, बाब 292, अंगूठी पहनने का बयान।

कुछ मर्द अपने कान और नाक में सोने या चांदी या पीतल वग़ैरह की बालियां औलिया रह्मतुल्लाहि अलैहिम के नाम की पहनते हैं, यह भी हराम और शिर्क है। तुम इतना तो सोचो कि जब अंबिया अलैहिमुस्सलाम और औलिया अल्लाह रह्मतुल्लाहि अलैहिम नफ़ा और नुक़्सान के मालिक नहीं हैं, तो फिर पत्थर के टुकड़े लोहे, पीतल और तांबे की क्या हक़ीक़त है ? तुम इतना तो समझो कि जो वलीयुल्लाह कुफ़्र व शिर्क से कोसों दूर रहते थे और कुफ़्र व शिर्क के शायबे से बिल्कुल पाक व साफ़ थे और इसी की तालीम सारी मख़्लूक़ को देते रहे, क्या ये बुज़ुर्ग ऐसी हरकतों को पसन्द करेंगे ? हरगिज़ नहीं। यह तुमने अपनी जहालत से उनके नाम के कड़े, अंगूठियां और बालियां वग़ैरह बना-बना कर पहन ली हैं और सोचते नहीं कि कल क़ियामत के दिन इस का अंजाम क्या होगा ?

हाय अफ़सोस ! हिन्दुस्तान की जहालत आख़िर ऐसा रंग लायी कि हमारे मुसलमान भाइयों को कुफ़्र व शिर्क तक ले गयी।

हज़रत तुफ़ैल बिन संजरा रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा के सौतेले भाई फ़रमाते हैं कि मैं ने ख़्वाब में कुछ यहूदियों को देखा और उन से पूछा, तुम कौन हो ?

उन्होंने कहा, हम यहूदी हैं।

मैंने कहा, अफ़सोस ! तुम में यह बड़ी ख़राबी है कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को ख़ुदा का बेटा कहते हो ?

उन्होंने कहा, तुम भी अच्छे लोग हो, लेकिन अफ़सोस ! तुम कहते हो कि जो ख़ुदा चाहे और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम चाहें।

फिर मैं ईसाइयों की जमाअत के पास गया और उन से भी इसी तरह पूछा। उन्होंने भी ऐसे ही जवाब दिया।

मैं ने उन से कहा, अफ़सोस ! तुम मसीह अलैहिस्सलाम को ख़ुदा का बेटा मानते हो !

उन्होंने भी ऐसी ही जवाब दिया।

मैं ने सुबह को इस ख़्वाब का ज़िक्र लोगों से कर दिया। फिर दरबारे नबी में हाज़िर होकर आप से भी यह वाक़िआ बयान किया।

आपने पूछा, क्या किसी और से भी तुम ने इस का ज़िक्र किया है ?

मैंने कहा, हां।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अब खड़े हो गये और अल्लाह तआला की हम्द व सना बयान की, फिर फ़रमाया कि तुफ़ैल (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने एक ख़्वाब देखा है और तुम में से कुछ से बयान भी कर दिया है। मैं चाहता था कि तुम्हें उस कलिमा के कहने से रोक दूं, लेकिन फ़्लां-फ़्लां काम की वजह से मैं अब तक न कह सका। याद रखो, अब हरगिज (ख़ुदा चाहे और उस का रसूल चाहे) कभी न कहना, बल्कि यों कहो कि सिर्फ़ अल्लाह अकेला जो चाहे।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 1, पृ० 74, सूरः बकरः के तीसरे रुकूअ की तफ़्सीर में।

आज कुछ मुसलमान भाइयों का यह तकिया-ए-कलाम हो गया है। जब भी कोई काम पड़ा या किसी से कोई वायदा किया, तो फ़ौरन कह देते हैं कि अल्लाह और उस के रसूल सल्ल० के हुक्म से हो जाएगा या यों कहते हैं कि अल्लाह और ग़ौसे पाक रह० के हुक्म से हो जाएगा। ख़्वाजा ग़रीब नवाज़ रह० हमारी बिगड़ी बना देंगे, मलंग शाह बापू हुक्म करेंगे, मीरान शाह बापू इशारा कर देंगे, ग़ैबन शाह हमारी मुराद पूरी कर देंगे या हज़रत मुश्किल कुशा हमारी मुश्किलें हल कर देंगे वग़ैरह-वग़ैरह ! यह ख़ुल्लम-ख़ुल्ला कुफ़्र व शिर्क है, मगर जहालत का अंधापन कुछ ऐसा छाया हुआ है कि खुद समझते नहीं और समझाने वालों को ग़ैर-मुकल्लिद, बहाबी और इस्लाम से ख़ारिज समझते हैं।

हदीस – एक आदमी ने रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कहा कि जो अल्लाह चाहे और आप चाहें, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, क्या! तू मुझे अल्लाह तआला का शरीक ठहराता है। यों कहो, जो अल्लाह अकेला चाहे।

हवाला –1. तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 1, पृ० 75, सूरः बकरः के तीसरे रुकूअ की तफ़्सीर में,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 41, बाबुल कबाइर, किताबुल ईमान।

क़ुरआन मजीद के चौबीसवें पारे में, सूरः ज़ुमर के सातवें रुकूअ में, आयत न० 65 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – यक़ीनन तेरी तरफ़ भी और तुझ से पहले के तमाम नबियों की तरफ़ भी वह्य

की गयी है। अगर तूने शिर्क किया, तो बेशक तेरा अमल बेकार जाएगा और यकीनन तू घाटा उठाने वालों में से होगा।

ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! तेरी तरफ और तुझसे पहले के नबियों की तरफ हम यह हुक्म भेज चुके हैं कि अगर मान लिया जाए कि तू ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! या तुझसे पहले के नबी शिर्क करें, तो उनके नेक काम अकारत हो जाएं, वे बड़ी बरबादी में पड़ जाएं। यह जलाली कलाम शाहंशाही रौब के क़ायदे पर है। हज़रत रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और अगले नबियों से शिर्क का सरज़द होना महाल था क्योंकि अंबिया अलैहिमुस्सलाम मासूम हैं मगर मुख़ातब के सुनाने को ऐसा ज़ोरदार हुक्म दिया गया कि यह बेहूदा काम किसी को माफ़ नहीं।

हवाला – तफ़्सीरे हक़्क़ानी, जिल्द 6, पारा 24, पृ० 193, सूरः ज़ुमर के सातवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

हदीस – हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि क़ुरैश एक मख़्ज़ूमी औरत के मामले में बहुत फ़िक्रमंद थे, जिसने चोरी की थी (और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उसके हाथ काटने का हुक्म दे दिया था) क़ुरैश ने कहा कि कौन उसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से बात-चीत करे? कुछ लोगों ने कहा, उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को बहुत मुहब्बत है अगर कुछ कह सकते हैं तो वही कह सकते हैं। चुनांचे उसामा रज़ि० ने आप से उसका ज़िक्र किया।

आपने फ़रमाया तू ख़ुदा की हदों में सिफ़ारिश करता है?

यह कह कर आप खड़े हो गये और लोगों के सामने ख़ुत्बा दिया फिर फ़रमाया तुमसे पहली उम्मतें इसलिए हलाक हुई हैं कि उनमें से जब कोई शरीफ़ आदमी चोरी करता था तो उसको छोड़ देते थे और कमज़ोर आदमी चोरी करता था तो उसको सज़ा देते थे। क़सम है खुदा की अगर फ़ातिमा, मुहम्मद की बेटी भी चोरी करे तो मैं उसका हाथ काट डालूं।

हवाला–1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 288, हदीस 1329, हदों का बयान,

2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 559, हदीस 3426, शरई सज़ा की सिफ़ारिश का बयान।

3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 3, पृ० 321, किताबुल हुदूद,

4. तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 6, पृ० 97, सूरः माइदा के छठे रुकूअ की तफ़्सीर में।

अब आप ही सोचें कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क्या चोरी कर सकती थीं? हरगिज़ नहीं! बल्कि ये लफ़्ज़ मुख़ातब को सुनाने के लिए बयान कर दिये गये कि किसी रईस ख़ानदान का क्या सवाल, अगर मेरी बेटी फ़ातिमा भी मआज़ल्लाह चोरी करती, तो वह भी इस सज़ा से नहीं बच सकती, फिर औरों की हक़ीक़त ही क्या?

इसी तरह अल्लाह तआला अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से फ़रमा रहा है कि शिर्क इतना बड़ा गुनाह है कि माफ़ करने के क़ाबिल है ही नहीं।

क़ुरआन करीम के पन्द्रहवें पारे में सूरः बनी इस्राईल के चौथे रुकूअ में आयत न० 39 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – और अल्लाह बरहक़ के साथ कोई और माबूद मत बनाना, वरना तू भी जहन्नम में डाल दिया जाएगा, मलामतज़दा और हर भलाई से महरूम रहेगा।

ये हुक्म हमने दिये हैं सबसे बेहतरीन ख़ूबियां हैं और जिन बातों से हमने रोका है वे बड़ी ज़लील आदतें हैं। हम ये सब बातें तेरी तरफ़ वह्य के ज़रिए नाज़िल फ़रमा रहे हैं कि तू लोगों को हुक्म दे और मना करे देख मेरे साथ किसी को माबूद न ठहराना, वरना वह वक़्त आएगा कि ख़ुद अपने आप को मलामत करने लगेगा और ख़ुदा की तरफ़ से मलामत होगी, बल्कि तमाम मख़्लूक़ की तरफ़ से भी और तू हर भलाई की तरफ़ से दूर कर दिया जाएगा। इस आयत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के वास्ते से आप की उम्मत से ख़िताब है क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तो मासूम हैं।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 15, पृ० 45, सूरः बनी इस्राईल के चौथे रुकूअ की तफ़्सीर में।

हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मुख़ातिब होकर फ़रमाया जा रहा है कि आप मेरे रसूल हैं आप महबूबे ख़ुदा हैं आप रह्मतुललिल आलमीन हैं आप हश्र के मैदान के शफ़ीअ़ हैं आप नबियों के इमाम हैं आप दुनिया व आख़िरत के सरदार हैं आप हौज़े कौसर के साक़ी हैं लेकिन जान लीजिए कि अगर आप भी शिर्क करें तो आप ख़ुद भी मेरे अज़ाब से नहीं बच सकते और आप के सारे के सारे मर्तबे धरे के धरे रह जाएंगे मआज़ल्लाह।

ऐ किताब पढ़ने वाले! आप ख़ुद सोचें और इंसाफ़ करें कया मआज़ल्लाह हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम शिर्क करते? हरगिज़ नहीं वह तो मासूम थे लेकिन हमें सुनाने के लिए आप अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तरफ़ मुख़ातिब होकर फ़रमा रहे हैं कि अगर आप शिर्क करें तो आप भी हमारे अज़ाब से नहीं बच सकते तो फिर इन शेख़ ज़ादों की क्या हक़ीक़त? इन मालदारों और अमीरज़ादों की क्या हक़ीक़त? इन मुजाविरों और मुजाविरज़ादों की क्या हक़ीक़त? इन क़ब्रपरस्तों और ताज़ियापरस्तों की क्या हक़ीक़त? जो ख़ुदा के मुक़ाबले में ख़ुदा की मख़्लूक़ या ख़ुदा की बनायी हुई चीज़ों को पूज रहे हैं और पुजवा भी रहे हैं।

मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह तआला के नबी व बन्दे और उसके रसूल बर्गुज़ीदा हैं। कभी आपने न तो बुत पूजा और न किसी तरह अल्लाह तआला के साथ पलक मारने के बराबर कभी शिर्क किया और न कभी कबीरा और सग़ीरा गुनाहों के मुर्तकिब हुए।

हवाला – ऐनुल हिदाया, जिल्द 1, पृ० 13, मुक़द्दमे में।

कुरआन करीम के छठे पारे में सूरः माइदा के दसवें रुकूअ में आयत न० 72 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – जिसने अल्लाह तआला के साथ किसी को शरीक ठहराया उस पर अल्लाह तआला ने जन्नत हराम कर दी है और उसका ठिकाना जहन्नम है और ऐसे ज़ालिमों का कोई भी मददगार नहीं होगा।

मौलाना जलालुद्दीन दव्वानी रह्मतुल्लाहि अलैहि ने जो कबीरा गुनाह नक़ल किये हैं उनमें से कुछ ये हैं–

शिर्क करना साथ अल्लाह के चाहे उसकी ज़ात में किसी को शरीक करे या इबादत या इस्तिआ़नत में (यानी मदद मांगने में) या इल्म में या कुदरत में या तसर्रुफ़ में या पैदा करने में या पुकारने में या कहने में या नाम रखने में या नज़्र मानने में या लोगों का काम सौंपने में यानी जैसे अल्लाह को सब के काम सुपुर्द हैं वैसे औरों को भी जाने।

हवाला – मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 39 किताबुल ईमान, कबीरा गुनाहों का बयान।

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि रसूले मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया–

हर पैग़म्बर के लिए एक मक़बूल दुआ होती है और मैंने अपनी उम्मत की शफ़ाअत के लिए अपनी दुआ छिपा रखी है और यह शफ़ाअत इन्शाअल्लाह उसको नसीब होगी जो मेरी उम्मत में से इस हाल में मरा कि अल्लाह तआला के साथ उसने किसी को शरीक न किया हो।

हवाला –1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 347, हदीस 1450, दुआ का बयान,
2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 41, हदीस 176, बाब 69, किताबुल ईमान।

कुरआन करीम के दूसरे पारे में सूरः बक़रः के बीसवें रुकूअ में आयत न० 165 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह तआला के सिवा दूसरों को उसका हमसर बनाते हैं।

यानी खुदाई की ज़ो सिफ़तें अल्लाह के लिए ख़ास हैं उनमें से कुछ सिफ़तों को दूसरों से जोड़ देते हैं और खुदा होने की हैसियत से बन्दों पर अल्लाह के जो हक़ हैं वे सब या उनमें से कुछ हक़ ये लोग उन दूसरे बनावटी माबूदों को अदा करते हैं जेसे असबाब के सिलसिले पर हुक्मरानी, हाजतरवाई, मुश्किल कुशाई, फ़रियादरसी दुआएं सुनना, ग़ैब की हर चीज़ को जानना, ये सब अल्लाह की ख़ास सिफ़तें हैं और यह सिर्फ़ अल्लाह ही का हक़ है। उसी के सामने बन्दगी के एतराफ़ में सर झुकाएं उसी से अपनी हाजतें मांगें, उसी को मदद के लिए पुकारें उसी पर भरोसा करें, उसी से उम्मीदें रखें और उसी से ज़ाहिर व बातिन में डरते रहें।

हज़रत सय्यिदिना अब्दुल क़ादिर जीलानी रह्मतुल्लाहि अलैहि यानी बड़े पीर साहब फ़रमते हैं–

कलिमा 'लाइला-हइल्लल्लाहु' को सिर्फ़ लफ़्ज़ से नहीं बल्कि उसको इख़्लास से कह कर अपने शैतानों को कमज़ोर बनाओ, तौहीद इंसान व जिन्न दोनों क़िस्म के शैतानों को जला देती है क्योंकि वह नारी है शैतानों के लिए और नूर है तौहीद वालों के लिए तू लाइला-हइल्लल्लाह किस तरह कहता है? हालांकि तेरे दिल में क्या कुछ माबूद भरे हुए हैं अल्लाह के सिवा हर चीज़, जिस पर तू एतमाद और भरोसा कर ले वह तेरा बुत है दिल के मुश्रिक होने पर ज़ुबान की तौहीद तुझको मुफ़ीद न होगी।

हवाला – फ़ुयूज़े यज़दानी, पृ० 206, मज्लिस 38।

हज़रत शाह वली युल्लाह साहब मुहद्दिस देहलवी रह्मतुल्लाहि अलैहि ने लिखा है कि शिर्क शरीअत में इसको कहते हैं कि जो सिफ़तें ख़ास अल्लाह की हैं वह उसके ग़ैर में साबित करे यानी जैसा अल्लाह तआला को हर चीज़ का इल्म है और का इल्म भी ऐसा ही जाने या जैसा अल्लाह को क़ादिर जानता है हर चीज़ पर ऐसा ही और को भी जाने या जैसा वह तसर्रुफ़ रखता है आलम में साथ इरादा अपने के वैसा और को भी जाने।

हवाला – मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 41, किताबुल ईमान।

क़ुरआन करीम के इक्कीसवें पारे में सूर: रूम के चौथे रुकूअ में आयत न० 40 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – अल्लाह वह है जिसने तुमको पैदा किया फिर तुम को रोज़ी दी फिर तुम को मौत देता है फिर तुम को ज़िन्दा भी करेगा। क्या तुम्हारे ठहराये हुए माबूदों में कोई ऐसा है जो इन कामों में से कोई एक काम भी करता हो पाक है वह अल्लाह उस शिर्क से जो ये लोग करते हैं।

इंसान नंगा भूखा दुनिया में आता है एक छिलका भी उसके बदन पर नहीं होता फिर रब ही उसे रोज़ी देता है वह इस हयात के बाद तुम्हें मार डालेगा फिर क़ियामत के दिन ज़िन्दा कर देगा ख़ुदा के सिवा तुम जिन-जिन की इबादत कर रहे हो उनमें से एक भी इन बातों में से किसी एक पर क़ाबू नहीं रखता, उन कामों में से एक भी कोई नहीं कर सकता, अल्लाह सुब्हानहू तआला ही अकेला पैदा करने वाला, रोज़ी देने वाला और मौत ज़िन्दगी का मालिक है वही क़ियामत के दिन तमाम मख़्लूक़ को जिला देगा, उसकी मुक़द्दस मुनज़्ज़ह मुअज़्ज़म और इज़्ज़त व जलाल वाली ज़ात इससे पाक है कि कोई उसका शरीक हो या उस जैसा हो या उसके बराबर हो या उसकी औलाद हो या मां-बाप हों वह अहद है समद है फ़र्द है मां-बाप से औलाद से पाक है उसकी मिस्ल का कोई नहीं।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 21, पृ० 33, सूर: रूम के चौथे रुकूअ की तफ़्सीर में।

अल्लाह तआला फ़रमा रहा है हम ही तुम को पैदा करते हैं हम ही तुम को रोज़ी देते हैं हम ही तुम्हें मौत देते हैं हम ही तुम्हें दोबारा हश्र के मैदान में ज़िन्दा करेंगे। अब तुम लोग

जिन-जिन को पूजते या पुकारते हो वे पीर हों या पैग़म्बर, फ़रिश्ते हों या जिन्न या शैतान या मख़्लूक़ में से कोई भी हो उनमें से कोई एक भी ऐसा है जो तुम्हें पैदा भी करे फिर तुम्हें रोज़ी भी दे फिर तुम्हें मौत भी दे फिर तुम्हें हश्र के मैदान में (यानी क़ियामत के दिन) ज़िन्दा भी करे है कोई? अगर है तो बताओ? वह कौन है? और अगर नहीं है तो फिर तुम जिन-जिन को नज़्र व नियाज़ हलवा-मलीदा, खिचड़ा, शर्बत चढ़ा रहे हो या तीजा, दसवां, बीसवां, गयारहवीं और बारहवीं करके जिनको वास्ता या वसीला समझ कर पूज रहे हो वे आख़िर हैं किस मरज़ की दवा?

अल्लाह वह है जिसने बग़ैर मां-बाप के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया अल्लाह वह है जिसने बग़ैर मां के दादी हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा को बनाया अल्लाह वह है जिसने बग़ैर बाप के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया और तुमने जिन जिन को ख़ुदाई दर्जे दे रखे हैं, उन्होंने आख़िर क्या पैदा किया? कुछ बताओ और समझाओ तो सही? या बे समझे ही पूजते रहोगे? इसी का नाम जहालत है यह शरीअत नहीं है समझे मेरे भोले भैया!

हज़रत सैयद अब्दुल क़ादिर जीलानी रह्मतुल्लाहि अलैहि यानी बड़े पीर साहिब फ़रमाते हैं-

ऐ अपने आक़ा की ख़िदमत से भागे हुए गुलाम और ऐ बर्गुज़ीदा अंबिया व मुर्सलीन और नेक बन्दों की राय से हट कर अपनी राए को काफ़ी समझने वालो! और ऐ हक़ तआला को छोड़ कर मख़्लूक़ पर भरोसा रखने वालों! क्या तुमने सुना नहीं कि जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि मलऊन है मलऊन है जिसका भरोसा अपनी जैसी मख़्लूक़ पर हो।

हवाला - फ़ुयूज़े यज़दानी, पृ० 335, मज्लिस 56।

शफ़ाअत

क़ुरआन करीम के पहले पारे में सूरः बक़रः के छठे रुकूअ में आयत न० 48 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - उस दिन से डरते रहो जब कोई किसी को नफ़ा नहीं दे सकेगा और न शफ़ाअत और सिफ़ारिश क़ुबूल होगी और न कोई बदला या फ़िदया लिया जाएगा और न कोई मदद करने वाला होगा।

अल्लाह तआला फ़रमा रहा है कि क़ियामत के दिन से डरो, उस दिन कोई किसी का नहीं होगा कोई किसी की सिफ़ारिश या शफ़ाअत भी नहीं करेगा और न कोई बदला या फ़िदया क़ुबूल किया जाएगा यानी वह दुनिया की अदालत नहीं है कि कुछ दे दिला कर इंसान छुटकारा हासिल कर ले और न कोई किसी की हिमायत और मदद करने वाला मिलेगा, उस दिन का मामला बहुत ही सख़्त होगा।

क़ुरआन करीम के तीसवें पारे में सूरः इन्फ़ितार के पहले रुकूअ में आयत न० 19 में अल्लाह

तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा – जिस दिन कोई आदमी किसी आदमी के लिए किसी चीज़ का मुख़्तार नहीं होगा और सबके सब हुक्म और फ़रमान उस दिन अल्लाह ही के होंगे।

अल्लाह तआला फ़रमा रहा है कि क़ियामत के दिन कोई किसी को कुछ भी नफ़ा नहीं पहुंचा सकेगा और न अज़ाब से नजात दिला सकेगा हां यह बात और है कि किसी को शफ़ाअत करने की इजाज़त खुद खुदावन्द करीम अता फ़रमा दे शफ़ाअत में कामियाबी हासिल करने के लिए कुफ़्र व शिर्क और बिदअतों से रस्म व रिवाज जहालत व ज़िद से मुंह धो ले सीना साफ़ कर ले ईमान के साथ अमली ज़िन्दगी बना ले वरना आपकी यह उम्मीद उम्मीद नहीं है बल्कि शैतानी फ़रेब और नफ़्सानी धोखा है।

मेरे प्यारे दोस्तो! शफ़ाअत की तीन क़िस्में हैं-

1. शफ़ाअते वजाहत, 2. शफ़ाअते मुहब्बत,

3. शफ़ाअते रहमत अब हम आपको मिसाल के तौर पर समझाते हैं-

एक आदमी को चोरी करने की आदत है और उस चोर को बादशाह के क़ानून की कोई परवाह नहीं है उसने चोरी की और इसी हालत में पकड़ा गया और हाज़िर हुआ बादशाह के दरबार में बादशाह दिल से चाहता है कि इस चोर को कुछ सज़ा दे मगर वह चोर बादशाह के दरबार में बैठने वाले अमीर, उमरा या वज़ीर के रिश्तेनाते से था और उन्होंने उस चोर को छोड़ देने के लिए सिफ़ारिश भी की तो बादशाह ने उस चोर को छोड़ दिया इसलिए कि अगर उसको नहीं छोड़ेगा तो अमीर उमरा नाराज़ हो जाएंगे और आगे के लिए सल्तनत को ख़तरा रहेगा इसलिए एक चोर का मामला है छोड़ दो यह नीयत करके उस बादशाह ने उस चोर को छोड़ दिया इसी का नाम है शफ़ाअते वजाहत।

अब अल्लाह के दरबार में शफ़ाअते वजाहत नहीं होगी क्योंकि अल्लाह तआला की बादशाही को कोई ख़तरा नहीं है चाहे जिसको जन्नत में डाले और वह चाहे जिसको जहन्नम में डाले।

दूसरी शफ़ाअते मुहब्बत है। इसकी मिसाल यह है कि एक चोर है और उसने चोरी की और इसी हालत में पकड़ा हुआ बादशाह के दरबार में आया। बादशाह ने चाहा उसको सज़ा दे लेकिन वह चोर बादशाह के महबूब के रिश्ते नाते से था और बादशाह के महबूब ने उस चोर की सिफ़ारिश कर दी। बादशाह ने सोचा कि अगर इस चोर को सज़ा दूंगा तो महबूब नाराज़ हो जाएगा, बहरहाल बादशाह ने उस चोर को छोड़ दिया।

यह शफ़ाअते मुहब्बत भी अल्लाह के दरबार में काम नहीं आएगी, क्योंकि अल्लाह तआला से कोई भी नाराज़ नहीं होगा।

तीसरी शफ़ाअते रहमत है जेसे चोर चोरी करने का आदी नहीं है बादशाह और उसके क़ानून से मुहब्बत है मगर इत्तिफ़ाक़न चोरी का काम उससे हो गया और वह सख़्त परेशान

है और इसी हालत में गिरफ़्तार हो गया और इसी हालत में बादशाह के दरबार में पेश किया गया बादशाह को उसकी हालत, ख़बर देने वाले के ज़रिए से मालूम हो गयी पस इस वजह से बादशाह नहीं चाहता कि उसको सज़ा दे बादशाह ने वज़ीर और अमीर उमरा की तरफ़ इशारा करते हुए फ़रमाया कि बताओ इस चोर के लिए क्या करना चाहिए।

वज़ीर और अमीर व उमरा बादशाह का इशारा समझ गये और खड़े हो कर सिफ़ारिश कर दी कि हुज़ूर यह ग़रीब आदमी है भूल हो गयी। इसको माफ़ कर दिया जाए पस बादशाह ने वह सिफ़ारिश क़ुबूल कर ली और उसको छोड़ दिया।

इसको कहते हैं शफ़ाअते रहमत। पस खुदा के दरबार में यानी क़ियामत के दिन यही शफ़ाअते रहमत होगी मगर खुदा को दुनिया के बादशाहों की तरह ख़बर देने की ज़रूरत नहीं है वह सब का हाल जानता है।

हवाला – पचपन ख़ूबियों वाला क़ुरआन मजीद पृ० 24।

पैग़म्बरों, बुज़ुर्गों, आलिमों, हाफ़िज़ों, आबिदों, उममत के नेक लोगों और दूध पीते बच्चे जो मर गये होंगे, वे सब के सब शफ़ाअत करेंगे, मगर यह शज़ाअत उन लोगों के लिए क़ुबूल करने के क़ाबिल होगी और उन्हीं लोगों के लिए इजाज़त दी जाएगी जिनसे इत्तिफ़ाक़ से गुनाह के काम हो गये होंगे और वे गुनाहगार अपने गुनाह पर शर्मिन्दा होंगे और उनको खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शरीअत से पूरी मुहब्बत होगी पस इस शफ़ाअत का सिलसिला खुद खुदा की तरफ़ से जारी होगा, किसी और की हिम्मत न होगी कि दख़ल दे सके और इजाज़त के बग़ैर कोई शफ़ाअत कर सके।

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शफ़ाअते कुबरा भी इजाज़त के बग़ैर न होगी और वह शफ़ाअत सिर्फ़ उन लोगों के हक़ में मंज़ूर होगी जिनकी निजात के बारे में शफ़ाअत से पहले खुदा-ए-अज़्ज़ व जल्ल की मर्ज़ी उस आदमी को बख़्श देने की हो चुकी होगी।

कुछ लोग बुरे कामों के बदले सज़ा पाकर दोज़ख़ से रिहा होंगे, जो ईमान के साथ दुनिया से गुज़रे थे मगर उनसे बेहतर वे लोग होंगे जो बग़ैर सज़ा के हश्र के मैदान में बख़्श दिये जाएंगे जिनके गुनाह कम होंगे और नेकियां ज़्यादा होंगी। अल्लाह तआला अपने रहम व करम से हमारी और आपकी साथ ही बच्चों और औरतों की गिनती ऐसे नेक और बेहतर लोगों में करे।

(अमीन)

शफ़ाअत बिला इजाज़त ना मुम्किन है देखो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे के लिए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप के लिए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपने मेहरबान चचा अबू तालिब के लिए शफ़ाअत नहीं करेंगे क्योंकि यह शफ़ाअत अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है।

क़ुरआन करीम के तीसरे पारे में सूरः बक़रः के चौंतीसवें रुकूअ में आयत न० 255 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – ऐसा कौन आदमी है जो उसके पास किसी की सिफ़ारिश कर सके बग़ैर उसकी इजाज़त के।

जिस इंसान की शफ़ाअत होगी और जिस हस्ती की तरफ़ से होगी वह अल्लाह तआला की मर्ज़ी के मुताबिक़ होगी। शफ़ाअत उस आदमी की होगी जिन को बख़्शने के लिए अल्लाह ने पहले ही इरादा कर लिया होगा और जिनको बख़्शने का इरादा अल्लाह तआला का नहीं होगा, उनकी कोई आदमी शफ़ाअत करेगा ही नहीं।

क़ुरआन करीम के ग्यारहवें पारे में सूरः यूनुस के पहले रुकूअ में आयत न० 3 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – कोई सिफ़ारिश (यानी शफ़ाअत) करने वाला नहीं, बग़ैर (अल्लाह की) इजाज़त के।

जब तक अल्लाह तआला इजाज़त नहीं देगा सब के सब चुपचाप खड़े होंगे

क़ुरआन करीम के बाईसवें पारे में सूरः सबा के तीसरे रुकूअ में आयत न० 23 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – और खुदा के सामने (किसी की) सिफ़ारिश किसी के काम नहीं आ सकती मगर जिसको (अल्लाह तआला) इजाज़त दे दे।

किसी का मालिक होना या मुख़्तार बनना या मिल्कियत में शरीक होना या मदद करना तो दूर की बात सारी कायनात में कोई ऐसी हस्ती तक पायी नहीं जाती जो अल्लाह के दरबार में किसी के हक़ में अपने आप सिफ़ारिश कर सके। कुछ लोग इस ग़लतफ़हमी में पड़े हुए हैं कि कुछ खुदा के प्यारे ऐसे हैं कि अगर वे अड़ बैठें तो खुदा को उनकी सिफ़ारिश माननी ही पड़ेगी हालांकि वहां हाल यह होगा कि बग़ैर इजाज़त के ज़ुबान तक खोलने की कोई ताक़त नहीं रखता होगा। जिस को इजाज़त मिलेगी, सिर्फ़ वही कुछ अर्ज़ करेगा और जिसके हक़ में इजाज़त मिलेगी उसी के हक़ में सिफ़ारिश की जाएगी दूसरों की शफ़ाअत नहीं होगी।

क़ुरआन मजीद के तीसवें पारे में सूरः नबा के दूसरे रुकूअ में आयत न० 37 38 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – जो मालिक है आसमान का और ज़मीन का और उन चीज़ों का जो इन चीज़ों के दर्मियान में हैं (और जो) रहमान है (और) किसी को उसकी तरफ़ से मुस्तक़िल अख़्तियार न होगा (कि उसके सामने अर्ज़ मारूज़ कर सकें) जिस दिन तमाम रूह और फ़रिश्ते (खुदा के सामने) सफ़ बांधे खड़े होंगे (उस दिन) कोई न बोल सकेगा अलावा उसके जिसको रहमान बोलने की इजाज़त दे दे और वह आदमी बात भी ठीक कहे।

ठीक बात से वह बात मुराद है जिसकी इजाज़त दी गयी हो यानी बोलना भी हद के अन्दर होगा यह नहीं कि जो चाहे बोलने लगे।

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि नबी करीम

सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि-

तुम्हारे किसी के अमल निजात न देंगे।

लोगों ने कहा आप के भी?

आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया हां न मेरे अमल निजाते देंगे मगर यह कि अल्लाह मुझ पर रहम करे। (मुख़्तसर)

हवाला – सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 26, पृ० 318, हदीस 1379, किताबुर्रिक़ाक़,

मतलब यह है कि जन्नत में दाख़िल होना अमल के ज़ोर से ना मुम्किन है, क्योंकि उसमें दाख़िल होने के लिए उसके लायक़ अमल का अदा करना मुश्किल है इस वजह से ख़ुदा की मेहरबानी की ज़रूरत है मगर ख़ुदा की मेहरबानी हुज़ूर सल्ल० की शफ़ाअत हासिल करने के लिए ईमान व अमल शर्त है इस वजह से तमाम क़ुरआन में जन्नत में दाख़िल होने के लिए ईमान व नेक अमल का ज़िक्र है।

क़ुरआन करीम के पांचवें पारे में सूरः निसा के अठारहवें रुकूअ में आयत न० 122 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा – जो लोग ईमान ले आए और नेक अमल किये हम उन को बहुत जल्द ऐसे बाग़ों में दाख़िल करेंगे कि उनके नीचे नहरें जारी होंगी, वे उसमें हमेशा-हमेशा रहेंगे और अल्लाह का वायदा सच्चा है और अल्लाह तआला से ज़्यादा कौन सच्चा हो सकता है?

इस आयते करीमा में ईमान का सवाल पहले है और बाद में अमल का सवाल है। अब सुनिए दूसरी आयते करीमा।

क़ुरआन करीम के पांचवें पारे में सूरः निसा के अठारहवें रुकूअ में आयत न० 124 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा – और जो आदमी कोई नेक अमल करेगा चाहे वह मर्द हो या औरत और ईमान वाला भी हो तो ऐसे लोग जन्नत में दाख़िल होंगे और उन पर ज़रा भी ज़ुल्म न होगा।

इस आयते करीमा में अमल का सवाल पहले है और ईमान का सवाल बाद में है। ईमान व अमल का जोड़ है अमल वही करेगा जिसके पास ईमान होगा और जिसके पास ईमान नहीं होगा वह अमल क्यों करेगा और जो बावजूद ईमान होने के अमल नहीं करते उनकी मिसाल ऐसी है जैसे कि एक इंसान को प्यास लगी है और वह मारे प्यास के पानी-पानी पुकार रहा है और पानी उसके पास मौजूद है मगर पानी पीता नहीं है तो इस तरह उसकी प्यास नहीं बुझेगी पानी को पी लेने से ही प्यास ख़त्म होगी। पानी तो है ईमान और पानी को पी लेना यह हुआ अमल। जब ईमान व अमल का जोड़ हो जाएगा तो प्यास ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह एक आदमी को भूख लगी है और रोटी-रोटी पुकार रहा है रोटी उसके पास रखी हुई है मगर खाता

नहीं है सिर्फ़ रोटी-रोटी पुकार रहा है जब तक रोटी नहीं खायेगा उसकी भूख खत्म नहीं होगी रोटी खाने से ही भूख खत्म हो सकती है रोटी तो है ईमान और जब रोटी खा ली तो यह हुआ अमल। जब ईमान व अमल का जोड़ हो जाएगा तो भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी पस ईमान व अमल का जोड़ है इन दोनों में से एक चीज़ ख़त्म हो जाती है तो दूसरी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। ईमान व अमल और अमल व ईमान अगर ये दोनों सलामत हैं तो इन्शाअल्लाह दुनिया के अज़ाब से मौत के अज़ाब से क़ब्र के अज़ाब से हश्र के अज़ाब से दोज़ख़ के अज़ाब से बच जाएंगे और शफ़ाअत में कामियाब हो जाएंगे। शफ़ाअत में कामियाब होने के लिए ईमान व अमल शर्त है और ईमान लाने के बाद अमल दो क़िस्म का है-

क़ुरआन करीम के छब्बीसवें पारे में सूरः हुजुरात के दूसरे रुकूअ में आयत न० 15 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा -मोमिन तो वही हैं जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान ला चुके हैं फिर शक व शुब्हा नहीं करते और अपने मालों से और अपनी जानों से अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं यही लोग सच्चे हैं।

मुसनद अहमद में है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं-

दुनिया में मोमिन की तीन क़िस्में हैं-

1. वह जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाया शक व शुब्हा न किया और अपनी जान और अपने माल से अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया,

2. वे जिनसे लोगों ने अम्न पा लिया न ये किसी का माल मारें न किसी की जान लें।

3. वे जो लालच की तरफ़ जब झांकते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की याद करते हैं।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 26, पृ० 89, सूरः हुजुरात के दूसरे रुकूअ की तफ़्सीर में।

माल की फिर दो क़िस्में हैं-

क़ुरआन शरीफ़ के अठ्ठाईसवें पारे में सूरः मुनाफ़िक़ून के दूसरे रुकूअ में आयत न० 9 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - ईमान वालो! तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम को खुदा की याद से ग़ाफ़िल न कर दे और जो ऐसा करे तो वे लोग घाटा उठाने वाले हैं।

अल्लाह तआला अपने मोमिन बन्दों को हुक्म देता है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का ज़िक्र किया करें और तंबीह करता है कि ऐसा न हो कि माल व औलाद की मुहब्बत में फंस कर अल्लाह के ज़िक्र से ग़ाफ़िल हो जाओ फिर फ़रमाता है कि जो अल्लाह के ज़िक्र से ग़ाफ़िल हो जाए और दुनिया की ज़ीनत पर रीझ जाए अपने रब की इताअत में सुस्त पड़ जाए, वह अपना नुक़सान आप करने वाला है।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 28, पृ० 76, सूर: मुनाफ़िकून के दूसरे रुकूअ की तफ़्सीर में।

क़ुरआन करीम के अठ्ठाईसवें पारे में सूर: तहरीम के पहले रुकूअ में आयत न० 6 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – ऐ ईमान वालो! तुम अपने आप को और घर वालों को उस आग से बचाओ जिसके ईंधन इंसान और पत्थर है?

हज़रत क़तादा रह्मतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं अल्लाह की इताअत का हुक्म दो और नाफ़रमानियों से रोकते रहो, उनपर अल्लाह का हुक्म क़ायम रखो और उन्हें खुदा के हुक्म बजा लाने की ताकीद करते रहो नेक कामों में उनकी मदद करो और बुरे कामो पर उन्हें डांटों डपटो।

हज़रत ज़ह्हाक रह्मतुल्लाहि अलैहि व मुक़ातिल रह्मतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि अपने रिश्ते कुंबे के लोगों को और अपने लौंडी गुलाम को अल्लाह के फ़रमान बजा लाने की और उसकी नाफ़रमानियों से रुकने की तालीम देता रहे।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 28, पृ० 99, सूर: तह्रीम के पहले रुकूअ की तफ़्सीर में।

ईमान के बाद अमल से महरूम रखने वाली यही दो चीज़ें हैं–

1. एक औलाद, 2. दूसरी दौलत।

पस खुशनसीब हैं वे इंसान जो ईमान लाने के बाद अमल करने में कोताही नहीं करते। यही वे लोग हैं जो खुदा की रहमत और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शफ़ाअत के पहले दर्जे के हक़दार हैं।

क़ुरआन शरीफ़ के पच्चीसवें पारे में सूर: जासिय: के चौथे रुकूअ में आयत 30 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – जो लोग ईमान लाये और नेक अमल करते रहे उनको उनका परवरदिगार अपनी रहमत में दाख़िल करेगा यही सही कामियाबी है।

पस खुदा की मेहरबानी और शफ़ाअत एक इनाम है और ज़ाहिर है कि गुस्ताख़ और नाफ़रमान नौकरों को इनाम नहीं दिया जाता बल्कि फ़रमांबरदारों ही को उनकी इताअत के दर्जे के मुताबिक़ इनाम दिये जाते हैं। पस काफ़िर और साथ ही वे लोग जिन के दिल में अल्लाह तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की लायी हुई शरीअत की इज़्ज़त न हो और गुनाह करने के आदी बन गये हों और मरने से पहले सच्ची और ख़ालिस तौबा से महरूम हो गये हों तो उन पर न खुदा की मेहरबानी होगी और न उनके हक़ में किसी की शफ़ाअत मंज़ूर होगी पस काफ़िर हमेशा के लिए दोज़ख में रहेंगे मगर ऐसे गुनाहगार मुसलमान जो ईमान की सलामती के साथ मरे होंगे वे लोग अपने गुनाहों के बदले में दोज़ख़ की सज़ा भुगत कर छुटकारा पाएंगे और उनकी निजात हो जाएगी।

पस खुशनसीब तो वे लोग हैं जो खालिस तौबा में जल्दी करके नेक अमल पर जोर दे दें क्योंकि ऐसे गुस्ताख़ और नाफ़रमान को खुदा तौबा की तौफ़ीक़ नहीं देता जो इस उम्मीद पर गुनाह करता रहता है कि मौत का वक़्त तो मालूम नहीं और समझता है कि मैं आख़िर में तौबा कर लूंगा और यह भी याद रहे कि खालिस तौबा से खुदा के सब हक़ माफ़ हो जाते हैं मगर बन्दे के हक़ माफ़ नहीं होते वे तो सिर्फ़ अदा करने से या उनसे माफ़ कराने से ही माफ़ होते हैं।

बे-अमल आलिम

क़ुरआन शरीफ़ के पहले पारे में सूरः बक़रः के पांचवें रुकूअ में आयत न० 44 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा – क्या लोगों को भलाईयों का (यानी नेक काम करने का) हुक्म करते हो और खुद अपने आप को भूल जाते हो वाबजूद कि तुम किताब को पढ़ते हो क्या इतनी भी तुम में समझ नहीं?

रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि-

मेराज वाली रात में मैंने देखा कि कुछ लोगों के होंठ आग की कैंचियों से काटे जा रहे हैं। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? तो कहा गया कि आपकी उम्मत के ख़तीब, वाइज़ और आलिम लोग हैं जो दूसरों को भलाई सिखाते थे मगर खुद अमल नहीं करते थे।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया जन्नती लोग जहन्नमियों को देखकर कहेंगे कि तुम्हारी नसीहतें सुन सुन कर हम तो जन्नती हो गये मगर तुम जहन्नम में क्यों आ पड़े हो? वे कहेंगे अफ़सोस! हम तुम को कहते थे लेकिन खुद अमल नहीं करते थे।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 1, पृ० 107, सूरः बक़रः के पांचवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

हदीस – हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को फ़रमाते हुए सुना है कि क़ियामत के दिन एक आदमी को लाया जाएगा और दोज़ख़ में डाल दिया जाएगा उसका पेट फट जाएगा और आंतें बाहर निकल पड़ेंगी और वह उन आंतों को लिए हुए इस तरह घूमता फिरेगा जिस तरह गधा चक्की के गिर्द घूमता है। दोज़खी उसके गिर्द जमा हो जाएंगे और पूछेंगे ऐ फलां आदमी! तुझ को क्या हुआ तू तो नेक कामों की हिदायत किया करता था और बुरे कामों से मना किया करता था। वह कहेगा हां ऐसा ही था लेकिन मैं दूसरों को नेक कामों की हिदायत किया करता था और खुद अमल न करता था दूसरों को बुरी बातों से रोकता था और खुद उनको अमल में न लाता था।

हवाला –1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 29, पृ० 468, हदीस 1976, फ़ित्ने का बयान,

2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 253, हदीस 1218, बाब 520 जोह्द का बयान,
3. मिश्कात शरीफ़ जिल्द 2, पृ० 735, हदीस 4883, अम्र बिल मारूफ़ का बयान,
4. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 189, अम्र बिल मारूफ़ का बयान,
5. तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 1, पृ० 108, सूरः बक़रः के पांचवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

क़ुरआन करीम के अठठाईसवें पारे में सूरः सफ़्फ़ के पहले रुकूअ में आयत न० 1, 2 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – ऐ ईमान वालो! तुम वह बात क्यों कहते हो जो खुद नहीं करते। तुम जो न करो, उस का कहना खुदा को सख़्त ना पसन्द है।

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया–

मुनाफ़िक़ की तीन आदतें होती हैं–

1. जब वायदा करे, ख़िलाफ़ करे,
2. जब बात करे, झूठ बोले,
3. जब अमानत दिया जाएं ख़ियानत करे।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 28, पृ० 54, सूरः सफ़्फ़ के पहले रुकूअ की तफ़्सीर में।

हदीस – हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है–

मेराज की रात में मेरा गुज़र ऐसे लोगों पर हुआ, जिन की ज़ुबानें कैंचियों से काटी जा रही थीं। मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा ये आपकी उम्मत के ख़तीब (वाज़ कहने वाले लेक्चरर) हैं जो ऐसी बातें कहते थे जिन पर खुद अमल नहीं करते थे।

हवाला –1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 698, हदीस 4563, बयान और शेअ़र का बाब,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 89, बयान और शेअ़र का बाब।

क़ुरआन करीम के पहले पारे में सूरः बक़रः के दसवें रुकूअ में आयत न० 86 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है

तर्जुमा – ये वे लोग हैं जिन्होंने दुनिया की ज़िन्दगी को आख़िरत के बदले मोल लिया है इनसे न तो अज़ाब हल्के होंगे और न उनकी मदद की जाएगी।

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया,

जिससे कोई इल्मे दीन की बात पूछी गयी जिसको उसने जान लिया (यानी वह आलिम

जिससे कोई बात पूछी जा रही है वह उस बात को जानता है) मगर बावजूद जानने के उसको छिपा लिया तो क़ियामत के दिन उसके मुंह में आग की लगाम होगी।

हवाला –1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 103, हदीस 509, इल्म का बयान,
2. मिश्कात शरीफ़ जिल्द 1, पृ० 117, हदीस 210, किताबुल इल्म,
3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 94, किताबुल इल्म।

क़ुरआन करीम के पच्चीसवें पारे में सूरः जासियः के दूसरे रुकूअ में आयत न० 21 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – ये लोग जो बुरे काम करते हैं क्या यह ख़्याल करते हैं कि हम उनको उन लोगों के बराबर रखेंगे जिन्होंने ईमान और नेक अमल अख़्तियार किया कि इन सब का जीना और मरना एक सा हो जाए ये बुरा हुक्म लगाते हैं।

अल्लाह तआला फ़रमाता है कि कुफ़्र और बुराई वाले, ईमान और अच्छाई वाले मौत और ज़िन्दगी, दुनिया में और आख़िरत में बराबर हो जाएं। यह तो हमारी ज़ात और हमारी अद्ल की सिफ़त के साथ पहले दर्जे की बद गुमानी है।

हज़रत अबूज़र रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि चार चीज़ों पर अल्लाह तआला ने अपने दीन की बुनियाद रखी है जो उनसे हट जाए और उन पर आमिल न रहे वह खुदा से (फ़ासिक़ होकर) मुलाक़ात करेगा। पूछा गया कि वे चार चीज़ें क्या हैं?

फ़रमाया यह कामिल अक़ीदा रखे कि हराम व हलाल हुक्म और मुमानिअत ये चारों सिर्फ़ अल्लाह के अख़्तियार में हैं। उसके बताये हुए हलाल को हलाल, उसके हराम बताये हुए को हराम मानना, उसके हुक्मों को तामील के क़ाबिल और तसलीम करने के लायक़ जानना, उसके मना किये हुए कामों से बाज़ आ जाना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमान है कि जिस तरह बबूल के पेड़ से अंगूर पैदा नहीं हो सकते, इसी तरह बदकार लोग नेककारों का दर्जा हासिल नहीं कर सकते।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 25, पृ० 63, सूरः जासियः के दूसरे रुकूअ की तफ़्सीर में।

हज़रत उम्मे फ़ज़्ल रज़ियल्लाहु अन्हा का बयान है कि मक्का मुकर्रमा में एक रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खड़े हो गये और ऊंची आवाज़ में फ़रमाने लगे–

लोगों! क्या मैंने खुदा की बातें तुम तक पहुंचा दीं? लोगों! क्या मैंने तब्लीग़ कर दी? लोगों! क्या मैं वह्दानियत और रिसालत पहुंचा चुका?

हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाने लगे हां हुज़ूर! बेशक आपने खुदा का दीन हमें पहुंचा दिया।

फिर जब सुबह हुई तो आपने फ़रमाया–

सुनो खुदा की क़सम! इस्लाम ग़ालिब होगा और खूब फैलेगा यहां तक कि कुफ़्र अपनी जगह जा छिपेगा। मुसलमान इस्लाम को लेकर समुद्रों को चीरते-फाड़ते निकल जाएंगे और इस्लाम को फैलाएंगे। याद रखो, वह ज़माना भी आने वाला है कि लोग क़ुरआन को सीखेंगे और पढ़ेंगे (फिर तकब्बुर और खुदबीनी के तौर पर) कहने लगेंगे कि हम क़ारी हैं हम आलिम हैं कौन है जो हमसे बढ़ चढ़ कर है? क्या उन लोगों में कुछ भी भलाई होगी?

लोगों ने पूछा हुज़ूर! वे कौन लोग हैं?

आपने फ़रमाया कि वे तुम ही मुसलमानों में से होंगे, लेकिन यह ख़्याल रहे कि वे जहन्नम के ईंधन हैं (यानी जहन्नम ऐसे इल्म वाले लोगों से सुलगायी जाएगी)

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 3, पृ० 47, सूरः आले इम्रान के दूसरे रुकूअ की तफ़्सीर में।

क़ुरआन करीम के पच्चीसवें पारे में सूरः जासियः के तीसरे रुकूअ में आयत न० 23 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – क्या आपने उस आदमी की हालत भी देखी जिसने अपना खुदा अपने नफ़्स की ख़्वाहिश को बना रखा है और अल्लाह तआला ने उसको बावजूद समझबूझ के गुमराह कर दिया है। (यानी इल्म के होते हुए भी अल्लाह तआला ने उसको गुमराह कर दिया है) और अल्लाह तआला ने उसके कान और दिल पर मुहर लगा दी है और उसकी आंख पर परदा डाल दिया है तो ऐसे आदमी को बाद खुदा के (यानी खुदा जिसे गुमराह कर दे उसे) अब कौन हिदायत कर सकता है? क्या तुम फिर भी नहीं समझते?

अल्लाह तआला फ़रमाता है कि तुमने देखा भी है जो अपनी ख़्वाहिशों को खुदा बनाये हुए है जिस काम की तरफ़ तबियत झुकी, कर डाला और जिससे दिल रुका छोड़ दिया। उसके कानों पर मुहर है नफ़ा देने वाली शरीअत की बात सुनता ही नहीं। उसके दिल पर मुहर है हिदायत की बातें उसके दिल पर उतरती ही नहीं उसकी आंखों पर परदे हैं कोई दलील उसे दिखती ही नहीं। अब भला अल्लाह के बाद उसे कौन राह दिखाये? क्या तुम इबरत हासिल नहीं करते?

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 25 पृ० 64, सूरः जासियः के तीसरे रुकूअ की तफ़्सीर में।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया–

मेरी उम्मत में ऐसे-ऐसे लोग भी होंगे जिनकी रग-रग में इस तरह नफ़्सानी ख़्वाहिश घुस जाएगी जिस तरह कुत्ते का काटा हुआ इंसान एक एक रग में और एक-एक जोड़ में उसका असर महसूस करता है।

हवाला –1. तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 4, पृ० 11, सूरः आले इम्रान के ग्यारहवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 79, किताबुल ईमान।

क़ुरआन करीम के उन्नीसवें पारे में सूर: फ़ुर्कान के चौथे रुकूअ में आयत न० 43-44 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा – क्या तूने उसे भी देखा है जिसने अपने नफ़्स की ख़्वाहिश को खुदा बना लिया है क्या तू उसका ज़िम्मेदार हो सकता है क्या तू इसी ख़्याल में है कि उनमें अक्सर सुनते हैं या समझते हैं? ये तो जानवरों की तरह हैं बल्कि उनसे भी गये गुज़रे हैं।

हदीस – हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया इस आसमान के नीचे अल्लाह के सिवा जितने भी माबूद पूजे जा रहे हैं उनमें अल्लाह के नज़दीक सबसे बुरा माबूद नफ़्स की ख़्वाहिश है हिसकी पैरवी की जा रही है।

हवाला – तबरानी।

जो आदमी अपनी ख़्वाहिश को अक़्ल के ताबेअ रखता हो और अक़्ल से काम लेकर फ़ैसला करता हो कि उसके लिए सही रास्ता कौन है और ग़लत कौन सा है ऐसा इंसान अगर किसी क़िसम के शिर्क या कुफ़्र में फंस जाए तो उसको समझा कर सीधे रास्ते पर ला सकते हैं लेकिन नफ़्स का बन्दा और ख़्वाहिशों का गुलाम एक बे-नकेल का ऊंट है उसको तो उस की नफ़्स की ख़्वाहिश जिधर ले जाएगी वह उधर ही जाएगा नफ़्स की ख़्वाहिशों की पैरवी करने वाले को इसकी परवाह नहीं होती कि सही क्या है और ग़लत क्या है हक़ क्या है और बातिल क्या है?

जिस तरह भेड़ बकरियों को यह पता नहीं होता कि हांकने वाला उनको चरागाह की तरफ़ ले जा रहा है या क़साइवाड़े की तरफ़ वे तो आंखे बन्द करके हांकने वाले के पीछे चलती रहती हैं इसी तरह ज़्यादातर लोग अपनी नफ़्स की ख़्वाहिशों और गुमराह लीडरों या गुमराह पीरों या गुमराह मौलवियों या गुमराह मुजाविरों या गुमराह चौधरियों के इशारों पर आंखें बन्द किये चले जा रहे हैं वे कुछ भी नहीं जानते कि उनको फ़लाह की तरफ़ लिये जा रहे हैं या बर्बादी की तरफ़ इस हद तक तो उनकी हालत भेड़ बकरियों की मिसाल पर है लेकिन भेड़ बकरियों को खुदा ने अक़्ल और समझ नहीं दी है वे अगर चरवाहे और क़साई में फ़र्क़ नहीं कर सकतीं तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है क्योंकि उनमें अक़्ल नहीं है लेकिन अफ़सोस है इंसानों पर जिनको अल्लाह तआला ने अक़्ल और समझ की नेमत दी है फ़िर भी भेड़ बकरियों की तरह अंधी तक़्लीद करते हैं और अक़्ल व समझ से कुछ भी काम नहीं लेते।

हज़रत सय्यिदिना अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैहि यानी बड़े पीर साहब फ़रमाते हैं-

अल्लाह तआला की बुर्दबारी से धोखा मत खा क्योंकि उसकी पकड़ बहुत सख़्त है उन मौलवियों से जो हक़ तआला से जाहिल हैं धोखा मत खा कि उनका सारा इल्म उनके ऊपर वबाल है नफ़ा देने वाला नहीं। ये अल्लाह तआला के सिर्फ़ हुक्मों के आलिम हैं और खुदा की ज़ात से जाहिल हैं लोगों को एक काम का हुक्म कर देते हैं मगर खुद उसको नहीं करते उनको एक काम से मना करते हैं मगर खुद उनसे बाज़ नहीं आते दूसरों को अल्लाह तआला

की तरफ़ बुलाते हैं और खुद उससे भागते हैं।

हवाला – फ़ुयूज़े यज़दानी, पृ० 79, मज्लिस 11।

मेरे प्यारे दोस्त! आप इतना नहीं समझते कि अंबिया और ख़ास तौर से नबियों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और आपके असहाब रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन मारफ़त के तमाम दर्जे तै कर चुके थे और खुद इल्म व इरफ़ान में सब दुनिया से कामिल थे रब की सिफ़ात और ज़ात का सबसे ज़्यादा इल्म रखते थे। इसके बावजूद सबसे ज़्यादा खुदा की इबादत करते थे और रब की इताअत में तमाम दुनिया से ज़्यादा मशगूल थे और दुनिया में आखिरी दम तक उसी में लगे रहे और अल्लाह से डरते रहे।

ऐ मेरे अज़ीज़! आपको क्या हो गया है? आप दीन की नसीहत और खुदा की इबादत को छोड़कर अपनी ज़िद और नफ़्सानियत पर अड़े हुए हैं शरीअत को छोड़ कर जहालत पर अड़े हुए हैं और अमल से ग़ाफ़िल हैं।

क़ुरआन मजीद के तेईसवें पारे में सूरः ज़ुमर के दूसरे रुकूअ में आयत न० 13 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है।

तर्जुमा – कह दे कि मुझे तो अपने रब की नाफ़रमानी करते हुए बड़े दिन (यानी क़ियामत) के अज़ाब का डर लगता है।

अल्लाह तआला अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को हुक्म फ़रमाता है कि लोगों में एलान कर दो कि बावजूद इसके कि मैं खुदा का रसूल हूं लेकिन अज़ाबे इलाही से बे-खौफ़ नहीं हूं। अगर मैं अपने रब की नाफ़रमानी करूं तो क़ियामत के दिन अज़ाबों से मैं भी नहीं बच सकता, तो दूसरे लोगों को अल्लाह तआला की नाफ़रमानी करने से ज़्यादा डरना चाहिए।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 23, पृ० 80, सूरः ज़ुमर के दूसरे रुकूअ की तफ़्सीर में।

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जिसको उसके अमल ने पीछे रखा उसको उसका नसब आगे न बढ़ायेगा। (मुख़्तसर)

हवाला – तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 151, हदीस 802, बाबुल क़िरात।

मेरे अज़ीज़ दोस्त! असल चीज़ अमल है नस्ल व नसब कोई चीज़ नहीं। अल्लाह तआला के दरबार में अंधेर नहीं है वहां कोई नाटक, सिनेमा की खिड़की नहीं है कि जाने दो ये शहज़ोर साहब हैं या यह तो पीर साहब हैं या ये तो नवाब साहब हैं या यह तो मौलवी हैं या यह तो सैयद हैं या यह तो सूफ़ी साहब हैं या मस्त या मलंग या शाह साहब हैं। वहां पर क़ियामत के दिन यह लक़ब या नस्ल और नसब सब बेकार हो जाएंगे वहां पर तो सिर्फ़ नेक अमल, जो दुनिया में किये होंगे वे काम आएंगे और उसी से छुटकारा होगा।

मेरे दोस्तो! अल्लाह तआला ने अपने कलाम मजीद में या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व

सल्लम ने किसी हदीस शरीफ़ में यह नहीं फ़रमाया कि सय्यिदज़ादे बख़्श दिये जाएंगे पीर या पीरज़ादे बख़्श दिये जाएंगे या हाफ़िज़ बख़्श दिये जाएंगे या क़ारी साहब बख़्श दिये जाएंगे या मुफ़्ती बख़्शे जाएंगे या मौलवी बख़्शे जाएंगे या वाअ़िज़ीन बख़्शे जाएंगे या अपने आपको मस्त मलंग, दरवेश और सूफ़ी कहलाने वाले बख़्शे जाएंगे दुनिया के मर्तबे और लक़ब कोई हैसियत नहीं रखते असल चीज़ सही अक़ीदा और अमल है। अगर इन दो के साथ लक़ब है जब तो सुब्हानल्लाह! बहुत ही मुबारक लक़ब है और अगर बग़ैर अमल के लक़ब हैं जब तो दुनियावी दग़ा है, नफ़्सानी फ़रेब और शैतानी धोखा है।

कुरआन शरीफ़ के छब्बीसवें पारे में सूर: फ़त्ह के चौथे रुकूअ में आयत नं० 29 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – अल्लाह तआला ने उन लोगों से जो कि ईमान लाए हैं और नेक काम कर रहे हैं मग़्फ़िरत और बड़े अज्र का वायदा कर रखा है।

मुनाज़रा और मुबाहसा इल्म में करना मदद और ताईदे हक़ के वास्ते (यानी ख़ालिस हक़ के लिए हक़ बात की तह्क़ीक़ात के वास्ते मुनाज़रा करना) इबादत है और तीन बातों में से किसी बात के वास्ते मुनाज़रा करना हराम है।

1. मुसलमान को मग़्लूब करने के वास्ते (यानी एक मुसलमान भाई को हराने की नीयत से) मुनाज़रा करना हराम है,

2. अपने इल्म और क़ाबिलियत के इज़्हार करने के वास्ते (यानी लोगों में अपने इल्म की शोहरत और तारीफ़ करने की नीयत से) मुनाज़रा करना हराम है,

3. दुनिया हासिल करने या माल या क़ुबूले ख़लाइक़ के वास्ते मनाज़रा करना हराम है (यानी दुनिया का माल जमा करने और तलब करने की नीयत से या लोगों में अपनी मक़्बूलियत हासिल करने की नीयत से) मुनाज़रा करना हराम है।

हवाला – ग़ायतुल अवतार, उर्दू तर्जुमा दुर्रे मुख़्तार, जिल्द 4, पृ० 244, बाबुल हज़र।

ऐ मेरे अज़ीज़ दोस्त! आपने शायद कोई मुनाज़रा देखा होगा कुछ लोग जो जेब भरु पीर और पेटभरू मौलवी हैं और हक़ीक़त में वे झूठे हैं लेकन अपनी नाक ऊंची रखने के लिए मुनाज़रा करने के वास्ते तैयार हो जाते हैं। इन लोगों को मुनाज़रा करने की ज़रूरत यों होती है कि इन लोगों के ताबेअ ज़्यादातर जाहिल और अपनढ़ लोग होते हैं। जब इन लोगों को अपनी हार नज़र आती है और समझ जाते हैं कि अब बचने का कोई पहलू नज़र नहीं आता तो फौरन कोई ऐसी बात कह डालते हैं जिसकी शरीअत में कोई असल न हो यानी जाहिलों पर अपना

असर डालने के लिए हक़ परस्त आलिम से यह सवाल कर बैठते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो फलां-फ़लां को काफ़िर कहो और वे काफ़िर थे ऐसे दस्तख़त कर दो अब इस बात को एक हक़परस्त आलिम, जिसको अल्लाह तआला ने हिदायत से मालामाल कर रखा हो वह कैसे मान लेगा क्योंकि हनफ़ी मसलक में काफ़िर को भी काफ़िर कहने का हुक्म नहीं है जिसका बयान हम पहले कर चुके हैं वह एक मुसलमान को काफ़िर कैसे कहेगा और ऐसी बेजा बात पर वह कैसे दस्तख़त करेगा। जब वह दस्तख़त करने से इंकार कर देता है और समझदार और बा इल्म इंसान को तो इंकार ही कर देना चाहिए तो फ़ौरन ये जेबभरू पीर और पेटभरू मौलवी जाहिलों पर अपना असर डालने के लिए बोल उठते हैं कि देखो भाई अगर ये सुन्नी होते तो फलां-फलां को काफ़िर ज़रूर कहते। अब तुम्हें मालूम हो गया कि ये सुन्नी नहीं बल्कि वह्हाबी हैं।

बस इतना कहना था कि एक क़ियामत का हंगामा बरपा हो जाता है और जाहिल और अनपढ़ लोग मारने और मरने पर तैयार हो जाते हैं और जेबभरू पीर और पेटभरू मौलवी अपने आप को अच्छी तरह जानते हैं कि हम झूठे और मक्कार हैं फिर भी नफ़्सानियत की ज़िद और दुश्मनी की वजह से या अपनी नाक ऊंची रखने के लिए या जाहिलों पर अपना रौब जमाने के लिए वे हक़ बात को क़ुबूल नहीं करते बल्कि अबू जह्ल की तक़्लीद करके दूसरे मुसलमानों में फ़ित्ना फैला देते हैं और इन बेचारे जाहिल अनपढ़, ग़रीब मुसलमानों को गुमराह भी करते हैं उनके माल नाजायज़ तरीक़ों से खा जाते हैं और हक़ परस्तों के वाज़ भी नहीं सुनने देते, क्योंकि इन ग़रीबों के कान में अगर हक़ की आवाज़ पड़ जाएगी और ये सही तरीक़े पर आ जाएंगे सच्चे मुसलमान हो जाएंगे तो उनकी सरदारियां ख़त्म हो जाएंगी और उनके हदिए, नज़राने सारे के सारे हमेशा के लिए बन्द हो जाएंगे।

यही मेहनत अबूजह्ल की थी, वह मक्का के मुश्रिकों में एलान के साथ इस तरह कहता फिरता था कि जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुबारक ज़ुबान से क़ुरआन करीम की तिलावत को न सुनो और जब क़ुरआन पढ़ा जाए तो तुम लोग थालियां पीटो, तालियां बजाओ, सीटियां बजाओ, ताकि तुम्हारे कान में क़ुरआन करीम की आवाज़ सुनायी न दे, बल्कि तुम्हारीं आवाज़ क़ुरआन पर ग़ालिब आ जाए।

क़ुरआन करीम के चौबीसवें पारे में, सूरः सज्दः के चौथे रुकूअ में आयत न० 26 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा – काफ़िरों ने कहा, इस क़ुरआन को सुनो ही मत और जब यह सुनाया जाए तो इस में ख़लल डालो, शायद कि इस तरह तुम ग़ालिब आ जाओ।

यह मक्का के काफ़िरों के उन मंसूबों में से एक था जिन से वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की दावत और तब्लीग़ को नाकाम करना चाहते थे। उन्हें ख़ूब मालूम था कि क़ुरआन अपने अन्दर किस बला की तासीर रखता है और उसको सुनाने वाला किस पाए का इंसान है और उस शख़्सियत के साथ उसके अदा का तरीक़ा किस दर्जे असर डालने वाला

है। वे समझते थे कि ऐसे ऊंचे रुत्बे वाले आदमी की ज़ुबान से दिल मोह लेने वाले अंदाज़ में इस बेनज़ीर कलाम को जो भी सुनेगा, आख़िरकार क़ायल होकर रहेगा, इसलिए उन्होंने यह प्रोग्राम बनाया कि इस कलाम को न खुद सुनो न किसी को सुनने दो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब भी इसे पढ़ना शुरु करें तो शोर मचाओ तालियां पीटो, आवाज़ें कसो एतराज़ों की बौछार कर दो और इतनी आवाज़ बुलन्द करो कि उनकी आवाज़ इसके मुक़ाबले में दब कर रह जाए। इस तदबीर से वे यह उम्मीद रखते थे कि अल्लाह के नबी को शिकस्त दे देंगे। यही हाल आज हिन्दुस्तान के कुछ मुसलमानों का है जहां कहीं हक़ परस्तों का वाज़ या इज्तिमाअ होता है उसी दिन और उसी रात को ये बातिल परस्त भी कोई न कोई प्रोग्राम रख देते हैं। क़व्वाली कराते हैं, मीलादें पढ़वाते हैं रेडियों को ज़ोर-ज़ोर से बजाते हैं। कहीं-कहीं तो रंडियों के नाच करवा देते हैं इस नीयत से कि कुछ न कुछ मख़्लूक़ रुक ही जाएगी और हक़ परस्तों के जलसे ठंडे पड़ जाएंगे। ये सारी मेहनतें बातिल को निभाने के लिए की जाती हैं और भोले जाहिल और अनपढ़ मुसलमानों को समझाया जाता है कि अगर तुम इन हक़परस्तों के वाज़ या इज्तिमाअ में जाओगे तो तुम्हारा ईमान चला जाएगा।

क़ुरआन करीम के नवें पारे में सूरः अन्फ़ाल के पहले रुकूअ में आयत न० 2 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा – सच्चे ईमान वाले तो वे लोग हैं जिनके दिल अल्लाह का ज़िक्र सुन कर कांप जाते हैं और जब अल्लाह की आयतें (यानी क़ुरआन करीम) उनके सामने पढ़ी जाती है तो उनका ईमान बढ़ जाता है और वे अपने रब पर ही तवक्कुल करते हैं।

मुनाफ़िक़ जब नमाज़ का फ़र्ज़ अदा करते हुए दिखायी देते हैं तो क़ुरआन की आयतें ज़र्रा भर उनके दिल पर असर नहीं करतीं न अल्लाह की आयतों पर ईमान लाते हैं न खुदा पर तवक्कुल करते हैं न नमाज़ पढ़ते हैं जबकि घर में होते हैं न अपने माल की ज़कात देते हैं अल्लाह तआला खबर देता है कि मोमिन ऐसे नहीं होते मोमिनों की खूबी इस आयत में यों बयान फ़रमाता है जब ये क़ुरआन पढ़ते हैं तो खुदा के डर से उनके दिल कांप उठते हैं जब आयतें उनके सामने तिलावत की जाती हैं तो तसदीक़ करने की वजह से उनका ईमान और बढ़ जाता है और वे खुदा के सिवा किसी दूसरे पर भरोसा करते ही नहीं।

मोमिन की हक़ीक़ी पहचान यही है कि किसी मामले में खुदा का नाम बीच में आ गया तो उनके दिल कांप उठते हैं वे उसके हुक्म की तामील करते हैं और उसकी मना की हुई बातों से बाज़ रहते हैं।

हवाला– तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 9 पृ० 72 सूरः अंफ़ाल के पहले रुकूअ की तफ़्सीर में।

अल्लाह का फ़रमान तो यह है कि जब क़ुरआन करीम सुनाया जाता है तो ईमान ताज़ा और मज़बूत हो जाता है और यह जेबभरू पीर और पेटभरू मौलवी कहते हैं कि तुम क़ुरआन करीम को न सुनो, वरना तुम्हारा ईमान चला जाएगा, हक़परस्तों का ईमान तलवारों की छांवों

में और तीरों की बौछारों में भी नहीं गया वह हक़ बात सुनने से कैसे चला जाएगा, ये लोग शराब पीने से नहीं रोकते चोरी करने से नहीं रोकते, जुआ खेलने से नहीं रोकते, सिनेमा देखने से नहीं रोकते, रस्म व रिवाज से नहीं रोकते, कुफ़्र व शिर्क और बिदअतों से नहीं रोकते, जितना कि हक़परस्तों के वाज़ सुनने से और तब्लीग़ी जमाअत के इज्तिमाअ से रोकते हैं।

बहरहाल यह अबू जह्ल की तक़्लीद हो रही है अबू जह्ल इस तरह क्यों मेहनत कर रहा था इसकी वजह क्या थी सिर्फ़ यही कि अगर मक्का वाले क़ुरआन को सुन लेंगे, तो यक़ीनन ये लोग मुसलमान हो जाएंगे और हमारी सरदारी ख़त्म हो जाएगी और हुआ भी यही। आख़िर मक्का वालों के कानों में क़ुरआन करीम की आवाज़ आ गयी और वह सच्चे मुसलमान हो गये और अबू जह्ल ईमान से महरूम रह गया।

यही तरीक़ा इन जेबभरू पीरों और पेटभरू मौलवियों का है।

ये कहते हैं कि देवबन्दी आलिमों का वाज़ न सुनो! तब्लीग़ी जमाअत वालों की बात न सुनो! वरना तुम्हारा ईमान चला जाएगा। इतनी जद्दो जहद करने के बावजूद भी हज़ारों की तादाद में तब्लीग़ी जमाअत में लग गए और लाखों की तादाद में उलेमा-ए-देवबन्द के अक़ीदतमंद हो गये लेकिन ये जेबभरू पीर और पेटभरू मौलवी हिदायत से महरूम ही रह गये। वही अबू जह्ल की तक़्लीद है जो पहले थी। ये लोग ग़रीब अनपढ़ और भोले लोगों को वाज़ सुनने से मना करते हैं उनसे क़स्में भी ली जाती हैं उनसे हाथ उठवाये जाते हैं उनसे इक़रार कराया जाता है कि अब आप लोग हक़परस्तों का वाज़ नहीं सुनेंगे लेकिन वह खुद देवबन्दी आलिमों का वाज़ छिप कर बड़े मज़े से सुनते हैं और तबेग़ी जमाअत के इज्तिमाअ में चोरी चोरी आते हैं यह भी अबू जह्ल की तक़्लीद है।

एक बार अबू जह्ल के दिल में यह ख़्याल आया कि जो आदमी क़ुरआन सुनता है वह मुसलमान हो जाता है आख़िर इस क़ुरआन में ऐसी कौन सी बात है इसलिए वह भी रात को क़ुरआन सुनने की ग़रज से अंधेरे में छिपता-छिपता गया उसी रात को अबू सुफ़ियान बिन सख़्र को यही ख़्याल आया और वह भी उसी रात को अंधेरे में छिपता-छिपता गया। उसी रात को अख़्नस बिन शुरैक़ को भी यही ख़्याल आया वह भी उसी रात को अंधेरे में छिपता-छिपता गया, सुबह सादिक़ से पहले ये तीनों वहां से चल दिये उनमें से किसी को एक दूसरे की खबर न थी इत्तिफ़ाक़ से तीनों एक जगह पर मिल गये। हर एक दूसरे से पूछने लगा कि तू कहां गया था? सब ने इक़रार कर लिया कि क़ुरआन सुनने गये थे आपस में एक दूसरे से कहने लगे कि हम दूसरों को तो क़ुरआन सुनने से मना करते हैं और खुद छिप-छिप कर सुनते हैं। अगर दूसरे लोगों को खबर हो गयी कि हम छिप कर क़ुरआन सुनते हैं तो वे सब लोग सुनने लग जाएंगे और जब क़ुरआन सुनेंगे और बात उनकी समझ में आ जाएगी तो सब के सब मुसलमान हो जाएंगे और हमारी सरदारियां ख़ाक में मिल जाएंगी इसलिए हम क़सम खा लें कि अब दूसरी बार क़ुरआन सुनने को नहीं जाएंगे।

दूसरी रात आयी तो अबू जह्ल करवटें बदल रहा है। उसको नीद नहीं आती। ख़्याल हुआ कि उन लोगों ने तो क़सम खायी है इस वजह से नहीं आएंगे, मैं तो चल कर सुनूं! यही ख़्याल अबू सुफ़ियान और अख़्नस को भी हुआ और दूसरी रात को भी उन तीनों ने छिप कर क़ुरआन करीम को सुना। सुबहे सादिक़ से पहले-पहले ये तीनों उठ कर चल दिये। इत्तिफ़ाक़ से फिर एक जगह पर मिल गये। एक दूसरे के पूछने पर कहा कि हम क़ुरआन सुनने गये थे तो कहने लगे लो हम पर भी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का जादू चल गया। कल हमने क़समें खायी थी फिर भी आ गये। अब हलफ़ उठा कर क़सम खाओ कि आइंदा क़ुरआन सुनने नहीं जाएंगे।

अल्लाह की शान देखिए कि तीसरी रात को भी अबू जह्ल को नींद नहीं आयी। दिल में सोचा कि आज तो उन्होंने हलफ़ उठा कर क़सम खायी है इसलिए यक़ीनन नहीं आएंगे मैं तो जाकर सुनूं। यही हाल उन दोनों का हुआ। रात भर क़ुरआन करीम को सुना और सुबह सादिक़ से पहले पहले रवाना हो गये और उसी जगह पर फिर तीनों मिल गये। फिर तो एक दूसरे पर लान तान करते हुए अपने अपने घर चले गये।

सुबह को अख़्नस तंहाई में अबू जह्ल से मिला और कहने लगा, सच बताओ, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तुम्हारे नज़दीक सच्चे हैं या झूठे? देखो यहां पर मेरे और तुम्हारे सिवा और कोई नहीं, दिल की बात मुझ से न छिपाना।

उसने कहा, जब यही बात है तो सुनो! क़सम ख़ुदा की मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बिल्कुल सच्चे हैं और यक़ीनन सादिक हैं उम्र भर में किसी छोटी सी छोटी बात में कभी आप झूठ नहीं बोले।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 7, पृ० 56, सूरः अन्-आम के चौथे रुकूअ की तफ़्सीर में।

हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि अबू जह्ल ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अर्ज़ किया कि हम आपको झूठा नहीं कहते, हम तो उस चीज़ को झुठलाते हैं जिसको आप लाये हैं (यानी क़ुरआन करीम को)

हवाला –1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 851, हदीस 5555, अख़्लाक़ व आदात का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 498, अख़्लाक़ व आदात का बयान।

हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि अबू जह्ल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कहा कि हम आपको नहीं झुठलाते, बल्कि आप जो दीन पेश करते हो उसको झुठलाते हैं।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा, 7, पृ० 56, सूरः अन्-आम के चौथे रुकूअ की तफ़्सीर में।

अबू जह्ल के इन लफ़्ज़ों पर कि हम आपको नहीं झुठलाते बल्कि आप जिस को पढ़कर सुनाते हैं यानी क़ुरआन करीम को झुठलाते हैं इस पर आयते करीमा नाज़िल होती है-

कुरआन करीम के सातवें पारे में सूरः अनआम के चौथे रुकूअ में आयत न० 33 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा – हमें मालूम है कि जो बातें ये लोग कहते हैं उनसे तुम्हें रंज होता है लेकिन ये लोग तुम्हें नहीं झुठलाते बल्कि ये ज़ालिम तो मेरी आयतों को झुठलाते हैं।

क़ुरआन करीम की सच्चाई को जिसने भी सुन लिया उसके दिल ने एहसास कर लिया कि यह हक़ की आवाज़ है मगर ज़िद और जहालत की वजह से लोग हिदायत से महरूम रह जाते हैं।

कल्दा बिन उसैद बिन खल्फ़, यह बड़ा घमंडी था और साथ ही बड़ा ताक़तवर था। यह गाय के चमड़े पर खड़ा हो जाता, फिर दस ताक़तवर आदमी मिल कर उस चमड़े को उसके पांव के नीचे से निकालना चाहते तो खाल के टुकड़े हो जाते और उसके क़दम हिलते भी नहीं थे। यही आदमी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सामने आकर कहने लगा कि आप मुझसे कुश्ती लड़ें। अगर आपने मुझे गिरा दिया तो मैं आपकी बात और नुबुव्वत को मान लूंगा। चुनांचे हुज़ूर ने उससे कुश्ती लड़ी और कई बार उसको गिरा दिया लेकिन उसे ईमान लाना नसीब न हुआ।

हवाला – तफ़सीर इब्ने कसीर, पारा 29, पृ० 65, सूरः मुद्दस्सिर के पहले रुकूअ की तफ़सीर में।

मेरे दोस्तो! जिसकी क़िस्मत में हिदायत नहीं होती, उसके लिए कोई पहलू भी हिदायत का ज़रिया नहीं बन सकता और वह अपनी हार को भी जीत समझने लगता है और ऐसे ही लोग खुद भी गुमराह हैं और बेचारे ग़रीब और अनपढ़ लोगों को भी गुमराह करते हैं मगर उन लोगों के सामने हक़परस्त बन्दे क़ियामत तक इन्शाअल्लाह बाक़ी रहेंगे।

हदीस – हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया,

मुझे अपनी उम्मत के बारे में गुमराह करने वाले इमामों ही का डर है और मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक़ पर रहेगा और ग़ालिब होकर रहेगा। उनका साथ छोड़ने वाले (यानी उनसे दुश्मनी करने वाले) उनका कुछ न बिगाड़ सकेंगे। और यह सिलसिला क़ियामत तक रहेगा।

हवाला –1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 20, हदीस 96, फ़ित्ने का बाब,
2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 772, हदीस 5132, फ़ित्ने का बाब,
3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 296, किताबुल फ़ितन।

हदीस – हज़रत कअब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि-

जिसने इल्म इस ग़र्ज़ से हासिल किया कि उसके ज़रिए उलेमा से फ़ख़्र और मुक़ाबला करे या उसके ज़रिए बेवकूफ़ों से झगड़ा और बहस करे और उसके ज़रिए से लोगों को अपनी तरफ़ माइल करे, तो अल्लाह तआला उसको दोज़ख़ में दाख़िल करेगा।

हवाला –1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 104, हदीस 514, इल्म का बयान,

2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 117, हदीस 211, इल्म का बयान,
3. मज़ाहिरे हक़ जिल्द 1, पृ० 94, इल्म का बयान।

एक वह इल्म, जिसमें कोई ऐसा नफ़ा नहीं है जिसको जानने वाला आख़िरत में ले जावे और वह इल्म जदल और मनाज़रात है (यानी झगड़े का इल्म) पस ऐसे इल्म की तरफ़ मशगूल होना एक ऐसी चीज़ के वास्ते उम्र बर्बाद करना है जिसका आख़िरत में कुछ नफ़ा नहीं है और इस इल्म में तो इसी वास्ते मशगूल होते हैं कि अपने ख़सम (यानी सामने वाले) को मग़लूब करें (यानी हरा दे) यह ग़रज नहीं कि हक़ ज़ाहिर करें और मसाइल में जो फ़र्क़ है उस पर मौक़ूफ़ हो (यानी उसको जान ले) और अह्काम से तनाक़ुज दूर करे (यानी शरीअत में जो इख़्तिलाफ़ हों, उनको दूर करे) पस उसको छोड़कर किसी दूसरे इल्म में जो उसके हक़ में दुनिया या आख़िरत में मुफ़ीद हो मशगूल हो ले और उम्र ज़ाया न करे तो अच्छा है।

हवाला – फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 4, पृ० 258, कराहत का बयान।

हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रह्मतुल्लाहि अलैहि ने जब अपने बेटे हम्माद को कलाम (अक़ीदे) में मनाज़रा करते देखा तो उसको मना फ़रमाया तो हम्माद रह्मतुल्लाहि अलैहि ने अर्ज़ किया कि मैंने आपको अक़ीदों में मनाज़रा करते देखा है और आप मुझे मना कर रहे हैं तो फ़रमाया कि हम मुनाज़रा किया करते थे इस सुकून (यानी इत्मीनान और मुहब्बत व नर्मी) से गोया हमारे सरों पर चिड़ियां बैठी हैं इस डर से कि हमारे सामने का आदमी लग़्ज़िश न खावे और तुम इस नीयत से मुनाज़रा करते हो कि तुम्हारा सामने का आदमी फिसल जावे और जिसने अपने सामने के आदमी की लग़्ज़िश चाही तो उसका कुफ़्र चाहा और जिसने उसका कुफ़्र चाहा तो खुद काफ़िर हुआ।

हवाला – ऐनुल हिदाया, जिल्द 1, पृ० 53, अक़ाइद का बयान।

क़ुरआन शरीफ़ के सतरहवें पारे में सूरः हज के नवें रुकूअ में आयत न० 69 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है।

तर्जुमा – अल्लाह तआला तुम्हारे दर्मियान क़ियामत के दिन (अमली) फ़ैसला फ़रमा देगा जिन चीज़ों में तुम इख़्तिलाफ़ करते थे।

क़ियामत के दिन हम और तुम में खुदावन्द करीम फ़ैसला कर देगा और उस वक़्त सारे इख़्तिलाफ़ ख़त्म हो जाएंगे।

अगर ये आपको झुठलाएं तो आप इनसे कह दें कि मेरे लिए मेरा अमल है और तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल है तुम मेरे अमल से बरी हो मैं तुम्हारे करतूतों से बेज़ार हूं। पस यहां भी उनके कान खोल दिये गये। अल्लाह तआला तुम्हारे अमलों से बा ख़बर है वह तुम्हारी छोटी से छोटी हरकत को भी जानता है वही हम तुम में काफ़ी गवाह है कि क़ियामत के दिन हम तुम में फ़ैसला अल्लाह पाक खुद कर देगा उस वक़्त सारे इख़्तिलाफ़ मिट जाएंगे।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 17, पृ० 74, सूरः हज के नवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

बातिल को हक़ समझने वाले

मेरे प्यारे दोस्त! अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो बातिल को हक़ समझ कर अमल करते रहते हैं ऐसे लोग तौबा से महरूम रह जाते हैं और उन लोगों में से शायद ही किसी को तौबा नसीब होती हो क्योंकि जो आदमी गुनाह समझ कर अमल करता है उसके लिए तो उम्मीद हो जाती है कि कभी न कभी वह तौबा करेगा, पर जो आदमी गुनाहों के कामों को नेक और आख़िरत का तोह्फ़ा निजात का ज़रिया समझ कर अमल करे ऐसे लोगों में से शायद ही किसी को तौबा नसीब होती हो।

क़ुरआन शरीफ़ के सतरहवें पारे में सूर: हज के पहले रुकूअ में आयत न० 3, 4 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा – कुछ लोग खुदा के बारे में बातें बनाते हैं और वह भी बे इल्मी के साथ सरकश शैतान की ताबेदारी में जिस पर अल्लाह का फ़ैसला लिख दिया गया है कि जो कोई उसकी रिफ़ाक़त (यानी दोस्ती) करे उसको वह गुमराह कर देगा और आग के अज़ाब की तरफ़ उसको ले जाएगा।

खुदा के फ़रमान से हट कर नबियों की ताबेदारी को छोड कर इंसानों और जिन्नों की ताबेदारी करते हैं उन की अल्लाह तआला तर्दीद कर रहा है। आप देखेंगे कि जितने बिदअती और गुमराह लोग हैं वे हक़ से मुंह फेर लेते हैं बातिल की इताअत में लग जाते हैं और खुदा की किताब और उसके रसूल की सुन्नत छोड़ देते हैं और गुमराह सरदारों को मानने लगते हैं इसलिए फ़रमाया कि उनके पास सही इल्म नहीं होता ये जिसकी मानते हैं वे उन्हें बहकाते रहते हैं और आख़िर उन्हें अज़ाबों में फंसा देते हैं जो जहन्नम के ईंधन बनने वाले हैं।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 17, पृ० 44, सूर: हज के पहले रुकूअ की तफ़्सीर में।

क़ुरआन शरीफ़ के सतरहवें पारे में सूर: हज के पहले रुकूअ में आयत न० 8 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा – कुछ लोग खुदा के बारे में बग़ैर इल्म के और बग़ैर हिदायत के और बग़ैर रोशन किताब के झगड़ते हैं।

चूंकि ऊपर की आयतों में गुमराह जाहिल मुक़ल्लिदों का हाल बयान फ़रमाया था (यानी जाहिल तक्लीद करने वालों का) अब यहां उनके पीरों और मुर्शिदों का हाल बयान फ़रमा रहा है कि वे बे-अक़्ली और बे-दलीली से, सिर्फ़ राय, क़ियास और ख़्वाहिशे नफ़्सानी से खुदा के बारे में कलाम करते रहते हैं हक़ से कतराते हैं तकब्बुर से गरदन मोड़ लेते हैं, हक़ को क़ुबूल करने से बे-परवाही से इंकार कर जाते हैं।

हवाला– तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 17, पृ० 47, सूर: हज के पहले रुकूअ की तफ़्सीर में।

जैसे हड़क वाले पर हड़क ग़ालिब होती है और वह पानी से भागता है और प्यासा ही मर जाता है इसी तरह झूठे मज़हब वालों पर ख़्वाहिशे नफ़्सानी ग़ालिब होती है और इल्मे हक़ से भाग कर गुमराही के जंगल में हलाक होते हैं।

हवाला – मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 80, किताबुल ईमान।

जो लोग मौत के बाद की ज़िंदगी के इंकारी हैं और ख़ुदा को इसपर क़ादिर नहीं मानते और ख़ुदा के फ़रमान से हट कर नबियों की ताबेदारी को छोड़ कर सरकश इंसानों और जिन्नों की मातहती करते हैं उनकी अल्लाह तआला तर्दीद फ़रमा रहा है।

आप देखें कि जितने बिदअती और गुमराह लोग हैं वे हक़ से मुंह फेर लेते हैं बातिल की इताअत पर लग जाते हैं ख़ुदा की किताब और उसके रसूल की सुन्नत को छोड़ देते हैं और गुमराह सरदारों की मानने लगते हैं इसलिए फ़रमाया कि उनके पास कोई सही इल्म नहीं होता ये जिस की मानते हैं वे अज़ली मर्दूद हैं अपने मानने वालों को बहकाते हैं और आखिर में उन्हें अज़ाबों में फंसा देते हैं जो जहन्नम के जलाने वाले आग के (ईंधन) हैं।

हवाला तफ़्सीर इब्ने कसीर, पारा 17, पृ० 44, सूरः हज के पहले रुकूअ की तफ़्सीर में।

गुनाह के कामों में मख़्लूक़ की इताअत हराम है

क़ुरआन शरीफ़ के पांचवें पारे में सूरः निसा के आठवें रुकूअ में आयत न० 59 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – ऐ ईमान वालो! तुम अल्लाह का कहना मानो और रसूल का कहना मानो और जो लोग तुम में से हुकूमत वाले हैं (उनका कहना भी मानो) फिर अगर किसी मामले में तुम आपस में इख़्तिलाफ़ करने लगो, तो उस मामले को अल्लाह और रसूल के हवाले कर दिया करो, (वहां से जो भी हुक्म मिले उसे क़ुबूल कर लिया करो) अगर तुम अल्लाह पर और क़ियामत के दिन पर ईमान रखते हो। ये मामले सब बेहतर हैं और इनका अंजाम ख़ुशतर (यानी बहुत अच्छा) है।

हदीस – हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत करते हैं कि आप फ़रमाते हैं–

(इमाम की बात) सुनना और मानना हर आदमी पर ज़रूरी है जब तक उसे किसी गुनाह की बात का हुक्म न दे दिया जाए। फिर अगर किसी गुनाह का हुक्म दिया जाए तो न सुनना और न मानना ज़रूरी है।

हवाला –1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 12, पृ० 59, हदीस 207, जिहाद का बयान,
2. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 340, हदीस 1606, जिहाद का बयान।

हदीस – हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक लश्कर रवाना किया और एक आदमी को उस पर अमीर बनाया। उस आदमी ने आग जलवा कर लोगों से कहा इसमें दाख़िल हो जाओ कुछ ने दाख़िल होने का इरादा किया मगर और लोगों ने कहा कि हम तो आग से ही पनाह के वास्ते इस्लाम लाये हैं फिर उन्होंने यह ज़िक्र हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से किया आपने उन लोगों को, जिन्होंने आग में दाख़िल होने का इरादा किया था।

फ़रमाया अगर वे उसके अन्दर दाखिल हो जाते तो क़ियामत तक उस में रहते और बाक़ी लोगों से फ़रमाया (अल्लाह के) गुनाह में किसी की इताअत नहीं है इताअत नेक काम के अन्दर है।

हवाला – सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 29, पृ० 505, हदीस 2121, एक आदमी की ख़बर का बयान।

क़ुरआन शरीफ़ के दसवें पारे में सूर: तौबा के पांचवें रुकूअ में आयत 31 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा –इन लोगों ने ख़ुदा को छोड़ कर अपने आलिमों और दरवेशों को ख़ुदा बना लिया है।

हदीस – हज़रत अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु अनहु कहते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आया उस वक़्त मेरे गले में सोने की सलीब (लटक रही) थी। आपने फ़रमाया अपने पास से इस बुत को दूर कर दो और मैंने आप को सूर: तौबा में से यह पढ़ते सुना (यानी ऊपर की आयत)

यह सुन कर मैंने कहा ऐ अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) उन्होंने तो कभी मौलवियों और पीरों को ख़ुदा नहीं बनाया।

आपने फ़रमाया कि ऐसा नहीं था कि लोग उनको पूजते थे बल्कि जब वे (पीर और मौलवी) किसी चीज़ को उन के लिए हलाल कर देते थे तो ये उसको अपने लिए हलाल समझते थे और जब किसी चीज को उन पर हराम कर देते थे तो ये लोग उस चीज़ को अपने ऊपर हराम समझते थे।

हवाला – तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 192, हदीस 952, सूर: तौबा की तफ़्सीर।

यानी अपने पीरों और मौलवियों के कहने पर चलते थे चाहे वे ग़लत बता दें या सही। जो उन्होंने कहा तक़्लीद में उसे मान लिया यह उस ज़माने की जहालत थी अफसोस वही मुसीबत आज हिन्दुस्तान में तेज़ी से फैली हुई है।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से पहले से लेकर बाद तक ईसाइयों में पोप और दूसरे

बुज़ुर्ग और मौलवी इस मर्तबे पर माने जाते थे और अब भी माने जाते हैं कि अगर वे सरासर कोई बात ख़िलाफ़े अक़्ल व नक़्ल भी कहें तो बे-चूं व चरा माननी चाहिए। यही मज़हबी तक़लीद हराम है, क्योंकि यह मर्तबा तो खास खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का है कि बे चूं व चरा उनके क़ौल को माना जाए। उनके बाद जो किसी की बात मानी जा सकती है (यानी मानने के क़ाबिल है) तो सिर्फ़ इसलिए है कि वे या तो खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत करते हैं या उस रिवायत में से हुक्म देते हैं।

हवाला–तफ़्सीर हक़्क़ानी, जिल्द 3, पृ० 119, सूर आले इम्रान के सातवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

मख़्लूक़ की इताअत ख़ालिक़ के गुनाह में जायज़ नहीं और इस वास्ते हराम है मर्द पर दूसरे की दाढ़ी काटना।

हवाला – ग़ायतुल अवतार, उर्दू तर्जुमा दुर्रे मुख़्तार, जिल्द 4, पृ० 235, बाबुल हज़र।

यानी कोई आदमी किसी नाई यानी हज्जाम से कहे कि मेरी दाढ़ी में कांट-छांट कर दे या मूंड दे तो मुसलमान हज्जाम को ऐसा करना हराम है।

यह तो एक दलील के तौर पर समझाने के लिए मिसाल दी गयी है वरना हर वह काम जिस में शरीअत की मुख़ालफ़त होती हो उस काम में मख़्लूक़ की इताअत हराम है। ईमान का तक़ाज़ा यह है कि जहां पर या जिस काम में अल्लाह तआला की मासियत होती हो तो उस जगह पर या उस काम में दूसरे की इताअत न करना लाज़िम है क्योंकि क़ुरआन मजीद से यही बात साबित है।

क़ुरआन करीम के छठे पारे में सूरः माइदा के पहले रुकूअ में आयत न० 2 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – नेकी और परहेज़गारी में एक दूसरे की मदद करते रहो, गुनाह और ज़ुल्म व ज़्यादती में मदद न करो। अल्लाह से डरते रहो। बेशक अल्लाह तआला सख़्त सज़ा देने वाला है।

तबरानी के हवाले से लिखा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं–

जो आदमी किसी ज़ालिम के साथ जाए ताकि उसकी मदद इमदाद करे और वह जानता हो कि यह ज़ालिम है वह यक़ीनन दीने इस्लाम से ख़ारिज हो जाता है।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 6, पृ० 38, सूरः माइदा के पहले रुकूअ की तफ़्सीर में।

हदीस – हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, तुम जानते हो, मुफ़्लिस (ग़रीब) कौन है? सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया हम में तो मुफ़्लिस वह आदमी है जिसके पास न तो दिरहम हो, और न सामान व असबाब।

आपने फ़रमाया मेरी उम्मत में से क़ियामत के दिन मुफ़्लिस वह आदमी होगा, जो दुनिया से नमाज़, रोज़ा और ज़कात वग़ैरह हर क़िस्म की इबादतें लेकर आएगा और साथ ही किसी को गाली देने किसी पर तोहमत लगाने, किसी का माल खा जाने, किसी को नाहक़ मार डालने और किसी को नाहक़ मारने के गुनाह भी लायेगा, फिर एक मज़्लूम को उन नेकियों में से दिया जाएगा और दूसरे मज़्लूम को उन नेकियों में से दिया जाएगा और जब उसकी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी और लोगों के हक़ बाक़ी रह जाएंगे तो उन हक़दारों की बुराईयां और गुनाह उस पर डाल दिए जाएंगे और फिर उसको दोज़ख़ में डाल दिया जाएगा।

हवाला –1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 733, हदीस 4871, ज़ुल्म व सितम का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 183, ज़ुल्म व सितम का बयान।

हदीस – हज़रत अबू उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ख़ुदा की तमाम रिसालत पहुंचा दी। आपने यह भी फ़रमाया है कि ज़ुल्म से बचो, क्योंकि क़ियामत वाले दिन में अल्लाह तबारक व तआला फ़रमायेगा, मुझे अपनी इज़्ज़त की और अपने जलाल की क़सम! आज एक ज़ालिम को भी न छोड़ूंगा, फिर एक मुनादी निदा करेगा कि फ़लां फलां है? वह आएगा और पहाड़ के पहाड़ नेकियों के उसके साथ होंगे, यहां तक कि अह्ले मह्शर की निगाहें उसकी तरफ़ उठने लगेंगी। वह ख़ुदा के सामने आ कर खड़ा हो जाएगा, फिर मुनादी निदा करेगा कि उसकी तरफ़ किसी का कोई हक़ हो उसने किसी पर ज़ुल्म किया हो वह आ जाए और अपना बदला ले ले। अब तो लोग इधर उधर से उठ खड़े होंगे और उसे घेर कर ख़ुदा के सामने खड़े हो जाएंगे। अल्लाह तआला फ़रमाएंगे, मेरे इन बन्दों को इनके हक़ दिलवाओ। फ़रिश्ते कहेंगे, ख़ुदाया कैसे दिलवाएं? अल्लाह तआला फ़रमाएगा, इसकी नेकियां लो और इन्हें दो।

चुनांचे यों ही किया जाएगा यहां तक कि एक नेकी बाक़ी न रहेगी और अभी तक कुछ मज़्लूम और हक़दार बाक़ी रह जाएंगे अल्लाह तआला फ़रमाएगा इन्हें बदला दो।

फ़रिश्ते कहेंगे, अब तो इसके पास एक नेकी भी नहीं रही अल्लाह तआला हुक्म देगा कि इनके गुनाह उस पर लाद दो।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 20, पृ० 51, सूरः अंकबूत के दूसरे रुकूअ की तफ़्सीर में।

क़ुरआन शरीफ़ के अठठाईसवें पारे में, सूरः मुजादला के दूसरे रुकूअ में आयत न० 9 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – ऐ ईमान वालो! जब तुम सरगोशी करो (यानी ज़रूरत के वक़्त जब कोई मीटिंग या प्राइवेट बातें करने लगो) तो गुनाह और रसूल सल्ल० की नाफ़रमानी की बातें न करो और नफ़ा और परहेज़गारी की बातें करो और अल्लाह से डरो, जिसके पास तुम सब जमा किये जाओगे।

अल्लाह तआला मोमिनों को अदब सिखाता है कि तुम इन मुनाफ़िक़ों और यहूदियों के

से काम न करना तुम गुनाह के कामों और हद से गुज़र जाने वाले काम और नबी की बात न मानने के मश्विरे न करना बल्कि तुम्हें उनके बर ख़िलाफ़ नेकी के और अपने बचाव के मश्विरे करने चाहिएं तुम्हें हर वक़्त उस अल्लाह से डरना चाहिए जिसके पास तुम्हें जाना है और वह उस वक़्त तुम्हें हर नेकी बदी की जज़ा व सज़ा देगा और तमाम कामों और बातों से मुतनब्बह (सचेत) करेगा अगर चे तुम भूल गये हो लेकिन उसके पास सब महफ़ूज़ और मौजूद हैं।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 28, पृ० 10, सूर: मुजादला के दूसरे रुकूअ की तफ़्सीर में।

हर आदमी को चाहिए कि ख़ुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमांबरदार बन जाए जो हुक्म मिले, बजा लाये, जिन चीज़ों से रोक दे रुक जाए, जो गुनाह हो जाए, उससे ख़ौफ़ खाता रहे, आगे के लिए उससे बचता रहे। ऐसे लोग तमाम भलाइयों के समेटने वाले और तमाम बुराइयों से बचने वाले हैं। दुनिया और आख़िरत में वही निजात पाने वाले हैं।

जेबभरू पीर और पेटभरू मौलवी

क़ुरआन शरीफ़ के पहले पारे में सूर: बक़र: के दूसरे रुकूअ में आयत न० 8, 9, 10 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा – कुछ लोग कहते हैं कि हम अल्लाह तआला पर और क़ियामत के दिन पर ईमान रखते हैं लेकिन हक़ीक़त में वे ईमान वाले नहीं होते अल्लाह तआला को और ईमान वालों को धोखा देना चाहते हैं, लेकिन असल में वे अपने आपको धोखा दे रहे हैं मगर समझते नहीं। उनके दिलों में इस क़िस्म की बीमारी थी और अल्लाह ने उस बीमारी को और बढ़ा दिया। उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है इसलिए कि वे झूठ बोलते थे।

हदीस – हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि-

क़ियामत के दिन मर्तबे के लिहाज़ से बदतरीन आदमी वह होगा जिसने अपनी आख़िरत को दुनिया हासिल करने के लिए बर्बाद कर दिया होगा।

हवाला –1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 734, हदीस 4876, ज़ुल्म व सितम का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 186, ज़ुल्म व सितम का बयान।

असल में निफ़ाक़ कहते हैं भलाई को ज़ाहिर करने और बुराई को छिपाये रखने को।

निफ़ाक़ की दो क़िस्में हैं-

1. एक को एतक़ादी कहते हैं और 2. दूसरी को अमली कहते हैं।

पहली क़िस्म के मुनाफ़िक़ तो हमेशा के जहन्नमी हैं और दूसरी क़िस्म के बदतरीन मुजरिम हैं।

इमाम इब्ने जुरैज रह्मतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं कि मुनाफ़िक़ का क़ौल उसके फ़ेल के ख़िलाफ़, उसका छिपा हुआ उसके ज़ाहिर के ख़िलाफ़, उसका आना जाने के ख़िलाफ़, उसकी मौजूदगी, न मौजूद होने के ख़िलाफ़ हुआ करती हैं।

हवाला– तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 1, पृ० 61, सूर: बक़र: के दूसरे रुकूअ की तफ़्सीर में।

क़ुरआन शरीफ़ के पहले पारे में सूर: बक़र: के दूसरे रुकूअ में आयत न० 11, 12 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है।

तर्जुमा – और जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फ़साद न करो, तो जवाब देते हैं कि हम तो सिर्फ़ इस्लाह करने वाले हैं ख़बरदार हो यक़ीनन यही लोग फ़साद करने वाले हैं लेकिन शऊर और समझ नहीं है।

उनका फ़साद कुफ़्र और अल्लाह तआला की ना–फ़रमानी थी मतलब यह है कि ज़मीन में खुदा की नाफ़रमानी करना या नाफ़रमानी करने का हुक्म देना, ज़मीन पर फ़साद करना है और ज़मीन व आसमान की इस्लाह अल्लाह की इताअत ही में है।

हज़रत मुजाहिद रह्मतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं कि उन्हें जब अल्लाह तआला की नाफ़रमानी से रोका जाता है तो कहते हैं कि हम तो हिदायत व इस्लाह पर हैं।

हवाला– तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 1, पृ० 65, सूर: बक़र: के दूसरे रुकूअ की तफ़्सीर में।

क़ुरआन शरीफ़ के पहले पारे में सूर: बक़र: के पांचवें रुकूअ में आयत न० 42 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – हक़ को बातिल के साथ ख़लत–मतल न किया करो और न हक़ को छिपाओ, तुम्हें तो खुद इसका इल्म है

यहूदियों की इस बुरी आदत पर उनको तंबीह की जा रही है कि बावजूद जानने के कभी तो वह हक़ और बातिल को गड्ड–मड्ड कर दिया करते थे कभी बातिल को ज़ाहिर कर दिया करते थे हक़ को छिपा दिया करते थे तो उन्हें इन नापाक आदतों के छोड़ने को कहा जाता है और हक़ को ज़ाहिर करने और उसे खोल–खोल कर बयान करने की हिदायत की जाती है कि हक़ और बातिल सच और झूठ न मिलाओ अल्लाह के बन्दों का भला चाहो।

हवाला– तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 1, पृ० 106, सूर: बक़र: के पांचवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

मेरे प्यारे दोस्त! इन यहूदियों और ईसाइयों की तक़्लीद आज हिन्दुस्तान में अक्सर जगह पर जेबभरू पीर और पेटभरू मौलवी कर रहे हैं खुद भी गुमराह हो रहे हैं और दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं और बेचारों के नाहक़ पैसे भी खा जाते हैं।

इमाम इब्ने जरीर रह्मतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं कि हर बहकाने और गुमराह करने वाले को शैतान कहते हैं जिन्नों में से हो या इंसानों में से।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 1, पृ० 67, सूरः बक़रः के दूसरे रुकूअ की तफ़्सीर में।

कुरआन शरीफ़ के दसवें पारे में सूरः तौबा के पांचवे रुकूअ में आयत न० 34 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – ऐ ईमान वालो! अक्सर उलेमा और इबादतगुज़ार लोगों का माल नाहक़ खा जाते हैं और राहे हक़ से भी रोकते हैं

यहूदियों के उलेमा को अह्बार और ईसाई इबादत गुज़ारों को रुह्बान कहते हैं।

आयत का मक़्सद लोगों को बुरे उलेमा और गुमराह सूफ़ियों और आबिदों से होशियार कराना और डराना है।

हज़रत सूफ़ियान रह्मतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं कि हमारे उलेमा में से वही बिगड़ते हैं जिनमें कुछ न कुछ शायबा यहूदियत का होता है और सूफ़ियों और आबिदों में से हम मुसलमानों में वही बिगड़ता है जिसमें ईसाईयत का असर होता है।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 10, पृ० 51, सूरः तौबा के पांचवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

हदीस – हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि–

बेशक यक़ीनन तुम लोग अपने से पहले लोगों की पैरवी करोगे। बालिश्त पर बालिश्त और गज़ पर गज़, यहां तक कि अगर वह किसी सोसमार के सूराख़ में गये होंगे, तो तुम भी उसमें जाओगे।

हम लोगों ने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! (पहले लोगों से) क्या यहूद और नसारा (मुराद हैं)?

आपने फ़रमाया, (वह मुराद नहीं तो) फिर कौन?

हवाला –
1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 13, पृ० 180, हदीस 667, बनी इस्राईल का बयान।
2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 765, हदीस 5100, लोगों की हालतों में तग़य्युर व तबद्दुल का बयान।
3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 279, लोगों की हालतों में तग़य्युर व तब्दुल का बयान।

यहूदियों के आलिमों को जहालत के ज़माने में बड़ा ही मर्तबा हासिल था। उनके तोहफ़े, हदिए, ख़ैरात, चिराग़ी मश्हूर व मुक़र्रर थे जो बे-मांगे उन्हें पहुंच जाते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नुबुव्वत के बाद इसी तमा व लालच ने उन्हें क़ुबूले इस्लाम से रोका और हक़ के मुक़ाबले में इस तरफ़ से भी कोरे रहे और आख़िरत से भी गये गुज़रे।

ज़िल्लत और हकारत उन पर बरस पड़ी, और खुदा के ग़जब में पड़ कर तबाह और बर्बाद हो गये। यह हराम खाऊ जमाअत खुद हक़ से रुक कर औरों के दरपे रहती थी। हक़ और बातिल को खलत-मलत कर के लोगों को भी राहे हक़ से रोक देती थी जाहिलों में बैठ कर गप हांकते थे कि हम लोगों को राहे हक़ की तरफ़ बुलाते हैं हालांकि यह खुला धोखा है वे तो जहन्नम की तरफ़ बुलाने वाले हैं। क़ियामत के दिन ये लोग बे-यार व मददगार छोड़ दिये जाएंगे।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 10, पृ० 51, सूर: तौबा के पांचवे रुकूअ की तफ़्सीरे से।

अफ़सोस! आज हिन्दुस्तान के अक्सर पीरों और मौलवियों की यही हालत है कि जाहिलों में बैठ कर बग़ैर इल्म और बग़ैर तह्क़ीक़ के मस्अले मसाइल की गपें मारते रहते हैं और हर साल नियाज़ व नज़राना वसूल कर लेते हैं और हक़ परस्तों को वाज़ नसीहत से रोकते हैं।

क़ुरआन शरीफ़ के पांचवें पारे में सूर: निसा के पांचवें रुकूअ में आयत न० 29 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – ऐ ईमान वालो! मत खाओ अपने आपस के माल नाजायज़ तरीक़े से।

अल्लाह तआला अपने ईमानदार बन्दों को एक दूसरे का माल बातिल तरीक़े से यानी हीलासाज़ी के साथ खाने से मना फ़रमा रहा है जो लोग सदक़ा, खैरात न करें और अल्लाह की अता की हुई ज़्यादती (नेमत) पर सब्र व शुक्र न करें। दुनिया का माल जमा करते फिरें और बदतरीन और खिलाफ़े शरअ़ तरीक़ों से कमाया करें और लोगों के माल बातिल और नाहक़ के साथ खा जाएं। वे ख़ुदा के दुश्मन हैं। इन ना शुक्रों और गुनाहगारों पर खुदा का प्यार नहीं।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने, कसीर, पारा 3, पृ० 29, सूर: बक़र: के अड़तीसवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

हर बात के बदले दुनिया समेटने की फ़िक्र में लग गये हैं। जेब भर दो और जो चाहो कहलवा लो और उम्मीद यह है कि फिर तौबा कर लेंगे, माफ़ हो जाएगा। फिर मौक़ा आया फिर दुनिया लेकर खुदा की बातें बदल दीं, गुनाह से तौबा की, फिर मौक़ा मिलते ही लपक कर गुनाह कर लिया, मक़्सद उनका दुनिया तलबी है हलाल से मिले या हराम से फिर भी मग़्फ़िरत की तमन्ना है। ये हैं जो अपने आप को वारिसे रसूल सल्ल० कहलवाते हैं।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 9, पृ० 40 सूर: आराफ़ के इक्कीसवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

क़ुरआन पाक के दूसरे पारे में सूर: बक़र: के इक्कीसवें रुकूअ में आयत न० 168 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – लोगो! ज़मीन में जितनी भी हलाल और पाकीज़ा चीज़ें हैं उन्हें खाओ, पियो और शैतानी राह न चलो वह तो तुम्हारा खुला दुश्मन है।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सामने जिस वक़्त इस आयत की तिलावत हुई तो

हज़रत सअ़द बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने खड़े होकर कहा।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह तआला मेरी दुआओं को क़ुबूल फ़रमाया करे।

आपने फ़रमाया ऐ सअ़द (रज़ियल्लाहु अन्हु) पाक चीज़ें और हलाल लुक़्मा खाते रहो, अल्लाह तआला तुम्हारी दुआएं क़ुबूल फ़रमाता रहेगा। क़सम है उस खुदा की जिसके हाथ में मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की जान है हराम लुक़्मा जो इंसान अपने पेट में डालता है उसकी शूमी की वजह से चालीस दिन की उसकी इबादत क़ुबूल नहीं, जो गोश्त हराम से पला, वह जहन्नमी है।

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़त्वा देते हुए फ़रमाया कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है वह तुम्हें बुरे कामों और उससे भी बढ़ कर ज़िनाकारी और उससे बढ़ कर खुदा पर उन बातों के जोड़ लेने को कहता है जिनका तुम्हें इल्म न हो पस हर काफ़िर और बिदअती इसमें दाख़िल हैं जो बुराई का हुक्म करे और बदी की तरफ़ रग़बत दिलाये।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने क़सीर, पारा 2, पृ० 19–20 सूर: बक़र: के इक्कीसवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

क़ुरआन करीम के दूसरे पारे में सूर: बक़र: के इक्कीसवें रुकूअ में आयत न० 172 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – ईमान वालो! जो पाकीज़ा चीज़ें हमने तुम्हें दे रखी हैं उन्हें खाओ पियो और अल्लाह का शुक्र करो अगर तुम खास उसी की इबादत करते हो।

इस आयत में अल्लाह तआला अपने बन्दों को हुक्म देता है कि तुम पाक व साफ़ और हलाल तय्यिब चीज़ें खाया करो और मेरी शुक्रगुज़ारी करो।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 2, पृ० 21, सूर: बक़र: के इक्कीसवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लमने फ़रमाया कि–

दिरहम व दीनार के बन्दे और रेशमी व ऊनी कपड़ों के गुलामों का सत्यानास हो। (उनकी हालत यह है) कि अगर किसी ने उन्हें कुछ दे दिया तो खुश और अगर न दिया तो ना खुश रहे।

हवाला – सही बुखारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 26, पृ० 312, हदीस 1353, किताबुर्रिक़ाक़।

हदीस – हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा–'

मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुना है कि अगर बनी आदम को दो जंगल भी माल से भरे हुए मिल जाएं तो यह तीसरे जंगल की खोज में रहेगा और औलादे आदम का पेट तो मिट्टी ही भरती है जो अल्लाह की तरफ़ झुकता है अल्लाह भी इस पर मेहरबान होता है।

हवाला – सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 26, पृ० 313, हदीस 1354, किताबुर्रिक़ाक़,

क़ुरआन शरीफ़ के तेरहवें पारे में सूर: इब्राहीम के पहले रुकूअ में आयत न० 3 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – जो आख़िरत के मुक़ाबले में दुनियावी ज़िन्दगी पसन्द करते हैं और राहे ख़ुदा से रोकते रहते हैं और उसमें टेढ़ापन पैदा करना चाहते हैं यही लोग परले दर्जे की गुमराही में हैं।

ये लोग दुनिया को आख़िरत पर तर्जीह देते हैं दुनिया के लिए पूरी कोशिश करते हैं और आख़िरत को भूल बैठे हैं रसूलों की ताबेदारी से दूसरों को भी रोकते हैं राहे ख़ुदा जो सीधी और साफ़ है उसे टेढ़ी और तिर्छी करना चाहते हैं यह इसी जहालत और गुमराही में रहेंगे लेकिन राहे ख़ुदा न टेढ़ी हुई है और न होगी। ऐसी हालत में उनके सुधरने की क्या उम्मीद?

हवाला – तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 13, पृ० 55, सूर: इब्राहीम के पहले रुकूअ की तफ़सीर में।

इस्लाम में जो आलिम बिगड़ेगा, उसकी मुशाबहत यहूदियों के आलिमों के साथ होगी यानी ऐश व इश्रत दुनिया और दौलत का लालची होगा दीन के हुक्मों को लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक़ बतायेगा और पैग़म्बर अलैहिस्सलाम की शरीअ़त को बिगाड़ेगा और हक़ बात को छिपायेगा और जो दरवेश बिगड़ेगा, उसकी मुशाबहत नसरानी राहिब के साथ होगी।

हवाला – फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 1, पृ० 9 मुक़दमा

क़ुरआन करीम के छठे पारे में सूर: माइदा के नवें रुकूअ में आयत न० 63 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – उनके उलेमा और मशाइख़ गुनाह की बात कहने से और हराम का माल खाने से क्यों मना नहीं करते वाक़ई उनकी यह आदत बुरी है।

अल्लाह तआला फ़रमाता है कि ये लोग गुनाह पर हराम पर और बातिल के साथ लोगों के माल पर किस तरह चढ़ दौड़ते हैं उनके आमाल निहायत ही ख़राब हो चुके, उनके औलियाअल्लाह यानी आबिद और उलेमा उन्हें इन बातों से क्यों नहीं रोकते, असल में बात यह है कि इन आलिमों और पीरों के आमाल भी बदतरीन हो गये हैं।

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि उलेमा और पीरों फ़क़ीरों की डांट (यानी धमकी) के लिए इससे ज़्यादा सख़्त आयत क़ुरआन में कोई नहीं।

हज़रत जह्हाक़ (रह्मतुल्लाहि अलैहि) से भी इसी तरह नक़ल किया गया है।

हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने एक ख़ुत्बे में हम्द व सना के बाद फ़रमाया–

लोगों! तुमसे अगले लोग इसी वजह से हलाक कर दिये गये कि वे बुराइयां करते थे और उनके आलिम और अल्लाह वाले ख़ामोश रहते थे जब यह आदत उनमें पड़ गयी तो ख़ुदा ने उन्हें क़िस्म-क़िस्म की सज़ाएं दीं। पस तुम्हें चाहिए कि भलाई का हुक्म करो और बुराई से रोको इस से पहले कि तुम पर भी वही अज़ाब आ जाए, जो तुमसे पहले वालों पर आए

और यक़ीन रखो कि अच्छाई का हुक्म और बुराई से मना करना न तो तुम्हारी रोज़ी को घटा सकता है और न मौत को क़रीब कर सकता है।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 6, पृ० 116, सूर: माइदा के नवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

मेरे प्यारे दोस्त! हिन्दुस्तान में कहीं-कहीं पर ऐसी जहालत फैली हुई है कि किसी को मुर्शिद यानी पीर बनाने के लिए या गांवों में इमाम बना कर मौलवी रखने के लिए कुछ तहक़ीक़ नहीं करते, बल्कि जो अपने बाप-दादा का पीर व मुर्शिद था उसी के लड़के या पोते को मुर्शिद बना लेते हैं चाहे वह मुर्शिद बनाने के क़ाबिल हो या न हो और गांव में मौलवी इमामत के लिए होता है जब वह मर जाता है तो उसके लड़के को या उसी के पोते को इमाम बना लेते हैं फिर यह नहीं देखते कि उसमें इमामत करने की सिफ़त है या नहीं।

मेरे दोस्त! पीर के घर जो लड़का पैदा हुआ तो उस को पीर समझते हैं चाहे वह कितना ही जाहिल और गुमराह क्यों न हो और जो मौलवी के घर लड़का पैदा हुआ तो उसको मौलवी समझते हैं चाहे उसको इस्तिंजे का मस्अला भी याद न हो। इसी को कहते हैं अन्धी तक़्लीद और इसी को कहते हैं रस्म व रिवाजकी पाबन्दी और इन्हीं को कहते हैं जेबभरू पीर और पेट भरू मौलवी आप इतना तो सोचिए कि एक घर के जो दो चार कुत्ते होते हैं, उनमें भी आपस में मुहब्बत और प्यार होता है मगर यह जो अपने आप को पीर कहने वालों और अपने आप को मौलवी कहलाने वालों के घर और खानदान हैं उनमें भी कहीं कहीं प्यार व मुहब्बत नहीं है बाप और बेटे में दुश्मनी है भाई-भाई में मुहब्बत नहीं है भला वह तुम्हें क्या हिदायत करेंगे जो खुद हिदायत पर नहीं हैं।

अपने प्यारे दोस्त को एक मिसाल के तौर पर समझाऊं कि एक डी०एस०पी० आफ़िसर है। अब उसके घर में एक लड़का पैदा हुआ। वह जवान होकर तालीम पाकर डाक्टरी लाइन में पास हुआ। अब उसको सर्जन कहेंगे या डी०एस०पी० कहेंगे? हां डी०एस०पी० का लड़का ज़रूर कहेंगे मगर डी०एस०पी० नहीं कह सकते, क्योंकि उसके बाप का काम और है उसका काम और है।

इसी तरह एक जाहिल और बे अमल इंसान पीर व मुर्शिद या मौलवी कैसे हो सकता है? नहीं, हरगिज़ नहीं हो सकता।

हक़ीक़त में बात यह है कि ये लोग हमारी जहालत से नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं और यही बात है कि अपने बे इल्म मुरीदों और मोतक़िदों यानी अपने ताबेदारों को जहां तक हो सके वे जाहिल रखना चाहते हैं और हक़परस्तों के वाज़ व नसीहत सुनने के लिए भी मना करते हैं। उनसे बात चीत सलाम व कलाम सब कुछ हराम बताते हैं क्योंकि अगर वे जाहिल लोग हिदायत पर आ जाएं तो फिर इन पीर साहिबान की जेब कौन भरे? और मौलवी साहिबान का गुज़ारा कैसे चले?

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एक एक क़बीले के पास जाते और फ़रमाते-

लोगो! मैं तुम्हारी तरफ़ खुदा का रसूल बनाकर भेजा गया हूं। मैं तुमसे कहता हूं कि एक अकेले खुदा की इबादत करो उसके साथ किसी को शरीक न करो मुझे सच्चा जानो मुझे मेरे दुश्मनों से बचाओ ताकि मैं उसके काम को बजा लाऊं यानी तब्लीग़ कर सकूं जिस का हुक्म देकर मुझे अल्लाह तआला ने भेजा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जहां पर यह पैग़ाम पहुंचा कर फ़ारिग़ होते कि आप का चचा अबू लहब पीछे से पहुंचता और कहता-

ऐ फ़लां-फ़लां क़बीले के लोगो! यह आदमी तो तुम्हें लात व उज़्ज़ा से हटाना चाहता है और बनू मालिक बिन अक़यश तुम्हारे हलीफ़ जिन्नों से तुम्हें दूर कर रहा है और अपनी लायी हुई नई गुमराही की तरफ़ तुम्हें भी घसीट रहा है खबरदार न उसकी सुनना और न मानना।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 30, पृ० 119, सूरः लहब की तफ़्सीर में।

मेरे प्यारे दोस्त! कुछ इलाक़ों में यही मुसीबत फैली हुई है जो अपने आप को पीर कहते हैं वे पेशवा समझे जाते हैं और जो अपने आप को मौलवी कहते हैं वे इन पीरज़ादों की पार्टी के मेम्बर समझे जाते हैं ये दोनों मिल कर लोगों को गुमराह करने में और लड़ाने में और नाजायज़ तरीक़े से अपनी जेबें भरने में कोई कसर बाक़ी नहीं रखते। इन लोगों से जब कोई मस्अला पूछे तो जो चालू ज़माने में रिवाज होता है उसको जायज़ बता देते हैं और इन जाहिल अनपढ़ लोगों को समझाने के लिए दलील यह देते हैं कि अगर यह काम जायज़ न होता तो हमारे बाप दादे उस को क्यों करते? ऐसी बेजा दलीलों से इन बेचारों को समझा कर राहे हक़ से रोक देते हैं और खुद भी रुक रहे हैं। या अल्लाह तआला! अपने रहम व करम से हमारे आम मुसलमान भाइयों को इन फंसाने वाले पीरों और मौलवियों के फ़रेब से बचा ले और सच्चे दीन की तरफ़ बुला ले। आमीन!

हदीस – हज़रत सईद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को फ़रमाते सुना है कि-

जो आदमी कोई बुराई देखे तो उसे चाहिए कि उसको हाथों से बदल दे (यानी रोक दे) और जिससे यह न हो सके, तो वह अपनी ज़ुबान ही से बदले (यानी ज़ुबान से रोक दे) और जिससे यह भी न हो सके, वह अपने दिल में (उस को बुरा समझे) और यह ईमान का सबसे कम दर्जा है। (मुख़्तसर)

हवाला –1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 8, हदीस 38, फ़ित्ने का बाब,

2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 11, हदीस 31, बाब 18, किताबुल ईमान।

मेरे दोस्त! ज़रा सोचने की जगह है कि बुरे काम को सिर्फ़ दिल से बुरा समझना कमतर ईमान है और जो अपने दिल में बुरा न समझे वह ईमान से महरूम है तो सोचने की बात यह है कि उस बुरे काम के हुक्म करने वाले और उस बुरे काम को खुद करने वाले ईमान से कितने कोरे समझे जाएंगे।

हदीस – हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु अनहु से रिवायत है कि रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि–

उस ज़ात की क़सम, जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है अगर तुम लोगों ने भलाई का हुक्म किया और बुराई से रोका तो बेहतर है वरना अन्क़रीब अल्लाह तआला तुम पर अपना अज़ाब नाज़िल फ़रमाएगा फ़िर तुम लोग अल्लाह तआला से दुआ करोगे, लेकिन तुम्हारी दुआ भी क़ुबूल न होगी।

हवाला –1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 8, हदीस 35, अबवाबुल फ़ितन।

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि–

जब ईमानदारी जाती रहे तो समझ लेना कि क़ियामत क़रीब है। किसी ने पूछा कि ईमानदारी कैसे जाती रहेगी? फ़रमाया जब नालायक़ लोग इस्लाम की बातों में मुस्तनद क़रार दिये जाएं उस वक़्त क़ियामत को क़रीब समझना।

हवाला– सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 26, पृ० 324, हदीस न० 1412, किताबुर्रिक़ाक़।

गुमराहों की तक़लीद का अंजाम

क़ुरआन करीम के बीसवें पारे में सूरः अंकबूत के पहले रुकूअ में आयत न० 12–13 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – काफ़िर लोग ईमान वालों से कहते हैं कि तुम हमारे कहने पर चलो, तुम्हारे गुनाह हम उठा लेंगे, हालांकि वे उन गुनाहों में से कुछ भी नहीं उठाएंगे। ये तो झूठ बोलते हैं। अलबत्ता ये अपना बोझ उठाएंगे और अपने बोझों के साथ ही और दूसरों का बोझ भी क़ियामत के दिन (उठाएंगे)।

कुफ़्फ़ारे क़ुरैश मुसलमानों को बहकाने के लिए उनसे यह भी कहते थे कि तुम हमारे मज़हब पर अमल करो, अगर इसमें कोई गुनाह हो तो वह हम पर।

हवाला– तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 20, पृ० 50, अंकबूत के पहले रुकूअ की तफ़्सीर में।

क़ुरआन करीम के बाईसवें पारे में सूरः फ़ातिर के तीसरे रुकूअ में आयत न० 18 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – अगर कोई गुनाह में दबा हुआ दूसरों को अपना बोझ उठाने के लिए बुलाएगा तो वह उसमें से कुछ भी न उठाएगा गो क़राबतदार ही हो।

क़ियामत के दिन कोई दूसरे पर अपना बोझ डालना चाहे तो यह चाहत भी उसकी पूरी न होगी कोई न मिलेगा कि उसका बोझ उठाये। अज़ीज़ व अक़ारिब भी मुंह मोड़ेंगे और पीठ

फेर लेंगे गो मां-बाप और औलाद हों हर आदमी अपने हाल में मशगूल होगा हर एक को अपनी अपनी पड़ी होगी।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर पारा 22 पृ० 75 सूर: फ़ातिर के तीसरे रुकूअ की तुसीर में।

कुरआन करीम के चौदहवें पारे में सूर: नह्ल के तीसरे रुकूअ में आयत न० 25 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – इसी का नतीजा होगा कि क़ियामत के दिन ये लोग अपने पूरे बोझ के साथ ही उनके बोझ के भी हिस्सेदार होंगे, जिन्हें बे-अमली से गुमराह करते थे देखे तो कैसा बुरा बोझा उठा रहे हैं।

हमने उन्हें इस राह पर इसलिए लगा दिया है कि ये अपने पूरे गुनाहों के साथ उनके भी कुछ गुनाह अपने ऊपर लादें, जो उनके मुक़ल्लिद हैं और उनके पीछे-पीछे चल रहे हैं।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 14, पृ० 29, सूर: नह्ल के तीसरे रुकूअ की तफ़्सीर में।

हदीस – हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है।

जिसने कोई अच्छा तरीक़ा निकाला और उसकी पैरवी की गयी तो उसके लिए अपना सवाब भी है और उन का सवाब भी जो उस पर अमल करें बग़ैर इसके कि उन लोगों के सवाबों में से कुछ कम किया जाए और जिसने कोई बुरा तरीक़ा निकाला और उसकी पैरवी की गयी तो उसे अपने इस अमल का भी गुनाह होता है और पैरवी करने वालों के गुनाहों के बराबर भी गुनाह होता है बग़ैर इसके कि उनके गुनाहों में कुछ कमी की जाए।

हवाला –1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 108, हदीस 534, इल्म का बयान,

2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 108, हदीस 149, सुन्नतों का बयान,

3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 75, ईमान का बयान।

कुरआन करीम के अठठाईसवें पारे में सूर: सफ़्फ़ के पहले रुकूअ में आयत न० 8 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – ये चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह से बुझा दें और अल्लाह अपने नूर को कमाल तक पहुंचाने वाला है गो काफ़िर बुरा मानें।

इन कुफ़्फ़ार की चाहत तो यह है कि हक़ को बातिल से रद्द कर दें। उनकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे कोई सूरज की रोशनी को अपने मुंह की फूंकों से बे नूर करना चाहे। जिस तरह यह महाल है कि उसके मुंह की फूंको से सूरज की रोशनी जाती रहे इसी तरह यह भी महाल है कि खुदा का दीन इन कुफ़्फ़ार से रद्द हो जाए। अल्लाह तआला फ़ैसला कर चुका है कि वह अपने नूर को पूरा करके ही रहेगा। काफ़िर बुरा मानें तो मानते ही रहें।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 28, पृ० 59, सूरः सफ़्फ़ के पहले रुकूअ की तफ़्सीर में।

कुरआन शरीफ़ के बाईसवें पारे में सूरः अह्ज़ाब के आठवें रुकूअ में आयत न० 66 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – जिस दिन उनके चेहरे आग से उलट-पलट किये जाएंगे, उस वक़्त वे कहेंगे कि काश हमने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की होती।

जब जहन्नम के किनारे खड़े कर दिये जाएंगे और आग की एक ही लपक उनके चेहरों का गोश्त पोस्त जला कर पानी की तरह बहा कर ले जाएगी उस वक़्त बड़ी हसरत और अफ़सोस से कहते होंगे कि अगर हमने अल्लाह तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बात मान ली होती तो अच्छा था। जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बात नहीं मानी तो फिर किसकी मानी, यह सुनिए–

कुरआन करीम के बाईसवें पारे में सूरः अह्ज़ाब के आठवें रुकूअ में आयत न० 67-68 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – और कहेंगे, ऐ रब हमारे! हमने अपने सरदारों और अपने बड़ों के कहने को मान लिया और उन्होंने हमें गुमराह कर दिया। ऐ अल्लाह इन पर डबल अज़ाब कर और इन पर सख़्त लानत भी कर।

मेरे प्यारे दोस्त! अब अल्लाह तआला इन गुमराह करने वालों पर दुगना अज़ाब करे या लानत करे, लेकिन हम तो अपनी ज़िन्दगी हार बैठे उस वक़्त पछताना और न पछताना दोनों बराबर होगा। अब भी और इसी वक़्त तौबा कर ले। यह वक़्त है संवरने का मरने के बाद सोचना और रंज व अफ़सोस करना सब बेकार होगा।

कुरआन शरीफ़ के बाईसवें पारे में सूरः सबा के चौथे रुकूअ में आयत न० 31, 32, 33 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – छोटे दर्जे के लोग बड़े दर्जे के लोगों से कहेंगे, अगर तुम न होते तो हम मुसलमान ही होते। ये बड़े दर्जे वाले इन छोटे दर्जे वालों को जवाब देंगे कि तुम्हारे पास हिदायत आ चुकने के बाद हमने क्या तुम को इससे रोका था? नहीं बल्कि तुम खुद ही गुनाहगार थे।

इसके जवाब में ये छोटे दर्जे के लोग इन बड़े लोगों से कहेंगे, नहीं, नहीं बल्कि तुम्हारा रात-दिन मक्र व फ़रेब से हमको खुदा के साथ कुफ़्र करने और उसके शरीक मुक़र्रर करने का हुक्म देना ही सबब हुआ हमारी बे-ईमानी का।

अल्लाह तआला फ़रमाता है कि जब खुदा के सामने जहन्नम के किनारे खड़े हुए छोटे बड़ों को और बड़े छोटों को इलज़ाम देंगे, हर एक दूसरे को कुसूरवार ठहराएगा। ताबेदारी करने वाले अपने सरदारों से कहेंगे कि अगर तुम हमें न रोकते तो हम ज़रूर ईमानदार हो जाते। उनके बुज़ुर्ग यानी उनके सरदार उन्हें जवाब देंगे कि क्या हमने तुम्हें रोका था? हमने तो एक

बात कही थी जिसको तुम भी जानते थे कि यह बे-दलील है और दूसरी जानिब यानी हक़परस्तों की तरफ़ से दलीलों की बरसती हुई बारिश तुम्हारी आंखों के सामने थी। फिर तुमने उसकी पैरवी छोड़ कर हमारी बात को क्यों मान लिया? यह तुम्हारी अपनी बे-अक्ली थी। तुम खुद शह्वतपरस्त, नफ़्सपरस्त थे। तुम्हारे दिल खुदा की बातों से भागते थे। रसूलों की ताबेदारी खुद तुम्हारी तबीयतों पर भारी पड़ती थी। सारा क़ुसूर तुम्हारा खुद का था हमें क्यों इलज़ाम दे रहे हो?

ये बे-दलील अपने बुज़ुर्गों की मान लेने वाले उन्हें फिर जवाब देंगे कि दिन रात की तुम्हारी धोखेबाज़ी और फ़रेबकारी हमें इत्मीनान दिलाना कि हमारे काम और अक़ीदे ठीक हैं। हमसे बार-बार कुफ़्र और शिर्क न छोड़ने को, पुराने दीन के न बदलने को, बाप-दादाओं के मज़हब पर क़ायम रहने को कहना, हमारी कमरें थपकना, यही वजह हुई हमारे ईमान से रुक जाने की। तुम ही हमें अक़्ली ढकोसले सुनाते थे और इस्लाम से फेरते थे।

'दोनों इल्ज़ाम भी देंगे और अपने बचाव की दलीलें भी देंगे, लेकिन दिल में अपने किये पर पछता रहे होंगे। उन सबके हाथ उन की गरदनों से मिला कर तौक़ और ज़ंजीर से जकड़ दिये जाएंगे। अब हर एक को उनके आमाल के मुताबिक़ बदला मिलेगा, गुमराह करने वालों को भी और गुमराह होने वालों को भी। हर एक को पूरा-पूरा अज़ाब होगा।

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि जहन्नमी जब हांका हर जहन्नम के पास पहुंचाएं जाएंगे तो जहन्नम के एक ही शोले की लपक से सारे जिस्म का गोश्त जल भुन कर पैरों पर आ पड़ेगा।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 22, पृ० 59, सूरः सबा के चौथे रुकूअ की तफ़्सीर में।

क़ुरआन मजीद के चौबीसवें पारे में सूरः मुअमिन के पांचवें रुकूअ में आयत न० 47-48 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा – जब दोज़ख़ में एक दूसरे से झगड़ेंगे तो कमज़ोर लोग जो ताबेअ थे वे बड़े दर्जे वालों यानी अपने सरदारों से कहेंगे कि हम तो दुनिया में तुम्हारी पैरवी करने वाले थे (यानी जो तुम कहते थे हम करते थे) तो क्या अब तुम हमसे इस आग का कोई हिस्सा हटा सकते हो? वे बड़े लोग जवाब देंगे कि हम तो सभी इस आग में ही हैं। अल्लाह तआला अपने बंदों के दर्मियान फ़ैसला कर चुका है।

यानी ताबेदारी करने वाले और हुक्म अह्काम के मानने वाले, जिनकी बड़ाई और बुज़ुर्गी के क़ायल थे और जिनकी बातें तस्लीम और क़ुबूल कर लिया करते थे और जिनके कहने पर अमल करने वाले थे उनसे कहेंगे कि दुनिया में हम तो तुम्हारे फ़रमान के ताबेअ रहे जो तुमने कहा हम बजा लाए। कुफ़्र व गुमराही के हुक्म भी जो तुम्हारी बारगाह से सादिर होते थे, तुम्हारे तक़द्दुस और इल्म व फ़ज़्ल, सरदारी और हुकूमत की वजह से हम सब को मानते रहे।

अब यहां आप हमारे कुछ तो काम आएं। हमारे अज़ाबों का कोई हिस्सा अपने ऊपर उठा लीजिए। ये रईस, अमीर, सादात और बुज़ुर्ग जवाब देंगे कि हम भी तो तुम्हारे साथ जल झुलस रहे हैं। हम को जो अज़ाब हो रहे हैं वे क्या कम हैं जो तुम्हारे अज़ाब उठाएं।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 24, पृ० 48, सूर: मुअ्मिन के पांचवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

बिदअत

क़ुरआने मजीद के छठे पारे में सूर: माइदा के पहले रुकूअ में आयत न० 3 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को कामिल कर दिया और तुम पर अपना इनाम भरपूर कर दिया और तुम्हारे लिए इस्लाम के दीन होने में राज़ी हो गया।

अल्लाह तआला अपनी ज़बरदस्त, बेहतरीन, आला और अफ़्ज़लतर नेमत का ज़िक्र फ़रमाता है कि मैंने तुम्हारा दीन हर तरह और हर हैसियत से कामिल और मुकम्मल कर दिया। तुम्हें इस दीन के सिवा किसी दीन की ज़रूरत नहीं न इस नबी के सिवा और नबी की तुम्हारे लिए हाजत है। खुदा ने तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को ख़ातमुन्नबीयीन बनाया। उन्हें तमाम जिन्नों और इन्सानों की तरफ़ भेजा है। हलाल वही है जिसे वह हलाल कहे, हराम वही है जिसे वह हराम कहे, दीन वही है जिसे वह मुक़र्रर करे, दीन को कामिल करना तुम पर अपनी नेमत को पूरी करना है क्योंकि मैं खुद तुम्हारे इस दीने इस्लाम पर राज़ी हूं इस लिए तुम भी इस पर राज़ी रहो यही दीन खुदा का पसन्दीदा है। उसको देकर उसी ने अपने फ़ज़्ल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को भेजा है और अपनी अशरफ़ किताब नाज़िल फ़रमायी है।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर पारा 6, पृ० 48, सूर: माइदा के पहले रुकूअ की तफ़्सीर में।

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फ़रमाते हैं कि–

दीने इस्लाम को अल्लाह तआला ने तुम्हारे लिए कामिल व मुकम्मल कर दिया है अब यह रहती दुनिया तक किसी ज़्यादती का मुहताज नहीं, इसे खुदा ने पूरा किया है जो क़ियामत तक नाक़िस नहीं होने का। इस दीन से खुदा खुश है और कभी ना खुश नहीं होने वाला।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 6, पृ० 48, सूर: माइदा के पहले रुकूअ की तफ़्सीर में।

इब्ने अबी हातिम के हवाले से लिखा है कि एक आदमी था खुदा के दीन का बड़ा पाबन्द, एक ज़माने के बाद शैतान ने उसे बहका दिया कि जो अगले कर गये हैं वही तुम भी कर रहे हो इस में क्या रखा है इनकी वजह से न तो आम लोगों में तुम्हारी क़द्र होगी और न शोहरत, तुम्हें चाहिए कि कोई नयी बात ईजाद करो उसे लोगों में फैलाओ फिर देखो कैसी शोहरत होती

है और किस तरह जगह-जगह तुम्हारा ज़िक्र होने लगता है।

चुनांचे उसने ऐसा ही किया। उसकी वे बातें लोगों में फैल गयीं और एक ज़माना उसकी तक़लीद करने लगा अब तो उसे बड़ी शर्म आयी और उसने वह मुल्क छोड़ दिया और तंहाई में खुदा की इबादतों में मश्गूल हो गया, लेकिन खुदा की तरफ़ से उसे जवाब मिला कि तेरी ख़ता ही सिर्फ़ होती, तो मैं माफ़ कर देता लेकिन तू ने तो आम लोगों को बिगाड़ दिया और उन्हें गुमराह करके छोड़ा उन्हें ग़लत राह पर लगा दिया, जिस राह पर चलते चलते वे मर गये उनका बोझ तुझ पर से कैसे हटेगा? मैं तो तेरी तौबा क़ुबूल नहीं करूंगा।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 6, पृ० 125, सूरः माइदा के दसवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

हदीस - हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अनहा कहती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

जो आदमी इस अम्र (यानी दीन) में ऐसी कोई नयी बात पैदा कर दे जो उसमें नहीं है वह मर्दूद है।

हवाला -1. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 35, हदीस 181, बाब 59, अक्ज़ीए का बयान,

2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 105, हदीस 131, सुन्नतों का बयान,

3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 68, सुन्नतों का बयान।

हदीस - हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जो आदमी यहां नयी बात (यानी बिदअत) करे या किसी नयी बात करने वाले को जगह दे, उस पर खुदा की फ़रिश्तों की और तमाम लोगों की लानत, न उससे कोई नफ़्ल इबादत क़ुबूल की जाएगी, न फ़र्ज़।

(मुख़्तसर)

हवाला - सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 12, पृ० 115, हदीस 413, जिहाद का बयान।

मेरे प्यारे दोस्त! आज हिन्दुस्तान में बहुत ज़्यादा बिदअतों का चलन हो गया है और इस पर ताज्जुब तो यह है कि जो इन बिदअतों पर अमल न करे, उसको मुसलमान ही नहीं समझते, बल्कि इस्लाम से ख़ारिज समझते हैं।

अब आप यह सोचिए कि इन बिदअतों की मुहब्बत हमारे अक्सर नादान अनपढ़ मुसलमान भाइयों के दिल में किस क़दर घर कर गयी है किसी बिदअत को छोड़ना गोया मज़हब छूट जाने के बराबर समझते हैं। यह सारा क़ुसूर जेबभरू पीर और पेटभरू मौलवियों का है क्योंकि ये लोग इल्म से कोरे होते हैं और अगर किसी में इल्म है भी तो उसमें नफ़्सानियत होती है इसलिए इन जाहिलों की मर्ज़ी के मुताबिक़ कुछ तावीलें करके फ़त्वा दे देते हैं और वे जाहिल इसी को मज़हब समझते हैं।

इनमें से ज़्यादातर लोग एक दूसरे की देखा देखी अमल करते हैं क्योंकि सब करें और

एक आदमी न करे तो उसके ऊपर जमाअत की तरफ़ से दबाव होता है यहां तक कि उसको जमाअत से अलग कर देने की धमकी भी दी जाती है खुद मेरे साथ भी यही हुआ था मगर मेरे मालिक व मुख़्तार ने मुझे अपने रहम व करम से बचा लिया।

जहालत तो देखिए, फ़र्ज़, वाजिब और सुन्नतों के लिए कोई किसी पर दबाव नहीं डालता, किसी को धौंस धमकी भी नहीं देता कोई जमाअत से किसी को अलग भी नहीं करता और एक बिदअत के लिए जिस पर शरीअत में कड़ी धमकी आयी है उसके लिए शायद ही कोई ऐसा देहता या कस्बा या शहर होगा जहां पर झगड़े न होते हों।

हदीस – हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियललाहु अन्हु कहते हैं कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि–

बिदअती की नमाज़, रोज़ा, ज़कात, हज, उमरा, जिहाद, सदक़ा फ़िदया, कुछ भी अल्लाह तआला क़ुबूल नहीं करता, बल्कि वह इस्लाम से ऐसा बाहर हो जाता है जैसे आटे से बाल निकाल लिया जाए।

हवाला – इब्नेमाजा शरीफ़, पृ० 40, हदीस 51, उमूरे बिदअत का बयान।

तह्क़ीक़ निकलेगी बीच उम्मत मेरी के कई क़ौमें सरायत करेंगी बीच उनकी ख़्वाहिश यानी बिदअतें अक़ीदों में और आमाल में जैसे कि सरायत करती है हड़क भड़क वाले को नहीं बाक़ी रहती इससे कोई रग और न कोई जोड़, मगर दाखिल होती है उसमें।

हवाला – मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 79, किताबुल ईमान।

जब कुत्ता बावला हो जाता है और हड़क उसकी नस–नस में पैवस्त हो जाती है तो वह कुत्ता पानी को देखता है और भागता है पानी पीना तो दूर की बात, पानी को देखना भी पसन्द नहीं करता। इसी तरह जिस इंसान की नस–नस में बिदअत पैवस्त हो जाती है वह इंसान क़ुरआन व हदीस सुनता है और भागता है क़ुरआन व हदीस पर अमल करना तो दूर की बात उसको सुनना भी पसन्द नहीं करता। जिस तरह बावले कुत्ते को पानी नसीब नहीं होता और वह प्यासा ही मर जाता है उसी तरह बिदअती को तौबा नसीब नहीं होती और वह गुमराही के जंगल में ही मर जाता है।

जो शरीअत की किसी दलील से साबित न हों, ऐसी बातों को दीन में दाखिल करने को बिदअत कहते हैं और बिदअत बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि जो आदमी ऐसा काम करता है वह गोया अल्लाह से मुक़ाबला करता है इसलिए कि शरीअत अल्लाह तआला की भेजी हुई है। इसमें कमी बेशी का हक़ किसी को हासिल नहीं है।

पस जिसने शरीअत में किसी ऐसी बात को निकाला जो उसमें नहीं थी तो उसने उस शरीअत को नाक़िस समझा और अपनी तरफ़ से एक नयी शरीअत उसने बनायी, फिर उसपर अमल करने वाला बना और दूसरों को उसपर अमल करने की दावत दे रहा है तो गोया वह

अल्लाह तआला का मुक़ाबला कर रहा है। देखने में तो वह अपने आप को फ़रमांबरदार और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मुहब्बत करने वाला समझ रहा है लेकिन ऐसा इंसान सख़्त गुमराह है और उसपर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फ़रमायी है।

जो इंसान गुनाह करता है उसके लिए यह उम्मीद की जा सकती है। कि कभी न कभी वह तौबा कर लेगा, कोई मुसलमान नमाज़ नहीं पढ़ता या रोज़ा नहीं रखता या शराब पीता है या जुआ खेलता है या चोरी करता है बहरहाल वह तौबा कर सकता है क्योंकि गुनाह को गुनाह समझ कर कर रहा है और बिदअती को तो तौबा भी नसीब नहीं होती क्योंकि वह बिदअत को इबादत समझ कर, कर रहा है और उसे क़ुर्बे खुदावन्दी समझता है या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ताज़ीम समझता है या औलिया-ए-किराम रह्मतुल्लाहि अलैहिम अजमईन की अज़्मत समझता है फिर तौबा काहे को करेगा। बिदअती अपने आप को गुनाहगार नहीं समझता। ऐसे इंसान को तौबा नसीब होना महाल है इल्ला माशाअल्लाह!

अक्सर लोग ऐसे देखे जा रहे हैं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम व सल्लम की मुहब्बत और ताज़ीम समझ कर बिदअतें कर रहे हैं और कुछ औलिया-ए-किराम रह्मतुल्लाहि अलैहिम की अज़्मत समझ कर बिदअतें कर रहे हैं और जब उन्हें समझाया जाता है तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सही और सच्ची बातों को ठुकरा देते हैं क्योंकि वे बातें इन बिदअतों के ख़िलाफ़ हैं।

हर मुसलमान मर्द और औरत को चाहिए कि जो भी काम करे, पहले उसको क़ुरआन व हदीस या सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की मुबारक ज़िन्दगी से तह्क़ीक़ कर ले वहां से दलील मिलती है तो करे वरना छोड़ दे।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने जो काम नहीं किया वह काम अगर हम नहीं करेंगे तो अल्लाह तआला हम से क़ियामत के दिन नहीं पूछेगा कि तुमने क्यों नहीं किया और अगर हम उसको सवाब समझ कर करेंगे और अल्लाह तआला ने हश्र के मैदान में पूछ लिया कि तुमने क्यों किया तो जवाब देना भारी पड़ जाएगा, मेरे भैया सोच लीजियो!

जो काम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने नहीं किया और न करने का हुक्म दिया और न सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने किया ऐसा काम दीन समझ कर करना गोया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम में नक़्स निकालना है कि इन बातों को मआज़ल्लाह वह समझ नहीं सके, जिनको हम अदा कर रहे हैं अल्लाह की पनाह!

जिन बातों की हश्र के मैदान में पूछ होने वाली ही नहीं, उन बातों में न उलझें बल्कि जिन बातों की हश्र के मैदान में पूछ होने वाली है उनपर अमल करें। अल्लाह तआला हमें और हर मुसलमान मर्द व औरत को हर बिदअत से बचाये। आमीन!

इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं कि-

जो बात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से साबित न हो ऐसी नयी बात पर एक ज़माने का इत्तिफ़ाक़ होना भी तुझे धोखे में न डाल दे और तू सलफ़ के उसी तरीक़े पर मज़बूती अख़्तियार कर ले, अल्लाह तेरा मददगार है।

हवाला - फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 1, पृ० 107, मुक़दमे में।

मेरे प्यारे दोस्त! बिदअत किसको कहते हैं? यह बात अक्सर लोग नहीं समझते और उनके दिल में शैतान यह बात डाल देता है कि क़ुरआन शरीफ़ का तर्जुमा, हदीस की किताबें, फ़ुक़्हा की किताबें, मदरसों और मस्जिदों में नमाज़ियों के लिए हर तरह का इन्तिज़ाम यह सब बिदअत है। ये बातें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में कहां थीं तो फिर इन बातों को अमल में क्यों लाते हो? ये हैं शैतानी वसवसे जो अक्सर लोगों के दिलों में पैदा होते रहते हैं।

अब सुनिये इसकी हक़ीक़त! वे तमाम चीज़ें दीन के इन्तिज़ाम के लिए हैं अमल नहीं, अमल और चीज़ है इन्तिज़ाम और चीज़ है। अगर अमल में कोई चीज़ बढ़ायी जाएगी तो उसको बिदअत कहेंगे और उस पर अमल करना मना है और ऐसी बिदअतों को छोड़ देने के लिए जब समझाया जाता है तो जवाब में कहते हैं कि इसमें बुरा क्या है? आख़िर यह भी तो अच्छी बात है मना कहां लिखा है?

सुनिये जवाब!

मिसाल के तौर पर कलिमा तैयिबा बहुत अच्छी चीज़ है और उसको हर कोई पसन्द करता है इस धरती पर कोई मुसलमान आप को ऐसा न मिलेगा, जिसे कलिमा तैयिबा से प्यार न हो और दिल व जान से उसको न चाहता हो। यही कलिमा दीन की बुनियाद है यही कलिमा जन्नत की कुंजी है लेकिन जब अज़ान होती है तो अज़ान का आख़िरी कलिमा 'ला इला ह इल्लल्लाह आता है अब अगर कोई प्यार और मुहब्बत के साथ मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह मिला ले तो क्या कोई हरज है? या इसमें कोई बुराई है? या कोई गुनाह है? फिर क्यों नहीं मिलाते? अगर कोई मिला ले तो पूरा कलिमा तैयिबा हो जाएगा और मना भी नहीं लिखा है फ़िर क्यों नहीं पढ़ते? और कलिमा तैयिबा की फ़ज़ीलत के बारे में तो सुब्हानल्लाह क्या कहना। इस्लाम का निज़ाम ही इस कलिमे पर है फिर क्यों नहीं पढ़ते? असल बात यह है कि वह अमल है और अमल में ज़्यादती नहीं हो सकती।

दीन में झगड़ा नहीं है। रस्म व रिवाज और बिदअतों में झगड़ा होता है। जो दीन होगा वह सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक ही हुक्म रखता होगा और जो रस्म व रिवाज और बिदअतें होंगी वे मुख़्तलिफ़ शक्लों में होंगी और कभी-कभी इन बिदअतों और रस्म व रिवाज की शक्लें बदलती रहती हैं और जो दीन होगा, वह सारी दुनिया के लिए एक ही हुक्म रखता होगा और क़ियामत तक बदल नहीं सकता और न उसमें कोई इख़्तिलाफ़ पैदा हो सकता

है जैसे ख़त्ना कराना सुन्नत है तो सारी दुनिया के मुसलमानों पर ख़त्ना कराना सुन्नत है इसमें कहीं भी किसी मुल्क में या किसी मसलक में कोई इख़्तिलाफ़ नहीं है इसी तरह निकाह पढ़ाना सुन्नत है तो सारी दुनिया के मुसलमानों में सुन्नत है कहीं भी किसी जगह पर भी इख़्तिलाफ़ नहीं है किसी मुल्क में कोई भी सुबह की नमाज़ बजाए दो रकअत के तीन रकअत नहीं पढ़ता। जुमा की दो रकअतें हैं तो सारी दुनिया में दो ही पढ़ी जाती हैं। ईद की नमाज़ दो रकअत है तो सारी दुनिया में दो ही पढ़ी जाती है। फ़ज्र की नमाज़े जमाअत में ऊंची आवाज़ से क़ुरआन करीम पढ़ा जाता है जुमा की नमाज़ में भी ऊंची आवाज़ से ईद की नमाज़ में भी बुलन्द आवाज़ से मग़्रिब की नमाज़ में भी ऊंची आवाज़ से इशा की नमाज़ में भी ऊंची आवाज़ से तरावीह में और वित्र की जमाअत में भी बुलन्द आवाज़ से क़ुरआन करीम पढ़ा जाता है। जुहर और अस्र की नमाज़ में ऊंची आवाज़ से क़ुरआन करीम नहीं पढ़ा जाता। अगर कोई बिदअती मौलवी जुहर और अस्र की नमाज़ में ऊंची आवाज़ से क़ुरआन करीम पढ़ेगा तो मामूली से मामूली मुसलमान भी उसे रोक देगा।

मग़्रिब की तीन रकअत नमाज़ फ़र्ज़ हैं तो सारी दुनिया में तीन ही रकअत पढ़ी जाती है। कहीं भी किसी जगह पर इख़्तिलाफ़ नहीं है। अगर कोई मौलवी मग़्रिब की चार रकअत नमाज़ पढ़ेगा तो जाहिल से जाहिल भी आदमी उसको मना करेगा और अगर कोई मौलवी जबरन मग़्रिब की चार रकअत नमाज़ पढ़ेगा तो उसको मार कर मस्जिद से भी निकाल देंगे, क्योंकि ये अह्काम हैं और अहकाम में कोई इख़्तिलाफ़ नहीं। अलबत्ता अरकानों में इख़्तिलाफ़ है जिनका बयान हम सुन्नत वल जमाअत में कर चुके हैं। अब आप अल्लाह के वास्ते सोचें कि नमाज़ जैसी चीज़ में एक रकअत बढ़ाने से वह नमाज़ ही बातिल हो जाती है तो फिर हमारे दुनिया भर के रस्म व रिवाज कैसे क़ुबूल होंगे?

रमज़ानुल मुबारक का चांद देखा तो तरावीह शुरू हो गयी और ईद का चांद देखा तो तरावीह खत्म हो गयी। मग़्रिब की अज़ान हुई तो रोज़ेदारों ने रोज़ा खोल दिया। कोई मुसलमान इशा की नमाज़ के वक़्त रोज़ा खोले तो आप उसे क्या कहेंगे? आपके पास समझाने के लिए यही लफ़्ज होंगे, भाई साहब! शरीअत का हुक्म मग़्रिब की अज़ान के वक़्त रोज़ा खोलने का है और आप इशा की अज़ान के वक़्त रोज़ा खोलते हैं। यह रोज़ा आप का नहीं हुआ बल्कि आप गुनाहगार होंगे।

इस समझाने पर वह मुसलमान आप के ऊपर गुस्से हो जाए और कहने लगे कि वाह साहब! हमारा रोज़ा कैसे नहीं होगा जबकि हमने दो घंटे ज़्यादा भूखे रह कर खोला है। आप साहब तो वह्हाबी मालूम होते हैं। आपका अक़ीदा ख़राब हो गया है मेरा तो अक़ीदा है कि इशा की अज़ान के वक़्त रोज़ा खोलने से मुझे ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो ऐसा अक़ीदा हश्र के मैदान में नहीं चलेगा, क्योंकि यह अक़ीदा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शरीअत के खिलाफ़ है और जहालत में शुमार किया जाएगा।

बहरहाल मज़हब में कोई इख़्तिलाफ़ नहीं है और न कोई झगड़ा है। हिन्दुस्तान में या किसी और जगह पर मज़हब के नाम से जो झगड़े हो रहे हैं वह हक़ीक़त में मज़हब नहीं बल्कि रस्में हैं या बिदअतें हैं।

एक इंसान बिदअत पर अमल करता है और करते करते एक आदत बन जाती है तो आदत को इबादत समझने लगता है हालांकि आदत इबादत नहीं बन सकती क्योंकि आदत मुख़्तलिफ़ शक्लों में होती है और वक़्त वक्त से कमी बेशी भी होती रहती है और इनकी शक्लें भी बदलती रहती हैं और इबादत सारी दुनिया के लिए एक ही हुक्म रखती है इसमें न तो कमी बेशी हो सकती है न इसकी शक्ल बदल सकती है।

हदीस – हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एक दुआ सिखाते हैं उसमें एक लफ़्ज यह था 'व नबिय्यि-क' कुछ दिनों के बाद हज़रत बरा रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सामने वही दुआ पढ़ते हैं जब वह 'व नबिय्यि-क' पर पहुंचते हैं तो नबिय्यि-क़ के बदले 'व रसूलि-क' पढ़ देते हैं तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनके सीने पर एक मुक्का मारा, और फ़रमाया 'व नबिय्यि-क' पढ़ो। (मुख़्तसर)

हवाला–1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 290, हदीस 1246, दुआ का बयान।
2. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1, पारा 1, पृ० 70, हदीस 237, वुज़ू का बयान।

देखा मेरे दोस्त! हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 'व रसूलि-क' कहने से भी मना फ़रमा दिया, हालांकि नबी उसको कहते हैं जो बग़ैर किताब के अल्लाह की तरफ़ से दुनिया में नबी बनाकर भेजा गया हो और उस पर कोई आसमानी किताब भी नाज़िल न हुई हो। और रसूल उस को कहते हैं जो अल्लाह की तरफ से नबी भी बनाया गया हो और उस पर आसमानी किताब भी नाज़िल हुई हो आप की समझ में बात आयी कि नहीं कि नबी के लफ़्ज से रसूल का लफ्ज मर्तबे के लिहाज़ से बढ़ कर है हालांकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नबी भी थे और रसूल भी थे मगर फिर भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मना फ़रमा दिया क्योंकि यह अमल है और अमल में ज़्यादती किसी भी तरह जायज़ नहीं इसलिए रोक दिया कि आज तो तुमने इतना बदला और कल शायद तुम या और कोई जिसके जो दिल में आए बदल डालेगा या बढ़ा घटा देगा, यह नहीं होना चाहिए बल्कि अमल वही करो और उसी तरह करो जिस तरह हम तुम्हें बता चुके हैं।

मेरे प्यारे दोस्त! हर चीज़ की हद होती है। देखिए जब अल्लाह तआला का नाम आता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिए ये लफ़्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते, हालांकि अल्लाह तआला के बाद सबसे बड़ा मर्तबा आपका है और फिर हुज़ूर सल्ल० के बाद सब से बड़ा मर्तबा हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का है, लेकिन हम अबूबक्र सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नहीं

कह सकते, बल्कि अबूबक्र रज़ियल्लाहु अन्हु ही कहना पड़ेगा।

इसी तरह हर चीज़ की हद होती है मगर अपनी बे इल्मी की वजह से हम जहालत के फंदों में फंसते चले जा रहे हैं और हमारे जेब भरू पीर और पेट भरू मौलवी हम को फंसा रहे हैं। अगर हमारे पास सही इल्म होता तो ये लोग हम को बहका न सकते, हमारी बे इल्मी ने ऐसे बे दीन पीरों और मौलवियों के हौसले बढ़ा दिये हैं।

तावीलों का अंजाम

क़ुरआन मजीद के पहले पारे में सूरः बक़रः के आठवें रुकूअ में आयत न० 65-66 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा – यक़ीनन तुम्हें उन लोगों का इल्म भी है जो तुम में से हफ़्ते के बारे में हद से आगे बढ़ गये और हमने भी कह दिया कि तुम ज़लील बन्दर बन जाओ। इसे हमने अगलों और पिछलों के लिए इबरत का सामान बनाया और परहेज़गारों के लिए वाज़ व नसीहत का (सबब बनाया)।

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियललाहु अन्हुमा फ़रमाते हैं कि-

उन लोगों पर जुमा की इज़्ज़त और अदब को फ़र्ज़ किया गया था लेकिन उन्होंने जुमा के दिन को पसन्द न किया और सनीचर के दिन को अख़्तियार किया और उस दिन की इज़्ज़त के तौर पर उन लोगों पर मछलियों का शिकार खेलना वग़ैरह उस दिन हराम कर दिया गया था। इधर खुदा की आज़माइश के तौर पर सनीचर के दिन तमाम मछलियां ऊपर आ जाया करती थीं और कूदती उछलती रहतीं और दिनों में कोई एक मछली भी नज़र नहीं आती थी। एक मुद्दत तक तो ये लोग ख़ामोश रहे और शिकार करने से रुके रहे मगर उनमें से एक आदमी ने यह हीला निकाला कि सनीचर के दिन मछली को पकड़ लिया और फंदे में फांस कर डोरी को किनारे पर किसी चीज़ से बांध दिया (और मछली का शिकार खेलने वाले अक्सर कांटे वग़ैरह से मछली को पकड़ लेते हैं) फिर दूसरे दिन इतवार को जाकर उस मछली को निकाल लाया और पका कर खायी। लोगों ने खुश्बू पाकर पूछा तो उसने कहा-

'मैंने तो आज इतवार को शिकार किया है।'

आख़िर यह भेद खुला तो और लोगों ने भी इस हीले को पसन्द किया और इस तरह वे सब मछलियों के शिकर करने लग गये।

फिर तो कुछ लोगों ने दरिया के आस पास गढ़े खोद लिये। हफ़्ते वाले दिन यानी सनीचर को जब मछलियां उसमें आ जातीं तो उस गढ़े का मुंह यानी पानी जाने का रास्ता बन्द कर

देते थे और इतवार के दिन मछलियां पकड़ लाते थे कुछ लोग जो उनमें नेक दिल और सच्चे मुसलमान थे उन्हें रोकते और मना करते थे लेकिन उनको जवाब यही मिलता था कि हम सनीचर को शिकार नहीं खेलते हैं हम तो इतवार वाले दिन मछलियों का शिकार पकड़ते हैं इन शिकार खेलने वालों और उन मना करने वालों के सिवा एक गिरोह और हो गया जो वक़्त की मस्लहत बरतने वाले थे वे न उनका साथ देते ओर न मछलियों का शिकार करने वालों को रोकते थे बल्कि कहते थे कि इस क़ौम को वाज़ व नसीहत क्यों करते हो जिन्हें खुदा हलाक करेगा या सख़्त सज़ा करेगा और तुम अपना फ़र्ज़ भी अदा कर चुके उन्हें मना भी कर चुके, जब नहीं मानते तो अब उन्हें छोड़ दो।

ये हकपरस्त लोग जवाब देते कि एक तो खुदा के यहां हम माज़ूर होंगे और दूसरे इस लिए भी कि शायद आज नहीं कल और कल नहीं तो परसों यह मान जाएंगे और खुदा के अज़ाब से बच जाएंगे। आख़िर वे मुस्लिम जमाअत वाले इन शिकारियों से बिल्कुल अलग हो गये और बस्ती के बीच में से एक अलग दीवार बना ली और एक दरवाज़ा अपने आने जाने के लिए रखा। इस तरह एक मुद्दत गुज़र गयी।

एक दिन सुबह को मुसलमान जागे, दिन चढ़ गया लेकिन अब तक उन लोगों ने अपना दरवाज़ा न खोला था और न उनकी आवाज़ें आती थीं। ये लोग हैरान थे कि आज क्या बात है उनका दरवाज़ा अभी तक बन्द है आख़िर जब ज़्यादा देर हो गयी तो उन लोगों ने दीवार पर चढ़ कर देखा तो वहां अजीब मंज़र नज़र आया। देखा कि वे तमाम लोग मय बच्चों और औरतों के बन्दर बना दिये गये हैं। उनके घर जो रात को बन्द थे उसी तरह बन्द हैं और अन्दर वे कुल इन्सान बन्दरों की शक्ल में हैं जिनकी दुमें निकली हुई हैं बच्चे छोटे बन्दरों की शक्ल में मर्द बड़े बन्दरों की शकल में और औरतें बन्दरियां बनी हुई हैं और हर एक को पहचाना जाता है कि यह मर्द फ़लां है या यह औरत फ़लां है यह बच्चा फ़लां है वग़ैरह वग़ैरह।

यह भी याद रहे कि जब वह अज़ाब आया तो न सिर्फ़ वही हलाक हुए जो शिकार खेलते थे। बल्कि उनके साथ वे भी हलाक हुए, जो उन्हें मना नहीं करते थे खामोश बैठे थे और मेल जोल न छोड़ा था। सिर्फ़ वही बचे, जो उन्हें मना करते रहे और उनसे अलग थलग हो गये थे यही हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का एक क़ौल है (ये बन्दर सिर्फ़ तीन दिन ज़िन्दा रहे और फिर सबके सब मर गये और अब जो बन्दर हैं वे तो पहले ही से एक अलग खुदा की मख़्लूक़ हैं)

ग़रज़ यह अज़ाब उनके लिए और उनके बाद आने वालों के लिए एक सबक़ है यहां तक कि उम्मते मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिए भी कि ये लोग डरते रहें कि जो अज़ाब और सज़ा उनके हीलों की वजह से और उनके मक्र व फ़रेब से हराम को हलाल कर लेने के बदले नाज़िल हुई, अब जो ऐसा करेगा तो ऐसा न हो कि वही सज़ा और वही अज़ाब उस पर भी आ जाए।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि, तुम वह न करो, जो यहूदियों ने किया हीले हवालों से अल्लाह के हलाल को हराम न कर लिया करो।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 1, पृ० 125, से 127 तक, सूरः बक़रः के आठवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

हदीस – हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है-

क़ियामत के दिन तुम बद-तरीन लोगों में उनको पाओगे जो दो मुंह रखने वाले मुनाफ़िक़ होंगे, (यानी मुंह देखी बात कहते होंगे) उनके पास जाएंगे तो उनकी सी कहेंगे और इनके पास जाएंगे तो इनकी सी कहेंगे।

हवाला –1 मिश्कात शरीफ़ जिल्द 2, पृ० 700, हदीस 4583, ज़ुबान की हिफ़ाज़त का बयान,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 93, ज़ुबान की हिफ़ाज़त का बयान।

हदीस – हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है-

दुनिया में जो आदमी दो ज़ुबान होकर मरे (यानी किसी से कुछ कहता हो किसी से कुछ) क़ियामत के दिन उसके (मुंह में) आग की दो ज़ुबानें होंगी।

हवाला–1. मिश्कात शरीफ़ जिल्द 2, पृ० 702, हदीस 4605, ज़ुबान की हिफ़ाज़त का बयान,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 101, ज़ुबान की हिफ़ाज़त का बयान।

हदीस – हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने सुना है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि-

हलाक किया अल्लाह तआला ने यहूदियों को, जबकि अल्लाह ने उन पर गाय बकरी की चर्बी हराम कर दी तो उन्होंने उसको पिघला लिया (फिर हीला बना लिया कि अब चर्बी नहीं रही, और अब तो तेल हो गया और हलाल हो गयी) और बेचकर उसकी क़ीमत खा गये।

हवाला – सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 18, पृ० 474, हदीस 1736, सूरः अन्–आम की तफ़्सीर में।

मेरे दोस्त! इसी तरह आज हिन्दुस्तान में उम्मते मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने भी अकसर जगह बहुत तावीलें और हीले बहाने गढ़ लिये और बना लिये हैं अल्लाह ही बचाये इस मुसीबत और बला से आमीन!

शक वाली बातों से बचो

हदीस – हज़रत नोमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया–

हलाल ज़ाहिर है और हराम ज़ाहिर है। इन दोनों के दर्मियान शुब्हे की चीज़ें हैं तो जिस आदमी ने उस चीज़ को छोड़ दिया, जिसमें उसको गुनाह का शुबहा हो, वह उसको सबसे पहले छोड़ देगा, जिसका गुनाह होना हाज़िर हो और जो आदमी इस बात पर हिम्मत करेगा, तो बहुत जल्द वह ऐसी बात में मुब्तला हो जाएगा, जिसका गुनाह होना ज़ाहिर होगा और मआसी (गुनाह के काम) अल्लाह की चरागाहें हैं, जो जानवर चरागाह के गिर्द चरेगा, वह बहुत जल्द उस चरागाह में पहुंच जाएगा।

हवाला–1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1, पारा 8, पृ० 457, हदीस 1893, किताबुल–बुयूअ,
2. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 241, हदीस 1107, किताबुलबुयूअ।

हदीस– हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से यह याद किया है कि–

जो चीज़ तुम्हें शक व शुबहा में डाले उसको छोड़कर बग़ैर शक व शुब्हे वाली चीज़ को अख़्तियार करो, क्योंकि सच इत्मीनान है और झूठ शक व शुबहा है।

हवाला– तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 77, हदीस 380, अबवाबुर्रिक़ाक़।

हदीस – हज़रत अतीया सादी रज़ियल्लाहु अन्हु जो सहाबी हैं, फ़रमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि–

बन्दा परहेजगारों में गिनती किये जाने के क़ाबिल उस वक़्त तक नहीं होता जब तक कि वह नुक़सान देने वाली चीज़ों के डर से जायज़ और बे नुक़सान चीज़ों को भी न छोड़ दे।

हवाला – तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 64, हदीस 314, अबवाबुर्रिक़ाक़।

हदीस – हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि–

'मेरे सामने सबसे पहले तीन आदमी जन्नत में दाख़िल होंगे। उन तीनों में से एक (वह है जो) हराम और शुबहा (यानी हराम चीज़ों और शक वाली बातों) से बचा होगा।' (मुख़्तसर)

हवाला – तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 329, हदीस 1542, अबवाबुल जिहाद।

जिस चीज़ में दलील से इख़्तिलाफ़ पड़े कि वाजिब है या बिदअत तो एहतियात यह है कि उस पर अमल करे और जिस की सुन्नत या बिदअत में तरद्दुद हो तो उसे छोड़ दे।

हवाला– ऐनुल हिदाया, जिल्द 1, पृ० 743, नमाज़ का बयान।

अगर किसी चीज़ में यह शक हो कि वह वाजिब है या बिदअत तो एहतियातन उसको अदा करे और अगर यह शक हो कि वह सुन्नत है या बिदअत तो छोड़ दे।

हवाला – फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 1, पृ० 237, तिलावत के सज्दे का बयान।

बिदअत और शुबहा मक्रूहे तहरीमी जैसा है (यानी बिदअत और शक वाली बातों पर अमल करना हराम के नज़दीक है।)

हवाला – ग़ायतुल अवतार, उर्दू तर्जुमा दुर्रे मुख़्तार, जिल्द 4, पृ० 193, बाबुल हज़र।

कुरआन करीम के उन्नीसवें पारे में सूरः शुअरा के पांचवें रुकूअ में आयत न० 90-91 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – परहेज़गारों के लिए जन्नत क़रीब कर दी जाएगी और गुमराह लोगों के लिए जहन्नम क़रीब कर दी जाएगी।

ताज़िया

कुरआन शरीफ़ के चौबीसवें पारे में सूरः ज़ुमर के चौथे रुकूअ में आयत न० 41 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – तुझ पर हमने हक़ के साथ यह किताब लोगों के लिए नाज़िल फ़रमायी है पस जो आदमी सीधे रास्ते पर आ जाए उसको अपने लिए नफ़ा है और जो गुमराह हो जाए, उसकी गुमराही का वबाल उसी पर है तू उसका जवाबदेह नहीं।

अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को ख़िताब करके फ़रमा रहा है हमने तुझ पर इस क़ुरआन को सच्चाई और रास्ती के साथ तमाम जिन्नों और इंसानों की हिदायत के लिए नाज़िल फ़रमाया है। उसके फ़रमान को मान कर हिदायत का रास्ता पाने वाले अपना ही नफ़ा करेंगे और इस कलाम मजीद के होते हुए भी दूसरे ग़लत रास्तों पर चलने वाले अपना ही बिगाड़ेंगे तो आप इस बात के जवाब-देह नहीं है कि हर आदमी इस बात को मान ही ले। आप के जिम्मे सिर्फ़ शरीअत के हुक्मों का पहुंचा देना है और हिसाब लेने वाले हम हैं।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 24, पृ० 5, सूरः ज़ुमर के चौथे रुकूअ की तफ़्सीर में।

कुरआन शरीफ़ के चौदहवें पारे में सूरः नह्ल के पांचवें रुकूअ में आयत न० 35 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – मुश्रिक लोग कहने लगे कि अगर खुदा चाहता तो हम और हमारे बाप दादे उसके सिवा और की इबादत ही न करते न उसके फ़रमान के बग़ैर किसी चीज़ को हराम करते। यही काम इनसे पहले लोगों का भी रहा तो रसूलों पर सिर्फ़ खुल्लम खुल्ला पैग़ाम का पहुंचा देना है।

अल्लाह तआला फ़रमाता है कि मुश्रिकों की औंधी खोपड़ी तो देखो! गुनाह करें, हराम को हलाल करें, जैसे जानवरों को अपने खुदाओं के नाम का करें और तक़्दीर को हुज्जत बनाएं और फिर कहते हैं कि अगर अल्लाह तआला को हमारे और हमारे बाप दादाओं के यह काम बुरे लगते और पसन्द न आते तो हमें उसी वक़्त सज़ा मिलती। उन्हें जवाब दिया जा रहा है कि यह हमारा दस्तूर नहीं। हमें तुम्हारे ये काम सख़्त ना पसन्द हैं और उनकी ना पसन्दीदगी का इज़्हार हम अपने सच्चे पैग़म्बरों की जुबानी कर चुके हैं! हर बस्ती में हर क़ौम में हर शहर में पैग़म्बर भेजे जा चुके हैं। सब पैग़म्बर अपना-अपना फ़र्ज़ अदा कर चुके हैं। बन्दगाने खुदा खुदा के हुक्मों की साफ़-साफ़ तब्लीग़ कर चुके हैं। सब को कह दिया गया है कि एक अल्लाह ही की इबादत करो। उसके सिवा दूसरों को न पूजो और न पुकारो। सबसे पहले जब शिर्क का जुहूर ज़मीन पर हुआ तो अल्लाह तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को ख़लअते नुबूवत देकर भेजा और सबसे आख़िर में ख़ातमुल मुर्सलीन का लक़ब देकर रहमतुल्लिलआलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अपना नबी बनाया, जिसकी दावत तमाम जिन्नों और इंसानों के लिए ज़मीन के इस कोने से उस कोने तक थी और है और क़ियामत तक रहेगी, इन्शाअल्लाहु तआला।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 14, पृ० 33, सूरः नह्ल के पांचवे रुकूअ की तफ़्सीर में।

मेरे अज़ीज़ दोस्त! आज हिन्दुस्तान के कुछ जाहिल मुसलमान भी यही कहते हैं कि अगर ताज़िया बनाना अल्लाह को पसन्द न होता तो यह बनता ही नहीं और बनाने वाले हलाक हो जाते।

मेरे दोस्त! ये सब जहालत की बातें हैं। अल्लाह तआला हरगिज़ इसको पसन्द नहीं करता। अगर ताबूत (यानी ताज़िया) बनाने से सवाब होता तो आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का एक ख़ास ताज़िया अलग बनता, दूसरे नम्बर में उलमाए दीन की तरफ से एक ताज़िया बनता फिर जाहिलों का नम्बर आता मगर जो सच्चे सय्यद और आले रसूल हैं वे तो इस ताज़िए को देखना भी हराम समझते हैं और हक़परस्त उलेमा-ए-दीन के सैकड़ों फ़त्वे ताज़िया न बनाने के बारे में मौजूद हैं मगर हिन्दुस्तान की जहालत कुछ ऐसा रंग लायी कि ये जाहिल किसी की भी नहीं सुनते और वही बात करते हैं कि अगर खुदा को पसन्द नहीं है तो फिर क्यों बनते हैं?

मेरे प्यारे दोस्त! आप इतना तो सोचें और समझें कि बुतपरस्ती दुनिया में आम हो रही है और उन पर अज़ाब नाज़िल नहीं होता, तो क्या बुतपरस्ती भी अल्लाह को पसन्द है? खुदा की पनाह!

क़ुरआन करीम के बाईसवें पारे में सूरः फ़ातिर के पांचवें रुकूअ में आयत नं० 45 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा – और अगर अल्लाह तआला इन लोगों पर इनके आमाल की वजह से (फ़ौरन) गिरफ़्त (पकड़) फ़रमाने लगता तो धरती पर एक जानदार को न छोड़ता लेकिन अल्लाह तआला इनको एक तै मीआद (यानी क़ियामत) तक मोहलत दे रहा है। जब वह उनकी मीआद आ पहुंचेगी, (उस वक़्त) अल्लाह तआला अपने बन्दों को आप देख लेगा।

मेरे दोस्त ! ऐसा नहीं है कि इधर इंसान ने गुनाह किया और उधर अल्लाह तआला का अज़ाब नाज़िल हुआ, अगर इस तरह अल्लाह तआला करता तो शायद ही दुनिया में कोई इंसान बचता, मगर यह हमारे मालिक व मुख़्तार का बड़ा रहम व करम है कि अपने बन्दों को ढील देता रहता है कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों कभी न कभी समझने की कोशिश करेंगे और गुनाहों से तौबा कर लेंगे।

क़ुरआन शरीफ़ के दूसरे में पारे सूरः बक़रः के इक्कीसवें रुकूअ में आयत न० 170 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा – उनसे जब कभी कहा जाता है कि अल्लाह तआला की उतारी हुई किताब की ताबेदारी करो, तो जवाब देते हैं कि हम तो इसी तरीक़े पर अमल करेंगे, जिस पर हमने अपने बाप दादों को (अमल करते हुए) देखा है। अगरचे उनके बाप दादे बे अक़्ल और गुमकरदा राह हों (यानी बाप दादे कुछ भी न समझते हों, फिर भी उनकी तक़्लीद करना कहां की अक़्लमंदी है?)

अल्लाह तआला इन काफ़िरों और मुश्रिकों से कहता है कि अल्लाह की किताब पर और सुन्नते रसूल पर अमल करो और अपनी जहालत को छोड़ दो तो वे कहते हैं कि हम तो अपने बड़ों की राह लगे हुए हैं, (यानी जो हमारे बाप-दादा करते थे हम उसी तरीक़े पर अमल कर रहे हैं जिन चीज़ों की वे पूजा-पाठ किया करते थे हम भी कर रहे हैं और करते रहेंगे।)

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 2, पृ० 20, सूरः बक़रः के इक्कीसवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

क़ुरआन करीम के सतरहवें पारे में सूरः हज के नवें रुकूअ में आयत न० 72 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा – जब उनके सामने हमारे कलाम की खुली हुई आयतों की तिलावत की जाती है तो तुझको काफ़िरों के चेहरों पर ना ख़ुशी की साफ़ निशानियां नज़र आती हैं करीब है कि हमारी आयतें सुनाने वालों पर हमला कर बैठें कह दे कि क्या मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा ना ख़ुशी की ख़बर दूं वह आग है जिसका वायदा ख़ुदा ने काफ़िरों से कर रखा है और वह बहुत ही बुरी जगह है।

बग़ैर दलील के बिला सनद के ख़ुदा के सिवा दूसरे की पूजा-पाठ, इबादत व बन्दगी करने वालों का जह्ल व कुफ़्र अल्लाह तआला बयान फ़रमाता है कि सिवाए शैतानी तक़्लीद और बाप दादों की देखा देखी के न कोई नक़्ली दलील उनके पास है न ही अक़्ली, इन ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं कि ख़ुदा के किसी अज़ाब से उन्हें बचा ले, उन पर ख़ुदा के पाक कलाम की आयतें सही दलीलें वाज़ेह हुज्जतें जब पेश की जाती हैं तो उनके तन बदन में आग लग जाती है ख़ुदा की तौहीद रसूल सल्ल० की पैरवी को साफ़ तौर पर बयान किया कि उन्हें मिर्चे लगीं शक्लें बदल गयीं त्यौरियों पर बल पड़ने लगे आस्तीनें चढ़ने लगीं अगर बस चले तो ज़बान खींच लें, एक लफ़्ज़ हक़्क़ानियत का ज़ुबान पर आने न दें, उसी वक़्त गला घोंट दें इन सच्चे

ख़ैर ख़्वाहों की खुदा के दीन के मुबल्लिग़ों की बुराइयां करने लगते हैं ज़ुबानें उनके ख़िलाफ़ चलने लगती हैं और मुम्किन हो तो हाथ भी उनके ख़िलाफ़ उठने में न रुकें।

अल्लाह तबारक व तआला फ़रमाता है ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! इनसे कह दो कि एक तरफ़ तो तुम जो दुख इन खुदा के दीन के मतवालों को पहुंचाना चाहते हो उसे वज़न करो। दूसरी तरफ़ उस दुख का वज़न कर लो जो तुम्हें यक़ीनन तुम्हारे कुफ़्र व इंकार की वजह से पहुंचने वाला है फिर देखो बदतरीन चीज़ कौन सी है? दोज़ख़ की वह आग और वहां के तरह-तरह के अज़ाब? या जो तक्लीफ़ तुम इन सच्चे एहले तौहीद को पहुंचाना चाहते हो? अब तुम ही समझ लो कि जहन्नम कैसी बुरी जगह है? किस क़दर हौलनाक है? किस क़दर तक्लीफ़ देने वाली है? और कितनी मुश्किल वाली जगह है? यक़ीनन वह निहायत ही बदतरीन जगह और बहुत ही खौफ़नाक जगह है जहां राहत व आराम का नाम भी नहीं।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 17, पृ० 75, सूरः हज के नवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

मेरे प्यारे दोस्त! आज हिन्दुस्तान के जाहिल अनपढ़ मुसलमानों की तरफ़ से भी हक़परस्तों को यही जवाब मिलता है कि अगर ताबूत व ताज़िया बनाना शरीअत में नाजायज़ था मना था हराम था तो फिर हमारे बाप-दादा उसको क्यों बनाते थे? मेरे भैया! यह जवाब देना आपको ज़ेबा नहीं। आप के बाप-दादा भोले, बे समझ और बे-इल्म थे इस वजह से वे सवाब समझ कर करते थे और आप तो समझदार हैं इल्म भी रखते हैं फिर आप ऐसी गुमराही में क्यों पड़े हुए हैं? यह आपकी आख़िरत के लिए ठीक नहीं है आप यह ख़्याल भी न करना कि सारे हिन्दुस्तान में ताज़िए बन रहे हैं तो फिर वे लोग बन्द क्यों नहीं करते? यह आपका ख़्याल बिल्कुल ठीक है लेकिन ताबूत व ताज़िए बन्द नहीं हो रहे इसकी भी एक खास वज़ह है और इस वजह को भी कान लगकार खूब ध्यान से सुन लो।

हक़परस्त उलेमा-ए-दीन का समझाना हमारे मुसलमान भाइयों के लिए अक्सर जगह जो बेकार साबित हो रहा है उसकी वजह हमारे जाहिल जेबभरू पीर और पेटभरू मौलवी, मुल्ला और सूफ़ी हैं। ये लोग सिर्फ़ मलीदा खाने के और नज़राना लेने के मुसलमान हैं। अगर जहालत की रस्में बन्द हो जाएं तो उन लोगों को मिलता हुआ मलीदा और नज़राना भी हमेशा के लिए बंद हो जाता है इसलिए जाहिल, अनपढ़ मुसलमानों को बहकाने के लिए वे जान तोड़ मेहनत करते हैं वे चिल्ला चिल्ला कर इस तरह समझाते हैं कि हमारी ये रस्में हमारे बड़े बूढ़ों के ज़माने से यानी बाप-दादा के खानदानों से चली आ रही हैं क्या वे मुसलमान नहीं थे? क्या वे बेवकूफ़ थे ? क्या वे जाहिल थे ? पहले इस्लाम नहीं था ? शरीअत नहीं थी? किताबें नहीं थी? मुल्ला और मौलवी नहीं थे? आलिम और मुफ़्ती नहीं थे? वाइज़ीन नहीं थे? जो आज ये लोग नये नये मसअले निकाल कर हमारी पुरानी रस्मों को बन्द कराना चाहते हैं? तुम लोग हरगिज़ इन लोगों की बातों में न आना तुम जानते नहीं हो ये सब वह्हाबियों की बातें हैं इन लोगों को सरकार की तरफ़ से तंख़्वाहें मिलती हैं या फ़लां फ़लां जमाअत की तरफ़ से इन लोगों

को वज़ीफ़ा मिलता है? अल्लाह की पनाह! अपने नफ़्स की ख़ातिर कैसे-कैसे बोहतान अल्लाह के नेक बन्दों पर लगाये जाते हैं? खुदा मुसलमानों की आंखे खोले कि वे हक़ बात को समझने लगें और पेटपरस्त, खुदपरस्त और नफ़्सपरस्त लोगों से बचें और हर बुरी रस्म को बन्द कर दें और दूसरे मुसलमान भाइयों को भी बन्द कर देने के लिए समझाएं। अल्लाह पाक ज़रूर हक़परस्तों की मदद फ़रमायेगा। यह है वह वजह जो ताज़िया और रस्में बन्द नहीं होतीं।

क़ुरआन शरीफ़ के चौथे पारे में सूर: आले इम्रान के पन्द्रहवें रुकूअ में आयत न० 148 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - अल्लाह तआला नेक लोगों को दोस्त रखता है।

मेरे प्यारे दोस्त! अल्लाह तआला तो नेक लोगों को दोस्त रखता है।

क्या आप या आपके मौलवी साहब किसी आयत से या हदीस से हनफ़ी मसलक की किसी 'मोतबर' किताब से कह सकते हैं कि ताबूत व ताज़िया बनाना नेक काम है या उसकी नज़्र व नियाज़ करना नेक काम है या उसमें रक़म खर्च करना नेक काम है या वहां पर नाचना कूदना नेक काम है या रीछ बन्दर बनना नेक काम है या जीते जी मुंह काला करना नेक काम है और मर्दों का ग़ैर औरतों के साथ और औरतों का ग़ैर मर्दों के साथ मिल जुलकर ख़लत मलत होकर मातम करना या बाज़ारों में फिरना नेक काम है? धूम धाम और शोर व गुल, ढोल ताशे, नक़्क़ारे और शहनाइयां बजाना नेक काम है? नौहे पढ़ना नेक काम है? अगर इनमें से कोई एक भी काम नेक नहीं है और इस्लाम में सबका सब हराम और नाजायज़ और बुरा है तो फिर आपकी अक़्ल कहां ग़ारत हो गयी है कि आप इन बातों को छोड़ते नहीं और बावजूद इल्म होने के समझते और जानते हुए भी गुमराही के काम करते हैं यह कितनी बड़ी बेवक़ूफ़ी और नादानी है।

क़ुरआन शरीफ़ के पहले पारे में सूर: बक़र: के दूसरे रुकूअ में आयत न० 16 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - ये वे लोग हैं जिन्होंने गुमराही को हिदायत के बदले में ले लिया है। पस न तो उनकी तिजारत ने उनको फ़ायदा पहुंचाया और न ये हिदायत वाले हुए।

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि० और इब्ने मसऊद रज़ि० और कुछ दूसरे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से रिवायत है कि उन्होंने ईमान के बदले में कुफ़्र क़ुबूल किया।

मुजाहिद रह्मतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं कि ईमान लाये फिर काफ़िर हो गये।

क़तादा रह्मतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं कि उन्होंने हिदायत पर गुमराही को पसन्द किया।

मतलब यह है कि मुनाफ़िक़ हिदायत से हट कर गुमराही पर आ गये और हिदायत के बदले गुमराही ले ली। उनके दिलों पर मुहर कर दी गयी। हिदायत से भरे हुए गुलिस्तां में से निकल कर गुमराही के कांटों भरे जंगल में और सुन्नत के पाक गुलशन से निकल कर बिदअत से भरे हुए जंगल में आ गये।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 1, पृ० 68, सूर: बक़र: के दूसरे रुकूअ की तफ़्सीर में।

ताज़िए में तीन बातें कसरत से होती हैं–

1. एक तो खेल कूद, 2. दूसरी नौहागरी, 3. तीसरी फ़िज़ूलखर्ची।

क़ुरआन करीम के सातवें पारे में सूर: अन्आम के आठवें रुकूअ में आयत न० 70 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – उन्हें छोड़ दे, जिन्होंने अपने दीन को खेल और तमाशा बना रखा है और दुनियावी ज़िन्दगी ने उन्हें धोखे में डाल रखा है।

अल्लाह पाक फ़रमाता है कि इन लोगों को छोड़ दो जिन्होंने दीन को एक खिलौना बना रखा है क्योंकि वे बड़े अज़ाब की तरफ़ जा रहे हैं। इसीलिए फ़रमाया कि उन्हें इस क़ुरआन के ज़रिए नसीहत व इबरत दिलाओ अल्लाह के अज़ाब से उन्हें डराओ ताकि वे अपने आमाल की वजह से हलाक न कर दिये जाएं।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 7, पृ० 74, सूर: अनआम के आठवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

जब किसी के घर में बूढ़ा या जवान या किसी बच्चे की मय्यत हो जाती है तो दूसरे लोग जो ज़िन्दा हैं वे मुर्दे की मिसाल नज़र आते हैं और अड़ोस पड़ोस में रहने वाले भी ऐसे नज़र आते हैं जैसे कि उनको सांप सूंघ गया हो पूरे महल्ले में सन्नाटा छा जाता है किसी के चेहरे पर रौनक़ या हंसी नज़र नहीं आती और सबके चेहरों पर हवाइयां उड़ती हुई नज़र आती हैं। उस वक़्त कोई नहीं नाचता और कोई नहीं कूदता कोई ढोल-ताशे और शहनाइयां नहीं बजाता, कोई खेल तमाशा नहीं करता कोई भेस नहीं बनाता कोई रीछ या बन्दर नहीं बनता कोई नहीं हंसता, कोई नहीं हंसाता, कोई अच्छे-अच्छे कपड़े नहीं पहनता, किसी को शर्बत भी नहीं भाता और सब के सब ऐसे बैठ हुए नज़र आते हैं कि उन लोगों के सर पर कोई मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है।

सय्यिदिना हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत पर तरह तरह के खेल और तमाशे करते हैं नाचते कूदते हैं और ढोल ताशे शहनाइयां बजाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं चाय-पान सिगरेट, हलवा पूरी, शर्बत मज़े से खाते पीते हैं आपस में एक दूसरे का मज़ाक उड़ाते हैं तरह-तरह के मर्सिए गाते हैं और तरह-तरह के भेस बनाते हैं और नाचने उछलने पर और खेल तमाशों पर एक दूसरे को वाह-वाह की दाद देते हैं और किसी के चेहरे पर सिवाए खुशी के ग़म के आसार तक नज़र नहीं आते।

अब यह शर्म की बात नहीं है कि जब हमारे घर में कोई मर जाए तो हम लोग मुर्दे की मिसाल चुप चाप और गुम सुम बैठे रहें और जन्नत के नव-जवानों के सरदार सय्यिदिना हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो रसूले खुदा के प्यारे थे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के लाडले थे हज़रत फ़ातिमा रज़ियलल्लाहु अन्हा के जिगर के टुकड़े और आंखों की रोशनी थे उनकी शहादत पर खेल तमाशे करें, इन लोगों को शर्म नहीं आती। इतना करने के बावजूद

अपने आप को मुसलमान और आशिके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम समझते हैं। जिस तरह सय्यिदिना हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को कूफ़े के लोगों ने शहीद किया और उनकी शहादत पर नाचे कूदे खेल तमाशे किये इसके बावजूद वे अपने आपको आशिके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और मुसलमान समझते थे।

ये नादान लोग जब घोड़े और ताबूत को लेकर बाज़ार के गली कूचों में निकलते हैं उस वक़्त अखाड़े वालों की एक अजीब रौनक़ होती है। लोग कहते हैं कि अखाड़ा हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का है। अगर अखाड़ा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का होता तो वह हज़रत सय्यिदिना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत पर कभी नहीं खेल सकता। क्या बाप का अखाड़ा बेटे की शहादत पर खेल सकता है? हरगिज़ नहीं।

अगर हज़रत सय्यिदिना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु इस ज़माने में ज़िन्दा होते और उनके सामने घोड़ा ताबूत और अलम या पंजे वग़ैरह बनाये जाते और उसके सामने नाचते कूदते, उछलते और खेल खेलते, लंगूर या भालू या तरह-तरह के भेस बनाकर खेल तमाशे करते ढोल ताशे शहनाइयां खूब बजाते, नौहा गाते, मर्सिया पढ़ते सीना कूटते, मर्द और औरतें जानवरों की तरह खलत-मलत होकर घूमते-फिरते, बाज़ार की गली और कूचों में औरतें बे पर्दा होकर सीना कूटतीं और इन तमाम हरकतों को हज़रत सय्यिदिना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी आंखों से देखते तो ईमानदारी से आप ही फैसला करें क्या वह इन हरकतों को पसन्द करते? हरगिज़ नहीं बल्कि वे इंतिहा समझाने की कोशिश करते।

जो लोग ताबूत और घोड़ा बनाने वाले हैं उनमें से कुछ तो पैसे कमाने के लिए बनाते हैं और कुछ सरदारियां हासिल करने के लिए बनाते हैं और कुछ नाचने कूदने और खेल तमाशे का मज़ा लूटने के लिए बनाते हैं और कुछ लोग तो इन हरकतों को मज़हब की बुनियाद समझ बैठे हैं। ये लोग हज़रत सय्यिदिना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की रूहे मुबारक को एक रोज़ा रख कर नहीं बख़्शते और न दो रक्अत नफ़्ल नमाज़ पढ़ कर बख़्शते हैं ये लोग तो सिर्फ झूठी मुहब्बत का दावा करके नाचने-कूदने का मज़ा उड़ाने वाले हैं। इन लोगों को खुदा का भी डर नहीं और न अज़ाब का डर है। कितने नादान और बे-समझ लोग हैं। नमाज़ पढ़ना, रोज़े रखना तो वबाले जान और मुसीबत समझते हैं और रस्म व रिवाज का निभाना ही मज़हब समझते हैं।

क़ुरआन करीम के छठे पारे में, सूरः माइदा के नवें रुकूअ में, आयत न० 57 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा – ऐ ईमान वालो! उन लोगों को दोस्त न बनाओ, जो तुम्हारे दीन को हंसी खेल बनाये हुए हैं।

क्या तुम उन से दोस्तियों करोगे जो तुम्हारे ताहिर मुतह्हर दीन को हंसी में उड़ाते हैं और उसे एक खेल और तमाशा बनाये हुए हैं।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 6, पृ० 113, सूरः माइदा के नवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

दूसरी बात ताज़िए में अक्सर जगह नौहागरी होती है और इसको सवाब समझ कर किया जाता है। अब नौहा करने वालों और नौहा करने वाली औरतों के लिए जो वईद (यानी अज़ाब की धमकी) आयी है उसको भी सुन लो।

हदीस – हज़रत अबू मालिक अशअ़री रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है–

जाहिलियत के दिनों की चार बातें हैं जिनको मेरी उम्मत के लोग न छोड़ेंगे–

1. फ़ख्र करना हसब पर, 2. तान करना नसब पर, 3. पानी तलब करना सितारों से,

4. नौहा करना – और नौहा करने वाली औरत अगर अपने मरने से पहले तौबा न कर लेगी तो क़ियामत के दिन खड़ी की जाएगी, इस हाल में कि उसके जिस्म पर क़तरान और ख़ारिश का कुरता होगा। यानी उसके जिस्म में ख़ारिश होगी।

हवाला –1. मिश्कता शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 299, हदीस 1628, मय्यत पर रोने का बयान,
2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 152, हदीस 936, जनाज़े का बयान,
3. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 194, हदीस 907, जनाज़े का बयान,
4. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 67, मय्यत पर रोने का बयान।

हदीस – हज़रत अबू उमामा बाहली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने गरेबान चाक करने वाली औरत, मुंह नोचने वाली और वावेला करने वाली औरत पर लानत फ़रमायी है–

हवाला – इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 243, हदीस 1605, जनाज़े का बयान।

हदीस – हज़रत अबूसईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि लानत फ़रमायी है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने नौहा करने वाली और नौहा सुनने वाली औरत पर।

हवाला –1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 300, हदीस 1633, मय्यत पर रोने का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 68, मय्यत पर रोने का बयान।

हदीस – हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि–

वह आदमी हम में से नहीं जो (ग़म में अपने) रुख़्सारों पर तमांचे मारे और गरेबान फाड़े और जाहिलियत की सी बातें करें, (यानी हाय वावेला करे)

हवाला – 1 सही बुखारी शरीफ़, जिल्द 1, पारा 5, पृ० 288, हदीस 1198, जनाज़े का बयान,
2. सही मुस्लिम शरीफ़ जिल्द 1, पृ० 18, हदीस 83, बाब 40, किताबुल ईमान,
3. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 193, हदीस 905, जनाज़े का बयान,
4. इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 243, हदीस 1604, जनाज़े का बयान।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जो आदमी जाहिलियत की सी पुकारें पुकारे, वह जहन्नम का कूड़ा करकट है।

लोगों ने पूछा हुज़ूर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अगर वह रोज़ेदार और नमाज़ी हो तो?

आपने फ़रमाया अगरचे वह नमाज़ पढ़ता हो और रोज़े भी रखता हो और अपने आप को मुसलमान भी कहता हो।

हवाला– तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 1, पृ० 76, सूरः बक़रः के तीसरे रुकूअ की तफ़सीर में।

तीसरी बात फ़िज़ूल खर्ची की है। हिन्दुस्तान के मुसलमान भाई जितनी रक़म ताज़िया और दुलदुल बनाने में खर्च करते हैं उतनी रक़म किसी और काम में खर्च नहीं करते बजाए ताबूत और दुलदुल बनाने के यह रक़म अगर दीनी मदरसों में खर्च करते या अपने बच्चों के लिए स्कूल बनाते या मुसाफ़िरों के लिए मुसाफ़िर खाना बनाते या ग़रीबों को देते या मुहताजों को देते या फ़क़ीरों को देते या यतीमों को देते या बेवाओं को देते या मुसाफ़िरों को देते या कर्ज़दारों का क़र्ज़ अदा करवा देते फिर उसका सवाब हज़रत सय्यिदिना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की रूहे मुबारक को बख़्श देते तो कितना अच्छा होता।

ताज़िया में पैसा खर्च करने से कुछ भी सवाब नहीं मिलता, बल्कि आख़िरत में अज़ाब होगा क्योंकि ताज़िया बनाने से दीन में कोई फ़ायदा नहीं होता। ताज़िया की घमाघमी और धूम धाम में जितनी रक़म खर्च होती है वह फ़िज़ूलखर्ची होती है और फ़िज़ूल खर्च करने वालों को अल्लाह तआला ने शैतान का भाई बताया है–

क़ुरआन मजीद के पन्द्रहवें पारे में सूरः बनी इस्राईल के तीसरे रुकूअ में आयत न० 26-27 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा–रिश्तेदारों और मुहताजों और मुसाफ़िरों को उनका हक़ अदा करो और फ़िज़ूल खर्ची करके माल को न उड़ाओ क्योंकि फ़िज़ूल खर्च करने वाले शैतान के भाई हैं।

फ़िज़ूल खर्ची और बेवक़ूफ़ी और अल्लाह की इताअत के छोड़ने और नाफ़रमानी करने की वजह से फ़िज़ूल खर्च लोग शैतान के भाई बन जाते हैं। शैतान में यही बद ख़सलत है कि वह रब की नेमतों का शुक्र उसकी इताअत का छोड़ने वाला उसकी नाफ़रमानी और मुख़ालफ़त का अमल करने लगता है।

हवाला– तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 15, पृ० 40, सूरः बनी इस्राईल के तीसरे रुकूअ की तफ़्सीर में।

कुछ जगह पर घोड़े ज़्यादा बनाते हैं ओर कुछ जगह पर ताज़िए ज़्यादा बनाते हैं और कुछ जगह घोड़े और ताज़िए दोनों बनाते हैं। ताज़िया तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के रोज़े की नक़ल करते हैं और घोड़ा इसलिए बनाते हैं कि इस पर करबला के मारके में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सवार हुए थे और जब आप कूफ़ा की तरफ़ रवाना हुए,

उस वक़्त आपके साथ ऊंट थे तो ऊंट बनाते हैं और कुछ जगहों पर शेर बनाते हैं। यह मेरी समझ में नहीं आता कि शेर क्यों बनाते हैं?

क़ुरआन करीम के चौथे पारे में सूर: आले इम्रान के सतरहवें रुकूअ में आयत न० 169 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किये गये हैं उन्हें हरगिज़ मुर्दा न समझो बल्कि वे ज़िन्दा हैं अपने रब के पास रोज़ियां दिये जाते हैं।

मुसनद अहमद के हवाले से लिखा है कि शहीद को छ: इनाम हासिल होते हैं-

1. उसके ख़ून का पहला क़तरा ज़मीन पर गिरते ही उसके कुल गुनाह माफ़ हो जाते हैं,
2. उसे उसका जन्नत का मकान दिखला दिया जाता है।
3. और निहायत खूबसूरत बड़ी-बड़ी आंखों वाली हूरों से उसका निकाह कर दिया जाता है
4. वह बड़ी घबराहट से अम्न में रहता है
5. वह क़ब्र के अज़ाब से बचा लिया जाता है
6. उसे ईमान के ज़ेवर से आरास्ता कर दिया जाता है।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 26, पृ० 32, सूर: मुहम्मद के पहले रुकूअ की तफ़्सीर में।

ये जाहिल हर वर्ष हज़रत सय्यिदिना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को क्या समझ कर दफ़्न करते हैं और इसके बाद तीजा, दसवां, बीसवां और चालीसवां सब कुछ करते हैं गोया कि हज़रत सय्यिदिना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को दफ़्न कर आए और जब दफ़्न करने के लिए ताज़िया उठाया जाता है तो हरिजनों से या मज़दूरों से उठवाया जाता है और अगर इन लोगों के घर कोई मर जाता है तो खुद से कंधा देंगे और दफ़्न के बाद वे तमाम रस्में होनी चाहिएं जो मरने वालों के पीछे ये जाहिल लोग करते हैं।

एक बात बड़ी हैरत और अफ़सोस की है वह यह कि जब ताज़िया दफ़्न करते हैं उस वक़्त जनाज़े की नमाज़ नहीं पढ़ते और बग़ैर नमाज़ पढ़े ही दफ़्न कर देते हैं। मरने वाले के पीछे जो कुछ होता है वह सब कुछ करते हैं सिर्फ़ एक जनाज़े की नमाज़ नहीं पढ़ते। इतनी कसर क्यों रखते हैं?

अगर ताज़िए पर जनाज़े की नमाज़ इसलिए नहीं पढ़ते कि वह जायज़ नहीं तो फिर यह घोड़ा और ताज़िया, तीजा, दसवां, बीसवां और चालीसवां या जो कुछ ताज़िए के सिलसिले में होता है वह कब जायज़ है? और कौन सी किताब में लिखा है? हमारा मज़हब किताबी है रिवाजी नहीं। अगर क़ुरआन व हदीस में कहीं भी ये बातें लिखी हुई नहीं हैं तो फिर क्यों करते हो? तौबा क्यों नहीं कर लेते?

हज़रत सय्यिदिना अब्दुल क़ादिर जीलानी रह्मतुल्लाहि अलैहि यानी बड़े पीर साहब फ़रमाते हैं-

जब किसी आदमी की मुहब्बत और दूसरे का बुग्ज़ दिल में वाक़ेअ हो तो अपने नफ़्स और अपनी तबियत से न उसको महबूब बना और न उससे बुग्ज़ रख, बल्कि इन दोनों को फ़ैसले के लिए अल्लाह की किताब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत पर पेश कर दे। पस जिसको तूने महबूब बनाया है अगर वे दोनों उसकी मुवाफ़क़त करें तो हमेशा उसकी मुहब्बत पर क़ायम रह और अगर मुख़ालिफ़ हों तो उसकी मुहब्बत से बाज आ जा।

हवाला – फ़ुयूज़े यज़दानी, पृ० 351, मज्लिस 59।

ऐ मेरे मुसलमान भाइयो और मेरी मुसलमान बहनो! अब सुन लो ताबूत व ताज़िया और ग़म के अन्दर मातम करने के बारे में फ़त्वे–

हज़रत सय्यिदना अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैहि का फ़त्वा

अगर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के दिन को ग़म व अलम का दिन मान लिया जाए तो पीर का दिन उससे भी ज़्यादा ग़म करने का दिन है क्योंकि रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वफ़ात उसी दिन हुई है और उसी दिन हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी वफ़ात पायी है।

हवाला – गुन्यतुत्तालिबीन, पृ० 454, यौमे अशूरा पर तान के बयान में।

मुहद्दिस अल्लामा मुहम्मद ताहिर रहमतुल्लाहि अलैहि का फ़त्वा

फ़ुक़हा–ए–किराम र–ह–महुमुल्लाहु तआला ने तह्क़ीक़ के साथ लिखा है कि जो हर साल सय्यिदिना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का मातम करने में आता है वह मकरूहे तह्रीमी है (यानी हराम के नज़दीक है)

हवाला – मज्मऊलबहार, हिस्सा 3, पृ० 550।

मुहद्दिस अल्लामा इब्ने हजर मक्की रहमतुललाहि अलैहि का फ़त्वा

ख़बरदार! ख़बरदार आशूरा के दिन राफ़ज़ियों की बिदअतों में हरगिज़ मशग़ूल न होना जैसा कि मर्सिया ख़्वानी, चिल्लाना मातम करना ये सब काम मुसलमानों के नहीं हैं।

हवाला – सवाअिक़े मुहर्रिक़ा, पृ० 112।

मुहद्दिस शाह अब्दुल हक़ रहमतुल्लाहि अलैहि का फ़त्वा

अह्ले सुन्नत का तरीक़ा यह होना चाहिए कि आशूरा के दिन रवाफ़िज़ फ़िर्क़े की निकाली हुई बिदअतें, जैसे कि मर्सिया और मातम और नौहा वग़ैरह से बचता रहे। वजह इसकी यह

है कि ये सब काम हम मुसलमानों के नहीं हैं।

हवाला – शरह स-फ़-रुस-सआदत, पृ० 543।

शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि का फ़त्वा

मुहर्रम में ताज़िया बनाना और बनावटी क़ब्रें बनानी, उन पर मन्नतें चढ़ानी और रबीउस्सानी (यानी ग्यारहवीं के महीने में) मेंहदी रोशन करनी और उसपर मन्नतें चढ़ानी शिर्क है।

हवाला – फ़तावा अज़ीज़िया हिस्सा 1, पृ० 147

मेरे प्यारे दोस्तो! मैं आपको क्या सुनाऊं और क्या न सुनाऊं? मेरी तो अक़्ल हैरान है कि इतने इतने सबूत होते हुए भी अपने आपको सुन्नी और हनफ़ी कहलाने वाले तौबा नहीं करते और अपनी आंखें बन्द करके गुमराहों की अन्धी तक़्लीद कर रहे हैं।मजमूआ-ए-फ़तावा, जिल्द 2, पृ० 106, में लिखा है कि ताबूत और उसके सामने जितने काम हो रहे हैं ये सब काम बिदअत और मना हैं इसका करने वाला बिदअती और फ़ासिक़ है।

खुत्बा हनफ़ीया, वाज़ न० 16, पृ० 127, के अन्दर ताबूत बनाने को हराम लिखा है।

मेरे अज़ीज़ दोस्तो! हनफ़ी मज़हब के मानने वाले तमाम उलेमा-ए-दीन ताबूत को नाजायज़, मना, गुमराही और हराम बताते हैं। इस मसअले में देवबन्दी और बरेलवी उलेमा सबका इत्तिफ़ाक़ है यानी दोनों तरफ़ के उलेमा ताबूत बनाने से या उसमें शामिल होने से या उसकी मदद करने से मना फ़रमाते हैं।

अब सुनिये बरेलवी उलेमा के फ़त्वे

हज़रत मौलाना अहमद रज़ा खां साहब बरेलवी का फ़त्वा

अलम, ताज़िया, अबरीक, मेंहदी जैसे तरीक़े जारी करना बिदअत है। बिदअत से इस्लाम की शान बढ़ती नहीं। ताज़िया की हाजत को पूरा करने वाला मानना जहालत पर जहालत है। उसकी मन्नत मानना बेवक़ूफ़ी और न करने में नुक़्सान जानना जनाना वह्म है। मुसलमानों को ऐसी हरकत से बचना चाहिए।

हवाला – रिसाला मुहर्रम व ताज़ियादारी, पृ० 59।

मुहर्रम में काले और हरे रंग के कपड़े (पहनना) ग़म की निशानी है और ग़म हराम है।

हवाला – अह्कामे शरीअत, हिस्सा 1, पृ० 90

हज़रत मौलाना मुस्तफ़ा साहब बरेलवी का फ़त्वा

ताज़िया बनाना बिदअत है। इससे इस्लाम की शौकत या दबदबा नहीं बढ़ता बल्कि माल को फ़िज़ूल फेंक देना है। इसके लिए सख़्त सज़ा की वईद (यानी धमकी) आयी है।

हवाला – रिसाला मुहर्रम व ताज़ियादारी, पृ० 60

हज़रत मौलाना मुहम्मद इर्फ़ान रिज़्वी साहब बरेलवी का फ़त्वा

ताज़िया बनाना और उस पर फूल हार चढ़ाना वग़ैरह सब काम नाजायज़ और हराम हैं।

हवाला – इर्फ़ाने हिदायत, पृ० 9।

हज़रत मौलाना हश्मत अली साहब बरेलवी का फ़त्वा

ताज़िया जिस तरीक़े से चालू है उसमें कितने गुनाह ख़िलाफ़े शरीअत बातों का मज्मूआ हैं गुनाह, नाजायज़ बहुत बुरी बिदअत है। अल्लाह के अज़ाब की वजह से और राफ़ज़ियों का तरीक़ा और शरीअत से ना वाक़िफ़ और बे इल्म के सिवा कोई जायज़ नहीं कहता।

हुज़ूरे अक़्दस सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं–

हर एक बिदअत गुमराही है। हर एक गुमराही का ठिकाना जहन्नम है।

दूसरी हदीस में है–

हर एक बुरा काम नयी पैदा की हुई राह है और हर एक नयी पैदा की हुई राह बिदअत है और हर एक बिदअत गुमराही है। (मिश्कात शरीफ़)

इसलिए हर एक ताज़िया बनाने वाला रखने वाला उसमें पैसे देने वाला या खाली मदद करने वाला उसके ऊपर शीरीनी यानी नियाज़ चढ़ाने वाला, फ़ातिहा देने वाला सब गुनाहगार और सख़्त अज़ाब के हक़दार हैं क्योंकि ये सब बातें अज़ाब का ज़रिया हैं। अल्लाह तआला फ़रमाता है कि गुनाह और ज़ुल्म के कामों में मदद न करो, मुसलमानों को चाहिए कि ऐसी ख़तरनाक बिदअत से और बुरे कामों से तुम्हारे लिए बचना ज़रूरी है। हदीस के मुताबिक़ बचे और दूर रहे और किसी तरह भी इसमें शरीक न होवें।

हवाला – मज्मउल मसाइल, हिस्सा 1, पृ० 119।

हज़रत मौलाना अमजद अली साहब रिज़्वी बरेलवी का फ़त्वा

ताज़ियादार करबला के वाक़िआत के सिलसिले में तरह तरह के ढांचे बनाते हैं और उनको हज़रत सय्यिदिना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के रौज़ा–ए–पाक की शबीह कहते हैं कहीं तख़्त बनाये जाते हैं कहीं ज़री बनती है और अलम शद्दे निकाले जाते हैं ढोल ताशे और क़िस्म–किस्म के बाजे बजाए जाते हैं। ताज़ियों का बहुत धूम धाम से गश्त होता है। आगे पीछे होने में जाहिलियत के से झगड़े होते हैं पेड़ की शाखें काटी जाती हैं कहीं चबूतरे खुदवाये जाते हैं ताज़ियों से मन्नतें मानी जाती हैं सोने चांदी के अलम चढ़ाये जाते हैं हार, फूल, नारियल चढ़ाये जाते हैं वहां जूता पहन कर जाने को गुनाह जानते हैं बल्कि इस शिद्दत से मना करते हैं कि गुनाह पर भी ऐसी मुमानिअत नहीं करते छतरी लगाने को बहुत बुरा जानते हैं ताज़ियों के अन्दर दो बनावटी क़ब्रें बनाते हैं–

एक पर सब्ज़ ग़िलाफ़ और दूसरी पर सुर्ख़ ग़िलाफ़ डालते हैं और सब्ज़ ग़िलाफ़ वाली क़ब्र को हज़रत सय्यिदिना हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की क़ब्र और सुर्ख़ ग़िलाफ़ वाली को हज़रत सय्यिदिना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शबीह या क़ब्र बताते हैं और वहां शर्बत, मलीदा वग़ैरह पर फ़ातिहा दिलवाते हैं।

यह सोच कर कि हज़रत इमामे आली मक़ाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के रौज़ा-ए-अक़्दस पर फ़ातिहा दिला रहे हैं फिर यह ताज़िए दसवीं तारीख़ को बनावटी करबला में ले जाकर दफ़्न करते हैं गोया यह जनाज़ा था जिसे दफ़्न कर आए फिर तीजा, दसवां, चालीसवां सब कुछ किया जाता है और हर एक खुराफ़ात पर मुश्तमल होता है। हज़रत क़ासिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मेंहदी निकालते हैं गोया उनकी शादी हो रही है मेंहदी रचायी जाएगी।

और इसी ताज़ियादारी के सिलसिले में कोई पीक बनता है जिसकी कमर से घुंघरू बंधे होते हैं गोया यह हज़रते इमाम आली मक़ाम का क़ासिद और हरकारा है जो यहां से ख़त लेकर इब्ने ज़ियाद के पास जाएगा और वह हरकारों की तरह भागा फिरता है किसी बच्चे को फ़क़ीर बनाते हैं और उसके गले में झोली डाल देते हैं और घर घर से भीख मंगवाते हैं कोई सक्का बनाया जाता है छोटी सी मशक उसके क़ंधे से लटकती है गोया यह दरियाए फ़रात में से पानी भर कर लाएगा किसी अलम पर मशक लटकती है और उसमें तीर लगा होता है गोया कि हज़रत अब्बास अलमदार हैं कि दरियाए फ़रात से पानी ला रहे हैं और यज़ीदियों ने मशक को तीर से छेद दिया है। इसी क़िस्म की बहुत सी बातें की जाती हैं ये सब लग्व और खुराफ़ात हैं इनसे हरगिज़ सय्यिदिना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुश नहीं हैं।

यह तुम खुद ग़ौर करो कि उन्होंने एह्याए दीन व सुन्नत के लिए ज़बरदस्त कुर्बानियां दीं और तुमने मआज़ल्लाह उसको बिदअत का ज़रिया बना लिया कहीं तो इसी ताज़िएदारी के सिलसिले में बुराक़ बनाया जाता है जो अजीब क़िस्म का मुजस्समा होता है कुछ हिस्सा इंसानी शकल का होता है और कुछ हिस्सा जानवर का सा होता है शायद यह हज़रते आली मक़ाम की सवारी के लिए एक जानवर होगा कहीं दुलदुल यानी घोड़ा बनता है कहीं बड़ी-बड़ी क़ब्रें बनती हैं कुछ जगह आदमी बन्दर रीछ और लंगूर बनते हैं और कूदते फिरते हैं जिनको इस्लाम तो इस्लाम इन्सानी तहज़ीब भी जायज़ नहीं रखती। ऐसी बुरी हरकत इस्लाम हरगिज़ जायज़ नहीं रखता। अफ़सोस कि मुहब्बत अह्ले बैते किराम से करने का दावा और ऐसी बेजा हरकतें?

यह वाक़िआ तुम्हारे लिए नसीहत थी और तुमने उसको खेल तमाशा बना लिया। इस सिलसिले में नौहा और मातम भी होता है और सीना कोबी भी होती है इतने ज़ोर से सीना कूटते हैं कि वरम हो जाता है सीना लाल हो जाता है बल्कि कहीं कहीं तो ज़ंजीरों और छुरियों

से मातम करते हैं कि सीने से खून बहने लगता है ताज़ियों के पास मर्सिया पढ़ा जाता है और ताज़िया जब गश्त को निकलता है उस वक़्त भी उसके आगे मर्सिया पढ़ा जाता है मर्सिया में ग़लत वाक़िआत नज़्म किये जाते हैं। अह्ले बैते किराम की बे-हुर्मती होती है और बे-सब्री और ज़ज़अ फ़ज़अ का ज़िक्र किया जाता है क्योंकि अक्सर मर्सिए राफ़ज़ियों के ही हैं कुछ में तबर्रा भी होता है मगर उसी रौ में सुन्नी भी उसे बे-तकल्लुफ़ पढ़ जाते हैं उन्हें इसका ख़्याल भी नहीं होता कि क्या पढ़ रहे हैं ये सब नाजायज़ और गुनाह के काम हैं।

हवाला – बहारे शरीअत, हिस्सा 16, पृ० 211, मजालिस का बयान।

अलम और ताज़िया बनाने और पीक बनने और मुहर्रम में बच्चों को फ़क़ीर बनाने और बद्धी पहनाने और मर्सिये की मज्लिस करने और ताज़ियों पर नियाज़ दिलाने वग़ैरह खुराफ़ात जो राफ़ज़ी और ताज़ियादार लोग करते हैं उसकी मन्नत सख़्त जहालत है ऐसी मन्नत माननी न चाहिए और मानी हो तो पूरी न करें और इन सबसे बदतर शेख सद्दू का मुर्ग़ा और कड़ाही है।

हवाला – बहारे शरीअत, हिस्सा 9, पृ० 35, मन्नत का बयान।

न मुस्तफ़ा की मुहब्बत है ताज़ियाबाज़ी।
न अह्ले बैत की उलफ़त है ताज़िया बाजी।
ख़िलाफ़े शरअ़ जो तुम ऐसे आशिक़ आए हो,
नयी तुम्हारी इबादत है ताज़ियाबाज़ी।
नमाज़ व रोज़ा व हज व ज़ाकत छोड़के सब,
समझते हैं कि किफ़ायत है ताज़ियाबाज़ी।
डरो खुदा से करो तौबा इन गुनाहों से,
यह सारी नफ़्स की शामत है ताज़ियाबाज़ी।
बहुत सा क़ौम को समझा चुके हम ऐ असरार
न छोड़ें, उनकी जहालत है ताज़िाबाज़ी।

हवाला – खुत्बा हनफ़ीया, वाज न० 17, पृ० 135।

मेरे प्यारे दोस्त! ताबूत और घोड़ा बनाना बिदअत है उससे मुराद मांगना और उसे हाजत पूरी करने वाला समझना कुफ़्र है उसकी मन्नत मानना और उस पर नारियल और फूल चढ़ाना या कोई नियाज़ वग़ैरह चढ़ाना शिर्क है उसकी ताज़ीम व तक्रीम करना और क़ाबिले सवाब समझना बुतपरस्ती है। इस ताबूत और घोड़ा बनाने में या नाचने कूदने में और नौहागरी करने में या मर्सिए पढ़ने में कोई क़ाबिले सवाब बात नहीं है ये सब काम शरीअत के बिल्कुल खिलाफ़ हैं और परले दर्जे की गुमराही के तरीक़े हैं।

बुतपरस्ती का अंजाम

कुरआन करीम के उन्नीसवें पारे में सूर: शुअरा के चौथे रुकूअ में आयत न० 52 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - हमने मूसा (अलैहिस्सलाम) को वह्य भेजी कि रातों रात मेरे बन्दों को लेकर निकल जाओ, तुम्हारा पीछा किया जाएगा।

हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तआला की तरफ़ से हुक्म होता है कि बनी इस्राईल को लेकर यहां से रातों रात निकल जाओ। आप रातों रात उन्हें लेकर रवाना हो गये। सुबह फ़िरऔनियों ने देखा कि रात को सारे बनी इस्राईल चले गये तो फ़िरऔन को जाकर खबर कर दी। उसने सारे मुल्क में खबर भेजकर फौजें तलब कीं और बहुत बड़ी जमीयत के साथ उनका पीछा किया। रास्ते में जो दरिया बीच में आता था इसकी तरफ़ खुदा की वह्य पहुंची कि तुझ पर जब मेरे बन्दे मूसा (अलैहिस्सलाम) की लकड़ी पड़े तो तू उन्हें रास्ता दे देना तुझ में बारह रास्ते में हो जाएं ताकि बनी इस्राईल के बारह क़बीले अलग अलग अपनी राह लग जाएं फिर जब ये पार हो जाएं और फिरऔनी अन्दर आ जाएं, तो तू मिल जाना और उनमें से एक को भी गर्क़ किये बग़ैर न छोड़ना।

मूसा अलैहिस्सलाम जब दरिया पर पहुंचे तो देखा कि वह मौजें मार रहा है पानी चढ़ा हुआ है शोर उठ रहा है तो घबरा गये और लकड़ी मारना भूल गये। दरिया बे क़रार था कि कहीं ऐसा न हो कि उसके किसी हिस्से पर मूसा अलैहिस्सलाम लकड़ी मार दें और उसे खबर न हो तो खुदा के अज़ाब में नाफ़रमानी की वजह से फंस जाए।

इतने में फिरऔन का लश्कर बनी इस्राईल के क़रीब आ पहुंचा। ये घबरा गये और मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे मूसा हम पकड़ लिये गये अब आप वह कीजिए जो खुदा का आप को हुक्म है यक़ीनन न तो ख़ुदा झूठा है और न आप झूठे हैं आपने फ़रमाया था कि मुझे हुक्म किया गया है कि जब तू दरिया पर पहुंच जाए तो वह तुझे बारह रास्ते दे देगा तू गुज़र जाना।

उसी वक़्त याद आया कि लकड़ी मारने का हुक्म हुआ है चुनांचे लकड़ी मारी। इधर फ़िरऔनी लश्कर का अव्वल हिस्सा बनी इस्राईल के आख़िरी हिस्से के क़रीब आ चुका था कि दरिया सूख गया और उसमें बारह रास्ते हो गये और आप अपनी क़ौम को लिए हुए उसमें बे खतर उतर पड़े और आराम के साथ जाने लगे। जब बनी इस्राईल समुन्दर से पार हो गये तो फ़िरऔनी सिपाही उनके पीछे दरिया में उतरे और जब यह सारा लश्कर दरिया में उतर गया तो खुदा के फ़रमान के मुताबिक़ दरिया फिर रवां हो गया यानी असली हालत में बहने लगा और सबको एक ही वक़्त में ग़र्क़ कर दिया।

बनी इस्राईल इस वाक़िए को अपनी आंखो से देख रहे थे उस वक़्त उन्होंने कहा ऐ अल्लाह

के नबी! हमें क्या ख़बर कि फ़िरऔन भी मर गया या नहीं। आपने अल्लाह से दुआ की और दरिया ने फ़िरऔन की बेजान लाश को किनारे पर फेंक दिया जिसे देखकर उनको पूरा यक़ीन हो गया कि उनका दुश्मन मय अपने लश्कर के तबाह हो गया।

क़ुरआन करीम के नवें पारे में सूरः आराफ़ के सोलहवें रुकूअ में आयत न० 138 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – बनी इस्राईल को हमने समुन्दर से पार कर दिया फिर ये चले और रास्ते में एक ऐसी क़ौम पर उनका गुज़र हुआ जो अपने कुछ बुतों पर लट्टू हो रही थी (यानी पूज रहे थे)। कहने लगे ऐ मूसा (अलैहिस्सलाम) हमारे लिए भी कोई ऐसा माबूद बना दीजिए जैसा कि इन लोगों के माबूद हैं। मूसा (अलैहिस्सलाम) ने फ़रमाया कि तुम लोग बड़े जाहिल हो।

ऊपर की आयते करीमा ग़ौर के क़ाबिल है। सोचने और समझने की बात है कि मूसा अलैहिस्सलाम साथ हैं सैंकड़ों मोजिज़े देखते चले आ रहे हैं अभी अभी समुन्दर फटा, बनी इस्राईल पार हो गये और फ़िरऔन ग़र्क़ हो गया। यह सब कुछ आंखों के सामने हुआ है किसी की सुनी सुनायी बात नहीं थी फिर भी समुन्दर से पार होकर कुछ दूर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि एक जमाअत बुतों की पूजा कर रही है उनको देखकर मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मती मूसा अलैहिस्सलाम से गुज़ारिश और सिफ़ारिश करते हैं कि हमें भी एक ऐसा बुत पूजने के लिए बना दीजिए जैसा कि इन लोगों के पास है शैतान की मेहनत को देखिए मूसा अलैहिस्सलाम के मौजूद होते हुए उनके दिल में बुतपरस्ती की मुहब्बत डाल दी।

हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने नाराज़ होकर फ़रमाया कि तुम बड़े ही जाहिल लोग हो। तुम लोगों ने इतनी बड़ी-बड़ी इबरतनाक निशानियां देखीं ऐसे अहम वाक़िआत सुने, लेकिन न अब तक इबरत हुई, और न ग़ैरत आयी।

हिन्दुस्तान के मुसलमानों के लिए यह बात ग़ौर के क़ाबिल है कि कुछ खास वक़्त भी नहीं गुज़रा अल्लाह के रसूल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ में होने के बावजूद बनी इस्राईल बुत पूजने की तमन्ना कर रहे हैं।

• आज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को लगभग चौदह सौ साल हो गये क्या हम को शैतान ने कुछ भी नहीं बहकाया होगा? क्या हम सबके सब उसी तरीक़े पर हैं जो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम दुनिया के लिए लेकर आए थे।

हदीस – हज़रत अबू वाक़िद लैसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हुनैन की तरफ़ तशरीफ़ ले चले तो मुश्रिकों के एक पेड़ के पास से गुज़रे। उस पेड़ को ज़ाते अन्वात कहते थे। उस पर वे अपने हथियार लटकाते थे। लोगों ने अर्ज़ किया–

ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! हम लोगों के लिए भी ज़ाते अन्वात

बना दीजिए, जैसा कि इनके लिए ज़ाते अन्वात है।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया यह वैसी ही मांग है जैसी कि मूसा अलैहिस्सलाम की क़ौम ने कहा था कि हम लोगों के लिए भी कुछ माबूद बना दीजिए, जिस तरह इनके लिये माबूद हैं। उस ज़ात की क़सम! जिस की क़ुदरत के क़ब्जे में मेरी जान है बेशक तुम लोग अपने से पहले लोगों (यहूदी व ईसाइयों) के तरीक़े पर चलोगे।

हवाला–1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 11, हदीस 46, फ़ित्ने का बयान,
2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 775, हदीस 5146, फ़ित्ने का बयान,
3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 304, फ़ित्ने का बयान।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हुनैन की लड़ाई की तरफ़ चले तो आपके साथ दस हज़ार आदमियों का लश्कर था। रास्ते में कुछ लोग किसी एक पेड़ पर हथियार लटकाये बैठे थे। उनके ख़्याल में यह था कि इस पेड़ पर कुछ दिन या कुछ घंटे हथियार लटकाने से वह हथियार दुश्मनों पर बहुत चलता है।

उन्हें देखकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से दर्ख़्वास्त की गयी कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! हम लोगों के लिए भी ऐसा ही एक पेड़ बना दीजिए ताकि हम भी बरकत हासिल कर सकें।

तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि यह ऐसी ही मांग है जैसी कि मूसा अलैहिस्सलाम से उनके उम्मतियों ने की थी। खुदा की क़सम! तुम लोग दूसरों के क़दम-ब-क़दम चलोगे यानी जो काम यहूदियों और ईसाइयों ने किया है उनसे कम तुम भी नहीं रहोगे।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ होते हुए भी शैतान ने बुत परस्ती की मुहब्बत उनके दिल में डाल दी। आज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को लगभग चौदह सौ साल हो गये फिर यह शैतान हमको ताज़िया और क़ब्रें नहीं पुजवायेगा तो क्या छोड़ देगा?

वहां से आगे चल कर एक मंज़िल पर मूसा अलैहिस्सलाम ने क़ियाम किया और वहां अपना ख़लीफ़ा हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को बना कर क़ौम से ख़िताब फ़रमाया कि मेरी वापसी तक इनकी फ़रमांबरदारी करते रहना। मैं अपने रब के पास जा रहा हूं। तीस दिन का उसका वायदा है। चुनांचे क़ौम से अलग होकर वह वायदे की जगह पहुंचे और तीस दिन रात के रोज़े पूरे कर के खुदा से बातें करने का ध्यान पैदा हुआ लेकिन यह समझ कर कि रोज़े की वजह से मुंह से बदबू निकल रही है थोड़ी सी घास लेकर आपने चबा ली।

अल्लाह तआला ने इल्म के बावजूद पूछा कि ऐसा क्यों किया?

आपने जवाब दिया कि सिर्फ़ इसलिए कि खुदाया तुझसे बातें करते वक़्त मेरा मुंह खुश्बूदार मालूम हो।

अल्लाह तआला ने फ़रमाया तुझे मालूम नहीं कि रोज़ेदार के मुंह की बू मुझे मुश्क व अंबर की खुश्बू से ज़्यादा अच्छी लगती है। अब तू दस रोज़े और रख, फिर मुझसे बातचीत करना, आपने रोज़े रखने शुरू कर दिये।

क़ौम पर तीस दिन गुज़र गये और वायदे के मुताबिक़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस न आये, तो वह ग़मगीन रहने लगे।

हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने उनमें वाज़ किया और फ़रमाया कि–

जब तुम मिस्र से चले थे तो क़िब्तियों की रक़म तुम में से कुछ के ऊपर उधार थी। इसी तरह उनकी अमानतें भी तुम्हारे पास रह गयी हैं। ये हम उन्हें वापस तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं यह भी नहीं चाहता कि वें हमारी मिल्कियत में रहें, इसलिये तुम एक गहरा गढ़ा खोदो ओर जो असबाब, बर्तन, ज़ेवर, सोना–चांदी उनका तुम्हारे पास है सब उसमें डाल दो और आग लगा दो।

चुनांचे ऐसा ही किया गया।

उनके साथ सामरी नामी एक आदमी था। यह गाय और बछड़े पूजने वालों में से था। बनी इस्राईल में से नहीं था लेकिन पड़ौसी होने की वजह से और फ़िरऔन की क़ौम में से न होने की वजह से यह भी इनके साथ वहां से निकल आया था। उसने एक खास निशान से कुछ मुट्ठी में उठा लिया था। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया तू भी उसे डाल दे।

उसने जवाब दिया कि यह तो उस फ़रिश्ते के असर से है जिसके ज़रिए तुम्हें दरिया से पार कर दिया गया। खैर! मैं उसे डाल देता हूं लेकिन इस शर्त पर कि आप अल्लाह से दुआ करें कि इससे वह बन जाए, जो मैं चाहता हूं।

आपने दुआ की और उसने अपनी मुट्ठी में जो था उसे डाल दिया और कहा मैं चाहता हूं कि इस का बछड़ा बन जाए। खुदा की क़ुदरत से उस गढ़े में जो था वह एक बछड़े की शकल में हो गया जो भीतर से पोला (यानी खोखला) था। उसमें रूह नहीं थी लेकिन हवा उसके पीछे के सूराख़ से जाकर मुंह से निकलती थी इससे एक आवाज़ पेदा होती थी।

बनी इस्राईल ने पूछा सामरी! यह क्या है?

उस बे–ईमान ने कहा यही तुम्हारा रब है।

लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम रास्ता भूल गये और दूसरी जगह रब की तलाश में चले गये। इस बात ने बनी इस्राईल के कई फ़िर्के कर दिये।

एक फ़िर्के ने तो कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के आने तक इसके बारे में कोई बात तै नहीं कर सकते। मुम्किन है यही खुदा हो तो हम इसकी बे अदबी क्यों करें? और अगर यह रब नहीं तो मूसा अलैहिस्सलाम के आते ही यह हक़ीक़त खुल जाएगी।

दूसरी जमाअत ने कहा, महज़ वाहियात है। यह शैतानी हरकत है। हम इस लग़्व बात

पर बिल्कुल ईमान नहीं रखते न यह हमारा रब न इस पर हमारा ईमान।

एक पाजी फ़िर्के ने उसको दिल से मान लिया था और सामरी की बात पर ईमान ले आया और हक़ को झुठला दिया।

(मेरे अज़ीज़ दोस्त! कोई आदमी कैसी भी गुमराही की रस्म निकाले उसको दुनिया में कुछ लोग तो यक़ीनी तौर पर मान ही लेते हैं)

हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने उसी वक़्त सब को जमा करके फ़रमाया–

'ऐ लोगो! यह खुदा की तरफ़ से तुम्हारी आज़ामइश है। तुम इस झगड़े में कहां फंस गये? तुम्हारा रब तो रहमान है तुम मेरी इताअत करो और मेरा कहा मानो।

उन्होंने कहा आख़िर इस की क्या वजह है कि तीस दिन का वायदा करके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गये हैं और आज चालीस दिन होने को आए हैं लेकिन अब तक लौटे नहीं।

कुछ बेवक़ूफ़ों ने यहां तक कह दिया कि उनसे उनका रब खता कर गया। अब वह उसकी तलाश में होंगे।

उधर दस रोज़े पूरे होने पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तआला से हमकलामी का शर्फ़ हासिल हुआ। आप को बतलाया गया कि आप के बाद आप की क़ौम का क्या हाल है? आप उसी वक़्त रंज और अफ़सोस और ग़म व ग़ुस्से के साथ वापस लौटे और यहां आकर क़ौम से बहुत कुछ कहा सुना अपने भाई के सर और दाढ़ी के बाल पकड़ कर घसीटने लगे। गुस्से की ज़्यादती की वजह से (यह भी ख्याल न रहा कि मेरे हाथ में कितनी मुक़द्दस चीज़ है और) तख़्तियां भी हाथ से फेंक दीं। फिर असल हक़ीक़त मालूम हो जाने पर अपने भाई से माफ़ी चाही और उनके लिये दुआ की।

फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सामरी की तरफ़ मुख़ातिब होकर फ़रमाने लगे कि तूने ऐसा क्यों किया?

उसने जवाब दिया कि खुदा के भेजे हुए के पांव तले से मैंने एक मुट्ठी भर मिट्टी उठा ली। ये लोग उसे पहचान न सके और मैंने जान लिया था। मैंने वही मिट्टी उस आग में डाल दी थी। मेरे दिल में यही बात आयी।

आपने फ़रमाया जा इसकी सज़ा दुनिया में तो यही है कि तू यही कहता रहे कि मुझे हाथ लगाना नहीं।' फिर एक वायदे का वक़्त है जिसका खिलाफ़ होना ना मुम्किन है। (यानी क़ियामत के दिन का अज़ाब जो कुछ होगा वह इस अज़ाब से अलग होगा) और तेरे देखते हुए हम तेरे इस माबूद को जला कर उसकी खाक भी बहा देंगे।

चुनांचे आपने यही किया उस वक़्त बनी इस्राईल को यक़ीन आ गया कि यह वाक़ई खुदा न था। अब वह बड़े शर्मिन्दा हुए और सिवाए उन मुसलमानों के जो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के हम अक़ीदा थे बाक़ी लोगों ने उज़्र व माज़रत की और कहा–

ऐ नबी! अल्लाह से दुआ कीजिए कि वह हमारे लिए तौबा का दरवाज़ा खोल दे जो वह फ़रमायेगा हम करेंगे ताकि हमारी यह ज़बरदस्त खता माफ़ हो जाए।

आपने बनी इस्राईल के इस गिरोह में से सत्तर आदमियों को छांट कर अलग किया और तौबा के लिए ले चले वहां ज़मीन फट गयी और आपके सब साथी उस में धंस गये। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िक्र हुई कि मैं बनी इस्राईल को क्या जवाब दूंगा। आपने गिरया व ज़ारी अल्लाह तआला से शुरू की और दुआ की कि ऐ खुदा! अगर तू चाहता तो उससे पहले ही मुझे और उन सब को हलाक कर देता। हमारे बेवकूफ़ों के गुनाह के बदले तू हमें हलाक न कर। आप तो उनके ज़ाहिर को देख रहे थे और खुदा की नज़रें उनके बातिन पर थीं। उनमें से ऐसे भी थे जो ज़ाहिर में मुसलमान बने हुए थे लेकिन असल में दिली अक़ीदा उनका उस बछड़े के रब होने पर था। उन्हीं मुनाफ़िक़ों की वजह से सबको इस ज़मीन में धंसा दिया गया था।

हवाला – तफ़्सीरे इबने कसीर, पारा 16, पृ० 69, सूरः ताहा के दूसरे रुकूअ की तफ़्सीरर में।

क़ुरआन शरीफ़ के पहले पारे में सूरः बक़रः के छठे रुकूअ में आयत न० 54 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

– और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी क़ौम से कहा कि ऐ मेरी क़ौम! बछड़े को माबूद बना कर तुमने अपनी जानों पर ज़ुल्म किया। अब तुम पैदा करने वाले की तरफ़ रुजूअ करो और आपस में एक दूसरे को क़त्ल करो। तुम्हारी बेहतरी खुदा के नज़दीक इसी में है वह तुम्हारी तौबा क़ुबूल कर लेगा।

अल्लाह के नबी की आह व ज़ारी पर खुदा की रहमत जोश में आयी और जवाब मिला कि यों तो मेरी रहमत सब पर छायी हुई है लेकिन इन लोगों की तौबा उस वक़्त क़ुबूल होगी जब कि ये लोग आपस में एक दूसरे को क़त्ल करना शुरू कर दें न बाप बेटे को देखे न बेटा बाप को छोड़े, आपस में गुथ जाएं, एक दूसरे को क़त्ल करना शुरू कर दें।

चुनांचे बनी इस्राईल ने यही किया और जो लोग मुनाफ़िक़ थे उन्होंने भी सच्चे दिल से तौबा की अल्लाह तआला ने उनकी तौबा क़ुबूल फ़रमायी। जो बच गये वे भी बख्शे गये और जो क़त्ल हुए वे भी बख़्शे गये।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 16, पृ० 70, सूरः ताहा के दूसरे रुकूअ की तफ़्सीर में।

मेरे अज़ीज़ दोस्त! यह था बुतपरस्ती का अंजाम कि उन लोगों पर अल्लाह तआला ने एक अंधेरा सा कर दिया। फिर ये सब के सब आपस में एक दूसरे को क़त्ल करने लगे। कोई किसी को पहचान नहीं सकता था– अंधेरे की वजह से फिर जो मर गये वे भी बख़्श दिये गये और जो बच गये वे भी बख्श दिये गये।

मेरे अज़ीज़ दोस्त! अगर आप समझ सकें, तो आज हिन्दुस्तान में क़ौमी झगड़े जो होते हैं वे सब हमारे गुनाहों की सजाएं हैं।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि किसी चीज़ की मुहब्बत इंसान को अंधा और बहरा कर देती है।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 9 पृ० 22 सूरः आराफ के अठारहवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

मेरे प्यारे दोस्त! आज हमको भी ताबूत, छल्ले और क़ब्रपरस्ती की मुहब्बत ने अंधा और बहरा बना दिया है। हमारे हिन्दुस्तान के मुसलमानों की बर्बादी इसी गुमराही का नतीजा है। मूसा अलैहिस्सलाम के अक्सर उम्मतियों के दिल में जिस तरह बछड़े की मुहब्बत घुस गयी थी उसी तरह हिन्दुस्तान के अक्सर मुसलमानों के दिल में जहालत और बे इल्मी की वजह से कुफ़्र व शिर्क और बिदअत की मुहब्बत घुस गयी है जो निकालने से भी नहीं निकलती।

बुतपरस्ती कैसे फैली

क़ुरआन शरीफ़ के नवें पारे में सूरः आराफ़ के चौबीसवें रुकूअ में आयत न० 194 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – वाक़ई तुम खुदा को छोड़कर जिनकी इबादत करते हो वे भी तुम ही जैसे बन्दे हैं तुम उनको पुकारो फिर उनको चाहिए कि तुम्हारा कहना कर दें अगर तुम सच्चे हो।

अल्लाह तआला फ़रमाता है कि जिन चीज़ों को तुम पूजते हो माना कि पत्थरों के बुतों को तुम नहीं पूजते हो बल्कि उनको जिनकी ये फ़र्ज़ी मूरतें हैं सो वे भी तुम्हारी ही तरह खुदा के बंदे हैं और पैदा किये गये हैं और हाजत मांगने में तुम्हारे ही जैसे हैं फिर उनमें कौन सी बात उलूहियत (यानी माबूद बनने) की है अच्छा उनको पुकारो देखो वे तुम्हें जवाब देते भी हैं या नहीं अगर तुम अपने ख़्याल में सच्चे हो वरना महज़ ग़लत वह्म की पूजा करते हो।

हवाला – तफ़्सीरे हक़्क़ानी जिल्द 4, पृ० 179, सूरः आराफ़ के चौबीसवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

क़ुरआन करीम के नवें पारे में सूरः आराफ़ के चौबीसवें रुकूअ में आयत न० 195 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – क्या ये पांव रखते हैं कि उनसे चलें, क्या ये हाथ रखते हैं कि उनसे पकड़ें क्या ये आंखें रखते हैं कि उनसे देखें क्या ये कान रखते हैं कि उनसे सुनें ?

अगर इन मूर्तियों और तराशे हुए पत्थरों को पूजते हो तो यह बिल्कुल बेवकूफ़ी है क्योंकि वे तुम से भी ज़्यादा मुहताज हैं। तुम्हारे तो हाथ पांव, आंख, कान भी हैं, ये तो इनसे भी महरूम हैं, इनके न पांव हैं जिनसे वे चल सकें और चलकर तुम्हारी मदद को पहुंचें, न हाथ हैं कि जिनसे तुम्हारे दुश्मनों को रोक सकें न तुम्हें कुछ दे सकते हैं और न आंखें हैं कि तुम्हारा हालेज़ार देखकर तुम पर रहम करें और न कान हैं कि तुम जो उनके नाम की दुहाई देते हो पुकारते हो। अला हाज़ल क़ियास, यानी दुहाई का शोर मचाते हो (ख़ुदा को छोड़ कर जिन

जिन के नारे लगाते हो) ऐ फलां मेरी मदद कीजियो, मुसीबत के वक़्त कहते हो। उठते बैठते या अल्लाह की जगह या फलां या फलां पुकारते हो। (इस नीयत से कि वह) इन बातों को सुनते हैं और मुश्रिकों के ख़्याल में यह बात भी जमी हुई थी कि अगर हम उनको न पुकारें और न पूजें और उनकी मामूली नज़्र व नियाज़ अदा न करें, तो ये हम को नुक़सान पंहुचाएगें।

हवाला – तफ़्सीरे हक़्क़ानी, जिल्द 4, पृ० 179, सूरः आराफ़ के चौबीसवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

अफ़सोस आज हिन्दुस्तान के अक्सर मुसलमान भाइयों की भी यही हालत है वे हर साल में पीरों के नाम का कुछ न कुछ नियाज़ व नज़्र करते हैं और उसको तर्क करने में यही बातिल ख़्याल जम गये हैं कि अगर हम उन का मुक़र्रर किया हुआ हर साल नज़्र व नियाज़ न करेंगे तो हमको नुक़्सान होगा।

क़ुरआन करीम के नवें पारे में सूरः आराफ़ के चौबीसवें रुकूअ में आयत न० 191-192 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – क्या ऐसों को शरीक ठहराते हैं जो किसी चीज़ को बना न सकें और वे तो खुद ही बनाये जाते हैं और वे उनको किसी क़िस्म की मदद नहीं दे सकते और वे खुद अपनी भी मदद नहीं कर सकते हैं।

हदीस – हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि लात एक आदमी था जो हाजियों की मेहमानी किया करता था और सत्तू घोल कर पिलाया करता था (जब वह मर गया तो जिस पत्थर पर वह बैठा करता था उसको बुत की सूरत बना कर लोग पूजने लगे और उसका नाम लात रखा)।

हवाला – सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 20, पृ० 600, हदीस 1962, सूरः नज्म की तफ़्सीर में।

आले ज़ीकिलाअ का क़बीला हमीर, नस्र बुत को मानता था ये सब बुत असल में नूह अलैहिस्सलाम की क़ौम के सालेहीन नेक बुज़ुर्ग औलिया अल्लाह थे। उनके मर जाने के बाद शैतान ने उस ज़माने के लोगों के दिलों में यह बात डाल दी कि इन बुज़ुर्गों की इबादतगाहों में उनकी यादगार क़ायम कर लो।

चुनांचे उन्होंने वहां निशान बना दिये और हर बुज़ुर्ग के नाम पर उन्हें मशहूर कर दिया। जब तक वे ज़िन्दा रहे तब तक तो उस जगह पूजा पाठ न हुई लेकिन उन निशानात और यादगार क़ायम करने वाले लोगों के मर जाने के बाद और इल्म के उठ जाने के बाद जो लोग पैदा हुए वे अपनी जहालत की वजह से बाक़ायदा उन जगहों की और उन बुज़ुर्गों के नाम की पूजा पाठ करने लगे।

हज़रत इक्रिमा, हज़रत ज़ह्हाक, हज़रत क़तादा और हज़रत इसहाक़ रह्मतुल्लाहि अलैहिम भी यही फ़रमाते हैं।

हज़रत मुहम्मद बिन कैस रहमतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं कि ये बुजुर्ग आबिद अल्लाह वाले औलिया अल्लाह थे हज़रत आदम और नूह अलैहिमुस्सलाम के सच्चे ताबेदार सालेह और नेक लोग थे जिनकी पैरवी और लोग भी करते थे जब ये मर गये तो उनके मानने वालों ने कहा कि अगर हम इनकी तस्वीरें बना लें तो हमें इबादत में खूब दिलचस्पी रहेगी और इबादत का शौक़ इन बुजुर्गों को देखकर बढ़ता ही रहेगा। चुनांचे उन्होंने अपने बुजुर्गों की तस्वीरें बना डालीं। जब ये लोग मर खप गये और उनकी नस्लें जो बाद में नई पैदा हुईं तो शैतान ने उन्हें यह पट्टी पढ़ाई कि तुम्हारे बाप दादा तो इनकी पूजा पाठ करते थे और इनसे बारिश वग़ैरह की दुआएं मांगते थे। चुनांचे उन्होंने अब बाक़ायदा शैतान की बतायी हुई राह पर इन बुजुर्गों की तस्वीरों की परस्तिश शुरू कर दी।

हवाला – तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 29, पृ० 42, सूरः नूह के दूसरे रुकूअ की तफ़सीर में।

हदीस – हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि जो बुत क़ौमे नूह में थे बाद में अरबों ने उनकी इबादत की। चुनांचे वुद क़ौमे कल्ब का बुत था और दौमतुल जुन्दल में रखा हुआ था और सुवाअ़ हुज़ैल क़ौम का बुत था और यगूस मुराद क़ौम का था फिर बनी ग़तीफ़ का हो गया जो जर्फ़ मक़ाम में रहा जो सबा के नज़दीक है और यऊक़ हमदान का बुत था नस्र हमीर का बुत था यानी आले जी किलाअ़ का और ये सब नाम नूह की क़ौम के सालेह और नेक लोगों के थे। जब वे मर गये तो शैतान ने उनकी क़ौम के दिल में यह बात डाल दी कि जिस मकान में ये लोग रहा करते थे और अक्सर बैठा करते थे वहां पर एक एक बुत रख दो और उनका नाम लगा दो उन्होंने ऐसा ही किया लेकिन जब तक ये लोग ज़िन्दा रहे बुतों की इबादत किसी ने नहीं की और जब ये मर गये और इल्म जाता रहा तो उनके बाद वालों ने उन बुतों की इबादत शुरु कर दी।

हवाला – सही बुखारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 20 पृ० 629, हदीस 2022, सूरः नूह की तफ़सीर में।

मेरे प्यारे दोस्त! उस ज़माने में तो नेक लोग यानी बुज़ुर्गाने दीन औलियाअल्लाह जहां पर बैठा करते थे उस जगह पर एक-एक निशान करके उन औलियाअल्लाह के नाम से कुफ़्र व शिर्क और बिदअत करने लगे थे मगर अफ़सोस हिन्दुस्तान के अक्सर नादान मुसलमान भाई तो उन लोगों से भी एक क़दम आगे बढ़ गये यानी जो औलियाअल्लाह हिन्दुस्तान में कभी नहीं आए और जो हिन्दुस्तान में हैं उनके नाम के बग़ैर उनकी इबादतगाहों के चिल्ले और तुर्बतें बना बना कर उसकी नज़्र व नियाज़ अदब व ताज़ीम उसी तरह कर रहे हैं जिस तरह कि पहले लोग कर चुके हैं खुद भी गुमराह और बर्बाद हो रहे हैं और दूसरों को भी गुमराह और बर्बाद कर रहे हैं जैसे–

यह बड़े पीर साहब का चिल्ला है या यह ग़ैबनशाह पीर का चिल्ला है या यह दातार पीर का चिल्ला है या यह दावलशाह पीर का चिल्ला है अब आप ही सोचें कि ये लोग किस

कद्र जाहिल और बे इल्म हैं जो बग़ैर तुर्बतों के इन औलिया अल्लाह के नाम से कुफ़्र व शिर्क और बिदअतें कर रहे हैं वे तुर्बतों को बग़ैर सजाए कैसे छोड़ देंगे।

इस ख़त को मैं शुरू करता हूं, हज़रत इब्राहीम, हज़रत इसहाक़ और हज़रत याक़ूब अलैहिमुस्सलाम के खुदा के नाम से यह खत है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तरफ़ से जो खुदा के नबी और रसूल हैं नजरान के सरदार की तरफ़ और नजरान के लोगों की तरफ़। अल्लाह तआला की मैं तुम्हारे सामने हम्द व सना बयान करता हूं। फिर मैं तुम्हें दावत देता हूं कि बन्दों की इबादत को छोड़ कर खुदा की इबादत की तरफ़ आ जाओ और बन्दों के वाली पने को छोड़कर खुदा की विलायत की तरफ़ आ जाओ। और तुम उसे न मानो तो जिज़्या दो और मातहती अख़्तियार करो। अगर इससे भी इंकार है तो तुम्हें लड़ाई का एलान है।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 3, पृ० 74, सूरः आले इम्रान के छठे रुकूअ की तफ़्सीर में।

हदीस – हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत करती हैं कि आपने उस मरज़ में जिस में आपने वफ़ात पायी है यह फ़रमाया कि अल्लाह तआला यहूद व नसारा पर लानत करे, उन्होंने अपने नबियों की क़ब्रों को मस्जिद बना लिया है। हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि अगर यह ख़्याल न होता तो आप की क़ब्र शरीफ़ ज़ाहिर कर दी जाती, मगर मैं ख़ौफ़ करती हूं कि वह मस्जिद बना ली जाएगी।

हवाला –1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1, पारा 5, पृ० 296, हदीस 1231, जनाज़े का बयान,
2. नसई शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 188, मस्जिद का बयान।

हज़रत ईसा और हज़रत उज़ैर अलैहिमुस्सलाम और उनके अलावा जिन आलिम, आबिद, बुज़ुर्गों की परस्तिश (यानी पूजा-पाठ) ये लोग करते हैं वे तो खुद अल्लाह की इताअत करते थे और शिर्क से बेज़ार और उससे रोकते थे मगर उनके बाद इन गुमराहों और जाहिलों ने उन्हें माबूद बना लिया वे बे क़ुसूर हैं।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 25, पृ० 38, सूरः जुख़्रुफ़ के छठे रुकूअ की तफ़्सीर में।

मेरे प्यारे दोस्त! वे लोग भी अल्लाह तआला को मानते थे मगर बुज़ुर्गों को हर जगह हाज़िर व नाज़िर और नफ़ा और नुक़्सान का देने वाला ही समझ कर मानते थे जैसे आज हिन्दुस्तान के अक्सर जाहिल मुसलमान औलिया अल्लाहि रह्मतुल्लाहि अलैहिम को समझते हैं और इसी का नाम शिर्क हैं।

क़ुरआन करीम के अठारहवें पारे में सूरः फ़ुर्क़ान के पहले रुकूअ में आयत न० 3 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – दिलों ने उसे छोड़ कर (यानी अल्लाह को छोड़ कर) ऐसे माबूद बना लिए हैं जिन्होंने किसी चीज़ को पैदा नहीं किया बल्कि खुद पैदा किये गये हैं। ये तो अपनी जान

के नफ़ा या नुक़सान का भी अख़्तियार नहीं रखते न (किसी को) मार सकते हैं न (किसी को) जिला सकते हैं और न दोबारा जी उठने के वे मालिक हैं।

मुश्रिकों की जहालत बयान हो रही है कि वे पैदा करने वाले मालिक क़ादिर, मुख़्तार बादशाह को छोड़कर उस की इबादतें करते हैं जो एक मच्छर का पर भी नहीं बना सकते बल्कि वे खुद खुदा के बनाये हुए और उसी के पैदा किये हुए हैं वे अपने आप में भी किसी नफ़ा नुक़्सान के पहुंचाने के मालिक नहीं बजाय कि दूसरे का भला कर दें या दूसरे का नुक़्सान कर दें या दूसरी कोई बात कर सकें वे अपने जीने मरने का या दोबारा जी उठने का भी अख़्तियार नहीं रखते फिर अपनी इबादत करने वालों की इन चीज़ों के मालिक वे कैसे हो जाएंगे।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 18, पृ० 88, सूरः फ़ुर्क़ान के पहले रुकूअ की तफ़्सीर में।

हाय अफ़सोस! इतना-इतना सबूत और मुमानिअत होते हुए भी क़ब्र परस्ती, ताज़ियापरस्ती, चिल्लापरस्ती खुले आम हो रही है।

क़ब्रों पर इमारतें फूल और चिराग़

हदीस – हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फ़रमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपने मरज़ुल मौत में यह फरमाते थे-

'अल्लाह यहूदियों पर, जिन्होंने अपने नबियों की क़ब्रों को सज्दागाह बना लिया लानत भेजता है।'

इसलिए आप की क़ब्र शरीफ़ खुली न रखी गयी कि कहीं मुसलमान पूजने न लगें।

हवाला – सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 18, पृ० 413, हदीस 1555, आंहज़रत की वफ़ात का ज़िक्र।

हदीस – हज़रत जुन्दुब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वफ़ात से पांच दिन पहले मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह फ़रमाते हुए सुना-

'ख़बरदार हो कि तुमसे पहली उम्मतों ने अपने नबियों और नेक मुर्दों की क़ब्रों को मस्जिद बना लिया था। तुम हरगिज़ क़ब्रों को मस्जिद न बनाना, मैं तुमको इससे मना करता हूं।' (मुख़्तसर)

हवाला – सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 85, हदीस 488, बाब 187, मसाजिद का बयान।

हदीस – हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने क़ब्रों को पक्की करने से (यानी पक्की बनाने से) मना फ़रमाया है।

हवाला – इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 240, हदीस 1581, जनाज़े का बयान।

हदीस – हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने क़ब्रों पर लिखने से मना फ़रमाया है।

हवाला – इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 240, हदीस 1582, जनाज़े का बयान।

हदीस – हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने क़ब्रों पर इमारतें बनाने से मना फ़रमाया है।

हवाला – इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 240, हदीस 1583 जनाज़े का बयान।

हदीस – हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने क़ब्रों को गच (यानी पक्की) करने उसपर लिखने, इमारत बनाने और उस पर चलने से मना फ़रमाया है।

हवाला–1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 203, हदीस 956, जनाज़े का बयान,

2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 156, हदीस 973, बाब 279, जनाज़े का बयान,

3. अबूदाऊद शरीफ़, जिल्द 2, पारा 21, पृ० 583, हदीस 1468, बाब 617।

आजकल क़ब्रों पर लिखने का रिवाज आम होता जा रहा है नादान से नादान आदमी मर जाता है तो उसकी क़ब्र पर लिखा जाता है 'अलहाज्ज' फ़लां बिन फ़लां फ़लां सन में पैदाइश, फ़लां सन में वफ़ात, हालांकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने क़ब्रों पर लिखने से मना फ़रमाया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के नामे मुबारक पर और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जितने भी सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन थे उनमें से किसी के नाम से पहले अल हाज्ज नहीं लिखा गया। इमामों के नाम पर मुहद्दिसीने किराम के नाम पर कहीं भी अल हाज्ज लिखा हुआ नज़र नहीं आता लेकिन हमारे हिनदुस्तान में एक जाहिल की क़ब्र पर लिखा जाता है अल हाज्ज फ़लां बिना फ़लां हालांकि आलिम हो या जाहिल, किसी की क़ब्र पर लिख कर लगवाना जायज़ नहीं है।

– हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत अबुल हय्याज असदी रज़ियल्लाहु अन्हु से फ़रमाया कि,

तुम्हें उसी काम पर मैं भेजता हूं जिस काम पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुझे भेजा था वह यह कि किसी बड़ी ऊंची क़ब्र को बराबर किये बग़ैर न छोड़ो, न किसी मूरत को बग़ैर मिटाये रहने दो।

हवाला–1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 203, हदीस 954, जनाज़े का बयान,

2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 156, हदीस 972, बाब 279, जनाज़े का बयान,

3. अबूदाऊद शरीफ़, जिल्द 2, पारा 21, पृ० 581, हदीस 1461, बाब 613,
4 नसई शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 493, मौत का बयान,
5. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 296, हदीस 1598, मय्यत के दफ़्न का बयान,
6. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 56, मय्यत के दफ़्न का बयान।

कुछ कहते हैं कि क़ब्रें पक्की बन जाने के बाद उसको तोड़ने का हुक्म नहीं है। वे साहिबान बग़ैर इल्म के बहस करते रहते हैं उनको न तो क़ुरआन करीम का इल्म है और न तो हदीसों की जानकारी है और न तो फ़ुक़हा-ए-किराम के फ़त्वों की तहक़ीक़ात है। आपने हदीसें तो पढ़ लीं, अब मोतबर किताबों के फ़त्वे भी सुन लीजिए।

कहा उलेमा ने कि बुलन्द हो क़ब्र बक़द्र बालिश्त के और मक्रूह है ज़्यादा इससे और मुस्तहब है ढा देना ज़्यादा का।

हवाला – मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 56, मय्यत के दफ़्न का बयान।

हिन्दुस्तान वालों ने ऊंची क़ब्रें करने में और बड़ी क़ब्रें बनाने में हद कर दी है। कहीं तो बीस गज़ का पीर पूजा जा रहा है कहीं तीस या बत्तीस गज़ा पीर पूजा जा रहा है। इतनी बड़ी-बड़ी क़ब्रें ये मुजाविर इसलिए पुजवा रहे हैं कि अगर कोई जाहिल चादर चढ़ाने वाला मिल जाए तो एक ही चादर में पूरे खानदान का कपड़ा बन जाए हालांकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की उम्मत में इतने बड़े क़द का कोई उम्मती नहीं हुआ और इतनी लम्बी क़ब्रें न तो मक्का मुअज़्ज़मा में हैं न तो मदीना तैयिबा में हैं।

हज़रत इब्राहीम नख़ई रहमतुल्लाहि अलैहि का क़ौल है कि–

'क़ब्र को पुख़्ता (यानी पक्की) बनाना और उसे चूना गच (यानी पक्की प्लास्टर) करना सलफ़े सालिहीन मक्रूह जानते थे।'

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 24, पृ० 43, सूरः मुअ्मिन के चौथे रुकूअ की तफ़्सीर में।

'क़ब्रों पर इमारतें बनाना मक्रूह है।'

हवाला – ऐनुल हिदाया, जिल्द 4, पृ० 289, बाबुल कराहत।

'क़ब्र पर कोई इमारत बनाना और बैठना और सोना और उसको फलांगना और उस पर पेशाब पाख़ाना करना या मालूम होने की कोई निशानी जैस किताबत वग़ैरह बनाना मक्रूह है।

हवाला – फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 1, पृ० 233, जनाज़े का बयान।

'इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुललाहि अलैहि ने कहा कि क़ब्रों पर इमारतें बनाना मक्रूह हैं।'

हवाला – ऐनुल हिदाया, जिल्द 1, पृ० 730, बाब दफ़्नुल मय्यत।

मेरे प्यारे दोस्त! ताबूत और चिल्लों में हज़ारों रुपए बर्बाद कर देते हैं जहां पर न तो कोई मुर्दा दफ़्न है और न किसी की क़ब्र। ऐसे जाहिल लोग क़ब्रों को बग़ैर सजाए कैसे छोड़ देंगे।

जहां कहीं खोदने में या किसी जगह पर कोई पुरानी क़ब्र नज़र आयी तो उसका नाम रख लिया गैबन शाह और लगे चंदा करने और जाहिलों को समझाने कि भाई साहब! फलां जगह पर गैबन शाह पीर का मज़ारे मुबारक ज़ाहिर हुआ है। इस पर गुंबद और इमारत बनाना ज़रूरी है और सवाब का काम है तो आप इसमें क्या इमदाद देते हैं क्योंकि यह तो दीन का काम है बस जितनी क़ब्रें और रौज़े सजाए जाते हैं उतना ही वहां कुफ़्र व शिर्क ज़्यादा होने लगता है। यह है हमारे हिन्दुस्तान के अक्सर मुसलमान भाइयों की जहालत।

ऐ मेरे अज़ीज़! अब सुनो क़ब्रों पर फूल डालना और चिराग़ वग़ैरह जलाना कैसा है।

हदीस – हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कहते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम दो क़ब्रों पर से गुज़रे, तो आपने फ़रमाया इन दोनों पर अज़ाब हो रहा है और किसी बड़ी बात पर अज़ाब नहीं हो रहा है-

1. एक तो उनमें से पेशाब से बचता न था (यानी पेशाब के छींटों की कुछ एहतियात न करता था) और
2. दूसरा चुग़लखोरी करता था।

फिर आपने एक तर शाख़ ली और उसे चीर कर दो टुकड़े कर दिये और हर क़ब्र पर एक टुकड़ा गाड़ दिया।

सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! यह आपने क्यों किया?

फ़रमाया उम्मीद है कि जब तक ये दोनों (लकड़ियां) सूख न जाएं अज़ाब उन पर कम रहेगा।

हवाला –1. सही बुख़ारी, जिल्द 1, पारा 1, पृ० 64, हदीस 211, तहारत का बयान,
2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 51, हदीस 250, बाब 103, तहारत का बयान,
3. नसई शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 501, किताबुल जनाइज़।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह एक मोजिज़ा था। आपके हाथ मुबारक की बरकतें थीं। हम लोग अगर पूरे का पूरा पेड़ किसी क़ब्र पर रख दें तब भी अज़ाब कम नहीं हो सकता। हम खुद अपने ऊपर होने वाले अज़ाब को कम नहीं करा सकते, तो दूसरों के अज़ाब क्या कम कराएंगे। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन लोगों की क़ब्रों पर हरी डाली लगायी थी जिन की क़ब्रों पर अज़ाब हो रहा था अब आप अगर इस हदीस से फूल चढ़ाने की दलील लेते हैं तो सबसे पहले उस क़ब्र पर अज़ाब साबित करना पड़ेगा, जिस क़ब्र पर आप फूल चढ़ाते हैं और तमाम उम्मत का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि हक़ीक़त में जो अल्लाह के वली रह० हैं उन पर अज़ाब नहीं होता।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने शायद एक ही बार अपनी ज़िन्दगी में हरी डाली

इन दोनों क़ब्रों पर लगायी है बार बार ऐसा नहीं किया और न करने का हुक्म दिया है और जब सहाबा किराम रिज़्वानुल्लाहि अलैहिम ने अर्ज़ किया कि आपने ऐसा क्यों किया? तो आपने फ़रमाया कि उम्मीद है कि जब तक ये लकड़ियां हरी रहेंगी, उस वक़्त तक उन क़ब्र वालों पर अज़ाब कम रहेगा, यानी उम्मीद के तौर पर कहा। यों नहीं फ़रमाया कि अब इन क़ब्रों पर अज़ाब ही नहीं होगा।

इसकी नक़ल कुछ लोग आज हिन्दुस्तान में करते हैं और औलिया किराम रहमतुल्लाहि अलैहिम की क़ब्रों पर फूलों के ढेर लगा देते हैं इनमें से ज़्यादातर लोगों की नीयत यह होती है कि तीन जुमेरात या पांच जुमेरात या सात जुमेरातों को वलियों की क़ब्र पर फूल चढ़ाने और फ़ातिहा पढ़ने से मुश्किल हल हो जाती है। इस नीयत से औलिया किराम रहमतुल्लाहि अलैहिम के मज़ारों पर जाना कुफ़्र है और अगर यह नीयत नहीं है तो औलिया किराम रहमतुल्लाहि अलैहिम की क़ब्र में अज़ाब तो होता नहीं है फिर फूल चढ़ाने का क्या मतलब?

अगर अज़ाब को कम करने की नीयत से फूल चढ़ाते हैं तो औलिया की क़ब्रों पर नहीं बल्कि आम लोगों की क़ब्रों पर होना चाहिए यानी शराबियों, चोरों, डाकुओं, जुवारियों, बे नमाज़ियों, ज़ालिमों, फ़ासिक़ों, फ़ाजिरों की क़ब्रों पर फूलों के ढेर लगाने चाहिंए, ताकि उनका अज़ाब कम हो और अगर सवाब की नीयत से फूल चढ़ाते हों तो औलिया-ए-किराम रहमतुल्लाहि अलैहिम और आम लोगों की क़ब्रें ये दोनों सवाब की नीयत से बराबर होनी चाहिंए बल्कि सवाब की ज़्यादा हक़दार तो आम लोगों की क़ब्रें हैं।

मेरे प्यारे दोस्त! ये सब रस्में हैं जो देखा देखी रंग पकड़ गयी हैं।

'फूलों के डालने से सवाब होता है और हमारे फूल डालने से किसी क़ब्र वाले पर यक़ीनन अज़ाब कम हो जाता है।'

इस बात का हवाला आप को किसी किताब में नहीं मिलेगा और फूल डालने वाले अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि नमाज़ रोज़ा और सुन्नते रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर अमल करने से भी कोरे होते हैं। भला ऐसे लोग दूसरों के अज़ाब को क्या कम करा सकेंगे, जिनके सिर पर खुद ही खुदा का अज़ाब मुसल्लत है।

आप किसी मज़ार पर जुमेरात को फ़ातिहा पढ़ने के लिए जाएं तो मेरी इस बात की ज़रूर तहक़ीक़ कर लें। जितनी मख़्लूक़ मज़ार पर आती है उसमें से आप को सौ में से निन्नान्वे बे नमाज़ी मिलेंगे, फूल चढ़ाने वाले भी और फूल बेचने वाले भी।

जब अस्र और मग़्रिब की नमाज़ का वक़्त आए और मुअज़्ज़िन अपनी अज़ान में-

हय-य अलस्सला: हय-य अलस्सला:

पुकारे, उस वक़्त आप को अन्दाज़ा हो जाएगा, जो दरगाह शरीफ़ पर मुजावरी करने वाले या सज्जादानशीन बने हुए हैं वे भी नमाज़ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जुमेरात की शाम को मख़्लूक़

खुदा का एक हुजूम होता है यह मुजाविर साहब की कमाई का वक़्त होता है और हफ़्ते में यह वक्त एक ही बार आता है इसको छोड़कर वह हरगिज़ नमाज़ पढ़ने नहीं जाएगा, बल्कि कुछ मुजाविर साहिबान तो नमाज़ पढ़ते ही नहीं है फिर फूल चढ़ाने वाले और फूल बेचने वाले क्या नमाज़ पढ़ेंगे?

'क़ब्रों पर फूल और खुश्बू रखना अच्छा है और अगर उनकी क़ीमत का सदक़ा दे दे तो बहुत अच्छा है।'

हवाला–1. ऐनुल हिदाया, जिल्द 4, पृ० 289, बाबुल कराहत,
2. फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 4, पृ० 319, बाबुल कराहत।
3. ग़ायतुल अवतार, उर्दू तर्जुमा दुर्रे मुख्तार, जिल्द 4, पृ० 242, बाबुल हज़र।

मेरे प्यारे दोस्त ! फूलों का क़ब्रों पर डालना अच्छा है यह आम क़ब्रों का हुक्म है सिर्फ़ औलिया–ए–किराम रहमतुल्लाहि अलैहिम की क़ब्रों के लिए खास नहीं और इसमें दूसरी किसी क़िस्म की नीयत न हो, यानी ये मेरी मुश्किल हल कर देंगे या मुझे बेटी बेटा देंगे या क़र्ज़ से निजात दिलाएंगे या मुझे नौकरी या व्यापार धंधा मिल जाएगा। इस नीयत से क़ब्रों पर जाना क़तअन हराम है क्योंकि यह शिर्क है और शिर्क करने वाला बे तौबा मर गया तो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी है।

और फूलों की क़ीमत खैरात कर देना फूल चढ़ाने से ज़्यादा बेहतर है क्योंकि यह ईसाले सवाब है जिसके लिए कसरत से हदीसें मौजूद हैं और इसमें शिर्क की बू भी नहीं आ सकती लेकिन यह ईसाले सवाब भी जिन के लिए किया जा रहा है उनसे किसी क़िस्म की मुश्किल हल कराने की उम्मीद न हो और ईसाले सवाब भी शरीअत के मुताबिक़ हो वरना ईसाले सवाब के लिए खर्च करना भी बेकार हो जाएगा। रक़म को ख़ैरात कर दे उसका सवाब उस क़ब्र वाले को बख़्श दे या किसी की रूह को बख़्श दे, यह फूलों से ज़्यादा अच्छा है क्योंकि एक ग़रीब को पैसे भी मिलेंगे जो उस बेचारे के काम आ जाएंगे और उस रूह को भी सवाब मिलेगा और करने वाले को भी सवाब मिलेगा।

'क़ब्रों को मस न करे, न बोसा दे, क्योंकि यह ईसाइयों की आदत है।'

हवाला–1. ऐनुल हिदाया, जिल्द 4, पृ० 289, बाबुल कराहत,
2. फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 4, पृ० 318, बाबुल कराहत।
3. ग़ायतुल अवतार, उर्दू तर्जुमा दुर्रे मुख्तार, जिल्द 4, पृ० 242, बाबुल हज़र।

हदीस – हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि वह (तवाफ़ में) काले पत्थर (हजरे अस्वद) के पास आए फिर उस को बोसा दिया और कहा कि बेशक मैं जानता हूं कि तू एक पत्थर है न (किसी को) नुक़्सान पहुंचा सकता है और न फ़ायदा पहुंचा सकता है और अगर मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को तेरा बोसा देते न देखा

होता तो मैं तुझे (हरगिज़) बोसा न देता।

हवाला –1. सही बुखारी शरीफ़, जिल्द 1, पारा 6, पृ० 363, हदीस 1482, हज का बयान।
2. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 169, हदीस 775, हज का बयान।

हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इन लफ़्ज़ों से मक्सद यह था कि कहीं अगले ज़माने के लोग सिर्फ़ पत्थर की ताज़ीम व तकरीम न करने लगें और उसको नफ़ा या नुक्सान का मालिक न समझ बैठें और उसका चूमना देखकर लोग किसी फ़ित्ने में मुब्तला न हो जाएं।

ऐ मेरे प्यारे दोस्त! अब क़ब्रों पर चिराग़ जलाने और क़ब्रों को सजाने के बारे में भी सुन ले और फिर खुद अपनी अक्ल और ईमानदारी से इंसाफ़ कर कि हम शरीअत पर हैं या जहालत पर?

हदीस – हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने क़ब्रों की ज़ियारत करने वाली औरतों पर लानत फ़रमायी है और क़ब्रों पर मस्जिद बनाने और चिराग़ जलाने वालों पर भी लानत फ़रमायी है।

हवाला –1. अबूदाऊद शरीफ़, जिल्द 2, पारा 21, पृ० 587, हदीस 1479, बाब 623, जनाज़े का बयान,
2. तिर्मिज़ी शरीफ़ जिल्द 1, पृ० 67, हदीस 280, नमाज़ के बयान,
3. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 173, हदीस 682, मसाजिद का बयान,
4. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 238, मस्जिद का बयान,
5. नसई शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 496, मौत का बयान।

इस हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तीन क़िस्म के लोगों पर लानत फ़रमायी है–

1. क़ब्रों की ज़ियारत करने वाली औरतों पर लानत। आजकल औरतें बहुत ज़्यादा मज़ारों पर जाती हैं वे तो लानत की मुस्तहिक़ होती ही हैं लेकिन, उस औरत का बाप या भाई या शौहर या बेटा अगर उस औरत को खुशी से मज़ारों पर भेजता है तो भेजने वाले पर भी लानत होगी क्योंकि शराब पीना हराम, तो पिलाना भी हराम, सूद का लेना हराम, तो सूद का देना भी हराम। इसी तरह जो क़ब्रों पर जाने वाली औरतें हैं उन पर लानत फ़रमायी गयी है तो अब जो भी खुशी से औरतों को मज़ारों पर भेजेगा तो भेजने वाले पर भी लानत होगी।

2. दूसरे क़ब्रों पर मस्जिद बनाने वालों पर लानत। इन लफ़्ज़ों का यह मतलब नहीं है कि क़ब्रों पर कोई मस्जिद बना डाले, तो उस पर लानत, बल्कि इस का मतलब यह है कि जितनी ताज़ीम और अदब मस्जिद की होनी चाहिए उस क़ब्र की ताज़ीम व अदब बढ़ा देने पर लानत फ़रमायी है। अब सुनिए और इंसाफ़ कीजिए–

आपने किसी मस्जिद में सोने या चांदी के किवाड़ नहीं देखे होंगे, मगर कुछ दरगाहों में आपने देखे होंगे, कहीं–कहीं तो सोने या चांदी की जालियां होती हैं और कहीं–कहीं तो दरवाज़े भी बने हुए देखे होंगे। जब क़ब्रें सजायी जाती हैं तो उन क़ब्रों की इज़्ज़त व तौक़ीर और अदब

व ताज़ीम जामा मस्जिदों से भी बढ़ जाती है मस्जिदे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से भी बढ़ जाती है और काबा शरीफ़ से भी बढ़ जाती है। आप कहीं भी किसी मुल्क में, किसी क़स्बे या शहर में, किसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाएंगे, तो आप अपने जूते मस्जिद में ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं और एहतियात से रख सकते हैं यहां तक कि जो लोग हज को जाते हैं वे मस्जिदे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम में भी अपनी जूतियां रख सकते हैं और काबा शरीफ़ के अड़ौस-पड़ौस में आप जहां चाहें अपनी जूतियां रख सकते हैं लेकिन आप अपनी जूतियां दरगाह शरीफ़ में नहीं ले जा सकते क्योंकि अब उस दरगाह शरीफ़ का मर्तबा मस्जिदे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से और काबा शरीफ़ से भी बढ़ गया है।

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि–

जब तुम में से कोई आदमी नमाज़ पढ़े तो अपनी जूतियों को दाएं बाएं न रखे इसलिए कि बाएं जानिब रखना दूसरे के दाएं जानिब रखना होगा, बल्कि जूतियों को पांवों के दर्मियान रख ले।

हवाला –1. अबूदाऊद शरीफ़, जिल्द 1, पारा 4, पृ० 269, हदीस 649, बाब 239,

2. इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 224, हदीस 1452, नमाज़ के बयान में,
3. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 176, हदीस 709, शर्मगाह को ढांकने का बयान,
4. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 247, किताबुस्सतर।

इसके अलावा तवाफ़ काबे का था ये लोग दरगाहों का तवाफ़ करने लगे, बोसा देना हजरे अस्वद का था ये लोग दरगाहों को चूमने लगे, बरकत वाला पानी ज़मज़म का है और तबर्रुक समझ कर पिया जाता है ये लोग क़ब्रों को धो-धो कर यानी ग़ुस्ल देकर और उस ग़ुस्ल वाले पानी को तबर्रुक और बरकत वाला समझ कर पीने लगे और बेचने भी लगे हैं। ग़िलाफ़ तो काबे पर चढ़ाया जाता है, ये लोग क़ब्रों पर हज़ारों रुपए की क़ीमत का ग़िलाफ़ चढ़ाने लगे। सज्दा अल्लाह तआला को था ये जाहिल क़ब्रों पर सजदा करने लगे। अदब से हाथ बांध कर नमाज़ में खड़े रहने का हुक्म था ये लोग क़ब्रों पर हाथ जोड़े खड़े रहने लगे और जब दरगाह से बाहर निकलेंगे तो उस वक़्त ये जाहिल लोग दरगाह शरीफ़ को पीठ देकर नहीं निकलेंगे, बल्कि उलटे पैर पीछे हटते हटते बाहर निकलेंगे। हज को जाने वाले हाजी लोग काबे को पीठ देकर वापस हो सकते हैं मस्जिदे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम में नमाज़ पढ़ लेने के बाद और दरूद व सलाम पढ़ लेने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मज़ारे मुबारक को आप पीठ देकर बाहर निकल सकते हैं मगर उस दरगाह शरीफ़ को पीठ देकर आप बाहर नहीं निकल सकते? जहालत की भी कोई हद है।

3. तीसरे क़ब्रों पर चिराग़ जलाने वालों पर लानत।

'क़ब्रों पर चिराग़ जलाना हराम है।'

हवाला – मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 238, मसाजिद का बयान।

'रात के पहले हिस्से में क़ब्रों पर चिराग़ ले जाना बिदअत है।'

हवाला –1. फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 4, पृ० 319, बाबुल कराहत,

2. ग़ायतुल अवतार, उर्दू तर्जुमा दुर्रे मुख़्तार, जिल्द 4, पृ० 242, बाबुल हज़र।

'अव्वल रातों में मक़ाबिर में (यानी क़ब्रों पर) चिराग़ ले जाना बिदअत है। इसी तरह उर्स वग़ैरह में चिराग़ जलाना बिदअत है।'

हवाला – ऐनुल हिदाया, जिल्द 4, पृ० 289, बाबुल कराहत।

शायद ही कोई ऐसी दरगाह होगी जहां पर मुजाविर न रहता हो और उस दरगाह पर चिराग़-बत्ती न जलती हो और जब उर्स करते हैं और संदल चढ़ाते हैं उस वक़्त तो अपनी सब ताक़तें क़ब्र पर रोशनी करने में ख़त्म कर देते हैं।

ऐ अज़ीज़ मेरे! यह सबूत और दलीलें आपके सामने हैं अब आप ही अन्दाज़ा लगा लें, हिन्दुस्तान के कुछ मुसलमान भाइयों की जहालत का।

क़ब्र के पास सोना और ऐसा फ़ेल करना जो सुन्नत से साबित नहीं वह मकरूह है और सुन्नत से सिर्फ़ यही साबित है कि क़ब्र की ज़ियारत और खड़े होकर (उसकी मग़्फ़िरत की) दुआ करे।

हवाला –1. ऐनुल हिदाया, जिल्द 1, पृ० 732, मय्यत के दफ़्न का बयान,

2. फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 1, पृ० 233, जनाज़े का बयान,

मेरे अज़ीज़ दोस्त! आपको इन मोतबर किताबों के हवालों से सुन्नते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मालूम हो गयी कि एक तो क़ब्र की ज़ियारत करना सुन्नत है और दूसरे उस क़ब्र वाले की मग़्फ़िरत के लिए अल्लाह तआला से दुआ करना सुन्नत है।

अब आप ही अन्दाज़ा लगा लें कि आज इन दोनों तरीक़ों के सिवा क़ब्रों और मज़ारों पर क्या कुछ नहीं होता, यानी क़ब्रों का तवाफ़ करना, क़ब्रों को धो-धो कर पीना, वहां पर हाल चढ़ा के सर धुनना, मुशाअरा और क़व्वाली कराना, रंडियों का गाना, मज़ार पर सजदे करना, नियाज़ व नज़्र चढ़ा कर हाजतें मांगना, मासूम बच्चों को तुर्बतों पर लिटाना, लोबानदानी की ख़ाक चाटना, घोड़े लटकाना, पालने टांगना, डोरे धागे मज़ारों की जालियों में अपने-अपने नाम के बांधना और तुर्बतों पर घुमा घुमा कर डोरों को अपनी गरदनों, बाज़ुओं, कमर और पेडू पर बांधना, ये तमाम काम नाजायज़ व हराम और गुमराही व जहालत के तरीक़े हैं जो इंसान को शरीअत से महरूम करके शिर्क व कुफ़्र तक ले जाते हैं।

इन मुजाविरों का और सज्जादानशीन जो क़ब्रों की गद्दी पर बैठने वाले हैं, उन लोगों का यह एक पेशा है एक धंधा बना रखा है क़ब्रों पर ज़्यादातर आप को औरतें ही मिलेंगी, सबसे

ज़्यादा भूत औरतों ही को पकड़ता है मर्द तो गिने चुने नज़र आएंगे, अगर औरतों को मज़ारों पर और ताज़ियों पर जाने से रोक लिया जाए तो इन्शाअल्लाहु तआला बहुत कुछ इस्लाह हो सकती है।

उर्स

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह कहते हुए सुना है कि अपने घरों को क़ब्रों की तरह न बनाओ और मेरी क़ब्र पर ईद और खुशी (यानी उर्स) न करो। अलबत्ता मुझ पर दरूद भेजो, इसलिए कि तुम्हारे दरूद मेरे पास पहुंचते हैं चाहे तुम कहीं भी हो।

हवाला –1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 196, हदीस 860, दरूद शरीफ़ का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़ जिल्द 1, पृ० 299, दरूद शरीफ़ का बयान।

हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुनिया में दो नस्लें आबाद थीं–

1. एक तो पहाड़ी पर और 2. दूसरी नर्म ज़मीन पर।

पहाड़ियों के मर्द खूबसूरत थे और औरतें स्याह फ़ाम यानी काली थीं और ज़मीन वालों की औरतें खूबसूरत थी और मर्दों का रंग काला था। इब्लीस उन्हें बहकाने के लिए इंसानी शकल अपना कर नर्म ज़मीन वालों के पास आया और एक आदमी का गुलाम बन कर रहने लगा। फिर उसने एक बांसुरी बनायी और उसे बजाने लगा, उसकी आवाज़ पर लोग लट्टू हो गये और उनकी भीड़ लगने लगी और एक दिन मेले का मुक़र्रर हो गया जिसमें हज़ारों मर्द और औरतें जमा होने लगे।

इत्तिफ़ाक़न एक दिन एक पहाड़ी आदमी भी आ गया और उनकी औरतों को देखकर वापस जाकर अपने लोगों में उन औरतों के हुस्न की चर्चा करने लगा और वे लोग ज़्यादा से ज़्यादा आने लगे। अब पहाड़ी मर्दों और उन औरतों में मुहब्बत पैदा हो गयी फिर तो बदकारी और ज़िनाकारी का आम रिवाज हो गया। यही जाहिलियत की कारस्तानी है।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 22, पृ० 3, सूरः अह्ज़ाब के पांचवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

मेरे प्यारे दोस्त! एक तो उर्सों में आजकल हर जगह यही काम होता है जिसका ऊपर की इबारत में ज़िक्र किया गया और दूसरा उस दरगाह वाले यानी जो क़ब्र में सोया है उसकी तारीफ़ कर-कर के मुजाविर लोग जाहिलों को लूटते हैं अगर वह दरगाह वाला देने का अख़्तियार रखता है दूसरों को बेटा-बेटी या दौलत और नौकरी देता है तो फिर अफ़सोस तो यह है कि वे मुजाविर लोग क्यों भीख मांगते हैं?

मेरे दोस्त! कुछ भी नहीं है यह पेटपरस्तों की एक चाल है। जाहिलों और अनपढ़ लोगों के पास से पैसे निकालने की तर्कीब और हीला है फिर मज़े से बारह महीने तक बैठे-बैठे आराम से खायेंगे। जहां खर्च कम हुआ जेब खाली हुई कि उर्स का दिन आ गया। बस फिर क्या पूछते

हो? अक्सर जगह पर तो ज़िनाकारियां हो रही हैं चरस और गांजों का दौर चल रहा है कहीं जुआ खेल रहे हैं रंडियां गा रही हैं कव्वालियां हो रही हैं, ढोल ताशे नक़्क़ारे और शहनाइयां बज रही हैं दरगाह पर नियाज़ नज़्रें चढ़ रही हैं और नारियल धड़ा-धड़ टूट रहे हैं कुछ लोग क़ब्रों को चूमते हैं, कुछ ग़िलाफ़ चूम रहे हैं कुछ तवाफ़ कर रहे हैं कुछ सज्दे कर रहे हैं कुछ दुआएं मांग रहे हैं कुछ मुश्किलें हल करवा रहे हैं कुछ हाजतें पेश कर रहे हैं मगर नमाज़ तो उन में से शायद ही कोई पढ़ता हो वरना सब के सब आप को बे नमाज़ी ही नज़र आएंगे। ख़ुदा का बन्दा मुजाविर खुद नमाज़ न पढ़ता हो तो फिर उसके चाहने वाले लाड़ले काहे को नमाज़ पढ़ेंगे?

एक ईसाई पादरी ने एक बार देखा कि एक परिंदे का छोटा सा बच्चा, जिसे उड़ने और चलने फिरने की ताक़त नहीं है एक घोंसले में बैठा है। जब वह अपनी कमज़ोर और पस्त आवाज़ निकालता है तो और परिन्दे उसे सुन कर रहम खाकर ज़ैतून का फल उसके घोंसले में ला-लाकर रख जाते हैं उसने इसी शक्ल का एक परिन्दा किसी चीज़ का बनाया और नीचे से उसको खोखला रखा और एक सूराख़ उसकी चोंच की तरफ़ रखा जिस के ज़रिए से हवा उसके अन्दर घुसती थी फिर जब निकलती थी तो उसी तरह की आवाज उससे पैदा होती थी उसे लाकर अपने गिरजे में हवा के रुख़ पर रख दिया। छत में फिर एक छोटा सूराख कर दिया ताकि हवा उसमें से निकल जाए। अब जब हवा चलती और उसकी आवाज़ निकलती तो इस क़िस्म के परिन्दे जमा हो जाते और ज़ैतून के फल ला ला कर रख जाते। उसने लोगों में शोहरत और चर्चा करना शुरू कर दिया कि इस गिरजा में यह करामत है यहां एक बुज़ुर्ग का मज़ार है और यह करामत उसी की है। लोगों ने जब यह अनहोनी अजीब बात देखी तो उनका एतक़ाद जम गया उस क़ब्र पर नियाज़ व नज़्र चढ़ने लगीं और यह करामत दूर-दूर तक मशहूर हो गयी, हालांकि न कोई करामत थी न कोई मोजिज़ा, सिर्फ़ एक पोशीदा फ़न, एक मक्काराना तरीक़ा था, जिसे उस मलऊन आदमी ने अपना पेट भरने के लिए पोशीदा तौर पर अपना रखा था और लानती फ़िर्क़ा उसपर रीझा हुआ था यानी उसे एक गुमराह फ़िर्क़े ने पसन्द कर लिया था।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 1, पृ० 159, सूरः बक़रः के बारहवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

'क़ब्रों पर उर्सों में जाकर खुराफ़ात, (बिहूदा काम और फ़िज़ूलखर्ची) करते हैं बहुत बुरा है करना है उनका।

हवाला – मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 299, दरूद शरीफ़ का बयान।

जिस दिन उर्स होता है उस दिन दरगाह के लिए तो कहीं-कहीं पचास रुपये की इस क़ब्र पर डालने के लिए चादर बनवाते हैं और कहीं सौ रुपए की और कहीं दो सौ रुपये की यहां तक कि एक एक हज़ार और पांच-पांच हज़ार तक की चादरें चढ़ा दी जाती हैं। अगर ये लोग ऐसा न करते, यानी चादरें न ख़रीदते और इतनी रक़म ग़रीबों को, मुहताजों को या मिस्कीनों को या बेवाओं को या किसी मदरसे में दे देते और उसका सवाब वास्ते अल्लाह के उस क़ब्र

वाले की रूह को बख़्श देते तो दुनिया के एतबार से भी अच्छा था और आख़िरत के एतबार से भी क्योंकि उस रक़म से तीन फ़ायदे होते–

1. एक तो मख़्लूक़े खुदा उस रक़म से फ़ायदा उठाती।
2. दूसरे ईसाले सवाब से उस क़ब्र वाले की रूह खुश होती।
3. तीसरे खर्च करने वाले को भी सवाब होता।

इसी तरह दूसरे खर्चे भी समझ लें, यानी तुर्बतों पर सैंकड़ों बत्तियां जलानी या क़ब्रों पर इमारतें बनानी या क़ब्रों पर बजाने के लिए ढोल ताशे खरीदने, क़व्वालों और रंडियों के लिए रक़म खर्च करने से कुछ भी सवाब नहीं मिलता और यह तमाम रक़म फ़िज़ूल और बेकार जाती है ऊपर से सख़्त गुनाह भी होता है।

क़ुरआन शरीफ़ के पन्द्रहवें पारे में सूरः बनी इस्राईल के तीसरे रुकूअ में आयत न० 26-27 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – रिश्तेदारों और मुहताजों और मुसाफ़िरों को उनका हक़ अदा करो और फ़िज़ूलख़र्ची करके माल को न उड़ाओ, क्योंकि फिज़ूल खर्च करने वाले शैतान के भाई हैं और शैतान अपने परवरदिगार का बड़ा ही ना शुक्रा है।

मेरे अज़ीज़ दोस्त! रक़म को उसी तरह खर्च करो जिस तरह हम ऊपर बता चुके हैं, इन्शाअल्लाहु तआला उस क़ब्र वाले को भी नफ़ा होगा और मख़्लूक़े खुदा को भी रक़म से अच्छा फ़ैज़ पहुंचेगा और ईसाले सवाब के बदले में आप को भी दुनिया व आख़िरत में ज़रूर अज्र व सवाब मिलेगा।

मेरे दोस्त! समझने के लिए इतनी दलील और समझाना काफ़ी है। अगर उर्स करना जायज़ या सवाब होता जिस तरह कि आज हिन्दुस्तान में अक्सर जगह हो रहा है तो सबसे पहले हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मज़ारे मुबारक पर उर्स होता। आपके अलावा हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मज़ारे मुबारक पर भी उर्स होते। मगर वहां पर ये बातें नहीं होतीं हैं तो इससे साफ़ मालूम हो गया कि यह सब इन मुजाविरों के ही पेट भराई के धंधे होते हैं और ये लोग शरीअत से बिल्कुल अलग चलते हैं।

क़ुरआन करीम के अठारहवें पारे में सूरः नूर के तीसरे रुकूअ में आयत न० 21 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – ऐ ईमान वालो! शैतान के क़दम-ब-क़दम न चलो। जो आदमी शैतान की पैरवी करे तो वह बेहयाई और बुराई के कामों का हुक्म करेगा और अल्लाह तआला का फ़ज़्ल व करम तुम पर न होता तो तुम में से कोई भी कभी भी पाक व साफ़ न होता लेकिन अल्लाह तआला जिसे पाक करना चाहे कर देता है। अल्लाह तआला सब सुनने वाला सब जानने वाला है।

शैतानी तरीक़ों पर न चलो, उसकी बातें न मानो। वह तो बुराई का बेहयाई का हुक्म देता है पस तुम्हें उसकी बातें मानने से परहेज़ करना चाहिए उसके वसवसों से दूर रहना चाहिए खुदा की नाफ़रमानी से बचो।

हवाला –तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 18, पृ० 48, सूरः नूर के तीसरे रुकूअ की तफ़्सीर में।

क़व्वाली

मेरे प्यारे दोस्त! शायद ही कोई ऐसा उर्स होता होगा जहां पर गाना बजाना न होता हो। क़व्वाल और गाने वाली औरतें न आती हों।

हदीस – हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है–

'अल्लाह तआला ने मुझको दुनिया के लिए रहमत व बरकत का सबब बना कर भेजा है और बाजों, मजामीर, बुतों, सलीब और जाहिलियत की तमाम बुरी रस्मों और तरीक़ों के मिटाने का हुक्म दिया है। (मुख़्तसर)

हवाला–1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 565, हदीस 3465, शराब पीने की वईद में,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 3, पृ० 334, शराब पीने की वईद में।

हदीस – हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है गाना या राग दिल में इस तरह निफ़ाक़ को पैदा करता है जिस तरह पानी खेती को उगाता है।

हवाला–1. मिश्कात शरीफ़, ज़िल्द 2, पृ० 699, हदीस 4571, बयान और शेअ्र का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 91, बयान और शेअ्र का बयान,

हदीस – हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि–

तुम लोग गाने से परहेज़ करो कि वह शैतान की तरफ़ से है और वह अल्लाह के नज़दीक शिर्क है और सिवाए शैतान के नहीं गाता है।'

हवाला – ऐनुल हिदाया, जिल्द 4, पृ० 223, बाबुल कराहत।

गाना और क़व्वाली और नाच, जो हमारे ज़माने के सूफ़ी लोग करते हैं वह हराम है और उसकी तरफ़ जाना और वहां पर बैठना जायज़ नहीं।

हवाला–1. फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 4, पृ० 320, बाबुल, कराहत,
2. ऐनुल हिदाया, जिल्द 4, पृ० 290, बाबुल कराहत।

'क़व्वाली से भीख मांगना हराम है।'

हवाला – फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 1, पृ० 20, मुक़दमे में।

जब क़व्वाली से भीख मांगना हराम है तो क़व्वालों को भीख देना भी हराम है और शायद ही कोई ऐसा उर्स होगा कि जहां पर क़व्वाल बुलाये न जाते हों।

'हराम है माल, जिसको बाजे बजाने वाले लेते हैं।'

हवाला – ग़ायतुल अवतार, उर्दू तर्जुमा दुर्रे मुख़्तार, जिल्द 4, पृ० 247, बाबुल हज़र।

अब वे मुसलमान भाई सोचें, जो शादी ब्याह और उर्स वग़ैरह में बाजे बजवाने पर सैंकड़ों रुपए बर्बाद कर देते हैं बाजे वालों को भी पैसा देकर हराम काम करवाते हैं और खुद भी हराम काम में पड़ते हैं और यह सब रक़म हराम कामों में जा रही है। मुसलमानों को चाहिए कि ऐसी बेजा हरकतों से तौबा करके बच जाएं।

. तबला, तंबूरा और मआजिफ़ व मलाही (यानी लह्व व लअिब, खेल-तमाशे और गाने-बजाने) की चीज़ों में से कोई (भी घर में) रखी तो मक्रूह है गुनाहगार होगा अगरचे उनको इस्तेमाल न करता हो।

हवाला – फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 4, पृ० 350, बाबुल कराहत।

मेरे प्यारे दोस्त ! वे मुसलमान भाई सोचें, जिनको बग़ैर रेडियो के अपने मकान में लुत्फ़ व मज़ा नहीं आता और बग़ैर रेडियो के घर को सूना समझते हैं और आजकल तो टेलीविज़न का भी इन्तिज़ाम हो चुका है।

हाय अफ़सोस ! मुसलमानों को अब बजाए मफ़रत के इन शैतानी चीज़ों से उलफ़त है बल्कि उसको इ़ज़्ज़त व शराफ़त की अलामत समझा जा रहा है और जो उसको मना करे उसको बे-दीन, वह्हाबी, लह्हाबी और काफ़िर कहा जा रहा है। हद हो गयी जहालत की।

क़ब्रों की ज़ियारत मर्दों के लिए

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया–

मैंने तुम को क़ब्रों की ज़ियारत से मना किया था। अब तुम क़ब्रों की ज़ियारत किया करो।'

(मुख़्तसर)

हवाला –1. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 158, हदीस 983, बाब 279, जनाज़े का बयान,
2. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 203, हदीस 958, जनाज़े का बयान।

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूले अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि–

'क़ब्रों की ज़ियारत किया करो, क्योंकि उनकी ज़ियारत से आख़िरत याद आती है।'

हवाला – इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 241, हदीस 1589, क़ब्रों की ज़ियारत का बयान।

मेरे प्यारे दोस्त! मर्दों के लिए क़ब्रों की ज़ियारत जायज़ है इसमें किसी का भी इख़्तिलाफ़ नहीं है लेकिन उलेमा-ए-हनफ़ीया ने क़ब्रों की ज़ियारत के लिए एक खास तरीक़ा बयान फ़रमाया है उस पर अमल करते हुए आज तक मैंने तो अपनी नज़रों से किसी को भी नहीं देखा है। वह तरीक़ा यह है-

जब क़ब्र की ज़ियारत का इरादा करे, मुस्तहब है कि अपने घर में दो रक्अत (नफ़्ल नमाज़) पढ़े, हर रक्अत में सूरः अल-हम्दु शरीफ़ और आयतुल कुर्सी एक बार, और सूरः इख़्लास तीन बार पढ़े फिर उसका सवाब मय्यत को पहुंचा दे, (यानी उसकी रूह को बख़्श दे) तो अल्लाह तआला मय्यत की क़ब्र में एक नूर भेजता है और मुसल्ली (यानी नमाज़ पढ़ कर उसका सवाब बख़्शने वाले) को भी भारी सवाब अता फ़रमाता है। फिर क़ब्रस्तान की तरफ़ रवाना हो और रास्ते में बेकार बातों में मश्गूल न हो जाए फिर जब क़ब्रस्तान में पहुंचे, तो अपनी जूतियां उतार दे और क़िब्ले की तरफ़ पीठ करके मय्यत की तरफ़ मुंह करके यों कहे-

'अस्सलामु अलैकुम या अह्लल क़ुबूर॰ यग़्फ़िरुल्लाहु लना व लकुम व अन्तुम स-फ़लफ़ुना व नह्नु बिल अस्रि॰

(ऐ क़ब्र वालो! तुम पर सलाम हो। अल्लाह हमारे और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करे तुम हमसे पहले गुज़र गये और हम तुम्हारे पीछे आने वाले हैं।)

फिर जब मय्यत के वास्ते दुआ करना चाहे तो क़िब्ले की तरफ़ मुंह हो (और क़ब्र की तरफ़ पीठ)

हवाला - फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 4, पृ॰ 317, बाबुल कराहत,

2. ग़ायतुल अवतार, उर्दू तर्जुमा दुर्रे मुख़्तार, जिल्द 4, पृ॰ 242, बाबुल हज़र।

यह तो है हमारे हनफ़ी मसलक का तरीक़ा और हमारी जहालत देखिए कि जहां नमाज़ पढ़ ली कि फ़ौरन उत्तर की तरफ़ मुंह करके सब लोग फ़ातिहा पढ़ने लग जाते हैं और जो इन नादानों की इताअत और पैरवी न करें, उनको वह्हाबी, लह्हाबी और इस्लाम से ख़ारिज समझते हैं हालांकि क़ब्र की मौजूदगी में भी क़ब्र को भी पीठ देकर क़िब्ले के सामने मुंह करके दुआ करे यानी फ़ातिहा पढ़े और ये नादान बग़ैर तुर्बत के क़िब्ले की तरफ़ से मुंह फिरा कर खड़े रहते हैं और हमारे फ़ुक़हा-ए-किराम इसको पसन्द नहीं करते।

जब मज़ार पर जाए तो सलाम करते वक़्त क़िब्ले की तरफ़ पीठ हो और मज़ार की तरफ़ मुंह हो और जब मज़ार वाले के लिए दुआ करे, तो क़ब्र की तरफ़ पीठ हो और क़िब्ले की तरफ़ मुंह हो, क्योंकि सलाम के वक़्त मुख़ातिब मज़ार वाले की तरफ़ है और दुआ के लिए मुख़ातिब खुदा से है।

इस इबारत में जो जूतियां उतारने को लिखा है वह तो खास दुआ के आदाब में एहतराम के तौर पर बताया है वरना जूतियां पहन कर क़ब्रस्तान में चलना मक्रूह नहीं है। हां, इतना

ख़्याल रहे कि क़ब्रों पर पैर रख कर न चले, न उस पर से फलांगे। हदीसों में इससे मना किया गया है-

'क़ब्रस्तान में जूतियां पहन कर चलना मकरूह नहीं।'

हवाला - फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 1, पृ० 234, जनाज़े का बयान।

क़ब्रों की ज़ियारत औरतों के लिए

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि जब हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे हज़रत अब्दुर्रहमान का हब्शा में इंतिक़ाल हुआ तो मक्का में लाये गये और मक्का ही में दफ़न किये गये। हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा जब मक्का तशरीफ़ लायीं तो (अपने भाई) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबूबक्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की क़ब्र पर भी आईं और दो शेअ़र पढ़कर फ़रमाया कि खुदा की क़सम! अगर मैं तुम्हारे पास मौजूद होती तो तुम वहीं दफ़्न होते जहां मरे थे। और अगर मैं (उस वक़्त) हाज़िर होती तो तुम्हारी ज़ियारत न करती। (मुख़्तसर)

हवाला - तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 204, हदीस 960, जनाज़े का बयान।

मेरे प्यारे दोस्त! औरतों के लिए क़ब्रों की ज़ियारत में उलेमा में इख़्तिलाफ़ है। कुछ आलिम जायज़ बताते हैं और कुछ मना करते हैं मगर किसी खास शकल में औरतों के लिए भी क़ब्रों की ज़ियारत जायज़ है, लेकिन आज हिन्दुस्तान की औरतें उर्सों में और दरगाहों पर ज़्यादा से ज़्यादा क़ाफ़िले की तरह मिल कर जाती हैं यह तो किसी सूरत में भी जायज़ नहीं है क्योंकि ये औरतें वहां जाकर सिवाए कुफ़्र व शिर्क के और कुछ नहीं करतीं उनको नमाज़ तक भी याद नहीं वे क़ब्रों पर जाकर शिर्क न करें तो फिर और क्या करें! इसलिए हर मुसलमान भाई पर वाजिब है कि अपने अपने घरों की औरतों को दरगाहों पर जाने और शिर्क व कुफ़्र करने से रोके, क्योंकि ऐसी औरतों पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी मुबारक ज़ुबान से लानत फ़रमायी है।

हदीस - हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अनवर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने क़ब्रों की ज़ियारत करने वाली औरतों पर लानत फ़रमायी है।

हवाला - इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 242, हदीस 1594, जनाज़े का बयान।

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूले मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने क़ब्रों पर जाने वाली औरतों पर लानत फ़रमायी है।

हवाला - इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 242, हदीस 1596, जनाज़े का बयान।

हदीस - हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कहते हैं कि नबी करीम

सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने क़ब्रों पर जाने वाली औरतों पर लानत फ़रमायी है।

हवाला – इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 242, हदीस 1595, जनाज़े का बयान।

औरतों को उर्सों में जाने से और ताज़ियों में जाने से रोक लिया जाए तो इन्शाअल्लाहु तआला बहुत कुछ इस्लाह हो सकती है।

मन्नत

नज़्र यानी मन्नत माननी किसी की सिवाए अल्लाह के जायज़ नहीं न नबी सल्ल० की न फ़रिश्ते की, न वली की, न और किसी की।

हवाला – मज़ाहिरे हक़, जिल्द 3, पृ० 233, नज़्र का बयान

हज़रत शाह वलिय्युल्लाह साहिब मुहद्दिस देहलवी क़द्द-स सिर्रुहू लिखते हैं–

'शिर्क की क़िस्मों में से एक क़िस्म यह है कि अल्लाह तआला के अलावा किसी से अपनी ज़रूरतों में मदद तलब करें जैसे मरीज़ के लिए शिफ़ा या मुहताज के लिए ग़िना (मालदारी) और उसकी नज़्र और मन्नत माने और उम्मीद रखें कि हमारी नज़्र से मुरादें पूरी होंगी या उनके नामों का वज़ीफ़ा बना लें।

हवाला – हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ः, पृ० 62, अक़्सामे शिर्क का बयान।

मेरे प्यारे दोस्त! ख़ुदा के सिवा और किसी की भी नज़्र यानी मन्नत माननी जायज़ नहीं, चाहे फ़रिश्ता हो या नबी हो या वली हो। आज हिन्दुस्तान में अक्सर जगह पर ऐसी जहालत फैली हुई है कि दरगाहों पर जा जा कर मुरादें मांगते हैं नियाज़ व न्ज़्र चढ़ाते हैं।

मेरे दोस्त! हमारे मुसलमान भाई और बहनों की जहालत की कोई हद नहीं रही जैसे एक लड़का बीमार हुआ तो उस की नज़्र मानी जाती है कि ऐ फ़लां वलिय्युउल्लाह ! अगर मेरे लड़के को आराम हो जाएगा तो तेरे नाम की इतनी नज़्र यानी मन्नत करेंगे। अब अगर उस लड़के को अल्लाह तआला ने अपने रहम व करम से आराम दे दिया, जब तो फिर नियाज़ व नज़्र लेकर बड़ी ख़ुशी से उस दरगाह पर लगे कुफ़्र व शिर्क करने और अगर अल्लाह तआला ने उस लड़के को दुनिया से उठा लिया यानी मौत दे दी जब तो सारी बदनामी अल्लाह के ऊपर उस वली पर कुछ भी नहीं। अगर कोई पूछे कि तुम्हारे लड़के को आराम नहीं हुआ। आप लोगों ने तो कोशिशें बहुत कीं, यानी कुफ़्र किया और शिर्क भी किया और कोई बिदअत बाक़ी नहीं छोड़ी, फिर भी आपके बच्चे को आराम नहीं हुआ, तो वे जवाब में कहेंगे कि भाई! अल्लाह को मंज़ूर ही नहीं था तो फिर हमारे हीलों से उसे आराम कैसे होता।

मेरे प्यारे दोस्त! किस क़दर बेवक़ूफ़ी और जहालत है। जानते हैं कि अल्लाह के सिवा और कोई भी आराम दे नहीं सकता। जिस पीर या वली की हम मन्नत मान रहे हैं उनके सामने भी उनके अज़ीज़ व अक़ारिब यानी ख़ानदान में से कोई न कोई तो ज़रूर मरा होगा बल्कि वे

खुद भी बीमारी और मौत से न बच सके फिर भी अल्लाह को छोड़ कर उनसे मुरादें मांगते हैं। यह है हमारी जहालत का अंधापन।

कुरआन करीम के इक्कीसवें पारे में, सूरः रूम के चौथे रुकूअ में आयत न० 33-34 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - लोगों का हाल यह है कि जब उन्हें कोई तक्लीफ़ पहुंचती है तो अपने रब की तरफ़ रुजूअ करके उसी को पुकारते हैं। फिर जब वह कुछ अपनी रहमत का मज़ा उन्हें चखा देता है तो यकायक उनमें से कुछ लोग शिर्क करने लगते हैं ताकि हमारे किए हुए एहसान की नाशुक्री करें। अच्छा मज़े कर लो बहुत जल्द तुम्हें मालूम हो जाएगा।

किसी मज़हब या किसी मसलक का इंसान हो और चाहे जितना भी जाहिल हो मगर उसके दिल की गहराइयों में तौहीद की गवाही मौजूद है उम्मीदों के सहारे जब भी टूटने लगते हैं तो उसका दिल खुद भी अन्दर से गवाही देता है कि इस कायनात का असली मालिक तो एक अल्लाह ही है और उसी की मदद उसकी बिगड़ी बना सकती है और जब भी बिगड़ी बन गयी तो होता यह है कि दूसरे माबूदों की नियाज़ व नज़्र चढ़ने लग जाती है और कहा जाता है कि यह मुसीबत फ़लां बुज़ुर्ग के सदके में या उन के तुफ़ैल में टल गयी। आखिर यह बात किस दलील से साबित हुई कि मुसीबतें अल्लाह तआला नहीं टालता, बल्कि फ़लां बुज़ुर्ग या फ़लां आस्ताने के सदके से टली है?

क्या अक्ल इसकी गवाही देती है या कोई किताबे इलाही में इसकी दलील है? या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ऐसा कहा है? अगर अल्लाह तआला के अपने कलाम मजीद और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सही हदीसों में इसकी दलील मौजूद नहीं है तो फिर ऐसा एतकाद रखना जहालत नहीं तो फिर और क्या है?

कुरआन शरीफ़ के नवें पारे में सूरः आराफ़ के चौबीसवें रुकूअ में आयत 190 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - जब अल्लाह तआला ने उन दोनों को सही सालिम औलाद दे दी तो अल्लाह तआला के शरीक करार देने लगे, सो अल्लाह तआला पाक है उनके शिर्क से।

जब औरतों का पांव भारी हो जाता है तो डर होता है कि देखिए क्या होता है इससे ज़िन्दा सलामत रहती है कि नहीं इसलिए मियां बीवी दोनों खुदा से दुआ करते हैं (क्योंकि कड़े मौके पर वही एक अल्लाह याद आता है) कि अगर तूने हमको अच्छा और जीता जागता बच्चा दिया तो हम तेरी शुक्रगुजारी किया करेंगे।

फिर जब खुदा उनको बा मुराद बच्चा देता है तो खुशी में आकर खुदा के साथ इस काम में औरों को भी मिला लेते हैं। कोई तबियतों की तरफ़ जोड़ देता है जैसा कि दहरिया, कोई सितारे के निकलने डूबने की तरफ़, कोई अपने बुतों और देवताओं की तरफ़ मंसूब करता है

कोई कहता है कि फ़लां (वली या बुज़ुर्ग) की नियाज़ मानी थी तो खुदा ने यह मुराद दी।

हवाला – तफ़्सीरे हक़्क़ानी, जिल्द 4, पृ० 177, पारा 9, सूरः आराफ़ के चौबीसवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

क़ुरआन करीम के चौदहवें पारे में सूरः नह्ल के ग्यारहवें रुकूअ में आयत न० 78 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – अल्लाह ने तुमको तुम्हारी मांओ के पेटों से निकाला, इस हालत में कि तुम कुछ भी नहीं जानते थे उसने तुम को कान दिये, आंखे दीं और सोचने वाले दिल दिये इसलिए कि तुम शुक्रगुज़ार बनो।

किसी जाहिल से जाहिल इंसान से भी पूछो कि तुम्हारी मां के पेट में रोज़ी किसने दी? तुम्हारे हाथ पैर, आंख-कान, नाक-मुंह किसने बनाये? सोचने और समझने के लिए दिल और अक्ल किसने दिया? तो जवाब यही मिलेगा कि अल्लाह ने। तो फिर जिन जिन को हलवा-मलीदा, नियाज़ व नज़्र चढ़ा रहे हो उन्होंने कौन सा हिस्सा जिस्म के हिस्सों में से बनाया है जो उनकी आव भगत कर रहे हो।

अल्लाह तआला की ना शुक्री इससे बढ़कर और क्या हो सकती है कि सारी की सारी नेमतें तो अल्लाह तआला दे और एहसान दूसरों का माना जाए।

मुश्रिक किसी को भी ज़ात में खुदा के बराबर न समझते थे मगर इबादत में और मदद मांगने में नज़्र व नियाज़, अदब और ताज़ीम उनकी भी उसी तरह करते थे कि जिस तरह खुदा की तो गोया उन्होंने अपने माबूदों को खुदा के बराबर समझा।

हवाला – तफ़्सीरे हक़्क़ानी, जिल्द 2, पारा 1, पृ० 106, सूरः बक़रः के तीसरे रुकूअ की तफ़्सीर में।

सैंकड़ों जाहिल हज़राते औलिया, अंबिया, फ़रिश्तों और दूसरी ग़ैर महसूस चीज़ों और अनदेखी रूहों को यह समझते हैं कि वे हमारी हाजत को पूरा करते हैं अगर हम उनकी परस्तिश न करें तो हमारे कारोबार में फ़र्क़ आ जाए और वे लाग हम को नुक़्सान या तक्लीफ़ पहुंचाएंगे और उस पर इत्तिफ़ाक़न मुराद का हासिल हो जाना या परस्तिश में कमी से इत्तिफ़ाक़न कोई हादसा पेश आ जाना उसके बातिल ख्याल की और भी मज़बूत दलील हो जाती है। हक़ीक़त में यह वह्मी ताक़त की कारीगरी है और कुछ नहीं। जिस तरह रात को अकेली जगह या मकान में अवाम को मुर्दे से डराती है और ऊंचे मकान पर चलने से पांव लड़खड़ाती है इसी तरह उन लोगों को नफ़ा और नुक़्सान का वह्म भी यही वह्मी ताक़त दिलाती है।

हवाला – तफ़्सीरे हक़्क़ानी, जिल्द 2, पारा 1, पृ० 107, सूरः बक़रः के तीसरे रुकूअ की तफ़्सीर में।

हर क़ौम और मज़हब के कुछ न कुछ लोग अपने अपने बुज़ुर्गों की मन्नत मानते हैं। अब

अगर किसी बुजुर्ग से लड़का मांगा था और लड़का ही पैदा हुआ तो फ़ौरन उसी वक़्त शकर या जलेबी या बताशे या नान ख़ताई कुछ न कुछ बंटने लगेगी। जब उनसे पूछा जाए कि भाई! यह क्यों बांट रहे हो ? तो जवाब में कहेंगे, हमने फ़लां बुज़ुर्ग की मन्नत मानी थी तो घर में लड़का पैदा हुआ अगर लड़की पैदा हो गयी तो गुमसुम होकर चुपचाप बैठ जाएंगे, कुछ भी नहीं बांटेंगे और किसी को ख़बर भी नहीं करेंगे और अगर कोई इत्तिफ़ाक़िया पूछ ले कि आपके याहं बच्चा पैदा होने वाला था फिर क्या हुआ? तो शर्म से सर झुका कर कहेंगे कि लड़की पैदा हुई अल्लाह की मर्ज़ी।

अब किस क़दर जहालत की बात है कि लड़की पैदा हो तो अल्लाह की मर्ज़ी और लड़का पैदा हो तो उस बुज़ुर्ग की मर्ज़ी, गोया अल्लाह तआला के अख़्तियार में अब लड़कियां ही हैं और लड़कों का ठेका इन बुज़ुर्गों ने ले लिया है, अल्लाह की पनाह!

क़ुरआन शरीफ़ के सत्ताइसवें पारे में सूरः तूर के दूसरे रुकूअ में आयत न० 39 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – क्या अल्लाह की तो सब लड़कियां हैं और तुम्हारे यहां लड़के हैं?

यह भी इन की बड़ी भारी ग़लती है कि कहते हैं कि फ़रिश्ते अल्लाह की लड़कियां हैं। क्या मज़े की बात है कि अपने लिए तो लड़कियां नापसन्द करें और अल्लाह तआला के लिए (लड़कियां) साबित करें? उन्हें अगर मालूम हो जाए कि उनके यहां लड़की हुई है तो ग़म के मारे चेहरा स्याह पड़ जाए और अल्लाह तआला के मुक़र्रब फ़रिश्तों को उसकी लड़कियां बतायें।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 27, पृ० 15, सूरः तूर के दूसरे रुकूअ की तफ़्सीर में।

अरबों की जहालत का बयान हो रहा है। वे अल्लाह तआला के मुक़र्रब फ़रिश्तों को अल्लाह तआला की लड़कियां कहते थे और खुद के घर में लड़कियों का जन्म हो जाए तो मारे ग़म के मुंह स्याह हो जाए चेहरा उतर जाए।

कुछ लोगों की जहालत का यह हाल था कि लड़की पैदा होते ही उस को मार डालते थे अब यह किस क़दर जहालत है कि अल्लाह के लिए तो लड़कियां साबित करें और खुद अपने लिए लड़कियों को पसन्द न करें?

यही हालत हिनदुस्तान में कुछ जाहिलों की है। कुछ जाहिल औलिया अल्लाह की मन्नत मानते हैं यानी या फ़लां बाबा! मेरे घर लड़का पैदा होगा तो इतनी नियाज़ या इतना नज़ाना आपके नाम का करेंगे? अब मन्नत मानने के बाद इत्तिफ़ाक़िया अगर लड़का पैदा हुआ तो उस बाबा की मर्ज़ी, जिस की मन्नत मानी थी और अगर बावजूद मन्नत मानने के लड़की पैदा हुई तो कहेंगे कि अल्लाह की मर्ज़ी!

किस क़दर जहालत है कि अगर लड़की पैदा हुई तो अल्लाह की मर्ज़ी और अगर लड़का पैदा हो तो बाबा की मर्ज़ी, हालांकि लड़की पैदा हो या लड़का, दोनों में से जो भी पैदा हो

अल्लाह ही की मर्ज़ी से होता है। इस में कोई दख़ल नहीं दे सकता न वली दे सकते हैं न अंबिया अलैहिमुस्सलाम दख़ल दे सकते हैं न फ़रिश्ते।

कुरआन शरीफ़ के पच्चीसवें पारे में सूरः शूरा के पांचवें रुकूअ में आयत न० 49-50 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा – अल्लाह जिस को चाहता है बेटियां देता है और जिसे चाहता है बेटे देता है या उनको जमा कर देता है बेटे भी और बेटियां भी (दोनों देता है) और जिसको चाहे बे औलाद रखता है बेशक वह बड़ा जानने वाला, बड़ी क़ुदरत वाला है।

फ़रमाता है कि ख़ालिक़, मालिक और मुतसर्रिफ़ ज़मीन व आसमान का सिर्फ़ अल्लाह तआला ही है। वह जो चाहता है होता है जो नहीं चाहता नहीं होता। जिसे चाहे दे जिसे चाहे न दे जो चाहे पैदा करे और बनाये जिसे चाहे सिर्फ़ लड़कियां दे जैसे हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम और जिसे चाहे सिर्फ़ लड़के ही अता फ़रमाता है जैसे इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम और जिसे चाहे लड़के लड़कियां सब कुछ देता है जैसे हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और जिसे चाहे बे औलाद रखता है जैसे हज़रत यह्या और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पस ये चार क़िस्में हुई-

1. लड़कियों वाले, 2. लड़कों वाले,
3. दोनों वाले और 4. दोनों से खाली हाथ।

वह जानने वाला है हर मुस्तहिक़ को जानता है।

क़ुदरत वाला है जिस तरह का चाहे फ़र्क़ रखता है।

पस यह जगह भी उस फ़रमाने इलाही जैसी है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में है कि ताकि हम इसे लोगों के लिए निशान बनायें यानी क़ुदरत की दलील बनायें और दिखा दें कि हमने मख़्लूक़ को चार तौर पर पैदा किया।

हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सिर्फ़ मिट्टी से पैदा हुए, न मां, न बाप। हज़रत हव्वा सिर्फ़ मर्द से पैदा हुईं। बाक़ी कुल इंसान मर्द औरत दोनों से, सिवाए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कि वह सिर्फ़ औरत से बग़ैर मर्द के पैदा किये गये। पास आप की पैदाइश से ये चारों क़िस्में पूरी हो गयीं। पस यह जगह मां-बाप के बारे में थी और वह जगह औलाद के बारे में। उसकी भी चार क़िस्में और इसकी भी चार क़िस्में।

सुब्हानल्लाह! यह है उस ख़ुदा के इल्म व क़ुदरत की निशानी।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 25, पृ० 25, सूरः शूरा के पांचवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दो बीवियां थीं

1. एक का नाम हज़रत सारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा था और
2. दूसरी का नाम हज़रत हाजिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा था,

लेकिन औलाद नहीं थी तो एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह तआला से दुआ मांगने लगे-

कुरआन करीम के तेईसवें पारे में सूरः साफ़्फ़ात के तीसरे रुकूअ में आयत न० 100 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा – ऐ अल्लाह! मुझे नेक औलाद अता फ़रमा।

अब सोचने की बात है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत बड़े नबी हैं जिनका लक़ब ख़लीलुल्लाह है यानी अल्लाह का दोस्त और नबियों का दर्जा वलियों से बे इंतिहा बड़ा है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बज़ाते खुद जब अल्लाह तआला से लड़का ले नहीं सकते तो वलिय्युल्लाह लड़का दे क्या सकते हैं?

मेरे भैया! अल्लाह तआला से मांगना यह तमाम नबियों और तमाम रसूल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का अक़ीदा है और तमाम नबी और रसूल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम सारी दुनिया को यही सिखाने और समझाने आए थे कि अल्लाह ही से मांगो और उसी खुदा पर भरोसा रखो और उसी पर एतमाद व यक़ीन रखो। समझे मेरे भोले भैया!

जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तआला से दुआ मांगी, तो अल्लाह तआला ने क़ुबूल कर लिया और बशारत होती है-

कुरआन करीम के तेईसवें पारे में सूरः साफ़्फ़ात के तीसरे रुकूअ में आयत न० 101 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा – हमने भी एक नर्म दिल लड़के की खुशखबरी दे दी।

उसके काम में न तो कोई नबी दख़ल दे सकता है न कोई वली। तुम इतना तो सोचो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की सब लड़कियां थीं उनके लड़के नहीं थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सब लड़के थे एक भी लड़की नहीं थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के यहां लड़के भी हुए और लड़कियां भी। हज़रत यह्या और हज़रत ईसा अलैहिमुस्सलाम दोनों बे औलाद थे।

बस अल्लाह की क़ुदरत में किसी को कुछ भी अख़्तियार नहीं है जिस को हम तफ़्सील के साथ पहले बयान कर चुके हैं। बन्दे के अख़्तियार में फ़क़त दुआ मांगना है और उस दुआ को क़ुबूल करना या न करना मेरे मालिक व मुख़्तार की मर्ज़ी की बात है।

हदीस – हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने नज़्र मानने से मना फ़रमाया है और फ़रमाया है कि-

यह न किसी चीज़ को आगे कर सकती है और न पीछे कर सकती है मगर हां इसकी वजह से बख़ील का माल खर्च हो जाता है।

हवाला –1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 27, पृ० 364, हदीस 1594 नज़्र का बयान,

2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 19, हदीस 113, बाब 53 नज़्र का बयान।

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया–

नज़्र मत मानो क्योंकि नज़्र मुक़द्दर को हरगिज़ नहीं टाल सकती और इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। बस इसके ज़रिए से बख़ील का माल निकाल लिया जाता है। (मुख़्तसर)

हवाला – तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 310, हदीस 1439, नज़्र का बयान।

हदीस – हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि सअ्द बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से फ़त्वा पूछा कि मेरी मां मर गयी और उन पर एक नज़्र बाक़ी है।

आपने फ़रमाया तुम उसको उनकी तरफ़ से पूरा कर दो।

हवाला –1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 11, पृ० 16, हदीस 31, वसीयत का बयान,
2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 19, हदीस 112, बाब 52, नज़्र का बयान।

हदीस – हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फ़रमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि–

जिसने अल्लाह की फ़रमांबरदारी करने की नज़्र मानी (यानी जायज़ तरीक़े पर नज़्र मानी है) तो उसे अल्लाह की फ़रमांबरदारी करनी चाहिए और जिस ने अल्लाह की ना फ़रमानी की नज़्र मानी (यानि ना जायज़ तरीक़े पर नज़्र मानी है) तो उसे अल्लाह की नाफ़रमानी न करनी चाहिए।

हवाला – तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 307, हदीस 1426, नज़्र का बयान।

यह जो दिरहम व दीनार या रुपया पैसा वग़ैरह लेकर औलिया के मज़ारों पर उनकी जनाब में तक़र्रुब के वास्ते जाते हैं सबके नज़दीक हराम है जब तक कि यह क़स्द न हो (यानी इरादा न हो) कि वहां ज़िन्दा फ़क़ीरों पर ख़र्च करे और इसमें कुछ इख़्तिलाफ़ नहीं हालांकि लोग इस हराम में ज़्यादा से ज़्यादा मुब्तला हैं।

हवाला – ऐनुल हिदाया, जिल्द 1, पृ० 958, रोज़े का बयान।

जो लोग इस तरह कहते हैं कि अगर मेरी ज़रूरत पूरी होगी तो वास्ते फ़लां वली या बनाम फ़लां वली के इस क़दर खाना या इस क़दर नक़द रक़म फ़लां वली के नाम पर ख़र्च करूंगा बस इस तरह नज़्र करनी बातिल है बिल इज्माअ (यानी सबके नज़दीक) और खाना उस खाने का हराम है।

हवाला – मज़ाहिरे हक़, जिल्द 3, पृ० 233, नज़्र का बयान।

ख़ुदा को छोड़ कर दूसरों से हाजत मांगने वालों के लिए हज़रत सय्यिदिना अब्दुल क़ादिर

जीलानी रह्मतुल्लाहि अलैहि यानी बड़े पीर साहब फ़रमाते हैं-

ग़ैर अल्लाह से किसी चीज़ के मांगने वाले! तू बेवकूफ़ है क्या कोई ऐसी भी चीज़ है जो अल्लाह के ख़ज़ानों में न हो।

हवाला – फ़ुयूज़े यज़दानी, पृ० 25, मज्लिस 1।

फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने नज़्र दो क़िस्म की है-

1. सो जिस आदमी की नज़्र अल्लाह तआला की इताअत और इबादत में होवे तो अल्लाह के वास्ते है और उसमें नज़्र अदा करना ज़रूरी है।

2. और जिस आदमी की नज़्र अल्लाह तआला की मासियत और गुनाह में हो वह नज़्र शैतान के वास्ते हैं उसका अदा करना (यानी मन्नत का पूरा करना) ज़रूरी नहीं और उसमें कफ़्फ़ारा देवे ज़ो क़सम का कफ़्फ़ारा है ये जो अक्सर अवामुन्नास (आम लोग) नज़्र मानते हैं इस तहर कि कुछ औलियाअल्लाह की क़ब्रों पर जाते हैं यों कहते हुए कि या हज़रत फ़लाने! हमारा ग़ायब आदमी अगर वतन में फिर आवे या बीमार हमारा अच्छा हो जावे या मुराद हमारी पूरी हो जावे तो आप के वास्ते इतना सोना या इतनी चांदी या इस क़दर खाना या चिराग़ों के वास्ते इतना तेल या मोम नज़्र करेंगे। यह नज़्र और मन्नत बिल इत्तिफ़ाक़ फ़ुक़हा-ए-किराम व इज्माए उलेमा बातिल है कुछ दलीलों से-

1. अव्वल यह कि नज़्र मख़्लूक़ के वास्ते जायज़ नहीं यानी नज़्र मख़्सूस खुदा-ए-अलीम व क़दीर के लिए है और

2. दूसरी दलील बातिल की यह है कि जिनकी नज़्र मानी है वह मय्यत है और मय्यत किसी चीज़ का मालिक नहीं होता और

3. तीसरी दलील यह है कि ऐसी नज़्र करने वालों के गुमान में यह है कि सिवाए खुदा के मय्यत भी क़ादिर है। आलम में कुछ इस का तसर्रुफ़ भी जारी है और यह एतक़ाद कुफ़्र है।

हवाला–1. ग़ायतुल अवतार उर्दू तर्जुमा दुर्रे मुख़्तार, जिल्द 2, पृ० 338, ईमान का बयान।
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 3, पृ० 234, नज़्र का बाब बहरुर्राइक़ के हवाले से।

किसी ने इस नीयत से नज़्र मानी कि औलियाअल्लाह भी जो चाहे कर सकते हैं तो यह अक़ीदा कुफ़्र है। जिसने नज़्र की वास्ते किसी नबी के अंबिया अलैहिमुस्सलाम में से या किसी वली के औलिया में से लाज़िम नहीं आता उस पर कुछ, फिर अगर देवे वह किसी को आदमियों में से इस नीयत पर तो लाज़िम नहीं है लेना उस का और अगर हो खाना तो नहीं है हलाल खाना उसका और अगर हो वह जानवर ज़िब्ह किया हुआ, पास वह मुर्दार है और अगर खावे वह बिस्मिल्लाह कह कर काफ़िर हों सब और नज़्र करे अल्लाह तआला की फिर खावें लोग और बख़्शे सवाब उस का किसी आदमी को तो यह जायज़ है।

हवाला – मज़ाहिरे हक़, जिल्द 3, पृ० 236, ईमान व नज़्र का बाब।

मेरे प्यारे दोस्त! कुछ मुसलमानों की जहालत का क्या कहना। अभी तक बेचारे देव देवियों के नाम पर जानवर वग़ैरह ज़िब्ह करके खाते हैं और उनमें से जो अपने आप को सुधरे हुए और ईमानदार समझते हैं ये इन बातों को तो समझने लगे हैं लेकिन ये साहिबान अब औलियाअल्लाह रह० के नाम पर जानवर ज़िब्ह करते हैं।

अब सुनिए उसके बारे में फ़त्वे और हवाले।

ग़ैर अल्लाह के नाम का जानवर हलाल नहीं

क़ुरआन मजीद के दूसरे पारे में सूर: बक़र: के इक्कीसवें रुकूअ में आयत न० 173 में अल्लाह इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – और हर वह चीज़ जो खुदा के नाम के सिवा दूसरों के नाम पर मशहूर की जाए हराम है।

जो चीज़ अल्लाह तआला के सिवा और किसी के नाम पर मशहूर की जाए वह हराम है।

जाहिलियत के ज़माने में काफ़िर लोग अपने झूठे माबूदों के नाम पर जानवर ज़िब्ह किया करते थे, जिनको अल्लाह तआला ने हराम कर दिया।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 2, पृ० 22, सूर: बक़र: के इक्कीसवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

एक बार एक औरत ने गुड़िया के निकाह पर एक जानवर ज़िब्ह किया तो हसन बसरी रह्मतुल्लाहि अलैहि ने फ़त्वा दिया कि उसे न खाना चाहिए इसलिए कि वह एक तस्वीर के लिए ज़िब्ह किया गया है।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 2, पृ० 22, सूर: बक़र: के इक्कीसवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

इसका इत्लाक़ उस जानवर के गोश्त पर होता है जो खुदा के नाम के सिवा किसी और के नाम पर ज़िब्ह किया गया हो और उस खाने पर भी होता है जो अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पर नज़्र के तौर पर पकाया गया हो। हक़ीक़त यह है कि जानवर हो या ग़ल्ला या और कोई खाने पीने की चीज़, असल में उसका मालिक अल्लाह ही है और अल्लाह ही ने वह चीज़ हम को अता की है। इसलिए नेमत के एतराफ़ के तौर पर सदक़ा हो या नियाज़ व नज़्र हो, इन चीज़ों पर अगर किसी का नाम लिया जा सकता है तो वह सिर्फ़ एक अल्लाह ही का नाम है। इसके सिवा किसी दूसरे का नाम लेना यह मतलब रखता है कि हम खुदा के बजाए या खुदा के साथ उसकी बरतरी भी मान रहे हैं और नेमतों का देने वाला भी मान रहे हैं तभी तो अल्लाह को छोड़ कर दूसरों के नाम का किया जाएगा।

हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से सवाल होता है कि अजमी (यानी ग़ैर अरबी) लोग

जो अपने त्यौहारों और ईद के मौके पर जानवर ज़िब्ह करते हैं और मुसलमानों को भी उसमें से हदिया भेजते हैं उनका गोश्त खाना चाहिए या नहीं तो आपने फ़रमाया, उस दिन की बड़ाई के लिए जो जानवर ज़िब्ह किया जाए उसे न खाओ, उनके दरख़्तों के फल खाओ।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 2, पृ० 22, सूरः बक़रः के इक्कीसवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

मेरे प्यारे दोस्त! ग़ैर क़ौमों के त्यौहारों में शामिल होना और उनके साथ मिल जुल कर एक दूसरे को मुबारकबाद देना, और एक दूसरे को हदिया और तोहफ़ा भेजने वालों पर भी कुफ़्र का फ़त्वा है।

अगर नौ रोज़ के दिन (यानी नौरतन या दीवाली में और इसी तरह दूसरे त्यौहारों के दिन) मजूसी को एक अंडा भेजा, (यानी हदिया के तौर पर) तो कुफ़्र है। नौ रोज़ के दिन मजूसी जमा होकर खुशी करते थे। एक मुसलमान ने देखकर कहा कि अच्छी सीरत उन लोगों ने रखी है तो कुफ़्र है। किसी ने नौरोज़ के दिन उसकी ताज़ीम की नीयत करके या समझ कर कोई चीज़ खरीदी तो कुफ़्र है और और उसने यों ही खरीदी और उसको नौरोज़ का ख़्याल नहीं है तो कुफ़्र नहीं है अगर नौरोज़ का दिन मालूम हो लेकिन उसने अपनी मेहमानी की ज़रूरत वग़ैरह की नीयत से ख़रीदी तो भी कुफ़्र नहीं है।

हवाला –1. ऐनुल हिदाया, जिल्द 1, पृ० 86, अक़ाइद का बयान मुक़दमें में,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 3, पृ० 289, मुर्तद का बयान,
3. फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 2, पृ० 853, मुर्तद का बयान।

मेरे प्यारे दोस्त! अल्लाह बचाए आज तो अक्सर मुसलमान इस मुसीबत में कसरत से मुब्तला हैं बल्कि अपने आपको पीर और मौलवी कहलाने वाले भी कुछ तो इस बला में फंसे हुए हैं।

क़ुरआन शरीफ़ के छठे पारे में सूरः माइदा के पहले रुकूअ में आयत न० 3, में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – और वह चीज़ जो खुदा के सिवा दूसरों के नाम पर मशहूर की जाए हराम है।

नुसुब पर जो जानवर ज़िब्ह किये जाएं, वे भी हराम हैं।

मुजाहिद रह्मतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं–

ये परस्तिश की जगहें कअ्बे के इर्द गिर्द थीं।

इब्ने जरीर रह्मतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं,

ये तीन सौ साठ बुत थे जहालत के ज़माने में। अरब लोग इनके सामने अपने जानवर क़ुर्बान करते थे और उनमें से जो बैतुल्लाह के बिल्कुल करीब थे उस पर इन जानवरों का खून छिड़कते थे और गोश्त को उन बुतों पर चढ़ावे के तौर पर चढ़ाते थे। पस अल्लाह तआला ने यह काम मुसलमानों पर हराम किया और उन जानवरों का खाना भी हराम कर दिया है।

अगरचे उन जानवरों के ज़िब्ह करते वक़्त 'बिस्मिल्लाह; भी पढ़ी हो क्योंकि यह शिर्क है जिसे अल्लाह तआला वह्दहू ला शरीक लहू और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हराम किया है और यही लायक़ है।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 6, पृ० 46, सूरः माइदा के पहले रुकूअ की तफ़्सीर में।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं–

'मैंने अम्र बिन लुह्य बिन क़मआ़ को देखा कि वह जहन्नम में अपनी आंते घसीट रहा था।'

यही वह आदमी था जिसने सबसे पहले ग़ैर अल्लाह के नाम पर जानवरों का छोड़ना बतलाया। यह आदमी खजआ़ के बादशाहों में से एक था। इसी ने सबसे पहले इन कामों की शुरुआत की थी।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 25, पृ० 12, सूरः शूरा के तीसरे रुकूअ की तफ़्सीर में।

हदीस – हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से नक़ल करते हैं कि मौज़ा 'अस्फ़ल बल्दह' (एक जगह का नाम है) में आपकी मुलाक़ात ज़ैद बिन अम्र बिन नुफ़ैल से हुई और यह क़िस्सा वह्य के नाज़िल होने से पहले का है। उसने आपके सामने एक ख़्वान जिसमें गोश्त था पेश किया। आपने उसके खाने से इंकार किया और फ़रमाया कि तुम्हारे बुतों पर (जो जानवर) ज़िब्ह किये जाते हैं उनको मैं नहीं खाता, बल्कि अल्लाह ही के नाम पर जो ज़िब्ह किये जाएं उनको खाता हूं।

हवाला –1. सही बुखारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 23, पृ० 131, हदीस 463, ज़बीहे का बयान।

हदीस – हज़रत आमिर बिन वासला रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास बैठा हुआ था कि एक आदमी ने हाज़िर होकर अर्ज़ किया–

'हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने आप से खुफ़िया तौर पर क्या फ़रमाया था?'

हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को यह सुन कर ग़ुस्सा आ गया और फ़रमाया कि–

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुझसे पोशीदा तौर पर कोई ऐसी बात नहीं कही, जिसको लोगों से छिपाना मक़्सूद हो। अलबत्ता हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुझसे चार बातें कही थीं–

1. एक तो यह कि खुदा उस आदमी पर लानत करता है जो अपने बाप पर लानत करे,

2. दूसरी यह कि खुदा उस पर लानत करता है जो ग़ैर अल्लाह के नाम पर कोई जानवर ज़िब्ह करे,

3. तीसरी यह कि खुदा उस पर लानत करता है, जो किसी बिदअती को पनाह दे,

4. चौथी यह कि खुदा उस आदमी पर लानत करता है जो ज़मीन की हदों के निशानों को बदल डाले या मिटा डाले।

हवाला – सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 86, हदीस 385, बाब 184, ज़िब्ह का बयान।

हदीस – हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि–

'इस्लाम में अक़्र नहीं है।'

अब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने कहा कि जाहिलियत (के ज़माने) में लोग क़ब्रों के पास जाकर गाय या बकरी काटा करते थे। (इसी को अक़्र कहते हैं इस्लाम में इस से मना कर दिया गया।)

हवाला – अबूदाऊद शरीफ़, जिल्द 2, पारा 21, पृ० 582, हदीस 1465, बाब 615।

हैवानात को जो मशाइख़ की नज़्र करते हैं और उन को क़ब्रों पर जाकर ज़िब्ह करते हैं फ़िक़्ह में इस अमल को भी शिर्क में दाख़िल किया गया है और इस बारे में बहुत मुबालग़ा किया है और इस ज़िब्ह को जिन्नात के ज़बीहों की क़िस्म से ख़्याल किया है जो शरीअत से मना और शिर्क के दायरे में दाख़िल है। इस अमल से भी परहेज़ करना चाहिए कि इसमें भी शिर्क की बू पायी जाती है।

नज़्र और मन्नत के तरीक़े और बहुत हैं। क्या ज़रूरत है कि हैवान के ज़िब्ह करने की मन्नत और नज़्र माने और उसी को ज़िब्ह करके जिन्नों के ज़बीहों से मिलाये और जिन्नों के पुजारियों के साथ मुशाबहत पैदा करे इसी तरह वे रोज़े, जो औरतें, पीरों, बीवियों की नीयत पर रखती हैं और अक्सर उनके नामों को अपने पास से गढ़ कर उनके नाम पर अपने रोज़ों की नीयत करती हैं और हर रोज़े के लिए ख़ास एहतिमाम करती हैं और ख़ासतौर पर इफ़्तार करती हैं और रोज़ों के लिए दिनों को मुक़र्रर कर लेती हैं और अपने मतलबों और मक़्सदों को इन रोज़ों पर मौक़ूफ़ करती हैं और इन रोज़ों के ज़रिए उन पीरों और बीवियों से हाजतें तलब करती हैं और इन रोज़ों के ज़रिए उनको अपना हाजतरवा और मुश्किलकुशा जानती हैं। यह सब इबादत में शिर्क है और यह जो अक्सर औरतें इस काम की बुराई जाहिर करने के वक़्त कहती हैं कि हम इन रोज़ों को अल्लाह तआला के लिए रखती हैं और इनका सवाब पीरों को बख़्शती हैं,

यह उनका हीला बहाना है।

हवाला – मक्तूबे इमामे रब्बानी मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाहि अलैहि जिल्द 3, पृ० 10, मक्तूब 41।

ख़ुदा के नाम के सिवा किसी और के नाम पर अगर जानवर को ज़िब्ह किया जाए तो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शरीअत में यह फ़ेल शिर्क और ऐसे जानवर का गोश्त खाना हराम है।

हवाला – सीरतुन्नबी, जिल्द 5, पृ० 32।

यह जो हिन्दुस्तान में जाहिलों में रिवाज है कि मन्नत मान कर सैयद अहमद कबीर की गाय और शेख़ सद्दू का बकरा ज़िब्ह करते हैं वह गाय और बकरा मुरदार है इस वास्ते कि ज़िब्ह ताज़ीमे ग़ैर खुदा और तक़र्रुबे मख़्लूक़ का इरादा करते हैं और यह जो कुछ लोग कहते हैं कि ज़िब्ह के वक़्त खुदा का नाम लेने से ज़बीहा हलाल और पाक हो जाता है गो नीयत अवाम की ख़राब हो तो यह उनकी ग़लतफ़हमी है इस वास्ते कि मज़्कूर हो चुका कि ताज़ीमे ग़ैरे खुदा की सूरत में ज़बीहा मुरदार हो जाता है अगरचे अल्लाह का ख़ालिस नाम लिया जाए।

हवाला – ग़ायतुल अवतार, उर्दू तर्जुमा दुर्रे मुख़्तार, जिल्द 4, पृ० 179, ज़बीहे का बयान।

जो जानवर कि नामज़द किया गया और शोहरत दिया गया (यानी वह जानवर मशहूर हो चुका है कि यह दुंबा या बकरा फ़लां वली या फलां पीर या बुत या देवता या माता या और किसी के नाम का भी हो) तक़र्रुब और ताज़ीम के लिए बनामे ग़ैरे खुदा वह हराम है जैसा कि अवाम जाहिलों में दस्तूर है।

'यह बकरा शेख़ सद्दू का है, यह गाय सैयद अहमद कबीर की है यह बकरा तोप शाह का या यह मुर्ग़ा मदार साहब का या यह जानवर ज़िब्ह करना बुजुर्गों की क़ब्रों के पास या किनारे दरिया के या भोग के तौर पर साथ नाम जिन्नों के पस करने वाला इन कामों का मुर्तद काफ़िर है और यह ज़बीहा मुर्दार और हराम है। अगरचे वक़्त ज़िब्ह के नाम खुदा का लिया हो यानी बिस्मिल्लाह कह कर ज़िब्ह किया हो तो भी हराम है इस वास्ते कि पहले ही से यह जानवर ग़ैरे ख़ुदा जानवर के नाम पर मशहूर हो चुका था फिर ज़िब्ह करने के वक़्त अब नाम खुदा का कुछ फ़ायदा नहीं देता।

मौलाना शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रह्मतुल्लाहि अलैहि ने लिखा है कि वह जानवर जो मशहूर हो गया सिवाए नाम अल्लाह के वह सुअर से भी बुरा और मुरदार है।

हवाला – मज़ाहिरे हक़, जिल्द 3, पृ० 289, मुर्तद का बयान।

कुछ लोगों को यहां पर एक शुब्हा यह भी होता है क़ुर्बानी के जानवर भी तो आदमी के नामज़द होते हैं वे तो हलाल समझे जाते हैं और औलिया अल्लाह के नाम पर जो जानवर बिस्मिल्लाह करके ज़िब्ह किया जाए, वह कैसे हराम हो जाएगा।

असल में बात यह है कि क़ुर्बानी के जानवर को शरीअत ने हलाल क़रार दिया है और जो बुजुर्गों के नाम पर मशहूर कर दिया जाए या नामज़द कर दिया जाए उसको शरीअत ने हराम क़रार दिया है। मिसाल के तौर पर औरतें तो सब औरतें ही हैं जिस्मानी एतबार से उनमें कोई फ़र्क़ नहीं है लेकिन कुछ औरतों से शरीअत ने निकाह को हराम क़रार दिया है जिन जिन औरतों से शरीअत ने निकाह करना हराम बताया है अगर कोई इंसान उस औरत से निकाह पढ़वाएगा तब भी निकाह नहीं होगा, क्योंकि शरीअत ने उस औरत से निकाह करना ही हराम बताया है तो अब निकाह पढ़ाने से वह औरत हलाल नहीं हो सकती।

इसी तरह जिन जिन जानवरों को शरीअत ने हराम क़रार दिया है उन जानवरों को ज़िब्ह करते वक़्त अगर कोई बिस्मिल्लाह पढ़ कर ज़िब्ह करेगा, तब भी वे जानवर हलाल नहीं हो सकते, क्योंकि शरीअत ने उनको पहले ही से हराम क़रार दे दिया है यही बात है कि हलाल और जायज़ पर बिस्मिल्लाह का पढ़ना सवाब बताया गया है और हराम पर पढ़ना कुफ़्र है।

शराब पीते वक़्त या चौसर खेलते वक़्त बिस्मिल्लाह कहेगा तो काफ़िर हो जाएगा।

हवाला – फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 2, पृ० 850, मुर्तद का बयान।

यह इबारत तो एक मिसाल के तौर पर बयान की गयी है वरना जिन जिन कामों को शरीअत ने हराम क़रार दिया है उनको बिस्मिल्लाह से शुरू करना हराम है और जिन-जिन चीज़ों का खाना या पीना शरीअत ने हराम क़रार दिया है उसको बिस्मिल्लाह कह कर खाना या पीना हराम है।

मेरे प्यारे दोस्त! हमारा मज़हब किताबी है रिवाजी नहीं है फिर भी हम लोग न मानें, न समझें, तौबा न करें तो हश्र के मैदान में हमीं को भुगतना पड़ेगा और हमें गुमराह करने वाले हश्र के मैदान में ढूंडे भी न मिलेंगे, यहां तो हमारी पीठ थपकते हैं और हमें ग़लत सलत समझा कर मज़े से माल मलीदे और मुर्ग़ियां खाते हैं और शरीअत से अलग तरीक़ों पर अमल करवा कर अपना पेट पालते हैं। समझे मेरे भोले भैया!

ये लोग हक़परस्तों पर कुफ़्र के फ़त्वे लगा रहे हैं, हक़परस्तों को गालियां दिलवा रहे हैं हक़परस्तों से सलाम-कलाम को भी मना कर रहे हैं ग़रीब और अनपढ़ मुसलमानों को जानते हुए समझते हुए भी गुमराह कर रहे हैं जब ये मरेंगे तब इनको पता चलेगा कि दुनिया में धोखा देकर मख़्लूक़े ख़ुदा को गुमराह करने की क्या क्या और कैसी कैसी सज़ाएं भुगतनी पड़ेंगी।

औलियाअल्लाह रहमतुल्लाहि अलैहिम

क़ुरआन शरीफ़ के ग्यारहवें पारे में सूरः यूनुस के सातवें रुकूअ में आयत 62-63, 64 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा – ख़बरदार हो कि जो लोग ख़ुदा के दोस्त हैं उन पर किसी क़िस्म का ख़ौफ़ नहीं और न वे ग़मगीन होंगे। जो लोग ईमान लाए और परहेज़गारी करते रहे, उनके लिए दुनिया में भी बशारत (ख़ुश ख़बरी) है और आख़िरत में भी। कलामे ख़ुदा के लिए कोई तब्दीली नहीं, यही तो ज़बरदस्त कामियाबी है।

औलियाअल्लाह वे हैं जिनके दिल में ईमान और यक़ीन हो जिनका ज़ाहिर तक़्वा और परहेज़गारी में डूबा हुआ हो जितना तक़्वा होगा उतनी ही विलायत है। ऐसे लोग सिर्फ़ निडर और बे-ख़ौफ़ हैं क़ियामत के दिन की दहशत इनसे दूर है न वे कभी ग़म व रंज सहेंगे। दुनिया में जो छूट जाए उस पर उन्हें हसरत और अफ़सोस नहीं होता।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि अल्लाह तआला के कुछ बन्दे ऐसे भी हैं जिन पर अंबिया और शुहदा भी रश्क करेंगे।

लोगों ने पूछा हुज़ूर! वे कौन लोग हैं? हमें बताइए कि हम भी उन से मुहब्बत रखें।

आपने फ़रमाया ये वे लोग हैं जो सिर्फ़ अल्लाह की वजह से आपस में मुहब्बत रखते हैं यानी फ़ायदे की वजह से नहीं। रिश्तेदारी और नसब की वजह से नहीं, सिर्फ़ अल्लाह के लिए एक दूसरे को चाहते हैं उनके चेहरे नूरानी होंगे। ये नूर के मिम्बरों पर होंगे। सब को डर व ख़ौफ़ होगा, लेकिन ये बिल्कुल बे ख़ौफ़ और निडर होंगे। जब लोग ग़मज़दा होंगे ये बे-ग़म होंगे।

हवाला – तफ़्सीरे इबने कसीर, पारा 11, पृ० 66, सूरः यूनुस के सातवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

मोजिज़े अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के लिए और करामतें औलिया के लिए बरहक़ हैं।

हवाला – ऐनुलहिदाया, जिल्द 1, पृ० 19, मुक़दमे में।

हदीस – हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि-

अल्लाह तआला जब किसी बन्दे से मुहब्बत करता है तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुला कर कहता है कि मैं फ़लां बन्दे से मुहब्बत रखता हूं तू भी उससे मुहब्बत कर फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम भी उससे मुहब्बत करने लगते हैं और आसमान में एलान कर देते हैं कि अल्लाह तआला फ़लां बन्दे से मुहब्बत करता है तुम भी उससे मुहब्बत करो और आसमान वाले भी उससे मुहब्बत करने लगते हैं फिर उस बन्दे के लिए ज़मीन में भी क़ुबूलियत रखी जाती है (यानी ज़मीन के लोग भी उससे मुहब्बत करते हैं) और अल्लाह तआला जब किसी बन्दे से बुग्ज़ रखता है तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुला कर कहता है कि मैं फ़लां बन्दे से बुग्ज़ रखता हूं तू भी बुग्ज़ रख। जिब्रील अलैहिस्सलाम भी उससे बुग्ज़ रखते हैं और आसमान में एलान कर देते हैं कि अल्लाह तआला फ़लां आदमी से बुग्ज़ रखता है तुम भी उससे बुग्ज़ रखो और आसमान वाले भी उससे बुग्ज़ रखते हैं और फिर उसके लिए ज़मीन में भी बुग्ज़ रखा जाता है (यानी ज़मीन वाले भी उससे बुग्ज़ रखते हैं।)

हवाला –1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 720, हदीस 4757, खुदा के लिए मुहब्बत का बयान,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 145, खुदा के लिए मुहब्बत का बयान,

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया,

अल्लाह तआला फ़रमाता है-

जिसने मेरे वली से दुश्मनी की तो मैं उसके साथ लड़ाई का एलान करूंगा और मुझे अपने

बन्दे को नज़दीकी हासिल करना किसी और ज़रिए से इतना महबूब नहीं, जितना उससे जो मैंने उस पर फ़र्ज़ किया है और मेरा बन्दा हमेशगी नवाफ़िल से मेरे क़रीबतर हो जाता है यहां तक कि मैं उससे मुहब्बत करने लगता हूं और जब मैं उससे मुहब्बत करने लगता हूं तो मैं उसका कान हो जाता हूं जिससे वह सुनता है और उसकी वह आंख जिससे वह देखता है और उसका वह हाथ जिससे वह पकड़ता है और उसका वह पैर जिससे वह चलता है और अगर वह मुझसे (किसी चीज़ का) सवाल करता है तो मैं उसको ज़रूर देता हूं और अगर वह मुझसे पनाह मांगता है तो मैं उसको पनाह देता हूं और मुझे किसी काम के करने में इतनी फ़िक्र नहीं होती जितनी मोमिन की रूह क़ब्ज़ करने में। वह मौत को नापसन्द करता है मैं उसे नाराज़ करना नहीं चाहता। (मुख़्तसर)

हवाला–1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 26, पृ० 325, हदीस 1418, रिक़ाक़ का बयान,
2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 372, हदीस 2142, ज़िक्रे इलाही का बयान,
3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 249, ज़िक्रे इलाही का बयान,
4. तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 14, पृ० 47, सूरः नह्ल के ग्यारहवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

इस हदीस का मतलब यह है कि जब मोमिन इख़्लास और इताअत में कामिल हो जाता है तो उसके तमाम काम सिर्फ़ अल्लाह के लिए होते हैं। वह सुनता है अल्लाह के लिए वह देखता है अल्लाह के लिए यानी शरीअत की बातें सुनता है शरीअत ने जिन चीज़ों का देखना जायज़ किया है उन्हीं को देखता है इसी तरह उसका हाथ बढ़ाना, पांव चलाना भी अल्लाह की रज़ामंदी के कामों के लिए ही होता है। अल्लाह पर उसका पूरा भरोसा होता है। वह उसी से मदद चाहता है तमाम काम उसके अल्लाह तआला की रिज़ा हासिल करने के लिए ही होते हैं।

हज़रत सय्यिदिना अब्दुल क़ादिर जीलानी रह्मतुल्लाहि अलैहि यानी बड़े पीर साहब फ़रमाते हैं कि–

अह्लुल्लाह अंबिया अलैहिमुस्सलाम के क़ायम मक़ाम हैं पस जिस बात का भी वे तुम को हुक्म करें उसको क़ुबूल करो, क्योंकि वे तुम को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ही के हुक्म से हुक्म करते और उन्हीं के मना से मना फ़रमाते हैं उनको बुलाया जाता है तब वे बोलते हैं न अपनी तबियत और नफ़्स की ख़ातिर कोई हरकत करते हैं और न अपनी ख़्वाहिशाते नफ़्स को दीने ख़ुदावन्दी में ख़ुदा का शरीक बनाते हैं वे जनाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के तमाम क़ौलों और फ़ेलों में आपके ताबेअ़ हुए। उन्होंने हक़ तआला का यह इर्शाद सुना कि जो कुछ तुम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम दें वह ले लो और जिस चीज़ से रोकें उससे रुक जाओ। उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इत्तिबाअ किया यहां तक कि रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनको

अपने भेजने वाले खुदा तक पहुंचा दिया। वे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मुक़र्रब हुए पस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनको हक़ तआला का मुक़र्रब बना दिया।

हवाला – फ़ुयूज़े यज़दानी, पृ० 248, मज्लिस 46।

इस हदीस के शुरू के हिस्से में अल्लाह तआला ने फ़रमा दिया कि मेरे वली से दुश्मनी रखने वाले से मेरा जंग का एलान है मुझसे जंग कर लें। अब आप ही बताएं सोचें और समझें कि अल्लाह तआला से जंग कौन करेगा? जब क़ुरआन करीम से साबित है कि वली जो हैं वे अल्लाह के दोस्त हैं और सही बुख़ारी शरीफ़ की हदीस में है कि मेरे औलिया से दुश्मनी रखने वालों से मेरा जंग का एलान है। अब कौन ऐसा बद बख़्त है जो औलियाअल्लाह को नहीं मानेगा।

मेरे मोहतरम ! मेरे भोले भैया ! शरीअत का हुक्म औलियाअल्लाह के मानने का है उनसे मांगने का नहीं। अब हम औलिया अल्लाह को मानें भी और उनसे मांगें भी तो यह है हमारी जहालत। शरीअत का हुक्म मानने का है उनसे मांगने का नहीं। समझ में आयी बात मेरे भोले भैया?

इस क़दर क़ुरआन व हदीस से खुलासा होने के बावजूद झगड़े क्यों होते हैं? इसकी वजह यह है कि कुछ लोग औलियाअल्लाह को मानते हैं उनसे मांगते नहीं और कुछ लोग औलियाअल्लाह को मानते भी हैं और उनसे मांगते भी हैं।

कुछ इन्सान कहते हैं कि हमारा तो यह अक़ीदा है कि औलिया अल्लाह से हम को मिलता है इसलिये हम मानते भी हैं और उनसे मांगते भी हैं।

क़ुरआन करीम के सोलहवें पारे में सूरः कह्फ़ के बारहवें रुकूअ में आयत न० 102 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – सो क्या फिर भी इन काफ़िरों का ख्याल है कि मुझ को छोड़कर मेरे बन्दों को अपना कारसाज़ समझते हैं सो ऐसे काफ़िरों के लिए हमने जहन्नम की मेहमानी तैयार कर रखी है।

इस आयते मुबारका से मालूम हुआ कि अल्लाह के सिवा उसके बन्दों में किसी को अपना कारसाज़ समझना कुफ़्र की बात है।

अगर इन्सान अपनी तरफ़ से कोई अक़ीदा बना कर जाएगा तो यह अक़ीदा हश्र के मैदान में काम नहीं देगा अक़ीदा तो वही काम आयेगा, जो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम का था।

अक़ीदा तो मेरे भाई! चौदह सो साल पहले बन चुका है अब कोई नया अक़ीदा नहीं बनेगा।

मिसाल के तौर पर औरतें तो सब औरतें ही हैं लेकिन शरीअत ने यह हुक्म दिया कि इसको मां कहो उसको बहन कहो, उसको बीवी कहो, उसको बेटी कहो, वग़ैरह-वग़ैरह। अब कोई इन्सान अपनी नादानी या बे समझी या जहालत की वजह से अपनी बीवी को अम्मी कहे

तो इसका क्या इलाज। इसको शरीअत हरगिज़ मंज़ूर नहीं करेगी और समझदार इन्सान उसको समझाएगा कि भाई साहब! बीवी को अपनी अम्मी कहना मना है। ये लफ़्ज़ सुनते ही सामने वाला चिढ़ जाए और कहने लगे कि वाह साहब! आप तो वह्हाबी मालूम होते हैं। मेरा तो अक़ीदा है कि मेरी बीवी मेरी अम्मी के बराबर है तो ऐसे इन्सान का दुनिया में कोई इलाज नहीं है जो शरीअत के क़ानून को छोड़कर अपने आप अपना अक़ीदा बना ले।

दुनिया में जितने भी बुज़ुर्ग हुए हैं चाहे वे नबी हों या वली वे सबके सब अल्लाह ही को पुजवाने आये थे और अल्लाह ही को आलिमुल ग़ैब समझते थे अल्लाह को हाज़िर व नाज़िर मानते थे। अल्लाह ही से मदद मांगते थे और दुनिया वालों को अल्लाह की तरफ़ झुकाने आए थे। अल्लाह ही की इबादत करने और अल्लाह ही से मदद मांगने की आदत डलवाने आए थे लेकिन हम अपनी बे इल्मी और कम समझी और ग़लत फ़ह्मी और ज़हालत की वजह से उन बुज़ुर्गों को ही पूजने लग गये, उन्हीं को हाज़िर व नाज़िर व आलिमुलग़ैब मानने लगे और उन्हीं बुज़ुर्गों को हाजतरवा समझने लगे। यह हमारी अपनी जहालत है वरना किसी नबी या वली ने यह नहीं कहा कि वे सिफ़तें हमारे अन्दर हैं बल्कि सभों ने यही कहा कि ये सारी सिफ़तें अल्लाह ही में हैं।

हज़रत सैयद अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैहि यानी बड़े पीर साहब फ़रमाते हैं–

क्या तूने हक़ तआला का इर्शाद नहीं सुना कि ऐ दाऊद! हमने तुम को खलीफ़ा बना दिया ज़मीन में। ज़रा इर्शाद को ग़ौर की निगाह से देख। यों नहीं फ़रमाया कि तुमने अपने आप को खलीफ़ा बना लिया। पस अल्लाह वालों का न कोई ज़ाती इरादा होता है न अख़्तियार, बल्कि वह सिर्फ़ हक़ तआला के हुक्म और फ़ेल और तद्बीर और इरादे के तहत में होते हैं। ऐ सीधे रास्ते से हटे हुए आदमी! तू हुज्जत मत कर कि तेरे पास कोई दलील नहीं है।

हवाला – फ़ुयूज़े यज़दानी, पृ० 302, मज्लिस 52

हज़रत लुक्मान हकीम से एक आदमी ने कहा, क्या तू बनी हसहास का ग़ुलाम नहीं?

आपने फ़रमाया हां हूं।

उसने कहा क्या तू बकरियों का चराने वाला नहीं?

आपने फ़रमाया हां हूं।

फिर उसने कहा क्या तू स्याह रंग का नहीं?

आपने फ़रमाया हां हूं लेकिन तुम यह बताओ कि पूछना क्या चाहते हो?

उसने कहा यही कि फिर तेरे में ऐसी कौन सी बात है कि तेरी मज्लिस भरपूर रहती है लोग तेरे दरवाज़े पर आकर पड़े रहते हैं और तेरी बातें शौक़ से सुनते हैं?

आपने फ़रमाया सुनो भाई! जो बातें मैं तुम्हें कहता हूं उन पर अमल कर लो तो तुम भी मुझ जैसे हो जाओगे।

1. आंखें हराम चीज़ों से बन्द कर लो,
2. जुबान बेहूदा बातों से रोक लो,
3. माल हलाल खाया करो,
4. अपनी शर्मगाह की हिफ़ाज़त करो,
5. जुबान से सच बोला करो
6. वायदे को पूरा किया करो
7. मेहमान की इज़्ज़त करो,
8. पड़ौसी का ख़्याल रखो,
9. बे फ़ायदा कामों को छोड़ दो

इन्हीं आदतों की वजह से मेरी बुज़ुर्गी हुई है।

हवाला– तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 21, पृ० 43, सूर: लुक़्मान के दूसरे रुकूअ की तफ़्सीर में।

हज़रत लुक़्मान तो बढ़ई के गुलाम थे। उनसे एक दिन उनके मालिक ने कहा कि बकरी ज़िब्ह करो और उसके बेहतरीन और अच्छे से टुकेड़े गोश्त के मेरे पास लाओ।

वह दिल और जुबान ले गये।

कुछ दिनों के बाद उनके आक़ा ने फिर यही हुक्म दिया और कहा कि आज उसके गोश्त में जो बद-तरीन और ख़बीस टुकड़ें हैं वह ला दो।

आप आज भी यही दो चीज़ें ले गये।

मालिक ने पूछा इसकी क्या वजह है कि बेहतरीन टुकड़े तुझसे मांगे गये तो तू यही दो लाया और बदतरीन टुकड़े मांगे गये तो भी तूने यही दो ला दिये। यह क्या बात है? आपने फ़रमाया जब ये अच्छे हैं तो इनसे बेहतर जिस्म का कोई हिस्सा नहीं और जब ये बुरे बन जाएं तो फिर सब से बदतर भी यही दो हैं।

हवाला– तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 21, पृ० 43, सूर: लुक़्मान के दूसरे रुकूअ की तफ़्सीर में।

हदीस– हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया–

बहुत से परेशान हाल और दरवाज़े से धक्के दिये जाने वाले लोग ऐसे हैं कि अगर वे खुदा के भरोसे पर (किसी बात की) क़सम खा लें तो खुदा उनकी क़सम को पूरी कर देगा।'

हवाला–सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 186, हदीस 907, बाब 424, अदब का बयान।

मेरे प्यारे दोस्त! इतना खूब याद रखना कि शरीअ़त के ख़िलाफ़ अमल करने वाला वली नहीं हो सकता आपने नहीं सुना, जो हदीसों से साबित है कि एक दज्जाल पैदा होगा वह कैसे

कैसे खिलाफ़े आदत काम करके लोगों को दिखाएगा, लेकिन इन शोबदों की वजह से वह वली नहीं, बल्कि मलऊन और मर्दूद होगा क्योंकि उसके सब काम शरीअत के ख़िलाफ़ होंगे और वह खुद भी शरीअत का दुश्मन होगा।

हदीस – हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हमसे रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दज्जाल का क़िस्सा बयान फ़रमाया था। उनमें से जो आपने हम से बयान फ़रमाया कुछ यह था कि–

दज्जाल आएगा और उस पर हराम है कि मदीने के रास्तों में दाख़िल हो। वह मदीने से बाहर बंजर ज़मीन में ठहरेगा तो उस दिन एक आदमी उसके पास जाएगा और वह तमाम आदमियों से बेहतर होगा वह कहेगा कि मैं गवाही देता हूं कि तू दज्जाल है जिसके बारे में रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हदीस बयान फ़रमायी थी।

तो दज्जाल कहेगा कि बताओ अगर मैं इस आदमी को क़त्ल करके फिर ज़िन्दा करूं तो क्या तुम लोग फिर भी मेरे मामलों में शक करोगे?

लोग जवाब देंगे कि नहीं।

चुनांचे दज्जाल उस आदमी को क़त्ल कर देगा। उसके बाद उसे ज़िन्दा करेगा।

जिस वक़्त दज्जाल उस आदमी को ज़िन्दा कर चुकेगा, तो वह उस आदमी कहेगा कि मैं अब और भी ज़्यादा तेरे हाल को जान गया।

फिर दज्जाल कहेगा कि मैं इसको क़त्ल किये डालता हूं मगर फिर वह उस आदमी पर क़ाबू न पाएगा।

हवाला – सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1, पारा 7, पृ० 421, हदीस 1736, मदीने के फ़ज़ाइल का बयान।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह भी फ़रमाया कि उस दज्जाल का एक फ़ित्ना यह भी होगा कि वह आसमान को पानी बरसाने का हुक्म देगा। आसमान से बारिश होगी। वह ज़मीन को पैदावार उगाने का हुक्म देगा। और ज़मीन से पैदावार होगी। उस का एक फ़ित्ना यह भी होगा कि वह एक क़बीले के पास जाएगा। वे उसे न मानेंगे। उसी वक़्त तमाम चीज़ें बर्बाद और हलाक हो जाएंगी और वह दूसरे क़बीले के पास जाएगा जो उसे खुदा मान लेंगे। उसी वक़्त उसके हुक्म से उन पर आसमान से बारिश बरसेगी और ज़मीन पर फल और खेती उग आयेगी। उनके जानवर पहले से ज़्यादा मोटे ताज़े और दूध वाले हो जाएंगे, सिवाए मक्का और मदीने के तमाम ज़मीन पर यह मर्दूद फिरेगा। (अल्लाह पाक आम मुसलमानों को बचाए, उस मर्दूद के फ़ित्ने से। आमीन)

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 6, पृ० 15, सूरः निसा के बाईसवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं अगर तुम किसी को पानी पर चलते हुए और हवा में उड़ते हुए देखो तो उसे वली न समझो जब तक उसके तमाम आमाल और अफ़आल क़ुरआन और हदीस के मुताबिक़ न हों।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 1, पृ० 100, सूरः बक़रः के चौथे रुकूअ की तफ़्सीरे में।

हदीस – हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की रज़ामंदी उनके अहले बैत (की खिदमत्त और मुहब्बत) में समझो।

हवाला – सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 14, पृ० 236, हदीस 901, हुज़ूर के क़राबतदारों के मनाक़िब।

मगर अफ़सोस! आज अक्सर ऐसे लोग भी नज़र आ रहे हैं जो अह्ले बैत की मुहब्बत का दावा करते हैं मगर शरीअत से कोसों दूर हैं। अपने आप को सैयद कहलवाने और कहने वाले साहिबान ज़रा एक मिनट रुक कर सोचें और समझें कि सैयद के मयाने सरदार के हैं अगर वह मुसलमानों में सरदार हैं यानी कोई दीन का सरदार कोई इल्म व इर्फ़ान का सरदार कोई ईमान व अमल का सरदार कोई रूहानियत और सच्चाई का सरदार है तो वाक़ई वह सैयद है शरीअत पर उसके क़दम मज़बूत हैं तो सैयद का लफ़्ज़ उसके लिए इज़्ज़त, शर्फ़, सर बुलन्दी और एहतराम की ज़मानत देता है लेकिन इस दौर में कुछ सैयद शरीअत के नहीं बल्कि सबसे बुरी जहालत के सरदार बने हुए हैं जेब भरू पीर भी सैयद हैं पेटभरू मौलवी भी सैयद हैं क़ब्रों के सज्जादा नशीन भी सैयद हैं जाहिल लोगों को बहका कर उनकी नियाज़ व नज़्र हज़्म कर जाने वाले भी सैयद हैं नमाज़ की चोरी और रोज़ाख़ोरी करके मज़ारों पर चौसर, शतरंज और ताश खेलेन वाले भी सैयद हैं, मस्जिदों को वीरान करके मज़ारों पर क़व्वालियों की तानें सुनने वाले और रंडियों के नाच व मुजरे कराने वाले और देखने वाले भी सैयद हैं।

हां, ऐ मेरे प्यारे दोस्त! बड़े दुख की बात है कि एक ज़माना वह था कि सैयद सादात शरीअत की सरदारी, इल्म की सरदारी, सच्चाई की सरदारी, सख़ावत की सरदारी, अख़्लाक़ व इख़्लास की सरदारी, परहेज़गारी की सरदारी, अमल की सरदारी के मालिक थे। आज वह ज़माना है कि अक्सर सैयद जहालत की सरदारी के मालिक हैं और शरीअत को मिटाने की सरदारी कर रहे हैं कुफ़्र व शिर्क और बिदअतें फैलाने की सरदारी कर रहे हैं ताबूत व ताज़िया पुजवाने में सैयदों की सरदारी है, चिल्लों और तुर्बतों को पुजवाने में सैयदों की सरदारी है। किसी जगह पर बाल पुजवाते हैं किसी जगह पर कुरता पुजवाते हैं किसी जगह पर कटोरा पुजवाते हैं किसी जगह पर नालैन पुजवाते हैं किसी जगह पर क़दम के निशानात पुजवाते हैं।

मक्का मुअज़्ज़मा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तिरप्पन साल ज़िन्दगी बसर की और मदीना मुबारक में दस साल ज़िन्दगी बसर की, लेकिन वहां न तो क़दम मुबारक पूजा जाता है न तो बाल मुबारक पूजा जाता है न तो कुरता मुबारक पूजा जाता है बल्कि हाजी

साहिबों को हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मुबारक रोज़े की जाली को छूने तक नहीं दिया जाता।

कुछ सैयदी के दावेदारों ने अल्लाह को पूजना छोड़ दिया, अल्लाह से मांगना छोड़ दिया, नेकी पर चलना और नेकी का रास्ता बताना छोड़ दिया, आख़िरत की फ़िक्र करनी छोड़ दी, खुदा का ख़ौफ़ दिलों में न रहा, परहेज़गारी से उनको मतलब न रहा फिर ये कैसे सैयद हैं जिनकी सीरत भी इस्लाम के ख़िलाफ़ और जिनकी शक्ल भी शरीअत के मुताबिक़ नहीं।

सैयदों की असल सरदारी, जो तौहीद मानने और मनवाने की थी, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शरीअत पर अमल करने और कराने की थी उसको छोड़कर जहालत और गुमराही की सरदारी को अख़्तियार कर लिया है।

अगर किसी सुन्नत की हिकारत की तो काफ़िर हुआ और अगर ताज़ीम के बावजूद बे उज़्र छोड़ दे तो बक़ौले सही गुनाहगार है।

हवाला – ऐनुलहिदाया, जिल्द 1, पृ० 541, नवाफ़िल का बयान।

सही मायनों में सैयद और वली वही है जो शरीअत का पाबन्द हो, तमाम फ़र्ज़ों, वाजिबों और सुन्नतों पर अमल करता हो, ज़िन्दगी अमल और तक़्वा के नूर से रोशन हो, वह है मोमिन, वह है अल्लाह का प्यारा।

किसी आदमी ने सुन्नतें छोड़ीं और अगर उन सुन्नतों को हक़ नहीं समझता, तो काफ़िर हो गया, इसलिए कि उसने उनको खफ़ीफ़ (यानी हल्का) जानकर छोड़ा और अगर उनको हक़ समझता है, तो सही यह है कि गुनाहगार होता है इस वास्ते कि सुन्नतों के छोड़ने पर वईद आयी है।

हवाला – फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 1, पृ० 153, नवाफ़िल का बयान।

ऐ मेरे प्यारे दोस्त! हर एक मुसलमान भाई के लिए सोचने का मक़ाम है, जो अपने आप को सुन्नी कहता है वह खुद अपने आपको परख ले कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत पर कितना अमल करने वाला है?

छोड़ दिया सुन्नत को और उनको हक़ समझता है तब तो छोड़ने से गुनाहगार होगा वरना काफ़िर हो जाएगा, यानी हिक़ारत की वजह से।

हवाला – ग़ायतुल अवतार, उर्दू तर्जुमा दुर्रे मुख़्तार, जिल्द 1, पृ० 316, नवाफ़िल का बयान।

जितनी सुन्नतों की पाबन्दी यानी पैरवी व अमल ज़्यादा हो उसी क़दर मर्तबा ज़्यादा है और जिस क़दर कमी हो उसी क़दर नुक़्सान है और बिल इत्तिफ़ाक़ उनके नज़दीक, जो आदमी कि शरीअत के ख़िलाफ़ और सुन्नत के ख़िलाफ़ को अपनाने वाला हो, तो डर है कि वह शैतान का आला हो (यानी शरीअत के खिलाफ़ काम करने से धीरे धीरे इन्सान शैतान के रुत्बे तक पहुंच जाता है) और वह वली हरगिज़ न होगा, बशर्ते कि वह होश में हो।

हवाला – ऐनुल हिदाया, जिल्द, 4, पृ० 291, बाबुल कराहत।

ईसाले सवाब और फ़ातिहा

हदीस – हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि एक आदमी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास हाज़िर हुए और अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! मेरी मां मर गयी है और कोई वसीयत न कर सकी और मेरा ख़्याल है कि अगर वह बात करती तो ज़रूर सदक़ा और ख़ैरात करती, अगर मैं उसकी तरफ़ से सदक़ा करूं तो क्या इसका अज्र और सवाब उसको मिलेगा?

तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, हां (मिलेगा)

हवाला – सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 163, हदीस 1010, बाब 289, ज़कात का बयान,

हदीस – हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कहते हैं फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने–

'क़ब्र में मुर्दे की हालत ऐसी होती है जैसे कि डूबने वाले आदमी की होती है वह हर वक़्त अपने से मुताल्लिक़ लोगों यानी बाप, मां, भाई या दोस्त की तरफ़ दुआ का इन्तिज़ार करता रहता है और जिस वक़्त उसको दुआ पहुंचती है तो वह उसके नज़दीक दुनियां और दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा अज़ीज़ होती है और अल्लाह तआला क़ब्र वालों को दुनिया वालों की दुआ का इतना बड़ा सवाब पहुंचाता है जैसा पहाड़ और ज़िन्दों की तरफ़ से मुर्दों के लिए बेहतरीन हदया इस्तग़्फ़ार है।'

हवाला –1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 387, हदीस 2229, तौबा का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 292, तौबा का बयान।

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया–

जब इन्सान मर जाता है, तो उसके अमल बन्द हो जाते हैं लेकिन तीन अमल ऐसे हैं जिनका सवाब मरने के बाद मिलता रहता है–

1. सदक़ा जारिया, (जारी रहने वाला सदक़ा)
2. ऐसा इल्म, जिससे लोग नफ़ा हासिल करते रहें और
3. नेक लड़का जो उसके लिए दुआ करे।

हवाला – तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 277, हदीस 1275, अह्काम का बयान।

नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात, ख़ैरात वग़ैरह का सवाब हमारे इमाम अबू हनीफ़ा रह्मतुल्लाहि अलैहि के नज़दीक पहुंचता है। (मुख़्तसर)

हवाला – ऐनुल हिदाया, जिल्द 1, पृ० 39, अक़ाइद का बयान।

• मेरे प्यारे दोस्तो! खाने पीने की चीज़ें या कपड़ा या खैर खैरात सबका सवाब, जिस किसी की भी रूह को पहुंचाना चाहो, इन्शाअल्लाहु तआला वह ज़रूर पहुंचेगा और मरने वाले को उससे नफ़ा होता है, लेकिन कुछ जगह पर खाने-पीने की चीज़ों पर फ़ातिहा पढ़ने की जो पाबन्दी होती है वह बुरी होती है। फ़ातिहा पढ़ना बुरा नहीं है, लेकिन कहीं-कहीं पर फ़ातिहा पढ़ने की इस क़दर पाबन्दी होती है कि जब तक खाने-पीने की चीज़ों पर फ़ातिहा न पढ़ी जाए, उस वक़्त तक उसमें से खाना-पीना या खिलाना-पिलाना नाजायज़ समझते हैं और खाने के लिए बच्चे वग़ैरह इधर-उधर घूमते फिरते और ताकते रहते हैं लेकिन जब तक मुल्ला साहब या मुजाविर साहब उस पर फ़ातिहा न पढ़ दें, उस वक़्त तक उसमें से किसी को एक दाना खाने को या एक क़तरा पीने को नहीं मिल सकता।

हदीस – हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फ़रमाते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास बैठे हुए थे कि उन्होंने (यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम) ने ऊपर को दरवाज़ा खोलने की सी आवाज़ सुनी। सर उठा कर देखा और कहा यह आसमान का दरवाज़ा खोला गया है और आज ही खोला गया है इससे पहले कभी नहीं खोला गया फिर उस दरवाज़े से एक फ़रिश्ता निकला। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, यह फ़रिश्ता आज ही ज़मीन पर उतरा है इससे पहले कभी नहीं उतरा। फिर फ़रिश्ते ने (हाज़िर होकर) हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को सलाम किया और कहा खुशख़बरी हो, आपको, दो ऐसे नूर अता किये गये हैं जो आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिये गये (और वह) सूरः फ़ातिहा (यानी सूरः अल-हम्दु) और सूरः बक़रः की आख़िरी आयतें हैं इनमें से जो हर्फ़ भी आप पढ़ेंगे उसका सवाब दिया जाएगा।

हवाला –
1. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 131, हदीस 802, बाब 264, सूरः फ़ातिहा और सूरः बक़रः की आख़िरी आयत की फ़ज़ीलत,
2. नसई शरीफ़ जिल्द 1, पृ० 236, नमाज़ का बयान,
3. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 355, हदीस 2006, फ़ज़ाइले क़ुरआन का बयान,
4. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 203, फ़ज़ाइले क़ुरआन का बयान,
5. तफ़्सीरे इब्ने कसीर, जिल्द 1, पृ० 14
6. तफ़्सीरे मज़्हरी, जिल्द 1, पृ० 14
7. तफ़्सीरे मुबाहिबुर्रह्मान, जिल्द 1, पृ० 5,
8. तफ़्सीरे हक़्क़ानी, जिल्द 2, पृ० 61।

अब इस सूरः का इंकार किसको है? कौन इंसान ऐसा बद नसीब होगा जो इस मुबारक सूरः का इंकार कर सकेगा। इस सूरः फ़ातिहा से पहले चार सूरतें नाज़िल हो चुकी थीं–

1. सूरः अलक़, 2. सूरः क़लम, 3. सूरः मुज़्ज़म्मिल, 4. सूरः मुद्दस्सिर, सूरः फ़ातिहा

के उतरने का नम्बर पांचवां है।

सूरः अलक़ तीसवें पारे में है सूरः क़लम, सूरः मुज़म्मिल, सूरः मुद्दस्सिर, ये तीनों उन्तीसवें पारे में हैं और सूरः फ़ातिहा क़ुरआन करीम के अव्वल में है यानी क़ुरआन क़रीम इसी सूरः फ़ातिहा से शुरू होता है।

अल्लाह तआला ने आसमान को चांद, सूरज और सितारों से सजाया, जन्नत को हूरों से सजाया, फ़रिश्तों को जिब्रील अलैहिस्सलाम से सजाया, नबियों और रसूलों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सजाया, महीनों को रमज़ानुल मुबारक से सजाया, दिनों को जुमा से सजाया, रातों को लैलतुल क़द्र से सजाया, ज़मीन को मस्जिदों से सजाया और मस्जिदों को बैतुल्लाह से साजाया किताबों को क़ुरआन करीम से सजाया और क़ुरआन करीम को सूरः फ़ातिहा से सजाया और सूरः फ़ातिहा को **बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम** से सजाया। ऐसी बरकत वाली सूरः फ़ातिहा को कौन नहीं पढ़ेगा?

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि ने फ़रमाया कि–

ऐसी यानी सूरः फ़ातिहा जैसी सूरः न तौरात में है और न इंजील में है और न ज़बूर में है।

(मुख़्तार)

हवाला –1. दारमी शरीफ़, पृ० 481, हदीस 3329, बाब 1341, सूरः फ़ातिहा की फ़ज़ीलत,

2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 357, हसीस 2023, फ़ज़ाइले क़ुरआन,

3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 209, फ़ज़ाइले क़ुरआन,

4. तफ़्सीरे हक़्क़ानी, जिल्द 1, पृ० 62, फ़ज़ाइले क़ुरआन।

हदीस – हज़रत अब्दुल मलिक बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि–

'सूरः फ़ातिहा में हर बीमारी की शिफ़ा है।'

हवाला –1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 360, हदीस 2050, फ़ज़ाइले क़ुरआन,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 215, फ़ज़ाइले क़ुरआन,

3. दारमी शरीफ़, पृ० 481, हदीस 3326, बाब 1341, सूरः फ़ातिहा की फ़ज़ीलत।

इस मुबारक सूरः को नमाज़ की हर रकअत में पढ़ना वाजिब है सिर्फ़ फ़र्ज़ नमाज़ों की पिछली रक्अतों में सूरः फ़ातिहा का पढ़ना सुन्नत है बाक़ी हर रक्अत में और हर नमाज़ में सूरः फ़ातिहा का पढ़ना वाजिब है चाहे फ़र्ज़ नमाज़ हो या वाजिब हो या सुन्नते मुअक्कदा हो नफ़्ल नमाज़ हो या तरावीह हो, जुमा की नमाज़ हो या ईदैन की नमाज़ हो। इतना याद रहे कि हनफ़ी मस्लक में इमाम के पीछे जब नमाज़ पढ़े तो मुक़्तदी सूरः फ़ातिहा न पढ़ें।

क़ुरआन करीम के चौदहवें पारे में सूरः हिज्र के छठे रुकूअ में आयत न॰ 87 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – हमने आपको सात ऐसी आयतें दी हैं जो बार-बार पढ़ी जाती हैं और तुम्हें क़ुरआन करीम भी अता किया।

यानी यह वह मुबारक सूरत है जो नमाज़ में बार-बार पढ़ी जाती है। यह शर्फ़ क़ुरआन करीम में किसी दूसरी सूरः को नहीं मिला। अब जो लोग नमाज़ नहीं पढ़ते, उन लोगों का नमाज़ पढ़ने वालों पर एतराज़ है कि ये लोग सूरः फ़ातिहा नहीं पढ़ते और अनपढ़ लोगों के नज़दीक नमाज़ की अहमियत नहीं है इस वजह से नमाज़ में पढ़ी जाने वाली सूरः फ़ातिहा की भी अहमियत नहीं है बल्कि उन लोगों के नज़दीक नियाज़ व नज़्र और शर्बत खिचड़ा या ग्यारहवीं की बिरयानी पर पढ़ी जाने वाली फ़ातिहा की क़द्र है। उनके दिल में सूरः फ़ातिहा की क़द्र नहीं अगर उनके दिल में सूरः फ़ातिहा की क़द्र होती तो ये लोग भी नमाज़ के पाबन्द होते नियाज व नज़्र पर फ़ातिहा पढ़वाने की जितनी ये साहिबान पाबन्दी करते हैं। उतनी नमाज़ की पाबन्दी नहीं करते।

किसी मौलवी साहब या पीर साहब के या किसी मुजाविर साहब के घर पर किसी ने आज तक बड़े पीर साहब रह्मतुल्लाहि अलैहि की ग्यारहवीं का खाना या हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम का खिचड़ा नहीं खाया होगा ये जेब भरू पीर और पेट भरू मौलवी और नफ़्स परस्त मुजाविर लोगों को ग्यारहवीं का खाना और मुहर्रम का खिचड़ा बनवाने और खिलाने की खूब ताकीद करते हैं लेकिन आजतक आप साहिबों ने नहीं देखा होगा कि कोई मौलवी साहब या पीर साहब या मुजाविर साहब ने खिलाने के लिए ग्यारहवीं का खाना या मुहर्रम का खिचड़ा बनाया हो और उस पर फ़ातिहा पढ़ कर लोगों को खिलाया हो। इन लोगों के नज़दीक सिर्फ़ खाना जायज़ है खिलाना जायज़ नहीं। अगर खिलाना भी जायज़ होता तो ये लोग भी मख़्लूक़े खुदा को खिलाते, लेकिन कोई नहीं खिलाता, शायद ही हज़ारों में से किसी एक ने खिलाने का काम भी किया हो। ये लोग मज़ारों पर सज्दा करने को जायज़ कहते हैं लेकिन बज़ाते खुद किसी मज़ार पर कभी सज्दा नहीं करेंगे। ये लोग ताज़िया बनाने को जायज़ कहते हैं लेकिन बज़ाते खुद ताज़िया नहीं बनाएंगे और ताज़िया बनाने में चन्दा भी नहीं देंगे।

इन लोगों की अजीब हालत है। कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। ये लोग मज़ारों पर सज्दा नहीं करेंगे, मज़ारों को चूमेंगे नहीं, मज़ारों पर चादर नहीं चढ़ाएंगे, मज़ारों का तवाफ़ नहीं करेंगे, मज़ारों के गुस्ल का पानी नहीं पिएंगे।

क़ुरआन करीम के अठ्ठाईसवें पारे में सूरः सफ़्फ़ के पहले रुकूअ में आयत न॰ 2, 3 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – ऐ ईमान वालो! तुम वह बात क्यों कहते हो जो खुद नहीं करते। तुम जो न करो, उसका कहना खुदा को सख़्त ना पसन्द है।

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया–

मुनाफ़िक़ीन की तीन आदतें होती हैं-

1. जब वायदा करे तो ख़िलाफ़ करे,
2. जब बात करे, झूठ बोले,
3. जब अमनात दी जाए, ख़ियानत करे।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 28, पृ० 54, सूरः सफ़्फ़ के पहले रुकूअ की तफ़्सीर में- अल्लाह तआला का सवाल ईमान वालों से है बे ईमानों से नहीं है। फ़रमान हो रहा है कि ऐसी बात क्यों कहते हो, जो खुद नहीं करते। अगर वाक़ई वह चीज़ जो तुम कह रहे हो, तुम्हारे नज़दीक जायज़ है तो फिर आप साहिबान क्यों नहीं करते। अल्लाह तआला इस बात से बहुत नाराज़ है कि तुम कहो और खुद न करो।

मगर कैसे करते ये साहिबान। अच्छी तरह जानते हैं यह नज़्र व नियाज़ और ग्यारहवीं ग़ैर-अल्लाह के नाम की हरगिज़ जायज़ नहीं, ताज़िया बनाना बिल्कुल हराम है, मज़ारों पर सज्दे करना क़तई तौर पर हराम है। यह तो उन भोले भाले अनपढ़ मुसलमानों को धोखा देकर अपना पेट पालना चाहते हैं जाहिलों को लुभाने के लिए जायज़ कह देते हैं और खुद नहीं करते।

आप साहिबान को इस बात का तजुर्बा होगा कि बहुत से अल्लाह के बन्दे दुनिया में ऐसे भी हैं जो कि हज़ारों रुपये अल्लाह के नाम पर दे देते हैं। हज़ारों रुपए की जागीर, बाग़, मकान वग़ैरह अल्लाह की राह में दे देते हैं और उस पर सूरः फ़ातिहा नहीं पढ़ी जाती, फिर भी उसका सवाब मिलता है तो फिर ये देग़ या जिस में खाना पकाया गया है क्या बग़ैर फ़ातिहा के इसका सवाब नहीं मिलेगा? ये सब पेट भरू मौलवियों और जेब भरू पीरों और नफ़्सपरस्त मुजाविरों के पेट भरने की तर्कीबें हैं खैरात का सवाब अलग है और फ़ातिहा का सवाब अलग है।

अब हम आपको मिसाल देकर समझाते हैं कि हमारे पास मिसाल के तौर पर पांच या दस रुपए के नोट हैं और उसका सवाब हम किसी नबी या वली या और किसी मुसलमान की रूह को बख़्शना चाहते हैं तो इस रुपए को पहले अल्लाह के नाम पर ख़ैरात करना होगा। अगर आपने इन रुपयों को ख़ैरात नहीं किया बल्कि अपने सामने इन रुपयों को रख कर इन पर फ़ातिहा पढ़ कर बख़्श दिया तो फ़ातिहा का सवाब मिलेगा, मगर रुपयों का सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि वह रुपया तो अभी आप की मिल्कियत में है। इसका सवाब कहां से मिलेगा? जब आपने वह रुपया किसी ग़रीब या मिस्कीन या मुसाफ़िर पर या और किसी नेक रास्ते में अल्लाह के नाम पर खर्च कर दिया तो अब आपको इसका सवाब मिलेगा, अब अगर आप फ़ातिहा पढ़ कर अल्लाह से इल्तिजा करें कि ऐ अल्लाह तआला! इन रुपयों का सवाब जो तेरे रास्ते में खर्च कर चुका हूं और इस फ़ातिहे का सवाब फ़लां रूहे मुबारक को बख़्शता हूं तब दोनों का सवाब मिलेगा।

इसी तरह जो खाना पकाया गया है पहले वह अल्लाह के नाम पर जिनका हक़ है उनको

खिला दिया जाए खिलाने के बाद फ़ातिहा वग़ैरह पढ़ कर अल्लाह तआला से दुआ करे कि इस खाने का सवाब और इस फ़ातिहा का सवाब मैं फ़लां की रूह को बख़्शता हूं और जो खाना ईसाले सवाब के लिए पकाया गया है और वह किसी को खिलाया नहीं गया तो बग़ैर खिलाये उन पर पचासों फ़ातेह पढ़ दें तब भी उस खाने का सवाब नहीं मिलेगा।

अगर खिलाने से पहले ही फ़ातिहा पढ़ देने से उस देगची के अन्दर जो खाना है उसका सवाब पहुंच जाता है जब तो फिर खाना पकाने की ज़रूरत ही क्या है। बाज़ार में चलते चलते किसी हलवाई की दुकान के सामने खड़े होकर फ़ातिहा पढ़कर उस हलवाई की पूरी दुकान ही बख़्श दो।

हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जब कभी खाने पीने की चीज़ों पर पढ़ा है और दुआ की है तो वह बरकत के वास्ते की है यानी दस आदमियों का खाना था और पांच सौ आदमियों ने खा लिया या पचास आदमियों का खाना था और हज़ार आदमियों ने खा लिया। यह आपके मोजिज़ों में से है ईसाले सवाब के लिए नहीं पढ़ा।

हदीस – हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ निकाह हुआ ही था कि मेरी मां उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा ने खजूर, घी और पनीर का मलीदा सा बनाया और प्याले में भर कर मुझको दिया और कहा अनस (रज़ियलाहु अन्हु) इसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास ले जा और अर्ज़ कर कि मेरी मां ने यह हक़ीर हदिया आपकी ख़िदमत में भेजा है और आप को सलाम अर्ज़ किया है और कहा है कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! यह एक थोड़ा हदिया हमारी तरफ़ से है क़ुबूल फ़रमाइए! चुनांचे मैं गया और जो कुछ मेरी मां ने कहा था अर्ज़ कर दिया।

आपने फ़रमाया इसको रख दे और फ़लां फ़लां आदमियों को जिनके नाम आपने बताये बुला ला और रास्तें में जो आदमी मिले उसको भी बुला ला।

चुनांचे मैं उन आदमियों को, जिनके नाम आप ने बताये थे और जो लोग मुझको रास्ते में मिले थे उनको बुला लाया जिनसे सारा घर भर गया।

अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गया तुम सब कितने लोग होंगे?

अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा तीन सौ के क़रीब।

फिर मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उस मलीदा या हलवे पर हाथ रखा और दुआ की जो खुदा ने चाही।

फिर दस-दस आदमियों को उसमें से खिलाना शुरू किया और खाने वालों से फ़रमाया खुदा का नाम लेकर खाओ और अपने सामने से खाओ।

चुनांचे जब ये आदमी खा चुके और खूब पेट भर गया वे उठ गये और दूसरी जमाअत

आ गयी यहां तक कि इसी तरह तमाम लोगों ने खा लिया।

इसके बाद आप ने मुझसे फ़रमाया अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) प्याले को उठा लो।

मैंने प्याले को उठा लिया मैं नहीं कह सकता कि जिस वक़्त मैंने प्याले को रखा था उस वक़्त उसमें मलीदा ज़्यादा था या उस वक़्त जबकि उसको उठाया।

हवाला –1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 876, हदीस 5630, मोजिज़ों का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 30, मोजिज़ों का बयान।

रुपया पैसा या कपड़ा, खाना या और कोई चीज़, हम किसी ग़रीब या मुहताज, फ़क़ीर या मिस्कीन, यतीम या और किसी हाजतमन्द को या मस्जिद मदरसा या यतीमखाना वग़ैरह में देते हैं वह चीज़ उस रूह को नहीं पहुंचती, बल्कि उसका सवाब पहुंचता है।

कुछ लोग अपनी जहालत से यह समझते हैं कि ख़ास वही चीज़ उस रूह को मिलती है जो ख़ैरात की जाती है इसलिए यह देखा गया है कि मुहर्रम के महीने में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की प्यास बुझाने की ग़रज़ से पानी की सबीलें जगह-जगह पर लगायी जाती हैं इस ख़्याल से कि इमाम को पानी मिले। खिलाने के लिए कहीं सबीलें नहीं लगतीं। अगर कोई दूध पीता बच्चा इन्तिक़ाल कर जाता है तो उसके ईसाले सवाब में दूध ख़ैरात किया जाता है इस एतक़ाद से कि उसके दांत नहीं थे इसलिए वह दूध के अलावा दूसरी चीज़ नहीं चबा सकेगा।

ये सारी एतक़ादी ख़राबियां हैं ईसाले सवाब के लिए किसी चीज़ या किसी तारीख़ के तअय्युन की कोई ज़रूरत नहीं। जो चीज़ ख़ैरात की जाएगी, उसका सवाब मिलेगा, वह चीज़ वैसे ही नहीं मिलेगी।

एक बात यह भी क़ाबिले ग़ौर है कि जो खाना ईसाले सवाब के लिए बनाया गया है वह ग़रीबों, मिस्कीनों, फ़क़ीरों या यतीमों का हक़ है, मालदारों का नहीं, लेकिन आम तौर से देखा गया है कि मालदार लोग ही ज़्यादातर खाते हैं और जो लोग खाना खाने के हक़दार हैं उनको तो दरवाज़े ही पर खड़ा रखते हैं। दरवाज़े पर एक दरबान डंडा हाथ में लिए खड़ा रहता है वह बग़ैर इजाज़त के किसी ग़रीब को अन्दर आने नहीं देता। जब बड़े-बड़े अमीर और मालदार लोग खा लेंगे, उसके बाद अगर बचेगा तो बेचारे इन ग़रीबों को दिया जाएगा। जब तक ये अमीर लोग खा पीकर फ़ारिग़ न हो लें तब तक हक़दारों को दरवाज़े ही पर खड़ा रहना पड़ता है अन्दर तक आने नहीं देते। यह सब जहालत नहीं तो फिर और क्या शरीअत है?

क़ुरआन करीम के दसवें पारे में सूरः तौबा के आठवें रुकूअ में आयत न० 60 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – सदक़ात तो असल में फ़क़ीरों और मिस्कीनों के लिए हैं।

क़ुरआन व हदीस को तो आपने सुन लिया। अब एक मिसाल से समझिए कि ग़रीब कौन है? हमने पचास या सौ आदमियों का खाना ईसाले सवाब की नीयत से पकाया है और आदमी

खाने के लिए भी आ गये हैं। जब वे लोग खाना खा चुकें तो हर आदमी के हाथ में एक-एक रुपया अल्लाह के नाम पर दिया जाए। अगर ये लोग रुपया ले लेते हैं तब तो खाना खाने के हक़दार हैं और अगर रुपया न लें तब तो खाना खाने के हक़दार नहीं क्योंकि वह खाना ग़रीबों के लिए है अमीरों के लिए नहीं है।

जो लोग नियाज़ व नज़्र या ग्यारहवीं के लिए शरबत या खिचड़ा, हलवा मलीदा वग़ैरह बनाते हैं वे अल्लाह के लिए नहीं बनाते और न अल्लाह के नाम पर करते हैं बल्कि ज़्यादातर इन्सान औलिया अल्लाह ही के नाम पर करते हैं और नीयत यह होती है कि इस बाबा या बुज़ुर्ग या वली के नाम का हर साल इतना नज़्र व नियाज़ करेंगे तो हमारी कमाई में और हमारे घर में बरकत होगी और अगर नहीं करेंगे तो नुक़्सान होगा। अब खुदा को छोड़ कर किसी के नाम पर नज़्र व नियाज़ करना शिर्क और हराम बताया गया है जिसे हम मन्नत के बयान में तफ़्सील से बयान कर चुके हैं।

आप यह तो ख़्याल करें कि अगर हमने दस रुपए किसी वली के नाम पर दे दिए, तो अब इसका सवाब कौन देगा? वली तो सवाब दे नहीं सकता। सवाब देना तो सिर्फ़ अल्लाह ही के अख़्तियार में है इसलिए यह देना ही ग़लत है फिर सवाब क्या मिलेगा? अलबत्ता अगर हमने वे दस रुपए अल्लाह के नाम पर दे दिये तो अब हमको इसका सवाब मिला। अब हम जिसको चाहें बख़्श दें। यही सही है और वह ग़लत था।

सिवाए अल्लाह तआला के मख़्लूके खुदा में से न कोई रोज़ी में बरकत दे सकता है और न कोई इज़्ज़त बढ़ा सकता है। हज़रत सय्यिदिना अब्दुल क़ादिर जीलानी साहब रह्मतुल्लाहि अलैहि यानी बड़े पीर साहब रह्मतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं-

वह जिस पर चाहे फ़ज़्ल फ़रमाए और जिसको चाहे रोज़ी दे अनगिनत सारी भलाई उसी के हाथ में है दीन उसके हाथ में है दुनिया उसके हाथ में है तवंगरी उसके हाथ में है फ़क़ीरी उसके हाथ में है और इज़्ज़त व ज़िल्लत उसके हाथ में है उसके साथ किसी के हाथ अख़्तियार कुछ भी नहीं पस अक़्लमंद वह है जो उसके दरवाज़े को चिमट जाए और दूसरे के दरवाज़े से मुंह फेर ले।

हवाला – फ़ुयूज़े यज़दानी, पृ० 42, मज्लिस 3।

मक्का के मुश्रिक इस बात का इक़रार करते थे कि ये सारी नेमतें अल्लाह तआला ही की दी हुई हैं और इन नेमतों पर अल्लाह तआला का एहसान मानने से इंकार भी नहीं था लेकिन जो ग़लती करते थे वह यह थी कि उन नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करने के साथ-साथ बहुत सी दूसरी हस्तियों का भी शुक्रिया अदा करते थे जैसे आजकल मुसलमान औलियाअल्लाह का करते हैं।

क़ुरआन करीम के आठवें पारे में सूरः अन्आम के सोलहवें रुकूअ में आयत न० 136 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा – और अल्लाह तआला ने जो खेती और मवेशी पैदा किये हैं उन लोगों ने उनमें से कुछ हिस्सा तो अल्लाह का मुकर्रर किया और अपने आप कहते हैं कि यह तो अल्लाह का है और यह हमारे माबूदों का है फिर जो चीज़ उनके माबूदों की होती है वह तो अल्लाह की तरफ़ नहीं पहुंचती और जो चीज़ अल्लाह की होती है वह उनके माबूदों की तरफ़ पहुंच जाती है। उन्होंने क्या बुरी तज्वीज़ निकाल रखी है?

इस बात की तो सारी दुनिया क़ायल है कि ज़मीन अल्लाह की है और खेतियां वही उगाता है साथ ही उन जानवरों का पैदा करने वाला भी अल्लाह ही है जिनसे हम अपनी ख़िदमत लेते हैं लेकिन अक्सर लोगों का यह ख़्याल पहले भी था और आज भी है कि हम पर अल्लाह की यह मेहरबानी, पीर, पैग़म्बर, फ़रिश्तों, जिन्नातों और आसमानी सितारों या बुज़ुर्गाने सलफ़े सालिहीन की रूहों के तुफ़ैल और बरकत से है जो हम पर नज़रे करम रखते हैं इसलिए ग़ल्ला या फलों में से जो कुछ होता था उन में से दो हिस्से निकालते थे–

1. एक हिस्सा तो अल्लाह का और
2. एक हिस्सा अपने बनाये हुए माबूदों का।

अब अगर इत्तिफ़ाक़ से अल्लाह के हिस्से में से कुछ उनके बनाये हुए माबूदों में मिल जाता तो उसको उसी में रहने देते और अगर इन बनावटी माबूदों का हिस्सा इत्तिफ़ाक़ से अल्लाह के हिस्से में मिल जाता तो उसे निकाल लेते और अपने माबूदों के हिस्से में डाल देते थे और बहाना यह करते थे कि अल्लाह तो ग़नी है उसका हिस्सा कम हो जाए तो कोई हरज नहीं और यह हमारे बनाये हुए माबूद मुहताज हैं इनका हिस्सा कम नहीं होना चाहिए।

आज हमारे बहुत से मुसलमान भाई और बहनें इस बीमारी में मुब्तला हैं कि जितनी एहतियात नियाज़ व नज़्र और ग्यारहवीं या शर्बत और खिचड़ा या मन्नत की करते हैं उतनी एहतियात नमाज़, रोज़े और ज़कात की नहीं करते और उनका भी यही अक़ीदा है कि सारी खुदाई और क़ुदरत तो अल्लाह ही के क़ब्ज़े में है लेकिन ये जो बुज़ुर्ग हैं जिनकी हम नज़्र व नियाज़ या मन्नतें मानते हैं उनकी वजह से भी बहुत सी बलाएं और मुसीबतें टल जाती हैं और हमारी रोज़ी रोज़गार में भी बरकत होती है।

ऐसा अक़ीदा रखने वालों के लिए हज़रत सय्यिदिना अब्दुल क़ादिर जीलानी साहब रहमतुल्लाहि अलैहि यानी बड़े पीर साहब फ़रमाते हैं–

जब तू अपनी मां के पेट में बच्चा था तो उस वक़्त तुझ को खाना किसने दिया था? आज तू एतमाद कर रहा है अपने नफ़्स पर, अपने दीनारों पर, अपने दिरहमों पर, अपने ख़रीदने बेचने पर और अपने शहर के हाकिम पर, हर चीज़ कि जिस पर तू भरोसा करे, वह तेरा माबूद है और हर वह आदमी जिससे तू डरे या उम्मीद करे, वह तेरा माबूद है और वह हर आदमी जिस पर नफ़ा और नुक़्सान के मुताल्लिक़ तेरी नज़र पड़े और तू यों न समझे कि अल्लाह तआला

ही उसके हाथों उसका जारी करने वाला है तो वह तेरा माबूद है। बहुत जल्द तुझे अपना अंजाम नज़र आएगा कि अल्लाह तआला तेरी समाअत तेरी बसारत, तेरी पकड़ने की ताक़त, तेरा माल और हर वह चीज़, जिस पर तूने उसको छोड़ कर एतमाद किया था वे लोग और तेरे और मख़्लूक़ के दर्मियान ताल्लुक़ तोड़ देगा।

हवाला - फुयूज़े यज़दानी, पृ० 120, मज्लिस 20।

क़ुरआन करीम के चौदहवें पारे में सूर: नह्ल के दसवें रुकूअ में आयत न० 73 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - और ख़ुदा को छोड़ कर ऐसों की इबादत करते हैं जो न तो उनको आसमान से रोज़ी दे सकते हैं और न तो ज़मीन से रोज़ी देने का अख़्तियार रखते हैं और न (किसी क़िस्म की) क़ुदरत रखते हैं।

अल्लाह तआला फ़रमा रहा है तुम लोग जिन जिन की नियाज़ व नज़्र और मन्नतें कर रहे हो वे चाहे पैग़म्बर हों या फ़रिश्ते, पीर हों या जिन्न या शैतान या मख़्लूक़े ख़ुदा में से कोई भी हो वे न तो आसमान से बारिश बरसा सकते हैं और न ज़मीन से जानदार के लिए खाने का कोई सामान पैदा कर सकते हैं इन सारी चीज़ों का मालिक अल्लाह है और तुम जिन-जिन को पुकार रहे हो दुहाइयां दे रहे हो, वे भी उसी के मुहताज हैं।

कोई तौहीदपरस्त किसी बातिलपरस्त को समझाता है कि भाई! आप अल्लाह ही से मांगें, अल्लाह तबारक तआला सारे जहान की सुनता है, वह आपकी भी सुनेगा, तो जवाब देते हैं कि भाई! हमारी पहुंच अल्लाह तक नहीं हो सकती, जैसे कि एक बादशाह के पास या किसी बड़े अफ़सर के पास बग़ैर किसी की सिफ़ारिश के हम नहीं जा सकते। दूसरे या तीसरे मंज़िले पर जाना हो तो ज़ीनों से जाना पड़ता है कुंए से पानी निकालने के लिए रस्सी और बालटी की ज़रूरत पड़ती है दारोग़ा से मिलने के लिए चपरासी से मिलना पड़ता है। यह है इन जाहिलों का जवाब। अब इन जाहिलों के जवाब में अल्लाह तआला का जवाब सुनिए-

क़ुरआन करीम के चौदहवें पारे में सूर: नह्ल के दसवें रुकूअ में आयत न० 74 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - अल्लाह तआला के लिए मिसालें न बनाओ। अल्लाह ख़ूब जानता है और तुम कुछ नहीं जानते।

दोस्तो! अल्लाह तआला को किसी चपरासी की ज़रूरत नहीं। वह हर वक़्त सुनता है और देखता है और हमारी एक-एक सांस को जानता है और आइंदा हम क्या करने वाले हैं वह भी जानता है।

क़ुरआन करीम के छब्बीसवें पारे में सूर: क़ाफ़ के दूसरे रुकूअ में आयत न० 16 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा – हमने इंसान को पैदा किया और उसके दिल में जो ख़्याल आते हैं हम उनको भी जानते हैं और हम इंसान के इस क़दर क़रीब हैं कि उसकी जान की रग से भी क़रीब हैं।

इतने क़रीब वाले को छोड़ कर दूर वालों को कहां ढूंढ़ते फिरोगे। दूर वालों को खोजने में ही वक़्त चला जाएगा और जिससे हम को मक़्सद हल करवाना है या अपनी दुआएं क़ुबूल करवानी हैं या अपने गुनाह माफ़ करवाने हैं वह तो हमारी रगें जां से भी क़रीब है। फिर इतने क़रीब वाले को छोड़ कर दूर दराज़ वालों को खोजते फिरना जहालत नहीं तो क्या शरीअत है?

नमाज़ के बाद का फ़ातिहा

मेरे प्यारे दोस्त! नमाज़ के बाद का जो फ़ातिहा पढ़ा जाता है उसके भी अकसर जगह पर झगड़े चल रहे हैं इसका भी खुलासा सुन लों।

हदीस – हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि कोई आदमी नमाज़ के बाद दाएं जानिब फिर कर बैठना ज़रूरी जान कर अपने अक़ीदे में शैतान का हिस्सा मुक़र्रर न करे इसलिए कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को बाएं जानिब मुड़ कर बैठते अक्सर देखा है।

हवाला –1. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 115, हदीस 680, बाब 237, नमाज़ का बयान,

2. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1, पारा 4, पृ० 196, हदीस 796, नमाज़ का बयान,

3. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 198, हदीस 880, तशह्हुद में दुआ का बयान,

4. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 305, तशह्हुद में दुआ का बयान।

मेरे प्यारे दोस्त ! आज हिन्दुस्तान में जहालत की अक्सर जगह यह हालत है कि बायीं तरफ़ मुंह करके नमाज़ के बाद कोई इमाम दुआ पढ़े तो उस पर फ़ौरन वह्हाबी का टाइटिल लगा देंगे और कहने लगेंगे कि देखो यह बड़े पीर साहब को नहीं मानता, इसलिए उत्तर की तरफ़ मुंह नहीं करता या नमाज़ ख़त्म होने के बाद अगर नवाफ़िल व सुन्नत उसी जगह पर न पढ़े और चला जाए तो भी क़िस्म क़िस्म के टाइटिल लगा देते हैं।

हदीस – हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया जिस घर में ख़ुदा का ज़िक्र होता है और जिस घर में ख़ुदा का ज़िक्र नहीं होता उनकी मिसाल ज़िन्दा और मुर्दा की सी है।

हवाला – सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 127, हदीस 774, बाब 253, नमाज़ का बयान।

हदीस – हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुज़ूरे पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है–

तुम में से जब कोई आदमी मस्जिद में नमाज़ पढ़ चुके (यानी फ़र्ज़ नमाज़) तो उसको चाहिए कि वह अपने घर के लिए भी नमाज़ का कुछ हिस्सा रखे इसलिए कि खुदावंद तआला नमाज़ की वजह से घरों में भलाई पैदा करता है।

हवाला–1. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द1, पृ० 127, हदीस 773, बाब 253, नमाज़ का बयान,
2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 242, हदीस 1218, रमज़ान की इबादत का बयान,
3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 418, रमज़ान की इबादत का बयान।

हदीस – हज़रत अब्दुल्लाह बिन सअ्द रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! मेरा मकान में नमाज़ पढ़ना बेहतर है या मस्जिद में?

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, तुम नहीं देखते कि मेरा मकान मस्जिद के किस क़दर क़रीब है लेकिन इस पर भी मुझ को यह ज़्यादा अच्छा मालूम होता है कि मैं अपने मकान ही में पढ़ूं, अलबत्ता फ़र्ज़ के वास्ते मस्जिद मुक़र्रर की गयी है।

हवाला – इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 215, हदीस 1395, नमाज़ का बयान।

हदीस – हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया–

'मकानों को क़ब्रें न बनाओ।'

यानी उनमें नमाज़ अदा किया करो, बग़ैर नमाज़ के न छोड़ो।

हवाला–1. इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 215, हदीस 1394, नमाज़ का बयान,
2. अबूदाऊद शरीफ़, जिल्द 1, पारा 6, पृ० 396, हदीस 1030, बाब 356।
3. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 170, हदीस 659, नमाज़ के मक़ामात का बयान।
4. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 231, नमाज़ के मक़ामात का बयान।

हदीस – हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि–

फ़र्ज़ नमाज़ के अलावा आदमी की बेहतर मनाज़ उसके घर ही में है।' (मुख़्तसर)

हवाला – सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 25, पृ० 244, हदीस 1040, किताबुल आदाब।

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया–

'फ़र्ज़ नमाज़ अदा करने के बाद क्या इतने से काम में तुम को तक्लीफ़ होती है कि इन

फ़र्ज़ों के मकाम से आगे या पीछे हो जाओ या दाहिनी जानिब या बायीं जानिब हो जाओ।

हवाला –1. इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 224, हदीस 1446, नमाज़ का बयान,

2. अबूदाऊद शरीफ़, जिल्द 1, पारा 4, पृ० 258, हदीस 612 बाबा 221।

जिन फ़र्ज़ों के बाद सुन्नतें हैं तो इमाम अपने फ़र्ज़ों की जगह से दाएं या पीछे हट कर या अपने घर में जाकर सुन्नतें पढ़े।

हवाला – ऐनुन हिदाया, जिल्द 1, पृ० 407, नमाज़ का बयान,

जब इमाम जुहर व मग़्रिब व इशा का सलाम फेर चुके, तो फिर वहां बैठे इंतिज़ार करना मक्रूह है फौरन सुन्नतों के लिए खड़ा हो जाए और जहां फ़र्ज़ पढ़ी हों, सुन्नतें न पढ़ें। दाहिने या बाएं या पीछे को हट जाए और अगर चाहे, अपने घर जाकर सुन्नतें पढ़े।

हवाला – फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 1, पृ० 104, नमाज़ का बयान।

सब सुन्नतें और नफ़्लें अदा करने के लिए अफ़्ज़ल घर है। यही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है और मस्जिदे नबवी में पढ़ने से भी अफ़्ज़ल फ़रमाया है हालांकि आप की मस्जिद में एक नमाज़ का पचास हज़ार गुना सवाब है।

हवाला – ऐनुल हिदाया, जिल्द 1, पृ० 570, क़ियामे रमज़ान का बयान।

हदीस – हज़रत मुग़ीरह बिन शोबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया–

इमाम फ़र्ज़ों से फ़ारिग़ होने के बाद उस जगह से अलग हो जाए जहां उसने फ़र्ज़ अदा किये हैं उस जगह पर और नमाज़ न पढ़े।

हवाला –1. अबूदाऊद शरीफ़, जिल्द 1, पारा 6, पृ० 384, हदीस 993, बाब 345,

2. इब्ने माजा शरीफ़ पृ० 224, हदीस 1447, नमाज़ के बयान में।

इन हदीसों पर आज किसी का भी अमल नहीं है न अह्ले हदीस का, न अह्ले तक़्लीद का। एक दूसरे पर एतराज़ करने में या एक दूसरे के ऐब निकालने में और नुक्ताचीनी करने में पेश पेश हैं लेकिन इन हदीसों पर अमल किसी का भी नहीं है शायद सैंकड़ों में नहीं, बल्कि हज़ारों में एक मिलेगा जिन का अमल इन हदीसों पर होगा हालांकि इस मज़्मून की हदीसें कसरत से मौजूद हैं।

मेरे प्यारे दोस्तो! आयी बात आप की समझ में कि जिस नमाज़ के बाद सुन्नतें और नवाफ़िल हैं जैसे जुहर, मग़्रिब और इशा की नमाज़ें, उनमें तो फ़ातिहा सानी पढ़ने का झगड़ा ही मिट गया क्योंकि इमाम को जब वहां से फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ लेने के बाद हट जाने का हुक्म है तो फिर फ़ातिहा का झगड़ा ही कहां रहा। और मुक़्तदियों के लिए यह बेहतर है कि फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ लेने के बाद सुन्नतें और नफ़्ल घर में अदा करें, इस लिए दूसरा फ़ातिहा तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। फ़ातिहा सानी की तो कोई गुंजाइश ही बाक़ी न रही। अब बात रही फ़ज्र और अस्र

की, क्योंकि इन नमाज़ों में बाद फ़र्ज़ों के सुन्नत और नवाफ़िल नहीं है तो सुन लो इस का भी फैसला।

अगर दुआ-ए-मासूरा ऊंची आवाज़ से इस वास्ते कहे कि साथ वाले सीख जाएं तो हरज नहीं है और जब सीख गये तो उन लोगों का ऊंची आवाज़ से पढ़ना बिदअत होगा और अगर सिखाने की ग़रज़ नहीं है तो (ऊंची आवाज़ से) पढ़ना मक्रूह है।

हवाला–1. ऐनुल हिदाया, जिल्द 4, पृ० 341, कराहत का बाब,
2. फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 4, पृ० 267, कराहत का बाब।

मेरे प्यारे दोस्त! हमारी जहालत तो देखिए कि कुछ जगहों पर तो जब तक इमाम साहब तीन चार बार फ़ातिहा न पढ़ लें उस वक़्त तक लोग उनका पीछा नहीं छोड़ते और इमाम साहब बेचारे इस डर से कि इन लोगों के कहने के मुताबिक़ फ़ातिहा न पढ़ूंगा तो ये लोग मुझे गांव से निकाल देंगे या नौकरी पर से हटा देंगे इस नीयत से वह बेचारें इमाम साहब तीन चार या जितनी भी बार कहो फ़ातिहा पढ़ाते चले जाते हैं और फिर उसको जाहिल लोग मज़हब समझ लेते हैं।

मेरे प्यारे दोस्त! ऐसा कुछ भी नहीं है बल्कि सही बात यह है कि जब इमाम साहब ने सलाम फेर दिया तो अब इमाम इमाम न रहा और मुक्तदी मुक्तदी न रहे क्योंकि सलाम फेर देने के बाद दोनों आज़ाद है। जिसका जी चाहे चला जाए और घर में बाक़ी नमाज़ अदा करे जिसका जी चाहे बैठा रहे जिसका जी चाहे अल्लाह का ज़िक्र करे या दरूद शरीफ़ पढ़े।

नमाज़ के बाद का मुसाफ़ा

हदीस – हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से अर्ज़ किया कि अस्हाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम में मुसाफ़ा (करने का दस्तूर) था?

उन्होंने फ़रमाया हां। (वे मुसाफ़ा किया करते थे)।

हवाला–1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 25, पृ० 276, हदीस 1188, बाबुल अदब,
2. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 116, हदीस 587, बाबुल अदब।

हदीस – हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तशह्हुद सिखाया और मेरा हाथ अपने दोनों हाथों के बीच में लेकर मुसाफ़ा किया।

हवाला – सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 25, पृ० 276, हदीस 1187, बाबुल अदब वल अख़लाक़।

इस हदीस को बयान करने के बाद इमाम बुख़ारी रह्मतुल्लाहि अलैहि ने दोनों हाथों से मुसाफ़ा करने का बाब भी बांधा है लफ़्ज ये हैं–

बाब – दोनों हाथों से मुसाफ़ा करने के बयान में है और हम्माद बिन ज़ैद ने अब्दुल्लाह बिन मुबारक से दोनों हाथों से मुसाफ़ा किया।

हवाला – सही बुखारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 25, पृ० 277, इज़ाज़त लेने के बयान में।

इस हदीस और इस इबारत पर हनफ़ी उलेमा का फ़त्वा है कि दोनों हाथों से मुसाफ़ा किया जाए और यही सही है।

मुसाफ़ा सुन्नत है मुलाक़ात के वक़्त चाहिए कि दोनों हाथों से हो।

हवाला – मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 59, बाबुल मुसाफ़ा।

हदीस – हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि–

जब दो मुसलमान आपस में मुलाक़ात करके मुसाफ़ा करते हैं तो अल्लाह तआला उनको अलग होने से पहले बख़्श देता है।

हवाला –1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 117, हदीस 590, बाबुल अदब,
2. अबूदाऊद शरीफ़, जिल्द 3, पारा 32, पृ० 662, हदीस 1770, बाब 569,
3. इब्ने माजा शरीफ़ पृ० 554, हदीस 3702, अख़्लाक़ व आदाब के बयान में,
4. मिश्कात शरीफ़ जिल्द 2, पृ० 686, हदीस 4447, बाबुल मुसाफ़ा।

मेरे प्यारे दोस्तो! ज़रा समझदारी और ईमानदारी से काम लेना अगर गुस्सा करोगे तो समझने से कोरे रह जाओगे। मुलाक़ात के वक़्त हाथ मिलाना या मुसाफा करना तो सुन्नत है पर यहां जो बात हो रही है, वह नमाज़ के बाद की बात है यानी कुछ जगह पर नमाज़ के बाद मुसाफ़ा करने का रिवाज हो गया है और वह इस तरह कि नमाज़ जब ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद सब मुक़्तदी खड़े होकर इमाम साहब से मुसाफ़ा करते हैं। एक मुक़्तदी ने इमाम साहब से मुसाफ़ा किया और इमाम के पड़ौस में खड़ा हो गया फिर दूसरा मुक़्तदी इमाम से मुसाफ़ा करेगा उसके बाद पड़ौस में जो पहला मुक़्तदी खड़ा है उससे मुसाफ़ा करेगा। बाद में वह भी उससे पहले के मुक्तदी के पड़ौस में खड़ा हो जाएगा। इसी तरह जितने नमाज़ी हैं वे सबके सब एक के बाद दूसरे से मुसाफा कर के लाइन से खड़े रहने के आदि हैं इस में अगर किसी नमाज़ी ने मुसाफ़ा न किया और बग़ैर मुसाफ़ा के चला गया तो उस पर वह्हाबी का टाइटिल लगा देते हैं अब इसका खुलासा सुनिए फिर इस जहालत का अन्दाजा खुद ही लगा लीजिए–

'मुबाह है मुसाफ़ा (यानी हाथ मिलाना) सुब्ह (की नमाज़) के बाद शाफ़ई मसलक के मुताबिक और हनफ़ी मसलक में मक्रूह है।'

हवाला – मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 69, किताबुल ईमान।

'मुसाफ़ा सलाम का ततिम्मा है इसलिए फ़ज्र या अस्र की नमाज़ के बाद जो मुसाफ़ा शाफ़ई

मसलक में खास तौर से हरमे मोहतरम में रायज है। शेख़ मुल्ला अली क़ारी रह्मतुल्लाहि अलैहि ने एक ख़ास रिसाला में ममनूअ लिखा है और यही ठीक है।'

हवाला – ऐनुल हिदाया, जिल्द 4, पृ० 294, बाबुल कराहत।

यह है इख़्तिलाफ़ यानी इमाम शाफ़ई रह्मतुल्लाहि अलैहि के मसलक में फ़ज्र और अस्र की नमाज़ के बाद मुसाफ़ा करना यानी हाथ मिलाना मुबाह है और पांचों नमाज़ों के बाद हाथ मिलाने की तो वे भी इजाज़त नहीं देते, सिर्फ़ दो वक़्त फ़ज्र और अस्र के बाद इजाज़त है और सिर्फ़ मुबाह बताया है फ़र्ज़ वाजिब या सुन्नत नहीं बताया और हमारे हनफ़ी मसलक में हर नमाज़ के बाद हाथ मिलाना मक्रूह है चाहे ईद की नमाज़ हो चाहे पंजगाना नमाज़ के बाद हो चाहे जुमा की नमाज़ के बाद हो।

'मुसाफ़ा सुन्नत है मुलाक़ात के वक़्त सलाम के बाद। और नमाज़ के बाद मुसाफ़ा करने की कोई असल शरीअ़त में नहीं है बल्कि कुछ लोगों ने तो इसे बिदअत और मक्रूह लिखा है।'

हवाला – अबूदाऊद शरीफ़, जिल्द 3, पारा 32, पृ० 662, हदीस 1770, की शरह में।

'मुसाफ़ा अस्र की या जुमा की नमाज़ के बाद कुछ नहीं है और वक़्त खास करने की वजह से बिदअत है और हमारे कुछ उलेमा ने तश्रीह की है कि ज़िक्र किया गया मुसाफ़ा मक्रूह है।'

हवाला – मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 59, बाबुल मुसाफ़ा।

'मुहीत के हवाले से लिखा है कि मुसाफ़ा करना बाद नमाज़ ईद के हर हाल में मक्रूह है क्योंकि सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने उसको नहीं किया और यह तरीक़ा राफ़ज़ियों का है।'

हवाला – ग़ायतुल अवतार, उर्दू तर्जुमा दुर्रे मुख़्तार, जिल्द 1, पृ० 385, बाबुल ईद।

ग़ायतुल अवतार के इसी सफ़े के हाशिए पर लिखा है कि–

'मुसाफ़ा हर नमाज़ के बाद मक्रूह है क्योंकि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से साबित नहीं है और यह राफ़ज़ियों की सुन्नत है।

ऊपर की तमाम इबारतों से मालूम हुआ कि हमारे हनफ़ी मसलक के ज़्यादातर उलेमा-ए-दीन का यही फ़त्वा है कि नमाज़ के बाद हाथ न मिलाना यानी मुसाफ़ा न करना ही बेहतर और अफ़ज़ल है।

सख़ी और बख़ील

क़ुरआन करीम के अठाईसवें पारे में सूरः तग़ाबुन के दूसरे रुकूअ में आयत न० 16 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – जहां तक हो सके खुदा से डरो उसके अह्काम को सुनो और उसके फ़रमांबरदार रहो उसकी राह में खर्च करो। यह तुम्हारे हक़ में बेहतर है और जो आदमी बुख़्ल से बच गया ऐसे ही लोग फ़लाह पाने वाले हैं।

कुरआन करीम के सत्ताईसवें पारे में सूरः हदीद के दूसरे रुकूअ में आयत न० 18 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – बेशक सदका देने वाले मर्द और सदका देने वाली औरतें और जो (सदका देने वाले) अल्लाह को खुलूस के साथ कर्ज़ दे रहे हैं वह सदका उनके लिए बढ़ा दिया जाएगा और उनके लिए अज्र पसंदीदा है।

फ़कीर, मिस्कीन, मुहताजों और हाजतमंदों को खालिस खुदा की मर्ज़ी की तलाश में जो लोग अपने हलाल माल को नेक नीयती से अल्लाह की राह में सदका देते हैं उनके बदले बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा कर अल्लाह तआला उन्हें अता फ़रमायेगा, दस-दस गुने और इससे भी ज़्यादा सात सौ गुने तक, बल्कि इससे भी ज़्यादा उनके सवाब बे हिसाब हैं।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 27, पृ० 109, सूरः हदीद के दूसरे रुकूअ की तफ़्सीर में।

कुरआन शरीफ़ के तीसरे पारे में सूरः बक़रः के छत्तीसवें रुकूअ में आयत न० 264 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – ऐ इमान वालो! तुम एहसान जता कर या तक्लीफ़ पहुंचा कर अपनी खैरात को बर्बाद मत करो, जिस तरह वह आदमी जो अपना माल खर्च करता है सिर्फ़ लोगों को दिखलाने की ग़रज़ से और ईमान नहीं रखता अल्लाह पर और आख़िरत पर।

इस आयत में इर्शाद होता है कि अपने सदक़ात व खैरात को एहसान रखकर और तक्लीफ़ पहुंचा कर बर्बाद न करो। इस एहसान के जताने और तक्लीफ़ के पहुंचाने का गुनाह सदका और ख़ैरात का सवाब बाक़ी नहीं रहने देता फिर मिसाल दी कि एहसान और तक्लीफ़दही से सदके के ग़ारत हो जाने की मिसाल उस सदके जैसी है जो रियाकारी के तौर पर लोगों के दिखावे के लिए दिया जाए अपनी सख़ावत और फ़ैयाज़ी और नेकी की शोहरत नज़र के सामने हो लोगों में तारीफ़ व सताइश की चाहत हो अल्लाह तआला की रज़ामंदी की तलब न हो न उसके सवाबों पर नज़र हो।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 3, पृ० 17 सूरः बक़रः के छत्तीसवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

हदीस – हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने–

'जन्नत में मक्कार और बख़ील दाख़िल न होगा और न वह आदमी, जो ख़ैरात देकर एहसान जताए।'

हवाला –1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 321, हदीस 1771, खर्च की फ़ज़ीलत और बुख़्ल की कराहियत का बयान,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 120, खर्च की फ़ज़ीलत और बुख़्ल की कराहियत का बयान।

क़ुरआन करीम के तीसरे पारे में सूर: बक़र: के सैंतीसवें रुकूअ में आयत न० 267 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – ऐ ईमान वालो ! (नेक काम में) खर्च किया करो उम्दा चीज़ को अपनी कमाई में से और उसमें से जो कि हमने तुम्हारे लिए ज़मीन से पैदा किया उनमें से बुरी चीज़ों से खर्च करने का क़स्द न करो, हालांकि तुम कभी उसके लेने वाले नहीं, हां मगर आंखें चुरा जाओ (तो और बात है) और यक़ीन रखो कि अल्लाह तआला किसी के मुहताज नहीं, तारीफ़ के लायक़ हैं।

अल्लाह तआला अपने मोमिन बन्दों को सदक़ा करने का हुक्म देता है कि तिजारत का माल जो खुदा ने तुम को दिया है सोना चांदी और फल अनाज वग़ैरह जो उसने तुम्हें ज़मीन से निकाल कर दिये हैं उनमें से बेहतरीन अच्छी और पसन्दीदा उम्दा–उम्दा चीज़ें अल्लाह की राह में दो, रद्दी और वाहियात, सड़ी गली, गिरी पड़ी, बेकार व फ़िज़ूल और ख़राब चीज़ राहे खुदा में न दो। अल्लाह खुद तैयिब है वह ख़बीस को क़ुबूल नहीं करता हम उसके नाम पर गोया उसे वह ख़राब चीज़ देना चाहते हैं जिसे अगर हमें दिया जाता तो हम खुद क़ुबूल न करते तो फिर ख़ुदा कैसे क़ुबूल कर लेगा।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 3, पृ० 19, सूर: बक़र: के सैंतीसवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

अगर लिल्लाह दे फ़क़ीर को कुछ हराम माल में से और उम्मीद रखे सवाब की काफ़िर होता है और अगर जाने फ़क़ीर उसको फिर दुआ दे उसको और आमीन कहे देने वाला पस काफ़िर हुआ।'

हवाला –1. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 3, पृ० 286, मुर्तद का बयान,
2. फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 1, पृ० 849 मुर्तद का बयान,
3. ऐनुल हिदाया, जिल्द 1, पृ० 86, मुक़द्दमे में।

अब ये लोग सोचें जो रंडियों के घरों में गाने बजाने वालों के घरों में नाचने कूदने और खेल तमाशे से पैसा कमाने वालों के घरों में शराब व जुए के अड्डे चलाने वालों के घरों में सूद खाने वालों के घरों में वाज़ व नसीहत के लिए जाते हैं और मीलाद व मज्लिस पढ़ते हैं और बड़ी–बड़ी दुआएं उनके लिए मांगते हैं और वहां पर मुर्ग़ा पुलाव, ज़र्दा, बिरयानी बड़े मज़े से खाते हैं और नज़राना हाथ में लेकर जेब में डालते वक़्त 'जज़ाकल्लाहु' कहते हैं वे साहिबान सोचें।

क़ुरआन करीम के तीसरे पारे में सूर: बक़र: के छत्तीसवें रुकूअ में आयत न० 261 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – जो लोग अपने माल खुदा की राह में खर्च करते हैं उनकी मिसाल उस दाने जैसी है जिसमें से सात बालियां निकलीं और हर बाली में सौ दाने हों और खुदा जिसको चाहे बढ़ा चढ़ा कर दे और अल्लाह तआला कुशादगी वाला और इल्म वाला है।

इस आयत में बयान हो रहा है कि जो आदमी अल्लाह तआला की रज़ामंदी की तलब में अपने माल को खर्च करता है उसे बड़ी बरकतें और बहुत बड़े सवाब मिलते हैं और नेकियां सात-सात सौ गुनी कर के दी जाती हैं।

हवाला – तफ्सीरे इब्ने कसीर, पारा 3, पृ० 15, सूरः बक़रः के छत्तीसवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, फ़रमाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि–

जो आदमी ख़ैरात करे बराबर खजूर के पाक व हलाल कमाई से और खुदा पाक व हलाल ही को क़ुबूल करता तो अल्लाह उसको क़ुबूल करता है अपने दाहिने हाथ से फिर पालता और बढ़ाता है उस ख़ैरात को ख़ैरात करने वाले के लिए जिस तरह कि पालता है कोई तुम्हारा अपने बछड़े को यहां तक कि हो जाती हैं वे खैरात (या उसका सवाब) मानिंद पहाड़ के।

हवाला –1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 325, हदीस 1786, ख़ैरात की फ़ज़ीलत में।
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 126, ख़ैरात की फ़ज़ीलत में।

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि–

ख़ैरात करने से माल कम नहीं होता (बल्कि उसमें बरकत होती है) और किसी का क़ुसूर माफ़ कर देने से (बावजूद इंतिक़ाम की क़ुदरत रखने के) अल्लाह उस बन्दे की (जिसने माफ़ किया) इज़्ज़त बढ़ाता है और नहीं तवाज़ो करता कोई आदमी खुदा के लिए मगर खुदा उसका रुत्बा बढ़ाता है।

हवाला –1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 325, हदीस 1787, ख़ैरात की फ़ज़ीलत में,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 127, खैरात की फ़ज़ीलत में।

हदीस – हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि–

जल्दी करो सदक़ात व ख़ैरात देने में इसलिए कि सदक़ात से बला नहीं बढ़ती यानी सदक़ा बला को रद्द कर देता है।'

हवाला –1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 325, हदीस 1785, खर्च की फ़ज़ीलत के बयान में,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 126, खर्च की फ़ज़ीलत के बयान में।

हदीस – हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि–

'सदक़ा खुदा के गुस्से को ठंडा करता है और बुरी मौत को दूर करता है।'

हवाला –1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 327, हदीस 1806, ख़ैरात की फ़ज़ीलत में,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 131, ख़ैरात की फ़ज़ीलत में।

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि–

अल्लाह तआला फ़रमाता है ऐ अदम के बेटे! तू खर्च कर मैं तुझ पर खर्च करूंगा, यानी तुझ को दूंगा।

हवाला –1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 320, हदीस 1760, खर्च की फ़ज़ीलत में।

हदीस – हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं,
फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि–

ऐ बेटे ! आदम के माल को तेरा खर्च करना जो तेरी ज़रूरत से ज़्यादा हो तेरे लिए बेहतर है और माल को रोकना तेरे लिए बुरा है और नहीं मलामत किया जाएगा, तू ज़रूरत के बक़द्र माल अपने क़ब्ज़े में रखने पर और खर्च कर तू सबसे पहले अपने अयाल पर।

हवाला –1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 320, हदीस 1761, खर्च की फ़ज़ीलत में।
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 118, खर्च की फ़ज़ीलत और बुख़्ल की कराहियत का बयान।

हदीस – हज़रत अबूसईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि–

जो मुसलमान किसी नंगे बदन मुसलमान को कपड़ा पहनाये अल्लाह तआला उसको बहिश्त के सब्ज़ हुल्लों में से हुल्ला पहनाएगा और जो मुसलमान भूखे मुसलमान को खाना खिलाए अल्लाह तआला उसको बहिश्त के फलों में से फल खिलाएगा और जो मुसलमान किसी प्यासे मुसलमान को पानी पिलायेगा अल्लाह तआला उसको मुहर की हुई शराब में से पिलायेगा।

हवाला –1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 327, हदीस 1810, ख़ैरात की फ़ज़ीलत में,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 132, ख़ैरात की फ़ज़ीलत में।

हदीस – हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि–

जो मुसलमान कोई पेड़ लगाये या खेती बोये और उसमें से इंसान, परिंद और चरिंद खाएं तो यह भी उसके लिए सदक़ा है।

हवाला –1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 326, हदीस 1798, ख़ैरात की फ़ज़ीलत में।
2. मज़ाहिरे हक़ जिल्द 2, पृ० 130, ख़ैरात की फ़ज़ीलत में।

हदीस – हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि– हसद न किया जाए मगर दो आदमियों पर :

1. एक तो उस पर जिसको खुदा ने क़ुरआन अता फ़रमाया यानी जिसको क़ुरआन याद हो गया पस वह दिन रात क़ुरआन पढ़ता और इबादत करता है और

2. दूसरे उस पर जिसको खुदा ने माल बख़्शा और वह उसमें से दिन रात नेक कामों पर खर्च करता हो।

हवाला –1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 353, हदीस 1996, फ़ज़ाइले क़ुरआन का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 198, फ़ज़ाइले क़ुरआन का बयान।

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि–

नहीं है कोई ऐसा दिन कि जिस में सुबह के दो फ़रिश्ते न उतरते हों जिनमें से एक तो यह कहता रहता है कि ऐ अल्लाह! खर्च करने वाले को उस का बदला दे यानी जो आदमी ख़ैर के मसारिफ़ में या मुनासिब मौक़े पर खर्च करता है उसको इससे ज़्यादा दे और दूसरा यह कहता रहता है ऐ अल्लाह। बख़ील के माल को खत्म कर दे।

हवाला –1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 320, हदीस 1758, खर्च की फ़ज़ीलत,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 117 खर्च की फ़ज़ीलत और बुख़्ल की कराहियत का बयान।

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि

सख़ी क़रीब है अल्लाह की रहमत से क़रीब है जन्नत से और क़रीब है लोगों से और दूर है दोज़ख़ से और बखील दूर है अल्लाह की रहमत से दूर है जन्नत से दूर है लोगों से और क़रीब है आग से और जाहिल सखी खुदा के नज़दीक बेहतर है बख़ील आबिद से।

हवाला –1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 321, हदीस 1767, खर्च की फ़ज़ीलत में,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 119, खर्च की फ़ज़ीलत और बुख़्ल की कराहियत में

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि–

सख़ावत एक पेड़ है जन्नत में, पस जो आदमी सख़ी होगा वह उस पेड़ की टहनी पकड़ लेगा और वह टहनी उसको उस वक़्त तक न छोड़ेगी, जब तक उसको जन्नत में दाख़िल न करा लेगी और बुख़्ल एक पेड़ है दोज़ख़ में पस जो आदमी बख़ील होगा वह उस पेड़ की एक टहनी पकड़ लेगा और वह टहनी उस वक़्त तक न छोड़ेगी, जब तक उसको दोज़ख़ में दाख़िल

न करा लेगी।

हवाला–1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द.1, पृ० 324, हदीस 1784, खर्च की फ़ज़ीलत,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 126, खर्च की फ़ज़ीलत और बुख़्ल की कराहियत में।

क़ुरआन करीम के तीसरे पारे में सूर: बक़र: के अड़तीसवें रुकूअ में आयत न० 274 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है।

तर्जुमा – जो लोग अपने मालों को रात दिन छिपे खुले खर्च करते रहते हैं उनके लिए उनके रब के पस बदला है और न उन्हें डर है और न वे ग़मगीन होंगे।

इस आयत में अल्लाह तआला खर्च करने का तरीक़ा बता रहे हैं चाहे रात को खर्च करो चाहे दिन को खर्च करो चाहे पोशीदा खर्च करो या अलल एलान खर्च करो हर तरह से इजाज़त है इतना याद रहे खर्च नेक कामों में किया जाए और अलल एलान खर्च करने में रियाकारी न हो।

क़ुरआन करीम के दसवें पारे में सूर: तौबा के पांचवे रुकूअ में आयत न० 34 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – जो लोग सोना चांदी जमा करके रखते हैं और उनको अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते सो आप उनको खुशख़बरी सुना दें। दर्दनाक अज़ाब की।

न तो ज़कात देते हैं न तो मज़दूरों को पूरी मज़दूरी देते हैं न तो हक़दारों का हक़ अदा करते हैं न तो हाजतमंदो को देते हैं बल्कि जमा ही करते चले जाते हैं तो उन कंजूसों को और उन मक्खी चूसों को दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी दे दें।

क़ुरआन करीम के दसवें पारे में सूर: तौबा के पांचवें रुकूअ में आयत न० 35 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – उस दिन उसको (यानी उनके माल को) दोज़ख़ की आग में तपाया जाएगा फिर उससे उन लोगों की पेशानियों और उनकी करवटों और उनकी पीठों को दाग़ा जायेगा (और उनसे कहा जायेगा) जिसको तुमने अपने वास्ते जमा कर रखा था सो अब अपने जमा करने का मज़ा चखो।

जो आदमी अपने माल की ज़कात न दे, उसका माल क़ियामत के दिन आग की तख़्तियों जैसा बना दिया जाएगा और उससे उसकी पेशानी, पहलू और कमर दाग़ी जाएगी। पचास हज़ार साल तक लोगों के फ़ैसले हो जाने तक तो उसका यही हाल रहेगा, फिर उसे उसकी मंज़िल की राह दिखा दी जाएगी, जन्नत की तरफ़ या जहन्नम की तरफ़।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 10, पृ० 53, सूर: तौबा के पांचवे रुकूअ की तफ़्सीर में।

क़ुरआन करीम के दसवें पारे में सूर: तौबा के सातवें रुकूअ में आयत न० 54 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – और उनकी ख़ैरात क़ुबूल होने से और कोई चीज़ इसके अलावा रुकावट नहीं कि उन्होंने अल्लाह के साथ और उसके रसूल के साथ कुफ़्र किया और वे लोग नमाज़ नहीं पढ़ते, मगर हारे जी से और खर्च नहीं करते मगर नागवारी के साथ।

तुम्हारे खर्च करने का ख़ुदा भूखा नहीं। तुम खुशी से दो तो और नाराज़गी से दो तो वह क़ुबूल फ़रमाने का नहीं, इसलिए कि तुम फ़ासिक़ लोग हो। तुम्हारे खर्च के क़ुबूल न होने की वजह तुम्हारा कुफ़्र है और आमाल की क़ुबूलियत की शर्त कुफ़्र का न होना, बल्कि ईमान का होना है। साथ ही किसी अमल में तुम्हारा नेक मक़सद और सच्ची हिम्मत नहीं। नमाज़ को आते हो तो भी हारे दिल से गिरते पड़ते, मरते-बिछड़ते, सुस्त और काहिल होकर देखा देखी मज्मे में दो चार (रुपए) दे भी देते हो, तो मरे जीते जी से दिल की तंगी से।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 10, पृ० 68, सूर: तौबा के सातवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

आप साहिबान ने देखा होगा कि कुछ जगह पर लोग शादी कार्ड छपाई के दो दो हज़ार रुपए देंगे और शामियाना लगाने का खर्च एक हज़ार देंगे। बिजली या डेकोरेशन करने वाले को दो हज़ार देंगे, नाचने वाली रंडी को दावत दी है तो उसे एक हज़ार पहले ही दे आएंगे और क़व्वालों को बुलाया है तो उनको भी एक हज़ार रुपए पहले ही दे आएंगे। बैंड बाजे बजाने वालों को पांच सौ रुपए देंगे और ढोल बजाने वालों को पचास रुपए या सौ रुपए देंगे और लाउड स्पीकर वालों को पांच सौ रुपए देंगे और निकाह पढ़ाने वाले आलिमे रब्बानी को निकाह पढ़ाई के दस रुपए देंगे और कहीं-कहीं तो दस रुपए भी नहीं देते बल्कि कह देते हैं कि मौलवी साहब! फिर मिल लीजियो, इस वक़्त ज़रा हमको फ़ुर्सत नहीं है इन लोगों को शैतानी हरकतों से फ़ुर्सत ही नहीं मिलती कि निकाह पढ़ाने वाले को भी कुछ दे सकें।

किसी नवाब साहब से या किसी रईस से या किसी जागीरदार से या किसी सेठ से पूछो कि हज़रत! शादी में कितना खर्च आया? तो जवाब मिलेगा, तीस चालीस हज़ार रुपए खर्च हुए हैं पर इन लोगों से पूछो कि आपने निकाह पढ़ाने वाले मौलवी साहब को निकाह पढ़ाई का क्या दिया तो जवाब मिलेगा दस रुपए दिये हैं और हमारी जमाअत का यही उसूल है। अल्लाह पाक इन मालदारों को हिदायत दे सिर्फ़ मौलवियों ही के लिये उसूल बना रखे हैं और शैतानी हरकतों के लिये तिजोरियों के मुंह खोल रखे हैं फिर अज़ाबे ख़ुदावन्दी नहीं आयेगा तो और क्या होगा?

आज के ज़माने में शहर में जो म्युनिसिपलटी में काम करने वाले भंगी हैं उनको भी चार सौ पांच सौ रुपए तंख्वाह मिलती है इसके अलावा उनका फंड भी जमा होता है और मुसलमानों को देखिए कि इमामों और उस्तादों की तंख्वाह एक महीने की पचास या सौ रुपए है। शायद ही कहीं दो सौ तीन सौ रुपए तक तंख्वाह होती होगी। इन आलिमों का न तो फंड जमा हो न जमाअत की तरफ़ से कोई मदद मिले। जब नौकरी से हटा दिये जाएं तो या तो भीख मांगें

या भूखे मरें।

इन मालदारों पर जब कोई मुसीबत आती है तो दौड़ते भागते बावलों की तरह आलिमों की ख़िदमत में हाज़िर होते हैं और आलिमों का हाथ या दामन पकड़ कर रोने गिड़गिड़ाने लगते हैं-

मौलाना साहब! हमारे हक़ में दुआ कर दीजिये फ़लां फ़लां मुसीबत आ पड़ी है उसको अल्लाह तआला अपने फ़ज़्ल व करम से टाल दे।'

मुसीबत के वक़्त आलिम साहब याद आते हैं! खुशी के वक़्त नाच गाने खेल तमाशे और क़व्वालियां याद आती हैं और दुआ कराने के लिये आलिम साहब याद आते हैं। अब आलिमों के पास क्यों आते हो? शादी ब्याह में तो आलिम साहब नहीं याद आ रहे थे अब क्यों याद आ रहे हैं? दुआ कराने के लिये इन रंडियों के पास और क़व्वालों के पास और खेल कूद करने वाले बहरूपयों के पास जाओ, मंडप सजाने वालों के पास और बिजली का डेकोरेशन करने वालों के पास और बैंड बाजे और ढोल ताशे, शहनाइयां बजाने वालों के पास जाओ, जिनको हज़ारों रुपए बड़ी हंसी खुशी हंसते मुंह देते थे उनके पास जाओ और दुआ कराओ। आलिमों के पास क्यों आते हो? आलिमों की क़ीमत तो तुम्हारे नज़दीक दस बीस या पचास रुपए की थी और शैतानी जमाअत वालों की क़ीमत तुम्हारी निगाह में हज़ार रुपयों की थी। यह है तुम्हारा इन्साफ़ उलेमा-ए-रब्बानी के साथ? फिर अज़ाबे खुदावन्दी नहीं आयेगा तो क्या आयेगा?

अगर वाक़ई कोई आदमी सख़ी है और खुदा न ख्वास्ता उस पर कोई मुसीबत आ गई है या आने के आसार हैं तो बग़ैर कहे हज़ारों इन्सानों के हाथ आसमान की तरफ़ उठेंगे और दिल से दुआ निकलेगी कि ऐ अल्लाह! इस पर रहम फ़रमा इस पर करम फ़रमा इस पर फ़ज़्ल फ़रमा यह सखी आदमी है ग़रीबों, मिस्कीनों, मुहताजों और यतीमों की मदद करता है और अगर कोई इन्सान बख़ील है उस पर कोई मुसीबत आती है या आने के आसार हैं तो बिन कहे लोगों की ज़ुबानों से निकल जायेगा कि ऐ अल्लाह! इसको और फंसा इस पर और ज़्यादा मुसीबत भेज यह बड़ा कंजूस है बड़ा ही मक्खी चूस है मज़दूरों को पूरी मज़दूरी भी नहीं देता है ग़रीबों का और पड़ौसियों का हक़ भी अदा नहीं करता है बल्कि ग़रीबों की ज़मीन, ग़रीबों के मकान तक हड़प कर जाता है।

क़ुरआन करीम के उन्तीसवें पारे में सूरः मुज़्ज़म्मिल के दूसरे रुकूअ में आयत न० 20 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा – और नमाज़ की पाबन्दी रखो और ज़कात देते रहो और अल्लाह को अच्छी तरह क़र्ज़ दो। जो नेक अमल अपने लिए आगे भेज दोगे, उसको अल्लाह के पास पहुंच कर उससे अच्छा और सवाब में बड़ा पाओगे और अल्लाह से गुनाह माफ़ कराते रहो बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला रहम फ़रमाने वाला है।

इन मालदारों की हालत नासमझ और नादान बच्चों जैसी हो गई है। कोई व्यक्ति बाज़ार से आता है एक दो किलो मिठाई लाता है तो छोटे बच्चे के हाथ में देता है ताकि बच्चा खुश

हो जाये। जब उस बच्चे के हाथ में मिठाई का बंडल दे दिया जाता है तो वह बच्चा उस मिठाई को गोद में लेकर बैठ जाता है न खुद खाता है न दूसरे बच्चों को खाने देता है हालांकि बच्चा किलो दो किलो मिठाई तन्हा खा नहीं सकता, लेकिन ना समझी देखिये कि दूसरों को खिला नहीं सकता।

यही हालत मालदारों की है। अल्लाह तआला ने जो दौलत उनको दे रखी है उसको अपनी ज़िन्दगी में खा नहीं पायेंगे और दूसरों को खिला भी नहीं सकते। यह नादानी नहीं तो और क्या है? ये लोग जब मरेंगे तो पीछे लाखों की दौलत छोड़ कर मरेंगे, लेकिन मदरसों या मस्ज़िदों या किसी यतीम ख़ाने में या मुसाफ़िर ख़ाने में नहीं देंगे। ज़िन्दगी भर जिन आलिम के पीछे नमाज़ पढ़ी होगी उसको भी मरते वक़्त पांच दस हज़ार की रक़म नहीं देंगे। जिन आलिमों ने इन मालदारों के बच्चों को इल्मे दीन पढ़ाया होगा उनको भी दो चार हज़ार नहीं देंगे।

कुछ मालदारों को अल्लाह तआला जब बीमारी में आज़माता है तो घर वाले उसको अस्पताल में दाख़िल कर देते हैं और डाक्टर उसको लज़ीज़ खाना खाने को मना कर देता है उस वक़्त सारी की सारी दौलत धरी की धरी रह जाती है इस दौलत में से एक रुपए की मिठाई लेकर खा नहीं सकता।

कुछ मालदारों को अल्लाह तआला अदालतों में फांस देता है हज़ारों रुपए बैरिस्ट्रों को देने पड़ते हैं परेशानी का यह आलम होता है कि दिन भर खाना नसीब नहीं होता, रात भर नींद भी नहीं आती, नींद लाने के लिये ख्वाब वाली गोलियां खानी पड़ती हैं फिर भी नींद नहीं आती, लाखों की दौलत होते हुए ज़िन्दगी के सुख चैन से महरूम रहते हैं फिर भी इन लोगों की आंखें नहीं खुलतीं। यह ना समझी और नादानी नहीं तो और क्या है?

मालदार साहिबान महलों में आराम के साथ अपनी ज़िन्दगी गुज़ारें और आलिम साहिबान चटाइयों पर रोते रात गुज़ारें आलिमों के साथ यह ज़ुल्म नहीं है? आलिमों के साथ यह बे इन्साफ़ी नहीं है? इतना करने के बाद मालदार साहिबान कहते हैं–

इन आलिमों की हमारे दिल में बड़ाई है हम आलिमों की क़द्र करते हैं।'

इस क़िस्म के मालदार जब मरेंगे तब पता चलेगा कि वे आलिमों की कितनी बड़ाई और क़द्र करते थे।

क़ुरआन करीम के अठठाईसवें पारे में सूर: मुनाफ़िक़ून के दूसरे रुकूअ में आयत न० 10–11 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – जो कुछ हमने तुम को दे रखा है उसमें से हमारी राह में इससे पहले खर्च करो कि तुम में से किसी को मौत आ जाए तो कहने लगे कि ऐ मेरे परवरदिगार! मुझे तू थोड़ी सी देर की मोहलत क्यों नहीं देता? कि मैं सदक़ा करूं और नेक लोगों में से हो जाऊं जब किसी की उम्र की मुद्दत पूरी हो जाये फिर उसे अल्लाह तआला हरगिज़ मोहलत नहीं देता और जो कुछ तुम करते हो उसे अल्लाह तआला अच्छी तरह जानता है।

अपनी इताअत में माल खर्च करने का हुक्म दे रहा है कि अपनी मौत से पहले खर्च कर लो, मौत के वक़्त की बेकसी देखकर शर्मिन्दा होना और उम्मीदें बांधना कुछ नफ़ा न देगा। उस वक़्त चाहेगा कि थोड़ी देर के लिये भी अगर छोड़ दिया जाये तो जो कुछ नेक अमल हो सके, करे और दिल खोल कर अल्लाह तआला की राह में दे ले लेकिन आह! अब वक़्त कहां? आने वाली मुसीबत आन पड़ी और न टलने वाली आफ़त सर पर खड़ी हो गयी।

हवाला – तफ़्सीरे इब्नेकसीर, पारा 28, पृ० 76, सूरः मुनाफ़िकून के दूसरे रुकूअ की तफ़्सीर में।

जब इनमें से किसी को मौत आने लगती है तो कहता है–

'मेरे रब! मुझे लौटा दे तो मैं नेक अमल करूं।'

मौत का वक़्त आगे पीछे नहीं होता खुदा खुद खबर रखने वाला है कि कौन अपने क़ौल में सच्चा है और अपने सवाल में हक़ पर है ये लोग अगर लौटाए जाएं तो फिर इन बातों को भूल जाएंगे और वही करतूत करने लग जाएंगे जो इससे पहले करते रहे।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 28, पृ० 76, सूरः मुनाफ़िकून के दूसरे रुकूअ की तफ़्सीर में।

क़ुरआन करीम के तीसरे पारे में सूरः बक़रः के चौंतीसवें रुकूअ में आयत न० 254 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – ऐ ईमान वालो! खर्च कर लो उन चीज़ों में से जो हमने तुमको दी हैं इससे पहले कि वह दिन (क़ियामत का) आ जावे, जिसमें न तो ख़रीद व फ़रोख़्त होगी और न दोस्ती होगी और न (बग़ैर अल्लाह की इजाज़त के) कोई सिफ़ारिश होगी।

अल्लाह तआला अपने बन्दों को हुक्म करता है कि वे भलाई की राह में अपना माल खर्च करें ताकि खुदा के पास उनका सवाब जमा रहे और फिर फ़रमाता है कि अपनी ज़िन्दगी ही में खैरात व सदक़ात कर लो क़ियामत के दिन न तो खरीद व फ़रोख़्त है न ज़मीन भर सोना देने से जान छूट सकती है न किसी का नसब और दोस्ती या मुहब्बत कुछ काम आ सकती है।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 3, पृ० 3, सूरः बक़रः के चौंतीसवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

हवाला – हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने,

इन्सान का अपनी तन्दुरुस्ती के दिनों में एक दिरहम ख़र्च (ख़ैरात) करना मरने के वक़्त सौ दिरहम खर्च (ख़ैरात) करने से बेहतर है।

हवाला –1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 321, हदीस 1768, खर्च की फ़ज़ीलत और बुख़्ल की कराहियत का बयान,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 120, खर्च की फ़ज़ीलत और बुख़्ल की कराहियत का बयान।

हदीस – हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं–

तुम में से कोई ऐसा है जिसे अपने वारिस का माल अपने माल से ज़्यादा प्यारा हो?

लोगों ने कहा हुज़ूर कोई नहीं।

आपने फ़रमाया मैं तो देखता हूं कि तुम अपने माल से ज़्यादा अपने वारिस का माल चाहते हो इसलिये कि तुम्हारा माल तो हक़ीक़त में वह है जो तुम खुदा की राह में अपनी ज़िन्दगी ही में खर्च करो और जो छोड़ कर जाओ, वह तुम्हारा माल नहीं, बल्कि तुम्हारे वारिसों का माल है तो तुम्हारा खुदा के रास्ते में कम खर्च करना और ज़्यादा जमा करना यह दलील है इस बात की कि तुम अपने माल से अपने वारिसों के माल को ज़्यादा अज़ीज़ रखते हो।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 4, पृ० 25, सूरः आले इम्रान के चौदहवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं, फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लमने कि–

'बन्दा मेरा माल मेरा माल कहता रहता है और हक़ीक़त यह है कि उसके माल में से जो कुछ उसका है वे सिर्फ़ तीन चीज़ें हैं–

1. एक तो वह जो खाया और खत्म कर दिया,
2. दूसरी वह जो पहनी और फाड़ डाली,
3. तीसरी वह जो खुदा की राह में दी और आख़िरत के लिए ज़ख़ीरा की।

इन तीनों चीज़ों के सिवा जो कुछ है उस सब को वह लोगों के लिए छोड़ कर चला जाने वाला है।

हवाला –1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 740, हदीस 4910, किताबुर्रिक़ाक़,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 202, किताबुर्रिक़ाक़।

क़ुरआन करीम के नवें पारे में सूरः अन्फ़ाल के पहले रुकूअ में आयत न० 3–4 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – जो लोग नमाज़ की पाबन्दी करते हैं और हमने उन को जो कुछ दिया है वे उसमें से खर्च करते हैं सच्चे ईमान वाले यही लोग हैं उनके बड़े दर्जे हैं उनके रब के पास मग़्फ़िरत है और इज़्ज़त की रोज़ी।

जो कुछ अल्लाह ने दिया है अगर ज़कात के क़ाबिल हों तो ज़कात दें और जो कुछ भी है लोगों को देते दिलाते रहें। बन्दों के वाजिब और मुस्तहब माली हुक़ूक़ अदा करते रहें और अल्लाह तआला ने दिया है तो सब की मदद करें क्योंकि सब लोग खुदा की अयाल हैं खुदा को वही बन्दा सबसे ज़्यादा मक़बूल है जो मख़्लूक़ को सबसे ज़्यादा नफ़ा पहुंचाने वाला है। तुम्हारे सब माल खुदा की तरफ़ से तुम्हारे पास गोया अमानत के तौर पर हैं और बहुत जल्द तुम्हारा माल तुमसे जुदा होने वाला है इसलिए इससे मुहब्बत नहीं होना चाहिए जिनमें ये खूबियां हैं वही हक़ीक़ी मोमिन हैं।

क़ियाम की दलीलें

बचपन से एक बात सुनते सुनते या एक काम करते करते आदत बन जाती है और आदत को इंसान इबादत समझने लगता है और फिर उसको मज़हब के दायरे में ले लेता है फिर उसको अक़ीदा बना लेता है ऐसे आदमी को तौबा की तौफ़ीक़ बड़ी मुश्किल से होती है हालांकि वह एक रस्म या रिवाज होता है मज़हब नहीं होता। हमारा मज़हब किताबी है, रिवाजी नहीं। जो कुछ होगा, क़ुरआन करीम या अहादीसे सहीहा से साबित होगा और उसी के ऊपर उलेमा-ए-हनफ़ीया का फ़त्वा होगा।

दलील 1

क़ुरआन करीम के छब्बीसवें पारे में सूरः फ़त्ह के पहले रुकूअ में आयत न० 9 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – तुम लोग अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाओ और उसकी मदद करो और उसकी ताज़ीम करो।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ताज़ीम वाजिब और फ़र्ज़ है, ज़रा भी कोई तौहीन करेगा, तो फ़ैज़े रिसालत से हमेशा के लिए महरूम रहेगा।

हवाला – तफ़्सीरे हक़्क़ानी, जिल्द 6, पृ० 288,

मेरे प्यारे दोस्त! ये लोग जो मज्लिसे मीलाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुबारक रूह को आयी हुई समझ कर क़ियाम करते हैं और दलील इस आयत से लेते हैं और कहते हैं कि अल्लाह तआला खुद अपने बन्दों को हुक्म फ़रमा रहा है कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ताज़ीम करो। मज्लिसे मीलाद में खड़े होने के लिए यह दलील बिल्कुल बे असल है क्योंकि ताज़ीम से मुराद खड़ा होना नहीं है। अगर इस आयत से खड़ा होना ही मुराद है जब तो फिर मज्लिसे मीलाद में सलामी के वक़्त खड़ा होना मुस्तहब या मुस्तह्सन न होगा, बल्कि वाजिब या फ़र्ज़ होगा और वाजिब या फ़र्ज़ को छोड़ना सख़्त गुनाह है तो इस दलील से सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के तशरीफ़ लाने पर खड़े न होते थे वे भी सख़्त गुनाहगार हुए। अल्लाह की पनाह! और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को ताज़ीम के लिए खड़े होने से मना फ़रमाया है वह सही हदीसों से साबित है जिसका बयान आगे आ रहा हैं तो गोया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने भी खुदा के हुक्म के ख़िलाफ़ अपना हुक्म जारी किया। अल्लाह की पनाह! या तो फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम क़ुरआन मजीद को समझते ही न थे। अल्लाह की पनाह! और न सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन समझ सके अल्लाह की पनाह! बल्कि इस ज़माने में क़ुरआन मजीद को समझने वाले ये जेबभरू पीर और पेटभरू मौलवी

पैदा हुए ? जहालत की भी कोई हद है। मेरे दोस्त! ऐसा नहीं है बल्कि ताज़ीम व तौक़ीर से मुराद यह है कि उसके दीन की मदद करो।

ताज़ीम से मुराद दीन की पाबन्दी और (दीन की) मदद है।'

हवाला – तफ़्सीरे हक़्क़ानी, जिल्द 6, पृ० 288।

ताज़ीम से मुराद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की अज़्मत और बड़ाई को दिल में बिठाना है जिसका इज़्हार हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत पर अमल करने और उसको अज़ीज़ रखने से होता है।

दलील 2

मज्लिसे मीलाद में खड़े होने की दूसरी दलील यह लाते हैं कि हम ताज़ीम समझ कर खड़े नहीं होते हैं। बल्कि सवाब की नियत से खड़े होते हैं यह दलील भी बे असल है क्योंकि सवाब का मिलना यक़ीनन उस वक़्त माना जाएगा, जब क़ुरआन व हदीस से साबित हो, अगर सबूत नहीं है तो अक़्ली दलीलें बेकार हैं।

यक़ीन करो कि जितनी बातें तुम ख़्याल व गुमान और वहम व क़ियास और अटकल या अन्दाज़े से अपने ख़ज़ाने में भरते हो वे कंकर और रोड़े हैं, तुम चाहे उसे मोती समझो।

हवाला – फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 1, पृ० 5, मुक़द्दमे में।

शरीअत को छोड़ कर अपने नफ़्स की राह अख़्तियार करना गुमराही है और नफ़्स की राह यह भी है कि अपनी समझ पर अमल करे।

हवाला – ऐनुलहिदाया, जिल्द 4, पृ० 274, कराहत का बयान।

मेरे प्यारे दोस्त! हर एक अमल के लिए सबूत पूरा चाहिए, सिर्फ़ ज़ुबानी या अक़्ली बातों से काम नहीं चल सकता।

हदीस – हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक बड़ी हदीस रिवायत करते हैं कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया–

हर नबी पर ख़ुदा की तरफ़ से फ़र्ज़ होता है कि अपनी उम्मत को तमाम नेकियां जो वह जानता है सिखा दे और तमाम बुराइयों से जो उसकी निगाह में हैं आगाह कर दे।'

हवाला – तफ़्सीर इब्ने कसीर, पारा 5, पृ० 53, सूरः निसा के आठवीं रुकूअ की तफ़्सीर में,

मेरे प्यारे दोस्त! ताज़ीम के लिए खड़ा होना अगर सवाब था तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को ताज़ीम के लिए खड़े होने से क्यों मना फ़रमाया गोया आपने भी फ़र्ज़ को तर्क किया? नऊज़ु बिल्लाहि मिन्हा,

मेरे प्यारे दोस्त! ऐसा नहीं है बल्कि सही यही है कि मज्लिसे मीलाद में खड़ा होना बे असल है।

दलील 3

मज्लिसे मीलाद में ताज़ीम के लिए खड़े होने वाले तीसरी दलील यह लाते हैं जो हदीस सही बुखारी शरीफ़ के अन्दर सोलहवें पारे में है।

हदीस – हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते थे कि बनी क़ुरैज़ सअद बिन मुआज रज़ियल्लाहु अन्हु के हुक्म पर उतर आए तो रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने किसी को सअद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास भेजा। सअद रज़ियल्लाहु अन्हु गधे पर बैठे हुए तशरीफ़ लाये। जब मस्जिद के क़रीब पहुंचे तो रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अन्सार से कहा कि अपने सरदार या अपने बुजुर्ग की तरफ़ खड़े हो (और उन्हें उतार लो) फिर सअद रज़ियल्लाहु अन्हु से फ़रमाया कि ये काफ़िर तेरे हुक्म पर उतरे हैं (तो तुम क्या हुक्म देते हो?) सअद रज़ि० ने जवाब दिया कि जो काफ़िर मुसलमानों से लड़ें उन्हें मार दिया जाए और उनकी औलाद क़ैद की जाए। रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया–

'तूने खुदा के हुक्म के मुताबिक़ हुक्म दिया।'

हवाला –1. सही बुखारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 16, पृ० 332, हदीस 1276, किताबुलमग़ाज़ी,

2. अबूदाऊद शरीफ़, जिल्द 3, पारा 32, पृ० 663, हदीस 1774, बाब 571,
3. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 688, हदीस 4463, क़ियाम का बयान,
4. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 64, क़ियाम का बयान।

मज्लिसे मीलाद में क़ियाम करने वाले तीसरी दलील में यही हदीस लाते हैं और कहते हैं कि अगर ताज़ीम के लिए खड़ा होना मना था तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अंसार को उनके सरदार हज़रत सअद रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए खड़े होने का हुक्म क्यों फ़रमाया।

इस हदीस का मतलब ये लोग समझ नहीं सके।

बनू क़ुरैज़ा यहूदियों का एक क़बीला था। हज़रत रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने खन्दक़ की जीत के बाद बनू क़ुरैज़ा की दग़ाबाज़ी की वजह से पच्चीस दिन तक उनको क़िले में घेरे रखा। फिर जब वे लोग सुलह करने पर उतर आए तो यहूदियों ने कहा कि हमारा फ़ैसला सअद (रज़ियल्लाहु तआला अन्हु) करें, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सअद रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाने के लिए किसी एक आदमी को भेजा।

जब सअद रज़ियल्लाहु अन्हु गधे पर बैठ कर तशरीफ़ लाये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अंसार से कहा कि खड़े हो जाओ अपने सरदार की तरफ़। यह इसलिए फ़रमाया था कि सअद रज़ियल्लाहु अन्हु बद्र की लड़ाई में घायल हो गये थे और घावों से उसी दिन

खून का बहना बन्द हुआ था तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने खड़े होने का हुक्म इसीलिए फ़रमाया था कि तुम लोग खड़े होकर सअद (रज़ियल्लाहु अन्हु) को धीरे से सवारी पर से उतार लो। कहीं ऐसा न हो कि वे खुद गधे पर से उतरें और फिर खून घावों से बहना शुरू हो जाए। (और इसी हदीस की शरह में यह भी लिखा है कि) हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने खत्मे ज़िन्दगी तक क़ियाम (यानी खड़े होने) को मक्रूह समझा है।

हवाला – मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 64, क़ियाम का बयान।

मेरे प्यारे दोस्तो! मुसलमानों के लिए सोचने का मक़ाम है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जब हयाते तैयिबा में क़ियाम को पसन्द नहीं फ़रमाया तो वफ़ात के बाद क़ियाम कैसे पसन्द हो सकता है? फिर भी हम मानें तो यह हमारी जहालत है। शरीअत में तो इस की कोई असल नहीं, बल्कि इससे मना किया गया है।

'कुछ उलेमा के नज़दीक क़ियाम सुन्नत है मगर साबित यह हुआ कि मक्रूह है।'

हवाला – मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 64, क़ियाम का बयान

मेरे प्यारे दोस्त! शरीअत में तो साफ़ मक्रूह लिखा है मक्रूह से मुराद मक्रूहे तह्रीमी है जिसका बयान आगे आ रहा है।

और जो लोग जायज़ समझते हैं वे हक़ीक़त में बे समझे बूझे अपनी जहालत पर अड़े हुए हैं जिनमें से ज़्यादा नफ़्स परस्त ही होते हैं जो जाहिलों का दिल बहलाने के लिए जायज़ कहते हैं ताकि अपना निबाह हो सके।

दलील 4

मज्लिसे मीलाद में खड़े होने वाले चौथी दलील में यह हदीस लाते हैं–

हदीस – हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फ़रमाती हैं कि जब हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आती थीं तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उनके लिए उठते, उनका बोसा लेते और अपने पास बिठाते और जब खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उनके पास जाते थे तो वह अपनी जगह से उठ जाती थीं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का बोसा लेतीं और अपनी जगह पर बिठातीं। (मुख़्तसर)

हवाला –1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 404, हदीस 1728, मनाक़िब का बयान।

2. अबूदाऊद शरीफ़, जिल्द 3, पारा 32, पृ० 663, हदीस 1776, बाब 571।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का खड़ा होना हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए और हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा का खड़ा होना हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिए, ये आदाब घरेलू हैं, महफ़िल के लिए नहीं हैं।

फ़तावा क़ाज़ी खां के हवाले से लिखा है कि कुछ लोग क़ुरआन पढ़ते हैं या एक आदमी क़ुरआन पढ़ता है फिर उसके पास कोई खास में से आया, तो फ़ुक़हा ने कहा है कि आने वाला मर्द आलिम हो या क़ारी या बाप या उस्ताद तो उसके वास्ते उठना जायज़ है और उसके सिवा क़ियाम जायज़ नहीं।

और मजमए फ़तावा अन्ताकी में है कि क़ियाम क़ारी का जायज़ है जब कोई उससे ज़्यादातर आलिम या उसका उस्ताद जिसने उसको क़ुरआन या इल्म सिखाया हो वह आए या उसके मां बाप आवें और उन के सिवा और किसी के वास्ते क़ियाम जायज़ नहीं, अगरचे आने वाला जलीलुल क़द्र और शरीफ़ हो।

हवाला – ग़ायतुल अवतार, उर्दू तर्जुमा दुर्रे मुख़्तार, जिल्द 4, पृ० 220, बाबुल हज़र।

मेरे प्यारे दोस्त! ऊपर वाली हदीस से फ़ुक़हाए किराम ने अपने उस्ताद के लिए और मां बाप के लिए क़ियाम जायज़ बतलाया है। अब इस इबारत से कोई जाहिल यह न समझे कि अपने बाप और उस्ताद के लिए तो हम क़ियाम करें यानी उनकी ताज़ीम के लिए उठें तो जायज़ है फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को क्या हमारे बाप या उस्ताद के बराबर भी न समझा जाए।

मेरे प्यारे दोस्त! समझदारी से काम ले। पहला सवाल तो यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मज्लिसे मीलाद में यक़ीनन आते हैं इस का कोई सबूत नहीं जिसका बयान पूरी दलीलों के साथ इन्शाअल्लाह आएगा और यहां पर जो बात चल रही है वह सारी जमाअत की है यानी मज्लिसे मीलाद में सारी जमाअत का उठना कैसे जायज़ होगा, क्योंकि सारी जमाअत के उठने का सबूत आप को कहीं से भी नहीं मिलेगा और अगर सबूत मिलेगा भी तो इनशाअल्लाह मुमानिअत का मिलेगा।

हदीस – हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम लाठी पर टेक लगाये हुए हमारे पास तशरीफ़ लाए तो हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ताज़ीम के लिए खड़े हो गये। उस वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अजमियों की तरह कुछ लोग कुछ की ताज़ीम के लिए खड़े न हुआ करो।

हवाला – 1. अबूदाऊद शरीफ़, जिल्द3, पारा 32, पृ० 668, हदीस 1789, बाब 581,
2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 688, हदीस 4467, क़ियाम का बयान,
3 मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 66, क़ियाम का बयान,
4. ग़ायतुल अवतार, उर्दू तर्जुमा दुर्रे मुख़्तार, जिल्द 4, पृ० 220, बाबुल हज़र।

मेरे प्यारे दोस्त! इस हदीस से साफ़ ज़ाहिर और साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सामने सारी जमाअत का खड़ा होना पसन्द नहीं था, तो आज सारी मज्लिस वालों का उठना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को कैसे पसन्द आएगा? हरगिज़ नहीं! यह शैतान का बहकावा हैं, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हुक्म और मुबारक मर्ज़ी

के ख़िलाफ़ अमल करवा रहा है और जिन लोगों ने कुछ लोगों के लिए खड़ा होना मुस्तह्सन या मुस्तहब लिखा है, उस की वजह यह लिखी है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि खड़े न होने वालों से बुग़्ज़ और कीना रखते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए मुस्तह्सन या मुस्तहब रखा गया है, मगर इन लोगों को ऐसा दिल में ख़्याल रखना न चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए भी सख़्त वईद आयी है।

हदीस – हज़रत अबू मुज्लिज़ रह० कहते हैं कि हज़रत मुआवियह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बाहर निकले तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर और हजरत इब्ने सफ़वान रज़ियल्लाहु अन्हुम अज-मईन उन्हें देख कर ताज़ीम में उठ खड़े हुए, तो हज़रत मुआवियह रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया, तुम दोनों बैठ जाओ। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को फ़रमाते हुए सुना है कि–

'जिस को इस बात की खुशी हो कि लोग बुत की तरह उस के लिए खड़े रहें, तो उसे अपना ठिकाना जहन्नम में ठीक कर लेना चाहिए।'

हवाला – 1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 120, हदीस 614, अबवाबुल आदाब,
2. अबूदाऊद शरीफ़, जिल्द 3, पारा 32, पृ० 667, हदीस 1788, बाब 581,
3. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 688, हदीस 4466, क़ियाम का बयान,
4. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 66, क़ियाम का बयान।

दलील 5

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि थे हज़रत रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम साथ हमारे मस्जिद में बैठे बातें करते हम से। फिर जिस वक़्त उठते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खड़े होते हम भी, यहां तक कि देखते हम आप को, दाख़िल होते अपने बीवियों के कुछ घरों में।

हवाला –1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 689, हदीस 4472, क़ियाम का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 67, क़ियाम का बयान।

इस हदीस में भी क़ियाम साबित नहीं होता, क्योंकि इस हदीस की शरह यानी मतलब यह है कि खड़े हुए मज्लिस के बर्ख़ास्त होने की वजह से, न कि खड़े हुए वास्ते ताज़ीम के, इस लिए कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम नहीं खड़े होते थे वक़्त तश्रीफ़ लाने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के, पस क्यों खड़े होते वक़्त जाने के और देर तक खड़े रहना सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का इस लिए था कि शायद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम आ जाएं बैठने के लिए या किसी काम के लिए या कुछ हुक्म फ़रमाएं, मगर जब हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु व सल्लम घर में तश्रीफ़ ले जाते तो ये भी अपने अपनेघर तश्रीफ़ ले जाते।

हवाला – मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 67, क़ियाम का बयान।

हदीस – हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, वह फ़रमाते हैं कि कोई आदमी सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के नज़दीक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से बढ़ कर महबूब न था, लेकिन ये लोग जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को देखते थे, तो आप के लिए उठते न थे, क्योंकि वह जानते थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इसे पसन्द नहीं फ़रमाते।

हवाला – 1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 120, हदीस 613, अबवाबुल आदाब,
2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 688, हदीस 4465, क़ियाम का बयान,
3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 65, क़ियाम का बयान।

ऐ अज़ीज़ दोस्त मेरे! आम मुसलमान भाइयों के लिए सोचने का मक़ाम है। ऊपर वाली हदीस बयान करने वाले सहाबी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की दस साल तक ख़िदमत की है।

हदीस – अबू खुल्दा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने अबुल आलिया से कहा– क्या अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलहि व सल्लम से कुछ सुना है?

अबुल आलिया रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, उन्होंने दस साल आंहज़रत सल्लल्लाहु अलहि व सल्लम की ख़िदमत की है और आंहुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन के लिए दुआ की है और उन के पास एक बाग़ था, जिस में साल में दो बार फल आता था और उस में फूल का एक पेड़ था, जिस से मुश्क की खुश्बू आती थी।

हवाला – तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 396, हदीस 1689, बाबुल मनाक़िब।

मेरे अज़ीज़ दोस्त! हिन्दुस्तान की जिहालत पर अफ़सोस है। ऐसे-ऐसे जलीलुल क़द्र सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हु के कहने पर अमल न करना और अपनी मर्ज़ी पर चलना शैतानी फ़रेब और नफ़सानी धोखा है।

हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रह्मतुल्लाहि अलैहि ने फ़रमाया कि–

'लोग जब तक हदीस हासिल करने पर झुके रहेंगे, अच्छे रहेंगे और जब उसे तर्क कर देंगे, बर्बाद हो जाएंगे।;

हवाला – फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 1, पृ० 130, मुक़द्दमे में।

मेरे दोस्त! हमारी बर्बादी इस से बढ़ कर और क्या होगी कि अक्सर मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान भाइयों को बुरी निगाहों से देखते हैं और अपने भाई को हराने और रुसवा करने-कराने के लिए तमाम ताक़तें ख़र्च कर देते हैं और क़ुरआन व हदीस के ख़िलाफ़ अमल कर रहे हैं।

आपने जो ख़बरें दी हैं वे सब सच हैं। सच्चे इमाम आप ही हैं। तमाम झगड़ों का फ़ैसला आप के हुक्म से किया जा रहा है, जो आप की बात बताये, वह सच्चा है और जो आप के

हुक्म के ख़िलाफ़ कहे या बतलाये वह मर्दूद है, ख़्वाह कोई भी हो।

हवाला – तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 19, पृ० 15, सूरः फ़ुर्क़ान के पांचवें रुकूअ की तफ़सीर में।

क़ुरआन शरीफ़ के अठ्ठाईसवें पारें में सूरः हश्र के पहले रुकूअ में आयत न० 7 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – तुम्हें जो कुछ रसूल दे, ले लो और जिस से रोके, रुक जाओ और अल्लाह से डरते रहा करो, अल-बत्ता अल्लाह सख़्त अज़ाब करने वाला है।

अल्लाह का हुक्म हो रहा है कि जिस काम से वह तुम्हें रोकें तुम उस से रुक जाओ, यक़ीन मानो के जिस का वह हुक्म करते हैं, वह भलाई का काम होता है और जिस से वे रोकते हैं, वह बुराई का काम होता है।

हवाला – तफ़सीरे इब्ने कसीर, पारा 28, पृ० 25, सूरः हश्र के पहले रुकूअ की तफ़सीर में।

सहीहैन में हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया–

'जब मैं तुम्हें कोई हुक्म दूं, तो जहां तक तुम से हो सके, बजा लाओ और जब मैं तुम्हें किसी चीज़ से रोकूं तो तुम रुक जाओ।

हवाला – तफ़्सीर इब्ने क़सीर, पारा 28, पृ० 26 सूरः हश्र के पहले रुकूअ की तफ़्सीर में।

मेरे अज़ीज़ दोस्त ! अल्लाह तआला का भी यही हुक्म है कि जिस काम के करने को मेरे पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कहें, उसे करो और जिस काम से रोकें, रुक जाओ और यक़ीन मानो, कि जिसका वे हुक्म करते हैं, वह भला काम होता है, और जिस से वे रोकते हैं, वह बुरा काम होता है।

क़ुरआन करीम के अठ्ठाईसवें पारे में, सूरः मुजादला के पहले रुकूअ में, आयत न० 5 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – जो लोग अल्लाह और उसके रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की मुख़ालफ़त करते हैं, वे इसी तरह ज़लील व ख़्वार कर दिये जाएगें, जिस तरह इन से पहले लोग ज़लील व ख़्वार किये जा चुके हैं। हम ने साफ़-साफ़ आयतें नाज़िल की हैं और काफ़िरों के लिए ज़िल्लत का अज़ाब है।

यानी वे लोग जो अल्लाह की हदों और उसके फ़र्ज़ों की जगह दूसरी हदें तज्वीज़ करते हैं, वे इसी तरह ज़लील व ख़्वार होंगे, जिस तरह पहले के लोग हो चुके हैं।

इर्शादे इलाही का मतलब यह है कि अल्लाह और उस के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुख़ालफ़त और उस के हुक्मों से बग़ावत का जो अंजाम अगले अंबिया अलैहिमुस्सलाम की उम्मतें देख चुकी हैं, इस से वे लोग हरगिज़ नहीं बच सकेंगे, जो अब मुसलमानों में से वही

रवैया अपनाएंगे। उन उम्मतों ने भी जब खुदा की शरीअत के ख़िलाफ़ खुद क़ानून बनाये या दूसरों के बनाये हुए तरीक़ों को अख़्तियार कर लिया, तब अल्लाह के फ़ज़्ल और उस की इनायत की नज़र से महरूम हुए।

दलील 6

मेरे प्यारे दोस्तो! आप साहिबान ने पढ़ लिया कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को क़ियाम करने से मना फ़रमाया और मना करने के बाद सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम में से फिर किसी ने भी क़ियाम नहीं किया। न तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आने पर क़ियाम किया और न तो जाने पर क़ियाम किया। फिर हम क्यों हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के ख़िलाफ़ अमल करें। हमें तो वही काम करने चाहिएं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हुक्म के ख़िलाफ़ अमल कर के कोई आदमी भी अबदी सआदत तक नहीं पहुंच सकता।

सहीहैन में हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया–

जब मैं तुम्हें कोई हुक्म दूं तो जहां तक तुम से हो सके, उसे बजा लाओ। जब मैं तुम्हें किसी चीज़ से रोकूं तो रुक जाओ। याद रखो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ना-फ़रमानी यानी आप के हुक्म का इन्कार करने वालों को और आपके मना किये हुए कामों के करने वालों को अल्लाह तआला सख़्त सज़ा देता है और दुख की मार मारता है।

हवाला– तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 28, पृ० 26, सूरः हश्र के पहले रुकूअ की तफ़्सीर में।

क़ुरआन करीम के दसवें पारे में सूरः तौबा के आठवें रुकूअ में आयत न० 63 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – क्या इन्हें मालूम नहीं है कि जो अल्लाह और उस के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुख़ालफ़त करेगा, उसके लिए दोज़ख़ की आग है जिस में वह हमेशा रहेगा और यह बहुत बड़ी रुसवाई है।

हक़ और बातिल को जानते हुए भी हक़ की मुख़ालफ़त करे और बातिल की तरफ़दारी करें, उस का अंजाम जहन्नम नहीं होगा, तो फिर और क्या होगा, हक़ की मुख़ालफ़त करना, गोया अल्लाह और उस के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुख़ालफ़त करना है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपने वास्ते सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को खड़े होने से मना करते थे और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम आप के वास्ते (मना करने के बाद) क़ियाम नहीं करते थे, जो आप अपने हक़ में बहालते हयात पसन्द नहीं फ़रमाते थे, बल्कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को इस से मना करते थे, वह बाद वफ़ात के आप के तशरीफ़ लाने

के वक़्त (सारी जमाअत का) क्यों-कर उठना जायज़ होगा।

हवाला – फ़तावा मजमूआ, जिल्द 2, पृ० 330, मुतफ़र्रिक़ात का बाब।

अह्ले सुन्नत वल जमाअत का यही अक़ीदा है–

'जो क़ौल और फ़ेल सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम और रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से साबित न हो, वह बिदअत है? इस लिए कि अगर उसमें बेहतरी होती तो यह पाक जमाअत, जो किसी चीज़ में (यानी नेक आमाल में) पीछे रहने वाली न थी, वह उसे तर्क न करती।'

हवाला– तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 26, पृ० 7, सूरः अह्क़ाफ़ के दूसरे रुकूअ की तफ़्सीर में।

दलील 7

मेरे अज़ीज़ दोस्त ! मज़हब तो उस को कहते हैं जो क़ुरआन व हदीस से साबित हो। जब हदीसों से क़ियाम करना मना साबित है, तो फिर तावीलें करना बेकार है, बल्कि फ़ौरन मान लेना चाहिए, इसी का नाम ईमान है।

क़ुरआन करीम के अठठाहरवें पारे में सूरः नूर के सातवें रुकूअ में आयत न० 51-52 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – ईमान लाने वालों का काम तो यह है कि जब वे अल्लाह और उस के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की तरफ़ बुलाये जाएं, ताकि रसूल उन के मुक़दमे का फ़ैसला कर दें, तो वे (यानी ईमान वाले) कहते हैं कि हमने सुन लिया और (दिल व जान से) मान लिया। ऐसे ही लोग फ़लाह पाने वाले हैं और कामियाब वही हैं, जो अल्लाह और उस के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की फ़रमांबरदारी करते हैं और अल्लाह से डरते है।

जब कोई बात सही हदीस से साबित हो जावे और मज़ाहबे हनफ़ी के ख़िलाफ़ हो, तो उस हदीस पर अमल किया जाएगा और वही मज़हब क़रार दिया जाएगा (यानी जो हदीस से साबित हुआ, वही मज़हब समझा जाएगा) और उस पर अमल करने से हनफ़ी मज़हब से ख़ारिज न होगा (बल्कि हनफ़ी ही रहेगा) क्योंकि इमामे आज़म अबू हनीफ़ा रह्मतुल्लाहि अलैहि से सही रिवायत आयी है कि जब कोई हदीस सही हो जावे, तो वही मेरा मज़हब है।

हवाला – फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 1, पृ० 120, मुक़दमे में।

बड़े अफ़सोस की बात है कि हमारे इमाम साहब का तो यह क़ौल है कि हदीस को मान लिया जाए और मेरा क़ौल अगर हदीस के ख़िलाफ़ हो, तो छोड़ दिया जाए। मगर हाय हिन्दुस्तान की जहालत ! कि हदीसें बयान कर के थक जाएं, समझा-समझा कर तंग आ जाएं, फिर भी इस ज़माने के ज़ेबभरू पीर और पेट भरू मौलवी और उन के जाहिल मुरीद और मोतक़िदों का क़ौल रद्द नहीं हो सकता। वे तो बराबर अपनी जहालत पर अड़े हुए हैं और ज़िद को छोड़ते नहीं, बल्कि नफ़्सानियत के बन्दे बने हुए है।

सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का एक मजमा मस्जिद में था। हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तिलावते कुरआन कर रहे थे। इतने में अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल मुनाफ़िक़ आया और अपनी गद्दी बिछा कर अपना तकिया लगा कर वजाहत से बैठ गया और था भी गोरा-चिट्ठा, बढ़-बढ़ कर फ़साहत के साथ बातें बनाने वाला।

कहने लगा, ऐ अबूबक्र रज़ि० ! तुम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कहो कि आप कोई निशान हमें दिखाएं, जैसे कि आप से पहले अंबिया निशानात लाये थे, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम तख़्तियां लाये थे, ईसा अलैहिस्सलाम इनजील लाये थे और आसमानी दस्तर ख़ान भी और दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर लाये थे, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ऊंटनी लाये थे।

हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यह सुनकर रोने लगे।

इतने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम भी घर से निकले तो अबूबक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दूसरे सहाबा से फ़रमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ताज़ीम के लिए खड़े हो जाओ और इस मुनाफ़िक़ की फ़रियाद दरबारे रिसालत में पहुंचाओ।

आपने फ़रमाया, सुनो ! मेरे लिए खड़े न हो जाया करो, सिर्फ़ अल्लाह ही के लिए खड़े हुआ करो।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 17, पृ० 4, सूरः अंबिया के पहले रुकूअ की तफ़्सीर में।

कुरआन शरीफ़ के दूसरे से पारे में सूरः बक़रः के इक्कीसवें रुकूअ में आयत न० 238 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – और अल्लाह के लिए बा-अदब खड़े रहा करो।

सही हदीसों में है कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के नज़दीक रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से ज़्यादा और कोई महबूब न था, यानी आप से ज़्यादा बाइज़्ज़त कोई न समझा जाता था, लेकिन आप को देख कर वह खड़े नहीं होते थे, जानते थे कि आप इसे मक्रूह समझते हैं।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 28, पृ० 12, सूरः मुजादला के दूसरे रुकूअ की तफ़्सीर में।

इतना समझाने पर भी आप की समझ में न आए, तो आप की जहालत पर सद अफ़सोस।

कुरआन शरीफ़ के पांचवें पारे में सूरः निसा के ग्यारहवें रुकूअ में आयत न० 80 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – जिसने रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की इताअत की, उसने अल्लाह की इताअत की।

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया–

'जिसने मेरा हुक्म माना, उसने अल्लाह का हुक्म माना और जिसने मेरी नाफ़रमानी की, उसने अल्लाह की नाफ़रमानी की।

हवाला –1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 12, पृ० 59, हदीस 208, किताबुल जिहाद,
2. तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 5, पृ० 70, सूरः निसा के ग्यारहवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

रूहे मुबारक आती है या नहीं ?

मेरे प्यारे दोस्त ! आप खूब समझ लें कि ये लोग मज्लिसे मीलाद में जो क़ियाम करते हैं, उन की समझ में यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उनकी हर मज्लिस में तशरीफ़ लाते हैं। अब सुनिए उनकी दलीलें और वज्हें।

पहली वजह – नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, अगर मज्लिसे मीलाद में आते हैं तो कब और कि वक़्त आते हैं ? इस का सबूत कोई नहीं दे सकता कि मज्लिसे मीलाद के शुरू होते ही आते हैं या आधी पढ़ लेने के बाद आते हैं या ख़त्म होने के बाद आते हैं ? अगर शुरू ही में आ जाते हैं तो पूरी मीलाद खड़े-खड़े पढ़नी चाहिए और अगर दर्मियान में आते हैं तो आधी मीलाद बैठ कर और आधी मीलाद खड़े हो कर पढ़नी चाहिए। आप ख़त्म होने के वक़्त ही तशरीफ़ लाते हैं, इस का सबूत ही कहां हैं? यह बात तो बिल्कुल बे-असल है, क्योंकि ये सारी बातें बग़ैर सबूत के अपनी तरफ़ से मीलाद पढ़नें वालों ने बनायी है।

दूसरी वजह – नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मज्लिसे मीलाद में अगर तशरीफ़ लाते हैं, तो खुद अपनी मुबारक मर्ज़ी से तशरीफ़ लाते हैं, या मीलाद पढ़ने वालों की मर्ज़ी पर आते हैं। आप किसी जाहिल से पूछेंगे, तो वह यही कहेगा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अगर तशरीफ़ लाएंगे, तो खुद अपनी मर्ज़ी से तशरीफ़ लाएंगे न कि मीलाद पढ़ने वालों की मर्ज़ी पर।

मेरे प्यारे दोस्त ! यहां पर सोचने की जगह यह है कि ये लोग जो खड़े होते हैं, वे अव्वल तो शरीअ़त के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं, क्योंकि शरीअ़त में इसकी कोई असल नहीं, बल्कि मना है।

दूसरी बात यह है कि मीलाद पढ़ने वाले खुद अपनी मर्ज़ी पर खड़े होते हैं, इससे तो यह मालूम हुआ कि ये मीलाद पढ़ने वाले लोग जब चाहें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को बुला लें, क्योंकि इन लोगों को देखा है कि कभी तो मीलाद को जल्दी से ख़त्म कर देते हैं और कभी आधी रात को करते हैं और कभी तो कहीं-कहीं सुबह को ख़त्म करते हैं। जब चाहें, क़ियाम करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को बुला लें। गोया नऊज़ु बिल्लाह ! हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलामु इन जाहिलों के ताबेअ हैं, जब ये चाहें आप को बुला लें, अल्लाह की पनाह ! कैसे जाहिल लोग है। शरीअत को छोड़ कर जहालत को मज़हब बना बैठे हैं और फिर ताज्जुब की बात तो यह है कि समझाने वालों को इस्लाम से ख़ारिज़ वह्हाबी और ग़ैर-मुक़ल्लिद समझते हैं। है कोई हद जहालत की ?

तीसरी वजह – ग़ौर करने के काबिल है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को

हाज़िर व नाज़िर समझ कर साल में कम से कम एक या दो बार मज्लिसे मीलाद अपने घर पढ़वाते हैं और पढ़ने वाले तो एक साल में सैकड़ों मीलादें पढ़ लेते हैं और कोई मज्लिसे मीलाद ऐसी नहीं होती कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को आते हुए समझ कर खड़े न होते हों, हर मीलाद में ये लोग क़ियाम करते हैं, फिर भी इन लोगों को आप देखिये कि फ़ैज़े रिसालत से महरूम हैं। मीलाद पढ़ाने वाले तो साल में एक दो बार ही पढ़वाते हैं, मगर खुद मीलाद पढ़ने वाले भी फ़ैज़े रिसालत से महरूम हैं, जो हर साल सैकड़ों मीलादें पढ़ लेते हैं। उन लोगों का हाल यह है कि वे नमाज़ तक नहीं पढ़ते और अगर नमाज़ पढ़ते है तो रोज़ा नहीं रखते और अगर नमाज़ और रोज़ा करते हैं तो शरीअत के मुताबिक़ शक्ल या लिबास नहीं होगा और अगर यह बात भी होगी तो अख़लाक़ तो शायद ही किसी के ठीक होगें।

इस बात का हम अपनी ज़ात से खूब अच्छी तरह तर्जुबा कर चुके हैं और आपको यक़ीन न हो, तो तर्जुबा कर के देख लीजिएगा। मज्लिसे मीलाद में क़ियाम करने वाले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुहब्बत का दावा करते हैं और मज्लिसे मीलाद में हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तश्रीफ़ लाने का यक़ीन भी करते हैं, फिर भी ये लोग फ़ैज़े रिसालत से महरूम क्यों , इसका हमें बड़ा अफ़सोस होता है।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मीलाद में आने की सनद हम को तो नहीं मिली, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मीलाद में आते ही नहीं, तो सनद कहां से मिलेगी ? और मीलाद पढ़ने का रिवाज भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वफ़ात के बाद न जाने कब हुआ ? और किस ने निकाला? अब जो नयी रस्म हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाद ईजाद की गयी हो उस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता ?

अगर यह मीलाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से साबित होती और आप ने फ़रमाया होता कि मै हर मज्लिसे मीलाद में क़ियाम के वक़्त हाज़िर हूंगा, तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम, जो अमली ज़िन्दगी में सारी दुनिया से आगे थे, वे रोज़ाना मीलाद पढ़ते और क़ियाम करते और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलवा कर फ़ैज़े रिसालत से सरफ़राज और मालामाल होते, लेकिन लगभग डेढ़-दो लाख सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम में से किसी ने भी मीलाद नहीं पढ़ी, जिस तरह हिन्दुस्तान में पढ़ी जाती है।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आने का जो सवाल है, तो ख़्वाब में आने के बारे में हदीसें हैं और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से अलग-अलग लफ़्ज़ों में नक़ल की गयी हैं, जिन को हम यहां पर बयान कर देते हैं और उन किताबों के हवालें भी बता देते हैं-

हदीस - हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि- 'जिसने मुझको ख़्वाब में देखा, उसने मुझ ही को देखा, क्योंकि शैतान मेरा हम शक्ल नहीं बनता और मोमिन का अच्छा ख़्वाब नुबुवत के छियालीस हिस्सों में से एक हिस्सा है।'

हवाला – 1. सही बुखारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 28, पृ० 442, हदीस 1882, किताबुर्रुअ्या,
2. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 3, पृ० 32, हदीस 143, किताबुर्रुअ्या,
3. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 124 हदीस 610, बाब 294, किताबुर्रुअ्या,
4. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 676, हदीस 4379, किताबुर्रुअ्या,
5. मज़ाहिरे हक़ जिल्द 4, पृ० 35, किताबुर्रुअ्या।
6. दारमी शरीफ़, पृ० 324, हदीस 2114, बाब 694, किताबुर्रुअ्या।

अब सुनिए ! शराब की तिजारत करने वाले भी मीलाद पढ़वाते हैं, जुए का अड्डा चलाने वाले भी मीलाद पढ़वाते हैं, सट्टे की बेटिंग लेने वाले भी मीलाद पढ़वाते हैं, सूद खाने वाले भी मीलाद पढ़वाते हैं, गाने-बजाने वाले भी मीलाद पढ़वाते हैं, खेल-तमाशे करने वाले भी मीलाद पढ़वाते हैं, जो रंडियां नाचने वाली हैं और जो उनको नचाते हैं, वे भी मीलाद पढ़वाते हैं, बाज़ारी औरतें और उनकी दलाली करने वाले भी मीलाद पढ़वाते हैं, दाढ़ी मुंडवाने वाले और नमाज़ न पढ़ने वाले भी मीलाद पढ़वाते हैं। ये लोग जितनी मीलाद पढ़वाने की पाबन्दी करते हैं, इतनी नमाज़ पढ़ने की पाबन्दी नहीं करते हैं तो क्या हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उन लोगों के घर भी आते हैं? आप अपने दिल से भी पूछ लीजिए, आपका दिल गवाही देगा कि हर गिज़ नहीं आ सकते, मगर ये जेब भरू पीर और पेट भरू मौलवी और मीलाद पढ़ने वाले वहां भी मीलाद पढ़ने को जाते हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की रूहे मुबारक को आयी हुई समझ कर क़ियामं करते हैं और झूम-झूम कर सलामी पढ़ते हैं। हद है कोई जिहालत की?

चौथी वजह – मज्लिसे मीलाद में ज़्यादा से ज़्यादा पचास या सौ रुपए ख़र्च होते हैं और कम से कम पांच या दस रुपए खर्च होते हैं। अब यहां पर सोचने की बात तो यह है कि इतना खर्च करने पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अगर हमारे घर तश्रीफ़ ले आएं तो ज़रा सोचो तो भाई साहब ! जो मालदार यानी अमीर लोग हैं, वे तो हर रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अपने घर बुलवाएं और फ़ैजे सालत से फ़ैजयाब हों, क्योंकि दुनिया में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मुहब्बत करने वाले ऐसे भी पड़े हैं, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुहब्बत में अपनी जान को जान नहीं समझते, तो फिर दौलत क्या चीज़ है ? मगर ये सब बातें बे-असल हैं।

पांचवी वजह – हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि-

अल्लाह तआला के फ़रिश्ते हैं। जो ज़मीन पर चलते फिरते हैं, वे मेरी उम्मत के सलाम मुझ तक पहुंचाते हैं।

हवाला - तफ़्सीरे इब्ने कसीर पारा 22, पृ० 33, सूरः अहज़ाब के सातवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

हदीस - हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियलल्लाहु अन्हु कहते हैं कि फ़रमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने-

'खुदा के फ़रिश्ते ज़मीन पर सफ़र करते रहते हैं, वे मरी उम्मत का सलाम मुझ तक पहुंचाते हैं'।

हवाला - 1. दारमी शरीफ़, पृ० 413, हदीस 2740, बाब 5167,
2. नसई शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 316, दरूद शरीफ़ का बयान,
3. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 196, हदीस 858, दरूद शरीफ़ का बयान,
4. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 298, दरूद शरीफ़ का बयान।

हदीस - हज़रत शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

'जुमा के दिन मुझ पर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पढ़ा करो, क्योंकि तुम्हारा दरूद मेरे सामेन पेश किया जाएगा।' (मुख़्तसर)

हवाला - इब्ने माजा शरीफ़ पृ० 174, हदीस 1097, नमाज़ का बयान।

हदीस - हज़रत औस रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि-

तुम्हारे दिनों में सब से अफ़ज़ल जुमा का दिन है, इसलिए उस दिन मुझ पर दरूद ज़्यादा भेजा करो, तुम्हारे दरूद मुझ पर पेश किये जाते हैं। (मुख़्तसर)

हवाला - अबूदाऊद शरीफ़, जिल्द 1, पारा 6, पृ० 398, हदीस 1034, बाब 358, जनाज़े का बयान,

हदीस - हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह कहते हुए सुना है कि-

अपने घरों को क़ब्रों की तरह न बनाओ और मरी क़ब्र पर ईद और खुशी न करो, अल-बत्ता मुझ पर दरूद भेजो, इसलिए कि तुम्हारे दरूद मेरे पास पहुंचते हैं, चाहे तुम कहीं भी हो।

हवाला - 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 196, हदीस 860, दरूद का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 299।

मेरे दोस्त ! हदीसों से तो यह साबित होता है कि हम जो दरूद व सलाम पढ़ते हैं, उस दरूद व सलाम को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तक फ़रिश्ते पहुंचा देते हैं, यह रसम जो मज्लिसे मीलाद में खड़े होकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की रूहे मुबारक को आयी हुई समझ कर सलामी पढ़ना और क़ियाम करना किसी तरह से भी साबित नहीं है तो कम से कम हदीसों की और फ़ुक़हाए किराम के फ़त्वों की तो लाज रखो। कहां तक जहालत में डूबे रहोगे।

यहां एक बात और भी ग़ौर के क़ाबिल है और वह यह कि एक तरफ़ तो यह कहा जाता

है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 'हाज़िर व नाज़िर' हैं, यानी हर जगह मौजूद हैं और सब कुछ आंखों से देखते हैं, 'हाज़िर व नाज़िर' के यही मायने तो हैं, हालांकि ये सिफ़्तें तो सिर्फ़ अल्लाह तआला ही की हैं।

तो अब सवाल यह है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हाज़िर व नाज़िर हैं, तो मज्लिस में तशरीफ़ लाने का क्या मतलब हुआ ? अब दो बातों में से एक को मानना और एक को छोड़ना ही होगा। या तो कहो मज्लिसे मीलाद में हुज़ूर तशरीफ़ लाते हैं, तो हाज़िर व नाज़िर नहीं, क्योंकि तशरीफ़ तो वही लाता है, जो पहले से मौजूद न हो और जो मौजूद और हाज़िर हो तो तशरीफ़ लाना कैसा और अगर हाज़िर व नाज़िर मानते हो तो मीलाद की महफ़िल में आना और आने पर क़ियाम करने के लिए पूरी की पूरी मज्लिस का उठ कर सलाम पढ़ना ग़लत हुआ। अब इसका फ़ैसला तुम खुद करो। ग़लत बात की खुसूसियत यही है कि वह पूरी फ़िट नहीं होती। कितना भी रंग व रोग़न चढ़ाओ, ग़लत-ग़लत ही रहेगी मेरे भोले भैया!

सलामी

हदीस – हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मुझ से कअ़ब बिन उज़रा ने मुलाक़ात की और कहा कि क्या मैं तुम को वह चीज़ हदया न दूं, जिसको मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुना है!

मैंने कहा, हम को वह ज़रूर हदया दें।

उन्होंने कहा कि हम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मालूम किया था कि- ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! आप पर और अह्ले बैत पर हम किस तरह दरूद भेजें ? अल्लाह तआला ने सलाम भेजने का तरीक़ा तो हम को सिखा दिया है।

आपने फ़रमाया इस तरह कहो-

अल्लाहुम-म सल्लि अला मुहम्मदिवं-व अला आलि
मुहम्मदिन कमा सल्लै-त अला इब्राही-म व अला
आले इब्राही-म इन्नका हमीदुम मजीद० अल्लाहुम-म
बारिक अला मुहम्मदिंव-व अला आलि मुहम्मदिन
कमा बारक-त अला इब्राहीम-म व अला आलि
इब्राही-म इन्न-क हमीदुम मजीद०

तर्जुमा – ऐ अल्लाह ! दरूद और रह्मते कामिल नाज़िल फ़रमा अपने हबीब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर और आप की औलाद पर ऐसे ही जैसे कि आप ने दरूद और रह्मते कामिल नाज़िल फ़रमायी इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और उनकी औलाद पर।

ऐ अल्लाह ! बरकत नाज़िल फ़रमा अपने हबीब मुम्हमद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम

पर और उनकी औलाद पर जैसा कि तूने बरकत नाज़िल फ़रमायी इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और उनकी औलाद पर, । बेशक आप तारीफ़ के क़ाबिल और बुज़ुर्ग हैं।

हवाला - 1. अबूदाऊद शरीफ़, जिल्द 1, पारा 3, पृ० 375, हदीस 963, बाब 334,
2. दारमी शरीफ़, पृ० 219, हदीस 1332, बाब 261,
3. नसई शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 318, दरूद शरीफ़ का बयान,
4. मिश्कात शररीफ़, जिल्द 1, पृ० 195, हदीस 853, दरूद शरीफ़ का बयान,
5. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 297, दरूद शरीफ़ का बयान।

ज़रा बताओ, वह कौन-सी सलामी थी, जो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम पढ़ते थे क्या वह यही सलामी थी जिसको आज के मीलाद पढ़ने वाले पढ़ते हैं ? या कोई और सलामी थी ? सुनिए हदीस शरीफ़।

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ नमाज़ पढ़ते तो तशहहुद में यह कहते थे-

अस्सलामु अलल्लाहि क़ब-ल अिबादिही, अस्सलामु अला
जिब्री-ल अस्सलामु अला मीकाई-ल अस्लामु अला फ़ुलानिन०

तर्जुमा - यानी अल्लाह पर सलाम है, बन्दों में पहले, जिब्रील पर सलाम है, मीकाईल पर सलाम है, और फ्लां (यानी फ़रिश्तों वग़ैरह) पर सलाम है।

पस एक दिन जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो हमारी तरफ़ मुतवज्जह होकर फ़रमाया- अल्लाह पर सलाम न कहो, क्योंकि अल्लाह खुद सलाम है, जब तुम में से कोई नमाज़ के अन्दर बैठे तो यह कहे-

अत्तहीय्यातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु अस्स-
लामु अलै-क अय्युहन्नबिय्यु व रह्मतुल्लाहि व ब-र-
कातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस्सा- लिहीन०

तर्जुमा - तमाम जिस्मानी और माली और क़ौली इबादतें सब अल्लाह ही के लिए हैं, सलामती और बरकत हो, ऐ नबी ! आप पर और रह्मतें नाज़िल हों आप पर और सलाम हो हमारे ऊपर और तमाम नेक बन्दों पर।

पस जो आदमी इन कलिमों को कहे, तो पहुंचती है भलाई, (सलामी) उसकी हर नेक बन्दों को, जो आसमान और ज़मीन में हैं और फिर इन कलिमात को आपने इन लफ़्ज़ों पर खत्म किया।

अशहदु अल-ला इला-ह हल्लल्लाहु व अशहदु अन-न
मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू०

तर्जुमा – मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद अल्लाह के बन्दे और रसूल हैं।

इसके बाद जो दुआ पसन्द हो, वह मांगे।

हवाला – 1. सही बुखारी शरीफ़, जिल्द 1, पारा 4, पृ० 192, हदीस 779, नमाज़ का बयान,
2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 64, हदीस 349, बाब 152, नमाज़ का बयान,
3. अबूदाऊद शरीफ़, जिल्द 1, पारा 6, पृ० 370, हदीस 955, बाब 333,
4. दारमी शरीफ़, पृ० 218, हदीस 1330, बाब 260,
5. इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 149, हदीस 912, नमाज़ का बयान,
6. नसई शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 320, दरूद शरीफ़ का बयान,
7. मिशकात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 194, हदीस 844, दरूद शरीफ़ का बयान,
8. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 293, दरूद शरीफ़ का बयान।

यह है वह सलामी, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को सिखायी थी, जिस पर आज तक बराबर अमल हो रहा है और क़ियामत तक अल्लाह के नेक बन्दे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मुहब्बत करने वाले करते रहेंगे। नमाज़ का पढ़ना फ़र्ज और सलामी का पढ़ना वाजिब और उस को पढ़ने के लिए बैठना वाजिब या फ़र्ज़, अगर क़ादा-ए-ऊला है तो बैठना वाजिब है और अगर क़ादा-ए-अख़ीरा है तो बैठना फ़र्ज़ और तशह्हुद का पढ़ना वाजिब है और आजकल जो नक़ली सलामी पढ़ी जाती है, वह दुनिया वालों की तरफ़ से बनायी गयी है, उस के लिए खड़ा होना फ़र्ज़ ही नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा अहमियत उन जाहिलों ने दे रखी है। अगर कोई नमाज़ न पढ़े तो कोई उस पर लान-तान नहीं करेगा, लेकिन अगर मीलाद या वाज़ के बाद खड़े होकर सलामी न पढ़ी जाए या कोई मज्लिस में खड़ा न हो तो उस की जान लेने तक की नौबत आ जाती है, गोया फ़र्ज़ नमाज़ से भी इस सलामी की अहमियत ज़्यादा है। है कोई हद जहालत की।

जिस आदमी के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ज़ुबाने मुबारक के ये लफ़्ज़ मौजूद हैं और आप फ़रमाते हैं कि तुम यह सलामी–

(अस्सलामु अलैना व अला अिबादिल्लाहिस्सालिहीन०)

पढ़ो। जब ये लफ़्ज़ जबान से निकलते हैं तो ज़मीन व आसमान में कोई नेक रूह ऐसी बाक़ी नहीं रहती, जिस को आप की सलामी न पहुंचती हो। सुब्हानल्लाह! अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम और तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम के उम्मतियों को भी इस सलामी में ले लिया है और उन के अलावा कोई सहाबी, कोई उम्मती और कोई वली ऐसा नहीं जिस को नमाज़ पढ़ने वालों की सलामी न पहुंचती हो, मर्द हो या औरत, यहां तक कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रहती दुनिया तक जो भी नेक

रूहें होने वाली हैं, उन सब को सलामी पहुंचती है। अब आप खुद ही इंसाफ़ करें कि जिस सलामी के पढ़ने के लिए आठ आठ किताबों के हवाले मौजूद हैं, उसे छोड़ कर एक रस्म की पाबन्दी पर मर मिटना कौन-सी ईमानदारी और अक्लमंदी की दलील है ? ये जेबभरू पीर और पेट भरू मौलवी जहां तालीम हासिल करते हैं वहां पर यानी उन के मदरसों में, जबकि क़ुरआन का दर्स ख़त्म होता है या हदीस का दर्स ख़त्म होता है या अदब व फ़िक़्ह की किताब का दर्स ख़त्म होता है, तो वहां पर न तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तशरीफ़ लाते हैं और न ये लोग खड़े होकर सलामी पढ़ते हैं और रस्मी मीलाद के मुक़ाबले की जगह से मदरसों की जगह बहुत ऊंची है और रस्मी मीलाद के मुक़ाबले में दर्से क़ुरआन और दर्से हदीस तो सुब्हानल्लाह! क्या कहना! सारे दीन का दारोमदार ही इन दोनों पर है। इन से कोई इतना तो पूछे कि मौलवी साहब! आप खुदा के वास्ते सच और सही-सही बताइए कि आपको आप के उस्ताद ने क़ुरआन के दर्स में खड़े होकर सलामी पढ़यी है या ख़त्मे हदीस के दर्स पर सलामी पढ़ायी है ? तो जवाब यही मिलेगा कि नहीं।

क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम दर्से क़ुरआन और दर्से हदीस में नहीं आते? सिर्फ मीलाद में आते हैं ? तो गोया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के नज़दीक क़ुरआन व हदीस की क़द्र नहीं है और रस्मी मीलाद की क़द्र है। अल्लाह की पनाह! किस कदर जहालत है कि समझाए नहीं समझते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के नजदीक इस सलामी की अहमियत कितनी थी, इस का अन्दाज़ा इस हदीस से आप लगाएं।

हदीस – हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि अल्लाह के रूसल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हम को इस तरह तशह्हुद सिखाते थे, जिस तरह क़ुरआन की कोई सूरः।

हवाला – 1. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 65, हदीस 350, बाब 152, नमाज़ का बयान
2. तिर्मिज़ी शरीफ़ जिल्द 1, पृ० 60, हदीस 257, नमाज़ का बयान।
3. इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 150, हदीस 915, नमाज़ का बयान,
4. नसई शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 315, तशह्हुद इस तरह सिखाया, जैसे क़ुरआन की आयत,
5. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 194, हदीस 845, तशह्हुद का बयान,
6. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 294, तशह्हुद बयान।

सोचिए और ग़ौर कीजिए, जो सलामी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सहाबा किराम रिज़्वानुन्नाहि अलैहिम अज-मई को सिखायी है, वह इस तरह सिखाते थे, जिस तरह क़ुरआन की तालीम देते थे, ताकि इस सलामी को खूब-खूब अहमियत दी जाए और किसी हालत में भी तर्क न किया जाए। अब ज़ो लोग नमाज़ी हैं और पांचों नमाज़ें अदा करते हैं और पांचों

वक़्त सलामी पढ़ते हैं, फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत और नवाफ़िल वग़ैरह मिल कर लगभग चौबीस घंटे में अड़तालीस रक्अतें हैं और उनके कुल पचास क़ादे होते हैं, तो हर नमाज़ी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और तमाम नबियों को और तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम के उम्मतियों को और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पूरी उम्मत को हर रोज़ पच्चीस बार सलामी भेजता है। यह रस्मी इन मीलाद पढ़ने वालों की नज़र में नहीं आती, बल्कि उनकी बनायी हुई सलामी कोई खड़ा होकर न पढ़े , तो वह वह्हाबी, काफ़िर, बे-दीन और जहन्नमी समझा जाता है जिस तरह ये जाहिल लोग खड़े होकर जमाअत के साथ राग-रागनी वाली सलामी पढ़ते हैं, इस तरह अगर कोई आदमी न पढ़े तो वह इन जाहिल जेबभरू पीर और पेटभरू मौलवी के क़ौल के मुताबिक़ वह्हाबी, काफ़िर,बे-दीन और जहन्नमी है, तो फिर लगभग डेढ़-दो लाख सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम और ताबिईन रहिमहुमुल्लाह तआला व तबअ ताबिईन रहिमहुमुल्लाहु तआला यहां तक कि बड़े पीर सैयद अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैहि, ये सब के सब वह्हाबी साबित हो गये। चूंकि इन बुज़ुर्गों ने खड़े होकर इन जाहिलों की सी सलामी नहीं पढ़ी है। अगर आप इन बुज़ुर्गों को मानते हैं तो तौबा कर लें और अगर इन तमाम बुज़ुर्गों को नअज़ुबिल्लाह वह्हाबी और बे दीन समझते हैं तो अब आप खुद ही अपनी जहालत का अन्दाज़ा लगा लें।

क़ुरआन करीम के छब्बीसवें पारे में सूरः हुजुरात के पहले रुकूअ में आयत न० 1 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - ऐ ईमान वालो ! अल्लाह और उस के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आगे पेशक़दमी न करो और अल्लाह से डरो, अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है।

यह ईमान वालों का पहला और बुनियादी तक़ाज़ा है कि जो आदमी अल्लाह को अपना रब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अपना हादी और पेशवा मानता हो, वह अगर अपने इस अक़ीदे में सच्चा है, तो उस का तरीक़ा यह नहीं होना चाहिए कि अपनी राय और ख़्याल मुक़द्दम रखे, न इन मामलों में आज़ादाना राय क़ायम करे, न उन के फ़ैसले अपने आप तोड़ डाले और क़ुरआन व हदीस की कोई परवाह न करे, इसलिए हुक्म हो रहा है कि ऐ ईमान वालो ! अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आगे पेशक़दमी न करो, यानी उन से आगे बढ़ कर न चलो, बल्कि पीछे चलो, मुक़द्दम न बनो, बल्कि ताबेअ बन कर रहो।

क़ुरआन मजीद के छब्बीसवें पारे में, सूरः हुजुरात के पहले रुकूअ में आयत न० 2 में अल्लाह तआला इर्शा फ़रमाता है-

तर्जुमा - ऐ ईमान वालो ! अपनी आवाज़ नबी की आवाज़ से ऊंची न करो उनसे ऊंची आवाज़ में बात न करो, जैसे आपस में एक दूसरे से बात करते हो, वर्ना तुम्हारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे और तुम्हें ख़बर भी न होगी।

ईमान वालों को अल्लाह तआला फ़रमा रहा है कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अपनी आवाज़ों को बुलन्द न करो, बल्कि आप के सामने इस तरह भी न बोलो, जिस तरह तुम लोग आपस में एक दूसरे के सामने बोलते हो, अगर इस अदब में ज़रा भी कमी हुई तो याद रखो, तुम्हारा ईमान और सारी नेक कमाई ख़त्म हो जाएगी और तुम को पता तक भी नहीं चलेगा। हाजी साहिबान जो हज को जाते हैं और मदीना मुनव्वरा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के रोज़ा -ए-पाक पर हाज़िरी देते हैं, तो वहां भी बुलन्द आवाज़ से पढ़ने की इजाज़त नहीं है और यही आयते करीमा ठीक उसी जगह पर लिख कर लगायी गयी हैं, जहां पर हुज्जाजे किराम सलामी पढ़ते हैं, तो रोज़ा-ए-अक़्दस पर भी बुलन्द आवाज़ से कुछ भी न पढ़ा जाए, वरना तुम्हारे सारे आमाल ज़ब्त कर लिये जाएंगे और तुम्हें पता भी न चलेगा और अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मज्लिसे मीलाद में नहीं आते, तो फिर खड़े होने का क्या मतलब?

ऐ किताब पढ़ने वालो ! खुदा के वास्ते इंसाफ़ करो कि ये लोग जो रस्मी मीलाद की मज्लिस के खड़े होकर सलामी पढ़ते हैं वे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को हाज़िर यानी मज्लिसे मीलाद में तशरीफ़ फ़रमा समझ कर खड़े होते हैं। अगर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मज्लिसे मीलाद में बक़ौल मीलाद ख़्वां के आते हैं तो उन को ख़ामोश हो जाना चाहिए, क्योंकि ख़ामोश होने का हुक्म ख़ुदा का है। हमारे घर पर अगर कोई अच्छा नामवर आलिम आ जाता है या कोई पीर व मुर्शिद आ जाता है, तो सब के सब चुपचाप और अदब से बैठे हुए नज़र आते हैं, गोया कि सब को सांप सूंघ गया हो और जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम महफ़िल में आ जाएं, तो अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ ऐसा चीख़-चीख़ कर सलामी पढ़ते हैं कि वुज़ू भी टूट जाए। अब आप ही बताएं कि हक़ किधर है।, क़ुरआन करीम की मुख़ालफ़त करने वाला भी कोई हश्र के मैदान में अबदी सआदत हासिल कर सकता है ?

क़ुरआन करीम के छब्बीसवें पारे में सूरः हुजुरात के पहले रुकूअ में आयत न० 3 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - जो लोग पैग़म्बरे खुदा के सामने दबी आवाज़ से बोलते हैं खुदा ने उन के दिल तक़्वा के लिए आज़मा लिये हैं, उनके लिए बख़्शिश और बड़ा बदला है।

अल्लाह तबारक व तआला आप के सामने आवाज़ पस्त करने की रग़बत देता है फ़रमाता है, जो लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सामने अपनी आवाजें धीमी करते हैं, उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तक़्वा के लिए ख़ालिस कर लिया है। अह्ले तक़्वा और महल्ले तक़्वा यही लोग हैं, यह खुदा की मग़्फ़िरत और बड़े अज्र के लायक़ हैं।

हवाला- तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 26, पृ० 75, सूरः हुजुरात के पहले रुकूअ की तफ़्सीर में।

कुरआन करीम के बाईसवें पारे में सूरः इहज़ाब के तीसरे रुकूअ आयत न० 56 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो! तुम भी उन पर दरूद व सलाम भेजो।

इस आयते करीमा में 'सल्लू' का लफ़्ज़ पहले है और नबी का लफ़्ज बाद में है। सल्लू का मतलब सलाम या रहमत के होते हैं, तो इस आयत में पहले सलाम है और बाद में कलाम है और जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को मेराज शरीफ़ हुई और आप अल्लाह के दरबार में जाने लगे तो आप अपनी ज़ुबाने मुबारक से कहने लगे–

'अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तैयिबातु'

(यानी ऐ अल्लाह! मेरी ज़ुबानी इबादतें, मेरी जिस्मानी इबादतें, मेरी माली इबादतें सब तेरे लिए हैं), तो उसके के जवाब में अल्लाह तआला ने फ़रमाया–

अस्सलामु अलै–क अय्युहन्नबिय्यु (हमारा सलाम आप पर, ए नबी!)

इस हदीस के सबूत में हम पहले आठ किताबों के हवाले दे चुके हैं। इस हदीस से हम को यह समझना है।

कि अल्लाह तआला पहले सलाम भेजते हैं, बाद में कलाम करते हैं। अब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ज़ुबाने मुबारक का इर्शाद किया हुआ फ़त्वा सुनिए–

हदीस – हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया–

'कलाम करने से सलाम करना चाहिए।'

हवाला – 1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 112, हदीस 558, आदाब का बयान,

2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 682, हदीस 4421, सलाम का बयान,

3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 51, सलाम का बयान,

'पहले सलाम करे, बाद में बात–चीत करे।

हवाला – 1. ऐनुल हिदाया, जिल्द 4, पृ० 345, कराहत का बयान,

2. फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 4, पृ० 278, कराहत का बयान,

3. ग़ायतुल अवतार, उर्दू तर्जुमा दुर्रे मुख़्तार, जिल्द 4, पृ० 240, किताबुल ख़तर।

मेरे मोह्तरम किताब पढ़ने वाले अब इंसाफ़ कर कि कुरआन का फ़त्वा है, पहले सलाम, बाद में कलाम। खुदावंदे करीम का क़ौल है, पहले सलाम बाद में कलाम।

हदीस में आया है, पहले सलाम बाद में कलाम।

फ़िक़्ह का फ़त्वा है, पहले सलाम, बाद में कलाम और ये मीलाद ख़्वां हज़रात जो सलामी

पढ़ते हैं, उस में पहले कलाम है, बाद में सलाम। देखिए इन साहिबों की सलामी 'या नबी सलाम, अलैकुम, या रसूल सलामु अलैकुम, या हबीब सलामु अलैकुम, सलवातुल्लाहि अलैकुम' कुरआन के खिलाफ, अल्लाह के कौल के ख़िलाफ़ हदीस के ख़िलाफ फ़िक्ह के ख़िलाफ़ अमल करके अपने आप को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मुहब्बत करने वाला समझते हैं। हद है कोई जहालत की !

जिस वक़्त ये लोग सलामी पढ़ते हैं, उस वक़्त इन जाहिलों को अजीब रंग-ढंग और जोश होता है, उसी जोश में सलामी के दर्मियान गालियां भी देने लगते हैं, सुनिए :-

सुन्नियों का हो बोल बाला,
वह्हाबियों का हो मुंह काला,
या नबी सलामु अलैकुम।

ईमानदार और अक्लमंद इन्सान सोचें कि हुज़ूर नबी करीम सल्ललहु अलैहि व सल्लम के सामने बुलन्द आवाज़ भी मना है, वहां पर ये लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को हाज़िर व नाज़िर समझते हुए भी ऐसी हरकतें करते हैं, मख़्लूके खुदा को गालियां देते हैं और अपने आप को ऊंचे दर्जे का सुन्नी समझते हैं।

अगर कोई इन्सान समझना चाहे, तो उसके लिए कुरआन व हदीस और फ़िक्ह की किताबों के हवाले नम्बर मौज़ूद हैं और अगर कोई इन्सान अपनी जहालत ही पर चलना चाहे, तो यह उसकी मर्ज़ी है, जो चाहे सो करे। समझाना हमारा काम था मानना या न मानना यह उसकी मर्ज़ी की बात है और हिदायत का देना न देना यह अल्लाह के अख़्तियार की बात है।

जनाज़े के साथ मीलाद

कहीं-कहीं देखा गया है कि जब कहीं मय्यत हो जाती है, तो ये मीलाद पढ़ने वाले मीलाद को नजाज़ें के साथ सवाब समझ कर पढ़ते हुए जाते हैं। मेरा अपना भी यही हाल था, क्योंकि मैं पहले बयान कर चुका हूं कि मेरी पैदाइश रस्मों में हुई थी और मैं जवान भी इन्हीं रस्मों में हुआ, तो हमारे कुंबा और हमारी जमाअत वाले जैसा करते थे, और कहते थे मैं भी वही कहता और करता था। अब सुनिए जनाज़े के साथ क्या करना चाहिए ? 'मक्रूह है जनाज़े के साथ बुलन्द करना आवाज़ का ज़िक्र या क़ुरआन की क़िरात में।

हवाला – ग़ायतुल अवतार, उर्दू तर्जुमा दुर्रे मुख़्तार, जिल्द 1, पृ० 419, जनाज़ें का बयान।

'जनाज़े के साथ आवाज़ का बुलन्द करना ज़िक्र हो या क़ुरआन की क़िरात, मक्रूह है।'

हवाला – ऐनुल हिदाया, जिल्द 4, पृ० 316, कराहत का बयान।

'जो लोग जनाज़े के साथ जाते हैं, उन को ख़ामोश रहना चाहिए और ज़िक्र और क़ुरआन

की किरात में आवाज़ का बुलन्द करना उनको मकरूह है।'

हवाला – फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 1, पृ० 228, जनाज़े का बयान।

अब आप ही बताएं कि मौलूद का जनाज़े के साथ पढ़ना सवाब है या अज़ाब ? शरीअत है या जहालत ? जब कुरआन शरीफ़ और खुदा का ज़िक्र ऊंची आवाज़ से जनाज़े के साथ पढ़ना मना है, तो फिर मौलूद का पढ़ना जनाज़ के साथ बुलन्द आवाज से कैसे जायज़ होगा ? हरगिज़ नही।

'अल्लाह का ज़िक्र करना चाहे, तो दिल में ज़िक्र करे।

हवाला – फ़तावा आलमगीरी, जिल्द, 1 पृ० 228, जनाज़े का बयान।

ये तो हैं फ़ुक़हा–ऐ किराम के फ़त्वे। अब आप खुद ही हमारे कुछ मुसलमान भाइयों की जहालत का अन्दाज़ा कर लीजिए।

मौलूद की मज्लिसें और मज्लिसों के फ़ज़ाइल

मौलूद के लुग़त के एतबार से मयाने हैं पैदा होने की जगह, वह जगह जहां पैदा हुआ हो, वतन, जाए पैदाइश, वक्ते पैदाइश और इस के मयाने पैदाइश के भी हैं, और मीलाद के मयाने भी पैदाइश के हैं और मौलूद के मयाने बच्चे के हैं और मज्लिस के लुग़त के एतबार से मयाने हैं बैठने की जगह, वह जगह जहां लोग जमा हों।

अब हिन्दुस्तान की जहालत को देखिए कि कुछ लोग मज्लिसे मौलूद राग–रागनी के क़सीदे पढ़ने को समझते हैं। अगर बजाए इस मीलाद पढ़ने के अल्लाह की हम्द व सना बयान करते या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शाने मुबारक का बयान करते या आप की मुबारक ज़िन्दगी का हाल बयान करते या शरीअत के हुक्म और ईमान व अमल लोगों को सिखलाते दुनिया से नफ़रत दिलाते और आख़िरत में जो नेमतें मिलने वाली हैं, उनका शौक़ और रग़बत दिलाते और रस्म व रिवाज से नफ़रत दिलाते, बुरे कामों से रोकते और फ़िज़ूल खर्च करने से मना करते, आपस में इत्तिफ़ाक़ और मुहब्बत से रहने की ताकीद करते और निफ़ाक़ से लोगों को रोकने की कोशिश करते, नमाज़ व रोज़े की पाबन्दी खुद भी करते और दूसरों को भी ताकीद करते, तो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि इन बातों से इस्लाम ताज़ा और ज़िन्दा रहता है, और मुसलमान भाइयों में समझ पैदा होने से जहालत दूर होती हैं सिर्फ़ क़सीदों से पढ़ने से खुद पढ़ने वाले भी शरीअत की पाबन्दी से महरूम हैं, तो वे दूसरों को क्या हिदायत कर सकते हैं?

हदीस – हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बयान किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि कुछ फ़रिश्ते रास्तों में अल्लाह का ज़िक्र करने वालों को ढूंढ़ते फिरा करते हैं और जब उनको अल्लाह का ज़िक्र करने वाले मिल जाते हैं, तो वे अपने साथी फ़रिश्तों को पुकारते हैं कि आओ अपनी हाजत की तरफ़।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, फिर ये फ़रिश्ते उन लोगों को अपने परों

से ढांक लेते हैं और पहले आसमान तक तह ब तह पहुंच जाते हैं, ज़िक्र की मज्लिस ख़त्म होने के बाद जब फ़रिश्ते अपनी जगह पर पहुंचते हैं तो अल्लाह तआला उन से मालूम करता है, हालांकि वह उनसे ज़्यादा जानता है कि मेरे बन्दे क्या कर रहे थे ?

ये कहते हैं ! तेरी तस्बीह व तक़्दीस और हम्द व सना बयान कर रहे थे।

खुदावन्द तआला बयान फ़रमाता है कि ऐ फ़रिश्तों ! क्या उन्होंने मुझको देखा है ?

फ़रिश्ते कहते हैं कि नहीं वल्लाह !उन्होंने तुझको देखा नहीं है।

अल्लाह तआला फ़रमाता है, फिर अगर वह मुझको देखते तो क्या होता?

फ़रिश्ते कहते हैं, अगर वह तुझ को देख लेते तो निहायत शिद्दत से तेरी हम्द व सना और तस्बीह व तक़्दीस करते।

फिर अल्लाह तआला फ़रमाता है, ऐ फ़रिश्तों ! वे मुझ से किस चीज़ का सवाल करते हैं?

फ़रिश्ते कहते हैं, वे तुझसे जन्नत मांगते हैं।

अल्लाह तआला फ़रमाता है, क्या उन्होंने जन्नत को देखा है, जो उस की तलब करतेहैं।

फ़रिश्ते कहते हैं कि नहीं देखा है।

अल्लाह तआला फ़रमाता है, अगर वे जन्नत को देख लेते तो क्या होता ?

फ़रिश्ते कहते हैं, अगर उस को देख लेते तो बहुत शिद्दत से उस की ख़्वाहिश करते।

फिर अल्लाह तआला फ़रिश्तों से कहता है कि वे पनाह किस चीज़ से मांगते हैं।

फ़रिश्ते कहते हैं, दोज़ख़ से वे लोग पनाह मांगते हैं।

अल्लाह तआला फ़रमाता है, क्या उन्होंने दोज़ख़ को देखा है?

फ़रिश्ते कहते हैं कि नहीं।

अल्लाह तआला फ़रमाता है, उस को देख लेते तो क्या होता ?.

फ़रिश्ते कहते हैं, अगर उस को देख लेते तो उससे भागते और बहुत ही ख़ौफ़ करते।

फिर अल्लाह तआला फ़रमाता है, ऐ फ़रिश्तो ! मैं तुम्हें गवाह करता हूं कि मैंने उन लोगों को बख़्श दिया। फिर उन फ़रिश्तों में से एक फ़रिश्ता कहता है कि उन ज़िक्र करने वाले लोगों में एक आदमी ज़िक्र करने वालों में से नहीं था, बल्कि किसी ज़रूरत से वहां आ गया था।

अल्लाह तआला फ़रमाता है, वे ऐसे लोग हैं, जिन का हमनशीन (साथ उठने-बैठने वाला) महरूम नहीं रहता, (यानी वे अल्लाह तआला का ज़िक्र करने वाले और उस ज़िक्र को दिल व जान से सुनने वाले ऐसे मर्तबे के मुबारक लोग हैं। अल्लाह जल्ल शानुहू के नज़दीक उनके साथ बैठने वाला भी बख़्श दिया जाता है)।

हवाला – 1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 26, पृ० 307, हदीस 1327, दुआ का बाब,
2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 196, हदीस 964, बाब 454, दुआ का बाब,
3. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 346, हदीस 1448, दुआ का बाब,
4. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 372, हदीस 2143, ज़िकरूल्लाह का बयान,
5. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 250, ज़िकरूल्लाह का बयान।

हदीस – हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया–

जब बहिश्त के बाग़ों (की तरफ़) से गुज़रो, तो चर लिया करो।

लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मालूम किया कि बहिश्त के बाग़ों से क्या मुराद है ?

आपने फ़रमाया कि ज़िक्रे इलाही करने वालों के हलक़े (यानी ज़िक्रे इलाही करने वालों की मज्लिस, जन्नती मज्लिस है।)

हवाला – तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 324, हदीस 1360, दुआ का बयान।

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत अबूसईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दोनों गवाही देते हैं कि रसूलुल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया–

हर वह जमाअत जो अल्लाह का ज़िक्र करती है, उसको फ़रिश्ते आ कर घेर लेते हैं और रहमते इलाही आ कर उन को ढांप लेती है और उन पर क़ल्ब का इत्मीनान नाज़िल होता है और अल्लाह तआला उनका ऊंचे दर्जे के फ़रिश्तों में जिक्र करता है।

हवाला – 1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 287, हदीस 1230, दुआ का बयान,
2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 371, हदीस 2137, ज़िक्रे इलाही का बयान,
3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 247, ज़िक्रे इलाही का बयान।

हदीस – हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने

जिस वक़्त गुज़रो तुम बहिश्त के बाग़ों से, पस मेवे खाओ।

सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने पूछा, जन्नत के बाग़ क्या हैं ?

फ़रमाया, ज़िक्रे इलाही के हल्के।

हवाला – मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 374, हदीस 2147, ज़िक्रे इलाही का बयान।

क़साइद की मज्लिसें

ऐ प्यारे दोस्त मेरे ! आप ने अल्लाह तआला का ज़िक्र करने वालों और सुनने वालों की फ़ज़ीलत का बयान तो सुन लिया और इस फ़ज़ीलत का कोई इन्कार नहीं कर सकता, क्योंकि हदीसों से साबित है और राग-रागनी से जमा हो कर दो-चार आगे और दस-बारह पीछे । जवाब देने वालों की मज्लिस का सवाब हमें किसी किताब में भी नज़र नहीं आया, बल्कि इस की तो मुमानिअत लिखी है सुनिए फ़त्वा-

'शामी के हवाले से लिखा है कि बुरा है मन्नत करना मूलिद के पढ़ने का मीनारों में कि उसमें राग और लग़्व होता है और उसका सवाब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को बख़्शा जाता है ।'

हवाला - ग़ायतुल अवतार उर्दू तर्जुमा दुर्रे मुख़्तार, जिल्द 1, पृ० 537, किताबुस्सियाम ।

देखा मेरे प्यारे दोस्त ! इस में तो यह लिखा है कि ऐसी मीलाद, जिस में राग और लग़्व हो, उसके पढ़ने का कुछ भी सवाब नहीं है । अब हमारी जहालत को देखिए कि मीलाद पढ़ने वाले मीलाद पढ़ाने वालों को एक साल की बरकत का सवाब बताते हैं ।

कुछ ख़ुदग़रज़ लोग अपने वाज़ में जाहिल, अनपढ़ और ग़रीब लोगों को समझाते हैं कि जो आदमी अपने घर में मीलाद पढ़वाता है । उस के घर में अल्लाह तआला एक साल की बरकत नाज़िल फ़रमाता है । यह किस मौलवी प॰ वह्य उतरी थी कि मीलाद पढ़ाने वाले के घर में एक साल तक बरकत ख़त्म नहीं होती । इन लोगों की बातें सुन कर बेचारे भोले, अनजान लोग हर साल में एक मीलाद का पढ़वाना ज़रूरी समझते हैं और मीलाद पढ़वाने की पाबन्दी ऐसी सख़्त करते हैं कि जिस महीने और जिस दिन अगली साल को मीलाद पढ़ायी थी, हर साल उसी दिन और उसी महीने में पढ़ाते हैं, ताकि घर में बरकत ख़त्म न हो जाए, और यही लोग नमाज़-रोज़े की पाबन्दी नहीं करते लेकिन मीलाद की तो तारीख़ टलनी ही नहीं चाहिए, इसीलिए कुछ गांवों में लोगों की तरफ़ से तारीख़ मुक़र्रर होती है कि इस तारीख़ को मीलाद पढ़ने वाले सिवाए उस घर के और किसी के घर पर मीलाद पढ़ने को नहीं जा सकते । अब यह बात कैसे मानी जाए कि मीलाद पढ़वाने वाले के घर में एक साल तक बरकत कम नहीं होती । ये सब बनायी हुई बातें और गप हैं, क्योंकि हनफ़ी मस्लक की मोतबर और मुस्तनद किताबों में तो ऐसी मीलाद कि जिस में राग व रागनी और लग़्व हो, पढ़ने और सुनने की भी मुमानिअत लिखी है और अपने आप को हनफ़ी कहने वाले मुसलमान भाइयों को देखिए कि वे अमल क्या करते हैं, हालांकि ये लोग जो मीलाद पढ़ने वाले हैं, वे सब आपने आपको ऊंचे दर्जे का सुन्नी और हनफ़ी समझते हैं ।

अब सुनिए दूसरा फ़त्वा ।

'जो लोग मज्लिसे मीलाद में राग के शेर पढ़ते हैं, तो पढ़ना और सुनना हराम है और

पढ़ने वालों पर भारी ख़तरा है (कुफ़्र का)।

हवाला – ऐनुल हिदाया, जिल्द 4, पृ० 224, कराहत का बाब।

मेरे प्यारे दोस्त ! शेर व अश्आर का पढ़ना जायज़ है, चाहे अल्लाह तआला की हम्द व सना में हो या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शाने मुबारक में हो या किसी सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हुम की शान में हो या किसी वली की शान में, या इस्लाम की सच्चाई के बारे में हो, मगर इतना ख़्याल रहे कि शरीअत से टकराता न हो, यानी शरीअत का कुछ कहना हो और अश्आर का मज़्मून व मतलब कुछ और हो, तो ऐसे अश्आर इन्सान को कुफ़्र तक पहुंचा देते हैं।

हदीस – हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फ़रमते है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया

यक़ीनन अश्आर में कुछ ऐसे होते हैं, जो हिक्मत की बातों से भरे होते हैं।

हवाला – 1. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 132, हदीस 704, अब-वाबुल आदाब,
2. इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 561, हदीस 3755, अदब का बयान।

इस हदीस के आलावा और भी इस क़िस्म की हदीसें हैं, जिन से साबित होता है कि शेर व अश्आर पढ़ना जायज़ है, मगर कभी भी ऐसा न हो कि शेर व शायरी में ऐसा लग जाए कि दीन की ज़रूरतों के मसाइल से भी ग़ाफ़िल हो जाए, मगर हाय हिन्दुस्तान की जहालत ! तूने हमें बर्बाद कर दिया। आज गाने-बजाने वाले और मज्लिसों में क़सीदे पढ़ने वाले शेर व शायरी का मुशायरा कराने वाले अक्सर ऐसे देखे गये हैं कि नमाज़ तक नहीं पढ़ते, ऐसे लोगों के लिये जो धमकी आयी है, वह भी सून लो–

क़ुरआन करीम के उन्नीसवें पारे में सूर: शुअरा के ग्यारहवें रुकूअ में आयत न० 225-226 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – 'क्या तूने नहीं देखा कि शायर हर एक मैदान में सर टकराते फिरते हैं और वह कहते हैं, जो करते नहीं।'

जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अज-मईन की नेक जमाअत के साथ अरज में जा रहे थे। एक शायर शेर पढ़ता हुआ मिला।

आप ने फ़रमाया, इस शैतान को पकड़ लो। तुम में से कोई आदमी ख़ून और पीप से अपना पेट भर ले, यह इससे बेहतर है कि वह शेअरों से अपना पेट भर ले। इन्हें जंगल की ठोकरें खाते किसने नहीं देखा ? हर लग़्व में ये घुस जाते हैं, कलाम के हर फ़न में बोलते हैं, कभी किसी की तारीफ़ में ज़मीन व आसमान के कुलाबे मिलाते हैं, कभी किसी की मज़म्मत में आसमान ज़मीन सर पर उठाते हैं, झूठी तारीफ़ें, खुशामदाना बातें, झूठी बुराइयां,, गढ़ी हुई बदियां इनके हिस्से में आयी हैं ये ज़ुबान के भांड़ होते हैं, लेकिन काम के काहिल।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 19, पृ० 55, सूरः शुअरा के ग्यारहवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

हदीस – हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि नबी अनवर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया–

तुम्हारा पेट अगर फेफड़े तक पीप से भर जाए, तो यह इससे अच्छा है कि शेअर उस में भर जाए।

हवाला – 1. इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 561, हदीस 3759, अदब का बयान,
2. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 133, हदीस 711, अदब का बयान।

हदीस – हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है–

पेट को क़ै से भर लेना,, जो पेट को ख़राब कर दे, इस से बेहतर है कि उस में शेअर को भरे। (शेअर से मुराद बुरा शेअर है)

हवाला – 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 697, हदीस 4557 शेअर की मज़म्मत में,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 87, शेअर की मुज़म्मत में।

ऐ मेरे प्यारे दोस्ते ! अब आप खुद तह्क़ीक़ कर लेना हम ने तो तह्क़ीक़ कर के फिर किताब लिखनी शुरू की है। जो लोग मीलाद पढ़ने और पढ़ाने वाले हैं और गाने वाले हैं शेअर व अश्आर का मुशायरा करने वाले और कराने वाले हैं, उन में से ज़्यादा तर लोग आप को ऐसे मिलेंगे, जिन को दीन की ज़रूरतों में इस्तिंजे का मस्अला भी याद नहीं होगा, नमाज़ रोज़े और दूसरे फ़राइज़ और वाजिबात के मसाइल तो अलग रहे।

और कभी-कभी तो ये मजालिस करने वाले हज़रात ऐसे-ऐसे अश्आर पढ़ देते हैं, जिन की वजह से कुफ़्र तक नोबत पहुंच जाती है और ऐसे कुफ़्र और शिर्क भरे अश्आर अलापने वालों को भूल कर भी यह ख़्याल नहीं आता कि हम क्या बक रहे हैं। मैं पहले ही आप से यह अर्ज़ कर चुका हूं कि मैं इन कामों को अच्छी तरह से जानता हूं और वाक़िफ़ भी हूं, क्योंकि मैं खुद सतरह वर्ष तक क़व्वाल रहा हूं, मगर अल्लाह तआला की रहमत देखिए कि आज अपने भाई मुसलमानों को समझाने के लिए किताब लिख रहा हूं और वह आप के हाथ में आज मौजूद है। फ़-लिल्लाहिल हम्द।

आइए, एक बात और सुनाऊं–

पढ़ो कलिमा मुहम्मद का मुहम्मद नाम ले-लेकर
करो इस्लाम को ताज़ा मुहम्मद नाम ले-लेकर।

मेरे प्यारे दोस्त ! मज्लिसे मीलाद में जब ये क़सीदे पढ़ते हैं, तो बड़े जुनून और जोश के साथ, बड़ी मस्ती और इश्क़ के साथ पढ़ते हैं और उन के अन्दाज़ और हालात से उस वक़्त ऐसा मालूम होता है कि अभी-अभी ये लोग इस्लाम को ज़िन्दा और ताज़ा कर के दिखा देंगे,

मगर बड़े अफ़सोस और दुख के साथ कहना पड़ता है कि इन लोगों को सुबह की नामज़ के लिए उठना भी भारी पढ़ता है और कुछ तो नहीं बल्कि अक्सर इन में से ऐसे होते है जो सिरे से नमाज़ ही नहीं पढ़ते, सिर्फ़ कसीदे पढ़ने के ऐसे शौकीन होते हैं कि कहीं से भी मीलाद की दावत आ जाए तो फ़ौरन क़ुबूल कर लेंगे और वक़्त से एक घंटा पहले ही बन ठन कर पहुंच जाएगें, मगर शरीअत के ऊपर चलने से ऐसे भागते हैं, जैसे कमान से तीर और यही हालत ज़्यादातर गाने-बजाने वालों की होती है।

आह! है कोई खुदा तरस और दर्दनाक दिल जो इन लोगों की जहालत पर रो उठे।

तीन शर्तें

'जिस ने मीलाद की मज्लिस को जायज़ रखा, उस ने अदब व सुकून और सही रिवायत की शर्त लगाई।'

हवाला-ऐनुलहिदाया, जिल्द 4, पृ० 224, कराहत का बयान। मेरे प्यारे दोस्त! तीन शर्ते हैं-

1. पहली शर्त अदब है, 2. दूसरी शर्त सुकून है, और 3. तीसरी शर्त सही रिवायत है।

अब हम इन तीनों को अलग-अलग बयान करते हैं, ताकि हमारे मोह्तरम भाइयों की समझ में आ जाए।

पहली शर्त

अदब के अन्दर चार बातें हैं-

1. ताज़ीम, 2. क़ायदा, 3. अक्ल, और 4, इल्मे दीन।

मेरे प्यारे दोस्त !'आप ने कहीं तो देखा होगा कि मीलाद पढ़ने वाले कहीं-कहीं रात भर पढ़ते हैं और किसी जगह पर आधी रात तक और कहीं एक या दो घंटे तक पढ़ते हैं और इतनी देर तक सब इंसानों का वुज़ू नहीं रह सकता और बे वुज़ू मीलाद का पढ़ना और किताबों का छूना अदब के ख़िलाफ़ है और ज़्यादा वक़्त लगाने से कुछ लोगों पर नींद का ग़लबा होने की वजह से ऊंघते रहते हैं। यह ताजीम और अदब के ख़िलाफ़ है।

जहां पर मीलाद पढ़ी जाती है, उन मीलाद पढ़ाने वालों के घरों में ताक़ वग़ैरह पर कुछ देहातों में फटे-पुराने जूते भी पड़े रहते हैं और वह घर में बे-ख़बरी से रह जाते हैं और पढ़ने वालों को पता भी नहीं होता। यह भी अदब के ख़िलाफ़ है।

जिस घर में मीलाद पढ़ी जाती है, उस घर की अच्छी तरह सफ़ाई तक नहीं होती, यह भी अदब के ख़िलाफ़ है

और जिस घर में मीलाद पढ़ी जाती है उस घर में कहीं-कहीं तो दुलदुल या बुराक़ या उन घर वालों की तस्वीरें वग़ैरह मकान की सजावट के लिए रखी हुई होती हैं। यह तो बिल्कुल

ही हराम है। इन फ़ोटुओं का घर की सजावट के लिए रखना बिल्कुल शरीअत के ख़िलाफ़ है, क्योंकि जहां पर ऐसी तस्वीरें होती हैं, वहां पर रहमत के फ़रिश्ते नहीं आते, जिस का बयान आगे आ रहा है और मीलाद में क़रीब क़रीब सभी लोग जाहिल होते हैं। शरीअ़त का पाबन्द शायद ही आप को उस में से कोई मिले, न तो मीलाद पढ़ने वालों में शरीअ़त की पाबन्दी होती है और न घर वालों में और न ही सुनने वालों में, क्योंकि मीलाद पढ़ने वाले भी रस्मी तौर पर पढ़ते हैं और पढ़वाने वाले भी ज़हालत की वजह से पढ़वाते हैं और सुनने वाले भी रस्मी तौर पर जमा हो जाते हैं कि आज उस के घर हम नहीं जाएंगे, तो फिर कल हमारे घर कोई नहीं आएगा।

ये तमाम बातें ताज़ीम व क़ायदा और अदब के ख़िलाफ़ हैं और जहां पर दो-चार पढ़ने वाले जामा हो जाते हैं, तो उन लोगों में मुक़ाबला होने लगता है। आवाज़ और तर्ज़ में, क़सीदों के पढ़ते वक़्त सूरीली आवाज़ निकाल-निकाल कर एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं। यह सब ताज़ीम व क़ायदा और अदब के खिलाफ़ है औ जिस जगह पर बहुत देर तक मीलाद पढ़ते हैं, वहां पर कुछ देर के लिए रुकते हैं। उस वक़्त एक दूसरे का मज़ाक उड़ाते हैं या किसी की ग़ीबत करते हैं। ये सारी बातें ताज़ीम और अदब और क़ायदे के ख़िलाफ़ हैं।

रही बात इल्म की तो इससे ये लोग बिल्कुल कोरे होते हैं। मीलाद पढ़वाने वाले और सुनने वाले ख़ैर बेचारे बे-इल्म होते ही हैं। मगर जो मौलवी बन-ठन कर मीलाद पढ़ने को आते हैं, वे भी अदब और ताज़ीम का लिहाज़ नहीं करते और बहुत-सी बातें अदब के ख़िलाफ़ कर जाते हैं।

दूसरी शर्त सुकून है

मेरे प्यारे दोस्त ! सुकून कहते हैं ख़ामोश रहने को, बे-हरकत व बे आवाज़ होने को।

आप ने देखा होगा कि घर के अन्दर मीलाद पढ़ी जाती हो, तो बाहर बैठने वाले बड़े मज़े से बातें करते रहते हैं और बाहर मीलाद पढ़ी जाती हो, तो धर के अन्दर बड़े मज़े में बातें करते रहते हैं गोया यह दसूरी शर्त के खिलाफ़ है।

तीसरी शर्त सही रिवायत है

मेरे प्यारे दोस्त ! आप को कुछ शेअर और उस का जवाब बता दूं ताकि पूरी बात आप की समझ में आ जाए-

है महशर में काफ़ी वसीला तुम्हारा,
तुम आक़ा हो मेरे, मैं बन्दा तुम्हारा।

इस शेअर में अल्लाह के रसूल सल्लल्ललाहु अलैहि व सल्लम का बन्दा अपने आप को बनाया है। अब सुनिय इस के बारे में क़ुरआन करीम की आयत और हदीस पाक।

कुरआन करीम के तीसरे पारे में सूरः आले इम्रान के आठवें रूकूअ में, आयत न॰ 79 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – किसी बशर से यह बात नहीं हो सकती है कि अल्लाह तआला उसको किताब और समझ और नुबूवत दें, फिर वह लोगों से कहने लगे कि खुदा को छोड़ कर तुम मेरे बन्दे बन जाओ, बल्कि यों कहेगा कि तुम अल्लाह वाले बन जाओ।

अल्लाह तआला फ़रमा रहे हैं कि यह हो नहीं सकता कि जिस को अल्लाह तआला नुबूवत दे, हिक्मत दे, और किताब भी अता फ़रमाये और फ़िर यों कहे कि तुम खुदा को छोड़ कर मेरे बन्दे बन जाओ।

यह तमाम ग़लत बातों की एक जामेअ तर्दीद है जो दुनिया की बहुत सी क़ौमों ने खुदा की तरफ़ से आये हुए पैग़म्बरों की तरफ़ जोड़ कर के अपनी मज़हबी किताबों में शामिल कर दी हैं और जिन के मुताबिक़ कोई पैग़म्बर या कोई बुज़ुर्ग या फ़रिश्ता किसी न किसी तरह खुदा और माबूद के दर्जे तक पहुंचा दिया गया है।

इस आयते करीमा में साफ़ बताया है कि ऐसी कोई तालीम जो अल्लाह के सिवा किसी और की बन्दगी या परस्तिश सिखलाती हो और किसी बन्दे को। बन्दगी की हद से हटा कर ख़ुदाई के मुक़ाम तक ले जाती हो, हर गिज़–हर गिज़ किसी पैग़म्बर ने नहीं दी है। जहां कहीं–किसी मज़हबी किताब में यह चीज़ नज़र आए तो समझ लेना कि यह गुमराह लोगों की तहरीफ़ात का नतीजा है।

हदीस – हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत करते हैं कि तुम में से कोई यों न कहे कि मेरा बन्दा और मरी बन्दी।

हवाला – 1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1, पारा 10, पृ॰ 573, हदीस 2356, गुलामों को आज़ाद करने का बयान,
2. अबूदाऊद शरीफ़, जिल्द 3, पारा 32, पृ॰ 585, हदीस 1540, बाब 498, ग़ुलामों को आज़ाद करने का बयान।

मेरे प्यारे दोस्त! तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम और औलिया अल्लाह भी अल्लाह के बन्दे हैं।

हदीस – हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया–

'मैं अल्लाह का बन्दा और उसका रसूल हूं।' (मुख़्तसर)

हवाला – सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 17, पृ॰ 382, हदीस 1454, किताबुल मग़ाज़ी।

यूसुफ़ भी उनकी ग़ुलामी में है,
देखा–देखा ज़लीख़ा हमारा नबी।

मेरे प्यारे दोस्त ! इस शेअर में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को नबी करीम सल्लल्लाहु

अलैहि व सल्लम का ग़ुलाम साबित किया गया है और हदीस शरीफ़ में इस तरह कहने की मुमानिअत आयी है

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते है कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अर्ज़ किया गया कि सबसे ज़्यादा बुज़ुर्ग कौन है ?

आप ने फ़रमाया, जो सब से ज़्यादा खुदा का ख़ौफ़ रखता हो।

सहाबा रज़ि० ने अर्ज़ किया, हम यह नहीं पूछते।

आप ने फ़रमाया, तो यूसुफ़ नबीयुल्लाह !

हवाला – सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 14, पृ० 189, हदीस 701, मनाक़िब का बयान।

ऐ प्यारे दोस्त मेरे ! हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खुदा-ए-पाक के बाद तमाम ज़मीन व आसमान के रहले वालों से मर्तबे में बड़ कर हैं। फिर भी युसूफ़ अलैहिस्सलाम की आप तारीफ़ फ़रमा रहे हैं और हम क़सीदों में ग़ुलाम साबित कर रहे हैं। यह है हमारी ज़हालत।

हदीस – हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया–

'तुम लोग अंबिया में आपस में एक दूसरे पर फ़ज़ीलत न दिया करो।' (मुख़्तसर)

हवाला – सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1, पारा9, पृ० 540, हदीस 2224, झगड़ों का बयान,

निकल जाए महफ़िल से जो बे-अदब हो,
उठो ताकि ताज़ीमे महबूबे रब हो।

मेरे प्यारे दोस्त ! मज्लिसे मीलाद वाले सलामी पढ़ने के वक़्त यानी खड़े होने से पहले यह शेअर पढ़ते हैं और इस शेअर में बयान है कि जो न उठे, वह बे-अदब है और इस मज्लिसे मीलाद से बाहर निकल जाए। हम पहले क़ियाम के बारे में पूरी तफ़्सील के साथ बयान कर चुके हैं कि सहाबा क़िराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ताज़ीम के लिए नहीं उठते थे, तो गोया वे भी बे-अदब थे और इस चौदहवीं सदी में जो लोग मीलादख़्वां है, वे-अदब वाले पैदा हुए हैं। (अल्लाह की पनाह)

तमाम उम्मत का इत्तिफ़ाक़ है कि अदना सहाबी के मर्तबे को कभी आला दर्जे का वली नहीं पहुंच सकता।

हवाला – फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 1, पृ० 35, मुक़दमे में।

निदा थी कि सरकार तशरीफ़ लाओ,
दो आलम के मुख़्तार तशरीफ़ लाओ।

ज़मी को भी इज़्ज़त हो अर्शे उला की,
दिखा जाओ बन्दों को सूरत खुदा की।

मेरे प्यारे दोस्त ! इस शेअर में अल्लाह तआला की शक्ल साबित की जा रही है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शक्ले मुबारक अल्लाह तआला के बराबर बतायी जा रही है और यह कुफ़्र है।

अब मामूली से मामूली मुसलमान भाई भी समझ सकता है कि खुदा वन्द करीम की कोई सूरत व शक्ल नहीं और न हमारे मज़हब में दूसरी क़ौमों की तरह अवतार हैं, फिर भी बे-धड़क ऐसे अश्आर पढ़ देते हैं और कुछ सोचते नहीं कि हम क्या कहते है।

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को मेराज वाली रात को जो बेहतरीन इनाम अता किये गये, उनमें से एक यह भी था कि आप से फ़रमाया गया कि तेरी उम्मत का कोई खुत्बा जायज़ नहीं, जब तक वह इस बात की गवाही न दें कि तू मेरा बन्दा और रसूल है।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 4, पृ० 95, सूरः निसा के तीसरे रुकूअ की तफ़्सीर में।

जिसने अल्लाह तआला की किसी खूबी को किसी मख़्लूक़ की जैसा ठहराया, तो वह अल्लाह से काफ़िर हुआ,।

हवाला – ऐनुल हिदाया, जिल्द 1, पृ० 4, अक़ाइद का बयान।

परदा-ए-इन्सान में आकर दिखाना था जमाल,
रखा लिया नामे मुहम्मद ताकि रुसवाई न हो।

मेरे प्यारे दोस्त ! इस शेअर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पैदाइशे मुबारक को अल्लाह तआला का अवतार बता दिया और यह कलिमा कहना कुफ़्र है। इसमें किसी का इख़्तिलाफ़ नहीं है।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम के सरताज हैं। हम ईसाइयों की तरह और यहूदियों की मानिंद इस क़दर नहीं कहते कि खुदा-ए-पाक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सूरत में ज़ाहिर हुआ था, क्योंकि यह (अक़ीदा रखना) कुफ़्र है।

हवाला – तफ़्सीरे हक़्क़ानी, पारा 1, पृ० 64, मुक़दमे में।

किसी आदमी ने आप से कहा, ऐ मुहम्मद ! ऐ हमारे सरदार के लड़के ! ऐ हम सब से बेहतर के लड़के !

तो आपने फ़रमाया, लोगों ! अपनी बात का खुद ख़्याल करो, कहीं शैतान तुम्हें इधर-उधर न कर दे। मैं मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह हूं मैं खुदा का बन्दा और उस का रसूल हूं। क़सम खुदा की, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे मेरे रुत्बे में बढ़ा दो।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 6, पृ० 26, सूरः निसा के तेईसवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

मेरे प्यारे दोस्त ! खूब सोच कि कहने वाले ने कोई खोटी या बुरी बात तो नहीं कहीं थी, फिर भी उस आदमी को रोक दिया गया, क्योंकि अगली उम्मतों की गुमराही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की आंखों के सामने फिर रही थी और वह गुमराही धीरे-धीरे इसी तरह फैली

थी, जिस तरह आज हिन्दुस्तान के अक्सर जाहिल मुसलमानों में फैल रही है।

मेरे अज़ीज़ दोस्त ! जो लोग गुमराह हुए और हो रहे हैं, उन में अक्सर नबियों और वलियों की मुहब्बत ही में होते हैं। शैतान उनको ऐसी पट्टी पढ़ाता है कि लोग उस नबी या वली को खुदा के रुत्बे और मर्तबे के बराबर समझने लगते हैं, जैसे इल्म में, कुदरत में और तसर्रुफ़ वगैरह में।

हदीस – हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने हज़रत उमर को मिंबर पर यह फ़रमाते हुए सुना कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह फ़रमाते हुए सुना कि- मुझे ऐसा न बढ़ाओ, जैसे नसारा (ईसाइयों) ने ईसा बिन मरयम को बढ़ाया क्योंकि मैं तो खुदा का बन्दा हूं, बल्कि तुम (मेरी निस्बत) यह कहो, कि खुदा का बन्दा और उसका रसूल।

हवाला – सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 2, पारा 13, पृ० 178, हदीस 659, अंबिया की पैदाइश का बयान।

मेरे प्यारे दोस्त ! हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तो हम को समझाने में कोई कसर बाक़ी नहीं रखी मगर हाय हमारी जहालत और बे इल्मी कि शरीअत को समझ ही न सके बल्कि यों कहें तो भी बजा है कि समझने की कुछ कोशिश ही नहीं की।

शैअ़ल लिल्लाहि या अब्दल क़ादिर मुहीयद्दीन फ़िल क़ल्बि
हाज़िर जीलानी बिल्लाहिल बादिर अल-मदद या अब्दल क़ादिर-

कुछ लोगे वज़ीफ़े के तौर पर यों कहा करते हैं – 'या अब्दल क़ादिर शैअल-लिल्लाहि'- इस में राजेह अदमें तक्फ़ीर है (यानी कुफ़्र तो नहीं) लेकिन ख़ौफ़े कुफ़्र से ख़ाली नहीं।

हवाला – ग़ायतुल अवतार उर्दू तर्जुमा दुर्रे मुख़्तार, जिल्द 2, पृ० 529, मुर्तद का बयान।

मेरे प्यारे दोस्त ! यह फ़त्वा तो सिर्फ़ 'शैअल्लिल्लाह' या अब्दल कादिर' कहने वालों के लिए है और 'अल-मदद या अब्दल क़ादिर' कहना और यक़ीनन मदद करने वाला समझना तो हनफ़ी मस्लक में क़तअन कुफ़्र है।

सुनिए दूसरा फ़त्वा-

'जिसने गुमान किया कि भलाई या बुराई ग़ैर की तरफ़ से होती है, तो वह अल्लाह तआला से काफ़िर हुआ और उसकी तौहीद बातिल हुई।'

हवाला – ऐनुल हिदाया, जिल्द 1, पृ० 10, अक़ाइद का बयान।

मुबारक हो कि पैदा शाहेवाला होने वाला है,
कि जिस के नूर से घर-घर उजाला होने वाला है।

इस शेअर में यह कहा जा रहा है कि दुनिया में अंधेरा है, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पैदा होंगे, तो घर-घर में उजाला हो जाएगा ,हालांकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व

सल्लम को पैदा हुए लगभग चौदह सौ साल होने को आए हैं और पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्खिन तक दीने हक़ का नूर फैल गया और घर-घर में अल्लाह की तौहीद का नूर दुनिया वालों को पहुंचा कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम दुनिया से तश्रीफ़ भी ले गये और ये मीलाद वाले कहते हैं कि अब उजाला होने वाला है, अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि उनके घर में और उनके दिलों में बिदअतों का अंधेरा मौजूद है। इस वजह से दुनिया में फैला हुआ दिन व शरीअत का उजाला उनको नज़र नहीं आता।

मेरे मुह्सिन साहिबान! अगर आप को उजाला देखना हो तो जिद से, जहालत से, रस्म व रिवाज से, कुफ़्र व शिर्क से, बिदअत और नफ़्सानियत से तौबा कर ले, तो इन्शा अल्लाहु-तआला यक़ीनन आपके दिल की गुमराही का अंधेरा दूर हो जाएगा और आपको दीने हक़ का उजाला ही उजाला नज़र आने लगेगा। समझे मेरे भेले भैया!

अरब में चांद निकलेगा, जहां में रोशनी होगी,
बुतों के मुल्क में अल्लाह वाला होने वाला है

तौबा मेरे अल्लाह! तौबा! इस क़सीदे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नुबूवत का इन्कार हो रहा है यानी अभी तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इस दुनिया में पैदा नहीं हुए और इस्लाम नहीं फ़ैला, बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अब पैदा होने वाले हैं। अल्लाह की पनाह! इन तमाम बातों को नज़र में रख कर हमारे हनफ़ी उलेमा ने यह फ़त्वा दिया है कि-

'अक्सर जाहिल मीलाद पढ़ने वाले ऐसे अश्आर पढ़ते हैं कि उन अश्आर के पढ़ने से कुफ़्र होने में किसी को ख़िलाफ़ नहीं है और हराम से कुफ़्र तक नौबत पहुंच जाती है।'

हवाला - ऐनुल हिदाया, जिल्द 4, पृ० 224, कराहत का बयान।

मेरे प्यारे दोस्त! सही और सच्चे मज़हब को मान लेना चाहिए। तावीलें कर के मतलब का रास्ता ढूंढना न चाहिए, क्योंकि जितनी उम्मतें गुमराह होती हैं, वे सिर्फ़ दो बातों से होती है-

एक तो खुदा को छोड़ कर दूसरों को हाजतरवा समझना, और

दूसरे यह कि सही मज़हब में तावील कर के अपना मतलब निकालना।

मां-बाप के हुक़ूक़

क़ुरआन करीम के पन्द्रहवें पारे में सूरः बनी इस्राईल के तीसरे रुकूअ में, आयत न० 23-24 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - तेरा परवरदिगार साफ़-साफ़ हुक्म दे चुका है कि तुम उसके सिवा किसी और की इबादत न करना और मां-बाप के साथ सुलूक व एहसान करना। अगर तेरी मौजूदगी में उन में से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उनके आगे उफ़ तक न कहना, न उन्हें डांट-डपट

करना, बल्कि उनके साथ अदब व एहतराम से बात-चीत करना और उनके सामने शफ़क़त से, इंकिसारी के साथ झुके रहना और यों दुआ करते रहना कि-

ऐ मेरे परवरदिगार! इन दोनों पर रहमत फ़रमाइए, जैसा उन्होंने मुझ को बचपन में पाला और परवरिश की।'

हदीस – हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो मैंने वहां क़ुरआन पढ़ने की आवाज़ सुनी। मैं ने पूछा, यह कौन है, (जो क़ुरआन पढ़ता है) ?

फ़रिश्तों ने कहा, हारिसा बिन नोमान रज़ियल्लाहु अन्हु।

(यह सुन कर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के दिल में यह ख़्याल पैदा हुआ कि हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु को यह दर्जा क्योंकर मिला ?) आप ने इसकी वजह बयान करते हुए फ़रमाया यही सवाब है (मां बाप से) नेकी करने का और हारिसा बिन नोमान रज़ियल्लाहु अन्हु मां-बाप के साथ अच्छा सुलूक करने वाला था।

हवाला – 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 711, हदीस 4680, अक़ारिब से सुलूक का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 123, अक़ारिब के सुलूक का बयान।

हदीस – हज़रत बहज़ा बिन हकीम अपने वालिद से और वह अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि मैंने अर्ज़ किया-

ऐ अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) मैं किस के साथ भलाई करूं ?

आप ने फ़रमाया, 'अपनी मां के साथ।'

मैंने पूछा, 'फिर किस के साथ ?'

फ़रमाया, 'मां के साथ ?'

मैंने पूछा, 'फिर किस के साथ ?'

फ़रमाया, 'मां के साथ ?'

मैंने पूछा फिर किस के साथ.... ?

फ़रमाया, ' बाप के साथ, फिर क़रीबतर रिश्तेदार के साथ और फिर उससे क़रीबतर रिश्तेदार के साथ।'

हवाला – 1. मिश्कात शरीफ़, ज़िल्द 2, पृ० 711, हदीस 4683, अक़ारिब से सुलूक का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 124, अक़ारिब से सुलूक का बयान।

हदीस – हज़रत मुआवियह बिन जाहिमा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जाहिमा रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया,

ऐ अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ! मैंने जिहाद पर जाने का इरादा किया है और आप से मश्विरा लेने आया हूं।

आपने मालूम फ़रमाया, क्या तेरी मां (ज़िंदा) है ?

उसने अर्ज़ किया, हां।

आपने फ़रमाया, मां की ख़िदमत को अख़्तियार कर, इसलिए कि जन्नत मां के क़दमों में है।

हवाला – 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 713, हदीस 4693, अक़ारिब से सुलूक का बयान,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 128, अक़ारिब के सुलूक का बयान।

हदीस – हज़रत अस्मा बिन्त अबी बक्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं, मेरी मां मेरे पास आयी, (यानी मक्का से मदीने में) और वह मुश्रिक थी और यह वाक़िआ उस वक़्त का है, जबकि क़ुरैश से हुदैबिया का समझौता हो चुका था।

मैंने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल ! मेरी मां मेरे पास आयी है और वह इस्लाम से बेज़ार है। क्या मैं उसके साथ सुलूक करूं ?

आप ने फ़रमाया, 'हां, उससे सुलूक करो।'

हवाला – 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 710, हदीस 4667, अक़ारिब से सुलूक का बयान,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 119, अक़ारिब से सुलूक का बयान।

हदीस – हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया–

'परवरदिगार की रज़ामन्दी बाप की रज़ामन्दी में हैं और परवरदिगार की नाख़ुशी बाप की नाख़ुशी में है।'

हवाला – 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 711, हदीस 4681, अक़ारिब से सुलूक का बयान,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 124, अक़ारिब से सुलूक का बयान।

हदीस – हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया–

जो आदमी इस हाल में सुबह करे कि वह मां–बाप के हक़ में ख़ुदा के हुक्मों को मानता हो (यानी मां–बाप के हक़ों को अदा करता हो), तो वह इस हाल में सुबह करता है कि उसके लिए जन्नत के दरवाज़े खुले होते हैं। और मां–बाप में से कोई एक ही ज़िन्दा हो तो जन्नत का एक दरवाज़ा खुला होता है और जो आदमी इस हाल में सुबह करे कि वह मां–बाप के हक़ में ख़ुदा का नाफ़रमान हो, तो वह इस हाल में सुबह करता है कि उसके लिए दोज़ख़ के दरवाज़े खुले होते हैं और मां–बाप में से कोई एक ज़िन्दा हो तो दोज़ख़ का एक दरवाज़ा खुला

होता है।

एक आदमी ने अर्ज़ किया, अगरचे मां-बाप ज़ुल्म करें ?

इस पर आप ने फ़रमाया, अगरचे उस पर ज़ुल्म करें, अगरचे उस पर ज़ुल्म करें, अगरचे उस पर ज़ुल्म करें।

हवाला - 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 713, हदीस, 4697, अक़ारिब से सुलूक का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 128, अक़ारिब से सुलूक का बयान।

हदीस - हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है-

-जो बेटा कि मां बाप को रहमत व शफ़क़त की नज़र से देखे अल्लाह उसके हिसाब में हर नज़र के बदले एक मक़्बूल हज का सवाब लिखता है।'

सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, अगरचे दिन भर में सौ बार देखे ?

आप ने फ़रमाया, हां, अल्लाह बहुत बड़ा और पाकीज़ा है।

हवाला - 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 714, हदीस 4698,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 129, अक़ारिब से सुलूक का बयान।

हदीस - हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है-

अपने मां-बाप को गाली देना बड़े गुनाहों में से हैं।

सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! क्या आदमी अपने मां-बाप को गाली दे सकता है ?

आप ने फ़रमाया , 'हां कोई आदमी किसी के मां-बाप को गाली देता है और वह उसके मां-बाप को गाली देता है।'

हवाला - 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 710, हदीस 4670, अक़ारिब से सुलूक का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 120, अक़ारिब से सुलूक का बयान।

हदीस शरीफ़ में है-

तुम अपने मां-बाप के साथ अच्छा सुलूक करो, तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ अच्छा सुलूक करेगी, तुम ग़ैर-औरतों से पाक दामन रहो, तुम्हारी औरतें भी पाक दामन रहेंगी।

हवाला - तबरानी व हाकिम,

क़ुरआन करीम के छब्बीसवें पारे में सूरः अह्क़ाफ़ के दूसरे रुकूअ में आयत न० 15-16 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तुर्जमा – और हमने इंसान को अपने मां-बाप के साथ सुलूक करने का हुक्म दिया है। उसकी मां ने उसे तक्लीफ़ झेल कर पेट में रखा और तक्लीफ़ बर्दाश्त करके उसे जना, उस के हमल का और उस के दूध छुड़ाने का ज़माना तीस महीने का है, यहां तक कि जब वह अपनी कमाल कुव्वत के ज़माने को और चालीस साल की उम्र को पहुंचा, तो कहने लगा, ऐ मेरे परवरदिगार! मुझे तौफ़ीक़ दे कि तेरी इस नेमत का शुक्र बजा लाऊं, तो तूने मुझ पर और मेरे मां-बाप पर इनाम किया है और यह कि मैं ऐसे नेक अमल करूं, जिन से तू खुश हो जाए और मेरी औलाद में भी सलाहियत पैदा कर। मैं तेरी तरफ़ रुजूअ करता हूं और मैं मुसलमानों में से हूं। यही वे लोग हैं, जिन के नेक अमाल तो हम क़ुबूल फ़रमा लेते हैं और जिन के बद-आमाल से दर गुज़र कर लेते हैं, जन्नती लोगों में हैं मुताबिक उस सच्चे वायदे के, जो उनसे किया जाता है।

अल्लाह के बाद इन्सानों में सब से मुक़द्दम हक़ मां-बाप का है, औलाद को मां-बाप का इताअतगुज़ार, ख़िदमतगुज़ार और अदब शनास होना चाहिए समाज का इज्तिमाई अख़्लाक़ ऐसा होना चाहिए जो औलाद को मां-बाप से बे-नियाज़ बनाने वाला न हो, बल्कि उनके एहतराम का पाबन्द बनाये और बुढ़ापे में इसी तरह उनकी ख़िदमत करना सिखाये, जिस तरह बचपन में वह उसकी परवरिश कर चुके हैं।

मकरूह से मुराद मकरूहे तहरीमी है

मेरे प्यारे दोस्त ! आप को जान लेना चाहिए कि जहां पर मकरूहे तहरीमी लिखा हो, वह तो तहरीमी ही समझा जाएगा और जहां पर मकरूहे तंजीही लिखा हो, वह तंजीही समझा जाएगा और जहां पर सिर्फ़ मकरूह लिखा हो और उस के साथ तंजीही या तहरीमी कुछ भी न लिखा हो, तो उस मकरूह से मुराद मकरूहे तहरीमी समझा जाएगा, बशर्ते कि इस के ख़िलाफ़ कोई क़रीना न हो।

'मकरूह से मुराद मकरूहे तहरीमी है।'

हवाला – ग़ायतुल अवतार, उर्दू तर्जुमा दुर्रे मुख़्तार जिल्द 1, पृ० 182, अज़ान का बयान।

इमाम मुहम्मद रहमतुल्ललाहि अलैहि फ़रमाते हैं कि 'हर मकरूह हराम है।'

हवाला – फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 4, पृ० 249, कराहत का बयान।

इमाम यूसुफ़ रहमतुल्लाहि अलैहि ने इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि से कहा कि जहां आपने कहा कि मैं इस को मकरूह समझता हूं, तो उस में आप की क्या राय है ?

फ़रमाया, तहरीमी यानी हराम जानता हूं।

हवाला – ऐनुल हिदाया, जिल्द 4, पृ० 214, कराहत का बयान।

इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाहि अलैहि से रिवायत है कि हर मकरूह हराम है यानी जिस

को मतरूहे तहरीमी कहा है, वह हकीकत में हराम है यानी हराम का छोड़ना जरूरी है इसी तरह मकरूह का छोड़ना भी जरूरी है।

हवाला – ऐनुल हिदाया, जिल्द 4, पृ० 214, कराहत का बयान।

इस्तिंजा

हदीस – हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया–

जब पाख़ाने को बैठो, तो क़िब्ले की तरफ़ मुंह न करो और उसकी तरफ़ पीठ भी न करो। (मुख़्तसर)

हवाला –1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1, पारा 2, पृ० 105, हदीस 379, नमाज़ का बयान,
2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 47, हदीस 222, बाब 89, तहारत का बयान,
3. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 2, हदीस 7, तहारत का बयान,
4. अबूदाऊद शरीफ़, जिल्द 1, पारा, पृ० 43, हदीस 9, बाब 4,
5. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 128, हदीस 306, पाख़ाने के आदाब का बयान,
6. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 120, पाख़ाने के आदाब का बयान।

हदीस – हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि–

जो कोई क़िब्ला रुख़ पेशाब करने बैठ गया, फिर याद करके क़िब्ले की ताज़ीम के वास्ते दूसरी तरफ़ फिर गया तो उस बैठक से उठने न पायेगा कि उस की मग़फ़िरत हो जाएगी।

हवाला – ग़ायतुल अवतार, उर्दू तर्जुमा दुर्रे मुख़्तार, जिल्द 1, पृ० 160, किताबुत्तहारत,

मकरूहे तहरीमी है क़िब्ले का सामना करना और उस को पीठ देना पेशाब करने या पाख़ाने करने के वक़्त।'

हवाला – ग़ायतुल अवतार, उर्दू तर्जुमा दुर्रे मुख़्तार, जिल्द 1, पृ० 160, किताबुत्तहारत।

मेरे प्यारे दोस्त! आज हमारी जहालत को देखिए कि मस्जिदों के पास कहीं-कहीं ऐसे पेशाब ख़ाने बने हुए हैं कि मजबूरन क़िब्ले की तरफ़ पीठ करनी पड़ती है। मुसलमानों को चाहिए कि उसको सुधार लें।

'मकरूहे तहरीमी है पक्की ईंट और ठीकरी और कांच, और हुर्मत वाली चीज़ से इस्तिंजा करना।'

हवाला – ग़ायतुल अवतार, उर्दू तर्जुमा, दुर्रे मुख़्तार, जिल्द 1, पृ० 159, किताबुत्तहारत।

मेरे प्यारे दोस्त! अब हमारी जहालत को देखिए कि हमारे पेशाब ख़ानों में पक्की ईंट

और पक्की ठीकरी के सिवा अक्सर जगह पर तो और कुछ रखते ही नहीं। मेरे भैया ! कोई एक या दो बातें होतीं तो इन्सान को समझाने में सहल रहतीं, यहां तो लगभग सब काम उल्टे ही हो रहे हैं।

जिन औरतों के मासूम बच्चे होते हैं उन औरतों को भी चाहिए कि उन बच्चों को पेशाब-पाख़ाना कराते वक़्त उनका मुंह या पीठ क़िब्ले की तरफ़ न रखें, अगर उस बच्चे की पीठ या मुंह क़िब्ले की तरफ़ रखेगी, तो गुनाहगार मां होगी, बच्चा नहीं होगा और जब बच्चा समझदार हो जाए और तन्हा पेशाब या पाख़ाने के लिए जाने लगे तो उस वक़्त भी मां उस को समझा दिया करे कि बेटा ! जब पेशाब-पाख़ाने के लिए बैठा करो, तो क़िब्ले की तरफ़ न तो आप का मुंह होना चाहिए और न पीठ होनी चाहिए । इस समझाने का नतीजा यह होगा कि इन्शाअल्लाहु तआला ज़िन्दगी भर वह क़िब्ले का एह्तराम करेगा और इस का सवाब उस की मां को मिलता रहेगा।

'औरत को मक्रूह है कि बच्चे को पाख़ाना फिराने या पेशाब कराने को क़िब्ले की रुख़ लेकर बिठाए।'

हवाला – 1. ऐनुल हिदाया, जिल्द 1, पृ० 250, तराहत का बयान,

2. फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 1, पृ० 67, तहारत का बयान।

कहीं-कहीं तो देखा गया है कि लोग बैतुल ख़ला में जाते वक़्त बीड़ी या सिगरे ज़लाकर पीते-पीते अन्दर जाते हैं और अन्दर बैठे आराम से पीते रहते हैं और कुछ लोग पान के आदी होते हैं, जो बैठे-बैठे पान चबाते रहते हैं और कुछ लोग तम्बाकू के आदी होते हैं, जो तम्बाकू को बैतुल ख़ला में बैठे-बैठे चूसते रहते हैं, जैसे कि बच्चे चाकलेट चूसते है। यह सब मना है। ऐसी बुरी आदतें इन्सान को छोड़ देनी चाहिएं, बैतुल ख़ला में और पेशाबख़ाने में ख़ाना-पीना मना है और उस जगह पर थूकना भी मना है, क्योंकि मोमिन का थूक पाक है और वह जगह नापाक है।

एक बात यह भी देखी गयी है कि जब बैतुल ख़ला में जाते हैं, तो कुछ लोग अपनी टोपी या पगड़ी उतार कर जाते हैं यानी खुले सर जाते है।

'सर ढांक कर पाख़ाना में जावें।'

हवाला – 1. फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 1, पृ० 67, तहारत का बयान,

2. ऐनुल हिदाया, जिल्द 1, पृ० 250, तराहत का बयान।

यही साहिबान जो बैतुल ख़ला में खुले सर जाते हैं, वे जब खाना खाने के लिये बैठेंगे, उस वक़्त टोपी ज़रूर पहन लेंगे, अगर कोई लड़का खाना खाने के लिए बैठ गया और उस के सर पर टोपी नहीं है, तो उस को ताकीद करेंगे कि बेटा ! टोपी पहन कर खाना खाओ।

'सर खुले खाना खाना मक्रूह नहीं है।'

हवाला – 1. ऐनुल हिदाया, जिल्द 4, पृ० 275, कराहत का बयान,
2. फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 4, पृ० 298, कराहत का बयान,
3. ग़ायतुल अवतार, उर्दू तर्जुमा दुर्रे मुख़्तार, जिल्द 4, पृ० 195, बाबुल हज़र।

कितना उलटा हो रहा है, जहां खुले सर जाने का हुक्म नहीं है, वहां बज़ाते ख़ुद जाते हैं और जहां खुले सर खाना खाने की इजाज़त है, वहां रोकते हैं।

बैतुल ख़ला में या पेशाब ख़ाने में या हम्माम में दाख़िल होते वक़्त पहले बायां पैर डाले और निकलते वक़्त पहले सीधा पैर निकाले और मस्जिद में इसके ख़िलाफ़ करे यानी मस्जिद में दाख़िल होते वक़्त पहले सीधा पैर डाले और निकलते वक़्त मस्जिद से पहले उलटा पैर निकाले, बाद में सीधा पैर निकाले।

पाख़ाने में दाख़िल होते वक़्त बायां पांव आगे बढ़ाये और निकले तो दाहिना पांव पहले बढ़ावे।

हवाला – 1. फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 1, पृ० 68, किताबुत्तहारत,
2. ऐनुल हिदाया, जिल्द 1, पृ० 250, किताबुत्तहारत।

लहसुन, प्याज़ और तम्बाकू

हदीस – हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से एक आदमी ने पूछा कि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से लहसुन के बारे में क्या सुना है?

उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि जो आदमी इस पेड़ में से खा ले, वह हमारे क़रीब न आए और हमारे साथ नमाज़ न पढ़ें।

हवाला – सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 196, हदीस 800, नमाज़ का बयान।

हदीस – हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के साथ प्याज के एक खेत के पास से गुज़रे। कुछ सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने वहां ठहर कर उस में से कुछ खा लिया और कुछ ने नहीं खाया। फिर हम सब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए। आप ने उन लोगों को, जिन्होंने प्याज नहीं खायी थी, अपने पास बुला लिया और जिन लोगों ने प्याज़ खायी थी, उन को उस वक़्त तक दूर रखा, जब तक कि उस की बू न जाती रही।

हवाला – सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 90, हदीस 520, बाब 201, मसाजिद का बयान।

'हुक़्क़ा पीना या तम्बाकू खाना मकरूह तंजीही है, अगर बू आवे वरना कुछ हरज नहीं।'

हवाला – फ़तावा रशीदिया कामिल, पृ० 488, किताबुल हज़र, वल इबाहत (प्रिंट पाकिस्तान)

मेरे प्यारे दोस्त ! इतना तो आप समझ सकते हैं कि इस तम्बाकू में प्याज़ और लहसुन से तो कई गुना ज़्यादा और बुरी बदबू आती है। आप अपने आप को आशिके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम भी कहते हैं और इतनी सी बात भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुहब्बत के लिए नहीं छूटती, बड़े अफ़सोस की बात है।

हदीस – हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने,

जो आदमी इस बदबूदार पेड़ में से कुछ खाये यानी लहसुन और प्याज़ में से, तो वह हमारी मस्जिदों के क़रीब न आए, इसलिए कि फ़रिश्ते भी ईज़ा पाते हैं उस चीज़ से, जिस से अज़ीयत पाते हैं इंसान।

हवाला – 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 170, हदीस 653, नमाज़ के मक़ामात का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ 229, नमाज़ के मक़ामात का बयान।

हमें तो तर्जुबा हो चुका है कि जिन-जिन साहिबों ने अपनी ज़िन्दगी में न हुक्क़ा पिया है, न बीड़ी पी है और न तम्बाकू खायी है, उनको भी तर्जुबा हुआ होगा। जमाअत से नमाज़ पढ़ने में कभी इत्तिफ़ाक़ से कोई ऐसा आदमी बराबर में खड़ा हो जाता हैजो हुक्क़ा, बीड़ी पीने का ज़्यादा आदी होता है, तो उसके मुंह और बदन से इतनी बुरी बदबू आती है कि नमाज़ ख़त्म होने तक उसके पड़ौस में खड़ा रहना वबाले जान होता है।

यह भी तर्जुबा हुआ है कि रमज़ान के महीने में बीड़ी या हुक्क़ा पीने वाले कुछ लोग उसी से रोज़ा खोलते हैं और ऐसा दम लगाते हैं कि जमाअत से नमाज़ पर कादिर नहीं रहते। कुछ देर के बाद होश में आते हैं, तब नमाज़ पढ़ते हैं। जो लोग हमारे ऊपर एतराज़ करते हैं कि हक़्क़ानी साहब ने तम्बाकू को हराम लिख दिया है, वह बिल्कुल ग़लत है, हम कोई मुफ़्ती नहीं हैं, कि फ़त्वा दें हम तो नक़्ल करने वाले हैं।

यह भी तर्जुबा हुआ है कि जिन की आदत हुक्क़ा या बीड़ी पीने की ज़्यादा होती है और वे क़रीब में आ कर बात करते हैं, तो उनके मुंह से हवा तो बात करते वक़्त निकलती है, उस में इतनी बुरी बदबू आती है कि उन की बात ख़त्म होने तक सुनने वाले को सब्र करना भारी पड़ जाता है। यह भी तर्जुबा हुआ है कि जिस आदमी को हुक्क़ा या बीड़ी पीने की आदत ज़्यादा होती है, वह इन्सान अगर किसी गिलास या बरतन वग़ैरह में मुंह लगा कर पानी पी ले, तो फ़ौरी तौर पर कोई इन्सान उस बरतन से मुंह लगाकर पानी नहीं पी सकता और अगर पी ले, तो उसे या तो कै हो जाएगी या चक्कर आने लगेंगे या कुछ देर के लिए घबराहट-सी महसूस होने लगेगी।

चुरट पीना मिस्ल हुक्क़ा पीने के मक्रूहे तह्रीमी है और चुरट में नसारा से मुशाबहत की वजह से ज़्यादातर कराहत है।'

हवाला – मज्मूअतुल फ़तावा, मौलाना अब्दुल हुई फरंगी महल्ली, जिल्द 1, पृ०93।

हदीस – हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से शहद की नबीज़ के बारे में पूछा गया, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जितनी पीने की चीज़ें नशा लाती हैं, वे सब हराम हैं।

हवाला – 1. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 88, हदीस 397, बाब 191, पीने की चीज़ों का बयान,
2. तिर्मिज़ी शरीफ़,जिल्द 1, पृ० 361, हदीस 1762, पीने की चीज़ों का बयान,
3. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 563, हदीस 3449, शराब की वईद का बयान,
4. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 3, पृ० 330, शराब की वईद का बयान।

मेरे प्यारे दोस्त ! तम्बाकू में अगरचे इस दर्जे का नशा नहीं है, जिस दर्जे के नशे की तारीफ़ फ़िक़्ह में की जाती है, यानी ऐसी मदहोशी जिसमें बात करने में कुछ का कुछ ज़ुबान से निकले, मगर इतना तो ज़रूर है कि तम्बाकू का जो आदी होता है, जब तक उसको खाये या पियेगा नहीं दिल में घबराहट महसूस करता है और इबादत से जी उकताता है। मज्लिस में ज़्यादा देर तक बैठने से उसका दिल घबरायेगा, जैसा कि आजकल अक्सर बीड़ी, सिग्रेट या हुक़्क़ा पीने वालों की आदत है।

हदीस – हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हर उस चीज़ के इस्तेमाल से मना फ़रमाया है जो नशा लाये और जो दिमाग़ में फ़तूर पैदा करे।

हवाला – 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 565, हदीस 3461, शराब की वईद का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 3, पृ० 333, शराब की वईद का बयान।

एक शराबी जब शराब पीने का आदी हो जाता है और एक अफ़ीमची जब अफ़ीम खाने का आदी हो जाता है तो उस को थोड़ी-सी शराब और थोड़ा-सा अफ़ीम असर नहीं करता, लेकिन जिस ने ज़िन्दगी में कभी शराब न पी हो और न अफ़ीम खाया हो, उसको शराब या ज़रा-सी अफ़ीम खिला-पिला कर देखो कि उस की हालत क्या होती है?

इसी तरह तम्बाकू खाने पीने वालों को नशा और तक्लीफ़ मामूली होती क्योंकि ये लोग इसके आदी हो जाते हैं, मगर जिसने जिन्दगी में कभी तम्बाकू न खाया और न पिया हो, उस को ज़रा-सा खिला-पिला कर देखो कि उसकी क्या हालत होती है? जो इन्सान जिस जगह की तम्बाकू या बीड़ी का आदी हो जाता है, उस को अगर दूसरी जगह से तम्बाकू या बीड़ी लाकर दी जाती है तो उस की भी हालत बिगड़ जाती है, तो फिर जिसने ज़िन्दगी में कभी छुआ भी न हो, उस के लिए तो पूछना ही क्या।

हदीस – हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फ़रमाते हैं कि मैं ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को फ़रमाते हुआ सुना है कि हर नशा वाली चीज़ हराम है।

हवाला – तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 361, हदीस 1763, पीने की चीज़ों का बयान।

मेरे प्यारे दोस्त! जितनी परहेज़गारी करोगे, उतनी ही दिल में नूरानियत बढ़ती जाएगी।

हदीस – हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है–

जो चीज़ ज़्यादा तायदाद में इस्तेमाल करने से नशा लाए उस का थोड़ी तायदाद में इस्तेमाल करना भी हराम है।

हवाला – 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 564, हदीस 3456, शराब की वईद का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 3, पृ० 332, शराब की वईद का बयान।

'उलेमा ने लिखा है कि, 'जिस की ज़्यादा मिक्दार नशा लाये,उसकी थोड़ी मिक्दार भी हराम है। यह ऐसी चीज़ों के लिए है.जो पतली और बहने वाली हों, जैसे शराब, ताड़ी वगैरह।'

चुनांचे फ़त्वे की मशहूर किताब शामी में है, 'जो बड़ी मिक्दार में नशा लावे, उस की थोड़ी मिक्दार हराम है।'

यह माइअ़ के साथ ख़ास है, यानी जो पतली बहने वाले पानी के मिस्ल हो, जामिद चीज़ें, जो अक़्ल और बदन के लिए नुक़्सानदेह हो, उस में उसी क़दर नुक्सान पहुंचाने वाली चीज़ों का खाना हराम है।

हवाला – शामी, जिल्द 5, पृ० 304, किताबुल अशिरबा। (मिस्री एडीशन)

'नज्मुद्दीन ज़ाहिदी ने कहा है कि चुरट का एक बार या दो बार इस्तेमाल करना बड़ा गुनाह तो नहीं है, मगर हमेशा इस्तेमाल करना बड़ा गुनाह है मिस्ल छोटे गुनाह के कि हमेशा करने से बड़ा हो जाता है।'

हवाला – दुर्रे मुख़्तार बर हाशिया शामी पृ० 305, जिल्द 5, पीने की चीज़ों का बयान।

'तम्बाकू का हमेशा इस्तेमाल करना बड़ा गुनाह है, जैसे छोटे गुनाह को हमेशा करने से बड़ा गुनाह हो जाता है।'

हवाला – ग़ायतुल अवतार, उर्दू तर्जुमा दुर्रे मुख़्तार, जिल्द 4, पृ० 268, पीने की चीज़ों का बयान।

'इस्तेमाल तम्बाकू का हराम है।'

हवाला – मज़ाहिरे हक़, जिल्द 3, पृ० 329, ख़म्र का बयान।

तम्बाकू के इस्तेमाल के बारे में हमने उलेमा के क़ौलों को मोतबर किताबों के हवाले से नक़ल कर दिया है। कोई उस को मुबाह क़रार देता है और बदबू पैदा करने की शक्ल में मक्रूह तंज़ीही बताता है और किसी ने उस को मक्रूहे तह्रीमी कहा है, कोई हराम लिखता

है और किसी ने हमेशा इस्तेमाल करते रहने को बड़ा गुनाह क़रार दिया है।

यह इबारत तो थी हनफ़ी किताबों की, जो आप ने पढ़ी। इस के अलावा दुनिया के तमाम साइंसदां और बड़े-बड़े डाक्टर साहिबान तम्बाकू के इस्तेमाल को नुक़सान देह बता रहे हैं और हर हुकूमत अपने अपने मुल्कों में सिग्रेटों के पैकटों पर लिखवा रही है कि तम्बाकू का इस्तेमाल आप न करें, क्योंकि सेहत के लिए नुक़्सान देह है। इसके अलावा हिन्दुस्तान में भी हर सिग्रेट के पैकट पर यह लिखा हुआ है-

STATUTORY WARNING

CIGARETTE SMOKING IS INJURIOUS TO HEALTH

ज़रूरी इत्तिला

सिग्रेट पीना सेहत के लिए नुक़्सानदेह है

तम्बाकू इस्तेमाल करने से जिस्म को नुक़्सान पहुंचेगा, हालांकि शरीअ़त ने उस को पहले ही से मना कर रखा है। साइंस वालों की समझ में तो अब आया है। यह तम्बाकू जिस्म के लिए तो नुक़्सान देह है ही इस के अलावा उसको इस्तेमाल करने में फ़िज़ूल ख़र्ची भी है तो फ़िज़ूल ख़र्ची को भी शरीअ़त मना करती है, फिर ये कुछ मौलवी साहिबान इस तम्बाकू को मुबाह मुस्तहब साबित करने की फ़िक्र में हैं। यह जहालत नहीं तो और क्या है ?

मेरे प्यारे दोस्त ! मैं न तो आलिम हूं और न मुफ़्ती । मेरा मंसब इन अलग-अलग फ़त्वों के बारे में फ़ैसला करना भी नहीं है। यह काम बड़े-बड़े उलेमा -ए-दीन का है। मेरा काम तो उलेमा के फ़त्वों का सिर्फ़ नक़ल कर देना है। मैं अपनी तरफ़ से कोई फ़त्वा देने का अह्ल नहीं हूं और न मैंने फ़त्वा दिया है। फिर मुझ पर क्यों एतराज़ किया जाता है कि हक़्क़ानी साहब ने तम्बाकू के बारे में यह लिखा , वह लिखा। भाई लिखा तो ज़रूर है, मगर वह नक़ल ही तो है। अगर नक़ल में मैंने ग़लती की हो तो आपको एतराज़ का पूरा हक़ है और अगर नक़ल सही है तो एतराज़ मुझ पर क्यों है? जिन किताबों से मैंने नक़ल किया है, उन किताबों के लिखने वालों पर एतराज़ करो।

मैं तो सिर्फ़ यह कहता हूं कि जब तम्बाकू के इस्तेमाल को कुछ उलेमा किराम मना करते हैं, यहां तक कि कुछ शक्लों को मकरूहे तहरीमी क़रार दिया है तो इससे परहेज़ करना बेहतर है। आदी बन जाने के बाद मुंह में बदबू का अपने आप को तो एहसास नहीं होता मगर दूसरों को उस बदबू से सख़्त तक्लीफ़ होती है और इस हालत में उस को तमाम उलेमा मकरूह क़रार देते हैं। फिर क्या इस से हमको बचना नहीं चाहिए?

हदीस - हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फ़रमाती हैं, कि हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि-

'जिन गुनाहों को तुम मामूली समझते हो और कुछ भी ख़्याल नहीं करते, उन से भी परहेज़ करो।'

हवाला – इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 643, हदीस 4241, परहेज़ गारी का बयान।

हदीस हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बयान किया कि तुम लोग ऐसे काम कर गुज़रते हो कि वे तुम्हारी आंखों में बाल से ज़्यादा बारीक होते हैं। इन्हीं कामों को हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में सख़्त हलाक करने वाला (गुनाह) समझा करते थे।

हवाला – 1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 26, पृ० 323, हदीस 1408, किताबुर्रिकाक़,
2. मिश्क़ात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 764, हदीस 5094, रोने और डरने का बयान,
3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ 277, रोने और डरने का बयान।

मेरे प्यारे दोस्त ! किसी गुनाह को हल्का और छोटा समझ कर करते रहना बहुत बड़ी नादानी है।

'किसी गुनाह को मामूली समझना कुफ़्र है।'

हवाला – ऐनुल हिदाया, जिल्द 1, पृ० 44, अक़ाइद का बयान।

गुनाह कोई भी हो, मामूली नहीं होता। क्या आग की मामूली चिंगारी को कोई होशमंद अपने छप्पर में डालने की इजाज़त देगा ? हरगिज़ नहीं, तो फिर दीन की बातों में वह एहतियात क्यों नहीं बरती जाती? देखिए नमाज़ में खुजलाना सिर्फ़ मकरूह है। कोई इन्सान अगर एक ही रुक्न में तीन बार खुजलाए तो हमारे हनफ़ी उलेमा कहते हैं कि उस की नमाज़ ही टूट गयी, फिर से दोबारा नमाज़ शुरू करे।

'अगर एक रुक्न में तीन बार खुजलाया, तो उसकी नामज़ फ़ासिद हो जाएगी। यह इस सूरत में है कि जबकि हाथ उठाए, लेकिन अगर हाथ नहीं उठाया, तो फ़ासिद नहीं होगी, और अगर एक ही मर्तबा खुजलाया, तो सिर्फ़ मकरूह है।'

हवाला – फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 1, पृ० 143, नमाज़ का बयान।

हालांकि नमाज़ में खुजलाना सिर्फ़ मकरूह था, मगर एक रुक्न में तीन मर्तबा करने से नामज़ ही फ़ासिद हो गयी। अब आप सोचें कि तम्बाकू जैसी मकरूहात का आदी बने रहना और उस को लगातार इस्तेमाल करते रहना कहां की अक़्लमंदी हैं

मेरे अजीज़ दोस्त ! तम्बाकू तो क्या, बल्कि हर मकरूह हो छोड़ दो। आप तो नाटक और सिनेमा तक के आदी बने हुए हैं।

हदीस – हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसुऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि मोमिन अपने गुनाह को ऐसा ख़्याल करता है जैसे पहाड़ के नीचे बैठा हुआ आदमी यह डर रखता हो कि कहीं पहाड़ (या उस का कोई हिस्सा) उस पर न गिर पड़े (यानी अल्लाह की

नाफ़रमानी करने से डरता है) और फ़ाजिर (यानी बद-कार) गुनाह को ऐसा समझता है कि जैसे नाक पर एक मक्खी बैठी हो, हाथ हिलाया और वह उड़ गयी। (मुख़्तार)

हवाला – 1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 23, पृ० 286, हदीस 1231, दुआ का बयान,

2. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 74, हदीस 360, क़ियामत का बयान।

क़ुरआन शरीफ़ के उन्नीसवें पारे में सूर: शुअरा के पांचवें रुकूअ में आयत न० 90-91 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – परहेज़गारों के लिए जन्नत बिल्कुल क़रीब कर दी जाएगी और गुमराह लोगों के लिए जहन्नम ज़ाहिर कर दी जाएगी।

हदीस – हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है। जन्नत मकरूहात में घिरी हुई है और दोज़ख़ ख़्वाहिशात में।

हवाला – सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 225, हदीस 1066, बाब 496, जन्नत की नमतों का बयान।

मेरे प्यारे दोस्त ! जन्नत मक्रूहात में घिरी हुई है, यानी छोटे-छोटे मक्रूहात तक को छोड़ने से जन्नत की ख़ास-ख़ास नेमतें मिलने वाली हैं और दोज़ख़ ख़्वाहिशाते नफ़्सानी में यानी दिल की तमन्नाओं को शरीअत के ख़िलाफ़ पूरी करते रहना दोज़ख़ में जाने की वजह बन जाता है।

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है–

'अल्लाह तआला का इर्शाद है कि मैं ने अपने नेक बन्दों के लिए ऐसी चीज़ तैयार कर रखी है कि जिस को न कभी आंखों ने देखा, न कानों ने सुना और न किसी के दिल में उस का ख़्याल आया है।'

हवाला – सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 225, हदीस 1067, बाब 496, जन्नत की नमतों का बयान।

क़ुरआन मजीद के इक्कीसवें पारे में सूर: सज्दा के दूसरे रुकूअ में आयत न० 17 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – कोई आदमी नहीं जानता कि उसके लिए क्या-क्या आंखें ठंडी करने वाली नेमतें उसके आमाल के बादले में छिपा रखी हैं।

मेरे अज़ीज़ दोस्त ! ये सारी नेमतें गुनाह से बचने वालों के लिए हैं, मगर अफ़सोस उन लोगों पर है जो आख़िरत पर ईमान रखते हैं और गुनाहों से बचने के लिए कुछ भी कोशिश नहीं करते।

हदीस – हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास जब खाना लाया जाता, तो उसमें से आप को जिस क़दर ख़्वाहिश होती, आप खा लेते और बाक़ी मेरे पास भेज देते।

एक दिन आपने मेरे पास एक प्याला भेजा, जिस में से ,खाया न था, इसलिए कि उस में लहसुन था। मैंने आप से पूछा, क्या लहसुन हराम है

फ़रमाया नहीं, लेकिन मैं इस की बू को पसन्द नहीं करता।

हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, जिस चीज़ को आप पसन्द नहीं क़रते, मैं भी पसन्द नहीं करता।

हवाला – 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 634, हदीस 3989, खानों का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, ज़िल्द 3, पृ० 495, खानों का बयान।

हदीस – हज़रत मुआविया बिन क़ुर्रा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दो पेड़ों यानी लहसुन और प्याज़ से मना फ़रमाया है और कहा है कि जो आदमी इनको खाये, वह हमारे मस्जिदों के क़रीब न आए।

और फ़रमाया कि अगर उनका खाना ज़रूरी हो तो उनको पका कर (यानी उनकी बू मार कर) खाया करो।

हवाला – 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 172, हदीस 678, नमाज़ के मक़ामात का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 237, नमाज़ के मक़ामात का बयान।

पकाई हुई प्याज़ और पकाया हुआ लहसुन खाना मक्रूह नहीं है। क्योंकि पकने के बाद उस में से बदबू निकल जाती है।

नुजूम (तारे)

हदीस – हज़रत हफ़्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि-

जो आदमी काहिन और नुजूमी (ज्योतिषी) के पास आए, और उससे मालूम करे, उस की चालीस दिन की नमाज़ें कुबूल नहीं की जातीं।

हवाला – 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 674, हदीस 4367, फ़ालगोई का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 31 फ़ात्रलगोयी का बयान

हदीस – हज़रत अबू मसऊद रज़ियलल्लाहु ताअला अन्हु फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कुत्ते की क़ीमत, रंडियों की मज़दूरी और काहिन की उजरत (मुआवज़ा)

से मना फ़रमाया है।

हवाला – 1. सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 22, पृ० 97, हदीस 315, तलाक़ का बयान,
2. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 391, हदीस 1970, तिब्ब का बयान,
3. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 446, हदीस 2625, किताबुल बुयूअ,
4. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 3, पृ० 8, किताबुल बुयूअ।

हदीस – हज़रत इब्ने मसूऊद अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि जनाब रसूल मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कुत्ते की क़ीमत और रंडी ज़ानिया का खर्चा और काहिन और नजूमी की उजरत लेने-देने से मना फ़रमाया है–

हवाला – तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 256, हदीस 1176, अब-वाबुल बुयूअ।

मेरे प्यारे दोस्त! ये हदीसें इस लिए बयान की गयी हैं कि अक्सर ज़ाहिल औरतें ज़रा-ज़रा सी तक्लीफ़ या बीमारी या शादी वग़ैरह के वक़्त इन मौलवियों के पास जाती हैं कि फ़्लां-फ़्लां बारे में हमें ज़रा किताब में देख कर बताइए। वह मौलवी साहब किताब को निकाल कर सामने रख देते हैं और फिर कहते हैं कि इस किताब पर सवा पांच आने रखो या सवा रुपए रखो या पांच रुपए रखो। जैसा इंसान हो, वैसा ही भाव करते हैं, फिर उस किताब पर उंगली रखते हैं या और कोई तर्कीब कर के अक़्ली, झूठी बातें इधर-उधर की बता देते हैं और अक्सर जाहिल मुसलमान उन बातों को सच मान लेते हैं और इन पेटभरू मौलवियों का इन्हीं कामों पर पेटगुज़ारी का दारोमदार होता है।

ज़रा फ़ुकहा-ए-किराम का फ़त्वा भी सुनतें जाइए मेरे भाई जान!

'हराम है वह माल, जिस को ग़ैबी ख़बरें बताने पर लेते हैं।'

हवाला – ग़ायतुल अवतार, उर्दू तर्जुमा दुर्रे मुख़्तार, जिल्द 4, पृ० 247, बाबुल हज़र।

तस्वीर

हदीस – हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु व सल्लम को यह फ़रमाते हुए सुना है कि–

खुदा के यहां सख़्त अज़ाब तस्वीर बनाने वालों को दिया जाएगा।

हवाला – 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 664, हदीस 4272, तसावीर का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 3, पृ० 572 तसावीर का बयान,

हदीस – हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है–

'जिस घर में कुत्ता या तस्वीरें हों, उस में फ़रिश्ते नहीं आते।'

हवाला - 1. मिश्कात शरीफ़ जिल्द 2, पृ० 663, हदीस 4264, तसावीर का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 3, पृ० 570, तसावीर का बयान।

हदीस – हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फ़रमाती हैं कि–

मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिए एक तकिया भर दिया, जिस में तस्वीरें थीं और वह छोटा-सा था। पस आप दोनों दरवाज़ों के बीच में खड़े हो गये और आप के चेहरे का रंग बदलने लगा–

मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! हम से क्या कुसूर हुआ?

आपने फ़रमाया, यह तकिया कैसा है ?

मैंने कहा, यह तकिया मैंने आप के लिए बनाया है, ताकि आप इस पर लेटें।

आपने फ़रमाया , क्या तुम नहीं जानतीं कि फ़रिश्ते उस घर में नहीं जाते, जिस में तस्वीर हो और जो आदमी तस्वीर बनाता है, कियामत के दिन उस पर अज़ाब होगा और अल्लाह तआला (उन लोगों से) फ़रमायेगा कि जो सूरतें तुमने बनायी हैं, उन को जिन्दा करो।

हवाला – 1. सही बुख़ारी शरीफ़ , जिल्द 2, पारा 13, पृ० 126, हदीस 455, पैदाइश का बयान,
2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 663, हदीस 4267, तसावीर का बयान,
3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 3, पृ० 571, तसावीर का बयान।

हदीस – हज़रत राफ़ेअ बिन इसहाक़ रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि–

मैं और अब्दुल्लाह बिन अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हुमा दोनों हज़रत अबूसईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु के पास उन की बीमारी में मिज़ाज पुरसी के लिए गये तो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ि० ने फ़रमाया–

हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ख़बर दी है कि जिस घर में मूर्तियां या तस्वीरें हों, उस में रहमत के फ़रिश्ते दाख़िल नहीं होते।

हवाला – तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 126, हदीस 663, बाबुल अदब ।

मेरे प्यारे दोस्त ! इन हदीसों के बयान करने से मेरा मतलब यह है कि आजकल अक्सर मुसलमान भाई अपने-अपने घरों को तस्वीरों से सजाते हैं। कोई दुलदुल की तस्वीर रखता है, कोई बुर्राक़ की, कोई फ़िल्मो में काम करने वाले नट-नटनियों की और कोई अपनी और अपने घर वालों की तस्वीरों को मकान की सजावट के लिए दीवारों पर लगा रखता है।

अब यहां सोचने की जगह तो यह है कि जब कोई हमारे घर में मरता है तो उसकी रूह को लेने के लिए रहमत के फ़रिश्ते या अज़ाब के फ़रिश्ते आते हैं। अब अगर हदीस के मुताबिक़

जहां तस्वीरें हैं, वहां रहमत के फ़रिश्ते नहीं आते, तो उस घर में मरने वाले की रूह को अज़ाब के फ़रिश्ते लेने के लिए आएंगे। किस कदर जहालत है कि दुनिया की रौनक़, ज़ीनत और मुहब्बत का अंधापन इंसान को जहन्नम तक ले जाता है।

खान्दानी

कुरआन करीम के अट्ठारहवें पारे में सूरः नूर के चौथे रुकूअ में आयत न० 32 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - तुम में से जो लोग मुजर्रद (ग़ैर-शादी शुदा) हों और तुम्हारे लौंडी-गुलामों में से जो नेक हों, उनके निकाह कर दो। अगर वे ग़रीब हों तो अल्लाह अपने फ़ज़्ल से उन को ग़नी कर देगा। अल्लाह बड़ी वुस्अत और जानने वाला है।

इस का मतलब असल में यह है कि मुसलमानों को आम तौर पर यह फ़िक्र होनी चाहिए कि उन के समाज में लोग बिन ब्याहे न बैठे रहें, खानदान वाले, दोस्त, पड़ौसी, सब इस मामले में दिलचस्पी लें और जिस का कोई न हो, उस को हुकूमत इस काम में मदद दे।

कुरआन करीम के छब्बीसवें पारे में सूरः हुजूरात के दूसरे रुकूअ में आयत न० 13 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा - ऐ लोगों! हमने तुम को एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है और मुख़्तलिफ़ ख़ानदान बनाये ताकि एक दूसरे को पहचान सको। अल्लाह के नज़दीक तुम सब में बड़ा शरीफ़ वही है जो सब से ज़्यादा परहेज़गार हो। अल्लाह खूब जानने वाला, पूरा ख़बरदार है।

अल्लाह तआला के नज़दीक मक़्बूलियत के लिए खानदानी कोई चीज़ नहीं हैं, बल्कि परहेज़गारी है। एक इंसान अपने आप को सैयद या शेख़ कहता हो और खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के फ़रमान को ठुकराता हो, उससे वह हब्शी अच्छा हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के फ़रमान पर दिल जान से अमल करता हो।

हम में एक जहालत यह भी है कि एक ख़ानदान की लड़की दूसरे ख़ानदान में नहीं दी जाती या एक ख़ानदान दूसरे ख़ानदान की लड़की को नहीं लेता, यह सब जहालत है।

अल्लाह तआला के नज़दीक तो तक़्वा और परेजगारी पसन्द है। ख़ानदान पसन्द नहीं है।

मेरे प्यारे दोस्त! हिन्दुस्तान के कुछ मुसलमन भाइयों में एक यह भी जहालत की रस्म है कि ब्याही हुई लड़की या बहन बेवा हो जाए तो फिर दूसरी बार उसका निकाह किसी और से कर देना अपनी ख़ानदानी रिवायत के ख़िलाफ़ समझते हैं और कुछ मर्द भी ऐसे ही हैं जो बेवा औरत से निकाह करना बुरा समझते हैं।

अब सुनिये ख़ानदानी कौन है ?

हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की कुल ग्यारह बीवियां हुईं, जिन में से

सिर्फ़ एक ही बीवी हज़रत आइशा सिद्दीका कुवांरी थीं और हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश को हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तलाक़ दे दी थी, बाद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने निकाह में ले लिया था और उन के अलावा जो नौ बीविया हैं, वे सब की सब बेवाएं थीं और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो फ़ारूक़े आज़म कहलाते हैं, जिनकी बहादुरी का दुनिया में डंका बज गया, जिनके इंसाफ़ का रहती दुनिया तक चर्चा रहेगा, जिन्होंने इस्लाम का झंडा आधी दुनिया पर लहरा दिया था, उन की बेटी हज़रत हफ़्सा रज़ियल्लाहु अन्हा बेवा हो गयीं तो आप ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से उन का निकाह पढ़ा दिया। हज़रत अबूबक्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर में भी एक बेवा औरत थी, जिन के पेट से हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा पैदा हुई थीं।

अब जो दीन के बानी-मुबानी थे, वे तो बेवाओं से निकाह भी कर लें और जो बेवा हो जाए, उस की दूसरी जगह किसी से शादी भी करा दें और हमारी जहालत को देखिये कि हम इसको अपनी खानदानी रिवायत के ख़िलाफ़ समझते हैं।

मेरे प्यारे दोस्त ! जो काम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने किया और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने भी किया और हम को भी करने के लिए फ़रमाया, वह काम हमारे लिए सुन्नते मुअक्कदा हुआ, अब किसी सुन्नत को हक़ीर और बेकार समझ कर छोड़ना गोया ईमान से हाथ धोना है।

'तर्क किया सुन्नत को और उन को हक़ समझता है, तब तो तर्क से गुनाहगार होगा, वरना काफ़िर हो जाएगा, यानी हिक़ारत की वजह से।'

हवाला – 1. ग़ायतुल अवतार उर्दू तर्जुमा दुर्रे मुख़्तार, जिल्द 1, पृ० 316, नवाफ़िल का बाब,
2. फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 1, पृ० 156, नवाफ़िल का बाब,
3. ऐनुल हिदाया, जिल्द 1, पृ० 541, नमाज़ का बाब।

मेरे प्यारे दोस्त ! जो कुछ लोग ख़ानदानी इज़्ज़त को पाल रहे हैं, वे तो हक़ीक़त में अपनी आख़िरत के लिए बर्बादी है, दुनिया का घमंड और हमारे बड़े-बूढ़ों की रस्में हमें कहीं बर्बाद न कर दें। तौबा करो, आज ही किसी अच्छे और नेक आदमी से अपनी बेवा बेटी और अपनी बेवा बहन का निकाह कर दो। अगर कोई औरत अपनी औलाद की हिफ़ाज़त के ख़्याल से दूसरा निकाह करने से इंकार करे, तो उसे बैठे रहने की इजाज़त है, मगर आज कुछ जगहों पर लड़कियां बैठी हुई हैं। अपने बाप या भाई या कुम्बा के दबाव के मारे वे क़ियामत के दिन उन लोगों के लिए वबाले जान हैं, जो उन को निकाह से रोक रहे हैं।

हदीस – हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि एक औरत मेरे पास आयी, जिस के साथ उस की दो बेटियां भी थीं। मुझ से उसने कुछ मांगा। मेरे पास सिर्फ़ एक खजूर उस वक़्त थी, वही मैंने उस को दे दी। उसने उस खूजूर को आधी-आधी दोनों बेटियों को दे

दी और खुद उसमें से कुछ न खाया। फिर वह उठी और बाहर चल दी।

उस के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तश्रीफ़ लाये। मैं ने यह वाक़िया बयान किया।

आपने फ़रमाया, जो आदमी इन लड़कियों के साथ आज़माइश में मुब्तला किया जाए, (यानी जो बेटियों की वजह से मुसीबत और तंगी में पड़े), और वह उन बेटियों के साथ एहसान व सुलूक करे तो ये बेटियां उस के लिए दोज़ख़ की आग के सामने परदा होंगी (यानी उस को दोज़ख़ से बचाएंगी।)

हवाला – 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 714, हदीस 4703, बाब शफ़्क़त ब रहमत,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 130, बाब शफ़्क़त व रहमत।

हदीस – हज़रत सुराक़ा बिन मालिक रज़ियल्लहु अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है–

क्या मैं तुमको बेहतरीन सदक़े से आगाह कर दूं। वह अपनी उस बेटी साथ सुलूक करना है, जो तरी तरफ़ वापस कर दी गयी है, (यानी उसके शौहर ने तलाक़ दे दी है या मर गया है) और तेरे सिवा अब उस के लिए कोई कमाने वाला नहीं है।

हवाला – 1. मिश्कात शरीफ़ ज़िल्द 2, पृ० 720, हदीस 4755, बाब शफ़्क़त व रहमत,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 139, बाब शफ़्क़त व रहमत।

हदीस – हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है–

जो आदमी दो बेटियों की परवरिश करे, यहां तक कि वे बालिग़ हो जाएं (यानी उनकी शादी हो जाए और वे अपने शौहर के घर पहुंच जाएं) तो वह आदमी और मैं क़ियामत के दिन इस तरह एक जगह होंगे, जिस तरह ये उगंलियां हैं (यानी शहादत वाली और बीच की उंगली) और दोनों उगंलियां को आपने मिला कर दिखाया।

हवाला – 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 714, हदीस 4704, मख़्लूक़ पर शफ़्क़त का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 130, मख़्लूक पर शफ़्क़त का बयान।

हदीस – हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है–

'जिस आदमी के पास एक बेटी हो और उसको (जाहिलियत के दिनों की तरह) ज़िन्दा दफ़न न किया हो, न उस को ज़लील व ख़्वार करके रखा हो और हुक़ूक़ देने में लड़कों को उस पर तर्जीह न दी हो, दाख़िल करेगा अल्लाह उस को बहिश्त में।

हवाला – 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 717, हदीस 4733, शफ़्क़त व रहमत का बयान,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 128, शफ़क़त व रहमत का बयान।

क़ुरआन करीम के बाईसवें पारे में सूरः अहज़ाब के पांचवे रुकूअ में आयत न० 36 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तुर्जमा – किसी मुसलमान मर्द व औरत को ख़ुदा और उसके रसूल के फ़रमान के बाद अपने किसी मामले का कोई अख़्तियार बाक़ी नहीं रहता। याद रखो ख़ुदा और उसके रसूल सल्ल० की जो भी नाफ़रमानी करे, वह खुली गुमराही में पड़ेगा।

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु का पैग़ाम लेकर हज़रत ज़ैनब बिन्त जह्श रज़ियल्लाहु अन्हा के पास गये।

उन्होंने कहा, मैं उनसे निकाह नहीं करूंगी।

आपने फ़रमाया, ऐसा न कहो और उनसे निकाह कर लो।

हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया कि अच्छा, फिर कुछ मोहलत दीजिए, मैं कुछ सोच लूं।

अभी ये बातें हो ही रही थीं कि वह्य नाज़िल हुई और यह आयत उतरी।

उसे सुनकर हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने फ़रमाया। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! क्या आप इस निकाह से रज़ामन्द हैं ?

आप ने फ़रमाया, हां,

तो हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया कि बस फिर मुझे कोई इंकार नहीं। मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नाफ़रमानी नहीं करने की। मैंने अपना नफ़्स उनके निकाह में दे दिया।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 22, पृ० 9, सूरः अह्ज़ाब के पांचवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की फूफीज़ाद बहन थीं। वह कुरैश ख़ानदान से थीं और हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के गुलाम थे, जिन को आप ने बेटे की हैसियत से रखा था, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की रज़ामन्दी और ख़ुशनूदी के लिये हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपनी ख़ानदानी शराफ़त को नज़रंदाज़ कर दिया और एक गुलाम से निकाह कर लिया और आज हम लोग रुपयों की तलाश में हैं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की रज़ामन्दी की तलाश में नहीं हैं, यह है जहालत।

कुछ जगहों पर दहेज़ का रिवाज है। कुछ जगहों पर लड़की वाले दो चार-हज़ार रुपए लेते हैं, तब लड़की देते हैं। कहीं-कहीं लड़के दो-चार हज़ार रुपए लेते हैं, तब लड़की को क़ुबूल करते हैं। यह रस्म कितनी बुरी और मनहूस है कि किसी-किसी जगह पर कई-कई लड़कियां बग़ैर शादी के बैठी हैं। मुसलमानों को चाहिए कि ऐसी रस्मों को ख़त्म करें।

हाय हिन्दुस्तान, तेरी जहालत ! अब तो मैं भी तेरी जहालतों को बयान करते-करते थक गया हूं। तूने तो हमारे अक्सर मुसलमान भाइयों को बर्बाद कर दिया।

औरतों की शानेमुबारक

कुरआन करीम के बाईसवें पारे में सूर: अह्ज़ाब के चौथे रुकूअ में आयत न० 32 में अल्लाह इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा – नबी की बीवियों ! तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। अगर तुम अल्लाह से डरने वाली हो, तो दबी ज़ुबान से बात न किया करो कि दिल की ख़राबी में मुबतला कोई आदमी लालच में पड़ जाए, बल्कि साफ़ सीधी बात करो।

इस आयत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बीवियों से ख़िताब किया गया है, मगर मक्सूद तमाम मुसलमान घरों में इन इस्लाहों को लागू करना है। पाक बीवियों को मुख़ातब करने की ग़रज़ सिर्फ़ यह है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के घर से इस पाकीज़ा तर्ज़े ज़िन्दगी की शुरुआत होगी, तो बाक़ी सारे मुसलमान घरानों की औरतें खुद उस की तक़लीद करेंगी, क्योंकि यही घर उन के लिए नमूने की हैसियत रखता था।

आयते करीमा में यह बतलाया जा रहा है कि ज़रूरत पेश आने पर किसी मर्द से बात करने में कोई हरज नहीं हैं लेकिन ऐसे मौक़ों पर औरत का लेहजा और बात करने का अन्दाज़ ऐसा होना चाहिए, जिस से बात करने वाले मर्द के दिल में कभी यह ख़्याल तक न गुज़र सके कि इस औरत से कोई और उम्मीद भी क़ायम की जा सकती है। उस के लेहजे में कोई लोच नहीं हो, उस की बातों में कोई लगावट न हो, उस की आवाज़ में जानते-बूझते कोई मिठास घुली हुई न हो, जो सुनने वाले मर्द के जज़्बों को भड़का सके और उसे आगे क़दम बढ़ाने की हिम्मत दिलाये।

बात करने के इस तरीक़े के बारे में अल्लाह तआला साफ़ फ़रमाता है कि यह किसी ऐसी औरत को ज़ेब नहीं देता, जिस के दिल में खुदा का डर और बुराई से बचने का जज़्बा हो।

दूसरे लफ़्ज़ों में यह फ़ाजिरा व फ़ासिक़ा औरतों के बात करने का अन्दाज़ है, न कि मोमिन परहेज़गार औरतों का।

कुरआन करीम के अट्ठारहवें पारे में सूर: नूर के चौथे रुकूअ में, आयत न० 31 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा – और अपने पांव (ऐसे तौर पर ज़मीन पर) न मारें कि (झंकार की आवाज़ कानों में पहुंचे और) उन का छिपा हुआ ज़ेवर मालूम हो जाए।

अल्लाह रब्बुल आलमीन का मंशा यह मालूम होता है कि औरतें ख़्वाहमख़्वाह अपनी आवाज़ या अपने ज़ेवरों की झंकार ग़ैर-मर्दों को न सुनाएं और अगर ज़रूरत पड़ने पर अजनबियों से

बोलना पड़ जाए, तो पूरी एहतियात के साथ बात करें- इसी लिए औरत के लिए अज़ान देना मना है।

साथ ही अगर नमाज़ की जमाअत में कोई औरत मौजूद हो और इमाम कोई ग़लती करे, तो मर्द की तरह 'सुब्हानल्लाह' कहने की उसे इजाज़त नहीं है, बल्कि उस को सिर्फ़ हाथ पर हाथ मार कर आवाज़ पैदा करनी चाहिए, ताकि इमाम ख़बरदार हो जाए।

अब यह ज़रा सोचने की बात है कि जो दीन औरत को ग़ैर-मर्द से बात करते हुए भी लोचदार बात करने का तरीक़ा अपनाने की इजाज़त नहीं देता और उसे मर्दो के सामने बिला जरूरत -आवाज़ निकालने से भी रोकता है, क्या वह कभी इस को पसन्द कर सकता है कि औरत स्टेज पर आ कर गाये, नाचे, थिरके, भाव बताये और नाज़ व नख़रे दिखाये ? क्या वह इस की इज़ाज़त दे सकता है कि रेडियो पर औरत आशिकाना गीत गाये और सुरीले नग़्मों के साथ बेहयाई के मज़्मून सुना-सुना कर लोगों के जज़्बात में आग लगाये ? क्या वह इसे जायज़ रख सकता है कि औरतों को ड्रामों में कभी किसी की बीवी और कभी किसी की माशूक़ा और कभी किसी की बहन और कभी उस की मां का पार्ट अदा करें ? या मेज़बान बनायी जाएं उन्हें ख़ास तौर पर मुसाफ़िरों का दिल लुभाने की तर्बियत दी जाए ? या क्लबों और इज्तिमाओ़ी तक़रीबों और मिली-जुली मज्लिसों में बन-ठन कर आएं और मर्दो से ख़ूब घुल-मिल कर बात-चीत और हंसी-मज़ाक करें? यह कल्चर आख़िर उन को कहां से मिला है? ख़ुदा का नाज़िल किया हुआ कुरआन तो सबके सामने है। इस में कहीं इस कल्चर की गुंजाइश नज़र नहीं आती है अगर किसी जगह आती हो, तो उस जगह की निशानदेही की जाए।

हदीस – हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया –

अल्लाह तआला ने मुझ को दुनिया के लिए रहमत व बरकत की वजह बना कर भेजा है और बाजों, मज़ामीर, बुतों, सलेब और जाहिलियत की तमाम बुरी रस्मों और तरीक़ों को मिटाने का हुक्म दिया है और मेरे बुज़ुर्ग बरतर ख़ुदा ने क़सम खायी है कि मेरे बंदों में से जो बंदा शराब का एक घूंट पियेगा, मैं उस को दोज़ख़ियों के बदन से निकली हुई उतनी ही पीप पिलाऊंगा और जो आदमी मेरे डर से शराब पीना छोड़ देगा, मैं उस को पाक हौज़ में से (शराबे तहूर) पिलाऊंगा।

हवाला – 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 565, हदीस 3465, शराब की वईद,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 3, पृ० 324, शराब की वईद।

वे मुसलमान भी सोचें, जो शादी-ब्याह में शराबनोशी करते हैं और हज़ारों रुपए देकर गाने वालियों को बुलाते हैं, ख़ुद भी हराम काम करते हैं और दूसरों को भी रुपए देकर हराम काम करवाते हैं।

कहीं तो एक गाने वाली बुलायी जाती है और कहीं तो दो गाने वाली बुलायी जाती हैं और कहीं तो ज़्यादा बुलायी जाती हैं और रात भर गाना होता रहता है, लोग गाने वालियों से मज़ाक करते रहते हैं और रकम भी देते हैं। गाने वालियां भी इशारों से बेवकूफ़ बनाती रहती हैं, इसी तरह रात भर हंसी मज़ाक होता रहता है और गाना बजाना भी होता रहता है। यहां तक कि फ़ज्र का वक़्त हो जाता है अज़ान भी होती रहती है और गाना बजाना भी होता रहता है अज़ान और नमाज़ का एहसास न गाने-बजाने वालों को होता है और न महिफ़ल वालों को होता है। यही लोग अपने आप को आला दर्जे का सुन्नी समझते हैं। हद हो गयी जहालत की।

हदीस – हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि मैं और हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर थीं कि हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु (ना-बीना) आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हम से फ़रमाया, इन से परदा करो।

मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! वह तो अंधे हैं, हम को नहीं देख सकते।

आप ने फ़रमाया, क्या तुम भी अंधी हो कि उनको नहीं देख सकतीं ?

हवाला – 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 491, हदीस 2964, आज़ा के छिपाने का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 3, पृ० 117, आज़ा के छिपाने का बयान।

कहीं-कहीं कुछ रस्मी पीर साहिबान आते हैं और हमारी जवान बेटियां और जवान बहनें, जवान बहुएं उन पीर साहिबों को हवा झलती हैं और सर में तेल वग़ैरह भी डालती हैं और बैठ कर बड़े अदब व एहतराम से खाना भी खिलाती हैं।

अब आप ही सोचें कि यह कहां की शराफ़त है यह जहालत नहीं तो क्या शरीअत है?

पाक बीवियां तमाम मुसलमानों की माएं हैं। इस के बावजूद आपने एक अंधे सहाबी से परदा करने का हुक्म दिया और आज हमारी औरतों की बे-परदगी का क्या हाल है ? इस का अन्दाज़ा आप खुद ही लगायें ?

मर्दों और औरतों की शान अल्लाह तआला अपने क़ुरआन करीम के अन्दर एक साथ दोनों को किस अदा से बयान फ़रमाता है, जो मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं, उन की भली-भांति खूबियां गिन-गिन कर बयान फ़रमाता है और उन के लिए मग़्फ़िरत और बड़े बदले का वायदा फ़रमाता है।

क़ुरआन करीम के बाईसवें पारे में सूर: अह्ज़ाब के पांचवें रुकूअ में आयत न० 35 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें,

फ़रमांबरदारी करने वाले मर्द और फ़रमांबरदारी करने वाली औरतें, सच बोलने वाले मर्द और सच बोलने वाली औरतें, सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें, आजिज़ी करने वाले मर्द और आजिज़ी करने वाली औरतें, ख़ैरात करने वाले मर्द और ख़ैरात करने वाली औरतें, रोज़े रखने वाले मर्द और रोज़े रखने वाली औरतें, ज़िनाकारी से बचने वाले मर्द और ज़िनाकारी से बचने वाली औरतें, अल्लाह का ज़िक्र करने वाले मर्द और अल्लाह का ज़िक्र करने वाली औरतें, इन सब के लिए अल्लाह तआला ने भारी मग़्फ़िरत और बड़ा सवाब तैयार कर रखा है।

उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में अर्ज़ किया कि आख़िर इस की क्या वजह है कि मर्दों का ज़िक्र क़ुरआन में आता रहता है, लेकिन हम औरतों का तो ज़िक्र ही नहीं किया जाता? एक दिन मैं अपने घर में बैठी अपना सर सुलझा रही थी कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की आवाज़ मिन्बर पर सुनी । मैंने बालों को तो यों ही लपेट लिया और हुजरों में आकर आप की बात सुनने लगी, तो आप उस वक़्त यही आयत तिलावत फ़रमा रहे थे।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 22, पृ० 7, सूरः अहज़ाब के पांचवें रुकूअ की तफ़्सीर में।

मेरी मां साहिबा ! जब तू तौहीद पर थी, जब तू दीन पर थी, जब तू परदे में थी, जब तू पाकदामन थी, जब तू हक़ पर थी, तो अल्लाह तआला ने तेरी गोद से ऐसे लाल पैदा किये हैं कि ज़मीन तो ज़मीन आसमान को भी फ़ख़्र हासिल है।

–तौहीद का डंका दुनिया में बजवाने वाले लाल मेरी मां ! तेरी गोद से पैदा हुए,

–सच्चाई का सिक्का दुनिया पर बिठा देने वाले लाल, मेरी मां ! तेरी गोद से पैदा हुए,

–सख़ावत की धूम दुनिया में मचा देने वाले लाल, मेरी मां ! तेरी गोद से पैदा हुए।

–बहादुरी का डंका दुनिया में बजा देने वाले लाल, मेरी मां, तेरी गोद से पैदा हुए,

–तीरों की बौछारों में और तलवारों की छांवों में भी नमाज़ को क़ज़ा नहीं करने वाले लाल, मेरी मां ! तेरी गोद से पैदा हुए,

–जब तू हक़ पर थी, तो आलिम तेरी गोद से पैदा हुए,

– मौलवी तेरी गोद से पैदा हुए,

– हाफ़िज़ तेरी गोद से पैदा हुए,

– क़ारी तेरी गोद से पैदा हुए,

– मुफ़्ती तेरी गोद से पैदा हुए,

– इमाम तेरी गोद से पैदा हुए,

– मुहद्दिसीन तेरी गोद से पैदा हुए,

– शहीद तेरी गोद से पैदा हुए,

– औलियाअल्लाह तेरी गोद से पैदा हुए,

– अरे, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम भी तो मेरी मां ! तेरी गोद से पैदा हुए,

हमने मान लिया कि तू आज नबियों को जन्म नहीं दे सकती, क्योंकि नुबूवत ख़त्म हो चुकी है, लेकिन मेरी मां !

- तू वही मां है जो पहले थी,
- तेरी वही गोद है, जो पहले थी,
- तेरा वही खून है, जो पहले था,
- तू आज भी आलिमों को जन्म दे सकती है,
- तू मौलवियों को जन्म दे सकती है,
- तू क़ारियों को जन्म दे सकती है,
- तू हाफ़िज़ों को जन्म दे सकती है,
- तू मुफ़्तियों को जन्म दे सकती है,
- तू इमामों को जन्म दे सकती है,
- तू मुहद्दिसीन को जन्म दे सकती है,
- तू सख़ियों को, बहादुरों को, दयानतदारों को जन्म दे सकती है,
- तू शहीदों को जन्म दे सकती है,
- मेरी मां ! तू औलिया अल्लाह को आज भी जन्म दे सकती है,

लेकिन जब से तू ने तौहीद को छोड़ा, तू ने परदे को छोड़ा, तू शिर्क करने लगी, सिनेमा देखने लगी, खेल-तमाशों में आने-जाने लगी, तो-

–शराब पीने वाले लाल, मेरी मां ! तेरी गोद से पैदा हुए,

– जुआ खेलने वाले लाल, मेरी मां, ! तेरी गोद से पैदा हुए,

– चोरी करने वाले लाल, मेरी मां ! तेरी गोद से पैदा हुआ,

– चरस, गांजा, अफ़ीम खाने-पीने वाले लाल, मेरी मां! तेरी गोद से पैदा हुए,

– ढोल, ताशे, शहनाइयां बजवा कर इस्लाम को बदनाम करने वाले लाल, मेरी मां ! तेरी गोद से पैदा हुए,

-- नमाज़ नहीं पढ़ने वाले लाल, रोज़े नहीं रखने वाले लाल, मेरी मां ! तेरी गोद से पैदा हुए,

– ज़कात नहीं देने वाले और सूद खाने वाले लाल, मेरी मां ! तेरी गोद से पैदा हुए,

– हैसियत होते हुए हज को नहीं जाने वाले लाल, मेरी मां ! तेरी गोद से पैदा हुए,

– हक़परस्तों को सताने वाले और बातिलपरस्तों का साथ देने वाले लाल, मेरी मां ! तेरी गोद से पैदा हुए,

– ताज़ियों को पूजने वाले और पुजवाने वाले लाल, मेरी मां ! तेरी गोद से पैदा हुए,

– मज़ारों पर सज्दा करने वाले लाल और सज्दे करने वाले लाल, मेरी मां ! तेरी गोद से पैदा हुए,

– कुफ़्र को सवाब समझने वाले लाल, मेरी मां ! तेरी गोद से पैदा हुए,

– शिर्क को निजात समझने वाले लाल, तेरी गोद से पैदा हुए,

– बिदअत को दीन समझने वाले लाल, तेरी गोद से पैदा हुए,

– बातिल को हक़ समझने वाले लाल तेरी गोद से पैदा हुए,

– गुमराही को हिदायत समझने वाले लाल तेरी गोद से पैदा हुए,

– जहालत को शरीअत समझने वाले लाल तेरी गोद से पैदा हुए,

– हदीसों का इंकार करने वाले लाल तेरी गोद से पैदा हुए,

– क़ुरआन करीम की आयतों को झुठलाने वाले लाल भी तो मेरी मां ! तेरी गोद से पैदा हुए,

तूने ऐसे को क्यों जन्म दिया? तू बांझ रहती तो अच्छा था, तू बे–औलाद रहती तो अच्छा था।

मेरी मां साहिबा ! जब तू भली बनती है, तो भलों को जन्म देती है और जब तू बुरी बनती है, तो बुरों को जन्म देती है।

जब तू भली थी तो–

- हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को तूने जन्म दिया,
- हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तूने जन्म दिया,
- हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को तूने जन्म दिया,
- हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को तूने जन्म दिया,
- हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को तूने जन्म दिया,
- हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को तूने जन्म दिया,
- हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को तूने जन्म दिया,
- हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तूने जन्म दिया,
- हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को तूने जन्म दिया,
- हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को तूने जन्म दिया,
- हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तूने जन्म दिया,
- हज़रत ज़करिय्या अलैहिस्सलाम को तूने जन्म दिया,
- हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तूने जन्म दिया,
- हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को भी तो मेरी मां ! तूने जन्म दिया।

और जब तू बुरी बनती है तो बुरों को जन्म देती है-

- नमरूद को तूने जन्म दिया,
- शद्दाद को तूने जन्म दिया,
- फ़िरऔन को तूने जन्म दिया,
- हामान को तूने जन्म दिया,
- क़ारून को तूने जन्म दिया,
- अबूजह्ल को भी तो मेरी मां ! तूने जन्म दिया।

० जब तू भली बनती है, तो पूरा घर भला होता है और जब तू बुरी बनती है, तो पूरे घर को बर्बाद कर देती है।

० तेरा दामन जब पाक होता है तो पूरे ख़ानदान को फ़ख़्र हासिल होता है, जब तेरे दामन में दाग़ लग जाता है, तो पूरा ख़ानदान बदनाम हो जाता है।

० जब तू सज्दे में जाती है, तो तेरा नन्हा-सा बच्चा, जो उम्र में सिर्फ़ दो साल का है, वह भी तुझ को सज्दे में देख कर सज्दे में गिर जाता है। जिस घर में मां नमाज़ी होती है, उस घर में छोटे बच्चे को भी सज्दा करने की आदत पड़ जाती है। तेरा नन्हा-सा बच्चा जब सज्दे में जाएगा, तो अल्लाह की रहमत उस पर झूम पड़ेगी, क्योंकि अल्लाह तआला को सब से ज़्यादा पसन्द सज्दा है और तेरा मासूम सज्दे में गया हुआ है। अगर तेरे ऊपर कोई मुसीबत आयी हुई है, तो अल्लाह तआला उस को उठा लेगा और अगर मुसीबत आने का इम्कान है, तो रोक लेगा। अल्लाह तआला उस बच्चे पर करम करेगा। जब यह बड़ा होगा, आलिम होगा, हाफ़िज़ होगा, क़ारी होगा, इमाम होगा, मुहद्दिस होगा, सख़ी होगा, बहादुर होगा, दयानतदार होगा, अमानतदार होगा, मख़्लूके, खुदा की भलाई चाहने वाला होगा, दीन का पहलवान होगा, शरीअत का शैदाई होगा, यक़ीनन कुछ न कुछ ज़रूर होगा, क्योंकि तू ने उस पर सज्दे का रंग चढ़ा दिया है, इस लिए वह तो तौहीद परस्त होगा, हक़परस्त होगा, तेरे सज्दे की मेहनत बेकार नहीं जाएगी।

लेकिन अफ़सोस मेरी मां साहिबा ! तू ने सज्दे को छोड़ दिया, परदे को भी छोड़ दिया, सिनेमा देखने लगी, ढोल-ताशों पर गाने लगी, ताज़ियों पर कूटने और पीटने लगी, और तेरा पांच साल का लड़का तेरी ये सारी हरकत देख रहा है। अब यह लड़का जब जवान होगा, तो-

-औलिया अल्लाह के मज़ारों पर रंडियां नचवायेगा, क्योंकि मां को नाचते हुए देखा था, इसलिए उस पर कलर जो था, ग़लत चढ़ गया ।

-जिन औलियाअल्लाह ने अपनी पूरी ज़िन्दगी में दूसरी औरतों की शक्ल को देखना हराम समझा, उन औलियाअल्लाह के मज़ारों पर उर्स के नाम से रंडियों को नचवायेगा।

- अगर उससे यों कहा जाए कि अपनी मां को नचा, अपनी बहन को नचा, अपनी बीवी

को नचा, अपनी लड़की को नचा, तो ऐसे लफ़्ज़ कहने वाले को गोली मार देगा, क्योंकि यह जुम्ला उसे पसन्द नहीं आया, लेकिन मेरे मोह्सिन ! तू जिसको भी नचवा रहा है वह भी किसी की बेटी है, वह भी किसी की बहन है, वह भी किसी की बीवी है, वह भी किसी की मां है, किसी की मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाना तुझे ज़ेबा नहीं देता।

– जिन-जिन चीजों को शरीअत ने हराम क़रार दिया है जिन चीज़ों से औलियाअल्लाह रह० हज़ारों मील दूर थे, वे सारी की सारी बातें उर्स के नाम से औलियाअल्लाह के मज़ारों पर करवायेगा, ढोल-ताशे, शहनाइयां वहां बजेंगी, चर्स, गांजा, अफ़ीम वहां बिकेगी, जुआ वहां खेला जाएगा, बेपरदगी वहां होगी, कुफ़्र, शिर्क और बिदअतें वहां होंगी।

– ये सारी हरकतें तेरे साहबजादे ने क्यों की, इसलिए कि तुझे नाचते हुए देखता था, तेरा असर बच्चे पर ग़लत पड़ गया –

– अब यह मदरसों की हिमायत नहीं करेगा,
– आलिमों की हिमायत नहीं करेगा,
– यतीमों, मिस्कीनों, मुहताजों, ग़रीबों की हिमायत नहीं करेगा,
– अब तो यह रंडियों को बुलवायेगा,
– क़व्वालों को बुलवाएगा, और
– औलियाअल्लाह के मज़ारों पर उस का मुक़ाबला करवायेगा,
– बहरूपियों को बुलवायेगा,
– खेल-तमाशे वालों को बुलवायेगा,
– हज़ारों रुपए चन्दा कर के बेजा खर्च करेगा, क्योंकि,
– मेरी मां ! तुझे नाचते हुए देखा था, इसलिए इस पर कलर जो था, ग़लत चढ़ गया।

आज मेरी मां साहिबा का आम तौर से रोना रहता है कि मेरा बाप मेरी बात नहीं मानता, मेरा भाई मेरी बात नहीं मानता, मेरा ख़ाविन्द मेरी बात नहीं मानता, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता इस किस्म का रोना आमतौर पर औरतें रोती रहती हैं लेकिन मेरी मां साहिबा तू ज़रा सोच तो सही कि तू ख़ुद ख़ुा का कहा नहीं मानती ख़ुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कहा नहीं मानती अपनी भूल तुझे याद नहीं, अपनी ख़ता तुझे याद नहीं अपनी ग़लती तुझे याद नहीं। मेरी मां साहिबा तू खुदा का कहा मान ले, खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कहा मान ले, तो तेरी बात तेरा बेटा मान लेगा, तेरी बात तेरा ख़ाविन्द भी मान लेगा तेरी बात तेरा भाई भी मान लेगा तेरी बात तेरा बाप भी मान लेगा।

लेकिन मेरी मां साहिबा ! तू खुदा के हुक्म को भूल गयी, खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हुक्म को भूल गयी, तू तो मौलवियों के पास जाती है और उन से कहती है- 'मौलवी साहब ! मेरा ख़ाविन्द मेरे ताबेअ हो जाए, मेरा कहना मान ले, मेरा उठाया उठे, मेरा

बिठाया बैठे। एक ऐसा तावीज़ बना दो।' वह तुझे तावीज़ बना देता है और पांच-दस रुपए तुझ से ले भी लेता है।

मेरी मां साहिबा! तू इस तावीज़ पर यक़ीन ले आयी, तू सोच तो सही, किसी मौलवी साहब के तावीज़ में यह तासीर और पावर होता कि कोई आदमी किसी दूसरे आदमी के ताबेअ हो सकता है, तो फिर यह मौलवी ब-ज़ाते खुद किसी लखपती को अपने ताबेअ क्यों नहीं कर लेता। ये मौलवी तेरे भालेपन का नाज़ायज़ फ़ायदा उठाते हैं।

इन मौलवियों से जब तू तंग आ जाती है, तो फिर मुजाविरों के पास जाती है और मुजाविरों से कहती है-

'मुजाविर बाबा! मुझे फ़्लां-फ़्लां तक्लीफ़ें हैं, उन को दूर कर दो या जिन की मुजावरी कर रहे हो, उन से दूर कराओ।'

और मुजाविर तुझे दरगाह पर से या ताज़िए के ऊपर से पानी फिरा-फिरा कर देता है और कहता है, इस को पियो और पिलाओ।

मेरी मां साहिबा! तू इस पर यक़ीन ले आई ज़रा सोच तो सही कि यह मुजाविर जब कभी बीमार पड़ता है तो डाक्टरों के यहां इंजेक्शन लेने जाता है। मुजाविर अपने आप दरगाह के ऊपर से या ताज़िए के ऊपर से पानी फिरा के क्यों नहीं पीता? ये लोग तेरे भोलेपन का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं।

अपने ख़ाविन्द की हक़ कमाई अपने मासूम बच्चों को खिला। इन नफ़्सपरस्तों को, दीन के दुश्मनों को न खिला। तुझे मांगना है, तो खुदा से मांग! खुदा से क्या कुछ नहीं मिलता! खुदावंद करीम सारी दुनिया को एलान के साथ फ़रमा रहा है।

क़ुरआन करीम के चौथे पारे में सूर: आले इम्रान के पन्द्रहवें रुकूअ में आयत न० 145 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है-

तर्जुमा – और दुनिया की चाहत वालों को हम कुछ दुनिया दे देते हैं और आख़िरत का सवाब चाहने वाले को हम वह भी दे देते हैं, एहसान मानने वालों को हम बहुत जल्द नेक बदला देंगे।

दुनिया चाहने वालों को अल्लाह तआला दुनिया देता है और आख़िरत चाहने वालों को आख़िरत देगा और दोनों चाहो, तो अल्लाह पाक दोनों देगा। उस की रहमत में कमी, नहीं उसकी खुदाई में ख़ामी नहीं, जो चाहो ले लो, जो मांगो पालो और अगर दुनिया भी न चाहो और आख़िरत भी न चाहो, सिर्फ़ जानवरों की ज़िन्दगी जीनी है या दुनिया में ठोकरे खानी हैं, तो ठोकरें ही खाते रहो, अल्लाह तआला को इस की भी परवाह नहीं है।

मेरी मां साहिबा! जब तू सज्दे में जाती है, तेरे नन्हें-नन्हें हाथ जब आसमान की तरफ़ उठते हैं, तेरे आंसू जब तेरे गालों से बहने लगते हैं, उस वक़्त तेरी दुआ कितनी मक़्बूल होती है, तेरी दुआ में कितनी तासीर होती है, तेरी दुआ में कितना असर होता है, तेरी दुआ में कितना

पावर होता है, इस की तुझे भी ख़बर नहीं, तुझे पता भी नहीं, तुझे मालूम भी नहीं, लेकिन हम को मालूम है, हम को पता है, हम को ख़बर है। हम बताते हैं कि तेरी दुआ में मक़्बूलियत का कितना असर है।

हज़रत इमाम बुख़ारी रह़्मतुल्लाहि अलैहि बचपन में अंधे हो गये थे। उन की मां बेटे के अंधे हो जाने से बहुत परेशान थीं और दिन रात दरगाहे रब्बुल आलमीन में दुआ फ़रमाती रहती थीं। एक रात उन्होंने ख़्वाब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा कि उन को मुख़ातब कर के फ़रमा रहे थे, तुम को ख़ुशख़बरी हो कि अल्लाह तआला ने तेरे बेटे की आंखों की रोशनी वापस लौटा दी, सुबह को उठ कर उन्होंने देखा, तो बेटे की आंखें रोशन थीं।

हवाला – 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 65,
2. शरहे विक़ाया, जिल्द 1, पृ० 8।

बच्चा अंधा हो गया था, लेकिन मां अल्लाह की रहमत से ना'उम्मीद नहीं हुई और बराबर अल्लाह तआला से दुआएं मांगती रही।

क़ुरआन करीम के चौबीसवें पारे में सूरः ज़ुमर के छठे रुकूअ में आयत न० 53 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – मेरी रहमत से ना–उम्मीद न हो जाओ।

यह मां अल्लाह तआला से मांगने लगी–

'अल्लाह तआला तेरे ख़ज़ाने में खोट नहीं है, तेरी रहमत में कमी नहीं है, तेरी रहमत से ना–उम्मीद होना बड़ा गुनाह है, तू मेरे बच्चे को आंखें देके रहेगा, मैं लेके रहूंगी।'

अल्लाह तआला की शान को देखिए कि उस बच्चे को अल्लाह तआला ने आंखें दे दीं।

मेरी मां साहिबा ! तेरी दुआ में यह तासीर थी, अंधे बच्चे को आंखें दिलाने वाली तू थी और आज तू मौलवियों से भीख मांग रही है। तू मुजाविरों से भीख़ मांग रही है ये सब तुझ से भीख मांगने के लायक़ हैं, तू उनसे भीख़ मांगने के लायक़ नहीं। ये सब तेरी गोद से पैदा हुए हैं, तू उन की गोद से नहीं। ये सब तेरे मुहताज हैं, तू इनकी मुहताज नहीं। ये सब तेरी गोद में पले हैं, तू उनकी गोद में नहीं।

मेरी मां साहिबा ! तू सोच तो सही–

– ये मौलवी तेरे जने हुए,
– हाफ़िज़ तेरे जने हुए,
– क़ारी तेरे जने हुए,
– आलिम तेरे जने हुए,
– मुफ़्ती तेरे जने हुए,
– मुहद्दिस तेरे जने हुए,

- इमाम तेरे जने हुए,
- शहीद तेरे जने हुए,
- गद्दीनशीन तेरे जने हुए,
- औलियाअल्लाह तेरे जने हुए,
- अंबिया अलैहिस्सलाम भी तो मेरी मां ! तेरे जने हुए, तू भीख किस से मांग रही है ? तेरा भीख मांगना तेरी शान के ख़िलाफ़ है, तेरे रुत्बे के ख़िलाफ़ है, तेरे मर्तबे के ख़िलाफ़ है।

इस मां की दुआ से वह बच्चा, जो बचपन में अंधा था, आंख वाला हो गया। उस के साथ मां की दुआ का असर देखिए, सारी दुनिया का इमाम भी बन गया, हालांकि–

- इमाम अबूहनीफ़ा रह्मतुल्लाहि अलैहि का मसलक अलग है,
- इमाम मालिक रह्मतुल्लाहि अलैहि का मसलक अलग है,
- इमाम शाफ़ई रह्मतुल्लाहि अलैहि का मसलक अलग है,
- इमाम अहमद बिन हंबल रह्मतुल्लाहि अलैहि का मसलक अलग है।
- लेकिन उस बच्चे को, जिन का नाम मुहम्मद बिन इस्माईल है और इमाम बुखारी के नाम से मशहूर हैं, सब मसलक वालों ने इमाम मान लिया। यह तेरी दुआ का असर था !
- इतना ही नहीं कि इमाम हुआ, बल्कि आपने एक किताब लिखी, जिस का नाम सही बुखारी शरीफ़ है, जिस में सात हज़ार दो सौ पछहत्तर हदीसें मौजूद हैं। क़ुरआन करीम के बाद सारी दुनिया की किताबों में नम्बर एक समझी गयी। मेरी मां साहिबा ! यह तेरी दुआ ही का असर था।

हदीस – हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने इस उम्मत में तीन आदमियों को देखा कि अगर वे बनी इस्राईल में होते, तो वे उम्मतों में न बटते। हमने उन की कुन्नियत अबू हमज़ा पुकार कर कहा कि उन को हमें भी बताइए और हम उस वक़्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास सुफ़्फ़ा में बैठे हुए थे।

उन्होंने कहा कि एक औरत अपने साथ अपना एक बच्चा लेकर आं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुई और वह बालिग़ हो चुका था। आपने उस औरत को औरतों का मेहमान बना दिया और उसके बेटे को हमारी मेहमानी में दे दिया। पस कुछ देर न लगी होगी कि मदीना तैबिया में उस को एक वबाई बीमारी लग गयी, तो कुछ दिन तो वह लड़का बीमार पड़ा रहा, उस के बाद उस का इंतिक़ाल हो गया।

आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से उसकी आंखें बन्द कर दीं और उस की तज्हीज़ व तक्फ़ीन का हुक्म फ़रमाया।

जब हमने उसको ग़ुस्ल देने का इरादा किया, तो आप ने फ़रमाया–

'ऐ अनस रज़ि० इस की मां के पास जाओ और उन को बताओ

हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने उन की वालिदा को वफ़ात की ख़बर दी। वह आयीं, यहां तक की उनके पैरों के पास बैठ गयीं और ग़म में पैर पकड़ कर कहा-

इलाही ! मैं दिल से तुझ पर ईमान रखती हूं और बुतों से नफ़रत करके उन को छोड़ दिया और तेरी मुहब्बत में तेरे लिए हिजरत भी की। इलाही ! अब तू मुझ पर बुतपरस्तों को हंसी उड़ाने का मौक़ा न दे और ऐसी मुसीबत मुझ पर न डाल, जिस को उठाने की मुझ में ताक़त न हो।

हज़रत अनस रज़ियलल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अभी देर न लगी होगी कि उस लडके ने अपने पैरों को हरकत दी और अपने मुंह पर से कपड़ा हटा कर मुंह खोल दिया। फिर बड़ी मुद्दत तक जिन्दा व सलामत रहा, यहां तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वफ़ात हो गयी और उसकी मां का भी इंतिक़ाल हो गया।

इस वाक़िअ को इमाम बैहक़ी रह० ने रिवायत किया है और इसको अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से मर्फ़ूअन नक़ल किया है और इस में इतना इज़ाफ़ा और है कि उम्मे साइब रज़ियल्लाहु अन्हा एक अंधी बूढ़ी औरत थीं।

हवाला - 1. अल-बिदाया वन-निहाया, जिल्द 6, पृ० 154,

2. तर्जुमानुस्सुन्न:, जिल्द 4, पृ० 345, हदीस 1545, बाब मुर्दों का ज़िन्दा करना

मेरी मां साहिबा ! मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सामने मुर्दों को ज़िन्दा करने वाली तू थी और आज तू मौलवियों से भीख मांग रही है, मुजाविरों से भीख मांग रही है, सज्जदा नशीनों से भीख मांग रही है, यह तेरी शान को ज़ेबा नहीं देता।

तेरी बहादुरी और अक़्लमंदी शायद तुझे याद नहीं रही। तू भूल गयी लेकिन हम नहीं भूले, हम को याद है।

हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिन के नाम पर आज मुसलमानों को फ़ख़्र है और जिन के ईमानी जोश से आज तेरह सौ वर्ष बाद तक काफ़िरों के दिल में ख़ौफ़ है, इस्लाम लाने से पहले मुसलमानों के मुक़ाबले और तक्लीफ़ पहुंचाने में भी मुम्ताज़ थे।

नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के क़त्ल के दरपे रहते थे। एक दिन काफ़िरों ने मश्विरे की कमेटी क़ायम की कि कोई है जो मुहम्मद को क़त्ल कर दे।

उमर ने कहा, मैं करूंगा।

लोगों ने कहा, बेशक तुम्हीं कर सकते हो ?

उमर तलवार लटकाये हुए उठे और चल दिये।

इसी फ़िक्र में जा रहे थे कि एक साहब क़बीला ज़ोहरा के, जिन का नाम हज़रत सअ़द

बिन अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु अन्हु है और कुछ लोगों ने और साहब लिखे हैं, मिले।

उन्होंने पूछा कि उमर कहां जा रहे हो ?

कहने लगे, मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के क़त्ल की फ़िक्र में हूं (नऊज़ुबिल्लाह)

हज़रत सअ्द रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि बनू हाशिम और बनू ज़ोहरा और बनू अब्दे मुनाफ़ से कैसे मुत्मइन हो गये ? वे तुमको बदले में क़त्ल कर देंगे।

इस जवाब पर बिगड़ गये और कहने लगे कि मालूम होता है कि तू भी बे-दीन (यानी मुसलमान) हो गया, ला पहले तुझी को निमटा दूं।

यह कह कर तलवार संभाल ली।

और हज़रत सअ्द रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी यह कह कर कि हां, मैं मुसलमान हो गया हूं, तलवार संभाल ली।

दोनों तरफ़ से तलवार चलने को थी हज़रत सअ्द रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि पहले अपने घर की तो ख़बर ले, तेरी बहन और बहनोई दोनों मुसलमान हो चुके हैं।

यह सुनना था कि ग़ुस्से से भर गये और सीधे बहन के घर गये वहां हज़रत खब्बाब रज़ियल्लाहु अन्हु किवाड़ बन्द किये हुए उन दोनों मियां बीवी को क़ुरआन पढ़ा रहे थे।

हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने किवाड़ खुलवाये। उन की आवाज़ से हज़रत खब्बब रज़ियल्लाहु अन्हु तो जल्दी से अन्दर छिप गये और वह सहीफ़ा भी जल्दी में बाहर ही रह गया, जिस पर क़ुरआनी आयतें लिखी हुई थीं। बहन ने किवाड़ खोले। हज़रत उमर रज़ि० के हाथ में कोई चीज़ थी, जिस को बहन के सर पर मारा, जिस से सर से खून बहने लगा और कहा कि अपनी जान की दुश्मन! तू भी बद दीन हो गयी।

उस के बाद घर में आए और पूछा, क्या कर रहे थे और यह आवाज़ किस की थी?

बहनोई ने कहा कि बात-चीत कर रहे थे।

कहने लगे, क्यातुमने अपने दीन को छोड़ कर दूसरा दीन अख़्तियार कर लिया?

बहनोई ने कहा कि अगर दूसरा दीने हक़ हो तब ? यह सुनना था कि उन की दाढ़ी पकड़ कर खींची, और बे-हताशा टूट पड़े और ज़मीन पर गिरा कर खूब मारा।

बहन ने छुड़ाने की कोशिश की, तो उन के मुंह पर एक तमांचा इस ज़ोर से मारा कि खून निकल आया, वह भी आख़िर उमर ही की बहन थीं, कहने लगीं कि उमर! हम को इस वजह से मारा जाता है कि हम मुसलमान हो गये। बेशक हम मुसलमान हो गये हैं, जो तुझ से हो सके, तू कर ले।

उसके बाद हज़रत उमर (रज़ि०) की निगाह उस सहीफ़े पर पड़ी, जो जल्दी में बहार रह गया था और ग़ुस्से का जोश भी इस मार-पीट से कम हो गया था और बहन के इस तरह खून में भर जाने से शर्म-सी भी आ रही थी, कहने लगे कि अच्छा मुझे दिखलाओ, यह क्या है?

बहन ने कहा कि तू नापाक है और उस को नापाक हाथ नहीं लगा सकते।

बहुत बार कहा,मगर वह बिना वुजू और गुस्ल के देने को तैयार न हुई।

हज़रत उमर रज़ि० ने गुस्ल किया और उस को लेकर पढ़ा उस में सूरः ताहा लिखी हुई थी, उस को पढ़ना शुरू किया और-

'इन्नी अनल्लाहु ला इला-ह इल्ला अना फ़अ़-बुदनी व अक़िमिस्सला-त लिज़िक्री०'

तक पढ़ा था कि हालत ही बदल गयी।

कहने लगे कि अच्छा, मुझे भी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की खिदमत में ले चलो।

ये लफ़्ज़ सुन कर हज़रत ख़ब्बाब रज़ियल्लाहु अन्हु अन्दर से निकले और कहा कि-

ऐ उमर! तुम्हें खुशख़बरी देता हूं कि कल रात जुमेरात को हुजूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दुआ मांगी थी कि या अल्लाह ! उमर और अबू जह्ल में जो तुझे ज़्यादा पसन्द हो उस से इस्लाम को क़ूवत अता फ़रमा। (ये दोनों ताक़त में मशहूर थे) मालूम होता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की दुआ तुम्हारे हक़ में क़ुबूल हो गयी। इस के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए और जुमा की सुबह को मुसलमान हुए।

उनका मुसलमान होना था कि कुफ़्फ़ार के हौसले पस्त होना शुरू हो गये, मगर फिर भी यह निहायत मुख़्तसर जमाअत थी और सारा मक्का, बल्कि सारे अरब में इस लिए और भी जोश पैदा हुआ और जलसे कर के, मश्विरे कर के इन हज़रात को नापैद करने की कोशिश होती थी और तरह तरह के उपाय किये जाते थे, फिर भी इतना ज़रूर हुआ कि मुसलमान मक्का मुअज़्ज़मा की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने लगे।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि-

हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का इस्लाम लाना मुसलमानों की फ़त्ह थी और उन की हिजरत मुसलमानों की मदद थी और उनकी खिलाफ़त रहमत थी।

हवाला – हिकायाते सहाबा, पृ० 19।

मेरी मां साहिबा ! उस पहलवान का दिल इस्लाम की तरफ़ मोड़ने वाली तू थी, उन के दिल में ईमान का जोश पैदा करने वाली तू थी, हक़ परस्ती की तरफ़ झुकाने वाली तू थी, हज़रत उमर अपनी बहन के घर से रवाना होते हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दरवाज़े पर जाते हैं, तो गिने-चुने मुसलमान दरवाज़ा बन्द करके दीन सीख रहे थे, नमाज़ छिप-छिप कर घर में पढ़ी जा रही थी, मक्का के मुश्रिकों का यह ज़ुल्म था कि सच्चे खुदा का उन के सामने नाम लेना भी जुर्म समझा जाता था।

हज़रत उमर रज़ि० ने दरवाज़े पर जाकर कुंडी खटखटायी और आवाज़ दी कि दरवाज़ा

खोलो।

लोग आवाज़ पहचान गये कि हज़रत उमर की आवाज़ है, सब डर गये, क्योंकि हज़रत उमर रज़ि० अभी मुसलमान नहीं हुए थे और बहादुर भी थे, मुसलमानों से चिढ़ते भी थे। मक्का के मुश्रिकों की ताईद में भी थे। इस वजह से दरवाज़ा खोलने से लोग डर रहे थे। उन के जवाब का सिर्फ़ एक ही आदमी था, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु।

उन्होंने कहा है कि दरवाज़ा खोलो, डरते क्या हो ? अगर अच्छी नीयत से आए हैं, तो अच्छी बात है, वरना उन्हीं की तलवार होगी और उन्हीं की गरदन।

लेकिन दरवाज़ा खोलने में सब से पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सब्क़त ले गये और दरवाज़ा खोला।

और कहा, ऐ उमर ! तू उस वक़्त तक मुसलमान नहीं होगा, जब तक तेरे ऊपर कोई अज़ाब नाज़िल न हो !

हज़रत उमर रज़ि० ने फ़रमाया, ऐ अल्लाह के रसूल ! मैं अपनी बहन के दरबार से मुसलमान होके आ रहा हूं।

मेरी मां साहिबा ! यह तेरी सोहबत और क़ुर्बानी का असर था कि ऐसा कट्टर काफ़िर जो हज़ारों में बेड़ा उठा चुका था और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुबारक गरदन काटने के लिए जा रहा था, ऐसे आदमी को मुसलमान बनाने वाली तू थी।

और आज तू हमको मुसलमान की हैसियत से जन्म देकर,

–हमारे कान में अज़ान व इक़ामत कहलवा कर,

–हमारा नाम मुहम्मद यूसुफ़, अय्यूब याक़ूब रखवा कर,

–हमारा ख़त्ना कटवा कर,

हम को तू मुसलमान न बना सकी। मेरी मां साहिबा ! तू खुद मुसलमान न रही, हम को क्या मुसलमान बनायेगी।

हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सच्चे खुदा की इबादत छिप-छिप कर हो और बातिल खुदाओं की इबादत अलल एलान हो, अब यह नहीं होगा, क्योंकि उमर मुसलमान हो चुका है ? किस की ताक़त है, जो हम को नमाज़ पढ़ने से रोके ? चलो, बाहर निकलो, अब मैदान में नमाज़ पढ़ी जाएगी। जब तमाम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को लेकर जो लगभग चालीस की तायदाद में थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मक्के के मैदान में नमाज़ पढ़ने के लिए चले हैं, तो मक्के में खलबली मच गयी। दुनिया आलम में सबसे पहले मैदान में अलल एलान नमाज़ पढ़ी गयी तो मेरी मां ! तेरे सदक़े में पढ़ी गयी और इन्हीं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आधी दुनिया पर तौहीद का झंडा लहरा दिया। मेरी मां साहिबा ! यह तेरी क़ुर्बानियों का सदक़ा था, इस दीने इस्लाम में

सब से पहले ईमान लाने वाली हज़रत ख़दीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हैं और इस दीने इस्लाम में सब से पहले शहादत का दर्जा हासिल करने वाली भी तू ही है।

हज़रत सुमैया बिन्त ख़य्यात, हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालिदा थीं। यह भी अपने लड़के हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और अपने ख़ाविंद हज़रत यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु की तरह इस्लाम की ख़ातिर क़िस्म-क़िस्म की तक्लीफ़ें और मशक्क़तें बर्दाश्त करती थीं, मगर इस्लाम की सच्ची मुहब्बत, जो दिल में घर कर चुकी थी, उसमें ज़रा भी फ़र्क़ न आता था, उन को गर्मी के वक़्त सख़्त धूप में कंकरियों पर डाला जाता था और लोहे की ज़िरह पहना कर धूप में खड़ा किया जाता था, ताकि धूप में लोहा तपने लगे और उस की गर्मी से तक्लीफ़ में ज़्यादती हो।

हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का उधर को गुज़र होता, तो सब्र की नसीहत फ़रमाते और जन्नत का वायदा फ़रमाते।

एक बार हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खड़ी थीं कि अबू जहल का उधर को गुज़र हुआ, बुरा कहा और ग़ुस्से में बर्छा शर्मगाह पर मारा, जिस के घाव से इंतिक़ाल फ़रमा गयीं। इस्लाम के लिए सब से पहली शहादत इन्हीं की हुई।

हवाला – हिकायाते सहाबा, पृ० 127।

मेरी मां साहिबा ! अल्लाह तआला ने तुझे जो शर्फ़ बख़्शा है, वह मर्दों को नहीं मिला–

० जब तू बेटी बन कर दुनिया में जन्म लेती है, मां-बाप के लिए जन्नत की दलील बन जाती है, और

० जब तू जवान होकर अपने शौहर के घर जाती है, तो तू ख़ुद जन्नती बन जाती है और,

० जब तू औलाद वाली होती है, तो औलाद के लिए जन्नत की दलील बन जाती है।

यह मर्तबा अल्लाह तआला ने तुझे बख़्शा है, मर्दों को नहीं मिला। अब सुनिए वे हदीसें, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तेरी शान के बारे में बयान फ़रमायी हैं।

हदीस – हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है–

जिस आदमी के एक बेटी हो और उस को जाहिलियत (के दिनों) की तरह ज़िंदा दफ़न न किया हो, न उस को ज़लील व ख़्वार कर के रखा हो और हक़ों के देने में लड़कों को उस पर तर्जीह न दी हो, दाख़िल करेगा अल्लाह उसको बहिश्त में।

हवाला 1.मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 717, हदीस 4733, बाब शफ़क़त व रहमत,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 138, बाब शफ़क़त व रहमत।

हदीस – हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु

अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है-

'जो औरत पांचों वक़्त की नमाज़ पढ़े, रमज़ान के महीने के रोज़े रखे, अपनी शर्मगाह को महफ़ूज़ रखे, अपने शौहर की इताअत करे, उस को अख़्तियार है, जन्नत के जिस दरवाज़े से जाना चाहे चली जाए।'

हवाला 1.मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 509, हदीस 3093, सोहबत व इख़्तिलात का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 3, पृ० 176, सोहबत व इख़्तिलात का बयान।

हदीस – हज़रत मुआविया बिन जाहिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि जाहिमा रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! मैंने जिहाद पर जाने का इरादा किया है और आप से मश्विरा लेने आया हूं।

आपने पूछा, क्या तेरी मां (ज़िंदा) है ?

उसने अर्ज़ किया, हां।

आपने फ़रमाया, मां की खिदमत को अख़्तियार कर, इस लिए कि जन्नत मां के क़दमों में है।

हवाला 1.मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 713, हदीस 4693, अक़ारिब से सुलूक,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 119, अक़ारिब से सुलूक।

तीजा और क़ुरआन ख़्वानी

हदीस – हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफ़ात की ख़बर सुनायी गयी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

'जाफ़र (रज़ियल्लाहु अन्हु) के घर वालों के लिए खाना तैयार करो, क्योंकि उन के पास अपने में मशग़ूल करने वाली मुसीबत आयी है।'

हवाला 1.तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 193, हदीस 904, जनाज़े का बयान,
2. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 301, हदीस 1639, मय्यत पर रोने का बयान,
3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 70, मय्यत पर रोने का बयान।

मेरे प्यारे दोस्त ! शरीअत का हुक्म तो यह था कि जिस के घर मैयत हो गयी हो, उन लोगों को खाना वग़ैरह पका कर खिलाया जाए, मगर हमारी जहालत दखिए कि कहीं-कहीं उलटे हम उस के घर खाने को जमा होते हैं।

हदीस हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि अह्ले मैयत के पास जमा होने और उन के वास्ते खाना तैयार करने को हम नौहा (की तरह) समझा करते थे।

हवाला – इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 247 हदीस 1633, जनाज़े का बयान,

'अह्ले मैयत को तीसरे दिन मेहमानी करना जायज़ नहीं।'

हवाला – फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 1, पृ० 235, जनाज़े की नमाज़ का बयान।

'मय्यत वालों को खाना पका कर जमा होने वालों को खिलाना मक्रूहे तह्रीमी है' (यानी हराम के नज़दीक है)

हवाला – ऐनुल हिदाया, जिल्द 1, पृ० 732, मैयत के दफ़्न का बयान,

क़ुरआन करीम के नवें पारे में सूरः आराफ़ के चौबीसवें रुकूअ में आयत न० 204 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – जब क़ुरआन पढ़ा जाए तो उस की तरफ़ कान लगा कर ख़ामोशी के साथ सुना करो, उम्मीद है कि तुम रहम किये जाओ।

हदीस – हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि–

'न बुलन्द आवाज़ से पढ़े एक दूसरे पर कोई क़ुरआन करीम।'

हवाला 1.मिशकात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 188, हदीस 792, क़िरात का बयान,

2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 279, क़िरात का बयान।

'क़ुरआन करीम के तीस पारे में जमाअत के साथ पारा–पारा कर के पढ़ना मक्रूहे तह्रीमी है, क्योंकि ऐसा करने से आपस में आवाज़ों का बुलन्द करना कि एक दूसरे की क़िरात न सुने, लाज़िम आता है।'

हवाला – ऐनुल हिदाया, जिल्द 4, पृ०316, किताबुल कराहत्त।

'वाजिब है सुनना क़िराते क़ुरआन का हर हाल में।'

हवाला – ग़ायतुल अवतार, उर्दू तर्जुमा दुर्रे मुख़्तार, जिल्द 1, पृ० 253, नमाज़ का बयान।

किसी उज़्र की वजह से क़ुरआन की क़िरात न सुन सके तो माफ़ है, जैसे–

घर में लड़का क़ुरआन मजीद की तिलावत कर रहा है और घर वाले काम–काज में लगे हुए हैं, तो उन पर वाजिब नहीं था बाज़ार में कोई आदमी तिलावत कर रहा है तो बाज़ार में काम–काज के लिए आने–जाने वालों पर क़ुरआन की क़िरात का सुनना वाजिब नहीं, अला हाज़ल क़ियास, बल्कि ऐसी जगह आवाज़ से क़ुरआन पढ़ने वाला गुनाहगार होगा।

फ़तावा शामी में है कि क़ुरआन पढ़ने वाले पर क़ुरआन का एहतराम वाजिब है।

'इस तरह बाज़ारों और मश्गूलियतों की जगह न पढ़े। अगर ऐसी जगहों में पढ़ेगा, तो वह खुद ही क़ुरआन के एहतराम के ख़िलाफ़ करने वाला होगा, इस लिए वह खुद गुनाहगार होगा, न कि काम में लगे हुए लोग।'

हवाला – फ़तावा शामी, जिल्द 1,पृ० 383, क़ुरआन की क़िरात का बयान।

अगर ये लोग जमा होकर क़ुरआन पढ़ने वाले चुपके से पढ़ें और किसी की भी आवाज़ बुलन्द न हो, तो जायज़ है, लेकिन यह मुश्किल है कि सब लोग खामोशी के साथ पढ़ें, क्योंकि सब लोग मसाइल को नहीं जान पाते।

एक बात समझने के क़ाबिल है, वह यह कि मैयत के मर जाने के बाद तीसरे दिन तीजा और ख़त्मे क़ुरआन क्यों करते हैं, पहले ही दिन क्यों नहीं कर लेते ? अगर हमारे भाई या बाप या बेटे को कोई दारोग़ा पकड़ कर ले जाए, तो हम उसी दिन उस की ज़मानत की मेहनत करेंगे या तीसरे दिन जाएंगे ? क्या उसी दिन भाग दौड़ में नहीं लग जाते ? यहां तक कि जब तक जमानत न हो जाए, हमारा खाना-पीना, आराम करना सब हराम हो जाता है।

अफ़सोस की बात है कि जब दुनिया का दारोग़ा पकड़ कर ले जाए, तो उस की ज़मानत के लिए उसी दिन एक तूफ़ान और कोहराम मचा देंगे और खुदा के घर से कोई फ़रिश्ता हमारे किसी अज़ीज़ की रूह को ले जाए, तो तीसरे दिन ईसाले सवाब और ख़त्मे क़ुरआन कराएंगे, यह जहालत नहीं तो और क्या है

मेरे मोह्तरम दोस्त ! जितना भी हो सके, उस मरने वाले के लिए ईसाले सवाब उसी दिन कर दे, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि–

क़ब्र आख़िरत की पहली मंज़िल हैं, वहां पर जो सवाल व जवाब होते हैं उस में अगर मरने वाला कामयाब हो गया, तो सब जगह कामियाब हुआ और अगर ना-कामियाब हुआ तो ना-कामियाब ही रहेगा।

मेरे भाई साहब ! मरने वाला जब मर जाए, तो आप की जितनी भी ताक़त हो, ईसाले सवाब उसी दिन कर देना चाहिए, ताकि मरने वाले को सवाल व जवाब में आसानी हो जाए। अगर कोई ग़रीब आदमी हो और उसी दिन नहीं कर सकता, तो यह और बात है, क्योंकि वह ग़रीब है, लेकिन साहिबे माल को तो उसी दिन कर देना चाहिए और आम लोगों में जो तीसरे दिन का रिवाज पड़ा हुआ है, वह मज़हब नहीं, बल्कि रिवाज है। दसवां, बीसवां, चालीसवां यह भी रिवाज है। हमारी ज़हालत का हाल तो देखिए कि जब मरने वाला तीन दिन तक अच्छी तरह फ़रिश्तों के हाथों से पीटा जा चुके, तब उस के बाद ईसाले सवाब करते हैं, यह जहालत नहीं तो फिर और क्या है।

कफ़न पर कलिमा और क़ब्र पर अज़ान

जब आदमी मर जाता है, तो उस को ग़ुस्ल दिया जाता है, बाद में कफ़न पहनाये जाते हैं तो कहीं-कहीं कफ़न पर कलिमा-ए-तय्यिबा लिखवा कर उस मय्यत को पहनाते हैं और दफ़न करने के बाद क़ब्र पर अज़ान देते हैं। ये दोनों मना हैं।

'मय्यत की पेशानी या अमामा, या कफ़न पर अह्दनामा लिखा गया, तो उम्मीद है कि मय्यत को अल्ललाह तआला बख़्श दे।'

हवाला – दुर्रे मुख़्तार, जिल्द 1, पृ० 424, जनाज़े का बयान।

यह है वह इबारत, जिसे कफ़न पर लिखने वाले पेश करते हैं, मगर इबारत में तो अह्दनामा लिखने के बारे में लिखा है, कलिमे का तो नाम भी नहीं और अगर है भी तो यह कोई हदीस या सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का क़ौल नहीं है, किसी इमाम का क़ौल भी नहीं, फिर कफ़न पर लिखना कैसे साबित होगा, सिर्फ़ एक ख़्वाब के सहारे से यह बात लिखी गयी है।

किसी आदमी ने वसीयत की कि मेरी पेशानी और सीने पर बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम लिख देना, तो लिख दी गयी।

बाद इस के किसी ने उस को ख़्वाब में देख कर उसका हाल पूछा। उसने कहा कि जब मैं क़ब्र में रखा गया, तो मेरे पास अज़ाब के फ़रिश्ते आए, सो जब उन्होंने मेरी पेशीनी पर बिस्मिल्लाह लिखी देखी, तो उन्होंने कहा कि तू ख़ुदा के अज़ाब से बच गया।

हवाला – दुर्रे मुख़्तार, जिल्द 1, पृ० 424, जनाज़े का बयान।

अब यह वाक़िआ शायद इस तरह हुआ हो कि सिर्फ़ शहादत की उंगली से बग़ैर किसी स्याही और क़लम के पेशानी पर बिस्मिल्लाह लिख दी हो।

चुनांचे कुछ फ़ुक़हा इस तरह उंगली ही से लिखना बिस्मिल्लाह का पेशानी पर और कलिमा तैयिबा का सीने पर बाद नहलाने के कफ़न देने से पहले तज्वीज़ करते हैं, बहरहाल किसी भी तरह हुआ हो, शरीअत के हुक्मों का दार व मदार ख़्वाब पर नहीं हो सकता।

इब्ने सलाह ने फ़त्वा दिया है कि 'क़ुरआन और अस्मा-ए-मुअज़्ज़मा में से (यानी अल्लाह पाक के नामों में से) कुछ न लिखा जाए, क्योंकि कफ़न वग़ैरह पर इन कलिमाते करीमा को लिखना जान-बुझ कर मुर्दा की निजासतों में उन को आलूदा करना है। और फ़त्हुल क़दीर में है कि क़ुरआन और अस्मा-ए-इलाही (यानी अल्लाह के नामों) का लिखना रुपयों और मेहराबों और दीवारों पर मक्रूह है, इसलिए कि ख़ौफ़ उनके पांव तले आने और बे-अदबी का है। इस से मालूम हुआ कि मुर्दा के बदन या कफ़न पर लिखना बतरीक़े औला मक्रूह होगा, जब तक कि मुज्तहिद से साबित न हो या किसी हदीस में इस का ख़ुलासा न हो।

हवाला – ग़ायतुल अवतार, जिल्द 1, पृ० 424, जनाज़े का बयान।

मेरे प्यारे दोस्त ! कफ़न पर कलिमा न लिखने के सबूत में इस से भी ज़्यादा तह्क़ीक़ करना हो तो देखो शामी, जिल्द 1, पृ० 847, जनाज़े के बयान में पूरा खुलासा लिखा है और आख़िर में लिखा है कि कफ़न पर कलिमा वग़ैरह न लिखना ही बेहतर है।

और कुछ तो ऐसे हैं कि ज़िन्दगी भर न तो नमाज़ पढ़ी और न तो रोज़ा रखा, इस के अलावा शराब, जुआ, चोरी, शिर्क, कुफ़्र और बिदअतें करता रहा, अब बिस्मिल्लाह लिखने से क्या होगा ?

मेरे मोह्तरम ! ज़िन्दगी और तन्दुरुस्ती को एक नेमत समझ और बुरे कामों से तौबा कर ले और अल्लाह की इबादत में खुले दिल से लग जा, मरने के बाद पिछले वालों की उम्मीद मत रख, इस लिए कि पिछले वाले अगर कोई काम ईसाले सवाब का करेंगे, तो मालूम नहीं शरीअत के मुताबिक़ होगा या जहालत के मुताबिक़। अगर शरीअत के मुताबिक़ हुआ तो अल्लाह तआला यक़ीनन क़ुबूल फ़रमाएगा। और मरने वाले को इन्शाअल्लाह फ़ायदा पहुंचेगा। समझे मेरे भेले भैया !

हदीस – हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि–जिस मैयत पर मुसलमानों की एक जमाअत, जो सौ की तायदाद तक पहुंच जाए, नमाज़ पढ़े और यह जमाअत मय्यत के लिए खुदा से सिफ़ारिश करे, तो उस की यह सिफ़ारिश क़ुबूल की जाती है।

हवाला 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 292, हदीस 1566, नमाज़े जनाज़ा का बयान,
2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 154, हदीस 951, बाब 279, किताबुल जनाइज़,
3. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 199, हदीस 924, अबवाबुल जनाइज़।

हदीस – हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह फ़रमाते सुना है कि–

जब किसी मुसलमान की मय्यत पर चालीस ऐसे जमा हो जाएं, जो खुदा के साथ किसी को शरीक न करते हों (यानी उस मैयत के जनाज़े पर नमाज़ पढ़ें) तो क़ुबूल करता है अल्लाह तआला उन की शफ़ाअत को मैयत के हक़ में।

हवाला 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 292, हदीस 1565, नमाज़े जनाज़ा का बयान,
2. सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 254, हदीस 952, बाब 279, किताबुल जनाइज़।

अज़ान सुन्नत है। पांचों नमाज़ व जुमा के लिए, न उस के अलावा के लिए।

हवाला – ऐनुल हिदाया, जिल्द 1, पृ० 291, किताबुस्सलात।

मेरे प्यारे दोस्त ! अज़ान जो है वह बुलाने के लिए है, ताकि ज़्यादा आदमी नमाज़ में शामिल हो सकें। इस लिए हर मस्जिद में रोज़ाना पांच वक़्त अज़ान होती है। अगर मरने के बाद क़ब्र पर अज़ान जायज़ होती, तो जनाज़े की नमाज़ पढ़ने से पहले होती ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जनाज़े की नमाज़ में शामिल हो सकें। जब जनाज़े की नमाज़ के वक़्त अज़ान नहीं हैं, तो दफ़्न होने के बाद क़ब्र पर कैसे हो सकती है यह भी जहालत है शरीअत में इस का कोई सबूत नहीं, मरने वाले की क़ब्र पर अज़ान न मक्का मुअज़्ज़मा में दी जाती है, न मदीना तैयिबा में।

जिस क़दर सुन्नत का इत्तिबाअ़ ज़्यादा हो, उसी क़दर मर्तबा ज़्यादा है, जिस क़दर कमी हो, उसी क़दर नक़्स है और बिल इत्तिफ़ाक़ इमामों के नज़दीक जो आदमी कि शरीअत और सुन्नत के ख़िलाफ़ का मुर्तकिब हो, तो डर है कि वह शैतान का आला हो और वह वली हरगिज़ न होगा, बशर्ते कि होश में हो।

हवाला – ऐनुल हिदाया, जिल्द 1, पृ० 291, कराहत का बयान।

ख़त्ना

ख़त्ना के लिए बारह बरस तक हद मुस्तहब बतायी है, (यानी बारह बरस के अन्दर-अन्दर बच्चे का ख़त्ना हो जाना चाहिये) और बूढ़ा कमज़ोर अगर इस्लाम लाया और वह ख़त्ना की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, पस अगर होशियार आदमियों ने कहा कि यह बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो छोड़ दिया जाएगा, इस वास्ते कि उज़्र की वजह से वाजिब का तर्क करना जायज़ है, तो सुन्नत का तर्क करना औला तरीक़े से जायज़ है और कुछ लोगों ने फ़रमाया कि बालिग़ का ख़त्ना अगर वह खुद कर सकता है, तो कर ले, वरना नहीं किया जाएगा और अगर ऐसी औरत से निकाह कर सके तो ख़त्ना करना जानती हो, तो उस से निकाह कर ले, बाद में वह उस का ख़त्ना कर दे।

हवाला – फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 4, पृ० 327, कराहत का बयान।

मस्अला यों है कि ख़त्ना करवाना सुन्नत है और नाफ़ से लेकर घुटने तक जिस्म का ढांकना फ़र्ज़ है, तो फ़र्ज़ के लिए सुन्नत छोड़ी जा सकती है, मगर सुन्नत के लिए फ़र्ज़ नहीं छोड़ा जा सकता और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के ज़माने में सैंकड़ों नहीं, बल्कि हज़ारों मुसलमान होते जाते थे, उन के ख़त्ने का इन्तिज़ाम नहीं था कि पचासों आदमी हमेशा ख़त्ने काटने के लिए ही तैयार रहे हों कि जहां कोई मुसलमान हुआ, फ़ौरन उस का ख़त्ना कर दिया गया हो।

मुसलमानों के दिल में ख़त्ने की अहमियत रहीं और नमाज़-रोज़ों की बड़ाई ख़त्म हो गई। अगर किसी के घर में लड़का पैदा हो तो मां-बाप दोनों उस बच्चे के ख़त्ने की फ़िक्र में लग जाएंगे, ग़रीब होने की वजह से सात-आठ साल का बच्चा हो गया और ख़त्ना नहीं करा पाये हैं, तो उन की नीदं हराम हो जाएगी और रात दिन इसी फ़िक्र में रहेंगे कि किसी हालत में बच्चे

का ख़त्ना होना चाहिए, गो रक़म क़र्ज़ से ही लानी पड़े, क्योंकि अगर ख़त्ना नहीं कराएंगे, तो लोग ताना देंगे कि कितना बड़ा बच्चा हो गया, लेकिन अभी तक ख़त्ना नहीं कराया।

यह है ख़त्ने की अहमियत और वही मां बाप जो ख़त्ने की फ़िक्र में हैं, वे नमाज़ तक नहीं पढ़ते, लेकिन इस का उनको एहसास तक नहीं होता और ताना देने वाले नमाज़ नहीं पढ़ते, इस का उन को ख़्याल तक नहीं आता, तो मालूम हुआ कि मुसलमानों के दिल में ख़त्ने की तो अहमियत है, मगर नमाज़ की बड़ाई ख़त्म हो गयी, हालांकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहिह व सल्लम ने फ़रमाया कि नमाज़ दीन का सुतून है।

इसी तरह मुसलमानों के दिल में निकाह की अहमियत है और नमाज़ की बड़ाई ख़त्म हो गयी। जिन लड़के-लड़की की शादी हो रही है, उन का निकाह तो होना ही चाहिए, गो दूल्हा भी नमाज़ न पढ़ता हो और दुल्हन भी नमाज़ न पढ़ती हो, अब आप ही बताइए कि नमाज़ की अहमियत ज़्यादा है या निकह की। अगर खुदा-न-ख़्वास्ता निकाह पढ़ाने वाला कोई नहीं है, तो बारात रुकी हुई है, बग़ैर निकाह पढ़ाये दुल्हन रुख़्सत नहीं हो सकती। दुल्हा और दुल्हन के मां-बाप दोनों परेशान नज़र आएंगे और नमाज़ पढ़ने के लिए कोई परेशान नज़र नहीं आता, चाहे दुल्हे के मां-बाप हों या दुल्हन के, आम तौर पर देखा गया है कि दुल्हा भी नमाज़ नहीं पढ़ता दुल्हन भी नमाज़ नहीं पढ़ती, दुल्हे के मां-बाप भी नमाज़ नहीं पढ़ते, दुल्हन के मां-बाप भी नमाज़ नहीं पढ़ते, मगर निकाह तो ज़रूर पढ़वाएंगे।

अब आप ही ईमानदारी से बताएं कि निकाह की अहमियत ज़्यादा है या नमाज़ की। अगर किसी इंसान ने निकाह नहीं पढ़ाया है और बग़ैर निकाह के किसी औरत को घर में रख लिया है, तो एक जाहिल से जाहिल इंसान भी उस के घर का पानी तक नहीं पियेगा और बे-नमाज़ी के घर का खाना-पीना कोई बुरा नहीं समझता, तो मालूम हुआ कि निकाह की हमारे दिल में अहमियत है और नमाज़ की अज़्मत हमारे दिल से निकल गयी। अब यह क़ौम पीटी नहीं जाएगी, तो और क्या होगा?

मस्जिद के मसाइल

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के वक़्त में मीनारा अज़ान के लिए न था।

हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मस्जिद की छत पर अज़ान कहा करते थे, बाद को हज़रत अमीर मुआवियह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हुक्म से मीनारा बना दिया गया।

हवाला ग़ायतुल अवतार, उर्दू तर्जुमा दुर्रे मुख़्तार, जिल्द 1, पृ० 180, अज़ान का बयान,

सुन्नत यह है कि अज़ान ऊंची जगह दे, मस्जिद के अन्दर नहीं, बल्कि मीज़न: पर या मस्जिद से बाहर अज़ान होनी चाहिए।

हवाला – 1.ऐनुल हिदाया, जिल्द 1, पृ० 295, बाबुल अज़ान,

2. फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 1, पृ० 75 बाबुल अज़ान।

इब्नुल हाज्ज मुहम्मद मालिकी रह्मतुल्लाहि अलैहि ने अपनी किताब 'मदख़ल' में लिखा है कि जुमा की अज़ान में सुन्नत तरीक़ा यह है कि जब इमाम मिंबर पर बैठे तो अज़ान देने वाला मीनारे पर हो।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और अबू बक्र व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के ज़माने में यही तरीक़ा था, फिर हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में एक अज़ान और ज़्यादा कर दी गयी , जो 'ज़ूरा' पर होती थी। (ज़ूरा मदीना मुनव्वरा के बाज़ार को कहते हैं) और वह अज़ान जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलहि व सल्लम के ज़माने में थी वह मीनारे पर ही होती रही, (यानी छत पर) फिर जब हिशाम बिन अब्दुल मलिक वाली हुआ (यानी हाकिम बना), तो उसने उस अज़ान को, जिस की शुरूआत हज़रत उस्मान ग़नी रजियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने से हुई थी, मीनारे पर कर दी और उस वक़्त तक मुअज़्ज़िन एक ही होता था, जो अज़ान ज़वाल के बाद देता था। फिर इमाम के मिंबर पर बैठने के वक़्त जो अज़ान मीनारे पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और अबूबक्र व उमर व उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के शुरू ज़माने में होती थी, उस को इमाम के सामने कर दिया।

हदीस – हाशिया शरहे विक़ाया, अरबी जिल्द 1, पृ० 245, बाबुल जुमआ।

मेरे प्यासे दोस्त ! हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में एक ही अज़ान थी, जो मस्जिद की छत पर होती थी। हज़रत अबूबक्र व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के ज़माने तक यही दस्तूर रहा। इस के बाद जब हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की ख़िलाफ़त हुई, तो आपने एक अज़ान ज़यादा कर दी और अज़ान मदीना के बाज़ार में होती थी।

फिर हिशाम बिन अब्दुल मलिक जब तख़्त पर बैठा, तो उसने बाज़ार वाली अज़ान को मीनारे पर कर दिया और जो अज़ान मीनारे पर होती थी, उस को मस्जिद के अन्दर मिंबर के सामने कर दिया और इस अमल को सभी ने पसन्द कर लिया, किसी ने उस की मुख़ालफ़त नहीं की, तो इस से यह मालूम होता है कि जुमा की अज़ान, जो मिंबर के सामने मस्जिद के अन्दर होती है, वह भी जायज़ है और मस्जिद के बाहर दें, तो भी जायज़ है।

हज़रत मौलाना मुफ़्ती किफ़ायतुल्लाह साहब रह्मतुल्लाहि अलैहि शाहजहांपुरी, सदर मुदर्रिस मदरसा अमीनिया का फ़त्वा–

सवाल – ख़ुत्बे की अज़ान किस जगह होनी चाहिए ,

जवाब – ख़तीब के सामने होनी चाहिए, मिंबर के पास हो या एक दो सफ़ों के बाद मस्जिद में हो या बाहर, हर तरह जायज़ है।

हवाला – तालीमुल इस्लाम, हिस्सा 4, पृ० 48, जुमे की नमाज़ का बयान।

'मस्जिद में बोरिया या घास या टाट वग़ैरह इस वास्ते रखना कि लोग उससे पांव रगड़

लिया करें, तो यह अइम्मा-ए-मशाइख़ के नज़दीक मक्रूह है।'

हवाला – ऐनुल हिदाया, जिल्द 4, पृ० 222, कराहत का बयान।

'जो हमारे ज़माने में लोग मस्जिदों में हरादी (यानी नरकुल का बोरिया) डाल कर रखते हैं और उस से क़दम साफ़ कर लेते हैं, यह इमामों के नज़दीक मक्रूह है।'

हवाला – फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 4, पृ० 271, बाबुल क़राहत।

मेरे प्यारे दोस्त ! आजकल अक्सर जगह पर देखा गया है कि मस्जिद के अन्दर पांव पोंछने के लिए बोरिया रखते हैं, वह मक्रूह है,मस्जिद के अन्दर नहीं रखना चाहिए, बल्कि मस्जिद के बाहर रखें तो मक्रूह नहीं है।

'मस्जिद में सिर्फ़ दुनिया की बातें करने के वास्ते बैठना मक्रूहे तहरीमी है और अगर अदा-ए-इबादत के बाद ऐसी बातें करे, जिन से इबरत हो या शुक्रे इलाही हो या आख़िरत याद दिलाने वाली बातें हों, तो कोई हरज नहीं है।

हवाला – ऐनुल हिदाया, जिल्द 4, पृ० 324, बाबुल कराहत।

'मस्जिद की छत पर चढ़ना मक्रूह है, इस वजह से गर्मी की ज़्यादती की वजह से मस्जिद के ऊपर जाकर जमाअत से नमाज़ पढ़ना मक्रूह है, लेकिन अगर मस्जिद तंग हो और नमाज़ी न समाएं, तो ज़रूरत की वजह से उस की छत पर चढ़ना मकरूह नहीं है।

हवाला 1.फ़तावा आलमगीरी, जिल्द 4, पृ० 273, बाबुल कराहत,
2. ऐनुल हिदाया, जिल्द 4, पृ० 324, बाबुल कराहत।

'दोनों खुत्बों के बीच में जब इमाम बैठता है, (उस वक़्त) दुआ मांगते हैं, वह बिदअत है और निहायत मक्रूह है और इसी तरह जुमा की नमाज़ से पहले (यानी सुन्नतों से पहले) जो सलात पुकारते हैं, वह बिदअत है और हरगिज़ जायज़ नहीं।'

हवाला – नूरुल हिदाया, उर्दू तर्जुमा शरहें विक़ाया, जिल्द 1, पृ० 233, जुमा का बयान।

'जो दूसरे ख़ुत्बे में ख़तीब मिंबर से एक सीढ़ी उतरते हैं, फिर चढ़ते हैं, यह बुरी बिदअत है।'

हवाला – ग़ायतुल अवतार, उर्दू तर्जुमा दुर्रे मुख़्तार, जिल्द 1, पृ० 380, बाबुल जुमा।

हिदायत की हदीसें

क़ुरआन शरीफ़ के छब्बीसवें पारे में सूरः हुजुरात के पहले रुकूअ में, आयत न० 10 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – मुसलमान तो (आपस में) सब भाई हैं, तो अपने दो भाइयों में सुलह करा दिया करो और खुदा से डरते रहा करो, ताकि तुम पर रहम किया जाए।

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है–

'मुसलमान मुसलमान का (दीनी भाई) है। कोई मुसलमान किसी मुसलमान पर न तो ज़ुल्म करे, न उसको रुसवा होने दे और न उस को ज़लील व हक़ीर समझे, तक़्वा इस जगह है।'

यह फ़रमा कर आपने तीन बार सीने की तरफ़ इशारा किया और फिर फ़रमाया–

'इंसान के लिए इतनी बुराई काफ़ी है कि वह अपने मुसलमान भाई को हक़ीर व ज़लील जाने। मुसलमान की सारी चीज़ें मुसलमान पर हराम हैं, यानी मुसलमान का ख़ून, मुसलमान का माल, मुसलमान की आबरू।

हवाला 1.मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 715, हदीस 4713, मख़्लूक़ पर शफ़क़त का बयान,
2. तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 370, हदीस 1826, एहसान का बयान,
3. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 132, मख़्लूक़ पर शफ़क़त का बयान

हदीस – हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि जनाबे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया–

'एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए एक दीवार की तरह है कि उस का एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मज़बूत करता है।'

हवाला – तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 370, हदीस 1827, एहसान का बयान।

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया–

'तुम में से हर एक अपने भाई का आईना है, इसलिए अगर वह उसमें कोई बुराई या ख़राबी या ऐब देखे, तो उसे दूर कर दे।

हवाला – तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 370, हदीस 1828, एहसान का बयान।

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया–

'जिसने किसी मुसलमान की दुनिया की बेक़रारी और तक़्लीफ़ दूर की, तो अल्लाह तआला क़ियामत के दिन उस की बेक़रारियों और तक्लीफ़ों में से एक बेक़रारी और एक तक्लीफ़ को दूर कर देगा और जिसने दुनिया में किसी तगंदस्त को तंगदस्ती से छुड़ाया और उस की मुश्किल आसान की, अल्लाह तआला दुनिया और आख़िरत में उस की मुश्किल आसान कर देगा जिस ने किसी मुसलमान के ऐबों पर पर्दा डाला अल्लाह तआला दुनिया और आख़िरत में उस के ऐबों पर परदा डाल देगा और अल्लाह तआला अपने बन्दे की मदद में मश्ग़ूल रहता है, जब

तक वह बन्दा अपने मुसलमान भाई की मदद में मशगूल रहता है।

हवाला – तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 370, हदीस 1829, एहसान का बयान,

हदीस – हज़रत अबुदर्दा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया–

जिसने अपने भाई की इज़्ज़त और आबरू पर होने वाले हमले को रोक लिया और उस को दूर किया, तो अल्लाह तआला क़ियामत के दिन उस के चेहरे से आग को दूर कर देगा।

हवाला – तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 370, हदीस 1830,एहसान का बयान।

हदीस – हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि एक बूढ़ा आदमी आया। उस का मक़सद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मिलना था। लोगों ने उस को जगह देने में देर की, इस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया–

जिसने हमारे छोटों पर रहम न किया और हमारे बूढ़ों की ताज़ीम व तौक़ीर न की, वह हम में से नहीं है। (यानी वह मुसलमानों में से नहीं)

हवाला – तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 369, हदीस 1818, एहसान का बयान।

हदीस – हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया

'जो लोगों पर रहम नहीं करता, अल्लाह तआला उस पर रहम नहीं करता'

हवाला – तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 369, हदीस 1821, एहसान का बयान।

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को फ़रमाते सुना है कि– मेहरबानी सिर्फ़ बद-नसीब से छीन ली जाती है, (यानी रहमदिल न होना बद-नसीबी की निशानी है।)

हवाला – तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 369, हदीस 1822, एहसान का बयान।

हदीस – हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि–

'रहम करने वालों पर रहमान रहम करता है, पस ज़मीन वालों पर रहम करो। अगर तुम ऐसा करोगे, तो तुम पर आसमान वाला रहम करेगा।'

रहम रहमान की जड़ की रग है, जो उस से मिलेगा तो अल्लाह तआला भी उस से मिलगा, जो उसे छोड़ देगा अल्लाह तआला भी उसे छोड़ देगा।

हवाला – तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 369, हदीस 1823, एहसान का बयान।

हदीस – हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि नबी करीम

सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि-

'वह शख़्स मल्ऊन है, जिसने किसी मोमिन को नुक़सान पहुंचाया या उस के साथ मकर व फ़रेब किया।'

हवाला – तिर्मिज़ी शरीफ़ जिल्द 1, पृ० 372, हदीस 1840, एहसान का बयान।

हदीस – हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि-

'हर भलाई सदक़ा है और यह भी एक भलाई है कि अपने मुसलमान भाई से खंदा पेशानी से मिलो।' (हंसते मुह मिलते रहो।)

हवाला – तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 376, हदीस 1869, एहसान का बयान।

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि-

'ईमान वालों में से सब से बढ़ कर कमाल ईमान के एतबार से वह है जिस का ख़ुल्क़ (यानी अख़्लाक़ व आदात) सब से अच्छा है और तुम में अच्छे वे हैं, जो अपनी औरतों के लिए अच्छे हैं।'

हवाला – तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 228, हदीस 1064, मुख़्तलिफ़ अबवाब में।

हदीस – हज़रत अबुदर्दा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

'जिस को नर्मी में से हिस्सा दिया गया, उसे गोया भलाई में से हिस्सा दिया गया और जिसे नर्मी के हिस्से से महरूम रखा गया, उसे गोया भलाई से महरूम रखा गया।'

हवाला – तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 382, हदीस 1910, एहसान का बयान।

हदीस – हज़रत ज़ाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

'तुम में से जो लोग ख़ास हैं, जिन से मुझे ज़्यादा मुहब्बत है और जो क़ियामत के दिन मुझ से ज़्यादा क़रीब बैठने वाले हैं, उन्हीं में से वे लोग हैं, जो सब से अच्छे अख़्लाक़ वाले हैं और तुम लोगों में से वे लोग, जिन से मुझे ज़्यादा नफ़रत है और जो क़ियामत के दिन मुझ से बहुत दूर हैं, उन्हीं में से वे लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा बोलने वाले, लोगों से ज़ुबान दराज़ी और फ़ह्शगोई करने वाले और ग़ुरूर और तकब्बुर करने वाले हैं।' (मुख़्तसर)

हवाला – तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 382, हदीस 1915, एहसान का बयान।

हदीस – हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-

'हमारे लिए यह बात शायानेशान नहीं है कि हम अपनी दी हुई चीज़ वापस ले लें।' (जो आदमी ऐसा करे, वह उस कुत्ते की मानिंद हैं, जो अपनी कै़ खा ले)।' (मुख़्तसर)

हवाला – तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 260, हदीस 1199, अब–वाबुल बुयूअ़।

हदीस – हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि–

'जिसने तगंदस्त को (क़र्ज़ चुकाने में) मोहलत दी या उस का क़र्ज़ माफ़ कर दिया, तो अल्लाह तआला उस को क़ियामत के दिन अपने अर्श के साए में पनाह देगा, उस दिन सिवाए उस साए के और कोई साया न होगा।'

हवाला – तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 262, हदीस 1207, अब–वाबुल बुयूअ़।

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि 'मालदार को क़र्ज़दार का टालना ज़ुल्म है।' (मुख़्तसर)

हवाला – तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 263, हदीस 1209, अबवाबुल बुयूअ।

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया–

'जो लोगों का शुक्रिया नहीं अदा करता, वह अल्लाह तआला का (भी) शुक्र अदा नहीं करता।'

हवाला – तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 374, हदीस 1853, एहसान का बयान।

हदीस – हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि–

'तुम से पहले एक आदमी था, जिस को अल्लाह तआला ने इस लिए बख़्श दिया था कि वह बेचने में, ख़रीदने में और क़र्ज़ का तक़ाज़ा करने में नर्मी करता था।

हवाला – तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, पृ 265, हदीस 1220, अबवाबूल बुयूअ़।

हदीस – हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया–

'मोमिन को यह मुनासिब नहीं है कि वह अपने आप को ज़लील करे।'

लोगों ने अर्ज़ किया, वह अपने आप को ज़लील कैसे करेगा ?

आपने फ़रमाया, अपने आप को इतनी मुसीबतों और मुश्किलों में डाल देना, जिन को बर्दाश्त करने की ताक़त न रखता हो, यही अपने आप को ज़लील करना है।

हवाला – तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 28, हदीस 121, फ़िल्नों का बयान।

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया–

'जो आदमी अल्लाह के डर से रोया, वह दोज़ख़ में उस वक़्त तक दाख़िल न होगा, जब तक कि थन से निकला हुआ दूध थन में वापस न चला जाए (यानी वह दोज़ख़ में दाख़िल न होगा) और अल्लाह के रास्ते का ग़ुबार और दोज़ख़ का धुआं एक जगह जमा न होगा।'

हवाला – तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 38, हदीस 173, अबवाबुल जिहाद।

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि–

'जो तुम से नीचे है और मामूली दर्जे का है, उस की तरफ़ देखा करो उस की तरफ़ न देखो, जो तुम से ऊपर है। ऐसा करना इस लिए है कि इस तरह तुम अल्लाह तआला की नेमतों को अपने ऊपर हक़ीर न समझोगे ।'

हवाला – तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 76, हदीस 375, अबवाबुर्रिक़ाक़।

हदीस – हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि–

'कोई आदमी वायदा करे और उस की नीयत वायदा (पूरा) करने की हो, मगर वह उसे (किसी वजह से) पूरा न कर सके, तो उस पर कुछ गुनाह नहीं।'

हवाला – तिर्मिज़ी शरीफ़,जिल्द 2, पृ० 100, हदीस 493, अबवाबुल ईमान।

हदीस – हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फ़रमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के नज़दीक सब से ज़्यादा पसंदीदा अमल वह था, जो हमेशा किया जाए (और नाग़ा न हो)।

हवाला – तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 134, हदीस 718, अबवाबुल आदाब।

हदीस – हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि–

'जो चुप रहा, उसने निजात पायी।'

हवाला – तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 74, हदीस 363, रिक़ाक़ का बयान।

हदीस – हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि–

हर मरज़ (यानी बीमारी) की दवा है। जब दवा मरज के मुवाफ़िक़ हो जाती है, तो मरीज़ खुदा के हुक्म से अच्छा हो जाता है।

हवाला सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 116, हदीस 559, बाब 276, सलाम का बयान।

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं, कि फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि–

'आदमी खान है, जैसे सोने–चांदी की खानें होती हैं, जो लोग जाहिलियत के ज़माने में बहतर थे वे इस्लाम में भी बहतर हैं अगर वे समझें।'

हवाला 1.मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 114, हदीस 189, इल्म का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 1, पृ० 85, इल्म का बयान।

हदीस – हज़रत उत्बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि–

'ग़ैर औरत के पास जाने से अपने आप को बचाओ।'

यह सुन कर एक अंसारी ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! देवर के बारे में क्या इर्शाद है?

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, देवर तो मौत है। (यानी देवर तो सब से ज़्यादा ख़तरनाक है)

हवाला – सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 111, हदीस 532, बाब 260, सलाम का बाब।

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि–

जिस आदमी को अल्लाह तआला उस चीज़ की बुराई से बचा ले, जो उस की दोनों डाढ़ों के बीच है (यानी ज़बान) और उस चीज़ की बुराई से जो दोनों टांगों के बीच है (यानी शर्मगाह) तो वह जन्नत में दाखिल होगा।

हवाला – तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 55, हदीस 273, अबवाबुल जिहाद।

हदीस – हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया–

जिस मुसलमान के पास कोई चीज़ वसीयत के क़ाबिल हो, उस के वास्ते यह जायज़ नहीं कि बग़ैर वसीयत लिखे हुए उस पर दो दिन भी गुज़र जाएं।

हवाला – इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 412, हदीस 2711, वसीयत का बाब।

हदीस – हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि–

जो आदमी वसीयत कर के मरा, समझ लो कि वह सुन्नत तरीक़े पर और परहेज़गारी के साथ मरा, बल्कि शहीद हुआ। उस की मग़फ़िरत होगी।

हवाला – इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 412, हदीस 2713, वसीयत का बयान।

हदीस – हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत करते हैं कि–

'जो आदमी अपने वारिसों को तर्का (जागीर, दौलत या और किसी चीज़ में) दिलाने से भागेगा (और ऐसी तर्कीब करेगा कि वारिसों को तर्का न मिले) तो ऐसे आदमी को अल्लाह तआला जन्नत की मीरास अता न फ़रमायेगा।'

हवाला – इब्ने माजा शरीफ़ पृ० 412, हदीस 2715, वसीयत का बयान।

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया,

एक आदमी सत्तर बरस तक नेक अमल करता है, लेकिन मरते वक़्त वसीयत में ज़ुल्म करता है, तो उस का ख़ात्मा बुराई पर होगा और दोज़ख में चला जाएगा और एक आदमी सत्तर बरस तक बुरे काम करता है, लेकिन मरते वक़्त वसीयत इंसाफ़ के साथ कर जाता है, वह जन्नत में दाख़िल हो जाता है।

हवाला – इब्ने माजा शरीफ़, पृ० 412, हदीस 2713, वसीयत का बयान।

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फ़रमाया कि–

'जब कोई आदमी तुम में से किसी को मारे, तो चाहिए कि मुंह पर मारने से बचे।'

हवाला – सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1, पारा 10, पृ० 577, हदीस 2362, ग़ुलाम आज़ाद करने का बयान।

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुना है कि–

कभी-कभी बन्दा ऐसी बात कह देता है, जिन की वजह से वह दोज़ख के अन्दर उतरता चला जाता है, इतनी दूर तक जितनी दूरी पूरब व पच्छिम के दर्मियान है।

हवाला – सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 253, हदीस 1217, बाब 519, ज़ोह्द का बयान।

हदीस – हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फ़रमाया–

'अल्लाह तआला फ़रमाता है कि तीन आदमी ऐसे हैं कि क़ियामत के दिन मैं उन का दुश्मन हूंगा–

1. वह आदमी जो मेरा नाम लेकर अह्द करे, फिर अह्द को तोड़ दे,
2. दूसरा वह आदमी, जो किसी आज़ाद आदमी को बेच डाले और उस की क़ीमत खा जाए।

3. तीसरा वह आदमी, जो कि मज़दूर को उजरत में लगाये, फिर उस से पूरा काम लेकर मज़दूरी न दे।

हवाला – सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1, पारा 9, पृ० 501, हदीस 2095, इजारे का बयान,

हदीस – हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया–

'जब तुम तीन आदमी एक जगह हो, तो तीसरे को छोड़ कर आपस में चुपके–चुपके कोई बात न करो, जब तक कि बहुत- से आदमी न हों, ताकि वह (तीसरा आदमी) रंजीदा न हो।

हवाला – सही बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, पारा 29, पृ० 283, हदीस 1214, इजाज़त लेने का बयान।

हदीस – हज़रत अबूहुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि–

पीर और जुमेरात के दिन जन्नत के दरवाज़े खोले जाते हैं और हर उस बन्दे की बख़्शिश की जाती है, जो ख़ुदा के साथ किसी को शरीक न करता हो, मगर वह आदमी बख़्शिश से महरूम रह जाता है जो किसी मुसलमान से कीना अदावत रखता हो और फ़रिश्तों से कह दिया जाता है कि उनको मोहलत दे दो कि आपस में सुलह कर लें।' (मुख़्तसर)

हवाला – सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 179, हदीस 856, बाब 395, अदब का बयान।

हदीस – हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि–

–जिस आदमी के दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा वह दोज़ख़ में नहीं जाएगा और जिस के दिल में राई के दाने के बराबर भी घमंड होगा, वह जन्नत में नहीं जाएगा।'

हवाला – सही मुस्लिम शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 16, हदीस 73, बाब 36, किताबुल ईमान।

हदीस – हज़रत सईद बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है–

'बड़े भाई का हक़ छोटे भाई पर ऐसा है, जैसा कि बाप का हक़ बेटे पर।'

हवाला 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 714, हदीस 4700, अक़ारिब से सुलूक का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 129, अक़ारिब से सुलूक का बयान।

हदीस – हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है–

'नेक और बद-हमनशीन मुश्क बेचने वाले और धौंकनी धौंकने वाले की तरह हैं। मुश्क बेचने वाला या तो तुझ को मुश्क मुफ़्त दे देगा या तू उस से ख़रीद लेगा और कम से कम

और कुछ नहीं तो उस की ख़ुश्बू ज़रूर तेरे दिल व दिमाग़ को ताज़ा कर देगी और धौंकनी धौंकने वाला या तो तेरे कपड़ों को जला देगा या तू उससे दिमाग़ ख़राब करने वाली बू (धुवां) हासिल करेगा।'

हवाला 1.मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 721, हदीस 4762, खुदा से मुहब्बत का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 147, खुदा से मुहब्बत का बयान।

हदीस – हज़रत अस्मा बिन्त यज़ीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह फ़रमाते हुए सुना है–

मैं तुम को बताऊं कि तुम में से बेहतरीन लोग कौन हैं ?,

सहाबा रज़ि० ने अर्ज़ किया, हां, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम!

फरमाया, 'तुम में से बेहतरीन लोग वे हैं, जिन को देख का खुदा याद आए।'

हवाला 1.मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 722, हदीस 4774,खुदा से मुहब्बत का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 151, खुदा से मुहब्बत का बयान।

हदीस – हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि ने फ़रमाया है–

'हया और ईमान को एक जगह रखा गया है, (यानी एक दूसरे से मुताल्लिक़ हैं) इन में से जब एक को उठाया जाता है तो दूसरा भी उठा लिया जाता है।'

और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि० की रिवायत में यों है कि–

'इन में से जब एक को दूर किया जाता हैं, तो दूसरा भी जाता रहता है।'

हवाला 1.मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 29, हदीस 4839, नर्मी और हया का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 172, नर्मी और हया का बयान।

हदीस – हज़रत अस्मा बिन्त यज़ीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है–

झूठ बोलना सिर्फ़ तीन मौक़ों पर जायज़ है–

1. एक तो मर्द का झूठ बोलना अपनी बीवी को राज़ी करने के लिए ,
2. दूसरे लड़ाई में झूठ बोलना, और
3. तीसरे लोगों के दर्मियान सुलह कराने में झूठ बोलना।

1.मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 724, हदीस 4783, दोस्ती और ऐबजूई का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 4, पृ० 154, दोस्ती और ऐबजूई का बयान।

हदीस – हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल

सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है-

तीन आदमी हैं जिन पर ख़ुदा ने जन्नत को हराम कर दिया है-

1. एक वह आदमी, जिसने हमेशा शराब पी,

2. दूसरा वह, जिसने मां-बाप की नाफ़रमानी की,

3. तीसरा दय्यूस, जो अपने घर वालों से नापाक काम कराये, यानी ज़िना।

हवाला 1.मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 565, हदीस 3466, शराब पर वईद का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 3, पृ० 335, शराब पर वईद का बयान।

हदीस – हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है-

तीन आदमी जन्नत में न जाएंगे-

1. हमेशा शराब पीने वाला,

2. रिश्तेदारी के ताल्लुक़ को ताड़ने वाला, और

3. जादू पर यक़ीन व एतक़ाद रखने वाला।

हवाला 1.मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 565, हदीस 3467, शराब पर वईद का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 3, पृ० 335, शराब पर वईद का बयान।

हदीस – हज़रत अस्मा बिन्त यज़ीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फ़रमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सामने खाना लाया गया, फिर हमारे सामने खाने को पेश किया गया।

हमने अर्ज़ किया, हम को ख़्वाहिश नहीं है। (अगर चे हम भूखे थे, लेकिन तकल्लुफ़ में ये लफ़्ज़ कह दिये) आपने फ़रमाया,

'भुख और झूठ को न जमा करो।'

हवाला 1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 641, हदीस 4047, ज़ियाफ़त का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़। जिल्द 3, पृ० 514, ज़ियाफ़त का बयान।

हदीस – हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फ़रमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लराहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है-

'जिस आदमी को खाने पर बुलाया जाए और वह दावत क़ुबूल न करे, तो उसने ख़ुदा और उसके रसूल सल्ल० की ना फ़रमानी की और जो आदमी बिना बुलाये किसी के यहां खाने को चला जाए, वह चोरों की तरह आया और माल लूट कर वापस हुआ।'

हवाला 1.मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 504, हदीस 3063, वलीमे का बयान,
2. मज़ाहिरक हक़, जिल्द 3, पृ० 165, वलीमे का बयान।

हदीस – हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने–

'नहीं फेरती तक्दीर को मगर दुआ और नहीं ज़्यादा करती उमर को मगर नेकी।'

हवाला 1.मिश्कात शरीफ़ जिल्द 1, पृ० 369, हदीस 2112, दुआओं का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 2, पृ० 242, दुआओं का बयान।

हदीस हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़मआ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हवा निकलने पर हंसने वालों को नसीहत करते हुए कहा,

'तुम में से कोई आदमी ऐसी बात पर क्यों हंसता है, जिस को वह खुद भी करता है।' (मुख़्तसर)

हवाला 1.मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, पृ० 507, हदीस 3082, सोहबत व इख़्तिलात का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 3, पृ 171, सोहबत व इख़्तिलात का बयान।

हदीस – हज़रत अबु दर्दा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रूसल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने पूछा गया कि–

'क्या है इल्म की मिक्दार कि जब इन्सान इतना हासिल कर ले तो फ़क़ीह (आलिम) बन जाए।' (और दुनिया व आख़िरत में उस की गिनती आलिमों में हो)

पस फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने–

'जो आदमी मेरी उम्मत को फ़ायदा पहुंचाने के लिए चालीस हदीसें दीन के मामले की याद कर ले, अल्लाह उस को क़ियामत में फ़क़ीह उठाएगा और क़ियामत के दिन मैं उस का शफ़ीअ़ और गवाह हूंगा।'

हवाला 1.मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 120, हदीस 229, इल्म का बयान,
2. मज़ाहिरे हक़, जिल्द 12, पृ० 102, इल्म का बयान।

क़ुरआन करीम के तीसवें पारे में सूर: ज़िलज़ाल में आयत न० 7, 8 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – जिसने ज़र्रे बराबर नेकी की होगी, वह उसे देख लेगा और जिसने ज़र्रे बराबर बुराई की होगी, वह उसे देख लेगा।

छोटी नेकी को हक़ीर न समझो, यह बड़ी होकर मिलेगी और थोड़े से गुनाह को भी बेजान न समझो कहीं थोड़ा-थोड़ा मिल कर बहुत न बन जाए।

ज़र्रा के मायने छोटी चींटी के हैं यानी नेकियों और बुराइयों को छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अपने नामा-ए-आमाल में देख लेगा। बदी तो एक ही लिखी जाती है, नेकी एक के बदले दस, बल्कि जिस के लिए खुदा चाहे, इस से भी बहुत ज्यादा, बल्कि इन नेकियों के बदले

बुराइयां भी माफ़ हो जाती हैं। फिर यह भी है कि जिस की नेकी बुराई से एक ज़र्रे के बराबर बढ़ गयी, वह जन्नती हो गया।

हवाला – तफ़्सीरे इब्ने कसीर, पारा 30, पृ० 95, सूरः ज़िलज़ाल की तफ़्सीर में।

क़ुरआन करीम के तीसवें पारे में सूरः ज़िलज़ाल में आयत न० 1 2, 3, 4, 5, में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – जब ज़मीन पूरी तरह झिंझोड़ दी जाएगी और अपने बोझ बाहर निकाल फेंकेगी, इंसान कहने लगेगा कि इसे क्या हो गया। उस दिन ज़मीन अपनी सब ख़बरें बयान कर देगी, इसलिए कि तेरे रब ने उसे हुक्म दिया होगा।

सही मुस्लिम शरीफ़ में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं–

ज़मीन अपने कलेजे के टुकड़ों को उगल देगी, सोना–चांदी, मिस्ल सतूनों के बाहर निकल पड़ेगा। क़ातिल उसे देख कर अफ़सोस करता हुआ कहेगा कि हाय! इसी माल के लिए मैंने फ़्लां–फ़्लां को क़त्ल किया था। आज यह यों इधर–उधर रिल रहा है, कोई आंख भर कर देखता भी नहीं।

इसी तरह सिलारहमी (करीबी रिश्तेदारी) तोड़ने वाला भी कहेगा कि इसी की मुहब्बत में आकर रिश्तेदारों से मैं सुलूक नहीं करता था।

चोर भी कहेगा कि इसी की मुहब्बत में मैंने हाथ कटवा दिये। ग़रज़ वह माल यों ही रिलता–फिरेगा, कोई नहीं लेगा। इंसान उस वक़्त हक्का–बक्का रह जाएगा और कहेगा–

यह तो हिलने–जुलने वाली न थी, बिल्कुल ठहरी हुई बोझल और जमी हुई थी। इसे क्या हो गया कि यों बेद की तरह थरथराने लगी और साथ ही जब देखेगा कि तमाम अगली–पिछली लाशें भी ज़मीन ने उगल दीं, तो हैरान व परेशान हो जाएगा कि आख़िर उसे क्या हो गया है? पस ज़मीन बिल्कुल बदल जाएगी और आसमान भी और सब लोग उस क़ह्हार ख़ुदा के सामने खड़े हो जाएंगे। ज़मीन खुले तौर पर साफ़ गवाही देगी कि फ़्लां–फ़्लां नाफ़रमानी उस पर की है।

हवाला – तफ़्सीर इब्ने कसीर, पारा 30, पृ० 94, सूरः ज़िलज़ाल की तफ़्सीर में।

क़ुरआन मजीद के पच्चीसवें पारे में सूरः शूरा के दूसरे रुकूअ में आयत न० 15 में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है–

तर्जुमा – ख़ुदा ही हमारा और तुम्हारा परवरदिगार है। हम को हमारे आमाल का बदला मिलेगा और तुमको तुम्हारे आमाल का। हम में और तुम में कुछ बहस और तकरार नहीं है। ख़ुदा हम सब को (क़ियामत के दिन) जमा करेगा और उस की तरफ़ लौट कर जाना है।

मेरे प्यारे दोस्त! क़ियामत एक दिन ज़रूर आएगी और अल्लाह तआला हम सब को

ज़िंदा करेगा, और हिसाब व किताब हर एक आदमी का होगा। उस वक़्त हक़ और बातिल, सच और झूठ सारी बातें मालूम हो जाएंगी। हम को हमारे आमाल का बदला मिलेगा और तुम को तुम्हारे आमाल का बदला मिलेगा।

ऐ मेरे मालिक-मुख़्तार ! तू ग़फ़्फ़ार है,

तू करीम है, तू रहीम है। हम सब तेरे बन्दे हैं और तेरे हबीब अहमद मुज्तबा, मतुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के उम्मती हैं, तेरे रहम व करम और मग़्फ़िरत के उम्मीदवार हैं। ऐ मेरे मौला ! तेरे रहम व करम से तेरे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के नाम का कलिमा पढ़ने वाले तमाम उम्मते मुस्लिमा के लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे, उन को भलाई की ज़िन्दगी अता फ़रमा और ईमान की सलामती दे दुनिया और आख़िरत के तमाम ग़मों से निजात दे और क़ियामत में तेरी रहमत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शफ़आत मुझे और मेरे मां-बाप और मेरे आम मुसनमाल भाइयों को नसीब कर, (आमीन - आमीन - आमीन)

तम्मत बिफ़ज़्लिल्लाहिल करीम

हिन्दुस्तान के उलेमा-ए-किराम के इज़्हारे एतमाद और अख़बारों के तब्सरे 'शरीअत या जहालत' की ताईद में

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

नह्मदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम०

तस्दीक़

हज़रत मौलाना क़ारी मुहम्मद तैयिब साहब मद्द ज़िल्लहू, मोहतमिम दारुल उलूम, देवबन्द

हक़्क़ानी साहब इस्लाम के मशहूर मुबल्लिग़ और ख़वास व अवाम में मक़्बूल इंसान हैं। बज़ाहिरे वह अनपढ़ हैं, तालीमयाफ़्ता लोगों में उनकी गिनती नहीं की जाती है, लेकिन अपने इल्म व मालूमात और इल्मी महफ़ूज़ात के लिहाज़ से अह्ले इल्म के ज़ुमरे में अल्लाह की तरफ़ से शामिल हो चुके हैं। उन्होंने अपनी एक ताज़ा किताब 'शरीअत या ज़हालत' में जो हर ख़ास व आम में मक़्बूल हो चुकी है, मुरव्वजा बिद्अतों और गन्दी रस्मों के ख़िलाफ़ किताब व सुन्नत और हनफ़ी फ़िक़्ह की रोशनी में जो दलीलें पेश की हैं और किताबों के हवाले के एतबार से बल्कि सफ़हां व सतर की क़ैद के साथ, वे अटल हैं और उन से हज़ारों इंसानों की इस्लाह हुई

1. मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1, पृ० 120, हदीस 239, किताबुल इल्म।

है। सिर्फ़ बिदअत पसन्द लोग लिखते हैं कि एक बे-पढ़े-लिखे जाहिल आदमी को आगे लाया जाना और वह भी उलेमा के क़लम से ज़ेब नहीं देता, लेकिन मैं अर्ज़ करूंगा कि हदीसे नबवी में है कि एक ऐसे आदमी को, जो सिर्फ़ चालीस हदीसें याद किये हुए हो, हश्र के दिन उलेमा के जुमरे में उठाया जाएगा[1], तो जिस आदमी के सीने में हज़ारों हदीसें और रिवायतें और अल्लाह की किताब की आयतें सफ़हा व सतर के साथ महफ़ूज़ हों, आख़िर उलेमा के जुमरे में गिने न जाने की वजह क्या हो सकती है, ख़ास तौर से, जबकि उस के वाज़ व नसीहत से हज़ारों जाहिलों की इस्लाह हुई हैं।

आख़िर दर्जे की बात यह है कि अहले हक़ ने हज़ारों जाहिलों और बिदअत के गिरफ़्तारों को साठ-सत्तर बरस तक भुगता है, वे लोग आख़िर एक 'जाहिल को क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकते ?

हक़्क़ानी साहब की किताब 'शरीअत या जहालत' के कई एडीशन हज़ारों की तायदाद में छप चुके हैं और मख़्लूक़े ख़ुदा की इस से ग़ैर मामूली इस्लाह हुई है। इस किताब में कुछ चीज़ें तौज़ीह तलब थीं, हक़्क़ानी साहब की हक़पसन्दी और बे-लौसी है कि उन्होंने नये सिरे से फिर उलेमा-ए-हक़ की तरफ़ रुजुअ करके उस पर तंक़ीदी नज़र डालने की ख़्वाहिश की।

मौलाना ज़मीर अहमद साहब फ़ाज़िले देवबन्द, सद्रुल मुदर्रिसीन मदरसा इस्लामिया अरबिया (करामतिया दारुल फ़ैज़) जलालपुर ज़िला फ़ैज़ाबाद ने उन मुब्हम बातों की तौज़ीह फ़रमा दी है,जिस से वह खटक भी दूर हो गयी है, जिसे मुख़ालिफ़ लोग उन के ख़िलाफ़ एक हथियार की हैसियत से इस्तेमाल करते थे।

अब यह किताब एक मुस्तनद किताब की हैसियत रखती है, जिस से सुन्नत व बिदअत और तौहीद व शिर्क अलग-अलग होकर मुम्ताज़ हो जाते हैं। हक़पसन्द और हक़ के खोजी मुसलमानों के लिए यह किताब आईना-ए-तौहीद और मिराते सुन्नत (सुन्नत का आईना) है, जिस से उम्मीद है कि लोग फ़ायदा उठाएंगे और हक़्क़ानी साहब के हक़ में दुआ गो रहेंगे।

अल्लाह तआला इस किताब को मक़्बूल फ़रमाये और मुसलमानों के लिए मिफ़्ताहे ख़ैर (भलाई के दरवाज़े खोलने वाला) और मिग़्लाक़े शर (बुराई का दरवाज़ा बन्द करने वाला) बना दे। आमीन !

ईं दुआ अज़ मन व अज़ जुम्ला जहां आमीन आबाद

(क़ारी) मुहम्मद तैयिब

मोहतमिम दारुलउलूम देवबन्द

11 अगस्त 1975

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम!

नह्मदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम

तस्दीक़

शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मुहम्मद ज़करिया साहब मद्द ज़िल्लहू

यह नाकारा हक़्क़ानी साहब को दस-पन्द्रह साल से जानता है और उन के उलूम से नफ़ा पहुंचना मेरे गुजराती दोस्तों ने बयान किया। उन का रिसाला 'शरीअत या ज़हालत' मैं भी देख चुका हूं।

अल्लाह तआला हक़्क़ानी साहब और उन की किताब को दोनों जहान में मक़्बूल बनाये। अब आंखों की मजबूरी और मरज़ों की ज़्यादती की वजह से किताब 'शरीअत या जहालत' को इश्तियाक़ के बावजूद न मालूम कब तक सुन सकूंगा! जैसा कि हज़रत क़ारी (मौलाना मुहम्मद तैयिब साहब, मुहतमिम दारुल उलूम देवबन्द) ने तह्रीर फ़रमाया है कि पहले जो इश्कालात हो सकते थे, उन को भी दूर कर दिया गया। ऐसी सूरत में यह किताब और भी जामेअ़ और मुफ़ीद होगी।

अल्लाह तआला लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस से मुतमत्ता फ़रमाये। आमीन!

–शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मुहम्मद ज़करिया साहब

सहानपुर (उ० प्र०)

12, शाबान, 1395 हि०

इज़्हारे एतमाद

हज़रत मौलाना अबुल हसन अली अल-हसनी अन-नदवी साहब दामत फ़ुयूज़ुहूम

अल-हम्दु लिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला अिबादिहिल्लज़ीनस्तफ़ा० अल्लाह अपना काम जिस से भी ले, यह उस की हिक्मत व रहमत पर मुनह्सर है। व लिल्लाहि जुनूदुस्समावाति वल अर्ज़ि उसके लिए न किसी मदरसे का मुस्तनद आलिम होना शर्त है, न ज़बरदस्त आलिम और पुराना नामवर मुसन्निफ़ शर्त है, न ज़ोरदार ख़तीब, इधर कई साल से हमारे मोह्तरम दोस्त हक़्क़ानी साहब से वह हक़ को हक़ साबित करने और बातिल को बातिल साबित करने का जो अहम काम एक बड़े पैमाने पर ले रहा है और उन के वाज़ों व तक़रीरों से कम से कम अक़ीदे की और रस्मों की इस्लाह के मैदान में ख़ल्के ख़ुदा को जो नफ़ा पहुंच रहा है, वह इस का एक नमूना है। अयां रा च बयां।

उन की इन्हीं इस्लाही ख़िदमतों में उन की किताब 'शरीअत या जहालत' है जो सब की

समझ में आने वाली और आम लोगों के मज़ाक़ के मुताबिक़ होने की वजह से सैकड़ों पढ़ने वालों के लिए मुफ़ीद साबित हुई है, अफ़सोस है कि यहां आंख की कमज़ोरी और खुद से पढ़ने-लिखने की मजबूरी की वजह से उस को पढ़ नहीं सका हूं, लेकिन हक़्क़ानी साहब के ख़्यालात व मसलक और उन के वाज़ों के असर को जानता हूं। हमारे मुल्क की दो बड़ी हस्तियों मख़्दूमुना हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मुहम्मद ज़करिया साहब दामत बरकतुहुम और हज़रत मौलाना क़ारी मुहम्मद तय्यब साहब की तह्रीर व तौसीक़ के बाद मेरे कुछ लिखने की ज़रूरत न थी, लेकिन अपनी सआदत और एक हक़ की गवाही समझ कर ये लफ़्ज़ लिखवा दिये। अल्लाह इस किताब से ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा पहुंचाए और मुसन्निफ़ को और इस को और ज़्यादा नफ़ाबख़्श बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाये। आमीन !

-अबुल हसन अली

दारुल उलु नदवतुल उलेमा, लखनऊ

1 सितम्बर 1975 ई०

786

साहबज़ादा मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद अस-अद मियां साहब मदनी

सदर जमअ़ियतुल उलेमा हिंद

जनाब मख़्दूम हक़्क़ानी साहब और उन की किताब 'शरीअत या जहालत' को बरसों से जानता हूं। और मख़्तलिफ़ वक़्तों में और मक़ामात पर मुलाक़ात का शरफ़ भी हासिल कर चुका हूं। बहरहाल दूसरे हज़रात ख़ास तौर से हज़रत शेखुल हदीस मद्द ज़िल्लुहुम की राय और तब्सरे से मुत्तफ़िक़ हूं। अल्लाहु तआला हक़्क़ानी साहब से इस्लाम और मुसलमानों की मक़बूल खिदमात ले और खुलूस व क़ुबूलियत से ज़्यादा से ज़्यादा नवाज़े और जज़ा-ए ख़ैर अता फ़रमाए ! अमीन !

-फ़क़त वस्सलाम

(हज़रत मौलाना) सैयद अस-अद ग़ुफ़ि-र लहू मदनी

सदर जमीयतुल उलेमा हिंद

2 दिसम्बर 1975 ई०, वारिदेहाल बहराइच

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

तस्दीक़

हज़रत मौलाना ज़मीर अहमद आज़मी (फ़ाज़िले देवबन्द) और उनके असिस्टेंट

यह क़ुदरत की देन ही तो है कि अनपढ़ आदमी जो उर्दू की मामूली इबारत भी आसानी से पढ़ने वा क़ादिर न हो, दीन और शरीअ़त को न जानता हो, उस को दीन और शरीअ़त के इल्म से इतना नवाज़ दिया जाए कि अब वह न सिर्फ़ दीन का ज़बरदस्त मुबल्लिग़ बे-मिसाल वाइज़ और ख़तीब है, बल्कि वह एक ऐसी मुफ़ीद और सब की समझ में आने वाली किताब 'शरीअत या जहालत' का मुसन्निफ़ भी है, जो तौहीद के बयान, बिदअ़त के रद्द और रस्मों की इस्लाह में एक कामियाब किताब है।

इस क़िताब में हैरत में डाल देने वाली ख़ूबी यह है कि इस में जो मस्अला भी बहस के तौर पर आया है, उस के बारे में क़ुरआनी आयतें, हदीसें और तफ़्सीर व फ़िक़्ह कि किताबों के मुस्तनद हवाले इतने ज़्यादा ज़िक्र किये गये हैं कि पढ़ने वाले में अगर इस्लाह क़ुबूल करने का कुछ भी एहसास बाक़ी है, तो मुतास्सिर हुए बग़ैर नहीं रह सकता।

चूंकि यह किताब पहली बार दिसम्बर 1962 में छपी थी, जिस पर 17 साल की मुद्दत गुज़र चुकी है, इस मुद्दत में जनाब हक़्क़ानी साहब ने अपने तजुर्बों की रोशनी में ज़रूरत महसूस फ़रमायी कि अपनी नयी और मुफ़ीद जानकारियों को इसमें बढ़ा दें और इस पर कुछ दोस्तों का इस्रार भी हुआ, साथ ही यह भी कि किताब पर नज़रे सानी की भी ज़रूरत थी ताकि जिन इबारतों में कुछ इबहाम (ऐसी चीज़ जो साफ़ न हो) महसूस किया जा रहा था, उसको वाज़ेह कर दिया जाए और फिर उलेमा की ख़िदमत में पेश करके सनदे ऐतमाद हासिल कर ली जाए। चुनांचे इस सिलसिले में हक़्क़ानी साहब ने मुझ नाचीज़ के पास किताब का मुसव्वदा भेजा। मैंने अपने इल्म में कमज़ोरी महसूस करते हुए अपने मदरसे के दूसरे मुदर्रिसों और उलेमा-ए-किराम की मौजूदगी में बराबर एक महीने तक किताब के मुसव्वदे का एक-एक हर्फ़ ग़ौर से पढ़ा और जो जगह अपनी समझ के मुताबिक़ वज़ाहत तलब नज़र आयी या कहीं-कहीं कुछ इज़ाफ़े की ज़रूरत महसूस की गयी, तो वहां बहस व तम्हीस से जहां तक हो, सका इत्मीनान हासिल करके मुनासिब वज़ाहत या इज़ाफ़ा कर दिया।

इसी के साथ इन्सान बहरहाल इन्सान है, भूल-चूक से पाक होने का दावा नहीं हो सकता, मेरे नज़दीक हक़पसन्द वह है, जो हक़ क़ुबूल करने के लिए हर वक़्त तैयार रहे और अपनी ग़लती को अगर वाक़ई ग़लती है, तो क़ुबूल करके अपनी इस्लाह कर ले।

हक़्क़ानी साहब में अल्लाह तआला शानूहू ने यह ख़ूबी भी अता फ़रमायी है। बहरहाल

मैं अपने इल्म की हद तक इस किताब को सही मुफ़ीद और भरोसा करने के लायक़ समझता हूं। अल्लाह तआला इस किताब के ज़रिये इस्लाह और इफ़ादे को आम और ताम बनाये। आमीन!

–अबुल अज़हर ज़मीर अहमद आज़मी गुफ़िर लहू
सदरुल मुदर्रिसीन मदरसा इस्लामिया अरबीया
(करामतिया दारुल फ़ैज़) जलालपुर।
–अल-अब्द ज़हीरुद्दीन फ़ैज़ाबादी उफ़ि-य अन्हु
–नबीह मुहम्मद, मदरसा करामतिया, जलालपुर
–मुंशी नूर मुहम्मद साहब, जलालपुर (फ़ैज़ाबाद)
9 मई, 1975

इज़्हारे एतमाद

मोहतरम हज़रत मौलाना हक़्क़ानी साहब के साथ मुझे लगातार ग्यारह महीने तक रहने का इत्तिफ़ाक़ रहा है। मेरा काम यह था कि 'शरीअत या जहालत' के इज़ाफ़े शुदा (बढ़ाये गये) एडीशन के मुसव्वदे को साफ़ करके कातिबों के हवाले करने के लायक़ बनाऊं।

इस बीच मुझे इस किताब को कई-कई बार नक़ल करना पड़ा।

नक़ल के दौरान जो बात मैंने ख़ास तौर से महसूस की, वह यह थी कि इस किताब का कोई ऐसा जुम्ला, जो ज़ुबान के क़वाइद के एतबार ग़लत हो, अगर उसको ठीक करने की कोशिश की जाये तो असर डालने की वह कैफ़ियत, जो पहले थी, बाक़ी नहीं रह जाती।

हक़्क़ानी को मैंने क़रीब से देखा है। आप का ताल्लुक़ क़ुरआन व हदीस से बहुत गहरा है। हर सवाल का जवाब क़ुरआन व हदीस में तलाश करते हैं और सवाल करने वाले को जवाब क़ुरआन व हदीस से इस तौर से देते हैं कि वह मुतमइन हो जाता है। आपका क़ुरआन व सुन्नत से लगाव इश्क़ की हद तक पहुंचा हुआ है।

क़ुरआन व सुन्नत से इसी इश्क़ और लगाव का यह नतीजा है कि आपका बयान, चाहे तक़रीर की शक्ल में हो या तहरीर की शक्ल में अपने अन्दर हक़ीक़त, यक़ीन, विक़ार और अजीब तरह का हुस्न और सादगी रखता है और आपके इख़्लास और हक़ की तब्लीग़ के लिये सोज़े क़ल्बी और इत्तिबाए सुन्नत में आशिक़ाना शान रखने ही का यह नतीजा है कि अल्लाह तआला ने चाहे तक़रीर हो या तहरीर दोनों मैदानों में बराबर का क़ुबूल आम अता फ़रमाया है।

–मौलाना मुहम्मद इस्माईल
डाकख़ाना बाग़ नगर, ज़िला बस्ती (उ० प्र०)

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

वाक़िफ़े अस्रारे क़ुरआनी : मंबा ए-फ़ुयूज़ व बरकाते रब्बानी
महबते इलहामे रब्बानी : हज़रत मौलाना मुहम्मद पालन हक़्क़ानी

इज़्हारे हक़ीक़त

हज़रत मौलाना मुहम्मद पालन हक़्क़ानी गुजराती की कानपुर में तशरीफ़ावरी एक इत्तिफ़ाक़ की बात थी, मगर कौन जानता था कि क़ुदरत ने कानपुर के बाशिंदों की क़िस्मत की कुंजी मौलाना कें मुबारक हाथ में रख दी है।

कुछ दिनों के लिये मौलाना साहब को कानपुर आने की ज़हमत दी गयी थी, मगर आज यह कहना बजा और दुरुस्त है कि अब कानपूर के एक-एक बाशिंदे के दिल में हक़्क़ानी बस चुके हैं। अब हक़्क़ानी साहब और कानपुर लाज़िम व मलज़ूम हो चुके हैं। मौलाना की तक़रीरों से पीढ़ियों से चली आ रही रस्मों और बिदअतों का खत्मा हुआ, अह्ले हक़ का बोलबाला हुआ। अब कानपूर के मुसलमान शिर्क व बिदअत और फ़र्ज़ व सुन्नत में फ़र्क़ व इम्तियाज़ करना सीख गये हैं और अह्ले-बातिल के सामने उभर कर आ गये। मौलाना हक़्क़ानी की तक़रीरों ने बेश-क़ीमत सीपी को स्वाति की बारिश की तरह क़ीमती मोती से भर दिया यानी कानपुर की धरती को क़ुरआन व हदीस के आबदार मोतियों से मालदार कर दिया। रास्ते से भटके लोगों को हिदायत की राह नसीब हुई। बुरी रस्मों से बचने का सलीक़ा आ गया, घर-घर से अंधेरा दूर हो गया, क़ुरआन व हदीस की रोशनी फैली, नुबूवत की रोशनी ने दिलों को मुनव्वर व मुजल्ला फ़रमाया, कितनों ने सीधे रास्ते पर चलने का अह्द व पैमान किया। कितानों ने अपनी ग़फ़लत की पिछली ज़िन्दगी पर नदामत के आंसू बहाए। नव जवानों ने दीन की बातें सुनना सीखा और अपनी इस्लाह का एलान किया। कितनों ने दाढ़ी मुंडाने से तौबा की। कितनों ने नमाज़ें शुरू की, कितने ज़ालिम नव-जवानों ने अपने ज़ुल्म व सितम को छोड़ कर के ख़िदमते ख़ल्क़ व ख़िदमते दीन का बेड़ा उठाया। कितनी औरतों ने बुरी रस्मों से तौबा कर ली। बिदअतों को छोड़ दिया। सुन्नत की पैरवी और नमाज़-रोज़े की पाबन्दी अपने घर बीवी-बच्चों में रिवाज दे दी। बूढ़ों और कमज़ोरों ने खुदा की तरफ़ लौ लगायी, रिज़ाए इलही के चाहने वाले और अल्लाह से डरने वाले हो गये। अल-ग़रज़ मौलाना मुहम्मद पालन हक़्क़ानी साहब ने वह करिश्मा दिखाया और अपनी ज़ोरदार और पुर असर दिल पसन्द तक़रीरों से मुद्दतों के स्याह बादल को चाक कर के किताब व सुन्नत के सूरज को चमका दिया, जिसकी रोशनी में अब राहे हिदायत नुमायां और रोशन है।

जज़ा कल्लाहु अह्सनल् जज़ाइ इला यौमिल क़ियामति०

मौलाना हक़्क़ानी की तक़रीरों ने बिदअतियों की ज़ुबान छीन ली। उनसे बात अब बनाये

नहीं बनती । मुसलमानों को मौलाना ने हक़ व बातिल का फ़र्क़ करना सिखा दिया। अवाम व ख़वास को क़ुरआन व हदीस की कसौटी बख़्श दी। आइन्दा अह्ले बिदअत व ज़लालत के फंदों में फंसने से बचने की राह खोल दी और होशियार और सूझ-बूझ वाला बना दिया।

मेरा और कानपुर और कानपुर के आस पास के उलेमा-ए-रब्बानियीन का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि हज़रत मौलाना मुहम्मद पालन हक़्क़ानी साहब का मज़हबी किताबों, ख़ास तौर से क़ुरआन व हदीस व फ़िक़्ह का मुताला बहुत ज़्यादा और हाफ़िज़ा बे-पनाह व बेहद मज़बूत, बल्कि फ़ितरत से परे है। एक मौज़ूअ पर क़ुरआन करीम की इतनी आयतें मय पारा, सूरः, रुकूअ व आयत न० वग़ैरह पेश करते हैं कि अक़्ल वाले और इल्म वाले दंग रह जाते हैं और मालूम होता है कि क़ुरआन की बारिश या नुज़ूल हो रहा है। इसी तरह नबी सल्ल० की हदीसों के, दरसी किताबों के अलावा ग़ैर-दरसी और पुरानी किताबों तक के मय नाम किताब, बाब, सफ़्हा, हदीस न० रावी के नाम वग़ैरह इस तरह बयान करते हैं कि हदीस के बड़े-बड़े माहिर और हाफ़िज़ दांतों तले उंगली दबा लेते हैं-

व ज़ालि-क फ़ज़्लुल्लाहि युअ्तीहि मंय-यशा० वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम०

ख़ुलासा यह है कि मौलाना हक़्क़ानी को क्या कहा जाए। एक ही वक़्त में मुबल्लिग़ हैं, मुजाहिद हैं, मुक़र्रिर हैं, क़ुरआन व हदीस के हाफ़िज़ हैं। अल्लाह के रास्ते के मुजाहिद हैं, अल्लाह के रसूल के आशिक़ हैं, साहिबे अख़्लाक़े हसना, साहिबे बिर्र व नवाल, नर्म मिज़ाज, हंसमुख, सच कहने वाले, हक़ समझने वाले, तबीयत में सादगी, मगर निहायत सफ़ाई व सुथराई के साथ बे-तकल्लुफ़ी, क़ल्बे मुबारक भले ज़ज़्बे से भरा हुआ ख़ुदा की मख़्लूक़ की हमदर्दी से पुर, मिस्कीनों, ग़रीबों, मुहताजों और मासूम बच्चों के हद से ज़्यादा भला चाहने वाले और और दिल रखने वाले, अल्लाह की दी हुई इल्मी व माली दौलत को बे-तहाशा दीन व मिल्लत व इन्सानियत पर क़ुर्बान करने वाले, मेहमान नवाज़, तलबा नवाज़, मुसाफ़िर नवाज़, अल ग़रज़ मौलाना हक़्क़ानी साहब क़ुदरत का एक शाहकार और अस्लाफ़े सालीहीन का एक बेहतरीन नमूना हैं और आज के ज़माने में अल्लाह की तरफ़ से मामूर और उसके ख़ास बन्दों में से हैं, जो एक तरफ़ मुसलमानों के दिलों को किताब व सुन्नत से गरमाते हैं, तो दूसरी तरफ़ ग़ैर-मुस्लिमों से भी वाहवाही पाते हैं। कुछ ग़ैर-मुस्लिम हाकिम तो उनको अवतार समझने लगे हैं। उन पर फ़ज़्ले रब्बी यह है कि तक़रीर में भी बे-मिसाल हैं, तो तहरीर में भी सलामत और रवानी है। सब की समझ में आने वाली तहरीर में भी महारत हासिल है, जिस की मिसाल आप की किताब 'शरीअत या जहालत' है, जो मारफ़तों और हक़ीक़तों का ख़ज़ाना है। हर बच्चे, बूढ़े, औरत व मर्द उसके पढ़ने से हिदायत पा सकते हैं।'

इस हक़ीक़त से इन्कार ना-मुम्किन है कि मौलाना की तक़रीरों में अल्लाह की ओर से दी हुई तासीर पायी जाती है या आपकी करामत है कि ढाई महीने तक लगातार रात के जलसों में एक लाख-डेढ़ लाख का मज्मा आपकी तक़रीरों से फ़ैज़ हासिल करता रहा। कानपुर वालों

का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि किसी दौर में किसी बड़ी से बड़ी कांफ्रेंस में भी कभी इतने लोग जमा नहीं हुए और लगातार रातों का जागना और लाखों आदमियों का जागना और ज़्यादा जागने का शौक़, यह इन्सानों का पलटना फ़ज़्ले ख़ुदा और करामत नहीं तो और क्या है। ज़ादल्लाहु उम-रहु व हफ़िज़हू०

–क़ाज़ी अहमद हुसैन साहब, क़ाज़ी शहर, कानपुर
30 जुलाई, 1973

बिस्मिल्लाहिर्रमानिर्रहिम

जनाब मौलाना हाफ़िज़ अब्दुल मतीन साहब, जूनागढ़ी
आलिम व फ़ाज़िले अदब पंजाब युनिवर्सिटी
का

इज़्हारे एतमाद

हामिदन व मुसल्लियन

मक्का मुकर्रमा फ़त्ह हो गया और हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु काबतुल्लाह की छत पर अपनी लुभावनी आवाज़ में अज़ान देने लगे, तो कुछ क़ुरैशी नव-जवान यह कहते हुए बाहर निकले-

'लो, अब ये नंगे – भूखे और काले कलूटे लोग काबतुल्लाह पर क़ाबिज़ हो गये, तो जीने से क्या फ़ायदा! हमारी सरदारी तो ख़ाक में मिल गयी, इज़्ज़त व मसावात भी गयी, गो बाद में वे भी मुसलमान हो गये।'

कुछ इसी तरह बिदअतियों, मुश्रिकों, नादान पीरों, नाम निहाद मौवलियों और शहवतपरस्त सज्जादा नशीनों ने उस वक़्त कहा, जबकि हक़्क़ानी हक़ तआला के दीने हक़ का ऐलान करते हुए मुजाहिदाना शान से मन्जरें आम पर आए के दुश्मनों ने कहा कि गुजरात और सौराष्ट्र में रहना अब बेकार है। सत्यानास निकाल दिया है इस शख़्स ने हमारा। अगर मुख़ालिफ़ों ने यह कहा, तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि हालात और वाक़िआत गवाह हैं कि हक़्क़ानी साहब एक एटम बम या आसमानी बिजली बन कर उनके सिरों पर गिरे हैं। जब उन्हें अपना मुस्तक़बिल अंधेरा नज़र आने लगा और कोई वाक़ई एतराज़ की बात उन्हें न मिली, तो हक़्क़ानी साहब को अनपढ़ बताकर और उनकी किताब 'शरीअत या जहालत' को ग़ैर-मुस्तनद और कमज़ोर इबारतें पेश करके गिराना चाहा, मगर सब ने देख लिया कि ऐसे आलिम ख़ुद ही आवाम की नज़रों से गिर गये और अगर हसद व तकब्बुर का यही हाल रहा तो वह वक़्त दूर नहीं जब हक़ को पहचानने वाली मुस्लिम क़ौम के सामने उन्हें सर छिपाने और मुंह दिखाने की भी

1. इब्ने हिशाम

जगह न मिल सकेगी। हां, अलबत्ता उसूली तौर पर इल्मी बहस व फ़िक्र और नक़द व नज़र से किसी को नहीं रोका गया। अगर सही व मुस्तनद बात करके किताब की ख़ामी और ग़लती पर मुतवज्जह किया जाऐगा तो यक़ीनन वह बात लाइक़े तवज्जोह और क़ाबिले क़ुबूल होगी, मगर हासिदाना लफ़्फ़ाज़ी और मुआनिदाना बक्वास के लिये इस तह्क़ीक़ी किताब में कोई गुंजाइश नहीं।

इस मौके पर गुजरात के उलेमा और मुस्लिम अख़बारों के एडीटरों को जितनी भी मुबारकबाद दी जाये, कम है, जिन्होंने न सिर्फ़ हक़्क़ानी साहब की ज़ोरदार ताईद की, बल्कि हिम्मत अफ़ज़ाई और तआवुन के लिये मौसूफ़ के कमज़ोर कांधों पर अपना शफ़क़त और हमदर्दी भरा हाथ रखा और ठीक उस वक़्त, जबकि बिदअतियों ने किताब 'शरीअत या जहालत' ज़ब्त कराने के लिये पूरी-पूरी तैयारी कर ली थी, तो इन उलेमा-ए-किराम और दूसरे मुअ़ज़्ज़ज़ हज़रात ने सख़्त जद्दोजेहद और निहायत दौड़-धूप करके इस किताब की इशाअ़त को बहाल रखवाया।

अल्लाह तआला इन बुज़ुर्ग हस्तियों के फ़ुयूज़ व बरक़ात से मिल्लत व क़ौम को फ़ैज़याब करे और उनसे अपने दीन की ज़्यादा से ज़्यादा ख़िदमतें लेकर दुनिया व आख़िरत की ख़ुशगवार नेमतों और लाज़वाल सआ़दतों से उन्हें मालामाल करे। आमीन !

–अब्दुल मतीन मैमन बिन मौलाना हाफ़िज़,
अब्दुल-लतीफ़ ग़ुफ़िर लहू,
जूनागढ़ (सौराष्ट्र)
10, ज़िलहिज्जा 1384 हि० मुताबिक़
13 अप्रैल, 1965 ई०

बिस्मिल्लाहिर्रमानिर्रहीम

सपासनामा

मिन जानिब : इदारा अहले सुन्नत व जमाअत व अहालियाने मस्जिद कमान सुलतान शाही, हैदराबाद (दक्कन)

बख़िदमत शरीफ़ हज़रत मौलाना मुहम्मद पालन हक़्क़ानी साहब ज़ादल्लाहु ईमान कुम!

मुकर्रम व मोहतरम !

अस्सलामु अलैकुम व रह्मतुल्लाहि व बरकातुहू

हैदराबाद की पिछली पचास साला तारीख़ के पेशेनज़र हमारा यह ईक़ान है कि मक्का मस्जिद हैदराबाद की जारिया मजालिसे वाज़ व ज़िक्रे इलाही अपनी नज़ीर आप है। मज़हब व अक़ीदे के इख़्तिलाफ़ की वजह से मुसलमान मुख़्तलिफ़ तब्क़ों और फ़िर्क़ों में बंटे हुए हैं। इन सब को एक स्टेज पर जमा करने की कोशिशें पिछले दौर में भी की गयी थीं और अब भी की जा रही हैं, लेकिन

'वअ़-तसिमू बिहब्लिल्लाहि ज़मीअ़न'

की जो अमली ताबीर दस दिनों में यहां मक्का मस्जिद में नज़र आयी है, आप के मुबारक वाज़ों की लिल्लाहियत ने, इख़्लास फ़िद्दीन ने, ख़ास तौर पर अल्लाह की किताब और रसूल सल्ल० की सुन्नत की पैरवी की दावत ने जो काम किया है और मुख़्तलिफ़ मकातिबे फ़िक्र, जैसे अह्ले सुन्नत व जमाअत, जमाअत इस्लामी और अह्ले हदीस, तब्लीग़ी व इस्लामी तहरीकों की दावत देने वाले मुख़्तलिफ़ इदारे, जमाअतें और आम व ख़ास लोग, अपने-अपने इख़्तिलाफ़ात को नज़रंदाज़ करते हुए जिस तरह यहां हम-ख़्याल व हम आहंग नज़र आते हैं, उस की मिसाल हैदराबाद की पिछली तारीख़ में मिलनी मुश्किल है। तमाम इंसान आदम की औलाद हैं, जिन की फ़ितरत एक, जिनके जज़्बात व दाअ़ियाते रंज व अलम राहत व अम्न सभी एक, जिन का ख़ुदा एक, फिर कोई वजह नहीं कि एक अल्लाह की किताब और एक अल्लाह के रसूल की तालीमात की पैरवी जैसा कि उस का हक़ है, के ज़रिए हम ख़्याल व हम मज़हब होकर 'मा अना अलैहि व असहाबी' के मेयार पर एक ही जमाअत न बन जाएं। कोरी तक्लीद और उलेमा-ए-सू के चक्कर से उम्मत को निजात दिलाना बन्दगाने ख़ुदा को अल्लाह ही के दर पर झुका देना, किताब व सुन्नत के तहत मख़्लूके ख़ुदा को आम तौर से और मुसलमानों को ख़ासतौर से 'मा अना अलैहि व असहाबी' के मेयार पर 'दावत इलल ख़ैर' पेश करना, ताकि यह उम्मत ख़ैरे उम्मत बन कर दुनिया में अम्न व आख़िरत में मग़्फ़िरत व जन्नत की मुस्तहिक़ हो सके, चुनांचे वक़्त की इस अहम ज़रूरत को अलहम्दु लिल्लाह वाला जनाब ने तौफ़ीक़े इलाही से महसूस फ़रमा कर जो कोशिशें फ़रमायी है और जिस तरह हक़ की आवाज़ को बुलन्द फ़रमाया हैं और शहादते हक़ का फ़रीज़ा अंजाम दिया है, उसने ख़ुदा और रसूल के शैदाइयों को इस दस दिन की छोटी-सी मुद्दत में 'जाअल हक़्क़ु व ज़-ह क़ल बातिल' का अमली नमूना इसी मस्जिद में दिखला दिया।

इस के अलावा मक्का मस्जिद अपने तारीख़ी फैलाव बावजूद तंग दामनी का शिकवा कर रही थी, इस वजह से मज़ीद दो तक़रीरें नुमाइश मैदान में करनी पड़ीं।

हम आप की जी तोड़ कोशिशें और एक मोमिन जैसी हिम्मत की तारीफ़ करते हैं और आप के और उन हज़रात के जिन्होंने आप को यहां बुलाने की सआदत हासिल की है, तहे दिल से मश्कूर हैं कि ऐसे फ़ित्नों के दौर में आप के यहां तश्रीफ़ आवरी हज़ारों बल्कि लाखों इंसानों की ख़ैर व फ़लाह और अक़ीदों के इस्लाह का ज़रिया साबित हुई।

अल्लाह तआला आप को बेहद फ़ज़्ल व रहमत से नवाज़े और आप की कोशिशों को क़ुबूल फरमा कर दुनिया व आख़िरत में आप के दर्जों को बुलन्द फ़रमाये। आमीन!

जज़ाकुमुल्लाहु अह्सनल जज़ा०

-मुहम्मद अब्दुल अज़ीज़ , नायब अमीर
इदारा अह्ले सुन्नत व जमाअत
व अराकीने इदारा व अहालियाने मुहल्ला
20 मार्च 1975 ई०, मुताबिक़,
6 रबीउल अव्वल, 1395 हि०

786

नज़राना-ए-अक़ीदत

हक्क़ानियत के बेबाक मुबल्लिग़ व अलमबरदार सुलतानुल वाअिज़ीन जनाब मुहम्मद पालन हक्क़ानी साहब की ख़िदमत में

राह गुमराहों को दी है, फ़िल हक़ीक़त आपने,
लिख के अवराक़े 'शरीअ़त या जहालत' आपने ।
कोशिशें की हैं ख़िलाफ़े शिर्क व बिदअत आपने,
दीन की अंजाम दी बे-लौस ख़िदमत आपने ।
क्या हैं अह्‌कामाते रब्बानी व इर्शादे रसूल,
सामने लोगों के रख दी यह हक़ीक़त आपने ।
राहे हक़, शरहे मतीं को आम करने के लिए,
की है बे-बुनियाद बातों की मज़म्मत आपने ।
जिस का जी चाहे 'शरीअ़त या जहालत' देख ले,
कर दिया है इंकिशाफ़े दीन व सुन्नत आपने ।
था अंधेरा जह्ल का हर सू मियाना क़ौम में,
कर दिया रोशन चिराग़े दीने फ़ितरत आपने ।
दिल मुनव्वर हो गये हैं, आप की तक़रीर से,
बख़्श दी ताबानी-ए-शमा-ए रिसालत आपने ।
बे-नमाज़ी जिस क़दर थे सब नमाज़ी हो गये,
दीन की फैलायी बे-दीनों में रग़बत आपने ।
ऐसे भटके थे, न आए राह पर जो उम्र भर,
उन को भी दिखलायी है, राहे हिदायत आपने ।
मुस्तनद उलेमा-ए-दीं में मोतबर माने गये,
की है हासिल इस क़दर गोया फ़ज़ीलत आपने ।
दीने हक़ का बोल बाला हो गया पहुंचे जहां,
ख़ूब की अह्‌कामे रब्बी की इशाअ़त आपने ।
हलवे, मांडे, ख़ुदग़रज़ मुल्लाओं के ठंडे पड़े,

कर दिया बे-ख़ौफ़ ऐलाने सदाक़त आपने ।
जिस जगह पहुंचे, वहीं एक ज़लज़ला-सा आ गया,
हर जगह तोड़ी शयातीं की जमाअत आपने ।
हासिदों ने मुंह की खायी चारों शाने चित गिरें,
दे दिया सब को जवाबे बा शरीअत आपने ।
हर तरफ़ मानिंद तूफ़ां थे मुख़ालिफ़ आप के,
ख़त्म कर दी आख़िरश उन की जहालत आपने ।
थी मुहम्मद पालन इस में भी खुदा की मस्लहत,
यों रखी सैयद अली शह से अक़ीदत आपने ।
ज़िन्दगी में आप की आया है यह जो इंक़िलाब,
उस की ख़ातिर ही उठायी हर अज़ीयत आपने ।
हो सकी उलेमा-ए-जैयद को न बरसों भी नसीब,
मुख़्तसर अर्से में हासिल की जो शोहरत आपने ।
एक मामूली से मिल मज़दूर थे गुजरात के,
कर दिया है, आज सब को महवे हैरत आपने ।
लिख के जौहर नज़्म यह हक़्क़ानी साहब के लिए,
खूब दिखलाया है मैलाने तबीयत आपने ।

–पेशकरदा–

–सरदार जौहर, एडीटर इशाअते उर्दू हिंद
–मकारानी पाड़ा, मलाड, बम्बई 94

बिस्मिल्लाहिर्रमानिर्रहीम

बहुज़ूर अशिक़े महबूबे सुब्हानी अल्लामा हक़्क़ानी मद्दज़िल्लहु

बुतूने ग़ैब का एक राज़ हैं अल्लामा हक़्क़ानी,
सरापा पैकरे एजाज़ हैं अल्लामा हक़्क़ानी ।
चमन तौहीद का शादाब करने के लिए हमदम,
नसीमे सुब्ह के दमसाज़ हैं अल्लामा हक़्क़ानी ।

लब व लेह्जे से तक़रीरों की यह मालूम होता है,
ज़ुबाने ग़ैब की आवाज़ है अल्लामा हक़्क़ानी।

अदा जिस में मुबल्लिग़ की सदा जिसमें मुग़न्नी की,
एक ऐसा रूह परवर साज़ हैं अल्लामा हक़्क़ानी ।

उड़ा दीं धज्जियां बिद्अत की जिस ने ज़ोरे ईमां से,
एक ऐसे दीन के जांबाज़ हैं अल्लामा हक़्क़ानी।

अगर मैदां में आना ख़ूशा चीनो ! सोच कर आना,
मुक़ाबिल में समन्दे ताज हैं अल्लामा हक़्क़ानी ।

सरे तस्लीम ख़म होता है जिस की साफ़गोई पर,
हक़ीक़त में वही हक़बाज़ हैं अल्लामा हक़्क़ानी।

हज़ारों मारकों से हो गया सब पर यही ज़ाहिर,
बड़े आला, बड़े मुम्ताज़ हैं अल्लामा हक़्क़ानी ।

उतर जाए जो दिल में वह असर जादूबयानी का,
हदीसे क़ल्ब के हमराज़ हैं अल्लामा हक़्क़ानी।

बुज़ुर्गों की दुआओं का समर है जिस की डाली में,
वही शजरे गुहर परदाज़ हैं अल्लामा हक़्क़ानी ।

ख़बर लाती है यह बादे सबा मक्का मदीना से,
कि ख़ाके हिंद का एजाज़ हैं अल्लामा हक़्क़ानी।

ज़ुबाने शेअर से अरशद यही बातें निकलती हैं,
तख़य्युल की हसीं परवाज़ हैं अल्लामा हक़्क़ानी।

पेशकरदा

अरशद करीमी, मदरसा फ़ैज़ानुल उलूम
बहादुरगंज, ग़ाज़ीपुर (उत्तर प्रदेश)

बड़ौदा की मीटिंग
में
उलेमा-ए-गुजरात का बयान

गुजरात के जय्यिद उलेमा और मशहूर वुकला और तजुर्बेकार अख़बार नवीसों (पत्रकारों) और क़ौमी कारकुनों की बड़ौदा की मीटिंग में मंज़ूर की गयी

एक अहम क़रार दाद

'शरीअत या जहालत' में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तौहीन नहीं है।

गुजरात के मुसलमानों के लिए क़ाबिले ज़िक्र दिनों में एक दिन का और इज़ाफ़ा हुआ है और वह 19 नवम्बर 1963 सनीचर का दिन है। इस तारीख़ को गुजरात के मुसलमान कभी भी नहीं भुला सकते, इस लिए कि उस दिन बड़ौदा में गुजरात के जय्यिद उलेमा किराम और बा-शऊर व मशहूर वुकला और सहाफ़ती दुनिया में क़ीमती ज़र व जवाहर बिखेरने वाले अख़बार नवीस और मुसलमान कारकुन और मुअज़्ज़ज़ लीडरान की एक याादगार बैठक हुई, जिस में एक निहायत अहम फ़ैसला किया गया, जिस का इन्तिज़ार सारी क़ौम को था।

गुजरात के इस्लामी हलक़े और अख़बारी माहौल में एक शोर और बदतमीज़ी का एक तूफ़ान बरपा कर देने वाली इश्तिहारबाज़ी और ज़ुबान दराज़ी और एकतरफ़ा ग़लत और बे-बुनियाद प्रोपगंडा से माहौल को मस्मूम और तंग बनाने वाले भाइयों ने क़ौम को कशमकश में ढकेल दिया, इस में से क़ौम को निकालने के लिए यह फ़ैसला होने वाला था।

जनाब हक़्क़ानी साहब की पुरफ़ैज़ तक़रीरों और अपकी शानदार किताब 'शरीअ़त या जहालत' के ख़िलाफ़ पूरे गुजरात में मुनज़्ज़म तौर से प्रोपेगन्डे का जाल बिछाया जा रहा था, उस के बारे में ग़ौर कर के फ़ैसला करने के लिए यह इज्लास ब तारीख़ 16 नवम्बर 1963 ई० की रात को बमुक़ाम बड़ौदा जामा मस्जिद की बिल्डिंग में मुनअक़िद हुआ था।

'शरीअत या जहालत' नाम की किताब छपने के बाद कुछ लोगों की तरफ़ से इस किताब के बारे में प्रोपेगंडा शुरू किया गया था इस किताब पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और सहाबा किराम रज़ि० और औलिया-ए-अिज़ाम की तौहीन के इलज़ाम लगाये गये थे। इस लिए इस किताब की एक-एक नक़ल गुजरात के मशहूर दारुल उलूमों में और मशहूर उलेमा की ख़िदमत में भेजी गयी और मज़हबी तरीक़े से उस पर फ़त्वा तलब किया गया गुजरात के उलेमा

ने इस किताब के बारे में जो फ़त्वे पेश किये हैं, उन का मुख़्तसर खुलासा दर्जे ज़ैल है-

किताब 'शरीअ़त या जहालत' वाक़ई सुन्नी हनफ़ी तरीक़े के मुताबिक़ है। इस किताब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और सहाबा किराम रज़ि॰ और औलिया-ए-अ़िज़ाम की तौहीन की कोई बात बिल्कुल नहीं है। किताब 'शरीअ़त या जहालत' को जो लोग तौहीन करने वाली समझते हैं, वे ग़लत समझते हैं और ग़लत इल्ज़ाम देते हैं। ब्रिटिश गर्वमेंट ने मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए जो बरेलवी फ़ित्ना बरपा किया था, उस इख़्तिलाफ़ और फ़साद को ख़त्म करने के लिए यह किताब 'शरीअ़त या जहालत' बहुत ही मुफ़ीद है। हर मुसलमान मर्द और औरत को चाहिए कि हठधर्मी से अलग होकर इस किताब को पढ़े और समझने की कोशिश करे। इन्शाअल्लाह सही और हक़ राह आंखों के सामने दिखायी देगी।

हमने इस किताब को देखा। इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और सहाबा किराम और औलिया-ए-अ़िज़ाम में से किसी की तौहीन नहीं की गयी है। किताब में जो हवाले दिये गये हैं, वे सही हैं।

1. अहक़र मुहममद इस्माईल ग़ुफ़ि-र लहू, शेखुल हदीस जामिअ़ अरबिया तालीमुल इस्लाम, आनन्द ज़िला खेड़ा,

2. सैयद अब्दुर्रहीम राजपुरी, ग़ुफ़ि-र लहु, मुफ़्ती गुजरात, मक़ाम रांदेर, ज़िला सूरत,

3. मुहम्मद सईद रांदेरी, मोह्तमिम दारुल उलूम जामिअ़ा हुसैनिया, मकाम रांदेर, जिला सूरत,

4. अब्दुर्रहीम सादिक़ रांदेरी, मुफ़स्सिरे क़ुरआन, मक़ाम रांदेर, ज़िला सूरत,

5. मुहम्मद इब्राहीम पालनपुरी, मुदर्रिस मदरसा इस्लामिया, तालीमुद्दीन, डाभेल, समलक, ज़िला सूरत,

6. अब्दुल हक़ इब्राहीम मियां, सदर मुदर्रिस खुद्दामुद्दीन, डाभेल, समलक, ज़िला सूरत,

7. बन्दा अब्बुल ग़नी कावी कानल्लाहु लहू मुदर्रिस जामिअ़ा अशरफ़ीया, व नायब मुफ़्ती रांदेर, ज़िला सूरत,

8. अहमद इब्राहीम बोमात, ग़ुफ़ि-र लहू मुदर्रिस मदरसा जामिअ़ा इस्लामिया तालीमुद्दीन, डाभेल, ज़िला सूरत,

9. ग़ुलाम मुहम्मद नूर गत, नायब सदर मज्लिस खुद्दामुद्दीन डाभेल, समलक, ज़िला सूरत,

10. अब्दुल हई मुफ़्ती बिस्मिल्लाह ग़ुफ़ि-र लहू जनरल सिकरेट्री मज्लिस खुद्दामुद्दीन, डाभेल, समलक, ज़िला सूरत,

11. अब्दुल्लाह कापूदरी ग़ुफ़ि-र लहू, मुदर्रिस जामिअ़ा इस्लामिया तालीमुद्दीन, डाभेल, समलक ज़िला सूरत,

12. मुहम्मद क़ासिम उफ़ि-य अन्हु सदर मुदर्रिस मदरसा अरबीया, मिफ़्ताहुल उलूम,

13. अब्दुर्रहीम तारापुरी, मुदर्रिस मदरसा अरबीया तालीमुल इस्लाम आनन्द, ज़िला खेड़ा,

14. ग़ुलाम रसूल, नाज़िम मदरसा शम्सुल उलूम, बड़ौदा,

15. मुहम्मद हाशिम ई रावत, नसीरपुरी सरपरस्त मदरसा अली मुहीन नसीरपुर, ज़िला सूरत,

16. क़मरुद्दीन महमूद बड़ौदवी ग़ुफ़ि-र लहु साबिक़ मुदर्रिस मदरसा जामिआ़ इस्लामिया तालीमुद्दीन, डाभेल,

17. मौलवी करीम, हाज़ी अब्दुल ग़नी, पठान फ़तहपुरा बड़ौदा।

–16 नवम्बर 1963 ई० बड़ौदा

1. किताब 'शरीअ़त या जहालत' के ख़िलाफ़ जो मशहूर किया गया है, वह बिल्कुल ग़लत और अक़्ल के ख़िलाफ़ है। इस किताब में जो पेश किया गया है वह मोतबर किताबों से लिया गया है, सब हवाले सही हैं। जिन लोगों ने इस किताब के ख़िलाफ़ शोर मचाया है, वे यह सोच लें कि इस किताब में जो कुछ लिखा है और जो हवाले पेश किये गये हैं, वे हदीसों की किताबों से लिए गए हैं जैसे मुस्लिम शरीफ़, बुख़ारी शरीफ़, अबू दाऊद शरीफ़ वग़ैरह।

–मौलाना अहमद अशरफ़ रांदेरी,
दारुल उलूम अशरफ़िया,
रांदेर, 11 नवम्बर 1963 ई०

2. किताब 'शरीअ़त या जहालत' अह्ले सुन्नत वल जमाअत के अक़ीदे के मुताबिक़ बिल्कुल ठीक है। इस किताब में जो कुछ लिखा गया है, वह मोतबर किताबों से लिया गया है। इस किताब में कोई एसी बात देखने में नहीं आयी, जो इस्लामी अक़ीदों के ख़िलाफ़ हो, बल्कि इस किताब में इस्लामी अक़ीदों की इशाअत और आजकल मुस्लिम क़ौम जिन बातों में फंसी हुई है, इस किताब में उन के लिए राहे हिदायत है। इस किताब में जो कुछ लिखा गया है, वह मुसलमानों के लिए बहुत ही मुफ़ीद है, बल्कि अह्ले सुन्नत वल जमाअत के अक़ीदों की इशाअत करने वाली है।

–मुहम्मद इब्राहीम पालनपुरी, मदरसा जामिआ इस्लामिया, डाभेल,
5 दिसम्बर 1963 ई०

3. किताब 'शरीअ़त या जहालत' सुन्नी मसलक की किताब है। इस किताब में क़ुरआन शरीफ़ की आयतों की तश्रीह है और पारा, रुकूअ और आयत न० के साथ हवाला पेश किया गया है। किताब में मुख़्तलिफ़ बातों में कहीं भी ऐसा देखने में नहीं आया, जो सुन्नी हनफ़ी मुसलमानों के अक़ीदों के ख़िलाफ़ हो, जिस से मुसलमानों का मज़हबी नुक़्सान हो, ऐसा कुछ भी नहीं।

–मौलाना अब्दुर्रह्मान पालनपुरी, मोहतमिम
मदरसा दारुल उलूम छापी, 28 जनवरी 1964

4. किताब 'शरीअ़त या जहालत' सुन्नी हनफ़ी मसलक की किताब है, इस किताब में क़ुरआन शरीफ़ की आयतों की तशरीह है और पारा, रुकूअ और आयत न० के साथ हवाला भी पेश किश गया है। किताब में मुख़्तलिफ़ बातों में कहीं भी ऐसा देखने में नहीं आया जो सुन्नी हनफ़ी मसलक के मुसलमानों के अक़ीदों के ख़िलाफ़ हो, जिस से मुसलमानों का मज़हबी नुक़्सान होता हो।

–सदर मुदर्रिस, मदरसा इम्दादुल उलूम,
विडाली, 14 फ़रवरी
1964 ई०

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

हक़्क़ानी साहब का मुक़दमा अदालत गाहे नुबूवत में

हज़रत मोहतरम मुहम्मद पालन हक़्क़ानी साहब ने अपनी तर्तीब किताब 'शरीअ़त या जहालत' में अपना तआरुफ़ जिस सफ़ाई के साथ कराया है, उस को पढ़ने के बाद और फिर उन के बयानों की शोहरत और अवाम मुसलमानों की उन में बड़ी तायदाद में शिर्कत दक्खिन ही में नहीं, बल्कि उत्तरी हिंद के बड़े-बड़े शहरों में जहां एहले ज़बान, अहले क़लम और ख़ास अहले इल्म के अलावा उलेमा-ए-किराम और मक़्बूले आम दीनी मदरसों की कसरत है, वहां भी मौसूफ़ की मक़्बूलियत मालूम करने के बाद सीधे-सीधे मुलाक़ात का शौक़ पैदा हुआ। अल्लाह तआला ने इस का शर्फ़ बख़्शा, फिर इन तमाम मरहलों से गुज़रने के बाद मैंने हदीसों और इस्लामी तारीख़ की रोशनी में एक राय क़ायम की कि जिस आदमी ने अपनी इल्मी कमी के बावजूद इस्लाम की ख़िदमत और इस निस्बत से आवाम की इस्लाह के लिए अपने आप को तैयार कर लिया हो, शरीअ़त के उसूल को देख कर, परख कर जुहला के साथ उठ-बैठ कर शरई ज़िंदगी को तमाम ज़ाहिरी और बातिनी बीमारियों का इलाज यक़ीन कर के अपना लिया हो, इस से अन्दाज़ा हुआ कि परवरदिगार अपने दीन की ख़िदमत के लिए अपने बन्दों में से इस क़िस्म के लोगों को भी चुन कर के उन की मदद फ़रमाते हैं।

हक़्क़ानी साहब किसी दीनी दर्सगाह के फ़ारिग़ तो बड़ी बात, उस की शक्ल भी उन्होंने नहीं देखी, उलेमा-ए-दीन से फ़ायदा उठाना उन की ज़िन्दगी के तसव्वुर से ख़ारिज मसअला है, हां अवाम के इस्लाही जज़्बे ने उन को क़ुरआन करीम की आयतें याद करने के लिए और उनके मज़बूत हवालों के साथ उन के मायने ज़ेहन में बिठा लेने और उसी के मुताबिक़ अहादीसे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलामु के तर्जुमों को पूरी सनदों के साथ दिल पर नक़्श करने पर तैयार

किया। किसी मुस्तनद आलिम के ख़िताब में आप आयतों और रिवायतों के हवाले बहुत ही कम पाएंगे, मगर हक़्क़ानी साहब मुस्तनद आलिम कहां हैं ? इसी लिए इस पर मेहनत की।

अवाम को गुमराह करने के लिए जब दुनियादार मौलवी आयतों और रिवायतों को तोड़ घर पेश कर के उन का ग़लत मतलब पेश करते हैं, तो हक़्क़ानी साहब उन के मुक़ाबले में हक़ीक़तों को पेश कर के हक़ व बातिल में तमीज़ पैदा कर देते हैं और अवाम सुनने वालों पर इस का फ़ैसला छोड़ देते हैं। मुजद्दिदीन की यही सिफ़त बतलायी गयी है कि वह एक सदी के अन्दर की बिगड़ी हुई फ़िज़ा को तौहीद और सुन्नत के मुताबिक़ हमवार बना कर दुनिया से चले जाते हैं, उन का यह कारनामा मक़्बूले आम बन जाता है। मौजूदा सदी और अगली सदियों में इस क़िस्म के मुस्लिहीन का तारीख़ में नाम मिलता है, जिन्होंने अपने दौर के उन फ़सादों को जो दीन और शरीअ़त के अन्दर पैदा कर दिये गये थे, इस्लाह फ़रमायी और दीन व शरीअ़त के असली ख़द्द व ख़ाल (रूप-रेखा) को शफ़्फ़ाफ़ सूरत के साथ ज़ाहिर कर दिया। अइम्मा मुज्तहिदीन के अलावा खुद इस मुल्क में हज़रत शेख़ अहमद सरहिंदी को मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाहि अलैहि का बुलन्द रुत्बा इन्हीं कारनामों की वजह से मिला है। हज़रत शाह वलीयुल्लाह मुहद्दिस देहलवी क़द्-स सिर्रहू का खानदान इस मुल्क के अन्दर एला-ए-कलिमतुल हक़ अिन-द सुल-तानिन जाइर का फ़रीजा अंजाम दे चुका है। उलेमा-ए-किराम अपने मदरसों में आरिफ़ीन अपनी ख़ानक़ाहों में, इमाम व ख़तीब अपनी मस्जिदों के मेहराब व मिंबरों में दीन ही की ख़िदमत अंजाम देते हैं और अवाम की इस्लाह का फ़रीज़ा अंजाम देते है। उन के अन्दर से एक कमज़ोर आदमी अल्लाह के तवक्कुल पर दीन की तब्लीग़ का सौदा दिमाग़ में लेकर उठता है। बस्ती निज़ामुद्दीन दिल्ली से मेवात तक उस ने अपना दायरा बनाया, मगर उस के इख़्लास और इस्तिक़ामत ने उस के इस्लाही कारनामों को जमाअतों की शक्ल देकर पूरी दुनिया में फैला दिया, क्या यह तज्दीदी क़ारनामा नहीं है ?

अगर किसी आलिम के अन्दर इल्म का घमंड, किसी आरिफ़ के अन्दर तक्वे का घमंड और किसी सुधारक के अन्दर दिखावा और हसद की ख़बासत नहीं है, तो वह यक़ीनन हक़्क़ानी साहब के तर्ज़े बयान और उन की किताब 'शरीअ़त या जहालत' को देखकर अपनी सफ़ाई उसी शान के साथ पेश करेगा, जिस का इज़्हार हज़रत मौलाना मुहम्मद तैयब मोहतमिम दारुल उलूम देवबन्द, हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मुहम्मद ज़करिया साहब, मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी साहब नाज़िम नदवतुल उलेमा लखनऊ, मौलाना सैयद असद मदनी साहब सदर जमीयतुल उलेमा हिंद और जुनूब के मुस्तनद आलिम मौलाना क़ाज़ी महमूदुल हसन साहब मोहतमिम मदरसा वसीयतुल उलूम बरनाम बट्ट (तमिलनाडु) ने फ़रमाया है।

हक़्क़ानी साहब पर अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़्ल है, उन के बयानात की मक़बूलियत इस

दौर का एजाज़े नबवी है और उनकी तर्तीब मुस्लिहीने उम्मत की ख़िदमतों का एक मुस्तनद सरमाया है। इस का नया एडीशन अगले एडीशन के मुक़ाबले में ज़्यादा वज़नदार और मुस्तनद है।

मुहम्मद पालन हक़्क़ानी सहाब के वे तमाम वाज़ भी इसी तर्तीब का हिस्सा-ए-ख़ैर और मज्मूआ-ए-इस्लाह हैं, जिन से पूरा मुल्क मुस्तफ़ीज़ हो रहा है।

हुज़ूरे अनवर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अल्लाह की तरफ़ से क़ुरआन दुनिया के सामने पेश किया, फिर उस की अमली सूरत हदीसों के ज़रिए पेश की, जिन पर उम्मत, के असातीने अव्वल हज़रत सहाबा-किराम और उन के ज़रिए ताबईन, तबअ़ तअबईन मुजद्दिदीन और मुहद्दिसीन और मुज्तहिद उलेमा-ए-मतीन ने ज़िन्दगियां खपायीं और अनवारे नुबूवत से मुनव्वर हो कर उम्मत की हर तरह इस्लाह की और क़ियामत तक ऐसी मुग़तनम हस्तियों से उम्मत वायदा-ए-नुबूवत की हक़ीक़त पर हरगिज़ महरूम नहीं होगी। इस हक़ीक़त पर हक़्क़ानी साहब का मुक़दमा अदालतगाहे मुहम्मदी में पहुंच कर और ज़्यादा वज़नदार बन जाता है।

व मा ज़ालि-क अलल्लाहि बिअज़ीज़॰

-मौलाना अब्दुल जमील ख़तीब साहब बाक़ी
मुहल्ला मुस्लिमपुर, पोस्ट वानमबाड़ी
(तमिलनाडु) इंडिया।

हज़रत मौलाना हक़्क़ानी साहब और एक अहम इस्तिफ़्ता मय जवाब

सवाल

मोहतरम हज़रत सदर मुफ़्ती साहब दारुलउलूम देवबन्द दा-म फ़ुयूज़ु कुम !

अस्सलामु अलैकुम

नीचे के मस्अले में शरअ शरीफ़ का हुक्म मतलूब है। यहां के मुसलमानों ने एक बाहर के मुक़र्रिर को इस्लाह की ग़रज़ से बुलाया। फ़ाज़िल मुक़र्रिर ने यहां और संभल में अपनी तक़रीरों से लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंचाया। ख़ुदावन्द करीम ने सादा और मीठी भाषा दे रखी है, जिसकी वजह से बड़े भारी-भारी मजमे हुए। हाज़िरीन के शौक़ का यह हाल है कि बच्चों और औरतों तक ने भी पूरी तवज्जोह से तक़रीरें सुनी। औरतों की चें-चें, में-में ख़त्म, बच्चों की नींद ग़ायब, तक़रीरें ज़्यादातर इस्लाहे अक़ाइद और रस्म व रिवाज के छोड़ने के मज़्मून पर निहायत एहतिया के साथ होती हैं। हर मस्अले को क़ुरआन पाक की आयतों और हदीस शरीफ़ और फ़िक़्ह

के मुकम्मल हवालों के साथ खोल-खोल कर बयान फ़रमाते हैं। यहां के उलेमा ने भी आम तौर से आपकी तक़रीरों से दिलचस्पी ली, असर भी ऐसा रहा कि कितने ही बे-नमाज़ियों ने नमाज़ शुरू कर दी और बहुत से चेहरों पर दाढ़ियों का नूर नज़र आने लगा। बद-एतक़ादी से बहुत बड़ी जमाअत ने तौबा कर ली, लेकिन इन सब के बावजूद यह साहब लिखने-पढ़ने की इस्तेदाद मुकम्मल नहीं रखते, क़िरात और उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ भी ग़लत है, गुजराती में लिख-पढ़ लेते हैं, उर्दू बिल्कुल लिखना नहीं आती, अलबत्ता उर्दू की किताब पढ़ लेते हैं, दीनी मुताला बहुत बड़ा है, कभी यह साहब क़व्वाल थे। खुदावन्द करीम ने उन का रुख़ अपनी ओर मोड़ लिया है।

कुछ लोग कहते हैं कि अनपढ़ की तक़रीर सुनना और उस की मज्लिस में हाज़िर होना दुरुस्त नहीं। अब मालूम करने की बात यह है कि ऐसे आदमी की मज्लिस में हाज़िर होना और तक़रीरें सुनना दुरुस्त है या नहीं और इस उम्मत में इस क़िस्म की और मिसालें भी मिलती हैं या नहीं, तफ़्सील से बयान फ़रमाएं। खुदा आप को बहुत-सा अज्र दे। -फ़क़त

अल-मुस्तफ़्ती, हाफ़िज़ बदरूद्दीन हक़्क़ानी
दवाख़ाना बाज़ार गंज सरायतरीन, जिला मुरादाबाद 3-1-86 हि०

अल-जवाब

हामिदन व मुसल्लियन ! वाज़ व इस्लाह इसालतन साहिबे बातिन उलेमा-ए-हक़्क़ानी का मंसब और फ़रीज़ा है। ग़ैर-आलिम आम तौर से हुदूद की रियायत करने और हक़ व बातिल में तमीज़ करने से क़ासिर होते हैं। आजकल सही दीन आम तौर पर तो बा-ज़ाब्ता मुहक़्क़िक़ उलेमा की ख़िदमत में रह कर किताबें पढ़ने से हासिल होता है, कभी सिर्फ़ उलेमा की सोहबत और किताबों के मुताला से भी काफ़ी इल्म आ जाता है, अगर तबीयत में सलामती और ग़बावत व ग़वायत (यानी कुन्द ज़ेहनी व गुमराही) से हक़ तआला महफ़ूज़ रखे, तो यह इल्म भी, जो कि महज़ सोहबते अकाबिर से हासिल हुआ है बहुत नफ़ा बख़्श हो जाता है। फिर सोहबते अकाबिर से मुजाहदे की ताक़त जाग जाए, तो ऐसे इल्म वाले के सामने अकाबिर उलेमा भी झुकते हैं और उस की सोहबत व तज़्कीर को अक्सीर समझते हैं। उस की नज़ीरें माज़ी क़रीब व बईद में भी मौजूद हैं और ज़माना हाल में भी ख़ाली नहीं। हज़रत गंगोही रह०, हज़रत नानौतवी रह०, हज़रत थानवी रह० बड़े ऊंचे दर्जे के मुहक़्क़िक़ व मुस्तनद उलेमा थे और हज़रत हाजी इमदादुल्लाह साहब रह० की सोहबत से वे चीज़ें हासिल की, जो मदरसे में उन को नहीं मिली थी, लेकिन ऐसी नज़ीरें कभी कभी ही देखने को मिलती है। पस अगर मुक़र्रिर मौसूफ़ को खुदा-ए-पाक ने अपनी रहमत (तज़्कीर व तासीर) से नवाज़ा है और उलेमा उन की तक़रीर व तहरीर को उसूले शरअ के मुताबिक़ सही और उन के बयान किये हुए हवालों को मोतबर फ़रमाते हैं, तो ज़रूर उनका वाज़ सुनना और तक़रीर से मुस्तफ़ीद होना चाहिए। फ़क़त ! वल्लाहु

तआला आलमु !

-हर्ररहुल अब्दु महमूद उफ़ि-य अन्हु,
मदरसा दारुल उलूम देवबन्द
6-1-86 हि०

अल-जवाबुस्सहीह
सैयद मेहदी हसन
(सदर मुफ़्ती दारुल उलूम)

अल-जवाबुस्सहीह
-सैयद अहमद अली सईद (नायब मुफ़्ती दारुल उलूम)

अल-जवाबुस्सहीह
मुहम्मद निज़ामुद्दीन, उफ़ि-य अन्हु,
दारुल उलूम देवबन्द

मुहर दारुल इफ़्ता
देवबन्द

अल-जवाबुस्सहीह

इस मज़्कूर फ़त्वा (फ़त्वा दारुल उलूम देवबन्द) की शहादत के लिए यह बात बहुत काफ़ी है कि सैयिदी अल-इमाम अश-शअ़रानी रह० हज़रत सैयिदी अली अल-ख़वास की सोहबत में, जो कि महज़ उम्मी थे, उन ऊंचे दरजों तक पहुंच गये कि अपनी किताब 'लताइफ़ुल मनन' में इस बात पर अल्लाह जल्ल जलालुहू के फ़ज़्ल व करम का इज़्हारे शुक्र किया है और यह भी मालूम हैं कि अल्लाह तआला के फ़ुयूज़ात के दरवाज़े लिखने-पढ़ने वाले लोगों के साथ मख़्सूस व महसूर नहीं हैं, बल्कि 'ज़ालि-क फ़ज़्लुल्लाहि युअ़ति हि मंय-यशाउ' और हज़रत सय्यिदिना अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाया है, 'ला तन्ज़ुर इला मन क़ा-ल वन-ज़ुर इला मा का-ल!' (कहने वाले को मत देखो, जो कुछ कहा है, वह देखो)

और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सीरत में देखना चाहिए कि 'उम्मियत' हुज़ूर के आली अख़्लाक़ व बुलन्द औसाफ़ में से गिनी जाती है ब आंकि हादी ए-बशारियत अल्लाह तआला की तरफ़ से बने।

-शेख़ अब्दुल क़ादिर कंधारी उफ़ि-य अन्हु
मुदीर दारुल इशाअतुल अरबिया
कंधार (अफ़ग़ानिस्तान)
20-12-75 ई०

तआरुफ़

अज़ हज़रत मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद ज़फ़ीरुद्दीन साहब मुरत्तिब फ़तावा, दारुलउलूम देवबन्द

अल-हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुर्सलीन व अला आलिही व अस्हाबिही अज-मईन

वे लोग बड़े खुश नसीब हैं जो दीनें क़य्यिम की इशाअत व तर्वीज में लगे हुए हैं और उनका दिन-रात का मशग़ला ही 'कालल्लाहु व कालर्रसूलु' है।

उनके मुख़ातब अवाम भी हैं और ख़वास भी, शहरी भी हैं और देहाती भी, आलिम भी हैं और जाहिल भी और उनकी ख़िदमतों से मख़्लूक़े खुदा की रहनुमाई हो रही है, भटके हुए रास्ते पर आ रहे हैं, बुरे बुराइयों से तौबा कर के नेकी के रास्ते पर लग रहे हैं और इस तरह बिद्अतों और खुराफ़ातों की जड़ काटने का फ़रीज़ा अंजाम पा रहा है। माशा अल्लाह मुहम्मद पालन हक़्क़ानी साहब भी उन्हीं लोगों में हैं।

मुहम्मद पालन हक्क़ानी साहब इस्लाम के एक मुबल्लिग़ की हैसियत रखते हैं और उनकी ज़िंदगी का मिशन इस्लाम की तब्लीग़ है। हिन्दुस्तान की शायद कोई ज़िक्र करने के क़ाबिल आबादी ऐसी नहीं है, जहां उनका वाज़ न हुआ हो और लोगों ने उससे फ़ायदा न उठाया हो। यह हक़ीक़त है कि उनकी तक़रीर में जैसा मज्मा देखने में आता है, कम मुक़र्रिरों की तक़रीरों में होता है। अवाम उनकी तक़रीरों को बहुत पसन्द करते हैं और लोगों के दिल व दिमाग़ उस तक़रीर का असर भी क़ुबूल करते हैं। आदमी वज़ादार और संजीदा है। हाफ़िज़ा माशाअल्लाह अच्छा है, ज़्यादा बातें क़ुरआन पाक और हदीसे नबवी के हवाले से बयान करते हैं और कुछ बे-सफ़हे की हिकायतें भी सुनाते हैं।

-तालिबे दुआ

मुहम्मद ज़फ़ीरुद्दीन ग़ुफ़ि-र लहु

दारुल उलूम देवबन्द, 21-11-98 हि०

जिसे तू गरां समझता है

अज़ हज़रत मौलाना शाहीन जमाली साहब, एडीटर 'देवबन्द टाइम्स'

इस रंगारंग दुनिया में हर चीज़ शायद दो चीज़ों के आपसी टकराव से वजूद पाती है। यह और आत है कि इस टकराव में कोई अपना वजूद ख़त्म कर ले और कोई वजूद का नया रूप अपना ले।

मैं समझता हूं कि हक़्क़ानी साहब को इसी टकराव ने एक नया रंग रूप और नयी हस्ती

का हुस्न अता किया है। वह जिस माहौल में पले जवान हुए, वह ऊपर से उनके लिये साज़गार सही, लेकिन अन्दर से उनके लिये सख्त जंग जू वाक़ेअ हुआ था, वह सालों अन्दर और बाहर की जंगों में अपनी शख़्सियत को झूमता हुआ देखते थे और आख़िर में एक दिन उन्होंने महसूस किया कि अन्दरख़ाना इस सर्द जंग में बातिन ज़ाहिर पर ग़ालिब आ गया है और फ़ितरत उन को अपनी असल मंज़िल पर ले आयी है, फिर जब बातिन का ज़ुहूर हुआ और उसके जमाल का रंग चमकने-दमकने लगा, तो टकराव ने यहां भी उनका पीछा न छोड़ा। वह अंधेरे और रोशनी को दस्त व गरेबां देखते रहे और इस हक़ीक़त पर यक़ीन व एतमाद को और पक्का कर लिया कि सारी कि सारी दुनिया के अंधेरे रोशनी के एक तिनके से सर टकरा कर टुकड़े-टुकड़े हो जाएंगे और रोशनी अपने जर्रा भर वजूद में भी सब पर ग़ालिब रहेगी। हक़्क़ानी साहब के ख़िलाफ़ उनकी बे पनाह मक़्बूलियत से ख़ार खा कर आये दिन नज़रियाती जंग का-सा मंज़र क़ायम होता रहता है, लेकिन यही चीज़ उनकी शख़्सियत को और निखार रही है और वह दिन ब दिन अहम से अहमतर होते जा रहे हैं। वह अनपढ़ जाहिल हैं, सनद पाये हुए आलिम नहीं, ठीक है, लेकिन उन्होंने आज तक यह दावा कब किया है कि लोग उन्हें आलिम तस्लीम करें, अल-बत्ता उनकी ज़ुबान से इल्म व फ़िक्र और सूझ-बूझ की जो बारीक बातें आबशार की तरह बह रही हैं और हज़ारों नहीं, लाखों इन्सानों के दिलों में ईमान व यक़ीन की गर्मी पैदा कर रही हैं, यह सिर्फ़ खुदा का फ़ज़्ल है, इस पर हसद की कोई गुंजाइश नहीं।

-शाहीन जमाली

एडीटर देवबन्द टाइम्स 30-7-78 ई०

हज़रत मौलाना हक़्क़ानी साहब

और उनके बारे में कुछ मुक़्तदिर हज़रात और उलेमा-ए-बरेली का

खुदावन्दे करीम को जब दीनी ख़िदमत लेना होती है, तो आलिम और ग़ैर-आलिम में फ़र्क़ नहीं फ़रमाते, बल्कि जिस को भी मुनासिब समझा जाता है, सलाहियतों से नवाज़ा जाता है-

ऊपर ज़िक्र किये गये दावे का सबूत हज़रत हक़्क़ानी साहब की ज़ात है। आपकी तक़रीरें आठ दिन से मदरसा इशाअतुल उलूम वाक़े सराय ख़ाम बरेली में हो रही हैं। बरेली और आस-पास के हज़ारों मुसलमान मर्द व औरतें अक़ीदों में फ़र्क़ किये बग़ैर सुन रहे हैं। और फ़ैज़ हासिल कर रहे हैं। खुदावन्दे करीम की अजीब शान है कि तक़रीरें रुश्द व हिदायत का समुन्द्र हैं जो उमड़ा चला आता है। असर का यह हाल कि अवाम का इज्तिमाअ हर दिन बढ़ता ही चला जाता है। क़ुरआन मजीद की आयतों और रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीसों

के हवाले बे-तकल्लुफ़ पारा, सूरः, रुकूअ, आयत का नम्बर और जिल्द, हिस्सा नम्बर हदीस के साथ देते जाते हैं और ऐसी रवानी तो बड़े-से बड़े आलिमों में भी कम ही होती है।

'शरीअ़त या जहालत' के नाम से आप के वाज़ों का मज्मूआ भी इन ही खसूसियतों का हामिल किताबी शक्ल में छप चुका है। ज़रूरत है कि इस किताब की कम से कम एक जिल्द हर मुसलमान के घर में हो। फ़क़त ! व मा अलैना इल्लल बलाग़

1. मौलाना अब्दुर्रऊफ़ साहब एम.एल.सी., मोहतमिम मदरसा इशाअ़तुल उलूम, बरेली,
2. मौलाना मुहम्मद रफ़ी साहब, सदर मुदर्रिस व मुफ़्ती, मदरसा इशाअतुल उलूम, बरेली
3. मौलाना मुहम्मद इल्यास साहब, मुंदर्रिस मदरसा इशाअतुल उलूम, बरेली,
4. मौलाना अब्दुल अली साहब, मुदर्रिस मदरसा इशाअतुल उलूम, बरेली,
5. मौलाना शौकत अली साहब, मुदर्रिस मदरसा इशाअतुल उलूम बरेली,
6. मौलाना मुहम्मद क़ासिम अली साहब, मुदर्रिस मदरसा इशाअतुल उलूम, बरेली,
7. मौलाना मुहम्मद सिराजुद्दीन साहब, मुदर्रिस मदरसा इशाअतुल उलूम, बरेली,
8. मौलाना अब्दुल अव्वल साहब, मुदर्रिस मदरसा इशाअतुल उलूम, बरेली,
9. मौलाना सैयद नूरुल हसन साहब, मुदर्रिस मदरसा इशाअतुल उलूम, बेरली
10. मौलाना अब्दुस-समीअ, नायब सदर मदरसा इशाअतुल उलूम, बेरेली,
11. मौलाना फ़ज़्ले करीम साहब कश्मीरी सिक्रेट्री जमअीयतुल उलेमा, बरेली,
12. मौलाना हकीम हामिद अली साहब, सदर जमीयतुल उलेमा व अंजुमन फ़िदायाने मुस्तफ़ा, बरेली,
13. मौलाना ख़ान असग़र ख़ालिदी साहब, सदर अंजुमन मुहिब्बाने मिल्लत,
14. मौलाना मुहम्मद क़ासिम साहब, कश्मीरी, बरेली,
15. मौलाना अब्दुर्रहीम साहब, नायब सदर अंजुमन फिदायाने मुस्तफ़ा, बरेली,
16. मौलाना शेख़ मुहम्मद यूसुफ़ साहब क़ुरैशी, सिक्रेट्री अंजुमन फ़िदायाने मुस्तफ़ा, बरेली,
17. जनाब मुहम्मद इल्यास साहब, मुहासिब अन्जुमन फ़िदायाने मुस्तफ़ा, बरेली,
18. जनाब अब्दुल मजीद साहब, बाज़ार सराय ख़ाम नायब सदर अंजुमन फ़िदायाने मुस्तफ़ा, बरेली,
19. जनाब रईस बेग साहब, नाज़िमे हल्क़ा न॰ 14 अंजुमन फ़िदायाने मुस्तफ़ा, बरेली,
20. जनाब अब्दुल मजीद साहब, सराय बांस मंडी, अंजुमन फ़िदायाने मुस्तफ़ा, बरेली
21. जनाब अब्दुर्रहमान साहब, मुदर्रिस मदरसा इशअतुल उलूम बरेली,
22. जनाब शौक़ साहब, बरेलवी, मदरसा इशाअतुल उलूम, बरेली,
23. जनाब हाज़ी मुहम्मद नबी साहब, बरेली,
24. जनाब मुहम्मद लईक़ साहब, क़ुरैशी, बरेली,

25. जनाब मुस्तफ़ा मियां साहब, कुरैशी, बरेली,
26. जनाब शाकिर अली साहब, टिम्बर डीलर, बांस मंडी, बरेली,

अख़्बारात के तब्सरे

किताब 'शरीअ़त या जहालत' के बारे में 'मुस्लिम गुजरात' सूरत की राय

क़ुरआन और हदीस के मुताबिक़ ज़िन्दगी गुज़ारने की तालीम देने वाली, तौहीद के अक़ीदों का सही इल्म बताने वाली यह साढ़े पांच सौ सफ़्हों की किताब 'यह्दी मंय्युरीद' (खुदा जिसे चाहता है, हिदायत देता है) का एक रोशन सबूत है, क्योंकि लिखने वाला एक सीधा-सादा मिल मज़दूर है। मदरसों की तालीम से दूर और उसूल के साथ इल्म हासिल करने से महरूम है। फिर भी अपनी मुख़्लिसाना दीनी अक़ीदत से अपने आप को ईमान और यक़ीन की दौलत से मालामाल कर दिया। दूसरे दीनी भाइयों की तरह सच्ची तौहीद और इस्लामी तालीम की इशाअत और तब्लीग़ करने वाला बना दिया। कहने को एक अनपढ़ मुस्लिम लेकिन हक़ीक़ते हाल एक मुस्तनद मौलवी, किताब 'शरीअत या जहालत' क़ुरआन और हदीसे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हवालों से भरी हुई है। इसमें पचास-साठ दीनी मज़हबी सवालों का पूरा खुलासा है। लोगों में फैली हुई मुश्रिकाना बिदअतों और ग़ैर-इस्लामी तर्ज़े ज़िन्दगी की साफ़ सफ़ाई है और ऊंचे दर्जे की तौहीद की तालीम है। आम लोगों के लिये बहुत ही मुफ़ीद अच्छी और आसान तब्लीग़ है। यह किताब इस क़ाबिल है कि इसको कसरत से पढ़ें और पढ़ाएं और ज़्यादा आलम में फैलाएं।

–'मुस्लिम गुजरात'
8-2-63

माहनामा 'आबेहयात' तहरीर करता है

जब मज़हब की तरफ़ से लोगों की सर्द मोहरी बढ़ती जाती है, जब इस्लाम के पीछे चलने वाले शिर्क व बिदअत, दहरियत, और तवह्हुमात परस्ती और इस्लाम के ख़िलाफ़ रिवाजों में मुब्तला हो जाते हैं और बिदअती लोग ग़लत एतक़ादों को ठीक इस्लाम समझने लगते हैं और उम्मते मुहम्मदिया को ऐसी ग़लत बातों से बचाने की कोशिश करने वाले उलेमा के ख़िलाफ़ पेट भरू मुल्ला और मक्कार पीर ग़लत प्रचार करके क़ौमों की जहालत से फ़ायदा उठा कर अल्लाह के अज़ाब और अपनी ज़िम्मेदारियों से बे-परवाह होकर कम-समझ तबक़े को अल्लाह और उसके रसूल के नाम से धोखा देकर अपने पेट भरने की फ़िक्र में पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से क़ौम में फूट और ना-इत्तिफ़ाक़ी और ग़लत एतक़ाद पैदा हो जाते है, जो उम्मतु दुनिया

की इमामत और रहबरी के लिये पैदा की गयी है, वह गुनाहों और बिदअतों की नजासतों में फंस जाती हैं, तब अल्लाह तआला की रहमत जोश में आती है और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल अपने हबीबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की उम्मत को टोकने और झिझोड़ने के लिये और दीन की ख़िदमत अंजाम देने के लिये किसी ऐसे इन्सान को लाकर मैदान में खड़ा कर देता है, जो न तो मौलवी होता है, और न मुफ़्ती, न पीर होता है, अल-बत्ता अल्लाह तआला उस को एक खुद ग़रज़ मौलवी से ज़ायद दीन का इल्म अता फ़रमाता है, उसे क़ुरआन को वक़्त पर पेश करने की समझ देता, है जो हाफ़िज़ को मयस्सर न हो, उसकी तिलावत में ऐसा असर बख़्शता है, जितना किसी रियाकार क़ारी में न हो, उसको शरीअ़त के मसाइल का इतना क़ाबिले एतमाद इल्म देता है, जितना पेट भरू मुफ़्ती में मौजूद न हो और उसको तक़्वा और परहेजगारी की नेमत से ऐसा मालामाल करता है, जितनी कि आजकल के नामनिहाद मौलवियों और पीरों को न मिली हो।

ऐसी ही एक हस्ती मियाना मुहम्मद पालन हक़्क़ानी हैं,जो मौलवी हाफ़िज़, कारी, मुफ़्ती, पीर वग़ैरह कुछ भी नहीं हैं, इसके बावजूद अल्लाह तआला अपने दीने बरहक़ की उनसे ऐसी ख़िदमत करा रहा है कि तमाम लोग दम ब खुद हैं। जिन मक्कारों की रोटी-रोज़ी का दारोमदार इल्मे दीन से महरूम मुसलमान भाइयों और बहनों को फ़रेब देने पर ही रहा है, वही लोग हक़्क़ानी साहब के ख़िलाफ़ चीख़ व पुकार करते फ़िरते हैं, मगर बे-सूद।

जनाब हक़्क़ानी साहब के रूह परवर वाज़ों की गुजरात में धूम मची हुई है रोजाना हज़ारों की तायदाद में भाई और बहनें उन से मुस्तफ़ीज़ होकर आक़िबत दुरुस्त कर रहे हैं।

शिर्क व बिदअत के तोड़ में उनकी किताब 'शरीअ़त या जहालत' निहायत ही ज़ौक़ व शौक़ और क़द्र की निगाहों से हाथों हाथ ली गयी और बड़े अच्छे पैमाने पर फ़रोख़्त हुई है और इन्शाअल्लाहु तआला यह सिलसिला चलता ही रहेगा। किराये के मुबल्लिग़ और पेटपरस्त मुल्ला, पीर और उनके एजेंट हसद की अग मे जलते ही रहेंगे।

मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है,
वही होता है जो मंज़ूरे खुदा होता है।

–'आबेहयात' (अहमदाबाद)
1-8-1963 ई०

माहनामा 'इंक़िलाब' (अहमदाबाद) लिखता है

अहमदाबाद में आख़िरी दो एक माह से मशहूर वाइज़ मियाना मुहम्मद पालन हक़्क़ानी साहब के वाज़ों ने धूम मचा दी है। बारिश न हो तो बहुत कम ही कोई ऐसा दिन गुज़रता होगा, जिसमें हक़्क़ानी साहब का वाज़ न हो। इसकी वजह क्या है ? हक़्क़ानी साहब के वाज़ आम लोगों में इस क़दर क्यों क़ुबूलियत हासिल कर गये, इसका जवाब सिर्फ़ यह है कि जनाब

हक़्क़ानी साहब के वाज़ कमा कर खाने के लिये नहीं होते , बल्कि दीने हक़ की ख़िदमत के लिये होते हैं।

मौसूफ़ हक़्क़ानी साहब अपने वाज़ों में मुसलमानों को काफ़िर नहीं बनाते, मगर गुमराहों को सीधे रास्ते पर लाने का काम करते हैं। उनकी तक़रीर सादा ज़ुबान में होती है, इसके बावजूद सुनने वालों पर बेहद असर करती है। उनकी तक़रीर में पेटपरस्त मुल्लाओं की तरह लफ़्फ़ाज़ी नहीं होती, मगर क़ुरआन और हदीस की खुल्लम-खुल्ला बातें होती हैं। यह हक़ीक़त से भरी बातें इस्लाम के शैदाइयों के गले में उतर जाती हैं।यही वजह है कि उन के मुख़ालिफ़ों में एक तूफ़ान पैदा हो गया है वे लोग घबराहट के मारे बोखला गये हैं क्योंकि उन की आमदनी पर बहुत ही बुरा असर पड़ा है। धोलका के लोग और जंगल के शेर कंधों पर रुमाल डालकर जनाब हक़्क़ानी साहब को निकाल देने के लिये निकल पड़े हैं। बनावटी पीरों और मुरीदों की आमदनी पर जलसा करने वाले पीरज़ादे किराये के तूफ़ानी आदमियों को लेकर पचास-पचास और सौ-सौ इंसानों की कंगाल हाज़िरी वाली मज्लिसों का इन्तिज़ाम करते हैं, तबर्रुक की देगें खिलाते हैं और लोगों को बुलाते हैं, मगर शाबाश है अहमदाबाद के मुसलमानों को, जो ऐसे किराए के टट्टू मौलवियों और पेट के पुजारी पीरों और पीरज़ादों की चालों में नहीं फंसते, बल्कि जनाब हक़्क़ानी साहब की हक़ व सदाक़त से भरी बातें सुनने के लिये एक भीड़ जमा हो जाती है। जैसे-जैसे पेटपरस्त मुल्ला जनाब हक़्क़ानी साहब के ख़िलाफ़ ग़लत शोर करते हैं, वैसे-वैसे जनाब हक़्क़ानी साहब की हर दिल अज़ीज़ी बढ़ती जाती है-

तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ (अल्लाह जिस को चाहे इज़्ज़त देता है और जिस को चाहे ज़िल्लत देता है।) -माहनामा 'इन्क़िलाब' अहमदाबाद,

17 अगस्त, 1963

माहनामा 'कारवां' (अहमदाबाद) का इज़्हारे ख़्याल

मियाना मुहम्मद पालन हक़्क़ानी साहब की क़रीब साढ़े पांस सौ सफ़हों की मोटी किताब 'शरीअत या जहालत' बिदअतियों के लिये फ़ारूक़ी दुर्रे से कम नहीं है।

जनाब हक़्क़ानी साहब ने 'एक मामूली आदमी होने के बावजूद इस्लाम के बुनियादी अक़ीदों के बारे में क़ुरआन करीम, अहादीसे नबवी और हनफ़ी-फ़िक़्ह की मोतबर किताबों के सही हवालों से ऐसी पक्की दलीलें पेश की हैं कि जिन्हें पढ़ते ही लिखने वाले की ख़ुदादाद लियाक़त का एहसास हो जाता है। शरीअत के नाम से आजकल कितने ही 'ले भागू पीर' और मौलवी कैसी-कैसी जहालत फैला रहे हैं और अल्लाह के बन्दों और रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के उम्मतियों को कैसे-कैसे ग़लत रास्तों पर ले जा रहे हैं।, वह इस किताब को पढ़ने से मालूम हो जाता है। आज बिदअती जमाअत के लोग मुसलमानों को रोज़ा-नमाज़ जैसे इस्लामी हुक्मों की तरफ़ नहीं बुलाते, लेकिन बिदअती कामों में फंसा देते हैं। ऐसी बातों को लिखने

वाले ने क़ुरआनी दलीलो से पेश किया है। हर एक मुसलमान को यह किताब पढ़ कर बिदतियों का जाल तोड़ फेंकना चाहिए।

–माहनामा कारवां, अहमदाबाद,
1–3–1963 ई०

माहनामा 'मोमिन जगत' (बम्बई) का इज़्हारे ख़्याल

लगभग साढ़े पांच सौ सफ़्हों की इस मोटी किताब में एक-एक सफ़हे पर तौहीद और शरीअत की तालीम देने वाले इल्म के चश्मे हैं। पेट भरू मौलवियों ने ग़लत दलीलें और मनगढ़त बातें जारी करके मुकम्मल और सही इल्म से नावाकिफ़ मुसलमानों में अनगिनत बिदअतें, रस्में और फ़ित्ने जारी किये हैं। उन तमाम बातों का क़ुरआनी आयतों और अहादीसे नबवी से इस किताब में रद्द किया गया है। करीब-करीब साठ मसअलों का इस किताब में निहायत उम्दा जवाब है। इसके लिखने वाले एक मिल मज़दूर मुसलमान हैं, मगर दीन की हमदर्दी और सही इल्म की तब्लीग़ की तमन्ना ने उन से एक उम्दा और मुस्तनद व मोतबर किताब मिल्लत की ख़िदमत में पेश करा दी है।

–'मोमिन जगत', बम्बई
15 मार्च, 1963,

माहनामा 'इन्सान' (रांदेर) तहरीर करता है

इस किताब के लिखने वाला लगभग अनपढ़ और एक मिल मज़दूर है, मगर जोशे अक़ीदत और दिलचस्पी से उन्होंने एक सनद याफ़्ता मौलवी से भी ज़्यदा फ़िक्र से यह किताब तैयार करके तब्लीग़ी तहक़ीक़ी खिदमतें अंजाम दी हैं।

क़ुरआन व हदीस और फ़िक़्ह की मोतबर किताबों के ज़रिए एक-एक सवाल को हल किया है। ऐसे सही हवाले पेश किये हैं कि हमारे बहुत से इख़्तिलाफ़ी मसअलों का इसमें खुलासा आ जाता है । पेट के पुजारी मुल्ला और धंधा करने वाले पीरों ने क़ौम में जो जहालत भरी अक़ीदत मन्दी और मनगढ़त अक़ीदे फैलाए हैं ग़लत और बे बुन्याद रिवाजों और मज़हबी ढोंग से क़ौम को ख़राब करने की कोशिश की गयी है, उन को इस किताब का एक-एक मोतबर फ़िक़रा तोड़-फोड़ डालता है।

यियाना मुहम्मद पालन हक़्क़ानी के दिल में अल्लाह तआला ने तहक़ीक़ी और तजस्सुसी ताक़त अता फ़रमा कर उनकी मारफ़त तफ़्सीर व हदीस और फ़िक़्ह के एक मुस्तनद आलिम का काम लिया है। हमारी ज़ोरदार अपील है कि हर एक इन्सान इस किताब का गहराई से मुताला कर के अपने मसअलों का हल तलाश करे।

– माहानामा 'इन्सान' रांदेर, 1–8–1963

'मेमन गुजरात' मेग्ज़ीन कोलम्बो (लंका) की तहरीर

'शरीअत या जहालत' यानी शरीअत क्या है और जहालत क्या है ? इस का दलीलों के साथ और तफ़्सील से खुलासा करने वाली यह किताब हर मुसलमान के लिए निहायत ज़रूरी है, पेट परस्त मुल्लाओं के मनगढ़त मज़हब की जड़ उखाड़ने वाले इख़्तिलाफ़ी मस्अलों का खूबसूरती से फैसला करने वाली यह किताब रात-दिन अपने सामने आने वाले इख़्तिलाफ़ी-फ़ुरूओ मस्अलों का सही हल बताती है। इस में एक बात भी क़ुरआन व हदीस और हनफ़ी फ़िक़्ह के मज़बूत हवाले के बग़ैर पेश नहीं की गयी। किताब के लिखने वाले जनाब मुहम्मद पालन हक़्क़ानी साहब एक मामूली मिल मज़दूर हैं। उन्हें अपने आलिम होने का कोई दावा भी नहीं। हक़ीक़त में अल्लाह तआला अपने दीन का काम कैसे-कैसे आदमियों से कराता है और वह किस तरह कामियाब होते हैं यह देखना हो तो किताब 'शरीअत या जहालत' का मुताला करो।

–'मेमन गुजरात' मेग्ज़ीन, कोलम्बो (लंका) 1-4-63 ई०

माहनामा 'तंज़ीम' (कावी) का इज़हारे ख़्यान

सुन्नी और वह्हाबी का क़िस्सा ख़त्म करने की ग़रज़ से तैयार की गयी और शरीअत का सही और हक़ीक़ी रास्ता बतलाने वाली यह किताब 'शरीअत या जहालत' क़ुरआन व हदीस और हनफ़ी मसलक की मोतबर किताबों के सफ़्हों के हवालों से आखिरी सही हल है। खुदावन्दे करीम लिखने वाले और उन के हामियों को ऐसा इनाम दोनों जहान में अता फ़रमाये, जिस को बयान करने से ज़ुबान भी आजिज़ रहे। आमीन!

जो भाई अरबी नहीं जानते, उन के लिए यह एक अनोखा हथियार और बेहतरीन तोहफ़ा है। मज़हबी इख़्तिलाफ़ों के लिए एक जजमेंट है। आम मुसलमानों से अपील है कि इस किताब से रूहानी फ़ैज़ हसिल करें।

–माहनामा 'तंज़ीम' कावी, 5 जनवरी, 1963 ई०

'माहनामा निज़ाम', (कानपूर) की तहरीर

गुजरात में पिछले तीन साल से जनाब मुहममद पालन हक़्क़ानी नामी एक मिल मज़दूर रद्दे बिदआत की एक ज़बरदस्त तहरीक ले कर उठे और देखते ही देखते पूरे गुजरात पर छा गये। हक़्क़ानी साहब ने मामूली-सी उर्दू गुजराती की तालीम पायी है, मगर अल्लाह तआला ने उन से अपने दीन की वह ख़िदमत ली कि बड़े-बड़े उलेमा आज दांतों तले उंगली दबाते हैं।

उन की तक़रीर में वह जादू है कि सुनते ही इन्सान की क़ल्बे माहियत हो जाती है। मौसूफ़ की तक़रीरों की वजह से सैकड़ों बदकार मुसलमानों ने तौबा कर ली और हज़ारों लोग नमाज़-रोज़े के पाबन्द हो गये।

–माहनामा 'निज़ाम' कानपुर,
जून 1964 ई०

माहनामा 'तजल्ली' (देवबन्द) की तहरीर

जनाब हक़्क़ानी साहब ख़ुद मुत्तक़ी और बे-लौस इंसान हैं, इसलिए अल्लाह तआला ने उन की ज़ुबान में भी अजीब तासीर रख दी है। क़ुरआन मजीद की हज़ारों आयतें, पारे, सूरतें, रुकूअ और आयत नं० के पक्के हवालों के साथ, साथ ही सिहाहे सित्ता और दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी, ऐनुलहिदाया की सैकड़ों हदीसें और फ़िक़्ही मसअले उन्हें याद हैं और वह अपनी तक़रीरों में किताब का नाम, जिल्द, बाब और सफ़हा व हदीस नम्बर बताते हैं। इसी तरह फ़िक़्ही मसअलों में भी पूरें-पूरे हवाले देकर इस ख़ूबी से दीन की उसूली बातें लोगों को समझाते हैं कि कोई बड़े से बड़ा बिदअती भी मुतास्सिर हुए बिना नहीं रह सकता और ख़ूबी की बात तो यह है कि हक़्क़ानी साहब का यह सारा मुताला उर्दू तर्जुमों तक ही महदूद है। अरबी-फ़ारसी वह जानते ही नहीं, लेकिन अल्लाहसुब्हानहू व तआला कैसे-कैसे लोगों से कैसी-कैसी ख़िदमत ले रहा है, यह देख कर वाकई हक़ तआला की क़ुदरते कामिला याद आ जाती है। हक़्क़ानी साहब ने गुजराती ज़ुबान में एक किताब 'शरीअत या जहालत' लिखी है, इस में आयाते करीमा और अहादीसे नबवी और मुस्तनद फिक़्ही हवालों के साथ मुरव्वजा बिदअतों और ग़ैर-इस्लामी बिदअतों का इस तरह रद्द किया गया है कि बरेली फ़िर्क़े की बनायी हुई पूरी की पूरी इमारत ढह जाती है। ख़ुदा ने इस किताब को क़ुबूले आम ऐसा अता फ़रमाया है कि उस के पांच-पांच हज़ार के दो गुजराती एडीशन हाथों हाथ बिक गये और अब दस हज़ार का यह तीसरा एडीशन उर्दू ज़ुबान में आप के हाथों में हैं। -माहनामा 'तजल्ली', देवबन्द, मई 1964 ई०

हज़रत मौलाना मुख़्तार अहमद साहब नदवी नाज़िमे आला जमीअत अहले हदीस बम्बई तहरीर फ़रमाते हैं

मौलाना हक़्क़ानी ख़ालिस मसलक के एतबार से हनफ़ी आलिम हैं, जिन का ताल्लुक तब्लीग़ी जमाअत से है! अर्सा तीन चार माह से लगातार बम्बई में उन के वाज़ व बयान होते रहे हैं। इन वाज़ों में मौसूफ़ ने खुलकर शिर्क व बिदअत की तर्दीद की और तौहीद व सुन्नत पर बड़े दिल नशीन अंदाज़ में तक़रीरें फ़रमायीं। ख़ुदा ने उन्हें रुजूए आम की नेमत अता फ़मररयी है। उन के वाज़ों में हर अक़ीदा व मसलक के मुसलमान इतनी बड़ी तायदाद में जमा होते हैं कि आस-पास के तमाम रास्ते बन्द हो जाते हैं मौसूफ़ हक़ का मेयार सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को क़रार देते हुए पूरी तक़रीर क़ुरआन व हदीस की दलीलों की रोशनी में करते हैं। ताज़ियादारी, फ़ातिहा, मीलाद , उर्स व क़व्वाली और इस क़िस्म की तमाम बुरी रस्मों की उन्होंने खुले लफ़्ज़ों में तर्दीद की, जिस से बौखला कर बेरीलवी तबक़े ने उन के ख़िलाफ़ मोर्चा क़ायम किया, लेकिन वह पब्लिक के आम रुझान के मक़ुक़ाबले में बुरी तरह नाकाम रहे।

-अख़बार 'अह्ले हदीस' दिल्ली,
15 अक्तूबर 1964 ई०

माहनामा 'दारुलउलूम' (देवबन्द) की तहरीर

किताब 'शरीअ़त या जहालत', मुसन्निफ़ मुबल्लिग़े इस्लाम मुहम्मद हक़्क़ानी,

मुबल्लिगें इस्लाम मुहम्मद हक़्क़ानी ने एक मिल मज़दूर की हैसियत से अपनी ज़िन्दगी शुरू की। फिर ज़िन्दगी ने उन्हें अच्छी समझ, हक़ की तलाश का जज़्बा, सही दीनी ज़िन्दगी अख़्तियार करने की तमन्ना और तब्लीग़े इस्लाम का शौक़ इनायत फ़रमाया। उर्दू की किताबें पढ़ कर उन्हों ने इतनी क़ाबिलियत पैदा की कि अब मुल्क के अक्सर हिस्सों में वह पचास-पचास हज़ार के मज्मों में तक़रीरें करते हैं और शिर्क व बिदअत की तर्दीद में उन की तक़रीरें निहायत कामियाब हैं।

मुहम्मद हक़्क़ानी एक बे-ग़रज़, मुख़्लिस और सरगर्म इंसान हैं। हक़ तआला उन पर मक़्बूलियत के दरवाज़े खोल रहे हैं। उन की किताब देखकर वाक़ई ताज्जुब हुआ कि एक मामूली क़ाबिलियत के इंसान ने इस्लामी अक़ीदे और उसूल की तश्रीह में काफ़ी कामियाबी पायी है। वे दीन के रुमूज़ व इशारात को बड़ी हद तक समझने और उन्हें लफ़्ज़ व बयान के दायरे में लाने पर क़ुदरत रखते हैं।

उन की यह किताब दीनी अक़ीदों की तश्रीह और कुफ़्र व बिदअत के रद्द में कामियाब किताब है। शुरू में वह हर उन्वान और हर मस्अले पर क़ुरआन मजीद की आयत पेश करते हैं। फिर उस मज़्मून का मुस्तनद हदीसों और ज़रूरत के मुताबिक़ क़ुरआन व हदीस की तश्रीह करते जाते हैं। इस्लामी अक़ीदों के बयान में उन्हों ने कहीं ठोकर नहीं खायी।

सय्यद मुहम्मद अज़हर शाह क़ैसर
मार्च 1966 ई०

'मैमन न्यूज़' डरबन (दक्खिनी अफ़रीक़ा) के एडीटर इब्राहीम उस्मान के तास्सुरात

मुहममद पालन हक़्क़ानी आए और चले भी गये, मगर यक़ीनन उन के बयानों के असरात लोगों के दिलों पर बहुत दिनों तक बाक़ी रहेंगे। आपने अवामी सोच की ताक़त को सधा लिया। लोगों के बिछे जाने को देख कर ऐसा मालूम होता था कि आप का दौरा आज तक होने वाले तमाम दौरों में एक ख़ास शान और इम्तियाज़ का हामिल था। ये इज्तिमाआत तमाम मज़हबी मज्लिसों में एक इन्फ़िरादियत रखते थे और बहुत शानदार थे। यक़ीनन आप का सब से बड़ा हथियार आप की ख़ुदादाद सलाहियत है। आप क़ुरआन मजीद की मुख़्तलिफ़ आयतों का हवाला मय सूरः रुकूअ और आयत नम्बर साथ ही मुख़्तलिफ़ हदीसों का हवाला मय किताब जिल्द नम्बर सफ़हा नम्बर व हदीस नम्बर देते हैं।

आप का अन्दाज़े बयान सादा, सब की समझ में आने वाला और दिल लुभाने वाला है। यही वजह है कि आप के हर वाज़ में सुनने वालों की एक भारी भीड़ रहती है, जो दीन की

इशाअत की तब्लीग़ का एक नया तरीक़ा लिये हुए है। हो सकता है कि हम आप के तमाम बयानों से पूरी तौर पर मुत्तफ़िक़ न हों और न ही बयान के तरीक़े की ताईद में हों। लेकिन उन्होंने हमारी बहुत सी आम राइजशुदा मज़हबी रस्मों को बे-निक़ाब किया, जिन्हें हम दीने इस्लाम समझे हुए थे। उन्होंने हम से निहायत आसान ज़बान में कहा है कि हमारे लम्बे अर्से की क़ायम की हुई रस्में, जो हमारी रूहानी तक़रीब बन चुकी हैं बिल्कुल तिजारत और ग़ैर-इस्लामी हैं, उन में सही व ख़ालिस दीनी किरदार की कमी है।

बिला शुब्हा हक़्क़ानी साहब की इस सच्ची बात ने उन तमाम लोगों में बेचैनी पैदा कर दी, जो बरसों से उस में मुब्तला थे और यह ग़ैर इस्लामी अमल उन के दिल व जान में समा गये थे, बहुत से लोगों के दिल थर्रा गये और बहुत से लोगों के ज़मीर ने चुभन महसूस की।

हक़्क़ानी साहब के नज़रियात व बयानात की रोशनी में सारी ग़ैर इस्लामी रस्में नाकारा साबित हो रही हैं और क़ुरआन व हदीस से इन रस्मों का टकराव हो रहा है, लेकिन फिर भी एक बड़ी तायदाद ऐसे लोगों की है, जो इन रस्मों पर चलने वाले और इस ग़लत अक़ीदे के मानने वाले हैं। ऐसे हालात में इंसानी ज़मीर ही एक अकेला पंच है और उसी को फ़ैसला करना है।

बहरहाल एक चीज़ यक़ीनी है कि हक़्क़ानी साहब की जोशीली तक़रीरों ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम नये सिरे से इन रस्मों पर जो धीरे-धीरे हक़ीक़ी दीन का बदल बनती गयीं और जिन पर हम ग़ैर-इरादी तौर पर अमल कर रहे हैं, ख़ूब तवज्जोह देकर नज़रेसानी करें और जायज़ा लें।

यह कोई ज़रूरी नहीं कि हम उन की तक़रीरों की हर चीज़ को तस्लीम ही कर लें और न ही इन जारी शुदा रस्मों के ख़िलाफ़ कोई शदीद रद्दे अमल ज़ाहिर करें, बल्कि हमें चाहिए कि अपने जज़्बों पर काबू रखते हुए हक़्क़ानी साहब की तरफ़ से इस मस्अले पर उठाए गये नुक्तों पर ईमानदारी के साथ ग़ौर करें।

हमें चाहिए कि ऐसे लोगों कि हिमायत भी न करें जो मुख़ालफ़त की बुनियाद पर हक़्क़ानी साहब को बदनाम करने के लिए इन अहम तक़रीरों और इज्तिमाओं को मेला बताते हैं। (अंग्रेजी से तर्जुमा)

एहतिमाम : अरबी एडीटर इब्राहीम उसमान, डरबन, (दक्खिनी अफ़्रीक़ा)

नाताल (डरबन) में दो लाख मुसलमानों की बाढ़

लगभग एक लाख से ज़्यादा लोग आप की मज्लिसों में इस्लाम मजहब और क़ुरआन पाक पर शामिल तक़रीरों में शिर्कत करने के लिये टूट पड़े थे जो कि आम तौर से लगभग तीस से ज़्यादा हार्नों की मदद से की जाती थी। अक्सर व बेशतर लोगों की एक भीड़ को, जो कि

मीलों का सफ़र तै करके आप की आसान और असर भरी तक़रीरों को सुनने के लिए इकट्ठी हो जाती उस भीड़ पर क़ाबू पाने के लिए लगभग तीन सौ से ज़्यादा पुलिस की ज़रूरत पड़ी थी। आपके बयानों को लोग इस तवज्जोह से सुना करते थे कि कभी-कभी आप के बयान लगातार पांच घन्टे तक जारी रहते, लेकिन इसके बावजूद सुनने वालों के चेहरों पर थकन व उकताहट का नाम व निशान भी न होता था वे जादू बयान मुक़र्रिरे इस्लाम, वाइज़े खुश बयान एक मुस्लिम मुबल्लिग़ जनाब मुहम्मद पालन हक़्क़ानी साहब हैं जिन की तक़रीरों ने दिक्खनी अफ़्रीक़ा में एक तहलका मचा रखा है। आप की तक़रीर को सुनने के लिए लोगों की भीड़ टूट पड़ी है नातल में आप के प्रोग्रामों का इन्तिज़ाम इदारा ने किया है जहां आपके तीस से ज़्यादा प्रोग्राम दो लाख से ज़्यादा लोगों ने सुने डरबन में जहां मज़हबी जलसों की कोई अहमियत नहीं होती और ऐसी मज्लिसों की कतई तौर पर हिम्मत-अफ़ज़ाई नहीं की जाती, आप की असर भरी तकरीरों और आप के बयान की कशिश ने आठ से दस हज़ार लोगों की तवज्जोह को अपनी ओर खींचा आपके हर बयान में लोगों की भीड़ खिची चली आती थी, एक एतबार के क़ाबिल असरदार मुस्लिम के बयान के मुताबिक़ आज तक हिन्दुस्तान के किसी भी हिन्दू या मुस्लिम वाइज़ से लोग इतने लुत्फ़ लेने वाले और फ़ैज़ हासिल करने वाले नहीं हुए, जितने आपकी यादगार तक़रीरों से हुए।

इस्लाम मज़हब और क़ुरआन पाक पर ग़ौर करने का जज़्बा बेदार हो गया। आप लोगों को ऐसी रूहानी तालीम से नवाज़ते कि तक़रीरों को सुनने के लिए वक़्त से पहले पहुंच जाते और पिंडाल आपके तशरीफ़ लाने से पहले ही खचाखच भर जाता और तिल धरने की जगह न रह जाती।

हक़्क़ानी साहब ने बा-क़ायदा तालीम हासिल नहीं की और न ही आज से सात साल पहले आपके दिल में मज़हबी रुझान पाये जाते थे, रूहानी इल्हाम होने से पहले आप आम लोगों में एक मुगन्नी (गवैए) की हैसियत से पहचाने जाते थे। (अंग्रेजी से तर्जुमा) -डेली न्यूज़ पेपर, जुनूबी अफ़्रीक़ा,

नाताल (डरबन) 1-11-69 ई०

रोज़नामा 'पैग़ाम' कानपूर के तास्सुरात

एक अकेले हक़्क़ानी ने तुम्हारे महलों को हिला डाला, जबकि तुम्हारे क़ौल के मुताबिक़ वह सिर्फ़ जाहिल है, जिसका मुक़ाबला पूरे शहर के उलेमा न कर सके और हिन्दुस्तान भर के चोटी के उलेमा-ए-किराम बार बार कानपुर बुलाये गए, ख़ूब धुंवाधार तक़रीरें हुई, लेकिन हक़्क़ानी साहब का रंग बजाए फीका होने के उसमें चमक पैदा हो गई। आख़िर क्या बात है, क्या ऐसा तो नहीं तुम जो हक़्क़ानी को जाहिल कहते हो, तुम्हारे पास ख़ुद कोई इल्म नहीं है और यह बात तो हलफ़िया कही जा सकती है कि अमल नाम की तुम्हारे पास कोई चीज़ नहीं हैं। तुम को अपने ज़्यादा होने का झूठा गुमान था, इसका भी मुक़ाबला हो गया, तुम्हारे

बे-पनाह प्रोपेगंडों, घरों से बुलाने, नारे लगवाने, आल इण्डिया स्तर के लीडरों के आने के बावजूद बड़ी मुश्किलों से आठ-दस हज़ार का मज्मा कर सके, लेकिन अकेला हक़्क़ानी जिसके जल्से में तीस-चालीस-पचास हज़ार, एक लाख तक मज्मा होता है। अब तुम्हीं बताओ कि ज़्यादा तादाद किधर है ? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी अक़्लीयत मुसलमान जिसकी अहमियत को वक़्त की हुकूमत भी अच्छी तरह समझती है और वह उस की मांगों पर सर झुकाने जा रही है, तुम उसमें दराड़ डालना चाहते हो, ताकि वह पाश-पाश हो जाए, सुन्नी अलग, देवबन्दी अलग, बरेलवी अलग, यह सब होने के बाद मुसलमान का यह दावा कि वह मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत हैं, ख़त्म हो जाता है आओ हमें मुस्लिम अवाम को हक़ीक़त से आशना करें।

असल में हक़्क़ानी के कानपुर आ जाने से उत्त प्रदेश की सबसे ज़रख़ेज़ और बड़ी मंडी तुम्हारे हाथों से निकली जा रही है। अब तुम मदरसों इस्लाम और मुसलमान के नाम से चन्दा करा के अपने ज़ाती महल न बनवा सकोगे। ग़रीब मुसलमानों के गाढ़े ख़ून और पसीने की कमाई के लाखों रुपए हर साल नज़्र व नियाज़ के नाम पर अब कैसे वसूल करोगे ? क्योंकि हक़्क़ानी साहब की तक़रीर के बाद उन्हें भी होश आता जा रहा है।

कितने अफ़सोस और शर्म की जगह है कि तुमने महज़ हक़्क़ानी की दुश्मनी में मीलाद पाक की मुतबर्रिक महफ़िलें भी बन्द कर दी। तुम चाहते हो कि हुकूमत और मुक़ानी हाकिम हमारे दीनी मस्अलों में दख़्ल दें, हमारी मस्जिदों को अपने जूतों से नापाक करें, हमारे मज़हबी मामलों के फ़ैसलें करे, लेकिन सूनो तुम्हारी किसी भी मक्रूह हरकत का असर न हाकिमों पर पड़ेगा, न मुस्लिम अवाम पर। कुछ गिनती के बेकार ग़रीब मुसलमान तुम्हारे साथ हैं जिन्हें तुम बेवक़ूफ़ बना रहे हो, उन की मजबूरियों और ग़रीबी से फ़ायदा उठाते हों और कुछ पैसों में खरीद कर उन्हें जेल भिजवा देते हो खुद बाहर लीडरी करते हो। लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, तुम्हें यह भी मालूम नहीं, सुनो हम बताते हैं, हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत ख़ालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु फ़ौज के आगे रहते थे और तुम फ़ौज के पीछे, इसलिये कि तुम बुज़दिल हो, अगर बहादुर होते तो आगे जाते। पहला जत्था तुम्हारा होता, लेकिन तुम चन्दा करके अपना और घर का ख़र्च चलाने के साथ राजा बने बैठे हों और पब्लिक को कटवा रहे हो।

बुधवार, 1 अगस्त 1973 ई०

रोज़नामा 'सियासत जदीद' कानपुर का बे-लाग तब्सरा

फूल बाग़ कानपूर के लम्बे-चौड़े मैदान में तीन लाख से ज़्यादा अक़ीदतमंदों का भारी इज्तिमाअ, जिसने कानपुर के मज़हबी जलसों की तारीख़ के तमाम पिछले रिकार्ड तोड दिये, फूल बाग़ की तारीख़ में पहली बार मुसलमानों, हिन्दुओं, ईसाइयों और दूसरे अह्ले मज़हब ने

क़ुरआन मुक़द्दस के अहकाम और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पाकीज़ा तालीमात को पूरे तौर पर सुना। मुबल्लिग़े इस्लाम हज़रत मौलाना मुहम्मद पालन हक़्क़ानी साहब ने तौहीदे इलाही और शिर्क पर बसीरत अफ़रोज़ तक़रीर फ़रमायी। इस तारीख़े इज्लास में लग भग 50 हज़ार औरतें और अलग-अलग ज़िलों के 15 हज़ार शाइक़ों ने भी शिर्कत की।

–बुधवार, 26 सितम्बर, 1973 ई०

'नवेद' दकन का इज़्हारे ख़्याल

हज़रत मौलाना पालन हक़्क़ानी साहब आज के दौर के अज़ीम मुबल्लिग़े दीन और इस्लामी दुनिया में ख़ास क़िस्म के अपने आप में बे मिसाल तौहीद की दावत देने वाले और मौजूदा दौर के बेशक माया-ए नाज़ मुक़र्रिर हैं। मौलाना मौसूफ़ के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला इशाअते इस्लाम और तब्लीग़े दीन का वह बड़ा काम ले रहा है, जिस के ज़रिए हज़ारों मर्द और औरतें शिर्क व बिदअत और फ़िस्क़ व फ़ुजूर से तौबा करके मुख़्लिस और मुवह्हिद मुसलमान बन गये। यह भी एक हक़ीक़त है कि आपकी गिनती पूरी दुनिया की उन गिनी-चुनी ही शख़्सियतों में होती है, जिनको अल्लाह तआला ने ग़ैर-मामूली मक़्बूलियते आम्मा अता फ़रमायी है। यही वजह है कि आपके प्रोग्राम बग़ैर किसी इन्टरवेल के बराबर मुल्क भर में एक-एक साल तक तैशुदा रहते हैं इससे भी कौन इन्कार कर सकता है कि आपकी तक़रीरों में मज्मे का यह आलम होता है कि वह हज़ारों से आगे बढ़ कर लाखों तक पहुंच जाता है। इज्तिमाअ में शरीक होने वालों में मर्दों की तरह औरतों की भारी तायदाद शिर्कत करती है। चार-चार, पांच-पांच लाख तक हक़ की तलब रखने वालों की तादाद गिनी गयी है, जहां गये, जिस जगह गये, वहां एक बड़ा इन्क़िलाब पैदा कर दिया। दुनिया में ऐसी बड़ी हस्तियां मुद्दत में ही पैदा हुआ करती हैं-

बड़ी मुद्दत में साक़ी भेजता है ऐसा मस्ताना,
बदल देता है जो बिगड़ा हुआ दस्तूरे मैख़ाना।

–रोज़नामा 'नवेद' दकन हैदराबाद (आंध्रा प्रदेश), 7 जून, 1977 ई०

हक़्क़ानी साहब का बम्बई में वरूदे मसऊद

गुजरात और सौराष्ट्र के मशहूर व मारूफ़ और हरदिल अज़ीज़ मुबल्लिग़े दीन जनाब मुहम्मद पालन हक़्क़ानी साहब के इन्क़िलाबी वाज़ जब गुजरात के देहात-देहात और ज़िले-ज़िले में हो रहे थे और क़ौम के हज़ारों मर्द व औरतें उन ईमान बढ़ाने वाले वाज़ो के असर से शिर्क व बिदअत और ग़ैर इस्लामी रिवाजों को तलाक़ देकर अपने अमल व अक़ीदा और ईमान व इस्लाम की ताक़त जुटा रहे थे। इसी बीच बम्बई के बहुत से दोस्तों ने जनाब हक़्क़ानी साहब के दो-चार वाज़ों का एहतिमाम करने की दरख़्वास्त की और उनकी यह ख़्वाहिश दिन बदिन बढ़ती ही गयी, पर वाज़ों के प्रोग्राम कई-कई महीने के पहले ही मुक़र्रर हो जाते थे। इन हालात में वक़्त निकाल कर बम्बई पहुंचने का जनाब हक़्क़ानी साहब को मौक़ा भी नहीं होता था।

मगर 'कुल्लु अम्रिन मरहूनुन बिऔक़ातिही' के मुताबिक़ हर काम के लिए क़ुदरत की तरफ़ से एक वक़्त शुरू ही से मुक़र्रर कर दिया जाता है। मुक़र्ररा वक़्त आ जाने पर जानब हक़्क़ानी साहब को बम्बई पहुंचते देर नहीं लगी।

गुजरात में मुसलाधार बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से देहातों और शहरों में उनके वाज़ कराने में कठिनाई पैदा होने लगी। अगर कभी बारिश में कोई वाज़ किसी देहात में रखा जाता, तब भी तौहीद की शमा के परवाने मुक़र्रर शुदा देहात में वाज़ सुनने के लिए अपनी लारियां, मोटरों और दूसरी सवारियों में बड़ी तायदाद में आ जाते और बहुत से शाइक़ीन तो कीचड़ में लत-पत होते, पैदल ही पहुंचते और वाज़ ख़त्म होने के बाद यह शैदाइयों की भीड़ रात ही को वापस रवाना हो जाती और रास्ते की तमाम तक़्लीफ़ों और मुसीबतों को बरदाश्त करके सुबह तक अपनी-अपनी जगह को वापस होती।

यह सूरते हाल देख कर कुछ संजीदा दोस्तों ने यह इन्तिज़ाम करने की कोशिश की कि जनाब हक़्क़ानी साहब को थोड़ा आराम करने दिया जाए, मगर आराम हक़्क़ानी जैसे सरगर्म मुबल्लिग़ को कहां मंज़ूर ? इसलिए उन्हें बम्बई भेज दिया गया, जहां पर बड़ी-बड़ी मस्जिदों और पब्लिक जगहों साथ ही मुसाफ़िर खानों में बारिश के दिनों में भी वाज़ जारी रखे जा सकते हैं और वहां वे लोग उनसे फ़ैज़ हासिल कर सकते हैं।

बम्बई तश्रीफ़ ले जाने से पहले गुजरात और सौराष्ट्र में जनाब हक़्क़ानी साहब ने शिर्क व बिदअत के ख़िलाफ़ एक ज़बर्दस्त जिहाद जारी किया, जिस की वजह से पीर लोग और पेशेवर मौलवी एक दम ख़फ़ा हो गये। उनके दिलों में ग़ैज़ व ग़ज़ब की आग भड़क उठी और साथ ही मुश्रिकाना तरीक़ों और बिदअतों के चलते हुए बाज़ारों में मन्दी और सर्द मेहरी छा गयी और इन लोगों ने क़ौम के अनपढ़ और अन्धी तक़्लीद करने वाले लोगों में जनाब हक़्क़ानी साहब के मुताल्लिक़ निहायत ही गंदी और ग़लत बातें फैलानी शुरू कीं। उलटे तरीक़ों से भोले भाले लोगों को भड़काया, ग़लत बातों से जगह-जगह फ़ित्ना व फ़साद पैदा करने के लिए ज़हरीली फ़िजा पैदा कर दी।

जनाब हक़्क़ानी साहब की किताब 'शरीअत या जहालत' को ज़ब्त कराने के लिए एक नाम निहाद तहरीक चलायी और अपनी उस बदनामेज़माना कोशिश में चोटी से एड़ी तक का ज़ोर लगा डाला और इस तरह से उन्होंने अपनी कसाद बाज़ारी को गरम बाज़ारी में तब्दिल करने की नाकाम कोशिश की और इन पेट भरू और दीन के दुश्मन लोगों की नापाक हरकतें इस हद तक पहुंचीं कि गुजरात के हालिया 'कूफ़ा' खम्बात के नज़दीक 19 जून, 1964 ई० को जुमा के दिन उस मर्दे मुजाहिद और मुबल्लिगे दीन को क़त्ल कर डालने तक की नापाक और ज़लील कोशिश कर डालीं, मगर,

नूरे हक़ शमा-ए-इलाही को बुझा सकता है कौन !
जिस का हामी हो ख़ुदा उस को मिटा सकता है कौन !

मख़्लूक़े खुदा ने देखा कि हक़ की आवाज़ दब न सकी और क़ुदरत के हाथ ने बढ़ कर जनाब हक़्क़ानी साहब की मदद फ़रमायी और हज़ारों दुश्मनों के नर्ग़े से बचा लिया। जालसाज़ों के चेहरे स्याह हो गये और हक़्क़ानी साहब का तब्लीग़ी मिशन आगे बढ़ने लगा, लेकिन अब हक़्क़ानी साहब के हौसले बढ़ चुके थे, इसलिये आप की तब्लीग़ में पहले से कहीं ज़्यादा जोश व असर आ गया था और फिर यह तब्लीग़ दुश्मनों के सरों के उपर बिजली बन कर टूटने लगी।

इन वाक़िआत की ख़बरें उत्तरी भारत तक जा पहुंचीं और उत्तर प्रदेश की जगहों से भी जनाब हक़्क़ानी साहब को बुलाने की मांग होने लगी। क़ुदरत ने ही हक़्क़ानी साहब की शोहरत का इन्तिज़ाम उनके हसद करने वालों ही से करवाया, क्योंकि उन्होंने जितनी मुख़ालफ़त की, उतनी ही आपकी शोहरत बढ़ती गयी।

अब जबकि हक़्क़ानी साहब को बम्बई भेजने का सवाल सामने आया तो साथ ही यह बात भी सोचनी पड़ी कि वहां पर न तो हक़्क़ानी साहब कभी गये हैं और न वह किसी को बम्बई में पहचानते हैं , तो उन का वहां पर अब कौन इन्तिज़ाम करेगा?

यह एक निहायत ही अहम सवाल था,लेकिन यह तो तै कर ही लिया गया था कि उन्हें बम्बई तो ज़रूर ही भेजना चाहिए, क्योंकि वहां का माहौल और भी बिगड़ा हुआ है और कुफ़्र व शिर्क को ऐन ईमान और रस्म प रिवाज को दीन समझा जाता है, इसलिए हक़्क़ानी साहब जैसे सच्चे मुबल्लिग़ और इन्क़िलाबी रहनुमा को ज़रूर पहुंचना चाहिए और दीने हनीफ़ के इस हमदर्द और सच्चे मुबल्लिग़ का इन्तिज़ाम खुद खदा-ए-तआला फ़रमा देगा।

फिर हमने सिर्फ़ इतना किया कि बम्बई में रहने वाले हमारे एक मुख़्लिस दोस्त जनाब सल्लू भाई को खत लिखकर हक़्क़ानी साहब के बम्बई में आने का पैग़ाम पहुंचा दिया, लेकिन सल्लू भाई भी हक़्क़ानी साहब को न जानते थे और वहां की मुस्लिम आबादी ने भी जनाब हक़्क़ानी साहब को देखा न था, मगर फ़ारसी के मुहावरे के मुताबिक़ मुश्क आ नस्त कि खुद बबोयद न कि अत्तार बगोयद।

(मुश्क तो खुद अपनी खुश्बू से पहचान लिया जाता है, अत्तार को मुश्क की पहचान नहीं करानी पड़ती।)

हक़्क़ानी साहब के पास हक़ तआला और उसके रसूले बरहक़ के सरमदी पैग़ाम के सिवा और कुछ भी नहीं था। ऐसा रोशन पैग़ाम जो सूरज की तरह रोशन और पानी की तरह शफ़्फ़ाफ़ है। जिन लोगों के दिल साफ़ सुथरे होते हैं, उन पर उस इस्लामी सूरज की किरणें जब पड़ती हैं, तो वे जगमगा उठते हैं और जिन लोगों के दिल शिर्क और बिदअतों की गन्दगी में आलूदा होते हैं, जब उन पर उस चश्मा-ए-इलाही का साफ़ शफ़्फ़ाफ़ पानी पड़ता है तो वे धुलकर पाक व साफ़ हो जाते हैं और अल्लाह के फ़ज़्ल से हुआ भी इसी तरह।

बम्बई में खोखा बाज़ार की मस्जिद में जनाब हक़्क़ानी साहब के दो-चार वाज़ हुए और

लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। जिस तरह सूखी और मुरझाई हुई खेती में रहमते इलाही की बारिश होते ही लहलहा उठती है उसी तरह ईमान व अमल की मुरझाई हुई खेती में रहमते इलाही की बारिश होते ही एक नई जिन्दगी और ताज़गी आ गयी इस्लाम के गुलिस्तान में फूल खिलने लगे और बम्बई की फ़िज़ा रूहानी खूश्बू से मुअत्तर हो गयी।

जनाब हक़्क़ानी साहब के वाज़ों के लिए दावतें आनी शुरू हो गयीं। इतनी दावतें जिन्हें देखते ही ऐसा मालूम होता था कि शायद बम्बई की आबादी एक ज़माने से इस मर्दे मुजाहिद और मुबल्लिग़े दीन के इन्तिज़ार में बैठी थी। जब ताबड़-तोड़ और पै दर पै वाज़ की दावतों का तांता बंध गया, तो एक इन्तिज़ामिया कमेटी की बुनियाद डाली गई और फिर हक़्क़ानी साहब की सदाए तब्लीग़ खोखा बाज़ार से आगे बढ़ कर घोघारी मुहल्ला, नल बाज़ार, अब्दुर्रहमान स्ट्रीट, चक्ला स्ट्रीट नाखुदा मुहल्ला, काजी मुहल्ला, मदनपुरा, पारस रोड़, तेली मुहल्ला, भिंडी बाजार, निज़ाम स्ट्रीट, सात रास्ता अकोला मस्जिद, डोंगरी वग़ैरह जगहों को पार करती हुई कुरला, सीवड़ी और जोगेश्वरी तक जा पहुंची।

आज मौसूफ के वाज़ों में बम्बई के अन्दर इन्सानों का एक समुन्दर मौजें मारता हुआ नज़र आता है और उस वक़्त रूह परवर मंजर देखकर लोगों का बयान है कि हमने अपनी ज़िन्दगी में ऐसे शानदार रूहानी इज्तिमाअ किसी भी आलिम के वाज़ में नहीं देखे। चारों तरफ़ का ट्रैफ़िक रोक दिया जाता है। बड़े-बड़े रास्ते चलने के लिए नाकाफ़ी और बड़े-बड़े लम्बे मैदान बैठने के लिए तंग हो जाते हैं, खड़े रहने की भी जगह नहीं मिलती। 20-20, 30-30 मील दूर रहने वाले शाइक़ीन अपने घर वालों को मोटर कारों में लेकर वाज़ सुनने के लिए आते हैं मगर जगह न होने की वजह से अपनी कार ही में बैठे-बैठे अपनी रूह व ईमान को ताजा करके पिछली रात को अपने घर वापस जाते हैं। जिस मुहल्ले में वाज़ होता है, उस मुहल्ले के मैदान और गली-कूचे जमाअत ख़ाने बग़ैरह लोगों से भर जाते हैं। मुहल्ले वाले अपने-अपने मकानों में दूर-दूर से आने वालों के लिए बैठने का बन्दोबस्त करते हैं। चार-चार और पांच-पांच मंज़िला इमारतें भी मर्दों-औरतों से खचाखच भर जाती हैं। इस तरह बम्बई में हक़्क़ानी साहब की मक़्बूलियत हुई। मददे खुदावन्दी ने क़दम-क़दम पर आपका साथ दिया।

तब्लीग़ की असरपज़ीरी का आलम देख कर बड़े-बड़े बूढ़े और पुराने लोग कहते हैं कि हमने अपनी ज़िन्दगी में खुदा की राह से भटके हुए इन्सान की इस्लाह इतने ऊंचे पैमाने पर नहीं देखी। वे लोग जिनकी पेशानियां कभी सज्दे के लिए नहीं झुकी थीं, वे लोग आन की आन में खुदा के दर के पुजारी बन गये। जिनकी उम्रें चोरी, जुआ और शराब व कबाब में गुज़री थीं, उनके कानों में ज्योंही हक़ की आवाज़ पहुंची, उनके दिल पिघल कर रह गए और सच्ची तौबा नसीब हुई। जिनको दीनदारी से दूर का भी वास्ता न था, उनकी ज़िन्दगी इस्लामी रंग में रंग गई और यह रूहानी इन्क़िलाब एक दो की ज़िन्दगी में नहीं, दो-चार और दस-बीस की ज़िन्दगी में नहीं, बल्कि हज़ारों लोगों की जिन्दगियों में ऐसा आया कि उनकी काया पलट गई। फ़लिल्लाहिल हम्दु०।

सभी जानते हैं कि जहां फूल होते हैं, वहां पर कांटों से भी वास्ता पड़ता है। सौराष्ट्र और गुजरात में जिस तरह पेशेवर मौलवी और जाल साज़ क़िस्म के नादान पीरों की बस्ती है, वैसी ही बम्बई में भी मौजूद है और ऐसे लोगों के हसद और कीना में एक ख़ास क़िस्म का फ़रेब और आग होती है। ऐसे लोगों की फ़रेब भरी ज़िन्दगी और मक्कारना चालों के लिए हक़्क़ानी साहब शोला-ए-जव्वाला और मौत का पैग़ाम हैं और ज़ाहिर है कि ऐसे नफ़्सपरस्त और दुनिया तलब लोग अपनी मौत को खामोशी से बर्दाश्त नहीं कर सकते।

उन लोगों ने भी हक़्क़ानी साहब को क़त्ल करने की साज़िश बनायी। तारीख़ 2-6-65 को अस्र के वक़्त घोघारी मुहल्ले में जनाब सल्लू भाई के घर में हक़्क़ानी साहब को क़त्ल करने के लिये घुस आए। इत्तिफ़ाक़ की बात थी कि जनाब सल्लू भाई घर में मौजूद थे। जनाब सल्लू भाई भी एक बहादूर दादा क़िस्म के आदमी थे। उन लोगों में काफ़ी देर तक बहस होती रही। आख़िरकार हक़्क़ानी साहब को क़त्ल नहीं कर सके और हाथ मलते हुए वापस चले गये।

इन हासिद व मुआनिद रहनुमाओं ने अपने ऐरे-ग़ैरे, नत्थू-ख़ैरे क़िस्म के लोगों का एक वफ़्द बनाया और पुलिस डिपार्टमेंट में पहुंच कर हक़्क़ानी साहब के ख़िलाफ़ ग़लत और बे-बुनियाद क़िसम की बातों का तूमार बांधा और अपना रिवायती रोना उसी तरह ख़ूब रोये, जिस तरह अक्सर जगहों पर उनको रोते देखा गया है। पुलिस हुक्काम ने मुनासिब कार्रवाई और इन्तिज़ाम का वायदा करके उन्हें रुख़्सत कर दिया, उसके बाद ख़ुद हक़्क़ानी साहब के वाज़ के टेप रिकार्ड मंगवा कर पुलिस के हुक्काम ने सुने। बम्बई की पुलिस ने बहुत अद्ल और इन्साफ़ की राह अख़्तियार की और बजाए इन ग़लत क़िस्म के प्रोपेगंडे पर भरोसा करने के खुद तहक़ीक़ की। इस पर बम्बई पुलिस हर इन्साफ़ पसन्द हिन्दुस्तानी और ख़ास कर हर सही अक़ीदे वाले मुसलमान की तरफ़ से मुबारक बाद के क़ाबिल है।

पुलिस के हुक्काम के सामने हक़्क़ानी साहब के वाज़ का टेप-रिकार्ड बोलने लगा।

दूर-दूर के रहने वाले अरब के वहशी और सर तापा कुफ़्र व शिर्क की लानत में फंसे हुए और इस्लाम के कट्टर दुश्मनों के दिल जिस ने पिघला कर मोम कर दिये, वह रूह परवर आवाज़ कलामे इलाही की थी, जिसने गुमराह और भटकी हुई इन्सानियत को हक़परस्ती और सच्चाई का रास्ता दिखा कर मख़्लूक़े ख़ुदा के दिलों को नूरे ईमान से भर दिया। इस टेप-रिकार्ड में रसूले बर हक़ सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वह मोजिज़नुमा अहादीस थीं, जिनमें सच्चाई और अख़्लाक़ के सबक़ थे। उनमें इत्तिफ़ाक़ व इत्तिहाद से रहने की हिदायत की। उसमें गुनाह आलूद ज़िन्दगी को छोड़कर इस्लामी अहकाम क़ुबूल कर लेने की ताकीद थी। उसमें मुहब्बत, इन्सानियत, इख़्लास और मसावात और रोज़मर्रा की ज़िन्दगी का दर्स था। उसमें किसी की भी बुराई और ग़ीबत नहीं थी। किसी के भी ऐब नहीं निकाले गये थे और न ही किसी को चैलेंज किया गया था और न लड़ाने-भिड़ाने की कोई बात थी।

मुस्लिम हुक्काम ताज्जुब में पड़ गये, क्योंकि नत्थू ख़ैरे वफ़्द ने जो कुछ ज़हर फैलाया

था, वह रिकार्ड में कतई नहीं पाया, फिर भी बराहे रास्त हक्कानी साहब की ज़ुबान से सुनने के लिए कुछ अफ़सर बजाते खुद वाज़ सुनने के लिए आए। इस के बाद तो वे अपने अह्ल व अयाल को हक्कानी साहब का वाज़ सुनाने के लिए साथ लाये और तीसरे दिन मज़कूरा नत्थू खैरा वफ्द जब दोबारा अफ़सरान से मिलने गया तो उन को बड़ी ज़िल्लत और बे-इज़्ज़ती के साथ पुलिस डिपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि उन के झूठ की कलई खुल गयी थी।

आजकल हक्कानी साहब के वाज़ बम्बई में बराबर हो रहे हैं और जो मुसलमान भाई-बहन वाज़ों के नाम से उन पेशेवर मौलवियों की मनगढ़त बातों में फंस गये थे और उन बातों की वजह से ग़लत एतक़ाद और ग़ैर-इस्लामी रिवाज ज़ेहन व दिमाग़ में जड़ पकड़ चुके थे, उन्हें आज क़ुरआन मजीद और अहादीसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की रोशनी में दीन की सच्ची बातें सुनने का मौका मिला है। ज़्यादातर भाई और बहन नमाज़ के पाबन्द हो गये।

ग़लत रास्ते को छोड़ कर सीधा रास्ता अपना लिया है। सुन्नते नबवी की पैरवी की तमन्ना दिलों में मौजज़न है। लाखों के मालिक बड़े-बड़े सेठों से लेकर फुटपाथ पर ज़िन्दगी बसर करने वाले ग़रीबों तक सारे के सारे इस सुनहरी मौके से फ़ायदा उठा रहे हैं। माशाअल्लाह !

जनाब हक्कानी साहब की किताब 'शरीअत या जहालत' जिस को ज़ब्त कराने के लिए गुजरात में एक ड्रामाई तहरीक चलायी गयी थी, खुदा की शान किताब तो ज़ब्त न हुई, अल-बत्ता उस का दूसरा ऐडाशन भी खुदा के फ़ज़्ल से तैयार होकर पब्लिक के हाथ में आ गया। अब वह भी खत्म होने के क़रीब हैं और अब उस का तीसरा एडीशन उर्दू ज़ुबान में दस हज़ार की तायदाद में मंज़रे आम पर बड़ी शान से आ रहा है। यह सब क्या है ? क्या हक्कानी साहब की करामत है ? नहीं, यह सिर्फ़ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का फ़ज़्ल व एहसान है और उस के रसूले बरहक़ सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दीन की सदाक़त व हक्कानियत है।

–'आबेहयात' (अहमदाबाद)

हक्कानी साहिबे इल्म की नज़र में

बात सन 1974 ई० की है। हक्कनी साहब दो दिन के लिए हैदराबाद तशरीफ़ लाये। शहर उन के लिए नया था और वह शहर के लिए अजनबी और लुत्फ़ यह कि बुलाने वाले हज़रात भी अनजान।

पहला खिताब शहर की बहुत बड़ी मस्जिद में और दूसरा खिताब जामा मस्जिद सिकन्दराबाद में तै पाया। दकन वालों ने बड़े-बड़े दीनी मज्मों को देखा था, लेकिन एक ग़ैर-मारूफ़ नये आये शख्स हक्कानी के इस खिताब में अपनी सोच और अन्दाज़ों से कहीं, ज़्यादा मज्मा देखकर दंग रह गये। तारीखी मक्का मस्जिद ने अपने बनने के बाद किसी शख्स के खिताब में शायद इतने सुनने वालों को अपनी गोद में न लिया होगा। जहां तक नज़र जा रही थी,

इंसानी सरों का समुन्दर मालूम होता था।

मज्लिसे इल्मिया हैदराबाद ने इस अक़्ल को हैरान कर देने वाली शख़्सियत से और अधिक फ़ायदा उठाने के लिए अस्र के बाद मस्जिद मलिक पैठ में एक इल्मी मुज़ाकरा तै कर लिया। शहर और शहर के ज़िलों से बड़ी तायदाद में उलेमा के आलावा आम मुसलमानों ने शिर्कत की। हक़्क़ानी साहब ने शुरू में इमामों की तक़लीद पर आधा घंटे ऐसी दलील भरी तक़रीर की कि अह्ले इल्म मुतास्सिर हुए बग़ैर न रह सके।

फिर सवालों का सिलसिला शुरू हुआ और हक़्क़ानी साहब ने बरजस्ता जवाबात मुस्तनद किताबों के हवालों से देकर अह्ले इल्म करे हैरत में डाल दिया। सवालात हर क़िस्म के थे। जवाब हां या न में हर आलिम के लिए आसान है, लेकिन बरजस्ता क़ुरआन व हदीस और फ़िक़्ह की किताबों के हवाले दुनियाए अह्ले इल्म के लिए ऐसा नया तजुर्बा था, जो उन्हों ने अपनी लम्बी ज़िन्दगी में कभी देखा ना था। ज़्यादातर सवालात आम मुसलमान कर रहे थे। सवालों की वे छोटी-छोटी परचियां आज भी मह्फ़ूज़ हैं, जो उसी वक़्त लिख कर दी गयी थीं, अह्ले इल्म हैरान थे कि ग़ैर मुतवक़्क़अ सवालों के जवाबों को अनगिनत हवालों के साथ बरजस्ता देना ज़ाहिर में इंसानी कोशिशों का नतीजा नहीं हो सकता, सिवाए इस के कि इस वाक़िए को अल्लाह की कोई आयत क़रार दिया जाए।

पूरे मज्मे पर बे-ख़ुदी तारी थी। हर आदमी हैरानी के साथ सोच रहा था कि इस उम्मी सिफ़्त हक़्क़ानी को क़ुरआन व हदीस और फ़िक़्ह की किताबों पर इतनी क़ुदरत किस तरह हासिल है, वह हर-हर सवाल पर बरजस्ता दो-दो, चार-चार किताबों के सफ़हे व नम्बर देते जा रहे हैं, जब कि सवालात भी पहले से तै न थे। इस तरह यह 'करामाती मुज़ाकरा' मग़्रिब की अज़ान पर ख़त्म हुआ।

यह तज़्किरा तो हक़्क़ानी साहब की ज़ात से मुताल्लिक़ था। उनकी आलमी शोहरत याफ़्ता किताब, जिसका नाम उन्होंने 'शरीअत या जहालत' रखा है, आम दीनी किताबों से बिल्कुल अलग है। हर मुसन्निफ़ और मुअल्लिफ़ जब अपनी किताब तर्तीब देता है, तो उसमें किसी न किसी उन्वान से अपना ज़ाती नज़रिया भी शामिल करता है, जिस को वह हक़ समझता है, लेकिन 'शरीअत या जहालत' हमारे इल्म में अकेली किताब नज़र आती है, जिसके मुआल्लिफ़ ने इसमें अपना ज़ाती नज़रिया पेश नहीं किया, जो बात भी लिखी है, वह किताबुल्लाह और सुन्नते रसूलुल्लाह या फ़ुक़हाए किराम के नज़रिए हैं, जो किताब व सुन्नत से लिये गये है, यहां तक कि हक़्क़ानी साहब ने इस बात का भी पूरा एहतिमाम किया है कि तर्जुमा व तश्रीह में भी मुस्तनद किताबों की इबारत जैसी है वैसी ही नक़ल कर दी जाए। यही वह ख़ुसूसी हैसियत है, जिसने इस किताब को दूसरी किताबों से अलग कर दिया है। इसके अलावा हक़्क़ानी साहब ने किताब की तर्तीब में एक अनोखा, लेकिन निहायत मज़बूत तरीक़ा अपनाया है। वह उन्वान के तहत जो मज़्मून नक़ल करते हैं, पहले तो किताबुल्लाह के उस मज़्मून की खुली आयतें नक़ल

करते हैं। फिर उसी मज़मून की और ज़्यादा वज़ाहत के लिए सही हदीसों को नक़ल करते हैं, फिर (नतीजे के तौर पर) आख़िर में फ़िक़्ह की किताबों से इबारतें दर्ज करते हैं।

और हर इबारत का सफ़हा नम्बर, पारा, रुकूअ वग़ैरह इतने वाज़ेह तौर पर नक़ल करते हैं कि एक आम आदमी को भी तलाश करने की तकलीफ़ नहीं होती। यह एक ऐसा ज़िम्मेदाराना तरीक़ा है कि जिस की नज़ीर पहलों में तो मिलती है, लेकिन पिछलों में बहुत कम है। हक़्क़ानी साहब की यही खुसूसियात हैं कि आने वाला तारीख़दां उनकी ज़ात और उनकी किताब को 'अजाइबे क़ुदरत' में गिनेगा।

व मा ज़ालि-क अलल्लाहि बिअज़ीज़॰

-मुहम्मद अब्दुर्रहमान,
नाज़िमे मज्लिसे इल्मिया, हैदराबाद (ए॰पी॰)
हाल मुक़ीम जद्दा (सऊदी अरब)